

प्रकाशक  
विजयकृष्ण लखनपाल एण्ड कम्पनी  
'विद्या-विहार', ४ बलवीर ऐवेन्यू  
देहरादून

**हमारे प्रकाशन**  
**एम० ए० के लिये**

१ मानव-शास्त्र १२॥)

**बी० ए० के लिये**

२ समाजशास्त्र के मूल-तत्व १०)

३ समाज-कल्याण तथा सुरक्षा १०)

**इण्टरमीजियेट के लिये**

४ प्रारम्भिक समाज-शास्त्र ३)

५ भारतीय-सामाजिक-संगठन २)

**लडकियो के लिये**

६ समाजशास्त्र तथा बाल-कल्याण ४)

७ धारावाही हिन्दी में मचित्र  
एकादशोपनिषद् (मूल-सहित) १२)

८ शिक्षा-मनोविज्ञान ५)

९ शिक्षा-शास्त्र ४)

१० आर्य-संस्कृति के मूल-तत्व ४)

११ ब्रह्मचर्य-सन्देश ४॥)

१२ स्त्रियों की स्थिति ४)

विजयकृष्ण लखनपाल एण्ड क०  
'विद्या-विहार'

बलवीर ऐवेन्यू, देहरादून

विजयकृष्ण लखनपाल एण्ड कम्पनी  
विद्या-विहार, ४ बल्लबीर एवेन्यू, देहरादून  
की प्रकाशित  
**ब ा र ह अ म र - कृ ति यां**

इस पुस्तक पर उत्तर-प्रवेश सरकार ने ८०० रु० पारितोषिक दिया है

धारावाही हिन्दी में सचित्र

## १. एकादशोपनिषद् — मूल-सहित [ब्रह्म-विद्या]

भूमिका लेखक—उप-राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन

लेखक—प्रो० सत्यव्रत सिद्धातालकार

आर्य-मस्कृति के प्राण उपनिषद् हैं। उपनिषदों के अनेक अनुवाद हुए हैं, परन्तु प्रस्तुत अनुवाद अन्य अनुवादों से विशेषता रखता है। इस अनुवाद में हिन्दी को प्रधानता दी गई है। जो व्यक्ति मस्कृत के बखड़े में न पड़ कर उपनिषद् का तत्व ग्रहण करना चाहे, वह सिर्फ हिन्दी भाग पढ़ जाय। उसे कोई स्थल ऐसा नहीं मिलेगा जो सरल न हो, स्पष्ट न हो, जिसमें किसी तरह की कोई भी उलझन हो। ऊपर मोटे-मोटे अक्षरों में हिन्दी भाग दिया गया है, यह हिन्दी भाग धारावाही तौर पर दिया गया है, और जो-कोई हिन्दी तथा मूल मस्कृत की तुलना करना चाहे, उसके लिए अक देकर नीचे मस्कृत भाग भी दे दिया गया है। फुटनोट में दिये मस्कृत-भाग को छोड़ कर जो सिर्फ हिन्दी-भाग पढ़ना चाहे, वह धारावाही हिन्दी-भाग को पढ़ता चला जाय—विषय एकदम स्पष्ट होना चला जायगा, कहीं किसी तरह का अटकाव नहीं आयेगा। पुस्तक की सब से बड़ी विशेषता यही है कि अनुवाद में मक्खी-पर-मक्खी मारने की कोशिश नहीं की गई, विषय को खोल कर रख दिया गया है। माधारण पढ़े-लिखे तथा मस्कृत के अगाव पड़ितों—दोनों के लिए यह नवीन ढंग का ग्रन्थ है। यही इस अनुवाद की मौलिकता है।

अब तक उपनिषदों के जो अनुवाद हुए हैं, वे पढ़ने वालों को शब्द-जाल में भरमा देते हैं, मनुष्य शब्द-जाल में आगे निकल कर ऋषियों के भाव तक नहीं पहुँच पाता। इस अनुवाद में हम शब्द-जाल को पार कर के उपनिषद् के ऋषियों की भावना को जा पकड़ते हैं।

मुख्य-मुख्य उपनिषद् ११ मानी गई हैं। इन सभी उपनिषदों का धारावाही स्वतंत्र हिन्दी-अनुवाद इस ग्रन्थ में मूल-सहित दे दिया गया है। पुस्तक को रोचक बनाने के लिए जगह-जगह २५—३० चित्र भी दिये गये हैं। टाइटल पन् आर्ट पेपर का तीन रंगों का इन्स्ट कवर है। कपड़े की मुन्दर जिल्द है।

मूल्य केवल बारह रुपया है।

## २. आर्य-संस्कृति के मूल-तत्व

लेखक—प्रो० सत्यव्रत सिद्धातालकार

[कुछ समालोचनाओं का सार]

“दैनिक-हिंदुस्तान” (१० जनवरी, १९५४)—

“हम तो यहाँ तक कहने का माहस रखते हैं कि भारत में बाहर जाने वाले सांस्कृतिक-मिशन के प्रत्येक सदस्य को इस पुस्तक का अवलोकन अवश्य करना चाहिए। लेखक की विचार-शैली, प्रतिपादन-शक्ति, विषय-प्रवेग की सूक्ष्मता डा० राधाकृष्णन में टक्कर लेती है। आज के देश के अंग्रेजीमय वातावरण में यदि इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद करा दिया जाय, तो पुस्तक विशेष रूप में लोकप्रिय होगी।”

“नव-भारत टाइम्स” (१० दिसम्बर, १९५३)—

“लेखक ने आर्य-संस्कृति के अथाह-समुद्र में पैठ कर, उसका मन्थन करके उसमें छिपे रत्नों को बाहर लाकर रख दिया है। भाषा इतनी परिमार्जित है कि पढ़ते ही बनती है। इस ग्रन्थ को अगर आर्य-संस्कृति का दर्शन-शास्त्र कहा जाय, तो अत्युक्ति न होगी। हिन्दी के संस्कृति-मवधी साहित्य में इस ग्रन्थ का स्थान अमर रहने वाला है।”

“जनसत्ता” (१० जनवरी, १९५४)—

“लेखक ने बड़ी परिमार्जित भाषा में भारतीय-संस्कृति के उन मूल-तत्वों का वर्णन किया है जो इसके आधार हैं। उन्होंने एक दार्शनिक और वैज्ञानिक की तरह ‘आर्य-संस्कृति’ का विश्लेषण कर दिया है, और उसके प्रत्येक तत्व को पाठक के सामने निखार कर रख दिया है। ‘संस्कृति’ के विषय में अनेक पुस्तकें हमने देखी हैं, परन्तु प्रो० सत्यव्रत जी की इस पुस्तक का स्थान अद्वितीय है। पुस्तक हिन्दी-साहित्य के भस्त्रक को ऊँचा करने वाली है। ऐसी पुस्तक से ही देश का स्थिर-साहित्य बनता है। प्रत्येक भारतीय को इस ग्रन्थ का अध्ययन करना चाहिए—यह हमारी हार्दिक इच्छा है।”

साप्ताहिक-हिंदुस्तान (३ जनवरी, १९५४)—

“हमारी सम्मति में आर्य-संस्कृति के सबध में आज तक जो पुस्तकें लिखी गई हैं, उनमें प्रो० सत्यव्रत जी की लिखी इस पुस्तक का बहुत ऊँचा स्थान है। समस्त पुस्तक गहन विषयो को सरल भाषा में व्यक्त किये गये विचारों से भरी पड़ी है। आर्य-संस्कृति के सबध में इस प्रकार की मार्मिक-विवेचना करने वाली यह पहली पुस्तक हमारे देखने में आयी है। जो लोग ‘आर्य-संस्कृति’ के सबध में जानकारी हासिल करना चाहें, उनका ज्ञान इस पुस्तक को पढ़े बिना अधूरा रहेगा। प्रत्येक पुस्तकालय के लिए इस पुस्तक का संग्रह करना पुस्तकालय की शोभा को बढ़ायेगा। पुस्तक सुन्दर कागज पर छपी है, बढिया जिल्द है, मोनो टाइप है, यह सब कुछ देखते हुए मूल्य भी उचित ही है।”

सजिल्द पुस्तक का दाम चार रुपया।

## ३. ब्रह्मचर्य-संदेश

[पाँचवाँ संस्करण]

भूमिका लेखक—स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज

लेखक—प्रो० सत्यव्रत सिद्धातालकार

नवयुवको को 'ब्रह्मचर्य' जैसे गभीर विषय पर, मरल-सुन्दर भाषा में जो-कुछ कहा जा सकता है, इस पुस्तक में कह दिया गया है। स्वर्गवासी श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने इस पुस्तक को भूमिका लिखी थी। स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज भारत-भूमि के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में 'ब्रह्मचर्य' को क्रियात्मक रूप देने के लिए गुहकुल-कागड़ी की स्थापना की थी। ऐसे महा-पुरुष ने इस पुस्तक की भूमिका इसीलिए लिखी थी क्योंकि उन्होंने पुस्तक के महत्व को देख लिया था। इस पुस्तक ने हिन्दी-माहित्य में अमर स्थान बना लिया है। पुस्तक का यह पाँचवाँ संस्करण है। पुस्तक की श्रेष्ठता इसी में सिद्ध है कि इसके गुजराती भाषा में दो स्वतंत्र अनुवाद हो चुके हैं। कुछ समालोचनाओं का नार निम्न है —

खड्वा का 'कर्मवीर' लिखता है—“इस विषय पर हिन्दी में सबसे अधिक प्रामाणिक, मूल से अधिक खोजपूर्ण और सबसे अधिक जातव्य बातों से भरी हुई यही पुस्तक देखने में आयी है।”

दिल्ली का 'वीर अर्जुन' लिखता है—“हम चाहते हैं कि प्रत्येक नव-युवक के हाथ में यह पुस्तक हो।”

लखनऊ की 'माधुरी' लिखती है—“भाषा परिमार्जित तथा वर्णन-शली एकदम अच्छी हैं। मालूम होता है, कोई विज्ञान-वेत्ता नामांरिक नत्व-विवेचना पर व्याख्यान दे रहा है। आजकल जितनी पुस्तकें इस विषय पर निकली हैं उन मूल में यह बढ़िया है।”

कपड़े की सुन्दर जिल्द। दाम साठे चार रुपया।

## ४. शिक्षा-शास्त्र

भूमिका लेखक—श्री डा० सम्पूर्णानन्द जी

पुस्तक लेखक—प्रो० सत्यव्रत तथा चन्द्रावती लखनपाल

एम०ए०, वी०टी० (एम०पी०)

'शिक्षा' के मूल में जितने आधुनिक विचार हैं, वे सब इस ग्रन्थ में थोड़े-से में, अत्यन्त मरल तथा रोचक भाषा में दे दिये गए हैं। शिक्षा के सिद्धान्त (Principles of Education), शिक्षा की विधि (Method of Education), शिक्षा का विधान (Organisation of Education) तथा भारतीय-शिक्षा का आदि-काल में आज तक का इतिहास (History of Indian Education) —ये सब विषय एक स्थान पर दे दिये गए हैं। इस पुस्तक की उपयोगिता इसी बात में स्पष्ट है कि शिक्षा-मन्त्रालयों में जहाँ-जहाँ 'शिक्षा' विषय पढ़ाया जाता है, वहाँ-वहाँ इस पुस्तक का सर्वोत्कृष्ट स्थान है।

सजिल्द पुस्तक का दाम चार रुपया।

## ५. समाज-शास्त्र के मूल-तत्व

[नवीन संस्करण]

पुस्तक लेखक—प्रो० सत्यव्रत जी मिश्रातालकार

समाज-शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान् डा० रामनारायण सक्सेना इस पुस्तक के विषय में लिखते हैं —“इस पुस्तक में ‘समाज-शास्त्र’ के सभी विषयों का सुन्दर तथा सरल विवेचन दिया गया है। वैसे तो पुस्तक ‘समाज-शास्त्र’ से परिचय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले सभी पाठकों के लिए उपयोगी है, परन्तु विश्व-विद्यालयों के उन विद्यार्थियों के लिए तो, जो ‘समाज-शास्त्र’ का अध्ययन कर रहे हैं, यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें बी० ए० तथा एम० ए० की पाठविधि के इस क्षेत्र के किसी विषय को छोड़ा नहीं गया, हर विषय की गहन तथा विशद विवेचना की गई है। ‘समाज-शास्त्र’ के सभी विश्व-विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक बड़ी आसानी में ‘पाठ्य-पुस्तक’ का काम दे सकेगी।”

आचार्य जुगलकिशोर जी जब लखनऊ विश्वविद्यालय के बाईस-चासलर थे तब उन्होंने इस पुस्तक के विषय में लिखा था —“यद्यपि ‘समाज-शास्त्र’ पर अग्रजी में बड़े-बड़े विद्वानों के अनेक ग्रन्थ विद्यमान हैं, तथापि हिन्दी में इस विषय पर प्रो० सत्यव्रत जी की पुस्तक के समान विशद विवेचन करने वाली तथा इसके समान उच्च-स्तर की दूसरी कोई पुस्तक नहीं है। यह पुस्तक ‘समाज-शास्त्र’ के हर पहलू पर बड़ी सुन्दर, सरल भाषा में तथा उतनी ही गहराई में जाकर प्रकाश डालती है। इतनी गहराई में जाते हुए भी विषय का प्रतिपादन इस ढंग से किया गया है कि साधारण पाठक भी विषय को आसानी से समझ लेता है। निस्सन्देह यह पुस्तक सामाजिक-विज्ञानों की वृद्धि में एक ठोस देन है। मुझे पूरा विश्वास है कि हिन्दी-जगत् में इस पुस्तक का हार्दिक स्वागत किया जायगा और अबतक इस विषय को हिन्दी में न पढा सकने की जो शिकायत थी वह इस पुस्तक से एकदम दूर हो जायगी।”

उत्तर-प्रदेश सरकार ने इस पुस्तक को अपने विषय की अद्वितीय पुस्तक होने के कारण लेखक को इस पुस्तक पर एक हजार रुपया पारितोषिक दिया है।

पुस्तक का प्रथम संस्करण समाप्त होने के बाद अब इसका द्वितीय-संस्करण निकला है जिसमें पहले संस्करण की अपेक्षा १०० पृष्ठों का मैटर बढ़ा दिया गया है। इस द्वितीय-संस्करण के विषय में निस्सन्देह कहा जा सकता है—‘यदन्यत्र तदिहास्ति यदिहास्ति न तत्त्वचित्’—‘जो-कुछ अन्य कहीं नहीं मिलेगा वह सब तो इस पुस्तक में मिलेगा ही, परन्तु जो इसमें मिलेगा वह कहीं नहीं मिलेगा।’

इतना मैटर बढ़ जाने पर भी ६०० पृष्ठों की कपड़े की सजिल्द पुस्तक का दाम वही दस रुपया रखा गया है।

इस पुस्तक पर उत्तर-प्रदेश सरकार ने ८००) परितोषिक दिया है

## ६. समाज-कल्याण तथा सुरक्षा

(SOCIAL-WELFARE AND SECURITY)

लेखक—प्रो० सत्यव्रत सिद्धातालकार

अपने ढग की यह विल्कुल नई पुस्तक है। इस विषय पर अभी तक न के बराबर लिखा गया है। इस पुस्तक की विषय-सूची देखने में स्पष्ट हो जायगा कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए यह एक प्रामाणिक पुस्तक का काम कर सकती है। बी० ए० तथा एम० ए० के विद्यार्थियों के लिए अबतक सब विषयों का विस्तार में वर्णन करने वाली अभी तक कोई पुस्तक नहीं थी। इस पुस्तक ने इस कमी को पूरा कर दिया है।

५५० पृष्ठों की कपडे की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल दम रुपया है।

## ७. समाज-शास्त्र तथा बाल-कल्याण

(SOCIOLOGY AND CHILD-WELFARE)

लेखक—प्रो० सत्यव्रत सिद्धातालकार

कन्याओं की पाठशालाओं में इन्टरमीजियेट में गृह-विज्ञान (Home Science) विषय पढाया जाता है। गृह-विज्ञान के अन्दर 'समाज-शास्त्र तथा बाल-कल्याण'—इस नाम में एक विषय रखा हुआ है जिस पर अभी तक कोई प्रामाणिक पुस्तक नहीं थी। प्रो० सत्यव्रत जी की इस पुस्तक ने यह समस्या पूर्ण रूप में हल कर दी है। पुस्तक सजिल्द है और दाम चार रुपया है।

## ८. प्रारम्भिक-समाजशास्त्र

(ELEMENTS OF SOCIOLOGY)

ले०—प्रो० सत्यव्रत सिद्धातालकार

१९५८ से इन्टरमीजियेट में भी 'समाजशास्त्र' का विषय पढाया जाने लगा है। इस सम्बन्ध में समाजशास्त्र के माने हुए विद्वान् प्रो० सत्यव्रत जी ने हाल ही में दो पुस्तकें लिखी हैं जिनके नाम "प्रारम्भिक-समाजशास्त्र" तथा "भारतीय-सामाजिक-संगठन" हैं। ये दोनों पुस्तकें समाजशास्त्र के प्रारम्भिक ज्ञान के लिए अद्वितीय हैं और बोर्ड द्वारा इन्टरमीजियेट के लिए स्वीकृत हैं। "प्रारम्भिक समाजशास्त्र" इन्टर की मोशियोलोजी के प्रथम पत्र के लिये निर्धारित की गई है। इनका दाम तीन रुपया है।

## ९. भारतीय-सामाजिक-संगठन

(INDIAN SOCIAL ORGANISATION)

लेखक—प्रो० सत्यव्रत सिद्धातालकार

इन्टरमीजियेट में मोशियोलोजी के दो प्रश्न-पत्र रहेंगे। पहला प्रश्न-पत्र तो 'प्रारम्भिक-समाज-शास्त्र' का होगा, दूसरा प्रश्न-पत्र 'भारतीय-सामाजिक-संगठन' पर होगा। हमारी पुस्तक 'भारतीय-सामाजिक-संगठन' में इन्टरमीजियेट के द्वितीय-पत्र के सब विषयों पर विस्तारपूर्वक बहुत ही सरल तथा रोचक भाषा में प्रकाश डाला गया है। इन्टरमीजियेट के मोशियोलोजी के विद्यार्थियों के लिये यह पुस्तक बोर्ड द्वारा स्वीकृत है। दाम दो रुपया है।

इस पुस्तक पर पाच सौ रुपया सेकतरिया-पारितोषिक मिला है

## १०. स्त्रियों की स्थिति

भूमिका लेखिका—श्रीमती लीलावती मुन्शी, एम० पी०

लेखिका—श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल एम०ए०, बी०टी० (एम० पी०)

इस पुस्तक की लेखिका को इस पुस्तक के लिखने पर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, अलाहाबाद ने उम वर्ष की सर्वोत्तम लेखिका घोषित कर पांच भाँ स्पए का 'सेन्सरिया पुरस्कार' दिया था। इस पुस्तक में स्त्रियों संबंधी प्रश्नों पर विल्कुल मौलिक ढंग से विचार किया गया है। पुस्तक की विचार-धारा में एक प्रवाह है, जो साहित्यिक-पुस्तकों में कम देखने में आता है। यह पुस्तक पिता अपनी पुत्री को, पति अपनी पत्नी को और भाई अपनी बहिन को भेंट दे, तो इसमें बटकर दूसरी भेंट नहीं हो सकती। यह पुस्तक का नवीन मस्करण है जिसमें स्त्रियों ने सबध रखने वाले अनेक नवीन विषयों का समावेश किया गया है।

कपड़े की सजिल्द पुस्तक का दाम चार रुपया।

मगलाप्रसाद-पारितोषिक-प्राप्त ग्रन्थ

## ११. शिक्षा-मनोविज्ञान

लेखिका—श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल एम०ए०, बी०टी० (एम०पी०)

'शिक्षा-मनोविज्ञान' पर यह हिन्दी में सर्वोत्तम पुस्तक है। इस पर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने १२०० (बारह सौ) रुपए का मगलाप्रसाद-पारितोषिक देकर लेखिका को सम्मानित किया था।

काशी-विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग-कालेज के उस समय के प्रिन्सिपल, जिस समय यह पुस्तक लिखी गई थी, रायबहादुर प० लज्जाशंकर झा, आई० ई० एम० ने इस पुस्तक पर निम्न सम्मति प्रकट की थी —

“मुझे शिक्षा-मनोविज्ञान विषय से विशेष प्रेम है, और मुझे इस विषय की अनेक पुस्तकें देखने का अवसर मिला है। हिन्दी में इस विषय पर अभी तीन-चार ही पुस्तकें छपी हैं, वे भी देखी हैं, परन्तु चन्द्रावती जी की पुस्तक में निम्न गुण मुझे बहुत अधिक पसन्द आये —

१ चन्द्रावती जी ने विषय का बहुत ही अच्छा अध्ययन कर लिया है, और उनकी बुद्धि कुशाग्र और निर्मल होने के कारण उन्होंने विषय की वारीकियों को भी खूब समझा है।

२ विषय बहुत ही रोचक रूप से सामने रखा गया है, शब्दाडंबर नहीं है। भाषा सरल तथा शुद्ध है। पारिभाषिक शब्द मन को एकदम ठीक जँचते हैं।

३ उदाहरण अपने अनुभव से दिये हैं।

४ मनोविज्ञान जटिल विषय है, परन्तु लेखिका ने ट्रेनिंग कालेज की पद्धतियों का अनुकरण करके विषय अत्यन्त रोचक तथा स्पष्ट बना दिया है।

चन्द्रावती जी ने ऐसी उत्तम पुस्तक लिख कर हिन्दी-साहित्य की भारी सेवा की है, और ट्रेनिंग कालेज को तो वरततु के शिष्य के समान १४ करोड़ की दक्षिणा चुका दी है।” पुस्तक सचित्र है, सजिल्द है, दाम पांच रुपया है।

## १२. मानव-शास्त्र

मूल्य साठे बारह रुपया।

## विषय-सूची

### भूमिका (लेखक द्वारा)

- |   |     |
|---|-----|
| १ मानवशास्त्र का विषय-क्षेत्र (Subject-matter and Field of Anthropology)  | १७  |
| २ मानवशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ सवध (Relation of Anthropology to other Sciences)   | २५  |
| ३ मानव की उत्पत्ति तथा विकास (Human Origins and Human Evolution)  | ३४  |
| ४ मानव की उत्पत्ति तथा विकास में प्रस्तरित-मानव (Fossil-man in Human Evolution)   | ४६  |
| ५ प्रागैतिहासिक पुरातत्व-विज्ञान तथा आदि-समाज (Pre-historic Archeology and Primitive Society)   | ६०  |
| ६ प्रागैतिहासिक पुरातत्व-विज्ञान तथा भिन्न-भिन्न देशों का आदि-समाज (Prehistoric Archeology and Primitive Society of Different Countries)                        | ११० |
| ७ आदिकालीन-समाज की रूप-रेखा (Outlines of Primitive Society)   | १२६ |
| ८ मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की सिन्धु-सभ्यता (Mohenjodaro and Harappa Culture of Sindh Valley)   | १३६ |
| ९ सत्तार की जीवित प्रजातियाँ (Living Races of the World)  | १५३ |
| १० भारत की प्रजातियाँ (Indian Races)  | १७६ |
| ११ आर्य-प्रजाति का आदिम निवास-स्थान (Original Home of the Aryan Race)   | १६३ |
| १२ प्रजातिवाद (Racism)  | २०३ |
| १३ भारत की जन-जातियाँ (Indian Tribes)   | २१७ |
| १४ प्रजाति-सुप्रजनन (Eugenics)  | २६३ |
| १५ सस्कृति-संवर्धन के भिन्न-भिन्न सिद्धांत—विकासवाद, प्रसारवाद तथा सस्कृति-संस्करणवाद (Theories of Culture-growth—Evolutionism, Diffusionism and Acculturation) | २८१ |
| १६ अन्त-सांस्कृतिक-सवध (Inter-cultural relation or Integration)   | ३१० |



१७	आदिकालीन अर्थ-व्यवस्था (Primitive Economics)	३२६
१८	आदिकालीन आविष्कार (Primitive Inventions)	३७७
१९	आदिकालीन परिवार (Primitive Family)	३७९
२०	आदिकालीन विवाह (Primitive Marriage)	४०२
२१	आदिकालीन नातेदारी (Primitive Kinship System)	४३२
२२	गोत्र अथवा गण तथा गोत्र-चिह्न अथवा गण-चिह्न (Clan or Sib and Totemism)	४४४
२३	आदिवासियों में वर्ग तथा श्रेणी के आधार पर स्थिति (Status by Class and Rank in Primitive Society)	४६०
२४	आदिवासियों में लिंग-भेद पर आधारित स्थिति-भेद (Sex and Status in Primitive Society)	४६९
२५	आदिवासियों में भाषा द्वारा विचार-विनिमय (Language communications in Primitive Society)	४७९
२६	आदिकालीन विज्ञान तथा प्राविधिक ज्ञान (Early Science and Technology)	५०३
२७	आदिकालीन विधान, न्याय तथा शासन-पद्धति (Primitive Law, Justice and Government)	५११
२८	आदिकालीन कला—मूर्ति-निर्माण तथा चित्र-निर्माण (Primitive Art—Plastic and Graphic)	५३१
२९	आदिकालीन मौखिक-साहित्य—पौराणिक-आख्यान तथा दन्त-कथाएँ (Primitive Oral Literature—Mythology and Folktale)	५५३
३०	आदिकालीन संगीत तथा नृत्य (Primitive Music and Dance)	५७४
३१	धर्म तथा जादू (Religion and Magic)	५८८
३२	शुद्धि-अशुद्धि पत्र (Errata)	६२१
३३	शब्दानुक्रमणिका (Glossary and Word-Index)	६२२
३४	नामानुक्रमणिका (Name-Index)	६३९

## भूमिका

‘मानव-शास्त्र’ का अर्थ है—मनुष्य से मवध रखने वाला शास्त्र । इसके मुख्य तौर पर दो भाग हैं—‘भौतिक मानव-शास्त्र’ तथा ‘सांस्कृतिक मानव-शास्त्र’ । ‘भौतिक मानव-शास्त्र’ में मनुष्य के भौतिक पहलू का अध्ययन किया जाता है । उदाहरणार्थ, मनुष्य का शरीर कब बना, कैसे बना, उसके रुधिर में कौन-से तत्व हैं जो दूसरे प्राणियों में नहीं पाये जाते, कौन-से शारीरिक गुण मन्तति में मक्रान्त होते हैं, कौन-से नहीं होते, पर्यावरण का मनुष्य की शारीरिक भिन्नताओं पर क्या प्रभाव पडता है, एक ही रुधिर के लोगो के पारस्परिक मवध में प्रजातियों में क्या भेद पड जाता है, प्रजातीय-भेद क्या है, भिन्न-भिन्न प्रजातियों के सम्मिश्रण से उनमें शारीरिक तथा मानसिक क्या-क्या भेद आ जाते हैं—इन सब बातों का अध्ययन ‘भौतिक मानव-शास्त्र’ के अन्तर्गत है । ‘सांस्कृतिक मानव-शास्त्र’ में मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा धार्मिक मगठनों का अध्ययन किया जाता है । उदाहरणार्थ, परिवार की रचना क्या है, मनुष्य ने अपनी आर्थिक ममस्या को हल करने के लिए मृष्टि के प्रारंभ में लेकर अब तक क्या-क्या उपकरण बनाये, राजा तथा प्रजा का भाव कब और कैसे पैदा हुआ, ईश्वर की पूजा या जादू के विचार का समाज में कैसे विकाम हुआ—इन तथा ऐसी बातों का अध्ययन ‘सांस्कृतिक मानव-शास्त्र’ के अन्तर्गत है । ‘भौतिक’ तथा ‘सांस्कृतिक’ दोनों प्रकार के मानव-शास्त्र का अध्ययन वर्तमान तथा प्राचीन दोनों कालों की दृष्टि में हो सकता है । ‘मानव-शास्त्र’ का विज्ञान के रूप में प्रयोग मुख्य तौर पर प्राचीन-मानव के ‘भौतिक’ तथा ‘सांस्कृतिक’ अध्ययन के लिए किया जाता है । हम भी इस शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग करेंगे और इस ग्रन्थ में प्राचीन-मानव के ‘भौतिक’ तथा ‘सांस्कृतिक’ इतिहास का अध्ययन करेंगे ।

मनुष्य के विकास आदि ममस्याओं पर अटकले तो देर में लडती चली आ रही हैं, परन्तु मानव-शास्त्र का विज्ञान के तौर पर अध्ययन लगभग पिछले सौ वर्ष में होने लगा है । पहले तो मानव-शास्त्र का रूप था यात्रियों द्वारा जगली जन-जातियों के अद्भुत रीति-रिवाजों के किस्से-कहानियों की चर्चा करना, परन्तु १८५६ में जब डार्विन ने अपनी विकामवादी विचार-धारा को नमार के सामने रखा, तब से मानव-शास्त्र को भी विचार करने के लिए एक नवीन पृष्ठ-भूमि का सहारा मिल गया । विकामवाद की कल्पना के एक निश्चित विचार-धारा का रूप ले लेने के बाद में आदिवासियों के मवध में यात्रियों के वर्णनों को विकामवादी दृष्टिकोण में देखा जाने लगा । इस काल में मानव-शास्त्र पर जो-कुछ लिखा-पढा जाता था, उनके आचार में विकामवाद की विचार-धारा काम

कर रही होती थी। यह मान लिया जाता था कि मनुष्य की 'भौतिक' तथा 'सांस्कृतिक' प्रगति नीचे से ऊँची तरफ, मूल से विपम की तरफ, अविहमित से विकमित की तरफ जा रही है। मानव-शास्त्री घर में बैठे-बैठे यात्रियों के वर्णनों के आधार पर आदि-मानव के परिवार, आर्थिक-व्यवस्था, राजनैतिक तथा धार्मिक मगठन आदि के सवध में विकामवादी दृष्टिकोण को आधार में रख कर एक ढाँचा खड़ा कर देते थे, जिन जन-जातियों के विषय में यह ढाँचा खड़ा किया जाता था उनके बीच में जाकर ये विद्वान् किमी बात को देखने-अजमाने का प्रयत्न नहीं करते थे। इनकी मानव-शास्त्रीय विचार-शृंखला का आधार विकामवाद था, वे जन-जातियाँ नहीं थीं, जिन्हें, असल में, मानव-शास्त्रीय विचार-शृंखला का आधार होना चाहिए था।

मानव-शास्त्र के अध्ययन की इस कमी को अमरीका में श्री बोआस (Boas) तथा इगलैण्ड में श्री मैलिनोवस्की (Malinowski) ने अनुभव किया। इन दोनों मानव-शास्त्रियों ने मानव-शास्त्र को एक नई दिशा दी। इनका कहना था कि हमें घर में आगम कुर्मियों पर बैठे-बैठे, विकासवाद को वेद-वाक्य मान कर नहीं चलना। मानव-शास्त्र की प्रयोगशाला आजकल की जीवित जन-जातियाँ हैं। उन जन-जातियों में जाकर, उनमें रहकर, उनके साथ एक होकर उनके रीति-रिवाजों, उनकी धारणाओं, उनके पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा धार्मिक मगठनों का अध्ययन करने से ही हम उनके वास्तविक रूप को समझ सकते हैं। इस प्रकार के मानव-शास्त्र के अध्ययन को उन्होंने 'क्षेत्र-कार्य' (Field-work) का नाम दिया। अमरीका में बोआस ने क्रोवर, लोर्ड, हरस्कोविट्स आदि को 'क्षेत्र-कार्य' में दीक्षित किया और इन लोगो ने भिन्न-भिन्न जन-जातियों में जाकर उनके जीवन, रीति-रिवाजों, प्रथाओं आदि का अध्ययन कर मानव-शास्त्र को अपना ऋणी बनाया। इसी प्रकार इगलैण्ड के मैलिनोवस्की ने १९१४ से १९१८ तक मैलेनेशिया में ट्रोब्रियेंड द्वीप-वासियों के बीच रह कर उनके जीवन का अध्ययन किया और 'क्षेत्र-कार्य' करने वाले अपने-सरीखे विद्वानों की परंपरा को जन्म दिया।

कुर्सी पर बैठे-बैठे कल्पनाएँ लडाने वाले विकासवादियों तथा क्षेत्र-कार्य करने वाले इन मानव-शास्त्रियों में विचारों की अनेक टक्करें होती रही, जिनका वर्णन हम पुस्तक में जगह-जगह करेंगे, परन्तु 'क्षेत्र-कार्य' करने का एक प्रत्यक्ष फल राजनैतिक-क्षेत्र में दीख पडा। कुर्सी पर बैठ कर कल्पनाएँ लडाने वालों को तो किमी व्यक्ति के सपर्क में आने की आवश्यकता नहीं थी, परन्तु 'क्षेत्र-कार्य' करने वाले जन-जातियों के सपर्क में आने लगे। इस सपर्क से सम्य-असम्य, शिक्षित-अशिक्षित को एक-दूसरे के निकट आने का अवसर मिला। सप्ताह के सब भागों में असम्य तथा अशिक्षित मानव-जातियाँ मौजूद हैं, उन पर सम्य तथा शिक्षित जातियों का राज है, इस राज से अनेक समस्याएँ पैदा हो जाती हैं, इन समस्याओं के पैदा होने का मुख्य कारण होता है अशिक्षित जन-जातियों के रीति-रिवाजों, उनकी प्रथाओं आदि से परिचित न होना। 'क्षेत्र-कार्य' करने वालों

न इस विचार को जन्म दिया कि अगर इन जन-जातियों के रीति-रिवाजों, प्रथाओं आदि के सबध में जानकारी रखी जाय, तो इनके सबध की अनेक समस्याएँ, जो बिना मतलब के उठ खड़ी होती हैं, आसानी से सुलझाई जा सकती हैं। इस दृष्टि से राजनैतिक-क्षेत्र में मानव-शास्त्र के अध्ययन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होने लगा, खास कर उन देशों में जिनमें 'साम्राज्यवाद' का बोलवाला था क्योंकि उन्हें दूसरे देशों के साथ ही नहीं उलझना पड़ता था, उन देशों की जन-जातियों के साथ उलझने से पैदा होने वाली समस्याओं को भी सुलझाना पड़ता था। ऐसे देशों में भारत भी एक ऐसा देश था जिसमें विदेशी शासन था। इन शासकों के लिए यहाँ की जन-जातियों का अध्ययन इसलिए आवश्यक हो गया जिससे इनके सबध की शासन की गुत्तियों को सुलझाया जा सके।

इसी उद्देश्य को सम्मुख रख कर लार्ड कर्जन के समय १९०५ में सर ह्वेंट रिजले की अध्यक्षता में भारत में 'प्रजातीय-पर्यवेक्षण-विभाग' (Ethnographical Survey Department) खुला जिसका काम देश के भिन्न-भिन्न भागों की प्रजातियों का अध्ययन कर उनकी प्रथाओं, उनके रीति-रिवाजों, उनके धर्म आदि का अन्वेषण करना था। यह विभाग कुछ दिनों तक चल कर बन्द हो गया। १९१६ में जब भारत के पशुओं के पर्यवेक्षण के लिए नया विभाग खुलने लगा तब डा० नेलसन अनेन्डेल ने भारतीय प्रजातियों के पर्यवेक्षण के विभाग को फिर-से खोलने पर बल दिया। उस समय से मानव-शास्त्र को सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त होने लगी।

सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त होने के साथ-साथ इस समय अन्य समस्याओं का भी मानव-शास्त्र की तरफ ध्यान खिंचने लगा। १९२१ में श्री आशुतोष मुखर्जी के उद्योग से कलकत्ता विश्व-विद्यालय ने इस विषय को पाठ्य-विषयों में सम्मिलित किया। १९२१ में ही राँची के एम० सी० राँय महोदय ने 'मैन इन इंडिया' नाम का एक त्रैमासिक पत्र जारी किया जिसका काम विशेष तौर पर आदिवासियों की चर्चा करना था। इसी समय बंगाल की 'एशियाटिक सोसायटी' के प्रकाशनो में भी जन-जातियों के सबध में कई खोजपूर्ण लेख प्रकाशित हुए।

१९४५ में डा० वी० एम० गुहा तथा डा० मेमऊर मेवेल को भारत-सरकार ने मानव-शास्त्र के एक पृथक् विभाग की योजना बना कर सरकार के सम्मुख उपस्थित करने का आदेश दिया। इस योजना के अनुसार १९४६ में भारत-सरकार की तरफ से 'मानव-शास्त्र-विभाग' खोल दिया गया जिसके डायरेक्टर का काम श्री गुहा के मुपुर्द हुआ। इस विभाग के आधीन पाँच वर्ष की योजना बनाई गई और पाँच वर्षों में खर्च करने के लिए ८ लाख रुपये इस विभाग को दिया गया। इस समय मानव-शास्त्र का पृथक् विभाग भारत सरकार के केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय के आधीन काम कर रहा है। इस विभाग में अनुसंधान के लिए आठ विभाग खोले गये हैं। वे आठ विभाग हैं—'सामाजिक मानवशास्त्र-

विभाग', 'सामाजिक मनोविज्ञान-विभाग', 'भाषा-विभाग', 'मानव जीव-शास्त्र तथा एकम-रे विभाग', 'नृ-व्य-विभाग', 'जीव-रसायन-विभाग', 'तुलनात्मक आकार विज्ञान विभाग' (जिममे शरीर रचना और गीढदार जन्तु-शास्त्र सम्मिलित है) तथा 'देह-विज्ञान-विभाग' ।

मानव-शास्त्र के उक्त आठो विभागो का अध्ययन करने के लिए भारत-सरकार की तरफ से तीन अनुसन्धान-केन्द्र खोले हुए हैं । ये अनुसन्धान-केन्द्र शिलाग, नागपुर तथा पोर्टब्लेयर (अडमान तथा निकोबार द्वीप-समूह) में स्थापित हैं और एक केन्द्र दक्षिण भारत में खोले जाने की योजना विचाराधीन है । जहाँ-जहाँ आदिवासियों की समस्या ज्यादा है, वहाँ-वहाँ उक्त प्रकार के केन्द्र खोल कर भारत सरकार मानव-शास्त्र के कार्य को 'क्षेत्र-कार्य' (Field Work) की पद्धति के अनुसार आगे बढ़ाना चाहती है ।

सरकारी तौर पर मानव-शास्त्र के अध्ययन के साथ-साथ भारत के विश्व-विद्यालयों ने भी इस विषय की तरफ विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है । १९२१ में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मानव-शास्त्र के पढाये जाने की बात हम ऊपर कह आये हैं । १९४७ में भारत-सरकार के शिक्षा-मन्त्रालय की प्रेरणा में दिल्ली-विश्वविद्यालय के उस समय के वाइस चान्सलर सर मॉरिस ग्वायर ने इस विषय को दिल्ली-विश्वविद्यालय में जारी किया । इस सन्स्था के अध्यापको तथा छात्रों ने उत्तर-प्रदेश के देहरादून जिले के जौनसार-वावर तथा टिहरी-गढवाल की जन-जातियों में जाकर 'क्षेत्र-कार्य' किया । १९५४ में इन्ही लोगों ने कुल्लू की घाटी की कनेत जन-जाति का भी अध्ययन किया । इसी साल इन लोगों ने प्लानिग-कमीशन के आग्रह पर इस बात की पडताल की कि अपराधी जन-जातियों के कानून (Criminal Tribes Act) के रह किये जाने के बाद से दिल्ली की मॉमी नाम की अपराधी जन-जाति का किस हद तक पुनर्वास हुआ और किस हद तक नहीं हुआ ।

१९५० में डा० मजमदार की देख-रेख में लखनऊ विश्वविद्यालय ने भी 'मानव-शास्त्र' का अध्यापन शुरू कर दिया । उनकी मदली ने भी कानपुर तथा देहरादून के जौनसार-वावर में 'क्षेत्र-कार्य' किया । इसके बाद से तो अनेक विश्व-विद्यालयों ने इस शास्त्र का अध्यापन जारी कर दिया है । कलकत्ता, दिल्ली तथा लखनऊ के अतिरिक्त आगरा, सभार, विहार, बडौदा, गौहाटी तथा हैदराबाद—इन स्थानों के विश्वविद्यालयों में अब 'मानव-शास्त्र' एक मुख्य विषय के तौर पर पढाया जाने लगा है ।

जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से भारत-सरकार तथा विश्वविद्यालयों के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी मानव-शास्त्र के प्रति दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही है । इस सबब में कई पत्र भी प्रकाशित हो रहे हैं । लखनऊ विश्वविद्यालय से डा० मजमदार की देख-रेख में अग्नेजी की एक त्रैमासिक पत्रिका १९५० से 'ईस्टर्न एन्थ्रोपोलोजिस्ट' नाम से निकल रही है । दिल्ली में आदिम-जातियों की


ममन्याओं को मुख्य विषय बनाकर एक 'आदिम-जाति-सेवा-मघ' स्थापित है जिनके प्रधान भारत के राष्ट्रपति तथा उप-प्रधान ट्राइबल कमिश्नर महोदय हैं। इस मघ की तरफ से 'वन्य-जाति' नाम की एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित हो रही है। इन दोनों पत्रिकाओं के अतिरिक्त दिल्ली-विश्वविद्यालय के मानव-शास्त्र-विभाग की तरफ से एक द्वि-वार्षिक पत्रिका प्रकाशित हो रही है, जिसका नाम है— 'ऐन्थ्रोपैलोजिस्ट'। इन पत्रों में भी मानव-शास्त्र के भिन्न-भिन्न पहलुओं तथा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनकी गति-विविधियों पर प्रकाश डाला जाता है।

जैसा हमने ऊपर कहा, स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से भारत-सरकार ने 'मानव-शास्त्र' पर विशेष ध्यान देना शुरू किया है। विदेशों के भी कई मानव-शास्त्री इस देश की जन-जातियों के अध्ययन के लिए आने लगे हैं। इस अर्थ में जो लोग आये हैं, उनमें से मुख्य-मुख्य मानव-शास्त्री हैं—ग्रीस के प्रिंस पीटर, इंग्लैण्ड के हैमनडोर्फ तथा ड्यूमॉट, अमरीका के ओस्कर ल्यूडस तथा मौरिस औपलर। इन सब मानवशास्त्रियों को भारत-सरकार का पूरा-पूरा महयोग प्राप्त रहा है।

ऊपर हमने जो-कुछ लिखा उममें स्पष्ट है कि आज के युग में मानव-शास्त्र के अध्ययन की तरफ सरकार का, विश्वविद्यालयों का तथा जनता का ध्यान दिनो-दिन अधिकाधिक आकर्षित हो रहा है। ऐसी हालत में इस विषय पर हिन्दी में उच्च-कोटि के ग्रन्थों का होना भी आवश्यक है। यही सब-कुछ मोच कर हमने 'मानव-शास्त्र' पर यह ग्रन्थ लिखा है। इस ग्रन्थ के लिखने में इस विषय के प्राय सभी हिन्दी-ग्रन्थेजी ग्रन्थों का महारा लिया गया है, इसलिए एतद्विषयक सब ग्रन्थों का हम एक-मात्र आभार स्वीकार करते हैं। हमें पूरी आशा है कि 'मानव-शास्त्र' के विषय में जो जिज्ञासा दिनोदिन बढ़ रही है, उसे यह ग्रन्थ कुछ अंश तक पूरा करेगा।

विद्या-विहार  
बलवीर रोड,  
देहरादून

—सत्यव्रत



# मानव-शास्त्र

9

## मानव-शास्त्र का विषय-क्षेत्र

(SUBJECT-MATTER AND FIELD OF ANTHROPOLOGY)

इस पुस्तक का मुख्य विषय 'मानव-शास्त्र' ('Anthropology') है। विषय को ठीक तौर से समझने के लिए यह उचित जान पड़ता है कि हम 'मानव-शास्त्र' की जरूरी बातों पर प्रकाश डालें। इस अध्याय में उन्हीं बातों पर हम प्रकाश डालेंगे।

### १ 'मानव-शास्त्र' की व्याख्या

'मानव-शास्त्र' (Anthropology) क्या है? जेकब्स तथा स्टर्न ने 'मानव-शास्त्र' की निम्न व्याख्या की है:—

“मानव-समुदाय का सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक जो शारीरिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास हुआ है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन मानव-शास्त्र कहाता है।”<sup>१</sup>

मानव-समुदाय के शारीरिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन कैसे किया जाता है? गप-शप के लिए तो लोग बैठ कर जंगली तथा सभ्य जातियों के रीति-रिवाजों पर टीका-टिप्पणी किया ही करते हैं। इसी कारण पहले-पहल अरस्तु ने 'एन्थ्रोपौलोजिस्ट'—यह शब्द गढ़ा था, इसका उस समय अभिप्राय था मनुष्य का मनुष्य के विषय में गप-शप लडाना। यह गप-शप, यह टीका-टिप्पणी वैज्ञानिक नहीं कही जा सकती। वैज्ञानिक-दृष्टि से मानव-समुदाय के शारीरिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करने के लिए 'मानव-शास्त्र' को कुछ क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। जिन क्षेत्रों में इसे विभक्त किया गया है, वे निम्न हैं —

1 Anthropology = Greek word *Anthropos*, a man, and *Logos*, discourse

2 “Anthropology is the scientific study of the physical, social and cultural development and behaviour of human beings since their appearance on earth”—*Jacobs and Stern*



## २ मानव-शास्त्र के क्षेत्र

- (क) मानव का विकास या प्रस्तारित-मानव का अध्ययन (Human Evolution or the Study of Fossil Man)
- (ख) शारीरिक-मानव-शास्त्र (Physical Anthropology)
- (ग) पुरातत्व-विज्ञान या प्रागैतिहासिक पुरातत्व-विज्ञान (Archeology or Prehistoric Archeology)
- (घ) सांस्कृतिक मानव-शास्त्र (Cultural Anthropology)
- (ङ) वैज्ञानिक भाषा-विज्ञान (Scientific Linguistics)

ये पांच वैज्ञानिक-क्षेत्र हैं जिनका आधार लेकर 'मानव-शास्त्र' आगे कदम बढ़ाता है, और इन पाँचों के कारण ही 'मानव-शास्त्र' एक 'विज्ञान' का रूप धारण करता जा रहा है। इन पाँचों पर हम सक्षेप से प्रकाश डालेंगे —

(क) मानव का विकास या पथराये हुए अर्थात् प्रस्तारित मानव का अध्ययन (Human Evolution or the Study of Fossil Man)— 'मानव-शास्त्र' को विज्ञान का रूप देने वाली पहली चीज प्राचीन मानव के विकास का अध्ययन है। प्राचीन मानव का अध्ययन कैसे होता है? प्रायः देखा जाता है कि पृथ्वी में तह-के-ऊपर तह जमी हुई है। इस प्रकार मट्टी और पानी के जमते-जमते कहीं-कहीं पत्थर की चट्टानें बन जाती हैं। इसी प्रकार जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ नदी का वेग धीमा पड़ जाता है, और वह कर आये हुए रेत और कीचड़ से मुहाने पर उनकी तहें जमती चली जाती हैं जिनसे भी समुद्र के किनारे चट्टानें बन जाती हैं। पृथ्वी की इन तहों तथा नदी के इन मुहानों में जो पौधे तथा मृत जीव-जन्तु आ पड़ते हैं, वे भी उन तहों के चट्टान बनने के साथ-साथ पथरा जाते हैं। इन पथराये हुए अवशेषों को अप्रेजी में 'फौसिल' (Fossil) कहते हैं। इन्हें हिन्दी के कई लेखकों ने 'निखातक' नाम दिया है, 'निखातक' इसलिए क्योंकि ये खोदने से मिलते हैं, परन्तु 'फौसिल' के लिए ठीक शब्द पथराये हुए या 'प्रस्तारित' है, क्योंकि 'प्रस्तर' का अर्थ पत्थर है। मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के इन 'प्रस्तारितों' (Fossils) का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि वे किस युग में थे। इन के युग के पता लगाने के अनेक साधन निकाले गये हैं। पहला साधन तो यह है कि जो 'प्रस्तारित' जिस युग की चट्टान में पाया जाय, वह उस युग में था। चट्टानों की आयु भूगर्भ-शास्त्र के नियमों से पता चल जाती है। भूगर्भ-शास्त्र द्वारा चट्टानों की आयु निश्चित हो, उसमें 'प्रस्तारित' का होना सिद्ध करता है कि उस 'प्रस्तारित' की भी वही आयु है। इसके अतिरिक्त प्लोरीन गैस की मात्रा की न्यूनाधिकता से भी 'प्रस्तारित' की आयु निश्चित की जाती है। वैज्ञानिकों ने यह मालूम किया है कि पत्थरों में पड़ी हड्डियाँ ज्यों-ज्यों पथराने

लगती है, त्यों-त्यों फ्लोरीन गैस को अपने भीतर जम्ब करने लगती है। जिस हड्डी में जितनी अधिक फ्लोरीन गैस होगी, वह उतनी ही पुरानी होगी। इस उपाय से 'प्रस्तरितों' की आयु निश्चित कर ली जाती है। इस प्रकार 'प्रस्तरितों' के अध्ययन से प्राचीन-मानव के विषय में बहुत-कुछ जानकारी प्राप्त की जा रही है।

पुराने 'प्रस्तरितों' के अध्ययन से 'मानव-शास्त्र' ने यह पता लगाया है कि मनुष्य कितना पुराना है, उससे मिलते-जुलते अन्य प्राणी कौन-से हैं, बन्दर तथा मनुष्य में क्या साम्य तथा क्या वैषम्य है। हम आगे चलकर इस बात की चर्चा करेंगे कि कौन-कौन-से पुराने 'प्रस्तरित' मिले हैं, और उनसे आदि-मानव के संबंध में क्या प्रकाश पड़ता है।

(ख) शारीरिक-मानव-शास्त्र (Physical Anthropology)—'मानव-शास्त्र' को विज्ञान का रूप देने वाली दूसरी चीज शारीरिक-मानव-विज्ञान है। हम ज्यों-ज्यों भिन्न-भिन्न नस्लों (प्रजातियों) का अध्ययन करते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि कुछ नस्लों का सिर बड़ा है, कुछ का छोटा, किन्हीं की नाक चपटी है, किन्हीं की उठी हुई। ये शारीरिक भेद सिद्ध करते हैं कि मनुष्यों की अनेक नस्लें (प्रजातियाँ) हैं। कद, सिर, नाक आदि—इन सब का मानव-शास्त्रियों ने नाप-तोल किया है। इन सब की चर्चा भी हम आगे करेंगे। इसी सिलसिले में मानव-शास्त्रियों का कथन है कि कद, सिर की लम्बाई-चौड़ाई, नाक का चपटा या नोकिला होना, रंग आदि 'वशानुसक्रमण' (Heredity) पर आश्रित है। कई लोग इनको वशानुसक्रमण द्वारा आया हुआ न मान कर 'पर्यावरण' (Environment) द्वारा इनका सन्तति में आना मानते हैं। इन बातों पर भी हमें विचार करना होगा। शारीरिक-मानव-शास्त्र में पुराने 'प्रस्तरितों' तथा वर्तमान जीवित मनुष्यों की हड्डियों तथा अगों का नाप-तोल तो किया ही जाता है, साथ ही उनकी आपस में तुलना भी की जाती है। उदाहरणार्थ, पुराने 'प्रस्तरित' कई तरह के जीवों की हड्डियों के हैं, बन्दरों के, वनमानुसों के, मनुष्यों के 'प्रस्तरित'। 'शारीरिक-मानव-शास्त्र' में हमें देखना होता है कि मनुष्य की खोपड़ी बन्दर की खोपड़ी से कितनी बड़ी है। इसी प्रकार अन्य हड्डियों की तुलना करनी होती है। पुराने बन्दर की पीठ की हड्डी क्या ऐसी थी कि वह दो पायों पर खड़ा होकर चल सकता था, या ऐसी थी कि वह चारों पायों से ही चल सकता था, दो से नहीं, क्या उसके हाथ के पंजे चलने का काम करते थे, या पकड़ने का? 'शारीरिक मानव-शास्त्र' में शरीर-संबंधी इन नव बातों का अध्ययन किया जाता है जिसे हम प्राचीन-मानव के शारीरिक रूप का चित्र अपनी आँखों के सामने ला सकें।

'शारीरिक-मानव-शास्त्र' की बातों का सहारा लेकर कई लोग इसका दुरुपयोग करने लगते हैं। वे कहने लगते हैं कि ससार में शुरू से भिन्न-भिन्न नस्लें रही हैं, भिन्न-भिन्न प्रजातियाँ रही हैं। इनमें कई ऊँची हैं, कई नीची हैं। गोरी नस्लें अपने को ऊँचा तथा काली नस्लें को नीचा गिनती रहीं हैं। क्या 'शारीरिक-मानव-शास्त्र' इस बात की पुष्टि करता है? हम आगे चलकर देखेंगे कि नस्लों

के ऊँचे तथा नीचा होने के गिद्वान्त की 'शारीरिक-मानव-शास्त्र' वृष्टि नहीं करता । ऊँच-नीच, उन्नत-अयन्नत—ये अचरयाणें 'पर्यावरण' पर आश्रित हैं, 'वशानुसंक्रमण' पर नहीं । हवशी को पढ़ने-लिखने वालों की सगति में रखा जाय, तो यह लोफस हो जायगा, अप्रेज को जगलियों की सगति में रखा जायगा, तो यह निरा जंगली-का-जंगली रहेगा ।

(ग) प्रागैतिहासिक पुरातत्व-विज्ञान (Archeology or Pre-historic Archeology) --- 'मानव-शास्त्र' को विज्ञान का रूप देने वाली तीसरी चीज 'प्रागैतिहासिक पुरातत्व-विज्ञान' या 'पूर्व-इतिहास', अर्थात् पुराना-इतिहास है । प्रचलित भाषा में जिसे इतिहास कहते हैं, वह तो उन घटनाओं का वर्णन करता है जो लिखित में आ गई हैं । परन्तु हमारे लिखित में सारा की कितनी घटनाएँ हैं ? सारा के पुराने इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसका कहीं कोई उल्लेख नहीं, जिसके विषय में किसी को कुछ पता नहीं । ऐसी बातें कभी-कभी जमीन खोदने से सामने आ जाती हैं । उदाहरणार्थ, मोहन-जो-दड़ो और हरप्पा के विषय में हमें कुछ पता नहीं था । १९२१ में श्री राणाज्वाम बंनर्जी और रायबहादुर बयाराम राहनी की अध्यक्षता में पंजाब में जो खुदाई हुई, उससे जमीन के नीचे बड़े हुए दो पूरे-के-पूरे शहर निकल आये जिनका लिखित इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं था । इन शहरों से सिंधु-घाटी की एक नवीन सम्यता पर प्रकाश पड़ा । जमीन की इस प्रकार की खुदाई से और पुरानी चीजों के मिलने से प्राचीन-काल की सभ्यता पर, प्राचीन-काल का मानव किस प्रकार जीवन व्यतीत करता था—इन सब बातों पर प्रकाश पड़ता है । जमीन के पेट में से जो-कुछ मिला है उससे आज हम यह कह सकते हैं कि प्राचीन-काल के मानव ने अपने औजारों में क्रमशः उन्नति की । पहले वह पत्थर के औजारों से काम लेता था, फिर शीश और फिर लोहे के औजारों से काम लेने लगा । इतिहास की दृष्टि बहुत सीमित-क्षेत्र तक परिमित है, पुरातत्व-विज्ञान की दृष्टि इतिहास से आगे निकल जाती है । पुरातत्व-विज्ञान द्वारा एकत्रित सामग्रियों के आधार पर इतिहास अतीत-काल का लिखित निर्माण करता है ।

हम आगे जाकर देखेंगे कि 'पुरातत्व-विज्ञान' (Archeology) तथा 'पुरातन-विज्ञान' (Palaeontology) में भेद है । 'पुरातत्व' में मनुष्य की पुरानी चीजों, उसके हथियार, औजार, बर्तन, जेवर, मकान आदि का अध्ययन किया जाता है । 'पुरातन' में पौधों, जन्तुओं, मनुष्यों के पथराये हुए पुराने अस्थि-पंजरों का अध्ययन किया जाता है । इन दोनों प्रकार के अध्ययनों से प्रागैतिहासिक-काल का चित्र खींचा जाता है ।

(घ) सांस्कृतिक मानव-शास्त्र (Cultural or Social Anthropology) --- 'मानव-शास्त्र' को विज्ञान का रूप देने वाली चौथी चीज 'सांस्कृतिक-मानव-शास्त्र' है । हम पहले 'शारीरिक-मानव-शास्त्र' का वर्णन कर आये हैं । शारीरिक-मानव-शास्त्र का आधार 'वशानुसंक्रमण' (Heredity)

है। माता-पिता के रज-वीर्य के द्वारा सन्तान का शरीर वनता-विगड़ता है। माता-पिता के रज-वीर्य के द्वारा सन्तान के कद, रंग, रूप आदि पर प्रभाव पड़ता है। परन्तु सन्तान जो-कुछ है, वह रंग-रूप ही तो नहीं है। पशुओं की बात दूसरी है। उनमें तो शारीरिक-गुण ही मुख्य होते हैं, इसलिए उनमें 'वंशानुसंक्रमण' (Heredity) की ही प्रधानता है, परन्तु मनुष्य में तो शारीरिक रंग-रूप-कद के अलावा उसे बनाने वाली और भी तो बहुत-सी बातें हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे माता-पिता से ही शारीरिक-गुणों के रूप में विरासत नहीं मिलती, उसे समाज से भी सामाजिक-परंपराओं के रूप में विरासत मिलती है। मनुष्य जो-कुछ है, 'वंशानुसंक्रमण' (Heredity) का ही परिणाम नहीं है, वह 'पर्यावरण' (Environment) का भी परिणाम है। 'पर्यावरण' से मनुष्य को जो 'सामाजिक-विरासत' (Social heritage) मिलती है, वह 'शारीरिक' (Physical) न होकर 'सांस्कृतिक' (Cultural) है। पुरातन-मानव के शरीर का ही हम अध्ययन नहीं करते, हम उसके रीति-रिवाज, रहन-सहन, उसके परिवार, कायदे-कानून, सामाजिक परम्पराएँ, उसकी कला, उसके धर्म, उसकी समा-सोसाइटी, उसके आर्थिक-जीवन, शासन-प्रणाली—सब का अध्ययन करते हैं। इन सब का अध्ययन 'सांस्कृतिक-मानव-शास्त्र' (Cultural Anthropology) कहता है।

(ड) वैज्ञानिक भाषा-विज्ञान (Scientific Linguistics)—'मानव-शास्त्र' को विज्ञान का रूप देने वाली चौथी चीज 'वैज्ञानिक-भाषा-विज्ञान' है। जिन लोगो ने वैज्ञानिक तौर पर सस्यार की २,७०० भाषाओं में से किन्हीं का अध्ययन किया है, वे हर भाषा के शब्दों की, उनके उच्चारण की, उनके व्याकरण की, दूसरी भाषाओं के शब्दों से, उनके उच्चारण से, उनके व्याकरण से तुलना करते हैं। इस प्रकार तुलनात्मक भाषा-विज्ञान से वे प्राचीन सन्ध्याताओं का एक ढाँचा छडा कर देते हैं। उदाहरणार्थ, संस्कृत में ब्रुहिता, अंग्रेजी में डॉटर, पार्शियन में दुखतर—ये इतने मिलते-जुलते शब्द हैं कि इनके तुलनात्मक रूपों से भाषा-शास्त्री यह परिणाम निकालते हैं कि किसी समय इन तीनों भाषाओं के बोलने वाले किसी एक ही स्थान पर रहते होंगे। भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन मानव-शास्त्र पर बहुत अधिक प्रकाश डालता है। मानव-शास्त्र का यह क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण है कि भाषा-विज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान बन गया है।

हमने देखा कि मानव-शास्त्र के पाँच आधार-स्तम्भ हैं—मानव का विकास, शारीरिक-मानव-शास्त्र, पुरातत्व-विज्ञान, सांस्कृतिक मानव-शास्त्र तथा भाषा-विज्ञान। इन पाँचों विज्ञानों के निष्कर्षों, इनके परिणामों का संग्रह करके मानव-शास्त्र का विशाल भवन छड़ा हो जाता है।

३ प्रो० लिन्टन का मानव-शास्त्र सवधी वर्गीकरण

'मानव-शास्त्र' को ऊपर पाँच अन्य विज्ञानों में बाँटा गया है। प्रो० आर० लिन्टन (Linton) ने 'मानव-शास्त्र' का दूसरी तरह वर्गीकरण किया

है। प्रो० लिन्टन ने 'मानव-शास्त्र' (Anthropology) को दो मुख्य भागों में बाँटा है

(क) शारीरिक-मानव-शास्त्र (Physical Anthropology)

(ख) सांस्कृतिक अथवा सामाजिक मानव-शास्त्र (Cultural or Social Anthropology)

इन दोनों की व्याख्या तो हम ऊपर कर ही आये हैं। इन में से प्रो० लिन्टन ने दोनों के फिर आगे विभाग किये हैं। 'शारीरिक मानव-शास्त्र' (Physical Anthropology) के उन्होंने निम्न दो भाग किये हैं —

(क) पुरातन मानव-विज्ञान (Human Palaeontology)

(ख) शारीरिक-विज्ञान (<sup>2</sup>Somatology or Human Anatomy and Physiology)

'पुरातन-मानव-विज्ञान' में पुरातन-काल के मानव की पथराई हुई हड्डियों या पथराये अस्थि-पजरोँ का अध्ययन आ जाता है, जिन्हें हम 'प्रस्तरित' (Fossils) कह आये हैं। 'शारीरिक-विज्ञान' में पुरातन काल के मानव की नस्लों का अध्ययन आ जाता है। 'शारीरिक मानव-शास्त्र' में एक तो अध्ययन भू-गर्भ स्थित इन 'प्रस्तरितों' का है जिसे श्री लिन्टन ने 'पुरातन-मानव-विज्ञान' (Human Palaeontology) का नाम दिया है, 'शारीरिक मानव-शास्त्र' में दूसरा अध्ययन भिन्न-भिन्न नस्लों का, उनके रंग-रूप-कद-दृष्टि, उनके नाप-तोल का है जिसे श्री लिन्टन ने 'शारीरिक-विज्ञान' (Somatology) का नाम दिया है।

'मानव-शास्त्र' के श्री लिन्टन ने दो भाग किये थे—'शारीरिक-मानव-शास्त्र' (Physical Anthropology) तथा 'सांस्कृतिक अथवा सामाजिक-मानव-शास्त्र' (Cultural or Social Anthropology)। इनमें से 'शारीरिक-मानव-शास्त्र' के विषय में हम लिख आये। 'सांस्कृतिक अथवा सामाजिक-मानव-शास्त्र' के श्री लिन्टन ने निम्न भाग किये हैं

(क) पुरातत्व-विज्ञान या पूर्व-इतिहास (Archeology or Prehistory)

(ख) प्रजाति-विज्ञान (<sup>3</sup>Ethnology or Study of Races)

(ग) भाषा-विज्ञान (Linguistics)

'पुरातत्व-विज्ञान' (Archeology) तथा 'भाषा-विज्ञान' (Linguistics) के विषय में हम पहले लिख आये हैं। इन दोनों का सबध प्राचीन से


1 Palaeontology = Greek word *Palaios* ancient, and *Logos*, discourse (Palaeontology is that branch of biological science which treats of ancient life of the earth by studying fossils)

2 Somatology = Greek word *Soma*, body, and *Logos*, discourse

3 Ethnology = Greek word *Ethnos*, nation or race, *Logos*, discourse

है। 'प्रजाति-विज्ञान' (Ethnology) का संबंध प्राचीन से न होकर नवीन से है। यह विज्ञान उन प्रजातियों (नस्लों) का वर्णन करता है 'जो मौजूद हैं, या अगर नष्ट भी हो चुकी हैं, तो भी उनका सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध है। इन विवरणों के आधार पर 'प्रजाति-विज्ञान' भिन्न-भिन्न समाजों, समुदायों तथा सस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करता है और पता लगाता है कि ससार के समाज और ससार की सस्कृतियाँ कैसे उत्पन्न हुई, कैसे उनमें परिवर्तन आया, और वे क्या रूप धारण कर रही हैं। भिन्न-भिन्न प्रजातियों के रीति-रिवाजों, कायदे-कानूनों, सांस्कृतिक-परम्पराओं—इन सब का अध्ययन 'प्रजाति-विज्ञान' कहाता है।

मानव के विकास में मुख्य कारण दो हैं—'वंशानुसंक्रमण' (Heredity) तथा 'पर्यावरण' (Environment)। इन दोनों में 'पुरातन-मानव-विज्ञान' (Human Paleontology) तथा 'शारीरिक-विज्ञान' (Somatology) का संबंध 'वंशानुसंक्रमण' से है, 'पुरातत्व-विज्ञान' (Archeology), 'प्रजाति-विज्ञान' (Ethnology) तथा 'भाषा-विज्ञान' (Linguistics) का संबंध 'पर्यावरण' से है। इस प्रकार श्री लिन्टन ने 'मानव-शास्त्र' का जो वर्गीकरण किया है उसमें 'वंशानुसंक्रमण' तथा 'पर्यावरण' से संबंध रखने वाले पाँचों विज्ञान जिनका हमने अभी वर्णन किया, आ जाते हैं। संक्षेप में, श्री लिन्टन के निम्न वर्गीकरण से 'मानव-शास्त्र' का विषय क्षेत्र स्पष्ट हो जाता है —



उपर हम 'मानव-शास्त्र' के जिन-जिन क्षेत्रों की चर्चा कर आये हैं, और 'मानव-शास्त्र' का जो वर्गीकरण हमने किया है—यह सब 'मानव-शास्त्र' का विषय-क्षेत्र है, 'मानव-शास्त्र' का वर्णन करते हुए हम इस पुस्तक में इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे।

#### ४ 'मानव-शास्त्र' के अध्ययन की आवश्यकता

'मानव-शास्त्र' बहुत पुराना विज्ञान नहीं है। ज्यादा-से-ज्यादा इसे १०० साल पुराना कहा जा सकता है। शुरू-शुरू में यह यात्रियों के जगली जातियों

के सपर्क में आने की कहानियों और उनके चूटफलो के सिवाय कुछ नहीं था। जगली लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उनके रीति-रिवाज क्या हैं—ये बातें उपन्यास की तरह रोचक होती हैं। उस समय 'मानव-शास्त्र' इन्हीं बातों तक सीमित था, परन्तु धीरे-धीरे यह अवस्था बदलती गई। यह समझा जाने लगा कि जगली जातियों का रहन-सहन, उनके रीति-रिवाज, कायदे-कानून हँसी-मजाक में उडा देने की बातें नहीं हैं। इनके सग्रह से हम संकड़ों और हज़ारों सालों से चले आ रहे मानव के विकास को समझ सकते हैं। मनुष्य विकास की प्रक्रिया में से गुज़रता हुआ किस-किस क्रम में से गुज़रा, उसके औज़ारों में क्या-क्या परिवर्तन हुआ, उसके धर्म, जादू-टोने के विचारों में क्या प्रक्रिया आयी, उसके कायदे-कानून किस तरह बने-बिगड़े—यह सब जगली जातियों के जीवन के अध्ययन से समझ में आ जाता है।

इसके साथ-साथ 'मानव-शास्त्र' के अध्ययन को एक और दिशा से भी उत्तेजना मिली। इंग्लैण्ड तथा हॉलैण्ड के निवासी सत्तार में जगह-जगह अपने उपनिवेश स्थापित कर रहे थे। इन उपनिवेशों के लिए ये अपने देश से शासक भेजते थे, वहाँ प्रचार करने के लिए पादरी भेजते थे। जबतक ये शासक उपनिवेश-वासियों के जीवन, उनके रीति-रिवाज, कायदे-कानून को न जानें, तब तक ये शासन में सफल नहीं हो सकते थे। लडाई के समय इन उपनिवेशों से जो भर्तों की जाती थी, उसमें संकड़ों, हज़ारों आदमी एक जगह जमा होते थे। अगर शासकों से ऐसा-कुछ हो जाय जिससे इन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचे, तो शासकों को लेने के देने पड सकते थे। भारत का सिपाही-विद्रोह भारतीय सिपाहियों की गौ की पवित्रता के सबध में भावनाओं को न जानने के कारण ही तो हुआ था। इन सब बातों से उपनिवेश बसाने वाली सरकारों ने 'मानव-शास्त्र' को प्रोत्साहन दिया। भारत में भी कभी नागाओं की समस्या उठ खड़ी होती है, कभी किसी अन्य प्रजाति की। इन के लिए शासन की व्यवस्था भी अलग तौर से करनी पड रही है। गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट—१९५३ में भारत के कुछ भाग शासन की दृष्टि से अन्य भागों से अलग रखे गये हैं। ये वे ही भाग हैं जिनमें वन्य-जातियों की समस्या का प्रश्न है। इन भागों के शासन में सुव्यवस्था लाने के लिए 'मानव-शास्त्र' के पंडितों से बहुत सहायता ली जा सकती है क्योंकि उनका इन प्रजातियों के साथ निकट का सबध होता है, वे इनके रीति-रिवाजों को इन प्रजातियों में 'क्षेत्र-कार्य' (Field-work) करने के कारण जानते-पहचानते हैं, और किसी भी समस्या का झट-से समाधान कर सकते हैं।

# ‘मानव-शास्त्र’ का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध

(RELATION OF ANTHROPOLOGY TO OTHER SCIENCES)

‘मानव-शास्त्र’ का ‘शारीरिक-मानव-शास्त्र’ (Physical Anthropology), ‘सांस्कृतिक अथवा सामाजिक मानव-शास्त्र’ (Cultural or Social Anthropology), ‘पुरातन मानव-विज्ञान’ (Human Paleontology), ‘शारीरिक-विज्ञान’ (Somatology) ‘पुरातत्व-विज्ञान’ (Archaeology), ‘प्रजाति-विज्ञान’ (Ethnology) तथा ‘भाषा-विज्ञान’ (Linguistics) से जो सवघ है उसकी चर्चा पिछले अध्याय में की जा चुकी है क्योंकि ये सब ही तो ‘मानव-शास्त्र’ के मुख्य क्षेत्र हैं। इनके अलावा ‘मानव-शास्त्र’ का ‘प्राकृतिक-विज्ञानों’ (Natural Sciences), ‘सामाजिक-विज्ञानों’ (Social Sciences) तथा ‘मानवीय-विज्ञानों’ (Human Sciences) के साथ भी घनिष्ठ सवघ है। हम इस विषय में यहाँ कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे।

इससे पहले कि हम ‘मानव-शास्त्र’ का अन्य विज्ञानों से सवघ दर्शाएँ, सबसे पहला प्रश्न यह उठ खड़ा होता है कि क्या ‘मानव-शास्त्र’ स्वयं एक विज्ञान है ?

## १ ‘मानव-शास्त्र’ एक विज्ञान है

‘विज्ञान’ (Science) किसे कहते हैं ? ‘विज्ञान’ हमारे ज्ञान की उस अवस्था का नाम है जिसमें हमारा ज्ञान सुव्यवस्थित हो, श्रृंखलाबद्ध हो, तरतीब तथा सिलसिले में बँधा हुआ हो। ‘विज्ञान’ (Science) क्या करता है ? ‘विज्ञान’ के पास कुछ घटनाएँ होती हैं, कुछ तथ्य होते हैं, उन्हें इकट्ठा किया जाता है, उनका अवलोकन किया जाता है, उन पर ऊहापोह की जाती है, उन घटनाओं तथा तथ्यों को सिलसिलेवार जमा कर उनसे कुछ परिणाम निकाले जाते हैं। ठीक यह काम ‘मानव-शास्त्र’ (Anthropology) भी करता है। ‘मानव-शास्त्र’ के मुख्य तौर पर दो हिस्से हैं—‘भौतिक मानव-शास्त्र’ (Physical Anthropology) तथा ‘सांस्कृतिक मानव-शास्त्र’ (Cultural Anthropology)। ‘भौतिक मानव-शास्त्र’ ने भिन्न-भिन्न स्थानों में आदि-मानवों के अस्थि-पजर ढूँढे, उन्हें नापा-तोला और आदि-मानव कहां हुआ, उसकी खोज की थी—यह सब सामग्री एकत्रित की। ‘सांस्कृतिक मानव-शास्त्र’ ने



ईजिप्ट, वैंवीलोन, पर्शिया, मँडिटेरेनियन आदि स्थानों के आदिम निवासियों की सभ्यता का अध्ययन किया, वहाँ के प्राचीन लोगों के रीति-रिवाजों, उनके कायदे-कानूनों को जानने का प्रयत्न किया, उन के यहाँ किस प्रकार की शासन-व्यवस्था थी, धर्म का क्या रूप था—इस सारी सामग्री को एकत्रित किया, इस सामग्री से 'मानव-शास्त्र' ने कुछ परिणाम निकाले। उदाहरणार्थ, 'भौतिक-मानव-शास्त्र' ने यह परिणाम निकाला कि आदि-मानव आफ्रीका में हुआ, या जावा में हुआ, या और जहाँ-कहीं उसकी खोपड़ी मिली, वहाँ हुआ। 'सांस्कृतिक मानव-शास्त्र' ने अपनी एकत्रित सामग्री से यह परिणाम निकाला कि मनुष्य का विकास क्रम से हुआ है। पहले वह शिकारी हालत में था, फिर नन्दर था, जगह-जगह घूम-फिर कर आजीविका का उपार्जन करता था, फिर वह चरवाहे का जीवन व्यतीत करने लगा, फिर खेती करने लगा। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न प्राचीन जातियों का अध्ययन कर के 'मानव-शास्त्र' ने यह परिणाम निकाला कि पहले वह पत्थरों के औजारों से काम लेता था, फिर विकसित हो जाने के बाद श्लैष्मिक के, और बाद को लोहे के औजारों से काम लेने लगा। भिन्न-भिन्न सस्कृतियों का आपस में लेन-देन हुआ—यह भी 'मानव-शास्त्र' का परिणाम है, जो भिन्न-भिन्न सस्कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन से निकलता है। 'मानव-शास्त्र' का यह सब भौतिक तथा सांस्कृतिक अध्ययन विज्ञान नहीं तो क्या है ?

इसमें सन्देह नहीं कि 'भौतिक-विज्ञानों' में जो नियम और परिणाम निकाले जाते हैं उनमें मनुष्य की भावनाओं को स्थान नहीं होता। गुस्त्वाकर्षण का एक भौतिक नियम है—इस नियम में मनुष्य की भावना काम नहीं कर सकती। न गुस्त्वाकर्षण से हमें प्रेम हो सकता है, न द्वेष। 'भौतिक-विज्ञानों' के नियमों, परिणामों, निष्कर्षों के प्रति हम निस्संग होते हैं, उनके साथ हमारा बेलगपने का सम्बन्ध होता है। 'मानव-शास्त्र' के परिणामों के विषय में जहाँ तक 'भौतिक मानव-शास्त्र' का खोपड़ियों और पजरों के नाप-तोल का सबध है, यह बात ठीक है, परन्तु 'सांस्कृतिक-मानव-शास्त्र' के सबध में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर हम इस परिणाम पर पहुँचें कि मानव-समाज के कुछ वर्ग स्त्री के विषवा होते ही उसे पति के साथ आग में जला देते थे, तो हमारे भीतर उस वर्ग के प्रति घृणा की भावना पैदा हो जाना स्वाभाविक है। इस दृष्टि से जहाँ 'भौतिक-विज्ञानों' में भावना को स्थान नहीं, वहाँ 'मानव-शास्त्र' के 'सांस्कृतिक मानव-शास्त्र' में भावना आ जाती है, परन्तु भावना के आ जाने से इसके विज्ञान होने में कोई रुकावट नहीं पडती। विज्ञान तो यह इसलिए है क्योंकि अन्य विज्ञानों की तरह यह तथ्यों और घटनाओं का सकलन करके अपने विषय के परिणाम निकालता है। इसमें भी सन्देह नहीं कि 'भौतिक-विज्ञानों' की तरह 'भौतिक मानव-शास्त्र' को छोड़ कर 'सांस्कृतिक मानव-शास्त्र' में गणित के-से नपे-तुले परिणाम नहीं निकलते, फिर भी 'मानव-शास्त्र' की वह शाखा जिसे 'भौतिक मानव-शास्त्र' कहा जाता है, अपने परिणामों को नाप-तोल में लाने का प्रयत्न

अवश्य करती है। उदाहरणार्थ, हम आगे चलकर देखेंगे कि प्राचीन-मानव की खोपड़ी, उसके नाक तथा अन्य अंगो-प्रत्यंगों को ‘भौतिक मानव-शास्त्र’ में जो ‘मानव-शास्त्र’ की ही एक शाखा है, नापा-तोला भी जाता है, और इस नाप-तोल से यह परिणाम निकाला जाता है कि अमुक खोपड़ी आर्य-जाति की है या नीग्रो जाति की।

हमने अभी जो-कुछ कहा उससे यह तो स्पष्ट है कि ‘मानव-शास्त्र’ अन्य विज्ञानों की तरह एक विज्ञान है। अब प्रश्न है कि इसका अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध है ?

## २ मानव-शास्त्र, प्राकृतिक-विज्ञान तथा सामाजिक-विज्ञान

आज से १०-१०० साल पहले ‘मानव-शास्त्रियों’ को इस बात की चिंता नहीं थी कि ‘मानव-शास्त्र’ किस वर्ग में आता है। कोम्टे (Comte) ने समाज-शास्त्र की नींव रखी थी और वह इसे विज्ञानों का विज्ञान कहता था। समाज-शास्त्र में समाज के विकास का अध्ययन होता था, और विकासवाद ‘प्राकृतिक-विज्ञान’ (Natural Science) माना जाता था, इसलिए समाज-शास्त्र भी स्वयं ‘प्राकृतिक-विज्ञान’ माना जाता था। मानव-शास्त्र क्योंकि समाज-शास्त्र का ही हिस्सा था इसलिए मानव-शास्त्र के भी ‘प्राकृतिक-विज्ञान’ होने में क्या सदेह हो सकता था ? इतना अवश्य था कि क्योंकि मानव-शास्त्र का विषय प्राचीन-मानव था, इसलिए प्राचीन होने के कारण मानव-शास्त्र को ‘प्राकृतिक-विज्ञान’ न कह कर ‘प्राकृतिक-इतिहास’ (Natural History) कहा जाता था। यह समझा जाता था कि जैसे ‘प्राकृतिक-विज्ञान’ प्रकृति के नियमों का पता लगाते हैं, वैसे ‘समाज-शास्त्र’ समाज तथा वर्तमान-मानव के और ‘मानव-शास्त्र’ आदि-मानव के नियमों का पता लगाता है। परन्तु किसी वर्ग में भी क्यों न हो, १०० साल पहले के मानव-शास्त्रियों को मानव-शास्त्र के वर्गीकरण की कोई चिंता नहीं थी।

आज वह बात नहीं है। आज मानव-शास्त्री यह बहस करते हैं कि मानव-शास्त्र को ‘प्राकृतिक-विज्ञानों’ (Natural Sciences) में रखा जाय, या ‘सामाजिक-विज्ञानों’ (Social Sciences or Humanities) में रखा जाय। रेडक्लिफ ब्राउन (Radcliffe-Brown), फोर्टेज (Fortes) तथा नेडल (Nadel) आदि का कहना है कि मानव-शास्त्र की गणना ‘प्राकृतिक-विज्ञानों’ अर्थात् ‘भौतिक-विज्ञानों’ में है। मानव-शास्त्र का काम प्राचीन-काल की भिन्न-भिन्न सस्कृतियों के किस्से-कहानिया इकट्ठा करना नहीं, अपितु उनके आधार पर, ‘प्राकृतिक-विज्ञानों’ की तरह, जैसे वे ‘प्राकृतिक-नियमों’ (Natural Laws) का पता लगाते हैं, वैसे इनका काम ‘सामाजिक-नियमों’ (Social Laws) का पता लगाना है। मानव-शास्त्र का काम यह पता लगाना है कि आदि-समाज में कौन-से ऐसे नियम थे, जो समाज में वैसे ही आदि-कालीन अवस्थाओं के उपस्थित होने पर स्वयं प्रकट हो जायेंगे, जिन

नियमों में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता, जो गुरुत्वाकर्षण जैसे नियमों की तरह के स्थिर नियम हैं। इस विचार-धारा के विरोध में कुछ दूसरे विचारक हैं जिनका कहना है कि मानव-शास्त्र 'प्राकृतिक-विज्ञानों' की तरह समाज के किन्हीं स्थिर नियमों का पता नहीं लगाता, अपितु समाज की गतिशील, परिवर्तनशील अवस्थाओं का अध्ययन करता है। हर समाज में एक-से नियम कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार के विचारक मानव-शास्त्र को 'प्राकृतिक-विज्ञान' की श्रेणी में न रखकर 'सामाजिक-विज्ञान' (Social Science or Humanities) की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे विचारकों में क्रोबर (Kroeber), बिडने (Bidney) आदि का नाम मुख्य है।

अस्तु में मानव-शास्त्र को दो भागों में बाँटा जाता है—'भौतिक मानव-शास्त्र' (Physical Anthropology) तथा 'सामाजिक मानव-शास्त्र' (Cultural Anthropology)। इनमें से 'भौतिक-मानव-शास्त्र' का काम पुरानी खोपड़ियों तथा प्रस्तरों को नापना-तोलना और उनके सबध में निश्चित, स्थिर नियम निर्धारण करना है। इस दृष्टि से मानव-शास्त्र की यह शाखा 'प्राकृतिक-विज्ञान' के अन्दर आ जाती है, इसलिए आ जाती है क्योंकि प्राकृतिक-विज्ञानों की तरह इसका काम भी स्थिर, निश्चित नियम पता लगाना है। मानव-शास्त्र की दूसरी शाखा 'सांस्कृतिक-मानव-शास्त्र' है जिसका काम आदि-मानव के धर्म, उसकी संस्कृति, उस समय के सामाजिक संगठन आदि का पता लगाना है। आदि-मानव के धर्म आदि के साथ-साथ 'सांस्कृतिक मानव-शास्त्र' वर्तमान समय की जीवित जगली जातियों और नस्लों का अध्ययन भी करता है। इस अध्ययन में प्राकृतिक-विज्ञानों की तरह के कोई निश्चित नियम नहीं पता लगाये जा सकते। इस दृष्टि से मानव-शास्त्र की यह शाखा—'सांस्कृतिक मानव-शास्त्र'—'सामाजिक विज्ञान' के क्षेत्र में आ जाती है। मानव-शास्त्र के उक्त दो पहलू इसे 'प्राकृतिक-विज्ञान' तथा 'सामाजिक-विज्ञान'—इन दोनों के साथ बाँध देते हैं।

### ३ मानव-शास्त्र तथा प्राकृतिक-विज्ञान (Anthropology and Natural Sciences)

प्राणी-शास्त्र आदि का मानव-शास्त्र से सबध (Relation of Biology etc with Anthropology)—'प्राकृतिक-विज्ञानों' (Natural Sciences) का सबध प्राकृतिक ससार से है। इन 'प्राकृतिक-विज्ञानों' में वनस्पति-शास्त्र (Botany), जन्तु-शास्त्र (Zoology) तथा प्राणी-शास्त्र (Biology) भी आ जाते हैं। वनस्पति-शास्त्र, जन्तु-शास्त्र तथा प्राणी-शास्त्र का मानव-शास्त्र के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। हम पहले लिख आये हैं कि प्राचीन चट्टानों में वनस्पतियों, जानवरों तथा प्राचीन-मानवों के पथराये हुए अवशेष जब-तब मिलते रहते हैं। इन अवशेषों के आधार पर मानव-शास्त्र पता लगाता रहता है कि मनुष्य किस वनस्पति तथा किस

जानवर का समकालीन है। जहाँ मानव तथा किसी खास प्रकार की वनस्पति एवं मानव तथा किसी खास प्रकार का जानवर एक-साथ पाये जाते हैं, वहाँ इन दोनों का समकालीन होना स्वयं-सिद्ध हो जाता है।

इसके अतिरिक्त प्राणी-शास्त्र का ‘वंशानुसंक्रमण तथा पर्यावरण’ (Heredity and Environment) का सिद्धान्त मानव-शास्त्र में हर समय काम में आता रहता है। एक नस्ल से दूसरी नस्ल कैसे बनी, माता-पिता के कौन-से गुण सन्तान में गये—यह-सब प्राणी-शास्त्र का विषय है, और इसी वंशानुसंक्रमण के सिद्धान्त के आधार पर मानव-शास्त्र नस्लों (प्रजातियों) की समस्या का हल करता है।

मनुष्य के शरीर की रचना का वन्दर से, गोरिल्ला तथा चपांझी से मेल है। दोनों की खोपड़ी एक-सी है, दोनों की हड्डियों का ढाँचा एक-सा है। मानव-शिशु गर्भावस्था में से गुजरते हुए पहले वेरीड का होता है, फिर उसमें रीढ़ बन जाती है, फिर उसके पूँछ निकल आती है जो धीरे-धीरे शरीर में खप जाती है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न योनियों की शकलों को धारण करता हुआ मानव का गर्भस्थ बालक अपने वर्तमान रूप में आ जाता है। इस सब प्रक्रिया को देखकर विकासवादी कहने लगते हैं कि मानव अपने ऐतिहासिक विकास में भी इसी प्रक्रिया में से गुजरा है जिसमें से वह गर्भावस्था में गुजरता है। ये सब विषय प्राणी-शास्त्र से संबंध रखते हैं और क्योंकि इन सब का प्राचीन-मानव से भी संबंध है इसलिए ‘मानव-शास्त्र’ का ‘प्राणी-शास्त्र’ से जो एक प्राकृतिक-विज्ञान है, संबंध स्पष्ट हो जाता है।

### ३ मानव-शास्त्र तथा सामाजिक-विज्ञान

#### (Anthropology and Social Sciences)

(क) मानव-शास्त्र का ‘इतिहास’ तथा ‘पुरातत्व-विज्ञान’ में संबंध (Relation of Anthropology with History and Archeology) — सामाजिक-विज्ञानों में मानव-शास्त्र का ‘इतिहास’ तथा ‘समाज-शास्त्र’ के साथ सब से अधिक घनिष्ठ संबंध है। इतिहास को दो भागों में बाटा जा सकता है। एक तो वह इतिहास जो लिखित में आ चुका है, दूसरा वह इतिहास है जो लिखित नहीं है, जो हजारों और लाखों साल पुरानी चट्टानों, पुरातन-भवनो, पथराये हुए पुरातन पौधों, जानवरों या मानवों की ‘प्रस्तरित-अस्थियों’ (Fossils) में भरा पडा है, जिसे ‘इतिहास’ न कह कर ‘पूर्व-इतिहास’ या ‘पुरातत्व-विज्ञान’ (Archeology) कहा जाता है। ‘इतिहास’ तथा ‘पूर्व-इतिहास’ दोनों का ‘मानव-शास्त्र’ के साथ घनिष्ठ संबंध है। ‘इतिहास’ प्राचीन घटनाओं तथा प्राचीन-तथ्यों का उल्लेख करता है, भूत की घटनाओं का वर्णन करके उनके आधार पर अपने परिणाम निकालता है; ‘पूर्व-इतिहास’ या ‘पुरातत्व-विज्ञान’ इस इतिहास की पहुँच से भी पहले जो-कुछ था, उस पर नजर डाल कर, उस सामग्री को एकत्रित करता है, और उस सामग्री से एक नवीन इतिहास का

निर्माण करके उसे मानव-शास्त्र के सुपुर्व कर देता है। एक दृष्टि से 'इतिहास' तथा 'पूर्व-इतिहास' दोनो भूत-काल का वर्णन करते हैं, 'इतिहास' निरुद्ध-भूत का और 'पूर्व-इतिहास' सुदूर-भूत का वर्णन करता है। निरुद्ध-भूत तथा सुदूर-भूत को समझने में मानव-शास्त्र इतिहास तथा पूर्व-इतिहास या 'पुरातत्व-विज्ञान' (Archeology)—इन दोनो का सहारा लेता है। 'मानव-शास्त्र' इतिहास का सहारा तो आये-दिन लिया करता है। जो भी जीवित जगली जातियाँ हैं, उनके रीति-रिवाज, कायदे-कानून, उनकी शासन-व्यवस्था, धर्म-कर्म—यह सब तो इतिहास का विषय है, और मानव-शास्त्र इस सब को अपने अन्दर समा लेता है, इस सब का अध्ययन करता है। इसके साथ-साथ 'मानव-शास्त्र' पूर्व-इतिहास या 'पुरातत्व-विज्ञान' से तो बहुत अधिक सहायता लेता है। आफ्रीका के जगलों में कहीं एक खोपडी मिल गई। यह खोपडी इतिहास का विषय तो नहीं है, परन्तु 'पूर्व-इतिहास' या 'पुरातत्व-विज्ञान' (Archeology) का विषय यह जरूर है। इस 'पूर्व-इतिहास' या 'पुरातत्व-विज्ञान' का सहारा लेकर आफ्रीका के जगलों में पायी जाने वाली यह खोपडी अपनी कहानी कहने लगती है, और यह कहानी मानव-शास्त्र की तो मानो जान है। इस प्रकार हमने देखा कि 'मानव-शास्त्र' का 'इतिहास' तथा 'पूर्व-इतिहास' या 'पुरातत्व-विज्ञान' के साथ घनिष्ठ सबध है।

(ख) मानव-शास्त्र का समाज-शास्त्र के साथ सबध (Relation of Anthropology with Sociology)—'इतिहास' तथा 'पुरातत्व-विज्ञान' के अतिरिक्त 'मानव-शास्त्र' का 'समाज-शास्त्र' (Sociology) के साथ भी बहुत निकट का नाता है। 'समाज-शास्त्र' तथा 'मानव-शास्त्र' को तो कइयो ने जुडवाँ बहने कहा है। 'समाज-शास्त्र' हमारे वर्तमान समाज की सम्यता तथा सस्कृति का विश्लेषण करता है, उस पर विचार-विमर्श करता है, 'मानव-शास्त्र' समाज की भूत-काल की सम्यता तथा सस्कृति को लेकर चलता है, भूत-काल के अवशेषों से उसका निर्माण करता है, उसकी वर्तमान-काल की सम्यता तथा सस्कृति से तुलना करता है, और भविष्य में क्या होगा—इस की तरफ भी इशारा करता जाता है। 'समाज-शास्त्र' का एक ही काल से सबध है, 'मानव-शास्त्र' का तीनों कालों से सबध है, 'समाज-शास्त्र' वस्त्रों से एक सजा-सजाया मनुष्य है, 'मानव-शास्त्र' मनुष्य का एक ढाँचा है जिसे हमने वस्त्र ढँड-ढँड कर सजाना है, 'समाज-शास्त्र' के वस्त्र उतार दिये जायें तो वह 'मानव-शास्त्र' बन जाता है, 'मानव-शास्त्र' को वस्त्र पहना दिये जायें तो वह 'समाज-शास्त्र' बन जाता है, 'समाज-शास्त्र' का मुख्य विषय वर्तमान-समाज तथा उसकी समस्याएँ हैं, 'मानव-शास्त्र' का मुख्य विषय प्राचीन-मनुष्य तथा उसकी समस्याएँ हैं। समाज का व्यवहार, समाज के रीति-रिवाज, समाज की शासन-व्यवस्था, समाज का कर्म-धर्म—यह सब 'समाज-शास्त्र' तथा 'मानव-शास्त्र' दोनो के अध्ययन के विषय है, भेद इतना ही है कि 'समाज-शास्त्र' इनका

अध्ययन करते हुए वर्तमान-काल पर दृष्टि रखता है, ‘मानव-शास्त्र भूत-काल पर।

#### ४ मानव-शास्त्र तथा मानवीय-विज्ञान (Anthropology and Human Sciences)

मनुष्य से संबंध रखने वाले दो विज्ञान हैं—मनोविज्ञान तथा दर्शन-शास्त्र। मानव-शास्त्र का भी मुख्य तौर से संबंध मनुष्य से ही है, इसलिए मनुष्य के इर्द-गिर्द घूमने वाले इन तीनों विज्ञानों का पारस्परिक संबंध होना अनिवार्य है।

(क) मानव-शास्त्र तथा मनोविज्ञान (Relation of Anthropology with Psychology)—मनोविज्ञान का काम मनुष्य को मानसिक-रचनाओं तथा उसके मानसिक-व्यवहार का अध्ययन करना है। मनोविज्ञान मनुष्य के सांस्कृतिक विकास पर कुछ नहीं कहता, वह क्षेत्र मनोविज्ञान का विषय नहीं है। मानव-शास्त्र मनोविज्ञान की तरह मनुष्य को अपने अध्ययन का विषय तो बनाता है, परन्तु उसकी मानसिक-रचनाओं तथा उसके मानसिक व्यवहारों का स्वयं अध्ययन न कर मनोविज्ञान के परिणामों को जैसे-का-तैसा ले लेता है, उनकी वहस में नहीं पड़ता। हाँ, मनुष्य के सांस्कृतिक-विक्रम का यह अध्ययन अवश्य करता है जो काम मनोविज्ञान नहीं करता। मनोविज्ञान ‘संस्कृति’ पर कुछ नहीं बोलता, मानव-शास्त्र ‘मानसिक-व्यवहार’ पर कुछ नहीं बोलता क्योंकि ‘संस्कृति’ मानव-शास्त्र के अध्ययन का विषय है, ‘मानसिक-व्यवहार’ मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय है। ‘संस्कृति’ के संबंध में मानव-शास्त्र के परिणामों को मान कर मनोविज्ञान यह जानने का प्रयत्न करता है कि भिन्न-भिन्न संस्कृतियों में मनुष्य का मानसिक-व्यवहार क्या रहा होगा, ‘मानसिक-व्यवहार’ के संबंध में मनोविज्ञान के परिणामों को मान कर मानव-शास्त्र यह जानने का प्रयत्न करता है कि भिन्न-भिन्न कालों के मनुष्यों ने किस-किस प्रकार की संस्कृति को जन्म दिया होगा। मनोविज्ञान का मुख्य विषय ‘मन’ तथा मानव-शास्त्र का मुख्य विषय ‘संस्कृति’ है, परन्तु दोनों का एक-दूसरे के साथ आदान-प्रदान होता रहता है। प्रो० लिन्टन (Linton) का कथन है कि मनोविज्ञान के मानव-शास्त्र के संपर्क में आने से बहुत उत्तम परिणाम निकले हैं। मनोविज्ञान की सहायता से हम समझ सकते हैं कि प्राचीन-मानव के क्या विचार रहे होंगे, वह कैसे सोचता होगा, उसकी क्या भावनाएँ रही होंगी। मानव-शास्त्र जब प्राचीन-मानव का ढाँचा खड़ा करता है तब उसमें मानवीयता की पुष्टि मनोविज्ञान ही दे सकता है।

मनोविज्ञान तथा मानव-शास्त्र का संबंध बीसवीं शताब्दी से पहले इतना निकट का नहीं समझा जाता था। बीसवीं शताब्दी में, और खास कर फ्रायड (Freud) के मनोविश्लेषणवाद के अधिकाधिक प्रचार से, मनोविज्ञान तथा मानव-शास्त्र का संबंध प्रगाढ़ होता गया है। फ्रायड का कहना था कि बालक के जन्म के प्रथम पाँच-छ वर्ष उसके जीवन के आधारभूत वर्ष होते हैं और इस काल में उसका जैसा ‘व्यक्तित्व’ (Personality) बन जाता है वैसे ही जन्म भर

## मानव की उत्पत्ति तथा विकास

(HUMAN ORIGINS AND HUMAN EVOLUTION)

### १ विकासवाद का दृष्टिकोण

युरोप में १८५९ में चार्ल्स डार्विन (Darwin) ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम 'ओरिजिन ऑफ स्पेशीज' (Origin of Species) था इस पुस्तक ने युरोप में 'विकासवाद' के सिद्धान्त पर अन्तिम मोहर लगा दी अं इस सिद्धान्त को एक वैज्ञानिक सिद्धान्त माना जाने लगा।

विकासवाद से पहले मानव की उत्पत्ति के सबध में यह माना जाता कि सृष्टि के प्रारभ में परमात्मा ने सब प्राणियों के जोड़े उत्पन्न कर दिये। हाथ घोडा, बैल, मनुष्य—सब एक-साथ पैदा किये, सब के नर तथा मादा ये जे पैदा किये, और सृष्टि का चक्र चल पडा। उस समय यह भी माना जाता कि क्योकि शुरू-शुरू में सृष्टि परमात्मा ने पैदा की इसलिए वह पूर्ण थी, आ का युग सतयुग था, उस समय परमात्मा ने मनुष्य के व्यवहार के लिए २ ईश्वरीय-ज्ञान भी दिया था, हिन्दुओ में इस ईश्वरीय-ज्ञान को 'वेद' का न दिया जाता है। विकासवाद ने इस विचार से उल्टी विचारधारा को जन्म दिय विकासवाद का कहना था कि सृष्टि की उत्पत्ति जब हुई, तब शुरू-शुरू में आजक की तरह विकसित प्राणी नहीं उत्पन्न हुए। शुरू-शुरू में करोड़ों सालो तक कोई प्राणी ही पैदा नहीं हुआ। सृष्टि का यह काल 'अजीव-काल' कहाता है। इसक वाद 'जीव-काल' आया जिसमें जीवो की उत्पत्ति शुरू हुई। इस काल में भी पहले बहुत निम्न श्रेणी का जीवन उत्पन्न हुआ। इस जीवन का पर्यावरण के प्रभाव के कारण विकास होने लगा। धीरे-धीरे इसी प्रारभिक जीवन से अन्य प्राणियों की उत्पत्ति हुई। सृष्टि का आदि-काल सतयुग नहीं था, उसमें तो मनुष्य ही नहीं था, मनुष्य तो सृष्टि प्रारभ होने के अरबों साल पीछे पैदा हुआ, उसका तो शुरू में नामोनिशान तक न था। शुरू-शुरू में, मनुष्य के पैदा होने से पहले अन्य प्राणी उत्पन्न हुए, फिर चौपाये हुए, फिर दोपाये हुए, फिर वानर हुए, और तब कहीं जाकर मनुष्य पैदा हुआ। वह भी पहले जगली हालत में था, पत्थर के औजारो से काम करता था, शिकार से पेट भरता था, जगलों में गुफाओं में रहता था। लाखों सालों के निरीक्षण-परीक्षण के बाद विकास के क्रम में से गुजरता हुआ वह उस अवस्था में पहुँचा है जिसमें हम उसे आज पाते हैं।

विकासवाद के पास अपनी इस स्थापना का क्या प्रमाण है—यह हमने देखना है। हम पहले अध्याय में लिख आये हैं कि 'मानव-शास्त्र' का एक आधार-स्तम्भ 'पुरातन-विज्ञान' ('Paleontology') है। 'पुरातन-विज्ञान' (Paleontology) तथा 'पुरातत्व-विज्ञान' (Archeology) में भेद है। यह भेद क्या है? 'पुरातत्व-विज्ञान' (Archeology) में तो जमीन में गड़े या जमीन के बाहर मिले प्राचीन मानव के उपकरणों, उसके हथियारों, उसकी वस्तुओं, वरतनों, जेवरों, मकानों—इन सब का अध्ययन किया जाता है, 'पुरातन-विज्ञान' (Paleontology) में जमीन में गड़े, चट्टानों में दबे, गुफाओं में पड़े वनस्पतियों, जन्तुओं तथा मनुष्यों के 'प्रस्तरित-अस्थि-पजरो' (Fossils) का अध्ययन करके भू-गर्भ-शास्त्र के आधार पर इन 'प्रस्तरितों' का काल निर्णय करना होता है। 'पुरातन-विज्ञान' (Paleontology) ने भूमि के गर्भ में स्थित प्राणियों के 'प्रस्तरितों' (Fossils) का जो अध्ययन किया है, उसके आधार पर विकासवादी कहते हैं कि सृष्टि के शुरू-शुरू में जीवधारी प्राणी नहीं उत्पन्न हुए थे, इसलिए नहीं उत्पन्न हुए थे क्योंकि अत्यन्त प्राचीन-काल के भूमि के स्तरों में किसी जीवधारी का कोई नामोनिशान, उसकी हड्डी आदि कुछ नहीं मिलता, उसके बाद धीरे-धीरे प्राणियों के अवशेष मिलने लगते हैं। बहुत पुराने स्तर में मानव की अस्थियों के अवशेष नहीं पाये जाते, अन्य प्राणियों के पाये जाते हैं। भूमि के जिस स्तर में मानव की अस्थियों के 'प्रस्तरित-अवशेष' (Fossilized remains) पाये जाते हैं, मनुष्य उसी स्तर के काल का माना जाना उचित है, उससे पहले के काल का नहीं।

भूमि के अत्यन्त प्राचीन-स्तरों का अध्ययन करते-करते 'पुरातन-विज्ञान' (Paleontology) जब उस स्तर पर आ जाता है जहाँ मानव के पथराये हुए अस्थि-पजर मिलने लगते हैं, तब इसी 'पुरातन-विज्ञान' (Paleontology) को 'पुरातन-विज्ञान' न कहकर 'पुरातन मानव-विज्ञान' (Human Paleontology) का नाम दे दिया जाता है। 'पुरातन-विज्ञान' में सब जीव-जन्तुओं के प्रस्तरित-अवशेषों का भूमि के स्तर के काल के आधार पर उनका काल-निर्णय किया जाता है, 'पुरातन-मानव-विज्ञान' में मनुष्य के प्रस्तरित-अवशेषों का भूमि के स्तर के काल के आधार पर काल-निर्णय किया जाता है।

'पुरातन-विज्ञान' (Paleontology) तथा 'पुरातन मानव-विज्ञान' (Human Paleontology) ने भूमि के प्राचीन स्तरों तथा प्रस्तरित प्राणियों और प्रस्तरित मानव के अवशेषों के आधार पर जीव-जन्तुओं का तथा मानव का जो काल निर्णय किया है, वह निम्न प्रकार है



## २ अति-प्राचीन-युगो के विकास का क्रम

(मनुष्य के विकाम मे पहले)

सब से प्राचीन युग में तो जीवन था ही नहीं, इसे 'अजीव-युग' (AZOIC period) कहा जाता है। इसके बाद 'जीव-युग' आता है जिसके दो भाग हैं। पहले भाग में तो मनुष्य से इतर प्राणी उत्पन्न हुए, दूसरे भाग में मनुष्य से मिलते-जुलते प्राणी तथा मनुष्य हुआ। मनुष्य से इतर प्राणियों का काल निम्न-प्रकार है।

(क) 'अति-सुपुरा जीव-युग' (<sup>1</sup>Archeozoic period)—जीवन की दृष्टि से यह सृष्टि का सबसे पहला युग है। इसके साथ हमने 'अति' और 'सुपुरा' लगा दिया है। 'सुपुरा' का अर्थ है, 'सु' और 'पुरा' अर्थात् पुराने से भी बड़ा-बड़ा—'अति सुपुरा'—अर्थात् अत्यन्त, अत्यन्त पुराना युग। इसे 'अति-अति प्राथमिक युग' (Remotest Primary Period) भी कहा जा सकता है। इस युग में 'एक-कोशीय-जीव' (Uni-cellular life) उत्पन्न हुआ। जीव-जन्तुओं का शरीर कई कोशो (Cells) से मिल कर बनता है, परन्तु उस समय जीवन का प्रारम्भ ही हुआ था, इसलिए जो भी जीव था, वह 'अनेक कोशों' से मिल कर नहीं बना था, सिर्फ 'एक कोश' का जीव था। 'पुरातन-शास्त्रियों' तथा 'भू-गर्भ-शास्त्रियों' का कहना है कि पृथिवी की आज तक की २ अरब साल आयु है। इस २ अरब साल की आयु का ३० प्रतिशत समय इसी एक-कोशीय-जीव में बीता। यह समय आज से १,५००,०००,००० साल पहले शुरू हुआ। बहुत दीर्घ काल तक हमारी पृथिवी पर 'एक-कोशीय-जीव' (Uni-cellular life) ही रहा।

(ख) 'सुपुरा जीव-युग' (<sup>2</sup>Proterozoic period)—यह पृथिवी का अगला युग है। इसमें हमने 'अति' हटा कर सिर्फ 'सुपुरा' रहने दिया है। इसे 'अति-प्राथमिक-युग' (Remote Primary period) भी कहा जा सकता है। इस समय 'एक-कोशीय-जीव' (Uni-cellular life) से 'अनेक-कोशीय-जीव' (Multi-cellular life) का प्रारम्भ हुआ। 'अनेक-कोशीय-जीव' में भी दो तरह के प्राणी होते हैं—रीढ़ की हड्डी वाले, और बिना रीढ़ की हड्डी वाले। इस युग में बिना रीढ़ की हड्डी वाला 'अनेक-कोशीय जीव' विकसित हुआ। इसे 'अपृष्ठ-वंशीय-जीव' (Invertebrate life) कहा जाता है क्योंकि रीढ़ की हड्डी को संस्कृत में 'पृष्ठ-वश' कहते हैं। घोंघे, कीड़े आदि इसी युग की उपज हैं। पृथिवी की आज तक की २ अरब साल की आयु का २५ प्रतिशत समय इसी युग के विकास में बीता। यह समय आज से ९२५,०००,००० साल पहले शुरू हुआ।

1 Archeozoic=Greek word . *Archaos*, ancient, *Zoe*, life

2 Proterozoic=Greek word *Proteros*, before, *Zoe*, life

(ग) 'पुरा-जीव युग' (<sup>१</sup>Paleozoic period)—इस युग में से हमने 'सु' भी हटा दिया है, सिर्फ 'पुरा' शब्द रखा है। पहले युग को 'अति-अति प्राथमिक', दूसरे युग को 'अति प्राथमिक' तथा इस युग को 'प्राथमिक-युग' (Primary period) भी कहते हैं। इस समय 'अपृष्ठ-वक्षीय' (Invertebrate) के स्थान में 'पृष्ठ-वक्षीय' (Vertebrate life) जीव उत्पन्न हुए। मछलियाँ, ग्राह, जल-थल-चारी, रेंग कर चलने वाले जानवर (सरीसृप) इसी युग में उत्पन्न हुए। इस युग में पृथिवी की आज तक के २ अरब साल का ३० प्रतिशत समय लगा। यह समय आज से ५५०,०००,००० साल पहले शुरू हुआ।

(घ) 'मध्य-जीव-युग' (<sup>२</sup>Mesozoic period)—पहले तीन युगों को हमने 'पुरा-जीव' या 'प्राथमिक' कहा है, इसलिए इन तीनों के बाव आने वाला यह युग 'मध्य-जीव-युग' या 'द्वितीय-युग' (Secondary period) कहा जाता है। इस युग में 'सरीसृप' (Reptiles) तो हुए ही, साथ ही उड़ने वाली चिड़ियाएँ, और छोटे दर्जे के 'स्तनन्धय' (Mammals) भी इस समय प्रकट हुए। इस युग में पृथिवी की आज तक की २ अरब आयु का ११ प्रतिशत समय लगा। यह समय आज से १९०,०००,००० साल पहले शुरू हुआ।

(ङ) 'नव-जीव-युग' (<sup>३</sup>Cainozoic or Cenozoic period)—पुरातन-शास्त्री तथा भूगर्भ-शास्त्री इस युग को 'तृतीय तथा चतुर्थ युग' (Tertiary and Quarternary period) भी कहते हैं। इस युग का बड़े-बड़े 'स्तनन्धयों' (Mammals) से प्रारंभ हुआ, और अन्त मनुष्य के प्रादुर्भाव से हुआ। यह समय आज से साढ़े पाँच करोड़ अथवा ५५,०००,००० साल पहले शुरू हुआ।

मनुष्य का प्राणी-जगत् में स्थान समझने के लिए अन्य युगों को समझना इतना आवश्यक नहीं जितना इस युग को समझना आवश्यक है—इसलिए हम इस युग का कुछ विस्तार से वर्णन करेंगे :—

### ३ 'नव-जीव-युग' में मनुष्य का प्रादुर्भाव

(मनुष्य के विकास का काल)

जैसा हमने अभी कहा, भूगर्भ-शास्त्री इस 'नव-जीव-युग' को दो भागों में बाँटते हैं—'तृतीय-युग' (Tertiary period) तथा 'चतुर्थ-युग' (Quarternary period)। 'तृतीय' तथा 'चतुर्थ' इसलिये क्योंकि इनसे पहले युगों को हम 'प्राथमिक' तथा 'द्वितीय' कह आये हैं। 'तृतीय-युग' में 'जेरवाले स्तनन्धय' (Placental mammals) उत्पन्न हुए, मनुष्य-जैसी शकलवाले छोटे-छोटे बन्दर सरीसृप जानवर उत्पन्न हुए, और 'चतुर्थ-युग' में दो पाँचों से खड़े होकर चलने वाले जानवर उत्पन्न हुए, और होते-होते आज का मनुष्य प्रकट हो गया। भूगर्भ-शास्त्रियों ने 'तृतीय-युग' तथा 'चतुर्थ-युग' को तीन-तीन हिस्सों में बाँटा है।

1 Paleozoic=Greek word *Paleos*, ancient, *Zoe*, life

2 Mesozoic=Greek word . *Mesos*, middle, *Zoe*, life

इस प्रकार इस सम्पूर्ण 'नव-जीव-युग' (Cainozoic period) को उन्होंने छ हिस्सों में बांट दिया है।

[ 'नव-जीव-युग'-सबघी तृतीय-युग के तीन हिस्से ]

(क) 'प्रादि-नूतन-युग' (<sup>1</sup>Eocene period)—इसमें 'जेरवाले स्तनन्धय' (Placental mammals) उत्पन्न हुए। यह युग ४५,०००,००० साल पहले शुरु हुआ। इसे हमने प्रादि इसलिए कहा है क्योंकि संस्कृत में 'प्र' का अर्थ है—'बहुत', 'आदि' का अर्थ है—'शुरु का'। 'प्रादि' का अर्थ हुआ—'बहुत शुरु का'।

(ख) 'आदि-नूतन-युग' (<sup>2</sup>Oligocene period)—इसमें मनुष्य जैसी शक्ल के छोटे-छोटे बन्दर सरीखे जानवर (First Small Anthropoid Apes) उत्पन्न हुए। यह युग ३०,०००,००० साल पहले शुरु हुआ। इसे हमने 'आदि-नूतन-युग' का नाम दिया है, इसमें 'प्रादि' के साथ लगे 'प्र' अर्थात् 'बहुत' को हटा दिया है।

(ग) 'मध्य-नूतन-युग' (<sup>3</sup>Miocene period)—इसमें वर्तमान बन्दरों के पूर्वज (Ancestors of Present Great Apes) तथा मनुष्य की-सी शक्ल (Humanoid forms) के जानवर उत्पन्न हुए। यह युग १९,०००,००० साल पहले शुरु हुआ। इस युग के 'आदि' के बाद होने के कारण हमने इसे 'मध्य' का नाम दिया है, 'मध्य'—अर्थात् 'बीच का'।

उक्त तीनों तो 'तृतीय-युग' के विकास के क्रम हैं। इसके बाद 'चतुर्थ-युग' के विकास के तीन क्रम निम्न हैं —

[ 'नव-जीव-युग'-सबघी चतुर्थ-युग के तीन हिस्से ]

(क) 'अति-नूतन-युग' (<sup>4</sup>Pliocene period)—इस काल में पहले-पहल वह जानवर पैदा हुआ जो खड़ा होकर चल सकता था। पुरातन-शास्त्र, भूगर्भ-शास्त्र तथा प्राणी-शास्त्र में उस जानवर को 'पिथेकैन्थ्रोपस इरेक्टस' (Pithecanthropus erectus) कहा है। आज से ७,०००,००० साल पूर्व यह युग शुरु हुआ।

(ख) प्राति-नूतन-युग या 'हिम-युग' (<sup>5</sup>Pleistocene or glacial period)—इस युग में मनुष्य मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। भूगर्भ-शास्त्र के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस युग में कम-से-कम चार बार भूमि के उत्तरीय गोलार्ध में हिम का महापात तथा प्रवाह हुआ। हिमपात से

- 
- 1 Eocene=Greek word *Eos*, the dawn, *Kamos*, recent
  - 2 Oligocene=Greek word *Oligos*, little, *Kamos*, recent
  - 3 Miocene=Greek word , *Meion*, less, *Kamos*, recent
  - 4 Pliocene=Greek word *Pleion*, more, *Kamos*, recent
  - 5 Pleistocene=Greek word *Pleistos*, most, *Kamos*, recent

पहले का समय १,०००,००० साल है। उसके बाद प्रथम हिमपात (First glacial) आज से ९,००,००० साल पहले हुआ, द्वितीय हिमपात (Second glacial) ७५०,००० साल पहले हुआ, तृतीय हिमपात (Third glacial) २५०,००० साल पहले हुआ; चतुर्थ हिमपात (Fourth glacial) ५०,००० साल पहले हुआ। इसी युग में मनुष्य से मिलते-जुलते किसी प्राणी के अवशेष उपलब्ध होते हैं।

इस युग में जिसे हमने 'प्राति-नूतन-युग' या 'हिम-युग' का नाम दिया है मनुष्य के जो अवशेष उपलब्ध होते हैं उनसे प्रतीत होता है कि इस युग में वह विकास की तीन प्रक्रियाओं में से गुजरा है। इन तीन प्रक्रियाओं के कारण उसके इस समय तीन वर्ग पाये जाते हैं—

(1) 'भूमिवासी वानर-मानव' (Ground-dwelling Ape-man)—पहला वर्ग तो वह है जिसमें वह भूमि पर रहने वाले बन्दर-के-से मनुष्य के रूप में था। इससे पहले तो वह वृक्षों पर रहा करता था, परन्तु इस युग में वृक्षों के स्थान पर वह भूमि पर रहने लगा। ऐसे मनुष्यों के तीन प्रकार दक्षिण-आफ्रीका में रहते थे, जिन्हें 'आस्ट्रालोपिथेकस' (Australopithecus), 'प्लेसी एन्थ्रोपस' (1 Plesianthropus) तथा 'पैरेन्थ्रोपस' (2 Paranthropus) कहते हैं। ये प्राणी बन्दरों से इतने नहीं मिलते थे जितने मनुष्यों से मिलते थे। इनके मस्तिष्क मनुष्य से बहुत छोटे थे। मनुष्य की तरह ये भूमि पर दो पाओं से चलने लगे थे।

(ii) 'प्राचीन-मानव' (Ancient man)—दूसरा वर्ग वह है जिसमें उसका मस्तिष्क कुछ बड़ा पाया जाता है, और वह वर्तमान मनुष्य के कुछ अधिक निकट आ गया है। ऐसे मनुष्यों के अस्थि-अवशेष जावा में पाये गये हैं जिन्हें 'पिथेकैन्थ्रोपस' (3 Pithecanthropus) कहते हैं, पेकिंग में पाये गये हैं जिन्हें 'सिनैन्थ्रोपस' (Sinanthropus) कहते हैं, साउथ इंग्लैण्ड में पाये गये हैं जिन्हें 'इओन्थ्रोपस' (4 Eoanthropus) कहते हैं, पश्चिमी-यूरोप, सुदूर-पूर्व तथा मध्य-एशिया में पाये गये हैं जिन्हें 'निएन्डरथल-मानव' (Neanderthal Man) कहते हैं। यह 'निएन्डरथल-मानव' वर्तमान-मानव के अत्यन्त निकट है, और ऐसा पता चलता है कि जहाँ-जहाँ यह मानव वर्तमान-मानव के सपर्क में आया, इन दोनों ने आपस में सन्तानोत्पत्ति की। भूगर्भ-शास्त्रियों का कहना है कि 'प्राति-नूतन-युग' (Pleistocene period) के अन्तिम भाग

1 Plesianthropus = Greek *Plesios*, near, *Anthropos*, man

2 Paranthropus = Greek *Para*, beside. *Anthropos*, man,

3 Pithecanthropus = Greek *Pithekos*, an ape; *Anthropos*, man

4 Eoanthropus = Greek : *Eos*, (संस्कृत-उषस्) dawn, *Anthropos*, man

में पैलेस्टाइन के कारमल पर्वत के निकट 'निएन्डरथल-मानव' और 'वर्तमान-मानव' के मिल-जुल कर सन्तति उत्पन्न करने के अनेक प्रमाण मिलते हैं। हम इन सब मानवों पर आगे चल कर कुछ विस्तार से लिखेंगे।

(iii) वर्तमान-मानव (Modern Man)—वर्तमान-मानव जिस रूप में दीख पड़ता है वह लगभग २५ हजार वर्ष पहले पश्चिमो-युरोप तथा भूमध्य-सागर के प्रदेश में प्रकट हुआ। इस मानव का प्रारम्भिक रूप जो पुरातन-शास्त्रियों तथा भूगर्भ-शास्त्रियों को ज्ञात है, उसे 'क्रो-मैगनन' (Cro-Magnon Man) कहते हैं, क्योंकि पहले-पहल उसके अवशेष क्रो-मैगनन प्रदेश में ही पाये गये। यह मानव युरोप में कहां से आया, इस विषय में अभी तक कुछ ज्ञात नहीं है, परन्तु इतना कहा जा सकता है कि इसने क्षेत्र में पदार्पण करने के बाद 'निएन्डरथल-मानव' का स्थान ग्रहण कर लिया, और इससे पूर्व मानव के जो रूप थे, वे सब लुप्त हो गये, और तब से आज तक यही 'वर्तमान-मानव' ससार में राज्य कर रहा है। इस 'क्रो-मैगनन' (Cro-Magnon) को ही 'होमो-सेपियन्स' ('Homo Sapiens') कहते हैं—'होमो सेपियन्स' जिसे हिन्दी के लेखक 'मेधावी-मानव' का नाम देते हैं।

'वर्तमान-मानव' कहां से आ टपका—इस सबब में विकासवाद ने अभी तक अपना अन्तिम निर्णय नहीं दिया। इसमें सन्देह नहीं कि बन्दर से मनुष्य की शारीरिक-रचना का बहुत साम्य है, फिर भी शरीर-रचना-शास्त्रियों की दृष्टि में इन दोनों की शारीरिक-रचना में इतना भेद भी है कि बन्दर से मनुष्य का विकास हुआ—ऐसा नहीं कहा जा सकता। ज्यादा-से-ज्यादा विकासवादी जो कहते हैं वह यही है कि ऐसा कोई प्राणी हुआ होगा जिससे बन्दर तथा मनुष्य—इन दोनों का विकास हुआ, जिसे विकास की शृंखला में 'लुप्त-कड़ी' (Missing link) कहा जाता है। परन्तु यह प्राणी कहां हुआ, कब हुआ, हुआ भी या नहीं हुआ—इस विषय में विज्ञान सर्वथा मौन है।

(ग) 'सर्व-नूतन-युग' (<sup>2</sup>Holocene or Recent period)—'नव-जीव-सबधी' दो युगों का वर्णन हमने अभी किया। एक तृतीय युग, दूसरा चतुर्थ-युग। तृतीय-युग के हमने तीन भाग किये थे जिनका वर्णन हम कर चुके हैं। चतुर्थ-युग के भी हमने तीन भाग किये थे जिनमें से दो का वर्णन हमने अभी-अभी किया—'अति नूतन-युग' और 'प्राति-नूतन-युग'। चतुर्थ-युग के इन दो युगों के अलावा तीसरा युग है—'सर्व-नूतन-युग'। 'सर्व-नूतन-युग' वर्तमान-युग का ही दूसरा नाम है। जैसा हमने अभी कहा था, इस युग का प्रारम्भ २५ हजार वर्ष पहले हुआ। अनुमान किया जाता है कि आज से १० हजार वर्ष पूर्व मनुष्य ने फिरन्वर-

1 Homo sapiens = Latin . Homo, man , Sapiens, wise

2 Holocene = Greek : Holos, entire , Kamos, recent

जीवन छोड़ कर पशु-पालन, कृषि करना, और छोटी-छोटी झोपडियाँ बना कर एक जगह रहना सीख लिया था। इससे पहले युग में वह अघड पत्थरो के उपकरणों का इस्तेमाल करता था और उसे 'पूर्व-पाषाण-युग' (¹Paleolithic age) कहते हैं। आज से १० हजार से ५ हजार वर्ष पहले मनुष्य ने पत्थरो के सुगढ़ औजार बनाने शुरू कर दिये थे, और 'नव-पाषाण-युग' (²Neolithic age) का सूत्र-पात हो गया था। इसके बाद भिन्न-भिन्न पदार्थों का उपयोग करना उसने सीखा। 'पाषाण-युग' (Stone age) के बाद के युगों को 'ब्रॉज़-युग' (Bronze age), 'लौह-युग' (Iron age), 'कोयला-युग' (Coal age) आदि नाम दिये जाते हैं। बीसवीं सदी के हाल के युग को 'अणु-युग' (Atomic age) कहा जा सकता है—इसमें मनुष्य धातुओं की अपेक्षा सभ्यत। अणु-शक्ति से अधिक काम लेना शुरू करे। धीरे-धीरे इसी प्रकार संसार की सभ्यताओं ने जन्म लिया—भारत, मैसेपोटामिया, ईजिप्ट आदि सभ्यताएँ हजारों वर्ष पुरानी हैं। होते-होते मनुष्य ने अन्य अनेक सभ्यताओं का विकास किया, और विकसित होते-होते वह वर्तमान समय पर आ पहुँचा।

सृष्टि के प्रारंभ से आज तक संसार विकास के जिन-जिन युगों में से गुजरा है, उन सब युगों का एक-दृष्टि में निरीक्षण करने के लिए अगले पृष्ठ में एक चित्र दिया जा रहा है जिससे यह स्पष्ट हो जायगा कि सृष्टि किस-किस क्रम में से गजरी है, और आज कहाँ आकर खड़ी हुई है—

1 Paleolithic = Greek : *Palaios*, ancient, *Lithos*, stone.

2 Neolithic = Greek : *Neos*, new ; *Lithos*, stone

जब कोई प्राणी नहीं था तब 'अजीवीय-काल' (Azoic p) था, उसके बाद दो अरब वर्ष हुए 'जीवीय-काल' आया। उसका चित्र -

१ अति-सुरा-जीवीय काल (Archeozoic p)	अति-अति प्राथमिक काल (Remotest primary p)		इस युग में पृथ्वी की आयु का ३० प्रति- शत समय लगा और यह डेढ़ से दो अरब वर्ष पहले शुरू हुआ	इस युग में एक-कोशिय-जीव (Uni-cellular life)
२ सुरा-जीवीय काल (Proterozoic p)	अति-प्राथमिक काल (Remote Primary p)		इसमें २५ प्रतिशत समय लगा और २२५,०००,००० वर्ष पहले शुरू हुआ	अपृष्ठ-वशीय जीव (Invertebrate)
३ पुरा-जीवीय काल (Paleozoic p)	प्राथमिक काल (Primary period)		इसमें ३० प्रतिशत समय लगा और ५५०,०००,००० वर्ष पहले शुरू हुआ	पृष्ठ-वशीय जीव (Vertebrate)
४ मध्य-जीवीय काल (Mesozoic p)	द्वितीय काल (Secondary period)	प्रादि नूतन काल (Eocene p)	इसमें ११ प्रतिशत समय लगा और १६०,०००,००० वर्ष पहले शुरू हुआ	सरीसृप (Reptiles)
		आदि नूतन काल (Oligocene p)	यह युग ६ से ४॥ करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ	जंर वाले स्तनमध्य (Placental mammals)
		मध्य नूतन काल (Miocene p)	यह युग ३ करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ	छोटे मानव-सदृश वानर (Small Anthropoid Apes)
५ पर-वर्ती काल (Cainozoic p)	तृतीय काल (Tertiary period)	अति नूतन काल (Pliocene p)	यह युग १६,०००,००० वर्ष पहले शुरू हुआ	महा-वानर के पूर्वज (Ancestors of great Apes)
		प्रादि नूतन काल (Pleistocene or Glacial p)	यह युग ७,०००,००० वर्ष पहले शुरू हुआ	सोघे सड़े होने वाले वानर (Pithecanthropus Erectus)
	चतुर्थ काल (Quaternary p)		यह युग १,०००,००० वर्ष पहले शुरू हुआ	१ अति प्राचीन मानव २ प्राचीन मानव ३ वर्तमान मानव ४ फिरदर मानव ५ चरवाहा मानव
		सर्व-नूतन काल (Holocene p)	यह युग २० से २५ हजार वर्ष पहले शुरू हुआ	

### ४ भारत में सृष्टि का युग

जिस प्रकार आज के मानव-शास्त्री सृष्टि के युग मानते हैं, इसी प्रकार भारत के मानव-शास्त्री अपने ढग से सृष्टि के युग मानते थे जिन्हें उन्होंने सत-युग, द्वापर, त्रेता तथा कलियुग का नाम दिया था। इन युगों की गणना के अनुसार सन् १९५८ में सृष्टि को बने १,९७,२९,४९,०६० वर्ष हुए हैं। यह संख्या वर्तमान भूगर्भ-शास्त्रियों की सख्या से आश्चर्यजनक तौर पर मिलती है। हिन्दुओं की गणना का आधार निम्न है।

ससार कितने वर्ष रहेगा, इसका उत्तर अथर्ववेद में देते हुए लिखा है— 'शत तेऽयुत हायनान् द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृष्ण'—अर्थात्, ४, ३, २—इन अकों के आगे दस लाख सख्या सूचित करने वाले शून्य लगा देने से जो सख्या बनती है, वह सृष्टि का समय है—सृष्टि प्रारंभ से अत तक इतने समय रहेगी। यह सख्या ४,३२,००,००,००० (चार अरब बत्तीस करोड वर्ष) बनती है। इतने वर्ष सृष्टि रहती है, फिर इतने ही वर्ष प्रलय रहता है।

सृष्टि के ४ अरब बत्तीस करोड वर्ष होते हैं, परन्तु सृष्टि में १४ मन्वन्तर माने गये हैं, और, एक-एक मन्वन्तर में ७१ चतुर्युगी मानी गई हैं। चतुर्युगी का मतलब है—कलियुग द्वापर, त्रेता, सत्ययुग। कलियुग के जितने वर्ष हैं, उससे दुगुने द्वापर के, तिगुने त्रेता के, चौगुने सत्ययुग के माने गये हैं। कलियुग का काल ४३,२००० (चार लाख बत्तीस हजार वर्ष) माना गया है। इस प्रकार एक चतुर्युगी का समय हुआ, ४३,२००० + ८,६४,००० + १,२९,६००० + १७,२८,००० = ४३,२०,००० (तिरतालीस लाख बीस हजार) वर्ष। क्योंकि ७१ चतुर्युगी का एक मन्वन्तर होता है, इसलिए एक मन्वन्तर का समय हुआ, ४३,२०,००० × ७१ = ३०,६७,२०,००० (तीस करोड सरसठ लाख बीस हजार) वर्ष।

एक सृष्टि में १४ मन्वन्तर होते हैं, अत १४ मन्वन्तरो का समय हुआ, ३०,६७,२०,००० × १४ = ४,२९,४०,८०,००० (४ अरब, २९ करोड ४० लाख, ८० हजार) वर्ष।

परन्तु एक-एक मन्वन्तर के बाद एक-एक सन्धिकाल आता है, और सृष्टि के प्रारंभ में भी एक सन्धिकाल होता है। इस हिसाब से १४ मन्वन्तर हैं, तो १४ सन्धिकाल हुए, और एक सन्धिकाल है सृष्टि से प्रारंभ का। कुल १५ सन्धिकाल हो गये। एक-एक सन्धिकाल का समय एक सत्ययुग का समय माना गया है। सत्ययुग का समय है—कलियुग से ४ गुणा—अर्थात्, १७,२८,००० वर्ष। इस प्रकार सृष्टि में १५ सन्धिकालों का कुल समय हुआ १७,२८,००० × १५ = २,५९,२०,००० (दो करोड, उनसठ लाख, बीस हजार) वर्ष।

इस हिसाब से सृष्टि का कुल समय निम्न प्रकार हुआ —

१४ मन्वन्तरो का समय—	४,२९,४०,८०,००० वर्ष
१५ सन्धिकालों का समय—	२,५९,२०,००० वर्ष

कुल ४,३२,००,००,००० वर्ष



हिन्दू-गणना के अनुसार इस समय तक ६ मन्वन्तर बीत चुके हैं, और ७वें मन्वन्तर की २७ चतुर्युगियां बीत चुकी हैं। २८वीं चतुर्युगी के ३ युग बीत गये, और कलियुग चल रहा है। इस हिसाब से सृष्टि को उत्पन्न हुए जो वर्ष बीते हैं, उनका हिसाब निम्न है —

$$(१) \text{ छ मन्वन्तरो के बीते वर्ष } ३०,६७,२०,००० \times ६ = १,८४,०३,२०,०००$$

$$(२) \text{ २७ चतुर्युगियों के बीते वर्ष } ४३,२०,००० \times २७ = १,१६,६४०,०००$$

$$(३) \text{ २८वीं चतुर्युगी के ३० युगों के बीते वर्ष } \\ \text{(एक चतुर्युगी में से कलियुग के वर्ष घटा दिये)} = ३८,८८,०००$$

$$(४) \text{ छ मन्वन्तरो के सन्धिकाल } \left\{ \begin{array}{l} = १७,२८,००० \times ७ = १२,०९,६००० \\ (५) \text{ तथा ७वां प्रारम्भिक सधिकाल } \end{array} \right.$$

$$(६) \text{ प्रचलन के अनुसार सन् १९५८ तक बीते वर्ष सवत् २०१५ तक ५०५९}$$

$$\text{इस प्रकार अब तक का मृष्टि का समय} = १९६२९४९०५९$$

यह सख्या २ अरब वर्ष के लगभग आ पहुँचती है, जो वर्तमान भू-गर्भ-शास्त्रियों की सख्या से मिलती है।

ऊपर के हिसाब में जो प्रचलन के अनुसार ५०५९ वर्ष हमने जोड़े हैं, वह प्रचलन है—“द्वितीय परार्द्धे वैवस्वत मन्वन्तरे। अष्टाविंशतिकलौ युगे ५०५९ गताब्दे जम्बू द्वीपे भरत खडे ”—इत्यादि। यह सकल्प प्रत्येक हिंदू अपने सस्कार कराता हुआ पढ़ता है।

ऊपर जो १४ मन्वन्तरों का वर्णन किया गया है, वे हैं—१ स्वायम्भुव, २ स्वरोचिष, ३ औत्तमि, ४ तामस, ५ रवत, ६ चाक्षुष, ७ वैवस्वत, ८ सार्वणि, ९ दक्ष सार्वणि, १०. ब्रह्म सार्वणि, ११. धर्म सार्वणि, १२ इन्द्रपुत्र, १३ रौच्य तथा १४ भौत्य।

#### ५. भिन्न-भिन्न प्रकार के मानव-अवशेषों की कहानी

भूगर्भ-शास्त्र की दृष्टि से सृष्टि के कौन-कौन-से काल हैं, और इन कालों में किस काल में मानव का प्रादुर्भाव हुआ—यह हमने संक्षेप में देखा। अगले प्रकरण में हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि प्राचीन-काल की मानव-सम प्राणियों की जो प्रस्तरित अस्थियाँ (Fossils) मिली हैं, वे कौन-कौन-सी हैं? यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन किसका पूर्वज है। हो सकता है कोई किसी का पूर्वज हो, हो सकता है न भी हो, हो सकता है सब स्वतंत्र रूप से धराधाम में अवतीर्ण हुए हों, हो सकता है वे सब किसी एक विकास की शृंखला में कड़ी हो। प्राचीन-मानव को जानने के लिए इनका जानना आवश्यक है इसलिए, यद्यपि इनमें से मुख्य-मुख्य का ऊपर के विवरण में जहाँ-तहाँ उल्लेख आया है, हम इनका अलग-से वर्णन करेंगे। मनुष्य के इन आदि-गामियों या मनुष्य के इन मिलते-जुलते मानव-प्राणियों का, जिनके अवशेष जहाँ-तहाँ मिले हैं, विवरण अगले अध्याय में दिया जा रहा है। इन आदि-गामियों में से मुख्य-मुख्य निम्न हैं :—

आफ्रीका में मिले प्रस्तरित अवशेष

- (१) आफ्रीकन मानव-वानर (Australopithecus Africanus or Taungs ape)
- (२) टेलैन्थ्रोपस केपेनसिस (Telanthropus capensis)
- (३) रोडेशियन-मानव (Rhodesian man)
- (४) बोस्कोप-मानव (Boskop man)

एशिया में मिले प्रस्तरित अवशेष

- (५) जावा का मानव (Pithecanthropus erectus or Ape-man of Java)
- (६) मोडजोकरटेनसिस-मानव (Homo Modjokertensis or Pithecanthropus II)
- (७) चीनी-मानव (Sinanthropus Pekinensis or Peking man)
- (८) वादजक-मानव (Wadjak man)
- (९) सोलो-मानव (Solo-man or Homo Solensis)

यूरोप में मिले प्रस्तरित अवशेष

- (१०) डाउसन-मानव या उष मानव (Eoanthropus dawsoni or Piltdown man or Dawn-man)
- (११) स्वानकोम्बे-मानव (Swancombe man)
- (१२) हीडलबर्ग-मानव (Heidelberg man)
- (१३) नियोन्डरथल-मानव (Neanderthal man)
- (१४) मेंघावी-मानव (Homo Sapiens)
- (१५) ग्रिमाल्डी-मानव (Grimaldi man)
- (१६) क्रो-मैग्नन-मानव (Cro-Magnon man)

# मानव की उत्पत्ति तथा विकास में प्रस्तारित-मानव

( FOSSIL MAN IN HUMAN EVOLUTION )

१ 'नव-जीव-युग' के 'प्राति-नूतन-काल' में मनुष्य हुआ

(Man appeared in Pleistocene period of Cainozoic age)

हम अभी पिछले अध्याय में लिख आये हैं कि सृष्टि के जितने भी युग हैं, उनमें मानव के विकास के अध्ययन के लिए 'नव-जीव-युग' (Cainozoic age) ही आवश्यक है। इस युग के हमने दो भाग किये थे—तृतीय तथा चतुर्थ युग (Tertiary and Quarternary periods)।

तृतीय के हमने निम्न तीन हिस्से किये थे —

- (क) 'प्रादि-नूतन-युग' (Eocene period)
- (ख) 'आदि-नूतन-युग' (Oligocene period)
- (ग) 'मध्य-नूतन-युग' (Miocene period)

चतुर्थ के हमने निम्न तीन हिस्से किये थे —

- (क) 'अति-नूतन-युग' (Pliocene period)
- (ख) 'प्राति-नूतन-युग' (Pleistocene or Glacial period)
- (ग) 'सर्व-नूतन-युग' (Holocene or Recent period)

उक्त छ युगों में से 'अति-नूतन-युग' (Pliocene period) को कई लेखक तृतीय की श्रेणी में रख कर पहले के चार और दूसरे के दो हिस्से करते हैं, जिन्हे निम्न प्रकार प्रकट किया जा सकता है —

तृतीय के निम्न चार हिस्से .—

- (क) 'प्रादि-नूतन-युग' (Eocene period)
- (ख) 'आदि-नूतन-युग' (Oligocene period)
- (ग) 'मध्य-नूतन-युग' (Miocene period)
- (घ) 'अति-नूतन-युग' (Pliocene period)

चतुर्थ के निम्न दो हिस्से —

- (क) 'प्राति-नूतन-युग' (Pleistocene or Glacial period)
- (ख) 'सर्व-नूतन-युग' (Holocene or Recent period)

इनमें से पहले चार युगों में लेमूर, टारसीयस, बन्दर, ओरगटाग, चिपाक्ती, गोरिल्ला आदि हुए, 'प्राति-नूतन-युग' (Pleistocene period) में मानव-सम प्राणी हुए, 'सर्व-नूतन-युग' (Holocene period) में मानव हुआ।

## २ 'प्राथमिक-वर्ग' तथा 'मनुष्य' (Primates and Man)

मनुष्य का पूर्वज कौन था—क्या बन्दर से मनुष्य हुआ या किसी अन्य प्राणी से मानव का विकास हुआ—इस विषय में निश्चित तौर पर कुछ भी कह सकना कठिन है। कई लोगों का कथन है कि मनुष्य के निर्माण में प्रकृति के असफल प्रयास का नाम बन्दर है, परन्तु यह तभी कहा जा सकता है अगर यह सिद्ध हो जाय कि धीरे-धीरे बन्दर से ही मनुष्य का विकास हुआ, स्वतंत्र रूप में नहीं। ऐसा-कुछ अभी तक विज्ञान ने सिद्ध नहीं किया। पुरातन-शास्त्रियों का कहना सिर्फ इतना है कि मनुष्य में जो गुण पाये जाते हैं, उन्हें ढूँढते-ढूँढते हमें अनेक प्राणी ऐसे मिलते हैं जिनकी शारीरिक रचना मनुष्य के कुछ-कुछ आस-पास की है, इनमें बन्दर की रचना अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य से बहुत अधिक मिलती है। मनुष्य का विकास ढूँढते-ढूँढते पुरातन-शास्त्री जिन प्राणियों से अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं उनका सामूहिक नाम उन्होंने 'प्राथमिक वर्ग' (Primates) रखा है। इन्हें 'प्राथमिक-वर्ग' इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसे पहले जो प्राणी हैं उनके साथ मनुष्य का किसी प्रकार का संबंध नहीं जोड़ा जा सकता। हम भी इसी 'प्राथमिक-वर्ग' (Primates) से मनुष्य के विकास की कहानी का प्रारंभ करेंगे।

'प्राथमिक-वर्ग' (Primates) में कौन-कौन-से प्राणी आते हैं? इस वर्ग में जो प्राणी गिने जाते हैं उनमें लेमूर, बन्दर, वन-मानुस तथा मानव—ये मुख्य हैं। सबसे पहले १८वीं शताब्दी के मध्य-काल में श्री लिनेइयस (Linnaeus) ने इन सब प्राणियों के लिए 'प्राथमिक-वर्ग' (Primates)—यह नाम रखा। इस नाम का अभिप्राय यह था कि इस 'प्राथमिक-वर्ग' के प्राणियों से शुरू करके ही विकास की शृंखला एक-एक कडी के साथ आगे बढ़ती-बढ़ती मनुष्य तक जा पहुँची। इन 'प्राथमिक-वर्ग' के प्राणियों का आपस में सम्बन्ध है—यह कैसे पता लगा? इसका पता लगाने में 'तुलनात्मक शारीर-विज्ञान' (Comparative Anatomy), 'गर्भ-विज्ञान' (Embryology), 'पुरातन-शास्त्र' (Paleontology), 'जीव-रसायन-शास्त्र' (Biochemistry) आदि सभी विज्ञानों से सहायता मिलती है। 'तुलनात्मक शारीर-विज्ञान' से पता चलता है कि किन-किन प्राणियों की शरीर की हड्डियों में समानता है, दाँत एक-से हैं, खोपड़ी एक-सी है, 'गर्भ-विज्ञान' से पता चलता है कि कौन-कौन-से प्राणी शरीर की बनावट में भिन्नता रखते हुए भी गर्भावस्था में एक-समान हैं; 'पुरातन-शास्त्र' से पता चलता है कि किन प्राणियों के प्रस्तारित अस्थि-पजर सुदूर भूत में पाये जाते हैं और उन अस्थि-पजरों की आजकल के किन प्राणियों से समानता है, 'जीव-रसायन-शास्त्र' से पता चलता है कि किन प्राणियों के रूधिर में एक-दूसरे से समानता है। उदाहरणार्थ, यद्यपि बन्दर और मनुष्य की शारीरिक रचना में भेद है तो भी इन की हड्डियों की रचना, इनके दाँत,

इनकी खोपड़ी एक-समान है, इन की गर्भावस्था की शकलें एक-सी हैं, इनके प्रस्तरित अस्थि-पजरो में समानता है, इनके रधिर में समानता का अंश है। इन सब बातों से बन्दरो, वनमानुसों तथा अन्य 'प्राथमिक-वर्ग' के प्राणियों का मनुष्यों के साथ एक वर्ग में परिगणित किया जाना स्वाभाविक है।


जिस प्रकार विकास-वादी प्राथमिक-वर्ग की चर्चा करते हैं उसी प्रकार भारत में भी सृष्टि के प्रारंभ में कौन-कौन-से प्राणी हुए—इस बात की चर्चा पायी जाती है। पुराणों में लिखा है कि सृष्टि के प्रारंभ में मत्स्यावतार हुआ—उसके बाद अन्य अवतार हुए। मत्स्यावतार का यही अभिप्राय हो सकता है कि पहले-पहले जल-चारी प्राणी हुए। मत्स्यावतार के बाद कूर्मावतार हुआ। कूर्म का अर्थ है—कछुआ। कछुआ जल-थल दोनों पर रह सकता है इसलिए कूर्मावतार का अर्थ है—ऐसे प्राणी जो पानी तथा भूमि दोनों में विचरण कर सकते थे। कूर्मावतार के बाद वराहावतार हुआ। इसका अभिप्राय यह है कि कर्म के बाद ऐसे प्राणी हुए जो पानी से विशेष प्रेम रखते थे, परन्तु भूमि पर निवास करते थे। वराहावतार के बाद नृसिंहावतार हुआ। नृसिंहावतार में मनुष्य तथा पशु दोनों का मिश्रण है। इसका अभिप्राय ऐसे मानव से हो सकता है जो मनुष्य तथा पशु का मेल था, जिसे आज के विकासवादी 'एन्थ्रोपॉयड' का नाम देते हैं। नृसिंहावतार के बाद वामनावतार हुआ—ऐसे मानव का विकास हुआ जो सक्षिप्त रूप में मनुष्य था, अभी मनुष्य रूप में पूर्ण विकसित नहीं हुआ था। इसके बाद रामावतार तथा कृष्णावतार हुए जो पूर्ण कलाओं के मानव थे। बहुत संभव है कि ये सब वर्णन प्राचीन हिन्दुओं के जीवन के विकास की कहानी को सूचित करते हों। इसी प्रकरण में यह भी ध्यान देने की बात है कि मनुष्य-जन्म चौरासी लाख योनियों के बाद मिलता है—यह विचार हिन्दुओं में घर घर पाया जाता है। क्या इसका यह अभिप्राय तो नहीं कि अनेक जीवनों में से विकसित होता होता मनुष्य वर्तमान अवस्था में पहुँचा है? अगर इसका यह अभिप्राय हो, तब तो विकासवादी दृष्टि-कोण पर भारत के विचारक बहुत पहले पहुँच चुके थे। यह ठीक है कि जितने प्रमाण डार्विन तथा उसके अनुयायियों ने अपने पक्ष की पुष्टि में इकट्ठे कर दिये उतने भारतीय विचारकों ने नहीं एकत्रित किये, परन्तु विचार की दृष्टि से पहुँचे वे भी वही पर थे जहाँ आज के विकास-वादी विचारक पहुँचे हैं।

### ३ 'प्राथमिक-वर्ग' का श्रेणी-विभाजन

#### (Classification of the Primates)

'प्राथमिक-वर्ग' (Primates) को विकासवादी तीन भागों में बाँटते हैं—'लेमूर-सदृश' (Lemuroidea), 'टारसियस सदृश' (Tarsioida) तथा 'मानव-सदृश' (Anthropoidea)। 'लेमूरोयाइडिया' (लेमूर सदृश) में छोटे बन्दर की-सी शकल के लेमूर तथा उससे मिलते-जुलते प्राणी गिने जाते हैं। इनके प्रस्तरित अवशेष उत्तरी अमरीका तथा युरोप में पाये गये हैं। ये मंडा-

गास्कर, आफ्रीका तथा ईस्ट इन्डोस में अब भी जीवित पाये जाते हैं। 'टारसियडिया (टारसियस-सदृश) में टारसियस तथा उससे मिलते-जुलते प्राणी गिने जाते हैं। इनके भी प्रस्तारित अवशेष उत्तरी अमरीका तथा यूरोप में पाये गये हैं। टारसियस, लेमूरोयोडिया तथा एन्थ्रोपोयोडिया इन दोनों के बीच का प्राणी है। 'एन्थ्रोपोयोडिया' (मानव-सदृश) में पृष्ठ वाले बन्दर तथा बिना पृष्ठ



लेमूर

टारसियस


बन-मानुस तथा मनुष्य गिने जाते हैं। हमें अपना विषय समझने के लिए 'एन्थ्रोपोयोडिया' को समझना आवश्यक है।

'एन्थ्रोपोयोडिया' के विकासवादी दो विभाग करते हैं—विस्तीर्णनास (°Platyrrhine) तथा संकीर्णनास (²Catarhine)। 'प्लेटिराइन्स' में चौड़ी नाक वाले तथा 'कॅटेराइन' में सिकुड़ी नाक वाले प्राणी गिने जाते हैं। चौड़ी तथा सिकुड़ी नाक वाले प्राणियों के शरीर की रचना में इतना भेद है कि यह कह सकना संभव नहीं है कि इनमें से कोई एक किसी दूसरे से विकसित हुआ। बहुत संभव यही है कि दोनों का स्वतंत्र विकास हुआ हो। इनमें से 'संकीर्णनास' (Catarhine) का मनुष्य के साथ संबंध है, 'विस्तीर्णनास' (Platyrrhine) का नहीं, अतः हम 'संकीर्णनास' पर ही आगे विचार करेंगे।

'संकीर्णनास' (Catarhine) में फिर चार परिवार आ जाते हैं—'सरकोपिथेसीड' (Cercopithecidae), 'हाइलोबेटोड' (Hylobatidae) 'सिमोड' (Simiidae) तथा 'होमीनोड' (Hominidae)। 'सरकोपिथेसीड'

में पूंछ वाले बन्दर तथा वेबून आ जाते हैं, 'हाइलोवेटीड' में छोटे, लम्बी बाही वाले गिब्वन आ जाते हैं, 'सिमिड' में ओरगटांग, चिपाञ्जी तथा गोरिल्ला आ जाते हैं, 'होमीनीड' में मनुष्य आ जाता है।

विकास में मनुष्य का स्थान समझने के लिए हमने जो-कुछ ऊपर लिखा है, उसे चित्र में निम्न प्रकार प्रकट कर सकते हैं —



ऊपर जो विवरण दिया गया है उसमें दो शब्द ध्यान देने योग्य हैं—एक है 'सिमिड' (Simid) तथा दूसरा है 'होमिनिड' (Hominid)। ये दोनों 'एन्थ्रोपोइडिया' (Anthropoidea) के अवान्तर भेद हैं, परन्तु एक ही नहीं हैं। 'एन्थ्रोपोइडिया' (Anthropoidea) तथा 'एन्थ्रोपोयड' (Anthropoid) में भी भेद है। 'एन्थ्रोपोइडिया' तो 'प्राथम-वर्ग' (Primates) के तीन विभागों में से एक है, परन्तु 'एन्थ्रोपोयड' का अर्थ है—मनुष्य से मिलते-जुलते बन्दर। इस दृष्टि से 'सिमिड' तथा 'एन्थ्रोपोयड' का एक ही अर्थ है क्योंकि 'सिमिड' भी मनुष्य से मिलते-जुलते चिपाञ्जी, गोरिल्ला तथा ओरगटांग का नाम है और 'एन्थ्रोपोयड' भी इन्हीं का नाम है। 'एन्थ्रोपिडिया' का 'सिमिड' अवान्तर भेद है, और क्योंकि 'सिमिड' तथा 'एन्थ्रोपोयड' एक ही अर्थ के द्योतक हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि 'एन्थ्रोपिडिया' का 'एन्थ्रोपोयड' अवान्तर भेद है।

'सिमिड' अर्थात् 'एन्थ्रोपोयड-एप' (Anthropoid ape) तथा 'होमिनिड' अर्थात् 'मनुष्य' (Man)—इन दोनों की इतनी समानता है कि विकासवादियों का कहना है कि 'सिमिड' से 'होमिनिड' अर्थात् 'एन्थ्रोपोयड-एप' से 'मनुष्य' का विकास हुआ। 'मनुष्य' तथा 'एन्थ्रोपोयड-एप' में क्या विष-मताएँ और क्या समानताएँ हैं—इस पर कुछ विचार कर लेना आवश्यक है जिससे हमें विकासवादियों के दृष्टिकोण को समझने में आसानी हो।

४ 'मनुष्य' तथा 'एन्थ्रोपोयड-एप' की विषमताओं में समानता 'बन्दर' (Monkey) तथा 'एन्थ्रोपोयड-एप' (Anthropoid ape) में भेद है। विकासवादी आम तौर से हमारे शहरों में पाये जाने वाले बन्दर से मनुष्य का विकास नहीं मानते, वे 'एन्थ्रोपोयड-एप' से मनुष्य का विकास मानते हैं। 'एन्थ्रोपोयड-एप' में गोरिल्ला, चिपाक्षी ओरगटाग—ये तीन गिने जाते हैं। विकासवादियों का कहना है कि 'एन्थ्रोपोयड-एप' बन्दर से इतना नहीं मिलता जितना मनुष्य से मिलता है, इसलिए मनुष्य का विकास 'एन्थ्रोपोयड-एप' से हुआ है।

वैसे तो चिपाक्षी तथा मनुष्य की शारीरिक रचना में बहुत भेद पाया जाता है। वहाँ तो चिपाक्षी का जबड़ा आगे को बढ़ा हुआ, पेड़ों पर शाखा से शाखा को पकड़ने के लिए लम्बी-लम्बी बाहें और पंजे, और कहीं मनुष्य का जबड़ा कम बढ़ा हुआ, लम्बी टांगें और खड़ा होकर चलने में सहायक पैर, परन्तु फिर भी अगर इन दोनों की शारीरिक रचना का गहराई से अध्ययन किया जाय तो इनमें विषमता की अपेक्षा समानता अधिक पायी जाती है। चार्ल्स डार्विन (Charles Darwin) ने इसी समानता के आधार पर बन्दर तथा चिपाक्षी को एक श्रेणी में न गिन कर मनुष्य तथा चिपाक्षी को एक श्रेणी में गिना है। डार्विन का कहना तो यह है कि इन दोनों में इतनी समानता है कि किसी-न-किसी 'सिमिड' (एन्थ्रोपोयड-एप) से ही 'होमिनिड' (मनुष्य) का विकास हुआ होगा। हैकेल (Haeckel) का भी यही कहना था कि मनुष्य तथा चिपाक्षी, गोरिल्ला, ओरगटाग आदि में इतनी समानता है कि इन्हें भिन्न-भिन्न श्रेणियों में रखा ही नहीं जा सकता। जर्मनी के रौबर्ट हार्टमैन (Robert Hartmann) का कहना था कि 'सिमिड' तथा 'होमिनिड' में इतनी समानता है कि इनके लिए एक ही नाम रखा जाना चाहिए और इन दोनों के लिए उसने 'प्राइमेरी' (Primariae) —यह नाम प्रस्तावित भी किया। वाइल्डर (H H Wilder) ने अपनी पुस्तक में 'सिमिड' शब्द को विल्कुल हटा कर मनुष्य, चिपाक्षी, गोरिल्ला तथा ओरगटाग के लिए सिर्फ 'होमिनिड' शब्द का ही प्रयोग किया। यह सब-कुछ लिखने का हमारा अभिप्राय इतना ही है कि विकासवादी लोग मनुष्य, गोरिल्ला, चिपाक्षी तथा ओरगटाग में इतनी समानता देखते हैं कि वे इनका अलग-अलग वर्गीकरण करना ठीक नहीं समझते। वे गोरिल्ला, चिपाक्षी आदि का वर्गीकरण बन्दर के साथ न करके मनुष्य के साथ करते हैं।

विकासवादियों का प्राणीमात्र में एकता देखने का यह विचार भारतीय विचारकों के दृष्टिकोण के बहुत निकट है। यहाँ का विचार संसार में भिन्नता की जगह एकता को देखता रहा है। वेदान्त का कहना तो यह है कि संसार में भिन्नता ही नहीं—एकता से ही भिन्नता का सूत्रपात हुआ है। 'शुनि चैव श्वपाके च पडिता समर्दाशिन'—यह गीता का वचन है। भेद उपाधि द्वारा पैदा हुआ है—अन्दर का सूत्र सब जगह एक है। जीवन की एकता का दर्शन करते-करते श्री जगदीश चन्द्र



वसु ने तो वनस्पतियों तथा प्राणियों के भेद को भी मिटा दिया था । यह ठीक है कि भारतीय दृष्टिकोण में शारीरिक एकता पर उतना बल नहीं दिया गया जितना आध्यात्मिक एकता पर दिया गया है, परन्तु जहाँ तक मनुष्य की निम्न-प्राणियों के साथ अभिन्नता का सबध है वहाँ तक भारतीय विचारक तथा विकासवादी एक ही धरातल पर खड़े हैं ।


‘मनुष्य’ तथा ‘एन्थ्रोपोयड-एप’ (ओरगटाग, चिपांशी, गोरिल्ला) की शारीरिक समानता का अगर विश्लेषण किया जाय, तो उनमें मोटे तौर पर दीखने वाली विषमता में भी समानता पायी जाती है—यह विकासवादियों का दावा है । इसके वे निम्न प्रमाण देते हैं —

(क) ओरगटाग के गले में हवा की बड़ी थैलियाँ (Sacs) होती हैं । ये थैलियाँ मनुष्य के गले में नहीं होतीं, परन्तु इनकी जगह मनुष्य के गले में बड़ी थैलियों के स्थान में छोटे छिद्र (Sinuses) होते हैं । ओरगटाग की इन ‘थैलियों’ (Sacs) की मनुष्य के गले के ‘छिद्रों’ (Sinuses) से समानता है । इस दृष्टि से ओरगटाग की बन्दर के स्थान में मनुष्य के साथ ज्यादा समानता है और इसलिए विकासवादी ओरगटाग आदि को बन्दर की श्रेणी में गिनने के स्थान में मनुष्य की श्रेणी में गिनते हैं ।

(ख) चिपांशी, गोरिल्ला या ओरगटाग के बालों को देख कर भी कई लोग कह उठेंगे कि इनके बालों की दृष्टि से इन्हें बन्दर की श्रेणी में रखना चाहिए, मनुष्य की श्रेणी में नहीं, परन्तु बालों का भी गहराई से विश्लेषण करने पर विकासवादी इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि ये ‘एन्थ्रोपोयड-एप’ मनुष्य की श्रेणी के हैं, बन्दर की श्रेणी के नहीं । प्रो० शुल्त्ज़ (Schultz) ने बन्दरों तथा चिपांशी, गोरिल्ला, ओरगटाग की छाती तथा पीठ के बालों की तुलनात्मक गणना की जिससे वे इस परिणाम पर पहुँचे कि बन्दरों की अपेक्षा चिपांशी आदि ‘एन्थ्रोपोयड एप्स’ को बालों-रहित कहा जा सकता है । प्रो० शुल्त्ज़ का कथन है कि ‘प्राथमिक-वर्ग’ (Primates) में मनुष्य सबसे कम बालों वाला प्राणी है । इस दृष्टि से ‘एन्थ्रोपोयड-एप’ बन्दर की अपेक्षा मनुष्य के अधिक समीप है क्योंकि बन्दर की अपेक्षा उसके शरीर पर बाल बहुत कम होते हैं ।

#### ५ ‘मनुष्य’ तथा ‘एन्थ्रोपोयड-एप’ में समानता

हमने अभी देखा कि विकासवादी ‘एन्थ्रोपोयड-एप’ (गोरिल्ला, चिपांशी, ओरगटाग) की बन्दर से इतनी समता नहीं पाते जितनी मनुष्य से पाते हैं और इसीलिए वे मनुष्य का विकास ‘एन्थ्रोपोयड-एप’ से मानते हैं । ‘मनुष्य’ तथा ‘एन्थ्रोपोयड-एप’ में जो विषमता दीखती है उसमें विकासवादी समानता का सूत्र किस प्रकार ढूँढ निकालते हैं—इसका जिक्र हमने अभी किया । इस ऊपर से दीखने वाली विषमता के अलावा ‘मनुष्य’ तथा ‘एन्थ्रोपोयड-एप’ में जो समानता है उस पर ध्यान देने से तो इस बात में कोई सन्देह ही नहीं रह जाता कि मनुष्य का विकास ‘एन्थ्रोपोयड-एप’ से हुआ है । ये समानताएँ निम्न हैं :—



श्रीरंग-दास चिपाक्षी गोरिल्ला मनुष्य

रेखाएँ दी हैं उनसे स्पष्ट होता है कि इन प्राणियों के हाथ एक-दूसरे से कितने लम्बे-छोटे हैं। ये चारों खड़े हो, तो उनकी एक-दूसरे से क्या तुलना होगी—यह भी इस चित्र से स्पष्ट होता है। रेखाकार आकार इनके आकार की तुलना का द्योतक है।

(क) 'एन्थ्रोपोयड-एप' की पूँछ नहीं है—यह उसकी मनुष्य के साथ सबसे बड़ी समानता है। यह पूँछ गर्भावस्था में तो पायी जाती है, बाद को नहीं। यह बात भी सिद्ध करती है कि 'एन्थ्रोपोयड-एप' की वन्दर के साथ इतनी निकटता नहीं है जितनी मनुष्य के साथ है क्योंकि वन्दर के तो पूँछ होती है।

(ख) 'एन्थ्रोपोयड-एप' का गर्भाशय मानव-गर्भाशय से मिलता-जुलता है। चिपाक्षी-स्त्री का मासिक-धर्म का चक्र ठीक मानव की तरह का होता है, भेद इतना है कि जहाँ मानव में मासिक-धर्म का चक्र चार दिन का है वहाँ चिपाक्षी-स्त्री में यह चक्र पाँच दिन का है। चिपाक्षी का गर्भ-काल ८ मास का है, मानव का ९ मास का।

(ग) जीवन-काल भी लगभग दोनों का लगभग समान है।

(घ) जिन जीवों की रुधिर में समानता नहीं होती, उन्हें एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, परन्तु चिपाक्षी का रुधिर वन्दर की अपेक्षा मनुष्य के रुधिर के अधिक निकट है, यहाँ तक कि चिपाक्षी तथा मनुष्य के रुधिर में भेद कर सकना ही कठिन है जबकि वन्दर तथा चिपाक्षी के रुधिर में बड़ी आसानी से भेद किया जा सकता है।

(ङ) चिपाक्षी तथा मनुष्य दोनों को एक ही प्रकार के रोग हो सकते हैं, और चिपाक्षी से मनुष्य को और मनुष्य से चिपाक्षी को वही रोग आ-जा सकते हैं। सिफिलिस, टायफाइड, कौलरा, डिसेंट्री आदि सब रोग इन दोनों को एक-समान होते हैं।

६ कौन-से 'एन्थ्रोपोयड-एप' से मानव का विकास हुआ ?

आम तौर पर लोग कहा करते हैं कि विकासवादी वन्दर से मनुष्य का विकास मानते हैं। जैसा हम पहले कह आये हैं, यह बात नहीं है। विकासवादी वन्दर से नहीं, परन्तु 'एन्थ्रोपोयड-एप' से मनुष्य का विकास मानते हैं। उनका कहना है कि वन्दर तथा 'एन्थ्रोपोयड-एप' में इतनी समानता नहीं, जितनी 'एन्थ्रोपोयड-एप' तथा मनुष्य में है। 'एन्थ्रोपोयड-एप' में वे चिपाक्षी, गोरिल्ला तथा ओरगटाग—इन तीन को गिनते हैं। ये तीनों पुच्छ-विहीन प्राणी हैं। परन्तु यह समझना भी भूल है कि विकासवादी सीधा इन 'एन्थ्रोपोयड-एप' से मनुष्य का उत्पन्न होना मानते हैं। चिपाक्षी, गोरिल्ला, ओरगटाग—ये तो चार पाओं से चलते हैं, ये भाषा का प्रयोग नहीं करते, इनके मस्तिष्क की खोपड़ी मनुष्य से बहुत छोटी है, इनमें ऐसा कोई लक्षण नहीं पाया जाता जिससे कहा जा सके कि सीधा चिपाक्षी से, या गोरिल्ला से, या ओरगटाग से विकसित हो मनुष्य गया। विकासवादियों का कहना है कि इस श्रेणी के किसी अन्य प्राणी से मनुष्य का विकास हुआ। वह प्राणी कौन-सा था, कहाँ हुआ था, उसकी शारीरिक-रचना क्या थी—यह सब-कुछ विकासवादियों के लिए अबतक एक समस्या बना हुआ है। चिपाक्षी आदि को देख कर उन्हें यह तो निश्चय है कि ऐसा कोई प्राणी

इसी वर्ग का, इसी श्रेणी का हुआ होगा जिससे विकसित होते-होते मनुष्य बना। परन्तु उसका रूप क्या था, उसका अगर कहीं 'प्रस्तरित अस्थि-पंजर' (Fossil) है, तो कहाँ है, वह कैसा अस्थि-पंजर है—इस सब की विकासवादी ढूँढ मचाया करते हैं। अब तक उन्हें वह अस्थि-पंजर नहीं मिला। जो-कोई पुराना अस्थि-पंजर मिलता है, उसी को वे इस दृष्टि से देखने लगते हैं कि यही तो कहीं वह खोया हुआ प्रस्तरित अस्थि-पंजर नहीं जिससे मानव का विकास हुआ। क्योंकि हमारे पूर्वज का वह काल्पनिक अस्थि-पंजर अभी तक हमें नहीं मिला इसलिए मनुष्य के उस पूर्वज की ढूँढ लगन से ढूँढ चला करती है और उसे विकासवाद की परिभाषा में विकास की 'लुप्त-कड़ी' (Missing link) का नाम दिया जाता है।

इस लुप्त-कड़ी को ढूँढते-ढूँढते पुरातन-मानव के अनेक प्रस्तरित-अवशेष उपलब्ध हुए हैं। ये सब प्रस्तरित-अवशेष वर्तमान-मानव के पूर्वज होने का दावा करते हैं। आइये, हम इन प्रस्तरित-अवशेषों का अध्ययन करें और देखें कि हमारा पूर्वज होने का इनमें से किस का दावा सबसे ज़बरदस्त है। वर्तमान-मानव के अग्रगामी जिन प्रस्तरित अवशेषों का हम यहाँ अध्ययन करेंगे, उनमें से कुछ आफ्रीका में मिले हैं, कुछ एशिया में मिले हैं, कुछ यूरोप में मिले हैं। जो प्रस्तरित-अवशेष जहाँ-जहाँ मिले हैं उनका व्यौरा, जैसा हम पहले दे आये हैं, निम्न है—

आफ्रीका में मिले प्रस्तरित-अवशेष

- (१) आफ्रीकन मानव-वानर या टाग्स-एफ
- (२) टेलैन्थ्रोपस केपेनसिस
- (३) रोडेशियन-मानव
- (४) वोस्कोप-मानव

एशिया में मिले प्रस्तरित-अवशेष

- (५) जावा का मानव
- (६) मोडजोकरटेनसिस-मानव
- (७) चीनी-मानव
- (८) वादजक-मानव
- (९) सोलो-मानव

यूरोप में मिले प्रस्तरित-अवशेष


- (१०) डाउसन-मानव या उष मानव
- (११) स्वानकोम्ब्रे-मानव
- (१२) हीडलवर्ग-मानव
- (१३) नियेन्डरथल-मानव
- (१४) मेघादी-मानव या होमे सेपियन्स
- (१५) ग्रिमाल्डी-मानव
- (१६) क्रो-मैग्नन मानव

अब हम इन सब प्रस्तारित-मानवों का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। इनमें से कौन वर्तमान-मानव का पूर्वज है—यह नहीं कहा जा सकता। दावा इनमें से हरेक का है, परन्तु इन दावों के बावजूद आज भी विकासवाद की पुस्तकों के पन्नों में लुप्त-कड़ी के सम्बन्ध में प्रश्नसूचक चिह्न जैसे-का-तैमा बना हुआ है।

### ७ आस्ट्रैलोपिथिकस-आफ्रीकेनस (आफ्रीकन मानव-वानर)

१९२४ में आफ्रीका में बेचुआना लैंड के टांग्स नामक स्थान पर एक गुफा में एक बाल-प्राणी की खोपड़ी पायी गई। टांग्स में पाये जाने के कारण इसे 'टांग्स-एप' भी कहते हैं। इसकी मनुष्य की खोपड़ी से इतनी समानता थी कि विकासवादियों का ध्यान बरबस इसकी तरफ आकृष्ट हुआ। इस खोपड़ी को जीन्सवर्ग की विलवाटरस्ट्रेड यूनीवर्सिटी के प्रो० रैमण्ड डार्ट (Raymond Dart) ने साफ कराया और इसका नाम 'आस्ट्रैलोपिथिकस आफ्रीकेनस'—अर्थात् आफ्रीकन मानव-वानर रखा। यह खोपड़ी एक ऐसे बाल-प्राणी की थी जिसके दाँत निकल रहे हों, लगभग छ वर्ष के बालक के जैसे दाँत होते हैं उस तरह के इसके दाँत थे। इस प्राणी के बचपन के दूध के दाँत इस खोपड़ी में जैसे-के-तैसे पाये गये। इसकी खोपड़ी चिपाक्षी की खोपड़ी-जैसी थी, भेद इतना था कि सामने के दाँत चिपाक्षी के घाँतों से बहुत छोटे थे, ठोड़ी अच्छी विकसित थी, माया भरा हुआ था, मस्तिष्क चिपाक्षी के मस्तिष्क से बड़ा था, और अबतक जितने 'एन्थ्रोपोयड-एप' मिले थे उन सब की अपेक्षा इसका मस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क से अधिक मिलता-जुलता था। दाँत भी 'एन्थ्रोपोयड-एप' की अपेक्षा मनुष्य के दाँतों से मेल खाते थे। प्रो० डार्ट इस प्रस्तारित-कपाल (Fossilized skull) से इतने प्रभावित हुए

कि यद्यपि इसे उन्होंने 'वानर' (Pithecus) की अस्थि कहा, और इसका नाम 'आस्ट्रैलोपिथिकस आफ्रीकेनस' रखा, तो भी उनका कथन था कि यह खोपड़ी अब तक की पायी गई सब खोपड़ियों की अपेक्षा मनुष्य से बहुत अधिक मेल खाती थी। प्रो० डार्ट का तो यह भी विश्वास था कि यह प्राणी मनुष्य की तरह खड़ा



होकर चलता होगा, यद्यपि इस खोपड़ी में ऐसी-कुछ बात नहीं थी जिससे यह सिद्ध हो कि वास्तव में ही यह प्राणी खड़ा होकर चलता था। अबतक 'एन्थ्रोपोयड-एप्स' की जितनी भी प्रस्तारित अस्थियाँ मिली हैं, उन सब में यह अस्थि मनुष्य से सबसे अधिक मिलती है, इसलिए इस अस्थि का प्राणी मनुष्य के अधिकतम निकट होगा—ऐसा विश्वास किया जाता है। इस सब का यह अर्थ नहीं है कि

इसी प्राणी से मानव का विकास हुआ होगा, या यही मनुष्य के विकास की शृंखला की लुप्त-कड़ी है। यह संभव है कि मनुष्य का तथा इस प्राणी का सम-विकास हुआ हो, दोनों का स्वतंत्र विकास हुआ हो, या इन दोनों का आपस में कोई संबंध न हो। सर आर्थर कीथ (Arthur Keith) का कथन है कि हम मनुष्य के पूर्वज के विषय में जो भी चित्र खींच सकते हैं यह 'आस्ट्रेलोलिथिकस' उस काल्पनिक चित्र से बहुत-कुछ मिलता-जुलता है। इससे अधिक इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। जिन स्तरों में यह कपाल पाया गया है उनकी आयु से अनुमान लगाया जाता है कि यह प्राणी 'प्राति-नूतन-युग' (Pleistocene period) में रहा होगा और इस युग के समाप्त होने से पहले ही पृथ्वी से लुप्त हो गया होगा।

अभी हम जिस 'आस्ट्रेलोलिथिकस-आफ्रीकेनस' (आफ्रीका के मानव-वानर) के प्रस्तरित-कपाल का जिक्र कर रहे हैं वह बच्चे का कपाल है, इसलिये विद्वानों में इस बात पर मतभेद है कि यह प्राणी बड़ा होकर भी मनुष्य से उतना ही मेल खाता या नहीं जितना बचपन की हालत में इसका मनुष्य से साम्य है। डा० रॉबर्ट ब्रूम (Robert Broom) को १९३८ में ट्रांसवाल (आफ्रीका) के स्टर्क-फौन्टीन स्थान पर कुछ ऐसी अस्थियाँ मिलीं जो बच्चे की न होकर पूर्ण युवा की थीं। ये अस्थियाँ उसी प्राणी की थीं जिसके कपाल का वर्णन हम अभी कर आये हैं, भेद इतना था कि पहले बच्चे की अस्थियाँ मिली थीं, अब युवा की अस्थियाँ मिल गईं। इस स्थान पर डा० ब्रूम को दो प्रकार की अस्थियाँ मिलीं। इन में से एक का नाम उसने 'प्लैसीएन्थ्रोपस' (Plesianthropus) तथा दूसरी का नाम 'पैरेन्थ्रोपस रोबस्टस' (Paranthropus robustus) रखा। इन दोनों अस्थियों में दाँत मनुष्य से इतने अधिक मिलते-जुलते थे जितने अन्य किसी 'एन्थ्रोपायड-एफ' के नहीं मिलते थे। इनके कौल-दाँत इतने छोटे थे कि इन दाँतों से वे किसी पर आक्रमण नहीं कर सकते थे। इन कौल-दाँतों के छोटेपन से डा० ब्रूम ने तो यहाँ तक परिणाम निकाला कि ये प्राणी पैरो के बल सीधा खड़ा होकर चलते थे, और छड़ी तथा पत्थर का शस्त्रों के रूप में प्रयोग भी करते थे।

### ८ टेलैन्थ्रोपस केपेनसिस (आफ्रीका मानव-वानर)

आफ्रीका में जिस प्रकार के वानर की अस्थियाँ मिलीं, उससे विद्वानों में यह चर्चा चल पड़ी कि पहले-पहल आफ्रीका में ही मानव का विकास हुआ होगा। परन्तु सिर्फ 'आस्ट्रेलोलिथिकस आफ्रीकेनस' की अस्थियों से यह परिणाम कुछ कच्चा-सा माना जाता रहा। जो विद्वान् आफ्रीका को मानव का उद्भव स्थान समझते थे, उन्हें अभी कुछ अन्य प्रमाणों की आवश्यकता थी, 'आस्ट्रेलोलिथिकस' के अतिरिक्त वे किन्हीं अन्य अस्थियों की तलाश में थे जिससे यह सिद्ध हो कि मानव के विकास का यह सिलसिला 'आस्ट्रेलोलिथिकस' तक ही समाप्त नहीं हो गया, आगे भी बढ़ा। १९३२ में डा० लीके (Leakey) ने केनिया के कनाम तथा कन-


जेरा स्थानों में कुछ अस्थियाँ खोज निकालीं, प्रो० रेक (Reck) ने टागानीका में १९१४ में कुछ अस्थियाँ खोजीं, परन्तु विद्वानों ने इन अस्थियों को वह महत्व नहीं दिया जिससे आफ्रीका का प्रदेश आदि-मानव के विकास का प्रथम-स्थल माना जाता। १९५२ में डा० ब्रूम, डा० डार्ट तथा श्री रोबिनसन (Dr Broom, Dr Dart, Mr Robinson) को जाँहन्सवर्ग के निकट स्वातंकांस स्थान में एक गुफा मिली जिसमें अनेक प्रस्तारित अस्थियाँ पायी गईं। इन अस्थियों की खोज से आफ्रीका में आदि-मानव के प्रथम-विकास के मत को बहुत बल मिला। स्वातंकांस में 'आस्ट्रेलोपिथिकस' की, जिसका हम अभी वर्णन कर आये हैं, अनेक अस्थियाँ मिलीं। इन अस्थियों में एक अस्थि ऐसी थी जो 'आस्ट्रेलोपिथिकस' की तो नहीं थी, परन्तु उससे भिन्न होती हुई भी उससे मिलती-जुलती थी। इसका नाम 'टेलान्थ्रोपस केपेनसिस' (Telanthropus capensis) रखा गया। यह अस्थि 'आस्ट्रेलोपिथिकस' तथा 'मनुष्य'—इन दोनों के बीच के किसी जानवर की थी। डा० डार्ट ने नवम्बर १९५३ में यह घोषणा की कि उन्हें इस प्राणी की युवा-अस्थियाँ भी मिल गई हैं। जो-कुछ हो, इन अस्थियों के मिलने से उन विद्वानों को बहुत बल मिला जो मानव का उद्भव-स्थान आफ्रीका प्रदेश को मानते हैं।

### ९ पियेकैन्थ्रोपस इरैक्टस (जावा-मानव)

१८६८ में डार्विन के समर्थक जर्मन-विद्वान् हेकेल (Haeckel) ने एक ऐसे प्राणी का काल्पनिक वर्णन किया, जो न मनुष्य था न चिपाही, न गोरिल्ला, न ओरगटाग था, जो 'मनुष्य' और 'एन्थ्रोपोयड-एप' के बीच का था, जिसे लुप्त-कडी का नाम दिया जा सकता था। इस काल्पनिक प्राणी का नाम हेकेल ने 'पियेकैन्थ्रोपस एलालस' रखा। इस शब्द का अर्थ था—'वाणी-रहित बानर का-सा मनुष्य'।

१८८९ में हालेण्ड के डा० यूजीन ड्युबोय (Eugene Dubois)

ने एमस्टर्डम विश्वविद्यालय में शरीर-रचना-शास्त्र के अध्यापक होने के स्थान में डच ईस्ट-इण्डोय में सैनिक-सर्जन का काम इसलिए पसन्द किया क्योंकि वहाँ जाने से उसे अन्वेषण-कार्य में मदद मिलेगी। उसकी मनुष्य के विकास को जानने में इतनी रुचि थी कि उसने बहुत पहले ही घोषणा कर दी कि वह विकास की 'लुप्त - कडी'



पियेकैन्थ्रोपस इरैक्टस-मानव की खोपड़ी

(Missing link) को जिससे मनुष्य का विकास हुआ, ढूँढ निकालेगा। १८९४ में उसने घोषणा की कि उसे मनुष्य के विकास की 'लुप्त-कड़ी' मिल गई है। अपने कथन की पुष्टि में उसने जावा में पाये गये एक प्रस्तारित अस्थि-पजर का वर्णन किया जिसका नाम हेकेल के काल्पनिक 'लुप्त-कड़ी' के प्राणी 'पियेकेन्थ्रोपस' के नाम पर उसने भी 'पियेकेन्थ्रोपस' रखा। भेद इतना था कि हेकेल का प्राणी काल्पनिक था, डुबोय का प्राणी वास्तविक था। डुबोय ने इस प्राणी के साथ 'इरेक्टस'-शब्द और बढ़ाया, यह इसलिए बढ़ाया क्योंकि डुबोय का कहना था कि यह प्राणी जिसका उसने अनुसंधान किया था दो पाँओं पर खड़ा होकर चल सकता था। ये अस्थियाँ उसे सेण्ट्रल जावा के ट्रिनिल प्रदेश में मिलीं। जिस स्तर में ये अस्थियाँ प्राप्त हुईं वह 'प्राति-नूतन-युग' (Pleistocene period) का था। अनुसंधान-कर्ताओं ने 'पियेकेन्थ्रोपस इरेक्टस' का काल ८,००,००० से ५,००,००० साल निर्धारित किया है। शुरु-शुरु में डा० डुबोय को ट्रिनिल में इस प्राणी की एक जघास्थि, दो दाँत और एक कपालास्थि मिली। इससे पहले उसे इस प्राणी के जवड़े की हड्डी भी मिली थी। इन सब अस्थियों का १९ विद्वानों ने परिशोध किया, इन पर अपनी राय बनायी और जाहिर की। ५ ने इन अस्थियों को मानवाकार वानर का, ७ ने मानव का, और बाकी ७ ने मानव तथा वानर के बीच का घोषित किया। कइयो का कहना था कि यह मानव बोल सकता था, कइयों का कहना था कि नहीं बोल सकता था। डा० डुबोय इन अस्थियों को अपने घर ले गये, २० वर्ष तक उन्होंने इन्हें बन्द रखा। अन्त में उन्होंने वैज्ञानिकों के सम्मुख ५ जघास्थियाँ पेश कीं जिन्हें वे न-जाने क्यों अब तक छिपाये हुए थे।

डा० डुबोय ने जिस प्राणी का अनुसंधान किया—'पियेकेन्थ्रोपस इरेक्टस'—उसके कपाल के विषय में विद्वानों का मत है कि उसके कपाल का अन्दर का खोल गोरिल्ला के कपाल के खोल से ५० प्रतिशत और चिपाक्षी के कपाल के खोल से दुगुना है। इससे स्पष्ट है कि यह प्राणी 'एन्थ्रोपोयड-एप' से बहुत अधिक विकसित होगा। खोपड़ी के खोल में अन्दर के मस्तिष्क से जो लकीरें पड जाती हैं उनसे मस्तिष्क के विषय में कुछ परिणाम निकाले जाते हैं। इन परिणामों के आधार पर भी विद्वानों का कहना है कि यह प्राणी 'एन्थ्रोपोयड-एप' के इतना निकट नहीं रहा होगा जितना मनुष्य के निकट रहा होगा। प्रो० इलियट स्मिथ (Elliot Smith) तथा प्रो० फ्रेडरिक टिलनी (Frederic Tilney) ने स्वतन्त्र रूप से इस प्राणी के कपाल का अध्ययन करके इसकी मानसिक-शक्ति पर अपने-अपने विचार प्रकट किये। दोनों विद्वानों का कहना है कि इसके कपाल के अग्र-भाग तथा पाश्चिम-भाग में ऐसे उभार दिखाई देते हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि 'पियेकेन्थ्रोपस इरेक्टस' ऐसा प्राणी रहा होगा जो वाणी का प्रयोग करता होगा, और जिसमें अपनी सस्कृति को विरासत के तौर पर सुरक्षित रखने का भी सामर्थ्य होगा, ऐसा सामर्थ्य जो 'एन्थ्रोपोयड-एप' में नहीं पाया जा सकता।






कपाल के अतिरिक्त इम प्राणी के दाँतो की भी मनुष्य के दाँतो से समानता है। ट्रिनिड प्रवेश में 'प्राति-नूतन-काल' (Pleistocene period) के दाढ़ के कई दाँत पाये गये हैं। इन दाँतो के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ये उस काल के औरगटाग के दाँत हैं, परन्तु इसी काल के दाँतों में वायें जबड़े के नीचे के हिस्से की तीसरी दाढ़ मिली है जो विल्कुल मानवीय दाढ़ से मिलती-जुलती है, उसका चिपाक्षी, गोरिल्ला या औरगटाग की दाढ़ से कोई मेल नहीं। विद्वानो का कहना है कि यह दाढ़ 'पियेकैन्थ्रोपस इरेक्टस' की ही हो सकती है, और-किसी प्राणी की नहीं। इस दाढ़ से भी इस प्राणी का मनुष्य के साथ साम्य स्पष्ट सिद्ध होता है।

जैसे कई विद्वान् आफ्रीका में मानव-सदृश अस्थियों के मिलने से उस प्रवेश को आदि-मानव के विकास का प्रथम-स्थल मानते हैं, वैसे डुवोय तथा उस सदृश अन्य विद्वान् एशिया के जावा आदि प्रदेशों में 'पियेकैन्थ्रोपस इरेक्टस' की अस्थियो के पाये जाने के कारण एशिया को आदि-मानव के विकास की भूमि मानते हैं, क्योंकि इन सब का कहना है कि जहाँ मानव के विकास की 'लुप्त-कडी' मिलेगी, वहीं आदि-मानव का पहले-पहल विकास हुआ होगा।

### १० मोडजोकरटेनसिस-मानव या पियेकैन्थ्रोपस-द्वितीय

फरवरी १९३६ में डा०

कोयनिगस्वाल्ड (Koenigswald) को पूर्वोक्त जावा के मोडजोकरटेन स्थान में एक मानवीय शिशु की खोपडी मिली। जिस स्तर में यह खोपडी पायी गई वह 'पियेकैन्थ्रोपस इरेक्टस' से भी पहले का



ऊपर गोरिल्ला की खोपडी  
बीच में पियेकैन्थ्रोपस की खोपडी  
नीचे . होमो सेपियन्स की खोपडी

स्तर है। अगर यह बात ठीक है, तो डा० कोर्यनिंगस्वाल्ड की खोज डा० डुबोय की खोज से भी आगे निकल जाती है, और 'पियेकैन्थ्रोपस इरेक्टस' से भी बहुत पहले हमें ऐसे प्राणी के प्रस्तारित-अवशेष प्राप्त हो जाते हैं, जो 'एन्थ्रोपोयड-एफ' से मिलता-जुलता न होकर मनुष्य से मिलता-जुलता था। शिशु-प्राणी की खोज को मोडजोकर्टों में पाये जाने के कारण 'मोडजोकरटेनसिस-मानव' तथा 'पियेकैन्थ्रोपस' के मुकाबिले में उसके बाद पाये जाने के कारण 'पियेकैन्थ्रोपस-द्वितीय' का नाम दिया जाता है। यह तो स्पष्ट है कि अगर डुबोय के 'पियेकैन्थ्रोपस' को हम 'लुप्त-कडी' समझते हैं, तो डा० कोर्यनिंगस्वाल्ड की इस खोज को इस श्रृंखला में ही एक दूसरी 'लुप्त-कडी' समझना होगा।

### ११. सिनेन्थ्रोपस (चीनी-मानव या पेकिंग-मैन)

जैसा हम पहले कह आये हैं, अनेक पुरातन-वेत्ता एशिया को मानव के विकास का प्रथम-उद्भव स्थान मानते हैं। उनमें प्रो० औसबर्न (Osburn) मुख्य हैं। इस मत के पक्ष में डा० डुबोय तथा कोर्यनिंगस्वाल्ड के खोजे हुए दो प्रस्तारित अस्थि-अवशेषों का वर्णन हम अभी कर आये हैं। इसी सिलसिले में एक और प्राणी की अस्थियाँ १९२६ तथा १९२७ में पेकिंग के दक्षिण-पश्चिमी प्रदेश में वहाँ से ३७ मील दूर चाउकाउटीन स्थान पर प्राप्त हुईं। इनमें नीचे के जबड़े की एक दाढ़ थी। इस दाढ़ का अध्ययन करके पेकिंग-यूनियन-मैडिकल-कालेज के कॅनेडियन प्रोफेसर डेविडसन ब्लैक (Davidson Black) ने यह खोज की कि यह दाढ़ 'प्राति-नूतन-युग' (Pleistocene period) के आदि-काल की है, और 'एन्थ्रोपोयड-एफ' की न होकर मानव-जाति के किसी प्राणी की है। केवल एक दाँत के आधार पर इस प्रकार की स्थापना कर डालना एक साहस का कार्य था, परन्तु प्रो० ब्लैक ने कहा कि इस प्रकार की दाढ़ मानव से मिलते-जुलते किसी प्राणी के अतिरिक्त किसी और की हो ही नहीं सकती। इस प्राणी का नाम उन्होंने 'चीनी-मानव' या 'पेकिंग-मानव' रखा क्योंकि यह चीन में, या पेकिंग में मिली थी। डा० ब्लैक ने तो एक दाँत के आधार पर एक विशाल स्थापना कर डाली थी, परन्तु सौभाग्यवश १९२९ से १९३७ के बीच उक्त चाउकाउटीन स्थान से लगभग ४० अस्थि-पजर मिले जिनमें १४ कपाल थे। ये सब अस्थियाँ मानव-सदृश थीं। इन अस्थियों की 'पियेकैन्थ्रोपस इरेक्टस' से, जो जावा में मिला था और जिसका वर्णन हम पहले कर आये हैं, इतनी समानता थी कि विद्वानों ने इन अस्थियों के प्राणी को 'पियेकैन्थ्रोपस पेकिनेनसिस' अर्थात् पेकिंग का पियेकैन्थ्रोपस—यह नाम दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि एशिया में दो मानव-प्रस्तारित-अस्थियों की खोज हुई। एक तो जावा में, दूसरी पेकिंग में। ये दोनों एक-से तो थे, परन्तु पेकिंग-मानव जावा-मानव से विकास में कुछ आगे बढ़ा-चढ़ा था। पेकिंग-मानव का माया जावा-मानव से ज्यादा उभरा हुआ तथा मस्तिष्क ज्यादा बड़ा था, मस्तिष्क में वाणी का क्षेत्र ज्यादा विकसित था, पेकिंग-मानव मनोभावों को भी जावा-मानव से अधिक स्पष्ट तौर


पर व्यक्त कर सकता था। पेकिंग-मानव के कपाल में १,००० से १,२०० घन सेन्टीमीटर का स्थान था, जो लगभग वर्तमान-मानव के आस-पास आ पहुँचता है। चाउकाउटीन नाम की गुफा में पाये गये पेकिंग-मानव की प्रस्तरित अस्थियों के आस-पास जो हड्डियाँ विखरी पडी मिलीं उनमें मिश्र होता है कि वह मानव हरिण का शिकार करता था, आग का प्रयोग जानता था, पत्थर आदि के उपकरणों के इस्तेमाल से भी परिचित था।

### १२ इओन्थ्रोपस डाउसनार्ई (पिल्टडाउन या डाउसन-मानव)


अभी तक हमने पहले आफ्रीका में पाये गये और फिर एशिया में पाये गये मानव से मिलते-जुलते प्रस्तरित अस्थि-पजरो के विषय में लिखा। जैसे आफ्रीका तथा एशिया में प्राचीन-मानव की प्रस्तरित-अस्थियाँ मिली हैं, वैसे योरोप में भी मिली हैं। अब हम योरोप में मिली प्रस्तरित-अस्थियों के विषय में चर्चा करेंगे।

१९११-१२ में इंग्लैण्ड के सस्सेक्स प्रदेश के पिल्टडाउन स्थान पर चार्ल्स डाउसन (Charles Dawson) को प्राचीन-मानव के कुछ प्रस्तरित अस्थि-अवशेष मिले। क्योंकि पिल्टडाउन स्थान पर ये अस्थियाँ प्राप्त हुई थीं इसलिए इन अस्थियों के प्राणी को 'पिल्टडाउन-मानव' का नाम या गया, क्योंकि डाउसन ने इनका पता लगाया था इसलिए इसे 'डाउसन-मानव' भी कहा गया, क्योंकि मनुष्य के उष काल अर्थात् प्रारम्भ-काल की ये अस्थियाँ हैं इसलिए इस मानव को 'इओन्थ्रोपस' अर्थात् 'उष मानव' का नाम भी दिया गया।

पिल्टडाउन-मानव की दो प्रकार की अस्थियाँ पायी गईं। एक तो उसकी कपाल की अस्थियाँ थीं, दूसरी नीचे के दाँयें जबड़े का एक टुकड़ा था जिसमें



पिल्टडाउन-मानव की खोपड़ी



होमो-मेपियन-मानव की खोपड़ी

दो दाँयें थीं। कपाल की अस्थि तो बिल्कुल आज के मनुष्य की कपाल की अस्थि से मिलती थी, भेद इतना ही था कि वे मनुष्य की कपाल की अस्थियों से ज्यादा मोटी थीं, परन्तु जबड़े की अस्थियाँ और दाँत चिपाक्षी से मेल खाते थे। कपाल

तथा जबड़े की अस्थियों के बेमेलपन को देख कर यहअ नुमान लगाया जा सकता था कि कपाल की अस्थियाँ किसी और प्राणी की थीं, जबड़े की किसी और की, परन्तु दोनों अस्थियाँ इतनी आस-पास पायी गईं, उनका प्रस्तररीकरण भी इतना एक-सा था कि ब्रिटिश म्यूजियम के डा० वुडवार्ड (Woodward) ने यही परिणाम निकाला कि कपाल तथा जबड़े की अस्थियाँ भिन्न-भिन्न प्राणियों की न होकर किसी एक ही प्राणी की थीं। इस प्राणी का नाम श्री वुडवार्ड ने 'उष-मानव' (Dawn man) रखा। कई विकासवादियों का कहना है कि विकास की प्रक्रिया में से गुजरते हुए हो सकता है कुछ अर्गों का विकास मनुष्य-सम हो गया हो, और कुछ का विकास पहले के-से प्राणी का रहा हो। इसी कारण इस पिल्टडाउन-मानव का कपाल मनुष्य का-सा और जबड़े चिंपाञ्जी के-से हैं। इस प्रकार के विकास को विकासवाद की परिभाषा में 'असमीकृत-विकास' (Asymmetrical evolution) कहते हैं।

'पिल्टडाउन-मानव' के काल के सम्बन्ध में अन्वेषको का कथन है कि यह जिन स्तरों में पाया जाता है, वे 'प्राति-नूतन-युग' (Pleistocene period) के शुरू-शुरू के समय के हैं।

'पिल्टडाउन-मानव' की यथार्थता के सबध में विद्वानों में मतभेद है। अमरीका तथा युरोप के अनेक विद्वान् इस मानव के कपाल तथा जबड़े के बेमेलपन को देख कर इस मानव के अस्तित्व में सन्देह प्रकट करते हैं, ब्रिटेन के शरीर-रचना-शास्त्री बहुत-कुछ अपने देश में पाये जाने के कारण इस मानव की यथार्थता में विश्वास प्रकट करते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इस मानव के कपाल तथा जबड़े की अस्थियाँ इतनी निकट पायी गईं हैं और इनके काल की इतनी निकटता है कि उनका एक ही प्राणी का होना असंगत प्रतीत नहीं होता, परन्तु साथ ही इन अस्थियों के कपाल तथा जबड़े में इतना बेमेलपना है कि ये एक ही प्राणी के हैं—इसमें भी सन्देह उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है।

'पिल्टडाउन-मानव' के अवशेष उपलब्ध होने पर मानव के उद्भव स्थान के सबध में पहले जो विचार थे, उनमें परिवर्तन आना स्वाभाविक था। इस अवशेष से यह विचार जड़ पकड़ने लगा कि मानव का विकास आफ्रीका, एशिया तथा युरोप—इन सब स्थानों पर एक-साथ हुआ होगा, किसी एक ही स्थान पर मानव का उदय नहीं हुआ होगा।

### १३ स्वेनकूम्वे-मानव

टेम्स नदी के दक्षिण में, डार्टफोर्ड और ग्रेवसेंड के बीच जहाँ गैली हिल स्थित है, वहाँ स्वेनकूम्वे नामक नगर है। यहाँ पुरातत्व-विभाग के अनुसंधान बहुत देर तक चलते रहे हैं। गैली-हिल के कुछ सैकड़ों गज दूर वार्नफील्ड नामक स्थान पर खुदाई की गई जिसमें भूमि के कई स्तर मिले। इनमें से कुछ स्तर 'द्वितीय अन्तर्हिम-काल' (Second Interglacial period) के हैं जिनमें १९३५ में एक मानवीय-कपाल प्राप्त हुआ। भूमि के इस स्तर में जो उपकरण

मिले वे भी इसी काल के थे। यह कपाल २० वर्ष की आयु के लगभग किसी युवति का था जिसके कपाल का घनत्व १३२५-१३५० के लगभग घन सेंटीमीटर मापा गया। आजकल की स्त्री की तुलना में इस कपाल की अस्थियाँ मोटी थीं, परन्तु उस युग के, जिसमें ये थीं, बिल्कुल अनुरूप थीं। इस कपाल को स्वेनकूम्वे-कपाल कहा जाता है क्योंकि स्वेनकूम्वे में यह मिली थी। क्या यह कपाल सधमुच किसी मानवीय-युवति का ही कपाल था? इस कपाल की जब नियेन्डरथल, रोडे-शियन, जावा अथवा पेकिंग मानव से तुलना की जाती है, तो इनमें पर्याप्त भेद दीप्यता है, परन्तु होमो-सेपियन-मानव की तुलना में यह उसमें मिलता-जुलता प्रतीत होता है। फिर भी मानवशास्त्रियों के तुलनात्मक सिद्धान्तों के अनुसार न इसे निश्चित रूप से होमो-सेपियन ही कहा जा सकता है, न इसे होमो-सेपियन विभाग से बिल्कुल बाहर ही रखा जा सकता है। कीथ (Keith) के कथनानुसार 'स्वेनकूम्वे-मानव' की 'पिल्ड-डाउन' या 'उप मानव' से अत्यधिक समानता है। अधिक संभव है कि स्वेनकूम्वे-मानव पिल्ड-डाऊन मानव का विकसित अनुवशज तथा होमो-सेपियन का किसी समय का पूर्वज हो, अर्थात् पिल्ड-डाउन और होमो-सेपियन के बीच का हो।

### १४ हीडलवर्ग-मानव

पिल्डडाउन-मानव के विषय में तो अनेक सन्देह उत्पन्न हो गये, यहाँ तक कि १९४३ में वीडनरीच (Weidenreich) ने यहाँ तक कह दिया कि पिल्ड-डाउन-मानव एक धोखा है, इसे प्रस्तारित मानवीय अस्थियों की श्रेणी में से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। लन्दन के दन्त-चिकित्सक श्री एल्बन टी० मास्टन ने पिल्ड-डाउन-मानव की कल्पना को सर्वथा मिथ्या सिद्ध कर दिया। उनके कथनानुसार इस मानव के कपाल का प्राप्त हुई जबड़े की हड्डियों से मेल बन ही नहीं सकता। मास्टन के कथन की सत्यता को ब्रिटिश म्यूजियम के अधिकारियों ने भी स्वीकार कर लिया और इन अस्थियों को पुराने सग्रह में से निकाल कर नवीन सग्रह में डाल दिया। पिल्डडाउन-मानव के विषय में जो यह गड़बड़ दिखाई देती है वह हीडलवर्ग-मानव के विषय में नहीं दिखाई देती। हीडलवर्ग-मानव का प्रस्तारित जबड़ा जर्मनी के हीडलवर्ग स्थानमें १९०७ में डॉ० शूटनसैक (Schoetensack) को मौयर नाम की खान में मिला। अब तक जो भी मानवीय अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं उनमें सब से पुरानियों में इसकी गिनती की जा सकती है। यह जबड़ा जमीन के ७९ फीट नीचे गड़ा पाया गया। इस के साथ हाथी, गेंडे, शेर आदि के 'प्राति-नूतन-युग' (Pleistocene period) के प्रस्तारित अस्थि-पजर भी पाये गये। इस जबड़े के ऊपर नदी की रेत, ककड, मट्टी आदि की कई तहें पायी गईं। जबड़े की शकल से ऐसा मालूम पड़ता है कि यह किसी 'एन्थ्रो-पोयड-एप' का है, परन्तु दाँत और दाँतों की महराव को देखने से ज्ञात होता है कि निश्चय से ये मानवीय-प्राणी के दाँत हैं।

हम अभी आगे नियेन्डरथल-मानव का वर्णन करेंगे। यह भी युरोप में ही प्राप्त हुआ। कई विद्वानों का कथन है कि हीडलबर्ग-मानव इस नियेन्डरथल-मानव का ही पूर्वज था। इसी कारण श्री बोनारेली (Bonarelli) ने हीडलबर्ग-मानव का नाम प्राचीन-मानव, अर्थात् सब से पहला मानव (Paleoanthropus)—यह रखा। जिस लुप्त-कडी की तलाश में विकासवादी परेशान रहते हैं, इन विद्वानों के कथनानुसार हीडलबर्ग-मानव ही वह लुप्त-कडी है।


### १५ नियेन्डरथल-मानव

१८५६ में जर्मनी के डुसेलडोर्फ प्रदेश के नियेन्डरथल स्थान में, जब कुछ मजदूर एक गुफा की खुदाई कर रहे थे, तब वहाँ से एक अस्थि-पजर के कुछ टुकड़े प्राप्त हुए। इनमें एक कपाल का ऊपर का भाग, कई भुजाओं तथा टाँगों की अस्थियाँ, कन्धे की हड्डियाँ और कमर की कुछ हड्डियाँ भी थीं। कपाल की परीक्षा करके शरीर-रचना-विज्ञों ने यह परिणाम निकाला कि इसकी रचना वानर-सदृश है। हक्सले (Huxley) तथा जर्मन विद्वान् रडोल्फ वीरचौ (Rudolf Virchow) ने भी इन अस्थियों की परीक्षा की और उन्हें मानव के विकास में किसी महत्व का नहीं ठहराया। परन्तु इन सब विद्वानों के विपरीत डा० विलियम किंग (William King) का विचार कुछ और ही था। उनका कहना था कि ये प्रस्तरित-अस्थियाँ किसी विशिष्ट प्राणी की हैं, ऐसे प्राणी की जिसका मनुष्य के विकास के साथ विशेष संबंध है। इसी दृष्टि से उन्होंने १८६४ में इन अस्थियों के प्राणी को नियेन्डरथल-मानव (Homo Neanderthal)—यह नाम दिया। धीरे-धीरे विद्वानों का ध्यान इन अस्थियों की तरफ आकर्षित होने लगा। इस प्राणी के अवशेष जर्मनी के अलावा बेलजियम, फ्रांस, स्पेन, इटली, यूगोस्लाविया, क्रीमिया तथा पेंलेस्टाइन तक में पाये गये और इस प्राणी के समकालीन हज़ारों पत्थर के औज़ार उमी स्तर में मिले जिस स्तर में इस प्राणी की अस्थियाँ पायी गईं। यह स्पष्ट होने लगा कि नियेन्डरथल-मानव आग पैदा करने की कला से अभिज्ञ था और मृत-व्यक्तियों को जमीन में गाड़ना था। विद्वानों ने यह भी परिणाम निकाला कि यह मानव 'प्राति-नूतन-युग' (Pleistocene period) के तृतीय हिमकाल से चतुर्थ हिमकाल तक युरोप में विचरता रहा होगा।

अस्ल में १८५६ से भी पहले १८४८ में जिब्राल्टर की एक चट्टान के नीचे नियेन्डरथल-मानव का एक अस्थि-पजर मिला था। कई वर्ष तक इस अस्थि-पजर की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। १९०६ में औक्सफोर्ड के प्रो० सोल्लास (Sollas) ने इस अस्थि-पजर का गहराई से अध्ययन किया और वे इस परिणाम पर पहुँचे कि यह किसी नियेन्डरथल स्त्री का प्रस्तरित-पंजर था। १९२६ में मिस डोरोथी गैरोड (Dorothy Garrod) को जिब्राल्टर में

पाँच वर्ष के एक बालक का प्रस्तारित-अस्थि-पजर मिला। ये सब पजर एक ही काल के और एक ही वर्ग के प्राणियों के थे।

नियेन्डरथल-मानव के अवशेष यूरोप में अनेक स्थानों में प्राप्त हुए हैं इसलिए इसके अस्तित्व के विषय में किसी प्रकार का भी सन्देह नहीं रहा। हम यहाँ भिन्न-भिन्न स्थानों में इस मानव के मिले अवशेषों की कुछ चर्चा करेंगे —



नियेन्डरथल-मानव का पजर

होमो-सेपियन्स का पजर

(क) नियेन्डरथल-मानव के फ्रांस में अवशेष—इस मानव का पूरे-का-पूरा अस्थि-पजर १९०८ में फ्रांस में कोरेज स्थान में ला चंपेले-ऑक्स-सेंट्स में प्राप्त हुआ। इस पजर को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता था कि इसे भूमि में जान-

बूझ कर गाढा गया है। इसके आस-पास कई फ़िल्ट के उपकरण भी पाये गये जिनसे इस समय की सम्यता का अनुमान किया जा सकता है। ठीक इसी साल, १९०८ में ही फ्रांस के डोरडोन में ले मोस्टीयर प्रदेश में १५ वर्ष के एक युवक का अस्थि-पंजर प्राप्त हुआ जो नियेन्डरथल-मानव का ही था। इस पंजर से ज्ञात होता है कि नियेन्डरथल-मानव के दाँतों का विकास किस प्रकार हो रहा था क्योंकि इस पंजर के सब दाँत जैसे-के-तैसे सुरक्षित हैं। १९०९-१९१० में फ्रांस के इसी भाग में ला फ़ैरासी स्थान पर कई पंजर और प्राप्त हुए। जिस चट्टान के नीचे से ये पंजर निकले उसके नीचे से प्राचीन-पाषाण-युग के कई उपकरण पहले निकल चुके थे जिनसे सिद्ध होता है कि नियेन्डरथल-मानव इन उपकरणों का प्रयोग करता था। इस चट्टान के नीचे से दो पंजर ऐसे उपलब्ध हुए जिनमें से एक युवा पुरुष का तथा दूसरा युवा स्त्री का था। इन पंजरो के अलावा फ्रांस में नियेन्डरथल-मानव के अन्य भी अनेक अवशेष उपलब्ध हुए हैं।

(ख) नियेन्डरथल-मानव के जर्मनी में अश्वगोप—१८९२ में जर्मनी के वेमर प्रदेश के निकट टाउबेच स्थान पर नीचे के जवड़े की एक दाढ़ मिली जिसे श्री नेहरिंग (Nehring) ने नियेन्डरथल-मानव का बतलाया। १९१४ और १९१६ में इहर्गसडोर्फ में दो जवड़े मिले जिनमें से एक बड़ा आयु वाले किसी व्यक्ति का तथा दूसरा किसी बालक का था। इन दोनों को भी नियेन्डरथल-मानव का पाया गया। १९१५ में इसी स्थान पर इसी वर्ग के एक युवक-प्राणी के कपाल का कुछ भाग प्राप्त हुआ। ये सब अवशेष 'प्राति-नूतन-युग' (Pleistocene period) के अन्तिम-हिमपात से पहले के हैं। जर्मनी के वेमर तथा इहर्गसडोर्फ प्रदेशों में पाये गये नियेन्डरथल-मानव के इन अस्थि-पंजरो का यही महत्व है कि यह मानव किसी एक जगह पर नहीं, अपितु यूरोप के अनेक स्थानों में विचरण करता था।

(ग) नियेन्डरथल-मानव के रोम में अश्वगोप—१९२९ में रोम शहर के बाहर एक युवा नियेन्डरथल-मानव की खोपड़ी उपलब्ध हुई। इस खोपड़ी के साथ उस समय के बड़े-बड़े सीधे दाँत वाले हाथी, गैंडा तथा अन्य चौपायों के अस्थि-पंजर भी मिले। कई विद्वानों का कथन है कि जिब्राल्टर में पाये गये नियेन्डरथल-मानव के पंजर से यह मिलता-जुलता है। १९३५ में इसी स्थल पर एक और नियेन्डरथल-खोपड़ी पायी गई। इन अस्थि-पंजरो के आस-पास उस काल के उपकरण भी पाये गये जिनसे सिद्ध होता है कि यह मानव इन उपकरणों का प्रयोग करना जानता था।

(घ) नियेन्डरथल-मानव के युगोस्लाविया में अश्वगोप—१८९९ में युगोस्लाविया के क्रेपिना स्थान पर एक दर्जन से ज्यादा नियेन्डरथल-मानव के अस्थि-पंजर प्राप्त हुए। इन में कई बच्चों के अस्थि-पंजर थे। युगोस्लाविया की जैगरव यूनीवर्सिटी के प्रो० क्रैम्बरगर (Kramberger) ने इन अस्थियों का वर्णन करते हुए कहा कि इनमें से कई अस्थियाँ तो जान-बूझ कर कुचली गई




प्रतीत होती है और जली हुई पायी गई है जिससे सिद्ध होता है कि नियेन्डरथल-मानव नर-भक्षी था।

(ड) नियेन्डरथल-मानव के पैलेस्टाइन में अवशेष—१९२५ में पैलेस्टाइन के गलिली समुद्र के पास एक गुफा में एक कपाल प्राप्त हुआ जिसे 'गैलिली-कपाल' का नाम दिया गया। इस कपाल की गवेषणा से मालूम हुआ कि यह नियेन्डरथल-मानव का था। कुछ साल बाद गैलिली-समुद्र से लगभग ३० मील दूर कारमल-पर्वत की उपत्यका में भूमध्य-सागर के पास तीन गुफाओं में दस व्यक्तियों के प्रस्तरित अस्थि-पजर मिले जिनका सर आर्थर कीथ (Arthur Keith) ने गहराई से अध्ययन किया। पैलेस्टाइन के कारमल-पर्वत के इन अस्थि-अवशेषों से नियेन्डरथल-मानव का विस्तार पश्चिमी इंग्लैण्ड से लेकर पैलेस्टाइन तक दिखाई देने लगा। १९३१ में मुघरेत-एस-स्खुल में तीन वर्ष के एक नियेन्डरथल बच्चे का पजर मिला और १९३२ में आठ और पजर मिले जो स्त्री तथा पुरुष दोनों के थे। इन पजरों को देखने से ज्ञात होता है कि इनको जान-बूझ कर जमीन में गाड़ा गया था। इससे भी नियेन्डरथल-मानव की सम्यता पर कुछ प्रकाश पड़ता है।

### १६ नियेन्डरथल-मानव के शरीर की रचना

वैज्ञानिकों ने जितना अध्ययन नियेन्डरथल-मानव का किया है उतना और किसी प्राचीन-मानव का नहीं किया। कई कलाकारों ने इस मानव की आकृति, उसके बाल, होठ आदि सब को कला में चित्रित किया है। यह सब कला की दृष्टि से कितना ही सराहनीय क्यों न हो, इसमें वैज्ञानिकता की पुट नहीं है। हाँ, अस्थियों को देख कर लम्बाई-चौड़ाई आदि के विषय में अनेक परिणाम निकाले जाते हैं जो अवश्य सही समझे जा सकते हैं।

प्रो० वी० ले (Boule) का कथन है कि फ्रांस में चैपेल ऑक्स-सेंट्स (नियेन्डरथल) में नियेन्डरथल-मानव की जो अस्थियाँ पायी गई हैं उनसे उरुका कद ५ फीट



नियेन्डरथल-मानव



क्रो-मैग्नन-मानव

[श्री मैक ग्रिगर का चैपेल-ऑक्स-सेंट्स (नियेन्डरथल) में पायी गई अस्थियों के आधार पर बनाया गया काल्पनिक चित्र]

२ इच का सिद्ध होता है। फ्रास के ला फँरासी स्थान पर पायी गई अस्थियो वाला यह प्राणी ५ फीट ४ इच का था। फ्रास के ले मोस्टीयर में १५ वर्ष के युवा-प्राणी की अस्थियो से इसका कद ५ फीट का ही प्रतीत होता है। फ्रास के ला फँरासी स्थान पर एक स्त्री का पजर मिला है जिसका कद ४ फीट ९ इच है। इन पजरों के विपरीत पैलेस्टाइन में इस प्राणी के जो पजर मिले हैं वे विशेष तौर पर लम्बे हैं।

लम्बाई के अतिरिक्त इन पजरों की कपाल की अपनी विशेषता है। इन कपालों को देख कर कोई भी कह सकता है कि ये कपाल किसी विशेष प्रकार के मानव के ही हैं। इन कपालों के भीतर का क्षेत्रफल १२८० घन सेंटीमीटर से लेकर १६०० घन सेंटीमीटर तक का है। इन पजरों का कपाल बड़ा है, जिसे मानव-शास्त्रियों की परिभाषा में 'दीर्घ-कपाल' (<sup>१</sup> Dolicho-cephalic) कहा जाता है, और कपाल की चौड़ाई तथा लम्बाई का अनुपात ७० तथा ७६ के बीच का है। इस अनुपात को मानव-शास्त्रियों की परिभाषा में शीर्ष-देशना (Cephalic index) कहा जाता है। कान के छिद्रों से ऊपर सिर की ऊँचाई कुछ छोटी-सी जान पड़ती है। इस प्रकार के सिर को मानव-शास्त्री 'समतल कपालीय' (<sup>२</sup> Platy-cephalic) कहते हैं। माथा पीछे को हटा हुआ, आँख के ऊपर का प्रदेश आगे को बढ़ा हुआ, आँखों के गोलक बहुत बड़े तथा गोल-गोल, और आँखों के भीतर की चौड़ाई भी बहुत ज्यादा है। वर्तमान मानव की तुलना में नियेन्डरथल-मानव का चेहरा बहुत लम्बा और नाक बहुत चौड़ी है, पर चौड़ी होने पर भी नाक चपटी न होकर नोकिली है, और इसका सादृश्य वानर-जाति से न होकर मानव-जाति से है। वानर आदि में नासिका का झुकाव ऊपर के ओष्ठ की तरफ होता है, इस प्राणी की नाक उभरी हुई है। गालों की हड्डियों में भी वानरों से समानता होने के स्थान में मनुष्य से समानता है। वानरों की गालों की हड्डियाँ उभरी हुई होती हैं, नियेन्डरथल-मानव के गालों की हड्डियाँ पीछे की तरफ ढलवाँ हैं और इन की मानव-कपालों से अत्यधिक समानता है। पैलेस्टाइन में इस मानव का जो कपाल पाया गया है वह तो वर्तमान-मानव से बहुत अधिक मिलता है। मुख का तालु मनुष्य के तालु से भिन्न है। इस प्राणी का तालु अपेक्षाकृत बहुत लम्बा है और चौड़ा है। नीचे के जबड़े की भी अपनी ही अनेक विशेषताएँ हैं। इस जबड़े की हड्डियों का जोड़ वानर से मिलता-जुलता है। जबड़े की बाह्य-सतह ढलाव लिये हुए है, मनुष्य की तरह ठोड़ी का उभार नहीं है यद्यपि पैलेस्टाइन में पाये गये इस मानव के पजरों में ठोड़ी का कुछ-कुछ उभार पाया जाता है। जिह्वा की मासपेशियाँ तथा बोलने में सहायक कुछ अन्य मासपेशियाँ भी कमजोर दीखती हैं, यद्यपि यह बात इस बात का प्रमाण नहीं है कि नियेन्डरथल-मानव वाणी का प्रयोग नहीं कर सकता था। इसके दाँत छोटे न होकर बड़े-बड़े कहे जा सकते हैं। नीचे की दाढ़ें, खास कर पहली

1 Dolicho-cephalic = Gk *Dolichos*, long, *Kephale* (कपाल), head


2 Platy-cephalic = Gk *Platys*, broad, *Kephale*, head

समाधान हो सकता है? अगर नियेन्डरथल से मेधावी-मानव का विकास हुआ होता, तो इनके विकास की कुछ बीच की शृंखलाएँ भी तो मिलतीं, यकायकपना तो न दीखता। यूरोप में 'मेधावी-मानव' तो अचानक आ टपका दीखता है। इसका यही कारण हो सकता है कि यह कहीं बाहर से आक्रान्ता के रूप में आया हो। इसका यह अभिप्राय नहीं कि इन दोनों में सम्मिश्रण नहीं हुआ होगा। इन दोनों का सम्मिश्रण अवश्य हुआ होगा, और दोनों के परस्पर यौन-सवध से नवीन जाति भी उत्पन्न हुई होगी। कई विद्वानों का कथन है कि पैलेस्टाइन के कारमल-पर्वत की उपत्यकाओं में जो अस्थि-पजर उपलब्ध हुए हैं, वे नियेन्डरथल-मानव तथा मेधावी-मानव के यौन-सम्मिश्रण के परिणाम हैं।


यूरोप के मेधावी-मानव से तीन जातियों का विकास हुआ। इन तीनों को 'मेधावी-मानव' (Homo Sapiens) कहा जाता है। ये तीनों जातियाँ 'पुरातन-पाषाण-युग' (Paleolithic period) की हैं। इनके नाम हैं— 'ग्रिमाल्डी जाति' (Grimaldi race), 'क्रो-मैग्नन जाति' (Cro-Magnon race) तथा 'चान्सलेड जाति' (Chancelade race)। इनमें से ग्रिमाल्डी-जाति का सवध काले नीग्रो लोगों से, क्रो-मैग्नन का सवध गोरे यूरोपियन लोगों से तथा चान्सलेड जाति का सवध पीले मंगोल लोगो से है। अब हम इन तीनों की संक्षेप में चर्चा करेंगे —

### १८ ग्रिमाल्डी-मानव

हमने अभी कहा कि मेधावी-मानव की एक शाखा यूरोप में ग्रिमाल्डी-मानव के रूप में पायी जाती है। हमने यह भी कहा कि ग्रिमाल्डी-जाति का सवध नीग्रो-जाति से है। प्रश्न उठ खड़ा होता है कि यूरोप में नीग्रो जाति कहाँ से आ गई? इस शका के कारण इलियट स्मिथ (Elliot Smith) तथा आर्थर कीथ (Arthur Keith) ग्रिमाल्डी-जाति को नीग्रो-जाति का नहीं



ग्रिमाल्डी-बालक की खोपड़ी



वाजदक मानव की खोपड़ी

मानते। इन का कहना है कि ग्रिमाल्डी-जाति क्रो-मैगनन का ही एक रूपान्तर थी, कोई अन्य जाति नहीं थी। परन्तु अन्य विद्वानों का यह मत नहीं है। उनका कहना है कि जो प्रस्तारित-अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं, वे एक अलग जाति की हैं—ऐसी जाति की जिन्हें नीग्रो-वर्ग में ही रखा जा सकता है, अन्य किसी वर्ग में नहीं। ये अस्थियाँ किस की हैं और कौसी हैं ?

भूमध्य-सागर के तट पर मोनाको प्रदेश में ग्रिमाल्डी नाम की नौ गुफाओं में 'प्राति-नूतन-युग' (Pleistocene period) की कुछ अस्थियाँ प्राप्त हुई थीं। इनमें से एक गुफा में १९०१ में क्रो-मैगनन मानव की अस्थियाँ भी मिली थीं। इन अस्थियों के स्तर से कुछ नीचे दो और अस्थि-पजर मिले थे, जो क्रो-मैगनन से कुछ भिन्न थे। इनमें से एक अस्थि-पजर पूर्णावस्था-प्राप्त एक स्त्री का तथा दूसरा एक चौदह वर्ष के बालक का था। ये दोनों अस्थि-पजर माँ-बेटों के मालूम होते थे। इनका अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि ये नीग्रो जाति के हैं। ग्रिमाल्डी स्थान में प्राप्त होने के कारण इन्हें ग्रिमाल्डी जाति का नाम दे दिया गया है। स्त्री की लम्बाई ५ फीट ३ इंच तथा बालक की लम्बाई ५ फीट है। प्रो० वरन्यू (Verneau) ने इन पजरों की गहराई से गवेषणा की। उनका कथन है कि इन पजरों का कपाल, इनकी ठोड़ी, इनके दाँत नीग्रो से मिलते-जुलते हैं। नीग्रॉयड-जाति की तरह इन पजरों की अग्र-भुजा तथा टाँगें, बाहुओं तथा जघाओं से लम्बी हैं। यह हो सकता है कि ये पजर ग्रिमाल्डी-जाति के हो जो मेघावी-मानव की ही क्रो-मैगनन-मानव की तरह ही एक स्वतंत्र शाखा हो। यह भी हो सकता है कि ग्रिमाल्डी-जाति मेघावी-मानव की स्वतंत्र शाखा न हो, परन्तु क्रो-मैगनन-मानव का ही यह ग्रिमाल्डी एक पूर्व-रूप हो। यूरोप में नीग्रो का पाया जाना विद्वानों को बहुत सगत नहीं प्रतीत होता, अतः अधिक राय इसी विचार की तरफ है कि ग्रिमाल्डी-जाति स्वतंत्र जाति नहीं थी, यह क्रो-मैगनन-मानव का ही पूर्व-रूप थी। अगर यह बात मानी जाय, तो मानना पड़ता है कि यूरोप का क्रो-मैगनन अपने पूर्व-रूप में, अस्थियों की रचना में, नीग्रॉयड से कुछ मिलता-जुलता था।

## १९ क्रो-मैगनन तथा चान्सलेड-जाति

१८६८ में फ्रांस के क्रो-मैगनन नाम की चट्टान के नीचे पाँच अस्थि-पजर प्राप्त हुए। इसके बाद भूमध्य-सागर के किनारों पर पश्चिमी यूरोप में इन से मिलते-जुलते अनेक पजर मिले। क्रो-मैगनन स्थान पर पाये जाने के कारण क्वाट्रीफेजस तथा हैमी (Quatrefages and Hamy) ने इसे 'क्रो-मैगनन' का नाम दिया। वरन्यू (Verneau) ने इनका वर्णन करते हुए लिखा है कि ये मानव लम्बे थे, छ फीट तक के थे, इनका ढाँचा खूब मजबूत था। इनका कपाल उन्नत तथा विशाल था, मुखाकृति छोटी परन्तु चौड़ी थी, इतनी चौड़ी कि अनुपात में कुछ ज्यादा जान पड़ती थी। माया लम्बाई लिये हुए, गाल चौड़ाई लिये हुए,

ठोडी बड़ी हुई तथा नाक सकीर्ण थी। अग्र-भुजा तथा टाँग बाहु तथा जघा से लम्बी, कुछ-कुछ नीग्रो टाइप की थी। यह लम्बे शरीर वाला क्रो-मैग्नन-मानव एक सुन्दर शरीर का मानव था। यह माना जाता है कि कौशलपूर्ण फ़्लिट तथा पत्थर के उपकरण जो इसके अस्थि-पजरो के साथ उपलब्ध हुए हैं उनके बनाने में यह मानव सिद्ध-हस्त था। इसका कन्दरा-चित्रण तथा पशुओं की मूर्तियों का निर्माण 'पूर्व-पाषाण-युग' (Paleolithic period) की सम्यता का द्योतक है।

जैसा हम ऊपर लिख आये हैं, 'मेधावी-मानव' के तीन वर्ग हैं जिनमें से ग्रिमाल्डी-जाति तथा क्रो-मैग्नन का वर्णन हमने अभी किया। इन में से ग्रिमाल्डी को अगर क्रो-मैग्नन का ही पूर्व-रूप मान लिया जाय, तो 'मेधावी-मानव' के दो रूप बच रहते हैं—'क्रो-मैग्नन' तथा 'चान्सलेड-जाति'। यह 'चान्सलेड-जाति' मगोल लोगो से मिलती-जुलती है, परन्तु अधिकतर विद्वानों का यह विचार है कि 'चान्सलेड-जाति' भी क्रो-मैग्नन का ही एक रूप है। इस दृष्टि से 'मेधावी-मानव' का एक ही रूप रह जाता है—'क्रो-मैग्नन'। इसीलिए बहुत-से विद्वान् 'मेधावी-मानव' (<sup>1</sup>Homo sapiens) तथा 'क्रो-मैग्नन' (Cro-Magnon) दोनों को एक-दूसरे का पर्याय कहते हैं। वर्तमान मानव को 'होमो-सेपियन्स' इसलिए कहते हैं क्योंकि लैटिन में 'होमो' का अर्थ है—मनुष्य, और 'सेपियन्स' का अर्थ है—बुद्धि। वर्तमान-मानव 'बुद्धिमान' या 'मेधावी' है, इसलिए उसे 'होमो-सेपियन्स' (मेधावी-मानव) कहते हैं।

'चान्सलेड-मानव' के अस्थि-पजर १८८८ में फ्रांस में प्राप्त हुए थे। १९१४ में जर्मनी तथा अन्य कुछ स्थानों में भी इसके पजर प्राप्त हुए। ये सब छोटे कद के थे, पाँच फीट से ज्यादा तो कोई था ही नहीं, इनका शरीर भारी तथा खोपड़ी विशाल थी। कई लोग इन 'चान्सलेड-मानवों' की ग्रीनलैण्ड के एस्किमो से तुलना करते हैं क्योंकि इन दोनों के शरीर में बहुत साम्य है। उनका कहना है कि यूरोप में ज्यों-ज्यों बरफ उत्तर की तरफ ढलती गई, त्यों-त्यों यह मानव भी उत्तर की तरफ बढ़ता गया और उसका रूप आज के एस्किमो का हो गया। क्योंकि एस्किमो मगोल का ही उप-विभाग है, और चान्सलेड-मानव मगोल से मिलता-जुलता है, इसलिए इस कथन में भी कुछ बल दीखता है। सर आर्थर कीथ (Arthur Keith) इस बात को नहीं मानते। उनका कहना है कि 'चान्सलेड-मानव' के अस्थि-पजरो की मगोल-जाति से समानता आकस्मिक है। अस्ल में 'चान्सलेड-मानव' के अस्थि-पजर क्रो-मैग्नन-मानव के ही दूर-पास के अस्थि-पजर हैं। इस दृष्टि से जैसा हम पहले कह आये हैं ग्रिमाल्डी तथा चान्सलेड मानव की स्वतंत्र सत्ता कुछ नहीं रहती, और मेधावी-मानव अर्थात् होमो-सेपियन्स का यूरोप में एक ही रूप रह जाता है, जिसे क्रो-मैग्नन का नाम दिया गया है।

## २० मेधावी-मानव (होमो-सेपियन्स) के पूर्वज कौन थे ?

हमने देखा कि युरोप में नियेन्डरथल-मानव के बाद मेधावी-मानव (होमो-सेपियन्स) प्रकट हुआ। मेधावी-मानव के कुछ विद्वानों ने जो तीन वर्ग बताये थे—ग्रिमालडी, क्रो-मैगनन तथा चान्सलेड—ये तीनों भी हमने देखा कि क्रो-मैगनन के अन्दर ही समा जाते हैं। तब प्रश्न यह रह जाता है कि यह मेधावी-मानव (होमो-सेपियन्स) या क्रो-मैगनन जिसे वर्तमान मानव-जाति का पिता कहा जा सकता है, कहाँ से आ टपका ?

कई लोगो का कहना है कि नियेन्डरथल-मानव से मेधावी-मानव (होमो-सेपियन्स या क्रो-मैगनन) का विकास हुआ। यह बात सिद्ध करने के लिए वे कुछ अस्थियाँ प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि ये अस्थियाँ नियेन्डरथल तथा क्रो-मैगनन के बीच की कड़ियाँ हैं—इन भिन्न-भिन्न रूपों में से गुजरता-गुजरता नियेन्डरथल-मानव क्रो-मैगनन के रूप में विकसित हो गया। श्री मोरन्ट (Morant) ने इन बीच की अस्थियों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि इन बीच की कड़ियों का इन दोनों मानवों से कोई सम्बन्ध नहीं है। क्रो-मैगनन (होमो-सेपियन्स) मानव तो एक स्वतन्त्र रूप का मानव है। इसका अस्तित्व पाषाण-युग (Paleolithic age) से शुरू होता है। यह युरोप में यकायक प्रकट हुआ है। वर्तमान युरोप के मानव का यही पूर्वज है। परन्तु यह पता नहीं चलता कि इसका पूर्वज कौन था, यह कहाँ से आया ?

क्योंकि युरोप में यह यकायक प्रकट हुआ है, इसलिए इस संबंध में दो ही कल्पनाएँ हो सकती हैं। एक कल्पना तो यह है कि यह मेधावी-मानव एशिया से युरोप में आया, दूसरी कल्पना यह है कि यह मानव आफ्रीका से युरोप में आया। क्योंकि वह युरोप के बाहर से आया इसलिए उसका आना यकायक प्रतीत होता है, क्रमिक नहीं।

अगर हम यह मानें कि मेधावी-मानव (होमो-सेपियन्स या क्रो-मैगनन) एशिया से युरोप में आया, तो क्या स्थिति बनती है ? एशिया से मेधावी-मानव के आने की कल्पना करते हुए हमारा ध्यान एशिया के दो और मानवों की तरफ जाता है, जिनका नाम है—‘वादजक-मानव’ (Wadjak man) तथा सोलो-मानव (Solo man)। इनका कुछ संक्षिप्त परिचय जानना आवश्यक है।

## २१. वादजक-मानव तथा सोलो-मानव

एशिया में मिले प्रस्तरितों का उल्लेख करते हुए हम जावा के पियेकैन्थ्रोपस तथा पेकिंग के सिनैन्थ्रोपस मानवों का उल्लेख कर आये हैं। जावा में पियेकैन्थ्रोपस के अतिरिक्त दो और अस्थियाँ मिली हैं जिनमें से एक का नाम वादजक-मानव तथा दूसरी का नाम सोलो-मानव रखा गया है। विद्वानों का कथन है कि पियेकैन्थ्रोपस का पूर्वज वादजक-मानव था, और वादजक का पूर्वज सोलो-मानव था। इस प्रकार अगर मेधावी-मानव (होमो-सेपियन्स) अथवा क्रो-

मैग्नन) का, जिसने यूरोप में यकायक पदार्पण किया, आदि-म्यान एशिया माना जाय, तो उसके पूर्वजों का क्रम इस प्रकार बनता है—पहले सोलो-मानव, बाद को वादजक मानव, उसके बाद पियेकैन्थ्रोपस-इरेक्टम और अन्त में होमो-सेपियन्स या क्रो-मैग्नन ।

वादजक-मानव के दो कपाल १८८९ में डा० ड्युवोय (Dubois) को जावा के वादजक स्थान में मिले थे । डा० ड्युवोय को जब पियेकैन्थ्रोपस की अस्थियाँ मिलीं, उससे दो साल पहले उसे वादजक-मानव के कपाल मिल चुके थे, परन्तु १९२१ तक उसने इन कपालों का वर्णन विद्वानों के सामने नहीं रखा । १९३२ की अप्रैल में जावा में एक अन्य मानव की अस्थियाँ सोलो-नदी के निकट के एक गाँव से मिलीं । इन अस्थियों का अध्ययन ओप्पेन्नूर्थ (Oppenoorth) ने किया । १९३६ में उमी स्थान पर और ग्यारह कपाल प्राप्त हुए । इन कपालों के प्राणी का नाम सोलो-नदी के पास इनके मिलने के कारण सोलो-मानव रखा गया । इस प्राणी की भी मेघावी-मानव से अनेक अंशों में समानता थी, परन्तु यह काल की दृष्टि से वादजक-मानव से पुराना प्रतीत होता था । ओप्पेन्नूर्थ का कहना है कि सोलो-मानव अब तक के उपलब्ध होमो-सेपियन्स के पूर्वजों में सब से पुरातन-मानव है ।

हमने ऊपर का विवरण यह मान कर लिखा है कि मेघावी-मानव (होमो-सेपियन्स) एशिया से आया । परन्तु इस सबध में, जैसा हम पहले लिख आये हैं, एक दूसरी कल्पना भी है । इस कल्पना के आधार पर मेघावी-मानव (होमो-सेपियन्स) यूरोप में एशिया से न आकर आफ्रीका से आया । आफ्रीका से होमो-सेपियन्स के आने की कल्पना करते हुए हमारा ध्यान आफ्रीका के दो अन्य मानवों की तरफ जाता है, जिनका नाम है—'रोडेशियन-मानव' (Rhodesian man) तथा 'बोस्कोप-मानव' (Boskop man) । इनका भी कुछ सक्षिप्त परिचय जानना आवश्यक है ।

## २२ रोडेशियन-मानव

१९२१ में उत्तरीय रोडेशिया के ब्रोक्न हिल नामक स्थान पर खानों की खुदाई करते हुए एक लम्बी गुफा के अन्तिम भाग से कुछ मानव-अस्थियाँ प्राप्त हुईं । इन अस्थियों में पहाड़ी धातुएँ भरी हुई थीं । इन धातुओं को जब पिघला दिया गया, तो एक विशुद्ध मानवीय कपाल तथा मानवीय अस्थि-पजर निकल आया । इस पजर का नीचे का जवड़ा नहीं था । कमर के पीछे की हड्डी, वस्ति-प्रदेश के कुछ भाग तथा टाँग की कुछ हड्डियाँ भी इस पजर की मिलीं । इन अस्थियों के साथ कुछ मोटे-से पाषाण के उपकरण भी प्राप्त हुए । जब कपाल को साफ किया गया, तो दाँयें हिस्से को छोड़ कर सारा कपाल सुरक्षित पाया गया । मोटे तौर पर देखने से ऐसा लगता था कि इस कपाल की रचना नियेन्डरथल-मानव से मिलती-जुलती थी । कई विद्वानों का यह भी विचार हुआ कि यह प्राणी नियेन्डरथल का पूर्वज होगा, परन्तु गहराई से अध्ययन करने पर शरीर-रचना

शास्त्रज्ञ इस परिणाम पर पहुँचे कि नियेन्डरथल के मुख्य-मुख्य अंश इसमें नहीं थे। नियेन्डरथल की अपेक्षा इसका मेघावी-मानव ('होमो-सेपियन्स' या 'क्रो-मैग्नन') से बहुत साम्य था। रोडेशिया में पाये जाने के कारण आर्थर स्मिथ वुडवर्ड (Arthur Smith Woodward) ने इसका नाम 'रोडेशियन-मानव' रखा। क्योंकि रोडेशियन-मानव का मेघावी-मानव से साम्य है इसलिए यह स्थापना की जा सकती है कि मेघावी-मानव आफ्रीका के रोडेशियन-मानव से विकसित हुआ, और कालान्तर में वहाँ से युरोप पहुँचा, जहाँ उसने नियेन्डरथल-मानव को परास्त कर अपना आधिपत्य जमा लिया।

### २३ बोस्कोप-मानव

१९१३ में आफ्रीका के ट्रांसवाल प्रदेश में एक और मानव की अस्थियाँ प्राप्त हुईं। ये अस्थियाँ बोस्कोप स्थान पर मिलीं इसलिए इन अस्थियों के प्राणी को 'बोस्कोप-मानव' का नाम दिया गया। इन अस्थियों में एक कपाल था, और कुछ अन्य अस्थियाँ थीं, सब टूटी-फूटी हालत में थीं। इस कपाल का जितना हिस्सा सुरक्षित है, उससे इतना अवश्य सिद्ध हो जाता है कि यह कपाल होमो-सेपियन्स के ही वर्ग के प्राणी का है। इस प्राणी का कपाल दीर्घ, माथा लम्बाई लिये हुए, सीधा जबड़ा, विशाल भाल, १९३० घन सेंटीमीटर कपाल के भीतर का प्रदेश—इन सब से यही सिद्ध होता है कि यह कपाल होमो-सेपियन्स के वर्ग का ही था।

इस प्रकार हमने देखा कि अगर होमो-सेपियन्स युरोप में एशिया से आया तो उसके लिए भी एशिया में काफी प्रमाण मौजूद हैं, अगर आफ्रीका से आया तो उसके लिए भी आफ्रीका में काफी प्रमाण मौजूद हैं जिनसे सिद्ध होता है कि होमो-सेपियन्स के पूर्वज एशिया में भी थे, आफ्रीका में भी थे जिनसे विकसित होकर उसने युरोप में पदार्पण किया।

### २४ पुरातन-मानवो का काल

ऊपर हम जिन पुरातन-मानवो का वर्णन कर आये हैं, उनके काल के सबध में स्थान-स्थान पर हम लिखते आये हैं। यहाँ आगे चित्र में भिन्न-भिन्न पुरातन-मानवो का काल हम दर्शा रहे हैं। ये मानव 'प्राति-नूतन-काल' (Pleistocene period) के ही हैं। इस काल को जैसा हम पहले लिख आये हैं, 'हिमपात-काल' (Ice-age या Glacial period) भी कहा जाता है। भूगर्भ-शास्त्र के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस युग में चार बार भूमि के उत्तरीय गोलार्ध में हिम का महापात तथा प्रवाह हुआ। इस 'प्राति-नूतन-काल' (Pleistocene period or Glacial-period) में मानव का पृथ्वी पर श्रोगणेश हुआ। हिमपात-काल में तो मानव सृष्टि में रह ही नहीं सकता था, हिम की इतनी अधिकता थी। दो हिमपात-काल के बीच के समय को 'अन्तर्हिमपात-काल' (Inter-glacial period) कहते हैं। इस काल में



# प्रागैतिहासिक पुरातत्व-विज्ञान तथा आदि-समाज (PREHISTORIC ARCHEOLOGY AND PRIMITIVE SOCIETY)

## १ परिभाषा

श्री एन० सी० नेल्सन ने 'प्रागैतिहासिक पुरातत्व-विज्ञान' की निम्न व्याख्या की है --

'प्रागैतिहासिक पुरातत्व-विज्ञान वह विज्ञान है जिसका काम मनुष्य तथा उसकी सस्कृति के प्रारंभ, प्राचीनता तथा विकास पर प्रकाश डालने वाले सब इन्द्रिय-ग्राह्य अवशेषों का अध्ययन करना है।'<sup>१</sup>

मनुष्य के शरीर के अवशेषों का अध्ययन करना तो 'प्राणी-शास्त्र' (Biology) का काम है, प्राचीन-काल के मनुष्य ने कुछ उपकरण बनाये थे, उसकी कुछ हस्त-कला (Handicraft) थी, उस हस्त-कला का अध्ययन करना 'पुरातत्व-विज्ञान' (Archeology) का काम है।

प्राचीन-काल के मनुष्य के इस अध्ययन को दो भागों में बाँटा जा सकता है। एक अध्ययन तो वह है जो लिखित रूप में विद्यमान है, दूसरा अध्ययन वह है जिसका कुछ लिखित में उल्लेख नहीं पाया जाता। मनुष्य ने जब से लिखना सीखा तभी से तो लिखित में उसकी हस्त-कला, सम्पत्ता आदि का उल्लेख मिलेगा, जब उसने लिखना सीखा ही नहीं था, अभी लिखने का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तब का तो कोई उल्लेख नहीं मिल सकता। जिस काल का लिखित उल्लेख मिलता है, उसका अध्ययन करने वाले 'पुरातत्व-विज्ञान' को 'ऐतिहासिक-पुरातत्व-विज्ञान' (Historic Archeology) कहते हैं, जिस काल का कोई उल्लेख नहीं मिलता उसका पता उस काल की वस्तुओं को, उस काल की हस्त-कला को देख कर लगाया जाता है। इस प्रकार के 'पुरातत्व-विज्ञान' को 'प्रागैतिहासिक-पुरातत्व-विज्ञान' (Prehistoric Archeology) कहते हैं।

## २ प्रागैतिहासिक पुरातत्व-विज्ञान की वस्तुएँ

'प्रागैतिहासिक-पुरातत्व-विज्ञान' का काम प्राचीन-काल की वस्तुओं की खोज-बीन करके, उन्हें ज़मीन पर से ढूँढ़ कर या ज़मीन में से निकाल कर आदि-

1 "Archeology may be defined as the science devoted to the study of the entire body of tangible relics pertaining to the origin, the antiquity, and the development of man and his culture"—A C Nelson in Franz Boas' General Anthropology

मानव की सस्कृति का पता लगाना है। ये वस्तुएँ कौन-कौन-सी और किस प्रकार की होती हैं? इनका विद्वानों ने काल के अनुसार दो प्रकार का वर्गीकरण किया है:—

(क) पहला वर्ग तो वह है जिसमें प्राचीन-काल की वे वस्तुएँ आ जाती हैं, जो 'अचल' हैं और भूमि की सतह पर पायी जाती हैं। उदाहरणार्थ, समुद्र-तट के निकट की कन्दराओं में पड़े ढेर, भोजन, बहुमूल्य वस्तुओं तथा पूजा के उपहारों को सुरक्षित रखने के लिए बनाये गये सग्रह-स्थान, अस्थायी निवास-स्थान तथा उनमें बनाये हुए आग के लिए गढे; गाँवों की वस्तियाँ तथा उनमें बने घरों के अवशेष, पुलियाँ, धातु गलाने तथा ढालने की भट्ठियाँ, वाग-वगीचे तथा खेत, प्राचीन-काल की खुदाई—जैसे शिकार पकड़ने के लिए खोदे हुए गढे, जल इकट्ठा करने के लिए बनाये गये कुंड, उस समय की खोदी गई नहरें, पत्थर तथा धातु की खानें, पृथिवी के भीतर रहने की कन्दराएँ तथा निवास-स्थान, कवरिस्तान, मट्टी के बाँध, खेतों की बाड़ तथा जानवरों के लिए बनाये गये घेरे, किलेबन्दी, पिरैमिड, पत्थर की भिन्न-भिन्न प्रकार की रचनाएँ, मन्दिर, चहार-दीवारी आदि, मन्दिरों की दीवारों तथा चट्टानों पर बनाये गये चित्र आदि। ये सब वस्तुएँ एक जगह स्थिर हैं, 'अचल' हैं, और पृथिवी की सतह पर पाये जाने के कारण पहले वर्ग में गिना दी गई हैं।

(ख) दूसरा वर्ग वह है जिसमें प्राचीन-काल की वे वस्तुएँ आ जाती हैं जो 'चल' हैं, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जो पृथिवी की सतह पर न होकर खुदाई से प्राप्त होती हैं, जो या तो प्राचीन-काल के मानव के फेंके हुए कूड़े के ढेरों में मिलती हैं और या पृथिवी में कहीं गड़ी हुई पायी जाती हैं। उदाहरणार्थ, कटे हुए पत्थर से बने प्राचीन उपकरण, अस्त्र-शस्त्र तथा पत्थर के बने आभूषण एवं पूजा के सामान, लकड़ी के बने उपकरण, अस्त्र-शस्त्र, नाव तथा काष्ठ-निर्मित अन्य आवागमन के साधन, काष्ठ-निर्मित आभूषण तथा पूजा के सामान। जैसे पत्थर के, और जैसे लकड़ी के ये सामान पाये जाते हैं, वैसे हड्डी के भी ये सभी सामान पाये जाते हैं। खाल, बाल और पंखों से बने कपड़े तथा आभूषण भी इसी वर्ग में गिने जाते हैं। जैसे जानवरों की खाल, उनके बालों से बनी अनेक वस्तुएँ पायी जाती हैं, वैसे वृक्षों की छालों से बनी चटाइयाँ, टोकरियाँ, कपड़े, बल्कल, आभूषण पाये जाते हैं; मट्टी से बने बर्तन, धातु से बनी अनेक वस्तुएँ पायी जाती हैं। काल की दृष्टि से इन वस्तुओं की प्राप्ति जिस क्रम से हुई है, वह इस प्रकार है—नराशे पत्थर की वस्तुएँ, लकड़ी, हड्डी, जानवरों की खाल, उनके बाल, पंख, वृक्ष की छाल; मट्टी के उपकरण, धातु आदि।

३ इन वस्तुओं से किन बातों पर प्रभाव पड़ता है ?

उक्त दोनों प्रकार के वर्गीकरण में जो-जो वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं उनसे प्राचीन-काल के मानव की सस्कृति के अनेक अंगों पर प्रकाश पड़ता है। इन वस्तुओं से

हम प्राचीन मानव के सबध में उसकी जिन कलाओं पर खोज कर सक रहे हैं, वे निम्न हैं —

- (क) प्राचीन-मानव की हस्त-कला तथा शिल्प ।
- (ख) प्राचीन-मानव का शिकार का तरीका तथा युद्ध-विद्या ।
- (ग) मछली पकडने के उसके तरीके ।
- (घ) उसकी जल तथा त्वल यात्रा के साधन तथा इन यात्राओं द्वारा नवीन स्थानों की खोज ।
- (ङ) कच्ची वस्तुओं का अपने उत्पादन केन्द्रों से बाहर मिलने के कारण उत समय के व्यापार के तरीके—‘वस्तु-विनिमय’—पर प्रकाश ।
- (च) चीर-फाड़ के औजारों के मिलने से उस समय की शल्य-चिकित्सा ।
- (छ) वन्य-जातियों में औषधि के प्रचलित प्रयोगों तथा जादू-टोने के व्यवहार से प्राचीन लोगों के रोग आदि सबधी विचारों पर प्रकाश ।
- (ज) मारुत तथा वनस्पति को सुखाने, भूनने तथा जानवरों की खालों को सुखा कर उपयोग में लाने पर प्रकाश ।
- (झ) खेती तथा पशु-पालन के कृत्रिम उपायों द्वारा भोजन-सामग्री जुटाना ।
- (ञ) पत्थर तथा धातु की खानों को खोदने तथा धातु के गलाने के साधनों के पाये जाने से कच्चे माल को उत्पन्न करने के सबध में उस काल के मानव के ज्ञान पर प्रकाश ।
- (ट) प्राचीन-मानव के रचनात्मक विचार—इन पर प्रकाश उस समय के घरों, पुलों, नौकाओं आदि द्वारा पडता है ।
- (ठ) प्राचीन-मानव के कलात्मक-विचार—इन पर प्रकाश उस समय के चित्रों तथा अलंकार की कला से पडता है ।
- (ड) प्राचीन-मानव के धार्मिक-विचार—इन पर प्रकाश उस समय के मृत-व्यक्तियों के समाधि-स्थानों, पूजा-स्थानों तथा मन्दिरों से पडता है ।

हमने ऊपर जिन वस्तुओं का परिगणन किया, उनके द्वारा ‘प्रागैतिहासिक पुरातत्व-विज्ञान’ का काम प्राचीन-मानव की हस्तकला, शिल्प, युद्ध-विद्या, व्यापार, चिकित्सा, भोजन, उपकरण, कला, धर्म आदि का ज्ञान प्राप्त कर उसकी संस्कृति तथा उसके काल का पता लगाना है । इन वस्तुओं से हम यह भी पता लगाने का प्रयत्न करते हैं कि कौन-कौन-से हस्त-कला के उपकरण सब से पहले आविष्कृत हुए, जब हुए तो पहले-पहल कहाँ आविष्कृत हुए, उनका सत्कार के किन-किन भागों में प्रसार हुआ । प्राचीन-काल के उपकरणों के उन आविष्कारों को ध्यान में रखते हुए हम वर्तमान-काल के आविष्कारों को ठीक-से समझ सकते हैं, क्योंकि वर्तमान का उद्भव प्राचीन में ही तो है, और साथ ही इस क्रमिक-

विकास की शृंखला को ध्यान में रखते हुए भविष्य का चित्र आंखों के सामने चित्रित कर सकते हैं।

#### ४. प्राचीनता के पता लगाने की विधियां

ऊपर जो-कुछ विवरण दिया गया है, उससे यह तो स्पष्ट है कि 'प्रागैतिहासिक पुरातत्व-विज्ञान' की सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्राचीन उपकरणों की खोज कहाँ की जाय ? कई उपकरण तो भूमि की सतह पर मिल जाते हैं, परन्तु अधिकतर तो भूमि की कोख में दबे पड़े हैं। उन्हें खोजने के लिए कहाँ खुदाई की जाय ?

इसके अतिरिक्त यह भी हम पहले देख आये हैं कि मनुष्य का विकास अधिकतर 'प्राति-नूतन-काल' (Pleistocene period) में हुआ। ऐसी हालत में खुदाई ऐसी जगह होनी चाहिए जो 'प्राति-नूतन-काल' की हो। बिना मतलब के हर काल की भूमि की खुदाई करने से क्या फायदा ? प्राचीनता को पता लगाने के कई तरीकों में से कुछ निम्न हैं—

(क) फौना-प्लोरा की विधि—ऐसी जगह खुदाई हो जहाँ प्राचीन उपकरण मिलें, और ऐसी जगह खुदाई हो जो 'प्राति-नूतन-काल' की भी हो—'पुरातत्व-शास्त्र' (Archeology) की ये दो समस्याएँ हैं, और इन दोनों का हल 'पुरातन-शास्त्री' (Paleontologists) तथा 'भूगर्भ-शास्त्री' (Geologists) कर देते हैं। 'पुरातन-शास्त्री' तो यह जानते हैं कि विकास के क्रम में कौन-से जीव-जन्तु तथा कौन-सी वनस्पति किस काल में थी—इसे वे 'जन्तु-वनस्पति' (Fauna and flora) कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर के 'जन्तु-वनस्पति' को देखकर 'पुरातन-शास्त्री' यह बता देता है कि भूमि का अमुक खंड 'प्राति-नूतन-काल' का है, क्योंकि उसके ऊपर 'प्राति-नूतन-काल' के जीव-जन्तु तथा वनस्पतियाँ पायी जाती हैं। ऐसे भू-खंड के मिलने पर उसकी खुदाई की जाती है। पृथ्वी के अंदर की खुदाई के समय 'भूगर्भ-शास्त्री' का ज्ञान काम में आता है। वह यह बतलाता है कि भूमि का अमुक स्तर अमुक काल का है, अमुक स्तर 'प्राति-नूतन-काल' का है या नहीं है। इस प्रकार 'पुरातन-शास्त्री' के बताये हुए भू-खंड को खोदते-खोदते जब 'भूगर्भ-शास्त्री' का बताया हुआ 'प्राति-नूतन-काल' का स्तर आ जाता है, तब उसमें उस कालकी वस्तुएँ, उपकरण आदि ढूँढे जाते हैं। अगर किसी स्तर में पत्थर के उपकरण मिलें तो यह समझा जाता है कि उस काल का मनुष्य पत्थर के उपकरणों से काम लेता था, अगर किसी अन्य वस्तु के मिलें तो यह समझा जाता है कि उस वस्तु का प्रयोग वह करता था, जो वस्तुएँ ऊपर के स्तर में पायी जाती हैं उनका काल पहले और जो नीचे के स्तर में पायी जाती हैं, उनका काल पीछे का निश्चित किया जाता है।

(ख) वृक्ष-वृत्त की विधि—अभी हमने प्राचीन वस्तुओं के काल-निर्णय करने के जिस उपाय का वर्णन किया उसके अतिरिक्त एक अन्य उपाय भी न्यू

मैक्सिको के एरीजोना के कुछ वैज्ञानिकों ने निकाला है। वृक्ष को जब तने से काटा जाता है तो उसके गोलाई के कटाव में गोल-गोल वृत्त पाये जाते हैं और एक वृत्त का दूसरे वृत्त से कुछ अन्तर होता है। जब वर्षा अधिक होती है तब एक वृत्त का दूसरे वृत्त से अन्तर अधिक रहता है, जब वर्षा कम होती है तो वृत्तों का यह अन्तर भी कम होता है। वृक्षों के इन वृत्तों का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने पिछले दो हजार वर्षों तक का वर्षा के हिसाब का पता लगा लिया है। कटे पड़े वृक्ष के सबसे बाहर के वृत्त से पता चल जाता है कि वह कब काटा गया या कब सूख गया। ये वृक्ष पृथ्वी के जिस सतह में पाये जाते हैं वे अपने इन वृत्तों से मानो उस स्तर का काल लिख देते हैं। इन सतहों में प्राचीन-मानव की जो वस्तुएँ पायी जाती हैं उनका काल भी इन वृक्षों की आयु से निश्चित कर लिया जाता है। इस तरीके में दोष यह है कि पृथ्वी की भीतर की सतह में बहुत कम स्थानों पर वृक्ष अपने ठीक रूप में पाये जाते हैं। रेगिस्तानों में तो बालू के कारण पृथ्वी की भीतर की तहों में वृक्ष सुरक्षित रहते हैं, दूसरी जगहों में इस प्रकार कम सुरक्षित पाये जाते हैं। फिर भी भूमि के स्तर तथा वृक्षों के तनों के वृत्त एक प्रकार से भूमि में पाये जाने वाली वस्तुओं के लिए कलैण्डर का काम करते हैं।

(१) वार्षिक द्वि-मलावसाद की विधि (Varve method)—यह तो हम जानते ही हैं कि आदि-मनुष्य का इतिहास 'प्राति-नूतन-काल' (Pleistocene) में छिपा हुआ है। इस काल को 'हिम-युग' (Ice-age) भी कहा जाता है। इसी युग में चार बार महा-हिमपात हुआ। जब दो हिमपातों के बीच का समय आता था तब वर्ष गलती थी। इस गलने में दो प्रक्रियाएँ होती थीं। गर्मियों में हिमाच्छादित प्रदेशों से गल-गल कर भारी मात्रा में पानी नदी-नालो-तालाबों में आकर भर जाता था, उस प्रवाह में सब तरह का मोटा-मोटा गन्द बह कर आता था, और नदी-नालो-तालों की तलेटी में बैठ जाता था, उसके बाद सर्दियों में पानी का प्रवाह कम हो जाता था और प्रवाह के कम हो जाने के कारण बारीक, महीन गन्द बह कर आता था, वह मोटे गन्द के ऊपर बैठता था। इस प्रकार बैठे हुए मल को 'अवसाद' कहते हैं, और क्योंकि साल में इस प्रकार के दो अवसाद होते थे, मोटा-गद और बारीक गद, इसलिए इन दोनों की एक परत को 'द्वि-मलावसाद' (Varve) कहते हैं। हर साल इस प्रकार के दो-दो मलों की एक-एक परत हिम-युगों के समय की तलेटियों में पायी जाती है। इन परतों को खोद-खोद कर उन्हें गिनने से उस-उस परत का समय निकल आता है। जिस परत में जो उपकरण मिलता है, उस परत का काल-निर्णय करके उस उपकरण का काल निर्धारित कर दिया जाता है।

#### ५ प्रागैतिहासिक वस्तुओं का काल-क्रम

प्रागैतिहासिक-काल की जो वस्तुएँ खोजी गई हैं, जैसा हम पहले कई बार कह आये हैं, वे प्रायः 'प्राति-नूतन-काल' (Pleistocene period) की हैं।

‘प्राति-नूतन-काल’ के हमने दो भाग किये थे—‘तृतीय’ (Tertiary) तथा ‘चतुर्थ’ (Quaternary) काल। इनमें तृतीय-काल तो बहुत पुराना है, ज्यादातर वस्तुएँ ‘प्राति-नूतन’ के चतुर्थ-काल की हैं। इनमें से चतुर्थ-काल के भूमि के स्तरों में जो वस्तुएँ पायी जाती हैं वे वस्तुएँ या तो पत्थर की बनी हैं, या कास्य (ब्रॉज) की, या लोहे आदि धातुओं की। पत्थर, कासे, लोहे आदि से इन वस्तुओं के बने होने के कारण इन स्तरों के काल का नाम पाषाण-युग, कास्य (ब्रॉज)-युग, लौह-युग आदि रखा गया है। ‘प्राति-नूतन-काल’ का सबसे पहला समय वह था जब पत्थर के उपकरण बनते थे, इसलिए इस काल को ‘पाषाण-युग’ (Stone age) के नाम से पुकारा जाता है। ‘पाषाण-युग’ के भी दो भाग हैं—‘पूर्व पाषाण-युग’ (Paleolithic age) तथा ‘नव पाषाण-युग’ (Neolithic age)। ‘पूर्व पाषाण-युग’ के फिर तीन भाग किये जाते हैं—‘आदिकालीन’ (Early), ‘मध्य-कालीन’ (Middle) तथा ‘अन्तकालीन’ (Late)। पाषाण-युग के बाद ताम्र-युग, कास्य (ब्रॉज) तथा लौह-युग आते हैं। ‘प्रागैतिहासिक पुरातत्व-विज्ञान’ में हमारे अध्ययन का मुख्य विषय ‘पाषाण-युग’ है। इन युगों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जाता है —

#### I पाषाण-युग (Stone age)

(क) उष पाषाण-युग (Eolithic period)

(ख) पूर्व-पाषाण-युग (Paleolithic period)

१ आदिकालीन पूर्व-पाषाण-युग (Early or Lower Paleolithic period)

1 आदि चैलियन सस्कृति-काल (Pre-Chellean Culture Epoch)

11 चैलियन या एब्बेवीलियन सस्कृति-काल (Chellean or Abbevillian Culture Epoch)

111 एशूलियन संस्कृति-काल (Acheulian Culture Epoch)

२ मध्यकालीन पूर्व-पाषाण-युग (Middle Paleolithic Period)

1 लेबेलोशियन सस्कृति-काल (Levalloisian Culture Epoch)

11 मौस्टैरियन सस्कृति-काल (Mousterian Culture Epoch)

३ अन्तकालीन पूर्व-पाषाण-युग (Late or Upper Paleolithic period)

1 औरिग्नेशियन सस्कृति-काल (Aurignacian Culture Epoch)

- II सौल्युट्रियन सस्कृति-काल (Solutrean Culture Epoch)
- III मंगडेलोनियन सस्कृति-काल (Magdalenian Culture Epoch)
- IV एज़ीलियन सस्कृति-काल (Azilian Culture Epoch)
- (ग) मध्य-पाषाण-युग (Mesolithic period)
- (घ) नव-पाषाण-युग (Neolithic period)
  - I कैंम्पिग्नियन सस्कृति-काल (Campignian Culture Epoch)
  - II रौवेनहौसियन सस्कृति-काल (Robenhausian Culture Epoch)
- II ताम्र-युग (Copper age)
- III कास्य-युग (Bronze age)
- IV लौह-युग (Iron age)

६ पाषाण-युग के उपकरणों का निर्माण कैसे हुआ—उनका विकास


मानव ने जिन वस्तुओं से अपने उपकरण बनाये और उनसे अपनी सस्कृति का विकास किया उनका परिगणन करते हुए मानव-शास्त्री ७-८ वस्तुओं को प्रधानता देते हैं। वे हैं—(१) पाषाण, खोल, मोती, प्रवाल, अभ्रक आदि, (२) लकड़ी, छाल, रेशे, बीज आदि, (३) हड्डी, दाँत, हाथी दाँत, सींग, कछुए का खोल आदि, (४) खाल, बाल, पख, आँतें, स्नायु, मज्जा आदि, (५) भिन्न-भिन्न प्रकार की मट्टी जिसे आग में तपा कर कड़ा किया जा सके, (६) ताँबा, सोना, चाँदी, लोहा आदि, (७) कच्ची घातुओं से बनायी जाने वाली वस्तुएँ तथा (८) शीशा आदि।

इन सब में पहले-पहल मानव ने पत्थर का प्रयोग किया। ऊपर हमने जिन युगों का वर्णन किया है उनमें पाषाण-युग ही सब से अधिक काल तक रहा। पत्थर के उपकरणों में धीरे-धीरे विकास होता गया। जिस उपकरण को मानव ने एक बार बनाया, अगर वह पहले पत्थर का था तो अन्य तत्वों के आविष्कार के बाद वह हड्डी, हाथी दाँत, मट्टी, ताँबे, लोहे आदि का बनता गया, परन्तु कार्य-साधक उपकरण लगभग वैसे-कैसे रहे। पहले पत्थर का हथौड़ा था, तो युगान्तर में लोहे का बन गया, परन्तु मानव ने जो शुरू में आविष्कार किये थे वे सिद्धान्त की दृष्टि से लगभग वैसे बने रहे, उनको अधिक उपयोगी बनाने के प्रयत्न जरूर होते रहे। हाँ, जो आविष्कार बिल्कुल अनुपयोगी रहा होगा उसे अवश्य छोड़ दिया गया होगा। यह युग जिसमें पाषाण के उपकरणों का प्रयोग होता रहा, 'प्राति-नूतन-युग' (Pleistocene period) के 'पूर्व-पाषाण-युग'

(Paleolithic era) से शुरू हुआ, और 'नव-पाषाण-युग' (Neolithic era) तक चलता रहा। 'नव-पाषाण-काल' आज से ८००० से १२,००० साल पहले तक का है। पूर्व-पाषाण-युग से नव-पाषाण-युग के बीच का समय ५ लाख से ९ लाख साल का गिना जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि लगभग ५ या ९ लाख तक के समय में मानव पाषाण के उपकरणों का ही प्रयोग करता रहा। इसी समय को हमने ऊपर आदिकालीन, मध्यकालीन, अन्तकालीन पाषाण-युगों में विभक्त किया है।

प्राचीन-काल के इन उपकरणों के विषय में तीन बातों का जानना आवश्यक है। पहली बात यह कि ये उपकरण क्या-क्या थे और कैसे इनका निर्माण हुआ, दूसरी बात यह कि किस-किस काल में कौन-कौन-सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता था, तीसरी बात यह कि किस-किस देश में कौन-कौन-सा उपकरण काम में आता था। उपकरण, काल तथा स्थान—इन तीन बातों के जान लेने पर हमें 'प्रागैतिहासिक पुरातत्व-विज्ञान' का कुछ-कुछ ज्ञान हो सकता है। इससे पहले कि हम इन उपकरणों के काल तथा स्थान के विषय में कुछ लिखें, इन के निर्माण के विषय में जानना आवश्यक है। हम यहाँ इस बात की चर्चा करेंगे कि पत्थर के उपकरणों का निर्माण किस विधि से हुआ।

(क) पाषाण-फनक-प्रक्रिया या प्रतिघात विधि (Stone flaking process या Percussion method)—पत्थर को एक तरफ से काट देने पर जो पत्थर का फलका निकलता है, उसे 'फलक' या 'शकल' कहते हैं, और इस प्रकार फलके बनाने की प्रक्रिया को 'फलक-प्रक्रिया' कहते हैं। पहले-पहल मनुष्य लकड़ी के टुकड़े से, चाहे वह बना-बनाया था या उसे मनुष्य ने तोड़-त्ताड़ कर बना लिया था, ज़मीन को खोद लेता था, उससे काँट-छाँट कर लेता तथा कुरेद लेता था। किसी दिन अचानक पत्थर के पत्थर पर गिरने से जो फलके



बन गये, मनुष्य को सूझा कि उनसे काम लेना कैसा रहेगा? मानव ने उनसे काम लिया तो उसे वे लकड़ी के उपकरणों से ज्यादा पक्के और अधिक अच्छा काम देने वाले लगे। अभी तक वह स्वयं-बने फलकों से काम लेता था, धीरे-धीरे बड़े पत्थर पर छोटा पत्थर मार कर वह फलके बनाने लगा। इस प्रकार जो अनेक फलके बनते थे उनमें से यह अपने लिए उपयोगी फलकों को चुन लेता था।

पत्थर के फलके उतारना

इस प्रक्रिया द्वारा आदि-मानव ने तीन आविष्कार कर लिये। एक तो




बड़ा पत्थर था, जिससे फलके या शकल उतारे जाते थे, दूसरा छोटा पत्थर था जिससे बड़े पत्थर पर फलके या शकल उतारने के लिए आघात या चोट दी जाती थी, तीसरी चीज फलक या शकल स्वयं थी। बड़े पत्थर को जिससे फलके उतारे जाते थे, 'आन्तरक' (Core) कहते हैं, छोटे पत्थर को जिससे फलके उतारने के लिए चोट दी जाती है, 'हथौड़ा' (Hammer) कहते हैं, चोट देने से जो बड़े पत्थर का टुकड़ा उतरता है, उसे 'फलक' या 'शकल' (Flake) कहते हैं। भूमि को खोदने से ये तीनों चीजें प्राचीन-स्तरो में पायी जाती हैं, इसलिए हमारा यह अनुमान करना कि उक्त विधि से ये तीनों उपकरण बने होंगे कोई असंगत कल्पना नहीं है।

उक्त तीन उपकरणों के अलावा धीरे-धीरे एक चौथे उपकरण का भी आदि-मानव के उपकरणों के क्षेत्र में पदार्पण हुआ। हम अभी देख आये हैं कि बड़े पत्थर को चोट देकर शकल उतारे जाते थे। अनेक शकल उतारने के बाद यह बड़ा पत्थर जिसे हमने 'आन्तरक' (Core) का नाम दिया, इस प्रकार का बन जाता था जिससे एक तरफ इसके नोक हो और दूसरी तरफ से इसे हाथ से पकड़ा जा सके। इसकी शकल एक प्रकार के छुरे की-सी हो जाती थी, जिसके कारण कई फलके या शकल उतर जाने के बाद यह 'आन्तरक' (Core) 'मुष्टि-छुरे' (Fist-axe या Coup-de-poing) का रूप ले लेता था। इन मुष्टि-छुरों की लम्बाई २ से १२ इंच तक की होती थी। इन 'आन्तरको' (Cores) में से जो पाषाण-खड अर्ध-निर्मित होते थे, अर्थात् जिनके शकल अभी सब नहीं उतारे गये थे, उन्हें प्रागैतिहासिक-विद्वान् कछुए की पीठ का-सा होने के कारण 'कूर्मान्तरक' (Tortoise core) कहते हैं। 'मुष्टि-छुरे' आफ्रीका में, दक्षिणी-एशिया में, भारत में, दक्षिण तथा दक्षिण-पश्चिम यूरोप में पाये जाते हैं, 'कूर्मान्तरक' अमरीका में पाये जाते हैं। 'मुष्टि-छुरों' तथा 'कूर्मान्तरको' के अलावा उक्त 'आन्तरक' से एक और उपकरण भी बनता था जिसे 'गरुड चञ्चु पाषाणान्तरक' (Rostro-carinate or Eagle-beak core) का नाम दिया जाता है क्योंकि इस 'आन्तरक' की नोक गरुड की चोंच जैसी पायी गई है। 'मुष्टि-छुरों' से उस समय का मानव प्रायः सभी काम ले लेता था। इन की आगे की नोक से गढ़ा करना, छेद करना तथा पासे की तेज धार से काटना, छीलना, खुरचना आदि सभी-कुछ हो सकता था। इन 'मुष्टि-छुरों' के क्रमिक-विकास से एक और प्रकार का भी उपकरण बना लिया गया था जिसके चारों तरफ से फलके उतार कर चारों तरफ तेज धारें बन जाती थीं, आगे नोक बन जाती थी। यह उपकरण 'मुष्टि-छुरे' का विकसित रूप था जिसे 'बहुभुजीय-आन्तरक' (Polyhedral core) का नाम दिया जाता है। यह उपकरण नव-पाषाण-युग तक काम देता रहा और यूरोप, एशिया तथा मैक्सिको में पाया जाता है।

(ख) पाषाण-भेदक-प्रक्रिया या दबाव-विधि (Stone-chipping process या Pressure method)—अभी तक आदि-मानव के

पाषाण के जिस व्यवसाय का हमने उल्लेख किया उसमें 'शकल' बनाने के लिए बड़े पत्थर को छोटे पत्थर से आघात पहुँचा कर 'फलक' या 'शकल' (Flake) बनाया जाता था, यह प्रक्रिया 'प्रतिघात-प्रक्रिया' (Percussion process) कही जाती है। अब ज्यो-ज्यों इस पाषाण-व्यवसाय का विकास हुआ, त्यो-त्यो एक अन्य प्रक्रिया का आविष्कार हुआ जिसे 'भेदक-प्रक्रिया' (Chipping process) कहा जाता है। 'प्रतिघात-प्रक्रिया' में तो पत्थर से चोट पहुँचायी जाती थी, चोट देकर 'शकल' (Flake) को अलग कर लिया जाता था; 'भेदक-प्रक्रिया' में इस 'शकल' को एक हाथ में दबा कर दूसरे हाथ में सींग, हड्डी या दूसरी-कोई सख्त चीज लेकर दाब से उसे छेद-छाद करके काम के लिए उपयोगी बनाया जाता था। इसे 'भेदक-प्रक्रिया' (Chipping process) या 'दबाव-विधि' (Pressure method) कहा जाता है। 'भेदक-प्रक्रिया' या 'दबाव-विधि' में पत्थर के टुकड़े करने के स्थान में, टुकड़े अर्थात् 'फलक' को हाथ पर रख कर सींग आदि की नोक से दबाव देकर काम के लिए उपयोगी बनाया जाता है।



हाथ पर पत्थर रख कर 'दबाव-विधि' से उपकरण बनाना।

'प्रतिघात-विधि' (Percussion method) तथा 'दबाव-विधि' (Pressure method) से पाषाण-युग में अनेक उपकरण बनाये गये। इनमें मुख्य उपकरण निम्न थे—(१) पार्श्व खुरचन यन्त्र (Sidescraper) जिसका काम एक तरफ से खुरचना तथा कभी-कभी कुल्हाड़ी की तरह काटना भी होता था, (२) पत्थर का रन्दा (Spokeshave), (३) पत्थर का आरा (Saw), पत्थर का चाकू (Knife), (४) कर्तन-यन्त्र (Incising tool), (५) टेकुआ (Awl), (६) घनुप की नोंक (Arrow points), (७) भाले की नोंक (Lance points), (८) वृच्छों की नोक (Spear points), (९) तराशने का यन्त्र (Endscraper), (१०) मूर्ति-निर्माण-यन्त्र (Sculpturing tool)। ये सब उपकरण पत्थर के फलकों से बनाये गये थे।

ऊपर जिन उपकरणों का हमने उल्लेख किया उस समय का युग—'पूर्व पाषाण-युग'—ऐसा युग था जब मानव या तो जंगल के वृक्षों से फल-मूल चुन कर निर्वाह करता था, या शिकार से पेट भरता था। भूमि के गर्भ से मिले प्रस्तरावशेषों (Fossils) से ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल के बाद मनुष्य के उपकरण

वनाने के व्यवसाय में यकायक क्रांति हुई। अबतक के उपकरण शिकार आदि के काम तो आ सकते थे, परन्तु बड़े-बड़े कामों में उनका प्रयोग नहीं हो सकता था। उदाहरणार्थ, जंगल साफ करना, मकान बनाना आदि कार्य ऐसे थे जिनमें उक्त उपकरणों से काम नहीं लिया जा सकता था। यह क्रांति कैसे हुई—यह नहीं कहा जा सकता। मानव-शास्त्रियों का अनुमान है कि इस समय कोई नवीन मानव-जातियाँ यूरोप में बाहर से आयीं और अपने साथ नये प्रकार के उपकरण लाईं। ये जातियाँ निकट-पूर्व से या उत्तरी-आफ्रीका से आयीं—ऐसी कल्पना की जाती है। जब ये जातियाँ यूरोप में आयीं तब इस प्रदेश में उस पत्थर की कमी पड गई थी जिसे काट कर अब तक फलके आदि तथा उनसे अन्य उपकरण बनाये जाते थे। इन नवीन जातियों ने ज़मीन खोद कर वह पत्थर निकालना शुरू किया और नये-नये उपकरण बनाने शुरू किये। इस समय पहले-पहल सुदृढ़, लम्बाकार, कुछ मुड़े हुए 'कुदाली-जैसे' (Picklike) उपकरण का आविष्कार हुआ जिससे पाषाण-खंडों को अन्य पाषाणों के जमाव में से खोद कर निकाला जाता था। धीरे-धीरे इस कुदाली से छेनी (Chisel) तथा कुल्हाड़ी (Axe) का आविष्कार हुआ। इसके बाद पहले के उपकरणों में और सुधार होने लगा। सुधरे हुए चाकू, छेदक-यंत्र, वछें, भाले बनने लगे। ईजिप्ट में आरी (Saw) बनी, आगे चलकर इसी से हँसिया (Sickle) बना। अटलांटिक के दोनों तरफ पत्थर का मछली पकड़ने का काँटा (Fish-hook) मिलता है। सयुक्त-राष्ट्र में बड़े फावड़े और कुदाली के फलके पाये जाते हैं।

(ग) पाषाण को छेदने तथा घिसने की प्रक्रिया (Stone-pecking and grinding process)—ज्यो-ज्यो जन-संख्या में वृद्धि होती गई, उपकरण बनाने का पत्थर कम पड़ता गया। इस समय कारीगरों ने दूसरे पत्थर ढूँढ़ निकाले। उन्होंने खडिया-पत्थर, सगमरमर, स्लेटी-पत्थर, चालुआ-पत्थर आदि पर काम करना शुरू किया। इन पत्थरों के आसानी से फलके नहीं बनाये जा सकते थे, न ही इनका आसानी से भेदन किया जा सकता था, इसलिए कारीगरों ने इन्हें घिस-घिस कर इनके उपकरण बनाने शुरू किये। अमरीका में सर्वत्र ऐसे उपकरण मिले हैं जो घिस कर तय्यार किये गये हैं। उत्तरी अमरीका में तो घिसे हुए ऐसे पत्थर मिले हैं जिन्हें आभूषण के तौर पर कानों में या गले में पहना जाता था। घिसने के अतिरिक्त छेनी से पत्थर को काट कर उसके भिन्न-भिन्न रूप बनाने की विधि भी इस समय काफी प्रचलित थी। हथौड़े से पत्थर पर चोट देने से तो उसके टुकड़े-टुकड़े हो सकते थे, परन्तु छेनी से आराम से उसकी भिन्न-भिन्न शकलें बनाई जा सकती थीं। इस प्रकार की कई मूर्तियाँ जिनमें मंडक, साँप, कछुआ, मछली, पशु-पक्षी तथा मनुष्य भी शामिल हैं, प्राप्त हुई हैं।

(घ) पाषाण को चीरने की प्रक्रिया (Stone-sawing process)—अब तक लकड़ी तथा हड्डी को ही आरे की तरह चीरा जाता था। अब मुलायम पत्थर को भी चीरा जाने लगा। पत्थर को चीर कर उसे बीच में

से छेनी से छेदा जाता था और उसका दीया बना लिया जाता था। उत्तरी कैलिफोर्निया तथा कुछ अंश तक एस्कमो में यह व्यवसाय खूब चलता था। हरित-वर्ण-पाषाण, जो एक सख्त पत्थर है, उसे चीरने का काम निकट-पूर्व, चीन, न्यूजी-लैण्ड, अमरीका के उत्तरीय प्रशान्त सागर तट तथा कुछ अंश में मैक्सिको तक फैला हुआ था। पत्थर को चीरा कैसे जाता था? कभी-कभी तो पत्थर के नोकीले सिरे से मुलायम पत्थर को घिस कर चीर दिया जाता था, कभी-कभी रस्सी या मोटी, सख्त लकड़ी को लेकर रेत की सहायता से पत्थर को घिस-घिस कर चीर दिया जाता था। इस प्रकार पत्थरों में छेद भी किये जाते थे। यूरोप तथा निकट-पूर्व में कई औजार मिले हैं जिनमें छेद करके उनमें हत्ये लगाये गये हैं।

हमने पाषाण-युग के उपकरणों पर लिखते हुए लिखा था कि 'प्रागैतिहासिक-पुरातत्व-विज्ञान' को समझने के लिए तीन बातों को समझना आवश्यक है— प्राचीन-काल के उपकरणों का निर्माण, उन का काल तथा उनकी प्राप्ति का स्थान। निर्माण के विषय में पाषाण-युग के उपकरणों के सम्बन्ध में हमने लिखा। अब प्रश्न है कि उनका काल क्या था, किस समय उनका निर्माण हुआ? उस काल के ज्ञान से हमें समझ पड़ेगा कि उस काल के मानव की संस्कृति कैसी थी। काल के सवध में लिखते हुए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे जिनके विषय में हम पहले भी लिख आये हैं और यहाँ भी पहले ही कुछ लिख देना आवश्यक है। हम इस प्रकरण में पूर्व-चैलियन, चैलियन, एशूलियन, मौस्टेरियन, औरिग्ने-शियन, मंगडेलीनियन, एजोलियन आदि संस्कृतियों की चर्चा करेंगे। ये नाम फ्रांस, डैनमार्क, इंग्लैण्ड, स्पेन, आफ्रीका आदि देशों के उन-उन स्थानों के हैं, जहाँ खुदाई करते हुए भिन्न-भिन्न उपकरण तथा वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं। हमारे समझने के लिए जरूरी शब्द तो 'आदिकालीन पूर्व-पाषाण युग', 'मध्यकालीन पूर्व-पाषाण-युग', 'अन्तकालीन पूर्व-पाषाण-युग' आदि शब्द ही हैं, परन्तु इन युगों का वर्णन करते-करते चैलियन, एशूलियन आदि का चिह्न आता जायेगा।

### ६ उष कालीन पाषाण-युग (Eolithic period)

'प्राति-नूतन-युग' (Pleistocene period) के जो दो भाग हम कर आये हैं उनमें एक 'तृतीय-काल' तथा दूसरा 'चतुर्थ-काल' के नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्थ-काल के मुख्य तौर पर हमने तीन भाग किये थे—पाषाण-युग, कास्य-युग तथा लौह-युग। 'पाषाण-युग' के हमने अनेक विभाग किये जिनका पहले उल्लेख हो चुका है। इस 'पाषाण-युग' से पूर्व का जो समय है, जिसे तृतीय-काल का अन्तिम तथा चतुर्थ-काल का शुरू का काल अथवा इन दोनों का सन्धि-काल कहा जा सकता है, उसे 'उष कालीन पाषाण-युग' ('Eolithic period) कहा जाता है। इससे पहले के आदि-मानव या मानव-सम प्राणी जिन उपकरणों का इस्तेमाल करते थे वे शीघ्र क्षीण हो जाते थे। उदाहरणार्थ,

लकड़ी की छड़ी से काम लेना या लकड़ी के अन्य उपकरणों का व्यवहार करना वे जानते होंगे, परन्तु ये उपकरण स्थिर रहने वाले या देर तक टिकने वाले न थे। धीरे-धीरे इस काल में आदि-मानव ने पाषाण से परिचय प्राप्त किया। उसे प्रतीत हुआ कि पत्थर से अनेक प्रकार के काम लिये जा सकते हैं। ज्यो-ज्यो आदि-मानव का आँख पर आधिपत्य हुआ, ज्यो-ज्यो वह पत्थर को पत्थर पर मार कर हाथ का प्रयोग करने लगा, ज्यो-ज्यो आँख और हाथ का एक-दूसरे के साथ सहयोग उसने सीखना शुरू किया, त्यों-त्यों वह विकास के मार्ग पर आगे-आगे बढ़ने लगा। पत्थर के जो भिन्न-भिन्न रूप थे, वे आदि-मानव ने इस काल में स्वयं नहीं बनाये थे। ऊपर से पत्थर लुढ़क पड़ा, उसके कई टुकड़े हो गये। वृक्ष गिरा और उससे टूट कर पत्थर की अनेक शकलें बन गईं। अब तक तो आदि-मानव टूटने-फूटने वाले, गल-सड़ जाने वाले लकड़ी आदि के उपकरणों से काम लेता था, इस युग में अभी उसने पत्थरों को घडना तो नहीं सीखा, परन्तु खुद-ब-खुद जो पत्थर नोकीले हो गये थे, जिनकी भिन्न-भिन्न शकलें बन गई थीं, उनसे काम करना सीखा। इन नोकीले पत्थर के टुकड़ों से वह भूमि में गढ़े कर सकता था, किसी चीज में चाहता तो छेद कर सकता था, कुरेद सकता था, खुरच सकता था। यह युग लाखों वरस रहा और इस युग में आदि-मानव सहज-प्राप्त पत्थर के उपकरणों से काम लेता रहा।

इस काल में पत्थर के उपकरणों से आदि-मानव जो काम लेता था उसे १८८३ में श्री जी० डी० मॉर्टिलेट (G de Mortillet) ने 'व्यवसाय' (Industry) का नाम दिया, 'व्यवसाय' इसलिए क्योंकि आदि-मानव पत्थर के इन उपकरणों से अपना काम चलाता था। वेलजियम के प्रो० रुटोट (Rutot) ने लिखा कि पत्थर के इन आदि-उपकरणों को पाँच भागों में बाँटा जा सकता है—हथौड़ा, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरचन-यन्त्र तथा छेदक-यन्त्र। इसका यह अर्थ नहीं कि उस काल के आदि-मानव को हथौड़े आदि का ज्ञान था, इसका अर्थ इतना ही है कि 'प्राति नूतन-युग' के तृतीय तथा चतुर्थ काल के सन्धि-काल के भूमि-स्तर में, जिसे हमने 'उष कालीन पाषाण-युग' का नाम दिया है, जो स्वयं-सिद्ध उपकरण मिले हैं, उनसे हथौड़े, कुल्हाड़ी आदि का-सा काम लिया जा सकता था, ये उपकरण ही धीरे-धीरे विकसित होकर वर्तमान हथौड़े आदि के रूप में पहुँचे।

इनका धीरे-धीरे किस प्रकार विकास हुआ इसकी चर्चा हम पहले कर आये हैं। यहाँ हमें इतना ही कहना है कि 'उष कालीन पाषाण-युग', जो लगभग ६० हजार वर्ष रहा और आज से ५ लाख ४० हजार के लगभग वर्ष पहले समाप्त हुआ, उस सारे समय में मनुष्य ने अनघड़ पत्थर से अपना काम चलाया।

७ आदि-कालीन पूर्व-पाषाण-युग—आदि-चैलियन, चैलियन तथा  
एशूलियन संस्कृति-काल

(Early or Lower Paleolithic Period—Pre-Chellean,  
Chellean and Acheulian Culture Epoch)

आदिकालीन पूर्व-पाषाण-युग के जो 'अवसाद' (Deposits) प्राप्त हुए हैं, वे काल की दृष्टि से पूर्व-चैलियन, चैलियन तथा एशूलियन संस्कृति-काल के कहे जाते हैं। इनका हम यहाँ क्रमशः वर्णन करेंगे।

(क) पूर्व-चैलियन संस्कृति-काल (Pre-Chellean Culture Epoch)—फ्रांस में पेरिस से ८ मील की दूरी पर 'चैलेस' (Chelles)-नामक एक स्थान है, जहाँ पत्थर के कुछ उपकरण प्राप्त हुए। इन उपकरणों का जो समय निर्धारित किया गया उससे पहले के समय के जो उपकरण मिले उन्हें 'पूर्व-चैलियन', तथा चैलेस से जो उपकरण मिले उन्हें 'चैलियन' कहा जाता है। इन उपकरणों के अनुरूप उपकरण जहाँ-जहाँ मिले, उन्हें 'पूर्व-चैलियन' तथा 'चैलियन' नाम दिया जाता है। 'पूर्व-चैलियन' तथा 'चैलियन' का समय आज से ५४०,००० से ४८०,००० साल पहले का माना जाता है, अर्थात् यह संस्कृति ६०,००० वर्ष तक लगातार रही। पूर्व-चैलियन-संस्कृति-काल में पत्थर के उपकरणों का निर्माण शुरू हो गया था, परन्तु उस समय पत्थर के उन फलकों से काम लिया जाता था जो स्वयं टूट-फूट कर फलक या शकल बन गये होते थे। यह वह समय था जब पृथिवी पर 'पिथेकैन्थ्रोपस-मानव' (Pithecanthropus) विचरण किया करता था।

(ख) चैलियन संस्कृति-काल (Chellean Culture Epoch)—हम अभी कह आये हैं कि फ्रांस के 'चैलेस'-नामक स्थान में कुछ उपकरण मिले। इस प्रकार के उपकरण जहाँ-जहाँ मिले उन्हें 'चैलेस' नाम से 'चैलियन-संस्कृति' के उपकरण कहा जाता है। 'चैलियन' को अब कुछ विद्वान् 'एब्बेविलियन' (Abbevillian)—इस नाम से पुकारते हैं। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, 'पूर्व-चैलियन' तथा 'चैलियन' संस्कृति का काल आज से ५४०,००० से ४८०,००० साल पहले का माना जाता है, और इन दोनों संस्कृतियों का राज्य ६०,००० वर्ष तक रहा—यह कहा जाता है। 'पूर्व-चैलियन' में अनघड पत्थरों के उपकरणों का प्रयोग होता था, परन्तु 'चैलियन-काल' की संस्कृति में इन पत्थरों के फलके उतारे जाते थे, और इस काल में 'मुष्टि-छुरे' (Hand-axe or Coup-de-poing) का आविष्कार हो गया था। इस 'मुष्टि-छुरे' का वर्णन हम पहले कर आये हैं। जब यह समय था तब पृथिवी पर पेकिंग-मानव, पिल्ड-डाउन-मानव तथा हीडलबर्ग-मानव (Peking man, Piltdown man, Heidelberg man) विचरण करता था।

'पूर्व-चैलियन' तथा 'चैलियन'-मानव आजीविका के लिए जंगलों में जहाँ-तहाँ फिरता था। कहीं फल एकत्रित करता, कहीं पशुओं का शिकार

करता। वह दुनिया के कोने-कोने में इतना भटकता फिरता था कि प्रायः सभी जगह इस सस्कृति के अवशेष उपलब्ध हुए हैं। इसके समय से पाषाण के व्यवसाय का सूत्रपात हुआ। पत्थर के भिन्न-भिन्न प्रकार के उपकरण अपनी प्रारम्भिक अवस्था में इस काल में पाये जाते हैं। डार्विन ने 'चैलियन-मानव' का वर्णन करते हुए लिखा है कि वह खाल के बनाये कपड़ों से अपना शरीर ढँकता था। 'पूर्व-चैलियन' तथा 'चैलियन'-काल में युरोप की जल-वायु इतनी ठडी नहीं थी इसलिए उस काल का मानव आराम से खुले में रहा करता था, नदी के किनारे या आस-पास के मैदानों में उसका वास था।

'प्रथम अन्तर्हिमकाल' (First Interglacial) से 'द्वितीय अन्तर्हिमकाल' (Second Interglacial) तक 'पूर्व-चैलियन' तथा 'चैलियन' सम्यता का सृष्टि में दौर-दौरा रहा।

(ग) एशूलियन सस्कृति-काल (Acheulian Culture Epoch)—यह सम्यता 'तृतीय अन्तर्हिमकाल' (Third Interglacial) की है। एशूलियन-सम्यता भी पाषाण-सम्यता है, और यह सृष्टि में ४३०,००० साल पहले से १३०,००० साल पहले तक रही। इसका अर्थ यह हुआ कि ३ लाख साल तक मानव एशूलियन-सम्यता का जीवन बिताता रहा। इस समय की सम्यता के पाषाणी उपकरण १६४२ में श्री अबेल जेन्सज़ून (Abel Janszoon) को तस्मानिया में प्राप्त हुए। इन उपकरणों से ज्ञात होता है कि चैलियन-मानव के उपकरणों में पहले से अब अधिक सुधार हो गया था। इस समय का 'मुष्टि-छुरा' (Coup-de-poing) इस प्रकार का बन गया था जिससे प्रायः सभी तरह के काम लिये जा सकते थे। उससे छुरे का, छीलने, काटने, तराशने, खुरचने, छेद करने—सब काम लिये जाते थे। उस समय के जो फलके मिले हैं उनसे भी ज्ञात होता है कि वे अकस्मात् बने फलके नहीं हैं, अपितु 'पाषाणान्तरक' (Stone core) को बड़े कौशल से काट कर बनाये गये हैं। 'आन्तरक' पर इस तरह से नपी-तुली चोट दी गई है जिससे 'पाषाणान्तरक' का 'मुष्टि-छुरा' बन गया है, 'फलक' को अन्य कामों में लिया गया है, और 'मुष्टि-छुरे' का भी ऐसा आकार बनाया गया है जिससे वह अनेक कामों में आ सके।

इस समय का मानव जानवरों की खाल ओढ़ कर सर्दों से अपने तन की रक्षा करता था, भोजन की तलाश में जगलों में फिरता था, भोजन न मिलने पर मनुष्य को मार कर भी अपनी क्षुधा को निवृत्त कर लेता था। मछलियों का शिकार स्त्रियाँ करती थीं। उनके रस्सियों और टोकरियों को बनाने के भी प्रमाण मिलते हैं। ऐसा भी ज्ञात होता है कि अगर किसी अंग में रोग हो जाता तो उसको वे काट डालते थे। इस काल में मानव ने आग जलाने का आविष्कार भी कर लिया था।

## ८ मध्यकालीन पूर्व-पाषाण-युग—लैवेलोशियन तथा मौस्ट्रियन संस्कृति-काल

(Middle Paleolithic Period—Levalloisian and Moustrian Culture Epoch)

एशूलियन-संस्कृति के बाद लैवेलोशियन तथा मौस्ट्रियन संस्कृति का काल माना जाता है। लैवेलोशियन की समकालीन संस्कृतियों को क्लैक्टोनियन तथा मेसवीनियन (Clactonian and Mesvinian) कहते हैं। लैवेलोशियन के इतने उपकरण नहीं मिलते जितने मौस्ट्रियन के मिलते हैं, इसलिए मानव-शास्त्र की अधिकांश पुस्तकों में इस काल का वर्णन करते हुए मौस्ट्रियन-काल का ही वर्णन किया जाता है। मौस्ट्रियन-काल आज से १४०,००० साल पूर्व से लेकर ७०,००० साल पूर्व तक रहा। मानव ने लगभग ७० हजार साल मौस्ट्रियन-संस्कृति में बिताये। नियेन्डरथल-मानव (Neanderthal-man) के अवशेष इस समय तक उपलब्ध होते हैं। सन् १९०८ में फ्रांस के ला-चैपेले-ऑक्स-सेंट्स जिले के डोरडोर प्रदेश की 'ले मौस्टीयर' घाटी में एक अस्थि-पजर प्राप्त हुआ और इस प्रकार के पजर अन्य अनेक स्थानों में भी मिले। इस स्थान के नाम से इस मानव की संस्कृति को मौस्ट्रियन-संस्कृति का नाम दिया गया।

मौस्ट्रियन-संस्कृति का समय वह था जब 'तृतीय अन्तर्हिमकाल' (Third Interglacial) समाप्त हो रहा था, और चतुर्थ हिम-काल (Fourth Glacial or Ice age) का प्रारंभ हो रहा था। अन्तर्हिमकाल में तो मौसम गर्म हो ही जाती है, परन्तु हिम-काल में शीत की प्रधानता हो जाती है। इस दृष्टि से मौस्ट्रियन-काल शीत-प्रधान काल था। इस समय के नियेन्डरथल-मानव ने शीत से बचने के लिए कन्दराओ में निवास करना शुरू किया, इसलिए इस काल का मानव 'कन्दरावासी' मानव कहा जाता है। भारतीय इतिहास में भी कन्दराओ का जगह-जगह उल्लेख मिलता है। हो सकता है कि भारत का कन्दरा-काल यूरोप के मौस्ट्रियन-संस्कृति के काल की ही आवृत्ति हो।

मौस्ट्रियन-काल में पाषाण-व्यवसाय में और अधिक उन्नति हुई। पहले हम लिख आये हैं कि शुरु-शुरु में पत्थर के फलके बनाने का उपाय 'प्रतिघात-विधि' (Percussion Method) था। बड़े पत्थर के किनारे पर छोटे पत्थर से चोट दी जाती थी और उससे फलके उतार लिये जाते थे। इन फलकों से आगे के उपकरण बनाये जाते थे। इस विधि द्वारा जो फलके उतरते थे, वे टेढ़े-मेढ़े होते थे, और अबतक जो काल व्यतीत हुए उनमें इन टेढ़े-मेढ़े फलकों से ही काम निकाल लिया जाता था। अब मौस्ट्रियन-संस्कृति के काल में 'प्रतिघात-विधि' के स्थान में 'दबाव-विधि' (Pressure Method) से काम लिया जाने लगा। पत्थर का फलका तो 'प्रतिघात' से बनाया जाता था, परन्तु उस फलके को सुघड़ 'दबाव' से किया जाता था। हाथ पर फलके को रख कर किसी सख्त चीज से कुरेद कर उसके टेढ़े-मेढ़ेपन को दूर कर दिया जाता था। टेढ़ा-मेढ़ापन दूर



करने के लिए सख्त चीज का फलके पर क्योकि दबाव पडता था इसलिए मानव-शास्त्री इसे 'दबाव-विधि' कहते हैं । इस काल के उपकरण छोटे-छोटे हैं, और इनकी एक विशेषता यह है कि उन्हें एक तरफ से ही काम में लाया जा सकता है, दोनो तरफो से नहीं । यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि इस काल के उपकरणों को पकडने के हत्ये पत्थर के ही थे, या लकडी का भी इस समय इन हत्यो के लिए प्रयोग होने लगा था । बहुत सभव है कि इस काल में हत्यो के लिए लकडी प्रयुक्त होने लगी हो ।

'प्रतिघात-विधि' तथा 'दबाव-विधि' से मौस्ट्रियन-काल में फलको द्वारा जो उपकरण बने उनका परिगणन हम पहले कर आये हैं । वे उपकरण थे— पाइर्व-खुरचन-यन्त्र, पत्थर का रन्दा, पत्थर का आरा, पत्थर का चाकू, कर्तन-यन्त्र, टेकुआ, धनुष की नोक, भाले की नोक, बछे की नोक, तराशने का यत्र तथा मूर्ति-निर्माण-यन्त्र । ये सब उपकरण मौस्ट्रियन-काल की उपज हैं ।

अहकार मनुष्य का बहुत पुराना सस्कार है । इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि अपने इस अहकार को तृप्त करने के लिए मौस्ट्रियन-काल के स्त्री तथा पुरुष तरह-तरह की प्राकृतिक वस्तुओं से अपने शरीर का अलकार करते थे । युरोप में तो इस काल में पहले-पहल अलकारो के प्रयोग का श्रीगणेश हुआ ।

इस काल के लोग मृत-व्यक्तियों को भूमि में गाड बिया करते थे । ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनमें मृत व्यक्ति को लिटा दिया गया है, ऐसे भी अवशेष मिले हैं जिनमें बेलों आदि के तनो से उसे कस कर बाँधा गया है । मृत-व्यक्ति के उपकरण उसके साथ दबा दिये जाते थे । ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग जादू-टोने में विश्वास रखते थे, सर्व-भक्षी थे, शिकारी तथा फिरदर थे । इनके मुँह इस सावधानी से गडे पाये गये हैं कि अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग आध्यात्मिक सत्ता में विश्वास करते थे और सभवत शरीर के मरने के बाद भी कुछ बच रहता है—यह मानते थे ।

## ९ अन्तकालीन पूर्व-पाषाण-युग—औरिग्नेशियन, सौल्यूट्रियन, मैगडलेनियन तथा एजीलियन सस्कृति-काल

(Late or Upper Paleolithic Period—Aurignacian, Solutrean, Magdalenian and Azilian Culture Epoch)

(क) औरिग्नेशियन सस्कृति-काल (Aurignacian Culture Epoch) —टौलौस के दक्षिण-पश्चिम में ४० मील के फासले पर 'औरिग्नाक' (Aurignac) एक स्थान है । इस स्थान पर अनेक पत्थर के उपकरण मिले हैं । इस स्थान के नाम पर इस काल के उपकरणों की सस्कृति को 'औरिग्नेशियन' कहा जाता है । इसका काल आज से १ लाख से ५० हजार साल के बीच का समय है । लगभग ५० हजार साल तक मानव 'औरिग्नेशियन-सस्कृति' का जीवन व्यतीत करता रहा । इस सस्कृति के प्रतिनिधि 'क्रो-मैगनन-मानव'

(Cro-Magnon) तथा ग्रिमाल्डी-मानव (Grimaldi-man) हैं, जिनका हम पहले वर्णन कर आये हैं।

हम अभी मौस्ट्रियन-काल के जिन उपकरणों का वर्णन कर आये हैं, वे औरिग्नेशियन-काल में और अधिक परिष्कृत हुए। इस काल में भी पत्थर के फलको से भिन्न-भिन्न उपकरण बनाने का व्यवसाय (Flake Industry) चलता रहा। इस काल में जो उपकरण पाये जाते हैं, वे हैं—(१) सीधे किनारे का फलके का चाकू (Flake-knife), (२) रदने का पत्थर (Flake-Endscraper), (३) आन्तरक का बना रदने का पत्थर (Endscraper of Core), (४) नकाशी-यंत्र (Burin), (५) छेदन-यंत्र (Incising tool), (६) दाँतेदार पादवं-खुरचन-यंत्र (Notched sidescraper), (७) वेधन-यंत्र (Perforator), (८) नोकौला फलक (Stemmed point flake), (९) दो नोकों का अस्थि-उपकरण (मछली का फदा), (१०) अस्थिनिर्मित सूई (Bone needle), (११) अस्थि-निर्मित बछ्छी, (१२) टेकुआ (Awl), (१३) केश-सूई (Hair-pin), (१४) सीध का चम्मच (Spatulate of antler), (१५) हड्डी के खोल के मनके (Beads of shell), (१६) सीध के मनके (Beads of reindeer), (१७) पत्थर के मनके (Beads of stone), (१८) जगली बकरे का चित्र (Profile of ibex), (१९) स्त्री की मूर्ति का सिर (Head of female figurine), (२०) पत्थर के कुल्हाड़े (Hammer-stones), (२१) शूर्ण (Anvil), (२२) दीप (Lamp), कण्ठहार (Necklace) आदि।

उक्त विवरण में दो चित्रों का उल्लेख है। इन चित्रों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में चित्र-कला का प्रारंभ हो गया था, भले ही वह अपनी अत्यन्त प्रारंभिक अवस्था में थी। इस काल की वस्तुओं की खुदाई अल्तामीरा के पास स्पेन-निवासी मार्सें लीने-डी-सन्तोला जब कर रहे थे तब उनकी पुत्री ने एक चित्र को देख कर साँड-साँड चिल्लाना शुरू कर दिया। इस खुदाई में हरिण, घोड़े आदि के भी चित्र मिले। जिन स्थानों में ये चित्र मिले वह अन्ध-कारपूर्ण था। इससे यह प्रतीत होता है कि इस काल का मानव कन्दराओं में दीपक के प्रकाश से काम करता होगा। उक्त विवरण में मनके, कण्ठहार, केश-सूई आदि भी मिली हैं जिनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि 'औरिग्ने-शियन-संस्कृति' की स्त्री वेश-भूषा, केश-प्रसाधन, अलंकार आदि पर विशेष ध्यान देती होगी। इस काल में पत्थर के उपकरणों के साथ-साथ हड्डी के उपकरण बनने भी शुरू हो गये थे।

(ख) सौल्यूट्रियन-संस्कृति-काल (Solutrian Culture Epoch)

—सौल्यूट्रे नामक स्थान पर कुछ पत्थर के उपकरण मिले, तो जिस काल के वे थे, उस काल की संस्कृति का नाम 'सौल्यूट्रियन-संस्कृति' रख दिया गया। यह समय औरिग्नेशियन से पीछे का है, परन्तु यह काल बहुत अधिक देर तक नहीं

रहा। इस समय के उपकरणों को आगे-पीछे, सभी तरफ से सुन्दर बनाने का प्रयत्न किया गया है। इन उपकरणों की काँट-छाँट बहुत सुन्दर है। उपकरण सुन्दर तभी बन सकते थे अगर उनको 'दबाव-विधि' (Pressure method) से बनाया जाय, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय 'दबाव-विधि' अपने विकसित रूप में थी। इस युग में पाषाण-व्यवसाय की कला अपने उच्च-शिखर पर पहुँच रही थी। सौल्यूट्रियन-संस्कृति के उपकरण कई स्थानों में प्राप्त हुए हैं। इंग्लैण्ड, फ्रांस, केन्द्रीय युरोप तथा स्पेन में इस काल के उपकरण मिले हैं। इस समय का मानव 'क्रो-मैग्नन-मानव' (Cro-Magnon man) था।

इस काल के उपकरण हैं—(१) दबाव-विधि से सुन्दर बनाया हुआ पत्ते की तरह का चाकू (Laural leaf-type knife), (२) सरपत के पत्ते की तरह का भाला या चाकू (Willow-leaf-type spear point or knife), (३) तीर की नोक (Arrow point), (४) भाले की नोक (Lance point), (५) वेधन-यंत्र (Perforator), (६) आरा (Saw), (७) नक्काशी यन्त्र (Burin), (८) छेद वाले मनके (Perforated pebbles), (९) हरिण के सींग का बना नोकीला टेकुआ (Awl), (१०) हड्डी की बनी सूई (Bone needle), (११) सींग का बना भाला, (Harpoon of antler), हाथी दाँत के मनके (Ivory pendants)। इनके अलावा औरिग्नेशियन-काल के उपकरण भी इस काल में प्राप्त हुए।

(ग) मैगडालेनियन-संस्कृति-काल (Magdalenian Culture Epoch)—फ्रांस के 'ला मैगडालेन'-नामक स्थान में खुदाई करते हुए कुछ प्राचीन उपकरण मिले जिन के कारण इन उपकरणों का प्रयोग करने वाले प्राचीन-मानव की संस्कृति को 'मैगडालेनियन-संस्कृति' का नाम दिया जाता है। इसका समय आज से ५०,००० साल पहले से २०,००० साल पहले तक का माना जाता है। ३० हजार साल तक इस संस्कृति का बोलबाला रहा। इस काल का मानव भी 'क्रो-मैग्नन-मानव' (Cro-Magnon man) है।

मैगडालेनियन-संस्कृति के उपकरण, पत्थर के साथ-साथ जैसा नीचे दी गई सूची से स्पष्ट होगा, अधिकतम हड्डी तथा सींगों के बने होते थे। हड्डियों में भी वे हाथी-दाँत का प्रचुरता से प्रयोग करते थे। इनके बड़े-बड़े भालों पर तरह-तरह की चित्रकारी बनी हुई पायी जाती है। इस समय पत्थर के ऐसे उपकरण भी प्राप्त हुए हैं जिन्हें 'अणु-पाषाणोपकरण' (Microliths) कह सकते हैं। इस समय का मानव चित्र-कला का पंडित था, कम-से-कम आजकल जगली जातियों में जैसी चित्र-कला पायी जाती है उससे उसे चित्र-कला का बहुत अधिक ज्ञान था। शिकार के साथ शिकारी के उस समय के जो चित्र पाये गये हैं, वे बड़े सजीव चित्र हैं। नृत्य के चित्र भी मिले हैं, और जैसे चित्रों में जीवन दिखाई देता है, ऐसी ही उनकी नृत्य-कला में भी सजीवता थी, इसमें सन्देह नहीं।

स्पेन के कोगल स्थान में जो चित्र मिला है वह अत्यन्त सजीव है। उस काल के ऐसे ही चित्र कहीं-कहीं भारत में भी प्राप्त हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये चित्र धार्मिक-कृत्यों के समय उपयोग में आते थे क्योंकि जिन कन्दराओं में ऐसे चित्र मिले हैं, वे कन्दरा के अन्तिम भाग में मिले हैं, जहाँ वे आम तौर पर नहीं देखे जा सकते थे। मँगडेलैनियन-संस्कृति के लोग चित्र-कला में ही नहीं, मूर्ति-कला में भी प्रवीण थे क्योंकि इस काल में पहले-पहल पशुओं के खुदे हुए मॉडल पाये जाते हैं। इस काल के मुर्दों को औरिगनेशियन-काल की तरह बाँध-बूँध कर जमीन में गाड़ दिया जाता था जिसका शायद यह अभिप्राय था कि वह मुर्दा अब किसी तरह से उठ कर अपने सर्वाधियों को तंग न कर सके। इस प्रकार बाँध कर गाड़ने की प्रथा अब भी आस्ट्रेलिया, दक्षिणी आफ्रीका आदि के आदिवासियों में पायी जाती है।

इस संस्कृति के जो उपकरण मिले हैं, वे हैं—(१) अस्थि-निर्मित नोकदार बर्छा, (इसके एक तरफ कांटे हैं), (२) अस्थि-निर्मित नोकदार बर्छा (इसके दोनों तरफ कांटे हैं), (३) सींग-निर्मित नोकदार भाला (इसके एक तरफ कांटे हैं), (४) सींग-निर्मित नोकदार भाला (इसके दोनों तरफ कांटे हैं), (५) सींग-निर्मित नोकदार भाला (इसके एक तरफ कांटे हैं परन्तु इसके तने में एक छेद भी है), (६) अस्थि-निर्मित फदा—दो नोकों वाला, (७) अस्थि-निर्मित फदा—तीन नोकों वाला, (८) अस्थि-निर्मित भाला (सचित्र तथा सछिद्र), (९) सींग-निर्मित भाला (जगली बकरे के चित्र सहित), (१०) सींग-निर्मित छड़ी (घोड़े के चित्र सहित), (११) सचित्र हाथी दाँत की छड़ी, (१२) अस्थि-निर्मित विना धार की छड़ी, (१३) अस्थि-निर्मित डमरू, (१४) सछिद्र सीप, (१५) पत्थर के सछिद्र मनके, (१६) पत्थर का दीपक, (१७) पत्थर का खरल, आदि।

(घ) अज़ीलियन-संस्कृति-काल (Azilian Culture Epoch)—इस संस्कृति के उपकरण फ्रांस के 'मस्दे-अज़िल नामक स्थान से मिले हैं, इसलिए इसका नाम 'अज़ीलियन-संस्कृति' रखा गया है। इस समय की समकालीन संस्कृतियों को टार्डेनोशियन तथा मँगलेमोशियन (Tardenoisian and Maglemosian) संस्कृति कहते हैं।

इस संस्कृति के पत्थरों पर चित्र बने मिले हैं। कई विद्वानों का कथन है कि ये चित्र उस समय की लिपि के सूचक हैं। अज़ीलियन संस्कृति-काल की मस्दे-अज़िल नामक कन्दरा में जले हुए अनाज के ढेर मिले हैं जिससे अनुमान होता है कि इस समय कृषि का प्रयोग भी होने लगा था। इस काल की एक चक्की भी मिली है जो फ्रांस के कैंस्पिग्नी स्थान पर पायी गई।

इस संस्कृति के जो उपकरण मिले हैं, वे हैं—(१) चित्रित बिल्लौर पत्थर, (२) कन्दराओं की दीवारों पर मनुष्यों के अनेक चित्र, (३) कन्दराओं की दीवारों पर शिकार करते हुए धनुष तथा बाण का चित्र, (४) अस्थि-निर्मित

मछली पकडने का फदा, (५) सीँघ-निर्मित छेद वाला नोकदार भाला, (६) अस्थि-निर्मित भाले, (७) पाषाण-निर्मित रन्दा, (८) पाषाण-निर्मित बाण की नोक, (९) कई प्रकार के छेदक-यन्त्र, (१०) घिसने, रगड़ने, पौलिश करने के पत्थर, आदि ।

### १० सधि-पाषाण-युग (Mesolithic Period)

अभी हमने 'पूर्व-पाषाण-युग' का वर्णन करते हुए उसके आदि, मध्य तथा अन्तकालीन समयों का वर्णन किया । 'पूर्व-पाषाण-युग' के बाद 'नव-पाषाण-युग' आता है, परन्तु 'पूर्व' और 'नव' के बीच का एक युग है जिसे श्री एलन ब्राउन (Brown) ने 'सधि-पाषाण-युग' (Mesolithic period) का नाम दिया है । यह क्योंकि पुराने और नये पाषाण-युगों को मिलाने वाला समय है इसलिए इसे 'सधि-युग' कह सकते हैं । इसका काल आज से १३००० से ८००० साल के लगभग का अनुमाना गया है । इस काल में 'दबाव-विधि' (Pressure Method) से चमकदार पत्थर के छोटे-छोटे सुन्दर उपकरण बनाये जाते थे जिन्हें 'अणु-पाषाणोपकरण' (Microliths) कहा जा सकता है । यह वह युग था जिसमें अभी कृषि का विकास नहीं हुआ था, अभी जगलों से घूम-घाम कर फल-मूल की तलाश की जाती थी, वह न मिलता तो शिकार ढूँढा जाता था, परन्तु साथ ही यह वह युग था जिसमें धीरे-धीरे मनुष्य 'नव-पाषाण-युग' (Neolithic period) में प्रवेश कर रहा था और कृषि की उसे कुछ झोंकियाँ मिलने लगी थीं ।

### ११ नव-पाषाण-युग—कैम्पिग्नियन तथा रौबिनहौसियन सस्कृति-काल (Neolithic Period—Campignian and Robenhausian Culture Epoch)

'पूर्व-पाषाण-युग' में मनुष्य जगल से फल-मूल-मेवा चुन लाता था या शिकार से पेट भरता था, इसलिए इस काल के उसके उपकरण भी इन्हीं कामों के योग्य थे । 'नव-पाषाण-युग' में उसने भिन्न-भिन्न व्यवसाय को जन्म दिया । इस काल का प्रारंभ आज से ८,००० साल से ५,००० साल पूर्व का माना जाता है । इस काल में वर्तमान मानव ने सृष्टि में विचरना शुरू किया । 'नव-पाषाण-काल' का प्रारंभ का समय 'कैम्पिग्नियन-सस्कृति-काल' कहाता है, बाद का समय 'रौबिनहौसियन-सस्कृति-काल' कहाता है । इस युग में मनुष्य ने एक नवीन दिशा में प्रगति की, उसने कृषि तथा पशु-पालन प्रारंभ कर दिया और इसलिए उसके उपकरणों में भी इसी दिशा में सुधार हुआ । कृषि तथा पशु-पालन—ये दो इस काल की मानो दो ऋतियाँ थीं, इसलिए इन दोनों पर कुछ लिखना आवश्यक है—

(क) कृषि (Agriculture)—कृषि में केले की पौध पहले-पहल भारत में लगाई जाती थी, और यहाँ से इसका अन्य क्षेत्रों में विस्तार

हुआ। वनस्पति-शास्त्रज्ञों का कथन है कि कृषि का प्रारंभ कौकेशस तथा भारत के बीच के प्रदेश में हुआ। इन प्रदेशों में पहले-पहल गेहूँ तथा अन्य अनाज पैदा किये गये। यहाँ से ये पौधे तथा कृषि के अन्य साधन दूर-दूर फैले। अब तक तो अनाज-फल-मूल-मेवे जगलों में पैदा होते थे और उनका जगली रूप ही था, अब मनुष्य ने घरेलू अनाज आदि पैदा करने शुरू किये। इनमें जुआर, चावल, गोभी, शलजम, मटर, गाजर, चुकंदर, प्याज, सोयाबीन, नाशपाती, बेर, अगूर, अजीर, खजूर, तरबूज, ककड़ी, नारियल, नारंगी आदि यूरोप में होने लगे। पश्चिमी-एशिया में घरेलू अनाज पैदा होने के बाद यूरोप का जल-वायु इस योग्य हुआ कि वहाँ एशिया जैसे अनाज आदि पैदा हो सकें, और दक्षिणी अमरीका में तो हजारों साल बाद जल-वायु यूरोप जैसा हुआ ताकि वहाँ भी वे ही अनाज पैदा हो सकें। दक्षिणी अमरीका में एक प्रकार के जगली अनाज से घरेलू मक्का पैदा की गई, एक प्रकार के जगली कंद से आलू पैदा किया गया। अमरीका में जगली वनस्पतियों को घरेलू बना लेने का समय लगभग ४,००० से २,००० ई० पू० गिना जाता है। इस समय शकरकन्दी, मिर्च, टमाटर, तम्बाकू और रुई की पैदावार शुरू हुई। यूरोप तथा अमरीका में जो-जो वनस्पतियाँ पैदा हुई वे आपस में इतनी भिन्न हैं कि दोनों स्थानों में उनका स्वतंत्र विकास हुआ—ऐसा अनुमान किया जाता है। पीछे कोलम्बस के अमरीका ढूँढ लेने के बाद जब इन दोनों प्रदेशों के लोगों का आपस में आना-जाना हुआ, तब एक जगह की वनस्पति दूसरी जगह भी लगाई जाने लगी, उससे पहले नहीं।

स्वभावतः प्रश्न उठता है कि 'पूर्व-पाषाण-युग' में जब मनुष्य फल-मूल चुन कर तथा शिकार पकड़ कर जीवन-निर्वाह करता था, तब कृषि का आविष्कार कैसे हुआ? कई विद्वानों का कथन है कि कृषि का आविष्कार एक प्रकार की क्रांति थी, जीवन-भरण का एक नवीन उपाय था, वह उस समय के मनुष्य के मस्तिष्क की एक प्रकार की सूक्ष्म थी, उसकी बुद्धि का चमत्कार थी। अन्य विद्वान् कहते हैं कि कृषि कोई नया चमत्कार नहीं था, यह तो आदि-काल से मनुष्य का जिस दिशा में और जिस प्रकार विकास हो रहा था, उसी का स्वाभाविक परिणाम था, सामाजिक-अवस्थाओं की यह अवश्यम्भावी उपज था। अब तक मनुष्य जंगल से फल-मूल इकट्ठे करता था। इन मनुष्यों के कुछ गिरोह होंगे। उनमें से कुछ ने ऐसे प्रदेशों पर आधिपत्य जमा लिया होगा जिनमें फल-मूल अधिक होंगे। परिणाम यह हुआ होगा कि कुछ लोगों का फल-मूल चुनने का क्षेत्र अत्यन्त संकुचित हो गया होगा। उन्होंने जो क्षेत्र उनके पास रह गया उसकी देख-भाल शुरू कर दी होगी। इसी देख-भाल का नाम ही तो कृषि-व्यवसाय है। अब तक अन्त-पाषाण-कालीन तथा सन्धि-कालीन पाषाण-युग में जो उपकरण बने थे, वे इस प्रकार के कृषि-व्यवसाय के लिए उपयुक्त भी थे। इस दृष्टि से कृषि का व्यवसाय कोई नवीन चमत्कार न होकर सामाजिक परिस्थितियों का स्वाभाविक परिणाम था।

कृषि-सन्ध्या तथा कृषि-व्यवसाय का उस समय के समाज पर क्या परिणाम हुआ ? इस काल में जन-संख्या बढ़ रही थी, जन-संख्या बढ़ने के कारण पहले की अपेक्षा भोजन प्राप्त करने की कशमकश भी बढ़ रही थी। जो लोग समर्थ थे, वे कृषि-योग्य भूमि पर स्वामित्व जमाते चले जा रहे थे। पहले तो हरेक भोजन की तलाश में फिरा करता था, अब कृषि-युग में एक के स्थान में अनेक का भरण-पोषण हो सकता था, इसलिए कई व्यक्ति भोजन की चिंता से मुक्त होकर अन्य व्यवसायों में लगने लगे। उदाहरणार्थ, भांड-निर्माण (Pottery), वस्त्र-निर्माण (Weaving), टोकरी-निर्माण (Basketry), चर्म-निर्माण (Leather work), काष्ठ-निर्माण (Carpentry), नौ-निर्माण (Boat making), मत्स्य-व्यवसाय (Fishing) तथा धार्मिक एवं राजनैतिक कार्यों से अनेक व्यक्ति अपना पेट पालने लगे। इस सब का परिणाम यह हुआ कि भिन्न-भिन्न व्यवसायों में लोग दक्षता प्राप्त करने लगे और 'श्रम-विभाग' के नियम का सूत्रपात हुआ। अब तक तो रहने के स्थान भी निश्चित नहीं होते थे। जहाँ भोजन मिलता दीखा, वहाँ चल दिये। जंगल के जानवर जंगल में आगे निकल गये, तो मनुष्य भी उनके साथ-साथ आगे बढ़ता गया। कृषि-काल में मनुष्य विचरण का जीवन छोड़ एक स्थान पर रहने लगा, इसलिए मकान भी पक्के बनने लगे। इस काल में पक्की ईंटों का आविष्कार हुआ। ईंटों और पत्थरों के मकानों में मनुष्य रहने लगा। धनी लोग अपने साथ कुछ सैनिक रखने लगे ताकि अपनी तथा अपनी सम्पत्ति की रक्षा की जा सके। सेना बढ़ी तो युद्ध भी छिड़े। युद्धों में शत्रु के जो सिपाही पकड़े जाते थे, उनसे खेतों में तथा अन्य निर्माण-कार्यों में काम लिया जाने लगा। पाषाण का जो व्यवसाय पूर्व-पाषाण-युग से चला आ रहा था उसमें उन्नति हुई और पत्थरों को घिसने, छेदने, काटने आदि की प्रक्रियाओं द्वारा नये-नये उपकरणों का निर्माण हुआ। पहले हम जो पाषाण-घर्षण, पाषाण-छेदन, पाषाण-चीरण (Stone pecking, grinding, sawing) आदि का वर्णन कर आये हैं, ये प्रक्रियाएँ इसी नव-पाषाण-युग में हुईं और इनसे इस युग के अनुरूप नये-नये उपकरण बने।

(ख) पशु-पालन (Pastoralism)—'नव-पाषाण-युग' की पहली क्रांति तो 'कृषि' थी, दूसरी क्रांति 'पशु-पालन' थी। कई लोगों का विचार है कि पशु-पालन का प्रारंभ पहले हुआ, कृषि का बाद को, परन्तु अब अधिकांश विचारकों का कहना यह है कि कृषि के बाद पशु-पालन के व्यवसाय का विकास हुआ। ऐसा कहा जाता है कि यूरोप में कृषि-क्रांति के परिणामस्वरूप कुछ विशेषज्ञों को जंगली पशुओं में से उन पशुओं को जो मनुष्य के लिए आर्थिक दृष्टि से उपयोगी थे, घरेलू बनाने के काम में लगा दिया गया। बकरी-बकरा-सूअर तो ८,००० से ६,००० ई० पू० के लगभग पालतू बना लिये गये थे, और घोड़ा, गधा, ऊँट, बिल्ली ३,००० ई० पू०, भैंस, मर्गी, बत्तख १,००० ई० पू०

के लगभग मनुष्य के साथी बन गये थे। अमरीका में तो पशु-पालन कृषि-व्यवसाय का ही परिणाम था—यह स्पष्ट प्रतीत होता है। यह नहीं कहा जा सकता कि पशु-पालन का व्यवसाय सिर्फ आर्थिक-दृष्टि से प्रारंभ हुआ। इस व्यवसाय की शुरुआत तो आर्थिक-दृष्टि से ही हुई होगी, परन्तु धीरे-धीरे कुछ पशुओं को शौक के लिए भी पाला जाने लगा, कुछ पशु इसलिए भी पाले जाने लगे क्योंकि पादरी-पुरोहित उनमें आध्यात्मिक शक्ति की कल्पना करते थे।

जैसे कृषि मानव-समाज के सगठन के लिए एक क्रांति के रूप में आयी, वैसे पशु-पालन का भी मानव-समाज की रचना पर क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा। पशुओं के पालतू बन जाने के कारण कृषि को और अधिक प्रोत्साहन मिला। कहीं-कहीं तो पशुओं के पालने का एक स्वतंत्र व्यवसाय चल पड़ा। उन लोगों को कृषि से इतना आर्थिक-लाभ होता नहीं प्रतीत हुआ जितना पशु-पालन से। वक्करियों का और घोड़ों का पालन एक स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में कई स्थानों में इतना मुख्य हो गया कि वहाँ के लोगों ने खेती छोड़ कर पशु-पालन का कार्य ही शुरू कर दिया।

## १२ नव-पाषाण-युग के अन्य उपकरण

नव-पाषाण-युग में कृषि तथा पशु-पालन का प्रारंभ हुआ, इसका यह अभिप्राय नहीं कि इस युग में अन्य कोई व्यवसाय नहीं था। अभी तक पाषाणों के अनेक उपकरण बनते चले आ रहे थे, वे तो चलते ही रहे, उनके अतिरिक्त इस युग में निम्न व्यवसायों के प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं :—

(क) नव-पाषाण के कर्तन-यन्त्र (Neolithic cutting-tools)— हम पहले लिख आये हैं कि 'पूर्व-पाषाण-युग' में पत्थरों के 'फलके' (Flakes) बनाये जाते थे। यह भी हम लिख आये हैं कि पहले 'प्रतिघात-विधि' (Per-cussion method) तथा बाद को 'दबाव-विधि' (Pressure method) से फलके बनाये जाते थे। इन फलकों से छेदन-विधि द्वारा, घिसने तथा पीसने की विधि द्वारा 'नव-पाषाण-युग' में और प्रकार के नये-नये उपकरण बनाये जाने लगे। पहले के युग में तो नरम पत्थर से उपकरण बनाये जाते थे, अब सख्त पत्थर के उपकरण बनने लगे। इस समय क्योंकि कृषि का भी प्रारंभ हो चुका था, इसलिए इस युग में 'हल' (Plough) का आविष्कार भी हुआ, यद्यपि इस समय का हल बहुत सख्त पत्थर का होता था। 'चक्र' (Wheel) का आविष्कार भी इस युग की देन है। यह 'चक्र' लकड़ी का बना होता था और कहीं-कहीं पत्थर का।

(ख) भाड-निर्माण (Pottery)— 'नव-पाषाण-युग' में मट्टी के बर्तन भी बनने लगे। विद्वानों का कहना है कि युरोप तथा अमरीका में स्वतंत्र रूप से अलग-अलग भाड-निर्माण-कला का आविष्कार हुआ। युरोप में इस समय 'कुम्हार के चाक' (Potter's wheel) का आविष्कार ही हुआ था, परन्तु



अमरीका में बिना इस चाक की सहायता के मट्टी के वर्तन बनते थे। नव-पाषाण-युग के कृषि-काल में भाङ-निर्माण की विद्या काफी विकसित हो चुकी थी। निकट-पूर्व-प्रदेशों में, इस युग में, मट्टी के वर्तनों को आग में पकाने, उन्हें पालिश करने तथा ब्रुश द्वारा उन पर चित्रकारी करने की कला का आविष्कार हो गया था। शुरु-शुरु में मट्टी के वर्तनों की शकलें उन्हीं वस्तुओं के आकार की थीं, जिन्हें अब तक का मानव इस्तेमाल करता था। उदाहरणार्थ, अब तक टोकरियों, तूम्बों आदि के साधनों से रोजमर्रा का काम चलता था, इसलिए नव-पाषाण-युग में मट्टी के वर्तन भी टोकरियों और तूम्बों के आकार के थे, परन्तु धीरे-धीरे इन में भी परिवर्तन आने लगा। हर दिशा में विशेषज्ञों ने अपनी छाप लगानी शुरू कर दी, और वर्तनों के आकार-प्रकार भी विशेषज्ञों ने नये ढंग के बनाने शुरू कर दिये। अभी तक जो वर्तन बनते थे, वे पत्थर के बने होने के कारण मजबूत तो होते थे, परन्तु उनके निर्माण में बहुत समय लगता था। अब मट्टी के वर्तन बनने लगे जो टूटते तो जल्दी थे, परन्तु जो क्षट-से बन जाते थे। अब तक जो लोग ठुकर-ठुकर कर के पत्थर के दो-चार वर्तन बना सकते थे, वे अब मट्टी के ढेरों वर्तन बनाने लगे और क्योंकि वर्तनों की पैदावार बहुत बढ़ गई इसलिए इन वर्तनों के व्यापार को भी काफी प्रोत्साहन मिला।

(ग) वस्त्र-निर्माण (Textiles)—‘पूर्व-पाषाण-युग’ का मानव जगल में मरे पड़े भेङ-बकरी आदि की ऊन उतार लेता होगा और उसे बट कर रस्ती या मोटा-झोटा कम्बल भी बना लेता होगा। उस समय कोई प्राथमिक रूप के चर्खें, खड्डियाँ भी बनी होंगी, परन्तु ‘नव-पाषाण-युग’ में जब पहले की आर्थिक-व्यवस्था बदली, पशुओं को पाला जाने लगा, कपास पैदा की जाने लगी, तब तो चर्खों और खड्डियों में विशेष सुधार हुआ, और वस्त्र-निर्माण कला का आविष्कार हुआ। नव-पाषाण-युग के मानव के कपड़े पूर्व-पाषाण-युग के मानव के कपड़ों से भिन्न हैं। पहले तो अधिकतर चमड़े के वस्त्रों का प्रयोग होता था, इस युग में कपास और ऊन के वस्त्रों का प्रयोग होने लगा। नव-पाषाण-युग में कृषि के साथ-साथ कपास भी बोई जाने लगी। यूरोप में पहले और अमरीका में बाद को स्वतंत्र रूप से वस्त्र-व्यवसाय चला।

### १३ कैम्पिग्नियन तथा रौबिनहौसियन सस्कृति-काल के उपकरण

हम पहले लिख आये हैं कि ‘नव-पाषाण-काल’ का प्रारम्भ का समय, जिस स्थान पर इस काल के उपकरण मिले हैं, उस स्थान के कारण ‘कैम्पेग्नियन-सस्कृति-काल’ तथा बाद का समय ‘रौबिनहौसियन-सस्कृति-काल’ कहाता है। इन दोनों कालों के जो-जो उपकरण मिले हैं, वे निम्न हैं —

(क) कैम्पिग्नियन-सस्कृति-काल (Campignian Culture Epoch)—यह नव-पाषाण-युग के प्रारम्भिक काल की सस्कृति है। इसके पत्थर के उपकरण निम्न हैं—(१) कुल्हाडा, (२) छँनी, (३) कुल्हाडी,

(४) आन्तरक से बनी कुल्हाड़ी, (५) रन्दे कई तरह के, (६) वाण की नोक, (७) घिसने का पत्थर, (८) सींग का कुल्हाडा, (९) हरिण की हड्डी का सूआ, (१०) हरिण की हड्डी का बरछा, (११) पक्षी की हड्डी का सूआ, (१२) लकड़ी का प्रक्षेपण-यंत्र, (१३) हड्डी का मछली पकड़ने का हुक, (१४) अस्थि-निर्मित मनके, (१५) अस्थि-निर्मित कघी, (१६) मट्टी के बरतन—आदि।

(ख) रौबिनहौसियन-संस्कृति-काल (Robenhausian Culture Epoch)—यह नव-पाषाण-युग के अन्तिम काल की संस्कृति है। इसके उपकरण निम्न हैं—(१) पाषाण-निर्मित-कुल्हाड़ी तथा अन्य अनेक प्रकार की कुल्हाड़ियाँ, (२) सींग के हत्ये की पाषाण-निर्मित छैनी, (३) लकड़ी के हत्ये का पाषाण-निर्मित चाकू, (४) सींग-निर्मित तथा पाषाण-निर्मित चाकू, (५) अस्थि-निर्मित चाकू या छुरी, (६) सूअर के दाँत का मछली पकड़ने का फदा, (७) स्तनधारी प्राणी की हड्डी का सूआ, (८) हड्डी के हत्ये का अस्थि-निर्मित सूआ, (९) मट्टी के बरतन, घड़ा आदि, (१०) पकी मट्टी का तकुआ, (११) खड्डी के तागों को संभालने के लिए पकी मट्टी का बज्जन, (१२) फटी हड्डी के कघे, (१३) हड्डी के बड़े-बड़े बटन, (१४) सींग का लटकन, (१५) पत्थर के मनके, (१६) कड़े, (१७) पकी मट्टी की मानवीय मूर्ति, (१८) पकी मट्टी की आभूषित मूर्तियाँ, (१९) लकड़ी की हथौड़ी, (२०) हत्ये के निशान वाली कुल्हाड़ी, (२१) लकड़ी का चम्मच, (२२) लकड़ी की गवा, (२३) लकड़ी का धनुष, (२४) लकड़ी की नाव—आदि।

### १४ ताम्र-युग (Copper age)

‘पूर्व-पाषाण-युग’ तथा ‘नव-पाषाण-युग’ में केवल उन्हीं धातुओं का प्रयोग होता था जो भूमि के ऊपर पड़ी-पड़ाई मिल जाती थीं। उस समय न तो भू-खनन-विद्या द्वारा धातुओं को भूमि के गर्भ से निकाल सकने का उन लोगों को ज्ञान था, न वे भिन्न-भिन्न तत्वों को रासायनिक तौर पर मिला कर नवीन धातुओं को बना सकते थे। ऐसी हालत में इन धातुओं की प्रचुरता न होने के कारण वे धातुओं के उपकरण नहीं बना सकते थे, पत्थर के उपकरणों द्वारा ही उनका काम-काज चलता था। नव-पाषाण-युग के बाद ताम्र-युग आया। ईजिप्ट में ताम्र-युग का प्रारंभ ४,००० ई० पू० माना जाता है, निकट-पूर्व में ४,००० से ३,००० ई० पू०। मैक्सिको में स्पेनिश लोगो ने जब आक्रमण किया, तो उससे कुछ शताब्दी पहले से मैक्सिको के एज़टेक्स लोग जो वहाँ के शासक थे, ताम्बे के आभूषणों, सूइयों तथा कुल्हाड़े-कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे। युरोप तथा अमरीका में स्वतंत्र रूप से ताम्र के आभूषण बनाने की प्रक्रिया का आविष्कार हुआ। वे लोग आभूषण या ताम्बे के बरतन बनाने के लिए मट्टी का साँचा बना कर-उसमें पिघला हुआ ताम्बा उँडेल देते थे। उसके ठोस हो जाने पर मट्टी का खोल तोड़ कर आभूषण या बरतन को उसमें से निकाल लिया जाता था।

वे ताम्बे मिली मट्टी में से कोयले द्वारा ताम्बे को पिघला कर निकालना जानते थे। सब से पहले साइप्रस में ताम्बे का प्रयोग पाया गया है।

### १५ ब्रौंज या कास्य-युग (Bronze age)

पाषाण, लकड़ी तथा हड्डी के उपकरणों के बाद धातुओं के प्रयोग का युग जो आया, उसमें ताम्र-युग प्रथम था। अब तक उपकरण बनाने की जो विधियाँ पाषाण, लकड़ी तथा हड्डी पर इस्तेमाल की जाती थीं, वही ताम्र पर इस्तेमाल की जाने लगीं, और पहले की-सी शकल के परन्तु धातु के उपकरण बनने लगे। ताम्र के बाद कास्य-युग आया। यह धातु दो धातुओं के मिश्रण से बनती है। एक हिस्सा टिन तथा ९ या १० हिस्से ताम्र के मेल से कास्य-धातु बनती है। ईजिप्ट में ३,००० ई० पू० में कास्य का प्रयोग पाया जाता है। इसके कुछ काल बाद ही मैसेपोटामिया तथा भारत में कास्य का प्रयोग मिलता है। इन प्रदेशों में विशेषज्ञ लोग इस धातु के सबध में अनेक परीक्षण करते रहे। इसे किस प्रकार गला कर बनाया जाय, किस प्रकार के सांचे बनाये जाय—ये सब परीक्षण इन इलाकों में उक्त काल में होते रहे। एक तरह से निकट-पूर्व के प्रदेशों में ३,००० से १,००० ई० पू० में कास्य-युग था—ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि कास्य के औजार पत्थर के औजारों से तेज और अधिक मजबूत होते थे इसलिए इस युग में पत्थर के उपकरणों का स्थान कास्य के उपकरण लेने लगे। इन उपकरणों की कार्य-क्षमता बहुत अधिक थी। इसी कारण इस युग में बढ़ईगिरी, नौका-निर्माण, रथ, चक्र-निर्माण, अस्त्र-शस्त्र आदि के निर्माण में खूब प्रगति हुई। जहाँ-जहाँ कास्य के उपकरण प्रयोग में आने लगे, वहाँ-वहाँ आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दिशा में भी प्रगति होने लगी। जब भारत में ३,००० ई० पू० के लगभग कास्य का प्रयोग हो रहा था, तब अमरीका में कोलम्बस के आने तक इस धातु का प्रयोग अज्ञात था।

कास्य-युग के जो उपकरण मिले हैं, वे हैं—(१) कुल्हाड़े के पाँच प्रकार के कास्य-निर्मित फलके, (२) छेददार रेतों जिस पर हत्या लगाया जा सकता है, (३) हत्ये के छेद वाला हथौड़ा, (४) सींग के हत्ये वाला सूआ, (५) सूई, (६) छोटी चिमटी, (७) दो प्रकार के उस्तरे, (८) आरा, (९) चाकू, (१०) भाला, (११) छुरा, (१२) तलवार, (१३) कई तरह की घनुष की नोकें, (१४) मछली पकड़ने का फदा, (१५) लगाम, (१६) पहिया, (१७) हेयर-पिन, (१८) सेफटी-पिन, (१९) मनके, (२०) वटन, (२१) जजौर, (२२) कड़े, (२३) तलवार की मुठिया के आकार के वटन, (२४) हसुआँ का फलक, (२५) एक सुन्दर स्त्री की मूर्ति जिसने जाकेट पहनी हुई है, (२६) तीर-कमान खेंचे हुए एक योद्धा, (२७) ढाल तथा कुल्हाड़ी सहित एक योद्धा, (२८) ढाल तथा भाले सहित एक घुडसवार, (२९) दो बैलों की जोड़ी से हल चलाते हुए एक किसान, (३०) दो घोड़ों से रथ चलाते हुए एक रथवान, (३१) नौका में योद्वागण, (३२) डुन्दुभि वजाते हुए एक योद्धा—आदि।

## १६ लौह-युग (Iron age)

कांस्य-युग के बाद लौह-युग आया। इसका समय १,५०० ई० पू० माना जाता है। वह भी, पूर्वोप-मैडिटेरेनियन-प्रदेशों में लौह-युग का यह समय है। यूरोप में तो लौह-युग का समय १,००० ई० पू० से पहले नहीं बनता। यूरोप में लौह-युग की संस्कृति को 'हालस्टट' (Hallstatt)—यह नाम दिया जाता है।

लौह-युग में प्रवेश करते ही हम देखते हैं कि इससे पहले के युगों के उपकरणों में अनेक सुधार कर दिये गये हैं। हथौड़े, कुल्हाड़ी, बसूले में हत्ये लगाने के लिए पाषाण-युग में छेद ऊपर सिरे पर कर दिया जाता था जिससे इन उपकरणों को ऊपर से पकड़ कर काम किया जा सकता था, अब ऊपर छेद करने के स्थान में एक पासे से इनमें छेद किया जाने लगा जिससे इन्हें तिरछा करके भी काम लिया जा सकता था। इस समय हँसिये (Sickle) को कुछ लम्बा करके खुरपे (Scythe) का रूप दे दिया गया, कुदाली (Hoe) को हल (Plough) का रूप दे दिया गया, बछ्छे (Harpoon) को त्रिशूल (Trident) का रूप दे दिया गया। कई नये प्रकार के उपकरण भी निकल आये। उदाहरणार्थ, चिमटी, सडासी, कँची, दरजी की अंगुली में पहनने की टोपी, बरमा, आरी, रेतो, मोटी रेतो, बड़ई का रन्दा, परकार, ताले-चाबी, कील, घोड़े की नाल आदि—ये लौह-युग के नवीन उपकरण थे।

लौह-युग के जो उपकरण मिले हैं, वे हैं—(१) लोहे का घन, (२) लोहे का हथौड़ा, (३) लोहे की कुल्हाड़ी के दो प्रकार, (४) लोहे के चिमटे, (५) लोहे का बरमा, (६) आरा तथा चाकू एक उपकरण में मिले-जुले, (७) लोहे का रन्दा, (८) लोहे का हल, (९) लोहे का खुरपा, (१०) लोहे की कँची, (११) लोहे की घोड़े की नाल, (१२) लोहे का बरछा, (१३) लोहे का भाला, (१४) वाण के लोहे के दो प्रकार के नोक, (१५) छुरा, (१६) तलवार, (१७) उस्तरा, (१८) त्रिशूल, (१९) नाव के कुड़े, (२०) लकड़ी के प्याले, (२१) ब्रौज के प्याले, (२२) अस्थिनिर्मित जूए के पासे, (२३) काँच के बने विविध रंगों के मनके, (२४) अम्बर के मनके, (२५) ब्रौज की सेफ्टी-पिन, (२६) लोहे का सेफ्टी-पिन, (२७) ब्रौज का हेयर-पिन, (२८) कडे, (२९) सोने की अंगूठी—आदि।

१७. पुरातन-उपकरणों द्वारा आदि-समाज की सभ्यता पर प्रकाश

इस अध्याय में हमने पाषाण-युग, ताम्र-युग, कांस्य-युग तथा लौह-युग के अनेक उपकरणों का वर्णन किया। इस वर्णन का अभिप्राय क्या है? इन उपकरणों से उस-उस समय की सभ्यता तथा संस्कृति पर प्रकाश पड़ता है। जिस समय पत्थर के ही उपकरण प्राप्त होते हैं, धातुओं के नहीं, उस समय मनुष्य का विकास इतना ही हुआ था कि वह पत्थर के उपकरण बनाता था और उनका

उपयोग करता था। जिस समय धातुओं के उपकरण मिलने लगे, उस समय मनुष्य ने धातु को खोज निकाला था। जिस समय हल नहीं मिलता, उस समय कृषि-युग नहीं शुरू हुआ था, जिस समय हल मिलता है, उस समय कृषि-युग शुरू हो चुका था। दीये का मिलना सिद्ध करता है कि जिस युग में इस की संप्राप्ति होती है उस समय आग का आविष्कार मनुष्य कर चुका था। मकानों के मिलने से मकान बनाने की कला, नौकाओं के मिलने से नौकाओं के निर्माण का ज्ञान उस काल के मनुष्य को था—यह सिद्ध होता है। उस समय की सभ्यता तथा सस्कृति हमें कहीं लिखी नहीं मिलती, परन्तु ये उपकरण मानो उस समय के मानव के जीवित-जागृत लेख हैं, जो उसके सांस्कृतिक-स्तर को मूक-भाषा में बोल रहे हैं।

परन्तु इस का यह अभिप्राय नहीं कि इन उपकरणों को देख कर हम उस समय की सामाजिक अवस्था के विषय में जो परिणाम निकालते हैं वे सब सही हैं। हम स्वयं इन उपकरणों से जो काम ले सकते हैं उसी के आधार पर तो हम उस समय के मनुष्य की सामाजिक स्थिति के सबंध में नतीजे निकालते हैं, परन्तु क्या पता उस समय का मानव इन उपकरणों का क्या इस्तेमाल करता था? हम ज्यों-ज्यों पीछे के युग में चले जाते हैं त्यों-त्यों इन उपकरणों के आधार पर निकाले गये हमारे परिणाम अनिश्चित हैं। ६ लाख साल पहले के पत्थर के कुल्हाड़े को देख कर हम क्या परिणाम निकाल सकते हैं? हमें क्या पता कि उस काल का मानव इससे क्या उपयोग लेता था? इसलिए इन प्राचीन उपकरणों के आधार पर हम जो परिणाम निकालते हैं, वे निश्चित नहीं, अनिश्चित हैं, परन्तु अनिश्चित होते हुए भी वे उस समय के मानव के विकास की दिशा का कुछ-कुछ निर्देश अवश्य कर देते हैं।

आज से एक-सौ वर्ष पहले हम आदि-मानव के विषय में कुछ नहीं कह सकते थे। उस समय ग्रीस, रोम, तथा अपने देश के लिखित इतिहास तक ही हमारा ज्ञान सीमित था। बहुत हुआ, ईजिप्ट, मैसेपोटामिया तथा पर्शिया के साम्राज्यों के विषय में कुछ बन्तकथाएँ सुन-सुना लीं। लाखों साल पहले की बात करने का किसी को साहस न होता था। अब 'मानव-शास्त्र' के अध्ययन के बाद से स्थिति बदल गई है। अब हम कह सकते हैं कि ४ लाख साल पहले का आदि-मानव पत्थर के उपकरणों का व्यवहार करता था, आग का आविष्कार वह कर चुका था, सर्दियों में आग जला कर सँकता था। हम आज भूमि की कोख में से प्राप्त हुए चित्रों और मूर्तियों के आधार पर कह सकते हैं कि २० हजार साल पहले यूरोप में चित्र-कला का ज्ञान था, चित्रों के आधार पर कह सकते हैं कि ८ हजार साल पहले कृषि तथा पशुपालन शुरू हो चुका था।

इस अध्याय में मानव के विकास की जो रूप-रेखा हमने वी उसे चित्र में निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं.—

संस्कृति या व्यवसाय	कब से कब तक	अवसाय (Industry)	मानव का नाम
आदि-चैलियन (1st Interglacial)	? — ५४०,०००	Flake-industry (Percussion method)	पियर्कोश्रोपस
चैलियन (2nd Interglacial)	५४०,००० — ४८०,०००	Hand-axe (Coup-de-ping)	पेकिग-मानव
एल्लेगियन तथा क्लेस्टोनियन (3rd Interglacial)	४३०,००० — २४०,०००	Core	होडलबर्ग-मानव
लंबोलोशियन (End of 3rd Interglacial)	२५०,००० — ७०,०००	Stone-industry (Pressure method)	नियेंडरथल-मानव
मोस्ट्रियन (End of 3rd Interglacial)	१४०,००० — ७०,०००	"	नियेंडरथल-मानव
ओरिगनेशियन (After Ice age)	१००,००० — ५०,०००	"	ग्रिमाल्डी-मानव
सैल्यूट्रियन	थोड़े समय रहा	"	क्रो-मैग्नन-मानव (होमो-सेपियन्स)
मंगडेलोनियन	५०,००० — २०,०००	Bone industry	"
एज़ोलियन	५०,००० — २०,०००	Carving and Painting	"
मंसोलिथिक	२०,००० — ७०००	Microoliths	"
कैम्पिनियन	६००० ई०पू० — ५५०० ई०पू०	Agriculture	वर्तमान-मानव
रोबिनहोसियन	५००० ई०पू० — ४१०० ई०पू०	Pastoralism	"
ताम्र-युग	४००० ई०पू० — ३००० ई०पू०	Metallurgy (Copper)	"
कांस्य-युग	३००० ई०पू० — १००० ई०पू०	Bronze-industry	"
लोह-युग	१००० ई०पू० से	Iron-industry	"

पूर्व-पाषाण-युग

युग

नव-पाषाण-युग

# प्रागैतिहासिक-पुरातत्व-विज्ञान तथा भिन्न-भिन्न देशों का आदि-समाज

## PREHISTORIC ARCHEOLOGY AND PRIMITIVE SOCIETY OF DIFFERENT COUNTRIES)

हम पिछले अध्याय में लिख आये हैं कि प्राचीन-काल के उपकरणों के ज्ञान से उस काल की सामाजिक-स्थिति का अनुमान किया जा सकता है। उपकरणों के विषय का ज्ञान तीन बातों का ज्ञान है। पहली बात यह है कि ये उपकरण क्या-क्या थे और इनका निर्माण कैसे हुआ, दूसरी बात यह कि किस-किस काल में कौन-कौन-सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता था, और तीसरी बात यह कि किस-किस देश में कौन-कौन-सा उपकरण काम में आता था। पिछले अध्याय में हम दो बातों पर लिख आये हैं—इन उपकरणों की निर्माण-विधि क्या थी, और किस-किस काल में इनका उपयोग होता था। इस अध्याय में हम यह दर्शाने का प्रयत्न करेंगे कि किस-किस देश में इन उपकरणों का प्रचलन था। देशों का वर्णन करते हुए हम आफ्रीका, दक्षिणी एशिया, मध्य एशिया, उत्तरी एशिया, मैलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, पौलीनेशिया, आस्ट्रेलिया-टस्मानिया, अमरीका तथा भारत का वर्णन करेंगे।

### १ आफ्रीका

हम पहले लिख आये हैं कि ससार के पाँच युगों में से 'नव-जीव-युग' (Cainozoic period) ही हमारे अध्ययन का विषय है क्योंकि इसी युग के अवशेषों में आदि-मानव के उपकरण अथवा प्रस्तरावशेष मिलते हैं। 'नव-जीव-युग' के छ विभाग हैं—प्रादि-नूतन, आदि-नूतन, मध्य-नूतन, अति-नूतन, प्राति-नूतन तथा सर्व-नूतन। इन में से 'प्राति-नूतन' (Pleistocene) तथा 'सर्व-नूतन' (Holocene)—ये दो युग ही हमारे अध्ययन के विषय हैं। 'प्राति-नूतन-युग' में पाषाण-संस्कृति तथा 'सर्व-नूतन-युग' में धातु-संस्कृति का विकास हुआ। इस प्रकरण में यह समझ लेना आवश्यक है कि 'प्राति-नूतन' तथा 'सर्व-नूतन' आदि शब्द भूगर्भ-शास्त्र, प्राणी-शास्त्र तथा जन्तु-शास्त्र की दृष्टि से गढ़े गये हैं, पूर्व-पाषाण-युग, नव-पाषाण-युग, ताम्र-युग, कांस्य-युग, लौह-युग आदि शब्द संस्कृति की दृष्टि से गढ़े गये हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि 'प्राति-नूतन-काल' (Pleistocene period) में 'पूर्व-पाषाण-संस्कृति' (Paleolithic Culture), 'नव-पाषाण-संस्कृति' (Neolithic Culture) आदि

थी। इन कालों का इन सस्कृतियों के साथ घनिष्ठ संबन्ध होने के कारण कभी-कभी 'पूर्व-पाषाण-सस्कृति' आदि के स्थान में 'पूर्व-पाषाण-युग' आदि शब्दों का भी प्रयोग कर दिया जाता है, परन्तु इनमें जो भेद है वह हमने स्पष्ट कर दिया है ताकि इन शब्दों के भेद को जानते हुए विषय को समझा जा सके।

ग़त ६० वर्षों में आफ्रीका महाद्वीप के ईजिप्ट देश में 'आदिकालीन पूर्व-पाषाण-युग' (Early Paleolithic Period) के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। खास कर इनकी प्राप्ति ईजिप्ट के लक्षोर प्रदेश के पश्चिमीय मरु-स्थल से हुई है। इस काल के कुछ थोड़े-बहुत उपकरण सोमालीलैण्ड, नूवियन तथा लीवियन मरु-प्रदेश, ट्यूनिस्, एल्जीयर्स, मोरोक्को, सहारा तथा टिम्बक्टू में भी मिले हैं। कुछ-कुछ कौंगो तथा बहुत-कुछ रोडेशिया और दक्षिणी आफ्रीका में पूर्व-पाषाण-युग के अघड मुष्टि-छुरे (Coup-de-poing) मिले हैं। इन स्थानों में दस्तियों हज़ार उपकरण प्राप्त हुए हैं जो 'आदिकालीन तथा मध्यकालीन पूर्व-पाषाण-युग' (Early and Middle Paleolithic Period) के हैं। इन्हें चैलियन, एशूलियन तथा मौस्ट्रियन सस्कृति-काल का कहा जा सकता है। नील दरिया की घाटी में कुछ अवशेष मिले हैं जिन्हें शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने 'प्राति-नूतन-काल' अर्थात् 'हिम-युग' (Pleistocene age अर्थात् Ice age) का सिद्ध किया है। इन प्रोफेसरों ने चैलियन, एशूलियन तथा मौस्ट्रियन संस्कृति के उपकरण भी इन स्थानों से प्राप्त किये हैं। १९२६ में श्री लीके (Leakey) को केनिया कौलोनी में 'प्राति-नूतन-काल' अर्थात् 'हिम-युग' के 'अन्तर्हिमयुगों' के कुछ उपकरण मिले जो चैलियन, एशूलियन, तथा मौस्ट्रियन सस्कृति के थे। 'अन्तकालीन पूर्व-पाषाण-युग' (Late Paleolithic Period) के उपकरण आफ्रीका में कम मिलते हैं, यद्यपि ट्यूनिस्, एल्जीयर्स तथा मैडिरेनियन तट-वर्ती प्रदेशों में इन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हुई है।

केनिया कौलोनी में पूर्व-पाषाण-युग के आदि-मध्य-अन्त—इन तीनों कालों के उपकरण मिले हैं। वहाँ जो उपकरण मिले हैं, वे हैं—हथौड़े, घिसने की पथरी जिससे अस्थिनिर्मित टेकुए को तेज़ किया जा सकता है, तेज़ धारवाले धौर पीठ से खुण्डे चाकू, वेधन-यन्त्र, कर्तन-यन्त्र, नक्काशी-यन्त्र, कई तरह के रन्दे, भिन्न-भिन्न ज्यामितिक आकारों के अणु-प्रस्तर अर्थात् छोटे-छोटे पत्थर, अस्थि-निर्मित सूए तथा तरह-तरह के हाथी दाँत के मनके।

अभी हमने आफ्रीका के 'पूर्व-पाषाण-युग' के सांस्कृतिक उपकरणों का वर्णन किया। इस प्रदेश के 'नव-पाषाण-युग' (Neolithic Period) के उपकरणों के विषय में उतना ज्ञान उपलब्ध नहीं होता जितना 'पूर्व-पाषाण-युग' के संबन्ध में मिलता है। फिर भी 'नव-पाषाण-युग' के कुछ उपकरण मिले हैं। ये उपकरण हैं—भाले तथा वाण की नोक, खरल, मूसल, पत्थर के वर्तलाकार कडे, सछिद्र तथा सचित्र मट्टी के वर्तन, हड्डी के सूए, मनके आदि। आफ्रीका के अन्य प्रदेशों में तो 'नव-पाषाण-युग' के उपकरण नहीं के बराबर मिलते हैं,



परन्तु ईजिप्ट में इनकी काफी सख्या मिली है। जे० एच० ब्रेस्टेड (Breasted) का कथन है कि नील दरिया की रेत के साथ वह कर मिश्र के कई कूओ में आज-कल की सतह से ९० फीट नीचे की सतह में टूटे हुए मट्टी के वर्तन मिले हैं। ये वर्तन 'नव-पाषाण-युग' के हैं, और इन के आधार पर उक्त विद्वान् ने यह अनुमान लगाया है कि ईजिप्ट में २० हजार साल पहले 'नव-पाषाण-युग' का प्रारंभ हो गया था।

आफ्रीका के 'धातु-युग' (Metal age) के सबध में विद्वानों का कथन है कि युरोप में ताम्र के उपकरण बनने से पहले आफ्रीका के सहारा प्रदेश में ताम्र का प्रयोग होता था। सभव है ताम्र का आफ्रीका में प्रवेश अरब देशों के सम्पर्क में आने से हुआ हो। तांबे के अलावा लोहे के इस्तेमाल के कई प्रमाण मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि सहारा के बाह्य-प्रदेशों तथा केन्द्रीय कॉंगो में इस धातु के प्रयोग से वहाँ के निवासी परिचित थे। जब पन्द्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुर्तगाल वासियो ने आफ्रीका का चक्कर काटना शुरू किया, उस समय सम्पूर्ण आफ्रीका महाद्वीप में लोहे के उपकरणों का प्रयोग ही नहीं होता था, इनका व्यापार भी होता था। लोहे के उपकरणों का आफ्रीका में उस समय इतना इस्तेमाल हो रहा था कि पत्थर के उपकरण सिर्फ वहाँ के बुशमैन तथा गिनी कोस्ट के निकट के फरनेंडो-पो द्वीपवासी लोग ही कर रहे थे। यद्यपि आफ्रीका की सस्कृति के सबध में अनुसंधान बहुत-कुछ ईजिप्ट के अनुसंधान तक सीमित है, तो भी जितना भी अनुसंधान अब तक हो चुका है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि आफ्रीका में मानव की सत्ता के उतने ही प्रबल प्रमाण मिलते हैं जितने युरोप में मानव के होने के। इतना अवश्य है कि युरोप में मानव की सस्कृति जितने उत्तराव-चढाव में से गुजरी है उतनी शायद आफ्रीका में नहीं गुजरी।

## २ दक्षिणी-एशिया

भारत के सबध में हम कुछ विस्तार से आगे लिखेंगे। यहाँ इतना लिख देना आवश्यक है कि भारत में आफ्रीका तथा युरोप जैसे 'मुष्टि-छुरे' (Coup-de poing) प्राप्त हुए हैं। भारत के समीप फ्रेंच-इंडो-चाइना के सबध में १९०२ में फ्रांसीसी विद्वान् मनसूय (Mansuy) तथा उनके साथियों ने टोंकिन की कन्दराओं तथा उनके आस-पास के कूडे के ढेरों के जो अनुसंधान किये उनसे वे इस परिणाम पर पहुँचे कि इंडो-चाइना की इन कन्दराओं में 'नव-पाषाण-युग' (Neolithic age) के उपकरण मिलते हैं। इन्हीं प्रदेशों से लगे मलाया-द्वीप में भी 'नव-पाषाण-युगीय' उपकरण प्राप्त हुए हैं। कम्बोडिया में अगकोर-वट नाम का एक विशाल मन्दिर है जिसमें एक बड़े भारी अनघड पत्थर की मूर्ति बनी है। इस प्रकार के 'विशाल-पाषाण-स्मारक' (<sup>१</sup>Megalithic monu-

ments) 'नव-पाषाण-युगों' में कई जगह मिले हैं। मलाया-प्रदेश में अगकोर-वट जैसे नव-पाषाण-युगीय विशाल-पाषाण-स्मारक कई जगह प्राप्त हुए हैं। इन प्रदेशों के प्राचीन अवशेषों का अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि आफ्रीका तथा यूरोप में जैसे भिन्न-भिन्न पाषाण-युगीय तथा धातु-युगीय सम्यताएँ विकसित हुईं, उसी भाँति इन प्रदेशों में भी इन सम्यताओं का क्रमिक विकास हुआ।

### ३ मध्य-एशिया

मध्य-एशिया के सबघ में उतना अध्ययन नहीं हुआ जितना अन्य स्थानों के सबघ में हुआ है। इस का कारण यह है कि यह प्रदेश अति-दुर्गम है। इस प्रदेश के बाह्य हिस्सों का पुरातत्व-विज्ञानों ने कुछ अध्ययन किया है जिससे वे इस परिणाम पर पहुँच रहे हैं कि इन प्रदेशों में 'प्राति-नूतन-काल' (Pleistocene period) की सामग्री मिल सकती है। कुछ विद्वानों का कथन है कि अगर इन प्रदेशों का गहराई से अध्ययन किया जाय, तो इन में 'प्राति-नूतन-काल' की इतनी सामग्री मिल सकती है कि यह प्रदेश इस विषय में यूरोप में प्राप्त इस युग की सामग्री का मुकाबिला कर सके।

### ४ उत्तरी-एशिया

उत्तरी-एशिया में साईबीरिया एक मुख्य प्रदेश है। इस प्रदेश में अनेक प्रागैतिहासिक-काल की वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं। उत्तरी-एशिया के फ्रास्नोयास्क स्थान के समीप येनिसी प्रदेश में १८८४ में सेवन्कोव (Sawenkov) महोदय ने सबसे पहले पता लगाया कि उस प्रदेश में आदिकालीन पूर्व-पाषाण-युग (Early Paleolithic Period) के उपकरण मौजूद हैं। ये उपकरण उस युग के स्तनधारी प्राणियों तथा गोंडों की अस्थियों के बने हुए थे। इस बीच अन्य रशियन विद्वानों ने उत्तरी-एशिया के भिन्न-भिन्न भागों में उक्त युग के अन्य अनेक अवशेष उपलब्ध किये। यह तो नहीं कहा जा सकता कि उत्तरी-एशिया में 'आदिकालीन पूर्व-पाषाण-युग' ठीक उसी समय आया जिस समय यूरोप में आया। पुरातत्व-अनुसन्धान से पता चलता है कि हर जगह सम्यताओं का विकास पूर्व-पाषाण-युग, नव-पाषाण-युग, ताम्र-युग, कास्य-युग, लौह-युग—इस प्रकार होता आया है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि सारी सृष्टि में पूर्व-पाषाण-युग एक ही समय में रहा हो। कहीं यह युग पहले आया, कहीं पीछे आया। हमने इन युगों का जो समय निश्चित किया है वह अधिकतर यूरोप के युगों के विकास के आधार पर किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरी-एशिया में 'आदिकालीन पूर्व-पाषाण-युग' का आगमन यूरोप से पीछे हुआ, समकालीन नहीं हुआ। जिस समय यूरोप में मौस्ट्रियन तथा औरिग्नेशियन संस्कृतियों का विकास हो रहा था, उस समय उत्तरी-एशिया में 'आदिकालीन पूर्व-पाषाण-युग' के उपकरण बन रहे थे।

उत्तरी-एशिया में 'नव-पाषाण-युगीय' (Neolithic period) उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। यूराल पर्वत से अमूर प्रदेश के मुख-भाग तक 'नव-

पाषाण-युग' की सस्कृति के अवशेष पाये जाते हैं। आरकटिक के किनारे, खास कर ओव नदी के मोहाने तथा वेरिंग-स्टेट के आस-पास भी इस सस्कृति के चिह्न पाये गये हैं। कमचटका प्रायद्वीप में ऐसे वर्तन मिले हैं जो 'नव-पाषाण-युग' के हैं। १८६० में उत्तरी-एशिया के मिनसिन्स्क इलाके में 'कास्य-युग' (Bronze age) के तथा वैंकल झील के उत्तर-पश्चिम की लेना घाटी में 'लौह-युग' (Iron age) के उपकरण मिले हैं। रैंडलौफ (Radloff) के कथनानुसार साईबीरिया तथा मगोलिया में इन दोनों धातुओं के चिह्न जगह-जगह पाये जाते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि ये प्रदेश इन दोनों युगों में से गुजरे हैं।

एशिया के सबध में जो-कुछ हमने लिखा उससे स्पष्ट है कि यद्यपि इन प्रदेशों में अनुसंधान की वह प्रगति नहीं है जो यूरोप के सबध में है, तो भी इन प्रदेशों में भी पुरातत्व-अनुसंधान ठीक-से चल निकला है। इस समय तक इन प्रदेशों में जो अनुसंधान हुआ है उसके आधार पर विद्वानों ने तीन परिणाम निकाले हैं। पहला यह कि जैसे आफ्रीका तथा यूरोप में 'मुष्टि-छुरे' (Coup-de-poing) मिले हैं, वैसे दक्षिणी-एशिया में और खास कर भारत में ये 'मुष्टि-छुरे' उपलब्ध हुए हैं। इन के आधार पर कहा जा सकता है कि यूरोप के मौस्ट्रियन-काल से पूर्व के 'पाषाण-फलक-व्यवसाय' (Flake industry) से मिलता-जुलता व्यवसाय दक्षिणी-एशिया में हिमालय के उत्तर में किसी समय चल रहा था। दक्षिणी-एशिया का यह 'पाषाण-फलक-व्यवसाय-युग' यूरोप के 'पाषाण-फलक-व्यवसाय-युग' से मेल खाता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि दक्षिणी-एशिया में 'पूर्व-पाषाण-युग' तथा 'नव-पाषाण-युग' किसी-न-किसी समय आया था। दूसरा परिणाम यह कि एशिया के भिन्न-भिन्न भागों में—खास कर भारत, मञ्चूरिया तथा साईबीरिया में—'नव-पाषाण-युग' के ठीक बाद 'लौह-युग' आया, इन दोनों युगों के बीच 'ताम्र-युग' तथा 'ब्रौंज-युग' नहीं आया। तीसरा परिणाम यह कि सब से पहले मध्य-एशिया तथा उससे लगे ईजिप्ट में आदि-मानव ने जगह-जगह भटक कर आजीविका के लिए फल-मूल इकट्ठे करने तथा शिकार से पेट भरने का घघा छोड़ कर कृषि-व्यवसाय तथा पशु-पालन के जीवन को अपनाया।

## ५ इंडोनेशिया

भू-शास्त्र के विद्वानों का कथन है कि अरसा हुआ, एशिया के दक्षिण-पूर्व के प्रदेशों में कुछ स्थान जमीन के इतने नीचे हो गये कि उनमें समुद्र का पानी भर जाने के कारण चारों तरफ अनेक टापू बन गये जिन्हें आज हम ईस्ट-इंडीज, इन्डो-नेशिया तथा मलाया प्रायद्वीप आदि कहते हैं। इन्हीं टापुओं में जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, फारमोसा, सैडागास्कर आदि आ जाते हैं।

१८८९-१८९० में हालैण्ड निवासी ड्युबोय (Dubois) को जावा में कुछ प्राचीन प्रस्तरावशेष मिले जिनका हम 'पियेकैन्थ्रोपस इरेक्टस' की चर्चा

करते हुए पहले वर्णन कर आये हैं। ये अवशेष 'प्राति-नूतन-काल' (Pleistocene period) के हैं। इन प्रस्तरों की ढूँढ़ के साथ-साथ अब कुछ उपकरण भी प्राप्त हुए हैं जिन्हें 'पूर्व-पाषाण-युग' की मैगडेलिनियन-संस्कृति का कहा जाता है। वोनियो, सुमात्रा, फारमोसा तथा मैडागास्कर की कन्दराओं से प्राचीन-मानव की संस्कृति पर प्रकाश डालने वाले किन्हीं विशेष उपकरणों की प्राप्ति नहीं हुई। धतनों के बनाने की कला का कोई चिह्न इन स्थानों में नहीं पाया गया। पौलिश किये हुए पत्थर के उपकरण सब जगह मिलते हैं, परन्तु थोड़े-थोड़े, नोकीले बाण कहीं नहीं मिलते। फारमोसा, वोनियो तथा फिलिपाइन्स में तो इन बाणों का कोई चिह्न भी नहीं मिला। पत्थर की कुछ चीजें इन प्रदेशों में मिली हैं। उदाहरणार्थ, 'विशाल-पाषाण-मूर्तियाँ' (Megaliths), एक पत्थर के उपकरण (Monoliths), मानवीय पाषाण-मूर्तियाँ तथा पत्थर के बड़े-बड़े गोल-गोल कलश इन प्रदेशों में पाये जाते हैं। भवनों के बड़े-बड़े खडहर सिर्फ जावा तथा कम्बोडिया में मिलते हैं जो भारत की इन प्रदेशों को देते हैं। इन प्रदेशों में धातु का प्रयोग युरोपियन लोगों के आने के बाद हुआ, अतः इण्डोनेशिया के भू-भाग में धातु के प्राचीन उपकरण नहीं मिले।

## ६ मैलेनेशिया

न्यू गिनी, सौलोमन द्वीप आदि मैलेनेशिया कहते हैं। न्यू गिनी को छोड़कर मैलेनेशिया के अधिकांश प्रदेशों में वर्तमानकाल में भी 'नव-पाषाण-युग' (Neolithic age) की सभ्यता मौजूद थी। न्यू गिनी की सभ्यता का स्तर मलाया तथा चीनी सभ्यता के सम्पर्क में आने के कारण कुछ उन्नत था। मैलेनेशिया में प्राचीन-युग के कई पाषाण स्मारक मिलते हैं यद्यपि पाषाण-युग के मानव के प्रस्तरावशेष नहीं मिलते। जो प्रस्तर के अवशेष मिलते हैं उनमें खड़े पत्थर जिनमें कई पर खुदाई की हुई है, कई पर नहीं, पाषाण-वृत्त, भग्न विशाल-पाषाण-मूर्तियाँ, पत्थरों की निकासी से हुए पुराने गढ़े, नहरों के दोनों तरफ के ऊँचे-ऊँचे किनारे तथा पानी की नालियाँ विशेष ध्यान देने योग्य हैं। इन वस्तुओं के अतिरिक्त मैलेनेशिया में पौलिश हुए पत्थर के कुछ उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इन सब चीजों को देख कर कई लोगों का विचार है कि कहीं बाहर से कोई लोग इस प्रदेश में आये होंगे जो अपने साथ इस प्रकार की विकसित सभ्यता को लाये होंगे।

मैलेनेशिया में 'पूर्व-पाषाण-युग' (Paleolithic age) के कुछ उपकरण सौलोमन द्वीप में पाये गये हैं जिनमें पत्थर के फलक का कुल्हाड़ा मुख्य है। यह कुल्हाड़ा युरोप की कैम्पिग्नियन संस्कृति के कुल्हाड़े से मेल खाता है। मैलेनेशिया में पाषाण-युग की बड़े-बड़े पत्थरों की विशाल मूर्तियाँ तथा बड़ी-बड़ी इमारती रचनाएँ पायी जाती हैं जिनमें एक पाषाण की बनी बड़ी मूर्ति, उत्कीर्ण मूर्तियाँ, पिरैमिड, भवन, चबूतरे, किले तथा नहरों के किनारे मुख्य हैं।

## ७ माइक्रोनेशिया

माइक्रोनेशिया में प्रागैतिहासिक सभ्यता के जो अवशेष उपलब्ध हुए हैं, वे मलाया से आये प्रतीत होते हैं। इस प्रदेश का अपना कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होता। इस प्रदेश में पत्थर के उपकरणों के स्थान में घोंघे आदि के उपकरण पाये जाते हैं जो यहाँ की विशेषता समझनी चाहिये। मलाया से जो लोग यहाँ पाषाण-सभ्यता को लाये थे उनके कुछ अवशेष अवश्य मिलते हैं। इन अवशेषों में कई ऐसी चट्टानें हैं जिन्हें यहाँ के लोगो ने अपने भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए तराशा होगा। इन चट्टानों के अतिरिक्त बड़ी-बड़ी पत्थर की इमारतें, पिरैमिड, भग्न नोकदार आकृतियाँ, चबूतरे, सीढियाँ, द्वार, तोरण, किले की दीवारें, ऊँचे तटों की नहरें तथा सडकों भी मिली हैं। इन में से अधिकांश जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं, परन्तु सब प्राचीन-युग की गाथा सुना रहे हैं। इन अवशेषों में एक अपूर्व वस्तु उपलब्ध हुई है जिसे 'पाषाण-मुद्रा' (Stone money) कहा जा सकता है। इस की शकल चीनी सिक्कों की-सी है। यद्यपि इन अवशेषों को पूर्व-पाषाण-युग का नहीं कहा जा सकता, तो भी इन में नव-पाषाण-युग के उपकरणों की झलक है।

## ८ पौलीनेशिया

प्रशान्त महासागर के पूर्वोत्तरी द्वीप-समूह का, जिसे पौलीनेशिया कहा जाता है, विस्तार हवाई द्वीप से लेकर न्यू जीलैण्ड तक ५,००० मील के लगभग है। इसी विस्तृत क्षेत्र में ईस्टर द्वीप भी सम्मिलित है। इस विशाल-क्षेत्र में पुरातत्व-विज्ञान की दिलचस्पी की चीजें प्रायः नगण्य हैं। इस का यह भी कारण हो सकता है कि इस प्रदेश में भूगर्भ-शास्त्र के अनुसार कुछ प्रदेश एकदम नीचे पड़ गये जिनमें समुद्र के पानी के भरने से वे क्षेत्र जल-मग्न हो गये। अगर इन क्षेत्रों में प्रागैतिहासिक-काल के कुछ चिह्न थे भी, तो वे सभवतः इसी कारण लुप्त हो गये। फिर भी पौलीनेशिया के लोगों में अपने प्राचीन पुरुखाओं की वंशावलियों की कहानियाँ प्रचलित हैं, और अगर वे सत्य हैं, तो वहाँ की संस्कृति दो-अढ़ाई हजार साल पुरानी तो होनी ही चाहिए।

मैलेनेशिया तथा माइक्रोनेशिया में जिस प्रकार की संस्कृति के चिह्न पाये जाते हैं कुछ वैसी ही संस्कृति के चिह्न पौलीनेशिया में भी पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, आलेखन की हुई शिलाएँ (Petroglyphs), कारीगरों से बनाई हुई एक ही पत्थर की विशाल मूर्तियाँ (Monoliths), तराशे हुए तीन बड़े-बड़े पत्थरों के स्तूप (Trilithons), चक्र, चबूतरे, पिरैमिड, समाधि, वेदि, मन्दिर, दुर्ग, मार्ग, द्वार, सीढ़ी आदि यहाँ प्राप्त हुए हैं जो सब बड़े-बड़े पत्थरों के बने हैं। साथ ही लकड़ी तथा मट्टी की बनी मूर्तियाँ, खेतों के लिए नालियाँ तथा नहर की प्रणाली के भी कुछ अवशेष मिले हैं। ईस्टर द्वीप में लकड़ी की कुछ पट्टियाँ मिली हैं जिन पर कुछ चित्र अंकित हैं। हो सकता है, किन्हीं बातों की याद रखने के लिए ये चित्र हो, यह भी हो सकता है कि उस समय की यह चित्र-

लिपि हो। इस प्रदेश के सभी द्वीपों में एक-सी वस्तुएँ नहीं पायी जातीं। उदाहरणार्थ, समोआ में पत्थर की मूर्तियों का अभाव है, ईस्टर द्वीप में पत्थर की मूर्तियों की प्रचुरता है, न्यू जीलैण्ड तथा चैथम द्वीपों में पत्थर के स्थान पर लकड़ी का इस्तेमाल पाया जाता है। अब तक जो अनुसंधान हुए हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि पौलिनेशिया में पाषाण-युग के अवशेष पाये तो जाते हैं, परन्तु बहुत अधिक नहीं। यहाँ के उपकरण, बर्तन तथा पूजा-पात्र ज्वालामुखी पर्वतों की चट्टानों से बनाये जाते थे। जहाँ बालुआ-पत्थर मिलता था वहाँ इसी का प्रयोग किया जाता था, प्रवाल, घोघे तथा अस्थि का प्रयोग भी होता था। बालुआ-पत्थर को छोड़ कर प्रवाल आदि बारीक उपकरणों तथा अलकारों के काम आते थे। 'दबाव विधि' (Pressure method) से पत्थर को उपयोगी बनाने की विधि का तो इन प्रदेशों में पता नहीं चलता, परन्तु पाषाण-छेदन, पाषाण-पिष्टि तथा पत्थर को पौलिश करके उसे चमकाने की विधियाँ यहाँ काम में लायी जाती थीं। इन प्रदेशों में पत्थर के जो उपकरण मिले हैं, वे हैं—पत्थर के हथौड़े, घिसने के पत्थर, पीसने के पत्थर, पौलिश करने के पत्थर, नौका के लगर डालने के पत्थर, मछली पकड़ने के लिये जाल को पानी में डवाने के पत्थर, मछली पकड़ने के काँटों के पत्थर। पत्थरों को छेद कर, घिस कर अनेक उपकरण बनाये जाते थे जिनमें गदा, इमामदस्ते, ओखली, मूसल, प्याले, दीप, पासे, तावीज, मनके, मछली तथा मनुष्य की मूर्तियाँ आदि मुख्य हैं। कुल्हाड़ी, छैनी आदि का भी निर्माण किया जाता था।

जलचर तथा थलचर छोटे-छोटे प्राणियों के खोलों के भिन्न-भिन्न प्रकार के उपकरण बनाये जाते थे जिन से रदने का, बाल निकालने का, मनकौत या हार का काम लिया जाता था। नौकाओं को भी इनसे सजाया जाता था। यद्यपि अस्थियों की प्रचुरता थी, तो भी अस्थि का प्रयोग बहुतायत से नहीं किया जाता था। फिर भी बाणों की नोकों और मछली पकड़ने के फदों के लिए अस्थि का प्रयोग होता था। कुछ चाकू, छुरियाँ तथा मनके भी पक्षियों की अस्थियों की बनी प्राप्त हुई हैं। मारब्यूसस में मनुष्य की हड्डी को भी सिर के शृंगार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। सूअर के दाँतों के कड़े तथा शार्क के दाँतों को हत्या लगा कर उनके चाकू बनाये जाते थे और भिन्न-भिन्न प्रकार की मछलियों के दाँतों के हार बना कर गले में लटकाये जाते थे।

इन के अतिरिक्त लकड़ी, खाल, बाल आदि सभी पदार्थों का प्रयोग मकान तथा नौका बनाने से लेकर घर के साज-सामान, बर्तन, वाद्य-यंत्र, खिलौने, अस्त्र-शस्त्र, कपडा, चटाई, मछली पकड़ने का फदा आदि तक में किया जाता था। धातु का प्रयोग इन प्रदेशों में नहीं मिलता।

यद्यपि पौलिनेशिया के सबध में हमारी जानकारी बहुत सीमित है, तो भी प्रागैतिहासिक-काल के मानव के जीवन में यह प्रदेश अन्तिम निवास योग्य प्रदेश

था जिस पर ससार का विचरण करते-करते वह पहुँचा—इस दृष्टि से पुरातत्व-विज्ञो के लिए इस प्रदेश का महत्व अन्य किसी प्रदेश से कम नहीं है।

## ९ आस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया

प्रो० सोल्लास (Sollas) ने आस्ट्रेलिया के पाषाण-फलक तथा पाषाण-खड्य व्यवसाय की यूरोप के पाषाण-युग के मौस्ट्रियन-काल से तुलना की है, इसी प्रकार उन्होंने तस्मानिया के पिलट-खड्य व्यवसाय की यूरोप के 'उप-कालीन पाषाण-युग' (Eolithic period) से तुलना की है। आस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया में जो दुनियाँ से कटे हुए मानव प्रागैतिहासिक-काल में यहाँ के पाषाण-युग में निवास करते थे, प्रो० सोल्लास ने उन्हें यूरोप के प्रस्तरित-मानव का सम-कक्ष कहा है, उनका कथन है कि दोनों एक ही कोटि के थे, सम्यता के एक ही स्तर पर थे। यह विवादास्पद है कि आस्ट्रेलिया के ये मानव सचमुच वहाँ की पाषाण-युग की सम्यता के ही प्रतिनिधि हैं क्योंकि आस्ट्रेलिया में जहाँ पाषाण-युगीय प्रागैतिहासिक उपकरण मिलते हैं वहाँ साथ-ही-साथ वाद के युग के भी उपकरण मिलते हैं। इस प्रदेश के उपकरण मिली-जुली सम्यता के सूचक हैं, इसलिए यहाँ की सम्यता को निश्चित रूप से पाषाण-युगीय सम्यता कह सकना कठिन है। प्राप्त-अवशेषों में कुछ बहुत प्राचीन-काल को द्योतक हैं, तो कुछ नवीन-काल के द्योतक हैं।

## १० अमरीका

एशिया से लेकर अमरीका तक एटलाटिक महासागर में जितने द्वीप हैं सब को 'ओशोनिया' (Oceania) कहा जाता है। हमने ऊपर दक्षिणी एशिया, मध्य एशिया, उत्तरी एशिया, इण्डोनेशिया, मेलनेशिया, माक्रोनेशिया तथा पौलीनेशिया का वर्णन इसलिए किया है क्योंकि अनेक विद्वानों का कथन है कि इन द्वीपों की, जिन्हें 'ओशोनिया' कहा जाता है, सस्कृति का प्रभाव अमरीका पर पडा। अमरीका के प्रागैतिहासिक-काल का अध्ययन करने के लिए इन द्वीपों की सस्कृति का जानना आवश्यक है। इसके विपरीत अन्य कुछ विद्वानों का मत है कि अमरीका में एटलाटिक-महासागर के इन द्वीपों से सस्कृति का आगमन नहीं हुआ, अपितु प्रागैतिहासिक-युग में पैसिफिक-महासागर द्वारा यूरोप के तटों से पाषाण-युगीय सस्कृति अमरीका पहुँची। इन दोनों विचारों के विषय में कुछ लिखना असगत न होगा।

(क) ओशोनिया से अमरीका में सस्कृति का विस्तार—ओशोनिया द्वीप-समूहों तथा अमरीका में पाये जाने वाले उपकरणों तथा दोनों स्थानों की पत्थर आदि की निर्माण-कला में इतनी समानता पायी जाती है कि ओशोनिया से अमरीका में सस्कृति का विस्तार हुआ—यह कल्पना करना असगत नहीं प्रतीत होता। ओशोनिया द्वीपों के नाविक इतने कुशल थे कि समुद्र की लहरों की गतियों या हवाओं के रुख के बिना भी तारों को देख कर अपने निर्दिष्ट उद्देश्य तक नाव

ले जाते थे। बहुत सभव है कि ये नाविक अमरीका भी पहुँच गये हों, खुद न पहुँचे हों तो यह भी सभव है कि अनजाने समुद्र के थपेड़े खाते वहाँ पहुँच गये हों और उन्होंने अमरीका को अपनी संस्कृति का प्रदान किया हो। हो सकता है, उत्तरी तथा पश्चिमी अमरीका के चबूतरों और पिरैमिड की-सी रचनाओं की ओशोनिया द्वीपों की इस प्रकार की रचनाओं के साथ समानता का यही कारण हो। मध्य तथा उत्तर अमरीका में एक ही बड़े पाषाण से कटी मूर्तियाँ (Monoliths) पायी जाती हैं, ठीक इस प्रकार की जैसी पॉलीनेशिया में पायी जाती हैं; अमरीका के वेनेज़ुएला तथा मैलेनेशिया में एक तरह के ही भवन-निर्माण के चिह्न मिलते हैं, अलास्का से कैलीफोर्निया तक नौकाओं के निर्माण की कला भी ओशोनिया द्वीप-समूहों की नौकाओं जैसी है। इन सब समानताओं से ओशोनिया तथा अमरीका के पारस्परिक सांस्कृतिक विनिमय की बात की पुष्टि होती है।

(ख) यूरोप में अमरीका में संस्कृति का विस्तार—ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके विपरीत ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि एटलांटिक के द्वीप समूहों से संस्कृति का प्रवाह अमरीका में न वह कर पैसिफिक दिशा की तरफ से यूरोप से वहाँ है। कम-से-कम सौ ऐसे उपकरण गिनाये जा सकते हैं जो अमरीका तथा यूरोप में एक समान हैं। अमरीका तथा यूरोप दोनों जगह एक ही वस्तु के उपकरण बनाये जाते थे, उन्हें बनाने की विधि भी एक-सी थी। एक तरह से अमरीका के उपकरणों को यूरोप के उपकरणों का प्रतिरूप कहा जा सकता है। इन में टोकरी, चटाई, वस्त्र, पखों के काम, ज्यामिति की भिन्न-भिन्न शकलों के आभूषण आदि में अत्यन्त समानता है।

प्रश्न यह है कि अमरीका में प्रागैतिहासिक-काल में संस्कृति का प्रवेश कहाँ से हुआ—पोलीनेशिया आदि ओशोनियन प्रदेशों से, या यूरोप से? कई विद्वानों का कहना है कि यह भी तो सभव है कि जो आविष्कार अन्य देशों में हुए वे अमरीका में भी स्वतंत्र रूप से हुए, दोनों में से किसी में आदान-प्रदान नहीं हुआ। आखिर, जहाँ कहीं भी कोई आविष्कार हुआ, आदि-मानव ने पहले-पहल पत्थर के टुकड़े किये, यह सब किसी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए ही तो किया। जैसे यह आवश्यकता ओशोनिया के मानव की थी, वैसे ही यूरोप के मानव की थी, वैसे ही अमरीका के मानव की भी थी। क्यों हम यह मानें कि एक ने दूसरे को सिखाया? यह पक्ष भी ठीक प्रतीत होता है, परन्तु अगर हम देखें कि आधारभूत उपकरणों की समानता के साथ किसी प्रदेश में कुछ विषमता है, कुछ अपनी खासियत है, विशेषता है, तब तो यह मानना ही पड़ेगा कि यह विशेषता वहाँ के मानव की अपनी है, दूसरे से उधार ली हुई नहीं है। और, अगर दो स्थानों में एक-सी विशेषताएँ पायी जायें, तब तो इस बात के मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि इन विशेषताओं वाले प्रदेशों में से एक ने दूसरे से अवश्य ग्रहण किया होगा। इस दृष्टि से विचार करने पर हम देखते हैं कि यद्यपि पोलीनेशिया तथा अमरीका में तीन हजार मील का फासला है, तो भी इन दोनों प्रदेशों के



उपकरणों में ही समानता नहीं, परन्तु इन उपकरणों में जो अपनी-अपनी विशेषता है, उस विशेषता में भी समानता है। उदाहरणार्थ, न्यू ज़ीलैण्ड, पौली-नेशिया, हवाई आदि में जिस किस्म का पत्थर, जिस किस्म की हड्डी या जलचर एवं थलचर प्राणी का खोल इस्तेमाल किया गया है, वैसे पत्थर आदि अमरीका में भी इस्तेमाल किये गये हैं। हवाई-प्रदेश में भोजन-सामग्री को कूटने के जिस विशेष प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाये गये हैं, वैसे ही उपकरण अलास्का, ब्रिटिश कोलम्बिया, ओरेगोन, उत्तरी कैलीफोर्निया तथा कोस्टा रीका में मिले हैं। इन सब बातों से सिद्ध होता है कि अमरीका की प्रागैतिहासिक-संस्कृति पर ओशोनिया के द्वीप-समूहों की, पौलीनेशिया आदि की छाप है, यूरोप की नहीं।

अमरीका के विषय में विशेष अनुसंधान श्री अमेघिनो (Ameghino) ने किये हैं। उनका कहना है कि प्रागैतिहासिक-काल में मनुष्य का प्रादुर्भाव शुरू-शुरू में दक्षिणी अमरीका में हुआ। इन की विचारधारा डेनमार्क के पुरातत्व-शास्त्री श्री लंड (Lund) के अन्वेषणों पर आश्रित थी। श्री लंड ने ८०० से अधिक कन्दराओं का निरीक्षण किया था जिन में से उन्हें ३० मानवीय खोपडियाँ, कुछ मनुष्यों की हड्डियों के ढाँचे और उपकरणों के अवशेष मिले थे। ये सब-कुछ भूमि के उस स्तर से मिले थे जिसे हम 'नव-जीवन-युग' (Cainozoic period) का चतुर्थ-काल कह आये हैं, जिस में 'प्राति-नूतन-युग' (Pleistocene period) भी आ जाता है—वह युग जिस में सृष्टि में जगह-जगह मानव के अवशेष मिलते हैं। दक्षिणी-अमरीका आदि-मानव का उद्भव स्थान था या नहीं था—यह तो विवादास्पद बात है ही, परन्तु अब तो यह भी माना जाने लगा है कि अमरीका का आदि-वासी मंगोल जाति का था और कहीं बाहर से आया था।

अमेघिनो ने जो अध्ययन किया वह खास कर अर्जन्टाइना से सबब रखता है। जिस प्रदेश का उसने अध्ययन किया वह भाग नदी के वहाव वा बाढ से बना हुआ था। इसे पम्पस के नाम से पुकारा जाता है। यह पम्पस-प्रदेश पृथिवी की भिन्न-भिन्न तहों का बना हुआ है। जैसे यूरोप में 'आदिकालीन तथा अन्तकालीन पूर्व-पाषाण-युग' (Early Paleolithic and Late Paleolithic period) माने जाते हैं, वैसे ही पम्पस-प्रदेश के भी 'आदि-पम्पस तथा अन्त-पम्पस' (Early Pampas and Late Pampas)—ये दो नाम गढ़े गये और इन दोनों युगों की सम्यताओं को आदि-पैम्पियन तथा अन्त-पैम्पियन सम्यता का नाम दिया गया। इन दोनों पैम्पियन सम्यताओं से पहले और पीछे की भी दो सम्यताओं का पता लगाया गया। इस प्रकार अर्जन्टाइना की पैम्पियन-सम्यता के चार स्तर हुए—बीच के दो, और इन दोनों से एक पहले का युग और दोनों के बाद का युग। इन चारों को यूरोप की भू-गर्भ-शास्त्र की परिभाषा में क्रमशः 'मध्य-नूतन-युग' (Miocene), 'अति-नूतन-युग' (Pliocene), 'आदिकालीन पूर्व-पाषाण-युग' (Early Pleistocene) तथा 'अन्तकालीन पूर्व-पाषाण-युग' (Late Pleistocene) कह सकते हैं।

यह तो हुआ भूमि के स्तरों से उपलब्ध परिणाम। परन्तु इन स्तरों में मानवीय-सम्यता को व्यक्त करने वाले उपकरण क्या सूचित करते हैं? इन स्तरों से तो यह प्रतीत होता है कि अमरीका में मानव का आगमन 'पूर्व-पाषाण-युग' (Paleolithic period) में न होकर 'नव-पाषाण-युग' (Neolithic period) में हुआ। इन में पीछे के काल के स्तरों में ही उपकरण प्राप्त हुए हैं, और वे उपकरण अनघड न होकर परिष्कृत रूप में हैं। क्योंकि ये पाषाण-निर्मित परिष्कृत उपकरण नियेन्डरथल-मानव के समय नहीं बने थे इसलिए हमें यह कहने को बाधित होना पड़ता है कि अमरीका में नियेन्डरथल-मानव के बाद की सम्यता के अवशेष उपलब्ध होते हैं, पहले के नहीं। बाद के उपकरण ही 'नव-पाषाण-युगीय' उपकरण हैं। अगर यह बात ठीक है, तो अमरीका में मानव का आगमन हिमपात-युग के अन्तिम-काल में हुआ होगा क्योंकि वही समय नव-पाषाण-युग का है। इस समय बरफ हट चुकी थी और सार्द्वीरिया, पोलिनेशिया आदि से अमरीका आने का रास्ता मौजूद था। यह हम पहले ही कह आये हैं कि इसी दिशा से प्रागैतिहासिक-काल में अमरीका में नव-पाषाण-सम्यता ने प्रवेश किया।

## ११ भारत

इसी अध्याय के 'दक्षिणी-एशिया'—इस प्रकरण में हम लिख आये हैं कि भारत के सबध में हम कुछ विस्तार से आगे लिखेंगे। भारत के प्रागैतिहासिक-काल के विषय में हम क्या जानते हैं?

'पाषाण-युग' के मुख्य तौर पर तीन भाग किये जाते हैं—'आदि-पाषाण-युग' (Paleolithic period), 'मध्य-पाषाण-युग' (Mesolithic period) तथा 'नव-पाषाण-युग' (Neolithic period)। भारत के प्रागैतिहासिक-काल में इन तीनों युगों के उपकरण उपलब्ध होते हैं। किस-किस युग के क्या-क्या उपकरण कहाँ-कहाँ उपलब्ध होते हैं—इसका हम वर्णन करेंगे।

### भारत का पूर्व-पाषाण-युग

#### (PALEOLITHIC OR OLD STONE PERIOD IN INDIA)

भारत में पाषाण-युग के उपकरणों को ढूँढने का काम 'जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया' ने शुरू किया। सब से पहले इन उपकरणों की प्राप्ति का श्रेय श्री ब्रूस फुट (Bruce Foote) को प्राप्त है। उन्हें मद्रास के पल्लावरम स्थान में पूर्व-पाषाण-युग के अनेक उपकरण मिले। फुट की खोजों को अन्य विद्वानों ने जारी रखा और पंजाब, उत्तर-प्रदेश, विन्ध्य-प्रदेश, मध्य-भारत, विहार, उड़ीसा, बम्बई, मद्रास तथा अन्य स्थानों पर 'पूर्व-पाषाण-युग' के अनेक उपकरण प्राप्त हुए। फुट ने ४३ साल के परिश्रम से इस युग के जो उपकरण एकत्रित किये थे उन्हें मद्रास सरकार ने तीस हजार रुपए में खरीद लिया और उन्हें मद्रास-म्यूजियम में सुरक्षित रख दिया। दक्षिणी-भारत के इस पूर्व-पाषाण-युग के पत्थर

के उपकरणों के निर्माण के व्यवसाय को 'मद्रासी-व्यवसाय' (Madrasian industries) का नाम दिया जाता है।

भारत की तरह पाकिस्तान में भी पूर्व-पाषाण-युग के उपकरण मिले हैं जो विशेषकर रावलपिण्डी के पास पोठोहार-प्रदेश में वहाँ से बहने वाली 'सोहन' नदी की घाटी में से प्राप्त हुए हैं। यह सोहन नदी आगे चाकर सिंध दरिया से मिल गई है। उत्तरी-भारत के इस पूर्व-पाषाण-युग के पत्थर के उपकरणों के निर्माण के व्यवसाय को 'सोहन-व्यवसाय' (Sohan industries) तथा इस प्रदेश के इस काल से पूर्व के पाषाण-व्यवसाय को 'पूर्व-सोहन-व्यवसाय' (Pre-Sohan industries) का नाम दिया जाता है।

भारत तथा पाकिस्तान के 'पूर्व-पाषाण-युग' के उपकरण जिन स्थानों में उपलब्ध हुए हैं उनका कुछ विवरण देना अप्रासंगिक न होगा। वे स्थान निम्न हैं —

- (क) मद्रास प्रान्त
- (ख) दक्षिण का करनूल ज़िला
- (ग) उड़ीसा में मयूरभज का कुलियाना प्रदेश
- (घ) गुजरात में सावरमती नदी की घाटी
- (ङ) मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी की घाटी
- (च) काश्मीर में पुंछ तथा पजाव में स्यूडा प्रदेश की नमक की पहाड़ियाँ
- (छ) पोठोहार में सोहन नदी का प्रदेश
- (क) मद्रास प्रान्त—'पूर्व-पाषाण-युग' के अवशेषों के लिए मद्रास प्रान्त

का बहुत अधिक महत्व है। कोरतल्यार नदी की घाटी के वदमादुराए तथा अत्तिरम्पक्कम स्थानों पर तो 'पूर्व-पाषाण-युग' के इतने अवशेष मिले हैं कि उनसे गाड़ियों-की-गाड़ियाँ भरी जा सकती हैं। वदमादुराए में जो उपकरण मिले हैं वे लगातार के तीन युगों के हैं। सब से नीचे के स्तर में तो यूरोप के चैलियन-युग से मिलते-जुलते अनघड 'मुष्टि-छुरे' (Coup-de-poing) मिले हैं। इस युग के अनघड 'आन्तरक' (Core) भी मिले हैं। उसके बाद के स्तर में अशूलियन-युग के उपकरण मिले हैं। ये पहले-के उपकरणों से ब्यादा सुघड हैं। इन में पत्थर के 'शकल' (Flakes) ठीक-से उतारे गये हैं, और 'आन्तरक' (Core) भी ठीक-से बने हैं। अशूलियन युग के बाद के स्तरों में और अधिक सुघरे हुए उपकरण प्राप्त हुए हैं। इनमें पत्थर के 'शकल' तोड़ने के लिए पत्थर के स्थान में लकड़ी से काम लिया गया है जिससे काम में बारीकी और खूबसूरती आ गई है। अत्तिरम्पक्कम में जो उपकरण मिले हैं वे यूरोप की अशूलियन-संस्कृति से मेल खाते हैं।

मद्रास के इन प्रदेशों में पाये गये जिन उपकरणों का हमने उल्लेख किया, इन के साथ मनुष्य का कोई प्रस्तरित पजर नहीं प्राप्त हुआ। हम पहले जावा आदि में पाये जाने वाले प्रस्तरित-मानव-पजरों का उल्लेख कर आये हैं, उनकी तुलना का भारत में इस प्रकार का कोई प्रागैतिहासिक पजर उपलब्ध नहीं हुआ।

सिर्फ अतिरम्पकम ही ऐसा स्थान है जहाँ उक्त उपकरणों के साथ मनुष्य की एक हड्डी पायी गई है जिसे ऑक्सफोर्ड में सुरक्षित रखा हुआ है।

(ख) दक्षिण का करनूल ज़िला—दक्षिण के करनूल ज़िले में कृष्णा नामक एक नदी है। इस नदी की घाटी से कई प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष पूर्व-पाषाण-युग के तीनों स्तरों को सूचित करते हैं। इनमें पहले प्रकार के उपकरण वे हैं जो दक्षिणी-आफ्रीका में प्राप्त 'आदिकालीन पूर्व-पाषाण-युग' (Early Paleolithic period) के 'मुष्टि-छुरों' (Coup-de-poing) के सदृश हैं। दूसरे प्रकार के उपकरण वे हैं जो नल्लमलई पहाड़ों के पास के नन्दिकनम दर्रे में मिले हैं और 'मध्यकालीन पूर्व-पाषाण-युग' (Middle Paleolithic period) के प्रतीत होते हैं। ये पहले उपकरणों से ज्यादा परिष्कृत हैं। तीसरे प्रकार के उपकरण कृष्णा नदी के क्षेत्र में मिले हैं। ये और अधिक सुघड हैं। इस स्तर के चाकू तथा छुरियाँ एक तरफ से धारदार तथा दूसरी तरफ से बेधार हैं। ये उपकरण 'अन्तकालीन पूर्व-पाषाण-युग' (Late Paleolithic period) के हैं।

(ग) उड़ीसा में मयूरभज का कुलियाना प्रदेश—इस प्रदेश में 'मद्रास-व्यवसाय' (Madrasian industries) तथा 'सोहन-व्यवसाय' (Sohan industries) के पूर्व-पाषाण-युग के पत्थर के उपकरण मिले हैं। 'मद्रास-व्यवसाय' का वर्णन तो हम पहले कर आये हैं, 'सोहन व्यवसाय' का आगे करेंगे।

(घ) गुजरात में सावरमती नदी की घाटी—इस प्रदेश में भी पूर्व-पाषाण-युग के 'मद्रास-व्यवसाय' तथा 'सोहन-व्यवसाय' के पत्थर के उपकरण मिले हैं। 'मद्रास-व्यवसाय' का वर्णन हम पहले कर चुके हैं, 'सोहन-व्यवसाय' का आगे करेंगे।

(ङ) मध्य-प्रदेश में नर्मदा नदी की घाटी—इस प्रदेश में भी पूर्व-पाषाण-युग के 'सोहन-व्यवसाय' के पत्थर के उपकरण मिले हैं। 'सोहन-व्यवसाय' का हम आगे वर्णन करेंगे।

(च) काश्मीर में पुँछ तथा पजाव में ख्यूडा की पहाडियाँ—पुँछ और ख्यूडा—इन दोनों स्थानों पर 'पूर्व-पाषाण-युग' के 'सोहन-व्यवसाय' के उपकरण मिले हैं। 'सोहन-व्यवसाय' का हम अभी वर्णन करेंगे।

(छ) पोठोहार में सोहन नदी का सोहन-प्रदेश—भारत में 'पूर्व-पाषाण-युग' के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं उनमें दो स्थान विशेष महत्व के हैं। एक तो मद्रास प्रान्त में प्राप्त उपकरण जिन्हें हम 'मद्रासी-व्यवसाय' का नाम दे आये हैं, दूसरे सोहन नदी की घाटी में प्राप्त उपकरण जिन्हें 'सोहन-व्यवसाय' का नाम दिया जाता है। ये उपकरण सोहन नदी की घाटी में स्थित अनेक स्थानों में मिले हैं जिनमें से पोठोहार, मलकपुर, अडियाला, चौतरा, कल्लर—ये स्थान मुख्य हैं। इन स्थानों में प्राप्त उपकरणों को काल की दृष्टि से तीन भागों में बाँटा जाता है: (1) 'पूर्व-सोहन' (Pre-Sohan), (2) 'प्रारम्भिक-सोहन'

(Early-Sohan) तथा 'अन्त-सोहन' (Late-Sohan) । जैसा हम ऊपर देख आये हैं, सोहन घाटी के उपकरण सिर्फ रावलपिंडी में ही नहीं पाये जाते, ये उपकरण दूर-दूर पाये जाते हैं। उड़ीसा में मयूरभज के कुलियाणा प्रदेश में, गुजरात में सावरमती की तथा मध्य-प्रदेश में नर्मदा की घाटी में, काश्मीर में पुंछ में तथा पंजाब में ख्यूडा की नमक की पहाड़ियों में, उत्तर-प्रदेश में रिहद में सोहन-सम्यता के उपकरण पाये गये हैं। अनेक स्थानों पर मद्रासी तथा सोहनी सम्यता के अवशेष मिले-जुले भी उपलब्ध हुए हैं, इसलिए भारत के प्रागैतिहासिक काल के ज्ञान के लिए सोहन-सम्यता का जानना आवश्यक है। सोहन-सम्यता के तीनों कालों में कुछ-कुछ भेद है, जो नीचे के विवरण से स्पष्ट हो जायगा —

(I) पूर्व-सोहन-सम्यता (Pre-Sohan Culture)—डी टैरा तथा पेटरसन (De Terra and Paterson) ने सोहन-सम्यता के पूर्व-पाषाण-युग के सब से प्राचीनकाल के उपकरणों की सम्यता को पूर्व-सोहन-सम्यता का नाम दिया है। इस सम्यता में चिकने विल्लौरी पत्थरों के अनघड और बहुत घिसे-घिसाये शकल अर्थात् पत्थरों के फलके हैं। विद्वानों का कहना है कि ये उपकरण 'द्वितीय हिमपात-काल' (Second Glacial Period) के हैं। इस प्रकार के पूर्व-सोहन-सम्यता के उपकरण काश्मीर में जम्मू तक पाये गये हैं। ये उपकरण साढ़े सात लाख पुराने हैं।

(II) प्रारम्भिक-सोहन-सम्यता (Early-Sohan Culture)—सोहन नदी की घाटी में कुछ मुष्टि-छुरे (Coup-de-poing) तथा काटने के उपकरण मिले हैं जिन्हें विद्वानों ने 'द्वितीय अन्तर्हिमपात काल' (Second Interglacial Period) का बताया है। यह काल युरोप की चैलियन तथा एशूलियन सम्यता का है। ये उपकरण आज से पांच लाख साल पुराने हैं। प्रारम्भिक-सोहन-सम्यता के उपकरण चौड़े, अष्टाकार तथा गोल पत्थरों से बनाये जाते थे। उन्हें तोड़ कर उन से काटने की कुल्हाड़ी तथा रदने का काम लिया जाता था। इन उपकरणों में हत्या नहीं लगा होता था, उपकरण को एक तरफ से हाथ में पकड़ कर उनसे काम लिया जाता था। इन को पकड़ने की जगह चौड़ी तथा आगे से इनके नोक होती थी ताकि पीछे से पकड़ कर आगे की नोक से जमीन खोदने, मारने, उचीलने आदि का काम लिया जा सके। इस समय के उपकरणों में 'शकल' (Flakes) तथा 'अन्तरक' (Core) दोनों पाये जाते हैं।

(III) अन्त-सोहन-सम्यता (Late-Sohan Culture)—प्रारम्भिक-सोहन के बाद अन्त-सोहन-सम्यता के चिह्न पाये जाते हैं। इस का विस्तार पहले से भी अधिक है। इस समय के उपकरण यद्यपि अभी तक चिकने विल्लौरी पत्थर के ही थे, तो भी उन में परिशोध पाया जाता है। ये उपकरण 'तृतीय हिमपात-काल' (Third Glacial Period) के हैं, और इनका काल अढ़ाई लाख साल पहले का माना जाता है।

## भारत का मध्य-पाषाण-युग

### (MESOLITHIC OR MIDDLE STONE PERIOD IN INDIA)

‘पूर्व-पाषाण-युग’ तथा ‘मध्य-पाषाण-युग’ के उपकरणों में आधारभूत चार भेद हैं। पहला यह कि ‘पूर्व-पाषाण-युग’ के उपकरण बड़े पत्थरों के बने हैं और मध्य-पाषाण-युग के उपकरण छोटे पत्थरों के बने हैं जिन्हें ‘अणु-पाषाण’ (Microliths) कहा जाता है। दूसरा यह कि ‘पूर्व-पाषाण-युग’ के उपकरण फ्लिट अर्थात् चमचक पत्थर के बने होते थे, ‘मध्य-पाषाण-युग’ के ‘अणु-पाषाण’ सुलेमानी पत्थर के, सूर्यकान्त मणि आदि पाषाणों के बने होते थे। हर-फिसी पत्थर को लेकर किसी युग में भी कोई उपकरण नहीं बना लिया जाता था, उपकरण के अनुकूल पत्थर ढूँढना पड़ता था। तीसरा यह कि ‘मध्य-पाषाण-युग’ के इन उपकरणों के आकार ज्यामिति की दृष्टि से अधिक सुघड होते थे। वे नोकदार, अर्धचन्द्राकार, त्रिभुजाकार होते थे, उनसे फलक, आन्तरक तथा छोटे-छोटे मनके भी बनाये जाते थे। ‘पूर्व-पाषाण-युग’ के उपकरणों में ज्यामितिक सुन्दरता नहीं पायी जाती। चौथा यह कि ‘पूर्व-पाषाण-युग’ के उपकरणों में हत्या नहीं लगा होता था, एक ही उपकरण को एक सिरे से नोकदार बनाकर दूसरे सिरे को हाथ से पकड़ कर उस से काम ले लिया जाता था।

मध्य-पाषाण-युग के उपकरण भारत में जिन स्थानों में मिले हैं, उनका कुछ विवरण देना अप्रासंगिक न होगा। वे स्थान निम्न हैं —

- (क) गुजरात में सावरमती नदी की घाटी
- (ख) बम्बई में कादीवली
- (ग) मैसूर में चित्तलद्रुग जिले में ब्रह्मगिरि नामक स्थान
- (घ) बेल्लारी में संगनकल्लु नामक स्थान
- (ङ) काश्मीर में साम्बर नामक स्थान
- (च) पाकिस्तान में सक्कर, रोहडी और खैरपुर नामक स्थान।

(क) गुजरात में सावरमती की घाटी—सावरमती घाटी में ‘अणु-पाषाण’ (Microliths) मिले हैं, जो ‘मध्य-पाषाण-युग’ के हैं। सावरमती घाटी में लंघनाज, हीरपुर, वलस्ना तथा अखाज नामक प्रदेशों में अनेक ‘अणु-पाषाण’ के उपकरण मिले हैं। इसके साथ इस घाटी का महत्व इस बात से भी बढ़ गया है क्योंकि लंघनाज में इस युग के मानव का एक पूरा प्रस्तरित-पंजर प्राप्त हुआ। हम पहले ही कह आये हैं कि भारत में प्रागैतिहासिक काल के मानव के प्रस्तरित-पंजर उपलब्ध नहीं होते। ऐसी हालत में लंघनाज के पंजर का महत्व बहुत अधिक है। इस पंजर के साथ ‘अणु-पाषाण’ के उपकरण तथा अस्थियों के भी अनेक उपकरण गड़े हुए पाये गये हैं।

(ख) बम्बई में कान्दीवली नामक स्थान—बम्बई प्रदेश में पादन-नामक एक पहाड़ी है। यहाँ कान्दीवली है और कान्दीवली से दो मील के फासले

पर बोरोवली है। इस सारे प्रदेश में 'मध्य-पाषाण-युग' के 'अणु-पाषाणों' के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर इस युग के घोड़े के भी प्रस्तरित अवशेष मिले हैं।

(ग) मैसूर में चित्तलद्रुग ज़िले में ब्रह्मगिरि नामक स्थान—यह स्थान मैसूर में चित्तलद्रुग ज़िले के अन्दर है। इसका नाम ब्रह्मगिरि है। इस स्थान में 'मध्य-पाषाण-युग' के 'अणु-पाषाण' के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस स्थान की विशेषता यह है कि इस प्रदेश में 'मध्य-पाषाण-युग' की 'अणु-पाषाण-सभ्यता' (Microlithic Culture) के साथ-साथ 'नव-पाषाण-युग' की 'विशाल-पाषाण-सभ्यता' (Megalithic Culture) भी एक ही समय में विकसित हो रही थी।

(घ) वेल्लारी में मगनकल्लु नामक स्थान—मद्रास के वेल्लारी प्रदेश में 'मध्य-पाषाण-युग' के अनेक 'अणु-पाषाण' (Microlith) के उपकरण मिले हैं, जो इस समय की संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं।

(ङ) काश्मीर में साम्बर नामक स्थात—श्रीनगर से दक्षिण-पूर्व में पाम्पुर नामक एक स्थान है। इस से ४ मील के लगभग साम्बर नामक स्थान में 'मध्य-पाषाण-युग' के अनेक उपकरण मिले हैं।

(च) पाकिस्तान के सक्कर, रोहडी और खैरपुर—सिन्ध की घाटी का भारत के प्रागैतिहासिक-काल के साथ विशेष संबंध है। इसी घाटी में हरप्पा तथा मोहनजोदारो के अवशेष उपलब्ध हुए हैं। कई विद्वानों का कथन है कि सिन्ध की घाटी में प्रागैतिहासिक-काल में जिस पाषाण-सभ्यता का उदय हुआ, वही आगे चलकर विकसित होती-होती हरप्पा तथा मोहनजोदारो की सभ्यता हुई।

सक्कर, रोहडी तथा खैरपुर का 'मध्य-पाषाण-युग' की सभ्यता की दृष्टि से विशेष महत्व है। इन स्थानों पर जो पत्थर के उपकरण मिले हैं वे लम्बे तथा पतले फलके के हैं। 'आन्तरक' (Cores) जिन से 'फलके' (Blades) तय्यार किये गये हैं, वे भी मोटे और भट्टे न होकर पतले और सुडौल हैं। यह ध्यान देने की बात है कि जैसे 'फलके' और 'आन्तरक' सक्कर, रोहडी और खैरपुर में पाये जाते हैं, वैसे दक्षिण-भारत की तरफ हँदरावाद के रायचूर ज़िले तक पाये जाते हैं। सक्कर-रोहडी-खैरपुर से रायचूर काफी दूर है, फिर इन दोनों स्थानों के उपकरणों में ऐसी समानता क्यों है? वास्तव में यह बात पुरातन-विज्ञानों के लिए एक रहस्य बनी हुई है।

भारत का नव-पाषाण-युग

(NEOLITHIC OR NEW STONE PERIOD IN INDIA)

हमने भारत के पूर्व-पाषाण तथा मध्य-पाषाण युगों का वर्णन किया, परन्तु यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अभी निश्चित रूप से किसी उपकरण के विषय में यह कह सकना कठिन है कि वह अमुक युग का ही है, दूसरे युग का

नहीं। अस्ल में, ये उपकरण भूमि के स्तरों में इतने ऊपर-नीचे मिलते हैं कि कभी-कभी भिन्न-भिन्न युग एक ही स्तर में समकालीन चलते हुए दीख पड़ते हैं। फिर भी समझने के लिए यह जान लेना काफी है कि 'मध्य-पाषाण-युग' के बाद 'नव-पाषाण-युग' का आगमन हुआ, और 'नव-पाषाण-युग' का 'मध्य-पाषाण-युग' के उपकरणों से मुख्य भेद यह है कि इस युग में सभी उपकरण पालिश किये जाने लगे। अभी तक जो उपकरण बने थे, पूर्व-पाषाण तथा मध्य-पाषाण युगों में उन्हें पालिश नहीं किया जाता था, इस युग में उन्हें घिस कर चिकना बनाने का प्रयत्न किया गया। इस युग में कुल्हाड़ी, हथौड़ा, बेलचा, छैनी आदि कई उपकरण नवीन प्रकार के बने। अब तक के उपकरणों में पूर्व-पाषाण-युग वालों में तो हत्या नहीं लगा होता था, मध्य-पाषाण-युग वालों में नुकीले पत्थर के एक तरफ चमड़े आदि की रस्तीसे हत्ये को बाँध लिया जाता था, नव-पाषाण-युग में हत्ये के एक सिरे में छेद कर के उपकरण को फँसा लिया जाता था। आजकल के उपकरणों में तो छेद उपकरण के एक सिरे में किया जाता है, हत्या उपकरण के छेद में फँसाया जाता है। उदाहरणार्थ, कुल्हाड़ी बनाने के लिए कुल्हाड़ी की पीठ में छेद करके उसमें लकड़ी का हत्या फँसा दिया जाता है, परन्तु नव-पाषाण-युग में हत्ये में छेद कर के कुल्हाड़ी का पिछला सिरा फँसा दिया जाता था। इन सब उपकरणों की विशेषता यह थी कि पहले उपकरणों से ये परिष्कृत थे और इन्हें घिस कर, रगड़ कर चमका दिया जाता था।

नव-पाषाण-युग के उपकरण भारत में जिन स्थानों में मिले हैं उनका यहाँ कुछ विवरण दे देना उपयुक्त होगा। वैसे तो उत्तर-प्रदेश में अलाहाबाद और बाँदा जिलों में, विन्ध्य-प्रदेश के पन्ना जिले में, बिहार के पटना, राँची तथा सिंहभूम जिलों में, आसाम में गारो तथा नागा पहाड़ियों में भी 'नव-पाषाण-युग' के उपकरण मिले हैं, परन्तु काश्मीर, मैसूर तथा मद्रास में पाये गये उपकरणों का 'नव-पाषाण-युग' की दृष्टि से विशेष महत्व है। इसलिए हम इन तीनों स्थानों का ही वर्णन करेंगे।

(क) काश्मीर में बुर्जहोम तथा नुनार प्रदेश

(ख) मैसूर में ब्रह्मगिरि

(ग) मद्रास में बेल्लारी प्रदेश


इनमें काश्मीर, मैसूर तथा मद्रास के अवशेष 'नव-पाषाण-युग' की दृष्टि से विशेष महत्व के हैं। अन्य स्थानों के अवशेष बहुत थोड़े हैं।

(क) काश्मीर में बुर्जहोम तथा नुनार प्रदेश—बुर्जहोम तथा नुनार प्रदेश काश्मीर के प्रसिद्ध स्थान गाधरवल के निकट है। काश्मीर की यात्रा में गान्धरवल जाते हुए यात्री इन स्थानों को देख सकता है। यहाँ की खुदाई में मट्टी के बर्तन और परिष्कृत तथा पालिश किये हुए पाषाण के उपकरण मिले हैं जो नूतन-पाषाण-युग के माने गये हैं।



(ख) मैसूर में ब्रह्मगिरि—मैसूर में चित्तलद्रुग जिले में ब्रह्मगिरि तथा चन्द्रवल्ली स्थानों पर जो खुदाई हुई है उसमें 'पूर्व-पाषाण-युग' के उपकरण मिले हैं। इन में चन्द्रवल्ली की खुदाई में सबसे ऊपर के स्तर पर सात-वाहन-काल के, उसके बाद के स्तर पर मौर्य-काल के, उसके बाद लौह-काल के और उसके भी नीचे नव-पाषाण-काल के उपकरण मिले हैं। कृष्णा महोदय ने ब्रह्मगिरि प्रदेश में जो गवेषणा की है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि जब भारत के अन्य प्रदेशों में धातु-युग आ गया था, तब भी ब्रह्मगिरि में नव-पाषाण-युग मौजूद था।

(ग) मद्रास में वेल्लारी प्रदेश—वेल्लारी में सगनकल्लु स्थान पर सुव्वाराव महोदय ने जो खुदाई की है उससे ज्ञात होता है कि ब्रह्मगिरि तथा वेल्लारी में 'नव-पाषाण-युग' के एक ही प्रकार के उपकरण थे। वेल्लारी में एक स्थान पर तो 'नव-पाषाण-युग' की कुल्हाड़ियाँ आदि इतनी सख्या में मिली हैं कि श्री सुव्वाराव के कथनानुसार यह स्थान पत्थर की कुल्हाड़ियों का कारखाना था। इस समय के जो उपकरण मिले हैं उनमें कुल्हाड़ी को पूर्ण रूप में लाने के लिए चार क्रम दिखाई देते हैं। पहले एक बड़े पत्थर को लेकर दूसरे पत्थर से



वेल्लारी (मद्रास) में पाये गये नव-पाषाण-युग के पत्थर के उपकरण।

उसे इस प्रकार तोड़ा जाता था कि एक सिरा नुकीला हो जाय। इस अवस्था में इस का अभी बड़े-बड़े रूप होता था। दूसरे क्रम में उसके पासों को सुधड़ बनाया जाता और नोक को और अधिक परिष्कृत किया जाता था। तीसरे क्रम में इस पत्थर की कुल्हाड़ी को घिस कर उसकी नोक तेज तथा पासों साफ किये जाते थे जिससे उसमें कहीं खरदरापन न रहे। चौथे क्रम में कुल्हाड़ी को पालिश कर दिया जाता था। इन चारों क्रमों के उपकरण प्राप्त हुए हैं।

## आदि-कालीन समाज की रूप-रेखा (OUTLINES OF PRIMITIVE SOCIETY)

हमने पिछले अध्यायों में आदि-कालीन समाज के उपकरणों के निर्माण की विधि, उनके निर्माण का काल तथा कहाँ-कहाँ वे पाये जाते हैं—इन तीनों बातों का व्यौरा दिया। यह सब व्यौरा किस अभिप्राय से दिया ? वर्तमान समाज के विषय में तो हमारे पास लिखित इतिहास है, आदि-कालीन समाज के विषय में हमारे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है, जो-कुछ है, जमीन के पेट में गड़ा हुआ है, पत्थरों और पत्थरों के भिन्न-भिन्न उपकरणों से उस समय के मानव की सम्यता तथा सस्कृति के विषय में सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे हम वर्तमान-काल का इतिहास जानना चाहते हैं, वैसे लाखों साल पहले के मानव का भी तो इतिहास जानना चाहते हैं। उस समय की कहानी हमें कौन बताये ? उस समय की कहानी सुनाने के लिए ही पुरातत्व-शास्त्री ईंट-पत्थर को लेकर बँठ जाते हैं, और ये ईंट-पत्थर और इनसे बने उपकरण अपने समय के मानव की कथा सुनाते हैं। यद्यपि ये ईंट-पत्थर निष्प्राण हैं, इनके वाणी नहीं जो बोलें, तो भी इनसे इतना तो पता चल जाता है कि इन्हें गढ़ने वाला कोई कारीगर था, इनका इस्तेमाल करने वाला कोई मानव था। इसीलिए तो हम इन पत्थरों को ढूँढते फिरते हैं। ये पत्थर हज़ारों, लाखों साल पहले के मानव की क्या कहानी सुनाते हैं, यही हमने इस अध्याय में देखना है। यह कहानी केवल भारत की नहीं, सारे ससार की कहानी है, क्योंकि ये पाषाण के उपकरण, जैसा हम पिछले अध्यायों में देख आये हैं, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में, हर जगह प्राप्त हुए हैं, और हो रहे हैं। यह तो स्पष्ट है कि हम इन पत्थरों से जो-कुछ जान सकते हैं वह अनुमान पर ही आश्रित है, वह इशारों से ही निकलता है, इसलिए आदि-कालीन समाज का यह इतिहास रूप-रेखा ही कहा जा सकता है, और कुछ नहीं।

### १ पूर्व-पाषाण-युग के मानव की सम्यता (Paleolithic Culture)

पूर्व-पाषाण-युग के मानव की सम्यता की रूप-रेखा को उस समय के पत्थर के उपकरणों पर से खडा किया जा सकता है। उस समय के उपकरण ये—फेंक कर मारने के पत्थर, वाण के फलक, भाले, पशु, मछली पकड़ने के फदे,

खुदाई के लिए काम आने वाले उपकरण, कत्तन-यंत्र, छुरियाँ, हथौड़े, आग के लिए चकमक पत्थर। ये सब उपकरण पाषाण-निर्मित थे। इन्हीं के आधार पर उम समय के मानव के आर्थिक, सामाजिक, कला, धर्म, संगीत आदि का कल्पनिक भवन खड़ा किया जा सकता है। आइये, देखें, पूर्व-पाषाण-युग का मानव इन क्षेत्रों में कहाँ तक पहुँच चुका था।

(क) आर्थिक-क्षेत्र—पूर्व-पाषाण-युग के मानव के आर्थिक जीवन में वाण, भाले, परशु का बहुत बड़ा स्थान था क्योंकि प्रायः यही उपकरण इस युग के स्तर से प्राप्त हुए हैं। इस का स्पष्ट अर्थ यही हो सकता है कि वह जंगल में शिकारी का जीवन बिताता था, अपने भोजन के लिए या तो जंगल के फल-मूल-कन्द को चुन कर या खोद कर पेट भरता था, या जीव-जन्तु का शिकार करके क्षुधा-निवृत्ति करता था। मछली पकड़ने के भिन्न-भिन्न प्रकार के पत्थर तथा हड्डी के फदे भी उपलब्ध हुए हैं जिनमें प्रतीत होता है कि वह मछली का शिकार भी करता था और उसके भोजन में इमका भी पुट था। इस युग के उपकरणों में हल जैसी कोई वस्तु प्राप्त नहीं हुई, इसलिए पुरातत्व-शास्त्रियों का कथन है कि इस युग का मानव कृषि तथा पशु-पालन में अनभिज्ञ था। फेंकने के पत्थर, वाण के फलक तथा परशु आदि से प्रतीत होता है कि पहले-पहल तो वह पत्थर फेंक कर शिकार का पीछा करता होगा, परन्तु पत्थर में कहाँ तक शिकार हाथ आ सकता है, इसलिए धीरे-धीरे उसने वाण तथा परशु का आविष्कार किया जिससे भागते प्राणी का भी वह शिकार कर सकता था।

उस काल के किन्हीं मकान आदियों के कोई चिह्न नहीं मिले। खड्डे खोद कर तो जानवर भी सर्दी-गर्मी से अपनी रक्षा करते हैं, इसलिए यह अनुमान करना कि उस समय का मानव गुफाएँ खोद कर शीतोष्ण से अपनी रक्षा कर लेता होगा, कोई अत्युक्ति नहीं। कहीं-कहीं पशुओं की खाल ओढ़ कर या उनका तम्बू-सा बना कर वह आत्म-रक्षा करता होगा। शिकार कभी-कभी जंगल छोड़ कर आगे निकल जाता है, इसलिए पूर्व-पाषाण-युग का मानव भी एक जगह टिक कर नहीं बैठता होगा। उमका जीवन निरन्तर भ्रमण का जीवन रहा होगा।

(ख) सामाजिक-क्षेत्र—पूर्व-पाषाण-युग के मानव का कोई बहुत बड़ा सगठन होगा यह तो संभव नहीं है, परन्तु इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि वह इकला विचरने के स्थान में किसी समूह का अंग रहा होगा। उपकरण एक नहीं, अनेक मिले हैं, और अनेक उपकरणों का होना सिद्ध करता है कि वे किसी एक व्यक्ति की कृति न होकर अनेक व्यक्तियों की कृतियाँ होंगे। जब कई व्यक्ति कई प्रकार के उपयोगी उपकरण बनायेंगे, तो उनका इन उपकरणों द्वारा एक-दूसरे का सहायक होना स्वभाव-सिद्ध है। ये लोग अपनी टोलियाँ बना कर रहते होंगे, बड़े, वृद्ध, अनुभवी व्यक्ति को सब अपना मुखिया मानते होंगे। उनमें जो सब से ज्यादा बलिष्ठ होगा वही टोली का केन्द्र रहता होगा। क्योंकि उस काल का मानव शिकार से पेट पालता था इसलिए शिकार में जो सबसे अधिक

दक्ष होता होगा, वही सब की प्रतिष्ठा का पात्र रहता होगा। वे लोग शिकार में दक्ष होने के लिए एक-दूसरे से बढ़ने का प्रयत्न करते होंगे। क्योंकि शिकार ही आजीविका का केवल मात्र साधन नहीं था, वृक्षों के फल-मूल भी तोड़-खोद कर खाये जाते थे, इसलिए स्त्रियाँ तथा बच्चे फल-मूल एकत्रित करने में लगे रहते होंगे और उनका समुदाय अपनी टोलियाँ बना कर फिरता होगा। अपनी टोली से पृथक् व्यक्ति को वे अपने स्वार्थ में बाधक समझते होंगे इसलिए दूसरी टोली के साथ इनका संघर्ष भी रहता होगा। लड़ाई का सूत्रपात संभवत आदि-कालीन मानव के समय से ही शुरू हो गया होगा। हो सकता है कि उसी समय से वाणों का युद्ध भी प्रतिद्वन्द्वियों में चलता हो। अब तक पूर्व-पाषाण-युग के जो प्रस्तरित अस्थि-पजर मिले हैं, वे सख्या में इतने थोड़े हैं कि यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि उस काल में जन-सख्या बहुत थोड़ी रही होगी, और थोड़ी होने के कारण उस समय की सामाजिक समस्याएँ भी नगण्य रही होंगी।

(ग) कला का क्षेत्र—कला का प्रकट रूप चित्र-निर्माण है। पूर्व-पाषाण-युग का मानव कोयले तथा रगीन मट्टी से पत्थरो पर उन पशुओं का रेखा-चित्र बनाने का प्रयत्न करता था जिन्हें वह जंगल में विचरते देखता था या जिनका वह शिकार करता था। भारत में तो इस प्रकार के चित्र नहीं मिले, परन्तु यूरोप की कई गुफाओं में इस प्रकार के चित्र उपलब्ध हुए हैं। इन चित्रों से अनुमान होता है कि उस काल के मानव में भी अपने मनोभावों को प्रकट करने की लालसा विद्यमान थी और वह जैसी-तैसी लकीरें खींच कर अपने मनोभावों को रेखा-चित्रों की आदि-कालीन इन रेखाओं में प्रकट किया करता था। इन चित्रों में कोई ज्यामितिक सौन्दर्य नहीं है, परन्तु फिर भी आदि-मानव का चित्र-निर्माण के लिए प्रयास ही तो अन्त में जाकर आज की उदीयमान कला में परिणत हुआ है। जहाँ तक आभूषणों तथा शरीर को अलंकारों से सुसज्जित करने का प्रश्न है, हम कह सकते हैं कि पूर्व-पाषाण-युग का मानव छोटे-छोटे सुन्दर पत्थरो से अपने शरीर को विभूषित भी करता था। ऐसे पाषाण-खड मिले हैं जिनका शरीर को सजाने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं हो सकता।

(घ) धर्म का क्षेत्र—जो जन्मता है वह मरता अवश्य है। आज भी मरता है, आदि-काल में भी मरता था। आदि-कालीन मानव मृत्यु के विषय में क्या सोचता था? यूरोप में पूर्व-पाषाण-युग के कई प्रस्तरित अस्थि-पजर मिले हैं जिनके साथ ही उसके उपकरण तथा उसकी खाद्य-सामग्री भी पास ही पड़ी मिली है। खाद्य-सामग्री में बकरी आदि जानवरों की कुछ अस्थियाँ हैं जो संभवत खाने के लिए रखे गये मांस के सबूत जाने के बाद शेष रह गई हैं। इस से यह अनुमान लगाया जाता है कि इस युग का मानव समझता था कि मरने के बाद भी मनुष्य का कुछ-कुछ वच रहता है, उसे मरने के बाद भी उपकरणों की आवश्यकता पड़ सकती है, खाने के लिए उसे खाद्य-सामग्री की जरूरत हो सकती है। इसीलिए तो यह सब सामान जुटा कर उसके पास रख दिया जाता था।

क्योंकि यह सब सामान रखा जाता था इसलिए मृत-व्यक्ति को जला देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सामान रखना तभी उपयोगी हो सकता है अगर मृत व्यक्ति उस सामान का इस्तेमाल कर सके। अगर उसे जला दिया जायेगा, तो वह उपयोग कैसे करेगा। इसीलिए उस काल के लोग मुर्दों को गाडते थे, जलाते नहीं थे।

पूर्व-पाषाण-युग के अवशेषों में स्त्री की मूर्तियाँ भी कहीं-कहीं उपलब्ध हुई हैं। इन मूर्तियों में स्त्री की जननेन्द्रिय को विशेष रूप से प्रधानता दी गई है। इस का कारण क्या हो सकता है? विद्वान् लोग इस पर बहस कर के इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि उस युग का मानव स्त्री की जननेन्द्रिय को उत्पादन, समृद्धि, बहुतायत, पैदावार का सूचक समझता था, और इसी लक्ष्य से इस को उपासना करता था। लिंग तथा योनि की पूजा आज तक के युग में अनेक स्थानों में पायी जाती है। शिव लिंग की पूजा तो इस समय भी सारे भारत में प्रचलित है जिसके नीचे योनि का प्रतीक बना होता है। इस पूजा का लक्ष्य यही हो सकता है कि वे सृष्टि में एक ऐसी शक्ति की कल्पना करते थे, जो उत्पादन, समृद्धि, बहुतायत और पैदावार की प्रतीक थी। उसका चिह्न लिंग और योनि के अतिरिक्त और क्या हो सकता था। ये सब एक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान थे। यूरोप में पाषाण-युग की अनेक गुफाओं में ऊँचाई पर जहाँ हरिण, वारहसिंगा आदि के रेखा-चित्र बने हुए मिले हैं, वहाँ साथ ही दीपक भी रखे मिले हैं। बहुत सभव है कि इन दीपकों में चर्बी डाल कर इन से प्रकाश किया जाता हो और प्रकृति की उस शक्ति की पूजा की जाती हो जो इन पशुओं की सख्या को बढ़ाती है। इस अनुष्ठान का उद्देश्य यह रहा होगा कि इस प्रकार वे पशु जहाँ तक हो सकें बढ़ें ताकि आदि-कालीन मानव को पेट भरने में कोई दिक्कत न हो।

मनुष्य के अतिरिक्त कोई सत्ता है जो ससार को चला रही है—यह विचार पूर्व-पाषाण-युग के मानव को हो गया था। एक-दूसरे से अधिक सत्ता के व्यक्ति को तो वे हर समय देखते थे। जैसे हमसे कोई बड़ा है, वैसे सब से कोई बड़ा होगा—यह विचार उस समय पैदा हो गया था। तभी तो हम देखते हैं कि उस काल के पत्थरों के नीचे दबे हुए कई प्राणियों के प्रस्तरित अस्थि-पजर मिलते हैं। उन्हें दबाया क्यों गया था? बहुत सभव है कि उन्हें इसलिए दबाया गया हो ताकि पहला शिकार स्वयं न खा कर उस शक्ति को सन्तुष्ट करने के लिए बलि रूप में उसे पत्थर के नीचे दबा कर भेंट के रूप में रख दिया गया था।

(ड) सगीत का क्षेत्र—पूर्व-पाषाण-युग का मानव स-रे-ग-म तो नहीं गा सकता था, किन्तु सुन्दर स्वरों का उसे अवश्य शौक था। इस युग के उपकरणों में पशुओं की ऐसी हड्डियाँ मिली हैं जिनसे सीटी बजाने का काम लिया जा सकता है। इस प्रकार की सीटियों से यही अनुमान लगाया जा सकता है कि इस काल का मानव या तो शिकार के समय एक-दूसरे को बुलाने के लिए या मौज-बहार के लिए इन उपकरणों का प्रयोग करता था।

ऊपर हमने जो विवरण दिया है उससे यह कह सकना कि इस युग का मानव ऐसा ही था, कठिन है। इस समय के जो उपकरण मिले हैं उनसे जो परिणाम निकल सकते हैं, वे हमने लिखे। इसमें सन्देह नहीं कि पत्थर के उपकरण बोल नहीं सकते, परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि इतिहास-लेखक तो इतिहास लिखने में अपने मनोभावों और विचारों के अनुसार इतिहास को तोड़-मरोड़ सकता है, परन्तु पत्थरों के उपकरण अपनी कहानी में कुछ हेर-फेर नहीं कर सकते। ये उपकरण मौजूद हैं—इसमें तो सन्देह नहीं। इन उपकरणों को किसी ने बनाया होगा, गढ़ा होगा—इसमें भी सन्देह नहीं। फिर इनका वही काम तो हो सकता है जिस काम के लिए ये प्रयुक्त हो सकते हैं। इसी दृष्टि से पूर्व-पाषाण-युग की सभ्यता की रूप-रेखा, जो-कुछ ऊपर लिखा गया है, वैसी ही बनती दीखती है। बहुत सभ्य तो यही दीखता है कि वह वैसी हो, परन्तु यह भी हो सकता है कि वह वैसी न हो।

## २ सधि-पाषाण-युग के मानव की सभ्यता (Mesolithic Culture)

आदिकालीन पाषाण-युग की सभ्यता के विकास में एक ऐसा समय आया जब आदि-मानव न तो केवल पत्थरों के प्राचीन उपकरणों का प्रयोग करता था, और न उसने पत्थर के नवीन उपकरण बनाने शुरू किये थे, यह युग दोनों युगों का सन्धि-काल था, और इसीलिए इसे सधि-पाषाण-युग का नाम दिया जाता है।

इस युग के उपकरणों में सुडौलपन दीखता है, वे पहले के-से बड़े नहीं दीखते, उनमें ज्यामितिक आकार दीखता है, वे अर्धचन्द्राकार तथा त्रिभुजाकार हैं। इस युग में मट्टी के बरतन भी बनने शुरू हो गये थे। अभी तक कुम्हार के चाक का आविष्कार तो नहीं हुआ था, परन्तु कच्ची मट्टी को हाथ से बर्तन का रूप देकर उसे आग में पका लिया जाता था। इन्हीं सब बातों के आधार पर 'सधि-पाषाण-युग' की सभ्यता का अन्दाज़ लगाया जा सकता है।

इस समय की सभ्यता में मनुष्य ने छोटे-छोटे पत्थरों के उपकरण बनाने शुरू किये थे, जिन्हें 'अणु-पाषाणोपकरण' (Microliths) का नाम दिया गया है। जैसा हम पहले लिख आये हैं, अज़ीलियन-काल की एक चक्की मिली है और इस चक्की के पास अनाज के कुछ ढेर भी मिले हैं। यह अज़ीलियन-काल 'सधि-पाषाण-युग' के निकट का काल था, इससे अनुमान होता है कि इस काल में यद्यपि मानव शिकारी जीवन ही व्यतीत कर रहा था, तो भी धीरे-धीरे कृषि की झाँकियाँ भी ले रहा था। अभी कृषि अपने विकसित रूप में तो नहीं आयी थी, परन्तु इस युग के दामन में कृषि-युग छिपा हुआ प्रकट होने की बात जोह रहा था।

## ३ नव-पाषाण-युग के मानव की सभ्यता (Neolithic Culture)

नव-पाषाण-युग के मानव की सभ्यता की रूप-रेखा भी इस युग के उपकरणों के आधार पर बनाई जा सकती है। इस युग के उपकरणों में पूर्व-पाषाण-

युग के उपकरण तो हैं ही, परन्तु वे बहुत परिष्कृत रूप में पाये जाते हैं। इनमें हल का उपकरण भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त मट्टी के लाल-काले रंग के सुघड कलश पाये जाते हैं। कई जगह मृत व्यक्ति की भस्म मट्टी के कलशों में रखी पायी गई है। मकानों के भी अवशेष मिले हैं। इन्हीं सब बातों के आधार पर 'नव-पाषाण-युग' के आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य क्षेत्रों के जीवन की रूप-रेखा खड़ी की जा सकती है। उसी रूप-रेखा को चित्रित करने का हम यहाँ प्रयत्न करेंगे।

(क) आर्थिक-क्षेत्र—'पूर्व-पाषाण-युग' तथा 'सधि-पाषाण-युग' में हल के चिह्न नहीं पाये जाते, परन्तु 'नव-पाषाण-युग' में अन्य उपकरणों के साथ पत्थर के बने नोकीले हल प्राप्त हुए हैं। इस से यह अनुमान लगाया जाता है कि यद्यपि अब तक का मानव जगल में फल-फूल-कन्द इकट्ठा करके और शिकार द्वारा जीवन यापन करता था, तो भी 'नव-पाषाण-युग' में प्रवेश करने के बाद उसने कृषि करना प्रारंभ किया। शुरू-शुरू में उसने कृषि कहाँ करनी शुरू की— इस सबब में विद्वानों का कथन है कि जहाँ उसे प्राकृतिक तौर पर खाद्य अनाज उगता दीखा होगा, वहीं डेरा डाल कर पहले तो उसने उस अनाज को खाने के काम में लाना शुरू किया होगा, परन्तु धीरे-धीरे उस स्थान के उस अनाज के लिए स्वाभाविक तौर पर उपयुक्त होने के कारण वहीं उसकी खेती करनी शुरू कर दी होगी। इसमें उसे कोई कठिनाई नहीं हुई होगी क्योंकि वहाँ तो वह अनाज स्वयं प्रकृति द्वारा उत्पन्न हो रहा था। ऐसा स्थान पश्चिमी-एशिया माना जाता है। ईराक तथा ईरान आदि में वह अनाज स्वाभाविक तौर पर उगता है, जो विकसित होता-होता पीछे गेहूँ का रूप धारण कर गया। पूर्व-पाषाण-युग के शिकारी जीवन में मनुष्य जगह-जगह फिरता था, जहाँ शिकार मिलता था वहीं चला जाता था, परन्तु नव-पाषाण-युग में कृषि प्रारंभ कर देने के बाद से तो उसका भूमि से बंध जाना स्वाभाविक हो गया, इसलिए अब फिरन्वर जीवन को छोड़ कर मनुष्य घर बना कर एक स्थान पर रहने लगा। एक स्थान पर रहने के लिए यह भी आवश्यक था कि जहाँ पानी की सुविधा हो वहीं मनुष्य का निवास हो, इसलिए आदि-काल का मानव नदियों, झीलों और तालाबों के तटों को अपने निवास के लिए ढूँढता था। यही कारण है कि इस काल की खोज में जहाँ-जहाँ खुदाई हुई है, प्रायः सभी खुदाई नदियों और झीलों के किनारों पर हुई है और वहीं इस काल के अवशेष उपलब्ध हुए हैं। इस समय के उपलब्ध उपकरणों में ऐसे कुल्हाड़े मिले हैं जिनसे बड़े-बड़े वृक्षों को काटा जा सके। क्योंकि मनुष्य एक स्थान पर रहने लगा था इसलिए बहुत संभव है कि इन कुल्हाड़ों से बड़े-बड़े वृक्षों के तनों को काट कर वह अपने निवास-स्थान के लिए प्रयुक्त करने लगा था।

'नव-पाषाण-युग' में जहाँ मनुष्य ने कृषि करना शुरू किया, वहाँ साथ ही पशु पालना भी शुरू किया। इस युग की वस्तियों में जहाँ मनुष्य के अवशेष

उपलब्ध हुए हैं, वहाँ दूध देने वाले जानवरों के अस्थि-पजर भी उपलब्ध हुए हैं। कई विद्वानों का कथन है कि इस युग में कृषि का युग पहले आया, कई का कथन है कि पशु पालने का प्रथम आया। जो लोग पशु पालने के युग को प्रथम तथा कृषि-युग को पीछे का बताते हैं, उनका कहना है कि क्योंकि अबतक मनुष्य फिरन्दर जीवन व्यतीत कर रहा था और पशु-पालने में भी मनुष्य फिरन्दर जीवन ही व्यतीत करता है, इसलिए इन दोनों का मेल होने के पहले पशु-पालन तथा बाद को कृषि का आगमन हुआ, जो लोग इस से उल्टी बात मानते हैं, उनका कहना है कि क्योंकि शुरू-शुरू में मनुष्य फल-मूल-कन्द ही एकत्रित कर के खाता था इसलिए स्वाभाविक तौर पर अनाज के लिए उसका प्रयत्न सर्व-प्रथम प्रयत्न रहा होगा और इससे कृषि का आविष्कार पशु-पालन से पहले हुआ होगा। जो-कुछ भी हो, इस बात में सब सहमत हैं कि 'नव-पाषाण-युग' में कृषि तथा पशु-पालन से मनुष्य ने आजीविका का निर्वाह कर के आर्थिक समस्या को हल करना शुरू किया। पशुओं को पाल कर वह दूध-दही-मक्खन भी खाता था, और उनके निकम्मा हो जाने पर और आवश्यकता पड़ने पर उनके मांस का भी उपयोग कर सकता था। कृषि तथा पशु-पालन से मनुष्य ने एक नवीन युग में प्रवेश किया। अब उसे शिकार करने की आवश्यकता न रही, और वह एक जगह घर बना कर, पशु पाल कर और कृषि करके जीवन विताने लगा।

भारत में इस युग की सभ्यता के अवशेष बहुत कम मिले हैं, पश्चिमी-एशिया तथा युरोप में इसके अवशेष बहुत काफी मिले हैं। पश्चिमी-एशिया में पैलेस्टाइन, ईराक, ईरान तथा ईजिप्ट में एव युरोप में फ्रांस तथा स्विट्जरलैण्ड में पूर्व-पाषाण-युग की वस्तियों-की-वस्तियाँ मिली हैं। पैलेस्टाइन में वादी-एल-नतफ नाम के स्थान में पूर्व-पाषाण-युग के उपकरणों में दरांतियाँ मिली हैं, अनाज कूटने के उपकरण भी मिले हैं जिनसे यह स्पष्ट है कि इस युग में पैलेस्टाइन में कृषि का पूर्ण विकास हो चुका था। फ्रांस तथा स्विट्जरलैण्ड में इस युग की जो वस्तियाँ मिली हैं, उनसे प्रतीत होता है कि इस युग का मानव पशुओं को पाल कर उनसे दूध-दही ही नहीं लेता था, परन्तु बँलो तथा घोड़ों से हल भी जोतता था। गाड़ी के पत्थर के चाक मिले हैं जिनसे सिद्ध होता है कि इस युग में माल ढोने के लिए बँल या घोड़ा गाड़ी भी चलने लगी थी। इस समय का मनुष्य वृक्षों के नीचे, गुफाओं में, या चमड़े के तम्बू बना कर उनमें रहने के स्थान में लकड़ी के मकान बना कर उनमें रहने लगा था।

(ख) सामाजिक-क्षेत्र—जब तक मनुष्य फिरन्दर जीवन व्यतीत करता था, तब तक तो सामाजिक-जीवन के विकास की बहुत अधिक सभावना नहीं थी, परन्तु कृषि तथा पशु-पालन के युग में प्रवेश और मकानों में निवास शुरू करते ही एक नवीन प्रकार के सामाजिक-जीवन के विकास का हो जाना स्वाभाविक था। इस युग में मनुष्य को जगह-जगह मारे-मारे फिरना नहीं पड़ता था, उसका मकान बन चुका था, आग का आविष्कार वह पहले ही कर चुका था, अना



३ ही की भी कृषि तथा पशु-पालन के कारण उसके पास कमी नहीं थी। ऐसी हालत में अगर इस युग में उसने परिवार की सस्था का निर्माण कर लिया हो, तो क्या आश्चर्य है? परिवार के बीच रह कर वच्चो की वह परवरिश करता था, उसकी स्त्री उसके साथ खेत में उसका हाथ बटाती थी, उसके वच्चे भी बड़े होकर अपने बाप के साथ ही काम करते थे। इन सब में प्रेम-भाव था और पास-पड़ोस के खेतीवालो के साथ बैठ कर वे गप्प-शाप्प हाँका करते थे, एक-दूसरे की मदद करते थे, एक-दूसरे के सुख-दुख में साथ देते थे। यूरोप में प्राप्त अवशेषो से पता चलता है कि इस युग में गाँव बसने शुरू हो गये थे, एक-एक गाँव का क्षेत्रफल ६-७ एकड़ होता था और बस्ती में ३०-३५ मकान होते थे। जहाँ तीस-पँतीस मकान एक जगह हो वहाँ सौ-सवा सौ की बस्ती तो होगी ही। इस बस्ती के लोग एक-साथ रह कर सामाजिक-जीवन व्यतीत करते थे। जैसे शिकारी-युग में टोलियों का मुखिया होता था, वैसे इस कृषि-युग में बस्ती का एक मुखिया होता था, उसको सब लोग बड़ा मानते थे, उसके कहने पर चलते थे। सहयोग की भावना का एक-साथ रहने के कारण इस समय सूत्रपात हो चुका था।

इसका यह अभिप्राय नहीं कि इस काल के मानव में सिर्फ सहयोग की भावना ही थी। इस युग में जो बस्तियाँ पायी जाती हैं उनके चारो तरफ खाइयाँ खुदी पायी गई हैं, कहीं-कहीं चहारदीवारी पायी गई है। इस का यह अर्थ है कि वे शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिए अपनी बस्ती को एक छोटे-से किले की-सी शकल देते थे। बस्ती को किले की-सी शकल तभी दी जा सकती है जब उन्हें किन्हीं शत्रुओ से अपनी रक्षा करनी हो। उन दिनों अपने से सहयोग की भावना के साथ-साथ दूसरों से युद्ध भी होते रहते थे। अपनी टोली से अतिरिक्त दूसरी टोली के सभी व्यक्ति पराये गिने जाते थे, और इन अपने-परायो में सदा युद्ध छिडा रहता था। उस समय के धनुष-बाण, त्रिशकु आदि अस्त्र-शस्त्र युद्ध के काम आते थे।

(ग) कला का क्षेत्र—वैसे तो प्रारम्भिक-स्तर की चित्रकारी जिसमें ज्यामितिक रेखाएँ नहीं थीं, पूर्व-पाषाण-युग में शुरू हो चुकी थी फिर भी इस युग में ज्यामितिक रेखाओ तथा चित्र-कला का विकास हुआ। इस युग के कई प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन पर भिन्न-भिन्न प्रकार के चित्र बनाये गये हैं। अब तक बर्तन हाथ से बनाये जाते थे, वे बेडौल होते थे, इस युग में पाये गये बर्तन सुडौल हैं, गोल हैं, और उन पर सुन्दर रंगों की चित्र-कला के दर्शन हो सकते हैं। ये बर्तन कच्चे नहीं, पक्के हैं, आग में पकाये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि इस युग के मनुष्य ने कला के क्षेत्र में भी पहले के युग की अपेक्षा अच्छी प्रगति कर ली थी।

बर्तनों के अतिरिक्त इस युग का मानव क्योंकि पशुओ को पालने लगा था, उसके पास भेड़-बकरियों के रेवड-के-रेवड होते थे, इसलिए वह इनकी ऊन का भी इस्तेमाल करना जान गया था। जानवरों की ऊन को काट कर वह गर्म कम्बल

आदि बनाने लगा था। 'नव-पाषाण-युग' में तक्रुओ और खड्डियो का भी प्रयोग होने लगा था।

(घ) व्यापार का क्षेत्र—पूर्व-पाषाण-युग में हरेक व्यक्ति अपनी-अपनी आवश्यकता पूरी कर लेता था। भूख लगी, जंगल से फल-कद ले आये या शिकार के लिए चल पडे। उन्हें सग्रह की आवश्यकता नहीं थी। जब खेती होने लगी, पशु पाले जाने लगे, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त होने लगा। वह इतने का क्या करता ? वह इस अतिरिक्त पदार्थ को दूसरे के अतिरिक्त पदार्थ में बदले में देने लगा। इस प्रकार अपनी आवश्यकता के अतिरिक्त दूसरो की आवश्यकताएँ भी अदले-बदले के नियम के द्वारा पूर्ण होने लगीं। यही प्रक्रिया आगे चलकर व्यापार का रूप धारण कर गई। पूर्व-पाषाण-युग में श्रम-विभाग का कोई प्रतिबन्ध नहीं था। अगर कुछ था, तो स्त्री-पुरुष तक वह सीमित था। स्त्रियाँ जंगल से फल-कद चुग लाती थीं, पुरुष शिकार ले आता था। अब नव-पाषाण-युग में श्रम-विभाग का सिद्धान्त और अधिक विस्तृत रूप से काम करने लगा। बर्तन बने तो बर्तन बनाने वाले कुम्हार भी पैदा हो गये, चित्र बने तो चित्रकार भी पैदा हो गये, गाड़ियो के चाक बने तो उन्हें बनाने वाले शिल्पी भी पैदा हो गये। इस प्रकार श्रम-विभाग तथा व्यापार द्वारा वस्तुओं का एक ही स्थान में नहीं, दूर-दूर प्रदेशों में भी आदान-प्रदान होने लगा। पश्चिमी-एशिया तथा युरोप में जहाँ-जहाँ खुदाई हुई है, वहाँ-वहाँ ऐसी वस्तुएँ भी मिली हैं जो वहाँ पैदा नहीं होती थीं। यह तभी हो सकता था जब व्यापार द्वारा वस्तुओं का लेन-देन चल पडा हो।

(ङ) धर्म का क्षेत्र—हम देख आये हैं कि 'पूर्व-पाषाण-युग' में मनुष्य के मरने के बाद उसके शव के साथ उसके उपकरण तथा भोजन-सामग्री गाड दी जाती थी। यह शायद इसलिए किया जाता था कि मृत-व्यक्ति को इन चीजों की जरूरत पडे, तो वह लाचारी अनुभव न करे। यह विचार 'नव-पाषाण-युग' में भी मौजूद रहा। 'नव-पाषाण-युग' में मकान के नीचे गढा खोद कर मकान के नमूने जैसा एक घर बनाया जाता था जिसमें मृत-व्यक्ति के शव के साथ उसके उपकरण आदि तथा भोजन-सामग्री रख दी जाती थी। इस काल में कहीं-कहीं शव को जलाने की भी प्रथा थी क्योंकि अनेक स्थानों पर मट्टी के कलश प्राप्त हुए हैं जिन में मृत व्यक्ति की राख सुरक्षित रूप में रखी पायी गई है।

इस काल के अनेक स्थानों में मट्टी की बनी हुई कई स्त्री-मूर्तियाँ भी मिली हैं। इन मूर्तियों में, जैसा हम पहले लिख आये हैं, स्त्री की जननेन्द्रिय को विशेष रूप से स्पष्ट बनाया गया है। पश्चिमी-एशिया तथा युरोप दोनों स्थानों में इस प्रकार की स्त्री की योनि की मूर्तियाँ पायी जाती हैं। स्त्री की योनि के अतिरिक्त पुरुष के लिंग की मूर्तियाँ भी कई जगह मिली हैं। इगलैण्ड, अनेतोलिया तथा बालकन प्रायद्वीपों में इस प्रकार के पुरुष के लिंग प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार स्त्री की योनि तथा पुरुष के लिंग के निर्माण का क्या अर्थ हो सकता है ? एक कल्पना तो

यह है कि आदि-काल के मानव के लिए ये दोनों अग इतने कौतूहल के विषय थे कि वह इन की मूर्तियाँ बनाकर अपनी कौतूहलप्रियता को शान्त करता था। आजकल भी अनेक विषयी लोग इन अगो का अनुचित प्रदर्शन करने में अपनी इसी भावना को तृप्त करते हैं। परन्तु आदि-काल का मानव विषय-वासना की तरफ इतना खिचता हो—यह कल्पना कुछ असंगत-सी प्रतीत होती है। विषय-वासना मुख्य तौर पर वर्तमान-सम्यता की देन है। दूसरी कल्पना अधिसंगत प्रतीत होती है। दूसरी कल्पना यह है कि इस काल के मानव के लिए स्त्री की योनि तथा पुरुष का लिंग उत्पादन के सूचक चिह्न थे। इस युग में कृषि तथा पशु-पालन शुरू हो गया था और इस युग का मानव इन पदार्थों की वृद्धि के लिए उत्पादन के सूचक अगों की मूर्तियाँ बना कर उनकी पूजा करता था।

पुरातन-शास्त्र के पंडितों का कहना है कि इस युग में जाड़ू-टोने का विचार भी जन्म ले चुका था। हम जगह-जगह लिख आये हैं कि 'नव-पाषाण-युग' के अवशेषों में तावीजों के चिह्न पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, छोटी कुल्हाड़ी के बीच एक छेद पाया गया है जिसमें हथ्या तो नहीं लग सकता था, परन्तु जिस रस्सी डाल कर उसे गले में लटकाया जा सकता था। हो सकता है कि कुल्हाड़ी को साथ रखने के लिए उसे गले में लटकाया जाता हो, यह भी हो सकता है कि कुल्हाड़ी को सब-कुछ फाट सकने के कारण शक्ति का प्रतीक समझ कर तावीज के तौर पर गले में लटकाया जाता हो। मानव-शास्त्री इसे इसी अर्थ में लेकर इसे जाड़ू-टोने का रूप कहते हैं।

#### ४ धातु-युग के मानव की सम्यता (Culture of the Age of Metals)

'नव-पाषाण-युग' के बाद सत्तर के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में धातुओं के युग का प्रारंभ हुआ। 'नव-पाषाण-युग' में मनुष्य भोजन पकाने के लिए चूल्हे भट्टियाँ बनाया करता था जिनमें लगातार आग जला करती थी। ये भट्टियाँ प्रायः पत्थर की होती थीं। इन पत्थरों में कभी-कभी प्राकृतिक तौर पर धातु के टुकड़े भी होते थे जो लगातार के ताप से पिघल जाते थे। इन धातुओं को देख कर इस युग के मानव ने पत्थर के साथ-साथ अपने उपकरण बनाने के लिए धातुओं का प्रयोग शुरू किया। धातुओं के प्रयोग में यह सुविधा थी कि उन्हें ठोक-पीटा किसी भी आकार का बनाया जा सकता था। पत्थर का उपकरण बनाते हुए तो उसे ठोका-पीटा नहीं जा सकता था। इस से तो पत्थर के टूटने की सभावना बर्ण रहती थी। धातु को पीटने से वह टूटती नहीं थी। पहले-पहल मनुष्य को ताम्र का ज्ञान हुआ, फिर ब्रौज का और सब से पीछे लोहे का ज्ञान हुआ। इन तीनों धातुओं के युग का वर्णन हम पिछले अध्याय में संक्षेप से कर आये हैं। इन तीन युगों के बाद आज के मानव ने अणु-शक्ति को ढूँढ़ निकाला है और जैसे भिन्न-भिन्न धातुओं के नाम से उस-उस युग को हम स्मरण करते हैं, वैसे आज के युग को अणु युग से स्मरण किया जाता है।

## मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की सिन्धु-सभ्यता

(MOHENJODARO AND HARAPPA CULTURE OF SINDH-VALLEY)

हम पिछले अध्याय में 'सधि-पाषाण-युग' (Mesolithic age) का वर्णन कर आये हैं। 'सधि-पाषाण-युग' में 'अणु-पाषाण के उपकरण' (Micro-liths) पाये जाते हैं। इस 'सधि-पाषाण-युग' की सभ्यता का अनेक स्थानों में सूत्रपात हुआ और वही विकसित होते-होते 'नव-पाषाण-युग' में परिणत हो गई। 'नव-पाषाण-युग' के बाद 'ताम्र-युग' की सभ्यता का विकास हुआ। 'सधि-पाषाण-युग', 'नव-पाषाण-युग' तथा 'ताम्र-युग' के पुटों को लेकर एक सभ्यता सिंधु नदी की घाटी में किसी समय पनपी जिसे 'सिंधु-सभ्यता' का नाम दिया जाता है। इस सभ्यता के चिह्न मिलने से पहले प्रागैतिहासिक लेखक मिस्र, असीरिया, बैबीलोन की सभ्यताओं के ही गीत गाया करते थे। भारत के विषय में ऋग्वेद के समय तक ही हम पहुँच पाते थे, उस से पूर्व नहीं। सिंधु नदी की घाटी की सभ्यता के अवशेष प्राप्त होने के बाद से हम समझने लगे कि नील, दजला और फरात की घाटियों का मानव की पुरातन सभ्यता में जो स्थान है, वही स्थान भारत के पुरातन-मानव की सभ्यता में सिंधु नदी का है। इस प्रागैतिहासिक-सभ्यता का ज्ञान मानव-शास्त्र के अध्ययन के लिए, और विशेष तौर पर भारतीय मानव-शास्त्र के सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन के लिए अत्यन्त आवश्यक है, इसलिए इस अध्याय में हम मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की सभ्यता का वर्णन करेंगे।

सिंधु-घाटी की सभ्यता का विशेष ज्ञान हमें प्राचीनकाल के दो नगरों से होता है। एक नगर का नाम है—'मोहनजोदड़ो' और दूसरे का नाम है—'हड़प्पा'। मोहनजोदड़ो कराची से २०० मील उत्तर में सिन्धु के लरकाना जिले में सिन्धु नदी के तट पर स्थित है; हड़प्पा लाहौर से १०० मील दक्षिण-पश्चिम में रावी नदी के तट पर मिटगुमरी जिले में स्थित है। इन दोनों नगरों में ३५० मील का फासला है। सिन्धु-घाटी की सभ्यता के द्योतक ये दो नगर ही नहीं हैं। ये दो नगर तो बड़े नगर हैं, परन्तु इस प्रकार की ४० वस्तियों की खुदाई हो चुकी है जिनमें उसी सभ्यता के अवशेष मिले हैं जिसे हम 'सिन्धु-सभ्यता' कहते हैं। सिन्धु-सभ्यता का यह प्रदेश काठियावाड से लेकर पश्चिम में मरकान तक फैला हुआ था। उत्तर में हिमालय तक इस की पहुँच थी। अगर उस सारे प्रदेश की जहाँ-जहाँ सिन्धु-सभ्यता थी, त्रिभुज बनाई जाय, तो इस की

भुजा ९५० मील, दूसरी ६०० मील और तीसरी ५५० मील लम्बी बनती है। इतने विशाल प्रदेश में सिन्धु-सभ्यता का विस्तार था, मोहनजोदडो और हड़प्पा तो इस सभ्यता के दो केन्द्र थे। इस सभ्यता का काल ईस्वी सन् ३२५० से २७५० वर्ष पूर्व का माना जाता है। 'मोहनजोदडो'-शब्द का अर्थ है—'मुर्दों का प्रदेश'। कई विद्वानों का कथन है कि यह नगर सात बार बसा तथा सात बार उजडा। अब तो यह प्रदेश पाकिस्तान में चला गया है, परन्तु पाकिस्तान तो हाल की चीज है, यह प्रदेश सदियों से भारत का अभिन्न अंग रहा है, इसलिए भारत की प्राचीन-संस्कृति को जानने के लिए सिन्धु-सभ्यता का विशेष महत्व है।

इस सभ्यता की खोज श्री राखालदास वैनर्जी तथा श्री दयाराम साहनी ने की। १९२२ में मोहनजोदडो में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पश्चिमी-क्षेत्र के अध्यक्ष श्री राखालदास वैनर्जी को एक बौद्ध समाधि मिली। उन्होंने समझा कि इस समाधि के नीचे कुछ बौद्ध-कालीन अवशेष प्राप्त होंगे, इसलिए इस स्थान की खुदाई शुरू करवाई गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब बौद्ध-काल के अवशेषों की जगह यहाँ एक नगर-का-नगर निकल पडा। यह नगर ही मोहनजोदडो था, जो अपने समय की सभ्यता का एक अवशेष कहा जा सकता है। १९२२ में ही श्री दयाराम साहनी ने मिंटगुमरी जिले में हड़प्पा नामक स्थान पर एक जगह खुदाई शुरू की, जहाँ एक और नगर के भग्नावशेष प्राप्त हुए। ये भग्नावशेष हड़प्पा नगर के थे, और मोहनजोदडो तथा हड़प्पा में प्राप्त हर बात में इतनी समानता पायी गई कि इस सारे प्रदेश को विद्वानों ने एक ही सभ्यता का घोषित कर दिया। इन अवशेषों के आधार पर हम उस काल की सिन्धु-सभ्यता की रूप-रेखा का एक चित्र बना सकते हैं जिसे हम यहाँ देने का प्रयत्न करेंगे।

## १ सिन्धु-सभ्यता की नगर-निर्माण योजना

(क) सडकें—सिन्धु-सभ्यता के जो दो बड़े-बड़े नगर भूमि के गर्भ से खोद कर निकाले गये हैं, इन दोनों की रचना में बड़े कुशल व्यक्तियों का हाथ दीख पडता है। उदाहरणार्थ, यहाँ की सडकें एक निश्चित योजना के अनुसार बनाई गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि नगर की योजना पहले बना ली गई है, सडकों आदि का नक्शा पहले तय्यार कर लिया गया है, भवन-निर्माण का कार्य पीछे किया गया है। जिन नगरों का योजनानुसार निर्माण होता है, उनमें ऐसा ही किया जाता है। बिना इस प्रकार की योजना के लोग जिस का जी चाहे जहाँ मकान बना लेते हैं, उसके बाद जिधर से रास्ता मिले वहाँ से मार्ग या गली निकाली जाती है। मोहनजोदडो तथा हड़प्पा में ऐसा नहीं है। मोहनजोदडो की जो मुख्य सडक है वह ठीक नगर के बीच में से निकली है, और तैंतीस फीट चौड़ी है। इस सडक को काटती हुई एक दूसरी इससे भी चौड़ी मुख्य सडक नगर के बीचोबीच निकल गई है। पहली मुख्य सडक उत्तर से दक्षिण की है, तो इसे चीरने वाली दूसरी मुख्य सडक पूर्व से पश्चिम की है। ये दोनों सडकें इतनी चौड़ी

हैं कि इन में अनेक गाडियाँ आ-जा सकती हैं। इन दोनों मुख्य सड़को के समानान्तर नौ से अठारह फीट चौड़ी और सड़कें बनी हुई हैं। इन सड़को को गलियों से मिलाया गया है। ये गलियाँ भी चार फीट से कम नहीं हैं। इस प्रकार सारे नगर को इस ढंग से बसाया गया है कि किसी भी गली से किसी भी मकान तक आसानी से बिना चक्करो के पहुँचा जा सकता है।

(ख) मकान—मकानों का निर्माण भी एक निश्चित योजना के अनुसार किया गया है। मकान चौकोर थे, चारों ओर छोटे-बड़े कमरे थे, बीच में बँठने-उठने के लिए सेहन था, इन की खिडकियाँ सड़क की ओर नहीं खुलती थीं। आजकल तो हमारी खिडकियाँ सड़क की ओर होती हैं, सड़क पर चलने वाले हमारी तरफ और हम सड़क वाले की तरफ ताका करते हैं, सिन्धु-सभ्यता के मकानों में ऐसा नहीं था। मकान छोटे भी होते थे, बड़े भी, दो कमरों वाले भी और राज-भवन जैसे भी। गन्दे पानी को निकालने के लिए नालियों का प्रबन्ध था। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। ईंटें दो प्रकार की पायी गई हैं—छोटी तथा बड़ी। छोटी ईंट  $10 \times 5 \times 2$  इंच तथा बड़ी ईंट  $20 \times 11 \times 2$  इंच आकार की होती थी। ज्यादातर छोटी ईंटों का ही प्रयोग किया गया है। ईंटों को बँठाने के लिए गारे या गारे के साथ चूने का इस्तेमाल किया गया है जिससे चिनाई में मजबूती आ गई है। दीवारों की मोटाई ५ फीट तक होती थी, कहीं-कहीं बहुत बड़ी इमारत के लिए इस से भी मोटी दीवार पायी गई है। एक मकान की लम्बाई २४२ तथा चौड़ाई ११२ फीट की तथा एक दूसरे मकान की लम्बाई २२० फीट तथा चौड़ाई ११५ फीट की है। एक और भवन का अगला भाग ८५ फीट, गहराई ९७ फीट है। इस का आगन ३२ वर्गफीट है। मोहनजोदडो के मकान प्रायः कुम्भजिले हैं और ऊपर की मजिल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये सीढ़ियाँ बहुत तग हैं जिससे प्रतीत होता है कि जगह को बचाने के लिए ये लोग बहुत प्रयत्नशील थे। बहुत संभव है कि समृद्ध नगर होने के कारण यहाँ ज़मीन बहुत महँगी हो, और इसीलिए लोग दो-मजिले मकान तथा तग सीढ़ियाँ बनाते हों। मकान में अलमारियाँ, खूंटियाँ आदि सब-कुछ होता था। मकान के आँगन में एक तरफ रसोईघर होता था। इस रसोईघर में अब तक चूल्हे बने हुए हैं। हर मकान में एक स्नान का कमरा होता था जिसमें मटको में पानी भरा रहता था। नहाने के कमरे का फर्श चिकनी ईंटों का बना होता था। प्रत्येक मकान में एक शौचालय भी रहता था। इस सब व्यवस्था को देख कर इस निर्णय पर पहुँचना स्वाभाविक है कि यहाँ के मकानों में एक निश्चित योजना थी।

(ग) नालियाँ—मकान तथा नगर इन दोनों को साफ-सुथरा रखने के लिए नालियों का होना आवश्यक है। स्नानागारों, रसोइयों तथा टट्टियों का पानी घर से बाहर निकलने के लिए मट्टी के नल बने हुए थे। घर से पानी बाहर निकल कर चौबच्चे में इकट्ठा होता था, उसमें नितर कर वह गली की

भुजा ९५० मील, दूसरी ६०० मील और तीसरी ५५० मील लम्बी बनती है। इतने विशाल प्रदेश में सिन्धु-सभ्यता का विस्तार था, मोहनजोदडो और हड़प्पा तो इस सभ्यता के दो केन्द्र थे। इस सभ्यता का काल ईस्वी सन् ३२५० से २७५० वर्ष पूर्व का माना जाता है। 'मोहनजोदडो'-शब्द का अर्थ है—'मुर्दों का प्रदेश'। कई विद्वानों का कथन है कि यह नगर सात बार बसा तथा सात बार उजड़ा। अब तो यह प्रदेश पाकिस्तान में चला गया है, परन्तु पाकिस्तान तो हाल की चीज़ है, यह प्रदेश सदियों से भारत का अभिन्न अंग रहा है, इसलिए भारत की प्राचीन-संस्कृति को जानने के लिए सिन्धु-सभ्यता का विशेष महत्व है।

इस सभ्यता की खोज श्री राखालदास बंनर्जी तथा श्री दयाराम साहनी ने की। १९२२ में मोहनजोदडो में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पश्चिमी-क्षेत्र के अध्यक्ष श्री राखालदास बंनर्जी को एक बौद्ध समाधि मिली। उन्होंने समझा कि इस समाधि के नीचे कुछ बौद्ध-कालीन अवशेष प्राप्त होंगे, इसलिए इस स्थान की खुदाई शुरू करवाई गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब बौद्ध-काल के अवशेषों की जगह यहाँ एक नगर-कानगर निकल पड़ा। यह नगर ही मोहनजोदडो था, जो अपने समय की सभ्यता का एक अवशेष कहा जा सकता है। १९२२ में ही श्री दयाराम साहनी ने मिंटगुमरी जिले में हड़प्पा नामक स्थान पर एक जगह खुदाई शुरू की, जहाँ एक और नगर के भग्नावशेष प्राप्त हुए। ये भग्नावशेष हड़प्पा नगर के थे, और मोहनजोदडो तथा हड़प्पा में प्राप्त हर बात में इतनी समानता पायी गई कि इस सारे प्रदेश को विद्वानों ने एक ही सभ्यता का घोषित कर दिया। इन अवशेषों के आधार पर हम उस काल की सिन्धु-सभ्यता की रूप-रेखा का एक चित्र बना सकते हैं जिसे हम यहाँ देने का प्रयत्न करेंगे।

## १ सिन्धु-सभ्यता की नगर-निर्माण योजना

(क) सड़कें—सिन्धु-सभ्यता के जो दो बड़े-बड़े नगर भूमि के गर्भ से खोद कर निकाले गये हैं, इन दोनों की रचना में बड़े कुशल व्यक्तियों का हाथ दीख पड़ता है। उदाहरणार्थ, यहाँ की सड़कें एक निश्चित योजना के अनुसार बनाई गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि नगर की योजना पहले बना ली गई है, सड़कों आदि का नक्शा पहले तय्यार कर लिया गया है, भवन-निर्माण का कार्य पीछे किया गया है। जिन नगरों का योजनानुसार निर्माण होता है, उनमें ऐसा ही किया जाता है। बिना इस प्रकार की योजना के लोग जिस का जी चाहे जहाँ मकान बना लेते हैं, उसके बाद जिधर से रास्ता मिले वहाँ से मार्ग या गली निकाली जाती है। मोहनजोदडो तथा हड़प्पा में ऐसा नहीं है। मोहनजोदडो की जो मुख्य सड़क है वह ठीक नगर के बीच में से निकली है, और तैंतीस फीट चौड़ी है। इस सड़क को काटती हुई एक दूसरी इससे भी चौड़ी मुख्य सड़क नगर के बीचोबीच निकल गई है। पहली मुख्य सड़क उत्तर से दक्षिण की है, तो इसे चीरने वाली दूसरी मुख्य सड़क पूर्व से पश्चिम की है। ये दोनों सड़कें इतनी चौड़ी

है कि इन में अनेक गाडियां आ-जा सकती हैं। इन दोनों मुख्य सड़कों के समानान्तर नौ से अठारह फीट चौड़ी और सड़कें बनी हुई हैं। इन सड़कों को गलियों से मिलाया गया है। ये गलियां भी चार फीट से कम नहीं हैं। इस प्रकार सारे नगर को इस ढंग से बसाया गया है कि किसी भी गली से किसी भी मकान तक आसानी से बिना चक्करों के पहुँचा जा सकता है।

(ख) मकान—मकानों का निर्माण भी एक निश्चित योजना के अनुसार किया गया है। मकान चौकोर थे, चारों ओर छोटे-बड़े कमरे थे, बीच में बँठने-उठने के लिए सेहन था, इन की खिडकियाँ सड़क की ओर नहीं खुलती थीं। आजकल तो हमारी खिडकियाँ सड़क की ओर होती हैं, सड़क पर चलने वाले हमारी तरफ और हम सड़क वालों की तरफ ताका करते हैं, सिन्धु-सभ्यता के मकानों में ऐसा नहीं था। मकान छोटे भी होते थे, बड़े भी, दो कमरों वाले भी और राज-भवन जैसे भी। गन्दे पानी को निकालने के लिए नालियों का प्रबन्ध था। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। ईंटें दो प्रकार की पायी गई हैं—छोटी तथा बड़ी। छोटी ईंट १०। × ५ × २। इंच तथा बड़ी ईंट २०।। × ८।। × २। इंच आकार की होती थी। ज्यादातर छोटी ईंटों का ही प्रयोग किया गया है। ईंटों को बँठाने के लिए गारे या गारे के साथ चूने का इस्तेमाल किया गया है जिससे चिनाई में मजबूती आ गई है। दीवारों की मोटाई ५ फीट तक होती थी, कहीं-कहीं बहुत बड़ी इमारत के लिए इस से भी मोटी दीवार पायी गई है। एक मकान की लम्बाई २४२ तथा चौड़ाई ११२ फीट की तथा एक दूसरे मकान की लम्बाई २२० फीट तथा चौड़ाई ११५ फीट की है। एक और भवन का अगला भाग ८५ फीट, गहराई ९७ फीट है। इस का आगन ३२ वर्गफीट है। मोहनजोदडो के मकान प्रायः दुमजिले हैं और ऊपर की मजिले पर जाने के लिए सीढियाँ बनी हुई हैं। ये सीढियाँ बहुत तग हैं जिससे प्रतीत होता है कि जगह को बचाने के लिए ये लोग बहुत प्रयत्नशील थे। बहुत संभव है कि समृद्ध नगर होने के कारण यहाँ ज़मीन बहुत महँगी हो, और इसीलिए लोग दो-मजिले मकान तथा तग सीढियाँ बनाते हों। मकान में अलमारियाँ, खूंटियाँ आदि सब-कुछ होता था। मकान के आँगन में एक तरफ रसोईघर होता था। इस रसोईघर में अब तक चूल्हे बने हुए हैं। हर मकान में एक स्नान का कमरा होता था जिसमें मटकों में पानी भरा रहता था। नहाने के कमरे का फर्श चिकनी ईंटों का बना होता था। प्रत्येक मकान में एक शौचालय भी रहता था। इस सब व्यवस्था को देख कर इस निर्णय पर पहुँचना स्वाभाविक है कि यहाँ के मकानों में एक निश्चित योजना थी।

(ग) नालियाँ—मकान तथा नगर इन दोनों को साफ-सुथरा रखने के लिए नालियों का होना आवश्यक है। स्नानागारों, रसोइयों तथा टट्टियों का पानी घर से बाहर निकालने के लिए मट्टी के नल बने हुए थे। घर से पानी बाहर निकल कर चौबच्चे में इकट्ठा होता था, उसमें नितर कर वह गली की



नाली में मिल जाता था। प्रत्येक गली के साथ-साथ एक नाली बनी हुई थी जो हर मकान के गन्दे पानी को लेकर शहर की बड़ी नाली में मिल जाती थी। सड़कें तो कच्ची थीं, परन्तु ये नालियाँ पक्की ईंटों की बनी हुई थीं। इन नालियों की ईंटों को पक्का जमाने के लिए नट्टी के साथ चूने का इस्तेमाल किया जाता था। ये नालियाँ ९ इंच चौड़ी, १२ इंच गहरी होती थीं। नालियों को खुला छोड़ने के स्थान में ईंटों से ढँक दिया गया था, समय-समय पर ईंटें हटा कर नालियों की पूरी सफाई भी हुआ करती थी। बहुत चौड़ी नालियों को शिलाओं से ढँका जाता था। इन नालियों के अलावा इस शहर में बहुत बड़ी नालियाँ भी पायी गई हैं। ये नालियाँ ५ फीट गहरी और २॥ फीट चौड़ी हैं। इन नालियों का उद्देश्य वर्षा के पानी को शहर से बाहर फेंकना होता था। अक्सर देखा जाता है कि घोर वर्षा के समय बड़े-बड़े शहरों में भी वर्षा के पानी के बाहर निकलने की व्यवस्था न होने के कारण शहर में कमर तक का पानी इकट्ठा हो जाता है। ऐसे शहरों में ऐसी बड़ी-बड़ी नालियों का होना अत्यन्त आवश्यक है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब सिन्धु-सभ्यता के ये नगर बसे थे, उन दिनों यहाँ उतना सूखा नहीं था जितना अब है। उन दिनों यहाँ मूसलाधार वर्षा होती थी और इस वर्षा के पानी को शहर से बाहर फेंकने के लिए इन विशाल नालियों का निर्माण किया गया था।

(घ) नगर-स्नानागार—मोहनजोदड़ो की खुदाई में सड़कों, भवनों तथा नालियों के अतिरिक्त एक विशाल स्नानागार निकला है जो १८० फीट लम्बा और १०८ फीट चौड़ा है। इसकी बाहर की दीवार ८ फीट मोटी है। इस विशाल-स्नानागार में कमरे हैं, और एक जलाशय है। इस जलाशय की लम्बाई ३९ फीट, चौड़ाई २३ फीट और गहराई ८ फीट है। इस जलाशय में स्नान के लिए उतरने के लिए पक्की ईंटों की सीढ़ियाँ हैं। जलाशय के पास एक कुआँ है जिसमें से पानी इस में भरा जाता था। इस जलाशय में नल भी लगे हुए हैं जिनके द्वारा पानी इसमें भरा तथा इसमें से निकाला जाता था। अगर यह माना जाय कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर ईसा से ३,००० वर्ष पूर्व के हैं, तो भी आज ५,००० साल बीत जाने पर इस स्नानागार की दीवारों का जैसे-का-तैसा बना रहना भवन-निर्माण-कला का एक आश्चर्य है। इस स्नानागार के साथ गर्म पानी के हमाम भी हैं। यह कल्पना करना कि शहर के बाल-युवक-वृद्ध गर्मियों में इस जलाशय पर आकर आमोद-प्रमोद करते होंगे, एक सहज-कल्पना है।

(ङ) बाजार—प्रत्येक नगर में एक बाजार होता है, जो नगर-वासियों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में सड़कों के साथ ऐसी इमारतें मिली हैं जो दुकानों के सिवाय और कुछ नहीं हो सकतीं। इन दुकानों के साथ बड़े-बड़े गोदाम भी मिले हैं जिनमें व्यापारी लोग माल रखते थे।

(च) नगर की प्राकार—मोहनजोदड़ो हड़प्पा से कुछ छोटा ही नगर था, फिर भी यह एक वर्ग-मील के घेरे में बसा हुआ था। इस नगर के चारों तरफ इस की रक्षा के लिए एक प्राकार बनी हुई थी जिससे इस नगर का रूप एक किले का-सा था। इसी प्रकार की प्राकार हड़प्पा में बनी हुई थी। प्राकार से घिरे इन नगरों में सहस्रों नर-नारी सुखपूर्वक नागरिक जीवन व्यतीत करते थे। हो सकता है, इन प्राकारों के बाहर अनेक गाँव हों जो इन नगर-निवासियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हों और जैसे आजकल नगर तथा ग्राम का लेन-देन चलता है, वैसा ही लेन-देन इस सभ्यता में भी चलता हो।

## २ सिन्धु-सभ्यता का आर्थिक रूप

(क) कृषि तथा पशु-पालन—सिन्धु-सभ्यता का युग कृषि तथा पशु-पालन का युग था। गेहूँ और जौ के कुछ चिह्न मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में मिले हैं जिससे कहा जा सकता है कि ये लोग अन्न खाते थे और उसे पैदा भी करते थे। दोनों जगह खजूर की गुठलियाँ भी मिली हैं इसलिए यह भी कहा जाता है कि वे लोग फलों के शौकीन थे। परन्तु इतने से यह नहीं कहा जा सकता कि वे शाकाहारी ही थे क्योंकि मृत-व्यक्तियों को गाड़ते हुए वे मछली-माँस आदि भी साथ रख देते थे क्योंकि उस समय के जो पजर मिले हैं उनके साथ जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। इन हड्डियों को देख कर निश्चित रूप से यह कह देना कि वे मांसाहारी थे, असंगत है, क्योंकि किसी मानुषी पंजर के पास हड्डियों का होना यह सिद्ध नहीं करता कि जिस मनुष्य का पजर है उसने उस जानवर को खा ही लिया था। फिर भी इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वे मांसाहारी नहीं थे। बहुत संभव है, वे उभयाहारी थे, शाक-पात और मांस दोनों का वे सेवन करते थे। अन्न उत्पन्न करने के लिए वे कृषि अवश्य करते होंगे, परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि सिन्धु-सभ्यता में हल का कहीं पता नहीं चलता। हो सकता है, वे किसी अन्य साधन से कृषि करते हो। हड़प्पा में अन्न के बड़े-बड़े गोदाम पाये गये हैं। अन्न के इन गोदामों के पास ही अनाज पीसने का भी इन्तजाम बिखाई देता है। कृषि के साथ पशु-पालन भी उनकी आजीविका का एक अंग था। इन स्थानों पर जो मोहरें मिली हैं उन पर गाय, भैंस की शकलें बनी हुई हैं। इस का यही अर्थ हो सकता है कि इन जानवरों को वे एक महत्वपूर्ण स्थान देते थे। ऐसी हालत में यह कल्पना करना कि वे दूध-बही-मक्खन का इस्तेमाल करते थे, अयुक्त नहीं जान पड़ता। इस सभ्यता के लोग गाय, बैल, भैंस के अतिरिक्त भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ते को भी पालते थे, घोड़े, गधे के भी अवशेष इस सभ्यता में मिलते हैं, ऊँट के अवशेष नहीं मिलते।

(ख) वस्त्र-निर्माण—खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए वस्त्र की जरूरत होती है। सिन्धु-सभ्यता के लोग कृषि करते थे, अनाज पैदा करते थे। इस कृषि के साथ वे कपास भी पैदा करते थे और वस्त्र-निर्माण-कला से परिचित थे। मोहनजोदड़ो में चाँदी के एक कलश पर एक सूती कपड़ा लिपटा

हुआ पाया गया है। इन अवशेषों में एक नग्न-स्त्री की मूर्ति मिली है जिसकी कमर के नीचे जाँघों तक एक कपडा दिखाया गया है। इसी प्रकार इन अवशेषों में एक पुरुष की मूर्ति मिली है जिसने बाँयें कंधे के ऊपर से ले जाकर दाहिनी कोख के नीचे से होता हुआ एक शाल ओढ रखा है, ठीक ऐसे जैसे शाल को हम आजकल ओढते हैं। मोहनजोदड़ो के भग्नावशेषों में सूत कातने के चर्खे बहुत-से घरों में मिले हैं। इस का यह अभिप्राय है कि चर्खा कातना उस समय का एक घरेलू व्यवसाय था और वस्त्र-निर्माण-कला का सिन्धु-घाटी के लोगों को ज्ञान था। वे सिर्फ सूती ही नहीं, अपितु ऊनी तथा रेशमी कपडों का भी निर्माण करते थे। सूती कपडा यहाँ का इतना प्रसिद्ध था कि प्राचीन ईराक में सूती कपडे को 'सिन्धु' नाम से पुकारा जाता था। ऐसा मालूम पडता है कि कपडे का व्यापार सिन्धु-घाटी के जुलाहे देश-विदेश से करते थे और यह व्यवसाय अत्यन्त उच्च हालत में था।

(ग) पात्र-निर्माण—सिन्धु-सभ्यता में वर्तनों को बनाने का व्यवसाय भी खूब चलता था। इस सभ्यता के प्राचीन खडहरों में मट्टी के अनेक वर्तन मिले हैं जो हाथ से बनाये न होकर कुम्हार के चाक पर बनाये गये हैं। ये वर्तन छोटे से लेकर बड़े-बड़े मटकों तक के हैं। इन पर अनेक तरह के चित्र अंकित हैं। मट्टी के इन पके वर्तनों को किसी खास तरह की पालिश से चमकाया गया है। मट्टी के अतिरिक्त पत्थर तथा ताँबे के भी अनेक वर्तन इन घाटियों में मिले हैं।

(घ) धातु का उपयोग—सिन्धु-सभ्यता के सोने के आभूषणों के विषय में एक लेखक ने लिखा है कि ये आभूषण बौड स्ट्रीट के किसी आजकल के जौहरी की दुकान के प्रतीत होते हैं। अस्तु में, इस सभ्यता के समय पत्थर और मट्टी के स्थान में धातुओं का उपयोग होना शुरू हो गया था। सोने-चाँदी के आभूषण और ताँबे तथा ब्रोज़ के उपकरण बनने लगे थे। इन स्थानों की खुदाई में चाँदी के तीन वर्तन मिले हैं। ताँबे की ११ इंच लम्बी एक कुल्हाड़ी और १६ $\frac{1}{2}$  इंच लम्बी ताँबे की एक आरी मिली है। आरी का मिलना विशेष महत्व की बात है क्योंकि पश्चिम में आज से दो हजार साल पहले तक आरी का कोई निशान नहीं मिलता। इस सभ्यता में छेनी, चाकू, परसा, तलवार, कटार, बरछी, भाला—सब ताँबे के बने मिले हैं। इन धातुओं के बने उपकरणों से यह स्वय-सिद्ध है कि सिन्धु-सभ्यता में सुनार, लुहार, जौहरी—सब व्यवसाय मौजूद थे और जहाँ ये व्यवसाय हो, उस प्रदेश के समृद्ध होने में क्या सन्देह हो सकता है ?

(ङ) व्यापार—व्यापार की मुख्य बातें चार होती हैं—तोल, माप, आदान-प्रदान तथा मुद्रा। इन चारों की सत्ता सिन्धु-घाटी की सभ्यता में विद्यमान थी। तोल के लिए वाट बने हुए थे। ये वाट चौकोर तथा घन के आकार के हैं। तोलने के लिए तराजू का भी इस्तेमाल होता था क्योंकि ताँबे की तराजू के अवशेष भी उपलब्ध हुए हैं। तोलने के वाट पहली इकाई से लेकर ६४० इकाई तक का वोल तोल सकते थे। तोलने के अतिरिक्त मापने का पैमाना भी बना हुआ था। जैसे हमारे फुट की १२ भागों में बाँटा जाता है, वैसे इस पैमाने

को ९ भागो में बाँटा गया था। हडप्पा में एक छड़ मिली है जिसपर ये हिस्से अंकित हैं। जैसे हमारा फुट १२ इंच का है, वैसे इस समय का पैमाना १३.२ इंच का था। इस समय का एक और पैमाना भी मिला है जो २०.४ इंच का है। हो सकता है, सिन्धु-सम्यता में दो पैमाने चलते हो क्योंकि इस सम्यता में बने मकान इन दोनों पैमानों में से किसी एक के साथ ज़रूर मेल खा जाते हैं। व्यापार के लिए तीसरी आवश्यक चीज़ आदान-प्रदान है, लेना-देना, अपने प्रदेश में लेना-देना और अपने प्रदेश से बाहर भी लेना-देना। इस सम्यता के खडहरों में अनेक ऐसी वस्तुएँ उपलब्ध हुई हैं जो इस प्रदेश की नहीं हैं, जो बाहर के और दूर के प्रदेशों की हैं। वे वस्तुएँ यहाँ कैसे आयीं? अगर बाहर के प्रदेशों के साथ मोहनजोदडो और हडप्पा का व्यापारिक संबंध नहीं था, तो काफी दूर-दूर के इलाकों की वस्तुओं का इन नगरों में उपलब्ध होना एक समस्या बन जाता है। उदाहरणार्थ, सिन्धु की घाटी में सोना, चाँदी, ताँबा, काँसा नहीं मिलता। फिर इन धातुओं के वर्तन, आभूषण तथा उपकरण यहाँ कैसे आये? सीप, शंख, कौडी, यहाँ नहीं होती, फिर ये यहाँ कैसे आयीं? देवदार का पेड़ तो पहाड़ों में होता है, परन्तु फिर यहाँ के मकानों में देवदार के शहतीर कहाँ से आये? यह सब तभी संभव हो सकता है अगर माना जाय कि सिन्धु-सम्यता के ये नगर बाहर के प्रदेशों के साथ व्यापारिक संबंध में जुड़े हुए थे, अपनी चीज़ें बाहर भेजते थे, बाहर की अपने यहाँ मँगवाते थे। बाहर के देशों के साथ यहाँ के लोगों का व्यापारिक संबंध था, यह उस मोहर से भी प्रकट होता है जिस पर जहाज़ का चित्र है। यह जहाज़ क्या यह नहीं सूचित करता कि यहाँ के निवासी नौ-विद्या से परिचित थे और समुद्र के मार्ग से देश-विदेश से माल लाते और बाहर अपना माल भेजते थे। व्यापार के लिए चौथी चीज़ मुद्रा है। इन नगरों में ५५० मुद्राएँ मिली हैं जिन पर वल, गंडा, हाथी, वारहसिंगा आदि के चित्र अंकित हैं। इन मोहरों पर कुछ उत्कीर्ण लेख भी हैं जिन्हें अब तक पढ़ा नहीं जा सका। ये मोहरें प्रायः पत्थर, मट्टी तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के रंग-विरंगे पत्थरों की बनी हुई हैं। इन मोहरों द्वारा व्यापार-विनिमय होता था। विदेश के साथ व्यापार करने में भी इन मोहरों का प्रयोग होता होगा क्योंकि सुमेरिया में कुछ ऐसी मोहरें मिली हैं जो मोहनजोदडो जैसी हैं और मोहनजोदडो में ऐसी मोहरें मिली हैं जो सुमेरिया जैसी हैं। इसी प्रकार ईरान के साथ भी यहाँ का व्यापारिक संबंध था क्योंकि ईरान में भी वैसी ही मोहरें मिली हैं जैसी मोहनजोदडो की हैं।

### ३. सिन्धु-सम्यता का सामाजिक रूप

(क) सामाजिक-संगठन—सामाजिक-जीवन पर विचार करते हुए सब से पहली बात जो सामने आती है वह यह कि उस समाज के लोग मिल-जुल कर रहते थे या नहीं। सिन्धु-सम्यता की जिस रूप-रेखा का हमने ऊपर उल्लेख किया है उससे स्पष्ट है कि वे लोग एक सामाजिक-संगठन में बँधे हुए थे। तभी तो सारा-का-सारा नगर एक निश्चित योजना का ही क्रियात्मक रूप दीखता है। जब

तक सभी नगर-निवासी इस योजना पर मिलकर चलने के लिए तय्यार न हो, तब-तक सम्पूर्ण चित्र में एकपने की झलक नहीं आ सकती। ऊपर जिस स्नानागार का वर्णन हम कर आये हैं वह भी इस बात का प्रमाण है कि इन नगरों के निवासी समय-समय पर मिलते थे, एक-साथ उठते-बैठते और स्नान करते थे, एक साथ तैरते थे। जब ये लोग स्नान के समय इकट्ठे होते होंगे तब नगर की सब समस्याओं की चर्चा होती होगी। सब लोग अपनी-अपनी टीका-टिप्पणी करते होंगे। जहाँ सब के मिलने-जुलने की सुविधा हो, वहाँ सामाजिक-संगठन का उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है।

(ख) आमोद-प्रमोद—आमोद-प्रमोद किसी भी सामाजिक-संगठन का महत्वपूर्ण अंग होता है। सिन्धु-सभ्यता के लोगो में आमोद-प्रमोद की मात्रा पर्याप्त रूप में पायी जाती थी। इन नगरों में बच्चों के खेलने के लिए छोटी-छोटी बेल-गाड़ियाँ मिली हैं जिनमें बेल जुते हुए तथा पहिये लगे हुए हैं। बच्चे स्वयं भी कई खिलौने बनाते थे क्योंकि उन पर बच्चों की अगुलियों के निशान पाये जाते हैं। अन्य प्रकार के पशुओं तथा वन्दरों के खिलौने भी इन अवशेषों में प्राप्त हुए हैं। बच्चों के खिलौनों के अलावा बड़ों के खेलने के लिए पासे भी मिले हैं। पासे मट्टी, पत्थर तथा हाथी-दाँत के भी पाये गये हैं। नृत्य-कला का भी यहाँ के निवासियों को शौक था। हम वस्त्र-निर्माण पर लिखते हुए कह आये हैं कि इन अवशेषों में एक नग्न-स्त्री की मूर्ति मिली है। यह स्त्री एक नर्तकी मालूम देती है। नर्तकी की मूर्ति का अर्थ यही हो सकता है कि यहाँ के लोगों को नाचने-गाने से दिलचस्पी थी। तबले, ढोल की आकृतियाँ भी अनेक स्थानों पर उत्कीर्ण मिली हैं—ये भी सिन्धु-सभ्यता के लोगो की आमोद-प्रियता की सूचक हैं। पुरुष तथा स्त्री वालों को सवारने के लिए हाथी-दाँत के बने कंघे का प्रयोग करते थे। कंघे के साथ दर्पण का होना भी आवश्यक है, सो ताँबे के बने दर्पण भी अवशेषों में प्राप्त हुए हैं।

(ग) आभूषण—शृंगार की वस्तुओं के साथ आभूषणों का आ जाना स्वाभाविक है। सिन्धु-सभ्यता में स्त्री-पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। यहाँ के अवशेषों में आभूषण बहुत अच्छी सख्या में प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा में एक कलश फर्श से ८ फीट नीचे गड़ा मिला है जिसमें आभूषण भरे हुए थे। इस कलश में ५०९ छोटे-बड़े आभूषण थे। सभ्यत किसी ने सुरक्षा के लिए इन आभूषणों को ज़मीन में गाड़ दिया था, आजकल भी तो गाँव के लोग चूल्हे के नीचे बहुत-कुछ गाड़ रखते हैं। उस समय के स्त्रियों के आभूषणों में हार, वाजू-बन्द, झुमके, कर्णफूल, नय आदि प्रमुख थे। शरीर आदमी ताँबे, हड्डी आदि के तथा अमीर सोने, चाँदी, हाथी दाँत के आभूषण पहनते थे। आभूषणों का इस प्रकार बहुतायत से पाया जाना उस समय की सामाजिक-अवस्था का द्योतक है। जो लोग आभूषण पहनते हों वे मकान को मिन्न-भिन्न अलकारों से ज़रूर सजाते



उत्पत्ति हो। इस दृष्टि से समभव है कि ससार के सब प्रदेशों में नग्न-स्त्री की मूर्ति बनाना शुरू हुआ हो और ये मूर्तियाँ उसी भावना की प्रतीक हो। नग्न-स्त्री के अतिरिक्त इन अवशेषों में नग्न-पुरुष की मूर्तियाँ भी मिलती हैं। यह हो सकता है कि इस सम्यता के लोग नग्न-स्त्री के साथ-साथ नग्न-पुरुष की भी उत्पादक-शक्ति के तौर पर पूजा करते हों। नग्न स्त्री-पुरुष की पूजा का अवशेष अब भी शिवालिग की पूजा के तौर पर हिन्दू-धर्म में पाया जाता है। यह प्रचलन किसी अश्लील-भावना से नहीं हुआ, प्रकृति में प्रजनन एक ऐसी चमत्कारिक-घटना है कि उस की पूजा के बिना प्राचीन-मानव आत्म-सन्तोष नहीं कर सका, इसलिए उसने इनकी प्रतिमाएँ बनानी शुरू कर दीं।

(घ) पीपल की पूजा—हिन्दुओं में पीपल एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। भगत लोग इस की जड़ में पानी देते हैं। पीपल के वृक्ष को काटने के लिए हिन्दू तय्यार नहीं होते। सिन्धु-सम्यता में अनेक मुद्राओं पर पीपल का चित्र अंकित है। पीपल की पूजा तुलसी की पूजा के समान है। इस पूजा के दो कारण हो सकते हैं। एक तो उस वृक्ष के अपने गुण के कारण उसकी पूजा, दूसरा उस वृक्ष में निवास करने वाले देवता के कारण उसकी पूजा। मोहनजोदडो में एक मोहर पर पीपल की दो डालों में एक देवता का चित्र अंकित है जिससे यह अभिप्राय निकाला जाता है कि पीपल को अपने गुण तथा इसके देवता के निवास के अधिष्ठान होने के कारण इसकी पूजा की जाती थी। वृक्ष की पूजा प्राचीन धर्मों में अक्सर पायी जाती है। बौद्ध लोग भी बोधि-वृक्ष की पूजा करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सिन्धु-सम्यता की पीपल की पूजा ही आगे चल कर हिन्दु-धर्म में इस वृक्ष की पूजा का रूप धारण कर गई।

(ङ) पशु-पूजा—हिन्दू-धर्म में अनेक देवताओं के वाहन पशु माने गये हैं। गणेश का चूहा, शंकर का नन्दी बैल, यम का भैंसा, दुर्गा का सिंह वाहन है। सिन्धु-सम्यता में पशुओं की कुछ ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं जिन से प्रतीत होता है कि वे पशुओं में देवत्व की आराधना करते थे। एक चित्र में शरीर का कुछ भाग बैल का, कुछ वक्रे का और मुख मनुष्य का है। समभव है कि हिन्दु-धर्म में भिन्न-भिन्न देवताओं के वाहन के रूप में गाय-बैल की जो पूजा चल पडी, उसका उद्गम स्थान सिन्धु-सम्यता हो।

#### ५ सिन्धु-सम्यता का राजनैतिक रूप

हम पहले लिख आये हैं कि मोहनजोदडो तथा हड़प्पा में लगभग ३५० मील का अन्तर है। यह सम्यता हज़ारों वर्गमील क्षेत्र में फल-फूल रही थी। इस सारे क्षेत्र में एक-से माप-तोल, एक-सी ईंटें, एक-से भवन-निर्माण तथा एक-से नगर-निर्माण की योजना चल रही थी। क्या इतनी एकता बिना किसी राज-नैतिक एक सगठन के समभव थी? इतने विशाल-क्षेत्र में इस प्रकार की एकता के लक्षण सिद्ध करते हैं कि सिन्धु-सम्यता कोई ऐसी-वैसी सम्यता नहीं थी, यह एक

विशाल साम्राज्य था। सिन्ध, पंजाब, विलोचिस्तान, काठियावाड़ तक फैली हुई यह सभ्यता एक साम्राज्य के सिवाय क्या हो सकती थी? इस में सन्देह नहीं कि इस विशाल-साम्राज्य के सबंध में हमें विशेष रूप से कुछ पता नहीं चलता, परन्तु यह सभव है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा इस साम्राज्य की दो राजधानियाँ थीं जिन को केन्द्र बना कर दोनों क्षेत्रों में शासन-व्यवस्था की जा रही थी।

## ६ सिन्धु-सभ्यता में कला का स्थान

कला के सबंध में विचार करते हुए ज्ञात होता है कि सिन्धु-सभ्यता में भवन-निर्माण-कला, मूर्ति-कला, मोहर-निर्माण-कला, नृत्य तथा संगीत-कला तथा लेखन-कला—सब मौजूद थीं। इन सब का स्थान-स्थान पर हम उल्लेख कर आये हैं फिर भी यहाँ उनका अलग-अलग उल्लेख कर देना भी असंगत न होगा।

(क) भवन-निर्माण-कला—भवनों के निर्माण के सबंध में हम जो-कुछ लिख आये हैं उसमें स्पष्ट है कि इस सभ्यता में उच्च-कोटि के ऐंजीनियर अवश्य रहे होंगे। २४२ फीट लम्बी और ११२ फीट चौड़ी इमारत मामूली इमारत नहीं कही जा सकती। इसके अतिरिक्त प्रायः मकान दो-मंजिले होते थे। छत बनाते हुए पहले शहतीरें डाली जाती थीं, उन पर वल्लियाँ जोड़ी जाती थीं, उन पर चटाइयाँ बिछाई जाती थीं, उन पर मट्टी कूटी जाती थी। दुमंजिले मकानों पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का प्रबन्ध था। मकानों को इस प्रकार बनाया जाता था जिससे वे अधिक-से-अधिक उपयोगी हो सकें। इस सब को देख कर यह कहा जा सकता है कि सिन्धु-सभ्यता के लोग भवन-निर्माण में निपुण थे।

(ख) मूर्ति-कला—मूर्ति-निर्माण का कार्य भी इस सभ्यता में कला का रूप धारण कर चुका था। मूर्तियों में एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो त्रिभंगी मुद्रा में पैर ऊपर उठा कर नर्तन का उपक्रम कर रही है। यूनानियों की मूर्तियाँ अगो की दृष्ट-पुष्टता को व्यक्त करती हैं, परन्तु सिन्धु-सभ्यता की मूर्तियाँ भाव को अभिव्यक्त करती हैं। यूनानी मूर्तियों को देख कर उनके अगों की प्रशंसा मुख से निकलती है, सिन्धु-सभ्यता की मूर्तियों को देख कर रसानुभूति होती है।

(ग) मोहर-निर्माण-कला—मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में अनेक मोहरें मिली हैं जो मट्टी, पत्थर, धातु तथा हाथी दाँत की बनी हैं। ये मोहरें प्रायः गोल हैं। इन पर भिन्न-भिन्न पशुओं के चित्र उत्कीर्ण हैं। ये मोहरें इतनी प्राप्त हुई हैं कि इन्हें भी उस काल की कला का नाम दिया जा सकता है।

(घ) नृत्य तथा संगीत-कला—इस कला के लोग नृत्य तथा संगीत के प्रेमी थे। एक नर्तकी की मूर्ति का वर्णन हम अभी कर आये हैं, इससे सिन्धु-सभ्यता के लोगों का नृत्य-प्रेम तो द्योतित होता ही है, साथ ही इन अवशेषों में छोटे-छोटे वाद्य-यंत्र भी उपलब्ध हुए हैं जिनसे सिन्धु-सभ्यता के लोगों का संगीत के



प्रति भी प्रेम प्रकट होता है। पक्षियों की आकृतियाँ इस प्रकार की बनाई गई हैं जिन की पूंछ से सीटी तथा बाँसुरी की आवाज़ निकल सकती है। कहीं-कहीं तबले और ढोल के-से चित्र भी पाये गये हैं।

(झ) लेखन-कला—सिन्धु-सभ्यता में मुद्राओं, ताम्र-पत्रों तथा मट्टी के बर्तनों पर कुछ लिखा मिला है जिसे अभी तक पढा नहीं जा सका। ईजिप्ट, सुमेर तथा सिन्धु-सभ्यता की लेखन-कला चित्र-लिपि में थी—ऐसा प्रतीत होता है। एक-एक चित्र किसी विशेष शब्द या वस्तु का सूचक था। इस प्रकार के ३९६ चिह्न ढूँढे गये हैं। लिपि के पडितों का कहना है कि जितने ये चिह्न कम होते हैं, उतनी ही सभ्यता विकसित समझी जाती है। सुमेर-सभ्यता में चित्र-लिपि के ९०० तथा किसी-किसी सभ्यता में २,००० तक चिह्न पाये गये हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि सिन्धु-सभ्यता की लिपि पहली पक्ति में दाहिने से बाईं को और दूसरी पक्ति में बाँयें से दाहिने को लिखी जाती थी।

### ७ सिन्धु-सभ्यता के प्रवर्तक

जब से सिन्धु-सभ्यता का पता चला है तब से यह प्रश्न विद्वानों को परेशान कर रहा है कि इस सभ्यता के प्रवर्तक कौन थे ? क्या यह सभ्यता यहाँ की आदिम सभ्यता थी या इस सभ्यता को लेकर बाहर से कोई लोग आये थे और अपनी सभ्यता को लेकर यहाँ बस गये थे। इस सबध में मुख्य तौर पर दो विचार हैं। एक विचार तो यह है कि यह सभ्यता यहीं की सिन्धु नदी की सभ्यता थी, यहीं उपजी थी, दूसरा विचार यह है कि यह सभ्यता बाहर से आयी थी।

(क) यह सभ्यता यहीं की थी—जो लोग इस सभ्यता को इसी देश की और सिन्धु नदी की ही उपज मानते हैं उनका कहना है कि ससार में जितनी बड़ी-बड़ी प्रसिद्ध सभ्यताएँ हैं उनका उद्भव-स्थान कोई-न-कोई विशाल नदी रही है। नील नदी ने मिश्र की सभ्यता को जन्म दिया, दजला-फरात नदियों ने सुमेरिया तथा बेबीलोन की सभ्यता को जन्म दिया, याग-टोसीष्याग तथा ह्वागहो नदियों ने चीन की सभ्यता को जन्म दिया, इसी प्रकार सिन्धु नदी ने मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की सभ्यता को जन्म दिया। नदी के किनारे प्रकृति के हरे-भरे खेत, नदी के पार प्रदेशों को देखने की भावना मनुष्य के मन को हिलोर देती है और मनुष्य एक सभ्यता को जन्म देता है। प्रकृति के इसी प्रभाव ने सिन्धु-सभ्यता को भी जन्म दिया।

इस सभ्यता का स्रोत बाहर की कोई सभ्यता है, सिन्धु-देश में ही इस सभ्यता ने जन्म नहीं लिया—यह तभी कहा जा सकता है जब इस सभ्यता की अन्य देशों की सभ्यताओं से समानता हो। यह समानता बाहर से आयी होगी—ऐसा कहा जा सकता है। सिन्धु-सभ्यता की लिपि ईजिप्ट की लिपि से इस बात में समान है कि दोनों की लिपियाँ चित्रों में लिखी गई हैं। परन्तु इस समानता से यह सिद्ध नहीं होता कि सिन्धु-सभ्यता बाहर से आयी है क्योंकि यद्यपि ईजिप्ट,

सुमेर तथा सिन्धु में चित्र-लिपि थी, तो भी इन की चित्र-लिपि एक नहीं थी, हरेक देश की चित्र-लिपि अलग-अलग थी। इस विचार परंपरा से कुछ विद्वानों का यहीं कहना है कि यह सभ्यता सिन्धु-देश की ही उपज थी, बाहर से नहीं आयी थी।

(ख) यह सभ्यता बाहर से आयी थी—इसके विपरीत एक दूसरी विचार-धारा है। इस विचार-धारा के समर्थकों का कहना है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में भिन्न-भिन्न नस्लों के अस्थि-पंजर पाये गये हैं। कर्नल स्युअल तथा डॉ० गुहा का कथन है कि इस सभ्यता के अस्थि-पंजर चार नस्लों की सत्ता को सिद्ध करते हैं—आस्ट्रेलॉयड, भूमध्यसागरीय, मंगोलियन तथा एलपाइन। मंगोलियन तथा एलपाइन नस्लों का केवल एक-एक कपाल इन स्थानों में मिला है, अधिक संख्या आस्ट्रेलॉयड तथा भूमध्यसागरीय कपालों की है। इनमें भी प्रधानता भूमध्यसागरीय कपालों की है। यह भूमध्यसागरीय नस्ल भूमध्य-सागर के तटवर्ती प्रदेशों तथा पश्चिमी-एशिया में निवास करती थी। इस नस्ल का दूसरा नाम आईवैरियन भी है। विद्वानों का कथन है कि संसार की प्राचीनतम सभ्यता का विकास इसी भूमध्यसागरीय अर्थात् आईवैरियन नस्ल ने किया। दक्षिण-भारत में जिन्हें हम द्राविड कहते हैं, वे यही भूमध्यसागरीय या आईवैरियन लोग थे और इन्होंने द्राविडों ने (अर्थात् भूमध्यसागरीय या आईवैरियन नस्ल के लोगों ने) सिन्धु-सभ्यता को जन्म दिया। इस विचार के मानने वालों का कहना है कि जब आर्य लोग भारत में आये तब यहाँ, पश्चिमी-एशिया से आये भूमध्यसागरीय लोगों द्वारा पालित-पोषित सिन्धु-सभ्यता, जिसे हम द्राविड-सभ्यता भी कह सकते हैं, फल-फूल रही थी। आर्यों ने इस द्राविड-सभ्यता के साथ युद्ध किया, इन्हें पीछे धकेल दिया और ये लोग आर्यों की मार खाकर दक्षिण-भारत की तरफ भाग खड़े हुए और वहीं जा बसे। इन द्राविडों के सम्पर्क में भी आर्य आये और कुछ बातें आर्यों ने द्राविडों से लीं, कुछ द्राविडों को दीं, परन्तु ये दोनों एक-दूसरे को पचा नहीं सके। आर्यों तथा सिन्धु-सभ्यता के इन द्राविडों में जो आये-दिन लड़ाई हुआ करती थी उसी के कारण आर्य लोग इन लोगों को 'दास' या 'दस्यु' कहा करते थे। यह सब-कुछ कल्पनाओं की दौड़ है, इसमें सत्य क्या है—यह नहीं कहा जा सकता।

### ८ सिन्धु-सभ्यता का काल

सिन्धु-सभ्यता का काल आज से ५,००० वर्ष से भी पूर्व का माना जाता है। ईस्वी सन् से ३२५० से २७५० पूर्व तक का समय सिन्धु-सभ्यता का था। सिन्धु-सभ्यता के एक-दूसरे के बाद सात स्तर मिले हैं जिससे अनुमान किया जाता है कि सिन्धु-घाटी के नगर सात बार बसे और सात बार उजड़ गये। इसीलिए शायद मोहनजोदड़ो का अर्थ है—'मुर्दों का प्रदेश'। इन सात स्तरों में से एक-एक स्तर के लिए अगर पाँच-पाँच सौ वर्ष का समय निर्धारित किया जाय, तो भी इस सभ्यता का समय काफी दूर पहुँच जाता है। सिन्धु-सभ्यता का विनाश बाहर के हमलों द्वारा हुआ जान पड़ता है। यह इसलिए कि इस सभ्यता के सब से

ऊपरलेस्तर का जो काल है, प्रायः उसी काल में ससार के भिन्न-भिन्न देशों की सभ्यताओं को नष्ट करने के हमले शुरू हो गये थे। ये हमले आर्य-जाति की भिन्न-भिन्न शाखाओं ने ससार के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में करने शुरू किये थे। इन हमलों द्वारा ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन आर्य-जातियों ने यूरोप की भूमध्यसागरीय आइबेरियन-सभ्यता का नाश किया था, इन हमलों द्वारा हिटाइट (हत्ती), मिटाइट (मिती) आदि प्राचीन आर्य-जातियों ने पश्चिमी-एशिया की आदिम सभ्यता का विनाश किया था, और संभव है, इन्हीं हमलों द्वारा भारत में आर्य जाति की एक शाखा ने आकर भूमध्यसागरीय द्राविड सभ्यता का उन्मूलन कर दिया। भूमध्यसागरीय जातियों की सभ्यता का नाश करने वाले आर्य-जाति की शाखाओं के ये हमले ससार के भिन्न-भिन्न स्थानों में २,००० ई० पू० में शुरू हो गये थे इसलिए सिन्धु-सभ्यता का ध्वंस-काल २,००० ई० पू० के लगभग माना जाता है। ध्वंस होने से पहले इस सभ्यता को विकसित होने और पनपने में भी एक हजार के लगभग वर्ष लगे होंगे क्योंकि सभ्यता का विकास जितनी ही तेज गति से आजकल होता है, उतनी ही धीमी गति से प्रागैतिहासिक काल में होता था। इसके अतिरिक्त सिन्धु-सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता दीख पड़ती है कि उसके पनपने में एक हजार साल लग गये हों, तो कोई आश्चर्य नहीं। ईस्वी सन् से दो हजार साल पहले नष्ट हुई, एक हजार साल विकसित होने में लगा, तो तीन हजार ई० पू० के लगभग उसका श्रीगणेश होना स्वतः सिद्ध हो गया।

### ९. सिन्धु-सभ्यता से पहले की सभ्यता के अवशेष

सिन्धु-सभ्यता से भी पूर्व कोई और सभ्यता इस देश में पनप रही थी—इसका भी कुछ आभास होने लगा है। पाकिस्तान में अब हड़प्पा से भी प्राचीन-काल के अवशेष उपलब्ध हुए हैं। पाक-पुरातत्व-विभाग द्वारा हाल में भूतपूर्व सिंध प्रांत में की गई खुदाई से प्राप्त बर्तनों को देखने से मालूम हुआ है कि सिन्धु-घाटी में हड़प्पा से मिलती-जुलती लेकिन उससे प्राचीन सस्कृति का विकास हुआ था। यह प्राचीन सभ्यता लगभग सात शताब्दी तक कायम रही।

पाक-पुरातत्व-विभाग के अधिकारी डा० एफ० ए० खाँ ने उस समय सिन्धु-घाटी में बसे लोगों को 'कोटोडीजियन' बताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा मालूम होता है कि उस समय के नगरों और किलों की नकल हड़प्पा और मोहन-जोदड़ो काल के लोगों ने की। प्राप्त बर्तनों, पत्थर के औजारों और कासे के तीर देखने से मालूम होता है कि उस समय बड़े कुशल कारीगर थे। खुदाई में मिले एक विशाल दुर्ग को देखने से मालूम होता है कि उस समय समाज बड़ा सगठित और समृद्धिशाली था।

## संसार की जीवित प्रजातियाँ

(LIVING RACES OF THE WORLD)

प्रागैतिहासिक-काल के मानव का अध्ययन करते हुए हम कई प्रकार के मानवों का वर्णन कर आये हैं। कहीं पियैकैन्थ्रोपस का, कहीं पेकिग और पिल्टडाउन मानव का, कहीं हीडलवर्ग-मानव और कहीं नियेन्डरथल-मानव का। मानव-शास्त्रियों का कथन है कि ये सब आदि-मानव के भिन्न-भिन्न अवशेष हैं। इन में से किसी से वर्तमान-मानव का प्रारम्भ हुआ है, जिसे 'मेधावी-मानव' (Homo Sapiens) कहा जाता है। इस 'मेधावी-मानव' से मनुष्य की कई शाखाएँ फूटी हैं जिन में सफेद, पीले काले रंग के मानव हैं। इन सफेद, पीले, काले मानवों से हरेक से फिर आगे शाखाएँ फूटी हैं जो मानव की भिन्न-भिन्न नस्लें हैं, भिन्न-भिन्न प्रजातियाँ हैं। इन नस्लों अर्थात् प्रजातियों का आधार रुधिर है। एक रुधिर के लोग एक प्रजाति के और दूसरे रुधिर के लोग दूसरी प्रजाति के माने जाते हैं। जो लोग अपनी प्रजाति के रुधिर को श्रेष्ठ मानते हैं, वे दूसरे रुधिर वालों से विवाह-संबन्ध तथा मेल-जोल उचित नहीं समझते। उनका कहना है कि अपने से भिन्न रुधिर के व्यक्तियों में विवाह-संबन्ध से उनकी प्रजाति के गुण कम हो जायेंगे। प्रजाति के आधार पर श्रेष्ठता का विचार प्रायः हर देश में पाया जाता है। यूरोप में जर्मन लोग अपने को अन्य प्रजातियों से श्रेष्ठ मानते रहे। इसी विचार के आधार पर हिटलर का दावा था कि जर्मन जाति संसार पर राज्य करने के लिए ही पैदा हुई है। भारत में भी ब्राह्मण लोग अपने रुधिर को दूसरों से श्रेष्ठ मानते रहे, और अन्य जातियों के साथ विवाह-संबन्ध पर प्रतिबन्ध लगाते रहे। प्रजाति का विचार संसार के लिए एक जीवित-जागृत विचार है। इससे संसार में मनुष्य मनुष्य में दीवार खड़ी हुई है। इस विचार पर लोग वैज्ञानिक-दृष्टि से विचार नहीं करते, अटकलपच्चू अपनी-अपनी हाँकते हैं। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि प्रजाति का वैज्ञानिक पहलू क्या है। प्रजाति के वैज्ञानिक पहलू पर मानव-शास्त्र ने अध्ययन किया है। हम उसी की चर्चा इस अध्याय में करेंगे।

'प्रजाति'-शब्द हाल में अंग्रेजी के 'रैस'-शब्द के लिए घड़ा गया है। हम लोग प्रायः 'जाति'-शब्द का प्रयोग करते रहे हैं। 'जाति'-शब्द और इसी तरह अंग्रेजी का 'रैस'-शब्द—ये दोनों इतने व्यापक तथा लचकीले रहे हैं कि इनका वैज्ञानिक रूप कुछ नहीं रहा। हम अंग्रेजी, फ्रांसीसियों तथा चीनियों के

लिए अंग्रेज-जाति, फ्रेंच-जाति, चीनी-जाति—इन शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं। वास्तव में ये जातियाँ नहीं, एक भूखंड पर रहनेवाले लोग हैं। हम लैटिन-जाति, ग्रीक-जाति—इन शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं। वास्तव में ये भी जातियाँ नहीं, एक भाषा बोलने वाले लोग हैं। हम मनुष्य-जाति, पशु-जाति—इन शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं। वास्तव में ये भी जातियाँ नहीं, प्राणियों के भिन्न-भिन्न विभाग हैं। जिस विषय को हम स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं उसके लिए हमें 'जाति', 'प्रजाति', 'अभिजाति', 'प्रजातीय-गुण' तथा 'स्कन्ध'—इन पाँच शब्दों के अर्थों को अलग-अलग समझना होगा, और 'प्रजाति' (नस्ल, रेस) के साथ मिलते-जुलते शब्द 'राष्ट्र' (कौम, नेशन) के भेद को भी अपने मन में स्पष्ट कर लेना होगा।

### १ जाति, प्रजाति, अभिजाति, प्रजातीय-गुण तथा स्कन्ध (Species, Race, Breed, Strain, Stock)

हम इस विषय को वैज्ञानिक रूप देने के लिए जाति, प्रजाति, अभिजाति, प्रजातीय-गुण तथा स्कन्ध—इन पाँचों शब्दों को भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयुक्त करेंगे जिससे विषय स्पष्ट हो जाय।

'प्राणी-शास्त्र' में प्राणियों के मुख्य तौर पर दो विभाग किये जाते हैं। एक तो शेर, कुत्ता, विल्ली—यह विभाग है, दूसरा शारीरिक-रचना के भेद से शेरों में कई तरह के शेर, कुत्तों में कई तरह के कुत्ते, विल्लियों में कई तरह की विल्लियाँ हैं। शेर, कुत्ता, विल्ली की तरह मनुष्य भी प्राणियों का एक विभाग है, और जैसे शेरों में कई तरह के शेर, और कुत्तों में कई तरह के कुत्ते हैं, वैसे मनुष्यों में भी शारीरिक-रचना के भेद से कई तरह के मनुष्य होते हैं। शेर को 'नस्ल' या 'प्रजाति' नहीं कहा जाता, उसे 'जाति' (Species) कहा जाता है, तरह-तरह के शेरों को शेर की 'नस्लें' या 'प्रजातियाँ' (Races) कहा जाता है। जिस 'नस्ल' या 'प्रजाति' का शेर हो, उस 'नस्ल' या 'प्रजाति' की शेरनी के साथ उसके सयोग से सन्तान हो सकती है; दूसरी 'नस्ल' या 'प्रजाति' की शेरनी के साथ सयोग से भी इस की सन्तान हो सकती है। यह सन्तान 'अभिजाति' (Breed) कहाती है। शुद्ध प्रजातियों के संयोग से शुद्ध तथा अमिश्रित-रुधिर की सन्तान होगी, जिसे 'शुद्ध-अभिजाति' (True breed) कहा जायगा, भिन्न-भिन्न प्रजातियों के संयोग से मिश्रित-रुधिर की सन्तान होगी, जिसे 'मिश्रित-अभिजाति' या 'सकर' (Mixed breed) कहा जायगा। इसी प्रकार 'मनुष्य' को 'नस्ल' या 'प्रजाति' नहीं कहा जाता, उसे 'जाति' कहा जाता है। 'मिथावी-मानव' (Homo Sapiens) शेर-कुत्ते-विल्ली आदि प्राणि-वर्ग की तरह प्राणियों का एक वर्ग है, एक 'जाति' (Species) है, तरह-तरह के मनुष्यों को—अल्पाइन, नार्डिक, भूमध्यसागरीय—इन को 'प्रजाति' (Races) कहा जाता है। अल्पाइन का अल्पाइन से संयोग हो सकता है, नार्डिक से संयोग हो सकता है, भूमध्यसागरीय प्रजाति से भी संयोग हो सकता है। ये तीनों तो श्वेत-प्रजातियाँ

है, इन का काली प्रजातियों से भी संयोग हो सकता है। इस प्रकार के संयोग से जो संतान होगी वह 'अभिजाति' (Breed) कहायेगी। एक ही 'प्रजाति' की अपनी 'प्रजाति' में संयोग से जो संतान होगी वह 'शुद्ध-अभिजाति' (True breed) कहायेगी, दूसरी 'प्रजाति' में संयोग से जो संतान होगी वह 'मिश्रित-अभिजाति' (Mixed breed) कहायेगी। 'मिश्रित-अभिजाति' में दो प्रजातियों के गुण आ जाते हैं, एक ही 'प्रजाति' के गुण नहीं आते। इन गुणों को 'प्रजातीय-गुण' (Strains) कहते हैं। अग्रज और नीग्रो के मेल से जो संतान होगी उस में कुछ अग्रज के गुण आ जायेंगे, कुछ नीग्रो के। ये गुण 'प्रजातीय-गुण' (Strains) कहायेंगे। वर्तमान-युग में प्रजातियों का इतना सम्मिश्रण हो चुका है कि 'शुद्ध-अभिजाति' (True breed) तो कहीं मिलती ही नहीं, सभी जगह 'प्रजातीय-गुण' (Strains) मिलते हैं।

जाति, प्रजाति, अभिजाति तथा प्रजातीय-गुणों के अलावा 'स्कन्ध'-शब्द का अर्थ जान लेना भी आवश्यक है। मनुष्य एक 'जाति' (Species) है, आज 'प्रजातियाँ' (Races) हजारों मौजूद हैं। 'जाति' से एकदम तो 'प्रजातियाँ' नहीं पैदा हो गईं। जैसे वृक्ष का एक बड़ा तना होता है, उससे दो या तीन तने निकलते हैं, और इन तनों से बीसियों-पचासो टहनियाँ निकलती हैं, इसी प्रकार 'मनुष्य-जाति' तो पहला तना है। इससे शुरू-शुरू में तीन-चार तने और फूटे जिनमें से हरेक से 'प्रजातियों' (Races) के रूप में सैकड़ों टहनियाँ निकल पड़ीं। ये तीन-चार तने मानव-शास्त्र की परिभाषा में 'स्कन्ध' (Stocks) कहाते हैं। मानव-जाति से मानव-स्कन्ध फूटे। ये 'स्कन्ध' चार कहे जाते हैं—सफेद-स्कन्ध, काला-स्कन्ध, पीला-स्कन्ध तथा आस्ट्रेलॉयड-स्कन्ध। एक-एक 'स्कन्ध' से 'प्रजातियाँ' फूटीं। सफेद-स्कन्ध से अलपाइन, नॉर्डिक तथा भूमध्यसागरीय; काले-स्कन्ध से नीग्रो, नीग्रिटो तथा बुशमैन, पीले-स्कन्ध से मंगोल, इन्डो-अमरीकन तथा पीलीनेशियन। इस प्रकार अदि-मानव-जाति से भिन्न-भिन्न स्कन्धों द्वारा प्रजातियों, अभिजातियों तथा प्रजातीय-गुणों का विकास होता गया।

## २. प्रजाति की व्याख्या

भिन्न-भिन्न लेखकों ने 'प्रजाति'-शब्द की भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ की हैं जिनमें से कुछ निम्न हैं.—

[क] क्रोबर की व्याख्या—“प्रजाति एक प्राणि-शास्त्रीय विचार है। प्रजाति एक ऐसा समूह है जो वंशानुसंक्रमण द्वारा बँधा हुआ है। इसका पैदाइश से, बाहक-तत्वों से या उप-जाति से संबंध है।”

[क] “A race is a valid biological concept. It is a group united by heredity, a breed or genetic strain or sub-species”—  
Kroeber

[ख] वीसेंज तथा वीसेंज की व्याख्या—“प्रजाति एक ऐसा बड़ा समूह है जिस में पैदाइश से ही कुछ शारीरिक लक्षण दूसरो से भिन्न प्रकार के पाये जाते हैं।”

[ग] होबेल की व्याख्या—“प्रजाति उस प्राणि-शास्त्रीय समूह को कहते हैं जिसमें आपस में संयोग से सन्तानोत्पत्ति होती है, जिस के शारीरिक लक्षण दूसरों से भिन्न होते हैं। ये भिन्न शारीरिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शुद्ध रूप में पाये जाते हैं, मिश्रित रूप में नहीं।”

[घ] एटेवरी की व्याख्या—“प्राणि-शास्त्र की परिभाषा में ‘प्रजाति’ व्यक्तियों के उस समूह का नाम है जिनके शारीरिक गुण माता-पिता द्वारा वंश-परंपरा से एक-समान चले आते हैं और इन शारीरिक गुणों से हम उन्हें दूसरी ‘प्रजाति’ के व्यक्तियों से पृथक् पहचान सकते हैं।”

‘प्रजाति’ की ऊपर जो व्याख्याएँ दी गई हैं उनसे यह स्पष्ट है कि ‘प्रजाति’ को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि वंश-परंपरा के किन तत्वों के कारण एक प्रजाति दूसरे से भिन्न हो जाती है। इसके साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से भिन्न करने वाले शारीरिक गुण कौन-से हैं। एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से किन तत्वों द्वारा भिन्न होती है—यह ‘वंश-परंपरा’ (Heredity) को समझने का विषय है, एक प्रजाति के शारीरिक गुण दूसरी प्रजाति के शारीरिक गुणों से किस प्रकार भिन्न होते हैं—यह ‘भौतिक मानव-शास्त्र’ (Physical Anthropology) का विषय है। हम पहले ‘वंश-परंपरा’ द्वारा और फिर ‘भौतिक मानव-शास्त्र’ द्वारा प्रजाति-भेद पर प्रकाश डालेंगे।

### ३ वंश-परंपरा (Heredity)

‘वंश-परंपरा’ के नियम द्वारा एक ‘प्रजाति’ के गुण पुत्र-पौत्र तथा आगे की सन्तति में सक्रान्त होते रहते हैं। ‘वंशानुसंक्रमण’ का यह कौन-सा नियम है जिसके द्वारा ये गुण सक्रान्त होते हैं? यह तो सब जानते हैं कि सन्तान रज तथा वीर्य के मिलने से पैदा होती है। रज तथा वीर्य दोनों ‘उत्पादक-कोष्ठ’ (Generative cells) कहते हैं। इन दोनों ‘उत्पादक-कोष्ठों’ (Generative cells)

[ख] “A race is a large group of people distinguished by inherited physical differences”—*Biesanz and Biesanz*

[ग] “A race is a biologically inbred group possessing a distinctive combination of physical traits that tend to breed true from generation to generation”—*Hoebel*

[घ] “A race, in the original biological sense of the word, is a group of people who possess a common set of hereditary physical characters which serve to distinguish them from other groups of people”—*Atteberry*

के बीच में एक कठोर गाँठ-सी होती है, जिसे 'न्यूक्लियस' (Nucleus) कहते हैं। इस 'न्यूक्लियस' में भी छोटे-छोटे रेशे-से, सूत्र-से होते हैं, जो रंगदार होने के कारण 'वर्ण-सूत्र' (Chromosomes) कहाते हैं। 'वर्ण-सूत्रों' की रचना अन्य छोटे-छोटे दानों से होती है जिन्हें 'वाहकाणु' (Genes) कहते हैं। यही 'वाहकाणु'—'जेनीज'—गोरापन, कालापन, पीलापन, मोटा बाल, पतला बाल—गर्जें कि सब शारीरिक गुणों के 'वाहक' (Carriers या Factors) होते हैं। किसी 'प्रजाति' या 'नस्ल' में जो-जो भी उस नस्ल के विशेष गुण दिखाई देते हैं, वे इन 'जेनीज' के कारण हैं। 'वर्ण-सूत्र' (Chromosomes) २४ माता के और २४ पिता के मिल कर ४८ बनते हैं। एक-एक 'वर्ण-सूत्र' में अनेक 'जेनीज' होते हैं, और हर 'जेनी' की 'वर्ण-सूत्र' पर एक खास जगह होती है। इस जगहको 'स्थिति' (Loc1) कहते हैं। माता तथा पिता के मिलकर 'वर्ण-सूत्र' ४८ होते हैं, जिसका अर्थ यह है कि इनके २४ जोड़े होते हैं। जैसे 'वर्ण-सूत्र' के जोड़े होते हैं, वैसे 'जेनीज' का भी 'वर्ण-सूत्रों' के प्रत्येक जोड़े पर 'स्थान' (Loc1) होने से 'जेनीज' के भी जोड़े होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि २४ जोड़ों अथवा ४८ 'वर्ण-सूत्रों' में एक ही तरह के दो-दो 'जेनीज' होते हैं। इस प्रकार जैसे दो 'वर्ण-सूत्रों' का एक जोड़ा हुआ, वैसे ही उन पर के दो-दो 'जेनीज' का भी एक जोड़ा हुआ। जेनीज के इस जोड़े को 'एल्लिस्त' (Alleles) कहते हैं, और 'जेनीज' के इस जोड़े में ही मोटा, पतला, गोरा, काला आदि गुण रहते हैं। अगर हम वर्ण-सूत्रों के जोड़े की बात करें तो २४ और अगर जोड़े की बात न कर सिर्फ वर्ण-सूत्रों की संख्या की बात करें तो ४८ वर्ण-सूत्रों में जोड़ेदार 'जेनीज' के अत्यधिक स्थान होते हैं। अर्थात्, 'वर्ण-सूत्रों' के एक-एक जोड़े पर अनेकों 'जेनीज' के जोड़ों के स्थान होते हैं। 'वर्ण-सूत्रों' पर 'जोड़ेदार जेनीज' (एल्लिस्त) के ये स्थान (Loc1) कितने होते हैं—यह नहीं कहा जा सकता। इनकी संख्या ५,००० से १ लाख तक कही जाती है। 'जेनीज' के 'वर्ण-सूत्रों' पर अगर एक लाख स्थान हैं, तो एक लाख के लगभग तो 'जेनीज के जोड़े' (एल्लिस्त) होने ही चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि माता-पिता के मिला कर ४८ 'वर्ण-सूत्रों' में अनगिनत 'जेनीज' होते हैं, जो माता-पिता के, नस्ल के, प्रजाति के गुणों के 'वाहक' होते हैं। ये 'वाहकाणु', ये 'जेनीज' ही वंश-परंपरा द्वारा प्राणी की शारीरिक-रचना को बनाते हैं। अगर कोई काला है तो इनके कारण, गोरा है तो इनके कारण, अगर किसी के बाल भेड़ के-से हैं तो इनके कारण, मुलायम हैं तो इनके कारण। 'प्रजाति' या 'नस्ल' को बनाने का काम 'वाहकाणुओं' (Genes) का ही है। जिनके 'वाहकाणु' एक तरह के हैं वे एक नस्ल के, जिनके दूसरी तरह के हैं वे दूसरी नस्ल के। परन्तु प्रश्न हो सकता है कि शुरू-शुरू में नस्ल का भेद कैसे हुआ, शुरू में तो मनुष्य एक ही 'जाति' (Species) का था। इस एक 'जाति' से अनेक 'स्कन्ध' (Stocks) कैसे बने, अनेक 'स्कन्ध' बन गये तो उनसे अनेक 'प्रजातियाँ' (Races) कैसे बनीं? इस प्रश्न का उत्तर विकासवाद देता है।



की एक प्रजाति उत्पन्न हो गई। इस प्रकार भूमंडल के अनेक प्रदेशों में नई-नई प्रजातियों का निर्माण हुआ है।


### ५ भौतिक मानव-शास्त्र (प्रजाति-भेद के शारीरिक आधार) (Physical Anthropology)

हम पहले कह आये हैं कि एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से वंश-परंपरा तथा शारीरिक-गुणों के कारण भिन्न होती है। 'वंश-परंपरा' पर हम लिख चुके हैं। अब यह देखना है कि किन-किन शारीरिक-गुणों, शारीरिक-भेदों के कारण हम एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से भिन्न कहते हैं। प्रजातियों के शारीरिक-भेद जिनके आधार पर प्रजाति अर्थात् नस्ल का निर्णय किया जाता है—दो प्रकार के हैं। एक शारीरिक-भेद के निश्चित लक्षण, दूसरे शारीरिक-भेद के अनिश्चित-लक्षण।

शारीरिक-भेद के निश्चित-लक्षण वे हैं जिन्हें नापा-तोला जा सकता है। खोपड़ी की लम्बाई-चौड़ाई, खोपड़ी का घनत्व, शरीर का कद, हाथ-पैर की लम्बाई, रक्त-समूह—ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें नापा-तोला जा सकता है। इनके नापने के लिए भिन्न-भिन्न उपकरण बने हुए हैं। शरीर-भेद के अनिश्चित-लक्षण वे हैं जिन्हें नापा नहीं जा सकता। त्वचा तथा आँख का रंग, बालों की विशेषता, पलकों, होंठ, जबड़े—ये सब ऐसी चीजें हैं जिनमें प्रत्येक नस्ल की अपनी विशेषता तो होती है, परन्तु जिन्हें ठीक नाप-तोला में बैठाना कठिन होता है। हम पहले निश्चित लक्षणों का विवरण देंगे, फिर अनिश्चित लक्षणों का।


[शारीरिक-भेद के निश्चित लक्षण]

(क) शीर्ष-देशना तथा कपाल-देशना (Cephalic-index and Cranial-index)—नस्लों के हिसाब से सिर की खोपड़ी के तीन प्रकार माने जाते हैं—'लम्बी', 'बीच-की' और 'चौड़ी'। लम्बी खोपड़ी 'डोलिको-सैफेलिक' (<sup>१</sup>Dolicho-cephalic), बीच-की खोपड़ी 'मेसो-सैफेलिक'



क

(क) लम्बी खोपड़ी



ख

(ख) चौड़ी खोपड़ी

<sup>1</sup> Dolicho-Cephalic = Greek *Dolichos*, long, *Kephale* (कपाल) the head

(Meso-cephalic) तथा चौड़ी-खोपड़ी 'ब्रैकी-सैफेलिक' (Brachy-cephalic) कहाती है। इन तीनों प्रकार के व्यक्तियों की शीर्ष-देशना निकाली जाती है। जीवित-व्यक्तियों की सिर की देशना को 'शीर्ष-देशना' (Cephalic-index) तथा मृत-व्यक्तियों की खोपड़ी की देशना को 'कपालिक-देशना' (Cranial-index) कहते हैं। 'शीर्ष-देशना' या 'कपालिक-देशना' निकालने का तरीका यह है कि खोपड़ी की चौड़ाई को खोपड़ी की लम्बाई से भाग देकर १०० से गुणा कर देते हैं। इस प्रकार खोपड़ी की चौड़ाई और लम्बाई का पारस्परिक अनुपात निकल आता है। सिर या खोपड़ी की लम्बाई और चौड़ाई के अनुपात में लम्बाई बड़ी होगी तो 'लम्ब-कपाल', बराबर होगी तो 'मध्यम-कपाल', चौड़ाई बड़ी होगी तो वह 'चौड़ा-कपाल' कहायेगी। भिन्न-भिन्न नस्लों में खोपड़ी के भिन्न-भिन्न प्रकार हैं।

इस प्रकार हमने देखा कि 'शीर्ष-देशना' या 'कपाल-देशना' निकालने का फार्मूला निम्न है।

$$\frac{\text{सिर की चौड़ाई}}{\text{सिर की लम्बाई}} \times 100 = \text{शीर्ष-देशना या कपाल-देशना}$$

सिर की चौड़ाई और लम्बाई से हमारा क्या तात्पर्य है? एक कान के ऊपर से दूसरे कान के ऊपर तक सिर के ऊपर से जो माप होता है उसे सिर की चौड़ाई कहते हैं; माथे में नाक की सीध में दोनों भों जहाँ मिलती है वहाँ एक गढ़ा-सा होता है, और खोपड़ी के पीछे जहाँ वाल समाप्त होते हैं उससे ऊपर एक उभार-सा होता है; इन दोनों बिन्दुओं का खोपड़ी के ऊपर से जो माप होता है उसे सिर की लम्बाई कहते हैं।

(1) लम्ब-कपाल (<sup>1</sup>Dolicho-cephalic)—यदि किसी व्यक्ति या किसी नस्ल की शीर्ष-देशना ७५ से कम है तो यह लम्ब-कपाल कहायेगा। पश्चिमी-आफ्रीका की नीग्रो-जातियों की शीर्ष-देशना ७५ से कम पायी गई है, इसलिए उन्हें लम्ब-कपाल का कहा जाता है। आज से १० हजार पहले की जो खोपड़ियाँ पायी गई हैं, वे लम्ब-कपाल की हैं।

(II) मध्यम-कपाल (<sup>2</sup>Meso-cephalic)—यदि किसी व्यक्ति या किसी नस्ल की शीर्ष-देशना ७५ से लेकर ७९.९ तक हो, तो उसे मध्यम-कपाल का कहा जाता है। यूरोप के बीच की पूर्व-पश्चिम मेखला के लोग मध्यम-कपाल के हैं।

(III) चौड़ा-कपाल (<sup>3</sup>Brachy-cephalic)—यदि किसी व्यक्ति

1 Dolicho-cephalic = Greek *Dolchos*, long, *Kepale* (कपाल) the head

2 Meso-cephalic = Greek *Mesos*, middle, *Kepale* (कपाल) the head

3. Brachy-cephalic = Greek *Brachys*, short, *Kepale* (कपाल) the head

पैरों तक की लम्बाई मापी जाती है। यह लम्बाई भिन्न-भिन्न नस्लों में भिन्न-भिन्न पायी गई है।

(च) रक्त-समूह (Blood Group)—रक्त के सवध में अन्वेषण करने से पता चला है कि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का रक्त एक-दूसरे से मेल नहीं खाता। इसी प्रकार नस्लों का रक्त एक-दूसरी नस्ल से भिन्न होता है। अगर एक नस्ल का रक्त दूसरी नस्ल से भिन्न है, तो नस्लों का भेद तो अपने-आप पैदा हो गया। मानव-शास्त्री के लिए यह देखने की बात रह जाती है कि रक्त-भेद के कारण अगर हमने एक नस्ल को दूसरी नस्ल से अलग कर लिया, तो यह भेद शारीरिक-भेद के लक्षणों से भी मेल खाते हैं या नहीं? अगर शरीर के नाप आदि से एक व्यक्ति नीग्रो नस्ल का ठहरता है, तो रक्त के परीक्षण से भी उसे नीग्रो नस्ल का ही सिद्ध होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, तो रक्त की परीक्षा से नस्ल का निर्धारण व्यर्थ हो जाता है। इस दिशा में मानव-शास्त्री प्रयत्नशील हैं और 'रक्त-परीक्षा' द्वारा जो लोग नस्ल का निर्धारण करते हैं उनके प्रयत्नों को दिलचस्पी से देख रहे हैं। इस प्रकार 'रक्त-परीक्षा' से नस्ल का निर्धारण 'लसी-विद्या' (Serology) कहाता है। 'लसी-विद्या' इसलिए क्योंकि रक्त में जो पीला पानी का-सा द्रव भाग होता है उसे 'लस' कहते हैं, अंग्रेजी में इसे 'सीरम' (Serum) कहते हैं। इस लस से 'लसी-विद्या' (Serology) शब्द बन गया है।

१९०० में लैंडस्टीनर (Landsteiner) ने यह पता लगाया कि एक ही जाति के व्यक्तियों के रुधिर में भेद होता है। मनुष्य-मनुष्य तो सब एक 'जाति' (Species) के हैं, परन्तु हर मनुष्य का रुधिर एक-सा नहीं होता। रुधिर को परीक्षण नलिका में डाल कर रखने से कुछ देर के बाद उसके दो भाग हो जाते हैं। एक भाग तो पीले पानी का-सा हो जाता है, दूसरा रुधिर के कोष्ठों का लाल-लाल-सा रह जाता है। पीले पानी-के-से भाग को हिन्दी में 'लस' तथा अंग्रेजी में 'सीरम' (Serum) कहते हैं। अगर सब मनुष्यों का रुधिर एक-सा ही हो, तो इस 'सीरम' में किसी भी मनुष्य का रुधिर क्यों न डाल दिया जाय, यह 'सीरम' और 'रुधिर' आपस में घुल-मिल जाने चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं होता। कुछ व्यक्तियों का रुधिर तो इस 'सीरम' में पड़ कर घुल जाता है, कुछ का घुलने के स्थान में अलग होकर गोद-सा बन जाता है, कुछ का न 'सीरम' में घुलता है, न गोद-सा बनता है, परन्तु वैसे-का-दैसे, रुधिर-का-रुधिर बना रहता है। रुधिर के इन भेदों के कारण लैंडस्टीनर ने रुधिर के तीन भेद किये जिन्हें उसने A, B तथा O का नाम दिया। दो वर्ष बाद स्टर्ली तथा डेकै-स्टेलो (Sturli and Decastello) ने रुधिर के एक चौथे प्रकार को AB—यह नाम दिया।

रुधिर के ये चार प्रकार क्यों होते हैं—यह एक समस्या थी। इस समस्या का समाधान यह दिया गया कि मनुष्य के उत्पादक-कोष्ठों में जो 'वाहकानु' (Genes) होते हैं, वही रुधिर में ये चार प्रकार के भेद उत्पन्न कर देते हैं। इन

‘वाहकाणुओं’ के कारण ही किसी का रूधिर दूसरे व्यक्ति के ‘सीरम’ में घुल-मिल जाता है, किसी का जम जाता है, किसी का वैसे-का-वैसा पडा रहता है। अगर यह बात ठीक है, तब तो एक ‘प्रजाति’ को दूसरी ‘प्रजाति’ से भिन्न करने वाली एक बड़ी चीज हाथ में आ जाती है। ‘वाहकाणु’ भिन्न-भिन्न प्रजातियों के रूधिर में A, B, O, AB—ये गुण पैदा करते हैं, अर्थात् ‘वाहकाणुओं’ द्वारा रूधिर घुलता, जमता या वैसे-का-वैसा रहता है, और इसी भेद से प्रजातियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। मानव मानव के रूधिर में इस प्रकार का भेद है, इसीलिए जब किसी को रूधिर-दान देना होता है, तो हर-किसी का रूधिर नहीं लिया जा सकता, रूधिर उसी का लिया जा सकता है जिसका रूधिर उस व्यक्ति के रूधिर के अनुरूप हो जिसकी रक्षा के लिए रूधिर दिया जा रहा है।

गवेषणा से पता चला है कि ‘A’ रक्त-समूह की यूरोप में प्रधानता है, ‘B’ की एशिया में प्रधानता है, ‘O’ रूधिर की अमेरिकन इंडियन्स में प्रधानता है। विद्वानों का कथन है कि आदि-मानव के रूधिर में पहले-पहल सिर्फ ‘O’ रूधिर था, ‘A’ वाद को पश्चिम में उत्पन्न हुआ और वहाँ से संसार के अन्य प्रदेशों में फैला। इसी प्रकार ‘B’ एशिया में पैदा हुआ और इसका प्रसार एशिया से यूरोप की तरफ हुआ। भारत में ‘B’-प्रधान रक्त है। ‘O’ से ‘A’ तथा वाद को ‘B’ कैसे पैदा हुआ—इस का उत्तर यह दिया जाता है कि विकास में ‘आकस्मिक-परिवर्तन’ (Mutation) की एक प्रक्रिया होती है जिसका वर्णन हम ऊपर कर आये हैं। इस ‘आकस्मिक-परिवर्तन’ के नियम से ही ‘O’ से अन्य रक्त-समूह प्रकट हुए।

मानव-शास्त्रियों को रक्त-समूह-परीक्षा में दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि अन्य जितने भी उपाय वे प्रजाति-भेद के जानने के लिए प्रयोग में लाते हैं, उनमें निश्चितता कहने पर भी अनिश्चितता की मात्रा खटकती रहती है। अगर रक्त-समूह-परीक्षा द्वारा प्रजाति-भेद के जानने में निश्चितता आ जाय, तो उन्हें बहुत सहारा मिले।

हर नस्ल में अबतक इतना सम्मिश्रण हो चुका है कि ऊपर के चार रक्त-समूहों में से हर नस्ल में थोड़ी-अधिक मात्रा में हर रक्त का ‘प्रजातीय-गुण’ (Strain) मिलता है, फिर भी हर प्रजाति में अपने-अपने रक्त की प्रधानता रहती है। नीचे के चित्र से भिन्न-भिन्न प्रजातियों के रक्त-समूह का कुछ आभास हो जायगा। इसमें रक्त-समूह का प्रतिशत दिया गया है :—

रक्त-समूह	अमरीका के इवेत	अमरीका के नीग्रो	अमरीकन इंडियन	रूसी	चीनी
O	४५	४४ २	१००	३१.९	३४.२
A	४१	३० ३	X	३४४	३० ८
B	१०	२१ ८	X	२४.९	२७ ७
AB	४	३ ७	X	८ ८	७ ३

[ शारीरिक-भेद के अनिश्चित लक्षण ]

शारीरिक-भेद के अनिश्चित लक्षणों में त्वचा तथा आँख का रंग, बालों की विशेषता, पलकें, होठ, जबड़े—ये सब आ जाते हैं। निश्चित शारीरिक-लक्षणों के बाद अब हम संक्षेप से अनिश्चित शारीरिक-लक्षणों का वर्णन करेंगे—

(क) त्वचा का रंग (Pigmentation)—त्वचा के रंग के तीन भेद हैं—‘गोरा-रंग’ (Leucoderm<sup>1</sup>), ‘पीला-रंग’ (Xanthoderm<sup>2</sup>) तथा ‘काला-रंग’ (Melanoderm<sup>3</sup>)। कॉकेशियन का गोरा, मंगोल का पीला तथा नीग्रो का काला रंग होता है, परन्तु हर नस्ल में रंग की विविधता भी पायी जाती है। कई व्यक्ति जो अन्य शारीरिक लक्षणों के अनुसार कॉकेशियन हैं, रंग में आफ्रीकन नीग्रो जैसे काले हैं। भूमध्य-रेखा पर के देशों में मनुष्य का काला रंग न हो, तो वह वहाँ की जल-वायु को सहन न कर सके। गोरे रंग वाले भूमध्य-रेखा के देशों में परेशान हो जाते हैं। इसलिए त्वचा का काला रंग मनुष्य की रक्षा के लिए है, और किसी बात के लिए नहीं। काले रंग से यह समझ लेना कि इस रंग का व्यक्ति गोरे रंग से किसी प्रकार भी हीन होगा, गलत है। आफ्रीका का काला नीग्रो मानसिक स्तर में काले रंग के बावजूद इतना ही ऊँचा है जितना उत्तरी यूरोप का कोई भी व्यक्ति। इस दृष्टि से त्वचा का रंग नस्ल या ‘प्रजाति’ का निर्धारण तो कर सकता है, मनुष्य के ऊँचा-नीचा होने का नहीं।

(ख) आँख का रंग तथा बनावट—कॉकेशियन नस्ल के आँख के तारे का रंग नीला, हरा या भूरा होता है। दूसरी नस्लों के आँख के तारे का रंग काला होता है। कॉकेशियन नस्ल के लोगों का वर्गीकरण करने के लिए आँख का रंग सहायक है, क्योंकि इनकी आँख का रंग भिन्न-भिन्न प्रकार का पाया जाता है। दूसरी नस्लों में प्रायः सभी की आँख का रंग एक-सा है, इसलिए उनके वर्गीकरण में इससे विशेष सहायता नहीं मिलती। यह उपाय सिर्फ जीवित व्यक्तियों के वर्गीकरण के काम में लाया जा सकता है, मृत के नहीं, इसलिए इस उपाय का क्षेत्र बहुत परिमित है। आँख की बनावट भी नस्लों के वर्गीकरण में सहायक है। मंगोल नस्ल के लोगों की आँखें भौंहों की खाल से ढकी-सी होती हैं, बादाम की शकल की-सी पायी जाती हैं, दूसरों की नहीं।

(ग) बाल—मृत-व्यक्तियों के बाल देर तक नहीं टिकते, इसलिए बालों द्वारा वर्गीकरण भी जीवित-व्यक्तियों के वर्गीकरण में ही सहायक है। बालों पर बाहर के प्रभाव कम असर करते हैं इसलिए बालों का मानव-जाति के वर्गीकरण में प्रधान स्थान है। बाल तीन तरह के होते हैं—सीधे (\*Leiotrichi),

1 Leucoderm=Greek *Leukos*, white, *Derma* (चर्म), skin

2 Xanthoderm=Greek *Xanthos*, yellow, *Derma* skin

3 Melanoderm=Greek *Melan* (मलिन), black, *Derma*, skin

4 Leiotrichi=Greek, *Leios*, smooth, *trichos*, hair

घुंघराले (<sup>१</sup>Cymotrichi या Frizzly) तथा ऊन की तरह गोल (<sup>२</sup>Ulotrichi या Frizzly)। इसी प्रकार वालों का रंग भी कई प्रकार का होता है—काला, भूरा और कहीं-कहीं लाल। सीधे वाल कॉकेशियन, मंगोल तथा ऑस्ट्रेलॉयड में, घुंघराले कॉकेशियन, आयनूस, ऑस्ट्रेलॉयड, वेडॉयड, माक्रोनेशियन-पैलीनेशियन में, ऊनी वाल पिग्मी, नीग्रॉयड, मैलीनेशियन तथा ऑस्ट्रेलॉयड में पाये जाते हैं।

(घ) होठ—नीग्रो लोगों के होठ मोटे, आर्यों के पतले होते हैं—इस प्रकार होठों को भी नस्ल का एक विभेदक शारीरिक-लक्षण माना जाता है।

(ङ) जबड़ो का ढाचा—नीग्रो नस्ल में चौड़े जबड़े पाये जाते हैं, मंगोलियन नस्ल में कम चौड़े, कॉकेशियन के साधारण जबड़े होते हैं।

### ६ शारीरिक लक्षणो को मापने के यंत्र (Anthropometric instruments)

ऊपर हमने प्रजाति के वर्गीकरण के लिए भिन्न-भिन्न नस्लों के भिन्न-भिन्न अंगों को मापने का वर्णन किया। इस सब को मापने के लिए मानव-शास्त्रियों ने कई यन्त्र बना रखे हैं। उन यन्त्रों में से कुछ का वर्णन हम यहाँ करेंगे—

(क) मानव-मापक यंत्र (Anthropometer)—यह धातु की २०० सेंटीमीटर लम्बी एक छड़ होती है। यह शून्य से शुरू होती है, २०० सेंटीमीटर तक जाती है। इस के पचास-पचास सेंटीमीटर के चार बराबर-बराबर-के टुकड़े होते हैं, जिन्हें अलग भी किया जा सकता है, जोड़ा भी जा सकता है। हर-एक टुकड़े पर सेंटीमीटर के अलावा मिलिमीटर के चिह्न भी लगे रहते हैं। छड़ के सिरे पर एक हत्या बना होता है जिसमें भिन्न-भिन्न शकलों के माप के टुकड़े लगाये जा सकते हैं जिन्हें मापने के लिए ऊपर-नीचे-तिरछा किया जा सकता है।

(ख) गोलाई-मापक दीर्घ परकार (Large sliding caliper)—यह ६० सेंटीमीटर की एक लम्बी परकार होती है, जिस के द्वारा गोल वस्तु का भीतरी तथा बाहरी माप लिया जा सकता है।

(ग) गोलाई-मापक लघु परकार (Small sliding caliper)—यह २५ सेंटीमीटर की एक छोटी परकार होती है जिसके दोनों सिरे नोकदार होते हैं। यह चेहरे के भिन्न-भिन्न मापो को लेने के काम आती है।

(घ) फैलने वाला लघु परकार (Small spreading caliper)—यह परकार ३० सेंटीमीटर का होता है। इस परकार को उलट भी सकते हैं, स्थिर भी कर सकते हैं, सब तरफ घुमा-फिरा सकते हैं ताकि किसी अंग को हर पहलू से मापा जा सके।

1 Cymotrichi=Greek *Kyma*, a wave, *trichos*, hair

2 Ulotrichi=Greek *Oulos*, Crisp or curly, *trichos*, hair

## ७. प्रजातियों का वर्गीकरण (Race Classification)

मनुष्यों के भिन्न-भिन्न शारीरिक-लक्षणों का वर्णन हमने किया। इन लक्षणों में कहीं रंग का भेद है, कहीं बालों का भेद है, कहीं खोपड़ी के आकार का भेद है। इन भेदों के आधार पर मानव-शास्त्रियों ने मनुष्यों की प्रजातियों का भिन्न-भिन्न वर्गीकरण किया है।

(क) बर्नियर का वर्गीकरण—सब से पहले १६८४ में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर (Bernier) ने मानव की प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। उसने मानव को चार या पांच विभागों में बाँटा था। वे विभाग ये—(१) युरोप, जिसमें ईजिप्ट भी शामिल है, एशिया का बहुत-सा भाग जिसमें भारत भी शामिल है। ईजिप्ट तथा भारत को युरोप के साथ गिनते हुए उसने लिखा कि यद्यपि इन देशों में काले या ताँवाई रंग के लोग पाये जाते हैं, तो भी वे और युरोप के वासी एक ही नस्ल के हैं। इनका काला या ताँवाई रंग जल-वायु के कारण हो गया है। (२) आफ्रीका के वासी जिनका काला रंग जल-वायु के कारण नहीं, परन्तु नस्ल के कारण है, मोटे होठ, चपटी नाक, तथा सिर के ऊनी बाल। (३) एशिया का वह भाग जो पहले वर्गीकरण में नहीं आया। इन का रंग गोरा, चौड़े कन्धे, चपटा चेहरा, बँठी हुई छोटी-सी नाक, लम्बी, गहरी, सूअर की-सी आँखें और दाढ़ी के सिर्फ तीन बाल। (४) लैप लोग जो कद में छोटे, मोटी टाँगें, बड़े कन्धे, छोटी गर्दन तथा बहुत लम्बा रीछ का-सा चेहरा। (५) अमरीका तथा दक्षिणी-आफ्रीका के निवासी जो नीग्रो कोटि के नहीं हैं, जिन्हें होट्टुटोट या बुश-मैन (झाड़ीवासी) कहा जा सकता है। बर्नियर का वर्गीकरण अधिकतर त्वचा के रंग पर आश्रित था।

(ख) लीनियस का वर्गीकरण—बर्नियर के वर्गीकरण के बाद १७३५ में लीनियस (Linnaeus) ने त्वचा के रंग के आधार पर ही एक दूसरा वर्गीकरण किया जिसमें उस समय के ज्ञात चार महा-प्रदेशों के आधार पर (१) युरोप-वासी, (२) अमरीका-वासी, (३) एशिया-वासी तथा (४) आफ्रीका-वासी—मानव-प्रजातियों को इन चार भागों में बाँटा।

(ग) ब्लुमैनबैच या वर्गीकरण—इसके बाद ब्लुमैनबैच (Blumenbach) ने वर्गीकरण किया जिसका आधार त्वचा के रंग के साथ-साथ खोपड़ी की शकल भी थी। इसके वर्गीकरण में मानवों की पाँच प्रजातियाँ गिनी गईं—(१) कॉकेशियन, (२) मगोलियन, (३) यूरोपियन (ईजिप्ट की), (४) अमेरिकन तथा (५) मलायन। मलायन में ऑस्ट्रेलियन, पपाऊन तथा मलाया के वासी सम्मिलित थे।

प्रजातियों के वर्गीकरण में 'कॉकेशियन'-शब्द का प्रयोग पहले-पहल ब्लुमैनबैच ने किया। कॉकेशियन प्रजाति में युरोप के निवासी, पश्चिमी-एशिया के निवासी तथा उत्तरी-आफ्रीका के निवासी सम्मिलित समझे जाते हैं। इन सब के

लिए 'कॉकेशियन'-शब्द के प्रयोग पर कई मानव-शास्त्रियों को आपत्ति रही, परन्तु अब यह शब्द इन सबके लिए प्रयुक्त होने लगा है। आपत्ति का कारण यह था कि इस शब्द के प्रयोग से ऐसी झलक-सी निकलती थी कि इन प्रजातियों का उत्पत्ति-स्थान कॉकेशिया जगह है। अस्ल में व्लुमैनबैच ने इन प्रजातियों के लिए 'कॉकेशियन'-शब्द का प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि ये प्रजातियाँ अन्य प्रजातियों से सुन्दर हैं, और कॉकेशिया के स्त्री-पुरुष भी सुन्दर होते हैं। मानव-शास्त्रियों को इस शब्द से आपत्ति इसलिए थी क्योंकि अगर कॉकेशिया के लोग सुन्दर होते हैं, तो इसका यह अर्थ तो नहीं हो सकता कि इन प्रजातियों का उत्पत्ति-स्थान भी वही था। अस्तु, जैसा हमने कहा, अब इस शब्द का इन प्रजातियों के लिए प्रयोग प्रचलन के कारण सर्व-सम्मत-सा हो गया है।

(घ) कुवियर का वर्गीकरण—इसके बाद कुवियर (Cuvier) के वर्गीकरण का नवर आता है। कुवियर ने मानव-जाति को तीन भागों में बाँटा है। उसका कथन है कि नूह के जल-विप्लव के बाद मानव खत्म हो गया था। जल-विप्लव के बाद नूह से संसार चला। नूह की तीन सन्तानें थीं—जैफट, शैम तथा हैम। जैफट से कॉकेशियन, शैम से मंगोलियन तथा हैम से आफ्रीकन नस्लें पैदा हुईं। एक ही पूर्वज से भिन्न-भिन्न रंगों की सन्तान कैसे पैदा हो गई—इसका कुवियर के पास कोई समाधान नहीं। वह इतना कहता है कि हैम के पुत्र कनान को नूह ने शाप दिया था, संभवतः इस शाप से हैम की सन्तान का रंग काला हो गया और उसी से आफ्रीकावासी उत्पन्न हुए, दूसरों का रंग काला न हुआ।

(ङ) इसिडोर ज्यो फ्रे सेंट हिलियर का वर्गीकरण—अब तक त्वचा के रंग या खोपड़ी के परिमाण से नस्लों का विभाग होता रहा। १९वीं शताब्दी में नस्लों का वर्गीकरण वालों के आधार पर किया जाने लगा। १८२७ में बोरी डी सेंट विनसेंट ने तथा बाद को हक्सले ने नस्लों के वर्गीकरण के लिए वालों को दो भागों में बाँटा था—'सीधे-बाल' (Leiotrichi) तथा 'ऊन की तरह गोल घुँघराले बाल' (Ulotrichi या Frizzly)। इसके बाद १८६० में इसिडोर ज्योफ्रे सेंट हिलियर (Isidore Geoffrey Saint-Hilaire) ने संसार की मुख्य-मुख्य चार नस्लों को वालों की भिन्न-भिन्न रचना के आधार पर १३ उप-प्रजातियों में बाँटा। इस विभाजन में उसने वालों के अलावा नाक, त्वचा का रंग, खोपड़ी का परिमाण तथा चेहरे की आकृति आदि का भी सहारा लिया।

(च) हक्सले का वर्गीकरण—१८७० में हक्सले (Huxley) ने मानव-जाति को चार प्रजातियों में बाँटा—(१) ऑस्ट्रेलॉयड, (२) नीग्रॉयड, (३) क्सेनोक्रॉयिक तथा (४) मंगोलॉयड। उसका कथन था कि क्सेनोक्रॉयिक के ही किसी अन्य रक्त के सम्मिश्रण से कॉकेशियन-प्रजाति उत्पन्न हुई है।

(छ) हेकल का वर्गीकरण—हेकल (Haeckel) ने १८७९ में सिर्फ बालों के आधार पर नस्लों का चार में वर्गीकरण किया—(१) ऊनी



वाले, (२) भेड़ों के-से बाल वाले, (३) सीधे-सख्त बाल वाले, (४) घुंघराले बाल वाले। इन में से पहले और दूसरे में कोई मौलिक भेद नहीं है।

(ज) टोपीनार्ड का वर्गीकरण—१८८५ में टोपीनार्ड (Topinard) ने नाक तथा रंग के आधार पर मानव-प्रजातियों का वर्गीकरण किया—(१) सफेद रंग तथा लम्बी नाक वाले, (२) पीला रंग तथा चपटी नाक वाले, और (३) काला रंग तथा चौड़ी नाक वाले।

(झ) इलियट स्मिथ का वर्गीकरण—इलियट स्मिथ (Elliot Smith) ने मानव-प्रजातियों को ६ प्रजातियों में बांटा है—(१) ऑस्ट्रेलियन, (२) नीग्रो, (३) मगोल, (४) नौरडिक, (५) एलपाइन तथा (६) मैडि-टरेनियन। नौरडिक, एलपाइन तथा मैडि-टरेनियन—इन तीनों के लिए एक नाम कॉकेशियन—यह है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रजातियाँ चार हैं—ऑस्ट्रेलियन, नीग्रो, मगोल, और कॉकेशियन, किन्तु कॉकेशियन के तीन भाग हैं—नौरडिक, एलपाइन तथा मैडि-टरेनियन। कॉकेशियन की तीन शाखाओं में 'नौरडिक' को मुख्य कहा जाता है, और यही 'आर्य'-प्रजाति कहाती है।

### ८ मुख्य-मुख्य प्रजातियों का विवरण

प्रजातियों की सख्या किसी के मत में कुछ है, किसी के कुछ। हम इस समय सख्या को ध्यान में रखते हुए ससार की मुख्य-मुख्य प्रजातियाँ ११ मान कर उनकी जन-सख्या के हिसाब से उनका क्रम सामने रखते हुए नीचे इन ग्यारह प्रजातियों का विवरण दे रहे हैं—

- १ कॉकेशॉयड (Caucasoid)
- २ मगोलॉयड (Mongoloid)
- ३ आफ्रीकन नीग्रॉयड (African Negroid)
- ४ मेलेनेशियन (Melanesian)
- ५ माइक्रोनेशियन-पौलीनेशियन (Micronesian-Polynesian)
- ६ कोंगो या सेंट्रल आफ्रीकन पिग्मी (Congo or Central African Pygmy)
- ७ फार ईस्टर्न पिग्मी (Far Eastern Pygmy)
- ८ ऑस्ट्रॉलॉयड (Australoid)
- ९ बुशमैन-हॉट्टेनटोट (Bushmen-Hottentot)
- १० अयनू (Ainu)
- ११ वेडॉयड (Veddoid)

(१) कॉकेशॉयड—ससार के १ अरब के लगभग जन-सख्या कॉकेशॉयड नस्ल की है। इनकी त्वचा का रंग श्वेत से भूरे वर्ण तक विविध रंगों का पाया जाता है, इसलिए इस नस्ल को श्वेत-वर्ण का ही नहीं कहा जा सकता। इस प्रजाति के लिए श्वेत-वर्ण का इसलिए प्रयोग होता है क्योंकि अधिकांश व्यक्ति

इसमें श्वेत-वर्ण के ही पाये जाते हैं। सिर के वालों में भी पर्याप्त भिन्नता पायी जाती है, सिर पर सीधे वालों से लेकर घुंघराले वालो तक सब भेद इस प्रजाति में मिलते हैं, इनके शरीर पर काफी बाल होते हैं। इस नस्ल के ओष्ठ पतले, नाक नोकिली और उभरी हुई है, परन्तु नाक में एक किस्म नहीं है, अनेक किस्में हैं। शीर्ष-देशना साधारण तथा असाधारण दोनो प्रकार की पायी जाती है। कद छोटा भी मिलता है, बड़ा भी। फॉकेशॉयड के आगे तीन वर्ग माने जाते हैं—(1) एलपाइन, (11) मैडिटरेनियन तथा (111) नौरडिक।

(1) एलपाइन—ये लोग यूरोप के मध्य में फ्रांस से पश्चिमी-एशिया के केन्द्रीय भाग तक फैले हुए हैं। 'शीर्ष-देशना' (Cephalic-index) के अनुसार ये 'चौड़े-कपाल' (Brachy-cephalic) के कहे जाते हैं। इन का सफेद रंग और भूरी आँखें होती हैं। चेहरा चौड़ा, बाल सीधे और किसी-किसी के घुंघराले, कद नौरडिक से छोटा और मैडिटरेनियन से बड़ा। नाटें, गठिले, वर्गाकार, छोटे और चौड़े पैर वाले होते हैं ये एलपाइन नस्ल के लोग।

(11) मैडिटरेनियन—मैडिटरेनियन में स्पेन से लेकर मोरोक्को के पार तक तथा वहाँ से पूर्वीय विश्व में भारत तक यह प्रजाति फैली हुई है। त्वचा का रंग भूरे से गोरे तक भिन्न-भिन्न वर्णों का पाया जाता है। मैडिटरेनियन के आस-पास ४ प्रतिशत लोगों का गोरा रंग और नीली आँखें पायी जाती हैं, परन्तु ज्यों-ज्यों पूर्व की तरफ जाते हैं, त्यों-त्यों यह प्रतिशत और कम होता जाता है। 'शीर्ष-देशना' (Cephalic-index) के अनुसार ये 'लम्बी-खोपड़ी' (Dolicho-cephalic) के कहे जाते हैं। कद में एलपाइन तथा नौरडिक से छोटे होते हैं।

(111) नौरडिक—इस नस्ल के लोगो का सब से मुख्य स्थान स्वीडन है। स्कैन्डीनेविया, वाल्टिक-प्रदेश, ब्रिटिश द्वीप-समूह आदि में ये पाये जाते हैं। सिर लम्बा, नाक ऊँची तथा नोकिली, होठ पतले, कद लम्बा और शरीर पतला, सिर के बाल सुनहरी, सीधे, घुंघराले, चमकदार, सुन्दर तथा विरल होते हैं। 'शीर्ष-देशना' (Cephalic-index) के अनुसार ये 'लम्बी-खोपड़ी' (Dolicho-cephalic) के कहे जाते हैं।

(२) मगोलायड—इन की संख्या १ अरब से काफी कम है। इन की त्वचा का रंग पीला-सा होता है। इन के सिर के बाल अक्सर सीधे और काले रंग के होते हैं। बुशमैन तथा होट्टनटोट प्रजातियों को छोड़ कर अन्य प्रजातियों की अपेक्षा इन के सिर तथा शरीर के अगों के बाल कम होते हैं। नीग्रो की अपेक्षा इन की नाक चौड़ी होती है, परन्तु उतनी मोटी नहीं होती। ओष्ठ मुटाई की तरफ झुके होते हैं। गालो की हड्डियाँ उभरी तथा एक ओर को झुकी होती हैं। उत्तरी-एशिया की तरफ जो मगोल प्रजाति के लोग रहते हैं, उनकी आँखों की पलकें भारी, मासल तथा आँखों को ढके-सी रहती हैं, आँखें बादाम की-सी शकल की होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अत्यन्त शीत से रक्षा करने के लिए प्रकृति

ने आँखों के लिए गद्दा-सा चढा दिया है। कद मध्यम परन्तु छोटपन की तरफ होता है।



फिलिपाइन नीग्रिटो स्त्री



मैलेनेशियन जन-जाति का व्यक्ति

माइक्रोनेशियन रहते हैं, और मैलेनेशियन के पूर्व में द्वीपों का जो त्रिभुजाकार समूह है उसमें ३ लाख के लगभग पौलीनेशियन रहते हैं। ये हवाई द्वीप से न्यू जीलैण्ड

(३) आफ्रीकन-नीग्रॉयड—

इस प्रजाति की संख्या १० करोड के लगभग है। इस का निवासस्थान आफ्रीका में दक्षिणी-सहारा से लेकर केप-आफ-गुड-होप तक है। इन की त्वचा का रंग भूरे से लेकर विल्कुल काले वर्ण तक होता है। सिर के बाल घुंघराले तथा ऊनी किस्म के होते हैं, शरीर पर बाल बहुत कम पाये जाते हैं। नाक बहुत चौड़ी, कान छोटे तथा ऊपर का जबडा आगे को बढा हुआ होता है। ओष्ठ दूसरी प्रजातियों की अपेक्षा मोटे तथा ऊपर को निकले होते हैं।

(४) मैलेनेशियन—इन की

संख्या २० लाख के लगभग है। दक्षिणी-प्रशान्त-द्वीपों में, जिन्हें मैलेनेशिया कहा जाता है, इस प्रजाति के लोगों का निवास है। न्यू गिनी से फीजी तक २ हजार मील में ये द्वीप बिखरे पडे हैं। इन्हीं में यह प्रजाति पायी जाती है। त्वचा का रंग काला, घुंघराले बाल तथा उभरी हुई भौंएँ इनकी विशेषता है। मैलेनेशियन को आफ्रीकन नीग्रो से अलग गिनने का कारण यह है कि मानव-शास्त्री इन दोनों नस्लों का उद्भव अलग-अलग मानते हैं।

(५) माइक्रोनेशियन-पौलीने-

शियन—मैलेनेशियन के उत्तर में जो द्वीप हैं उनमें १ लाख के लगभग

और न्यू जीलैण्ड से ईस्टर आईलैंड तक फैले हुए हैं। इन्हें ओशोनियन भी कहा है। इनके शरीर पर बाल कम होते हैं, त्वचा का रंग हल्का और सिर के बाल ऊनी होते हैं।

(६) कौंगो या सेंट्रल आफ्रीकन पिग्मी—इन की संख्या १ लाख लगभग है। कई विद्वान् इन्हें आफ्रीकन-नीग्रॉयड में गिनते हैं, परन्तु इन दोनों इतना भेद है कि इन्हें एक ही वर्ग में नहीं गिना जा सकता। इन का कद ५ फीट से भी कुछ छोटा होता है। यह संभव है कि अगर इनके खान-पान में कुछ सुधार कर दिया जाय, तो कद भी कुछ बढ़ जाय। ये आफ्रीकन-नीग्रॉयड तथा मैलेनेशियन जितने काले भी नहीं होते और इन दोनों से इनके शरीर पर बाल भी अधिक होते हैं।

(७) फार-ईस्टर्न पिग्मी—इन में २,००० के लगभग अंडमन द्वीप निवासी हैं, २५,००० के लगभग लुच्चौन, मिन्डानाओ तथा फिलिपाइन के अन्तर्द्वीपों के निवासी हैं और कुछ-सौ मलय प्रायद्वीप के आदिवासी हैं। इन्डोनेशिया, न्यू गिनी तथा मैलेनेशिया में भी अनिश्चित संख्या इन नाटो कद वालों के हैं। इन्हें कई लोग सेंट्रल आफ्रीकन पिग्मी में गिनते हैं। इन के होंठ काफी मोटे, सिर के बाल ऊनी, त्वचा का रंग बहुत काला, शरीर पर बाल बहुत कम और ऊँचाई ५ फीट के लगभग होती है।

(८) ऑस्ट्रेलॉयड—ऑस्ट्रेलिया में ४०,००० के लगभग कृष्ण-त्वचा के आदिवासी वहाँ पर ब्रिटिश उपनिवेश हो जाने पर भी मौजूद हैं। इन की त्वचा का रंग चौकलेट जैसा और काला है, इसके अलावा इन के अन्य सब लक्षण ऑस्ट्रेलॉयड के-से हैं। सिर के बाल इनके घुंघराले हैं।

(९) वुशमैन-हौट्टनटोट—कलहारी के रेगिस्तान तथा आस-पास प्रदेशों में नाटो कद के पिग्मी नस्ल के २० हजार के लगभग लोग रहते हैं। बा-भाया बोलने वाले नीग्रॉयड प्रजाति के लोगों के आने से पूर्व सम्पूर्ण दक्षिण आफ्रीका में यही वुशमैन-हौट्टनटोट प्रजाति निवास करती थी। इस प्रजाति किसी-किसी व्यक्ति में बोस्कोप-प्रजाति के लक्षण भी पाये जाते हैं, यद्यपि बोस्कोप प्रजाति अब दक्षिणी-आफ्रीका में लुप्तप्राय हो गई है। वुशमैन नाटो होते हैं इनकी औसत लम्बाई ५ फीट होती है। हौट्टनटोट की लम्बाई वुशमैन से कम होती है। वुशमैन के सिर के बाल गोलोदार और हौट्टनटोट के घुंघराले होते हैं। इन दोनों की आँखें मंगोल जैसी होती हैं। कौंगो-पिग्मी की भाँति इनके शरीर पर बाल बहुत थोड़े और त्वचा का रंग काला न होकर बीच का पाया जाता है। जाँघें और कमर के नीचे का हिस्सा मांसल होता है, और इसके मांसल होने के कारण संभवतः 'वाहकाणु' (Genes) न होकर इन का खान-पान तथा हर साल आगे को झुके रहने की आदत है। इन की आँखों की मंगोल-प्रजाति के लोगों की आँखों से समता को देख कर कई लोगों का कहना है कि मंगोल-प्रजाति 'वाहकाणु' (Genes) इस प्रजाति में किसी तरह पहुँचे हैं, परन्तु अ

# भारत की प्रजातियाँ

(INDIAN RACES)

हमने पिछले अध्याय में ससार की मुख्य-मुख्य प्रजातियों के सबध में लिखा। इस विवरण से यह नहीं समझना चाहिए कि ससार में ये ही और इतनी ही प्रजातियाँ हैं। भिन्न-भिन्न लेखकों के अनुसार प्रजातियों की भिन्न-भिन्न सत्या और उनके भिन्न-भिन्न नाम दिये जाते हैं जिनमें से मुख्य-मुख्य का वर्णन हमने किया। हम इस अध्याय में भारत की मुख्य-मुख्य प्रजातियों का वर्णन करेंगे।

भारत में प्रजातियों के सबध में सबसे पहले चर्चा सर हर्वर्ट रिजले ने अपनी पुस्तक 'पीपल्स ऑफ इंडिया' में की। इनके बाद ए० सी० हंडुन, जे० एच० हट्टन तथा डॉक्टर वी० एस० गुहा ने भारत की प्रजातियों के वर्गीकरण पर अपने-अपने विचार प्रकट किये। इन्हीं के विचारों के आधार पर हम यहाँ इस विषय पर लिखेंगे।

## १. सर हर्वर्ट रिजले का भारतीय-प्रजातियों का वर्गीकरण

सर हर्वर्ट रिजले (H. H. Risley) ने भारत की प्रजातियों को सात भागों में बाँटा। इन सात में अन्डमन द्वीप के नीग्रिटो का नाम नहीं है, क्योंकि श्री रिजले के कथन के अनुसार नीग्रो प्रजाति का भारत की प्रजातियों में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। रिजले का कहना था कि मुख्य तौर पर तो भारत में तीन प्रजातियों का निवास रहा है—(१) ड्रेविडियन, (२) इडो-आर्यन तथा (३) मगोलियन, परन्तु इन तीन में से ड्रेविडियन तथा इडो-आर्यन के सम्मिश्रण से (४) इण्डो-ड्रेविडियन पैदा हो गये; ड्रेविडियन तथा मगोलियन की एक शाखा के सम्मिश्रण से (५) मगोलो-ड्रेविडियन पैदा हो गये, मगोल की अन्य शाखा और ड्रेविडियन के सम्मिश्रण से (६) सीथियन-ड्रेविडियन पैदा हो गये। सीथियन तथा मगोल का लगभग एक ही अर्थ है, इसलिए मगोल तथा ड्रेविडियन के सम्मिश्रण से मगोल-ड्रेविडियन कहने के स्थान में 'सीथियन-ड्रेविडियन' शब्द प्रचलित है। इन छ के अलावा विलोचिस्तान तथा उत्तर-पश्चिमीय सीमा-प्रांत जो अब पाकिस्तान में चला गया है, वहाँ (७) टर्को-ईरानियन प्रजाति के लोग पाये जाते हैं। इस प्रकार पहले के तथा अब के भारत में मुख्य तौर पर सात प्रजातियाँ हैं। इन प्रजातियों के सम्बन्ध में श्री रिजले का विशेष विवरण निम्न है।

(१) ड्रेविडियन (Dravidian)—द्राविड लोग भारत के दक्षिण में पाये जाते हैं, विशेष कर मद्रास, हैदराबाद, मध्य-प्रदेश के दक्षिण तथा छोटा

नागपुर में इनका निवास अधिक है। दक्षिण-भारत के पनियन लोगों और छोटा नागपुर के सन्याल लोगो में द्राविड प्रजाति के सब लक्षण पाये जाते हैं। इन का रंग काला, आँखें काली, कद नाटा और बाल खूब होते हैं। बाल प्रायः घुंघराले पाये जाते हैं। सिर लम्बा होने के कारण ये 'लम्बी-खोपड़ीवाले' (Dolichocephalic) कहे जा सकते हैं। नाक इनकी खूब चौड़ी होती है जिमकी जड में एक भराव का स्थान दोख पड़ता है। इन्हीं को मंडीटरेनियन भी कहते हैं।

(२) इंडो-आर्यन (Indo-Aryan race)—ये लोग उत्तर-भारत में—पूर्वी पजाब, राजपूताना तथा काश्मीर में पाये जाते हैं। इन इलाको के लम्बे कद के खत्री और जाट इस वर्ग में आते हैं। इन का लम्बा चौड़ा देह, लम्बा सिर, नोकिली तथा उभरी हुई नाक, काली आँखें और गोरा रंग इनकी विशेषता है। इन्हें 'लम्बी-खोपड़ी वाले' (Dolichocephalic) कहा जा सकता है।

(३) मगोलायड या किरात (Mongoloid)—हिमालय के प्रदेशों में मगोल प्रजाति जहाँ-तहाँ बिखरी पड़ी है। नेपाल, असम तथा बर्मा में इन की सख्या अधिक है। सामाजिक-दृष्टि से भिन्न-भिन्न प्रदेशों में इनके भिन्न-भिन्न नाम हैं, परन्तु शारीरिक बनावट की दृष्टि में ये सब मगोल प्रजाति के हैं। इनके चौड़े सिर और छोटी-सी सुन्दर नाक होती है, जो किसी-किसी व्यक्ति में चौड़ी भी पायी जाती है। इनका चेहरा चपटा होता है और आँख पर तर्हें-सी होती हैं जिनसे आँखें ढकी-सी रहती हैं। प्रायः इन के शरीर पर बाल नहीं पाये जाते। कद में ये नाटे होते हैं। इन को भारतीय ग्रन्थों में 'मगोल' न कहकर 'किरात' कहा गया है।

(४) इंडो-ड्रेविडियन (Indo-Dravidian race)—उत्तर-प्रदेश, राजपूताना तथा बिहार में इस प्रजाति के लोगों की प्रधानता है। इन्डो-आर्यन तथा ड्रेविडियन प्रजातियों के सम्मिश्रण में इनकी उत्पत्ति हुई है। रंग स्थान-स्थान के भेद में बदलता हुआ पाया जाता है, साधारण तौर पर भूरे तथा काले के बीच का है इनका रंग। इनकी नासिका की दृष्टि में इनकी 'चपटी-नाक' (Mesorrhine) तथा कहीं-कहीं 'चौड़ी-नाक' (Platyrrhine) है। इन्डो-आर्यन की नाक इस प्रजाति से सुन्दर होती है, और ये लोग इंडो-आर्यन से कद में छोटे होते हैं। सिर की दृष्टि से इन्हें 'लम्बी-खोपड़ीवाला' (Dolichocephalic) कहा जा सकता है।

(५) मगोलो-ड्रेविडियन (Mongolo-Dravidian race)—यह प्रजाति बंगाल तथा उड़ीसा में पायी जाती है। बंगाली ब्राह्मण, बंगाली कायस्थ एवं बंगाली मुसलमान ज्यादातर मगोलो-ड्रेविडियन प्रजाति के ही हैं। गुजरात में भी इस के लक्षण पाये जाते हैं। रिजले का कथन है कि मंगोलियनो का ऐंसे ड्रेविडियनो के साथ सम्मिश्रण होने से जिनके शरीर में कुछ अंश इंडो-आर्यन का था, यह प्रजाति उत्पन्न हुई है। इन की त्वचा का रंग काला और चेहरे पर काफी बाल होते हैं। सिर इनका गोल, चौड़ा, मध्यमान की नाक के साथ-साथ

इनका कद भी विचले दर्जे का होता है, इनके कद को किसी-किसी हालत में छोटा भी कहा जा सकता है।

(६) सीथियन-ड्रेविडियन (Scytho-Dravidian race)—मगोलो की एक बहुत निकट की शाखा सीथियन तथा ड्रेविडियन के सम्मिश्रण से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये मध्य प्रदेश, सीराष्ट्र तथा कुर्ग के पहाड़ी इलाको में पा जाते हैं। इन इलाको में उच्च-स्तर के मिश्रित-वर्ग में सीथियन रुधिर प्रवाह है, निम्न-स्तर के मिश्रित-वर्ग में ड्रेविडियन रुधिर प्रधान है। इन की सुन्दर छोटी-सी नाक होती है जो प्रायः लम्बी नहीं देखी गई। मध्यम कद, गोरा रंग शरीर पर कम बाल तथा 'चौड़े सिरवाले' (Brachy-cephalic) हैं इन प्रजाति के लोग।

(७) टर्को-ईरानियन प्रजाति (Turko-Iranian race)—यह प्रजाति विलोचिस्तान तथा पाकिस्तान के सीमा-प्रान्त में निवास करती है। ये लोग कद में विशेष तौर पर लम्बे और रंग के गोरे होते हैं। इनकी आँखों का रंग काला होता है, परन्तु इनमें कभी-कभी भूरी आँखों के लोग भी मिल जाते हैं। घन दाढ़ी, चेहरे पर भरपूर बाल, उभरी हुई नोकीली-लम्बी नाक। इन का सिर छोटा होने के कारण इन्हें 'चौड़े-सिरवाला' (Brachy-cephalic) कहा जा सकता है।

## २ ए० सी० हँड्डन का भारतीय-प्रजातियों का वर्गीकरण

श्रीयुत् हँड्डन (A C Haddon) रिजले के वर्गीकरण से सहमत नहीं रिजले के वर्गीकरण पर पहली आपत्ति यह है कि उन्होंने मगोल प्रजाति को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर अपने वर्गीकरण में स्थान दिया है, यहाँ तक कि द्राविडों के साथ सम्मिश्रण से एक मगोलो-ड्रेविडियन प्रजाति की उत्पत्ति की कल्पना की है। इस प्रजाति की उत्पत्ति की कल्पना रिजले ने क्यों की है? इस का कारण यह है कि उन्हें बंगाल तथा गुजरात में चौड़े सिर मिले और मगोलो का भी सिर चौड़ा होता है। इस आधार पर उन्होंने बंगाल तथा गुजरात में मगोलो-ड्रेविडियन प्रजाति का कल्पना की। परन्तु यह कल्पना निराधार है। यह कल्पना निराधार इसलिए है क्योंकि मगोलों के चौड़े ही सिर ही यह जरूरी नहीं। अनेक स्थानों पर मगोलों के चौड़े सिर नहीं भी मिलते। बंगाल तथा गुजरात के लोगों के चौड़े सिर का कारण रिजले को कहीं अन्यत्र ढूँढना चाहिए था। रिजले के वर्गीकरण पर दूसरी आपत्ति यह है कि मगोलों की-सी थैली की-सी आँखें दार्जिलिंग, चिटागांग आदि में तो मिलती हैं, परन्तु बंगाल की उच्च-जातियों में, ब्राह्मणों में, कायस्थों में कहीं नहीं मिलतीं। ऐसी हालत में बंगाल में मगोल-प्रभाव क्या हुआ? इन सब बातों के आधार पर हँड्डन महोदय को रिजले का वर्गीकरण स्वीकार नहीं हँड्डन ने अपना एक स्वतंत्र वर्गीकरण किया है जिसमें पाँच प्रजातियाँ गिनाई गई हैं—(१) आदि-द्राविड या निषाद, (२) द्राविड, (३) इडो-आर्यन, (४) इडो-एलपाइन तथा (५) मगोल या किरात।

(१) आदि-द्राविड या निपाद (Pre-Dravidians)—हैडुन के

कथनानुसार भारत में सब से पुरानी प्रजाति 'द्राविड' नहीं है, परन्तु इनसे पहले कई प्रजातियाँ थीं, जो भारत के जंगलों में जहाँ-तहाँ घूमती फिरती थीं। क्योंकि द्राविडों से भी पहले भारत की आदि प्रजाति 'प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड' थी, इसलिए 'प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड' को ही 'आदि-द्राविड' या 'निपाद' कहा जाता है। 'प्रोटो' का अर्थ है—पहला, आदि। ये ही भारत में शुरु-शुरु में आये थे।

(२) द्राविड या मैडीटेरेनियन (Dravidian)—इनके बाद द्राविड आये, जो पश्चिमी-बंगाल की घाटी में बस गये और वहाँ से भारत को चीरते हुए छोटा नागपुर में आकर बस गये। इन्हीं को 'मैडीटेरेनियन' भी कहते हैं।

(३) इंडो-आर्यन (Indo-Aryan)—आर्य-भाषाओं को बोलने वाले लोग द्राविडों के बाद ईसा से २००० साल पहले की सहस्राब्दी में भारत में प्रविष्ट हुए। वे धीरे-धीरे भारत में आये और कई शताब्दियों तक वे आते रहे। पहले-पहल वे पंजाब की उपजाऊ भूमि में आकर बसे, दक्षिण में वे इसलिए न बढ़ सके क्योंकि रास्ते में राजपूताने के रेगिस्तान उनके आगे बढ़ने में रुकावट बने रहे और पूर्व में वे इसलिए न बढ़ सके क्योंकि उस तरफ घने जंगलों के कारण आगे न बढ़ा जा सकता था। अन्त में वे गंगा और जमना की घाटी में फैल गये।

(४) इंडो-एलपाइन (Indo-Alpine)—रिजले ने भारत में पाये जाने वाले 'चौडे-सिर' (Brachy-cephalic) के लिए यह कल्पना की थी कि मंगोल-रक्त के लोगों के द्राविडों के सम्मिश्रण से एक प्रजाति उत्पन्न हुई जो बंगाल तथा गुजरात में पायी जाती है। इस कल्पना का हैडुन ने विरोध किया और इसके मुकाबिले में यह कल्पना रक्खी कि भारत में 'चौडे-सिर' के लोग इसलिए पाये जाते हैं क्योंकि कांकेशियन-स्कन्ध की एलपाइन शाखा, जिसका सिर चौड़ा होता है, भारत में आकर बसी। हैडुन का कहना है कि ये एलपाइन शाखा के लोग मंगोलो से पहले भारत में आकर बसे।

(५) मंगोल या किरात (Mongoloid)—इंडो-एलपाइन के बाद मंगोल भारत में आये और हिमालय के नेपाल, असम, बर्मा आदि में बस गये। जैसा हम पहले लिख आये हैं, भारतीय-साहित्य में इन 'मंगोलो' को 'किरात' का नाम दिया गया है।

### ३ हट्टन का भारतीय-प्रजातियों का वर्गीकरण

हैडुन के बाद जे० एच० हट्टन ने भारतीय प्रजातियों का अध्ययन करके एक और वर्गीकरण किया। इस वर्गीकरण में (१) नीग्रिटो, (२) प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड, (३) मैडीटेरेनियन, (४) एलपाइन की आर्मेनॉयड शाखा, (५) मंगोलॉयड तथा (६) इंडो-आर्यन—इस क्रम से ये प्रजातियाँ भारत में आयीं—ऐसा कहा गया है।

(१) नीग्रिटो—'नीग्रॉयड' (Negroid) तथा 'नीग्रिटो' (Negrito) में भेद है। मानव-जाति का विशाल वर्गीकरण जिममें काकेशॉयड, ऑस्ट्रेलॉयड,



मगोलॉयड तथा नीग्रॉयड प्रजातियाँ हैं, इनमें 'नीग्रॉयड' एक हिस्सा है। 'नीग्रॉयड' एक तरह से मानव-जाति के एक 'स्कन्ध' (Stock) का नाम है। यह 'स्कन्ध' ससार के दो महाभागों में निवास करता है—आफ्रीका तथा ओशोनिया। इस प्रकार 'नीग्रो-स्कन्ध' आफ्रीका तथा ओशोनिया—इन दो भागों में बँट जाता है। इन दोनों महा-प्रदेशों के भिन्न-भिन्न भागों में नीग्रो लोगो की अनेक प्रजातियाँ रहती हैं, जिनमें से एक 'पिग्मी' (Pygmy) कहाती है। इन पिग्मी की सम-कक्ष यह 'नीग्रिटो' (Negrito) प्रजाति है जो कागो, अडमन, फिलिपाइन आदि में पायी जाती है। यह बहुत छोटे कद की होती है। इस की औसत ऊँचाई १५० सेंटीमीटर है। यह 'चौड़े-सिर वाली' (Brachy-cephalic) कहाती है और इनकी 'शीर्ष-देशना' (Cephalic-index) ८३ है। त्वचा का रंग गहरा पीला, बाल काली मिर्च के से और घुंघराले होते हैं।

डा० हट्टन तथा वी० एस० गुहा इस 'नीग्रिटो' प्रजाति को भारत की प्राचीनतम प्रजाति मानते हैं। इस प्रजाति का मूल-स्थान 'मैलेनेशिया' है, जो प्रशान्त-महासागर का एक टापू है। उस टापू से यह प्रजाति असम, बर्मा, अडमन-निकोबार, मलाबार आदि में फैली। भारतवर्ष में हट्टन और गुहा के अनुसार यह प्रजाति सब से पहले फैली, परन्तु अब उसके अवशेष हमें भारत के मुख्य-भाग पर कहीं प्राप्त नहीं होते—यह इन दोनों विद्वानों का कथन है।

(२) प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड, 'आग्नेय' या 'निषाद'—नीग्रिटो के बाद भारत में प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड (Proto Australoid) अर्थात् ऑस्ट्रेलिया के प्रथम-वासी आये। 'प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड' तथा 'ऑस्ट्रेलॉयड' में इतना ही भेद है कि 'ऑस्ट्रेलॉयड' की भी जो सब से पहली शाखा है, उसे 'प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड' कह देते हैं। हिन्दी में इसे 'आदि-ऑस्ट्रेलियन' कहेंगे। हिन्दी के कई लेखकों ने 'प्रोटो-ऑस्ट्रेलियन' को 'आग्नेय' लिखा है। उन्होंने इस प्रजाति को 'आग्नेय' नाम इसलिए दिया है क्योंकि यह प्रजाति ससार के 'दक्षिण-पूर्व' में पायी जाती है जो 'आग्नेय-दिशा' है। 'दक्षिण-पूर्व' दिशा को संस्कृत में 'आग्नेय-दिशा' कहा जाता है। इन की त्वचा का रंग भी चाकलेट जैसा और काला होता है, अग्नि की आभा जैसा नहीं। अस्तु, श्री हट्टन के कथनानुसार 'नीग्रिटो' के बाद 'आदि-ऑस्ट्रेलियन' भारत में आये। इनका आगमन किधर से हुआ इस विषय में हट्टन का कथन है कि ये पैलेस्टाइन में रहते थे और उधर से ही भारत में प्रविष्ट हुए। जैसा हम पहले कह आये हैं, ये 'प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड' ही 'आदि-ब्रिड' है। इन्हें भारतीय-साहित्य में 'निषाद' का नाम दिया गया है।

(३) मैडीटेरेनियन या द्राविड—'आदि-ऑस्ट्रेलियन' के आने के बाद भारत में भूमध्यसागर की एक शाखा का आगमन हुआ जो मैडीटेरेनियन-प्रजाति की आदि-शाखा (Early branch of Mediterranean race) थी। यह

शाखा खेती करना जानती थी और इस की भाषा में शब्दों के अन्त में प्रत्यय जोड़े जाते थे। आजकल के ऑस्ट्रेलिया, न्यू जीलैण्ड तथा आस-पास के द्वीप-समूहों के आदि-वासियों में ऐसी ही भाषा बोली जाती है। इस शाखा के बाद पूर्व-यूरोप से एक और भूमध्यसागरीय शाखा (Eastern European Mediterranean race) ने भारत में प्रवेश किया जो घातुओं के उपकरण बनाना जानती थी, जो नगर-सभ्यता में दीक्षित थी। श्री हर्टन का कथन है कि पूर्व-यूरोप से आनेवाली इसी मंडीटरेनियन-प्रजाति ने सिन्धु-सभ्यता को जन्म दिया और मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की सभ्यता का इन्होंने श्रीगणेश किया। 'मंडीटरेनियन' का ही नाम भारत में 'द्राविड' है।

(४) एलपाइन की आर्मेनॉयड शाखा—भारत में चौड़े सिर के लोग किस प्रजाति से उत्पन्न हुए—यह विषय बहुत विवाद का बना हुआ है। रिजले ने इसके लिए मंगोलो-डेविडियन प्रजाति की कल्पना की, हर्टन ने इडो-एलपाइन की कल्पना की, हर्टन महोदय ने इसके लिए यह कल्पना की कि यद्यपि ये 'चौड़े-सिरवाले' (Brachy-cephalic) एलपाइन-प्रजाति के हैं, तो भी एलपाइन में से उसकी 'आर्मेनॉयड-शाखा' (Armenoid branch of Alpine race) के ये लोग हैं। इस शाखा ने ईसा से ४००० वर्ष पहले एक ऊँचे स्तर की सभ्यता का विकास कर लिया था। संभवतः ये द्राविड भाषा बोलते थे और प्रागैतिहासिक काल के मैसेपोटामिया के लोगों में और इनमें समानता थी। ईसा से ३००० वर्ष पहले ईरान के पठार तथा पामीर की पहाड़ियों से इस प्रजाति के लोगो ने पश्चिम में अपनी सभ्यता की बाढ़-सी ला दी और यही चौड़े सिर वाले लोग भारत भी पहुँचे।

(५) मगोलॉयड—पूर्व की तरफ से मगोल प्रजाति के लोग वगाल की खाड़ी, इंडोनेशिया आदि में फैले और वगाल में आने के कारण उनका भारत में भी काफी विस्तार हुआ। ये मगोल भारतीय साहित्य के 'किरात' हैं।

(६) इडो-आर्यन—श्री हर्टन का कहना है कि इन सब के बाद ईस्वी सन् से १५०० वर्ष के लगभग पहले इडो-आर्यन प्रजाति के लोग भारत में प्रविष्ट हुए और पंजाब में बस गये।

#### ४ डा० गुहा का भारतीय-प्रजातियों का वर्गीकरण

डा० गुहा का वर्गीकरण हर्टन के वर्गीकरण में मेल खाता है। भेद इतना है कि डा० गुहा ने हर्टन के वर्गीकरण को कुछ और गहराई तक पहुँचाया है। डा० गुहा के वर्गीकरण में जो प्रजातियाँ गिनाई गई हैं, वे हैं—(१) नीग्रिटो, (२) प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड, (३) मगोलॉयड, (४) मंडीटरेनियन, (५) 'चौड़े-सिर की प्रजाति' (Brachy-cephalic race) जिसके डा० गुहा ने तीन भेद किये हैं—एलपाइन, दिनारी तथा आर्मेनॉयड तथा (६) नीडक अथवा इण्डो-आर्यन।

(१) नीग्रिटो—नीग्रिटो का वर्णन हम पहले कर आये हैं। डा० हट्टन तथा डा० गुहा इमे भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति मानते हैं। इनके अवशेष अब निकोबार-अण्डमन द्वीपों के मिवाय और कहीं नहीं मिलते।

(२) प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड (निपाद)—नीग्रिटो के बाद भारतवर्ष में आने वाली दूसरी प्रजाति प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड है। ये मुख्य तौर पर मध्य-प्रदेश तथा दक्षिण भारत में फैले हुए हैं, खास कर निम्न जातियों में इनका रक्त अविक है। इनके सबंध में पहला मत तो यह है कि ये ऑस्ट्रेलिया से भारत में आये, दूसरा मत यह है कि नीग्रिटो से ही इन की उत्पत्ति हुई, तीसरा मत यह है कि पैलेस्टाइन से ये लोग इस देश में आये।

(३) मगोलॉयड (किरात)—इन की शारीरिक विशेषताओं का तो हम पहले ही वर्णन कर आये हैं। इन में 'वी'-समूह के रक्त की प्रधानता है। इन का मूल न्यान इरावती नदी की घाटी, तिब्बत, चीन और मगोलिया है। वहाँ से ये असम, नेपाल, बर्मा आदि में फैल गये हैं।

(४) मैडिटरेनियन (द्राविड)—भूमध्य-सागर से यह प्रजाति भारत में आयी। यह स्पेन और मोरक्को से भारत तक पायी जाती है। जैना हम पहले कह आये हैं, दो शाखाओं में इस का भारत में प्रवेश हुआ। एक शाखा अपने नाय कृषि करने तथा पत्थरों के स्मारक खड़े करने (Agricultural and Megalithic Culture) की सभ्यता को अपने साथ लायी, दूसरी शाखा पूर्वी-यूरोप से ईरान की खाड़ी से होते हुए भारत में प्रविष्ट हुई। यह शाखा अपने साथ घातुओं का ज्ञान लायी। इस शाखा को नगर-सभ्यता का ज्ञान था और इसका मैसोपोटामिया की सभ्यता से सपर्क भी था। भूमध्यसागर की इसी शाखा ने मिन्यु-सभ्यता को जन्म देकर मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा आदि नगरों का निर्माण किया भूमध्यसागर से आने वाली इन दोनों शाखाओं को 'मैडिटरेनियन' अथवा 'द्राविड'—इन दोनों नामों से स्मरण किया जाता है।

(५) चौड़े सिर की तीन आर्य प्रजातियाँ—डा० गुहा का कथन है कि भारत में तीन चौड़े सिर की प्रजातियों के लक्षण पाये जाते हैं, जिनमें से मुख्य हैं—

(1) एलपाइन, (II) विनारी, (III) तथा आर्मेनॉयड।

(1) एलपाइन (Alpine)—हट्टन के वर्गीकरण में तो एलपाइनी की शाखा आर्मेनॉयड (Armenoid) का परिगणन है, परन्तु डा० गुहा ने एलपाइन तथा आर्मेनॉयड—इन दोनों को अलग-अलग गिना है। इन्होंने इन दो के साथ 'विनारी' प्रजाति को भी मिला कर चौड़े सिर की तीन प्रजातियों को इकट्ठा करके तीनों को मत्ता को इस देश में माना है। 'एलपाइन' नाम इस प्रजाति को इसलिए दिया गया है क्योंकि इस प्रजाति के लोग यूरोप के मध्य में एल्प्स पर्वत के आम-पाम बड़ी सख्या में पाये जाते हैं। इनका औसत वृद्ध १६५ सेंटीमीटर, कर्ण चौड़े, छानी गहरी, टाँगें लम्बी तथा चौड़ी, उगलियाँ छोटी होती हैं और इन्हीं लक्षणों ने भूमध्यसागरीय प्रजातियों से ये पथक गिने जाने हैं।

(II) दिनारिक (Dinaric)—यूरोप की आल्प्स पर्वतमाला की एक शाखा का नाम 'दिनारिक' है। ये लोग यूरोप में फ्रांस से मैसीडोनिया तक फैले हुए हैं। मुख्य-मुख्य प्रजातियों की उप-जातियों के आपस में सम्मिश्रण से यह प्रजाति उत्पन्न हुई है। ऊँचा, शिखरवाला सिर, ढलुआँ माया, सिर का पिछला भाग चपटा, चौड़ा सिर, शीर्ष-देशना ८३ से अधिक, लम्बा-तंग चेहरा, उठी हुई नाक तथा ठोड़ी तथा पतले होंठ, लम्बा कद, औसत ऊँचाई १७० सेंटीमीटर, गठीला शरीर, भारी और लम्बी टांगें, मोटी गर्दन, होंठ नाडिक लोगों से अधिक चौड़े, त्वचा का वर्ण हल्का, जेतूनी और ज्यादातर काला, आँखें हल्के भूरे रंग की, बाल काले, भूरे और घुंघराले—ये विशेषताएँ हैं इस प्रजाति की।

(III) आर्मेनॉयड (Armenoid)—एलपाइन प्रजाति की एक शाखा आर्मेनॉयड नाम से मशहूर है। यह चौड़े सिर की है। इसके विषय में हम पहले भी लिख आये हैं। बम्बई के पारसी मुख्य रूप में इसी शाखा के हैं।

(६) नॉडिक या डण्डो-आर्यन—ये यूरोप, बाल्टिक-प्रदेश, स्कैंडीनेविया, ब्रिटिश द्वीप-समूह के शीत-प्रधान तथा समुद्री प्रदेशों में फैले हुए हैं। ईस्वी सन से १५०० वर्ष पहले ये भारत में आये और पहले पंजाब में आकर बसे, फिर जमना तथा गंगा की घाटी में रहने लगे, बाद में ये सारे भारत में फैल गये।

इनका सिर लम्बा, नाक ऊँची, पतली तथा नोकिली, होंठ पतले, शरीर इकहरा तथा लम्बा, औसत ऊँचाई १७२ सेंटीमीटर, त्वचा गुलाबी और श्वेत, आँखें नीली, बाल घुंघराले तथा सुनहरे होते हैं। इनकी 'शीर्ष-देशना' ७५ के रूग्भग होती है। इनकी एक विशेषता यह है कि नीचे के दाँतों और टोड़ी की एक-दूसरे से दूरी अन्य प्रजातियों की अपेक्षा ज्यादा होती है।

डा० डी० एन० मजूमदार का 'नीग्रिटो' के सबंध में मत

जैसे रिजले ने भारतीय-प्रजातियों के वर्गीकरण में 'मगोल'-प्रजाति को अनावश्यक महत्व दिया है, वैसे डा० मजूमदार के मत में इस वर्गीकरण में हट्टन तथा गुहा ने 'नीग्रिटो' को अनावश्यक महत्व दिया है। श्री मजूमदार के मत में भारत में आने वाली सब से पहली प्रजाति 'नीग्रिटो' न होकर 'प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड' थी। 'नीग्रिटो' भारत में आने वाली पहली प्रजाति नहीं थी, इस सबंध में श्री मजूमदार ने निम्न युक्तियाँ दी हैं —

(१) नीग्रिटो का भारत में अभाव—गुहा का कथन है कि मध्य एवं दक्षिण भारत की आदिम प्रजातियों में 'नीग्रिटो'-त्व की प्रधानता है। नी० ए० वेंकटाचार का कथन है कि मध्य-प्रदेश की गोड प्रजाति नीग्रॉयड ही है। ये गोड अर्थात् नीग्रॉयड जाति के लोग ही द्रविडों से पूर्व के लोग हैं। कई लोग 'प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड' को द्रविडों से पूर्व का मान कर, किन्तु वेंकटाचार 'नीग्रिटो' को द्रविडों से पूर्व का मान कर, इन्हें 'आदि-द्रविड' (Pre-Dravidian)—यह नाम देते हैं। द्रविडों ने 'आदि-द्रविडों' को मद्रास से जब भगाया, तब वे खदेड़े जाकर मध्य-प्रदेश में

आ बसे और उनका नाम गोड हुआ। श्री अय्यर का कथन है कि कोचीन के कडर तथा पुलय एव नीलगिरि की तरफ रहने वाली उराली तथा कनिकर प्रजातियों में जो बाल पाये जाते हैं, वे 'नीग्रिटो'-तत्व के लक्षण हैं। गुहा, वेंकटाचार तथा अय्यर के इन कथनों का उत्तर देते हुए श्री मजूमदार कहते हैं कि अगर 'नीग्रिटो' प्रजाति का भारत की प्रजातियों में इतना महत्वपूर्ण स्थान था, तो क्या कारण है कि आज सिर्फ अडमन द्वीप को छोड़ कर इनका उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में कहीं नामो-निशान नहीं मिलता? रिजले ने कहा है कि मानवशास्त्र के अध्ययन में 'नीग्रिटो' का नाम हमारी उत्सुकता को, जिज्ञासा को, कितना ही बढ़ाता हो, परन्तु यहाँ की प्रजातियों के निर्माण में इस प्रजाति का कोई हाथ नहीं दीखता। 'नीग्रिटो' इतने साहसी नहीं थे कि वे भारत जैसे विशाल देश के मूल आधार बन जाते। मेजर मोलेस्वर्थ मनुष्य के भिन्न-भिन्न अंगों को माप कर 'मानव-मिति' (१ Anthropometry) द्वारा इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि अडमन की 'नीग्रिटो' प्रजाति का भारतीय-जनता के निर्माण में कोई हाथ नहीं रहा। सर विलियम टर्नर कपालो को माप कर 'कपालमिति' (२ Craniometry) द्वारा भी इसी परिणाम पर पहुँचे हैं। अय्यर महोदय ने बालों को देख कर 'नीग्रिटो'-तत्व भारत में होने की बात कही है, परन्तु कोचीन तथा नीलगिरि की कडर, पुलय, उराली तथा कनिकर जातियों के बालों की सूक्ष्म-वीक्षण-यंत्र से अब तक कोई परीक्षा नहीं हुई जिससे सिद्ध हो कि इनके बाल 'नीग्रिटो'-प्रजाति के हैं। सिर्फ घुंघराले बालों में कोई प्रजाति 'नीग्रिटो' नहीं बन जाती।

'नीग्रिटो' के भारतीय-प्रजातियों के आदि-वशज होने के हट्टन तथा गुहा के कथन की अय्यर महोदय ने घञ्जियाँ उडा दी हैं। उनका कथन है कि जिन प्रजातियों को हम 'नीग्रिटो'-वर्ग की कहते हैं, वे उस वर्ग की न होकर स्थानीय जनता की अभिन्न अंग हैं। अगर कहीं इने-गिने व्यक्तियों में कोई 'नीग्रिटो' लक्षण पाया भी जाता है, तो एक-आध में ऐसे लक्षण पाये जाने से यह नहीं कहा जा सकता कि यह 'प्रजाति' भारत की आधारभूत प्रजाति थी। दक्षिण-भारत में सर्वत्र 'प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड'-प्रजाति के लक्षण हर जगह दिखाई देते हैं, जिन्हें लोग 'नीग्रिटो' कहते हैं, वे भी 'प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड' ही हैं, अन्य कुछ नहीं। कोचीन के कडर, पुलय तथा नीलगिरी के उराली एव कनिकर को अय्यर ने तो 'नीग्रिटो'-रक्त का कहा है, परन्तु अय्यर का कथन है कि इन चारों में 'नीग्रिटो' के स्थान में 'ऑस्ट्रेलॉयड' लक्षण मौजूद है। आन्ध्र की रेड्डी, कोया तथा चेचु प्रजातियों में भी 'नीग्रिटो' लक्षण कहे जाते हैं, परन्तु श्री अय्यर का कथन है कि अगर इन प्रजातियों को साधारण आन्ध्रों के वस्त्र पहना दिये जायें, तो इन्हें कोई उनसे पृथक् प्रजाति का अर्थात् 'नीग्रिटो' नहीं कह सकता। इन के बाल तथा चेहरा-मोहरा सब ऑस्ट्रेलॉयड हैं, नीग्रिटो नहीं।

1 Anthropometry = Gk *Anthi opos*, a man, *metron*, measure

2 Craniometry = Latin *Cranium*, a skull, *metron*, measure

मोहनजोदड़ो में जो अस्थि-पंजर मिले हैं, उनसे भी यहाँ के आदि-वासियो की प्रजाति 'प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड' सिद्ध होती है, 'नीग्रिटो' नहीं। श्री वसु ने श्री गुहा के साथ मिल कर मोहनजोदड़ो के १५ अस्थि-पंजरो का अध्ययन किया। इन के अध्ययन का परिणाम यह था कि इन्हें इन पंजरो में दो प्रजातियो के लक्षण दिखाई दिये। एक प्रजाति के पंजरो का सिर लम्बा था, ऊँची खोपड़ी थी, प्रमुख भौंएँ थीं, ये संभवतः 'प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड' प्रजाति के थे, दूसरी प्रजाति के पंजर ऊँची, पतली नाक वाले थे, जो 'मैडीटेरेनियन' माने गये हैं। ज्यादातर इन पंजरों को इन दोनो प्रजातियो का मिश्रण पाया गया है। इन सब पंजरो में 'नीग्रिटो' लक्षण नहीं मिले। गेड्स का कथन है कि भारत के उत्तर से जिन जातियो ने इस देश में प्रवेश किया उनके साथ शूल्-शुरू के काल में ही यहाँ के 'प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड' का रक्त संबंध हो चला था और उन्हीं के पंजरो के अवशेष हमें मोहनजोदड़ो आदि में उपलब्ध हुए हैं। इन उपलब्ध अवशेषों में 'नीग्रिटो' के लक्षण नहीं पाये जाते। अगर 'नीग्रिटो' भारत के प्रारंभ के निवासी होते, तो ऊनी बाल, चौड़ा सिर, चपटी नाक, काला रंग उत्तर-भारत में आम पाया जाता। ऐसा न होना सिद्ध करता है कि यहाँ के आदि-वासी 'प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड' थे, 'नीग्रिटो' नहीं थे। 'प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड' अर्थात् 'आदि-द्रविड़'—ये 'द्राविड़ों' से भी पहले भारत में आये थे, और इन्हें 'द्राविड़ों' ने परास्त कर इस देश में अपना आधिपत्य जमाया था।

(२) 'बी' रक्त का भारत में अभाव—'लसी-विद्या' (Serology) के आधार पर भी यह कहना पड़ता है कि 'नीग्रिटो' इस देश की सब से प्राचीन प्रजाति नहीं है। 'नीग्रिटो' में 'बी' रक्त-समूह की प्रधानता पायी जाती है, परन्तु भारत की सब प्रजातियो में 'बी' रक्त-समूह की प्रधानता नहीं है। भारत के भीतरी भागों की प्रजातियो में 'ए' रक्त-समूह की प्रधानता है, और 'ऑस्ट्रेलॉयड' में भी 'ए' रक्त-समूह की प्रधानता है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस देश में 'ए'-प्रधान 'ऑस्ट्रेलॉयड'-प्रजाति से ही अन्य प्रजातियो की उत्पत्ति हुई है, 'बी'-प्रधान 'नीग्रिटो' प्रजाति ने नहीं। इस का यह मतलब नहीं कि भारत की प्रजातियो में 'बी' रक्त मिलता ही नहीं। मुण्डा और भील प्रजातियो में 'बी' रक्त की प्रधानता है, परन्तु 'बी' रक्त होने पर भी इन प्रजातियों के अन्य लक्षण 'नीग्रिटो' प्रजाति से नहीं मिलते। निर्फ रक्त की समानता के आधार पर ही तो किसी वर्ग की प्रजाति निश्चित नहीं की जा सकती। रक्त के आधार पर जिस प्रजाति का निश्चय किया जाय, उसकी भौतिक-मानव-शान्त्र से पुष्टि भी होनी चाहिए, तभी किसी वर्ग की प्रजाति निश्चित की जा सकती है। अगर रक्त के आधार पर हम किसी वर्ग को 'नीग्रिटो' घोषित करते हैं, परन्तु उसके बाल, उसका सिर, उनकी आँखें उस वर्ग की पुष्टि नहीं करतीं, तब हमारा उसे 'नीग्रिटो' घोषित करना युक्ति-सगत नहीं हो सकता। भारत की प्रजातियो में 'बी' रक्त जहाँ-जहाँ पाया जाता है, वहाँ-वहाँ उन प्रजातियो

का 'नीग्रिटो' से सबध होने के अतिरिक्त अन्य कारण हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, पहाडी इलाको की थारु प्रजाति में 'वी' रक्त पाया जाता है। यह इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि थारु लोग 'नीग्रिटो' हैं, परन्तु इसलिए पाया जाता है क्योंकि जहाँ-जहाँ मलेरिया होता है, वहाँ-वहाँ मलेरिया का मुकाबिला करने के लिए प्रकृति वहाँ के मनुष्यों में 'वी' रक्त को 'आकस्मिक-परिवर्तन' (Mutation) के नियम के अनुसार उत्पन्न कर देती है। जिसमें 'वी' रक्त होगा उस पर मलेरिया आक्रमण नहीं करेगा। थारु लोगों को मलेरिया नहीं होता। उन्हें मलेरिया के प्रदेशों में रहते-रहते सवियाँ बीत गईं, इसलिए प्रकृति ने उनके रक्त में मलेरिया के प्रति 'वी' रक्त द्वारा निरोध-शक्ति उत्पन्न कर दी। ऐसी हालत में किसी प्रजाति में 'वी' रक्त को देख कर उसका 'नीग्रिटो' से सबध जोड़ देना युक्ति-सगत नहीं है।

### ६ भिन्न-भिन्न प्रजातीय-तत्वों का भारत में सम्मिश्रण

हमने देखा कि भारत में भिन्न-भिन्न प्रजातीय-तत्वों का सम्मिश्रण पाया जाता है। यह अलग बात है कि कोई विद्वान् 'मगोल'-तत्व (किरात) पर विशेष बल देता है, कोई 'नीग्रिटो'-तत्व पर, कोई 'प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड'-तत्व (आदि-ब्रिड, निपाद) पर, कोई 'भूमध्यसागरीय'-तत्व (द्राविड) पर और कोई 'इंडो-आर्यन'-तत्व पर, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इन सब प्रजातियों के सम्मिश्रण से इस देश में एक सस्कृति ने जन्म लिया है, जो भारतीय-सस्कृति के नाम से पुकारी जाती है। भारतीय-सस्कृति इन सब प्रजातियों के रुधिर तथा विचारों के सम्मिश्रण से पैदा हुई है, इसमें सब सस्कृतियों पचा ली गई हैं, और इन्हे इस प्रकार पचाया गया है कि आज यह कह सकना कठिन है कि इस सस्कृति का कौन-सा तत्व इसका अपना है, कौन-सा अपना नहीं है। अस्ल में, प्रजातियों तथा उनकी सस्कृतियों का उत्थान इसी प्रकार हुआ करता है। जब दो या दो से अधिक प्रजातियाँ अपनी भिन्न-भिन्न सस्कृतियों को लेकर एक जगह पर मिलती हैं, तब दो प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। पहली प्रतिक्रिया तो यह होती है कि वे अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाये रखना चाहती हैं। वे एक-दूसरे से विवाह-सबध नहीं करतीं, एक-दूसरे के रीति-रिवाजों में भाग नहीं लेतीं, अपनी स्वतंत्र, शुद्ध सत्ता बनाये रखने का प्रयत्न करती हैं। यह प्रतिक्रिया 'अपसार' (Divergence) कहाती है। परन्तु जब एक जगह आ ही मिले, तब कब तक वे अलग-अलग रह सकती हैं। इसलिए पहले 'अपसार' की प्रतिक्रिया के बाद दूसरी 'अभिसार' (Convergence) की प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और इन प्रजातियों का आपस में मेल-पिलाप, रोटी-बेटी का व्यवहार, रीति-रिवाजों में सहयोग प्रारंभ हो जाता है। अगर किसी समाज में केवल अपने को पृथक् रखने की प्रतिक्रिया ही बनी रहे, तो वह उन्नति न कर सके, और नाय ही अगर वह अपने को दूसरे में मिटा ही दे, तब तो उसकी सत्ता ही न रहे। इसलिए स्वस्थ तथा प्रगतिगामी प्रजातियों में दोनों तरह की प्रतिक्रियाएँ

सदा चलती रहती है, और भारत में भी आदिकाल से यही नियम काम करता रहा है। प्रागैतिहासिक भारत में सब प्रजातियाँ आपस में लेती-देती रही हैं, एक-दूसरे में घुलती-मिलती रही हैं। यह तो हाल की बात है जब हमारे देश में एक-दूसरे से अपने को पृथक् करने की प्रवृत्ति की प्रवृत्ति हो गई। यहाँ की प्रजातियाँ किस प्रकार अपने में भिन्न प्रजातियों के साथ सम्मिश्रित होती रही हैं— इसकी कुछ चर्चा कर देना असंगत न होगा।

(१) नीग्रिटो प्रजाति की भारत को देन—श्री हट्टन तथा गुहा के कथनानुसार भारत में बाहर में आने वाली सब से पहली प्रजाति 'नीग्रिटो' है। श्री मजूमदार इस बात को नहीं मानते, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह पहली हो, या न हो, इस प्रजाति के लक्षण भारत में कहीं-कहीं पाये जाते हैं। आफ्रीका से अरब के रास्ते होते हुए 'नीग्रिटो' भारत में आये और यहाँ से मलाया, हिन्द-द्वीप-समूह होते हुए न्यू गिनी तक चले गये। इस समय इनके कुछ अवशेष अडमन द्वीप में मौजूद हैं। इन लोगों की सभ्यता बहुत अविक्सित दशा में थी, ये 'पूर्व-पाषाण-युग' की सभ्यता को लेकर यहाँ आये थे, पत्थर, हड्डी के अनघट हथियार तथा तीर-कमान के सिवाय इन्हें कुछ ज्ञान न था। खेती, मट्टी के बर्तन बनाना तथा भवन-निर्माण का भी इन्हें ज्ञान न था। ये लोग गुफाएँ बना कर रहते थे। ऐसी हालत में ये क्या देन भारत को देते। इसीलिए इनके लक्षण यद्यपि कहीं-कहीं पाये जाते हैं, तो भी बहुत थोड़े। विद्वानों का कथन है कि ये लोग वट-वृक्ष की पूजा करते थे। इस पूजा का उद्देश्य सन्तान प्राप्त करना तथा मृतको को सद्गति प्रदान करना था। इन विद्वानों का कथन है कि भारतीय-संस्कृति में वट-वृक्ष की पूजा का चलन इस 'नीग्रिटो' प्रजाति से ही प्रारंभ हुआ।

(२) प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड (आदि-द्राविड, आग्नेय या निपाद) प्रजाति की भारत को देन—डा० मजूमदार तथा अन्य मानवशास्त्री 'नीग्रिटो' को भारत की प्रथम प्रजाति न मान कर 'प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड' प्रजाति को आदिप्रजाति मानते हैं। ये प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड कौन थे? डा० मजूमदार का कथन है कि सभ्य है, यूरोप के 'नियेन्डरथल-मानव' का अनुवशज 'प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड' हो, और 'प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड' का अनुवशज 'ऑस्ट्रेलॉयड' हो। जो-कुछ भी हो, 'प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड' प्रजाति का भारत की सभ्यता में महत्वपूर्ण स्थान है। ये लोग 'नव-पाषाण-युग' की सभ्यता को लेकर इस देश में आये। ये पत्थरों को घिस कर उनके धारदार औजार बनाते थे, कुदाल में जमीन को खोद कर खेती करते थे, कुम्हार के चाक से मट्टी के गोल-गोल घड़े, बर्तन आदि बनाते थे। उत्तर-भारत में जहाँ-जहाँ खुदाई हुई है, इनके उपकरण प्रायः हर जगह उपलब्ध हुए हैं। भारत को ये वस्तुएँ इस प्रजाति की देन हैं। इस समय भी विन्ध्य-पर्वत के पूर्वी-भाग में सन्याल, मुण्डा, भूमिज, विरहोर, अनुग, अगर, कोरवा आदि प्रजातियाँ 'प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड'-भाषा बोलती हैं। श्री नुनीतिकुमार चैटर्जी के कथनानुसार इस प्रजाति की भाषा के अनेक शब्द भारत की प्रचलित भाषाओं में पाये जाते हैं जिससे प्रतीत होता है कि कुदाली



और खेती के साथ-साथ कृषि के ये शब्द और ये चीजें भी इसी प्रजाति की देन हैं। उदाहरणार्थ, धान, केला, नारियल, बंगन, पान, तोरी, नींबू, जामुन, कपास—ये सब इसी प्रजाति से अपने देश को मिले हैं। इसी प्रजाति ने हाथी को पालतू बनाया। इसी प्रजाति से संस्कृत भाषा को वाण, लकुट (लाठी), शाल्मली (सिबल), कृकवाकु (मुर्गा), गज (हाथी), ताम्बूल (पान), वंतगन (बंगन), कवली (केला) आदि शब्द मिले।

भौतिक-क्षेत्र में जैसे खेती तथा पशु-पालन इस प्रजाति ने भारतीय-संस्कृति को प्रदान किये, वैसे सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्र में भी अनेक चीजें इस प्रजाति की देन हैं। पान-सुपारी का व्यवहार तथा विवाहोत्सव में सिन्दूर और हल्दी का प्रयोग इसी प्रजाति से लिया गया है। पुनर्जन्म का विचार, ब्रह्मांड तथा सृष्टि की उत्पत्ति सवधी अनेक दन्तकथाएँ, कच्छपावतार की कल्पना, पत्यर को देवता बनाकर पूजना, नाग, मगर, वन्दर आदि पशुओंकी पूजा, 'वर्जन' (Taboo) का विचार जिसके अनुसार कोई वस्तु ग्राह्य और कोई अग्राह्य मानी जाती है—ये सब आदि-द्राविडों की भारतीय-संस्कृति को देन हैं। श्री सुनीतिकुमार चैटर्जी का कथन है कि भारतीय-संस्कृति में 'गंगा'-शब्द भी आदि-द्राविड या आग्नेय-संस्कृति से आया है। भारत से लेकर दक्षिणी-चीन तक आग्नेय-परिवार की जितनी भाषाएँ हैं, उनमें नदी के लिए 'गंगा' से मिलते-जुलते ही शब्द पाये जाते हैं। हिंद-चीनी में नदी के लिए 'खोग', दक्षिणी चीनी में 'कांग'—ये शब्द हैं। अपने देश में किसी भी नदी में नहाने को गंगा-स्नान कहा जाता है। चन्द्रमा के हिसाब से तिथि का परिगणन भी इसी सभ्यता की देन है। पूर्ण चन्द्र के लिए 'राका' तथा नवीन चन्द्र के लिए 'कुह'-शब्द आग्नेय-परिवार से ही आये हैं।

(३) मैडोटेरेनियन (द्राविड) प्रजाति की भारत को देन—आदि-द्राविडों के बाव भारत में द्राविड आये। मैडोटेरेनियन अर्थात् भूमध्यसागर से आने वाली प्रजाति का नाम 'आदि-द्राविड' इसलिए रखा गया है क्योंकि ये द्राविडों से पहले आये, इनका द्राविडों से किसी तरह का सम्बन्ध नहीं है। 'द्राविड' लोग 'आदि-द्राविडों' से सभ्यता में बढ़े-चढ़े थे, नगर-निर्माण-कला में निष्णात थे। आजकल तो द्राविड-प्रजाति के लोग मद्रास की तरफ ही मिलते हैं, परन्तु आदि-काल में ये उत्तर-भारत तक फैले हुए थे। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में कलात एक प्रदेश है। इस कलात में 'ब्राहुई' भाषा बोली जाती है, जो द्राविड वंश की है। कहां दक्षिण भारत और कहां भारत का पश्चिमी कोना। अगर दक्षिण और पश्चिम दोनों जगह द्राविड भाषा पायी जाती है, तो इसका यही अर्थ हो सकता है कि किसी समय संपूर्ण भारत में द्राविड लोग रहते थे। भूमध्यसागर से आयी इस प्रजाति को जो किसी समय संपूर्ण भारत में छापी हुई थी, द्राविड क्यों कहते थे? इसका कारण यह बताया जाता है कि भूमध्यसागर की एक प्रजाति जिम्का नाम लिसियन था अपने को त्रिमिली कहती थी। यही भूमध्यसागरी त्रिमिली प्रजाति भारत में

आकर तामिल कहलाई और 'तामिल' से 'द्राविड'-शब्द बनने में देर न लगी। 'तामिल' का ही अपभ्रंश 'द्राविड' है।

अब तक भारत में पूजा-पाठ की जो विधि चल रही थी उस पर द्राविडों ने नई पंखन्द लगाई। 'पाषाण-युग' की स्मृति को मानो तरौताजा रखने के लिए पत्थर को देवता का प्रतीक मान कर उस पर नवैद्य चढ़ाना, उसे सिन्दूर और चन्दन लगाना, उसके सम्मुख घूप-दीप जलाना, घटा-घडियाल वजाना, उसके सामने भक्त होकर नाचना-गाना, मूर्ति को भोग लगाना और उस पर चढा भोग प्रसाद के रूप में बाँटना—ये सब द्राविडों की भारतीय सस्कृति को देन हैं। ये आर्य पूजा-पाठ की विधि न होकर द्राविड विधियाँ हैं, परन्तु सब सस्कृतियों को आत्मसात् करने वाले इस देश में इसे अपना कर द्राविड-सन्न्यता को भी पचा लिया गया है।

कुछ विद्वानों का कथन है कि शिव जी द्राविड देवता थे। दक्ष के यज्ञ में शिव जी नहीं बुलाये गये, इसलिए शिव के गणों ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यह पौराणिक कथा सिद्ध करती है कि आर्यों के भारत में आने के बाद बहुत देर तक उन्होंने शिव को देवताओं की पक्ति में नहीं सम्मिलित किया था। श्री क्षितिमोहन सेन ने लिखा है कि आर्य भारत में आक्रान्ता बन कर आये थे। उनके साथ स्त्रियाँ कम थीं। उन्होंने यहाँ की द्राविड स्त्रियों से विवाह शुरू कर दिया। द्राविड स्त्रियाँ शिव की उपासिका थीं। उन्होंने आर्य-ऋषियों को शिव की पूजा के लिए बाधित किया और इस प्रकार शिव-लिंग की पूजा जो द्राविड संस्कृति का अंग थी, आर्यों की संस्कृति में प्रविष्ट हुई। पद्म, स्कन्द, शिव पुराण में लिखा है कि ऋषियों ने शिव-लिंग पूजा को आर्य-धर्म में न आने देने का काफी प्रयत्न किया, परन्तु क्योंकि ऋषियों की द्राविड पत्नियाँ अपने पितृ-कुल के आचार को छोड़ना नहीं चाहती थीं, इसलिए आर्यों ने भी शिव-लिंग की पूजा को अपना लिया।

इसी प्रकार भक्तिवाद का मूल भी द्राविड-प्रजाति में पाया जाता है। उसी से यह भारतीय संस्कृति में प्रविष्ट हुआ। पद्म-पुराण में भक्तिवाद के लिए लिखा है—“उत्पन्ना द्राविडे चाहं कणाटि वृद्धिमागता, स्थिता किञ्चिन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता”—अर्थात्, द्राविड देश में नैरा जन्म हुआ, कर्नाटक में कुछ बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मैं कुछ देर टिकी और गुजरात में आकर जीर्ण हो गई। इसका अभिप्राय यही प्रतीत होता है कि भक्तिवाद का प्रारंभ द्राविडों में हुआ और इस भक्तिवाद को भारतीय-संस्कृति ने अपना अंग बना लिया।

(४) मंगोल (किरात) प्रजाति की भारत को देन—मंगोल लोग जब भारत में आये तब यहाँ की संस्कृति का पर्याप्त विकास हो चुका था। ये लोग किसी खास प्रकार की सन्न्यता को लेकर नहीं आये, इसलिए ये भारतीय-संस्कृति में कोई वृद्धि नहीं कर सके। इन का निवासस्थान तिब्बत और बर्मा है। इस प्रजाति की भारत में तीन शाखाएँ विद्यमान हैं—तिब्बत-हिमालयी, आसामोत्तरक तथा आसाम-बर्मों। इन का विस्तार भारत की उत्तरी तथा उत्तर-पूर्वी सीमाओं

जो भारतीय विधान को जलाते फिरते हैं ब्राह्मणों के विरुद्ध प्रचार करते हैं और राष्ट्रीय-ध्वज का अपमान करते हैं ।

मानव-शास्त्र की दृष्टि से भारत में भिन्न-भिन्न नृ-वंश, नस्लें, प्रजातियाँ हैं, और रही हैं । इनमें आपस में लेन-देन होकर वे एक-दूसरे में आत्म-विलय करती रही हैं, और एक-दूसरे को आत्मसात् भी करती रही हैं, इनमें 'अभिसार' तथा 'अपसार' की प्रक्रिया होती रही है, ये अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को भुला-भुला कर कभी-कभी याद भी करने लगती हैं । यह प्रक्रिया चलती रहेगी, तबतक चलती रहेगी जब तक हम रंग के भेद को, जन्म के भेद को भुला नहीं देंगे । सस्कृति की दृष्टि से तो हम भूल चुके हैं कि कौन-सी बात किस सस्कृति की थी, भाषा की दृष्टि से भी हम एक-दूसरे के अधिक निकट आते चले जा रहे हैं, परन्तु अभी हममें यह भावना बनी हुई है कि अमुक व्यक्ति मेरी नस्ल का है, अमुक व्यक्ति मेरी नस्ल का नहीं है । मानव-समाज की प्रगति धीरे-धीरे इस प्रकार के प्रजाति-भेद को भूलने की तरफ बढ़ रही है ।

## आर्य-प्रजाति का आदिम निवास-स्थान

(ORIGINAL HOME OF ARYAN RACE)


हम पिछले अध्याय में भारत की प्रजातियों के सवध में लिख आये हैं। इनमें नौडिक प्रजाति की वह शाखा जो भारत की तरफ आयी, उसे 'इडो-आर्यन' प्रजाति का नाम दिया जाता है। ये आर्य लोग भारत में कहां से आये—इस संबंधमें विद्वानों के अनेक मत हैं। यूरोप के विद्वान् इसी पक्षके समर्थक हैं कि ये आर्य भारत में आक्रान्ता बन कर आये, इन्होंने यहां के आदिवासियों के साथ युद्ध किया, उन्हें परास्त किया और इस देश में बस गये। इसके बाद इन्होंने कुछ अपना लिया, कुछ आर्यों का लिया और भारत में एक संस्कृति का अम्युदय हुआ। मानवशास्त्रियों के लिए इस प्रजाति के विषय में सब से बड़ी समस्या यह रही है कि यह आर्य-प्रजाति, जो भारत में ही नहीं समस्त संसार में फैली, इसका मूल-निवास-स्थान कहां था? हम भी क्योंकि भारत में आर्य-प्रजाति का बहुत प्रबल स्थान देखते हैं, इसलिए हमारे लिए भी यह प्रश्न कम महत्व का नहीं है। इसी दृष्टि में हम इस अध्याय में आर्यों के मूल-स्थान के सवध में जो नाना विचार हैं, उन पर प्रकाश डालेंगे। आर्यों के आदिम-निवास-स्थान के साथ ही इडो-आर्यन के निवास-स्थान का प्रश्न अपने-आप हल हो जाता है, क्योंकि जो आर्य भारत में आकर बस गये, उन्हीं का नाम 'इडो-आर्यन' है।

आर्यों के निवास-स्थान के सम्बन्ध में विद्वानों के पाम सिर्फ तीन तरह की साक्षियाँ हैं। पहली साक्षी 'भाषा-शास्त्र' की है। भाषा-शास्त्र के आधार पर वे यह निश्चिन्त करते हैं कि जिन लोगों की एक-ही भाषा पायी जाती है, उनकी एक-ही प्रजाति होगी। क्योंकि भारत, ईरान तथा यूरोप में पायी जाने वाली संस्कृत, पार्शियन, लैटिन, ग्रीक भाषाओं में समानता है, इसलिए इन भाषाओं को बोलने वाले सब लोग कभी कहीं एक-ही स्थान पर रहे होंगे। यह ठीक है कि भाषा एक होने पर भी प्रजाति-भेद हो सकता है, और प्रजाति एक होने पर भी भाषा-भेद हो सकता है, परन्तु यह बात आजकल की विकसित सभ्यताओं में ही संभव है। जब सभ्यता का आदिकाल था, उस समय तो एक-प्रजाति और एक-भाषा की ही अधिक संभावना थी। इसलिए अगर भाषा-शास्त्र के आधार पर यह मान लिया जाय कि भारत, ईरान और यूरोप के लोगों का आदिम-स्थान एक ही था, तो उनके निवास-स्थान की समस्या को हल करने वाली विद्वानों के पाम दूसरी साक्षी यह है कि इस आर्य-

प्रजाति के शब्द-कोष तथा साहित्य में जिस प्रकार के वृक्षो, पशुओ, नर्दयो, जगलो, जातियो के चित्र खींचे गये हैं या जिनका वर्णन इनके साहित्य में जाता है, वे जहा हो वहीँ पहले-पहल यह आर्य-जाति निवास करती होगी। अतिरिक्त भाषा तथा साहित्य भी तो सब जगह नहीं पाया जाता, इ तीसरी साक्षी जिस पर विद्वान् अपनी अटकल लडाते हैं यह है कि जो भूमि प्र काल में रहने लायक होगी, वहीँ तो प्राचीन-काल के लोग निवाम करते हो भूमि निवास करने लायक ही नहीं रही होगी, वहाँ वे रह ही कहाँ सकते हो तीनों साक्षियाँ जहाँ समान रूप से पायी जायें, वही आर्यों का आदिम-निवास माना जाना चाहिए।

इन तीनों साक्षियो में सब से प्रबल साक्षी विद्वानो के लिए भाषा-की रही है। इस साक्षी के १८वीं सदी के अन्त में प्रजाति-निर्धारण के आते ही पाश्चात्य-विद्वानो में एक तहलका-सा मच गया। सबसे पहले विद्वान् केअर्दु ने १७६७ में विद्वानो का ध्यान इस बात की तरफ खींचा कि : लैटिन तथा ग्रीक में शब्दो की ही नहीं, व्याकरण की भी समानता है। बाद १७८६ में वगाल के प्रधान-न्यायाधीश सर विलियम जोन्स ने इस का प्रतिपादन किया और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ वगाल के सामन् आशय का एक निबन्ध पढा। उन्होने बताया कि सस्कृत में 'पितृ', लै 'पितर', ग्रीक में 'पतेर', ज़िन्द में 'पैतर', अग्रेज़ी में 'फादर' मिलते-जुलते श इसी प्रकार 'मातृ', 'भ्रातृ', 'स्वसा', 'दुहिता' आदि शब्दो की इन भाष समानता की तरफ उन्होने विद्वानो का ध्यान खींचा। रिश्तेदारी के इ शब्दो में असाधारण समानता के कारण यह सब ने स्वीकार किया कि लैटिन, ईरानियन तथा अन्य आर्यन प्रजातियो का मूल अवश्य एक रहा सर विलियम जोन्स की इस स्थापना पर हीगल ने तो यहाँ तक कह डाला स्थापना एक नवीन-आविष्कार से किमी प्रकार कम नहीं। अगर इन प्रजा शब्दो में, इन की भाषा के व्याकरण में इतनी महान् समानता है, तो यह स्मिक नहीं हो सकती। विद्वानो ने इस समानता के आधार पर एक प निकाला। उन्होंने कहा कि ये भिन्न-भिन्न भाषाएँ अवश्य किसी एक मूल-निकली होगी और जिस प्रजाति की मूल-भाषा से ये निकली होगी, वही असल में आर्य-नस्ल रही होगी, और जहाँ वह आर्य-नस्ल रही होगी, वही जाति का मूल-निवास-स्थान कहा जा सकता है। ये विद्वान् यह नहीं मा सस्कृत से ग्रीक, लैटिन, पर्शियन आदि निकली है, यह भी नहीं मानते कि लैटिन आदि से सस्कृत आदि भाषाएँ निकली हैं। इन सब भाषाओ को तो ये भाषाएँ मानते हैं, परन्तु इनका उद्भव किसी एक आर्य-भाषा से मानते सस्कृत, ग्रीक, लैटिन, पर्शियन आदि सब भाषाओ की जननी है। उनका न का वर्गीकरण निम्न प्रकार है —

मूल आर्य-भाषा  
(सब आर्य-भाषाओं की जननी)



उक्त चित्र से स्पष्ट है कि संस्कृत, पर्सियन, ज़न्द, ग्रीक, लैटिन, इटैलियन, फ्रेंच, स्पेनिश, वेल्श, आइरिश, गैलिक, ब्रेटन, जर्मन, स्लावोनिक आदि एशिया तथा युरोप की सब भाषाएँ किसी एक मूल-भाषा से निकली हैं जो इन सब की जननी है। यह मूल आर्य-भाषा जो लोग बोलते थे, वे शुद्ध-शुरू के आर्य थे, उन्हीं की मन्तान भिन्न-भिन्न देशों में बिखर गई। प्रश्न यह रह जाता है कि आर्यों के ये पूर्वज कहाँ रहते थे? इस सत्रघ में कई विचारक युरोप का कोई देश इनका निवास-स्थान मानते हैं, कई एशिया का कोई देश। युरोप में इनका निवास-स्थान मानने वाले डैन्यूव नदी की घाटी अर्थात् हगरी का मैदान, दक्षिणी रूस तथा जर्मनी में से किसी स्थान को आदि-आर्यों का निवास-स्थान सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। एशिया में इनका निवास-स्थान मानने वाले मध्य-एशिया, पामीर-प्रदेश आदि में से किसी स्थान को आदि-आर्यों का निवास-स्थान सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। कई भारतीय विद्वान् सप्त-सिन्धु-देश अर्थात् भारत को यह श्रेय देते हैं और कहते हैं कि इसी देश ने चारों तरफ आर्य लोग अपनी भाषा तथा संस्कृति को लेकर फैले। श्री वाल गगाधर तिलक उत्तरी-भ्रुव को आर्यों का आदि-निवास-स्थान मानते हैं। हम इनमें से मुख्य-मुख्य विचारों को लेकर उन पर कुछ प्रकाश डालेंगे।

१ हगरी का मैदान या डैन्यूव नदी की घाटी

हगरी या डैन्यूव नदी की घाटी के प्रदेश को श्री गाइल्ल ने आर्यों का आदि निवास-स्थान सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। 'कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया'

के प्रथम भाग में इसी मत का प्रतिपादन किया गया है। श्री गाइल्स का कथन है कि डैन्यूव नदी की घाटी में जो लोग निवास करते थे, उनकी भाषा से हमें ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासी किन-किन पशुओं तथा वनस्पतियों एवं वृक्षों से परिचित थे। पशुओं में ये गाय, बिल, भेड़, घोड़ा, कुत्ता, सुअर, हिरण, गधा, खच्चर, हाथी से परिचित थे, जंगली पशुओं में भेड़िया तथा भालू का इन्हें ज्ञान था, बाघ व सिंह से वे अपरिचित थे, वत्सल तथा गिट्ट को वे जानते थे। वनस्पतियों में गेहूँ तथा जौ को ये लोग अपने इस्तेमाल में लाते थे। यह क्षेत्र गिरि-शृङ्खला तथा जल द्वारा अन्य प्रदेशों से अलहदा था। इस क्षेत्र में जो पशु-पक्षी तथा वृक्ष-वनस्पति उत्पन्न होते थे, वे शीतोष्ण कटिबन्ध के प्रदेश में ही उत्पन्न हो सकते थे। ऐसा प्रदेश यूरोप में हंगरी के सिवाय और दूसरा कौन है? इस युक्ति के आधार पर श्री गाइल्स ने डैन्यूव नदी की घाटी को प्राचीन-आर्यों का निवास-स्थान घोषित किया और कहा कि आर्यों की प्रजाति की धाराएँ इसी स्थान से दुनियाँ के कोने-कोने में बहीं।

श्री गाइल्स की यह विचार-धारा बहुत-कुछ इसलिए है क्योंकि वे यूरोप के वासी हैं। यूरोपियन लोगों को भी यह इसीलिए अपील करती है, क्योंकि इससे उनको आत्म-गौरव अनुभव होता है, अन्यथा जैसी प्राकृतिक-परिस्थिति का उन्होंने वर्णन किया है वैसी प्राकृतिक-परिस्थिति भारत तथा अन्य देशों में भी पायी जाती है।

## २ दक्षिणी रूस

श्री नेह्रिंग, प्रो० मायर्स तथा प्रो० चाइल्ड ने कैस्पियन सागर के पूर्व, रूस के दक्षिणी हिस्से में आदिम आर्यों के निवास-स्थान की कल्पना को जन्म दिया। यूक्राइन में कुछ पात्र मिले हैं जो ३ हजार ईस्वी पूर्व के हैं। इनके तथा अन्य पुरातत्व-सबधी अवशेषों के आधार पर उक्त कल्पना की गई है। इन पुरातत्व-सबधी अवशेषों के अतिरिक्त तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के आधार पर भी प्रो० मायर्स ने दक्षिणी रूस के आदिम-आर्यों के निवास-स्थान होने की कल्पना को पुष्ट किया है। इस स्थान के लोग कृषि करने लगे थे, वस्तियाँ बसा कर रहते थे, पत्थरों के अतिरिक्त धातु के उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। भेड़, बकरी, गाय, घोड़े को पालतू बना चुके थे। कैस्पियन सागर के पूर्व, दक्षिणी-रूस के हिस्से में भिन्न-भिन्न स्थानों पर कुछ समाधियाँ मिली हैं। प्रो० चाइल्ड का मत है कि ये समाधियाँ आर्य लोगों की ही बनाई हुई हैं। आर्य-लोग दक्षिणी रूस के इसी स्थान से समार के अन्य स्थानों में फैले। प्रो० गाइल्स ने, जिनका जिक्र ऊपर डैन्यूव नदी के सिलसिले में आ चुका है, इस मत का यह कह कर खडन किया है कि जो बातें आर्यों के आदि-निवास की पहचान के लिए कही जाती हैं वे दक्षिणी रूस के इस प्रदेश में नहीं मिलतीं। इस सब के बावजूद पाश्चात्य-विद्वानों का झुकाव इसी मत की तरफ है।

### ३. स्कैन्डीनेविया

श्री पेन्का ने यह कल्पना की है कि प्राचीन-आर्यों का मूल-स्थान जर्मनी या जर्मनी का आस-पास का कोई प्रदेश था। उनकी स्थापना के अनुसार स्कैन्डीनेविया ही ऐसा प्रदेश है जहाँ से आदि-आर्य पृथ्वी के सब भागों पर फैलने प्रारंभ हुए। पेन्का तथा इनके समर्थकों का कहना है कि 'पूर्व-पाषाण-युग' के समाप्त होने के बाद जब 'नव-पाषाण-युग' प्रारंभ हुआ, उसी युग में आदि-आर्य प्रकट हुए। इस युग के उपकरण स्कैन्डीनेविया में, पश्चिम बाल्टिक समुद्र के किनारे तथा जर्मन-प्रदेशों में उपलब्ध होते हैं, अतः ये प्रदेश ही आदि-आर्यों के निवास-स्थान हो सकते हैं। परन्तु 'नव-पाषाण-युग' के ध्वसावशेष तो जर्मन-प्रदेशों को छोड़ कर अन्य प्रदेशों में भी पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, न्यू जीर्लैण्ड में भी 'नव-पाषाण-युग' के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पोलैण्ड, युक्राइन में भी 'नव-पाषाण-युग' के ज्यामितिक आकार के पात्र उपलब्ध हुए हैं। भारत के विषय में लिखते हुए हम बतला आये हैं कि 'नव-पाषाण-युग' के ज्यामितिक आकार के पात्र भारत में भी पाये गये हैं। इन सब कारणों से उक्त प्रदेशों में से एक को क्या, सब को आदि-आर्यों का निवास-स्थान घोषित करना पड़ेगा। असल में, इन सब स्थानों पर आर्य पहुँचे थे—इसमें सन्देह नहीं। परन्तु इन सब दूर-दूर के स्थानों में एक-सरीखे 'नव-पाषाण-युग' के उपकरण मिलते हैं इसी से सिद्ध होता है कि यद्यपि ये सब प्रजातियाँ एक ही थीं, तो भी वे इन स्थानों की न होकर किसी अन्य स्थान से इन स्थानों में पहुँची थीं, अन्यथा इन उपकरणों में समानता क्यों है? समानता का कारण तो यही हो सकता है कि ये सब किसी एक समान स्थान से आये हों।

### ४ मध्य-एशिया

पाश्चात्य-देशों में जिन-जिन स्थानों को आर्यों का आदि-निवास कहा जाता है उसका वर्णन हमने किया। तुलनात्मक भाषा-शास्त्र का जब ने प्रारंभ हुआ तब से यह विचार पैदा हुआ कि आर्य-भाषाएँ बोलने वाले सब एक रक्त के हैं, और उनका आदि-स्थान ढूँढा जाने लगा। यूरोप के विद्वानों के लिए यह विषय आत्म-सम्मान का था इसलिए अनेक विद्वानों ने यूरोप के किसी देश में इस आदि-स्थान को ढूँढने का प्रयत्न किया, परन्तु इन स्थानों में से कोई स्थान ऐसा प्रतीत नहीं होता, जिसे निश्चित तौर पर आर्यों का आदि-निवास-स्थान कहा जा सके। यूरोप के अतिरिक्त अन्य स्थान जिधर विद्वानों का ध्यान गया, 'मध्य-एशिया' हैं। मध्य-एशिया में ईरान से उत्तर तथा कैस्पियन सागर के पूर्व में दैक्त्रिया नामक एक प्रदेश है। मैकमूलर ने मध्य-एशिया के इस प्रदेश को आर्यों का आदि-निवास घोषित किया। उनका कहना था कि ऋग्वेद ही ऐसा ग्रन्थ है जो प्राचीन-आर्यों के इतिहास में सब से प्राचीन है। पारसियों के धर्म-ग्रन्थ का नाम जिन्दावत्या है। ऋग्वेद तथा जिन्दावत्या में शब्दों की इतनी समानता है कि यह कहना अमगत न होगा कि ऋग्वेद तथा जिन्दावत्या के आर्य दोनों किसी समय एक ही जगह रहते



खत्तनी जातियाँ एक-दूसरे के पास-पड़ोस में थीं इसलिए इनका आपस में सघर्ष भी चलता था। १३८० ई० पू० के लगभग इनकी आपस में सन्धि हो गई। यह सन्धि मट्टी की तख्तियों पर उत्कीर्ण है। यह सन्धि मित्तनी के राजा दशरत्त के पुत्र मतिउत और खत्ती के राजा सुवुलुलिम के बीच हुई है। इन पट्टियों पर सन्धि के साक्षी के रूप में मित्र, वरुण, इन्द्र और नासत्यौ—इन देवताओं का उल्लेख है। इन देवताओं के नामों को लिखा भी अपने विशेष ढग से गया है। मित्र को मि-इत्-अस्, वरुण को व-अर-र-उण-अस, इन्द्र को इन्-द-र, नासत्यौ को ना-स-अति-इय—इस प्रकार लिखा गया है। प्राचीन-काल में वैदिक पदों को इस प्रकार लिखने और पढ़ने की प्रथा थी। ये पट्टियाँ वोगजकोई स्थान पर मिली हैं। इन पट्टियों से यह सिद्ध होता है कि मध्य-एशिया की ये मित्तनी तथा खत्तनी प्रजातियाँ आर्यों की ही शाखाएँ थीं, तभी तो वैदिक देवताओं को जो ऋग्वेद में पाये जाते हैं, साक्षी रख कर वे सन्धि करती थीं।

वोगजकोई में मट्टी की तख्तियों पर उत्कीर्ण एक पुस्तक भी मिली है जिसका विषय रय-चालन है। यह पुस्तक मित्तनी-प्रजाति के किक्कुली नामक व्यक्ति की लिखी हुई है। इस पुस्तक में पहियों के घूमने के लिए 'आवर्तन्न' शब्द का प्रयोग किया गया है जो संस्कृत का 'आवर्तन' है। इसी प्रकार इस पट्टी पर एक-चक्कर के लिए 'ऐकवर्तन्न', तीन-चक्करो के लिए 'तेरवर्तन्न', पाँच-चक्करो के लिए 'पज-वर्तन्न', सात-चक्करो के लिए 'सत्तवर्तन्न' शब्दों का प्रयोग किया गया है। इससे भी सिद्ध होता है कि मध्य-एशिया की इस मित्तनी प्रजाति की भाषा संस्कृत से मिलती-जुलती थी और कभी मध्य-एशिया आदि-आर्यों का निवास-स्थान था।

एल-अमरना स्थान पर कुछ तख्तियाँ मिली हैं जिन पर मित्तनी राजाओं के नाम उत्कीर्ण हैं। इन नामों में अर्ततम, दशरत्त आदि नाम मिले हैं। ये भी संस्कृत नाम हैं।

ऊपर हमने जो विवरण दिया उससे स्पष्ट है कि मध्य-एशिया की कस्साइट, मित्तनी तथा खत्तनी प्रजातियाँ आर्य थीं और इनका निवास-स्थान मध्य-एशिया का ही कोई प्रदेश था।

#### ५ सप्त-सैन्धव या भारत

आर्यों का आदि-स्थान सप्त-सिन्धु देश था, वह देश जिसमें सरस्वती, शतद्रु (सतलज), विपासा (व्यास), परुष्णी (रावी), असिक्नी (चिनाव), वितस्ता (जेहलम) और सिन्धु (सिन्ध) बहती थीं—यह स्थापना श्री अविनाश चन्द्र दास ने 'Rigvedic India'-नामक पुस्तक में की है। यह प्रदेश भारत का पंजाब प्रान्त है जिसका बहुत बड़ा हिस्सा अब पाकिस्तान में चला गया है। श्री गगानाय झा, डा० एल० डी० कल्ला तथा श्री डी० ए० त्रिवेदी भी इसी पक्ष के समर्थक हैं।

श्री अविनाशचन्द्र दास ने भूगर्भ-शास्त्र के प्रमाणों से यह दर्शाया है कि किसी समय वर्तमान राजपूताना के रेगिस्तानी प्रदेश में समुद्र था। इसी प्रकार

पूर्वी उत्तर-प्रदेश, विहार और बंगाल के प्रदेशों में भी समुद्र था। राजपूताना के समुद्र को दक्षिणी-समुद्र और पूर्वी उत्तर-प्रदेश, विहार, बंगाल के समुद्र को आर्य लोग पूर्वी-समुद्र कहते थे। ऋग्वेद में पूर्वी-समुद्र और दक्षिणी-समुद्र का वर्णन आता है, यह भारत के ही इन दो समुद्रों का वर्णन है। जो लोग भारत को आर्यों का आदि-निवास-स्थान मानते हैं, उनका कहना है कि ऋग्वेद में इन दो समुद्रों का वर्णन सिद्ध करता है कि जिस काल में उक्त प्रदेशों में समुद्र था, उस काल में ऋग्वेद बना, और उस काल में आर्य लोग सप्त-सिन्धु प्रदेश में रहते थे। इसी सप्त-सिन्धु प्रदेश से कालान्तर में आर्य लोग देश-देशान्तर में फैले। भारत की अनुश्रुति भी यही है—‘एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन, स्व-स्व चरित्रं शिखेरन् पृथिव्या सर्वमानवा’—पृथ्वीभर के मानव इस देश में उत्पन्न हुए पुरुषों में ही सब-कुछ सीखे। मयंसमूलर ने जैसे वैदिक तथा जिन्दावस्था के देवताओं की समानता दर्शा कर मध्य-एशिया को आर्यों का मूल-स्थान सिद्ध किया है, वैसे ही श्री अविनाश चन्द्र दाम ने इन्हीं समानताओं के आधार पर भारत को पार-सियों तथा वैदिक आर्यों का मूल-स्थान कहा है। उनका कहना है कि आर्यों की एक शाखा ‘असुर’ की उपासक थी, वे अपने देवता को ‘अहुर्मज्द’ (असुर महत्) कहती थी और उसीकी पूजा करती थी। वैदिक आर्य इन्द्र आदि देवताओं की पूजा करते थे। इस बात पर दोनों का संघर्ष छिड़ गया और वैदिक आर्यों ने असुर की उपासना करने वाले आर्यों को भारत से मार भगाया। वे लोग यहाँ से ईरान जाकर बस गये। जैसे असुर के उपासक ईरान जा बसे, वैसे आर्यों की एक और शाखा थी जिसे वेदों में ‘पणि’ कहा गया है। ये ‘पणि’ क्या थे, वणिक् थे, व्यापारी थे। ये लोग भी व्यापार में कुशल होने के कारण देश-विदेश में व्यापार करने के लिए जाने लगे और पश्चिम में जाकर फिनीशिया में जा बसे। इन्हीं को ‘प्यूनिक’ कहा जाता है। ‘प्यूनिक’-शब्द वैदिक ‘पणि’ (वणिक्) का ही अपभ्रंश है।

आर्यों का आदि-स्थान मध्य-एशिया था इस संबंध में हमने जो युक्तियाँ दी हैं, वे सब आर्यों के भारत में निवास-स्थान होने के लिए भी दी जा सकती हैं। यह कहा जा सकता है कि वैदिक आर्यों की एक शाखा कस्ताइत मध्य-एशिया में भारत से गई और यहाँ से ‘सूर्य’ तथा ‘मरुत्’ देवताओं की उपासना का विचार ले गई। यह कहा जा सकता है कि दजला तथा फरात नदियों की घाटियों में पौरव तथा इक्ष्वाकु का नाम आर्यों की ही कोई शाखा ले गई। यह कहा जा सकता है कि मित्ती तथा खत्ती लोग भी आर्य-शाखाओं के थे, जो भारत से ही मध्य-एशिया में मित्र, वरुण, इन्द्र तथा नासत्यौ देवताओं का नाम अपने सग ले गये थे।

### ६ उत्तरी ध्रुव

वेदों के आधार पर भारत के प्रसिद्ध विद्वान् लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि आर्यों का मूल-स्थान आर्कटिक देश अर्थात् उत्तरी-ध्रुव था। ऋग्वेद जब बना तब तो आर्य लोग सप्त मंत्रव देश में पहुँच चुके थे, परन्तु ऋग्वेद के मंत्रों में उक्त काल की स्मृति उनमें बनी हुई थी

जब वे उत्तरी-ध्रुव में निवास करते थे। लोकमान्य तिलक का कथन है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जब उत्तरी-ध्रुव की प्राकृतिक स्थिति ऐसी हो गई कि वहाँ रहा नहीं जा सकता था, तब वे उस स्थान को छोड़ कर पहले ईरान के मैदानों में आ बसे, और बाद को भारत में आ गये। आर्य लोग पहले जहाँ थे, वहाँ 'हिम' (Glacials) था, तभी उन्होंने ऋग्वेद में कहा 'तरेम तरसा शत हिमा'—अर्थात् हम सैकड़ों हिम-काल जीयें। हिम-युगों का वर्णन हम इस पुस्तक में पहले ही कर आये हैं। जब हिम उनके लिए असह्य हो गया, तब वे ऐसे स्थान में आ गये जहाँ हिम तो नहीं था, परन्तु जो देश शरत्-प्रधान था, इसलिए उन्होंने 'जीवेम शरद शतम्'—हम सौ शरद् ऋतुओं का आनन्द भोगें—यह कहा। पहले वे हिम-काल वाले प्रदेश में रहते थे, फिर वे शरत्-काल वाले प्रदेश में रहने लगे। श्री तिलक का कहना है कि ऋग्वेद के कई सूक्तों में छ मास के दिन का वर्णन आता है। एक सूक्त में ऐसी उषा का वर्णन है जो समाप्त ही नहीं होती। छ मास के दिन और समाप्त न होने वाली उषा उत्तरी-ध्रुव के अलावा अन्य किसी स्थान में नहीं पायी जाती, मध्य-एशिया तथा भारत में तो ऐसे दिन और ऐसी उषा का कहीं पता भी नहीं। इन युक्तियों के आधार पर श्री तिलक ने उत्तरी-ध्रुव को आर्यों का आदि-निवास-स्थान सिद्ध किया है, परन्तु उनके इस मत से विद्वान् सहमत नहीं।

हमने आर्यों के मूल-देश के विषय में जो भिन्न-भिन्न मत हैं, उनका संक्षिप्त वर्णन किया। ये सब मत कल्पना के आधार पर खड़े किये गये हैं। इनमें से कौन-सा ठीक है, कौन-सा गलत—यह तो कोई प्राचीन-युग का आर्य ही बतला सकता है। हम तो इन सब का वर्णन करने के सिवाय और कर ही क्या सकते हैं?

## प्रजातिवाद

(RACISM)

### १ प्रजातिवाद की व्याख्या

जेकब्स तथा स्टर्न<sup>1</sup> ने 'प्रजातिवाद' की व्याख्या करते हुए लिखा है कि जातिवाद वह वाद है जिसके अनुसार मानव-समूह को इस प्रकार भिन्न-भिन्न वर्गों में बाँटा जाता है जिससे यह प्रतीत हो कि उनमें से प्रत्येक समूह के दूसरे समूहों से पृथक्, शारीरिक, मानसिक तथा स्वभाव-सम्बन्धी ऐसे अपने खास गुण हैं जो दूसरे समूहों में नहीं पाये जाते। इन्हें विभेदक-गुण कहा जा सकता है। ये विभेदक-गुण वंश-परम्परा से आते हैं, इन पर समाज, शिक्षा अथवा पर्यावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन गुणों के अनुसार प्रजातियाँ तथा उप-प्रजातियाँ एक-दूसरे से श्रेष्ठ तथा हीन होती हैं, और वंशानुसंक्रमण द्वारा ही किसी प्रजाति या उप-प्रजाति की संस्कृति बनती है।

इस व्याख्या से यह स्पष्ट है कि 'प्रजातिवाद' के आधार में जो बातें हैं, उन्हें हम निम्न प्रकार प्रकट कर सकते हैं —

- (क) मनुष्य-मनुष्य में शारीरिक वनावट, मानसिक विकास तथा स्वभाव में भेद पाया जाता है,
- (ख) इस भेद का आधार वंशानुसंक्रमण है, शिक्षा, समाज या पर्यावरण नहीं,
- (ग) इस भेद के कारण कोई समाज उन्नति कर सकता है, कोई नहीं,
- (घ) वंशानुसंक्रमण के कारण जो समाज उन्नति कर सकता है, वह श्रेष्ठ है, वंशानुसंक्रमण के कारण जो समाज उन्नति नहीं कर सकता, वह हीन है।

दूसरे शब्दों में, प्रजातिवाद का दावा है कि भिन्न-भिन्न नस्लों को शरीर की भिन्न-भिन्न रचना, खास कर के उनकी खोपड़ी का परिमाण, मस्तिष्क का तौल, बुद्धि-

1 "Racism holds that each population is characterized by a cluster of inherited physical, mental and temperamental features peculiar to itself, or other environmental influences, that there are innately superior and inferior races and ethnic sub-divisions, and that hereditary factors determine every phase of a people's cultural life"—*Jacobs and Stern*

परीक्षा के परीक्षणों से उनकी बुद्धि का माप तथा उनके भिन्न-भिन्न स्वभाव तथा आचार सिद्ध करते हैं कि वे नस्लें एक-दूसरे से इतनी भिन्न हैं कि उनमें किसी प्रकार की समता हो ही नहीं सकती। इन भिन्नताओं के आधार पर उनमें से कोई श्रेष्ठ तथा कोई हीन है। उदाहरणार्थ, 'प्रजातिवाद' का कथन है कि नौग्रो नस्लों से कॉकेशियन नस्लें श्रेष्ठ हैं, कॉकेशियन नस्लों में भी नॉर्डिक-नस्लें सबसे श्रेष्ठ हैं। हम इस अध्याय में इन सब बातों का विवेचन करेंगे।

## २ प्रजातिवाद का प्रारंभ

१८-१९वीं शताब्दी में 'प्रजातिवाद' के सिद्धान्त का प्रारंभ हुआ। इसके प्रारंभ होने के दो कारण थे। पहला कारण तो यह था कि जब युरोपियन विद्वानों ने संस्कृत का अध्ययन शुरू किया तब उन्हें संस्कृत की पर्सियन, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं के साथ समानता देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ। इस समानता का हम पहले वर्णन कर आये हैं। इस समानता को विद्वानों के सामने लाने में फ्रांस के केअर्दु तथा अंग्रेज विद्वान् सर विलियम जोन्स ने बड़ा भाग लिया था। इनके बाद मैक्स-मूलर ने इस दिशा में बहुत बड़ा काम किया। इन सब विद्वानों के अध्ययन से यह बात मानी जाने लगी कि वास्क, मग्यार तथा फिनिश भाषा को छोड़ कर युरोप की सभी भाषाएँ संस्कृत और ईरानी परिवार की हैं। इस प्रकार प्रजातीय दृष्टिकोण से विद्वानों के सम्मुख एक विशाल प्रजाति उठ खड़ी हुई जो भारत से लेकर मध्य-एशिया में से होती हुई युरोप के दूरतम प्रदेशों में बिखरी हुई थी। क्योंकि यह प्रजाति भाषाओं की समता के आधार पर भारत से युरोप तक पायी गई, इसलिए इसका नाम इंडो-युरोपियन रखा गया। क्योंकि वेदों के आधार पर यह आर्य-प्रजाति थी, इसलिए इसका नाम आर्य-प्रजाति भी रखा गया। यह इंडो-युरोपियन आर्य-प्रजाति जहाँ-जहाँ भी पायी गई, सभ्यता के उच्च-स्तर पर पायी गई। ससार में आगे बढ़ी तो यही आर्य-प्रजाति, आविष्कार किये तो इसी आर्य-प्रजाति ने, साहित्य का निर्माण हुआ तो इसी आर्य-प्रजाति में, आज भूखण्ड पर शासन कर रही है तो यही आर्य-प्रजाति। इस सब के आधार पर प्रजातिवादियों ने यह परिणाम निकाला कि यह आर्य-प्रजाति ही ससार की सब प्रजातियों में सर्वश्रेष्ठ है। आर्य-प्रजाति के सर्वश्रेष्ठ होने के सिद्धान्त को 'आर्यवाद' (Aryanism) कहा जाने लगा।

प्रजातिवाद के प्रारंभ होने का पहला कारण तो भाषा-विज्ञान था, इसके प्रारंभ होने का दूसरा कारण १८-१९वीं सदी का साम्राज्यवाद भी था। हर देश दूसरे देशों को खा जाना चाहता था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ जर्मन थे, तीसरी तरफ फ्रेंच थे। ये सब अपने-अपने उपनिवेश बढ़ाने में जुटे थे ताकि उन उपनिवेशों से कच्चा माल ले जा सकें, अपने देशों के कल-कारखानों को समृद्ध कर सकें। इन्हें सस्ते मजदूरों की भी जरूरत थी जिससे दासों की तरह मुफ्त का काम ले सकें। 'प्रजातिवाद' ने इनके हाथ में एक ऐमा हथियार दे दिया जिसके सहारे ये अन्तरात्मा की धिक्कार को अनसुना कर सकते थे। अगर उपनिवेशों के रहने वाले लोग, नीग्रॉयड

प्रजाति के वंशज या इसी तरह की अन्य प्रजातियाँ पैदाइश से ही निम्न-स्तर की हैं, [तब इनसे भाड़े के टट्टू का काम लेना बेजा क्यों हो सकता है? अगर इनको जानवरो की तरह खरोदा-बेचा जाय, तो भी क्या हर्ज है। ऐसा होता भी रहा। नीग्रो लोगो का वाकायदा शिकार किया जाता रहा। ऐसी कम्पनियाँ बनीं जो इनको पकड कर लाती थीं और बाजार में बेचती थीं। ऐसा नहीं होना चाहिए—यह हल्की-सी आवाज जो तबीयत में उठती थी, उसे 'प्रजातिवाद' ने शान्त कर दिया। एक तरह से अगर यह कहा जाय कि साम्राज्यवाद की प्रजातिवाद एक आवश्यक उपज थी तो कोई अत्युक्ति न होगी।

### ३. 'आर्यवाद' या 'नॉर्डिसिज्म'

क्योंकि यूरोप का हर मुख्य देश अपने को समृद्ध बनाने के लिए 'प्रजाति-वाद' का लाभ उठाना चाहता था, कोई व्यक्ति ढूँढना चाहता था जिसे दूसरों पर अत्याचार करने के कारण अन्तरात्मा की उठती आवाज को चुप कराने का बहाना मिल सके, इसलिए यूरोप के हर मुख्य देश ने 'आर्यवाद' को अपने-अपने ढंग पर ढालना शुरू किया। 'आर्य-वाद' (Aryanism) को 'नौरडिक-वाद' (Nordicism) भी कहा जाता है। आर्य लोग 'लम्बे-सिर' (Dolichocephalic) के थे और उत्तरी-यूरोप में रहते थे, इसलिए उत्तर में रहने के कारण इन्हें 'नॉर्डिक' नाम दिया गया। अंग्रेजी में उत्तर के लिए 'नौर्य' तथा जर्मन में 'नौर्ड'-शब्द है। 'नौर्ड' से ही 'नॉर्डिक' बना। इन दृष्टि से 'आर्यवाद' तथा 'नॉर्डिसिज्म' का एक ही अर्थ है। यह 'नॉर्डिसिज्म' यूरोप के हर देश में भिन्न-भिन्न रूप धारण कर गया। इंग्लैण्ड में आर्यों की 'ऐंग्लो-सैक्सन शाखा' है, इसलिए इंग्लैण्ड में 'नॉर्डिसिज्म' का नाम 'ऐंग्लो-सैक्सनवाद' (Anglo-Saxonism) हो गया, जर्मनी में आर्यों की 'ट्यूटोनिक शाखा' है, इसलिए जर्मनी में 'नॉर्डिसिज्म' का नाम 'ट्यूटोनवाद' (Teutonism) हो गया, फ्रांस में आर्यों की 'गैलिक शाखा' है, इसलिए फ्रांस में 'नॉर्डिसिज्म' का नाम 'गैलिकवाद' (Gallicism) हो गया।

### ४ प्रजातिवाद के आधार पर श्रेष्ठता

नस्ल के कारण जो शारीरिक-भेद दिखलाई देते हैं, इन्हें आधार बनाकर भिन्न-भिन्न प्रजातियों ने अपनी श्रेष्ठता की जो घोषणा करनी शुरू की उससे दुनिया में एक नई लहर चल पड़ी। वैसे तो यह सिद्धान्त प्रायः सभी यूरोपियन देशों में थोड़ा-बहुत चला हुआ है, परन्तु पिछले दिनों जर्मनी में इसका बहुत प्रचार हुआ, खास कर हिटलर के नाजीवाद का तो यह एक मुख्य सिद्धान्त हो गया। हिटलर का कहना था कि नस्ल की सब नस्लों में 'आर्य'-नस्ल के लोग, जिन्हें 'नॉर्डिक' कहा जाता है, सर्व-श्रेष्ठ हैं। जैसा हम अभी कह आये हैं, 'नॉर्डिक' अर्थात् 'आर्य' (Nordic or Aryan)-नस्ल के कई अवान्तर भेद हैं—इनमें से 'ऐंग्लो-सैक्सन' (Anglo-Saxon), 'ट्यूटोनिक' (Teutonic) तथा 'गैलिक' (Gallic) मुख्य हैं, जो क्रमशः इंग्लैण्ड, जर्मनी तथा फ्रांस में बसते हैं।

हिटलर का कहना था कि इन तीनों में भी केवल ट्यूटोनिक-नस्ल के लोगो में शुद्ध-नॉर्डिक रुधिर है। १९३३ में हिटलर ने जर्मनी में सत्ता प्राप्त करने के बाद नॉर्डिक-वाद पर बहुत बल देना शुरू कर दिया था। १९३८ में हिटलर से सधि फर लेने पर मुसोलिनी ने भी घोषणा कर दी थी कि इटली में भी शुद्ध-नॉर्डिक रुधिर के लोग रहते हैं। हिटलर तथा उसके अनुयायियों ने यह कहना शुरू किया कि आजतक नॉर्डिक-नस्ल ने ही ससार में सभ्यता को जन्म दिया है, इसे बढ़ाया है। ग्रीस तथा रोम के लोग नॉर्डिक-नस्ल के थे। नॉर्डिकवाद को जर्मनी में इतना बढ़ाया गया कि यह सिद्ध किया जाने लगा कि ससार में जो भी महापुरुष हुए हैं, वे सब 'नॉर्डिक' थे। ईसा, मुहम्मद, चंगेज खाँ—इन सब में नॉर्डिक रुधिर वह रहा था। जो 'नॉर्डिक' नहीं हैं, वे ससार को कोई चीज नहीं दे सकते। यहूदी-लोग नॉर्डिक नहीं हैं, नीची नस्ल के हैं, उनके साथ विवाह-सवध से शुद्ध नॉर्डिक रक्त अपवित्र हो जायगा, इसलिए हिटलर ने उन्हें जर्मनी से निकाल बाहर किया। 'नॉर्डिकवाद' के समर्थकों का कहना है कि आर्य-जाति के वंशजों के भीतर सहस्रों महत्वाकाक्षाएँ छिपी पड़ी हैं। इन महत्वाकाक्षाओं को, इन उमंगों को क्रियात्मक जामा पहनाने के लिए इस नस्ल के लोग सदा प्रयत्नशील रहते हैं, इसलिए ये सदा ससार को कोई-न-कोई नवीन वस्तु देते रहते हैं। जिन प्रजातियों के हृदय में किसी प्रकार की आकांक्षाएँ, उमंगें ही नहीं, वे ससार को क्या देंगे और स्वयं क्या हासिल करेंगे? अबतक नॉर्डिक ही शासन करते रहे हैं और ससार में आगे भी नॉर्डिक ही शासन करेंगे। इसी भावना को लेकर हिटलर द्वितीय विश्व-युद्ध में कूद पड़ा था और सारे ससार में उसने रक्त की होली खेलनी शुरू कर दी थी। प्रजातिवाद का जो परिणाम हो सकता है, उसका हिटलर ने एक नया नाच कर के दिखा दिया।

नस्ल के आधार पर अपने को श्रेष्ठ मानने का सिद्धान्त अमरीका में भी कम नहीं है। वहाँ के नीग्रो लोगों को दासता से मुक्त कर दिया गया है, परन्तु उनका सभ्य समाज से बहिष्कार है। कु-क्लक्स-क्लान (Ku-Klux-Klan) नाम की गुप्त सस्था नीग्रो लोगों का वध तक कर देती है। शुरू-शुरू में अमरीका में वीनियों को कुली के तौर पर भर्ती कर के ले जाया गया था, परन्तु उस देश में उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ कि १८९० में उनकी जन-संख्या जो १ लाख थी, वह अब ८० हजार से भी कम रह गई है। अमरीका में गन्दो-गन्दो वस्तियों में वीनी पड़े हैं, इन वस्तियों का नाम 'चाइना-टाउन' है। चीनी और जापानियों के साथ अमरीका में जो व्यवहार होता रहा, उसी का उग्र-रूप 'पीला-खतरा' (Yellow peril) — इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। अमरीकी लोग कहने लगे कि इन नस्लों ने अमरीका को खतरा पैदा हो गया है, अतः इनके बहिष्कार के कानून बनने लगे। रंग के आधार पर बनी यह जात-पाँत भारत की जात-पाँत से कम उग्र नहीं, कुछ अंशों में अधिक कठोर है। दक्षिणी-आफ्रीका में काले-गोरो का जो भेद चल रहा है, वह भी नस्ल के आधार पर बनी अपने को श्रेष्ठ मानने की नीति का ही परिणाम है। दक्षिणी-आफ्रीका की नस्ल के आधार पर इस भेद-नीति को

‘एपारथीड’ (Apartheid) कहा जाता है। वहाँ यह भेद-भाव नीग्रो के अतिरिक्त भारतीयों से भी किया जाता है। वहाँ जो सरकार बनती है वह यह भी घोषणा करती है कि वह इस ‘एपारथीड’ नीति को जारी रखेगी, तभी उसे बोट मिलते हैं। जहाँ अप्रेचो के मकान हैं, वहाँ काले लोग जमीन नहीं खरीद सकते, मकान नहीं बना सकते। वहाँ तो मामला यहाँ तक बढ़ा है कि वीमारो के लिए जो रक्त-दान दिया जाता है, उस के लिए भी कानून बनाया गया है कि नीग्रो रक्त अलग रखा जाय, और जब कोई नर्स किसी वीमार को दान दिये गये उस रक्त में से रक्त दे, तो पहले बतला दे कि यह किस प्रजाति का रक्त है। जो नर्स यह नहीं बतलायेगी उसे दंड मिल सकता है।

#### ५ प्रजातिवाद के सिद्धान्त की आलोचना

प्रजाति अर्थात् रुधिर के आधार पर अपने को श्रेष्ठ मानने का सिद्धान्त हिन्दुओं की जाति-व्यवस्था के अन्दर इतना उग्र नहीं है जितना संसार की अन्य नस्लों में पाया जाता है। परन्तु क्या इस सिद्धान्त में कोई सच्चाई है? हम पहले कह आये हैं कि ‘प्रजातिवाद’ के आधार में जो मुख्य-मुख्य बातें हैं, उनमें शारीरिक, मानसिक तथा चरित्र-संबंधी भेद मनुष्य को मनुष्य से पृथक् करते हैं। इन्हीं के आधार पर प्रजातिवादी कहते हैं कि मनुष्यों की भिन्न-भिन्न प्रजातियाँ हैं। हम यहाँ इस बात की विवेचना करेंगे कि शारीरिक, मानसिक तथा चरित्र-संबंधी भेद मानव-समाज में कहाँ तक हैं, और अगर हैं तो उनसे क्या सिद्ध होता है?

(क) प्रजातियों का सम्मिश्रण (Racial Intermixture)—  
सब से पहली बात तो यह है कि संसार में रुधिर का इतना सम्मिश्रण हुआ है कि कहीं, कोई भी मनुष्य शुद्ध रुधिर का नहीं है। मानव-शास्त्र इस दिशा में बड़ा काम कर सकता है। मानव-शास्त्र का अबतक दुरुपयोग हुआ है। मानव-शास्त्र के आधार पर कहा जाता रहा है कि अमुक प्रजाति अमुक प्रजाति से भिन्न है। मानव-शास्त्र ही इस क्षेत्र की अवैज्ञानिक विचार-धारा की रोक-थाम कर सकता है। मानव-शास्त्र के जितने भी मापने के प्रकार हैं उन सब से यह सिद्ध हो चुका है कि विल्कुल शुद्ध रूप की कोई नस्ल इस समय धरती पर मौजूद नहीं है। इतना ही नहीं, प्राचीन प्रस्तरित-मानव के जो अवशेष उपलब्ध हुए हैं, उनमें भी शुद्ध रूप कहीं नहीं पाया जाता। प्रो० गौरडन चाइल्ड (Gordon Childe) का कहना है कि डेनमार्क तथा स्वीडन में पृथ्वी के नीचे दबे हुए ‘पाषाण-युग’ (Stone age) के जो नौडिक-नस्ल के प्रस्तरित-कंकाल (Fossils) मिले हैं, उनमें भी कई नस्लों का सम्मिश्रण है। डा० अम्मोन (Ammon) के मित्र रिप्ले (Ripley) ने लिखा है कि जब डा० अम्मोन को कहा गया कि विल्कुल शुद्ध नस्ल के किसी व्यक्ति का चित्र दिखलायें, तो वे चक्कर में पड़ गये। उन्होंने हजारों सिरों का माप लिया था, परन्तु अगर किसी का सिर एक नस्ल का था, तो नाक दूसरी नस्ल की थी, नाक एक नस्ल की थी, तो आँख किसी और नस्ल की थी। कहने का अभिप्राय यह कि अगर किसी व्यक्ति को वे किसी एक नस्ल का समझने थे,



तो उसमें अनेक बातें ऐसी मिल जाती थीं, जो उसमें होनी ही नहीं चाहिए थीं। भिन्न-भिन्न नस्लों में रुधिर का सम्मिश्रण इतना अधिक हुआ है कि हम फ्रेंच नस्ल, जर्मन-नस्ल या अंग्रेज नस्ल—इन शब्दों का प्रयोग तो कर ही नहीं सकते, शुद्ध कॉकेशियन, एंग्लो-सैक्सन या नॉर्डिक नस्ल का भी प्रयोग नहीं कर सकते। फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेज—इनको कौमों (Nations) तो कहा जा सकता है, नस्लों (Races) नहीं। एक-एक कौम में और एक-एक व्यक्ति में कई-कई नस्लों मौजूद हैं। इंग्लैण्ड-वालों को एंग्लो-सैक्सन कहा जाता है, परन्तु उनमें ट्यूटोनिक खून मौजूद है; जर्मनी वालों को ट्यूटोनिक कहा जाता है, परन्तु उनमें भी अन्य रुधिर मिले-जुले हैं। जर्मनी के जो भाग्य-विधाता थे, जो नस्ल के सिद्धान्त को लेकर उसे आसमान में चढ़ा रहे थे, उनके चेहरों-मोहरों को देखने से ही पता चल जाता है कि उनमें से कोई भी शुद्ध-नॉर्डिक अर्थात् शुद्ध-आर्य-नस्ल का नहीं था।

असल बात यह है कि जब से मनुष्य पैदा हुआ है, वह घुमक्कड़ रहा है। उन पहाड़ों और मैदानों के पीछे क्या छिपा है—यह जिज्ञासा उसे आगे-ही-आगे धकेलती रही है। शुरू-शुरू में तो पहाड़-नदी-नाले-जगल की 'भौगोलिक-पृथक्ता' (Geographical isolation) के कारण वह जिस नस्ल का था, उसी नस्ल का बना रहा, दूसरी नस्लों के साथ उसका मेल न हो सका, परन्तु ज्यों-ज्यों मानव-समाज सख्या में बढ़ता गया, त्यों-त्यों अन्य नस्लों के लोग भी नदी-नाले-समुद्र पार करके इधर-उधर जाने लगे, और जहाँ मनुष्य का मनुष्य से मेल हुआ वह उससे रल-मिल गया। अगर ऐसा न होता, तो भिन्न-भिन्न नस्लों बनी रहतीं। इन 'नस्लों' (Races) के मिलने से 'कौमों' (Nations) न बनतीं। कोई कहता है, पहले तीन नस्लें थीं, कोई कहता है, पांच थीं, परन्तु जितनी भी थीं, अब अनेकों नस्लों कैसे बन गईं? एक-दूसरे के साथ रोटी-बेटी का व्यवहार करने से ही तो आज इतनी नस्लें दिखाई देती हैं, और नस्लें ही नहीं, कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं दिखाई देता जो किसी एक शुद्ध नस्ल का हो। जब कहीं शुद्ध नस्ल मिलती ही नहीं, सब जगह प्रजातियों का सम्मिश्रण दिखाई देता है, तब नस्ल के कारण श्रेष्ठता के सिद्धान्त को ठीक कैसे कहा जा सकता है?

(ख) शारीरिक-लक्षणों के कारण प्रजातिवाद (Racism due to Physical Characteristics)—मानव-शास्त्री शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों को मापते हैं, इसके लिए उन्होंने नाना प्रकार के उपकरण बनाये हुए हैं। अंगों को माप कर वे कहते हैं कि कॉकेशॉयड का कद लम्बा होता है, मगोलॉयड का छोटा और नीग्रॉयड का नाटा होता है। सिर के बाल कॉकेशॉयड के सीधे तथा घुंघराले और नीग्रॉयड के ऊनी होते हैं, कॉकेशॉयड की नाक ऊँची, मगोलॉयड की नीची और नीग्रॉयड की समतल होती है, कॉकेशॉयड के होंठ पतले, मगोलॉयड के मध्यम तथा नीग्रॉयड के मोटे होते हैं, कॉकेशॉयड का रंग गोरा, मगोलॉयड का पीला तथा नीग्रॉयड का काला होता है। इसमें सन्देह नहीं कि भिन्न-भिन्न प्रजाति की शारीरिक रचना में भेद दिखाई देता है, परन्तु क्या यह सभव नहीं कि शारीरिक

रचना का यह भेद मूल-रूप में पर्यावरण पर आश्रित हो। उष्ण कटिबन्ध में रहते-रहते रंग काला हो जाता हो, शीत कटिबन्ध में रहते-रहते रंग गोरा हो जाता हो। असल में इस सबध में परीक्षण कर सकना कठिन है। इस प्रकार के शारीरिक परिवर्तन एक-दो वंशों में तो हो नहीं जाते। पर्यावरण के कारण इस प्रकार के परिवर्तन बीसियों-पचासो पीढ़ियों के बाद होते हैं, और तब तक उन परिवर्तनों को देखने वाला कोई नहीं रहता। इतना तो सभी को दीखता है कि रंग, शकल आदि में थोड़ा-बहुत परिवर्तन हमारे देखते भी होता है, इसलिए शारीरिक परिवर्तनों को देख कर यह कह देना कि भिन्न-भिन्न शकलों के लोग भिन्न-भिन्न प्रजातियों के ही हैं, कठिन है।

इसके अतिरिक्त मानव-शास्त्रियों के परीक्षणों से, जैसा हम अभी कह आये हैं, यह सिद्ध हुआ है कि जिनको हम उन्नत प्रजाति का समझते हैं, उनके शारीरिक लक्षण, उन्हें निम्न-स्तर का सिद्ध करते हैं, और जिन्हें हम निम्न प्रजाति का समझते हैं, उनके शारीरिक लक्षण उन्हें उच्च-स्तर का सिद्ध करते हैं। उदाहरणार्थ, नीग्रो निम्न प्रजाति के और कॉकेशियन उच्च-प्रजाति के समझे जाते हैं। श्री होबेल (Hoebel) ने बन्दरों तथा मनुष्यों में ११ शारीरिक-लक्षणों की पारस्परिक तुलना की। इस तुलना के परिणामस्वरूप वे इस नतीजे पर पहुँचे कि नीग्रो और बन्दरों में ११ लक्षणों में से सिर्फ ५ लक्षणों में वे बन्दरों से मिलते थे, ६ लक्षणों में बन्दरों से नहीं मिलते थे, परन्तु कॉकेशियन निर्फ ३ लक्षणों में बन्दरों से नहीं मिलते थे, बाकी ८ लक्षणों में बन्दरों से मिलते थे। नीग्रो निर्फ ५ और कॉकेशियन ८ लक्षणों में बन्दरों के सदृश हों और फिर भी कॉकेशियन को नीग्रो से उच्च-स्तर का समझा जाय—यह तभी संभव है अगर शारीरिक लक्षणों को प्रजाति-भेद में कोई महत्वपूर्ण स्थान न दिया जाय।

अगर यह मान भी लिया जाय कि भिन्न-भिन्न प्रजातियों में शारीरिक लक्षणों में ऐसा मौलिक भेद है कि उन्हें भिन्न-भिन्न प्रजातियों का ही कहा जाना चाहिए, इसके साथ अगर यह भी मान लिया जाय कि ये भिन्न-भिन्न शारीरिक-लक्षण वंश-परम्परा से ही आते हैं, इन पर पर्यावरण का प्रभाव नहीं पड़ता, तो भी इससे यह तो सिद्ध नहीं हो जाता कि एक तरह के शारीरिक-लक्षणों की प्रजाति दूसरी तरह के शारीरिक-लक्षणों की प्रजाति से थोड़ा है। जैसा हम बार-बार कह आये हैं, 'प्रजाति' का आधार वंश-परम्परा है, प्रजाति एक प्राणि-शास्त्रीय घटना है, परन्तु प्रजाति का अन्तर सिर्फ शरीर की रचना तक है, इससे आगे नहीं। 'प्रजाति' शरीर का निर्माण कर सकती है, रंग गोरा, काला, पीला बना सकती है, कद लम्बा, मध्यम, नाटा बना सकती है, परन्तु मनुष्य की बुद्धि और उसके आचार-व्यवहार का निर्माण नहीं कर सकती। काला व्यक्ति बुद्धि में गोरे से बढ़ा-चटा हो सकता है, गोरा व्यक्ति काले से आचार-व्यवहार में गिर हुआ भी हो सकता है। इसलिए जो व्यक्ति नस्ल के कारण थोड़ा के सिद्धान्त को मानते हैं, उनके सिद्धान्त की आलोचना के लिए यह देखना आवश्यक है कि क्या नस्ल भिन्न

होने के कारण व्यक्तियों की मानसिक-योग्यता में, उनके आचार-व्यवहार में भी कोई भेद पड़ जाता है ? इस सवध में कई मनोरजक परिणाम निकले हैं जिनकी तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हम यहाँ उनकी तरफ भी कुछ निर्देश करेंगे।

(ग) नस्लों की खोपड़ी के घनत्व के कारण प्रजातिवाद (Racism due to the capacity of the skull)—मार्टिन (Martin) ने भिन्न-भिन्न नस्लों की खोपड़ियों का माप देख कर यह बतलाया है कि किस नस्ल की खोपड़ी कितनी छोटी और किसकी कितनी बड़ी है। जिस नस्लकी खोपड़ी बड़ी हो उसमें ज्यादा दिमाग आने की गुञ्जाइश होनी चाहिए। युरोपियन कॉकेशॉयड नस्लों में आम तौर पर पुरुष की खोपड़ी में १,४५० और स्त्री की खोपड़ी में १,३०० घन सेंटीमीटर जगह पायी गई है। ऑस्ट्रेलॉयड-नस्लों में पुरुष की खोपड़ी में १,३४७ और स्त्री की खोपड़ी में १,१८१ घन सेंटीमीटर जगह होती है। इससे कहा जा सकता है कि युरोपियन-नस्लों में ऑस्ट्रेलॉयड-नस्लों की अपेक्षा खोपड़ी में ज्यादा स्थान होता है, इसलिए ज्यादा घनत्व के कारण उनकी मानसिक-शक्ति ज्यादा होनी चाहिए। परन्तु अगर भिन्न-भिन्न नस्लों की खोपड़ियों का गहराई से अध्ययन किया जाय, तो पता चलता है कि खोपड़ी के माप का मानसिक-शक्ति के साथ कोई 'पारस्परिक सम्बन्ध' (Correlation) नहीं है, अर्थात् यह नहीं कहा जा सकता कि बड़ी खोपड़ी वाला बड़े दिमाग का, और छोटी खोपड़ी वाला छोटे दिमाग का ही होता है। चीनी लोग सम्यता में बड़े हुए हैं, परन्तु उनकी खोपड़ी का औसत माप १,४५६, और कलमक नाम की एक असम्य, जगली, फिरंदर नस्ल की खोपड़ी का माप १,४६६ घन सेंटीमीटर है, जापानी उन्नत लोग हैं, उनकी खोपड़ी १,४८५ तथा जावा के पिछड़े हुए लोगों की खोपड़ी १,५९० घन सेंटीमीटर पायी गई है। इतना ही नहीं, एक ही नस्ल के लोगों में जमीन-आस्मान का भेद होता है। मार्टिन का कथन है कि एक ही नस्ल में १,१०० से १,७०० घन सेंटीमीटर तक खोपड़ी के माप में भेद पाया जाता है। अगर एक ही नस्ल में खोपड़ी के माप में इतना भेद हो सकता है, तो कैसे कहा जा सकता है कि नीची नस्ल की खोपड़ी छोटी और ऊँची नस्ल की खोपड़ी बड़ी होती है। मानव-शास्त्रियों के पास सबसे छोटी खोपड़ी का रिकार्ड दान्ते (Dante) का है, जो इटली का एक प्रतिभाशाली विद्वान् था। अक्सर देखा जाता है कि बड़े सिर वाले गँवार होते हैं, अतः बड़ी खोपड़ी से बड़ी नस्ल सिद्ध नहीं होती।

(घ) मस्तिष्क के तोल के कारण प्रजातिवाद (Racism due to weight of brain-matter)—कई कहते हैं कि भिन्न-भिन्न नस्लों में मस्तिष्क-तत्व का भिन्न-भिन्न तोल होता है। यह बात ऊपरली बात का ही परिणाम है। खोपड़ी में ज्यादा जगह होगी, तो उसमें ज्यादा भारी दिमाग समा सकेगा। परन्तु जब ऊपर की बात गलत है, तब यह बात स्वयं गलत हो जाती है। टोपीनार्ड (Topinard) ने भिन्न-भिन्न नस्लों के ११,००० दिमागों को तोला।

वह कहता है कि युरोपियनो के दिमागो का आनुपातिक वजन पुरुषो में १,३६१ और स्त्रियो में १,२०० ग्राम होता है। नॉर्य अमेरिकन नोग्रो का १,३१६, जापानियों का १,३६७, चीनियों का १,४२८ ग्राम निकला। मार्टिन का कथन है कि पेसचेरानस्ल पशु के निकट की-सी मनुष्य की नस्ल है, परन्तु उसके दिमाग का वजन युरोपियन-नस्ल के दिमाग के आस-पास है। ऐसी अवस्था में दिमाग के तोल के आधार पर क्या परिणाम निकाला जा सकता है ?

(ङ) बुद्धि-परीक्षा के कारण प्रजातिवाद (Racism due to Intelligence-tests)—‘बुद्धि-परीक्षा’ के परीक्षणों के आधार पर कहा जाता है कि भिन्न-भिन्न नस्लो की बुद्धि में भेद है। ‘बुद्धि-परीक्षा’ का क्या अर्थ है ? एक तो कितावें पढ़ कर मनुष्य विद्या ग्रहण करता है, दूसरे उसकी अपनी कुछ स्वाभाविक बुद्धि भी होती है। यह हो सकता है कि एक व्यक्ति बहुत साधारण बुद्धि का हो, परन्तु ऊँचे खानदान का होने के कारण उसे पढ़ने-लिखने की सुविधा हो, उस पर ट्यूटर लगे हुए हों, और वह पढ़-लिख जाय। यह भी हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति उससे बहुत ज्यादा बुद्धि रखता हो, परन्तु उसे गरीबी के कारण पढ़ने-लिखने का अवसर न मिले। ‘विद्या’ (Knowledge) तथा ‘बुद्धि’ (Intelligence) में भेद है। ‘विद्या’ सीखी जाती है, ‘पर्यावरण’ से प्राप्त की जाती है; ‘बुद्धि’ सीखी नहीं जाती, ‘वश-परंपरा’ से मिलती है; यह हो सकता है कि एक व्यक्ति विद्यावान् हो, बुद्धिमान् न हो; दूसरा व्यक्ति बुद्धिमान् हो, विद्यावान् न हो। इस प्रकार हमने देखा कि ‘बुद्धि’ जन्म से आती है, दूसरे शब्दों में यह नस्ल की चीज है। आजकल नस्ल से आने वाली इस मानसिक-शक्ति, अर्थात् ‘बुद्धि’ को मापने के जो परीक्षण होते हैं, उन्हें ‘बुद्धि-परीक्षा’ के परीक्षण कहा जाता है। अगर बुद्धि की यह भिन्नता नस्ल के कारण होती है, तो ‘बुद्धि-परीक्षा’ से नोग्रो की बुद्धि अमरीकन से नीची होनी चाहिए, बराबर तो किसी हालत में नहीं होनी चाहिए। परीक्षणों से पता चला है कि अगर गोरी-नस्लों की ‘बुद्धि-लव्घि’ (Intelligence Quotient) १०० मानी जाय, तो चीनियों और जापानियों की ९९, मैक्सिकनो की ७८, दक्षिणी-नोग्रो की ७५, उत्तरी-नोग्रो की ८५ और अमरीकन-इंडियनों की ७० पायी गई है। परन्तु ‘बुद्धि-परीक्षा’ के परीक्षणों पर मनोवैज्ञानिकों में मत-भेद है। उनका कहना है कि ‘बुद्धि-परीक्षा’ के जो परीक्षण किये जाते हैं, वे बुद्धि को इतना नहीं मापते जितना व्यक्ति की संस्कृति को मापते हैं। एक बच्चा ऊँचे खानदान में रहता है, घर में रेडियो लगा है, रोज के समाचार सुनता है, उसकी परिस्थिति स्वयं उसे दूसरे बच्चे से भिन्न बना देती है। इस बच्चे की अगर किसी दूसरे बच्चे के साथ तुलना की जायगी, तो स्वभावतः इसे ऐसी बातों का पता होगा जिनका दूसरे को कुछ भी ज्ञान न होगा। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ‘बुद्धि-लव्घि’ के परीक्षण सिर्फ बुद्धि को ही नहीं मापते, इसके साथ-साथ व्यक्ति की सांस्कृतिक परिस्थिति को भी माप डालते हैं। ‘बुद्धि-लव्घि’ व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार बदल भी सकती

है। गार्थ (Garth) का कहना है कि अगर एक हड्डी को पहले नीची स्थिति के स्कूल में रखा जाय, और फिर ऊँची स्थिति के स्कूल में रख दिया जाय, तो उसकी 'वृद्धि-लब्धि' (I Q.) बदल जाती है। ऐसी अवस्था में 'वृद्धि-परीक्षा' के आधार पर भी हम निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि भिन्न-भिन्न नस्लों की वृद्धि में भेद होता है।

(च) प्राविधिक-विक्रम की भिन्नता के कारण प्रजातिवाद (Racism due to Technological difference)—कहा जाता है कि नॉर्डिक-नस्ल के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़े हुए हैं। यूरोप के देशों के विज्ञान के क्षेत्र में सारी दुनियाँ से आगे होने को भी प्रजातिवाद को सिद्ध करने में प्रमाण रूप से पेश किया जाता है। प्रजातिवाद के समर्थकों का कहना है कि अगर श्वेतार्थों में नस्ल के कारण ही कोई श्रेष्ठता न होती, तो दूसरी प्रजातियों के लोग सभ्यता और विज्ञान की दौड़ में आगे क्यों न निकल जाते? परन्तु यह बात गलत है। कोई समय था जब ईजिप्ट के लोग जो आर्य-प्रजाति की किसी शाखा के नहीं माने जाते, पिरैमिड बना रहे थे, जब चीनी जो मंगोल कहे जाते हैं, कागज और छापने की कला का आविष्कार कर रहे थे, ऐसा समय जब यूरोप के आज के सभ्य-देश जगली थे। कोई समय था जब ट्यूटोनिक-नस्ल के जर्मनों के आर्य लोग जगली थे, आज वे सभ्य हो गये। अगर रोमन-राज्य के समय में कोई कहता कि किसी समय यही ट्यूटोनिक-नस्ल के लोग इतनी उन्नति कर लेंगे, तो इस बात पर कौन विश्वास करता? यूरोपियन-नस्लों ने जो उन्नति की है, उसे दिन ही कितने हुए हैं? एच० जी० वेल्स (H G Wells) ने लिखा है कि १६वीं शताब्दी में अगर कोई मंगोल और मुस्लिम-सभ्यता के उत्कर्ष को देख कर भविष्य-वाणी करता, तो कह देता कि यूरोप की पिछड़ी जातियाँ कुछ देर बाद मंगोल या मुस्लिम-सभ्यता को स्वीकार कर लेंगी। परन्तु यह सब-कुछ न हुआ, और यूरोप ने आश्चर्यजनक उन्नति की। यह उन्नति नस्ल के कारण नहीं हुई, परिस्थिति के कारण हुई। यह समझना कि सभ्यता, सस्कृति या विज्ञान किसी प्रजाति-विशेष की देन है, एक भ्रम है। यह भ्रम जहाँ तक प्रजातिवाद का सबध है, वहाँ तक नहीं, प्रजातिवाद के अतिरिक्त दूसरे क्षेत्र में भी यह भ्रम फैला हुआ है। यूरोप तथा एशिया के अनेक देशों में आर्य-प्रजाति के ही लोग हैं, परन्तु इन आर्य-प्रजातियों के सबध में भी यह कहा जाता है कि यूरोप के आर्य अन्य आर्यों से शुद्ध रुधिर के हैं, इसलिए विज्ञान की खोजें वहाँ पर होती हैं। यह भी कितना भ्रमपूर्ण विचार है। जिस समय यूरोप के लोग कपड़ा पहनना भी नहीं जानते थे, उस समय ईजिप्ट, अरब, भारत के लोग सभ्यता के शिखर पर पहुँचे हुए थे। किसी समय ग्रीस तथा रोम की सभ्यता सत्सर पर शासन करती थी, आज उनका कोई नामलेवा भी नहीं रहा। हमने जो-कुछ लिखा उससे स्पष्ट है कि यह कहना कि क्योंकि यूरोप आज विज्ञान के प्राविधिक उपकरणों का आविष्कार कर रहा है, या यह कहना कि क्योंकि आर्य-प्रजाति के लोग ही सभ्यता को विकास

की दिशा में प्रेरणा देते रहे हैं, इसलिए अन्य प्रजातियों में इस प्रकार का कोई सामर्थ्य नहीं है, युक्ति-युक्त नहीं है।

(छ) स्वभाव तथा आचार के कारण प्रजातिवाद (Racism due to temperament and character)—हम प्रायः सुनते हैं कि भारतीय लोग नस्ल से आलसी स्वभाव के होते हैं, यहूदी क्रूर और कजूस होते हैं, मंगोल सुस्त और जुआरी होते हैं, गोरी नस्लों उद्यमी और परिश्रमी होती हैं। जर्मनों के लिए कहा जाता है कि वे धीरे-धीरे प्रतिक्रिया करते हैं, परन्तु एक बार उठ खड़े हो, तो शक्ति के भंडार हो जाते हैं, अप्रेज हर बात में पहल करते हैं, गोदड़-भभकी देते हैं, परन्तु समझौते के लिए सदा तय्यार रहते हैं, आचार के पक्के होते हैं, फ्रेंच बड़े वातून होते हैं, मिलनसार होते हैं, परन्तु अप्रेजों के-से समर्थ नहीं होते। यह सब-कुछ ठीक है, परन्तु प्रश्न यह है कि जिस व्यक्ति को हम जर्मनों का, अप्रेजों का या अन्य किसी नस्ल का कहते हैं, वह व्यक्ति किसी एक नस्ल का तो है ही नहीं। अप्रेज तो 'कौम' (Nation) का नाम है, 'नस्ल' (Race) का नहीं, इसी तरह जर्मन भी कौम का नाम है। इन 'कौमों' (Nations) में सब तरह की 'नस्लों' (Races) का खून रला-मिला है। एक लेखक का कहना है कि युरोप की हर कौम में 'नौडिक'-'एलपाइन' तथा 'मैडिटरेनियन'-नस्लों का रुधिर है—इसलिए जिस बात को हम नस्लों का स्वभाव तथा आचार कहते हैं, वह 'नस्लों' (Races) का भेद नहीं, कौमों (Nations) का भेद है। एक प्रसिद्ध जर्मन लेखक का कथन है कि नस्लों का इतना सम्मिश्रण हुआ है कि नौडिक-शरीर तथा अ-नौडिक-मन एव अ-नौडिक-शरीर तथा नौडिक-मन युरोप में यत्र-तत्र-सर्वत्र पाया जाता है। ऐसी हालत में हम किस नस्ल का क्या स्वभाव तथा क्या आचार कह सकते हैं? सिर्फ इतना कह सकते हैं कि नस्ल के आधार पर खड़ी की गई श्रेष्ठता का सिद्धान्त, जो ससार में जगह-जगह पाया जाता है, गलत है।

## ६ प्रजाति, राष्ट्र तथा देश में भेद

'प्रजातिवाद' के सबघ में जो तरह-तरह की कल्पनाएँ उठ खड़ी होती हैं, उनका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम प्रजाति, राष्ट्र तथा देश में भेद नहीं करते, इन तीनों को एक-दूसरे से रला-मिला देते हैं, और जो बात प्रजाति के विषय में कहनी होती है, उसे राष्ट्र के या देश के विषय में कह डालते हैं। इन तीनों शब्दों का प्रयोग करने से पहले हमें इन तीनों के भेद को अपने दिमाग में साफ कर लेना चाहिए। ऐसा कर लेने से हमारे विचारों में सफाई आ जायगी।

(क) 'प्रजाति' तथा 'राष्ट्र' में भेद (Difference between Race and Nation)—'वंश' तथा 'पर्यावरण', इन दो कारणों से मनुष्य में परिवर्तन होता है। नस्ल के कारण श्रेष्ठता मानने वाले 'वंश' को महत्व देते हैं, परन्तु हमने देखा कि जो बातें नस्ल के विषय में कही जाती हैं, उनका नस्ल में कोई सम्बन्ध नहीं है। अप्रेजों, जर्मनों, फ्रांसीसियों, हिन्दुस्तानियों को हम नस्ल समझने लगते

है। हम कहते हैं अप्रेजो की नस्ल ऐसी है, जर्मनो की नस्ल वैसी है। परन्तु असल बात यह है कि जन्म से 'नस्लें' (Races) बनती हैं, और कई नस्लों के मिलने से 'कौमों' (Nations) बनती हैं। जब कई नस्लें आपस में मिलकर रहने लगती हैं, वे अपने भिन्न-भिन्न तरह के रीति-रिवाज भूलकर एक तरह के रीति-रिवाज, एक तरह के आचार-विचार बना लेते हैं, तब वे जन्म-जात भेदों को भूल जाते हैं, और एक 'कौम' का, एक 'राष्ट्र' का निर्माण करते हैं। 'नस्ल' पीछे की देखती है, 'कौम' आगे की देखती है, 'नस्ल' बाप-दादा की बात करती है, 'कौम' अगली पीढ़ी की बात करती है, 'नस्ल' भूत का गाना गाती है, 'कौम' भविष्यत् के स्वप्न लिया करती है, 'नस्ल' जन्म पर जोर देती है, 'कौम' जन्म को उन्नति में बाधक नहीं बनने देती, 'नस्ल' एक प्राणि-शास्त्रीय (Biological) शब्द है, 'कौम' एक राजनैतिक (Political) शब्द है, 'नस्ल' बदली नहीं जा सकती, 'कौम' बदली जा सकती है, एक 'नस्ल' कई राष्ट्रों में रह सकती है, एक 'राष्ट्र' में कई नस्लें रह सकती हैं। आज ससार की दिशा नस्ल के घमड को छोड़ कर मानव-समाज के एक हो जाने की तरफ है। जब कई नस्लों से एक कौम, और कई कौमों से मनुष्यमात्र की एक कौम बन जायगी, तब समाज की अनेकता से एकता पाने की प्रक्रिया समाप्त होगी, उससे पहले नहीं। मानव-समाज के विकास की दिशा नस्लों के भेद को भूल कर कौमों की एकता की तरफ जा रही है। उपनिषदों में कहा है— 'मृत्यो स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति'—जो ससार में नाना-भेद देखता है वह जीवन की तरफ नहीं, मृत्यु की तरफ जाता है।

(ख) 'राष्ट्र' तथा 'देश' में भेद (Difference between Nation and Country)—'राष्ट्र' (Nation) तथा 'देश' (Country) में भी भेद है। वैसे तो बोल-चाल की भाषा में दोनों शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग होता है, परन्तु वैज्ञानिक-दृष्टि से इन दोनों में भेद है। 'राष्ट्रीयता' की भावना उत्पन्न होने पर ही 'राष्ट्र' बनता है, 'देश' के लिए 'राष्ट्रीयता' की भावना का होना लाजमी नहीं है। आफ्रीका एक देश है, राष्ट्र नहीं है, इसलिए राष्ट्र नहीं है क्योंकि वहाँ राष्ट्रीयता की भावना पैदा नहीं हुई। अगर आफ्रीकन लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो जाय, और इस भावना के परिणामस्वरूप उनका उस देश पर अधिकार हो जाय, तो वह देश सिर्फ देश ही न रहे, एक राष्ट्र हो जाय। राष्ट्र में राष्ट्रीयता का निवास होता है, देश में राष्ट्रीयता का निवास नहीं होता, देश में जब राष्ट्रीयता आ जाती है, तब यह देश ही राष्ट्र बन जाता है। देश में भिन्न-भिन्न नस्लें रह सकती हैं, राष्ट्र में भी भिन्न-भिन्न नस्लें रह सकती हैं, परन्तु जब कोई देश राष्ट्र बन जाता है, तब ये भिन्न-भिन्न नस्लें अपना भेद-भाव भूल कर एक हो जाती हैं, जब तक इन नस्लों में एकता की भावना नहीं पैदा होती, तबतक जिस देश में ये नस्लें रहती हैं, उसे हम 'देश' (Country) तो कह सकते हैं, 'राष्ट्र' (Nation) नहीं कह सकते। प्रगति की दिशा व्यक्ति को 'देश' तक सीमित न रखकर 'राष्ट्र' की तरफ ले जाने में है।





मानव को सस्कृति की देन उपहार में दे रही है, भ्रमात्मक विचार है। प्राचीन-मानव के पास भी अपनी सभ्यता थी, सस्कृति थी, साहित्य था, भाषा थी, अपने विश्वास थे, अपना धर्म था, अपना संगीत, अपने ढंग की शिक्षा और अपने ढंग की सामाजिक तथा राजनैतिक रचना थी। हमें यह मानना पड़ेगा कि प्राचीन-से-प्राचीन मानव के पास भी अपनी सभ्यता तथा सस्कृति थी, भले ही उसका विकास उस तरह न हुआ हो जिस तरह आज के मानव की सभ्यता तथा सस्कृति का विकास हो रहा है। क्योंकि प्राचीन मानव की सभ्यता का विकास भौतिक-विकास नहीं था, वह कल-कारखाने नहीं बनाता था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह निम्न-स्तर का ही था। आज का मानव अणु-बम और हाईड्रोजन-बम बनाकर अगर अपने को प्राचीन-मानव से श्रेष्ठ समझने लगा है, तो यह उसके अहंकार के सिवाय और कुछ नहीं है। विनाशकारी आज का मानव उस मानव से श्रेष्ठ कैसे कहा जा सकता है, जिसने ससार की रक्षा करके उसे यहाँ तक पहुँचा दिया, जहाँ हम आज के मानव के सामने नष्ट होने के लिए खड़े हैं ?

मानव-शास्त्र ने अब तक के अध्ययन से जो परिणाम निकाले हैं, उनसे यह स्पष्ट हो गया है कि नस्ल का सस्कृति से कोई संबंध नहीं है। पहली बात तो यह कि हर-एक नस्ल के पास कोई-न-कोई सस्कृति है, हम अपने दृष्टि-कोण से उसे नीचा कह सकते हैं, परन्तु हमारा दृष्टि-कोण गलत भी हो सकता है, एक-देशीय हो सकता है। दूसरी बात यह कि नस्ल के आधार पर सस्कृति की व्याख्या नहीं हो सकती, नस्ल के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक नस्ल ऊँची सभ्यता को ही पैदा करेगी, अमुक नस्ल नीची सभ्यता को ही पैदा करेगी। आज जिन श्वेतागों की नस्ल को ऊँची सभ्यता का दिलदादा कहा जाता है, वे कभी नगी फिरती थीं, जगलों में फल-मूल चुगा करती थीं। उस समय आज की अंधनत सभ्यता की नस्लें सभ्यता के उच्च शिखर पर थीं। अगर नस्ल का सभ्यता तथा संस्कृति से गहरा संबंध होता, तो श्वेताग नस्लों को दूसरी नस्लों के मुकाबिले में सस्कृति के नीचे पाये पर कभी होना ही नहीं चाहिए था।

## भारत की जन-जातियाँ

(INDIAN TRIBES)

भारत की जनता में भिन्न-भिन्न नस्लें हैं, यह तो हम देख चुके। नस्लों के रूप में वर्गीकरण करने के अलावा भारत की जनता का एक दूसरी तरह से भी वर्गीकरण किया जाता है। एक वर्ग में तो 'उन्नत वर्ग' (Forward classes) के लोग हैं जो सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से हमारे समाज में प्रतिष्ठित तथा सम्पन्न हैं, दूसरे वर्ग में 'निम्न-वर्ग' (Backward classes) के लोग हैं। उन्नत-वर्ग के लोगों की समस्याओं के विषय में हमें कुछ नहीं कहना, निम्न-वर्ग की समस्याओं का प्रश्न समाज का मुख्य प्रश्न है। निम्न-वर्ग को दो भागों में बाँटा जा सकता है। एक तो ऐसा निम्न-वर्ग है जिसे जन्म के कारण उन्नत वर्ग का बनने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वह तो काम नहीं करता, इसलिए अपने किये से निम्न-वर्ग का बना हुआ है, काम करे तो वह उन्नत-वर्ग में शामिल हो सकता है। इस वर्ग की समस्याओं के विषय में भी हमें यहाँ कुछ नहीं कहना। दूसरा निम्न-वर्ग ऐसा है जो अपने किये से नहीं, परन्तु जन्म के कारण निम्न वर्ग का है। जन्म के कारण निम्न-वर्ग का होने की वजह से समाज में भी उसे शिक्षा तथा समाज की अन्य सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। भारत की इस क्षेत्र की मुख्य समस्या, जन्म के कारण जिन्हें निम्न-वर्ग का कहा जाता है, उन्हीं लोगों की है। जन्म के कारण निम्न कहे जाने वाले लोगों में भी भारत में दो श्रेणियाँ हैं—एक वह श्रेणी है जिसे 'अछूत' (Untouchables) कहा जाता है। इस श्रेणी के लोग शहरों में ही, उच्च कहे जाने वाले लोगों के साथ, उन्हीं के मोहल्लों में रहते हैं, परन्तु इनके साथ व्यवहार ठीक तरह का नहीं होता। इन्हें लोग छूने से परहेज करते हैं, इन्हें मदिरो में नहीं जाने देते। इन्हें महात्मा गांधी ने 'हरिजन' का नाम दिया था। अछूतपन की समस्या को हल करने के लिए स्वतंत्र-भारत ने कानूनन अछूतपन को रद्द कर दिया है और 'अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम-१९५५' (Untouchability Offences Act—1955) के अनुसार इस कलक को भारत से मिटा दिया है। परन्तु कानून बना देने मात्र से तो समस्या हल नहीं हो जाती, अस्पृश्यता की समस्याएँ अभी पर्याप्त मात्रा में बनी हुई हैं, परन्तु इनकी समस्याओं के विषय में भी हमें यहाँ कुछ नहीं कहना। जन्म के कारण निम्न कहे जाने वालों की एक दूसरी श्रेणी है जिसे 'वन्य-जाति' या 'जन-जाति' (Tribes) कहा जाता है। इस श्रेणी के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। इन्हें 'आदि-वासी'

(Aboriginals) कहा जाता है, क्योंकि ये इस देश के शुरू-शुरू के रहने वाले हैं, इन्हें 'वन्य-जाति' या 'वन-वासी' (Forest dwellers) भी कहा जाता है, क्योंकि ये देश के अन्य व्यक्तियों के साथ उनके गली-मोहल्लों में न रह कर जगलों, पहाड़ों



नेपा की मिशमी जन-जाति की कन्या

या वस्तियों से बाहर रहते हैं, इन्हें 'आदिम-जाति' (Primitive tribes) भी कहा जाता है, क्योंकि सभ्यता की दृष्टि से ये प्रारम्भिक-अवस्था में हैं—नगरे, जगलों में शिकार करते हुए, वृक्षों के नीचे या झोंपड़ियाँ बना कर रहने के कारण ये 'आदिम-जाति' कहाते हैं। हम क्योंकि 'मानव-शास्त्र' पर लिख रहे हैं, इसलिए हम 'अस्पृश्य' या अन्य किसी निम्न वर्ग के विषय में न लिख कर भारत की 'जन-



[घ] मजूमदार की व्याख्या—“जन-जाति परिवारो या परिवार-समूहो के समुदाय का नाम है। इन परिवारो या परिवार-समूहो का एक सामान्य नाम होता है। ये एक ही भू-भाग में निवास करते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं तथा विवाह-उद्योग-धर्मों में एक ही प्रकार की बातों को निषिद्ध मानते हैं। एक-दूसरे के साथ व्यवहार के सबध में भी इन्होंने अपने पुराने अनुभव के आधार पर कुछ निश्चित नियम बना लिये होते हैं।”

[ङ] इम्पीरियल गजटीयर की व्याख्या—“जन-जाति परिवारो के एक ऐसे समुदाय का नाम है जिसका एक समान नाम हो, समान बोली हो, जो एक समान भू-भाग में रहते हों या उस भू-भाग को अपना मानते हो, और जो अपनी जन-जाति के भीतर ही विवाह करते हों।”

‘जन-जाति’ की हमने जो परिभाषाएँ दी हैं, इनके अतिरिक्त डा० रिवर्स (Rivers) ने भी इसकी व्याख्या की है, जिसके अनुसार ‘जन-जाति’ एक ऐसा सरल-सा समूह है जिसके सदस्य एक बोली बोलते हो, और जो युद्ध आदि के समय सम्मिलित रूप से कार्य करते हो। रिवर्स का कहना है कि अन्य व्याख्याकारों ने इस समूह का एक सामान्य भू-भाग में रहना आवश्यक बतलाया है, परन्तु प्रायः अनेक जन-जातियाँ फिरदर-जीवन व्यतीत करती हैं, इसलिए ‘जन-जाति’ की व्याख्या में सामान्य-भू-भाग का होना आवश्यक नहीं है। इस बात की श्री पॅरी (Perry) ने आलोचना करते हुए लिखा है कि कोई भी ‘जन-जाति’ कितना ही फिरदर जीवन क्यों न व्यतीत करती हो, फिर भी उसका किसी-न-किसी भू-भाग से सबध होता ही है। फिरदर जातियाँ सप्ताह के एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं फिरा करतीं, इसमें सन्देह नहीं कि वे फिरती हैं, परन्तु एक निश्चित भू-भाग में ही फिरती हैं। रिवर्स का कहना है कि जन-जातियाँ शत्रु के साथ युद्ध के समय एक हो जाती हैं—इसलिये रिवर्स ने इस बात को जन-जातियों का निश्चित लक्षण कहा है, परन्तु इस बात की आलोचना करते हुए रेडक्लिफ-ब्राउन (Radcliffe-Brown) का कहना है कि दूसरों से लड़ने की बात तो दूर रही, ऑस्ट्रेलियन जन-जातियाँ आपस में ही लड़ा करती हैं—ऐसी हालत में इस लक्षण को जन-जातियों का आवश्यक लक्षण कैसे कहा जा सकता है ?

[घ] “A tribe is a collection of families or groups of families bearing a common name, members of which occupy the same territory, speak the same language and observe certain taboos regarding marriage, profession or occupation and have developed a well-assessed system of reciprocity and mutuality of obligations”—*Majumdar*

[ङ] “A tribe is a collection of families, which have a common name and a common dialect and which occupy, or profess to occupy, a common territory and which have been, if they are not, endogamous”—*Imperial Gazetteer*

जो-कुछ हो, यह तो स्पष्ट है कि 'जन-जाति' की परिभाषा के सबध में विद्वानों में मतभेद है, परन्तु अधिकतर विद्वानों की राय यही है कि 'जन-जाति' का किसी विशेष भू-भाग से संबध होता ही है। भारत की जन-जातियों का तो विशेष-विशेष भू-भागों से सबध है—इसमें कोई सन्देह नहीं। सन्याल चाहे असम में क्यों न काम करते हो, वे सदा अपने को बिहार या बंगाल के अपने निश्चित स्थान का वासी कहते रहेंगे। एक निश्चित भू-भाग का होने से 'जन-जाति' के प्रत्येक व्यक्ति में अपने समुदाय के प्रति निष्ठा तथा सामुदायिक-भावना बनी रहती है। निश्चित भू-भाग के अतिरिक्त जन-जातियों में दूसरी बात यह पायी जाती है कि वे एक-समान बोली का व्यवहार करते हैं। असम के बगौचो में काम करते हुए सन्याली जन-जाति के लोग वहाँ की बोली सीख जायेंगे, परन्तु आपस में अपनी 'जन-जाति' की बोली में ही बातचीत करेंगे। तीसरी बात 'जन-जाति' में यह पायी जाती है कि वे 'अन्तर्विवाही' (Endogamous) होते हैं, जन-जाति से बाहर विवाह-सबध नहीं करते। ये 'जन-जाति' से बाहर विवाह नहीं करते—इसका यह अर्थ नहीं है कि 'जन-जाति' के भीतर ये जितसे चाहें विवाह कर सकते हैं। भीतर भी अपने 'गोत्र' (Clan) में ये विवाह नहीं करते। एक 'जन-जाति' (Tribe) कई 'गोत्रों' (Clans) से मिलकर बनती है। विवाह आदि के सबध में इनके विधि-निषेध बने होते हैं, अपनी जन-जाति में विवाह करना 'विधि' का उदाहरण है, अपनी जन-जाति के गोत्र में विवाह न करना 'निषेध' का उदाहरण है। जन-जाति का क्योंकि अपना सगठन होता है, इसलिए इसकी शासन-व्यवस्था भी अपनी होती है। इस शासन-व्यवस्था में प्रत्येक जन-जाति का अपना 'जातीय-मुखिया' (Tribal chief) होता है। यह पद आनुवंशिक तौर पर चलता है। इस मुखिया को अपने कार्य में सहायता देने के लिए बड़े-बूढ़ों की एक परिषद्-सी भी होती है, जिसकी सलाह से मुखिया काम करता है।

## २ भारत की जन-जातियों के भू-भाग (Geographical location of Indian Tribes)

भारत के विभाजन से पूर्व भारत का उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रांत जन-जातियों के निवास-स्थान के लिए प्रसिद्ध था। इन जन-जातियों को कबीला कहा जाता है। जिस समय की हम चर्चा कर रहे हैं, उस समय ये कबीले मौके-बे-मौके हिन्दुस्तान पर छापे मारा करते थे। इन कबीलों के सरदारों को छापे मारने से रोकने के लिए सरकार कुछ पेंशन के रूप में दिया करती थी। जब से हिन्दुस्तान के दो हिस्से हो गये, तब ने सीमा-प्रांत का यह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। अब उसी उत्तरी-पश्चिमी सीमा के कबायली लोग पञ्चतन्त्र-निन्तान की माँग कर रहे हैं, और पाकिस्तान का आये-दिन नाक में दम किये रहते हैं। जन-जातियों के लोग अपने को दूसरों से अलग नस्ल का समझते हैं, इसलिए अपने लिए अलग देश की माँग करते हैं। अपने देश में भी तो नागा जन-जाति के लोग स्वतंत्र नागा-प्रदेश की माँग कर रहे हैं। छोटा नागपुर की जन-जातियाँ अपना स्वतंत्र राज्य कायम करना

चाहती हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान अपने देश का हिस्सा नहीं रहा, इसलिए हम उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रांत की जन-जातियों की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे।

भारत में जिन-जिन स्थानों में जन-जातियाँ बसी हुई हैं उनको ध्यान में रखते हुए जन-जातियों के भू-भाग को तीन बड़े-बड़े क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है—पूर्वोत्तर-क्षेत्र, मध्य-क्षेत्र तथा दक्षिणी-क्षेत्र।

पूर्वोत्तर-क्षेत्र में शिमला, लेह, लुशाई पहाड़ियाँ तथा मिश्मी का इलाका आ जाता है। काश्मीर का पूर्वी हिस्सा, पूर्वी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग तथा असम और सिक्किम इस क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। इस क्षेत्र में गुरङ्ग, लिम्बू, लेपचा, आका, दफला, अबर-मीरी, मिश्मी, राभा, फचारी, गारो, खासी, नागा, कूकी, चक्मा आदि जन-जातियाँ आ जाती हैं।

मध्य-क्षेत्र में बंगाल, बिहार, दक्षिणी उत्तर-प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, मध्य-भारत, उत्तरी बम्बई, मध्य-प्रदेश तथा उड़ीसा का इलाका आ जाता है। उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी बम्बई तथा वस्तर इस क्षेत्र के प्रातवर्ती भाग में आते हैं। तीनों क्षेत्रों में यह क्षेत्र सबसे बड़ा है और इसकी आबादी अन्य दोनों क्षेत्रों से ज्यादा है। इस क्षेत्र में मध्य-प्रदेश के गोड, राजस्थान के भील, छोटा नागपुर के सन्याल, उराव और मुण्डा, सिंहभूम और मानभूम के 'हो', उड़ीसा के कान्ध और खडिया, गजाम जिले के सावरा, गदव और बोन्दा आ जाते हैं। इनके अतिरिक्त भुंज, भूमिच, विरहौर, भुंइयाँ, ज्वाग तथा सावरा जन-जातियाँ भी मध्य-क्षेत्र के अन्तर्गत हैं।

दक्षिणी-क्षेत्र में हैदराबाद, मैसूर, कुर्ग, ट्रावन्कोर-कोचीन, आन्ध्र-प्रदेश तथा मद्रास आ जाते हैं। मद्रास के तट का सबघ निकोबार तथा अडमन टापू के साथ होता हुआ यह सारा क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र कहा जा सकता है। इस क्षेत्र में हैदराबाद के चेंचू, नीलगिरी के टोडा, वायनाड के पनियन, ट्रावन्कोर-कोचीन के कडार, कणीकर तथा कुरोचन प्रमुख जन-जातियाँ हैं। निकोबार तथा अडमन छोटे टापू हैं, परन्तु इनकी जन-जातियाँ अडमनी, जारवा, निकोबारी, सेंटीनेली, ऑंग तथा शॉपन सख्या में थोड़ी हैं, परन्तु मानव-शास्त्र के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हैं। अभी तक अडमन तथा निकोबार की इन जातियों की गणना जन-जातियों में नहीं थी, परन्तु १९५५ के 'पिछड़ी जातियों के आयोग' (Backward Classes Commission) की रिपोर्ट के अनुसार इनकी जन-जातियों में गणना की सिफारिश की गई है।

### ३. भारत की जन-जातियाँ

'भारतीय-सविधान' के अनुच्छेद ३४२, खड १ में लिखा है—“राष्ट्रपति सार्वजनिक सूचना द्वारा जन-जातियों, जन-जाति समुदायों, या जन-जाति समुदाय के भीतरी समूहों की घोषणा करेंगे। इस सूचना में जो जन-जातियाँ, जन-जाति

समुदाय या जन-जातियों के भीतरी समूह परिगणित किये जायेंगे, वे सब 'अनुसूचित जन-जाति' (Scheduled Tribes) कहायेंगे।"<sup>१</sup>

संविधान के उक्त अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति ने 'अनुसूचित जन-जाति आदेश १९५०-५१' (Scheduled Tribes Order 1950-51) प्रसारित किया जिसके अनुसार १४ राज्यों तथा ६ सघ-सरक्षित-राज्यों में अनुसूचित जन-जाति के लोगो की संख्या १,९१,४७,०५४ लाख थी। १९५१ की जन-गणना के अनुसार भारत की जनसंख्या ३६,११,५१,६६९ है। इस हिसाब से भारत की कुल जन-संख्या में अनुसूचित जन-जाति के लोगों का अनुपात १९५१ की जन-गणना के अनुसार ५३० प्रतिशत था।

परन्तु क्योंकि पिछड़ी हुई जातियों तथा जन-जातियों का परिगणन इसलिए किया गया था ताकि इनकी सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, एवं स्वास्थ्य संबंधी दशा में सुधार किया जाय, इनके ऊपर इनकी दशा सुधारने के लिए रुपया खर्च किया जाय, इसलिए अनेक पिछड़े वर्गों ने जिनका उक्त गणना में नाम नहीं था, कहना शुरू किया कि उन्हें भी इन अनुसूचित जातियो तथजन-जातियो में गिना जाना चाहिए।

भारतीय-संविधान में इस बात की पहले ही कल्पना कर ली गई थी। संविधान के अनुच्छेद ३४० में लिखा है—“राष्ट्रपति अपनी आज्ञा से पिछड़े वर्गों के लोगों की सामाजिक तथा शिक्षा-संबंधी हीन-दशाओं का पता लगाने के लिए एक आयोग की रचना कर सकेंगे, जिसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट के सम्मुख रखी जा जायगी।”<sup>२</sup>

संविधान के उक्त अनुच्छेद के अनुसार २९ जनवरी १९५३ को राष्ट्रपति ने एक आयोग बनाये जाने की आज्ञा प्रसारित की जिसके अध्यक्ष श्री काका कालेलकर थे। इस कमीशन ने ३१ मार्च, १९५५ को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के सम्मुख उपस्थित की। इस रिपोर्ट के आधार पर १९५०-५१ की अनुसूचित

1 342 (1) "The President may, by public notification, specify the tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Tribes"—*Constitution of India*

2 340 (1) "The President may by order appoint a Commission consisting of such persons as he thinks fit to investigate the conditions of socially and educationally backward classes within the territory of India and the difficulties under which they labour and to make recommendations as to the steps that should be taken by the Union or any state to remove such difficulties and to improve their condition . and the order appointing such Commission shall define the procedure to be followed by the Commission"—*Constitution of India.*



जातियों की सख्या में सशोधन किया गया और पार्लियामेंट ने 'सशोधन अनुसूचित जन-जाति आदेश-१९५६' (Scheduled Tribes Order— Amendment Act, 1956) स्वीकार किया। इस नवीन सशोधन के अनुसार अब 'अनुसूचित जन-जातियों' के व्यक्तियों की सख्या २,२५,११,८५४ हो गई है, और भारत की सपूर्ण



कामेंग की आका जन-जाति की कन्या

जन-संख्या के अनुपात में जन-जाति के लोगों की संख्या ५३० प्रतिशत की जगह ६२३ प्रतिशत हो गई है।<sup>१</sup>

काका कालेलकर के 'पिछड़ी जातियों के आयोग' (Backward Classes Commission) ने 'अनु-सूचित जातियों' (Scheduled Castes) तथा 'अनु-सूचित जन-जातियों' (Scheduled Tribes)—इन दोनों की सूची तय्यार की है, परन्तु क्योंकि जैसा हम पहले लिख चुके हैं, मानव-शास्त्र में हमारा क्षेत्र जन-जातियों तक ही सीमित है, इसलिए उक्त कमीशन की रिपोर्ट में भिन्न-भिन्न प्रान्तों में जो 'अनुसूचित जन-जातियाँ' दी गई हैं, जिनमें से कुछ १९५०-५१ के आदेश में गिनाई गई हैं और कुछ की सिफारिश कमीशन ने की है, उनकी सूची हम नीचे दे रहे हैं—

(१) अजमेर—भील, भील मीणा

(२) अडमान तथा निकोबार—अडमनी, जारवा, निकोवारी, सॅटीनेली, ऑंग, शॉपन ।

(३) आन्ध्र—बगोट, चेंचु, गाडव, जटपा, कुम्मेर, कोटिय, वेंतो, ओरिय, बर्तिक, घूला या दलिय, होल्वा, पेक पुटिया, सरोना, सिधोपैको होल्वा, कोड दोर, कोड कापु, कोड रेड्डी, कोय, देसाय, कार्ड, दोंगिर कोंड, कुट्टिय, कोडु तिकिरिय कोड, योनिट कोड या गोड राज या राश कोय, लिगधारी कोय, कोट्टु कोय, कट्टु-नागकन, कोडु, बोसिय कोडु, डोंग्र कोडु, कुट्टिय कोडु, तिकिरिय कोडु, येनिट कोडु, मुन्दौर, नुकदौर, मुखदौर, पोर्ज, रेड्डीदौर, सवर कापु, सवर मालिय, सवर खुट्ट, सवर, (यरुकुला, यनादि, सुगाली, लवाडी, वाल्मीकि—ये आयोग की सिफारिश के अनुसार) ।

(४) अमम—डिमासा (कचारी), गारो, हाजग, खामी और जयन्नीया, कुकि-जनजातियाँ जिनकी अबान्तर जन-जातियाँ ३५ के लगभग हैं, लखेर, लुगाई (मेजो), मिकिर, नागा, सिन्देग, आवर, आका, आपाटनी, डफला, गालग, ग्वामटि, मिछमि, नागा, सिफो, मम्वा, शरडुकपेन, वडी-वडोकचारी, देउरी, होजाई, कचारी, लालग, मेच, मिरि, राभा, (चकमा, म्हार, मान, पावी तथा अन्य ४७ जन-जातियाँ आयोग की सिफारिश के अनुसार) ।

(५) भोपान—भौन, गोड, कोर, फोरकू, भोगिया, पारवि, सहरिया या सोइया या सौर, (भिलाना, कोल—ये आयोग की सिफारिश के अनुसार) ।

(६) बिहार—अमुर, बैगा, बठुदी, वेदिया, विस्मिआ, विरहोर, विरजिआ, चेरो, चिकवराइक, गोड, गोराइत, हो, फरमाली, खरिआ, खरवार, खोड, फिसान, फोड, कोरवा, लोहार, माहली, माल पहरिया, मुण्डा, उरांव, परहैया, सन्याल, सोरिया पहाडिया, सावर, भूमिज (अगडिया, नवजारा, भूइहर, धनवर, कावर,

1 Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Tribes, 1956-57, Part II p 15.

कुमारभाग पहाडिया, पहिरा, प्रधान, तमरिया, थारू तथा इनके अलावा २२ अन्य जन-जातियाँ आयोग की सिफारिश के अनुसार) ।

(७) वन्वई—बर्डा, वावचा, भील (भगालिया, भीलगरासिया, घोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील), चोघरा, घाणका, घोडिया, दुवला, गामित या गामटा, गोड, कावोडी या फातकरी, कोकणा, कोली डोर, कोली महादेव, मावची, नायकडा या नायक, पारधी (अडवी-चिचर, फांसे पारधी), पटेलिया, पोमला, पावरा, रायवा, ठाकुर, वलवाई, वारली, वसावा, (चौघरी, कोंकणा, कुकणा, कोकणी, कोकणी कुणवी, कुणवी, तडवी, तलाविया—ये आयोग की सिफारिश के अनुसार) ।

(८) कुर्ग—कोरम, कुडिय, कुरुवा, मराठा, मेडा, यरवा ।

(९) दिल्ली—इस प्रदेश में कोई जन-जाति नहीं ।

(१०) हिमाचल प्रदेश—तिव्वतन, (गद्दी, जूज्जर, जाड, लम्बा, खम्पा, कनोरा या कन्नर, लाहौला, पगवाल—आयोग की सिफारिश के अनुसार) ।

(११) हैदरावाद—अन्ध, भील, चेंचु या चेंचुवार, गोंड (नायकपोड, राज गोंड), पहाडी रेडी, कोलम (मन्नूर वालू), कोया (राज कोया, भिने कोया), प्रवान, थोटी, (बडेर, या वेडा, घिसाडी या लोहार, कोली, लम्बाडा या वजारा या लमाण या लमाणो या माथुरा वनजारा, यनादो, यरुकला—ये आयोग की सिफारिश के अनुसार) ।

(१२) कच्छ—भील, कोली, पारधी, वाघरी, घोडिया ।

(१३) मद्रास—अरन्दन, वगत, भोत्तदास-बोडो भोत्तद या मुरिया भोत्तद और सनो भोत्तद, भूमिआ, भूरि भूमिया और बोडो भूमिआ, चेंचु, गडव-बोड गडव या सेरल्लम गडव या फ्रजी गडव याजोडि या गडव या ओलारो गडव या पगी गडव और प्रग गडव, गोंडी-मोदया गोड और राजो गोंड, गौडस-वातो, भीरिख्या दुधोकौरिया, हातो, जतको, जोरिया, कोसल्य गौडस-बोसोयोरिया गौडस, चित्ति गौडस, डगायय गौडस, डोडू कमरिया, डोडू कमरो, लदिय गौडस, पुल्लोसोरिय गौडस, मगध गौडस-वरनिया गौड, बूदो मगध, डोंगयय गौड, लड्य गौड, पोन्न मगध, सन मगध, होल्वा, जदपस, जतपस, कम्मार, कत्तुनायकन, खत्तिस-खत्ती, कोमरावो, लोहार, कोडु, कोम्मार, कोंड घोरास, कोड कपुस, कोड रिड्डिस, कौंघस-दसय कौंघस, डोगरिया कौंघस, कुट्टिय कौंघस, टिकिरिया कौंघस, येनिटी कौंघस, कोटा, कोटिया-वरतिका, बेन्थो उरिया, धूलिया दूलिया, होल्वा पैको, पुतिय, सनरोना, सिद्धो पैको, कोया या गौड (राज या राश कोया, लिंगधारी कोया, को ट्टु कोया), कुडिय, कुरुमनस, मन्न घोरा, मौने, मुख धोर-नूक घोरा, मुरिया, पंगरपु, पलासी, पनियन, पोरजस-बोडो बोन्दा, दाखव, डिडुआ, जोरिया, मुंडिली, पेंगु, पाइदी, सलिया, रेड्डि घोरास, सवरस कपु सवरस, शोलग, टोडा, (फनियन, मलियाली, मराटी, मलयेकुडी, येरुकुलास, बडगा, येनावीस, काडर, थावियान, कुरीचन्स, पल्लियान, मुगली, काडु, कुरगन—ये आयोग की सिफारिश के अनुसार) ।

(१४) मध्य-भारत—गोड, कौकुं, सहरिया, भील, (बरेला, खारदं, मनकर, निहाल, पाटलिया, तडवी—ये आयोग की सिफारिश के अनुसार) ।

(१५) मध्य-प्रदेश—आध, वंगा, भैना, भारिया-भूमिया या भूइआर-भूमिया, भतरा, मील, भूजिया, विज्ञवार, विरहुल या विरहोर, धनवार, गदावा या गदवा, गोड (माडिया, मारिया, मुडिया, मुरिया), हलवा, कमार, कवर या कवर, खैरिया, कोंघ या खोंड या काघ, कोल, कोलम, कोरकू, कोरवा, मझवार, मुंडा, नगोसिया या नगासिया, निहाल, उराव, परधान, पारधी, परजा, साभोता या सोता, संवर या संवरा, (धुनव, दोनला, क्षोरिया, खैरवार, कोइतन, पनका, भिल्लाल, भील-कोटील, भील-तडवी, नायकर, नायकडा-भील, पाडो, कोया, मन्नेवार, डोरला, माना, वायसन हार्नमाडिया, घाणका, वहेलिया, चिता पारधी, लगोली पारधी, फास पारधी, शिकारी टाकनकर आदि आयोग की सिफारिश के अनुसार) ।

(१६) मणिपुर—कुकी, लुशाई, नागा, (ऐमोल, अनल, अंगामी, चौर, चौथ, गगते, ह्यार, कावू, कचा नागा, खोइराओ, कोइरेंग, कोम, कुकी, लम-गग, लुशाई, मराम, मरिंग, माओ, नागा, पंती, पुरुम, रलते, सेमा, सुक्ते, तंखुल, थाडोउ, वंफुई—ये आयोग की सिफारिश के अनुसार) ।

(१७) मैसूर—हसलार, इरुलिगा, जेनु कुरुवा, कडु कुरुवा, मालेर, सोलीगर । बेलारी जिले में वह सारी-की-सारी लिस्ट आ जाती है जो मद्रास में अरनन्दन से शुरू करके टोडा तक हम ऊपर दे आये हैं । उस सारी लिस्ट को दोबारा देना बेकार है । (गौडल, मलंकुडी—ये दो जन-जातियाँ आयोग ने अपनी सिफारिश से और बढ़ाई हैं) ।

(१८) उड़ीसा—वागता, वंगा, वनजारा या वनजारी, वायुडो, भूइया या भूयाँ, विज्ञल, विज्ञिया या विज्ञोआ, विरहोर, बन्दोपरजा, चेंचु, दल, गादवा, धारा, गड, गोरेत या कोरेत, हों, जटापु, जुआंग, कावार, खरिआ या खरिआँ, करवार, कोन्व या कघ या नगुली कघ या सीय कघ, किसान, कोल्ह कोल लोहार, कोल्ह, कोली, कोन्द दोरा, कोरा, कोरुआ, कोया, कुलीस, माहाली, माकिडी, माकिरडिआ, मिरवा, मुंडा (मुंडा लोहार और मुंडा माहाली), मुंडारी, ओरग, परजा, साताल, सौरा, थारुआ, (भूमिआ, भूमिज, भूजिआ, देसुआ भूमिज के अतिरिक्त २१ और जन-जातियाँ आयोग की सिफारिश के अनुसार उड़ीसा की जन-जातियों में परिगणित की गई हैं) ।

(१९) पेंपु—इस प्रदेश में कोई जन-जाति परिगणना में नहीं है ।

(२०) पजाव का कागटा जिला—तिव्वतन, (गद्दी, जाड या कनीर—ये आयोग की सिफारिश के अनुसार) ।


(२१) राजस्थान—भीन, (भील, भीलमीणा, उमोर या उमरिया, गरासिया, सेहरिया या सहरिया तथा अलवर, भरतपुर, बूंदी, उदयपुर में मीणा—आयोग की सिफारिश के अनुसार) ।

सातों भिन्न-भिन्न वर्गों के थे, कोई किसी की बात नहीं समझ सकता था। वे एक-दूसरे से पूछने लगे कि चावल के साथ खाने को दूसरे के पास क्या है? हर-एक ने नया ही नाम लिया। किसी ने कहा आतुशेह, किसी ने ग्वोमिशि मुगिशी किसी ने अमूसा, किसी ने अखेत्रे नाम लिया। जब कोई किसी की बात न समझा, तो सब ने अपनी चीज को खोल कर दिखलाया। सब के पास लाल-मिर्च थी। अलग-अलग भाषा के अतिरिक्त प्रत्येक उप-जाति का अपना भू-क्षेत्र निश्चित है और उसमें वे दूसरी नागा उप-जाति को नहीं आने देते। इनमें कई सिर के एक तरफ, कई सिर के पीछे चोटी रखते हैं। इन उप-जातियों का आपस में सदा द्वन्द्व-युद्ध चला करता है, एक ही उप-जाति में भी एक गाँव का दूसरे गाँव से झगडा रहता है। शत्रुता की भावना पिता से पुत्र और पुत्र से पौत्र तक चलती है। इनमें से कई लोग तो अपने गाँव की सीमा से बाहर भी नहीं गये। इनमें शत्रु का सिर काट लाने की अद्भुत प्रथा है। जो व्यक्ति शत्रु का सिर काट लाते हैं, उन्हीं को अपने शरीर को अलकृत करने का अधिकार होता है। इनमें से सेमा तथा कोनयक उप-जातियाँ तो सिर का शिकार करने के लिए प्रसिद्ध हैं। नागाओं में अगामी नागाओं की सख्या सब से अधिक है और ये लोग कोहीमा की पहाडियों के आस-पास रहते हैं। अगामी नागा युद्ध-प्रेमी होते हैं और नागाओं की दूसरी उप-जातियाँ इनसे भयभीत रहती हैं। इन अगामी नागाओं में शिक्षा का भी कुछ प्रचार हो चला है और इन्हीं के विद्रोह के कारण 'नागा नेशनल काँसिल' का निर्माण किया गया है। इन शिक्षित नागाओं का नेता जेफो फिजो है जो नागाओ के एक स्वतंत्र प्रदेश की माँग कर रहा है। ब्रिटिश शासनकाल में जो अफसर नागाओं के प्रदेशों में शासन कर रहे थे वे नागाओं के सपर्क में आने के बाद मानव-शास्त्र में रुचि लेने लगे। उनकी धीरे-धीरे यह सम्मति बन गई कि नागा-प्रदेशो को भारत से अलग रखना चाहिए क्योंकि सभ्य ससार के सपर्क में आने के बाद इन लोगो की अपनी सस्कृति नष्ट-प्राय हो जाती है। ये लोग काठ के या काँच तथा कौडियों के बने आभूषण बड़े चाव से पहनते हैं, पेड के पत्तों से शरीर को ढकते हैं। एक ही ग्राम में गोत्र-सवध द्वारा सभी नागा आपस में रिश्तेदारी में बँधे होते हैं। कृषि करने का नागाओ का ही नहीं, प्राय सभी पहाडो पर रहने वाली आदिम-जातियों का ढग ऐसा रहा है जिससे जमीन का नुकसान ज्यादा होता है। पहले ये पहाडी के वृक्ष या बाँस काट डालते हैं, इस प्रकार साफ किये जगल में आग लगा देते हैं, और बीज को राख में बखेर देते हैं। पहले साल-दो-साल अच्छी उपज होती है, बाद को जमीन की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है, वृक्षों के न रहने से बरसात में जमीन का बहुत-सा हिस्सा बह जाता है। एक जगह खेती करने के बाद फिर वे दूसरी जगह चुन लेते हैं, और इस प्रकार साल-दो-साल में जगह बदलते रहते हैं। खेती को इस प्रकार बदल-बदल कर करने को असम तथा त्रिपुरा में 'झूम', मध्य-प्रदेश में 'बेवार', 'दाहिया' या 'पेंडा', आन्ध्र में 'पोडु', उत्तरी उडीसा में 'राम', 'दहि', 'कोमन' या 'ब्रिग' एव अग्नेजी में 'कृषि-स्थान-परिवर्तन' (Shifting culti-

vation) कहते हैं। खेती का यह ढग जमीन को खराब कर देता है, इसलिए अब कोशिश की जा रही है कि ये जन-जातियाँ खेती करने के नवीन उपायो को सीखें।

(२) अमम के खामी—खासी लोग 'मातृ-सत्ताक' (Matri-archal) हैं, अर्थात् इनमें पिता की प्रधानता के स्थान में परिवार में माता की प्रधानता होती है। इनके समाज के चार विभाग हैं— शाही खानदान जिसे 'की सोएम' कहते हैं, पुरोहित खानदान जिसे 'की लिंगोह' कहते हैं, मन्त्रियों का खानदान तथा सामान्य खानदान—इस प्रकार इनमें चार 'खानदान' या 'गोत्र' (Clan) माने जाते हैं। इन चारों की सामाजिक-स्थिति एक-दूसरे के बाद आती है। शाही के बाद पुरोहित, पुरोहित के बाद मन्त्री और मन्त्री के बाद सामान्य लोग समझे जाते हैं। इस सामाजिक-भेद के होते हुए भी विवाह-बंधन में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। किसी खानदान का व्यक्ति किसी भी खानदान में शादी-न्याह कर सकता है। खासी लोग जनतिया तथा खासी पहाड़ियों एवं शिलांग में रहते हैं। पहाड़ी ढलावों को ये लोग इस प्रकार काटते हैं कि वे समतल हो जाते हैं। एक समतल ढलाव दूसरे से नीचा होता है, और इस प्रकार पानी ऊपर से नीचे हर ढलाव को सौंचता चला जाता है। इस प्रकार मील-मील तक ये ढलावों को सौंच लेते हैं। हाल में खासियों के इलाके में आलू की खेती शुरू की गई है जिससे उनकी आर्थिक-व्यवस्था को बहुत लाभ पहुँचा है। इस प्रदेश में वर्षा बहुत होती है, ४०० इंच तक हो जाती है। यहाँ खेती करने का अपना ढग है जिसे 'सूम' कहते हैं। नागाओं का वर्णन करते हुए हम खेती की इस प्रथा का उल्लेख कर आये हैं। जगल को जला कर उसकी राख में ये लोग बीज बखेर देते हैं। पहले दो-तीन साल अच्छी खेती होती है, बाद को जमीन की उर्वरा-शक्ति कम होने पर उस जगह को छोड़ कर दूसरी जगह खेती करने लगते हैं। खाली पडी यह जमीन वर्षा में कट कर बहने लगती है जिससे जमीन को बहुत नुकसान पहुँचता है। इस दोष को दूर करने के लिए अनेक उपाय हमारी सरकार बरत रही है। गृह-निर्माण में लकड़ी, पत्थर, बांस, स्लेट, पत्ते आदि काम में लाये जाते हैं। पहले मकान की दीवार चारों तरफ से पत्थर की बनाने तथा मकान में कीलों का उपयोग करने के प्रति इस जन-जाति के लोगों में 'वर्जित-भावना' (Taboo) मौजूद थी, परन्तु अब शन-शन यह भावना हटती जा रही है। खासियों में सब से छोटी लडकी की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवार की सम्पत्ति की वही रक्षक समझी जाती है, धार्मिक सत्कार भी वही करती है। इस प्रकार उत्तराधिकार में सम्पत्ति सबसे छोटी लडकी को मिलती है, और वह एक प्रकार से सारे परिवार की ट्रस्टी समझी जाती है। खामी लोग मृत-व्यक्ति का दाह-सम्कार करते हैं, परन्तु जो हैजा, चेचक आदि मफामक रोगों से मरते हैं, उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है। खासियों की बहुत बड़ी संख्या ने ईनाई धर्म स्वीकार कर लिया है और विजातियों के नपक के साथ-साथ उसकी कई नई-नई नमम्याएँ भी उठ खडी हुई हैं।

(३) नीलगिरी के टोडा—दक्षिण-भारत के उत्कमड पर्वत की यात्रा के लिए जो लोग गये हैं, उन्होंने वहाँ के किसी टोडा-गाँव को देखा ही, तो उन्हें विचित्र प्रकार का अनुभव हुआ होगा। टोडा लोगो का शरीर सुदृढ़ तथा गठा हुआ होता है, रोमन नाक, तेजस्वी आँखें, चमकते हुए दाँत और घने बाल उनके शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं। ये लोग बाल कटवाते या मुँडवाते नहीं, पुरुषों की शानदार दाढ़ी-मूँछ लहराया करती है, और स्त्रियाँ लम्बे-लम्बे बालों को बट कर जटाओं के रूप में उन्हें लटका लेती हैं। टोडाओं की वेश-भूषा भी अपने ढंग की निराली होती



टोडा जन-जाति की स्त्री

हैं। लम्बे सफेद कपड़े के दोनों किनारों को बेल-बूटों से काढ़ कर वे पहनते हैं। इस कपड़े को वे शरीर से लपेट-सा लेते हैं। स्त्रियों तथा पुरुषों के पहनावे में कोई भेद नहीं होता। स्त्रियाँ शरीर को गोवा लेती हैं, पीतल तथा चाँदी के आभूषण पहनती हैं।

नीलगिरि पर्वत के सुन्दर वनों में टोडा लोगों के गाँव होते हैं। इन गाँवों में ३-४ होठे घर होते हैं। इन गाँवों को वे मुंड कहते हैं। इस मुंड में इनके छप्पर पड़े होते हैं। इन का व्यवसाय पशु-पालन है। ये खूब दूध पीते और घी खाते हैं। स्त्रियाँ वालों में भी घी मलती हैं। किसी समय नीलगिरि का सारा प्रदेश इनका था, परन्तु अब तो इन्हें भोजन के भी लाले पड़ रहे हैं।

टोडा लोगों में एक अद्भुत प्रथा है जिसके अनुसार एक स्त्री के अनेक पति होते हैं। इस प्रथा को 'बहुभर्तृता' (Polyandry) कहते हैं। यह प्रथा देहरादून के जौनसारी लोगों में भी पायी जाती है। कुछ साल पहले टोडा लोगों में आतशक तथा मुजाक ऐसा फैलने लगा कि यह आशंका हो चली थी कि ६०० के लगभग मृत्यु की यह टोडा जन-जाति कहीं खत्म ही न हो जाय। १९५१ में मद्रास सरकार के प्रयत्नों से ये वीमारियाँ काबू में आयीं और तब से इस जन-जाति की रक्षा की व्यवस्था सोची जाने लगी। फिर भी वर्तमान सन्ध्या का टोडा लोगो पर प्रभाव पड़ रहा है, और जैसे अन्य जन-जातियाँ अपनी सत्कृति को छोड़ती जा रही हैं, वैसे टोडाओं का अस्तित्व भी ढलता चला जा रहा है।

(४) उत्तर-प्रदेश के भील—उत्तर-प्रदेश, मध्य-प्रदेश, भोपाल, बम्बई, हैदराबाद आदि अनेक स्थानों में भील फैले हुए हैं। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, परन्तु शिकारी होने के कारण तीर-कमान साधने में भी ये कुशल-हस्त हैं। श्री रामचन्द्र जी ने भीलनों के दिये घेर खाये थे—ऐसा कथानक प्रसिद्ध है। द्रोणाचार्य से एक भील एकलव्य तीरदाजी सीखना चाहता था, और उनसे उनकी मूर्ति सामने रख कर इस विद्या का इतना अभ्यास कर लिया था कि उसके छोड़े हुए तीर निशाने को बाँध कर वापस लौट आते थे—ऐसी बातें भी प्रसिद्ध हैं। भीलों का कद नाटा, सखे बाल, लाल आँखें और उभरे हुए जबड़े होते हैं। इनके यहाँ विवाह की एक विचित्र प्रथा प्रचलित है। जो युवक अद्भुत साहस का परिचय देता है वह जिन लड़की को चाहे उससे विवाह कर सकता है। होली के त्यौहार के समय एक बाँस गाड़ कर उसके या किसी वृक्ष के ऊपर नारियल या गुड़ टाँग दिया जाता है। इस बाँस या वृक्ष के चारों तरफ स्त्रियों का और स्त्रियों के चारों तरफ पुरुषों का घेरा लग जाता है। युवक लोग इन दोनों घेरों को चीर कर बाँस या वृक्ष पर गये नारियल या गुड़ को पाने का यत्न करते हैं। घेरे को पार करते समय स्त्रियाँ युवक के कपड़े फाड़ देती हैं, उसे झाड़ू से मारती हैं, उन्हे नोचती हैं, घेरे को तोड़ने नहीं देतीं। जो भी युवक चाहे इस बाँस या वृक्ष के चारों तरफ नाच-कूद सकता है। जो युवक इस घेरे को पार कर के नारियल या गुड़ खाने के लिए पहुँच जाता है, वह इस घेरे वाली जिस-किसी लड़की से भी विवाह कर सकता है और उन्ही समय उन्हे पकड़ कर घर ले जा सकता है। आदिम-जातियों में इस वान का सदा डर बना रहना है कि कोई बाहर का व्यक्ति उनके दायरे में प्रवेश न कर ले इसलिए वे अपनी जन-जाति में ही विवाह करती हैं, और इसलिए आदिम-जातियाँ 'अन्तर्विवाही' (Endogamous) पायी जाती हैं। भील भी अन्तर्विवाही



हैं, फिर भी हिन्दुओं में प्रविष्ट होने के लिए इन्होंने अनेक स्थानों में अन्तर्विवाही प्रथा को तोड़ कर हिन्दुओं की निम्न-जातियों में शादी-व्याह किया है। मुसलमान शासकों के विरुद्ध भीलों ने अपने राजाओं का साथ दिया था—इस दृष्टि से भी इस जन-जाति का भारत के इतिहास में काफी महत्व है।

(५) बिहार के सन्याल—भारत की जन-जातियों में सन्याल लोगों की संख्या २० से ३० लाख तक है। बहुत ज्यादा जन-संख्या वाली जन-जातियों में इनकी गणना है। अधिकतर ये बिहार में पाये जाते हैं, परन्तु अब दूसरे प्रदेशों में भी फैलने लगे हैं। उत्तरी बंगाल में कृषिकार के रूप में, असम के चाय-बगीचों में कुलियों के रूप में, जूट तथा कपड़ों की मिलों में मजदूरों के रूप में ये काम करते हैं। इनके दो वर्ग पाये जाते हैं। एक वर्ग तो सम्यता के सपर्क में आता जा रहा है, जो खेती, कुली, मजदूर के रूप में काम करने लगा है, दूसरा वर्ग सम्यता के सपर्क में नहीं आया। इस वर्ग के लोग जंगलों में रहते हैं, अगर इकले में कहीं शहरों का कोई व्यक्ति उन्हें मिल जाय, तो वे भाग खड़े होते हैं, पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, कोड़े-मकोड़े खाते हैं, नग्नप्राय रहते हैं। ऑस्ट्रिक-परिवार की एक उप-भाषा है जो एशिया में बोली जाती है। एशिया में बोली जाने के कारण इसे ऑस्ट्रो-एशियाई भाषा कहते हैं। इस भाषा-परिवार की अनेक भाषाओं में एक मुण्डा भाषा है। नागा लोग ऑस्ट्रिक परिवार की ऑस्ट्रो-एशियाटिक इस मुण्डा भाषा को बोलते हैं। अब धीरे-धीरे ये बहु-भाषी बनते चले जा रहे हैं। सन्यालों के समाज का सगठन 'टोटम' (Totem) के आधार पर बना हुआ है। 'टोटम' कोई ऐसा पशु, वृक्ष या अन्य कोई प्राकृतिक वस्तु होती है, जो किसी उप-जन-जाति का प्रतीक होता है। जिनका एक 'टोटम' होता है, वे आपस में विवाह नहीं करते। सामाजिक-सगठन की दृष्टि से प्रत्येक गाँव का एक मुखिया होता है जो अपनी विरादरी पर शासन करता है। बड़े गाँव में पचायत की-सी व्यवस्था होती है। ये लोग अधिकतर खेती और शिकार से पेट भरते हैं। जंगलों को साफ करने में सन्याल सिद्ध-हस्त होते हैं।

(६) कोचीन के कादर—'कादर'-शब्द का अर्थ ही है—'जंगल के वासी'। ये लोग शहरों के आस-पास न रहकर घने जंगलों में रहते हैं, सभ्यतः आदिम जन-जातियों में ये सबसे प्राचीन हैं। नस्ल की दृष्टि से इन्हें किसी शुद्ध नस्ल का नहीं कहा जा सकता। स्वभाव के सौम्य होते हैं, युद्ध के लिए उतावले नहीं रहते। जंगल में प्रायः फिरदर जीवन व्यतीत करते हैं, कहीं-कहीं बाँसों की झोंपड़ियाँ बना कर भी रहते हैं, १५-२० झोंपड़ियों का एक गाँव होता है। ये लोग जंगली कन्द-मूल खोद कर अपना निर्वाह करते रहे हैं, परन्तु मास-मछली के भी शौकीन हैं। जीवित या मृत रीछ या जंगली साड़ का मास नहीं छूते। शहद का इन्हें बहुत शौक है और शहद इकट्ठा करने की मौसम का ये जी खोल कर आनन्द उठाते हैं। विवाह युवावस्था में करते हैं। इनमें 'अन्तर्विवाह' बहुत कम होता है, 'बहिर्विवाह' की प्रथा अधिक प्रचलित है। भाई-बहिन के बच्चों में

शादी हो सकती हैं। 'बहुभार्यता' (Polygyny) तथा 'बहुभर्तृता' (Polyandry) से ये लोग अपरिचित हैं। ये लोग एक पत्नीव्रत (Monogamy) का पालन करने वाले हैं। जगल से शहद, मोम, इलायची आदि छोटी-मोटी चीजें एकत्र कर लाते हैं। हाथी पकड़ने की कला में सिद्ध-हस्त होते हैं। सरकार की जुरफ से इन्हें जगली-जमीनो में खेती करने की पूरी छूट है, उस पर कोई लगान नहीं लिया जाता, परन्तु जगली जानवरों के भय के कारण ये जंगलो में खेती नहीं करते। उनका ह्याल है कि बड़े पैमाने पर खेती करना समय को नष्ट करना है। अपनी क्षोपडी के आस-पास केले आदि के पेड लगा लेते हैं, और जो सब्जियाँ रोज-भर्रा के काम आती हैं, उन्हें वो लेते हैं। अब सभ्यता के सपर्क में आनेसे उनमें आतशक आदि बीमारियाँ घर करने लगी हैं, और इनकी नस्ल का ह्रास होने लगा है।

(७) हैदराबाद के चेंचु—हैदराबाद के घने पहाडी प्रदेशो से नहाँ जगली जानवरों की बहुतायत है, चेंचु जन-जाति के लोग रहते हैं। जिसे हम 'गाँव' कहते हैं, उसे ये 'पेंटा' कहते हैं। इस प्रकार के इनके ५३ पेंटा गत जन-गणना में बसे हुए थे, जिनमें से एक-एक में १२-१५ क्षोपडियाँ थीं। कुछ वर्ग-मील के घेरे में ये बैरियाँ, कन्द-मूल और शहद एकत्रित करते हुए घूमते-फिरते हैं। इनके पास युद्ध के अस्त्र-शस्त्र नहीं होते, तीर-कमान ही इनका एकमात्र अस्त्र है। ये बड़े ईमानदार, दयालु तथा आतिथ्य करने वाले होते हैं। कृषि से ये सर्वथा अनभिज्ञ हैं। अगर किसी चेंचु से कृषि के विषय में पूछा जाय, तो यही कहेगा कि वह खेती की कोई बात नहीं जानता। पशु-पालन से वे अभिज्ञ हैं। बकरियाँ और मुग्रियाँ पालते हैं, कुत्ते पालने का उन्हें शौक है। कन्द-मूल और जगल के बेर खाकर वे पेट भर लेते हैं। महुए का आटा भी बना लेते हैं, और इसका पेय भी बना लेते हैं। पशुओ का मास भी ये लोग खाते हैं। यह जन-जाति पाँच 'टोटमों' (Totems) में विभक्त है। एक 'टोटम' का दूसरे 'टोटम' वाले के साथ विवाह नहीं कर सकता, विवाह अपनी जन-जाति में तो होता ही है, परन्तु अपने 'टोटम' में नहीं होता। इसके अतिरिक्त विवाह ममेरे तथा फुफेरे भाई-बहिन में ही हो सकता है, अन्य किसी में नहीं। कुछ चेंचु अपने मुर्दों का दाह-सस्कार करते हैं, कुछ उन्हें जमीन में गाड देते हैं।

#### ६. भारत की जरायमपेशा जन-जातियाँ

वैसे तो जन-जातियो की सख्या बहुत बड़ी है, सब पर लिखने के लिए एक अलग पुस्तक की आवश्यकता है, तो भी हमने असम के नागा तथा खासी, नीलगिरि के टोडा, उत्तर-प्रदेश के भील, बिहार के सन्याल, कोचीन के कादर तथा हैदराबाद के चेंचु—इनके विषय में कुछ लिखा है ताकि इन जन-जातियो के रहन-सहन, रीति-रिवाज के विषय में कुछ परिचय हो जाय।

इन जन-जातियों के अनिरिक्त भारत में कुछ ऐसी जन-जातियाँ हैं जो जरायम-पेशा (Criminal tribes) गिनी जाती हैं। हम जिन जन-

जातियों का वर्णन कर आये हैं वे जरामय-पेशा नहीं हैं, परन्तु जन-जातियों के संबन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुए हमें जरामय-पेशा जन-जातियों से भी परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए।

भारत में कई जन-जातियाँ ऐसी रही हैं जिनका पेशा चोरी, डकैती, लूट-मार करना रहा है। ऐसी अपराधी जातियों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है—(क) वे जन-जातियाँ जो शुरु-शुरु में अपराधी थीं, परन्तु जो अब कहीं बस गई हैं और ईमानदारी से आजीविका का उपार्जन करती हैं। इन में से कुछ हिस्सा या कुछ व्यक्ति अभी तक किसी-न-किसी अपराध द्वारा ही आजीविका का निर्वाह करते हैं, (ख) ऐसी जन-जातियाँ जिनका निवास एक निश्चित स्थान पर है, जो जाहिरा तौर पर कोई धंधा भी करती हैं, परन्तु जिनका काम अपने निवास-स्थान से कहीं दूर जाकर चोरी-डाका डालना है, (ग) ऐसी जन-जातियाँ जो खानाबदोश हैं, कहीं टिक कर नहीं बैठतीं, और जब कभी जहाँ-कहीं मौका मिलता है, वहीं चोरी-डकैती-सँघ लगाकर अपना काम चलाती हैं।

अब से २५ साल पहले अपराधी जन-जातियों की जन-संख्या ४० लाख के लगभग थी। हर प्रान्त में इनकी काफी तादाद है। भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न नामों की अपराधी जन-जातियाँ हैं। उदाहरणार्थ—

(१) उत्तर-प्रदेश की अपराधी जन-जातियाँ—गूजर, बहेलिया, बधिक, पासी, दुसाध, मल्लाह, नट, डोम, वनजारा, हबूडा, कजर, भातू, वावरिया, बेडिया, साँसिया, करवाल, आँधिया—ये उत्तर-प्रदेश की अपराधी जन-जातियाँ हैं। पासी खेती करते हैं, पर लूट-पाट से भी नहीं चूकते। बेडिया जाली सिक्के बनाते और राह चलतो को घर दवाते हैं। कजर अक्सर शिकारी जीवन व्यतीत करते हैं, चटाई-पत्तल-दोने बनाते हैं, और मौका पडने पर राहजनी से नहीं चूकते। नट अपनी स्त्रियों से वेश्यावृत्ति कराते हैं। वनजारे पशु-पालन करते, पशु चराते तथा मौके-बे-मौके दूसरों के पशु उडा लाते हैं। इसी प्रकार अन्य जन-जातियों के लोग किसी-न-किसी अपराध द्वारा जीवन-यापन करते हैं। जिन अपराधी जन-जातियों को जीवन-यापन का कोई ईमानदारी का धंधा मिल जाता है, वे अपराध करना छोड़ कर बस जाना पसन्द करती हैं, नहीं तो अपने पेशे में रमे रहती हैं।

(२) पंजाब की अपराधी जन-जातियाँ—बहेलिया, मीना, हरनिस, गुरमग, दुमना, चूवरा, रावल, वावरिया, धोवर तथा बगाली—ये पंजाब की अपराधी जन-जातियाँ हैं।

(३) मध्य-प्रदेश की अपराधी जन-जातियाँ—बधिक, बेदर, बेरिया, बेडिया, भामता, गोपाल, जादुआ, कजर, खगर, कोल्हासी, कोली, कोरकू, कोरवा, माल, माँग गरौरी, मीना, नहल, नट, पासी, सनौरिया, साँसिया, एरुकला—ये मध्य-प्रदेश की अपराधी जन-जातियाँ हैं।

(४) मद्रास-प्रान्त की अपराधी जन-जातियाँ—आदि-द्रविड़, जेम, कल्लन, चेंचु, कोरुआर, एरुकुलर, बीरी, बोया, वार्तुजा, भाट्ट, तुरक, चपरबन्द, दडसी, खोगर, कत्यरबन्धु, कौरव—ये मद्रास-प्रात की अपराधी जन-जातियाँ हैं।

(५) बम्बई-प्रान्त की अपराधी जन-जातियाँ—कंकाड़ी, घटीचोर, हरिण शिकारी, मगरदिस, लमहुड़ी, कजरभाट, छप्परबद, वोस्तर, कतबू, बेरद, हूर, धरल, बद्दर, लाभानी, रामोशी, मान, भमता, फांसी, पर्घी, कजर, बधरी, नट—ये बम्बई-प्रान्त की अपराधी जन-जातियाँ हैं।

(६) राजपूताना की अपराधी जन-जातियाँ—बनरिया, सांसी, मीना, कजर, वागडी, भील, बदक, बहेलिया, अहेरिया, बेरिया, भाट्ट, नट—ये राजपूताना की अपराधी जन-जातियाँ हैं।

## ६. भारत की कुछ मुख्य-मुख्य जरायमपेशा जन-जातियाँ

भिन्न-भिन्न प्रान्तों में जिन अपराधी जन-जातियों का हमने परिगणन किया है, उसका यह अभिप्राय नहीं कि वे दूसरे प्रान्तों में नहीं होतीं। एक ही अपराधी जन-जाति भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भी पायी जाती है। इनमें से कुछ अपराधी जन-जातियों पर हम यहाँ प्रकाश डालेंगे —

(१) नट—नट जन-जाति के लोग उत्तर-प्रदेश तथा राजपूताना में पाये जाते हैं। ये नाचते, गाते, खेल-तमाशा तथा मदारी के खेल दिखाते फिरते हैं। इनकी स्त्रियाँ नैतिकता की दृष्टि से उच्च-स्तर का पालन नहीं करतीं। ये लोग अपनी स्त्रियों में घघा कराते हैं, वेश्यावृत्ति के लिए ये प्रसिद्ध हैं। मिर्जापुर की तरफ इनकी सख्या अधिक पायी जाती है। वहाँ इनके कई विभाग पाये जाते हैं जिनमें से सब का अलग-अलग 'टोटम' (Totem) होता है। इनका सामाजिक सगठन अत्यन्त जटिल है। मर्दुमनुमारो में अनेक नटों ने अपने को हिन्दु लिखवाया है, यद्यपि इनमें कई मुस्लिम भी पाये जाते हैं। मध्य-प्रदेश, बम्बई तथा बगाल तक ये पाये जाते हैं, यद्यपि अधिक सख्या इनको उत्तर-प्रदेश तथा राजपूताना में है। असाध्य रोगों तथा नामर्दों की भी ये दवा बेचते फिरते हैं। नट कुत्तों को पालते तथा उनसे जानवरो का शिकार करते हैं। रन्तो पर नाचने तथा मदारियों के अन्य खेल करने में ये निपुण होते हैं। यह नहीं कि ये लोग मदा चोरी-डकैती से ही जीवन का निर्वाह करते हो, आजोविका के लिए ये खेल-तमाशा करते हैं, परन्तु मौका पडने पर चोरी आदि करने में भी नहीं चूकते।

(२) कजर—ये लोग उत्तरी-भारत में जहाँ-तहाँ फँले हुए हैं। ये लोग भाटों की तरह गा-बजाकर आजोविका का निर्वाह करते हैं, परन्तु अब इन्होंने अन्य व्यवसायों को भी अपनाया शुरू कर दिया है। बहुत-से कजर भीख माँग कर पेट पालते हैं, इनकी स्त्रियाँ भी हाथ में कटोरा लेकर दूसरे गाँवों को निकल जाती हैं और मन्ध्या तक जितने पैसे बटोर सकती हैं, बटोर लाती हैं। माँके-बे-माँके चोरी करने का भी ये घघा करते हैं।

कजरो में विवाह के लिए कन्या का मूल्य देना पड़ता है। इसका शायद यह कारण हो कि इनमें लड़कियाँ कम हैं। जहाँ-जहाँ लड़कियाँ ज्यादा होती हैं, वहाँ कन्या के लिए मूल्य देने की प्रथा में भी कमी पायी जाती है। कुछ मूल्य विवाह के पहले और बचा हुआ विवाह के पीछे देने का रिवाज है। नटों की तरह इनमें स्त्रियों की नैतिकता का स्तर नीचा नहीं है। सतीत्व पर विशेष बल दिया जाता है, और अगर यह प्रमाणित हो जाय कि कोई स्त्री व्यभिचारिणी है, तो कठोर दंड दिया जाता है। पचायत दंड-व्यवस्था करती है। कजरो में पचायत का बहुत जोर है।

अन्य जन-जातियों की तरह इनमें भी पशुओ, वृक्षो तथा प्राकृतिक-पदार्थों के नामों के ऊपर अपन गोत्र का नाम रखने की प्रथा है।

(३) भातू—यह जन-जाति जगह-जगह फिरती रहती है, किसी एक जगह टिक कर नहीं बैठती। इन का सगठन बड़ा ज़बर्दस्त है। इनकी पचायत अपनी संपूर्ण जन-जाति के सगठन को ही नहीं करती, साथ ही छोटे वच्चो को चोरी करने आदि की शिक्षा देने की व्यवस्था भी करती है। ये लोग अपने को महाराणा प्रताप के वंशज कहते हैं। इनका कहना है कि महाराणा की हार के कारण वे सदियों से जगह-जगह भटकते फिरते हैं, कहीं टिक कर नहीं रहते।

(४) बहेलिया—ये उत्तर-प्रदेश, पंजाब नया राजपूताना में पाये जाते हैं। इनका जीवन शिकारी होता है। इनमें पचायत-पद्धति का बड़ा जोर है।

(५) बधिक, बावरिया तथा वागडी—उत्तर-प्रदेश के बधिक, राजपूताना के वागडी और बदक और मध्य-प्रदेश के वीधक एक ही हैं। इनकी बोली गुजराती का अपभ्रंश है, और संभव है कि किसी समय ये गुजरात से अन्य स्थानों में फैले हों। छोटी-छोटी चोरी से डाके डालने तक ये नहीं हिचकते। शाहजहाँ-पुर जिले में जो बधिक एक जगह आवास-स्थान (कौलोनी) बना कर बस गये हैं, वे अब अपराध नहीं करते।

(६) बनजारा—ये उत्तर-प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य-भारत में पाये जाते हैं। ग्रीयर्सन के कथनानुसार पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत में ये सर्वत्र दिखाई देते हैं। ये वनों में फिरने के कारण बनजारा कहते हैं। इनका व्यवसाय गाड़ियों में सामान ढोना रहा है, परन्तु जब से रेलगाड़ियाँ, बसें और मोटरें चली हैं, तब से ये बेकार हो गये हैं और अपराध करना इनका पेशा हो गया है।

(७) डोम—ये उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास तथा अन्य राज्यों में पाये जाते हैं। क्रुक का कहना है कि ये शुहू-शुरू में द्राविड लोग थे जो सारे भारत में फैल गये। इन्हें जल्लाद भी कहा जाता है। इनका कहना है कि किसी समय ये राज करते थे। गोरखपुर जिले में डोमिनगढ़ एक स्थान है, जो इनके कथनानुसार किसी समय इनकी राजधानी था। सांसी और हबूडों की तरह ये फिरदर जीवन व्यतीत करते हैं और चोरी, डकैती, संध लगा कर निर्वाह करते हैं।

इन अपराधी जन-जातियों को बसाने तथा इनकी सामाजिक-अवस्था उन्नत करने के लिए समय-समय पर भारत-सरकार उद्योग करती रही है। इनके संबन्ध में अबतक जो कानून बने हैं, उनकी चर्चा हमने अपनी 'समाज-कल्याण तथा सुरक्षा'-पुस्तक में विस्तार से कर दी है।

### ७ भारत की जन-जातियों का प्रजातीय उद्भव (Racial Origin of Indian Tribes)

हम पिछले एक अध्याय में भारतीय प्रजातियों के सबन्ध में लिखते हुए श्री रिजले, श्री हैड्डन, श्री हट्टन, श्री गुहा तथा श्री मजूमदार का मत दर्शा आये हैं। मानवशास्त्रियों के सम्मुख यह बड़ी विकट समस्या है कि भारत की जो आदि प्रजातियाँ हैं—नीग्रिटो, प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड (निपाद), मगोलॉयड (किरात), मंडोटेरेनियन (द्राविड) तथा आर्य—इनमें से किस 'प्रजाति' (Race) के साथ किस 'जन-जाति' (Tribe) का संबन्ध जोड़ा जाय? इसमें तो सन्देह नहीं कि प्रजातियों के आपस के मेल-जोल से ही जन-जातियाँ बनी हैं, परन्तु कौन-सी जन-जाति किस-किस प्रजाति के सम्मिश्रण से बनी है—यह एक विकट समस्या है। इतना कहा जा सकता है कि रिजले, हैड्डन आदि ने पाँच-सात जिन भी आदिम-प्रजातियों का वर्गीकरण किया है, उन्हें मोटे तौर पर तीन में परिणत किया जा सकता है—द्राविड, मगोल तथा आर्य। ये तीन प्रजातियाँ ही भारत की आदिम-प्रजातियाँ हैं, और इन तीन में से भी आर्यों को छोड़ कर जन-जातियों का निर्माण द्राविडों तथा मगोलो के द्वारा ही हुआ है।

हैड्डन (Haddon) का कथन है कि आदि-द्राविड तथा द्राविड भारत के ही आदि-वासी हैं। मध्य-भारत में जो आदिवासी पाये जाते हैं, वे भी इसी देश के आदि-वासी हैं। इन आदि-वासियों में से कोई बाहर से नहीं आया, बाहर से अगर कोई सबसे पहले आया तो वे आर्य ही थे। ये आर्य २,००० ईस्वी सन् से पूर्व इस देश में आये। इनके बाद यहाँ शक, पहलव, ग्रीक, हूण तथा असम में शान लोग आये। इस प्रकार हैड्डन ने भारत की आदिवासी जन-जातियों के सबन्ध में कोई पुष्ट कल्पना हमारे सामने नहीं रखी। उमका कहना तो यह है कि यहाँ की आदि-वासी जन-जातियाँ यहीं की रहने वाली हैं, कहीं बाहर से नहीं आयीं।

बैरन इगोन वॉन ईकस्टेड (Baron Egon von Eickstedt) का कहना है कि 'हिम-युग' (Glacial period) के काल में दक्षिणी-भारत में 'प्रोटो-नीग्रॉयड' (Proto-Negroid) प्रजाति के लोग रहते थे। भारत में रहने के कारण इन्हें उसने 'इंडो-नीग्रिड' (Indo-Nigrind) का नाम दिया है। इन 'इंडो-नीग्रिड'-नस्ल के लोगों के बाद भारत में 'वेड्डा'-नस्ल के लोग आये। आजकल मीलोन में जो 'वेड्डा'-लोग रहते हैं, वे उसी आदि-वेड्डा नस्ल के प्रतिनिधि हैं। 'इंडो-नीग्रिड' और 'वेड्डा' के सम्मिश्रण से 'वेड्डिड'-वर्ग (Veddid group) बना। यह भारत का सबसे पुराना वर्ग है, और ईकस्टेड के कथनानुसार यही वर्ग भारत का आदिवासी वर्ग है। इसके अतिरिक्त ईकस्टेड ने भारत की अर्चशिष्ट

जनता को दो वर्गों में बाँटा है, जिनका उसने नाम रखा है 'मैलेनिड'-वर्ग (Melanid group) तथा 'इडिड'-वर्ग (Indid group)। इस प्रकार भारत में आदि-प्रजातियों के तीन वर्ग बने—'वेडिड'-वर्ग, 'मैलेनिड'-वर्ग तथा 'इडिड'-वर्ग। 'वेडिड' तथा 'मैलेनिड' वर्गों के सम्मिश्रण से भारत की जन-जातियों की उत्पत्ति हुई है—यह ईकस्टेड का कथन है। 'वेडिड' तो सीलोन के 'वेड्डा' लोग हैं, 'मैलेनिड' में 'मल'-शब्द का अर्थ पहाड़ है, इसलिए 'मैलेनिड' का अर्थ पहाड़ी जातियों से है। 'वेड्डा' तथा पहाड़ी जातियों के रक्त-संघ से भारत की जन-जातियाँ बनीं।

क्रिस्टोफ वॉन फ्यूरर हैमनडोर्फ (Christoph von Furer-Haimendorf) का कहना है कि भारत में द्राविड तथा आर्य दोनों प्रजातियाँ एक ही काल में २,००० से १००० ई० पू० के समय प्रविष्ट हुईं। द्राविड लोग जल के रास्ते से भारत के पश्चिमी तट के समुद्र से प्रविष्ट हुए और दक्षिण में उन्होंने अपना अड्डा जमाया, आर्य लोगों ने उत्तर में अपना अड्डा जमाया। द्राविड लोग भारत के पश्चिमी भाग से इस देश में प्रविष्ट हुए इसका प्रमाण यह दिया जाता है कि भारत के पश्चिमी कोने में कलकत्ते के प्रदेश में एक द्राविड भाषा आज तक बोली जाती है जिसका नाम 'ब्राहुई' है। इस भाषा को बोलने वालों की संख्या १ लाख ८४ हजार है। जो द्राविड आज केवल दक्षिण-भारत में पाये जाते हैं उनकी भाषा भारत के पश्चिमी-प्रदेश में क्यों है? इसका यही अर्थ हो सकता है कि ये लोग पश्चिमी समुद्र-तट से भारत में आये होंगे, और कुछ लोग यहाँ रह गये होंगे, बाकी दक्षिण-भारत की तरफ चले गये होंगे। इस दृष्टि से अनेक मानव शास्त्रियों का कहना है कि आर्यों की तरह द्राविड भी इस देश में बाहर से आये थे, वे इस देश के आदि-वासी नहीं हैं। दक्षिण से, पश्चिम से और उत्तर से द्राविड तथा आर्यों ने भारत के आदि-वासियों को जब खदेड़ा, तब वे मध्य-भारत के जंगलों तथा वहाँ की पहाड़ियों में जा छिपे। हैमनडोर्फ महोदय ईकस्टेड के साथ इस बात में सहमत हैं कि द्राविडों तथा आर्यों से खदेड़े जाकर मध्य-भारत में शरण लेने वाले ये आदि-वासी 'मैलेनिड' थे, और ये 'मैलेनिड' ही भारत की आदि-वासि जन-जातियों के पूर्वज हैं। यह हम पहले ही लिख आये हैं कि 'मल'-शब्द का अर्थ पहाड़ है, इसलिए 'मैलेनिड' का अर्थ पहाड़ी जातियों से है।

हैड्डन तथा गुहा का कहना है कि भारत की प्रजातियाँ छ हैं—(१) नीग्रिटो, (२) प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड, (३) मगोलॉयड, (४) मैडिटरेनियन, (५) चौड़ी खोपड़ी वाले पश्चिमी लोग तथा (६) नौडिक। इनमें से जन-जातियों की उत्पत्ति नीग्रिटो, प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड तथा मगोलॉयड—इन तीन प्रजातियों के सम्मिश्रण से हुई है। भारत की सबसे पुरानी जन-जातियों में नीग्रिटो रक्त है उदाहरणार्थ, कादर जन-जाति का उद्भव नीग्रिटो से हुआ है। मध्य-भारत की जन-जातियों का उद्भव प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से और उत्तर-पश्चिम की जन-जातियों का उद्भव मगोल प्रजाति से हुआ है। हमने भारत की जन-जातियों

को उनके भू-भाग की दृष्टि से तीन भागों में बाँटा था—पूर्वोत्तर-क्षेत्र, मध्य-क्षेत्र तथा दक्षिणी-क्षेत्र। इनमें से भारत के पूर्वोत्तर-क्षेत्र में जो जन-जातियाँ पायी जाती हैं, उनका उद्भव मगोलॉयड नस्ल से है। भारत के मध्य-क्षेत्र में जो नस्लें पायी जाती हैं, उनका उद्भव प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड नस्ल से है और भारत के दक्षिणी-क्षेत्र में जो नस्लें पायी जाती हैं, उनका उद्भव नीग्रिटो नस्ल से है। उदाहरणार्थ, श्री गृहा का कहना है कि दक्षिण-भारत की कादर, इरुला तथा पनियन आदि प्रजातियों के ऊनी बाल होते हैं, इनमें निश्चित तौर पर नीग्रिटो अंश है, मध्य-भारत की जन-जातियों में प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड अंश है; पूर्वोत्तर की जन-जातियों के सिर लम्बे न होकर चौड़े पाये जाते हैं जिससे यह अनुमान लगाना उचित है कि इनमें मगोल अंश है। यह हम पहले ही कह आये हैं कि मजूमदार भारत में नीग्रिटो अंश होने की बात से सहमत नहीं हैं।

असल में नस्ल के विचार को सामने रखते हुए भारत की जन-जातियों का वर्गीकरण कर सकना एक कठिन कार्य है। यह कह देना कि तीन प्रजातियों से भारत की सब जन-जातियाँ पैदा हुईं, कुछ असंगत-सा जँचता है। कई जन-जातियों का तो उक्त तीन प्रजातियों के साथ किसी प्रकार का सबंध जोड़ा ही नहीं जा सकता। उदाहरणार्थ, नीलगिरि की टोडा एक ऐसी जन-जाति है जिसका किसी प्रजाति से भी सबंध जोड़ने में मानव-शास्त्री अभी तक सफल नहीं हुए। कई जन-जातियों को जिन्हें अलग-अलग समझा जाता रहा है, अब अनेक मानव-शास्त्री एक ही शाखा का मानने लगे हैं। उदाहरणार्थ, वंगा और भूइया को पहले अलग-अलग स्वतंत्र जन-जाति माना जाता था, अब इन्हें एक ही वर्ग का माना जाने लगा है। इन जन-जातियों के सबंध में अनुसंधान चल रहा है और ज्यों-ज्यों यह अनुसंधान आगे बढ़ेगा, त्यों-त्यों यह आशा की जानी चाहिए कि इनके उद्भव के विषय में हमें अधिक जानकारी प्राप्त होने लगेगी।

### ८ भारत की जन-जातीय भाषाओं का प्रजातीय उद्भव (Racial Origin of Tribal Languages)

हमने देखा कि भारत की जन-जातियों में से कौन-सी 'जन-जाति' (Tribe) किस 'प्रजाति' (Race) से पैदा हुई—यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। भिन्न-भिन्न जन-जातियों का अटकल से किसी-न-किसी प्रजाति से वादरायण सबंध जोड़ा जा सकता है। तो फिर क्या भिन्न-भिन्न जन-जातियों की भाषाओं का भिन्न-भिन्न प्रजातियों की भाषाओं से कोई सबंध जोड़ा जा सकता है? क्या यह कहा जा सकता है कि इन जन-जातियों की भाषाएँ अमुक प्रजाति की भाषा से निकली हैं?

कौन-सी जन-जातियों की भाषाएँ किस प्रजाति की भाषा से निकली हैं—यह देखने का हमारा उद्देश्य क्या है? जैसे इटैलियन, फ्रेंच, स्पेनिश, ग्रीक, जर्मन, इंग्लिश, पर्सियन तथा संस्कृत की समानता से हम इस परिणाम पर पहुँचे थे कि इन भिन्न-भिन्न भाषाओं के बोलने वाले आदि-काल में एक थे, उन्हें हमने 'आर्य'-



जाति का नाम दिया था, वैसे इन भिन्न-भिन्न जन-जातियों की भिन्न-भिन्न भाषाओं की सामानता के आधार पर हम यह परिणाम निकाल सकेंगे कि ये 'जन-जातियाँ' (Tribes) किसी एक ही 'प्रजाति' (Race) की शाखाएँ हैं। परन्तु ऐसा परिणाम निकालते हुए हमें कुछ सावधान भी रहना होगा। भिन्न-भिन्न जन-जातियों का अध्ययन सिद्ध करता है कि भाषा की भिन्नता के होते हुए भी दो जन-जातियाँ एक हो सकती हैं और एक भाषा होते हुए भी जन-जातियाँ भिन्न हो सकती हैं। उदाहरणार्थ, नागा एक ही जन-जाति है, परन्तु उसमें भिन्न-भिन्न स्थानों में रहने के कारण भाषा की इतनी भिन्नता पायी जाती है कि एक नागा दूसरे नागा की बात नहीं समझ पाता। इसी प्रकार छोटा नागपुर की मुण्डा तथा ओराउ दो जन-जातियाँ हैं, परन्तु वे इतना साय-साय रहती हैं कि दोनों की एक ही भाषा है। असल में कोई समय था जब भाषा का भेद मनुष्य मनुष्य में भेद करने के लिए काफी था, परन्तु आज के आर्थिक-युग में भाषा-भेद को प्रगतिशील मनुष्य भूलता जा रहा है, और भाषा-भेद का स्थान सामाजिक तथा आर्थिक भेद लेते जा रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं कि भाषा-भेद को आज का मानव विल्कुल आँखों से ओझल करता जा रहा है। पंजाब में हिन्दी और गुरुमुखी का आन्दोलन, मद्रास में अपनी-अपनी भाषाओं का आन्दोलन इस बात का प्रमाण है कि भाषा-भेद के आधार पर हम मनुष्य-मनुष्य के भेद का पता लगा सकते हैं। तो फिर भारत की भिन्न-भिन्न जन-जातियों की भाषाओं का किस-किस प्रजाति की भाषा से सबध है, किस-किस से उनका उद्भव है ? जिस-जिस जन-जाति की भाषा का जिस-जिस प्रजाति की भाषा से सबध होगा, वह उसी प्रजातीय-परिवार की समझी जायगी, दूसरे परिवार की नहीं समझी जायगी।

भारत की मुख्य-मुख्य भाषाओं को चार मुख्य परिवारों में बाँटा जा सकता है—(१) इंडो-यूरोपियन (आर्य) परिवार की भाषाएँ, (२) द्राविड परिवार की भाषाएँ, (३) ऑस्ट्रिक (मुंड या कोल या शबर) परिवार की भाषाएँ, और (४) तिब्बतो-चाइनीज (साइनो-तिब्बतन, मगोल या किरात) परिवार की भाषाएँ।

(१) इंडो-यूरोपियन या आर्य परिवार की भाषाएँ—इस समय भारत के बड़े हिस्से में आर्य-परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं। ६७४ प्रतिशत व्यक्ति इस देश में आर्य-भाषाओं की बोलने वाले हैं। उत्तर-भारत की प्राय सभी भाषाएँ, जिनमें पश्तो, कश्मीरी, पंजाबी, हिन्दी, उडिया, असमी, बंगाली, गुजराती, मराठी, सिन्धी, लहन्दा आ जाती हैं, आर्य-परिवार की हैं। आर्य-परिवार की इन भाषाओं में हिन्दी का सब से मुख्य स्थान है क्योंकि इसे बोलने वाले १५ करोड़ व्यक्ति हैं। इसीलिए सविधान में इसे राष्ट्र-भाषा का स्थान दिया गया है। बोल-चाल की हिन्दी के अनेक रूप हैं जिनमें खड़ी बोली, ब्रज-भाषा, वागळ, राजस्थानी, पंजाबी, बुन्देली, अवधी, छत्तीसगढी, बघेली, भोजपुरी, मैथिली,

मगही, गोरखाली, कमाऊनी, गढ़वाली और कन्नोजी मुख्य हैं। भारत की जन-जातियों की भाषाओं का इन आर्य-परिवार की भाषाओं से कोई संबंध नहीं है।

(२) द्राविड परिवार की भाषाएँ—आर्य-परिवार की भाषाओं के बाद भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में दूसरा स्थान द्राविड-भाषाओं का है। २१६ प्रतिशत व्यक्ति इन भाषाओं को बोलने वाले हैं। इस परिवार की मुख्य भाषाएँ चार हैं—कन्नड़, तामिल, तेलगु और मलयालम। कन्नड़ कर्नाटक में, तामिल तामिलनाडु में, तेलगु आन्ध्र में और मलयालम केरल में बोली जाती है। द्राविड परिवार की भाषाएँ दक्षिण-भारत में पायी जाती हैं, परन्तु एक द्राविड भाषा उत्तरी भारत के पश्चिमी कोने कलात में पायी जाती है जिसे 'बाहुई' कहते हैं। इसे बोलने वालों की संख्या १ लाख ८४ हजार है। इस भाषा के उत्तर-भारत में पाये जाने से मानवशास्त्रियों का यह अनुमान है कि द्राविड लोग भी आर्यों की तरह भारत में बाहर से आये थे।

भाषा-शास्त्रियों का कहना है कि गोंड जन-जाति जो मध्य-प्रदेश, हैदराबाद तथा आन्ध्र में फैली हुई है उसकी भाषा द्राविड परिवार की है। इसी प्रकार मध्य-प्रदेश तथा उड़ीसा में कोंध नाम की जन-जाति है। इसकी भाषा का संबंध भी द्राविड परिवार से है। कुई, कुरुखी, मल्लो बोलियाँ मध्य-भारत के विविध क्षेत्रों में बोली जाती हैं जिनका संबंध द्राविड परिवार से है। उटकमंड के पास नीलगिरी पर्वतों में रहने वाली टोडा जन-जाति की भाषा का उद्भव भी द्राविड भाषा-परिवार से है। डा० मजूमदार ने आराओ, मालेर, खोड, सओरा, परजा, कोया, पनियन, चेंबु, इगला, कादर, मालसर तथा मलरथन—इन सब जन-जातीय भाषाओं को द्राविड-परिवार का लिखा है।

(३) ऑस्ट्रिक (मुंड, कोल या गवर) परिवार की भाषाएँ—इस शाखा की बोलियाँ विन्ध्य मैदानी तथा उसके आस-पास के प्रदेश में बोली जाती हैं। मुण्ड या कोल भाषा के बोलने वाले मुख्य तौर पर छोटा नागपुर या सन्याल परगने के आस-पास के जंगली प्रदेशों में रहते हैं। इस परिवार की भाषा बोलने वालों की संख्या ४० लाख के लगभग है। जन-जातीय भाषाओं में मुण्डा, कोल, हो, सन्याल, खडिया, कोरवा, गदव, भूमिज, कोर्कु, सायरा, खासी—ये सब ऑस्ट्रिक परिवार, मुण्ड-परिवार या कोल-परिवार की भाषाएँ हैं। मानव-शास्त्री मुण्ड-भाषा बोलने वाली जन-जातियों को भारत की अत्यन्त प्राचीन जन-जातियों में गिनते हैं। कहते हैं हिमालय-प्रदेश के किन्नर भी मुण्ड-भाषा-वर्ग के हैं।

ऑस्ट्रिक-भाषा-परिवार के भाषा-शास्त्रियों ने दो वर्ग किये हैं—'ऑस्ट्रो-एशियाटिक' (Austro-Asiatic) तथा 'ऑस्ट्रोनेशियन' (Austronesian)। इनमें 'ऑस्ट्रो-एशियाटिक' वर्ग में कोल तथा मुण्ड बोलियाँ आ जाती हैं जिनका हमने अभी ऊपर परिगणन किया—हो, सन्याल, खडिया, कोरवा, गदव, भूमिज, कोर्कु, सायरा, खासी आदि। 'ऑस्ट्रोनेशियन' परिवार में इण्डोनेशिया की राष्ट्र-भाषा मलाया तथा माइक्रोनेशिया, मेलनेशिया, पोलोनेशिया की भाषाएँ

आ जाती है। भारत की जन-जातीय-भाषाओं का सबध ऑस्ट्रिक वर्ग की 'ऑस्ट्रो-एशियाटिक' भाषाओं से है, 'ऑस्ट्रोनेशियन' भाषाओं से नहीं।

(४) तिब्बती-चीनी (मगोन या किरात) परिवार की भाषाएँ— हिमालय की दक्षिणी ढालों, उत्तरी-पजाव से लेकर भूटान, उत्तरी तथा पूर्वी बंगाल और असम में पायी जाने वाली मगोल प्रजाति के लोग इस परिवार में गिने जाते हैं। इस परिवार की भाषाओं को दो भागों में बाँटा जाता है—(क) तिब्बती-बर्मो, तथा (ख) स्यामी-चीनी। हिमालय के क्षेत्रों, नेपाल तथा दार्जिलिंग के प्रदेश में जो जन-जातियाँ हैं, उनकी भाषा तिब्बती-बर्मो कहाती है, सुदूरपूर्वी असम में जो जन-जातियाँ पायी जाती हैं, उनकी भाषा स्यामी-चीनी कहाती है। श्री मजूमदार के कथनानुसार असम के नागाओं की और गारो, कुकी, मिफिर, डफला, अभोर तथा खासी जन-जातियों की भाषा का सबध चीनी अर्थात् मगोल या किरात भाषा के साथ है, और इसलिए इन भाषाओं को बोलने वाली जन-जातियों का उद्भव मगोलॉयड-नस्ल से हुआ है।

भाषा के आधार पर भारत की जन-जातियों का वर्गीकरण हमें किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुँचाता। जन-जातियों की इन भाषाओं का भारत की प्रजातियों से सबध अवश्य प्रतीत होता है, परन्तु कौन-सी 'जन-जाति' की भाषा किस 'प्रजाति' की भाषा से निकली है—इस विषय में अभी तक कोई निश्चय नहीं किया जा सका। जैसे जन-जातियों का प्रजातियों से उद्भव अटकल का विषय है, वैसे ही जन-जातियों की भाषाओं का प्रजातियों की भाषाओं से उद्भव भी अटकल का ही विषय है। फिर भी जन-जातियों के सबध में खोज करते हुए अन्य बातों के साथ भाषा भी हमें किसी परिणाम तक पहुँचने में सहायक अवश्य हो सकती है।

## ९ जन-जातियों का सांस्कृतिक-स्तर (Cultural level of tribes)

भारतीय जन-जातियों का उनके भू-भाग, उनकी नस्ल तथा उनकी भाषा के सबध में हमने वर्णन किया। इस समय ये जन-जातियाँ भारत की आवादी का हिस्सा तो हैं, परन्तु न यहाँ के गाँवों में और न यहाँ के शहरों में खपी हुई हैं। वे अपने को यहाँ की जनता से अलग समझती हैं। सभवत, शुरू-शुरू में जब इस देश में द्राविड, आर्य या अन्य प्रजातियों के लोग आये थे, तब से यह द्वैत-भावना चली आ रही है। जो-कुछ हो, जन-जातियों का भू-भागों में, नस्लों में, भाषाओं में वर्गीकरण कर लेना पर्याप्त नहीं है, इससे उनके पुनर्वास की किसी समस्या का समाधान नहीं होता, जन-जातियों के पुनर्वास की समस्या का समाधान उनकी सांस्कृतिक तथा आर्थिक स्थिति को ठीक-ठीक समझने से ही हो सकता है।

जन-जातियों के पुनर्वास की समस्या क्या है? कई मानव-शास्त्री कहते हैं कि जन-जातियों को अपनी सस्कृति में ही रहने देना चाहिए, उन्हें वर्तमान-सम्यता के आर्थिक लाभ पहुँचाने चाहिए, खेती करना, वर्तमान-गृहोद्योग आदि

उन्हें सिखाना चाहिए, परन्तु उनकी सस्कृति को, उनके रीति-रिवाज, कायदे-कानून, प्रथाओं को बदलने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इतना भर पुनर्वास उनके लिए काफी है। हम क्यों समझें कि हमारी सस्कृति उनकी सस्कृति से जँची ही है। हम अपनी सस्कृति को बढ़ावें, वे अपनी को। परन्तु दूसरे मानव-शास्त्री कहते हैं कि जब हम जन-जातियों की आर्थिक-स्थिति सुधारेंगे, तब वे हमारे गाँवों और शहरों की जनता के संपर्क में आवेंगे ही। सस्कृति का प्रसार संपर्क में होने लगता है। हमारे संपर्क में आने पर उनकी सस्कृति बदलेगी—इसमें सन्देह नहीं। अगर हम उनकी सस्कृति को जँसी वह है, वैसा अक्षुण्ण बनाये रखना चाहते हैं, तो हमें उन्हें जगली हालत में ही रहने देना होगा, अगर हम उनके पुनर्वास की योजनाएँ बनायेंगे, उनके स्वास्थ्य-सुधार की योजनाएँ, उनकी आर्थिक-स्थिति को उन्नत करने की योजनाएँ—तब यह कैसे हो सकता है कि उनकी सस्कृति जँसी-की-तँसी बनी रहे। आर्थिक-पुनर्वास की हमारी योजनाओं में वे हमारे गाँवों और शहरों के लोगों के संपर्क में अवश्य आयेंगे, और इस संपर्क का परिणाम उनकी सस्कृति पर अवश्य पड़ेगा। हो सकता है, कहीं-कहीं ये जन-जातियाँ अपनी सस्कृति को हीन समझ कर उसे तिलाजलि दे दें। इस विचार-धारा के लोगो का कहना है कि हमें जन-जातियों के पुनर्वास का कार्य, उनकी आर्थिक-स्थिति सुधारने की योजना—इस सब को अवश्य क्रियान्वित करना चाहिए, भले ही इन पुनर्वास की योजनाओं में उनकी सस्कृति बच रहे, या नष्ट हो जाय।

सांस्कृतिक-स्तर की दृष्टि से श्री एलविन, श्री मजूमदार तथा अन्य लोगो ने जन-जातियों का वर्गीकरण किया है, जो निम्न प्रकार है —

(क) एलविन का वर्गीकरण—सांस्कृतिक-स्तर की दृष्टि में अनेक मानव-शास्त्रियों ने जन-जातियों का वर्गीकरण किया है। डा० वेरियर एलविन (Vernier Elwin) भारत-सरकार की जन-जातियों के भव्य में परामर्श देने के लिए नियुक्त है। उन्होंने जन-जातियों का वर्गीकरण करते हुए उन्हें चार भागों में बाँटा है। प्रथम वर्ग में तो उन्होंने उन जन-जातियों को गिना है, जो विल्कुल आदिम अवस्था में हैं, जिस अवस्था में मनुष्य वैयक्तिक जीवन व्यतीत नहीं करता, वह समुदाय में रहता है, और समुदाय का जीवन ही उसका जीवन होता है, जिस अवस्था में वह हल से खेती करने के स्थान में कुल्हाड़े से काम चलाता है, खेती भी करता है, तो कुल्हाड़े से ही जमीन को खोदता है। दूसरे वर्ग में उन्होंने उन जन-जातियों को गिना है, जो सत्तार से इनकी ही कटी रहती हैं जितनी प्रथम-वर्ग की जन-जातियाँ, अपने प्राचीन रीति-रिवाज को भी उमी तरह से मानती हैं, परन्तु जिनमें मामूहिक-जीवन के न्यान में वैयक्तिक-जीवन का अंश बढ़ जाता है, जो कुल्हाड़े की इतनी दास नहीं रहतीं, जो आदिम-जातियों जँसी सरल और ईमानदार भी नहीं रहतीं। तीसरे वर्ग में उन्होंने उन जन-जातियों को गिना है, जो पहली दो की तरह निरी जगली नहीं, जो सन्न्यता के संपर्क में आने लगी है, जो गाँवों तथा शहरों में आती-जाती और उनके रीति-रिवाजों को देखती

हैं, जिन पर इस सभ्यता का प्रभाव पड़ रहा है, जिनके रीति-रिवाज, कायदे कानून इस प्रभाव के कारण उगमगा रहे हैं, जिनकी सस्कृति अगर यह कह दिया जाय कि नष्ट होने जा रही है तो भी कोई अत्युक्ति न होगी। इस प्रकार की जन जातियों के व्यक्तियों की संख्या २ करोड़ से कम न होगी। चौथे वर्ग में उन्होंने उन जन-जातियों को गिना है जिन्होंने गाँवों तथा शहरों के साथ सांस्कृतिक-संपर्क भी बनाया है, और इस संपर्क के वावजूद उन्होंने अपनी सस्कृति को भी अक्षुण्ण बनाये रखा है। इस चौथे वर्ग में भील और नागा लोग हैं।

एलविन का कथन है कि जन-जातियों के पुनर्वास की समस्या को हल करके हुए हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हम ऐसे उपायों का अवलम्बन करें जिनसे जन-जातियों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ग को तृतीय-वर्ग की प्रक्रिया में से गुजरना पड़े, वे अपनी प्रथम तथा द्वितीय वर्ग की हालत से सीधे चतुर्थ-वर्ग की हालत में पहुँचें जिससे उनको हमारी सभ्यता के आर्थिक लाभ तो पहुँच जायें परन्तु इन आर्थिक लाभों का मुआविजा उन्हें अपनी सस्कृति को खोकर न चुकान पड़े।

श्रीयुत् मजूमदार तथा मदन को श्री एलविन के इस कथन पर आपत्ति है इन्हें पहली आपत्ति तो यह है कि श्री एलविन के कथन से यह झलकता है कि जन जाति के लोगों के उन लोगों के संपर्क में आने से जो जन-जाति के नहीं हैं, उनका नैतिक-स्तर गिर जाने की संभावना है। इसमें सन्देह नहीं कि जन-जाति के लोगों का नैतिक-स्तर ऊँचा है, वे झूठ नहीं बोलते, एक-दूसरे के साथ ईमानदारी से बरतते हैं। यह सब-कुछ तो ठीक है, परन्तु श्री एलविन क्या समझते हैं कि जन जाति के ये लोग जिन शहरी वा देहाती लोगों के संपर्क में आयेंगे, वे अवश्य निम्न स्तर के होंगे। असल बात यह है कि जन-जाति के लोगों का ज्यादातर संपर्क साहूकारों, ठेकेदारों आदि के साथ होता है जो एक रुपये का दस रुपया बनाना चाहते हैं और इसीलिए जन-जाति के लोगों को ठगते और उनके सीधेपन का नाजायज फायदा उठाते हैं। श्री मजूमदार तथा मदन का कहना है कि शहरी तथा देहाती लोगों में ऐसे लोग भी तो हैं जो जन-जातियों को उन्नत होता हुआ देखना चाहते हैं। भले ही ऐसे लोगों की संख्या कम हो, फिर भी श्री एलविन-सरीखे लोग इन्हीं शहरी और देहाती लोगों में ही तो मिलते हैं। जन-जातियों को उनका भला चाहने वाले ऐसे लोगों के संपर्क से क्यों बचित किया जाय ? श्री मजूमदार और मदन को श्री एलविन के कथन पर दूसरी आपत्ति यह है कि श्री एलविन यह चाहते हैं कि पहले तथा दूसरे वर्ग की जन-जातियाँ तीसरे वर्ग में न आकर सीधे चौथे वर्ग में लायी जायें। इसका मतलब तो यह हुआ कि श्री एलविन इस चौथे वर्ग को आदर्श-वर्ग समझते हैं, वे यह नहीं चाहते कि यह चौथा वर्ग आगे बढ़े, वे यह चाहते हैं कि इस चौथे वर्ग को जहाँ-का-तहाँ रहने दिया जाय, यह अपनी सस्कृति के अन्दर कोई परिवर्तन न करे, इस चौथे वर्ग की सस्कृति ससार में एक म्यजियम के तौर पर सुरक्षित रखी जाय। क्या यह उचित है कि हम किसी भी

जन-जाति की सस्कृति को आगे बढ़ने से या नये संस्कारों में रगे जाने से रोकें ? सन्ध्या के क्षेत्र में जैसे पछड़े रहना लाभदायक नहीं है, वैसे सस्कृति के क्षेत्र में भी पछड़े रहने से कोई लाभ नहीं है। हम किसी जन-जाति की सस्कृति को बचा कर क्या करेंगे ? हमें तो जन-जातियों की रक्षा करनी है, उनके स्वास्थ्य को बचाना है, उनकी आर्थिक-स्थिति को उन्नत करना है, यह सब-कुछ करते हुए अगर उनकी सस्कृति की रक्षा नहीं हो पाती, तो उस सस्कृति की रक्षा के लिए हमें उस सस्कृति को उत्पन्न करने वाले मानव से नहीं हाथ धो बैठना। मनुष्य रहेगा, तो सस्कृति अपने-आप रह जायगी, मनुष्य ही न रहेगा, तो सस्कृति कहाँ रह सकेगी। आज तो हमारा मुख्य प्रश्न जन-जातियों की रक्षा करने का ही गया है, क्योंकि आज की विकट परिस्थितियों में जन-जातियों की सस्कृति की रक्षा का प्रश्न तो पीछे पैदा होता है, जन-जातियों की रक्षा का ही प्रश्न विकट रूप धारण करता जा रहा है।

अगर जन-जातियों की समस्या पर निष्पक्ष-दृष्टि से विचार किया जाय, तो श्री एलविन तथा श्री मजूमदार—दोनों के कथन में सत्यता है। यह ठीक है कि जन-जातियों का जीवन अपने एक खास ढंग का है। यह भी ठीक है कि वे अपने रहन-सहन में, रग-डग में, व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहते। जो लोग उनके बीच जाकर, बड़े बनकर, उन्हें यह बतलाने का प्रयत्न करते हैं कि जन-जाति के लोग हीन अवस्था में हैं—इस बात को वे लोग पसन्द नहीं करते। ऐसी हालत में जन-जातियों में काम करने का एक ही तरीका हो सकता है। हमारे कार्यकर्त्ता अपने को बड़ा और सन्ध्या समझ कर उनके बीच न जायें। पाश्चात्य देशों का रवैय्या अवतक यही रहा कि वे सन्ध्या हैं, और जन-जातियों के लोग असन्ध्या हैं। इतना ही नहीं, वे जन-जातियों में अपना फायदा उठाने के लिए ही जाते थे। उन्हें सस्ती मजदूरी करने वाले लोगों की जरूरत थी। जन-जातियों के लोगों को पकड़ कर वे उनसे काम लेते थे। इस सब की प्रतिक्रिया जन-जातियों में विद्रोह की भावना को उत्पन्न कर देती थी। हमें इस प्रकार इनके साथ बरतना होगा जिससे उनमें विद्रोह न उत्पन्न हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत-सरकार ने उत्तर-पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों की जन-जातियों के क्षेत्र पर शासन करने के लिए, जिसमें २५ के लगभग वहाँ की जन-जातियाँ हैं, एक पृथक् शासन-सूत्र की रचना की है जिसका नाम 'नेफा' है। 'नेफा'-शब्द 'नॉर्थ-ईस्ट-फ्रंटियर-एजेंसी' (North-East Frontier Agency—NEFA) से बना है। यह क्षेत्र तिब्बत, भूटान, चीन और बर्मा को छूता है। इसका संचालन राष्ट्रपति द्वारा होता है। असम का राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट के तौर पर इस प्रदेश का शासन करता है। कोई व्यक्ति बिना परमिट लिए इस 'नेफा' क्षेत्र में प्रवेश नहीं पा सकता। इनका मुख्य कारण यही है कि भारत-सरकार नहीं चाहती, इन जन-जातियों पर कोई जबरदस्ती अपनी सस्कृति को लादने का प्रयत्न करे। ये स्वतंत्र रूप में अपनी सस्कृति का विकास करते रहें—यह भारत-सरकार का लक्ष्य है, परन्तु इनका यह

भी मतलब नहीं कि इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। भारत-सरकार की तरफ से इस क्षेत्र में सड़कें बन रही हैं, कृषि का विकास हो रहा है, पानी की व्यवस्था की जा रही है, शिक्षा का कार्य हो रहा है, यह नहीं समझा जा रहा कि वे लोग जो-कुछ हैं, उन्हें उससे आगे बढ़ने का जरूरत नहीं। जन-जातियों के सबंध में सही दृष्टि-कोण यही है कि उनकी आर्थिक-व्यवस्था को सुधारने में उनकी पूरी सहायता की जाय, और साथ ही हम अपनी सस्कृति को उनकी सस्कृति से बहुत बड़ा समझ कर ही उनके बीच में न जायें। उन्होंने हमारी सस्कृति से जो-कुछ लेना होगा उसे वे अपने-आप ले लेंगे।

(ख) श्री मजूमदार का वर्गीकरण—भारत की जन-जातियों का सस्कृतिव दृष्टि से श्री मजूमदार ने वर्गीकरण करते हुए उन्हें दो भागों में बांटा है—‘सात्मीकृत’ (Assimilated) तथा ‘अनुकूलित’ (Adaptive)। किसी जन-जाति की सस्कृति ‘सात्मीकृत’ तब कहलायेगी जब उसकी सस्कृति किसी दूसरी सस्कृति में समा गई हो, उसके साथ अभिन्न हो गई हो। अगर किसी जन-जाति की सस्कृति दूसरी जन-जाति की सस्कृति के साथ मिल कर कुछ अपना रखती है कुछ उसका ले लेती है, अपने को उसके अनुकूल बना लेती है, तब उसे ‘अनुकूलित सस्कृति’ कहेंगे। ‘सात्मीकृत’ तथा ‘अनुकूलित’—सस्कृति के इन दोनों प्रकारों में स्थिरता नहीं है, परिवर्तन है। ‘अनुकूलित’ सस्कृति के परिवर्तन के श्री मजूमदार ने फिर तीन भाग किये हैं—सस्कृतियों का एक ‘अनुकूलन’ तो ऐसा होता है जिसमें जन-जाति की उन दोनों सस्कृतियों का जिनका अनुकूलन हो रहा है आर्थिक-ढाँचा एक-समान होता है, इसे ‘एकार्थक’ (Commensalic) कह सकते हैं, सस्कृतियों का दूसरा ‘अनुकूलन’ ऐसा होता है जिसमें उनका आर्थिक-ढाँचा ही एक समान नहीं होता, परन्तु वे दोनों सस्कृतियाँ एक-दूसरे के सहारे खड़ी होती हैं एक-दूसरे से जीवन धारण करती हैं, एक के बिना दूसरी बंकार, इस अवस्था को ‘समजीवी’ (Symbiotic) कह सकते हैं, सस्कृतियों का तीसरा ‘अनुकूलन’ ऐसा होता है जिसमें जन-जाति की एक सस्कृति अपने को दूसरी में विलीन कर देती है, उसकी पृथक् सत्ता ही नहीं रहती, इसे ‘सस्कृतिकरण’ (Acculturation) कहते हैं। भारत की जन-जातियों को मजूमदार के कथनानुसार सस्कृति की दृष्टि से इन तीन वर्गों में रखा जा सकता है। किसी जन-जाति की सस्कृति दूसरी सस्कृतियों के साथ ‘एकार्थक’ है, दोनों का आर्थिक ढाँचा एक ही है, किसी की सस्कृति दूसरी जन-जाति की सस्कृति के साथ ‘समजीवी’ है, दोनों का जीवन एक-साथ है, अलग-अलग नहीं, और किसी जन-जाति की सस्कृति ने अपने को दूसरी सस्कृति में मिटा दिया है, अपनी स्वतंत्र-सत्ता ही नहीं रखी। जन-जाति की संस्कृतियों के इस वर्गीकरण में उन सस्कृतियों का कोई स्थान नहीं है, जो बिल्कुल जगल में, एकान्त में, पहाड़ों में, बुनियाँ से किसी प्रकार का सबंध बिना रखे हुए हैं, क्योंकि आजकल के युग में जब कि हर प्रकार का आना-जाना, सबंध, चारों

तरफ बना हुआ है, ऐसी किसी जन-जातीय संस्कृति का होना जिसे दुनियाँ की कोई हवा नहीं लगी, असंभवप्राय है।

(ग) श्री मजूमदार तथा श्री मदन का वर्गीकरण—श्री मजूमदार तथा श्री मदन ने जो ग्रन्थ लिखा है उसमें जन-जाति की संस्कृतियों का एक और वर्गीकरण दिया है। प्रथम-वर्ग में जन-जातियों की वे संस्कृतियाँ आती हैं जो हमारी शहरी तथा देहाती संस्कृतियों से अत्यन्त-अत्यन्त दूर हैं। उनके साथ हमारा किसी तरह का सपर्क नहीं। द्वितीय-वर्ग में जन-जातियों की वे संस्कृतियाँ हैं जो हमारे शहरो तथा देहातों की संस्कृतियों के सपर्क में आ रही हैं। इस सपर्क से उनकी संस्कृतियों के पाँव उखड़ रहे हैं, आये-दिन उनकी इस सपर्क के कारण नई-नई समस्याएँ पैदा होती रहती हैं। तृतीय-वर्ग में जन-जातियों की वे संस्कृतियाँ हैं, जो हमारी शहरी तथा देहाती संस्कृतियों के सपर्क में आने पर भी या तो अपने स्वरूप पर दृढ़ हैं, और या उनका संस्कृतीकरण (Acculturation) हो गया है, उनकी स्वतंत्र-सत्ता नष्ट हो गई है, उन्होंने दूसरी संस्कृति को अपना लिया है।

(घ) 'भामाजिक कार्य की भारतीय परिषद्' (Indian Conference of Social Work) का वर्गीकरण—१९५२ में 'सामाजिक-कार्य की भारतीय-परिषद्' ने एक 'जन-जातीय कल्याण समिति' (Tribal Welfare Committee) बनाई थी जिसने जन-जातियों की संस्कृति का चार भागों में वर्गीकरण किया। वे चार विभाग थे—(१) 'जन-जातीय समुदाय' (Tribal Communities), (२) 'अर्ध-जन-जातीय समुदाय' (Semi-tribal Communities), (३) 'संस्कृतीकृत जन-जातीय समुदाय' (Acculturated tribal Communities) तथा (४) 'पूर्ण सात्मीकृत जन-जातीय समुदाय' (Totally assimilated tribes)।

'संस्कृतीकृत' तथा 'सात्मीकृत' में क्या भेद है? अपनी संस्कृति दूसरे को इस प्रकार देना कि दूसरा हमारे रंग में रंग जाय 'संस्कृतीकरण' (Acculturation) है, दूसरे की संस्कृति को अपने में इस प्रकार लपटा लेना कि उसके रंग को हम अपने में समा डालें 'सात्मीकरण' (Assimilation) है। 'संस्कृतीकरण' में दूसरे को बदलने का प्रश्न होता है, 'सात्मीकरण' में अपने बदलने का इतना नहीं जितना दूसरे की संस्कृति को अपने में अपनाने का प्रश्न होता है। इन दोनों का भेद शब्दों के हेर-फेर में ही छिपा हुआ है।

## १० जन-जातियों का आर्थिक-स्तर

### (Economic level of tribes)

हमने जन-जातियों के सांस्कृतिक-स्तर पर लिखते हुए अभी कहा था कि जन-जातियों के पुनर्वास की समस्या का समाधान उनके भू-भाग, उनकी नस्ल, उनकी भाषा के ज्ञान प्राप्त कर लेने में नहीं होने वाला। इसके लिए तो हमें उनकी सांस्कृतिक तथा आर्थिक स्थिति को ठीक-ठीक मनसूना होगा। जन-जातियों का



सांस्कृतिक-दृष्टि से जो वर्गीकरण हो सकता है, उस पर हमने प्रकाश डाला। अब प्रश्न है कि इनकी आर्थिक-दृष्टि से क्या स्थिति है, आर्थिक-दृष्टि से जन जातियों को हम किन-किन श्रेणियों में बाँट सकते हैं ?

(क) जंगल में कन्द-मूल से निर्वाह करने वाले (Food gathering types)—बहुत-सी जन-जातियाँ तो जंगलों में रहती हैं, इसलिए स्वाभाविक तौर पर वे जंगल में घूमती-फिरती, फल-मूल चुगती हुई अपना निर्वाह करती हैं। ट्रावनकोर-कोचीन के कादर, मल्ल पडारम आदि जन-जातियाँ इसी श्रेणी की हैं। आज जो जंगल के नये-नये कानून बन रहे हैं उनका इन जन-जातियों की आजीविका पर गहरा असर पड़ रहा है, इसलिए इन कानूनों को बनाते हुए इन जन-जातियों की आजीविका का प्रश्न ध्यान में रखना जरूरी है।

(ख) कन्द-मूल तथा आदिम-कृषि से निर्वाह करने वाले (Midway types)—कुछ जन-जातियाँ ऐसी हैं, जो कृषि की नवीन पद्धतियों को नहीं जानतीं, आदिम-जातियों में जैसी-तैसी खेती होती थी, उसी के अनुसार खेती करती हैं, उतने से उनका निर्वाह नहीं हो पाता, इसलिए वे इस आदिम प्रकार की खेती के साथ-साथ जंगल से फल-मूल भी बटोर लाती हैं। ये जन-जातियाँ कन्द-मूल तथा कृषि पर निर्वाह करने वाली जन-जातियों के बीच की हैं। कमार, बैंग आदि जन-जातियाँ इसी श्रेणी की हैं। जंगलगत के कानूनों का प्रभाव इस श्रेणी की जन-जातियों पर पड़ता है।

(ग) कृषि से निर्वाह करने वाली जन-जातियाँ (Agricultural types)—कुछ जन-जातियाँ ऐसी हैं जिनकी आजीविका का मुख्य-साधन तो कृषि है, परन्तु गौण रूप में वे जंगल के फल-मूल भी बटोर लाती हैं। पूर्वोत्तर-प्रदेशों तथा मध्य-भारत की जन-जातियाँ इसी श्रेणी की हैं। भूमि-व्यवस्था सबधी कानूनों का इन पर विशेष प्रभाव पड़ता है, और खास करके जिन कानूनों से जमीन उनके हाथ से निकलती है, उन कानूनों से तो उनकी आजीविका पर सीधा प्रहार होता है।

(घ) मजदूरी से निर्वाह करने वाली जन-जातियाँ (Labourer types)—कुछ जन-जातियाँ ऐसी हैं जो आजीविका के लिए घर-बार छोड़ कर कल-कारखानों तथा चाय-बागान में मजदूर के तौर-पर काम करने जाती हैं। आर्थिक-समस्या के उग्र हो जाने के कारण एक तरफ तो घर से बाहर जाने का दबाव पड़ता है, दूसरी तरफ कल-कारखानों और चाय-बागान में मजदूरी ज्यादा मिलने के कारण वहाँ का खिंचाव होता है—इन दोनों कारणों से ये लोग घरों को छोड़ कर मजदूरी करने के लिए असम, जमशेदपुर आदि चले जाते हैं। वहाँ जाकर इनकी आर्थिक समस्या तो हल हो जाती है, परन्तु इनकी दूसरी समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं। खुली हवा में रहने वाले ये लोग छोटी-छोटी गन्दी जगहों में रहने के कारण बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। गर्मी, सजाक आदि तरह-


तरह के रोग लेकर जब घर लौटते हैं, तब वहाँ भी इन रोगों को फैला देते हैं। शराब, जुआ, वेश्यागमन आदि नई-नई बातें सीख जाते हैं। शहरों में रहने के कारण इन्हें इस बात का भी बोध होने लगता है कि भिन्न-भिन्न वर्ग अपना गुट बना कर अधिकारों की माँग करने का आन्दोलन कर सकते हैं, उन्हें अधिकार मिल भी जाते हैं। इन शहरों आन्दोलनों के ये भी शिकार हो जाते हैं। छोटा नागपुर के इलाके का 'झारखंड' आन्दोलन इसी प्रकार का जन-जातियों का शहरी हवा के कारण पैदा हुआ आन्दोलन है।

## ११ जन-जातियों की समस्याएँ (Problems of Indian Tribes)

अभी तक हमने जन-जातियों का केवल वर्णन किया है। वे किस भू-भाग में रहती हैं, उनका किन 'प्रजातियों' (Races) के साथ सवध है, उनकी भाषाओं का किन-किन आदि-भाषाओं से उद्भव है, उन्हें सांस्कृतिक तथा आर्थिक दृष्टि से किन-किन वर्गों में बाँटा जा सकता है—इन बातों पर प्रकाश डाला है। परन्तु हमें यह भी जानना चाहिए कि अगर हम उनका पुनर्वास करना चाहते हैं, तो उनकी मुख्य-मुख्य समस्याएँ क्या हैं। यहाँ हम उन्हीं कुछ समस्याओं पर प्रकाश डालेंगे—

(क) सख्या के ह्रास की समस्या—जन-जातियों की मुख्य समस्या उनकी सख्या का दिनोदिन कम होता जाना है। जन-गणना रिपोर्ट से यह तो नहीं सिद्ध होता कि सभी जन-जातियाँ सख्या में कम होती जा रही हैं, यद्यपि अनेक जन-जातियों की सख्या कम अवश्य हो रही है। भील तथा गोंड तो भारत की अन्य जन-सख्या के अनुपात में ही बढ रहे हैं, परन्तु कोरवा, टोडा आदि की जन-जातियाँ धीरे-धीरे नष्ट होती जा रही हैं। गिलवर्ट मरे (Gilbert Murray) का कहना है कि इन जन-जातियों के नष्ट होने का कारण मनोवैज्ञानिक है। ये जन-जातियाँ जब दूसरे लोगों को देखती हैं, उन्नति करते हुए, बढ़ते हुए, और उसके बाद अपने पर नज़र डालती हैं, तब मानो उनके छक्के छूट जाते हैं। इसी का परिणाम जन-जातियों का क्रमिक ह्रास है। गिलवर्ट मरे की यह बात ठीक हो, न हो, परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इनके ह्रास का कारण बीमारियाँ तथा बीमारियों के कारण स्वास्थ्य का गिर जाना है। जन-जातियाँ बीमारियों के दो कारण समझती हैं—एक तरह की वे बीमारियाँ जो शारीरिक-दोष से पैदा होती हैं, दूसरी तरह की वे बीमारियाँ जो भूत-प्रेत के कारण पैदा होती हैं। शारीरिक-दोष के कारण पैदा होने वाली बीमारियों का तो वे जड़ी-बूटियों से इलाज करते हैं, परन्तु चेचक, हंजा, बुखार आदि बीमारियों का कारण वे भूत-प्रेत-चुटेल को मानते हैं, इसलिए इनका दवाओं से इलाज करने के न्यान में भगत, ओसा, भोपा से इलाज कराते हैं, इसी कारण बीमारियों से उनमें मृत्यु अधिक होती है, और उनकी जन-सख्या का दिनोदिन ह्रास होता जा रहा है।

जैसा हम पहले कह आये हैं, इस समय तिब्बत, भूटान, चीन और बर्मा को छूता हुआ जो भारतीय-क्षेत्र है वहाँ २५ के लगभग जन-जातियाँ आबाद हैं। यह क्षेत्र सीधा राष्ट्रपति के आधीन है। इस क्षेत्र को 'नार्य-ईस्ट-फ्रंटियर-एजेन्सी' (NEFA) कहते हैं। इस क्षेत्र में भारत-सरकार की तरफ से जो कार्य हो रहा है, उसमें इन जन-जातियों के स्वास्थ्य-सुधार की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन प्रदेशों में मलेरिया का भयकर प्रकोप होता है। १९५४-५५ में ७३,१८३ मलेरिया के रोगियों का इलाज किया गया, १९५५-५६ में इनकी सख्या ५९,०७० रह गई। जैसा हम कह आये हैं, जन-जातियों के लोग बीमारी को भूत-प्रेत का फल मानते हैं, इसलिए कभी-कभी इनका औषध से इलाज करना कठिन भी



नेफा प्रदेश में जन-जाति के लोग रेडियो सुन रहे हैं।

हो जाता है। नेफा के एक डाक्टर ने फरवरी १९५७ का एक अनुभव लिखा है। वह लिखता है कि एक दिन वह कड़ी सर्दियों में अपने इलाके का मुआइना करने निकला, तो एक झोंपड़ी में उसने दो औरतों को जमीन पर लेटे पाया। उनका जिस्म सूज गया था, जोड़ जकड़ गये थे। डाक्टर को देख कर ये बोलों—यह कष्ट हमें 'बुजु' ने दिया है। 'बुजु' किसी भूत का नाम है। डाक्टर क्योंकि दवा देता है, इसलिए ये लोग डाक्टर को देख कर कभी-कभी अपने बीमारों को छिपा लेते हैं। डाक्टर की दवा से रोगी चगा हो जाय तो वे उसे ओझा समझते हैं, डाक्टर नहीं। इन्हें

अपने देश के पुरोहितों पर ज्यादा विद्वाम है। वे समझते हैं कि पुरोहित देवी-देवता को मना कर रोग को दूर कर सकता है। भारत की जो डाक्टर-मडलियाँ नेफा में काम कर रही हैं उन्हें इन पुरोहितों के नाथ हिल-मिल कर काम करना पड़ता है। अगर ये इन पुरोहितों को मूर्ख और जाहिल कहने लगे, तो इनका कोई इलाज ही न करे। एक पुरोहित ने एक डाक्टर के नाथ सुलह की तो इस अवसर को सूधर की बलि देकर उसने मनाया। जिन लोगों के रोग के सबध में ऐसे विचार हों, उनके स्वास्थ्य का गिरना निश्चिन् है।

नेफा के इलाकों में कुष्ठ भी बहुत फैला हुआ है। ६ अगस्त १९५० को नेफा-एजेन्सी ने पासीघाट में एक कुष्ठावास (Leprosy Colony) खोला। इसके बाद १९५२ में अलोंग में एक और कुष्ठावास खोला गया और १९५३ में तावाग में एक तीसरा कुष्ठावास अर्थात् कुष्ठ रोगियों की बस्ती खोली गई। ये रोगी आराम से रखे जाते हैं, जन-जातियों में जैसी झोपडियाँ बनाई जाती हैं, वंसी ही झोपडियों में इन्हें रखा जाता है, अपने-आप ये खेतों करते हैं, अपना खाना आप बनाते हैं। इन्हें अपना मनचाहा जीवन चिन्ताने की पूरी सुविधा है। इन इलाकों में गला बढ़ जाने की, 'गॉपटर' की बीमारी भी बहुत अधिक है। प्रायः पहाड़ी इलाकों में यह बीमारी पायी जाती है। इसका मुख्य कारण पानी में आयोडीन की कमी होता है। नेफा की तरफ से इन इलाकों में पानी की सुविधा बढ़ाने का प्रयत्न हो रहा है। यह भी उद्योग हो रहा है कि इन प्रदेशों के लोग जिस नमक का उपयोग करें, वह आयोडीन मिश्रित हो ताकि गला बढ जाने की बीमारी यहाँ न रहे।

रोगों के अलावा जन-जातियों के रीति-रिवाजों के कारण भी इन लोगों की जन-संख्या घट रही है। उदाहरणार्थ, अनेक जन-जातियों में शिशु-हत्या की प्रथा पायी जाती है। अकमर भोजन की कमी के कारण अनेक जन-जातियाँ बच्चों का गला घोंट देती हैं, या उन्हें जगली जानवरों के सामने डाल देती हैं। सुन्दर स्त्रियों का अपहरण किया जाना भी अनेक जन-जातियों की सामाजिक-प्रथा है। इससे बचने के लिए अनेक जन-जातियाँ सुन्दर स्त्रियों को स्वयं मार डालती हैं, ताकि उनके कारण उन पर कोई हमला न करे। इस प्रकार स्त्रियों की कमी हो जाने के कारण भी कई जन-जातियों की संख्या में कमी हो रही है। कई जन-जातियों में कन्या का विवाह करने के लिए पैसा देना पड़ता है। ये लोग कन्याओं को मार डालते हैं। इन सब प्रथाओं का जन-जातियों के स्वास्थ्य तथा संख्या पर काफी प्रभाव पड़ता है।

(३) मानसिक-संपर्क के अभाव में पैदा होने वाली समस्याएँ—जन-जातियों के सामने दो ही सन्ने हैं। या तो वे संसार के मन्थ बहलाये जाने वाले लोगों के साथ संपर्क स्थापित करें, या न करें। दोनों हालतों में इनकी भिन्न-भिन्न समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं। अगर ये दुनियाँ ने अलग-अलग रहें, जैसा वे रह रही हैं, तो इनकी समस्याएँ इनके भीतर से ही उठ खड़ी होती हैं। उदाहरणार्थ,

इनके खेती करने के ढंग पर हम पहले लिख आये हैं। पहले ये जगल को काट देते हैं, बचे-खुचे झाड़-झकार को आग लगा देते हैं, उसकी राख पर बीज छिड़के देते हैं। एक-दो साल अच्छी खेती होती है, फिर भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट जाती है। ऐसी हालत में उस जगह को छोड़ कर वे खेती के लिए दूसरी जगह बना लगते हैं। इधर वर्षा अधिक होने के कारण पहली जमीन, क्योंकि वहाँ से वृक्ष कट चुके होते हैं, भूमि को रोक नहीं सकते, और सारी जमीन कट-कट कर जाती है। परिणाम यह होता है कि इन लोगों को अपने गाँव की पहली जगह से उठ कर दूसरी जगह बसाना पड़ता है, ये लोग भूखे मरने लगते हैं। इन समस्याओं का समाधान तो यही हो सकता है कि ये जन-जातियाँ सम्यक् कहालये जाने वाले लोगों के संपर्क में आयेँ और उनसे खेती आदि करने के उचित उपायों और साधनों को सीखें परन्तु सात्त्विक संपर्क में आने से इनमें दूसरी तरह की समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं।

(ग) सामाजिक-संपर्क के कारण पैदा होने वाली समस्याएँ—जब ये जनजातियाँ सम्यक् कहे जाने वाले लोगों के संपर्क में आती हैं तब इनमें दूसरी समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं। इनका संपर्क साहूकारों, ठेकेदारों से होता है, ये मजदूरी के लिए चाय-बाग़ान में जाते हैं। साहूकार इनका पैसा-पैसा सूँट लेते हैं, ठेकेदार इनसे सस्ते में मजदूरी कराते हैं। कई जगह तो अनेक जन-जातियों की हालत गुलामों से बेहतर नहीं है। देहरादून के इलाके में जौनसार-वावर प्रदेश में कोल्टा जन-जाति के लोग हैं जिनसे पुश्त-दर-पुश्त गुलामों का नामावर्तव किया जा रहा है। ये जन-जातियाँ सम्यक्-समाज से अलग रहें तब भी इनकी मुसीबत, सम्यक्-समाज के बीच रहें तब भी इनकी मुसीबत। बेगार की प्रथा का शिकार भी इन्हें सम्यक्-समाज के बीच में रहने से होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त मस्य लोगों के बीच में रहने से सम्यक्ता के सब रंग इन पर चढ़ने लगते हैं। गर्मी, सुजाक, वैश्यागमन, शराब, जुआ—ये सब सम्यक्-समाज के वरदान हैं। जब जन-जाति के लोग सम्यक्-समाज के संपर्क में आते हैं तब इन सब को भी उससे सीख जाते हैं। मजदूर लोग शहरों से ये सब उपहार लेकर जब घरों को जाते हैं तब अपने बाल-बच्चों, स्त्रियों में इन सब उपहारों को बाँट देते हैं।

(घ) जन-जातियों की सांस्कृतिक-समस्याएँ—जन-जातियों के सांस्कृतिक-वर्गीकरण के विषय में हम पहले लिख आये हैं, परन्तु इनके पुनर्वास के प्रश्न को समझने के लिए इनकी सांस्कृतिक-समस्या को समझना भी जरूरी है। इनकी सांस्कृतिक-समस्या क्या है? इनकी सांस्कृतिक-समस्या उन लोगों ने पैदा की है जो लोग जन-जाति के नहीं हैं। जब अग्रज लोग थे, तब वे जन-जातियों के संपर्क में आये। जन-जाति के लोगों ने देखा कि ये काले और वे गोरे, वे हुकूमत करने वाले और ये जिन पर हुकूमत की जा रही है। इसके अतिरिक्त अग्रज लोग जन-जाति के इन लोगों को घृणा की दृष्टि से भी देखते थे। इनसे जन-जाति के अनेक लोगों में अपने प्रति हीनता की भावना उत्पन्न हो गई। इसके साथ ईसाई उनमें गये, हिन्दु गये, इन सब ने उनको हीनता की दृष्टि से देखा और उन्होंने भी

इन लोगों के मृकाविले में अपने को हीन ही समझा। परिणाम यह हुआ कि जन-जाति के कुछ लोग अपना रहन-सहन, रीति-रिवाज, धर्म-कर्म छोड़ कर ईसाई हो गये, और कई हिन्दु हो गये। कइयो को जबदंस्ती ईसाई बना लिया गया। इच्छा से, अनिच्छा से जो लोग ईसाई या हिन्दू हो गये, उन्होंने समझा था कि वे अपनी हीनता की समस्या को हल कर रहे हैं, परन्तु इस परिवर्तन के साथ उनके सम्मुख और समस्या उठ खड़ी हुई। यह समस्या क्या थी? उनके सम्मुख सब से बड़ी समस्या तो यह उठ खड़ी हुई कि वे न इधर के रहे, न उधर के रहे। जन-जाति के लोग उनको इसलिए दुतकारने लगे क्योंकि उन्होने बाप-दादाओं के रास्ते को छोड़ दिया, हिन्दुओं और ईसाइयों में उन्हें खपाने को कोई तैयार न हुआ।

इसके अतिरिक्त इन लोगों के सम्मुख और भी कई तरह की सांस्कृतिक-समस्याएँ खड़ी हो गईं। जन-जाति के जिन लोगों ने अपनी जन-जाति के सबधों को तोड़ डाला, उन्होंने अपनी भाषा को भी तिलाजलि दे दी। आस-पास की दूसरी सभ्य-जातियों की भाषाओं को उन्होने ग्रहण कर लिया। भाषा क्या है, भाषा तो भाव का प्रतीक है। सस्कृति के जो मूल्यांकन होते हैं, वे भाषा द्वारा ही अभिव्यक्त किये जाते हैं। जिस सस्कृति के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों के लिए उस-उस भाषा में अपने-अपने शब्द होते हैं। सस्कृत में 'चातुर्वर्ण्य' शब्द है, यह इस सस्कृति के मूल्य को अभिव्यक्त करता है। सस्कृति का मूल्य पहले होता है, भाषा उस मूल्य को अभिव्यक्त करने का एक साधन मात्र है। जन-जाति के जिन लोगों ने अपनी भाषा को भुलाकर दूसरी भाषाओं को अपना लिया, उनके जीवन में यह समस्या उठ खड़ी हुई कि नवीन भाषाओं के शब्द सस्कृति के जिन मूल्यों को अभिव्यक्त करते थे, उनसे तो जन-जाति के लोग परिचित थे नहीं, इसलिए ये नवीन भाषाएँ उनके लिए मूल्यांकनहीन हो गईं। जन-जातियों के इन लोगों के अपनी सस्कृति के जो मूल्य थे उन्हें तो ये छोड़ नहीं सके, अपनी भाषा को इन्होंने छोड़ दिया, जिस नवीन भाषा को इन्होंने अपनाया उस भाषा में पड़े हुए सस्कृति के मूल्य इनकी सस्कृति के नहीं थे—इस प्रकार इनके जीवन में सांस्कृतिक-दृष्टि से एक खाई उठ खड़ी हुई, इनके जीवन में एक शून्य पंदा हो गया। अपनी सस्कृति को ये लोग न छोड़ते तो इन्हें सदा हीनता की भावना सताती रहती, अपनी सस्कृति को छोड़ दिया तो इनका जीवन सस्कृति के मूल्यों से शून्य हो गया—यह सांस्कृतिक-समस्या, इच्छा से, अनिच्छा से अपनी सस्कृति को छोड़ने वाले जन-जाति के व्यक्ति के जीवन में हर समय बनी रहती है।

मनुष्य का स्वभाव है कि जिस सस्कृति में वह पंदा होता है, जिसमें वह पलता है, उसी में उसे सुख मिलता है। इसमें सन्देह नहीं कि जन-जातियों के लोग नगे रहते हैं, हम उन्हें नगा रहने के लिए धिक्कारते हैं, वे हम से कपडा पहनना भी सीख जाते हैं, परन्तु कपडा पहनना सीख कर क्या वे सुखी हो गये हैं? इतना पैसा तो उनके पाम है नहीं कि वे कई कपडे तगैद सकें। एक कपडा जब तक वह चीयडा नहीं हो जाता, वे पहने रहते हैं। उनमें जूएँ हो जाती हैं, बदबू आने लगती है, लाभ के स्थान में इससे उन्हें नुफमान हो जाता है। इसने तो बिना कपडे के

रहना अच्छा है। धर्म के सबध में भी ईसाइयत या हिन्दू-धर्म की जो बातें हम उन्हें सिखा देते हैं, उनसे उनकी आत्मा को उतना सन्तोष नहीं होता जितना अपनी जन-जाति में प्रचलित धार्मिक भावनाओं और अपनी धार्मिक-प्रथाओं से उन्हें सन्तोष होता है। इसमें सन्देह नहीं कि जन-जाति के लोगों के सम्मुख सांस्कृतिक-दृष्टि से एक बड़ी समस्या है। क्या वे अपनी बाप-दादाओं के समय से चली आ रही संस्कृति में अक्षुण्ण-भाव से बने रहें, नगे रहते हैं तो नगे रहें, जादू-टोने को मानते हैं तो उसी में विश्वास करते रहें, या वे अपने को बदलें। अगर वे अपने को नहीं बदलते तो सम्य जातियों की तुलना में वे अपने को हीन समझने लगते हैं, अगर बदलते हैं तो जिन विश्वासों के आधार पर और जिन सांस्कृतिक-मूल्यों के कारण वे जीवन में निश्चिन्त थे, सुखी थे, उन्हें छोड़ना पड़ता है। इस सांस्कृतिक-दुविधा के कारण सत्सार की सब जन-जातियाँ आज एक सकट में से गुजर रही हैं।

## १२ भारत की जन-जातियों का प्रशासन (Tribal Administration in India)

जन-जातियों के प्रशासन को दो कालों में बाँटा जा सकता है। एक काल तो ब्रिटिश समय का है, दूसरा स्वराज्य-प्राप्ति के बाद का है। इन दोनों कालों में जन-जातियों के प्रशासन की नीति में कुछ भेद रहा है। नीति के इस भेद को ध्यान में रखते हुए हम इन दोनों कालों के प्रशासन पर यहाँ कुछ प्रकाश डालेंगे —

(क) ब्रिटिश-काल की जन-जातियों के प्रशासन की नीति—अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने जन-जातियों पर भी हाथ डाला। बंगाल में राजमहल पहाड़ी इलाकों की कुछ जन-जातियों ने वहाँ के हिन्दू जमींदारों के खिलाफ विद्रोह खड़ा कर दिया था, उसे दबाने के लिए अंग्रेजों ने अपनी शस्त्र-शक्ति का सहारा लिया, परन्तु कुछ देर बाद अंग्रेजों ने जन-जातियों के सबध में अपनी नीति को बदला। जबरदस्ती करने के स्थान में शान्ति के मार्ग का अवलंबन उन्हें अधिक सुविधाजनक प्रतीत हुआ। जन-जातियों के सरदारों को शान्त रहने के लिए पेंशनें दी जाने लगीं। १७८२ में इस प्रदेश के शासक श्री ऑगस्टस क्लिवलैंड की सिफारिश पर राजमहल के पहाड़ी इलाके को साधारण-शासन से अलग कर दिया गया। इस इलाके की व्यवस्था का भार यहाँ के स्थानीय-नेताओं की बनी अदालतों के सुपुर्द कर दिया गया। इन जन-जातियों का इनके जमींदारों से सबध तोड़ दिया गया और इन्हें जमींदारों की मार्फत जमीनें मिलने के स्थान में सीधे सरकार से जमीनें दी जाने लगीं। आधारभूत नीति यह थी कि इन जन-जातियों के काम-काज में 'न्यूनतम हस्तक्षेप' (Laissez-faire) की नीति का आश्रय लिया जाय जिससे वे समय-समय पर भड़कते न रहें। यह सब-कुछ करने के बाद भी अंग्रेजों ने जन-जातियों के साथ किये जाने वाले व्यवहार में दूरदर्शिता का परिचय नहीं दिया, क्योंकि जन-जातियों के कुछ वर्गों को इन्होंने अपराधी घोषित करके उन पर 'अपराधी-जन-जाति-कानून' (Criminal Tribes Act) लगा दिया जिसके अनुसार

साधारण अपराधी की अपेक्षा इस जन-जाति के व्यक्ति को साधारण से अधिक सजा देने की व्यवस्था थी। इस प्रकार अंग्रेजों की नीति जन-जातियों के संबंध में कोई निश्चित नीति नहीं रही।

क्लैवलैंड तथा उसके बाद आने वाले शासकों के प्रयत्न से १७९६ में चगल की राजमहल पहाड़ियों की रहने वाली जन-जातियों के शासन के लिए, जिन्हें साधारण-शासन से अलग कर दिया गया था, एक 'पर्वतीय-परिषद्' (Hill Assembly) की स्थापना की गई, जिसका काम इम प्रदेश का शासन तथा शासन के नियमों का बनाना था। इस परिषद् ने इन जन-जातियों के लिए जो नियम बनाये, उन्हें 'रेगूलेशन—I' के नाम से जन-जातियों में जारी किया गया। इन नियमों का जन-जातियों पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। शासन में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, अयोग्य व्यक्ति भरे जाने लगे। परिणाम यह हुआ कि ३०-३१ साल बाद १८२७ में '१७९६ का रेगूलेशन—I' रद्द करना पड़ा और इसके स्थान में '१८२७ का रेगूलेशन—I' जारी कर दिया गया। इस नये रेगूलेशन के अनुसार राजमहल की पहाड़ियों की जन-जातियों को फिर से कुछ अंश तक साधारण-शासन के आधीन कर दिया गया। १८५५ तक यही हालत रही। १८५५ में सन्याल लोगों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए जहाँ-जहाँ विद्रोह था वहाँ-वहाँ के शासकों को विशेष अधिकार दे दिये गये जिनसे वे इस प्रकार के विद्रोहों को दबा सकें। १९१९ में 'गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट' पास हुआ। इस एक्ट की ५२-ए(२) धारा के अनुसार गवर्नर-जनरल को अधिकार दे दिया गया कि जिन इलाकों को वह खास तौर पर पिछड़ा हुआ समझता है, उन्हें साधारण-शासन में से पृथक् कर के, उनमें, वहाँ की परिस्थिति के अनुसार एक भिन्न प्रकार की शासन-व्यवस्था को जारी कर सके। इस प्रकार साधारण-शासन से अलग किये गये प्रदेश दो तरह के थे— 'आंशिक बाह्य-प्रदेश' (Partially excluded areas) तथा 'सर्वथा बाह्य-प्रदेश' (Wholly excluded areas)। इन पृथक् किये हुए बाह्य-प्रदेशों में से कुछ प्रदेशों को उस समय की विधान-सभाओं में अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार बिल्कुल नहीं दिया गया, कुछ के प्रतिनिधि नामजद करने का अधिकार सरकार ने अपने हाथ में रखा और कुछ को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार दे दिया गया। १९३५ में 'गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट' में फिर संशोधन हुआ। इस एक्ट के अनुसार कई विभाग मिनिस्ट्रों के सुपुर्दे किये गये। इनमें भी 'सर्वथा बाह्य-प्रदेशों' (Wholly excluded areas) के विषय में तो मिनिस्ट्रों को कोई अधिकार नहीं दिये गये, परन्तु 'आंशिक-बाह्य-प्रदेशों' (Partially excluded areas) के विषय में मिनिस्ट्रों को अधिकार दिये गये। वे इन प्रदेशों के विषय में छान-बीन कर सकते थे, इनके संबंध में कानून बना सकते थे। अब तक अंग्रेजों की नीति नकारात्मक नीति थी। वे इन जन-जातियों का सुधार नहीं करना चाहते थे, इनको दबाये रखना चाहते थे, मौका पड़े तो इनका शोषण करना चाहते थे। देशी मिनिस्ट्रों के हाथ में जब से सत्ता आयी, तब से शासन का



दृष्टिकोण बदलने लगा और इन जन-जातियों के सुधार की, इनकी सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति की भावना ने जन्म लिया। नतीजा यह हुआ कि १९३५ के बाद भिन्न-भिन्न प्रान्तों में जो भारतीय मन्त्री-मंडल बने उन्होंने जन-जातियों की अवस्था पर विचार करने के लिए कमेटियाँ बनानी शुरू कर दीं। इस प्रकार की कमेटियाँ बिहार, उड़ीसा, मद्रास, बम्बई आदि में बनीं। ये कमेटियाँ अपना काम न कर पायी थीं कि द्वितीय विश्व-युद्ध छिड़ गया और कांग्रेस मन्त्री-मंडल ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जन-जातियों के इतिहास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से दूसरा युग शुरू हुआ।

(ख) स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद १९४७ में जन-जातियों के प्रशासन की नीति—स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का जो 'सविधान' बना उसमें पिछड़ी जातियों तथा जन-जातियों के लिए खास व्यवस्थाएँ की गई थीं। 'सविधान' की भूमिका में कहा गया था कि भारत के प्रत्येक नागरिक के साथ सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय किया जायगा, प्रत्येक को अपने स्वतंत्र विचार रखने, उन्हें प्रकट करने, अपने विश्वास रखने तथा धर्म-कर्म की स्वतंत्रता होगी, सब की स्थिति समान होगी, सब को समान अवसर मिलेगा। 'सविधान' में आधार-भूत अधिकारों का परिगणन करते हुए भारत के प्रत्येक नागरिक को यह विश्वास दिलाया गया था कि धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग तथा जन्म के कारण किसी के साथ कोई भेद-भाव नहीं वर्ता जायगा। क्योंकि अंग्रेजों के समय में जन-जातियों के साथ अन्य लोगों से भेद का वर्तावा, धर्म, नस्ल, प्रजाति तथा जन्म के आधार पर किया जाता था, इसलिए जन-जातियों की दृष्टि से 'सविधान' की यह बात बड़े महत्व की थी।

सविधान के अनुच्छेद (Article) २३ के अनुसार किसी व्यक्ति से ज़बर्दस्ती काम लेना ग़ैर-कानूनी घोषित कर दिया गया। अब तक जन-जातियों से ज़बर्दस्ती मजदूरी का काम लिया जाता था।

सविधान के अनुच्छेद २९ के अनुसार अल्प-संख्यक जनता की सस्कृति की राज्य द्वारा रक्षा का आश्वासन दिया गया। जन-जातियों की अपनी सस्कृति है, इसलिए इस अनुच्छेद के अनुसार उन्हें अपनी सस्कृति की रक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया।

सविधान के अनुच्छेद ४६ में कहा गया कि राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों की, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा। सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। इससे भी जन-जातियों को शिक्षा, आर्थिक उन्नति तथा शोषण से बचाने का आश्वासन दिया गया।

सविधान के अनुच्छेद १६४ के अनुसार बिहार, मध्य-प्रदेश और उड़ीसा में जन-जातियों के कल्याण के लिए एक अलग मन्त्रालय की स्थापना की व्यवस्था की गई।

सविधान के अनुच्छेद २४४ के अनुसार सविधान में दो शिड्यूल सलगन किये गये । इनमें से एक पाँचवाँ शिड्यूल है, दूसरा छठा शिड्यूल है । पाँचवें शिड्यूल में यह कहा गया है कि असम को छोड़ कर अन्य राज्यों के 'अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जन-जातियों' (Scheduled areas and tribes) का प्रशासन किस प्रकार होगा, छठे शिड्यूल में असम की जन-जातियों के प्रशासन की व्यवस्था बतलाई गई है ।

अनुच्छेद २४४ के पाँचवें शिड्यूल में कहा गया है कि जिन-जिन राज्यों में जन-जातियाँ हैं, उनके राज्यपाल जब उनसे कहा जायगा तब राष्ट्रपति को अपने प्रदेशों की जन-जातियों के प्रशासन की रिपोर्ट दिया करेंगे, और इस रिपोर्ट पर राष्ट्रपति जो आदेश देंगे, उसका राज्यपाल पालन करेंगे । इस शिड्यूल में यह भी कहा गया है कि जन-जातियों वाले राज्यों में एक 'जन-जाति सलाहकार समिति' (Tribes Advisory Council) होगी, जिसमें २० सदस्य होंगे । इन वीम में से तीन चौथाई सदस्य वे होंगे जो अनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधि के तौर पर अपने राज्य की विधान-सभा में चुने जाकर आये होंगे । इस शिड्यूल में यह भी कहा गया है कि राज्यपाल जन-जातियों के संबंध में सामान्य कानूनो को लागू होने से रोक सकता है । राज्यपाल इन जन-जातियों के संबन्ध में जो कानून बनायेगा वह 'जन-जाति सलाहकार समिति' के परामर्श से बनायेगा, परन्तु यह परामर्श राज्यपाल पर बाधित रूप से लागू नहीं होगा ।

अनुच्छेद २४४ के छठे शिड्यूल में कहा गया है कि असम के जन-जातीय-प्रदेशों को दो भागों में बाँटा जायगा । एक तो 'स्वायत्त-जिले' (Autonomous Districts) होंगे, दूसरे 'स्वायत्त-क्षेत्र' (Autonomous areas) होंगे । 'स्वायत्त-जिलों' में 'जिला-समितियाँ' (District Councils) होंगी, 'स्वायत्त-क्षेत्रों' में 'क्षेत्रीय-समितियाँ' (Regional Councils) होंगी । ये समितियाँ भूमि, जंगल, सिंचाई, खेती, ग्राम तथा शहर कमेटियों के नियम, मुखियाओं की नियुक्ति, जायदाद, विरासत, विवाह तथा अन्य सामाजिक प्रथाओं के संबन्ध में कानून बनायेंगी । ये समितियाँ न्याय-व्यवस्था का भी प्रबन्ध करेंगी । इन समितियों को प्राथमिक-शिक्षणालय खोलने, धन एकत्रित करने, आय-कर लगाने का भी अधिकार होगा । पार्लियामेंट या राज्यों के कानूनो को अपने क्षेत्रों में लागू होने से भी ये समितियाँ रोक सकती हैं । राज्यपाल को अधिकार होगा कि इन समितियों के हिसाब की जाँच कराये । अगर राज्यपाल यह अनुभव करे कि इन समितियों से भारत को किसी प्रकार का खतरा होने लगा है, तो वह इन्हें भंग भी कर सकता है ।

सविधान के अनुच्छेद २७५ के अनुसार जन-जातियों के कल्याण तथा सुशासन के लिए केन्द्रीय-सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अनुदान देने की व्यवस्था भी की गई ।

सविधान के अनुच्छेद ३२५ के अनुसार यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर मत-दान के अधिकार से वंचित न रहेगा।

सविधान के अनुच्छेद ३३० और ३३२ के अनुसार अनुसूचित पिछड़ी जातियों तथा जन-जातियों के लिए लोक-सभा तथा राज्यो की विधान-सभाओं में कुछ सीटों को सविधान के लागू होने के दस साल बाद तक के लिए सुरक्षित रखा गया है।

सविधान के अनुच्छेद ३३५ के अनुसार पिछड़ी जातियों तथा जन-जातियों को नौकरी के स्थानों के लिए विशेष ध्यान रखने का आश्वासन दिया गया है।

सविधान के अनुच्छेद ३३८ के अनुसार अनुसूचित पिछड़ी जातियों तथा जन-जातियों के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। इस पद पर पिछले कई वर्षों से श्रीयुक्त श्रीकांत काम कर रहे हैं जो अनुसूचित पिछड़ी जातियों तथा जन-जातियों के कमिश्नर कहते हैं। ये प्रतिवर्ष अपने काम की रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं जो पार्लियामेंट में पेश होती है, उस पर बहस भी होती है।

सविधान के अनुच्छेद ३३९ के अनुसार राष्ट्रपति से कहा गया है कि सविधान लागू होने के दस साल तक के अनुसूचितों के शासन के सबंध में एक रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दें जिससे पता चल सके कि इन दस सालों के भीतर अनुसूचित वर्गों ने क्या-क्या उन्नति की।

सविधान के अनुच्छेद ३४० के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वे पिछड़े वर्गों की वास्तविक स्थिति की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकें, जो इन वर्गों की उन्नति कैसे हो सकती है—इस सबंध में सुझाव दे। १९५२-५३ में श्री काका कालेलकर की अध्यक्षता में ऐसा एक आयोग बनाया गया जिसने ३१ मार्च १९५५ में अपने रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे दी।

सविधान के अनुच्छेद ३४२ के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वे राज्यपालों तथा राजप्रमुखों से सलाह-मशविरा करके जन-जातियों में से कौन-सी अनुसूचित श्रेणी में सम्मिलित की गई हैं—इसकी घोषणा कर दें।

### १३ भारत की जन-जातियों का भविष्य

भारत की जन-जातियों का भविष्य क्या है? क्या उन्हें भारतीय-समाज से अलग रखा जाना ठीक है, या उन्हें भारतीय-समाज में मिला लिया जाना ठीक है? उनकी स्थिति अब जो है सो तो है ही, परन्तु क्या इस स्थिति से कुछ परिवर्तन आना चाहिए, अगर परिवर्तन आना चाहिए तो क्या—ये सब प्रश्न मानव-शास्त्रियों के विचार के विषय बन रहे हैं।

(क) डा० हट्टन के विचार—१९३१ की भारतीय जन-गणना के सर्वोपरि अधिकारी डा० हट्टन (Hutton) थे। उन्होंने जन-जातियों का बड़ा गहराई से अध्ययन किया था। उनका कहना है कि जन-जातियों का सम्य-समग्र

से बिल्कुल 'एकान्तीकरण' (Isolation) भी ठीक नहीं, उनका सम्य-समाज में बिल्कुल 'सात्मीकरण' (Assimilation) भी ठीक नहीं। अपनी विशेषताओं के लिए उनका अलग रहना भी ठीक है, अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनका सम्य-समाज से संपर्क बनाये रखना भी ठीक है।

(ख) डा० एलविन के विचार—डा० एलविन का कहना है कि हमें जन-जातियों के अतिरिक्त जो लोग हैं, उन्हें जन-जातियों के क्षेत्र से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, जन-जातियों के जीवन में किसी प्रकार का हस्त-श्रेण नहीं करना चाहिए। एक तरह से जन-जातियों के क्षेत्र 'राष्ट्रीय-पार्क' (National parks) का रूप धारण कर जाने चाहिए। जैसे बड़े-बड़े पार्कों में भिन्न-भिन्न प्रकार के वृक्ष-वनस्पति होते हैं, वैसे ये जन-जातियों के क्षेत्र भी एक प्रकार के मनुष्यों की विभिन्नताओं के पार्क हो जाने चाहिए।

(ग) श्री धुर्वे के विचार—धुर्वे के उच्च-कोटि के समाजशास्त्री श्री धुर्वे का कहना है कि जन-जातियों को आदिम-जातियाँ या आदिवासी कहना गलत है। मूलरूप में ये सब हिन्दुओं के अंग हैं, पिछड़े हुए हिन्दू हैं और इनका कल्याण इसी में है कि इन्हें हिन्दु-समाज का फिर से अंग बना लिया जाय।

(घ) श्री मजूमदार तथा मदन के विचार—श्री मजूमदार तथा श्री मदन का कहना है कि जन-जातियों तथा हिन्दुओं में भेद अवश्य है, धुर्वे का इन्हें एक ही कहना अत्युक्ति है। जन-जातियों की अपनी पृथक् सस्कृति है और इसका हिन्दुओं, ईसाइयों या किसी अन्य सस्कृति में 'सात्मीकरण' लाभप्रद नहीं होगा। जन-जातियों की सस्कृति में अनेक अच्छी बातें हैं और उनका सुरक्षित रखा जाना ही उचित है। सब से अच्छी नीति यह होगी कि जन-जातियों की सस्कृति का सम्य-समाज की सस्कृति के साथ 'नियन्त्रित सात्मीकरण' (Controlled assimilation) किया जाय, अर्थात् उनकी अच्छी प्रथाओं, रीति-रिवाजों की रक्षा की जाय, और बुरी बातों का निराकरण किया जाय। जन-जातियों की कुछ अच्छी बातें ऐसी हैं, जो हिन्दु-लोग भी ले सकते हैं। उदाहरणार्थ, बड़ी आयु में शादी करने की प्रथा प्रायः सभी जन-जातियों में पायी जाती है जो हिन्दुओं के लिए अनुकरणीय है।

जन-जातियों तथा भारत के हित में सब से अच्छी नीति यह है कि धीरे-धीरे इन्हें भारत की ग्रामीण जनता का अंग बना दिया जाय। इस समय हमारी जनता तीन भागों में बँटी हुई है—शहर, गाँव तथा जन-जातियाँ। शहरों में कुछ दूर गाँव होते हैं, और गाँवों में भी दूर जगलो और पहाड़ों में जन-जातियाँ रहती हैं। शहर तथा गाँव तो एक-दूसरे को जीवन प्रदान करते रहते हैं, परन्तु जगलो तथा पहाड़ों में पड़ी जन-जातियाँ मध्यता के किसी प्रकार के संपर्क में नहीं आतीं, प्रकृति की दिन-रात की कठिन समस्याओं के साथ ही उन्हें जूझना पड़ता है। अगर हम उनकी सस्कृति को भी रक्षा करना चाहते हैं, उनके भौतिक कष्टों को

भी दूर करना चाहते हैं, तो धीरे-धीरे अपने देश में इस प्रकार की प्रक्रिया चलनी चाहिए जिससे इस देश के तीन के स्थान में दो प्रदेश रह जाय—शहर तथा गाँव, और जन-जातियाँ या तो आस-पास के गाँवों में समा जाय, या स्वयं उनके अपने पृथक् गाँव बन जाय। गाँवों तथा शहरों की पृथक्-पृथक् सस्कृतियाँ तो सदा से रही हैं, और जबतक ये दो पृथक्-पृथक् क्षेत्र बने रहेंगे, तबतक इन की पृथक्-पृथक् सस्कृतिषाँ भी बनी रहेंगी।

## प्रजाति-सुप्रजनन

(EUGENICS OR RACE BETTERMENT)

हम पिछले कई अध्यायों में प्रजाति, नस्ल, रक्षिण की भिन्नता आदि पर लिखते आये हैं। अगर रक्षिण के कारण मनुष्य-मनुष्य में भेद है, और अगर सब नस्लों आदि-काल के ४-५ स्कन्धों से ही बनी हैं, तब तो यह तो स्पष्ट है कि नस्लों में परिवर्तन होता है। अगर नस्लों में परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन के कारण माता-पिता के रज-वीर्य के सिवाय और दूसरा कारण क्या हो सकता है? ऐसी हालत में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि क्या ऐसा प्रयत्न नहीं किया जा सकता जिसमें नस्लों को पहले से बेहतर बनाया जा सके? इसी विचार ने 'प्रजाति-सुप्रजनन' (Eugenics) के विचार को जन्म दिया है।

### १ प्रजाति-सुप्रजनन (Eugenics) की परिभाषा

'प्रजाति-सुप्रजनन'-शब्द की भिन्न-भिन्न लेखकों ने भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ की हैं, जिनमें से वो-एक हम यहाँ दे रहे हैं.—

[क] जेकब्स तथा स्टर्न की व्याख्या—“प्रजाति-सुप्रजनन उस शास्त्र को कहते हैं जिसका काम मनुष्य के भिन्न-भिन्न गुणों की आनुवंशिकता तथा उनके परिवर्तन के प्रकार का पता लगाना है ताकि मानव-जाति के चुने हुए व्यक्ति ही सन्तति का प्रजनन करें जिससे वंश-परंपरा से आने वाले उत्तम गुण ही मानव-समाज में आगे चल सकें।”

[ख] एनमाइक्लोपीडिया ऑफ मोड्यन साइन्सेज—“प्रजाति-सुप्रजनन उस शास्त्र का नाम है जो मनुष्य के वंश-परंपरा से आने वाले गुणों में उत्तम करने के तरीके का पता लगाता है।”

1 Eugenics = Greek word *Eu*, well, *Gen* (जन) to produce.

[क] “Eugenics is the study of the mechanisms of inheritance and change of human traits, with a practical perspective of selective breeding in order to improve the inherited quality of human populations”—*Jacobs and Stern*.

[ख] “Eugenics deals with the science and practice of improving hereditary characters in man” *Encyclopaedia of Social Sciences*.

## २ प्रजाति-सुप्रजनन के विचार का विकास

जब से मनुष्य में प्रजाति का विचार चला है तब से इसके साथ-साथ प्रजाति के सुधार का विचार भी चलता रहा है। हम यह देखते हैं कि माता-पिता के अनेक गुण सन्तान में आते हैं, हम यह भी देखते हैं कि सन्तान माता-पिता से कुछ परिवर्तन भी होता है। माता-पिता में वंश-परंपरा द्वारा शारीरिक तथा मानसिक गुणों का आना तथा उनमें परिवर्तन होना—ये दो बातें सिद्ध करती हैं कि हम माता-पिता के अच्छे गुणों को चुन कर उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। इस उद्देश्य में बहुत प्राचीनकाल से मनुष्य ने सोचना शुरू किया था।

(क) हिन्दुओं के नस्ल सुधार के मोलह संस्कार—सन्तति के सुधार। विचार ने बहुत पहले हिन्दुओं में जन्म लिया। वेदों में विवाह तथा गर्भाधान के लिए जो मंत्र आते हैं उनमें जगह-जगह लिखा है कि हमारी सन्तान माता-पिता से बढ कर हो, 'यजमानस्य वीरो जायताम्'—यजमान का वीर पुत्र हो हिन्दुओं ने संपूर्ण जीवन को सोलह संस्कारों में ओत-प्रोत कर दिया था। संस्कारों में उन्होंने दो भागों में बाँटा था। कुछ संस्कार तो शिशु के उत्पन्न होने से पहले (Pre-natal) होते हैं—जैसे गर्भाधान, पुंसवन तथा सीमन्तोन्नयन। गर्भाधान तो हर-एक पति-पत्नी करते हैं, परन्तु इसे संस्कार का रूप सिर्फ वैदिक हिन्दुओं ने दिया था। इसका अभिप्राय यह है कि सन्तान का जब बीज रखा जा रहा है उस समय माता-पिता यह संकल्प कर के सन्तान उत्पन्न करते हैं कि जो भी सन्तान होगी उसमें माता-पिता के उत्तम गुण ही आयेंगे, दूसरे गुण नहीं। गर्भ-धारण करने के बाद पुंसवन संस्कार किया जाता है, माता के हृदय पर दूध तौर पर यह बँटा दिया जाता है कि उसके पेट में जो जीव है उसके कल्याण के लिए उस जीव को पुंसवन संस्कार तब किया जाता है जब बालक के शरीर का निर्माण हो रहा होता है। इस समय माता को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे गर्भस्थ शिशु के शारीरिक विकास में माता द्वारा किसी प्रकार की बाधा पड सके इसके बाद सीमन्तोन्नयन संस्कार किया जाता है। इसमें माता के सिर पर कधी पट्टी की जाती है, और उस पर यह प्रभाव डाला जाता है कि अब बालक को मस्तिष्क बनने लगा है, माता अगर मानसिक-दृष्टि से अपने को उन्नत बनाना प्रयत्न करेगी, तो बालक के मस्तिष्क की रचना पर उसका प्रभाव पडेगा शिशु के उत्पन्न होने से पहले के इन संस्कारों के बाद कुछ संस्कार शिशु के उत्पन्न होने के बाद (Post-natal) किये जाते हैं। जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण अन्नप्राशन, चूडाकर्म, कर्णवेध, उपनयन, वेदारभ—ये आठ संस्कार ७-८ वर्ष की आयु तक में कर दिये जाते हैं। जन्म से पहले किये जाने वाले संस्कारों का अभिप्राय 'आनुवंशिकता' (Heredity) की समस्या को हल करना है, जन्म के बाद किये जाने वाले संस्कारों का अभिप्राय 'पर्यावरण' (Environment) की समस्या को हल करना है। दो प्रभावों से ही तो सन्तान का निर्माण होता है—

माता-पिता से आये हुए सम्स्कार तथा पर्यावरण से पडने वाले संस्कार। बंदिक-हिन्दुओं ने इन दोनों प्रभावों को ध्यान में रख कर सन्तति के सुधार के विचार को क्रियात्मक रूप देने के लिए सस्कार-प्रणाली को चलाया था। अब भी प्रत्येक हिन्दू के लिए सोलहो सस्कार करना लाजमी है, परन्तु जिन लोगों ने इन्हें चलाया था, उन्होंने किसी उद्देश्य को सम्मुख रख कर इन्हें चलाया था, हम अन्धे होकर लकीर पीट रहे हैं, संस्कार मौजूद हैं, इनमें से इन की आत्मा निकल चुकी है।

(ख) स्पार्टन लोगों के नस्ल-सुधार के विचार—नस्ल का सुधार किसी-न-किसी तरह होना चाहिए, यह विचार जैसा हमने कहा, बहुत पुराना है। ईसा से छठी शताब्दी पहले ग्रीक कवि थियोग्निस (Theognis) ने भी यह विचार प्रकट किया था कि जब हम वृक्ष-वनस्पति-पशु—इन सब की नस्ल को सुधारते हैं, तब मनुष्य की नस्ल को सुधारने का प्रयत्न क्यों नहीं किया जा सकता। इस विचार को ग्रीस के स्पार्टन लोगों ने विशेष रूप से क्रियात्मक रूप दिया था। ये वीर लोग थे, इन्हें अपनी नस्ल पर गौरव था। इन्होंने जीवन के लिए बड़े कठोर नियम बनाये थे, और इन नियमों का कठोरता से ही पालन किया जाता था ताकि नस्ल गिरने न पाये। ये लोग कमजोर बच्चों को पहाड़ी पर मे नीचे बकेल देते थे, उनमें जो बच रहते थे, उन्हीं को पालते थे। अपने यहाँ के उच्च-कोटि के व्यक्तियों को देश से बाहर नहीं जाने देते थे, ताकि वे देश में रहकर स्वस्थ तथा उन्नत सन्तान उत्पन्न करें। 'बहिर्गमन' (Emigration) के उन्होंने कठोर नियम बनाये हुए थे। उत्तम सन्तान उत्पन्न करने वालों को पारितोषिक दिया जाता था। जो देश उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे, उनका समय-समय पर बंध कर डालते थे ताकि उनका स्पार्टन लोगों के साथ रुबिर का सम्मिश्रण होने से स्पार्टनों की नस्ल में कुछ फर्क न पड जाय।

(ग) प्लेटो के नस्ल-सुधार के विचार—प्लेटो ने अपनी पुस्तक 'रिपब्लिक' में 'आदर्श-राज्य' (Ideal State) की कल्पना का चित्र खींचा है। इस चित्र में उसने आदर्श-राज्य में किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, इसके कुछ निर्देश दिये हैं। इन निर्देशों में सन्तति-सुधार पर विशेष बल दिया गया है। उसका कहना है कि निम्न-न्तर के माता-पिता के बच्चों की परवरिश नहीं की जानी चाहिए, दोषपूर्ण बच्चों को जीने नहीं देना चाहिए। जो लोग अमाध्य रोगों ने पीडित हैं, या जो ऐशो-आराम में जीवन बिताते हैं, उन्हें विवाह करके सन्तान उत्पन्न करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। नैतिक दृष्टि में जो लोग अमाध्य हैं उन्हें मौत के घाट उतार देना चाहिए, ताकि वे मन्तान उत्पन्न ही न कर सकें। ऐसे लोग मन्तान पैदा करेंगे, तो अपने जैसे निरक्षर और दुश्चरित्र व्यक्ति ही तो पैदा करेंगे। प्लेटो का कहना था कि शराब का मन्तान पर विशेष प्रभाव पडता है, इसलिए आदर्श-राज्य में शराब पर और शराबी माता-पिता के सन्तान उत्पन्न करने पर प्रतिबन्ध होना चाहिए। प्लेटो ने मन्तति-सुधार पर एक नया विचार भी दिया। उसका कहना था कि उत्तम मन्तान उत्पन्न करने के



लिए 'सामयिक-यौन-सवधों' (Temporary Unions) को राज्य की तरफ मे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि उच्च-कोटि के पुरुष राज्य को उत्तम सन्तान दे सकें। एक वार वर्नर्ड शाँ को एक सिनेमा-स्टार ने लिखा कि वह शाँ से सन्तान चाहती है, ताकि ऐसी सन्तान पैदा हो जिसमें स्टार की खूबसूरती और वर्नर्ड शाँ की विद्वत्ता दोनों का अपूर्व सम्मिश्रण हो। शाँ ने उसका जवाब दिया कि अगर शाँ की बदसूरती और स्टार की वैश्वली का सन्तान में सम्मिश्रण आ गया तब क्या होगा? खैर, प्लेटो ने अपने समय में एक नया विचार दिया—इसमें कोई सन्देह नहीं। कुछ इसी विचार से मिलता-जुलता विचार इस युग में ऋषि दयानन्द ने दिया था। उनका विचार 'नियोग' के नाम से प्रसिद्ध है। 'नियोग' के विचार को लेकर अपने समाज में बहुत विवाद चले, शास्त्रार्थ हुए, परन्तु यह विचार कोई नया विचार नहीं है, प्लेटो के समय से यह विचार चला आ रहा है, महाभारत के रचयिता मुनि वेद-व्यास नियोग से ही उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार के सब विचार सन्तति-सुधार की दिशा में सोचने के परिणाम हैं। प्लेटो से जब कहा गया कि उच्च-कोटि के व्यक्तियों की बुद्ध सन्तान भी हो जाती है—इसका क्या इलाज होगा, तो उसने कहा कि यह तभी होता है जब उच्च-कोटि के व्यक्ति बुढापे में सन्तान पैदा करते हैं, इसलिए उसने बुढापे में सन्तान उत्पन्न करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। प्लेटो का कहना था कि सन्तानोत्पत्ति में शारीरिक दृष्टि से माता-पिता के स्वास्थ्य का उन्नत होना सब से पहली शर्त है, माता-पिता का शरीर स्वस्थ होगा, तो सन्तान का शरीर स्वस्थ होगा, और शरीर स्वस्थ होगा तो सन्तान का मानसिक-विकास अपने-आप होगा, इसलिए प्लेटो ने सन्तान उत्पन्न करने वाले माता-पिता के शारीरिक-स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया है।

(घ) युरोप के मध्य-काल के नस्ल-सुधार के विचारों पर विचार—प्लेटो के बाद नस्ल-सुधार के विचारों ने युरोप में कोई विशेष प्रगति नहीं की। सत्रहवीं शताब्दी से पहले तक तो सन्तति-सुधार के विचार को लोग लगभग भूल-सा गये थे। सत्रहवीं शताब्दी में एक पादरी कैम्पनेल्ल (Campnella) ने सन्तति-सुधार के विचारों को प्लेटो के विचारों की रूप-रेखा के आधार पर पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया, परन्तु उसके उद्योग बहुत सफल नहीं हुए।

### ३ बीसवीं सदी के प्रजाति-सुप्रजनन के विचार

(क) फ्रांसिस गाल्टन के नस्ल-सुधार पर विचार—बीसवीं सदी में सब से पहले फ्रांसिस गाल्टन ने सन्तति-सुधार के विचार का प्रचार किया। 'प्रजाति-सुप्रजनन' (Eugenics)-शब्द का पहले-पहल प्रयोग ही गाल्टन ने १८८३ में किया। अब तक के परीक्षण वृक्षों-वनस्पतियों पर होते थे, फ्रांसिस गाल्टन ने १८७५ में इस प्रश्न पर विचार करना शुरू किया कि क्या कारण है कि सन्तति की सूरत-शकल केवल माता-पिता से ही नहीं मिलती, कहीं-कहीं माता-पिता से मिलने के स्थान में दादा से, कहीं परदादा से जा मिलती है। इस समस्या का हल सोचते-सोचते उसने यह कल्पना की कि माता-पिता का रज-वीर्य जैसे-का-

तैसा सन्तति में बना रहता होगा, इस प्रकार सन्तति में माता-पिता के रज-वीर्य का अंश ही नहीं, दादा-परदादा के रज-वीर्य का अंश भी आ जाता होगा। तभी तो यह संभव हो सकता है कि पुत्र पिता ने मेल खाने के स्थान पर कहीं-कहीं परदादा के शारीरिक गठन से मिलता है। अगर यह बात ठीक है, तो इसका तो यह परिणाम निकलता है कि अगर हम रज-वीर्य के उन तत्वों को समझ जायें, जो कभी पिता से, कभी दादा से, कभी परदादा से निरंतर सतति-से-सतति में चले आ रहे हैं, तो उन पर नियन्त्रण करने से हम आगामी मन्तति के गुणों का नियन्त्रण कर सकते हैं। अगर सन्तति-से-सन्तति में रज-वीर्य का तत्व निरंतर चलता चला जाता है, तो इस तत्व पर जिन गुणों का प्रभाव हो जाता होगा, वे सतति में प्रकट हो जाते होंगे। यह बात ठीक है, तो दुर्गुणों का भी रज-वीर्य पर प्रभाव पड़ता होगा। ऐसी हालत में सन्तति का सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि दुर्गुणों वाले स्त्री-पुरुषों को सन्तान उत्पन्न ही न करने दी जाय। इसी विचार-धारा का नाम गाल्टन ने 'मुप्रजनन-शास्त्र' (Eugenics) रखा। गाल्टन ने अपने अन्वेषणों द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति, यद्यपि साधारण घरानों में भी हो सकते हैं, तो भी जो प्रतिभाशाली घराने होते हैं, उनमें ऐसे व्यक्ति ज्यादा दिखाई देते हैं। तब तो इसका यह मतलब हुआ कि हमें स्वस्थ, हृष्ट-पुष्ट, प्रतिभाशाली व्यक्तियों को मन्तान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, अस्वस्थ, कमजोर, हीन-वृद्धि व्यक्तियों को सन्तान उत्पन्न करने से रोकना चाहिए। इससे मन्तति का, नस्ल का सुधार होगा। गाल्टन ने इस दृष्टि में कई परिवारों का अध्ययन किया और इससे भी वह इसी परिणाम पर पहुँचा कि अगर हम नस्ल को सुधारना चाहते हैं तो हमें सन्तति-सुधार के उपायों का अवलंबन करना होगा। गाल्टन ने गणित के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि माता-पिता का कितना अंश सन्तान में जाता है। इन सब बातों के आधार पर उसने इस बात का भी प्रचार किया कि सरकारों को ऐसे नियम बनाने चाहिए जिनके अनुसार प्रत्येक ऐसे-गैरो को सन्तान उत्पन्न करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। गाल्टन ने यह भी चित्र खींचा कि अगर अमुक-अमुक गुण वाले माता-पिता को चुन कर उन्हें ही मन्तान उत्पन्न करने दी जाय, दूसरों को सन्तान उत्पन्न करने से रोक दिया जाय, तो मानव-समाज उन्नति के शिखर पर शीघ्र-मे-शीघ्र पहुँच जायगा। गाल्टन के विचार २०वीं शताब्दी के प्रारंभ में ग्रेट ब्रिटेन में बहुत शीघ्रता से फैलने लगे। १९०४ में गाल्टन ने लंडन विश्वविद्यालय में मुप्रजनन-शास्त्र के अनुसंधान की एक फेल्लोशिप (Research Fellowship in Eugenics) की स्थापना की। यह घोरे-घोरे 'फ्रांसिस गाल्टन लेबोरेटरी ऑफ नेशनल युजेनिक्स' (Francis Galton Laboratory of National Eugenics) के रूप में परिणत हो गई। १९०८ में 'युजेनिक्स एज्युकेशन सोसाइटी' (Eugenics Education Society) की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष का काम गाल्टन ने स्वयं भाला।

गाल्टन के बाद इसके अध्यक्ष चार्ल्स डार्विन के पुत्र ल्युनार्ड डार्विन हुए। इस सोसाइटी की तरफ से एक पत्र प्रकाशित होता है जिसका नाम 'युजेनिक रिव्यू' (Eugenic Review) है। इस पत्र का काम ग्रेट ब्रिटेन के भिन्न-भिन्न सामाजिक-विधानों पर सुप्रजनन-शास्त्र की दृष्टि से विचार करना है। इस सोसाइटी की ब्रिटेन में अनेक स्थानों पर शाखा-प्रशाखाएँ हैं।

(ख) कार्ल पीयर्सन के नस्ल-मुधार पर विचार—फ्रांसिस गाल्टन की विचार-धारा को कार्ल पीयर्सन (Karl Pearson) ने और आगे बढ़ाया। उसने यह परिणाम निकाला कि मानव-समाज में जो भिन्नता पायी जाती है, उस पर 'पर्यावरण' (Environment) का बहुत थोड़ा प्रभाव है, इस विविधता का मुख्य-कारण 'वशानुसक्रमण' (Heredity) है। पीयर्सन ने यहाँ तक कहा कि किसी व्यक्ति के निर्माण में 'पर्यावरण' और 'वशानुसक्रमण' का कहीं तक असर है, इसे नापा-तोला भी जा सकता है। उसने कई ऐसे दृष्टांत इकट्ठे किये जिनसे सिद्ध होता था कि एक ही जाति के दो व्यक्तियों पर परीक्षण किया जाय, तो 'पर्यावरण' की अपेक्षा 'वशानुसक्रमण' का असर सात गुना ज्यादा पाया जायगा। पीयर्सन के पग-चिह्नों पर चलते हुए अन्य अनेक विद्वानों ने इस विषय पर अनुसंधान किये जिनमें से दो परिवारों के विषय में किये गये अनुसंधान बहुत प्रसिद्ध हैं। इनमें से एक परिवार 'जोनाथन एडवर्ड्स' (Jonathan Edwards) तथा दूसरा 'जूक्स तथा कालीकाक' (Jukes and Kallukaks) के नाम से प्रसिद्ध है। इनमें से पहले खानदान के लोग सभी उच्च-कोटि के हुए तथा दूसरे खानदान के लोग सभी हीन-कोटि के हुए। इन सब से यही परिणाम निकाला गया कि सन्तति के अच्छे-बुरे होने पर माता-पिता के रज-वीर्य का बहुत बड़ा असर पड़ता है, इसलिए सन्तति को अगर हम सुधारना चाहते हैं, तो सन्तान उत्पन्न करने से पहले माता-पिता का ठीक-ठीक चुनाव होना जरूरी है। इस चुनाव का नाम ही 'सुप्रजनन-शास्त्र' (Eugenics) है।

सुप्रजनन-शास्त्र का मुख्य प्रश्न यह है कि क्या माता-पिता के गुण सन्तति में संक्रान्त होते हैं, या बालक अपनी सामाजिक-परिस्थिति से अपने गुणों का निर्माण करता है। गाल्टन का विचार था कि माता-पिता के गुण सन्तति में संक्रान्त होते हैं, 'जन्म' (Nature) 'कर्म' (Nurture) से बलवान् है। १९०० में कार्ल पीयर्सन ने गाल्टन की विचार-धारा को आधार बनाकर एक भाषण दिया जो न्यूकैसल-व्याख्यान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस व्याख्यान ने ग्रेट ब्रिटेन में तहलका मचा दिया। पीयर्सन ने कहा—“अगर हमारी जाति ससार के किसी सघर्ष में भी टिकना चाहती है, तो हमें देश के प्रत्येक विभाग में सुप्रशिक्षित विमात्रों की जरूरत होगी, परन्तु क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसे विमात्रों का कोई सुरक्षित भंडार है, जिसे हम प्रशिक्षित कह सकें? हमें स्मरण रखना होगा कि अन्य प्राणियों की तरह मनुष्य भी वश-परपरा के अखंड नियम के आधीन है, और अगर हम उच्च-स्तर के मानव से काम लेने के स्थान में निम्न-स्तर के मानव से

काम लेते रहे, तो ऐसा नमय आ सकता है जब देश में मानव की उच्च-शक्तियाँ देखने को भी न मिलें। हमारे कानूनदाँ लोग घोड़ों और जानवरों की नस्लों को बढ़ाने, उन्हें सुधारने में आश्चर्यजनक तौर पर उत्तेजित रहते हैं, वे जानवरों की नस्लों को सुधारने में खर्च करते हैं, इनाम बाँटते हैं, तरह-तरह के कानून बनाते हैं, परन्तु मनुष्य की नस्ल सुधारने में उनमें से कौन चिंतित है? हमें स्मरण रखना होगा कि आज के जातीय-जीवन के निर्बल या बलवान् होने में कल के जातीय जीवन का बलाबल छिपा हुआ है।”

(ग) ग्रेट ब्रिटेन के अतिरिक्त अमरीका तथा अन्य देशों में नस्ल-सुधार पर विचार—जैसे ग्रेट ब्रिटेन में फ्रान्सिन्स गाल्टन तथा कार्ल पीयर्सन ने ‘सुप्रजनन’ के विचार का आन्दोलन किया, वैसे अमरीका में इन विचार का प्रथम समर्थक एलेंग्रांडर ग्राहम (Alexander Graham) था। उसके बाद १९१० में डेवनपोर्ट (Davenport) ने कारनेगी इन्स्टीट्यूट के सहयोग से ‘प्रजनन-शास्त्र का विभाग’ (Department of Genetics) की स्थापना करवाई। इस विभाग में एक रिकार्ड-आफिस खोला गया जिसका काम भिन्न-भिन्न परिवारों के इतिहास इकट्ठा करना था जिससे यह परिणाम निकालने में सहायता मिल सके कि वंश-परंपरा का सन्तान के शरीर, आचार-विचार आदि के निर्माण में क्या हाथ रहता है। इसी सिलसिले में अमरीका में ‘युजेनिक्स रिसर्च एनोसियेशन’ (Eugenics Research Association) की स्थापना हुई जिनकी तरफ से ‘युजेनिकल-न्यूज़’ (Eugenical News) पत्र निकलना है। १९२६ में अमरीका में ‘अमेरिकन युजेनिक्स सोसाइटी’ (American Eugenics Society) बनी जिसका काम अमरीका में ‘आयजन’ (Immigration) के नियमों पर जाँच रखना था और है। इसका उद्देश्य यह है कि ‘आयजन’ के नियमों में कोई ऐसी ढिलाई न होने पाये जिनसे अन्य रुधिर के लोग अमरीका में आ बसें और वहाँ की नस्ल को खराब कर दें। ‘अमरीकन युजेनिक्स सोसाइटी’ ने अमरीका में कई शाखाएँ खोल रखी हैं जिनका काम सुप्रजनन के विचारों को फैलाना है। इस सोसाइटी की तरह वहाँ और भी कई सन्ध्याएँ हैं। उदाहरणार्थ, मिचिगन में रिस वैंटरमैट फाउन्डेशन ऑफ वैंटल ट्रीक है, कॅलीफोर्निया में ‘इन्स्टीट्यूट ऑफ फैमिली रिलेशन’ तथा ‘ह्यूमन वैंटरमैट फाउन्डेशन’ हैं, शिकागो में ‘युजेनिक्स एज्युकेशन सोसाइटी’ और न्यू यार्क में ‘गाल्टन सोसाइटी’ हैं। इन सब का काम सुप्रजनन की विचार-धारा को अमरीका में फैलाना है।

डेवनपोर्ट का कहना है कि अमरीका में ४२ सन्ध्याएँ ऐसी हैं जिनमें हीन-वृद्धि के लोग भर्ती हैं, ११५ स्कूल अर्धों और बहरों के हैं, ३५० अस्पताल पागलों के हैं, १२०० शरणार्थी-गृह हैं, १३०० जेलखाने हैं, १५०० दूसरी तरह के अस्पताल हैं, २,५०० भिखमंगों को रखने के दान-गृह हैं। इनमें ३ लाख पागल तथा हीन-वृद्धि के व्यक्ति भरे हुए हैं, १ लाख ६० हजार अन्धे और बहरे हैं, २० लाख अपाहिज हैं जिनको अस्पतालों में देख-रेख होती है, ८० हजार फँदी हैं और

लाखों अपराधी जेलखानों के बाहर हैं, १ लाख भिखमगे दान-गृहों में रखे जा रहे हैं। यह सब क्या है? हम इस सारी बीमारी को पालने के लिए १० करोड़ डालर प्रतिवर्ष खर्च कर रहे हैं। कैंसर की गवेषणा के लिए लोग अपना जीवन लगा देते हैं, यह सब हमारे जातीय जीवन में क्या कैंसर से कम है? असल बात यह है कि हम अपराध, बीमारी, नैतिक ह्रास के इतने अभ्यस्त हो गये हैं कि इधर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, हम इन्हें जरूरी बुराइयाँ समझने लगे हैं। समार जब अन्धकार में था तब तो इन्हें जरूरी बुराइयाँ समझा जा सकता था, परन्तु आज इन्हें आवश्यक समझना मानव की बुद्धि का तिरस्कार करना है। ये १० करोड़ डालर इन बुराइयों को बढ़ाने में काम आ रहे हैं, इसी धन को 'सन्तति-सुधार' पर व्यय किया जाय, तो आज का समाज इन बुराइयों में से निकल सकता है। हमें इन अस्पतालों, अपाहिज घरों में जाकर इन लोगों की वश-परपरा का, इनके परिवारों का अध्ययन करना चाहिए, इनसे अच्छी अनुसंधानशाला और दूसरी कौन हो सकती है। अगर इन स्थानों को वशानुसक्रमण के अध्ययन की अनुसंधान-शाला समझ कर इनका अध्ययन किया जाय, तो मनुष्य में लागू होने वाले वश-सवधी अनेक नियमों का पता लग सकता है, परन्तु इधर किसी का ध्यान नहीं जाता।

ग्रेट ब्रिटेन, तथा अमरीका की तरह जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, इटली, चेको-स्लोवाकिया तथा रशिया में भी इसी तरह की सभा-सोसाइटियाँ हैं। एक 'इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ युजैनिक आर्गिनाइजेशन' की भी स्थापना हो चुकी है जो अपने वार्षिक अधिवेशन करती रहती है। इनका एक पत्र भी निकलता है, जिसका नाम 'युजैनिकल न्यूज' (Eugenical News) है।

#### ४. सुप्रजनन-शास्त्र का प्राणिशास्त्रीय आधार

'सुप्रजनन-शास्त्र' (Eugenics) का आधारभूत सिद्धान्त 'प्राणिशास्त्रीय' (Biological) है। प्राणी-शास्त्र की जिस विचार-धारा का 'सुप्रजनन-शास्त्र' पर प्रभाव पड़ा, उस पर प्रकाश डालना आवश्यक है। 'प्राणी-शास्त्र' की वह विचार-धारा क्या थी?

(क) लैमार्क के प्राणिशास्त्रीय-विचार—१८०९ में लैमार्क (Lamarck) ने यह प्रतिपादित किया कि प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने को बदलने का प्रयत्न करता है। 'सीखना' क्या है? यह परिस्थिति के अनुसार अपने को बदल लेने का ही दूसरा नाम है। जो नहीं बदलते, वे जिन्दा नहीं रह सकते। इस प्रकार 'परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया' (Response to environment) करने से प्राणी जो-कुछ सीखता है, अपने में जो परिवर्तन कर लेता है, वे परिवर्तन सन्तति में चले जाते हैं, 'वशानुसक्रात' (Inherit) हो जाते हैं। जीराफ की गर्दन लम्बी क्यों है? शुरू-शुरू में उसकी गर्दन छोटी थी, परन्तु ऊँचे वृक्षों के पत्ते खाने के लिए अपनी गर्दन को वह ऊँचा करता होगा। उसकी सतति की गर्दन उससे कुछ लम्बी हुई। होते-होते कई सन्ततियों में जाकर गर्दन बहुत लम्बी हो गई। जितनी लम्बी होने की जरूरत थी, उतनी लम्बी होकर



वर्ष अपनी आयु भुगत कर मर जाते हैं, परन्तु इन नश्वर 'शारीर-कोष्ठों' में व शरीर के भीतर अविनश्वर 'उत्पादक-कोष्ठ' रहते हैं। 'शारीर-कोष्ठों' से व शरीर का काम इन 'उत्पादक-कोष्ठों' की रक्षा करना, इन्हें सभाल कर रखना है नर के 'उत्पादक-कोष्ठों' को 'वीर्य-कण' (Sperms) तथा मादा के 'उत्पादक-कोष्ठों' को 'रज कण' (Ova) कहते हैं। नर के 'उत्पादक-कोष्ठ'—'वीर्य-कण'—उसके शरीर में से निकल कर मादा के गर्भाशय में प्रविष्ट होकर उसके 'उत्पादक-कोष्ठों'—'रज कण'—से मिल जाते हैं, और इसी प्रक्रिया से शिशु का जन्म होता है। शिशु के शरीर में 'उत्पादक-कोष्ठ' अपने मद्दश दूनरे 'उत्पादक-कोष्ठ' (Generative cells) को तो उत्पन्न करते ही हैं, किन्तु साय-ही-माय 'शारीर-कोष्ठों' (Somatic cells) को भी उत्पन्न करते रहते हैं। 'उत्पादक-कोष्ठ' तो 'उत्पादक' तथा 'शारीर' दोनों प्रकार के 'कोष्ठों' को उत्पन्न करते हैं, 'शारीर-कोष्ठ' सिर्फ शरीर के रूप में विकसित होकर 'उत्पादक-कोष्ठों' की रक्षा का काम करते हैं। ये 'शारीर-कोष्ठ' शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों के रूप में विकसित होते हैं; शरीर के आयु भोग लेने पर स्वयं नष्ट हो जाते हैं, परन्तु 'उत्पादक-कोष्ठों' नष्ट नहीं होने देते। 'उत्पादक-कोष्ठों' का तत्व नष्ट होने के बजाय पिता से पुत्र पुत्र से पौत्र, और इसी प्रकार सन्तान-से-सन्तान में चलता चला जाता है। य मानो हमें धरोहर में मिली सम्पत्ति है, हम इसे सुरक्षित रखते हैं। जिस प्रकार बैंक में रुपया सुरक्षित रहता है, इसी प्रकार यह मानो हमारे शरीर में जमा रहता है। 'उत्पादक-कोष्ठों' के इसी तत्व के सन्तान-से-सन्तान में अविकल प्रवाह व 'उत्पादक-कोष्ठों के तत्व की निरन्तरता' (Continuity of germ plasma) कहा जाता है। इसी तत्व में अर्जित-गुण जमा रहते हैं, जो अच्छे हों, बुरे हों, मौक मिलने पर सन्तान में प्रकट हो जाते हैं।

विज्ञान का सिद्धान्त यहाँ तक बस नहीं करता, यह सिद्धान्त और आ बढ़ता है। विज्ञान का कहना है कि 'उत्पादक-कोष्ठ' (Generative cells) तथा 'उत्पादक-तत्व' (Germ plasma) में भेद है। 'उत्पादक-तत्व' वह 'तत्व'—'पदार्थ'—है, जो 'उत्पादक-कोष्ठ' में रहता है। 'उत्पादक-कोष्ठों' (Generative cells) में विद्यमान यह 'उत्पादक-तत्व' (Germ plasma) ही पैत्रिक-गुणों व सन्तति में सक्रान्त होनेका प्राणिशास्त्रीय या भौतिक आवार है।

'उत्पादक-तत्व' से बने 'उत्पादक-कोष्ठ' (Generative cell) में एक गाँठ-सी होती है जिसे 'न्यूक्लियस' (Nucleus) कहते हैं। इस 'न्यूक्लियस' भी छोटे-छोटे रेशों-से होते हैं, जिन्हें आसानी से गहरा रंग (वर्ण) पकड़ सकने और रेशों (सूत्र) जैसा होने के कारण 'वर्ण-सूत्र', अर्थात् 'क्रोमोसोम्स' (Chromosomes) कहते हैं। विज्ञान का कथन था कि यही 'वर्ण-सूत्र'—'क्रोमोसोम्स' पैत्रिक गुणों के 'वाहक' होते हैं। पीछे जाकर दूरबीक्षण-यन्त्र के अधिक उन्नत हो जाने पर नये परीक्षणों से पता चला कि 'वर्ण-सूत्रों'—'क्रोमोसोम्स'—की रचना, अन्य छोटे-छोटे दानों से होती है जिन्हें 'वाहकाणु'—'जेनीज' (Genes) कहते हैं।

यहाँ 'वाहकाणु' जेवाई, लम्बाई, गोरापन, कालापन, नीली आँख, भूरी आँख आदि भिन्न-भिन्न गुणों के वाहक (Carriers या Factors) होते हैं। एक 'वाहकाणु'—'जेनीज'—में एक ही गुण रहता है, दो नहीं। मनुष्य के एक 'उत्पादक-कोष्ठ' (Generative cell) में २४ 'वर्ण-सूत्र'—'क्रोमोसोम्स'—होते हैं। स्त्री-पुरुष के संयोग होने पर २४ पुरुष तथा २४ स्त्री के कुल मिला कर ४८ 'वर्ण-सूत्र'—'क्रोमोसोम्स'—व्यक्त होते हैं जिनसे सन्तान का जीवन प्रारंभ होता है। इन ४८ में से एक-एक 'वर्ण-सूत्र' में कई-साँ 'वाहकाणु'—'जेनीज'—होते हैं। 'प्रजाति' या 'नस्ल' इन 'वाहकाणुओं'—'जेनीज'—द्वारा ही बनती है। अगर किसी में उच्च-गुणों के 'वाहकाणु'—'जेनीज'—हैं, तो वह उच्च-गुणों वाला, और निम्न-गुणों के 'वाहकाणु'—'जेनीज'—हैं, तो वह निम्न-गुणों वाला बनता है।

'सुप्रजनन-शास्त्र' (Eugenics) को समझना यह है कि क्या इन 'वाहकाणुओं'—'जेनीज'—में ऐना परिवर्तन लाया जा सकता है जिनसे इन पर अच्छे संस्कार पड़ जाय और अच्छे गुणों की सन्तान उत्पन्न हो। 'जेनीज' में परिवर्तन आता है—यह तो विकासवादी मानते हैं। 'जेनीज' में परिवर्तन कैसे आता है? हम 'संसार की जीवित-प्रजातियों' के अध्याय में लिख आये हैं कि 'जेनीज' में परिवर्तन के पाँच कारण हैं—'प्राकृतिक-चुनाव' (Natural selection), 'आकस्मिक-परिवर्तन' (Mutation), 'पृथक्ता' (Isolation), 'अन्तर्धर्ष' (Crossing) तथा 'वाहकाणुओं की आकस्मिक-हानि' (Accidental loss of Genes)। अगर इन कारणों से 'जेनीज' में परिवर्तन आ सकता है, तो यह तो स्पष्ट है कि 'जेनीज' में परिवर्तन किसी-न-किसी प्रकार आ ही सकता है। विज्ञान के सिद्धान्त के आधार पर सुप्रजनन-वादियों का यही कहना है कि या तो अच्छे संस्कारों से जेनीज में परिवर्तन लाकर उत्तम सन्तान को उत्पन्न करना होगा, या और कुछ नहीं तो जो बुरे 'जेनीज' के पुरुष-स्त्री हैं, उन्हें सन्तान उत्पन्न करने से रोकना होगा ताकि मानव-समाज में ये 'जेनीज' बढ़ कर बुरी सन्तति को बढ़ाने में सहायक न बनें।

'जन-विज्ञान' (Genetics) के अन्वेषकों के सामने एक प्रश्न यह था कि अगर 'जेनीज' ही शारीरिक तथा मानसिक गुणों के वाहक हैं, और अगर हर-एक व्यक्ति में अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के गुणों के 'जेनीज' होते हैं, तो फिर क्या कारण है कि किसी सन्तान में बुरे 'जेनीज' होने के बावजूद अच्छे गुण प्रकट हो जाते हैं, किसी में अच्छे 'जेनीज' के बावजूद बुरे गुण प्रकट हो जाते हैं। इसका उत्तर विज्ञान ने यह दिया कि 'जेनीज' दो तरह के होते हैं—कुछ 'प्रभावक' (Dominant) तथा कुछ 'प्रभावित' (Recessive), कुछ प्रधान, कुछ गौण। जब कोई जेनीज प्रधान हो जाता है, तब वह 'प्रभावक' बन जाता है, दूसरे 'प्रभावित' बन जाते हैं। यह हो सकता है कि एक सन्तति में जो 'वाहकाणु'—'जेनीज'—प्रधान है, अगली में वही गौण हो जाय, परन्तु उससे अगली चौथी, पाँचवीं या दसवीं किसी भी सन्तति में यह फिर प्रधान हो जाय। जो 'वाहकाणु'—'जेनीज'—प्रभावशाली



होगा वह सन्तति में प्रकट हो जायगा, जो प्रभावित होगा वह शरीर म रहता हुआ भी प्रकट नहीं होगा। 'सुप्रजनन-शास्त्र' की समस्या यही है कि किसी तरह दुरे 'जेनीज' को 'प्रभावक' न बनने दिया जाय, और अच्छे 'जेनीज' को 'प्रभावित' होने की स्थिति में न आने दिया जाय।

(ग) मेंडल के परीक्षण से विजमैन के विचरो की पुष्टि—मेंडल (Mendel) ने १८६५ में मटरों पर कुछ परीक्षण किये थे, परन्तु उस समय उसके परीक्षणों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। मेंडल ने अपने परीक्षणों से वश-परपरा (Heredity) के जो नियम निर्धारित किये थे, वही नियम अचानक १९०० में फिर-से पता लगे। इस बार इन नियमों की तरफ और साथ ही मेंडल के परीक्षणों की तरफ भी 'जनन-विज्ञानियों' (Genetists) का ध्यान बरबस आफूट हुआ। मेंडल के इन नियमों से विजमैन के सिद्धान्तों की पुष्टि होती थी।

मेंडल का नियम क्या है? मेंडल ने बड़े तथा छोटे मटरों पर 'प्रजनन' (Genetics) की दृष्टि से परीक्षण किये। उसने तीन साल तक लगातार परिश्रम करके ऐसे मटर के बीज तैयार किये, जो हर दृष्टि से शुद्ध कहे जा सकते थे, अर्थात् जिन्हें सकर नहीं कहा जा सकता था। ऐसे कुछ बीज शुद्ध बड़े मटर के थे, कुछ शुद्ध छोटे मटर के थे। शुद्ध बड़े का मतलब है—जिन बीजों को बोते ज़ोय, और छोटे मटर के फूलों के ससर्ग में न आने दें, तो हर पैदावार में बड़े-ही-बड़े मटर पैदा हों, छोटा कोई न हो। इसी प्रकार शुद्ध छोटे का मतलब है कि उनके बीजों से जो बीज पैदा हों, हर पैदावार में वे छोटे ही मटर पैदा करें। इन शुद्ध बड़ों तथा शुद्ध छोटों को उसने एक क्यारी में बो दिया। अब जो पौधे उगे, उन से जो बीज बने, वे शुद्ध नहीं हो सकते थे, क्योंकि बड़े तथा छोटे मटरों के पास-पास होने के कारण उनके फूलों में एक-दूसरे के पराग मिल जाते थे। मेंडल ने इस प्रकार बड़े तथा छोटे मटरों के संयोग से उत्पन्न हुए मटर के बीजों से यह देखना चाहा कि उनकी वश-परपरा कैसे चलती है। इन सकर-मटरों की पहली पीढ़ी में एक ही प्रकार के मटर के बीजों के कुछ बड़े और कुछ छोटे मटर पैदा हुए। इस पहली पीढ़ी की अगली जो पीढ़ी हुई, उसमें बड़े मटरों के बड़े ही मटर होते, और छोटे मटरों के छोटे ही मटर होते—ऐसा नहीं देखा गया। उनमें एक खास नियम काम कर रहा था। वह नियम यह था कि बड़े मटरों के सकर हो जाने के बाद, जो पहली पीढ़ी हुई, उसमें २५ प्रतिशत तो 'शुद्ध-बड़े' थे, अर्थात् ये २५ प्रतिशत, अपने से अगली पीढ़ियों में बड़े मटरों को ही पैदा करते थे, छोटों को नहीं, २५ प्रतिशत 'शुद्ध-छोटे' थे, अर्थात् ये २५ प्रतिशत, अपने से अगली पीढ़ियों में छोटे मटरों को ही पैदा करते थे, बड़ों को नहीं, बाकी ५० प्रतिशत मटर 'सकर' अर्थात् 'मिश्रित' थे, अर्थात् स्वयं बड़े होते हुए भी अगली पीढ़ियों में बड़ों को ही नहीं पैदा करते थे, परन्तु ऊपर के नियम के अनुसार ही वश-परम्परा चलाते थे, अर्थात् स्वयं बड़े होते हुए भी २५ प्रतिशत बड़ों, २५ प्रतिशत छोटों, और ५० प्रतिशत 'सकर' अर्थात् 'मिश्रित'-मटरों को उत्पन्न करते थे। मटरों में बड़ेपन के 'वाहकाणु'—'जेनीज'—'प्रभावक'

(Dominant) बन गये, छोटपेन के 'प्रभावित' (Recessive) बन गये, तो यह नियम चल पड़ा, इससे उल्टा हो गया, तो उल्टा नियम चल पड़ा।

ये परीक्षण मटरों पर किये गये थे, मनुष्यों पर नहीं, परन्तु इन परीक्षणों से विज्ञान का यह सिद्धान्त पुष्ट हो गया कि कोई ऐसा तत्व है जो पीढी-दर-पीढी निरन्तर चलता चला जाता है, जिसे विज्ञान ने 'उत्पादक-तत्व की निरन्तरता' (Continuity of germ-plasm) का नाम दिया था। तभी तो यह संभव है कि बड़े मटर भी छोटे मटरों को पैदा कर देते हैं, इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनमें बड़े होने पर भी छोटे मटर का उत्पादक-तत्व मौजूद रहता है। इन परीक्षणों से यह भी स्पष्ट हो गया कि कभी-कभी लम्बे माता-पिता की बौनी, और बौने माता-पिता की लम्बी, भूरी आँख वालों की नीली आँख तथा नीली आँख वालों की भूरी आँख वाली सन्तान क्यों हो जाती है। इन सब बातों का आधार 'उत्पादक-तत्व की निरन्तरता' है, इस निरन्तरता में पूर्वजों के 'बाहकाणु'—'जेनोड'—मौजूद होते हैं, और वे 'जेनोड' अगर प्रभावक हो जाते हैं, तो माता-पिता के छोटे होने पर भी बड़ी सन्तान को पैदा कर देते हैं और हम आश्चर्य करने लगते हैं कि ठिगने माता-पिता की लम्बी सन्तान कैसे हो गई।

'प्रजनन-शास्त्रियों' (Genetists) का कहना है कि जैसे शुद्ध बड़े मटरों की पैदावार शुद्ध बड़े मटर होती है, वैसे ही अगर माता-पिता दोनों नीली आँखों के हैं तो उनकी सन्तान भी शुद्ध नीली आँखों की होगी। अगर माता-पिता में एक नीली और दूसरा काली आँख का है, तो जो नियम मटरों पर लागू होता है, वही नियम नीली आँख पर लागू होगा। इसी बात को 'प्रजाति-सुप्रजनन शास्त्री' (Eugenists) अपने क्षेत्र में घटाते हैं। वे कहते हैं कि अगर माता-पिता दोनों हीन-बुद्धि हैं, तो सन्तान का विशुद्ध तौर पर हीन-बुद्धि होना लाजमी है। डा० हैनरी गौडार्ड (Henry Goddard) ने ४८२ परिवारों का अध्ययन किया जिनमें माता-पिता दोनों हीन-बुद्धि थे। इन सब परिवारों की सन्तानें हीन-बुद्धि थीं, सिर्फ ६ हीन-बुद्धि नहीं थीं, जिसका कोई अन्य कारण हो सकता है। मेंडल के नियम की तरफ पहले-पहल सुप्रजनन-शास्त्रियों का ध्यान १९०० में गया। उसमें पहले मनुष्य के विषय में गाल्टन का नियम माना जाता था। गाल्टन का मनुष्य के वशानुसंक्रमण के विषय में नियम क्या था? गाल्टन का कहना था कि सन्तान में माता-पिता से जो गुण आते हैं, वे सन्तान के 'संपूर्ण वशानु-संक्रमण' (Total heritage) का आधा हिस्सा होते हैं। बाकी आधा हिस्सा रह गया। इस सन्तान के, जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, पिता के माता-पिता तथा माता के माता-पिता—इस प्रकार दादा-शदी, नाना-नानी ये ४ पूर्वज हुए। इस वचे हुए आधे हिस्से में चौथाई हिस्सा इन चारों का मिल कर आता है। अब इन आधे में तीन-चौथाई हिस्सा वच रहा। दादा-शदी, नाना-नानी के माता-पिता की सख्या आठ होगी। इस आधे हिस्से के वचे हुए तीन-चौथाई में  $\frac{1}{4}$  हिस्सा परदादा-परदादी आदि इन ८ का आता है। इस प्रकार एक सन्तान में ऊपर के पूर्वजों का

थोडा-थोडा हिस्सा आता चला जाता है। मॉडल के मटरों पर के नियम परीक्षण पर आश्रित थे, गाल्टन के मनुष्यों के सबध में निकाले गये नियम अटकल पर आश्रित थे, परन्तु मटरों पर किये गये परीक्षणों ने गाल्टन की इस बात की सत्यता को प्रमाणित कर दिया कि एक सन्तति का कुछ स्थिर प्राणि-शास्त्रीय तथा भौतिक तत्व आगे-आगे सन्तति में निरन्तर रूप में चलता चला जाता है, नष्ट नहीं होता। मॉडल ने मटरों में तथा गाल्टन ने मनुष्यों में यह बतलाने का प्रयत्न किया कि गणित की दृष्टि से आगे जानेवाला अंश कितना होता है।

#### ५ 'सुप्रजनन-शास्त्र' के अध्ययन में कठिनाइयाँ

हमने 'सुप्रजनन-शास्त्र' के विषय में बहुत-कुछ लिख दिया, परन्तु इसका आधारभूत समस्या क्या है? इसकी आधारभूत समस्या यह है कि हम 'बाहकाणुओं --'जेनीज'—में परिवर्तन कैसे करें ताकि अगली सन्तति उच्च गुणों को लेकर पैदा हो। इस सबध में इस शास्त्र के पास कोई उत्तर नहीं। असल में अबतक सन्तति सुधार के जो परीक्षण हुए हैं वे सब वृक्ष-वनस्पतियों, पशु-पक्षियों पर हुए हैं। घोड़ों की नस्लें उन्नत की गई हैं, गायों की नस्ल सुधारी गई हैं, मनुष्य की नस्ल सुधारने की बातें तो बहुत ही की गई हैं, परन्तु इस तरफ कोई क्रियात्मक कदम नहीं उठाया जा सका। इस सबध में जो-कुछ कहा गया है वह कल्पना पर ही आश्रित है। इसका एक कारण है। वनस्पतियों तथा प्राणियों पर किये गये परीक्षणों से बश-परपरा के जो नियम सिद्ध होते हैं, उन्हीं के मनुष्यों पर लागू होने की कल्पना तो की जा सकती है, मनुष्यों पर उन परीक्षणों को किया नहीं जा सकता। परीक्षण करने के लिए जिस पर परीक्षण किया जाय, उसको परीक्षणकर्ता अपने सामने रख कर, उसकी हर बात को नियन्त्रित कर के, जैसे अनुसंधान-शाला में परीक्षण किये जाते हैं, वैसे परीक्षण करे तभी कोई नतीजा निकल सकता है। यह बात मटरों, मक्खियों, घोड़ों, बंलो पर तो हो सकती है, मनुष्यों पर कैसे हो सकती है? मक्खियों आदि की तो कई-कई पीढ़ियाँ हमारे सामने से गुजर जाते हैं और हर पीढ़ी में क्या परिवर्तन आया इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। मनुष्य में पहले तो उनको अनुसंधानशाला के-से नियन्त्रण में रखना कठिन है, फिर जो परीक्षण करने वाला है और जिस पर परीक्षण किया जाना है, दोनों की आयु एक समान होने से कोई किसी पर परीक्षण कर नहीं सकता, करे तो उसके परिणामों को देखने के लिए आगे बना नहीं रह सकता।

#### ६ सुप्रजनन के दो उपाय—विधेयक तथा निषेधक

सुप्रजनन-शास्त्र का कहना है कि ससार की नस्लों में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें अच्छे गुण हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें बुरे गुण हैं। प्रतिभाशाली होना अच्छा गुण है, बुद्धि-हीन होना बुरा गुण है, स्वस्थ होना अच्छा गुण है, रुग्ण होना बुरा गुण है, ईमानदार तथा सच्चा होना अच्छा गुण है, बेईमान तथा झूठा होना बुरा

गुण है। हमें अच्छे गुणों वाले व्यक्तियों की उत्पादन की दर बढ़ानी होगी, बुरे गुणों वाले व्यक्तियों की उत्पादन की दर घटानी होगी। अच्छे गुणों वाले व्यक्तियों की उत्पादन की दर बढ़ाने के उपाय 'विधेयक-उपाय' (Positive methods) तथा बुरे गुणों वाले व्यक्तियों की उत्पादन की दर घटाने के उपाय 'निषेधक उपाय' (Negative methods) कहते हैं। ये 'विधेयक' तथा 'निषेधक' उपाय क्या हैं ? हम इन दोनों पर क्रमशः विचार करेंगे—

(क) विधेयक-उपाय—सुप्रजनन-शास्त्र का कहना यह है कि अच्छे गुणों वाले स्त्री-पुरुष को ही सन्तान उत्पन्न करनी चाहिए, इससे समाज को उत्तम नागरिक मिलेंगे। प्रायः देखा गया है कि अच्छे लोगों की कम सन्तान होती है, बुरे लोगों की ज्यादा सन्तान होती है। इसका नतीजा यह होता है कि हमारे समाज में ज्यादातर भर्ती नीचे के स्तर के लोगों से होती है और इसलिए समाज दिनोदिन क्षीण होता जाता है, बुरे लोग बढ़ते जाते हैं। अच्छे, प्रतिभाशाली, सद्गुणों के व्यक्ति या तो विवाह कम करते हैं, या उनकी सन्तानें कम होती हैं। इसका प्रतिकार करने के लिए स्वस्थ, सदाचारी, प्रतिभाशाली व्यक्तियों को राज्य की तरफ से विवाह करने तथा ज्यादा सन्तान उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, अगर उनकी आर्थिक-स्थिति अच्छी न हो तो उनको आर्थिक-सहायता भी राज्य की तरफ से दी जानी चाहिए। इससे ज्यादा विधेयक-उपायों के विषय में अभी तक सुप्रजनन-शास्त्र में कुछ नहीं सोचा जा सका।

(ख) निषेधक-उपाय—सुप्रजनन-शास्त्रियों का मुख्य काम निषेधक-उपायों पर बल देना है। इनका कहना है कि अगर रोगी, अपराधी, अपाहिज, पागल, हीन-बुद्धि व्यक्ति सन्तानोत्पत्ति नहीं करेंगे, तो अगली सन्तति में ऐसे व्यक्तियों की सख्या अपने-आप कम हो जायगी। अगर हम विधेयक उपायों से आगामी सन्तति को उन्नत नहीं कर सकते, तो कम-से-कम अयोग्य व्यक्तियों को सन्तान उत्पन्न करने से रोक तो सकते हैं। यह तो माना हुआ सिद्धान्त है कि अगर स्त्री-पुरुष दोनों के 'वाहकाणु'—'जेनीज'—दूषित हैं, तो उनकी सन्तान निश्चित रूप से दूषित पैदा होगी। फिर ऐसों को सन्तान उत्पन्न करने से रोका क्यों न जाय ? अच्छे माता-पिता के सन्तान उत्पन्न करने पर भी दूषित-सन्तान पैदा हो सकती है। इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो किसी के 'वाहकाणुओं'—'जेनीज'—में 'आकस्मिक-परिवर्तन' (Mutation) हो जाय जैसा विकास की प्रक्रिया में होता रहता है। इसकी बहुत कम संभावना है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि सन्तान उत्पन्न करने वाले माता-पिता तो अच्छे गुणों के हैं परन्तु उनके 'वाहकाणुओं'—'जेनीज'—में पहले के किसी हीन-पूर्वज के 'वाहकाणु'—'जेनीज'—प्रसुप्त रूप में चले आ रहे हैं, आगे जाकर किसी सन्तति में वे 'प्रभावक' (Dominant) का रूप धारण कर गये हैं। ऐसी अवस्था को रोकने के लिए यही किया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति को विवाह करने से रोक दिया जाय। इस प्रकार मानव-समाज छँटते-छँटते ऐसी हालत में पहुँच जायगा जब 'दूषित-वाहकाणु'

मानव-समाज से छूट कर समाप्त हो जायेंगे, और अच्छी सन्तति ही मानव-समाज को अग्रसर करेगी ।

सुप्रजनन-शास्त्रियों का यह विचार अव्यावहारिक है । करोड़ों-अरबों वर्षों से यह मानव-समाज चला आ रहा है । एक-एक स्त्री-पुरुष में न-जाने कितने 'वाहकाणु'—'जेनीज'— होते हैं । इनसे न-जाने कितने व्यक्ति पैदा हो चुके हैं । इन 'वाहकाणुओं'—'जेनीज'— से एक व्यक्ति के पैदा होकर मनुष्य बनने में सालें लगते हैं । इन सब को छांटना कहाँ तक संभव है ? जिस व्यक्ति को हम स्वस्थ ईमानदार, प्रतिभाशाली समझ कर उसको विवाह की अनुमति देते हैं, न-जाने उसमें ही कितने दूषित 'वाहकाणु'—'जेनीज'— छिपे हैं, प्रसुप्त हैं, और न-जाने कब, किस सन्तान में वे प्रसुप्त की जगह प्रभावक रूप धारण कर लें और हमारे साफ किये हुए तालाब को फिर से इतना गंदा कर दें कि वह कितना साफ किए जाने पर भी साफ न हो सके ।

फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि सुप्रजनन-शास्त्रियों की बात सर्वय त्याज्य है । इसमें शक नहीं कि इस दिशा में प्रयत्न होना चाहिए, उससे समाज के लाभ भी बहुत होंगे, कोढ़ी-अपाहिजों से तो कोढ़ी और अपाहिज ही पैदा होंगे । इस दृष्टि से सुप्रजनन-शास्त्रियों ने जो निषेधक-उपाय सोचे हैं, वे निम्न हैं —

(1) जो आदतन अपराधी मनोवृत्ति के लोग हैं, उन्हें सन्तानोत्पत्ति से रोक दिया जाय । यह ठीक है कि सन्तानोत्पत्ति से रोकना तथा विषय-वासना से रोकना—ये दो पृथक्-पृथक् बातें हैं । विषय-वासना मनुष्य की सहज-प्रवृत्ति है, इसका असर समाज पर सन्तति के रूप में न हो, इसके लिए सुप्रजनन-शास्त्री 'निर्बीजीकरण' (Sterilization) का उपाय बतलाते हैं । ऐसे व्यक्तियों का ऐसा ऑपरेशन कर देना चाहिए जिससे उनकी सन्तान ही न हो सके । अमरीका में अनेक राज्यों में ऐसे विधान बने हुए हैं जिनमें खास-खास तरह के व्यक्ति सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकते, उनका ऑपरेशन कर दिया जाता है । कैलीफोर्निया में इस तरह के ५ हजार ऑपरेशन हो चुके हैं, और इससे भी अधिक अब तक हो चुके होंगे । इन ऑपरेशनों का परिणाम यह होता है कि स्त्री-पुरुष विषय-वासना को पूरा करने के बावजूद सन्तानोत्पत्ति करने के लिये असमर्थ हो जाते हैं ।

(II) इसी प्रकार पागल, हीन-बुद्धि, सक्रामक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को भी सन्तानोत्पत्ति की आज्ञा नहीं होनी चाहिए । इनको या तो 'निर्बीज' कर देना चाहिए, या इन्हें समाज से ही पृथक् कर देना चाहिए । 'पृथक्करण' (Isolation) से भी समाज इन लोगों के संपर्क में आने से बचा रह सकता है ।

(III) विवाह से पहले हर स्त्री-पुरुष को अपना डाक्टरों मुआइना कराना चाहिए । इस मुआइने का मुख्य उद्देश्य इस बात का पता लगाना होना चाहिए कि जो स्त्री-पुरुष विवाह करके सन्तान उत्पन्न करने जा रहे हैं, वे सब तरह से स्वस्थ हैं या नहीं । डाक्टरों सर्टिफिकेट के बिना किसी को विवाह कर के सन्तान उत्पन्न करने की छूट नहीं होनी चाहिए ।

### ७ सुप्रजनन के विचार के प्रति प्रतिक्रिया

सुप्रजनन का विचार प्रत्येक देश तथा जाति के भले के लिये है, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु साथ ही इस विचार के प्रति विचारकों में प्रतिक्रिया भी है। इस प्रतिक्रिया के मुख्य दो कारण हैं, जिनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे।

(क) सुप्रजनन-शास्त्र तथा प्रजातिवाद—सुप्रजनन के विचार से 'प्रजातिवाद' (Racism) को विशेष बल मिल गया है। प्रजातिवाद का विचार ससार में सब से बड़ा जहर है। इसने देश को देश से, जाति को जाति से, मनुष्य को मनुष्य से लड़ाया है। हर देश, हर जाति यह समझती है कि उसी का रक्त ससार में सब से अच्छा है। हिटलर का विचार था कि नौडिक-नस्ल के लोगों के रक्त में ही उच्च गुण हैं। यही गुण संसार में जीवन-सघर्ष में टिक सकते हैं। इसी विचार के आवेश में उसने ससार पर एकमात्र प्रभुत्व स्थापित करना चाहा और रक्तपात की नदियाँ बहा दीं, यहूदियों को मृत्यु के घाट उतार दिया। आज भी अमरीका जैसे प्रगतिगामी देश में 'आव्रजन-निर्गजन' (Immigration-Emigration) के ऐसे कानून बने हुए हैं जो 'प्रजातिवाद' पर आश्रित हैं, और जो इस बात पर आश्रित हैं कि वे अपनी नस्ल को उच्च-गुणों का समझते हैं। आफ्रीका में 'रग-भेद-नीति' चल रही है। आफ्रीका के अंग्रेज भी अपने को एशियावासियों से नस्ल की दृष्टि से ऊँचे स्तर का समझते हैं। 'सुप्रजनन-शास्त्र' (Eugenics) को जब तक 'प्रजातिवाद' (Racism) से अलग नहीं किया जायगा, तब तक इसके प्रति लोगों की भावना ठीक नहीं हो सकती। अपराधी तो अपराधी है, रोगी तो रोगी है, चाहे वह नीचो नस्ल का हो, चाहे नौडिक नस्ल का हो। नीचो या नौडिक नस्ल दोनों प्रकार के अपराधियों को सन्तान उत्पन्न करने से रोकना और नीचो तथा नौडिक नस्ल दोनों प्रकार के प्रतिभा-शाली व्यक्तियों को सन्तान उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना ही वास्तविक तथा शुद्ध सुप्रजनन-शास्त्र की दृष्टि है।

(ख) 'वशानुसंक्रमण' तथा 'पर्यावरणवाद'—'सुप्रजनन-शास्त्र' का मुख्य आधार 'वशानुसंक्रमण' (Heredity) का सिद्धान्त है। 'वशानुसंक्रमण' का सिद्धान्त इस बात पर बल देता है कि सन्तान में जो गुण आते हैं, सब माता-पिता से आते हैं। 'सुप्रजनन-शास्त्र' इस बात को आधार बनाकर चलता है। परन्तु 'पर्यावरणवाद' (Environmentalists) इस बात को नहीं मानते। उनका कहना है कि माता-पिता का सन्तान को बनाने में उतना हाथ नहीं है जितना 'पर्यावरण' का है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कई प्रकार के परीक्षण किये हैं। ये परीक्षण दो तरह के हैं। एक परीक्षण तो ऐसे है जिनमें 'वशानुसंक्रमण' (Heredity) तो एक ही है, परन्तु 'पर्यावरण' (Environment) बदल गया है, दूसरे परीक्षण ऐसे हैं जिनमें 'पर्यावरण' एक ही है, 'वशानु-संक्रमण' बदला हुआ है। इस प्रकार के परीक्षणों को 'वशीकृत-परीक्षण' (Con-

trolled experiments) कहा जाता है। 'वशीकृत' इसलिए क्योंकि इनमें 'वशानुसक्रमण' या 'पर्यावरण' में से एक चीज हमारे वश में, हमारे हाथ में होती है। एक ही परिस्थिति में जुडवां (यमज) बच्चों का, तथा भिन्न-भिन्न वश के बच्चों का एक ही परिस्थिति में अध्ययन उक्त दोनों प्रकार के परीक्षणों के दृष्टांत हैं। एक ही परिस्थिति में जुडवां (यमज) बच्चों का अध्ययन करने से यह परिणाम निकाला गया कि यद्यपि उनका मूल-भूत 'वशानुसक्रमण' एक ही था, तो भी भिन्न-भिन्न सामाजिक परिस्थितियों में रहने के कारण उनका स्वभाव भिन्न-भिन्न हो गया। इसी प्रकार जब भिन्न-भिन्न वशों, भिन्न-भिन्न घरानों के बच्चों को जिनका 'वशानुसक्रमण' अलग-अलग था, एक-सी परिस्थिति में रखा गया तो वे एक-से बने। इस प्रकार के परीक्षणों से 'पर्यावरणवादियों' (Environmentalists) का कहना है कि सन्तति पर प्रभाव डालने वाली असली चीज समाज है, पर्यावरण है, कर्म है, जन्म नहीं, वश, घराना या 'जेनीज' नहीं।

'वशानुसक्रमण' तथा 'पर्यावरण'—इन दोनों सिद्धान्तों का आपस का झगडा बहुत पुराना है। हमने अपनी पुस्तक 'समाजशास्त्र के मूल-तत्त्व' में 'वशानुसक्रमण' के अध्याय में इस विषय की विस्तार से चर्चा की है। असल में, बातें तो दोनों ठीक हैं, 'वशानुसक्रमण' का भी असर होता है, 'पर्यावरण' का भी असर होता है, झगडा तभी खडा हो जाता है जब विचारक लोग अपने पक्ष को लेकर इतना आगे बढ़ने लगते हैं कि दूसरे पक्ष को निरर्थक साबित कर देते हैं। क्रियात्मक दृष्टि से देखा जाय तो दोनों पक्षों के सम्मिश्रण में ही सत्य निहित है।

# संस्कृति-संवर्धन के भिन्न-भिन्न सिद्धान्त— विकासवाद, प्रसारवाद तथा संस्कृति-संस्करणवाद

(THEORIES OF CULTURE-GROWTH—  
EVOLUTIONALISM, DIFFUSIONISM, ACCULTURATION)

हम पिछले अध्यायो में भिन्न-भिन्न नस्लों अर्थात् 'प्रजातियों' (Races) तथा 'जन-जातियों' (Tribes) के संबन्ध में लिख आये हैं। इन नस्लों की अपनी-अपनी संस्कृतियाँ हैं। मानव-शास्त्री इन नस्लों, इन प्रजातियों, इन जन-जातियों के अध्ययन के साथ-साथ इनकी संस्कृतियों का भी अध्ययन करते हैं। प्रागैतिहासिक नस्लों की संस्कृतियों की रूप-रेखा उनके उपकरणों के आधार पर बनाई जाती है, और जीवित नस्लों की संस्कृतियों का उनके बीच में जाकर अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार आजकल की जीवित जगली प्रजातियों की संस्कृति के अध्ययन को 'सांस्कृतिक-मानवशास्त्र' (Cultural Anthropology) कहा जाता है।

## १. 'सांस्कृतिक-मानवशास्त्र' की कठिनाइयाँ

'सांस्कृतिक-मानवशास्त्र' अभी अपने शंशक-काल में है। इसके अध्ययन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरणार्थ, (१) इस शास्त्र का अध्ययन अभी तक युरोपियन लोगों के ही हाथ में रहा है। उन्हीं के पास इतना धन तथा इतने साधन हैं कि वे जंगली प्रजातियों में जाकर सालों रह सकें और उनके जीवन का अध्ययन कर सकें। वे अपने को अन्य प्रजातियों से इतना ऊँचा समझते हैं कि जब वे इन जंगली प्रजातियों में जाते हैं, उनकी हर बात को पहले से ही जगली बात समझने की कोशिश करते हैं। वे यह सोच ही नहीं सकते कि जंगली प्रजातियों में भी कोई ऊँची बात हो सकती है। इस कारण इनके परिणाम बहुत-कुछ पक्षपातपूर्ण होते हैं, (२) जो लोग जंगली प्रजातियों का अध्ययन करते हैं, उनके पास कुछ साधन होते भी हैं, तो इतने नहीं होते कि वे देर तक इस अध्ययन को जारी रख सकें, (३) जो लोग कुछ समय इस अध्ययन में बिताना चाहते हैं, उनको यह भरोसा नहीं होता कि इस प्रकार अपने जीवन का बहुत-सा भाग इस अध्ययन में बिताने के बाद उन्हें कुछ ऐसा काम मिल जायगा जिससे इस अध्ययन को वे जीविका-निर्वाह में सहायक बना सकें, (४) जो इस प्रकार का अध्ययन करना चाहते भी हैं, उनके लिए जंगली प्रजातियों की भाषा का न जानना भी इस अध्ययन में बाधक हो जाता है,



(५) जगली प्रजातियों में भी उनके बीच उनके रीति-रिवाजों को पडताल करने वाले के प्रति अविश्वास की भावना है, वे समझते हैं कि किसी मतलब से ये हमारे बीच आये हैं—यह विचार भी इस अध्ययन में रकावट बन जाता है, (६) रशिया तथा अमरीका को छोड़ कर हमारे पास ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति भी नहीं हैं, जो इस प्रकार का अध्ययन करने में निपुण हो, (७) जगली प्रजातियों की सस्कृति का युरोपियनों ने अनेक स्थानों में सर्वनाश भी कर दिया है। इन सब कठिनाइयों से 'सास्कृतिक मानवशास्त्र' के अध्ययन में वह प्रगति नहीं हो रही जो होनी चाहिए, फिर भी इस दिशा में मानवशास्त्रियों ने बहुत-कुछ सोचा-विचारा और किया है।

२ 'सास्कृतिक-मानवशास्त्र' तथा 'भौतिक-विज्ञानों' की पद्धति में भेद

'सास्कृतिक-मानवशास्त्र' के विद्यार्थियों का कार्य-क्षेत्र जगली प्रजातियाँ हैं जिनमें जाकर उसे उनकी सस्कृति के हर पहलू का ठीक-ठीक निरीक्षण करना होता है। उनमें हर आयु के लोग होते हैं, स्त्री-पुरुष, बाल-वृद्ध, भिन्न-भिन्न स्वभावों के लोग होते हैं, उनके अपने-अपने ख्याल होते हैं। 'सास्कृतिक-मानवशास्त्र' के विद्यार्थियों को मनुष्य से वास्ता पडता है, जिसकी किसी भी बात को हम निश्चित नहीं समझ सकते। भौतिक तथा प्राणिशास्त्रीय विज्ञानों में यह बात नहीं है। भौतिक तथा प्राणिशास्त्रीय विज्ञानों में किसी व्यक्ति की आयु का, उसके स्वभाव का, उसके ख्यालात का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगर हमने पृथ्वी की गुरुत्व-शक्ति का अध्ययन करना है, तो यह तो प्रश्न साथ ही हल नहीं करना पडता कि पृथ्वी पुरुष है या स्त्री। अगर हमने प्राणीशास्त्र में आँख की रचना का अध्ययन करना है, तो भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आती। इसके विपरीत भिन्न-भिन्न प्रजातियों की सस्कृति का अध्ययन करते हुए तो अगर उन-उन प्रजातियों के लोग हमें अपने रीति-रिवाजों का अध्ययन न करने देना चाहें, तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। 'सास्कृतिक-मानवशास्त्र' के अध्ययन में हमें इन प्रजातियों की सहानुभूति अपनी तरफ खेंचनी पडती है, इनसे मित्रता का सबंध स्थापित करना पडता है, इनके साथ एकात्मता स्थापित करनी पडती है, और वह भी बीच में ही किसी कारण से टूट जाय, तो सारा ताना-बाना टूट जाता है। इससे स्पष्ट है कि 'सास्कृतिक-मानवशास्त्र' तथा 'भौतिक' एवं 'प्राणिशास्त्रीय' विज्ञानों में हमारे अध्ययन को जो सामग्री है, उसमें आधारभूत ऐसा भेद है जिसके कारण 'सास्कृतिक-मानवशास्त्र' का अध्ययन बहुत कठिन तथा जटिल हो जाता है।

इसके अतिरिक्त 'भौतिक-विज्ञान' तथा 'प्राणीशास्त्र' में लाखों, करोड़ों तथा अरबों की सख्या में एक-से तत्व होते हैं, उन सब में एक ही नियम काम करते हैं, इसलिए इन विज्ञानों के नतीजे 'सास्कृतिक-मानवशास्त्र' से भिन्न होते हैं उदाहरणार्थ, भौतिक-विज्ञान के अरबों-खरबों और अनन्त परमाणुओं में एक ही नियम काम कर रहा है, प्राणीशास्त्र के जीवन-कोष्ठ भी असंख्य हैं, उनमें भी जो नियम एक जीवन-कोष्ठ में काम कर रहा है, वही नियम दूसरे जीवन-कोष्ठ

में काम कर रहा है। 'मानव-शास्त्र' में ऐसा नहीं है। पहले तो मानव-शास्त्र में प्रजातियों की संख्या भौतिक-विज्ञान तथा प्राणीशास्त्र के परमाणुओं तथा जीवन-कोष्ठों की तरह अनन्त नहीं है। कुछ इनी-गिनी प्रजातियाँ हैं। उनमें भी जैसे परमाणुओं तथा जीवन-कोष्ठों में एक ही-से नियम काम करते हैं, वैसे इन प्रजातियों में एक-से नियम काम नहीं करते। किसी प्रजाति में मनुष्य को मारना बुरा है, तो आसाम की नागा प्रजातियों में किसी का सिर काट लाना बहादुरी का निशान है। सब प्रजातियों के रीति-रिवाज, रहन-सहन के तरीके अलग-अलग हैं, उनकी शासन-व्यवस्था अलग-अलग है। 'सांस्कृतिक-मानवशास्त्र' अन्य विज्ञानों की तरह गणित के-से फार्मूले नहीं दे सकता, नपी-तुली, गिनी-गिनाई बातें नहीं कर सकता, बिल्कुल निश्चित नियम नहीं बतला सकता, परन्तु इस सब के बावजूद संस्कृतियों के उत्थान-पतन, उनके प्रादुर्भाव, सर्वधन आदि के विषय में कुछ ऐसी बातें ज़रूर बतला सकता है जिनसे इस शास्त्र को शास्त्र का नाम दिया जा सके।

'सांस्कृतिक-मानवशास्त्र' के विद्यार्थी को इस शास्त्र के क्रियात्मक रूप के ज्ञान के लिए किसी जंगली जाति में जाकर बैठना होगा। उस जाति के रोजमर्रा के काम के क्या-क्या उपकरण हैं—इसका अध्ययन करना होगा। उनकी भाषा का भी कुछ ज्ञान उपलब्ध करना होगा। भाषा का ज्ञान न प्राप्त कर सके, तो उनके किसी व्यक्ति से घनिष्ठ सवध स्थापित करना होगा जो अपने लोगों की सब बातें उसे समझा सके। इतने से ही काम नहीं चलता, इसलिए उनके साथ घुल-मिलकर ही उनकी संस्कृति की भीतर से झाँकी मिल सकती है। जो लोग अपनी संस्कृति के विषय में कुछ न बताना चाहें, उनसे भी अगर उत्सुकतापूर्वक उनके उपकरणों आदि के सवध में पूछा जाय, तुम झोपड़ी कैसे बनाते हो, तुम शिकार को कैसे पकड़ते हो, तो अपनी डींग हाँकने के लिए वे सब-कुछ बताने लगते हैं। मनुष्य का स्वभाव है, उसे बढाओ तो वह सब उगलने लगता है। यह पद्धति है जो 'भौतिक-विज्ञानों' या 'प्राणीशास्त्र' में तो नहीं, परन्तु 'सांस्कृतिक-मानवशास्त्र' में काम आती है। अब हमें यह देखना है कि किसी संस्कृति का अध्ययन करते हुए हमें संस्कृति के किन तत्वों पर, किन गुणों पर ध्यान देना होगा।

### ३ सांस्कृतिक-मानवशास्त्र के गुण अथवा तत्व

(Attributes of Cultural Anthropology)

जैसे 'रसायन-शास्त्र' के अध्ययन के लिए अणु, परमाणु आदि भिन्न-भिन्न गुणों, तत्वों का जानना आवश्यक है, वैसे 'सांस्कृतिक-मानवशास्त्र' के अध्ययन के लिए भी कुछ आधारभूत गुणों, तत्वों का जानना आवश्यक है। 'सांस्कृतिक-मानवशास्त्र' में ग्राम, मनुदाय, समूह आदि अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। इन शब्दों का इस शास्त्र में अपना-अपना अर्थ है। संस्कृति के सवध में जब हम विचार करते हैं, तब जिन महत्वपूर्ण शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, उनमें से कुछ पर प्रकाश डालना आवश्यक है क्योंकि ये शब्द ही सांस्कृतिक-मानवशास्त्र के गुण हैं। वे शब्द हैं —

- (१) 'सांस्कृतिक-विशिष्ट-गुण' (Culture Traits or Elements)
- (२) 'संस्कृति-संकुल' (Culture Complex)
- (३) 'संस्कृति-प्रतिमान' (Culture Pattern)
- (४) 'सांस्कृतिक-विषय' (Culture Themes or Elementary Ideas)
- (५) 'जीवन का प्रकार' (Style of Life)
- (६) 'सांस्कृतिक-क्षेत्र' (Culture Areas)
- (७) 'प्रकट' तथा 'अप्रकट' सांस्कृतिक तत्व (Explicit and Implicit Culture Elements)
- (८) 'संस्कृति' तथा 'सभ्यता' (Culture and Civilization)
- (९) 'सांस्कृतिक भाग्यनिर्णयवाद' (Cultural Determinism)
- (१०) 'संस्कृति' तथा 'व्यक्ति' (Culture and the Individual)

हम अपने विषय में आगे बढ़ने से पहले इन दसों पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे ताकि 'सांस्कृतिक-मानवशास्त्र' को ठीक-से समझा जा सके।

(१) सांस्कृतिक-विशिष्ट-गुण (Culture Traits or Culture Elements)—'संस्कृति' मनुष्य के रहने के एक प्रकार का, एक तरीके (Way of Life) का नाम है। किसी के रहने का प्रकार किसी एक तरह का होता है, किसी का किसी दूसरी तरह का। मनुष्यों अथवा मानव-समूहों के जीवन के इन भिन्न-भिन्न प्रकारों को, भिन्न-भिन्न तरीकों को उनकी 'संस्कृति' कहते हैं। इन प्रकारों, इन तरीकों को हम स्पष्ट रूप में समझना चाहें, तो हम क्या कहेंगे? इन संस्कृतियों के अपने-अपने उपकरण हैं, अपनी-अपनी भाषा है, धर्म है, कला है, शासन-प्रणाली है। परन्तु उपकरण इनके सब के एक-से न होकर अपने-अपने तरीके के हैं, भाषा इनकी अपने तरीके की, और धर्म, कला और शासन-प्रणाली भी अपने-अपने खास तरीके की है। सब के उपकरण, सब की भाषा, सब के धर्म आदि एक ही प्रकार के नहीं हैं, अपने-अपने विशिष्ट तरीके के हैं। उदाहरणार्थ, उपकरणों में किसी प्रजाति में पत्थर को दूसरे पत्थर से ठोकर देकर तोड़ा जाता है, किसी में 'दबाव-विधि' (Pressure method) से तोड़ा जाता है, किसी धर्म में प्रार्थना करते हुए देवता के आगे दूध रखा जाता है, किसी में रुधिर रखा जाता है। ये सब उस-उस संस्कृति के 'विशिष्ट-गुण' (Culture traits) कहे जाते हैं। हर संस्कृति में अपने-अपने 'विशिष्ट-गुण' होते हैं, जो दूसरे से भिन्न होते हैं। तो फिर संस्कृति के 'विशिष्ट-गुण' क्या हैं? संस्कृति के 'विशिष्ट-गुण' वे गुण हैं, जो एक तरह से संस्कृति की इकाइयाँ हैं, जिन का आगे विभाग नहीं किया जाता, जिनसे संस्कृति का निर्माण होता है। जो भी लोग किसी समुदाय में रहते हैं, वह समुदाय कितना ही छोटा क्यों न हो, उन्हें अपने समुदाय से अपनी संस्कृति के कुछ 'विशिष्ट-गुण' वंश-परंपरा द्वारा विरासत में मिलते हैं। ये सांस्कृतिक 'विशिष्ट-गुण' हजारों, लाखों की तादाद में होते हैं।

प्रत्येक प्रजाति की अपनी भाषा की विशेषताएँ ही हज़ारों हो सकती हैं। अपनी-अपनी प्रजाति के उपकरणों में दूसरी प्रजातियों से हज़ारों भेद पाये जाते हैं। संगीत, शासन-व्यवस्था आदि सब में प्रत्येक प्रजाति अपने 'सांस्कृतिक विशिष्ट-गुणों' के कारण दूसरों से भिन्न होती है।

जैसे भौतिक-शास्त्र में भौतिक-तत्वों की इकाइयाँ अणु-परमाणु, अरबों, खरबों होते हैं, वैसे सांस्कृतिक-मानवशास्त्र में संस्कृति की इकाइयाँ जिन्हें हमने 'सांस्कृतिक-विशिष्ट-गुण' कहा, इतनी अधिक तो नहीं, परन्तु हज़ारों होती हैं। जैसे अणु-परमाणु यूँ ही नहीं चक्कर काटा करते, परन्तु उनका दूसरे अणुओं-परमाणुओं से संबन्ध होता है, उस संबन्ध से भिन्न-भिन्न वस्तुएँ बनती हैं, वैसे इन 'सांस्कृतिक विशिष्ट-गुणों' का आपस में संबन्ध होता है। जैसे वस्तुओं का निर्माण बिना परमाणुओं के संबन्ध के नहीं हो सकता, वैसे बिना इन 'विशिष्ट-गुणों' के 'पारस्परिक-संबन्ध' (Inter-relation or Inter-connection of cultural elements) के संस्कृति का निर्माण भी नहीं हो सकता। 'सांस्कृतिक-मानवशास्त्र' क्या करता है? प्रागैतिहासिक-संस्कृतियों के सम्बन्ध में जहाँ-जहाँ खुदाई होती है, वहाँ-वहाँ 'सांस्कृतिक-मानवशास्त्र' इन 'विशिष्ट-गुणों' को ढूँढता है, इनका पता लगाता है। प्रागैतिहासिक-काल के 'विशिष्ट-गुण' तो सिर्फ उपकरणों में मिलते हैं। इसलिए प्रागैतिहासिक-काल का पाषाण-युग का कोई खास प्रकार का उपकरण अगर कहीं मिल जाता है, तो उसके आधार पर 'सांस्कृतिक-मानवशास्त्र' इस निर्णय पर पहुँच जाता है कि उस स्थान पर इन 'विशिष्ट-गुणों' वाली संस्कृति विद्यमान थी। इसी प्रकार जीवित-प्रजातियों का अध्ययन करते हुए भी अगर किसी संस्कृति का कोई 'विशिष्ट-गुण' किसी दूसरी जगह मिल जाता है, तो यह परिणाम निकालना सहज हो जाता है कि इस जगह पर भी इस 'विशिष्ट-गुण' वाली संस्कृति मौजूद थी। यह परिणाम इस आधार पर निकाला जाता है क्योंकि संस्कृतियों के 'विशिष्ट-गुण' जुदा-जुदा नहीं पड़े रहते, उनका आपस में संबन्ध जुड़ा रहता है, और वे मिल कर संस्कृति का निर्माण करते हैं। 'सांस्कृतिक-विशिष्ट-गुण' एक ही संस्कृति में भिन्न-भिन्न प्रकार से मिलकर उस 'संस्कृति' का निर्माण तो करते ही हैं, वे दूसरी संस्कृतियों में मिल कर उनमें भी नवीन-नवीन सांस्कृतिक-प्रतिमानों का निर्माण कर देते हैं।

हमने अभी 'सांस्कृतिक-विशिष्ट-गुणों' के 'पारस्परिक-संबन्ध' पर जोर दिया। इसका मतलब यह है कि 'सांस्कृतिक-मानवशास्त्र' सिर्फ संस्कृति के 'विशिष्ट-गुणों' का ही अध्ययन नहीं करता, संस्कृति के 'विशिष्ट-गुणों' का आन्तरिक अभिप्राय क्या है, ये खोखले शब्द हैं या इन शब्दों के अन्दर भी कुछ भरा है—सिर्फ इसका ही अध्ययन नहीं करता, परन्तु भिन्न-भिन्न समुदायों की संस्कृतियों के 'विशिष्ट-गुणों' के 'पारस्परिक-संबन्धों' का भी अध्ययन करता है। भारत में मुसलमान आये, अफ्रेज आये, इनकी संस्कृति के 'विशिष्ट-गुणों' का हिन्दू-संस्कृति के 'विशिष्ट-गुणों' के साथ कसा संबन्ध रहा—यह सब-कुछ ढूँढने का भी

‘सांस्कृतिक-मानवशास्त्र’ प्रयत्न करता है। दाढ़ी-मूँछ मुंडाने का ‘सांस्कृतिक विशिष्ट-गुण’ अग्रेजों की सस्कृति से हिन्दू-सस्कृति में आया। इसका आना इन दोनों सस्कृतियों के आन्तरिक-संबंध को सूचित करता है।

सांस्कृतिक-संबंध पर ऐतिहासिक-दृष्टि से विचार किया जा सकता है, भौगोलिक दृष्टि से विचार किया जा सकता है, सामाजिक-दृष्टि से विचार किया जा सकता है, मानसिक-दृष्टि से विचार किया जा सकता है। ऐतिहासिक दृष्टि से सांस्कृतिक-संबंध पर विचार करने का अर्थ यह है कि हम देखें कि किस सस्कृति का कौन-सा ‘सांस्कृतिक-विशिष्ट-गुण’ किस दूसरी सस्कृति में कब गया? भौगोलिक दृष्टि से सांस्कृतिक-संबंध पर विचार करने का अर्थ यह है कि हम देखें कि किस स्थान से किस सस्कृति का कौन-सा ‘सांस्कृतिक-विशिष्ट-गुण’ दूसरी किस जगह गया? सामाजिक-दृष्टि से सांस्कृतिक-संबंध पर विचार करने का अर्थ यह है कि हम देखें कि किस समाज का कौन-सा ‘सांस्कृतिक-विशिष्ट-गुण’ किस दूसरे समाज में गया, उसका उस समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? मानसिक-दृष्टि से सांस्कृतिक-संबंध पर विचार करने का अर्थ यह है कि हम देखें कि किस ‘सांस्कृतिक-विशिष्ट-गुण’ का अब के या तब के मानव-समाज की विचार-धारा पर क्या प्रभाव पड़ा। कई विचारक इनमें से एक दृष्टि को महत्व देते हैं, दूसरी को नहीं, परन्तु ‘सांस्कृतिक-मानवशास्त्र’ का काम इनमें से किसी एक दृष्टि से नहीं, अपितु इन चारों दृष्टियों से सांस्कृतिक-संबंधों पर विचार करना है, और इस विचार में सस्कृति के ‘विशिष्ट-गुणों’ की सहायता से ही विचार हो सकता है।

तो फिर ‘सांस्कृतिक-मानवशास्त्र’ का काम क्या है? ‘सांस्कृतिक-मानवशास्त्र’ का काम सस्कृति के ‘विशिष्ट-गुणों’ का अध्ययन करना है। सस्कृति के ये ‘विशिष्ट-गुण’ क्या-क्या हैं, ये कैसे उत्पन्न होते हैं, इनमें क्या-क्या परिवर्तन आता रहता है, और इन ‘विशिष्ट-गुणों’ का, जिस सस्कृति के ये हैं, उससे क्या संबंध है, साधारण-सा संबंध है, या गहरा संबंध है—इस सब-कुछ का अध्ययन करना ‘सांस्कृतिक-मानवशास्त्र’ का काम है। इस सारे अध्ययन में ‘सांस्कृतिक-विशिष्ट-गुणों’ का इतना महत्व नहीं है जितना इन गुणों के आपसी संबंध का महत्व है। उदाहरणार्थ, ‘नमस्ते’ हिन्दू-सस्कृति का एक विशिष्ट-गुण बन गया है, पहले-कभी यह ऐसा नहीं था, अब मुसलमान और ईसाई भी ‘नमस्ते’ करने लगे हैं। यह क्यों इतना बढ़ा, पहले-कभी तो हिन्दू-लोग भी इससे चिढ़ते थे। इसका कारण है आर्यसमाजी लेखकों का सिनेमा के पट-चित्रों के निर्माण में आना और जनता में इसके प्रचार का कारण हुआ जनता की सिनेमा के प्रति रुचि दिखाना। जब हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभी सिनेमा जाते हैं, तब सिनेमा की बात को वे सभी एक-समान पकड़ लेते हैं और सभी की सस्कृतियों में ‘नमस्ते’ की पैबन्द लगती जा रही है। इस प्रकार एक ‘सांस्कृतिक विशिष्ट-गुण’ का भिन्न-भिन्न सस्कृतियों के सपर्क में आने से उसका सब जगह अस्तित्व दीखने लगता है, परन्तु गुण है वह एक खास ही सस्कृति का। हिन्दू-सस्कृति का अग होते हुए भी ‘नमस्ते’—यह

‘सांस्कृतिक-विशिष्ट-गुण’ अन्य संस्कृतियों के संबंध में आकर अपना पहला रूप, जिससे लोग चिढ़ा करते थे, बदल रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि ‘सांस्कृतिक-मानवशास्त्र’ की मुख्य समस्या ‘सांस्कृतिक-विशिष्ट-गुणों’ का अध्ययन करना इतना नहीं है, जितना इन गुणों का आपसी-संबन्ध तथा इन गुणों का अन्य संस्कृतियों से संबन्ध जानना है। कल्पना कीजिये, हमने जान लिया कि ‘नमस्ते’ हिन्दू संस्कृति का एक ‘सांस्कृतिक-विशिष्ट-गुण’ है। इतने-से क्या हुआ ? असल में हम इतना ही नहीं जानना चाहते कि हिन्दू-संस्कृति के ‘विशिष्ट-गुण’ क्या है, हम मुख्य तौर पर तो यह जानना चाहते हैं कि इन ‘विशिष्ट-गुणों’ का अपनी संस्कृति में क्या स्थान है, इन गुणों का दूसरी संस्कृतियों के संबन्ध में क्या स्थान है ? दूसरे शब्दों में, हमारी मुख्य समस्या ये गुण नहीं हैं, इन गुणों का ‘संबन्ध’ (Inter-relation) है।

(२) संस्कृति-संकुल (Culture Complex)—हमारी मुख्य-समस्या संस्कृति के ‘विशिष्ट-गुण’ न होकर, इन गुणों का संबन्ध है। इसीलिए इस संबन्ध पर विचार करते-करते ‘सांस्कृतिक-मानवशास्त्र’ ने एक अन्य शब्द की कल्पना की है, और वह शब्द है ‘संस्कृति-संकुल’। ‘संस्कृति-संकुल’ क्या है ? यह अनेक ‘सांस्कृतिक-विशिष्ट-गुणों’ का समुदाय है। परन्तु समुदाय तो निरर्थक भी हो सकता है। ‘सांस्कृतिक-विशिष्ट-गुणों’ के सार्थक, सप्रयोजन समुदाय को ‘संस्कृति-संकुल’ कहते हैं। यह समुदाय संस्कृति का एक अंग, एक भाग, एक हिस्सा या एक टुकड़ा होता है। सारी संस्कृति तो ‘संस्कृति-संकुल’ नहीं कहला सकती, परन्तु उसका एक भाग जिसमें कई ‘विशिष्ट-गुण’ सम्मिलित हो, ‘संस्कृति-संकुल’ कहला सकता है। उदाहरणार्थ, गरीब लोगों की टूटी-फूटी झोंपडियाँ, उनके फटे चीथड़े, उनके सोचने-विचारने के ढंग, उनकी अपने-आप को सम्पन्न लोगों से अपने को क्षुद्र समझने की भावना—ये सब एक तरह के ‘संस्कृति-संकुल’ हैं, जो अनेक ‘सांस्कृतिक-विशिष्ट-गुणों’ के ‘पारस्परिक-संबन्ध’ (Inter-connection) से बने हैं। इसी प्रकार जब से घोड़े को पालतू बना कर उससे मनुष्य ने काम लेकर एक विशेष प्रकार की सम्पत्ता को जन्म दिया है, जिसमें घोड़े से नाना प्रकार के काम लिए जाने लगे हैं, तब से एक अन्य प्रकार का ‘संस्कृति-संकुल’ पैदा हो गया है, जिसे ‘अश्व-संकुल’ (Horse complex) कह सकते हैं। इस ‘अश्व-संकुल’ में अश्व के साथ सम्बन्ध रखने वाले अनेक ‘सांस्कृतिक-विशिष्ट-गुणों’ का सम्मिश्रण है। घोड़े की नाल, घोड़े की काठी, घोड़े को काबू में रखना, उसे पालना, साधना—ये सब ‘अश्व-संस्कृति’ के ‘विशिष्ट-गुण’ हैं, जो ‘पार-स्परिक-संबन्ध’ हो जाने पर संस्कृति की परिभाषा में ‘अश्व-संकुल’ कहे जा सकते हैं।

(३) संस्कृति-प्रतिमान (Culture Pattern)—‘प्रतिमान’ का अर्थ है मापने का वह पैमाना जिसके द्वारा हम अपने जीवन के तरीके को, ‘जीवन के प्रकार’ (Way of life) को, अपने व्यवहार को, जो सब हमारी संस्कृति के ही भाग हैं, सही या गलत कहा करते हैं। इसी ‘प्रतिमान’ के द्वारा हम अपनी

संस्कृति की हर बात का मूल्य ठहराया करते हैं, इसको तो हम सही मान क चलते हैं, दूसरी बातों को इसके अनुकूल होने पर सही और प्रतिकूल होने पर गलत कहा करते हैं। उदाहरणार्थ, 'परिवार' की रचना हर समाज में मौजूद है, परन्तु भिन्न-भिन्न समुदायों, भिन्न-भिन्न संस्कृतियों में परिवार का 'व्यवहार', परिवार का तरीका भिन्न-भिन्न है। भारत के परिवार में स्त्री दबती रहती है, रसोई-चौक चूल्हा ही अपना क्षेत्र समझती है, अमरीका के परिवार में वह दबती नहीं रहती स्वतंत्र है, दफ्तर में काम करती है। अब अगर भारतीय नारी के विवाह व प्रश्न होगा, तो भारत में स्त्री के परिवार में व्यवहार का जो 'प्रतिमान' है, उस अनुरूप ही इस प्रश्न का हल होगा, वह स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा से जहाँ चाहे वहाँ शादी-व्याह नहीं करेगी, अमरीका की नारी के विवाह का प्रश्न होगा, तब अमरीका में स्त्री के परिवार में व्यवहार का जो 'प्रतिमान' है, उसी के अनुरूप इस प्रश्न का हल होगा, वह स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा से जहाँ चाहे शादी-व्याह करेगी दोनों के व्यवहार में भिन्नता का कारण क्या है? इनके व्यवहार में भिन्नता का कारण यह है कि भारत की 'संस्कृति' का स्त्री के सबंध में अपना एक घुंघला-स 'आदर्श-नक्शा', एक 'मान', एक 'नमूना' बना हुआ है, वंश-परंपरा द्वारा सदियों से वह 'आदर्श-नक्शा', वह 'मान', वह 'नमूना' हमारी 'सामाजिक-विरासत' के तौर पर चलता चला आ रहा है। शास्त्रों को न जानता हुआ भी प्रत्येक हिन्दू यह जानता है कि उसकी 'संस्कृति' इस-इस तरह की है, इसके अनुकूल चलना और इसके प्रतिकूल न चलना ही उसके लिए उचित है। जिस प्रकार एक भारतीय के मन में स्त्री के सबंध में एक 'नक्शा', एक 'नमूना', एक 'प्रतिमान' (Pattern) सामाजिक-विरासत के तौर पर चलता चला आ रहा है, उसी प्रकार एक अमरीकन के मन में भी स्त्री के सबंध में एक 'नक्शा', एक 'नमूना', एक 'प्रतिमान' बना हुआ है। इस 'प्रतिमान' को सामने रख कर हम भारतीय तथा अमरीकन अपनी अपनी संस्कृति में स्त्री से सबंध रखती हुई प्रत्येक बात पर विचार करते हैं संस्कृति की इसी 'आदर्श-कल्पना' को, इसी 'नमूने' को, इसी 'प्रतिमान' को, जिसका तुलना में हम अपने व्यवहार को सही या गलत कहते हैं, 'संस्कृति-प्रतिमान' (Culture pattern) कहते हैं।

जब कोई प्रजाति किसी दूसरी प्रजाति से उसका 'सांस्कृतिक-विशिष्ट गुण' (Culture trait) या 'संस्कृति-संकुल' (Culture complex) लेती है, उसे अपनी संस्कृति का अंग बनाती है, तो उसे अपनी संस्कृति का अंग बनाते हुए अपने 'सांस्कृतिक-प्रतिमान' (Culture pattern) को अवश्य ध्यान रखती है। यह बात वर्तमान उन्नत संस्कृतियों में इतनी नहीं पायी जाती जितनी जीवित जगली जातियों में पायी जाती है। उदाहरणार्थ, जगली जातियाँ अगर आजकल के पिस्तौल, बंदूक आदि शस्त्रों का उपयोग करेंगी तो इन शस्त्रास्त्रों की पूजा भी करेंगी, इन पर फूल भी चढ़ायेंगी। उनकी संस्कृति के 'प्रतिमान' के अनुसार इस प्रकार की पूजा से देवी-देवता प्रसन्न होते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए

उन शस्त्रों की पूजा आवश्यक है जिनके द्वारा देवताओं पर बलि चढाई जा सकती है। 'सांस्कृतिक-प्रतिमान' के संघ में श्रीमती रुथ बेनिडिक्ट (Ruth Benedict) की विचारधारा विशेष मनन के योग्य है, जगली जातियों का अध्ययन करते हुए उन्होंने इस विचार का विशेष रूप से उपयोग किया है। हम इसका आगे वर्णन करेंगे।

(४) सांस्कृतिक-विषय (Culture themes)—रुथ बेनिडिक्ट ने प्रत्येक प्रजाति के सांस्कृतिक-प्रतिमानों का जिक्र किया है। उनका कहना है कि ये 'प्रतिमान' दो तरह के होते हैं। एक 'प्रतिमान' के अनुसार किसी प्रजाति का सारे-का-सारा सांस्कृतिक-व्यवहार शान्त-गुण-युक्त होगा, दूसरे 'प्रतिमान' के अनुसार किसी प्रजाति का सारे-का-सारा सांस्कृतिक-व्यवहार अशान्त-गुण-युक्त होगा। उदाहरणार्थ, रुथ बेनिडिक्ट ने कई प्रजातियों का अध्ययन किया है जिनमें से प्युब्लोज (Pueblos) प्रजाति के लोग शान्त-गुण-युक्त पाये गये हैं। इनके शान्त-गुण-युक्त होने का सब से बड़ा उदाहरण मृत्यु के समय इनका व्यवहार है। उस समय ये लोग शोर-शार नहीं मचाते, छाती नहीं पीटते। मृत्यु के समय की वेदना को जितना हो सके उतना कम करने का ये प्रयत्न करते हैं। इनका उद्देश्य यह होता है कि मृत-व्यक्ति के संघी उसे भूल जायें। इससे विपरीत अन्य अनेक प्रजातियों में दूसरे लोग ही इतना रोना-धोना मचाते हैं कि रिश्तेदार ही तग आ जाते हैं। श्री ओपलर (M E Opler) महोदय बेनिडिक्ट की इस बात को तो स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक प्रजाति की संस्कृति के अपने 'प्रतिमान' होते हैं, परन्तु वे इस बात को नहीं स्वीकार करते कि ये 'प्रतिमान' सिर्फ दो हैं। उनका कहना है कि हर प्रजाति के अपने-अपने प्रतिमान हो सकते हैं, और इन प्रजातियों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को इन प्रजातियों के बीच जाकर उनके 'प्रतिमानों' का पता लगाना चाहिए। ये 'प्रतिमान' दो नहीं, वीसियों हो सकते हैं। इन्हें वे 'सांस्कृतिक-विषय' कहते हैं। 'प्रतिमान' (Patterns) तथा 'सांस्कृतिक-विषय' (Themes) लगभग एक ही बात का नाम है, भेद इतना है कि रुथ बेनिडिक्ट ने 'प्रतिमान' को दो में सीमित कर दिया है, श्री ओपलर यह नहीं मानते कि 'प्रतिमान' दो ही होते हैं, वे अनेक हो सकते हैं, और इसलिए उन्हें 'सांस्कृतिक-प्रतिमान' न कहकर 'सांस्कृतिक-विषय' कहा गया है।

(५) जीवन का प्रकार (Style of life)—हम पहले कह आये हैं कि संस्कृति का अध्ययन जीवन के प्रकार, जीवन के ढग का अध्ययन है। अगर हम किसी प्रजाति के जीवन के ढग, रहने-सहने के तरीके का अध्ययन करते हैं, तो उस प्रजाति की संस्कृति का अध्ययन कर रहे होते हैं। इस अध्ययन में बेनिडिक्ट के कथनानुसार दो 'प्रतिमान' होते हैं, श्री ओपलर के कथनानुसार अनेक 'प्रतिमान' हो सकते हैं। परन्तु इन प्रतिमानों में हम जीवन के जिस ढग का अध्ययन करते हैं, उसका आधारभूत विषय क्या होता है? हमें किस बात का अध्ययन करना है? रेडफील्ड (Redfield) का कथन है कि किसी प्रजाति की संस्कृति का



अध्ययन करते हुए हमें उसकी हर बात का, उसके जीवन के हर प्रकार और हर पहलू का अध्ययन करना होगा, हर ऐसे पहलू का अध्ययन करना होगा जो उस प्रजाति की सस्कृति की शुरुआत से आजतक उसमें मौजूद है। इसी से तो उस सस्कृति के प्रकार, उसके ढंग के सबघ में हमें जानकारी मिलेगी। इस सस्कृति के लोग शुरू से आजतक आजीविका के उपार्जन के लिए ऐसे कौन-कौन-से उपाय बरतते रहे हैं, जिन्हें ये आजीविका के लिए उचित समझते रहे हैं, किन विचारों को ये अपने आचार-व्यवहार के लिए ठीक मानते रहे हैं—इस सब का हमें अध्ययन करना होगा क्योंकि इन्हीं बातों से तो पता चलेगा कि इस प्रजाति की दृष्टि में व्यक्ति को इस प्रजाति के योग्य बनाने के लिये, कौन-कौन-सी बातें ये लोग आवश्यक समझते हैं। किसी प्रजाति की सस्कृति का अध्ययन तभी ठीक हो सकता है अगर हम यह पता लगायें कि इस प्रजाति के लोगों की दृष्टि में कौन-कौन-से सामाजिक-व्यवहार, किस प्रकार का रहन-सहन, किस प्रकार का चाल-चलन ठीक समझा जाता है। इसी से मालूम पड़ेगा कि इस प्रजाति की दृष्टि में किन बातों का मूल्य है। इसी अध्ययन को रेडफील्ड ने 'जीवन के प्रकार' (Style of life) का अध्ययन कहा है, जो 'सांस्कृतिक मानव-शास्त्र' के अध्ययन के लिए 'सांस्कृतिक-प्रतिमानों' (Patterns) तथा 'सांस्कृतिक-विषयों' (Themes) के अध्ययन की तरह आवश्यक है।

(६) सांस्कृतिक-क्षेत्र (Culture areas)—पुरातत्व-शास्त्र के पंडितों ने ससार को कई युगों में बांटा है। पाषाण-युग, ब्रौज-युग, ताम्र-युग, लौह-युग, अणु-युग के विषय में हम सब जानते हैं। पाषाण-युग को पूर्व-पाषाण-युग, नव-पाषाण-युग में बांटा गया है। नस्लों का वर्गीकरण करते हुए नियन्डरथल, क्रो-मैंगनन आदि मानवों में नस्लों का विभाग किया गया है। इसी प्रकार सस्कृति के क्षेत्र में सस्कृति की दृष्टि से यह विभाग करना उचित प्रतीत होता है कि किस क्षेत्र में कौन-सी सस्कृति है। जिन प्रजातियों की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, कला-सबधी तथा अन्य सांस्कृतिक बातों की समानता पायी जाती है, वे जहाँ-जहाँ बसती हैं उन्हें उस सस्कृति का क्षेत्र कहा जाता है। यह जरूरी नहीं कि एक सांस्कृतिक-क्षेत्र में एक ही नस्ल बसती हो। भिन्न-भिन्न नस्लें एक ही सस्कृति को अपनाने वाली पायी जा सकती हैं, और आजकल तो एक ही नस्ल में भिन्न-भिन्न सस्कृतियाँ घुस गई हैं। जिस क्षेत्र में एक प्रकार की सस्कृति पायी जाती है, एक प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, कलात्मक सगठन मिलते हैं उसमें भले ही कितनी नस्लें क्यों न हों, वह एक 'सांस्कृतिक-क्षेत्र' कहलायेगा और 'सांस्कृतिक-मानव-शास्त्र' के लिए सांस्कृतिक-दृष्टि से उसका महत्व होगा।

सस्कृति के इन 'क्षेत्रों' (Culture areas) में कई-कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें उस सस्कृति के 'विशिष्ट-गुण' (Culture traits) तथा उस सस्कृति के 'सकुल' (Culture complex) एक जगह केन्द्रित पाये जाते हैं। सस्कृति के इन केन्द्रों को 'सस्कृति-केन्द्र' (Culture centres) कहा जाता है। उदाहर-

णार्थ, भारतीय संस्कृति के हरिद्वार, बनारस, अलाहाबाद केन्द्र हैं। परन्तु इन केन्द्रों का यह अर्थ नहीं है कि संस्कृति रूपी नदी का प्रवाह इन केन्द्रों से फूटता है। संस्कृति का स्रोत यहाँ भी ही सकता है, कहीं और भी हो सकता है। किन्हीं कारणों से इस क्षेत्र में संस्कृति आकर केन्द्रित हो जाती है, और इसीलिए ये क्षेत्र 'संस्कृति-केन्द्र' कहे जाते हैं।

इन 'सांस्कृतिक-क्षेत्रों' का फैलाव एक पतली-सी पट्टी के तौर पर न होकर एक विशाल भू-भाग के तौर पर होता है। इस भू-भाग के भीतर के भाग में तो संस्कृति का केन्द्र रहता है, परन्तु प्रान्त-भागों में वही संस्कृति कुछ मध्यम-सी हो जाती है। 'सांस्कृतिक-क्षेत्रों' (Culture areas) के इन प्रान्त-भागों की संस्कृति को 'प्रान्तीय-संस्कृति' (Marginal culture) कहते हैं। संस्कृति का प्रवाह केन्द्र से प्रान्त-भाग की तरफ बहता है, और ज्यों-ज्यों संस्कृति की प्रगति 'केन्द्र' (Centre) से 'प्रान्त' (Margin) की तरफ बढ़ती है, त्यों-त्यों प्रान्त-वर्ती अन्य संस्कृतियों के साथ 'आन्तरिक-संबंध' (Inter-relation) के कारण इसका शुद्ध रूप हल्का पड़ता जाता है और जहाँ इस संस्कृति का रूप बहुत हल्का हो जाता है, वहाँ से दूसरी संस्कृति का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है।

अमरीका, आफ्रीका, भारत आदि भिन्न-भिन्न देशों को 'सांस्कृतिक-मानवशास्त्र' की दृष्टि से भिन्न-भिन्न 'सांस्कृतिक-क्षेत्रों' में बाँटा जा सकता है। बोअस (Boas) तथा उनके पीछे चलते हुए क्लार्क विज़लर (Clark Wissler) ने अमरीका को भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक-क्षेत्रों में विभक्त करने का प्रयत्न किया। इन क्षेत्रों का विभाजन करते हुए उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि एक क्षेत्र में एक-से उपकरणों का प्रयोग करने वाले, एक-सी कला तथा एक-सी सभ्यता वाले जन-समूह को रखा जाय। इस विभाजन से यह भी प्रतीत हुआ कि भिन्न-भिन्न नस्लों के लोग सांस्कृतिक-एकता के कारण एक 'सांस्कृतिक-क्षेत्र' में आ जाते हैं, और एक ही नस्ल के लोग संस्कृतियों की भिन्नता के कारण भिन्न-भिन्न 'सांस्कृतिक-क्षेत्रों' में गिने जाते हैं। प्रत्येक 'सांस्कृतिक-क्षेत्र' में 'सांस्कृतिक-केन्द्र' भी होगा और उस केन्द्र के परे उस संस्कृति का प्रान्तवर्ती भाग भी होगा। इन संस्कृतियों में 'सांस्कृतिक-विशिष्ट-गुण' तथा 'संस्कृति-सकुलों' का भी स्थान होगा।

(७) प्रकट तथा अप्रकट सांस्कृतिक-तत्व (Explicit and Implicit Culture Elements)—क्लकहौन (Kluckhohn) का कथन है कि किसी संस्कृति को देख कर हम अपनी वाह्य इन्द्रियों द्वारा उसके विषय में जो-कुछ जानते हैं, उस संस्कृति के पूरे रूप को जानने के लिए वह काफी नहीं है। आँख से देख कर और कानों से सुन कर किसी संस्कृति के विषय में हमारा जो ज्ञान होता है, वह तो उस संस्कृति के 'प्रकट-तत्वों' (Explicit elements) का ज्ञान होता है; इसके अतिरिक्त उस संस्कृति में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं, जो साधारण तौर पर सामने नहीं आते, इन तत्वों को ढूँढ़ निकालना 'सांस्कृतिक-मानवशास्त्र' का काम है। इनको ढूँढ़ने के लिए अनुसंधानकर्ता में इसी बात की विशेष योग्यता

होनी चाहिए। उस सस्कृति की आधारभूत प्रेरणाएँ क्या हैं, लक्ष्य क्या हैं, किन प्रयोजनों को लेकर उस सस्कृति के लोग जिन्दगी बसर करते हैं—ये सब बातें ऐसी हैं जिनका उस सस्कृतिवालो को भी ज्ञान नहीं होता, परन्तु जो उस सस्कृति की किसी-न-किसी बात में छिपी मिल जाती है। ये सस्कृति के 'अप्रकट-तत्व' (Implicit elements) कहलाते हैं जिनकी तलाश 'सांस्कृतिक-मानवशास्त्र' करता रहता है।

(=) 'सस्कृति' तथा 'सम्यता' (Culture and Civilization)— कई लेखको का कहना है कि मानव-समाज को दो भागों में बाँटा जा सकता है। एक तो मानव वह था जो जगलो में रहा करता था, पढ़ना-लिखना नहीं जानता था, असम्य था, दूसरा मानव वह है जो गाँव और शहर बनाकर रहने लगा है, पढ़ना-लिखना जानता है, सम्य है। 'असम्य' तथा 'सम्य' दोनों मानवों के रहन-सहन के तरीके को 'सस्कृति' (Culture) कहते हैं, परन्तु जब से मानव ने जगलों में रहना छोड़ कर गाँवों और शहरों में रहना शुरू किया, पढ़ना-लिखना सीख लिया, दूसरे शब्दों में जब से मानव असम्य से सम्य हुआ, तब से उसके रहन-सहन की 'सस्कृति' (Culture) का नाम ही 'सम्यता' (Civilization) हुआ। इस दृष्टि से प्राचीन-मानव के पास 'सस्कृति' तो थी, 'सम्यता' नहीं थी, क्योंकि 'सम्यता' उस 'सस्कृति' का नाम है जिसमें मनुष्य ने भौतिक-विकास कर लिया है। यह विचार मॉर्गन (Morgan) का है। 'सस्कृति' के दो पहलू हैं—प्राचीन तथा अर्वाचीन। 'सस्कृति' के अर्वाचीन पहलू को, जिसमें भौतिक उन्नति हुई है, मॉर्गन ने 'सम्यता' कहा है।

जर्मन तथा अमरीकन समाज-शास्त्री इस बात को नहीं मानते। अमरीकन समाज-शास्त्री मैकआइवर (MacIver) का कहना है कि 'सस्कृति' मनुष्य के नैतिक, आत्मिक तथा मानसिक विकास का नाम है। हम अपनी सस्कृति के 'प्रतिमान' से ही किसी बात का मूल्य आँकते हैं। अगर हमारे 'सांस्कृतिक-प्रतिमानों' के अनुसार कोई चीज है, तभी वह हमारे लिए काम की हो सकती है, अगर हमारे प्रतिमानों के अनुसार नहीं तो वह हमारे किसी काम की नहीं। 'सस्कृति' ही किसी वस्तु में मूल्य डालती है। हमारे व्यवहार तथा क्रिया-कलाप की आधार-भूत भावना हमारी 'सस्कृति' है, यह हमारे जीवन की प्रेरक-सूत्र है, यह हमारे बाहर की नहीं, भीतरी वस्तु है। इस सस्कृति में उन्नति भी हो सकती है, अवनति भी। इसके विपरीत 'सम्यता' हमारे जीवन की प्रेरक या मुख्य वस्तु नहीं। 'सम्यता' हमारी भीतरी चीज नहीं, बाहर की चीज है। जितना भौतिक-विकास है, जितने प्राविधिक उपकरण हैं—मोटर, रेडियो, रेल, तार—ये सब 'सम्यता' के अग हैं, 'सस्कृति' के नहीं। 'सस्कृति' उन्नति भी कर सकती है, अवनति भी, परन्तु 'सम्यता' के विषय में उन्नति-अवनति का प्रश्न नहीं उठता। 'सम्यता' तो जैसा हमने अभी कहा 'प्राविधिक' तत्वों का नाम है, रेल-मोटर-तार आदि का नाम है, इनमें तो न उन्नति होती है, न अवनति, इनमें तो बढ़ती होती चली

जाती है। यह 'सम्यता' आज रेल-तार के रूप में दिखाई देती है, प्रागैतिहासिक-युग में पत्थर के उपकरणों के रूप में थी। मौर्यन नहीं मानता कि प्रागैतिहासिक युग में 'सम्यता' थी, उसके अनुसार तो 'सम्यता' वर्तमान युग को देना है, परन्तु मक आइवर आदि मानते हैं कि 'संस्कृति' तथा 'सम्यता' आदि-काल से एक-साय चले आ रहे हैं।

(९) सांस्कृतिक भाग्य-निर्णयवाद (Cultural determinism)— कार्ल मार्क्स (Karl Marx) का कथन है कि सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राजनैतिक विचार-धाराएँ हमारी आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम होती हैं। इसे 'आर्थिक-भाग्य-निर्णयवाद (Economic determinism) कहा जाता है। आर्थिक-दृष्टि से जो निश्चिन्त होते हैं, वे सत्य और अहिंसा की बातें करते हैं, जो आर्थिक-दृष्टि से निश्चिन्त नहीं होते, उनकी विचार-धारा दूसरी दिशा में बहने लगती है। 'सांस्कृतिक-भाग्य-निर्णयवादी' इससे उल्टी बात कहते हैं। उनका कहना है कि 'संस्कृति' से सब-कुछ उपजा है, 'संस्कृति' ही हमारी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक रचनाओं की प्रेरक-सूत्र है, 'संस्कृति' के कारण लोग झूठ बोलने के स्थान में भूखा मरना भी पसन्द करते हैं। इन लोगों का कहना है कि 'संस्कृति' का नियमन करने वाले कोई बाह्य नियम नहीं हैं, 'संस्कृति' स्वयं अपने नियमों द्वारा अपना नियमन करती है। प्राणी-शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज-शास्त्र—इनमें से कोई भी विज्ञान 'संस्कृति' के अस्तित्व का समाधान नहीं कर सकता। 'संस्कृति' प्राणी-शास्त्र के नियमों से ऊपर (Super-organic) है, मनोविज्ञान के नियमों से ऊपर (Super-psychic) है, समाजशास्त्र के नियमों से ऊपर (Super-social) है। इसका कोई नियन्ता नहीं, यह स्वयं अपनी नियन्ता है और इसके नियमन से ही समाज की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक रचनाएँ बनती-विगडती हैं।

अगर 'संस्कृति' का नियमन स्वयं 'संस्कृति' करती है, तो क्या व्यक्ति का 'संस्कृति' के निर्माण में कोई हाथ नहीं है? हम तो देखते हैं कि 'संस्कृति' को मनुष्य बनाता है। इस शका का समाधान करने के लिए संस्कृतिवादी लेसली व्हाइट (Leslie White) ने इस सिद्धान्त को यह रूप दिया कि संस्कृति इस प्रकार काम करती है, मानो मनुष्य के बिना काम कर रही हो, मानो यह स्वयं चल रही हो, मानो अपना नियमन अपने-आप कर रही हो। यह 'मानो' इसलिए जोड़ा गया क्योंकि यद्यपि हम कहते हैं कि संस्कृति अपने-आप अपना नियमन कर रही है, तो भी नियमन तो इसका व्यक्ति ही करते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य संस्कृति का पुत्र है, परन्तु इसमें भी तो सन्देह नहीं कि मनुष्य संस्कृति को जन्म देता है।

(१०) मनुष्य तथा व्यक्ति (Culture and the Individual)— लिटन (Linton) का कथन है कि 'संस्कृति' का काम 'व्यक्ति' के सम्मुख ऐसे आदर्श खड़े कर देना है जिनके ऊपर चल कर वह समाज में अपने

को जीवित रख सके। जो व्यक्ति अपने समाज के सांस्कृतिक-आदर्शों के अनुसार चलता है, समाज उसकी रक्षा करता है, जो इन आदर्शों के अनुसार न चल कर इनके विरुद्ध चलता है, वह समाज में सुरक्षित जीवन नहीं व्यतीत कर सकता। समाज ने व्यक्ति के सम्मुख एक आदर्श रखा कि वह गृहस्थ में प्रवेश कर के सन्तान उत्पन्न करे। जो व्यक्ति समाज के इस आदर्श पर चलेगा, समाज अपनी संपूर्ण शक्ति से उसकी रक्षा करेगा। जो व्यक्ति समाज के इस आदर्श के विरुद्ध जिस-किसी लड़की से सबंध स्थापित करना चाहेगा, वह समाज में सुरक्षित नहीं रह सकता। इसका अभिप्राय यह हुआ कि कोई व्यक्ति, अगर वह समाज के आदर्शों के सम्मुख अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को मिटा देता है, अपनी इच्छानुसार चलने के स्थान में समाज की इच्छा को अपनी इच्छा बना लेता है, तो भले ही वह कमजोर हो, समाज उसकी रक्षा करता है। व्यक्ति के जीवित रहने का गुर समर्थ होकर जीवित रहना नहीं, परन्तु समाज के सम्मुख अपने को मिटा देना है। जो व्यक्ति समाज तथा समाज की संस्कृति के सामने अपने को दबा देता है, वह समाज की रक्षा का हाथ अपने सिर पर ले आता है। समाज में जीवित रहने के लिए अपनी हस्ती को मिटा कर समाज तथा संस्कृति के सामने सिर झुका देना है। आम तौर पर सर्वसाधारण का यही मार्ग है।

इसका यह अभिप्राय नहीं कि ऐसे व्यक्तियों का समाज में अभाव है, जो समाज तथा संस्कृति के आदर्शों के मुकाबिले में, इनकी टक्कर में, अपने वैयक्तिक-आदर्श खड़े नहीं करते। ऐसे व्यक्ति समाज में पाये जाते हैं जो समाज के आदर्शों से टक्कर लेते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वे जो समाज के आदर्शों को छिन्न-भिन्न कर देना चाहते हैं। समाज कहता है, चोरी नहीं करना, वे चोरी करते हैं, समाज कहता है, झूठ नहीं बोलना, वे झूठ बोलते हैं। ये व्यक्ति सहारात्मक-जीवन व्यतीत करते हैं और समाज इनको खत्म कर देता है। जहाँ ये समाज के शिकजे में चढ़े, वहीं पार कर दिये गये। इन व्यक्तियों में चोर, उचकके आ जाते हैं। दूसरे वे व्यक्ति हैं, जो सहारात्मक-जीवन व्यतीत करने के स्थान में समाज के प्रचलित आदर्शों के मुकाबिले में इन से भी ऊँचे आदर्श पेश करते हैं, और इनके आदर्श 'सहारात्मक' (Destructive) होने के स्थान में 'रचनात्मक' (Constructive) होते हैं। ऐसे व्यक्ति भी समाज के आदर्शों से टक्कर लेते हैं, परन्तु ये लोग प्रचलित-आदर्शों से भी उच्च-आदर्शों को लेकर समाज की संस्कृति से टक्कर लेते हैं। इन व्यक्तियों में महात्मा तथा समाज-सुधारक आ जाते हैं।

इस प्रकार हमने देखा कि संस्कृति तथा व्यक्ति का जो सबंध है, उसमें मुख्य तौर पर तो संस्कृति ही व्यक्ति पर आरुढ़ रहती है, परन्तु कभी-कभी व्यक्ति भी संस्कृति के साथ टक्कर ले लेता है।

४ संस्कृति-संवर्धन के सिद्धान्त (Theories of Culture growth)  
हमने 'संस्कृति' के सबंध में 'सांस्कृतिक-विशिष्ट-गुणों' (Culture traits), 'संस्कृति-सकुलों' (Culture complexes) तथा 'सांस्कृतिक-

प्रतिमानों' (Culture patterns) का वर्णन किया। 'सांस्कृतिक मानव-शास्त्र' के सम्मुख सब से बड़ी समस्या यह है कि ये विशिष्ट-गुण, ये संकुल तथा ये प्रतिमान पैदा कैसे होते हैं। दूसरे शब्दों में, संस्कृति का विकास, इसका संवर्धन कैसे होता है? इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि ससार में एक-सी संस्कृतियाँ कई जगह दिखाई देती हैं। अगर एक संस्कृति का एक जगह विकास हो गया, तो दूसरी जगह वंसी ही संस्कृति कैसे और क्यों कर दिखाई देती है? इन सब प्रश्नों के समाधान के लिए 'सांस्कृतिक-मानवशास्त्र' (Cultural Anthropology) में भिन्न-भिन्न सिद्धान्त हैं। इन सिद्धान्तों में मुख्य-मुख्य सिद्धान्त निम्न हैं।

(क) विकासवाद (Evolutionism)

(ख) प्रसारवाद (Diffusionism)

(ग) संस्करणवाद (Acculturation)

हम आगे इन तीनों सिद्धान्तों की संक्षेप से व्याख्या करेंगे और यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि 'संस्कृति' का विकास और संवर्धन किस प्रकार होता है।

#### ५. विकासवाद (Evolutionism) ५ :

जिस समय विज्ञान के क्षेत्र में डार्विन तथा हर्बर्ट स्पेंसर विकासवाद की धम मचा रहे थे, हर क्षेत्र में विकासवाद के सिद्धान्त को घटाकर दिखा रहे थे, उसी समय मानव-शास्त्र ने यूरोप में जन्म लिया। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होना ही था कि 'भौतिक-मानवशास्त्र' (Physical Anthropology) तथा 'सांस्कृतिक-मानवशास्त्र' (Cultural Anthropology)—इन दोनों के सबब में सारा विचार विकासवाद की दृष्टि से ओत-प्रोत होता। इसीलिए १८६० से लेकर १९०० तक हर एक मानव-शास्त्री विकासवादी सिद्धान्त को लेकर ही चलता था। विकासवाद का सिद्धान्त है कि इस सृष्टि में हर बात का 'सरल से विषम' (Simple to complex) की तरफ विकास हो रहा है। शुरू-शुरू में एक जीव-कोष्ठ के प्राणी थे, उनसे अनेक कोष्ठों के प्राणी हुए, शुरू में साधारण अगों के जीव थे, उनसे विषम अगों के जीव हुए। हर वस्तु, हर सस्था, हर सगठन, हर समुदाय शुरू में सरल था, इस सरल से ही विषम बना। विकासवाद के इस सूत्र को पकड़ कर इसे भौतिक तथा सांस्कृतिक मानवशास्त्र पर जिन-जिन विद्वानों ने जिस तरह घटाने का प्रयत्न किया, उसका कुछ वर्णन कर देने से विषय अधिक स्पष्ट हो जायगा।

(क) डार्विन (Darwin)—विकासवाद का प्रवर्तक तो डार्विन ही था। इसने 'प्राणी-शास्त्र' के क्षेत्र में विकासवाद के सिद्धान्त को घटाया। 'भौतिक-मानवशास्त्र' में जब हम प्राचीन-मानवों की खोपड़ियों का अध्ययन करते हैं, तब अधिकतर उनका अध्ययन इसी दृष्टि से किया जाता है कि जो खोपड़ी अधिक विकसित हो, वह पहले के काल की न होकर पीछे के काल की है। उदाहरणार्थ, प्रागैतिहासिक काल के मानव की अगर किसी एक खोपड़ी के ज्ञान-केन्द्र से यह प्रतीत हो कि उसे भाषा का ज्ञान नहीं था और दूसरी यह से प्रतीत हो कि

उसे भाषा का ज्ञान था, तो विकासवाद की दृष्टि से यह निश्चित है कि जिसे भाषा का ज्ञान नहीं था वह बहुत पहले की और जिसे ज्ञान था वह बहुत बाद की है। डार्विन ने ही सब से पहले विकासवाद के इस 'सरल से विषम' के सिद्धान्त को 'प्राणो-शास्त्र' में घटा कर यह प्रतिपादित किया कि मानव का विकास वानर से हुआ है, और इस विचार ने जब विद्वानों के मस्तिष्क को अपने शिकजे में कस लिया तब से बड़ी सरगर्मी के साथ मानव-शास्त्रियों ने उस लुप्त-कडी को टूटना शुरू किया जो वानर तथा मानव के बीच की थी, अर्थात् वह कडी वानर भी नहीं थी क्योंकि वानर से आगे विकास हो चुका था, और वह कडी मानव भी नहीं थी क्योंकि अभी पूरा मानव बनने में कुछ कमी थी।

(ख) टायलर (Tylor)—टायलर ने विकासवाद के सिद्धान्त को धर्म के क्षेत्र में घटाकर सांस्कृतिक-मानवशास्त्र में धर्म को चित्रित करने का प्रयत्न किया। टायलर का कहना था कि प्रागैतिहासिक-काल में मानव का विश्वास आत्मा में था। मनुष्य के मर जाने पर उसकी आत्मा में विश्वास होना स्वाभाविक था। क्योंकि शरीर अनेक है, इसलिए उनमें निवास करने वाला आत्मा एक न होकर अनेक था—यह मानना भी स्वाभाविक था। अनेक आत्माओं में विश्वास के बाद अनेक देवताओं में विश्वास का विकास हुआ और धीरे-धीरे यह विश्वास विकास की प्रक्रिया में से गुजरता-गुजरता अनेक देवतावाद से एक देवतावाद में परिणत हो गया। इस दृष्टि से विकासवादी मानवशास्त्री टायलर का कहना है कि एक ईश्वर की उपासना पर मनुष्य बहुत पीछे पहुँचा। इसी दृष्टि को सम्मुख रखकर विकासवादी-मानवशास्त्री पुरानी तथा नवीन जातियों के धर्म का अध्ययन करते हैं।

(ग) मॉर्गन (Morgan)—अमरीकन मानवशास्त्रियों में श्री लूई मॉर्गन का नाम बहुत प्रसिद्ध है। ये भी विकासवादी मानवशास्त्री थे। इन्होंने मानव के विकास के तीन क्रमों के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। इनका कहना था कि विकासवाद का 'सरल से विषम' का सिद्धान्त मनुष्य-जाति की संस्कृति के विकास पर ठीक बैठता है। मानव की संस्कृति के विकास में पहली अवस्था 'वन्य-मानव' (Savage<sup>1</sup>) की है, दूसरी अवस्था 'असभ्य-मानव' (Barbarian<sup>2</sup>) की है, तीसरी अवस्था 'नगर-मानव' (Civilized<sup>3</sup>) की है। 'वन्य मानव' जंगल में फिरता था, भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता था, आचार व्यवहार में निरा पशु था, 'असभ्य-मानव' में सभ्यता की बातें तो नहीं विकसित हुई थीं, परन्तु कुछ-कुछ अस्पष्ट भाषा का प्रयोग वह करने लगा था, परन्तु अर्ध

1 Savage=Latin *Silva*, wood

2 Barbarian=Greek *Barbaros*, one whose language is un-intelligible

3 Civilized=Latin *Civis*, a citizen (having a city)

एक जगह स्थान बना कर नहीं रहन लगा था, 'नगर-मानव' एक जगह मकान बना कर रहने लगा था, भाषा का प्रयोग करने लगा था, सभ्यता के विकास के मार्ग पर चल पडा था। इसी 'नगर-मानव' के विकास की शृंखला में हम बीसवीं सदी के लोग एक कडी हैं। इस विकास को और अधिक विस्तार से मौरिगन ने प्राचीन संस्कृतियों पर घटाने का प्रयत्न किया है। उसका कथन है कि इनमें से हर सांस्कृतिक-अवस्था के निम्न-मध्यम-उत्तम—ये तीन भेद होते हैं। 'वन्य-मानव' पहले बिल्कुल निम्न-स्तर पर था, उसके बाद जब वह 'ऑस्ट्रेलॉयड'-प्रजाति के रूप में आया, तब यह उसका मध्यम-स्तर था। इस स्तर के बाद उत्तम-स्तर वह था जब 'वन्य-मानव' पौलीनेशियन-रूप में विकसित हुआ। इसी प्रकार जब 'वन्य-मानव' विकसित होता-होता 'असभ्य-मानव' के रूप में प्रकट हुआ, तब 'असभ्य-मानव' के विकास के भी तीन स्तर थे—निम्न, मध्यम, उत्तम। निम्न-स्तर के 'असभ्य-मानव' इरोक्यूओज़ थे, मध्यम-स्तर के जेनीज़ थे, उत्तम-स्तर के होमर के समय के ग्रीक थे। इसके बाद 'असभ्य-मानव' से 'नगर-मानव' का विकास हुआ, जिसमें फिर तीन स्तर थे—निम्न, मध्यम, उत्तम। निम्न-स्तर का 'नगर-मानव' तब प्रकट हुआ जब भाषा का विकास हुआ, मानव ने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए लकीरें लगानी शुरू कीं, एक तरह से जब से लिखने की कला का श्रीगणेश हुआ, मध्यम-स्तर के 'नगर-मानव' का विकास हम लोगों में दीख रहा है जो साधारण रूप में इस बीसवीं सदी की सभ्यता के पुत्र हैं, उत्तम-स्तर के 'नगर-मानव' की सभ्यता तथा संस्कृति का रूप युरोपियन सभ्यता है, जो दिनोदिन सभ्यता के क्षेत्र में तेजी से आगे-आगे बढ़ती चली जा रही है।

मौरिगन का संस्कृति के संवर्धन में विकासवादी विचार यह है कि मानव की संस्कृति 'वन्यावस्था' (Savagery) से 'असभ्यावस्था' (Barbarism) तथा 'असभ्यावस्था' से 'नगरावस्था' (Civilization) की तरफ क्रम से विकसित हुई है और इसी दृष्टि से विकासवादी मानवशास्त्री प्रागैतिहासिक-मानव की संस्कृति का अध्ययन करते हैं।

मौरिगन ने जैसे विकासवाद के सिद्धान्त को सभ्यता तथा संस्कृति पर घटाया, वैसे ही इसे परिवार के विकास पर भी घटाया। उसका कहना था कि शुरू-शुरू की आदि-मानव की संस्कृति में विवाह का कोई बंधन नहीं था, जो पुरुष जिस स्त्री से और जो स्त्री जिस पुरुष से चाहे यौन-संबंध कर सकती थी। यह अवस्था 'सकर' (Promiscuity) की अवस्था थी। इसके बाद क्योंकि मनुष्य इकला नहीं रह सकता था, झुण्ड बना कर रहता था, इसलिए 'सकर-विवाह' के बाद 'झुण्ड-विवाह' की अवस्था आयी जिसे 'ग्रुप-विवाह' (Group marriage) कहा जाता है। 'ग्रुप-विवाह' के बाद 'समान-रुधिर-विवाह' (Consanguine marriage) शुरू हुआ क्योंकि उस समय एक ही रुधिर के लोग इकट्ठे रहते थे, दूसरो को तो वे अपना दुश्मन समझते थे। 'समान-रुधिर-विवाह' के बाद 'मातृ-सत्ताक-परिवार' (Matrilineal family) का निर्माण हुआ क्योंकि पहले सन्तान माता के



परिवार के पास ही रहती थी, इसके बाद जब परिवार की यह रचना सुविधाजनक नहीं प्रतीत हुई, तब 'पितृ-सत्ताक-परिवार' (Patrilineal family) विकसित हुआ। इस सारे विकास में 'एक-विवाही परिवार' (Monogamous family) तो सबसे अन्त में विकसित हुआ। मौरगन तथा अन्य विकासवादी-मानवशास्त्रियों के कथनानुसार परिवार की संस्कृति का विकास इसी क्रम से हुआ है, और इसी क्रम को सम्मुख रखते हुए ये लोग प्राचीन-संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं।

(घ) हैड्डन (Haddon)—हैड्डन ने विकासवाद की विचार-धारा को सांस्कृतिक-मानवशास्त्र में कला के क्षेत्र में घटाने का प्रयत्न किया। इनका कहना था कि शुरू-शुरू की कला जैसी चीज दीखती थी उसका वंसा ही चित्रण कर देती थी। इसे 'यथार्थवादी' (Realistic) कहा जा सकता है। ज्यों-ज्यों सरल से विषम की तरफ विकास हुआ, त्यो-त्यो कला भी 'यथार्थवादी' होने के स्थान में 'संकेतवादी' (Symbolic) होती चली गई। पहले इसमें ज्यामितिक रेखाएँ नहीं थीं, अब इसमें ज्यामितिक रेखाएँ, आलंकारिकता आदि आने लगी। पहले 'मूर्त' (Concrete) वस्तुओं का चित्र बनाया जाता था, फिर 'अमूर्त' (Abstract) का बनाया जाने लगा क्योंकि विकास जैसे सरल से विषम की तरफ जाता है, वैसे ही मूर्त से अमूर्त की तरफ जाता है। इस विचार पर हम आदिकालीन-कला पर विचार करते हुए विस्तार से लिखेंगे।

(ङ) भाषा-विज्ञान (Linguistics)—अभी हमने देखा कि सांस्कृतिक-मानवशास्त्रियों ने संस्कृति के हर पहलू पर विकासवाद की दृष्टि से विचार करना शुरू कर दिया क्योंकि 'मानव-शास्त्र' का जब श्रीगणेश हो रहा था तब विकासवाद अपने शिखर पर पहुँचा हुआ था। इन्हीं विकासवादी मानवशास्त्रियों ने भाषा पर विचार करते हुए यह सिद्धान्त रखा कि शुरू-शुरू में लम्बे-लम्बे शब्दों वाली भाषाओं का विकास हुआ, बाद को छोटे शब्दों वाली भाषाओं का। विकास की दृष्टि से यह बात समझ में भी आती है कि थोड़े-से में बहुत अधिक कह सकना पहले की नहीं, पीछे की अवस्था ही हो सकती है।

### ७ मानव की मानसिक-एकता का विकासवादी सिद्धान्त (Evolutionary Doctrine of Psychic-unity of Mankind)

ऊपर हमने डार्विन, टायलर, मौरगन, हैड्डन आदि का उल्लेख किया है जिनका कथन यह है कि आदि-समाज में मानव की संस्कृति की विकासवाद के सिद्धान्त के अनुसार उत्पत्ति हुई और इसी सिद्धान्त के अनुसार इसका संवर्धन हुआ। इनका कहना है कि परिस्थिति की जैसी माँग होती है वैसे प्रतिक्रिया करने की प्राणी में स्वाभाविक शक्ति है। सृष्टि के प्रारंभ में प्राणी के सम्मुख जैसी परिस्थितियाँ उपस्थित हुईं, उनके अनुसार उसने प्रतिक्रिया की, और इस प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप उसके अग बने, उसकी संस्कृति बनी, उसका सब-कुछ बना। अगर वह प्राकृतिक अवस्थाओं के उत्पन्न होने पर ठीक प्रतिक्रिया न करता, तो आज वह ज़िन्दा नज़र न आता। इन अनुकूल प्रतिक्रियाओं का ही नतीजा है

कि आज मनुष्य के पास अपना विकसित हुआ-हुआ शरीर है, उसकी सामाजिक-संस्कृति में उसके पास परिवार है, धर्म हैं, भाषा है, अपना राजनैतिक-संगठन है, सब-कुछ है।

विकासवादियों का कहना है कि क्योंकि हर देश और हर काल के मानव का मन एक-सा है, इसलिए समान परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर मानव ने सर्वत्र एक-समान संस्कृति को जन्म दिया है। विकासवाद की इस दृष्टि को सम्मुख रखकर विकासवादी-मानवशास्त्री दो शब्दों का प्रयोग करते हैं—'स्वतंत्र-आविष्कार' (Independent inventions) तथा 'समानान्तर-आविष्कार' (Parallel inventions)। इनमें से 'स्वतंत्र-आविष्कार' तो वे हैं, जो किन्हीं खास प्रकार की परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर मानव-समाज स्वतंत्र रूप से, बिना किसी दूसरे से सीखे, अपने-आप आविष्कृत कर लेता है। संस्कृति के प्रायः सभी 'विशिष्ट-गुण' (Cultural traits) इसी प्रकार के 'स्वतंत्र-आविष्कार' हैं। कई सांस्कृतिक-मानवशास्त्रियों का कहना है कि जब कहीं कोई 'स्वतंत्र-आविष्कार' हो जाता है, तब वह दूसरी जगहों में भी इन्हीं लोगों के सम्पर्क में आने के कारण इनके अन्त-सवध से पहुँच जाता है। 'प्रसारवादी' (Diffusionists) इसी बात के समर्थक हैं। परन्तु विकासवादियों का कहना है कि ऐसी बात नहीं है। एक 'स्वतंत्र-आविष्कार' के आस-पास के लोगों में एक-दूसरे के सम्पर्क में आने के कारण उसका पहुँच जाना तो प्रसारवाद द्वारा समझ आ सकता है, परन्तु हम देखते हैं कि एक-से आविष्कार ऐसे लोगों में भी पाये जाते हैं जिनके आपस में किसी प्रकार के सपर्क में आने की सभावना भी नहीं है। उदाहरणार्थ, कृषि का आविष्कार दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम एशिया तथा अमरीका में स्वतंत्र रूप से हुआ, शून्य का आविष्कार हिन्दुओं, चैवीलोनियन तथा माया जाति के लोगों में स्वतंत्र रूप से हुआ, लेखन-कला का अनेक स्थानों पर स्वतंत्र रूप से आविष्कार हुआ, कागज के निर्माण तथा छापेखाने का पूर्व तथा पश्चिम में स्वतंत्र रूप से आविष्कार हुआ। एक स्थान के आविष्कार को 'स्वतंत्र-आविष्कार' (Independent invention) कहा जाता है, और कई स्थानों में उसी तरह के स्वतंत्र-आविष्कारों को 'समानान्तर-आविष्कार' (Parallel inventions) कहा जाता है। विकासवादी सांस्कृतिक-मानवशास्त्रियों का कहना है कि इस प्रकार के एक-ही-से आविष्कारों का कई स्थानों में स्वतंत्ररूप से समानान्तर प्रकट होना मानव की मानसिक-एकता (Psychic unity of mankind) के कारण है।

### ७ संस्कृति के सम्बन्ध में विकासवादी विचार-धारा के तत्त्व (Basic concepts of Evolutionary theory of Culture)

संस्कृति के प्रादुर्भाव तथा उसके विकास के सवध में विकासवादी सांस्कृतिक-मानवशास्त्रियों की जो विचार-धारा है, उसकी मुख्य-मुख्य बातें निम्न हैं :—

(क) मानव-संस्कृति का विकास एक मीठी रेखा में चलता चला आ रहा है। हर क्षेत्र में सरल से विषम की ओर विकास जा रहा है। प्राणों के

शरीर का प्रश्न हो, परिवार, धर्म, भाषा, सस्कृति—हर क्षेत्र में विकास एक ही दिशा में जा रहा है, सरल अवस्था से विषम अवस्था में। इसे 'एक-दंशिक' या 'एक-दिशा-विकास' (Unilinear evolution) कहा जाता है, एक दिशा इसलिए क्योंकि इस सिद्धान्त में विकास की एक ही दिशा है—हर क्षेत्र में 'सरलता से विषमता' की दिशा।

(ख) इस सिद्धान्त की दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि क्योंकि सृष्टि भर में मानव के मानस की रचना एक ही प्रकार की है इसलिए समान परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर हर देश तथा काल में मानव के मन की प्रतिक्रिया एक-सी होती है। मानव की 'मानसिक-एकता' (Psychical unity of mankind) के कारण भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्वतंत्र रूप से मानव का मानस एक-सी प्रतिक्रिया करता है, इसलिए स्वतंत्र रूप से भी मनुष्य ने भिन्न-भिन्न देश तथा काल में एक-से तथा समानान्तर आविष्कार (Parallel inventions) किये हैं।

(ग) इस सिद्धान्त को मानने वाले अपने पक्ष की पुष्टि में सब से बड़ी युक्ति यह देते हैं कि उन्नत-समाजों में भी प्रारम्भिक-समाज के रीति-रिवाज बचे-खुचे 'अवशेष' (Survivals, vestiges) के तौर पर दिखाई देते हैं। उन्नत समाजों में ये बचे-खुचे प्रारम्भिक-समाज के रीति-रिवाजों के अवशेष यह सिद्ध करते हैं कि किसी समय यह समाज भी प्रारम्भिक-अवस्था में था जिस अवस्था से विकसित होता-होता यह अब उन्नत-अवस्था में पहुँच गया। अगर यह किसी समय विकास की प्रारम्भिक-अवस्था में नहीं था, तो अब उन्नत अवस्था में इसके भीतर प्रारम्भिक-अवस्था के 'अवशेष' क्यों दिखाई देते हैं ?

### ८ सांस्कृतिक-विकास की विचार-धारा की समीक्षा (Evolutionary theory of Culture Examined)

सस्कृति के सबध में विकासवाद की विचार-धारा के सबध में सब विद्वानों की सहमति नहीं है। इस सिद्धान्त के अनुसार सस्कृति के विकास के सबध में उन्होंने जो आक्षेप किये हैं, उनमें से कुछ निम्न हैं —

(क) यह कहना कि सस्कृति का विकास 'वन्यावस्था' से 'असम्यावस्था' तथा 'असम्यावस्था' से 'नगरावस्था' में हुआ, परिवार का विकास 'सकरावस्था' से 'यूथ-विवाह' और 'यूथ-विवाह' से 'एक-विवाह' के रूप में हुआ, आर्थिक-विकास फल चुगने से शिकारी-जीवन, शिकारी-जीवन से पशु-पालन और पशु-पालन से कृषि के विकास में हुआ—यह सब विकास तर्क, युक्ति और क्रम से इतना घधा और जकड़ा हुआ है कि इसी बात के आधार पर इस प्रकार का विकास मानना युक्ति-युक्त प्रतीत नहीं होता। क्या प्राणियों का विकास इस प्रकार निश्चित है कि वह एक ही दिशा में चलता चला जा रहा है ? क्या यह निश्चित बात है कि पहले सकरावस्था ही थी, उसके बाद यूथ-विवाह ही आया, कोई और दूसरा क्रम नहीं आया ? इस प्रकार की निश्चित प्रक्रिया प्राणि-जगत् में चल रही नहीं दीखती। उदाहरणार्थ, यह कहना कि पशु-पालन की सम्यता कृषि-सम्यता से पहले

आयी गलत है, क्योंकि उत्तरी अमरीका में अनेक जन-जातियाँ पायी जाती हैं जो कृषि-सभ्यता तक बिना पशु-पालन की जानकारी के पहुँची हैं। ऐसी हालत में विकासवादी लोग संस्कृति के हर क्षेत्र में जो क्रम बतलाते हैं, वह ठीक नहीं माना जा सकता।

(ख) विकासवादियों का क्रम जैसा हमने अभी कहा, तर्क, युक्ति और क्रम से इतना अधिक बधा-जकडा है कि वह जड-जगत् में भले ही चल सके, प्राणि-जगत् में नहीं चल सकता। प्राणी की अपनी इच्छा भी तो होती है, जो उसे सीधा एक लकीर में विकसित होने से रोकती है। विकासवाद का कहना तो यह है कि विकास एक सीधे रेखा में, एक ही दिशा में, 'एक-द्वैशिक' (Unilinear evolution) होता चला जा रहा है। विकास की इस प्रकार की एक दिशा, इस प्रकार का एक निश्चित क्रम, जो एक रेखा में आँख मींच कर चल रहा हो, जड-जगत् के सिवाय चेतन-जगत् में, जहाँ किसी प्रकार के भी व्यवहार में प्राणी की इच्छा प्रधान होती है, नहीं चल सकता।

(ग) यह युक्ति कि उन्नत-समाजों में प्रारंभिक-समाजों के 'अवशेष' (Survivals, vestiges) दिखाई देते हैं जिससे सिद्ध होता है कि किसी समय ये उन्नत-समाज प्रारंभिक अवस्था में थे, तभी ठीक हो सकती है अगर हम विकासवाद के इस सिद्धान्त को स्वयं-सिद्ध मान लें कि विकास तो हुआ ही है, अब जो 'अवशेष' दिखाई देते हैं, वे इस उन्नत-समाज की पहली किसी उस अवस्थाके सूचक हैं, जब यह प्रारंभिक-अवस्था में था। जिसे विकासवादी 'अवशेष' कहते हैं, उसे हम 'अवशेष' क्यों मानें? क्यों न हम यह मानें कि हमारे समाज के ये असली रूप हैं, ये पिछले किसी समय के बचे-खुचे अवशेष नहीं हैं।

(घ) विकासवादी इस बात को भी भूल जाते हैं कि संस्कृति का लेन-देन होता है, एक जगह से वह दूसरी जगह पहुँचती है, इसका 'प्रसार' (Diffusion) होता है। वे भिन्न-भिन्न संस्कृतियों की समानता को देख कर यह कहने लगते हैं कि क्योंकि सृष्टि के मानव के मन की अन्य मानवों ने एकता है, इसलिए हर जगह स्वतंत्र रूप से मनुष्य ने एक ही-सी बातों का आविष्कार कर लिया है। इतिहास में हम देखते हैं कि एक संस्कृति के लोग दूसरी जगह जाते हैं दूसरों के संपर्क में आते हैं, इनमें संस्कृतियों का आदान-प्रदान होता है। फिर भला क्यों मान लिया जाय कि हर जगह स्वतंत्र रूप से संस्कृतियों का विकास हुआ है?

(ङ) विकासवादियों का कहना है कि संस्कृति एक दिशा में चलती चली जाती है। हर देश तथा काल में एक-सी संस्कृतियाँ जन्म लेती हैं। धर्म, भाषा, परिवार आदि में विकास की यह एक दिशा सब देशों तथा कालों में पायी जाती है। परन्तु विकासवादियों का इस प्रकार सोचना भी गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि वे यह भूल जाते हैं कि संस्कृति के इस प्रकार के एक दिशा के विकास में जातियों-प्रजातियों-उपजातियों-जनजातियों का एक-दूसरे के प्रति विरोध उसे एक दिशा में विकसित नहीं भी होने देता। ऐसी हालत में यह कैसे कहा जा

सकता है कि कोई जाति अगर विकास की दिशा में चलेगी तो वह डार्विन या मॉर्गन की निश्चित की हुई सीध में ही बढ़ती चली जायगी।

(च) विकास एक सीधी दिशा में नहीं होता। विकासवाद पर जो आक्षेप किये जाते हैं, वे मुख्यतया इसी कारण किये जाते हैं क्योंकि विकासवादी विकास की एक सीधी दिशा मानते हैं, यह समझते हैं कि 'बहु-देवतावाद' के बाद ही 'एक-देवतावाद' आयेगा, 'यूथ-विवाह' के बाद ही 'एक-पत्नी-विवाह' आयेगा। इस आक्षेप के महत्व को समझ कर ही अब कई विकासवादियों ने अपनी विचार-धारा में परिवर्तन करना शुरू कर दिया है। ये नवीन विचारक यह कहने की जगह कि विकास एक 'सीधी दिशा में'—'एक-दैशिक'—(Unilinear evolution) चलता है, यह कहने लगे हैं कि विकास 'अनुवृत्त की दिशा में' (Parabolic evolution) चलता है। उनका कथन है कि कोई भी सस्या या सगठन पहले शुरू होता है, फिर इससे लोग असंतुष्ट होकर इससे उल्टे सगठन बनाने लगते हैं, उससे भी असंतुष्ट होकर फिर प्रारंभ के सगठन की तरफ मुड़ते हैं, परन्तु इस प्रारंभ के सगठन की तरफ मुड़ते हुए इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसका रूप पहले से भिन्न हो, पहले से उच्च-स्तर का हो। उदाहरणार्थ, पहले विवाह में 'सकरता' (Promiscuity) थी। उससे असन्तोष हुआ, तो होते-होते 'एक-विवाही-प्रथा' (Monogamy) तक हम पहुँचे, परन्तु अब फिर स्त्री-पुरुष का सबंध ढीला करने की दलीलें दी जा रही हैं, लड़के-लड़कियों के अलग-अलग रहने में दोष दिखलाये जा रहे हैं, इन का पारस्परिक-संपर्क बढ़ाने का प्रयत्न हो रहा है। यद्यपि यह अवस्था पहले की-सी 'यूथ-विवाही'-अवस्था से भिन्न है, तो भी उसके आस-पास जरूर पहुँचती है। इसी प्रकार विकासवादियों के आदि-समाज में लोग नगे फिरा करते थे, अब उससे उल्टी अवस्था में हम पहुँचे हैं जिनमें कपड़े से आदमी लदा रहता है। परन्तु इस अवस्था की भी प्रतिक्रिया चल रही है और स्वास्थ्य के लिए नगे रहने के लिए तरह-तरह की युक्तियाँ दी जा रही हैं। प्राचीनकाल में सम्पत्ति पर किसी का प्रभुत्व नहीं था। जो-कुछ था सब का था, किसी एक का नहीं था। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में निजी-सम्पत्ति के विचार ने जन्म लिया। आज हमारे समाज में निजी-सम्पत्ति का विचार जड़ पकड़े हुए है। परन्तु आज हमारे देखते-देखते इस विचार के प्रति भी प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही है और आज का मानव प्राचीनकाल के वन्य-मानव की तरह समाजवादी बनता चला जा रहा है। भेद इतना है कि पहले का मानव सोच-समझ कर समाजवादी नहीं बना था, आज का मानव सोच-समझ कर समाज को समाजवादी बनाने पर तुला हुआ है। इस प्रकार हमने देखा कि विकास की प्रथम अवस्था में मनुष्य जिस प्रकार के जीवन से चला था, बीच में उससे उल्टी गंगा बही, परन्तु अब फिर हर दिशा में पहले की-सी अवस्था आती चली जा रही है।

विकासवादी-मानवशास्त्रियों के आलोचकों का कहना है कि जब विकासवादी स्वयं कहने लगे हैं कि सस्कृति का विकास एक दिशा में नहीं जाता, तो फिर

संस्कृति की उत्पत्ति आदि पर विकासवादी दृष्टि-कोण से विचार करना कहाँ तक सगत है ?

### ९. प्रसारवाद या ऐतिहासिकवाद (Diffusionism or Historical school)

'संस्कृति' के विकास तथा प्रसार के संबंध में 'विकासवादी-सांस्कृतिक-मानवशास्त्र' के पंडितों के कथनों का वर्णन हम कर चुके। इनके अतिरिक्त दूसरे विद्वान् हैं, जो 'संस्कृति' की समस्या को विकासवाद से हल करने के स्थान में 'प्रसारवाद' से हल करते हैं। 'प्रसारवाद' क्या है ?

विकासवाद का कहना तो यह था कि धर्म, भाषा, परिवार, समाज तथा संस्कृति की बातें जिन्हें हम संस्कृति के 'विशिष्ट-गुण' (Traits) कह आये हैं, भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर, मनुष्य उनका 'आविष्कार' (Invention) कर लेता है। परिवार एक खास प्रकार की परिस्थिति में मनुष्य का 'आविष्कार' है, राजा का होना भी एक खास प्रकार की परिस्थिति में मनुष्य का 'आविष्कार' है। ये 'आविष्कार' ही संस्कृति के 'विशिष्ट-गुण' हैं, इन 'विशिष्ट-गुणों' के समूह से ही 'संस्कृति-संकुल' (Culture complex) बनते हैं—जब भिन्न-भिन्न स्थानों की परिस्थिति एक-सी होती है, तब उन सब जगह 'स्वतंत्र आविष्कार' होते हैं, जो दूसरे स्थानों के आविष्कारों के समान होते हैं। विकासवादियों की इस विचार-धारा में इस बात को सामने नहीं रखा गया कि संस्कृति का लेन-देन भी होता है, एक जगह की संस्कृति दूसरी जगह पहुँचती है। विकासवाद की विचार-धारा में मनुष्य की परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप आविष्कार कर सकने की शक्ति पर जोर दिया गया है। प्रसारवादी इस बात को नहीं मानते। उनका कहना है कि मनुष्य का मस्तिष्क आविष्कार ज़रूर करता है, परन्तु हर जगह स्वतंत्र रूप से एक-से आविष्कार होते रहते हैं—यह बात नहीं है। जब दो जातियाँ एक-दूसरे के आस-पास रहती हों, तब क्या हर एक जाति स्वतंत्र आविष्कार करेगी या जिसने आविष्कार कर लिया है उससे दूसरी जाति उन बातों को सीख जायगी ? प्रसारवादियों का कहना है कि सभ्यता का इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि जातियाँ एक-दूसरे से संस्कृति की बातें सीखती हैं। इसीलिए प्रसारवाद को ऐतिहासिकवाद भी कहा जाता है। जब इतिहास इस बात की पुष्टि करता है कि जातियाँ एक-दूसरे से विचारों को उधार लेती हैं, उनसे ग्रहण करती हैं, तब यह कैसे माना जाय कि जातियों की संस्कृति स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होती है, और स्वतंत्र रूप से विकसित होती है।

प्रसारवाद को ब्रिटिश, जर्मन तथा अमरीकन लेखकों ने भिन्न-भिन्न तौर-से प्रकट किया है, इसलिए हम इन तीनों का अलग-अलग वर्णन करेंगे।

(क) ब्रिटिश-प्रसारवादी या ईजिप्शियन स्कूल (British or Pan-Egyptian School)—प्रसारवादी सिद्धान्त की एक शाखा ब्रिटिश मानव-शास्त्रियों की है। इनमें इलियट स्मिथ (Elliot Smith) तथा

पैरी (Perry) मुख्य हैं। इलियट स्मिथ का कहना था कि सस्कृति के प्रसार में सबसे बड़ा कारण सांस्कृतिक-तत्वों का दूसरों से उधार लेना है। इलियट एक वनस्पति-शास्त्र का पंडित था और कैरो में कुछ देर तक काम करता रहा था। कैरो को देख कर उसने यह स्थापना की कि ससार की सबसे प्रथम सस्कृति का जन्म ईजिप्ट में हुआ और यहीं से सस्कृति का वृक्ष शाखा-प्रशाखाओं के रूप में ससार भर में फैला। इलियट स्मिथ का कहना था कि मनुष्य का मस्तिष्क स्वभाव से आविष्कारो के लिए उपजाऊ नहीं है, इसलिए किन्हीं खास परिस्थितियों में ही सस्कृति के वे तत्व, जिनसे परिवार, भाषा, शासन, धर्म आदि बनते हैं, उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के तत्व बार-बार नहीं पैदा होते। इस प्रकार की परिस्थिति जिसमें सस्कृति के वे तत्व जन्म ले सकते, केवल प्राचीन ईजिप्ट में मौजूद थी, और किसी दूसरी जगह मौजूद नहीं थी। ऐसी हालत में ईजिप्ट ही सभ्यता का आदि स्रोत था, और यहाँ ही ऐतिहासिक-काल में मानव की प्रथम सस्कृति ने जन्म लिया था। यहीं से सस्कृति का ससार के अन्य प्रदेशों में प्रसार हुआ। इलियट के ईजिप्ट को आदि-सस्कृति का स्रोत सिद्ध करने के कारण ही इस सिद्धान्त को 'सस्कृति का मिस्रीवाद' (Pan-Egyptian theory of Culture) भी कहा जाता है। इलियट का कहना था कि ज्यों-ज्यों सस्कृति अपने केन्द्र से चल कर दूर-दूर पहुँचती है, त्यों-त्यों इसमें हल्कापन आता जाता है। ईजिप्ट के स्रोत से फूट कर आज सस्कृति ससार के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में उस रूप में नहीं रही जिसमें यह आदि-काल में थी। इसका कारण यही है कि यह अन्य क्षेत्रों में फैलती-फैलती हल्की हो गई है, मध्यम पड़ गई है, इसका कहीं-कहीं रूप ही बदल गया है। ईसा से ४,००० वर्ष पहले ईजिप्ट की नील नदी की घाटी में एक सस्कृति फूल-फल रही थी जिस में धर्म था, सामाजिक-संगठन था, परिवार की सस्या मौजूद थी, मृतक का यथा-विधि सस्कार किया जाता था, ये लोग मकान बना कर रहते थे, कपड़े पहनते थे, इनमें कला थी, इनके पास उपकरण थे, सभ्यता तथा सस्कृति की सब बातें इनके पास थीं। जिस समय ईजिप्ट अपनी सस्कृति के शिखर पर पहुँचा हुआ था, ईसा से ४,००० वर्ष पहले, उस समय ससार के अन्य स्थानों में मानव बन्दर की तरह अपना जीवन बिता रहा था, नगा फिरता था, जगल में मारा-मारा फल-फूल से अपना पेट भरता था। यह विचार है इलियट स्मिथ का।

श्रीयुत् लोइ (Lowie) ने इलियट स्मिथ के इस ईजिप्ट-प्रेम पर चुटकी लेते हुए कहा है कि अगर ये हज़ारत ईजिप्ट में कुछ दिन न काट कर यूफ्रेटीज़ नदी के किनारे अपने दिन काटते, तो ईजिप्ट को सस्कृति का आदि-स्रोत कहने के स्थान में वंबीलोन को ससार की सब सस्कृतियों का मूल-स्थान घोषित करते। असल में, जैसा हम पिछले एक अध्याय में देख आये हैं, विद्वानों ने भिन्न-भिन्न स्थानों को सभ्यता का आदि-स्रोत सिद्ध करने का प्रयत्न किया भी है। कोई इस स्रोत को यूरोप में ढूँढता है, कोई एशिया में ढूँढता है, कोई भारत में ढूँढता है। इन सब की तरह इलियट स्मिथ ने ईजिप्ट में सस्कृति के इस स्रोत को ढूँढने का यत्न किया है

परन्तु किसी भी स्थान के विषय में निश्चय से यह कहना सकना कि यही संसार की सम्यता का आदि-स्रोत है, कठिन है।

लोर्ड ने इलियट के कथन को काटने के लिए और भी युक्तियाँ दी हैं। उनका कहना है कि जब दो संस्कृतियों का मेल होता है, तब यह कहना कि उच्च-संस्कृति निम्न-स्तर की संस्कृति को अपनी देन देगी और उससे कुछ नहीं लेगी, गलत है। इलियट के कथनानुसार तो ईजिप्ट ने ही सब को दिया, परन्तु अगर यह मान भी लिया जाय कि ईजिप्ट के सम्पर्क में आकर अन्य संस्कृतियों ने उससे लिया, तो भी यह मानना पड़ेगा कि ईजिप्ट ने भी उन संस्कृतियों से कुछ लिया होगा। देने के साथ लेना सदा चला करता है। यूरोप के लोग घोड़ा तथा गाड़ी अमरीकन इंडियनों के यहाँ लेकर गये, परन्तु मक्का, आलू और तरह-तरह की धनस्पतियाँ उनके यहाँ से लेकर भी आये। चीनी-सम्यता ने मलयन सम्यता को दिया, परन्तु साथ ही उनसे लिया। इसलिए ईजिप्ट से अगर अन्य संस्कृतियों का सपर्क हुआ होगा, तो दोनों में लेना-देना हुआ होगा, यह नहीं कि वे तो नगे फिरते थे, पास कुछ था ही नहीं, और ईजिप्शियन लोग ही संस्कृति का ठेका लिये बैठे थे। लोर्ड का कहना है कि यह कहना कि ईजिप्ट के सिवाय अन्य सब बन्दर के-से थे, एक अहमकपने की बात के सिवाय और कुछ नहीं।

इसके अतिरिक्त लोर्ड का कहना है कि एस्किमो-प्रजाति के लोग बर्फानी जगहों में घर बना कर रहते हैं, उनके घर बर्फ के बने होते हैं, वहाँ बर्फ पिघलती ही नहीं, इसलिए वहाँ बर्फ के घर बना सकना संभव भी है, ये घर उन्होंने ईजिप्ट वालों से कब सीखे? ईजिप्ट में तो बर्फ के घर बनते ही नहीं थे। लोर्ड का कहना है कि इलियट तथा पैरी ईजिप्ट को ज़रूरत से ज्यादा तूल देते हैं। यह कहना कि मनुष्य का दिमाग नवीन आविष्कारों के लिए उपयुक्त नहीं है, गलत है। एस्किमो लोग अपने उपजाऊ दिमाग से ही तो बर्फ के मकान बनाते हैं, ईजिप्ट वालों से सीख कर नहीं।

(ख) जर्मन-प्रसारवादी या कल्टरक्रीज़ (संस्कृति-चक्र)-वादी (German or Kulturkriese Diffusionists)—१९१० से कुछ जर्मन-लेखकों ने प्रसारवाद का अपने ही नये ढंग से प्रतिपादन करना शुरू किया। इनमें प्रमुख व्यक्ति ग्रेबनर (Graebner), अंकरमैन (Ankermann) आदि हैं। इनका सिद्धान्त 'प्रसारवाद' तथा 'विकासवाद' का सम्मिश्रण है। जैसे विकासवादी कहते हैं कि भिन्न-भिन्न स्थानों में स्वतन्त्र रूप से सांस्कृतिक-तत्व प्रकट होते हैं, वैसे ये जर्मन लेखक भी कहते हैं कि भिन्न-भिन्न स्थानों में स्वतन्त्र रूप से भिन्न-भिन्न संस्कृतियाँ उत्पन्न होती हैं। इलियट स्मिथ का कहना तो यह था कि ईजिप्ट में स्वतन्त्र रूप से संस्कृति उत्पन्न हुई और वहाँ से इसका संसार के कोने-कोने में प्रसार हुआ। कल्टरक्रीज़ के मानने वाले जर्मन लेखकों का कहना है कि विकासवादियों का यह कहना तो ठीक है कि भिन्न-भिन्न स्थानों में स्वतन्त्र रूप से संस्कृतियाँ उत्पन्न हुई, परन्तु इसके साथ यह भी मानना पड़ेगा कि वे संस्कृतियाँ वहाँ पैदा होकर संसार भर



में फैल गई, उनका प्रसार हुआ। इलियट स्मिथ सिर्फ ईजिप्ट से सस्कृति का विकास मानता है, जर्मन लेखक एक स्थान से ही नहीं, भिन्न-भिन्न स्थानों से, जहाँ भिन्न-भिन्न सस्कृतियाँ उत्पन्न हुईं, सस्कृति का प्रसार मानते हैं। इस सिद्धान्त में कुछ बात विकासवादियों की और कुछ बात प्रसारवादियों की मिली-जुली है। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करने वालों का कहना है कि इस प्रकार के सस्कृति के चक्र होते हैं। पहले किसी एक स्थान से सस्कृति का चक्र चला, वह फैला, उसका प्रसार हुआ, उसके बाद किसी दूसरे स्थान से किसी दूसरी सस्कृति का चक्र उठा, वह चला, फैला और उसका प्रसार हुआ। इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानों से उठे भिन्न-भिन्न सस्कृतियों के चक्र ससार में फैलते रहते हैं। यही कारण है कि आज जो सस्कृतियाँ हमें दिखलाई देती हैं, उनमें भिन्न-भिन्न सस्कृतियों की तहें दिखलाई पड़ती हैं। प्रेबनर आदि सस्कृतियों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। एक सस्कृति को लेकर उसकी भिन्न-भिन्न तहों को खोलते हैं। ये तहें भिन्न-भिन्न कालों में भिन्न-भिन्न सस्कृतियों के भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक-केन्द्रों से बनी थीं। इस अध्ययन में सस्कृतियों की तहों पर तहें खुलती चली जाती हैं। सस्कृतियों की इन्हीं तहों का पता लगाना मानव-शास्त्री का काम है। यह भाव 'कलटरक्रीज'-शब्द में आ जाता है। 'कलटर' का जर्मन भाषा में अर्थ है 'कलचर' अर्थात् 'सस्कृति', और 'क्रीज' का अर्थ है 'सरकल' अर्थात् 'चक्र'। सस्कृतियों के चक्रों को 'कलटर-क्रीज' कहते हैं।

इस सिद्धान्त के अनुसार सस्कृति के चक्रों और प्रत्येक सस्कृति की तहों को उघाड़ने का काम इतिहास का है और इसलिए इस सिद्धान्त को 'कलटर-क्रीज' के अतिरिक्त 'कलटर-हिस्टोरीश' (Kulturhistorische)—अर्थात् 'सांस्कृतिक-इतिहासवाद' भी कहते हैं। प्रेबनर का कथन है कि जहाँ सस्कृति का इतिहास मिल जाय, वहाँ तो सस्कृति के चक्रों का पता लगाना सहज ही हो जाता है, परन्तु जहाँ इतिहास की साक्षी न मिले, यह न पता चले कि अमुक सस्कृति का ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर अमुक स्थान में प्रसार हुआ, वहाँ दोनों सस्कृतियों के 'विशिष्ट-गुणों' (Traits) की समानता के आधार पर प्रसार का निर्णय किया जा सकता है। परन्तु इन 'विशिष्ट-गुणों' की केवल समानता ही प्रसार के निर्णय में कारण नहीं हो सकती। समानता देखने में दो बातों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात तो 'रूप' (Form) की समानता है, दूसरी 'संख्या' (Number या Quantity) की समानता है। उदाहरणार्थ, अगर कहा जाय कि नक्षत्र की राशियों का एक सस्कृति से दूसरी सस्कृति में प्रसार हुआ है, तो यह सिद्ध करना होगा कि राशियों का 'रूप', उनका 'नाम' दोनों सस्कृतियों में एक-सा है, साथ ही यह भी देखना होगा कि इन राशियों की 'संख्या' भी दोनों सस्कृतियों में समान है। सिर्फ नक्षत्र की राशि अर्थात् सिर्फ उसके रूप की सस्कृतियों में विद्यमानता से प्रसार का निर्णय नहीं किया जा सकता।

इस सिद्धान्त के आलोचकों का कथन है कि इस सिद्धान्त द्वारा किन्हीं खास-खास क्षेत्रों में सस्कृति के प्रसार की समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया

जाता है, परन्तु यह कार्य विकासवाद या अन्य सिद्धान्तों द्वारा इससे अच्छा हो जाता है, फिर इस सिद्धान्त की क्या आवश्यकता है। जैसा हम अभी देखेंगे, अमरीकन मानवशास्त्रियों ने जिस प्रकार संस्कृति के प्रसार के प्रश्न को सुलझाने का प्रयत्न किया है, वह जर्मन विद्वानों के प्रयत्न से कहीं बेहतर है। इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त के समर्थक हर किसी 'विशिष्ट-गुण' (Traits) तथा 'संस्कृति-संकुल' (Culture complexes) को लेकर उसका प्रसार दिखाने लगते हैं— ऐसे 'गुणों' तथा 'संकुलों' का प्रसार जिनका प्रसार हुआ भी है या नहीं, इसमें सन्देह है। होना तो यह चाहिए कि पहले यह सिद्ध किया जाय कि अमुक 'गुण' अथवा अमुक 'संकुल' किसी संस्कृति का प्रधान गुण था, प्रधान संकुल था। जो प्रधान वस्तु होगी, उसी का तो प्रसार होगा, हर किसी गुण या संकुल का तो प्रसार नहीं होने लगेगा, यह तो नहीं होगा कि प्रधान गुणों और संकुलों का प्रसार तो न हो, गौण-गुणों का होने लगे। इस सिद्धान्त के लोग इन गुणों तथा संकुलों में प्रधान-गौण की विवेचना न करके सिर्फ हर संस्कृति-चक्र के गुणों की समानता देख कर उसका प्रसार सिद्ध करने के लिए बौद्ध पड़ते हैं। इसी कमी को देखकर फ्रैजर ने यह कहना शुरू किया कि केवल समानता का होना प्रसार सिद्ध करने के लिए काफी नहीं है, 'समानता' को ध्यान में रखते हुए 'रूप' तथा 'संख्या' को भी ध्यान में रखना चाहिए।

(ग) अमरीकन-प्रसारवादी अथवा सांस्कृतिक-क्षेत्र-वादी (American or Culture area Diffusionists)—अमरीकन मानव-शास्त्री फ्रेजर बोआस (Frazer Boas) तथा उनके पीछे चलते हुए क्लार्क विस्सलर (Clark Wissler) का कथन है कि एक ही क्षेत्र से संस्कृति ससार भर में फैली—यह एक बहुत बड़ा दावा है। इतना बड़ा दावा सिद्ध करने से पहले हमें ससार भर को एक-ही-सी संस्कृति के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में बाँट लेना चाहिए। एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जुदा करते हुए हमें यह देख लेना चाहिए कि जिस क्षेत्र को हम एक संस्कृति का क्षेत्र निर्धारित करने लगे हैं, उसमें एक-से उपकरण इस्तेमाल होते हैं, एक-सी कला, एक-सी भाषा, एक-सा धर्म, एक-सी शासन-व्यवस्था पायी जाती है या नहीं। इस प्रकार संस्कृति के एक क्षेत्र का पता लगा कर उसके भिन्न-भिन्न हिस्सों में संस्कृति के प्रसार पर विचार किया जा सकता है। विस्सलर ने अमरीका तथा आफ्रीका के सांस्कृतिक-क्षेत्र की दृष्टि से भिन्न-भिन्न क्षेत्र निश्चित किये हैं। उदाहरणार्थ, उत्तरी अमरीका के भी उत्तर-भाग से लेकर आर्कटिक किनारे तथा उसके आस-पास के प्रदेश को 'एस्किमो-संस्कृति-क्षेत्र' (Eskimo Culture area) का नाम दिया गया है। इस संस्कृति का क्षेत्र निर्धारण करने के लिए यह देखा गया है कि इन प्रदेशों में जो प्रजातियाँ बसती हैं, वे नस्ल की दृष्टि से भले ही भिन्न-भिन्न हों, परन्तु उनके शिकार खेलने के उपकरण एक-से हैं, कपड़े एक-से हैं, जिस वस्तु के शिकार के लिए वे उत्सुक रहते हैं, वह एक-सी है, उनकी धार्मिक-भावनाएँ एक-सी हैं। इसी प्रकार एक दूसरा सांस्कृतिक-क्षेत्र निर्धारित किया

गया है, जिसका नाम 'प्रशान्त उत्तर-पश्चिम तट' (Pacific North-West Coast Culture area) है। इस क्षेत्र में सब जगह एक-सी वशानुगत जाति व्यवस्था पायी जाती है, एक-से मार्केट के केन्द्र पाये जाते हैं, स्पये-सिक्के का प्रयोग पाया जाता है, एक-से मकानों की रचना पायी जाती है। अमरीका में इस प्रकार इन विद्वानों ने सस्कृति के कई क्षेत्र निश्चित किये हैं, जो एक-दूसरे से सास्कृतिक-विशिष्ट-गुणों तथा सस्कृति-सकूलों के कारण अलग-अलग हैं। अमरीका की तरह विस्सलर आदि विद्वानों ने आफ्रीका का भी सास्कृतिक-क्षेत्रों में वर्गीकरण किया है। उदाहरणार्थ, मंडीटेरेनियन सास्कृतिक-क्षेत्र, ईजिप्शियन सास्कृतिक क्षेत्र, गिनी-सूडान सास्कृतिक-क्षेत्र, एबीसीनियन सास्कृतिक-क्षेत्र, कोगो सास्कृतिक क्षेत्र—ये सब सास्कृतिक-क्षेत्र इन-इन क्षेत्रों के सास्कृतिक-तत्वों की अभिन्नता के आधार पर किये गये हैं। इनमें से एक-एक क्षेत्र में सस्कृति का किसी अपने ही केन्द्र से प्रसार हुआ है। सस्कृति के क्षेत्र में कोई ऐसा केन्द्र-स्थान ढूँढा जा सकता है जिसे उस 'सस्कृति का केन्द्र' (Culture centre) कहा जा सके। सस्कृति के इस क्षेत्र में प्रसार होते-होते जब सस्कृति प्रान्त-भाग में पहुँच जाती है, वह भाग जहाँ यह क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों के साथ मिलता है, वहाँ इस सस्कृति में हल्कापन आ जात है। सस्कृति के इस प्रान्त भाग को विस्सलर ने 'प्रान्तीय-सस्कृति' (Marginal culture) का नाम दिया है। इन सब बातों पर हम 'सास्कृतिक-मानवशास्त्र के गुणों' पर लिखते हुए प्रकाश डाल आये हैं।

इस सिद्धान्त के आलोचकों का कहना है कि जर्मन प्रसारवादियों की तरह यह सिद्धान्त भी 'सास्कृतिक-विशिष्ट-गुणों' (Culture traits) तथा 'सस्कृति सकूलों' (Culture complexes) के तुलनात्मक महत्व पर उतना बल नहीं देता जितना इसे देना चाहिए। उदाहरणार्थ, एस्किमो प्रजाति के लोग बर्फ का घ बना कर रहते हैं—यह उनकी सस्कृति का 'विशिष्ट-गुण' (Trait) है सील नामक एक जानवर का शिकार करते हैं—यह उनकी सस्कृति का एक और 'विशिष्ट-गुण' है। क्या हम यह समझें कि जहाँ-जहाँ बर्फ के मकान बने पा जायेंगे, वहाँ-वहाँ एस्किमो-सस्कृति का प्रसार हुआ, क्या हम यह समझें कि जहाँ-जहाँ सील का शिकार होता है, वहाँ-वहाँ एस्किमो-सस्कृति का प्रसार हुआ है। असल बात यह है कि इन दोनों में से सील का शिकार एस्किमो-सस्कृति का अभिन्न अंग है, बर्फ का मकान बनाना उतना अभिन्न अंग नहीं है। यह हो सकता है कि किस प्रदेश में बर्फ के मकान बनते हों और वहाँ एस्किमो-सस्कृति का प्रसार न हुआ हो, परन्तु यह नहीं हो सकता कि कहीं सील का शिकार होता हो और वहाँ एस्किमो सस्कृति न फैली हो। इस दृष्टि से प्रत्येक सस्कृति के 'विशिष्ट-गुणों' में भेद 'प्रधानता-गौणता' (Characterization) का पता लगाना आवश्यक है, इस प्रकार की सूची बन जाना आवश्यक है जिससे यह पता चले कि सस्कृति के निर्धारण करने में किस गुण का कितना महत्व है। यह सब काम अमरीकन-प्रसारवाद नहीं करते, यही इस सिद्धान्त का दोष है।

## १०. संस्करणवाद (Acculturation)

हमारी मुख्य समस्या है कि संस्कृति कैसे उपजती है, कैसे बढ़ती है, कैसे फैलती है। इस संवध में हम 'विकासवादी' तथा 'प्रसारवादी' दृष्टि-कोणों को देख चुके। एक तीसरा दृष्टि-कोण है जिसे 'संस्करणवाद' का नाम दिया जाता है। यह 'संस्करणवाद' क्या है ?

जब एक संस्कृति के कुछ 'विशिष्ट-गुण' (Traits) तथा 'संस्कृति-संकुल' (Culture complexes) दूसरी संस्कृति में प्रसारित हो जाते हैं, तब हम इसे 'संस्कृति-प्रसार' (Culture diffusion) कहते हैं, जब ये 'गुण' तथा 'संकुल' दूसरी संस्कृति को इतना प्रभावित कर देते हैं कि ये इस दूसरी संस्कृति को खत्म-सा करके अपना स्थान बना लेते हैं, तब हम इसे 'पर-संस्कृति-ग्रहण' या थोड़े में 'संस्करण' (Acculturation) कहते हैं। 'प्रसारवाद' (Diffusionism) तथा 'संस्करणवाद' (Acculturation) में कोई मौलिक भेद नहीं है, मात्रा का भेद है। प्रत्येक प्रसार में संस्करण निहित है और प्रत्येक संस्करण में प्रसार निहित है। भेद इतना ही है कि 'प्रसार' पर विचार करते हुए हम संस्कृति के कुछ ही 'विशिष्ट-गुणों' (Traits) तथा 'संकुलों' (Complexes) पर विचार करते हैं, परन्तु 'संस्करण' पर विचार करते हुए कुछ ही नहीं, परन्तु सभी 'गुणों' तथा 'संकुलों' पर विचार करते हैं। प्रसार में एक संस्कृति के कुछ 'गुण' तथा 'संकुल' दूसरी संस्कृति में फैलते हैं, संस्करण में सभी 'गुण' तथा 'संकुल' दूसरी संस्कृति पर हावी हो जाते हैं। जब एक संस्कृति के सभी 'गुण' तथा 'संकुल' दूसरी संस्कृति पर आक्रमण करके उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, तब इसे 'संस्कृति-संस्करण' (Acculturation) कहा जाता है।

हर्स्कॉविट्स (Herskovits) का कहना है कि जब एक वच्चा अपनी ही संस्कृति में पलता हुआ उस अपनी संस्कृति को अपने जीवन में ढाल कर उसे आत्मसात् करता है, तब इस प्रक्रिया को 'संस्कृति का आत्मसात्-करण' (Enculturation) कहा जा सकता है, जब कोई संस्कृति दूसरी संस्कृति के कुछ 'विशिष्ट-गुणों' तथा 'संकुलों' को अपने भीतर आत्मसात् करती है, तब इसे 'संस्कृति का पर-करण' (Transculturation) कहा जा सकता है, जब कोई संस्कृति अपनी स्वतंत्र सत्ता को छोड़ कर दूसरी संस्कृति में अपने को विलीन कर देती है, तब इस प्रक्रिया को 'संस्कृति-संस्करण' (Acculturation) कहा जा सकता है। 'संस्कृति-संस्करण' में एक संस्कृति अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व खो देती है, दूसरी संस्कृति के साथ इसका 'सात्मीकरण' (Assimilation) हो जाता है, परन्तु कभी-कभी जिस संस्कृति ने अपने स्वतंत्र-व्यक्तित्व को खो दिया होता है, समय बीतने पर उसमें प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, और वह अपने स्वतंत्र-व्यक्तित्व को पुन प्राप्त करने के लिए जोर मारती है। इसे 'प्रतिक्रिया-संस्करण' (Contra-acculturation) कहा जाता है। उदाहरणार्थ, छोटा नागपुर

में सदियों की आत्म-विस्मृति तथा आत्म-विलयन के बाद झारखंड-संस्कृति के लोग जाग उठे हैं और अपनी स्वतंत्र-सत्ता की माँग कर रहे हैं। यह 'प्रतिक्रिया-संस्करण' का उदाहरण है।

'संस्कृति-संस्करण' दो तरह का हो सकता है—'ऐच्छिक-संस्करण' (Voluntary acculturation) तथा 'स्वाभाविक-संस्करण' (Spontaneous acculturation)। 'ऐच्छिक-संस्करण' तो तब होता है जब कोई संस्कृति जान-बूझ कर दूसरी संस्कृति के किन्हीं तत्वों को ग्रहण करती है। 'स्वाभाविक-संस्करण' तब होता है जब सोच-समझ कर नहीं, अपने-आप किसी संस्कृति के तत्व दूसरी में आ घुसते हैं। उदाहरणार्थ, जापानियों ने १८६८ से प्रयत्नपूर्वक, अपनी इच्छा से युरोपियन-संस्कृति के गुणों को जापानी-संस्कृति में आरोपने का प्रयत्न किया। १८७१ में अपनी इच्छा से सामन्तवाद को समाप्त कर दिया। इच्छापूर्वक किये गये प्रयत्न अधिकतर शासन-व्यवस्था द्वारा, कानून बना कर किये जाते हैं। ये सब 'ऐच्छिक-संस्करण' के उदाहरण हैं। भारत तथा चीन का संपर्क पुराना है। यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ लोगों का सदियों से आना-जाना रहा। इस आने-जाने से इनके संपर्क के परिणामस्वरूप दोनों ने एक-दूसरे से कुछ लिया और एक-दूसरे को कुछ दिया। ये 'स्वाभाविक-संस्करण' के उदाहरण हैं।

संस्करण की दिशा सदा एक तरफ को चलती है। जब प्रधान-संस्कृति का, ऐसी संस्कृति का जिसका रोब-दाब बना हुआ है, किसी गौण संस्कृति से संपर्क होता है, तब प्रधान संस्कृति गौण-संस्कृति को दबा लेती है। यही कारण है कि जब जगली तथा असम्य जातियों का सम्य-जातियों के साथ संपर्क होता है, तब असम्य-जातियों की संस्कृति खतरे में पड़ जाती है। कभी-कभी अविकसित जातियों की संस्कृति इस संपर्क से इतने खतरे में पड़ जाती है कि उसके बचने के ही कोई आसार नहीं रहते। प्रो० हर्टन का कहना है कि अगर 'संस्कृति-संस्करण' (Acculturation) सीमा से परे चला गया, तो यह सभावना है कि सप्ताह में सब संस्कृतियों का लोप होकर जो संस्कृति सब से प्रधान होगी, वही बच रहे, अन्य लुप्त हो जायँ। प्रो० हर्टन का यह भय ठीक नहीं है, क्योंकि इतिहास इस बात की साक्षी नहीं देता कि कोई संस्कृति सदा के लिए लुप्त हो जाती है। यह ठीक है कि प्रबल संस्कृति के सामने निर्बल संस्कृति अपने को मिटा देती है, परन्तु कुछ काल के बाद इस निर्बल संस्कृति में ही प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है, और यह अपने लुप्त होते हुए सांस्कृतिक-तत्वों को फिर-से समेटने का प्रयत्न करने लगती है। हम प्रायः देखते हैं कि जब दो संस्कृतियों का संपर्क होता है, और इस संपर्क में एक संस्कृति नष्ट होने की स्थिति में आ रही होती है, तब इसी अवस्था से अपने को नष्ट होने से बचाने की प्रतिक्रिया इसमें उत्पन्न हो जाती है। इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक-मानवशास्त्रियों ने 'पुनर्जागरण' (Revivals) का नाम दिया है। भारत में जब पाश्चात्य-संस्कृति ने सारे देश को मोह-सा लिया था, पाश्चात्य-संस्कृति की चमक-दमक में यहाँ की जनता मानो जैसे नदी के प्रवाह में बहने लगी

यी, तब इस देश में अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए उद्योग प्रारंभ हो गये । ऋषि दयानन्द जैसे समाज-सुधारकों ने यूरोप के पीछे भागी जा रही जनता को बरबस अपनी संस्कृति की तरफ खींचा और यहाँ की संस्कृति को यूरोप की संस्कृति में विलीन होने से बचा लिया ।

इस प्रकार हमने देखा कि 'संस्कृति' के सबघ में—उसकी उत्पत्ति, उसके विस्तार, प्रसार आदि के सबघ में सांस्कृतिक-मानवशास्त्रियों के क्या-क्या विचार हैं, और किस प्रकार ये विचार आज के मानवशास्त्र को प्रभावित कर रहे हैं ।

## ‘अन्तः सांस्कृतिक सम्बन्ध’ अर्थात् ‘एकीकरण’ (INTER-CULTURAL RELATION OR INTEGRATION)

पिछले अध्याय में ‘संस्कृति’ के सबध में हमने ‘विकासवाद’ (Evolutionism) तथा ‘प्रसारवाद’ (Diffusionism) का वर्णन किया । इन दोनों वार्दों का मुख्य उद्देश्य ‘संस्कृति’ की उत्पत्ति तथा उसके विस्तार के सबध में विचार करना है । विकासवादियों का कहना है कि परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में मानव-समाज नये-नये आविष्कार करता रहता है । जिस संस्कृति में जो आविष्कार होता है, वह उस संस्कृति का ‘विशिष्ट-गुण’ (Culture trait) कहलाता है । इस प्रकार एक नहीं, अनेक स्थानों में संस्कृति के ‘विशिष्ट-गुण’ उत्पन्न होते हैं, और भिन्न-भिन्न स्थानों में संस्कृति ‘समानान्तर रूप’ (Parallel) में प्रकट होती है । इसके विपरीत प्रसारवादियों का कहना है कि सांस्कृतिक-आविष्कार एक-दो स्थानों में, केन्द्रों में प्रकट होते हैं, बाकी दूसरी जगहों पर संस्कृति के इन केन्द्रों से इन सांस्कृतिक-आविष्कारों का प्रसार होता है ।

१ ‘अन्तः सांस्कृतिक सम्बन्ध’ या ‘एकीकरण’ क्या है ?  
(What is Inter-Cultural Relation or Integration?)

परन्तु कई मानव-शास्त्रियों ने कहना शुरू किया कि संस्कृति की उत्पत्ति तथा उसके प्रसार के अलावा सब से बड़ा प्रश्न यह भी तो है कि यह संस्कृति जो उत्पन्न हुई, जो फैली, उसका आन्तरिक स्वरूप क्या है ? विडने (Bidney) ने कहा है कि कृषि, व्यवसाय, सामाजिक-संगठन तथा मानसिक-विकास के, साधनों का परिणाम ‘संस्कृति’ है । कृषि से जो-कुछ पैदा होता है, वह ‘कृषि-निर्मित’ (Agrofacts) है, व्यवसाय से जो-कुछ बनता है, वह ‘व्यवसाय-निर्मित’ (Artifacts) है, सामाजिक-संगठन से जो-कुछ संगठित होता है, वह ‘समाज-निर्मित’ (Sociofacts) है, भाषा-धर्म-कला आदि मानसिक-तत्त्वों से जो-कुछ रचा जाता है, वह ‘मनो-निर्मित’ (Mentifacts) है । यही ‘कृषि-निर्मित’, ‘व्यवसाय-निर्मित’, ‘समाज-निर्मित’ तथा ‘मनो-निर्मित’ जो-कुछ है, वह संस्कृति है । परन्तु क्या इतना-कुछ जान लेना संस्कृति के आन्तरिक स्वरूप को जानने के लिए पर्याप्त है ? इन बातों के ज्ञान से हमें कृषि, व्यवसाय, समाज, भाषा, धर्म, कला आदि के वाह्य-तत्त्वों का तो ज्ञान हो जाता है, परन्तु यह ज्ञान तो नहीं होता कि संस्कृति के ये तत्व समाज के अन्तर में बैठे हुए क्या काम करते हैं । उदाहरणार्थ,

किसी सस्कृति में घोड़े की नाल पायी जाती है। ‘विकासवादी’ इस नाल को देख कर यह बतलाने का प्रयत्न करेगा कि अमुक युग में, अमुक काल में नाल का आविष्कार हुआ। क्या यह ‘पूर्व-पाषाण-युग’ में प्रकट हुई या ‘नव-पाषाण-युग’ में। ‘प्रसारवादी’ इस नाल को देख कर यह बतलाने का प्रयत्न करेगा कि किस सस्कृति में यह पहले प्रकट हुई, और फिर कहां-कहा इसका प्रसार हुआ, कहां-कहां फैली। इस प्रकार के विवेचन से हमें क्या पता चलता है? इन विवेचनो से हमें इन तत्वो का, सस्कृति के ‘विशिष्ट-गुणो’ (Culture traits) तथा ‘सकुलो’ (Complexes) का ऐतिहासिक ज्ञान हो जाता है, परन्तु इन ‘विशिष्ट-गुणो’ या सस्कृति के इन तत्वों का ‘कार्य’ क्या है—इसका ज्ञान नहीं होता। ‘विकासवाद’ तथा ‘प्रसारवाद’ को एक तरफ रख कर मानव-शास्त्रियो का एक दल ऐसा उठ खड़ा हुआ, जिसने इस बात पर जोर देना शुरू किया कि सस्कृति के तत्वों, गुणों के विषय में ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए इतना आवश्यक नहीं है, जितना सस्कृति के इन तत्वों के ‘कार्य’ के विषय में ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। जिस सस्कृति में नाल का आविष्कार हुआ, उसमें नाल का ‘कार्य’ (Function) क्या था, इसका इसी सस्कृति के अन्य तत्वों से सबध क्या था? सस्कृति के ये तत्व बिना आपसी किसी सबध के किसी सस्कृति में पडे नहीं रहते। सस्कृति में अनेक तत्व होते हैं, उन तत्वों का अपना-अपना ‘कार्य’ होता है, और यह ‘कार्य’ इस तरह का होता है कि इन सांस्कृतिक-तत्वों के पारस्परिक-सपर्क से सस्कृति के तत्व दूध व पानी की तरह घुल-मिल जाते हैं, उनका ‘एकीकरण’ (Integration) हो जाता है। जैसे चींटियां अनाज के दानों का ढेर इकट्ठा करती हैं, इस ढेर में दाने-ही-दाने होते हैं, परन्तु हर दाना दूसरे दाने से अलग दीखता है—सस्कृति का स्वरूप इस ढेर की तरह का नहीं है। एक तरफ चींटियां दानों का ढेर इकट्ठा करती हैं, दूसरी तरफ मधु-मक्खियां फूलों से शहद इकट्ठा करती हैं। मधु-मक्खियों का इकट्ठा किया हुआ शहद एक-रस होता है, उसमें अलग-अलग फूल का रस नहीं दीखता। क्यों नहीं दीखता? इसलिए नहीं दीखता क्योंकि हर-एक फूल का रस दूसरे रस में घुल-मिल जाता है। सस्कृति का भी यही हाल है। सस्कृति के भिन्न-भिन्न तत्व किसी सस्कृति में अलग-अलग नहीं पडे रहते। प्रत्येक ‘सांस्कृतिक-विशिष्ट-गुण’ का अन्य गुणो के साथ शहद की बून्द की तरह मिल जाने का-सा सबध होता है। मानव-शास्त्रियो का यह जो दल खड़ा हुआ, उसका कहना था कि सस्कृति कोई ‘सांस्कृतिक-गुणो’ (Culture traits) के असबद्ध समूह का नाम नहीं है। ‘विकासवादी’ तथा ‘प्रसारवादी’ तो इन गुणो के आधार पर सिर्फ सस्कृति के विशिष्ट-गुणो के इतिहास, उनके विकास, उनके प्रसार पर ही भगज-पच्ची करते रहते हैं, असली चीज इनके विकास, प्रसार आदि की खोज करना नहीं, असली चीज तो सस्कृतियो में इनके ‘कार्य’ (Function) की खोज करना है, और जिस प्रकार ये सांस्कृतिक-तत्व सस्कृति के अन्य तत्वो के साथ ‘सांस्कृतिक-सबध’ (Culture relation) में इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि अपनी सस्कृति



में इनका स्थान चींटियों के इकट्ठे किये हुए अनाज के ढेर में दानों के समान न होकर मधु-मक्खियों के छत्ते में शहद की बूंदों के समान है—इस सब की खोज करना है। इस दृष्टि से विचार करने वाले मानवशास्त्रियों की दृष्टि 'एकीकरण' (Integration) की दृष्टि कहाती है। इन मानव-शास्त्रियों ने सांस्कृतिक-तत्वों का अध्ययन 'विकासवाद' तथा 'प्रसारवाद' की नज़र से न करके सांस्कृतिक-तत्वों के 'एकीकरण' की नज़र से किया है। इनकी खोज के मुख्य क्षेत्र दो हैं—एक तो सांस्कृतिक-तत्वों के 'कार्य' (Function) की खोज, और दूसरा इन तत्वों के अन्य तत्वों के साथ 'अंत सांस्कृतिक-संबंध' (Inter-Cultural relation) की खोज, ऐसे संबंध की खोज जिस संबंध के कारण ये सांस्कृतिक-तत्व उस संस्कृति के अभिन्न अंग बने हुए हैं, उन अंगों के साथ एक बने हुए हैं। इस प्रकार 'एकीकरण-वादियों' (Integrationists) ने अपने अध्ययन के विषय को अत्यन्त सीमित कर लिया। सारे इतिहास की खोज करने के स्थान में उन्होंने अपने को सीमा में बाँध लिया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 'एकीकरणवादियों' ने 'विकास-वादियों' तथा 'प्रसारवादियों' की तरह संस्कृति के विस्तार में जाने के स्थान में सांस्कृतिक-तत्वों की गहराई में जाने का मार्ग अपनाया। 'एकीकरण' की विचार-धारा को लेकर जो वाद चले उनमें 'कार्यवाद' (Functionalism), 'सांस्कृतिक प्रतिमान' (Pattern of culture), 'विषयवाद' (Themes of culture) तथा 'सांस्कृतिक जीवन का तरीका' (Style of life)—ये मुख्य हैं। हम इनका थोड़ा-थोड़ा वर्णन करेंगे।

## २ मैलिनोवस्की का कार्यवाद (Functionalism of Malinowski)

जैसा हमने अभी कहा, कुछ मानव-शास्त्रियों ने यह प्रश्न खड़ा किया कि संस्कृति के 'विशिष्ट-गुणों' के बाह्य-स्वरूप को जानना, उनके इतिहास तथा प्रसार पर दिमाग लडाते जाना मानव-शास्त्र के अध्ययन के लिये पर्याप्त नहीं है, हमें इन तत्वों के आन्तरिक स्वरूप को जानना होगा। ये तत्व अथवा गुण आपस में अपनी संस्कृति में किस प्रकार नग में मोती की तरह जड़े हुए, शरीर में अंगों की तरह शरीर के अभिन्न अंग तथा कपड़े में ताने-बाने की तरह उसमें एक हो रहे हैं? इन तत्वों के संस्कृति में 'एकीकरण' को जानने का तरीका इन तत्वों के संस्कृति में 'कार्य' (Function) को जानना है। इस दृष्टि से सांस्कृतिक-तत्वों के 'कार्य' को जानने पर जोर देने वाले मानव-शास्त्रियों ने अपने को 'कार्यवादी' (Functionalists) कहा। इन 'कार्यवादी' मानव-शास्त्रियों में दो का नाम मुख्य है—मैलिनोवस्की (Malinowski) तथा रेडक्लिफ-ब्राउन (Radcliffe Brown)। इन दोनों की जो विचार-धारा है, उस पर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है।

(क) मैलिनोवस्की के विचार—मैलिनोवस्की का कहना है कि मनुष्य ससार की जद्दोजहद में अपनी शारीरिक तथा मानसिक रक्षा चाहता है, वह चाहता है कि जीवन-संग्राम में उसका शारीरिक तथा मानसिक अस्तित्व

बना रहे, जीवन-संग्राम के थपड़े उसकी इन दोनों सत्ताओं को नष्ट न कर दें। इस उद्देश्य से वह जिन साधनों को अपनाता है, उन्हीं को ‘संस्कृति’ कहा जाता है। इस ‘संस्कृति’ द्वारा वह अपने शारीरिक तथा मानसिक अस्तित्व को बनाये रखता है, और यथाशक्ति अपने मानसिक-जीवन को भी उच्च-स्तर पर लाने का प्रयत्न करता है। इस ‘संस्कृति’ के, जो उसके शारीरिक तथा मानसिक जीवन की रक्षा करते हैं, अनेक पहलू हैं। एक पहलू आर्थिक है, दूसरा सामाजिक है, तीसरा मानसिक है जिसके द्वारा वह भाषा, धर्म, कला आदि का आश्रय लेता है, इसी प्रकार जीवन के अनेक पहलू हैं। इनमें से हर-एक पहलू को जड़ मनुष्य की आवश्यकताओं, मनुष्य की एषणाओं, मनुष्य की जरूरियात में गड़ी हुई है। हमारी आवश्यकताओं, इच्छाओं, एषणाओं, जरूरियात से ही तो हम आर्थिक क्षेत्र में कोई घधा पकड़ते हैं, इन्हीं की पूर्ति के लिए सामाजिक-व्यवहार करते हैं, मानसिक-क्षेत्र में किसी भाषा का, किसी धर्म का, किसी कला का प्रयोग करते हैं। हमारी ये आवश्यकताएँ सब एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं, अलग-अलग नहीं हैं, इसलिए अलग-अलग नहीं हैं क्योंकि इन सब का उद्भव-स्थान एक ही है। इन सब का उद्भव-स्थान, वह स्थान जहाँ से ये आर्थिक, सामाजिक, मानसिक एषणाएँ पैदा होती हैं, मनुष्य और मनुष्य की इच्छाएँ—यही तो है। क्योंकि मनुष्य इन सब इच्छाओं का स्रोत है, इसलिए ये सब इच्छाएँ अन्तःसवध से बंधी हुई हैं, एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। प्रत्येक इच्छा संस्कृति के साथ इतनी ओत-प्रोत है कि इसे अन्य इच्छाओं से जुदा नहीं किया जा सकता। अगर आर्थिक इच्छा को पूरा करने के लिए हम डाक्टरी पेशा करने लगते हैं, तो हमारा सारा सामाजिक-व्यवहार भी डाक्टरी के रंग में रंग जाता है, हमारा मानसिक-क्षेत्र इसी ढंग में ढल जाता है। हमारे सांस्कृतिक-जीवन में हमारे जीवन का कोई पहलू दूसरे पहलुओं से स्वतंत्र होकर नहीं रहता, दूसरे पहलुओं में कपड़े के ताने-बाने की तरह रच-मिच जाता है। इस दृष्टि से मैलिनोवस्की का कहना है कि संस्कृति में ‘अवशेष’ (Survival) नाम की कोई वस्तु नहीं है। हम संस्कृति के सवध में विकासवादी दृष्टि-कोण पर लिखते हुए लिख आये हैं कि विकासवादी कहते हैं कि उन्नत संस्कृतियों में अवनत संस्कृतियों के ‘अवशेष’ सिद्ध करते हैं कि किसी समय यह उन्नत संस्कृति निम्न-संस्कृति के रूप में थी, तभी ये उस अवस्था के बचे-बुचे ‘अवशेष’ अब इस संस्कृति में रह गये हैं। इस बात को मैलिनोवस्की नहीं मानता। उसका कहना है कि ‘अवशेष’ (Survival) नाम की कोई चीज संस्कृति में नहीं हो सकती। ‘अवशेष’ का मतलब है संस्कृति का वह तत्व जो अब कुछ काम नहीं दे रहा, जो ‘कार्यहीन’ (Functionless) हो गया है। मैलिनोवस्की का कहना है कि संस्कृति का हर-एक तत्व किसी-न-किसी ‘कार्य’ (Function) को करने के लिए प्रकट होता है, ऐसी हालत में संस्कृति के किसी तत्व के विषय में यह कहना कि वह किसी काम का नहीं, संस्कृति के आधारभूत कारण को भुला देना है। संस्कृति का आधारभूत कारण ही यह है कि संस्कृति का प्रत्येक तत्व किसी-न-किसी काम को

गुण' किसी सस्कृति में आते हैं, उन गुणों पर भी इन 'प्रतिमानों' का प्रभाव पड़ता है, और वे 'गुण' अपने को इन 'प्रतिमानों' के अनुरूप ढालने लगते हैं। किसी सस्कृति की मुख्य वस्तु उसके 'विशिष्ट-गुण' या 'सकुल' नहीं हैं, उसकी मुख्य वस्तु उसके 'प्रतिमान' है, उसके 'आदर्श' है, उसके 'लक्ष्य' है। उदाहरणार्थ भारतीय सस्कृति का 'प्रतिमान' मोक्ष था, बंधनों से छूटना था, परमार्थ की तरफ जाना था। यद्यपि भारतीय-सस्कृति में अर्थोपार्जन किया जाता था, सम्पत्ति का संग्रह भी किया जाता था, तो भी क्योंकि 'मोक्ष' इस सस्कृति का 'प्रतिमान' था, इसलिए राजा-महाराजा भी वृद्धावस्था आने पर अपने-आप राज-काज का काम सन्तान के ऊपर छोड़ कर त्यागी और वीतराग हो जाते थे, इस सस्कृति में अर्थोपार्जन का काम भी मोक्ष के रग में रगा हुआ था।

भिन्न-भिन्न 'प्रतिमानों' के मिलने से, रूथ वैनिकडिक्ट के कथनानुसार, एक ऐसा विशाल-प्रतिमान बन जाता है, जो किसी सस्कृति के जीवन का एकमात्र स्रोत होता है। इस विशाल प्रतिमान को, उस प्रतिमान को जिसमें सस्कृति के अन्य सब छोटे-छोटे 'प्रतिमान' (Patterns) एकीभूत हो जाते हैं 'समाकृति' (Configuration) कहते हैं। 'समाकृति' इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि भिन्न-भिन्न प्रतिमानों की आकृतियों इस विशाल आकृति में समाहित हो जाती हैं, ओत-प्रोत हो जाती हैं, 'एकीभूत' (Integrated) हो जाती हैं। 'प्रतिमान' अनेक होते हैं, 'समाकृति' एक होती है। तने में शाखाओं की तरह 'समाकृति' में 'प्रतिमान' जुड़े होते हैं। भिन्न-भिन्न 'प्रतिमानों' (Patterns) से सस्कृति की जो 'समाकृति' (Configuration) बनती है, वह सस्कृति में चल रही सब तरह की विचार-धाराओं का समन्वय होती है। आज भारत की सब तरह की विचार-धाराओं का समन्वय 'समाजवाद' में हो रहा है, इसलिए 'समाजवाद' में हमारे भिन्न-भिन्न प्रतिमानों की 'समाकृति' (Configuration) प्रकट हो रही है, और 'समाजवाद' हमारी सस्कृति की 'समाकृति' है। भारत में भिन्न-भिन्न विचार-धाराएँ चल रही हैं, वे आपस में टकराती भी हैं, परन्तु फिर भी उनमें समाजवादी विचार-धारा का ही बोलवाला क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है, क्योंकि सब प्रकार की विचार-धाराओं की अपेक्षा प्रबलता, वेग, प्रवाह इसी विचार-धारा में है। किसी सस्कृति में जिस विचार-धारा की प्रबलता हो, जिसकी तरफ प्रवाह हो, जिसकी तरफ सब का झुकाव हो, वही विचार-धारा अन्य विचार-धाराओं की अपेक्षा सस्कृति के ऊपर हावी हो जाती है। सस्कृति में विचार-धारा के इस प्रवाह से, इस वेग से ही सस्कृति की 'समाकृति' (Configuration) बनती है। रूथ वैनिकडिक्ट ने इस प्रवाह को, इस झुकाव को सस्कृति की 'आत्मा' (Genius) का नाम दिया है। सस्कृति की 'समाकृति' (Configuration) सस्कृति की इस 'आत्मा' (Genius) से ही बनती है। 'सस्कृति' की आत्मा उस सस्कृति का रूख, उसका वेग, उसकी दिशा है, इस आत्मा, रूख, वेग का परिणाम 'समाकृति' है। सस्कृति की इस 'आत्मा' का निरूपण करते हुए वैनिकडिक्ट ने इसे दो हिस्सों

में बाँटा है। उसका कहना है कि सस्कृति की आत्मा जो संस्कृति के हर प्रतिमान को जीवन प्रदान करती है, या तो ‘अपोलोनियन’ (Apollonian) हो सकती है, या ‘डायोनीशियन’ (Dionysian) हो सकती है। इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ है? ‘अपोलोनियन’-शब्द ‘अपोलो’ (Apollo) से बना है। ग्रीस में सूर्य के लिए ‘अपोलो’ शब्द का प्रयोग होता था। ‘अपोलोनियन’-सस्कृति का रूय वैनिडिक्ट के शब्दों में अभिप्राय ऐसी सस्कृति से है जिसमें शान्त-गुण प्रधान हो, जो सतोगुणी संस्कृति हो। ‘डायोनीशियन’-शब्द ‘डायोनीसियस’ (Dionysius) से बना है, जो ग्रीस में अशान्ति, लडाई-झगडे का प्रतिनिधि है। ‘डायोनीशियन’-संस्कृति का रूय वैनिडिक्ट के शब्दों में अभिप्राय ऐसी सस्कृति से है जिसमें अशान्ति प्रधान हो, जो रजोगुणी सस्कृति हो। ‘अपोलोनियन’-सस्कृति के हर अंग-प्रत्यंग में, हर प्रतिमान में शान्ति मुख्य होगी, ‘डायोनीशियन’-सस्कृति के हर अंग-प्रत्यंग में, हर प्रतिमान में अशान्ति मुख्य होगी। ‘अपोलोनियन’-सस्कृति के अंग-प्रत्यंग का, इस सस्कृति के सब प्रतिमानों का ‘एकीकरण’ (Integration) शान्ति द्वारा होगा, इसमें रोना-धोना होगा तो उसमें भी शान्त-गुण की प्रधानता होगी, ‘डायोनीशियन’-सस्कृति के अंग-प्रत्यंग का, इस सस्कृति के सब प्रतिमानों का ‘एकीकरण’ (Integration) अशान्ति द्वारा होगा, इसमें देवता के सामने पूजा होगी तो वह भी ढोल-डुमककल से, शोर-शराबे से, खून वहाने से होगी। रूय वैनिडिक्ट का कथन है कि ससार की सब सस्कृतियों को इन दो भागों में बाँटा जा सकता है—कोई सस्कृति ‘अपोलोनियन’ होगी, कोई ‘डायोनीशियन’ होगी। वैनिडिक्ट ने अपनी पुस्तक “Patterns of culture” में तीन संस्कृतियों के अध्ययन से अपने मत की पुष्टि की है। ये तीन सस्कृतियाँ हैं—डोबू (Dobu), क्वाकीउटल (Kwakiutl) तथा प्युब्लो (Pueblos) जिनमें एकीमा, जूनी तथा होपी लोग आ जाते हैं।

शान्ति-प्रिय ‘अपोलोनियन’ प्रजातियों का उदाहरण देते हुए रूय वैनिडिक्ट प्युब्लो (Pueblo) जाति का उदाहरण देती हुई लिखती है कि इस जाति के लोग आतक, भय आदि की परिस्थितियों को अपनी सस्कृति में नहीं उत्पन्न होने देते। ससार भर में मृत्यु की एक ऐसी घटना है जिसके सिलसिले में आतक और भय जुड़ा ही रहता है, परन्तु ऑस्ट्रेलिया में कई ऐसी जातियाँ हैं, जिनमें मृत-व्यक्ति के निकट के सबंधी उसकी खोपड़ी पर टूट पड़ते हैं और उसके टुकड़े-टुकड़े कर डालते हैं ताकि वह व्यक्ति उन्हें किसी प्रकार का दुःख न दे सके। वे मुँदों के घुटने भी तोड़ डालते हैं ताकि वह उनका पीछा न कर सके। कहीं-कहीं मृत व्यक्ति का घर जला दिया जाता है। इन सब बातों को हम निरर्थक समझते हैं, परन्तु अगर समझा जाय कि जातियाँ दो प्रकार की होती हैं—‘अपोलोनियन’ तथा ‘डायोनीशियन’—तो इन जातियों का सारा व्यवहार समझ में आ जाता है। प्युब्लो जाति की सस्कृति के सब तत्व ‘अपोलोनियन’-भावना से ओत-प्रोत रहते हैं। जिस प्रकार शान्ति-प्रिय जातियाँ अपने सब व्यवहारों को शान्ति के सूत्र में बाँधे रहती हैं,

उसी प्रकार अशान्ति-प्रिय 'डायोनीशियन'-संस्कृति की प्रजातियाँ अपने संस्कृति के सब तत्वों को लड़ाई-झगड़े, दगों-खून-खराबी में ओत-प्रोत रखती हैं। अगर वे देवता की आराधना करती हैं, तो उसके सामने बकरे को बलि चढ़ाती हैं, खून बहाती हैं। अगर उनके यहाँ कोई मर जाता है, तो इतना ही नहीं कि उसके सगे-सवधों रोते-चिल्लाते हैं, परन्तु जिनका मृत-व्यक्ति से कोई संबंध नहीं, वे भी चिल्ला-चिल्ला कर आस्मान फाड़ देते हैं। हमें अपने देश में इस बात का आये-दिन अनुभव होता रहता है। जब किसी के घर मौत हो जाती है, तब घर की औरतें दिनो तक एक घेरा बना कर छाती पीटती हैं, कई औरतें तो इस कला में इतनी दक्ष होती हैं कि उन्होंने छाती पीटने और रोने-धोने को एक कला-सा बना लिया है। रूथ वैनडिक्ट का कहना है कि शान्ति-प्रिय 'अपोलोनिअन'-संस्कृतियों में संस्कृति के सब तत्व शान्ति की भावना को लेकर संस्कृति को 'एकीकृत' (Integrated) बनाये रखते हैं, अशान्ति-प्रिय 'डायोनीशियन'-संस्कृतियों में संस्कृति के सब तत्व अशान्ति की भावना को लेकर संस्कृति को 'एकीकृत' (Integrated) बनाये रखते हैं। हर हालत में संस्कृति में होता 'एकीकरण' (Integration) है—कहीं शान्ति द्वारा, कहीं अशान्ति द्वारा।

#### ४ ओपलर के 'सांस्कृतिक-विषय' (Theory of Themes of Opler)

रूथ वैनडिक्ट ने संस्कृति की आत्मा को दो भागों में बाँटा—शान्त-भावना तथा अशान्त-भावना। कई लेखकों का कहना है कि इस प्रकार संस्कृति की आत्मा को केवल दो भागों में बाँट देना संस्कृति की बहुत संकुचित व्याख्या है। संस्कृति की आत्मा दो नहीं, अनेक रूपों में अपने को प्रकट कर सकती है, इसलिए रूथ वैनडिक्ट के विचार की विश्वास तो ठीक है, परन्तु उस विचार को उसका दो तक सीमित कर देना ठीक नहीं प्रतीत होता।

इस विचार के समर्थक ओपलर (Opler) हैं। उनका कहना है कि किसी संस्कृति के प्रेरक कारण केवल दो नहीं हैं, जैसा रूथ वैनडिक्ट कहती हैं। संस्कृति के प्रेरक-कारण जो मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जिनकी वजह से मनुष्य का व्यवहार किसी खास प्रकार का होता है, कई हो सकते हैं। संस्कृति के इन्हीं प्रेरक-कारणों को ओपलर ने 'सांस्कृतिक-विषय' (Culture themes) —यह नाम दिया है। वैनडिक्ट के विचार के अनुसार किसी संस्कृति के अनुसंधान करने वाला विद्यार्थी सिर्फ दो प्रेरक-कारणों की तलाश करेगा, परन्तु ओपलर के अनुसार वह इन दो से बँधा नहीं रहेगा, उसे जो भी प्रेरक-कारण संस्कृति का नियमन करता हुआ, उसमें प्राण संचार करता हुआ देखेगा, उसी को वह उस संस्कृति की 'आत्मा' (Genus) कह कर पुकारेगा। वैसे तो वैनडिक्ट के 'प्रतिमान' (Patterns) ओपलर के 'विषय' (Themes) हैं, परन्तु वैनडिक्ट का क्षेत्र सीमित है, ओपलर का क्षेत्र किसी सीमा में बँधा हुआ नहीं है। दोनों विचारों में 'एकीकरण' (Integration) की भावना तो है ही, क्योंकि इसी

‘एकीकरण’ की भावना से किसी सस्कृति में स्थिरता रह सकती है। उदाहरणार्थ, शान्त तथा अशान्त प्रेरक-कारणों के अतिरिक्त सस्कृति का प्रेरक-कारण त्यागवाद भी हो सकता है, भोगवाद भी हो सकता है। भारत की सस्कृति का प्रेरक-कारण त्यागवाद रहा है, यूरोप की सस्कृति का प्रेरक-कारण भोगवाद है। इसलिए इन प्रेरक-कारणों को दो या चार कह देना ठीक नहीं है। ये तो हर संस्कृति का अध्ययन करते हुए देखना चाहिये कि इसका प्रेरक-कारण कौन-सा है।

#### ५ रेडफील्ड का ‘जीवन का ढंग’ (Style of Life of Redfield)

किसी सस्कृति को कहाँ से प्रेरणा मिलती है, उसकी प्रेरणा का स्रोत कौन-सी विचार-धारा है, जो उस सस्कृति के एक-एक विचार को अनुप्राणित करती रहती है, इस विषय में रूय वैनिडिक्ट तथा ओपलर के विचारों का हमने उल्लेख किया। इसी दिशा में सोचने वाले एक विद्वान् रेडफील्ड है, परन्तु उनका कहना है कि किसी सस्कृति को प्रेरणा सांस्कृतिक विचारों से नहीं मिलती, परन्तु उस सस्कृति का जो सारे-का-सारा ‘जीवन का ढंग’—‘जीवन का तरीका’ (Style of life) होता है, उससे सस्कृति प्रभावित होती रहती है। प्रत्येक सस्कृति का अपना-अपना रहने-सहने का ढंग है, तरीका है। हिन्दुस्तानी लोग सादे रंग-ढंग से रहते हैं, अंग्रेज टीप-टाप से, बने-ठने ढंग से रहते हैं। ये जीवन के ढंग सारी-की-सारी सस्कृति को प्रभावित करते हैं। उदाहरणार्थ, आजीविका का प्रश्न है। एक सस्कृति का जीवन का ढंग तो यह है कि अगर हम ईमानदारी का, सच्चा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो हमें ऐसे ही पेशों से आजीविका का उपाजन करना चाहिए जो मनुष्य को सचाई के साथ रहने दे सकें। दूसरी सस्कृति का जीवन का ढंग यह है कि आजीविकोपाजन एक चीज है, ईमानदारी और सचाई दूसरी चीज है। हमें इन दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। एक वकील ऐसी सस्कृति में पला हो सकता है कि वह झूठे मुकदमे की पैरवी ही न करे, दूसरा वकील ऐसी सस्कृति में पला हो सकता है जिसमें वह यह कहे कि मैं तो वकील हूँ, मेरा काम तो जो फीस देगा उसकी कानूनी पैरवी कर देना है, चाहे मुकदमा सच्चा हो, चाहे झूठा। सचाई-झूठ का निर्णय करना मेरा काम नहीं, जज का काम है। इन दोनों का व्यवहार जीवन के उस तरीके से निर्धारित होगा जिसमें ये पले होंगे। जीवन का ढंग, जीवन का तरीका एक ऐसी चीज है जिसके अन्दर ‘अच्छा क्या है—दुरा क्या है’—इस सब का फैसला मौजूद रहता है। यह फैसला जिस सस्कृति के हम अग हैं उसमें एकीभूत होता है, उसमें ओत-प्रोत होता है, इसलिए हम कितना ही चाहें अपनी सस्कृति के इस फैसले के प्रतिकूल चल ही नहीं सकते। हमारी संस्कृति में जो तरीके, जो ढंग, जो व्यवहार प्रचलित हो चुके हैं, उन में हमारे पूर्वजों के इस बात के फैसले भरे हुए हैं कि कौन-सी बात ठीक है, कौन-सी गलत है। जिस तरीके को पूर्वजों ने सही समझा, उसी को तो उन्होंने चलाया। इसलिए रेडफील्ड का कहना है कि हमारी सस्कृति में प्रचलित जीवन के तरीके, जीवन के

ढग, जीवन के व्यवहार जो हमारे अग वन चुके होते हैं, हममें एकीभूत हो चुके होते हैं, वे अस्थिर नहीं होते, स्थिर होते हैं, और वे सस्कृति को प्रभावित करते रहते हैं।

### ६ एकीकरण के विचार की समीक्षा (Theory of Integration Examined)

ऊपर जो विचार दिये गये हैं उन सब का आधारभूत विचार 'अत सास्कृतिक-संबध' (Inter-cultural relation) या 'एकीकरण' (Integration) का विचार है। जब किसी सस्कृति का हम अध्ययन करते हैं तब हमें यह देखना होता है कि उस सस्कृति के सब तत्वो, उस सस्कृति के 'विशिष्ट-गुणो' तथा 'सकुलो' का आपस में सम्बन्ध कपडे में ताने-बाने का-सा, शरीर में प्रत्येक अग का-सा, वृक्ष के तने में उससे जुडी टहनियो का-सा, शहद में अपने को विलीन कर देने वाले हर फूल के रस का-सा है, या नहीं? सस्कृति बनती ही तब है जब उसके निर्माण करने वाला प्रत्येक तत्व सपूर्ण सस्कृति में अपना विलीनीकरण कर देता है, अपने को विलीन करके उसमें एक हो जाता है। इसी को हम 'एकीकरण' (Integration) की प्रक्रिया कहते हैं। मैलिनोवस्की ने अपने सिद्धान्त 'कार्यवाद' (Functionalism) के प्रतिपादन में, रूथ बैनिडिक्ट ने अपने सिद्धान्त 'प्रतिमानवाद' (Theory of Culture Patterns) में, ओपलर ने अपने सिद्धान्त 'विषयवाद' (Themes) में, रेडफील्ड ने अपने सिद्धान्त 'जीवन के ढग' (Style of Life) में इसी एकीकरण की बात को मुख्य रखा है।

परन्तु क्या यह ठीक है कि सस्कृति भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक तत्वो के 'एकीकरण' का नाम है? अनेक सस्कृतियों हैं जिनमें 'एकीकरण' की प्रक्रिया होती ही नहीं। सैलिगमैन (Saligman) का कहना है कि इतिहास का अध्ययन इस बात को पुष्ट करता है कि ससार में हर व्यक्ति दूसरे से भिन्न स्वभाव का है, इसलिए किसी सस्कृति में उसके भिन्न-भिन्न तत्वो का 'एकीकरण' हो ही नहीं सकता, कम-से-कम सस्कृति के लिए इसके भिन्न-भिन्न तत्वों का 'एकीकरण' आवश्यक नहीं है। जेकब्स तथा स्टर्न (Jacobs and Stern) का कथन है कि किसी सस्कृति में उसके भिन्न-भिन्न 'विशिष्ट-गुण' (Traits) तथा 'सकुल' (Complexes) न तो एक-दूसरे से बिल्कुल अलग, असंबद्ध, बिना जुड़े पड़े रह सकते हैं और न वे अपने को बिल्कुल ही दूसरे गुणो में विलीन कर के अपनी सत्ता मिटा कर 'एकीकृत' (Integrated) हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि भिन्न-भिन्न सस्कृतियों में सदा नये-नये 'आविष्कार' (Inventions) होते रहते हैं। ये आविष्कार जब पैदा होते हैं, तब इन्हें 'विशिष्ट-गुण' (Culture trait) कहा जा सकता है। इन आविष्कारों का 'प्रसार' (Diffusion) भी होता रहता है। इस प्रकार सस्कृति में हर समय नये-नये आविष्कार होते रहते हैं और दूसरी सस्कृतियों में फलते रहते हैं। इनका काम पुराने आविष्कारों, पुराने सांस्कृतिक-तत्वों का स्थान लेना होता है। कभी गैस हमारी सस्कृति का एक तत्व

था, फिर विजली आयी, अब अणु-शक्ति आयेगी। जो नया तत्व आता है, वह पुराने तत्व का स्थान लेने के लिये सघर्ष खडा कर देता है। जब हमारी संस्कृति की यह हालत है, तब उसमें 'एकीकरण' (Integration) हो ही कैसे सकता है? हमारी संस्कृति तो आगे-आगे बढ़ती चली जा रही है। जो पुराना तत्व है, वह टूट रहा है, नया तत्व उसका स्थान ले रहा है। इस गतिशीलता में, इस हर समय के पुनर्निर्माण में स्थिरता कहाँ आ सकती है। 'एकीकरण' तो संस्कृति में 'स्थिरता' लाने वाला तत्व है, संस्कृति तो कहीं स्थिर नजर ही नहीं आती, उसमें तो हर समय जोड़-तोड़ हो रहा है। हमने नवीन आविष्कारों तथा उनके प्रसार के संबंध में जो-कुछ कहा वह भौतिक-आविष्कारों तक ही सीमित नहीं है। आज की दुनियाँ में हर क्षेत्र में नये विचार आते जा रहे हैं। विवाह के संबंध में, स्त्री-पुरुष के यौन-संबंध में, भाषा की रचना, धर्म-कर्म, कला—सब क्षेत्रों में संस्कृति के पुराने तत्व ढह रहे हैं, नये उनका स्थान ले रहे हैं। संस्कृति का सारा-का-सारा क्षेत्र चलायमान है, चारों तरफ एकीकरण के स्थान में, 'संगठन' (Integration) का स्थान 'असंगठन' (Disintegration) ले रहा है, एकीकरण तथा समीकरण का स्थान अनेकीकरण तथा असमीकरण ले रहा है। पुरानी संस्कृतियों में क्योंकि सदियों तक कोई उन्नति नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उनमें काफी देर तक 'एकीकरण' चल सकता है, परन्तु ज्यों-ज्यों संस्कृति आगे बढ़ती है, ज्यों-ज्यों उसका विकास होता है, उसमें 'एकीकरण' समाप्त होता जाता है, इसलिए समाप्त होता जाता है, क्योंकि 'एकीकरण' से तो स्थिरता आ जाती है, विकास तो परिवर्तन और अस्थिरता का नाम है, स्थिरता का नाम नहीं है।



## आदि-कालीन अर्थ-व्यवस्था

(PRIMITIVE ECONOMICS)

‘अर्थ-व्यवस्था’ की व्याख्या

‘अर्थ-व्यवस्था’ (Economic organisation) का क्या अर्थ है ?

‘अर्थ-व्यवस्था’ की परिभाषाएँ निम्न प्रकार से की जाती हैं —

रूथ बुनजेल की व्याख्या<sup>१</sup>—“अर्थ-व्यवस्था का अर्थ है—घर-वार का प्रबन्ध। यह हमारे सम्पूर्ण व्यवहार का वह सगठित रूप है जिसका काम हमारे भौतिक-शरीर को नष्ट होने से बचाये रखना है।”

जेकब्स तथा स्टर्न की व्याख्या<sup>२</sup>—“अर्थ-व्यवस्था सबघो वर्गीकरण का केन्द्रीय विचार यह है कि इसमें ‘अल्प-वचत’ की अर्थ-व्यवस्था की ‘दीर्घ-वचत’ की अर्थ-व्यवस्थाओं के साथ तुलना की जाती है।”

मजूमदार तथा मदन की व्याख्या<sup>३</sup>—“मानवीय-सबघों तथा मानवीय उद्योग को इस प्रकार सगठित तथा नियमित करना जिससे जीवन की दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं को कम-से-कम परिश्रम से पूरा किया जाय ‘अर्थ-व्यवस्था’ कहाता है। दूसरे शब्दों में, आर्थिक-व्यवस्था हमारा वह सगठित प्रयत्न है, जिसके द्वारा हम अपने परिमित साधनों की सहायता से ज्यादा-से-ज्यादा इच्छाओं की पूर्ति की चेष्टा करते हैं।”

अर्थ-व्यवस्थाओं की ऊपर जो व्याख्याएँ दी गई हैं, उनके आधार में क्या बातें हैं ? एक बात तो यह है कि उस व्यवस्था को सगठित रूप में होना चाहिए,

1 “Economics, literally ‘household management’, is the total organisation of behaviour with reference to the problems of physical survival”  
—Ruth Bunzel

2 “Central feature of economic classification is that it contrasts economic systems which produce small surpluses with those that achieve large surpluses”  
—Jacobs and Stern

3 “It consists of the ordering and organisation of human relations and human effort in order to procure as many of the necessities of day-to-day life as possible with the expenditure of minimum effort. It is the attempt to secure the maximum satisfaction possible through adapting limited means to unlimited ends (needs) in an organised manner”

—Majumdar and Madan

भले ही वह कितना प्रारम्भिक मगठन हो। दूसरी यह कि उससे हमारी आवश्यकताएँ पूर्ण होनी चाहिए—खासकर भोजन-सवधी आवश्यकता जो जीवन की आधार-भूत आवश्यकता है।

इस प्रकार के आर्थिक-सगठन अविकसित भी हो सकते हैं, विकसित भी। अविकसित आर्थिक-सगठनो में 'कमाना-खाना' (Production-consumption)—ये दो बातें ही होती हैं क्योंकि इनमें 'वचत' नहीं होती। जब 'वचत' होने लगती है, तब सगठन विकसित होने लगता है, और तब इस वचत का लेने-देने या विनिमय के जरिये दूसरो में भी वितरण होने लगता है, इसलिए विकसित आर्थिक-व्यवस्थाओं को 'कमाने-खाने तथा वितरण' (Production-consumption-distribution) की व्यवस्था कहा जाता है।

ऊपर जो-कुछ कहा गया है उस सब को आधार बनाकर भिन्न-भिन्न लेखको ने अशिक्षित आदिवासियो के भिन्न-भिन्न वर्गीकरण किये हैं। थर्नवालड (Thurnwald), एडम स्मिथ (Adam Smith), हिल्डब्रैंड (Hildebrand) आदि ने अपने-अपने ढंग से अशिक्षित आदिवासियों के वर्गीकरण किये हैं, परन्तु हम यहाँ जेकब्स तथा स्टर्न के वर्गीकरण को आधार मान कर लिखेंगे। इन वर्गीकरणो में कोई आधारभूत भेद नहीं है, इसलिए किसी के वर्गीकरण को भी लेकर विचार किया जा सकता है।

### अर्थ-व्यवस्था के चार आधार तथा वर्गीकरण

'अर्थ-व्यवस्था' का उद्देश्य क्या है? मनुष्य चारो तरफ से प्रकृति से घिरा हुआ है। कहीं उसे खाने को मिलता है, कहीं नहीं मिलता। जब उसे खाने को नहीं मिलता तब वह जीवित भी नहीं रह सकता। मनुष्य की सब से मुख्य समस्या तो जीवित रहना है। प्रकृति में पायी जाने वाली वस्तुओं को वह किस प्रकार प्राप्त करे ताकि उसका भौतिक-शरीर बना रहे—यह अर्थ-व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। कभी मनुष्य जगलों में फिर कर फल-मूल चुगता-खोदता है, कभी शिकार करता है, कभी पशु पालता है, कभी खेती करता है, कभी व्यापार करता है—ये सब क्या हैं? ये सब भौतिक-शरीर को बनाये रखने के लिए भिन्न-भिन्न अर्थ-व्यवस्थाएँ हैं जिनको मनुष्य ने समय-समय पर खोज निकाला। कभी जीवित रहने के लिए जगलो में से फल चुग लाना ही मनुष्य की अर्थ-व्यवस्था थी, कभी पशु पाल कर उनका दूध पीना और कुछ न मिले तो इन जानवरो को खा जाना उसकी अर्थ-व्यवस्था थी, कभी खेती कर के पेट भरना उसकी अर्थ-व्यवस्था थी।

जगल में जो जातियाँ पायी जाती हैं, उन्हें जगली कहने के स्थान में अगर हम 'अशिक्षित' (Non-literates) कहें, तो ठीक रहेगा क्योंकि 'जगली' शब्द का अर्थ कुछ घृणित-सा हो गया है। इन 'अशिक्षित' जातियों की अर्थ-व्यवस्था का आधार चार बातें कही जा सकती हैं। इनकी अर्थ-व्यवस्था का पहला आधार तो फल-

मूल, शिकार, खेती, व्यापार—ये सब-कुछ हैं। हम प्रकृति के जिन भौतिक-पदार्थों से घिरे हुए हैं उन पदार्थों को प्राप्त करने के लिये हम क्या करते हैं? फल-मूल से हमारा पेट भर सकता है, इन्हें पाने के लिए हम जगलो में घूमते हैं, शिकार पकड़ कर उसे खाने से हमारी क्षुधा निवृत्त हो सकती है, उमे पकड़ने के लिए हम शिकार करते हैं, खेती कर के हम अनाज पैदा करते हैं, व्यापार कर्तु के जो चीज हमारे पास नहीं उसे ले आते हैं। ये सब हमारी अशिक्षित-जातियों की अर्थ-व्यवस्था के 'भौतिक' (Material) आधार हैं। इनकी अर्थ-व्यवस्था का दूसरा आधार 'सामाजिक' अथवा 'समाजशास्त्रीय' (Sociological) है। अगर हम जगल में घूम कर फल-मूल एकत्रित करते हैं, तो हमारी अर्थ-व्यवस्था के आधार पर बनी सामाजिक-व्यवस्था अधिक जटिल नहीं हो सकती, अगर खेती करते हैं तब पुरुष बाहर का काम-काज करेंगे, स्त्रियाँ घर का काम-काज देखेंगी, जिन लोगों के पास बड़े खेत होंगे वे धनी और जिनके पास छोटे होंगे वे निर्धन कहायेंगे, अगर हमारी अर्थ-व्यवस्था का भौतिक-आधार व्यापार है, आजकल का युग है, तो हमारा अर्थ-व्यवस्था के आधार पर बना सामाजिक रूप मालिक-मजदूर का बन जायगा। अशिक्षित जातियों की अर्थ-व्यवस्था का तीसरा आधार 'मनो-वैज्ञानिक' (Psychological) है। जो लोग फल-मूल एकत्रित करते या शिकारी जीवन व्यतीत करते हैं उनकी अर्थ-व्यवस्था का मनोवैज्ञानिक-आधार खाना-पीना और सब-कुछ भूल जाना—इसके सिवाय दूसरा क्या हो सकता है? ज्यों-ज्यों अर्थ-व्यवस्था जटिल होती जाती है, त्यों-त्यों भौतिक-पदार्थों को पाने के लिए सामाजिक-व्यवस्था भी जटिल होती जाती है, और इसके साथ अर्थ-व्यवस्था के आधार में काम कर रहा मनोवैज्ञानिक-आधार भी बदल जाता है। विषम अर्थ-व्यवस्था में उतना बेलगपन नहीं रह सकता जितना सरल आर्थिक-व्यवस्था में रहता है। सरल आर्थिक-व्यवस्था में चिन्ता को वह स्थान नहीं जो स्थान विषम आर्थिक-व्यवस्था में यह ले लेती है। आज के युग में सब तरह के भौतिक-पदार्थ मनुष्य के पाँवों पर लोटते हैं, परन्तु इतना सब-कुछ पाकर भी मनुष्य चिन्ताओं से घिरा रहता है। 'भौतिक', 'सामाजिक' तथा 'मनोवैज्ञानिक'—ये तीन तत्व तो मनुष्य की आर्थिक-व्यवस्था को बनाते ही हैं, इनके अतिरिक्त एक चौथा तत्व भी है जिसे 'ऐतिहासिक' (Historical) कहा जा सकता है। फल-मूल एकत्रित करने वाली जातियाँ कभी-कभी आजकल की यूरोपियन जातियों से घिर गई हैं, इसका प्रभाव इन जगली जातियों के जीवन पर पड़ गया है, और उनकी अर्थ-व्यवस्था इन यूरोपियन जातियों की अर्थ-व्यवस्था से प्रभावित हो गई है। कभी-कभी अशिक्षित जातियों को अर्थ-व्यवस्था दूसरी अशिक्षित जातियों की अर्थ-व्यवस्था से प्रभावित हो जाती है और जगल में फल-मूल चुगने वालों में कुछ बातें अपनी और कुछ बातें दूसरों की आ जाती हैं।

हम इस अध्याय में अशिक्षित जातियों की भिन्न-भिन्न अर्थ-व्यवस्थाओं के भौतिक-तत्वों—शिकार, खेती आदि—का वर्णन करेंगे, और साथ-साथ जहाँ

जरूरत होगी वहाँ उनकी अर्थ-व्यवस्था के 'भौतिक-तत्वों' के साथ-साथ 'सामाजिक', 'मनोवैज्ञानिक' तथा 'ऐतिहासिक' तत्वों पर भी प्रकाश डालेंगे। 'सामाजिक-तत्व' में समाज का संगठन आ जाता है—समाज का कैसा रूप है, समूह प्रधान है या व्यक्ति प्रधान है, 'मनोवैज्ञानिक-तत्व' में वचत का विचार आ जाता है—समाज के लोग 'कमाया-खाया' के सिद्धान्त पर चलते हैं या कुछ बचा कर भी रखते हैं, उस बचे हुए से वणिज-व्यापार करते तथा अपनी दूसरी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, 'ऐतिहासिक-तत्व' में अर्थ-व्यवस्था का रूप आ जाता है—जिस अर्थ-व्यवस्था पर हम विचार कर रहे हैं क्या वह रूप शुद्ध है या मिश्रित है। हम भिन्न-भिन्न अर्थ-व्यवस्थाओं पर विचार करते हुए इन सब पहलुओं पर भी प्रकाश डालते जायेंगे।

नीचे अशिक्षित जातियों की जो अर्थ-व्यवस्थाएँ दी गई हैं, उनमें एक समानता है और एक भेद है। उनका सामान्य-तत्व तो यह है कि इन आर्थिक-तत्वों से ही मनुष्य का जीवन बना रह सकता है। चाहे फल-मूल एकत्रित करने की अर्थ-व्यवस्था हो, चाहे कृषि करने की, चाहे व्यापार करने की—इन सब का उद्देश्य एक है, इन सब में सामान्य-तत्व मनुष्य को जीवित रखना है। इनमें एक-दूसरे से भिन्नता का आधार 'अतिरिक्त-वस्तु' या 'वचत' (Surplus) का तत्व है। अशिक्षित जातियों की इन अर्थ-व्यवस्थाओं में कई जातियाँ तो 'कमाया-खाया' के सिद्धान्त तक अपने को सन्तुष्ट रखती हैं, कुछ बचा कर नहीं रखतीं, कुछ जातियाँ जो-कुछ कमाती हैं उसमें से कुछ 'अतिरिक्त' रख कर, 'वचत' के तौर पर जमा कर लेती हैं। किसी जाति में वचत कम, किसी में ज्यादा होती है, और इन जातियों में एक-दूसरे से भेद करने का 'भेदक-तत्व' यही 'वचत' का तत्व है। जो वचत करना जानते ही नहीं, उनमें 'सम्पत्ति' का, 'दायभाग' का, 'उत्तराधिकार' का, 'धन' का, 'मूल्य' का विचार उत्पन्न ही नहीं होता, उनके सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक आधार भी दूसरों से भिन्न होते हैं। अशिक्षित-जातियों की मुख्य-मुख्य अर्थ-व्यवस्थाएँ निम्न पायी जाती हैं —

- (१) फल-मूल एकत्रित करने वाली सरल अर्थ-व्यवस्था
- (२) फल-मूल एकत्रित करने वाली विकसित अर्थ-व्यवस्था
- (३) कृषि-सवधी सरल अर्थ-व्यवस्था
- (४) कृषि एवं पशु-पालन सम्बन्धी विकसित अर्थ-व्यवस्था
- (५) भिन्न-भिन्न अर्थ-व्यवस्थाओं का सम्मिश्रण।

### १ फल-मूल एकत्रित करने वाली सरल अर्थ-व्यवस्था (Simple Food-gathering Economies)

इस श्रेणी में वे अर्थ-व्यवस्थाएँ आती हैं जिनमें जातियाँ शिकारी जीवन व्यतीत करती हैं, जंगल से फल-मूल इकट्ठा कर लाती हैं, और इतना जमा कर के नहीं रख छोड़तीं जिसका वे विनिमय कर सकें। इनकी अर्थ-व्यवस्था में 'वचत'

को वह स्थान नहीं है जिस 'वचत' से चीजों का अदला-बदला किया जा सके। जंगल में फल काफी हैं, जरूरत पड़े तो शिकार किया जा सकता है, फिर फल के लिए वचा रखने में क्या धरा है? इस प्रकार के लोग हैं—तस्मानियन, ऑस्ट्रेलियन, सेलेबीज के टोएला, फिलिपाइन्स तथा मलय प्रायद्वीप के पिग्मी, अडमान टापू के रहने वाले, सीलोन के वेड्डा, ऐनुस, साईबीरिया की कुछ जातियाँ, आफ्रीका के बुशमैन, दक्षिणी-चाइल और अर्जेंटाइना के अमेरिकन-इंडियन तथा उत्तरी अमरीका के इंडियन। भारत में कोचीन के कादर, हैदराबाद के चेंचु, मध्य-प्रदेश के बैगा, उड़ीसा के जौंग तथा बिहार के खैरिया और बिरहौर भी इस वर्ग में गिने जाते हैं। इन लोगों की अर्थ-व्यवस्था का रूप जंगल से शिकार कर लाना, मछली पकड़ लाना, फल चुग लाना या कद-मूल निकाल लाना है। यद्यपि इन में से सब की अर्थ-व्यवस्था एक-सी नहीं है, उनमें कुछ-न-कुछ भेद रहता है, तो भी इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था की मुख्य-मुख्य बातें निम्न हैं —

(१) जन-संख्या का रूप—इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था में जन-संख्या बहुत कम रहती है। कैलीफोर्निया के कुछ हिस्सों को छोड़ कर बाकी सब जगह इस अर्थ-व्यवस्था में जन-संख्या अधिक नहीं पायी जाती।

(२) समूह का रूप—इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था में जन-संख्या के थोड़े होने के साथ-साथ आर्थिक-उद्देश्य से इनका जो समूह बनता है वह भी छोटा होता है, अनुपात से इनके आर्थिक-समूह में ४० या ज्यादा-से-ज्यादा ७० या ८० व्यक्ति होते हैं, अगर कहीं अधिक व्यक्ति इकट्ठे भी होते हैं, तो कुछ देर के लिए, सामयिक तौर पर।

(३) भिन्न-भिन्न वस्तुओं के एकत्रण की व्यवस्था—भिन्न-भिन्न वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए इस अर्थ-व्यवस्था में गुट या टुकड़ियाँ बना दी जाती हैं। लडके तथा बूढ़े पुरुषों की टुकड़ियाँ शिकार तथा मछली पकड़ने का काम करती हैं, और बाकी चीजें लडकों के साथ बूढ़ी स्त्रियाँ बटोर लाती हैं। ये लोग एक जगह टिक कर नहीं रहते, जहाँ खाने और पेट भरने की व्यवस्था सुविधाजनक होती दीखती है, वहीं चले जाते हैं।

(४) साझेदारी—शिकार, मछली, फल-मूल को जो लोग इकट्ठा करके लाते हैं उनका सब साझेदारी में उपभोग करते हैं। अगर किसी ने व्यक्ति रूप से कोई चीज पैदा कर ली होती है, तो उसे उसका वैयक्तिक उपभोग कर लेने दिया जाता है, परन्तु मुख्य तौर पर इनकी आर्थिक-व्यवस्था का आधार वैयक्तिक न होकर साझेदारी है।

(५) श्रम-विभाग—इस आर्थिक-व्यवस्था में श्रम-विभाग का नियम काम नहीं करता। अगर इस व्यवस्था में श्रम-विभाग का कोई चिह्न है, तो वह लिंग-भेद के रूप में दिखाई देता है। स्त्री तथा पुरुष के कार्य में थोड़ा-बहुत भेद कहा जा सकता है, अन्यथा विशेषीकरण की प्रक्रिया पर आश्रित श्रम-विभाग इस आर्थिक-व्यवस्था में नहीं पाया जाता।

(६) वचत—जैसा हम पहले कह आये हैं, इस आर्थिक-व्यवस्था में 'वचत' का कोई स्थान नहीं है। कमालो और खाओ का सिद्धान्त इस व्यवस्था का आधारभूत सिद्धान्त है। इसीलिए इस व्यवस्था में मुद्रा, वणिज, व्यापार, बाजार कुछ नहीं होता। व्यापार का आधार 'विनिमय' हुआ करता है। इस व्यवस्था में 'विनिमय' ही नहीं होता। एक चीज देकर दूसरी लेने का इस व्यवस्था में रिवाज नहीं। अगर किसी को कोई चीज दी जाती है, तो वापस लेने, या किसी चीज के बदले में देने के लिए नहीं दी जाती, यह दे ही दी जाती है, उपहार के तौर पर दे दी जाती है, इसलिए दे दी जाती है क्योंकि दूसरे को इसको जरूरत है।

(७) सम्मिलित-स्वामित्व—आदिम-जातियों का जीवनस्थल मछली पकड़ने के तालाब, शिकार के जंगल, फलो तथा कन्द-मूलो के वन-उपवन होते हैं। ये सब स्थान किसी व्यक्ति को निजी सम्पत्ति न होकर समूह की सम्पत्ति माने जाते हैं, इन पर सब का 'सम्मिलित-स्वामित्व' होता है। आजकल जिस साम्यवाद का हम नारा लगाते हैं, आदिम-जातियों में और खास कर फल-मूल एकत्रित करके आजीविका का निर्वाह करने वाली अर्थ-व्यवस्था में यह पहले से मौजूद है। इन जातियों में ये स्थान किसी व्यक्ति या उसके पुत्र-पौत्र की सम्पत्ति नहीं माने जाते, सब के एक-समान माने जाते हैं, और इनका सब के हित के लिए जैसा चाहें वैसा प्रयोग किया जा सकता है।

(८) समता का भाव—इस अर्थ-व्यवस्था में क्योंकि वैयक्तिक-स्वामित्व का भाव नहीं होता, सामाजिक-स्वामित्व का भाव होता है, इसलिए इसमें विषमता की भावना भी नहीं होती।

## २ फल-मूल एकत्रित करने वाली विकसित अर्थ-व्यवस्था

### (Advanced Food-gathering Economies)

इस श्रेणी में वे अर्थ-व्यवस्थाएँ आ जाती हैं जिनमें जातियाँ शिकारी जीवन व्यतीत करती हैं, जंगल से फल-मूल इकट्ठा कर लाती हैं, और थोड़ी-बहुत 'वचत' इस दृष्टि से कर लेती हैं कि उस 'वचत' से दूसरे लोगो के साथ चीजों का अदला-बदला किया जा सके। इस श्रेणी में आने वाले सिर्फ कुछ लोग आज के युग में बचे हैं, जो उत्तर-पश्चिम कौलीफोर्निया से अलास्का के टिल्गिट्स स्थान तक निवास करते हैं। इनकी सख्या कुछ लाख के भीतर ही है। इनकी अर्थ-व्यवस्था की मुख्य-मुख्य बातें निम्न हैं —

(१) जन-सख्या का रूप—सरल आर्थिक-व्यवस्था वाले क्षेत्रों से इस आर्थिक-व्यवस्था के क्षेत्रों की जन-सख्या कई गुणा ज्यादा होती है।

(२) समूह का रूप—इस अर्थ-व्यवस्था में जैसे जन-सख्या कुछ अधिक होती है, वैसे इसमें समूह का निर्माण भी अधिक जन-सख्या से होता है। प्रत्येक ग्राम में ४०-५० के लगभग व्यक्ति होते हैं, परन्तु क्योंकि इस व्यवस्था में 'वचत' हुए पदार्थों का विनिमय होता है, इसलिए इनमें बाजार भी लगते हैं और ऐसे बाजार वाले गाँवों की जनसख्या १,५००-२,००० तक पहुँच जाती है।

(३) भिन्न-भिन्न वस्तुओं के एकत्रण की व्यवस्था—भिन्न-भिन्न वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए इस व्यवस्था में पुरुषों तथा स्त्रियों की मडलियाँ बना दी जाती हैं। पुरुषों की मडली शिकार तथा मछली पकड़ने का काम करती है और स्त्रियों की मडली किसी दूसरे आर्थिक कार्य में लगी रहती है। इन खास-खास कार्यों के अतिरिक्त कोई-कोई व्यक्ति जहाँ-कहीं से भी कोई खाने की चीज ढूँढ लाता है, परन्तु ज्यादातर यह व्यवस्था की जाती है कि अमुक जगल से शिकार पकड़ना है, अमुक जगह से फल बटोर लाने हैं, अमुक तालाब से मछलियाँ पकड़नी हैं। कौन व्यक्ति किस मडली में काम करेगा—यह निश्चय करना इस अर्थ-व्यवस्था में मुखिया-पुरुष या मुखिया-स्त्री का काम है, इससे पहली सरल अर्थ-व्यवस्था में मडली के व्यक्ति चुनने का काम जन-तंत्र के आधार पर सारे-के-सारे समूह का होता था। मुखिया वश-परपरा से बनता है। यह सारा-का-सारा समूह भोजन की खोज में जगह-से-जगह भटकता नहीं फिरता। ये लोग एक जगह स्थिर होकर रह जाते हैं, और इनमें से कुछ भोजन की तलाश में इधर-उधर भी जाते हैं, फिर भी साल भर गाँव एक जगह टिका रहता है।

(४) विपम-विभाग—इस अर्थ-व्यवस्था में जो-कुछ भौतिक-पदार्थ सगृहीत होते हैं, वे सब में समान नहीं बँट जाते, वश-परपरा से चले आ रहे मुखिया को इस सग्रह का बड़ा भाग मिलता है, मुखिया से जो बच रहता है, वह दूसरों में बँट जाता है। वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए मुखिया ने जो मडली बनाई होती है, उसका बड़ा भाग तो मुखिया ले जाता है, परन्तु व्यक्ति स्वतंत्र रूप से, बिना मडली का हिस्सा बने जगल, नदी, तालाब से जो-कुछ ले आते हैं, वह उनकी निजी सम्पत्ति मानी जाती है, यद्यपि इसमें से भी कुछ भाग वे मुखिया को जरूर दे देते हैं।

(५) श्रम-विभाग—पहली अर्थ-व्यवस्था में तो स्त्री-पुरुष के अतिरिक्त श्रम का कोई भेद ही नहीं होता, परन्तु इस दूसरी फल-मूल एकत्रित करने वाली विकसित अर्थ-व्यवस्था में कुछ थोड़ा-बहुत विशेषीकरण प्रारंभ हो जाता है। इस व्यवस्था में कुछ व्यक्ति गुलाम के तौर पर काम करने लगते हैं, इनका काम चाकरी करना है, कुछ पत्थर घड़ना, नाव या टोकरी बनाना आदि कार्यों में निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। आदि-गाँवों का अध्ययन करने से पता चला कि कभी-कभी इस अर्थ-व्यवस्था के गाँव-के-गाँव किसी एक बात में विशेषता प्राप्त कर लेते हैं। कोई गाँव मछली पकड़ने में सिद्ध-हस्त हो जाता है, कोई पक्षियों के पंखों को जमा करने में निपुणता प्राप्त कर लेता है, कोई समुद्र से घोंघे इकट्ठा करने में विशेषता प्राप्त कर लेता है। इस अर्थ-व्यवस्था में श्रम-विभाग का अर्थ-शास्त्र का नियम पहले-पहल जन्म लेता है।

(६) वचत—इस अर्थ-व्यवस्था में 'वचत' का नियम काम करने लगता है। पहले-पहल तो लोग अपने लिए ही एक दिन की जगह दो दिन का सामान जगलो से ढो लाते हैं, परन्तु धीरे-धीरे वे ज्यादा भी लाने लगते हैं।

आराम करना मनुष्य का स्वभाव है, इसलिए एक दिन काम से छुट्टी लेंगे—यह सोच कर ब्यादा ले आते हैं। फिर यही तो नहीं कि जो-कुछ उन्हें मिल गया, उसी से उनकी इच्छाएँ पूरी हो गई। कई चीजें ऐसी भी होती हैं जो उनके पास नहीं, दूसरों के पास होती हैं। 'वचत' द्वारा वे दूसरों के साथ अपनी चीजों को बदल-बदल लेते हैं। इससे बाजार भी धीरे-धीरे बनने लगते हैं, दरिया-समुद्र के रास्ते से लोग अपने सामान को दूसरी जगह ले जाकर बदला-बदला करने लगते हैं।

(७) वैयक्तिक स्वामित्व—हम पहले कह आये हैं कि इस अर्थ-व्यवस्था में वंश-परंपरा द्वारा पुरुष-मुखिया तथा स्त्री-मुखिया का पद उत्पन्न हो जाता है। इन मुखियाओं का उन स्थानों पर स्वामित्व माना जाता है, जहाँ से खाने के पदार्थ प्राप्त होते हैं। इनके पास गुलाम होते हैं जो इनकी चाकरी करते हैं, इनके पास जंगल और तालाब होते हैं जहाँ फल-मूल और मछलियाँ पायी जाती हैं, इनका स्वामित्व और प्रभुत्व उन क्षेत्रों पर स्वीकार किया जाता है जहाँ शिकार के जानवर पाये जाते हैं। इन क्षेत्रों का दूसरे लोग लाभ उठाना चाहें तो इनके स्वामी को आज्ञा प्राप्त किये बिना इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। इस अर्थ-व्यवस्था में 'सम्मिलित-स्वामित्व' का विचार नहीं रहता, उसका स्थान 'वैयक्तिक-स्वामित्व' ले लेता है।

(८) 'वर्ग' के विचार की उत्पत्ति—क्योंकि इस अर्थ-व्यवस्था में 'वैयक्तिक-स्वामित्व' का भाव उत्पन्न हो जाता है इसलिए इसमें दो वर्ग बन जाते हैं, 'उत्तम-वर्ग' तथा 'अधम-वर्ग'। यह भेद-भाव शुरू-शुरू में तो सम्पत्ति को अपने बाहु-बल से प्राप्त करने के कारण 'कर्म' के आधार पर बनता है, परन्तु आगे चल कर वंश-परंपरा, अर्थात् 'जन्म' के आधार पर यह भेद चलता चला जाता है।

(९) उत्तम-वर्ग का रूप—अभी सम्पत्ति ने घन का, मुद्रा का रूप नहीं धारण किया होता। इस अर्थ-व्यवस्था में सम्पत्ति उन पदार्थों के रूप में होती है, जिन्हें लोग जंगलों, नदियों, पहाड़ों से इकट्ठा कर लाते हैं। जो संपन्न हो जाते हैं, उनकी सन्तान भी वंश-परंपरा के रूप में इस सम्पत्ति की मालिक मानी जाती है। ये संपन्न व्यक्ति 'उत्तम-वर्ग' के लोग कहे जाते हैं। इनका नदी, नालो, जंगलों पर अधिकार होता है। जात-विरादरी तथा गाँव के सब लोग जो-कुछ लाते हैं, उसका कुछ-न-कुछ अंश इन्हें अवश्य भेंट के रूप में देते हैं—यह इनका 'दत्ताश' कहाता है। बिना मेहनत की इस कमाई से इनकी सम्पत्ति बढ़ती जाती है। इनके पास गुलाम भी होते हैं, वे भी जो-कुछ मेहनत करते हैं, उसका फल इन उत्तम-वर्ग के लोगों को ही मिलता है। ये लोग दूसरे लोगों के लिए कायदे-कानून बनाते हैं, और जो इनके बनाये कानूनों को तोड़ते हैं, उनसे जुर्माना वसूल किया जाता है। धीरे-धीरे ये अपने दायरे को बढ़ाते जाते हैं, ये और इनके साथी आस-पास के याँ दूर-दूर के गाँवों पर हमला बोलने लगते हैं, उन्हें लूटते और अपनी सम्पत्ति को बढ़ाते हैं। इस प्रकार वह सम्पत्ति जो किसी समय सब की साझी थी, अब जब कि उसमें 'वैयक्तिक-स्वामित्व' का भाव आकर बैठ गया, मनुष्य की लालसा



को जागृत कर देती है, और इस लालसा को पूरा करने के लिए, सम्पत्ति को जमा करने के लिए इस अर्थ-व्यवस्था में उत्तम-वर्ग के लोगो द्वारा लुटेरेपन की शुरुआत हो जाती है।

### ३ कृषि-सम्बन्धी सरल अर्थ-व्यवस्था (Simple Agricultural Economies)

जैसा हम पहले कह आये हैं, अर्थ-व्यवस्था के वर्गीकरण का आधार 'वचत' (Surplus) का विचार है। पहले तो मनुष्य को अपने भौतिक-शरीर की रक्षा के लिए खाने-पीने की वस्तुएँ चाहियें, उससे बच रहे तो वह उनका अन्य पदार्थों से विनिमय करने लगता है। यह 'वचत' जगल के फल-कन्द के एकत्रण में भी हो सकती है, कृषि में भी हो सकती है, परन्तु कृषि में इस प्रकार की वचत की गुञ्जाइश ज्यादा हो जाती है। कृषि-सबधी अर्थ-व्यवस्था को फल-फूल की अर्थ-व्यवस्था की तरह दो भागों में बाँटा जा सकता है—सरल तथा विकसित। कृषि-सबधी सरल अर्थ-व्यवस्था में जब बहुत साधारण उपकरणों से काम लिया जाता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद बहुत थोड़ा बच रहता है, कृषि-सबधी विकसित अर्थ-व्यवस्था में जब विकसित उपकरणों से काम लिया जाता है, बहुत अधिक बच रहता है। अशिक्षित जातियों में ये दोनों प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाएँ पायी जाती हैं, इसलिए इन दोनों की विशेष-विशेष बातों को जानना हमारे लिये आवश्यक है। पहले हम कृषि-सबधी सरल अर्थ-व्यवस्था की चर्चा करेंगे।

यह अर्थ-व्यवस्था, पौलीनेशिया, मैलेनेशिया तथा माइक्रोनेशिया में पायी जाती है। उत्तरी-अमरीका के मिसूरी, एरीजोना, न्यू मक्सिको तथा ब्राजील में भी यह अर्थ-व्यवस्था है। यूरेशिया तथा आफ्रीका में कृषि-सबधी इस प्रकार की सरल अर्थ-व्यवस्था नहीं पायी जाती क्योंकि वहाँ बहुत पहले से कृषि की जाती रही है, और होते-होते अब वहाँ कृषि की विकसित अवस्था आ गई है। भारत में हैदराबाद के कोया लोग कृषि-सबधी सरल अर्थ-व्यवस्था के उदाहरण हैं। कोया के अतिरिक्त बंगा, मरिया, कमार तथा पहाड़ी-रैड्डी भी कृषि-सबधी सरल अर्थ-व्यवस्था के स्तर पर हैं। भारत के कमार, रेड्डी तथा बंगा जन-जातियों के विषय में कहा गया है कि वे इस समय तक 'नव-पाषाण-युग' की कृषि-व्यवस्था से ऊपर नहीं उठे। कमार लोग तो अबतक हल से खेत जोतने के स्थान में कुल्हाड़े से हल जोतते हैं। इन लोगों के खेती करने का ढग निराला है। ये खेती का स्थान बदलते रहते हैं, इस ढग को 'कृषि-स्थान-परिवर्तन' (Shifting cultivation) कहते हैं। पहले ये जगल साफ कर देते हैं, फिर बचे-खुचे झाड़-झुंझ में आग लगा देते हैं। इसके बाद राख में बीज छिड़क देते हैं। एक-दो साल खेती अच्छी होती है, बाद को वह स्थान खेती के लिए बेकार हो जाता है, ये लोग भी खेती का स्थान बदल देते हैं। इस प्रकार का ढग कई आदिवासियों में पाया जाता है। इसे 'झूम', 'बेवार', 'दाहिया' आदि भिन्न-भिन्न नाम दिये जाते हैं। ये लोग खेती करते हैं, परन्तु इतना पैदा नहीं कर सकते जिससे 'वचत' कर सकें। पाश्चात्य-लेखकों का

कहना है कि कोलम्बस से पहले प्राय सर्वत्र इसी प्रकार की अर्थ-व्यवस्था थी । इस अर्थ-व्यवस्था को मुख्य-मुख्य बातें निम्न हैं —

(१) जन-संख्या का रूप—इस अर्थ-व्यवस्था की जातियों की जन-संख्या फल-मूल एकत्रित करने वाली विकसित अर्थ-व्यवस्था की जातियों की जन-संख्या के समान ही होती है, अधिक नहीं होती ।

(२) समूह का रूप—जन-संख्या की तरह ही इस अर्थ-व्यवस्था में जन-संख्या का समूह होता है । यह समूह बहुत बड़ा नहीं होता, ७०-८०-१०० तक का एक समूह एक जगह पाया जाता है ।

(३) कृषि-सवधी व्यवस्था—जैसे फल-मूल एकत्रित करने वाली सरल अर्थ-व्यवस्था में जो टोलियाँ या मडलियाँ बनाई जाती हैं, उनका आधार जन-तंत्र प्रणाली है, सब से सलाह-मशविरा करके टोली बनाई जाती है, वैसे इस कृषि-सवधी सरल अर्थ-व्यवस्था में सब की सलाह से ही जन-तांत्रिक प्रणाली पर टोलियाँ बनाई जाती हैं, जिनका काम फल-मूल एकत्र करने वाली अर्थ-व्यवस्था के अनुसार ही जगल की उपज इकट्ठा करना है । परन्तु इस अर्थ-व्यवस्था में क्योंकि कृषि का भी स्थान है इसलिए इन लोगों में से कुछ स्वतंत्र रूप से सब्जी-तरकारी तथा फलों के बाग-बगीचे भी लगाते हैं । इन सब्जी-तरकारी की खेतियाँ तथा फलों के बागीचों के लगाने में कभी-कभी समूह के अन्य लोग भी सहयोग देते हैं, और कभी-कभी सारा-का-सारा समुदाय इस प्रकार के कृषि-सवधी बाग-बगीचे लगाता है ।

(४) सम तथा विषम विभाग—इस अर्थ-व्यवस्था में बाग-बगीचे की उपज उसी की मानी जाती है जो इनको लगाता है, अगर समुदाय को इसकी जरूरत पडती है, तो समुदाय भी इसका लाभ उठा सकता है । प्राय जो व्यक्ति कुछ पैदा करता है वही उसे रखता है, समाज व्यक्ति की पैदावार को उससे नहीं लेता । इस दृष्टिकोण से इस व्यवस्था में सम्पत्ति को निजी कहा जा सकता है, परन्तु निजी होने के साथ-साथ वह समुदाय की भी हो सकती है । इसी कारण इस व्यवस्था में सम्पत्ति का सम तथा विषम दोनों तरह का विभाग है ।

(५) श्रम-विभाग—हम पहले लिख आये हैं कि फल-मूल एकत्रित करने वाली सरल आर्थिक-व्यवस्था में श्रम करने वालों के केवल दो वर्ग पाये जाते हैं—स्त्री तथा पुरुष । कृषि-सवधी सरल आर्थिक-व्यवस्था में यह भेद स्त्री तथा पुरुष के रूप में न होकर भिन्न-भिन्न कारीगरों का रूप धारण कर लेता है । लोग जगह-जगह फिरना छोड़ कर कृषि करने के लिए एक जगह रहना सीख जाते हैं, साल भर एक ही जगह रहते हैं, इसलिए खेती तो खेती के दिनों में करते हैं, बाकी दिनों में दूसरी तरह के काम करते हैं । टोकरी बनाना, कपडा बुनना, वर्तन बनाना आदि अनेक काम हैं जो फुसंत के समय वे करने लगते हैं, और जो लोग इन कामों को करना शुरू करते हैं, उनमें से अनेक इन कामों में कुशल हो जाने के कारण इन्हीं को अपना धन्धा चुन लेते हैं । इस प्रकार श्रम-विभाग प्रारंभ हो जाता है, और भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न कामों में कुशल होने लगते हैं ।

(६) वचत—क्योंकि श्रम-विभाग प्रारंभ हो चुका होता है, और बहुत-से व्यक्ति भिन्न-भिन्न कामों में लग जाते हैं, कोई कपडा बुनता है, कोई वर्तन बनाता है, इसलिए हर-एक वस्तु बहुतायत में पैदा होने और बनने लगती है। जब चीजों की बहुतायत हो जाती है, तो उनकी 'वचत' अपने-आप होती है। वचत की इन चीजों को या तो उपहार रूप में एक-दूसरे को दिया जाता है, या एक समुदाय दूसरे समुदाय के साथ इन चीजों का अदला-बदला कर लेता है। अभी मुद्रा के रूप में धन उत्पन्न नहीं हुआ होता, 'विनिमय' के रूप में वस्तुओं का आदान-प्रदान होता है, वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार भी अभी नहीं बने होते।

(७) सम्मिलित तथा वैयक्तिक स्वामित्व—शिकार, मछली, बाग-वगीचे आदि विशेष-विशेष महत्व के स्थान तो समुदाय की सम्मिलित सम्पत्ति माने जाते हैं, परन्तु समुदाय ने उपज के लिए बाग-वगीचे लगाने के लिए जनतांत्रिक रूप से, सब की सहमति से जो स्थान व्यक्तियों को दिये होते हैं, उनकी उपज व्यक्तियों को मिलती है। क्योंकि बाग-वगीचे लगाने के लिए इस प्रकार के खेत समूह द्वारा व्यक्तियों को वश-परपरा के आधार पर दे दिये जाते हैं, जो खेत वाप को दिया, वही बेटे को दे दिया जाता है, इसलिए इस अर्थ-व्यवस्था में वैयक्तिक-स्वामित्व का भाव उत्पन्न हो जाता है, परन्तु व्यक्ति को भू-स्वामित्व समाज द्वारा मिलता है, इसलिए अभी शुद्ध वैयक्तिक-स्वामित्व का भाव नहीं उत्पन्न हुआ होता।

(८) समता का भाव—आर्थिक-दृष्टि से इस व्यवस्था में व्यक्ति-व्यक्ति की सम्पत्ति में बहुत अधिक भेद नहीं होता, इसलिए प्रायः सब में समता पायी जाती है—सामाजिक-समता तथा आर्थिक-समता, न स्थिति के अनुसार ऊँच-नीच, न धन के अनुसार सम्पन्न-असम्पन्न।

(९) 'वर्ग' का रूप—वश-परपरा से भी कुछ चलता है, तो समूह की स्वीकृति से ही चलता है, इसलिए वश के राजा-जमींदार-मुखिया इस अर्थ-व्यवस्था में नहीं पाये जाते। कोई किसी को कर या दत्ताश नहीं देता। लुटेरपना भी इस अर्थ-व्यवस्था में नहीं उत्पन्न होता क्योंकि अभी धन-सम्पत्ति को वह महत्त्व नहीं मिला होता जो विकसित अर्थ-व्यवस्था में मिल जाता है। लोगों के पास जो-कुछ होता है उसीसे वे सन्तोष कर लेते हैं। युद्ध तो तब शुरू होते हैं जब धन-सम्पत्ति को महत्त्व आवश्यकता से अधिक मिलने लगता है। इस व्यवस्था के लोग सन्तोषी जीव होते हैं। लडाई-झगड़े बिल्कुल नहीं होते—ऐसी बात नहीं है, थोड़े-बहुत होते हैं, परन्तु उनका कारण उनकी लालसा न होकर आपस के झगड़े, बदले की भावना आदि होते हैं। अर्थ-व्यवस्था का यह 'मनोवैज्ञानिक' आधार है।

#### ४ कृषि-सम्बन्धी विकसित अर्थ-व्यवस्था (Advanced Agricultural Economies)

संसार की जितनी अर्थ-व्यवस्थाएँ हैं उनमें सबसे ज्यादा सख्या कृषि-संबन्धी विकसित अर्थ-व्यवस्था के लोगों की है। पहले तीन प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाएँ जहाँ-तहाँ बिखरी पायी जाती हैं, परन्तु उनकी सख्या इतनी अधिक नहीं है।

पहले कभी ये अर्थ-व्यवस्थाएँ दुनियाँ में थीं—इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि कहीं-कहीं ये अब भी पायी जाती हैं, परन्तु वर्तमान-युग की उन्नत जातियों के सम्पर्क में आकर ये व्यवस्थाएँ या तो नष्ट-प्राय हो गई हैं, या इनका रूप बदल गया है। ऊपर जिन अर्थ-व्यवस्थाओं का हम वर्णन कर आये हैं उन पर 'ऐतिहासिक' आधार की दृष्टि से ही विचार किया जा सकता है, वर्तमान-युग में तो अशिक्षित जातियों की १५ वीं सदी अर्थ-व्यवस्थाएँ कृषि-संबंधी विकसित-अर्थ-व्यवस्थाएँ हैं। जरूरी नहीं कि इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था कृषि-संबंधी सरल अर्थ-व्यवस्था का ही परिणाम हो। सीधे फल-मूल एकत्रण करने वाली अर्थ-व्यवस्था से युरो-पियन या अन्य सभ्य-जातियों के सम्पर्क में आने के कारण कई जातियाँ एकदम विकसित कृषि-संबंधी अर्थ-व्यवस्था को अपना लेती हैं, कहीं-कहीं इनका सरल से विकसित कृषि में भी विकास होता है। इस अर्थ-व्यवस्था में 'वचत' (Surplus) बहुत अधिक होने लगती है, इसलिए अन्य अर्थ-व्यवस्थाओं में जो जटिलता नहीं पायी जाती वह जटिलता इस व्यवस्था में आ जाती है। 'वचत' को खपाने के लिए बाजार, मार्केट, भिन्न-भिन्न पदार्थों की उत्पत्ति—सब-कुछ उठ खड़ा होता है। इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था आफ्रीका में बुशमैन को छोड़ कर वहाँ की अन्य सब जातियों में पायी जाती है, पोलिनेशिया-माइक्रोनेशिया में, मेलनेशिया, मलाया के द्वीपों में, अमरीका में, और अन्य भी अनेक स्थानों पर पायी जाती है। भारत में गोंड लोग, मंसूर के टोडा आदि सब इस अर्थ-व्यवस्था के उदाहरण हैं। इस अर्थ-व्यवस्था की मुख्य-मुख्य बातें निम्न हैं :—

(१) जन-संख्या का रूप—इस अर्थ-व्यवस्था के जो लोग सिर्फ पशु-पालन से निर्वाह करते हैं, खेती को उसका आधार नहीं बनाते, या जो जंगलों में ही रहते हैं, उन्हें छोड़ कर, इस अर्थ-व्यवस्था में जन-संख्या घनी हो जाती है, छितरी नहीं रहती।

(२) समूह का रूप—विकसित कृषि-व्यवस्था में गाँव तो होते ही हैं, परन्तु साथ-साथ कस्बे और शहर भी उठ खड़े होते हैं। इनमें रहने वालों की संख्या हजारों तक पहुँच जाती है।

(३) उत्पादन-सम्बन्धी व्यवस्था—इस अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन का काम कैदियों और गुलामों से लिया जाने लगता है। वैसे तो सब-कोई अपनी-अपनी खेती-बाड़ी करते हैं, परन्तु क्योंकि अब बश-परपरा से राजा-महाराजा-जमींदार बनने लगते हैं, इसलिए वे स्वयं काम करने के स्थान में दूसरों से काम लेने लगते हैं। बाजार में जिस चीज की ज्यादा खपत होती है, उसकी पैदावार बड़ाई जाती है। वेगार में अनेक गुलामों और कैदियों से काम लिया जा सकता है, इसलिए जिस चीज के दाम उठ सकते हैं, वह सब-कुछ पैदा किया जाता है। इस अर्थ-व्यवस्था में भिन्न-भिन्न पेशों के विशेषज्ञ पैदा हो जाते हैं, इसलिए वे भी अपने-अपने कौशल को दिखलाते हैं, उनकी बनाई भिन्न-भिन्न वस्तुएँ बाजार में विक्राने के लिए आने

लगती हैं। कभी-कभी गाँव-के-गाँव एक-एक कला में निपुण हो जाते हैं, और वे सब काम करने के स्थान में एक ही चीज को पैदा करते हैं।

(४) विपम-विभाग—वस्तुओं का वितरण सम न होकर विपम हो जाता है। राजा-महाराजा-जमींदार भूमि के स्वामी हो चुके होते हैं, उनके पास पशु-घन तथा कँदी-गुलाम होते हैं। इनसे उनकी सम्पत्ति दूसरों से बहुत अधिक बढ़ जाती है। वे दूसरों से कर तथा दत्ताश भी लेने लगते हैं। इस प्रकार के विपम-विभाग के कारण इस व्यवस्था में समाज में विपमता बहुत बढ़ जाती है।

(५) श्रम-विभाग—उपभोग्य-पदार्थों की उत्पत्ति जिन स्थानों से हो सकती है, उन पर सब का स्वामित्व न रह कर कुछ-एक का स्वामित्व हो जाता है, इससे कुछ लोग उन वस्तुओं के सबध में विशेष जानकारी हासिल कर लेते हैं, विशेष कुशलता प्राप्त कर लेते हैं, वे सब-कुछ बनाना छोड़ कर इन विशेष वस्तुओं का ही निर्माण करने लगते हैं, इसलिए इस अर्थ-व्यवस्था में विशेषीकरण की प्रक्रिया तेजी से काम करने लगती है और श्रम-विभाग स्पष्ट रूप धारण कर लेता है। इस अर्थ-व्यवस्था में कई जातें बन जाती हैं, जो एक खास प्रकार के काम में ही दक्ष होती हैं।

(६) वचत—इस अर्थ-व्यवस्था में क्योंकि कुछ-एक व्यक्ति ही उत्पादन-केन्द्रों के मालिक बन जाते हैं, इसलिए ये उत्पादन-केन्द्र समूह के काम में न आकर—जिन व्यक्तियों का इन पर स्वामित्व होता है, उन्हीं के काम आते हैं। उनके लिए ये वचत-ही-वचत हैं। बड़े-बड़े खेत, जानवरों के रेवड़-के-रेवड़, चाकरी के लिए कँदी और गुलाम—इन सब से जो उत्पादन का कार्य होता है, वह सब इनके मालिकों की सम्पत्ति गिनी जाती है।

(७) वैयक्तिक-स्वामित्व—इस अर्थ-व्यवस्था में वैयक्तिक स्वामित्व को मुख्य स्थान मिल जाता है। सारा सामाजिक-संगठन वैयक्तिक-स्वामित्व को आधार बना कर खड़ा किया जाता है। सम्पत्ति, जायदाद, धन, मूल्य, क्रय-विक्रय आदि के विचार भी समाज में जन्म ले लेते हैं।

(८) विपमता का भाव—जब किसी के पास थोड़ा, किसी के पास अधिक होगा, तब समाज में समता का भाव तो रह ही नहीं सकता। इस समाज में विपमता का भाव जड़ पकड़ लेता है।

(९) उत्तम-वर्ग का रूप—इस समाज में राजा-महाराजा-जमींदार-मुखिया—ये सब वर्ग उत्पन्न हो जाते हैं। ये लोग शरीर लोगों से खूब काम लेते हैं। इनके पास सिपाही और पुलिस भी रहती है, धन-सम्पत्ति से ये दूसरों को रोटी-कपड़ा देकर उनसे अपने लिए काम कराते हैं। इन लोगों को दूसरों को लूटने के लिए भी ये काम में लाते हैं, दूसरों पर हमला बोल कर, उनसे युद्ध कर के उनकी सम्पत्ति को लूट कर ये दिनोंदिन अधिकाधिक सम्पत्तिशाली तथा धनवान हो जाते हैं। सिपाही दूसरों को लूट कर इन्हें पैसा देते हैं, पुलिस वाले इनके लिए

दूसरों से कर तथा दत्ताश वसूल करते हैं। इसके बदले इन्हें रोटी-कपडा तथा कुछ पैसा मिल जाता है।

५ भिन्न-भिन्न अर्थ-व्यवस्थाओं का एक-दूसरे पर प्रभाव या सम्मिश्रण

हमने चार प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाओं का वर्णन किया, परन्तु न तो इसका यह मतलब है कि इनका क्रमशः एक-दूसरे से विकास होता है, न इसका यह मतलब है कि सब कालों में सब जगह एक-सी ही आर्थिक-व्यवस्था पायी जाती है, और न इसका यह मतलब है कि एक व्यवस्था से दूसरी में जाते हुए बीच के रास्ते लाजमी तौर से तय करने पड़ते हैं। यह हो सकता है कि किसी जगली जाति में सिर्फ पहली अर्थ-व्यवस्था हो, दूसरी और तीसरी आये बिना, अन्य किसी विकसित समुदाय के सपर्क में आने के कारण, इसमें एकदम कृषि-सबधी विकसित अर्थ-व्यवस्था का समावेश हो जाय। यह भी हो सकता है कि एक ही काल में पृथ्वी के एक भाग में ये जातियाँ सिर्फ फल-मूल एकत्रित कर रही हो, और दूसरे किसी भाग में विकसित रूप की कृषि-सबधी अर्थ-व्यवस्था में से गुजर रही हों। इनके चारों तरफ की अर्थ-व्यवस्था कैसी है, कैसी अर्थ-व्यवस्था से ये घिरे हुए हैं—इस बात पर इनकी अर्थ-व्यवस्था निर्भर करती है। १६वीं शताब्दी में यूरोप में पखों का शौक बढ़ा।

उस समय जब फ्रांसीसी लोग पक्षियों के पखों का व्यापार बड़े जोर-शोर से कर रहे थे, तब कनाडा के एलगोनकिन-इंडियन लोगों की आर्थिक-व्यवस्था में एकदम परिवर्तन आ गया। वे लोग अपना सब घधा छोड़ कर इन व्यापारियों को पंख इकट्ठे कर देने में लग गये। यूरोपियन लोगों के इन जातियों के साथ सपर्क स्थापित करने से पहले इनकी अर्थ-व्यवस्था में समूह की प्रधानता थी, जंगल और खेत व्यक्ति के न होकर समूह के द्वारा करते थे, परन्तु जब फ्रेंच व्यापारी पखों की तलाश में इनके प्रदेशों में पहुँचे तब धीरे-धीरे इन प्रदेशों पर समुदाय के प्रभुत्व की जगह व्यक्ति के प्रभुत्व ने स्थान लेना शुरू कर दिया। हर-एक, व्यक्ति रूप से, पखों को बेचने का फायदा उठाना चाहता था। फ्रेंच लोगों के सपर्क से इनकी आर्थिक-व्यवस्था में ही परिवर्तन नहीं आया, अन्य काम-काज छोड़ कर ये पख इकट्ठा करने में ही नहीं लग गये, इनकी सामाजिक-व्यवस्था में भी परिवर्तन आ गया, समूह के स्वामित्व के स्थान पर व्यक्ति के स्वामित्व का भाव इनमें जाग गया। यूरोपियन लोगों के सपर्क से इन लोगों में यूरोपियन अर्थ-व्यवस्था तथा उस अर्थ-व्यवस्था पर आश्रित सामाजिक-व्यवस्था की बातें आने लगीं। प्रशान्त महासागर के उत्तर-पश्चिमी तट के इंडियन जो पहले फल-मूल एकत्रित करने की अर्थ-व्यवस्था में पले थे, जब यूरोपियनों के सपर्क में आये, उन्हें उन्होंने पख बेचे, तब उनके पास रुपया-पैसा-धन इकट्ठा हो गया, वे सम्पत्तिशाली हो गये। इन्हें, यूरोपियनों से, पख बेच कर लोहे के अस्त्र-शस्त्र भी प्राप्त हुए। इन अस्त्र-शस्त्रों को पाकर इन जातियों के मुखियाओं ने एकदम लुटेरों का रूप धारण कर लिया। त्सिमशियन तथा हैडा जाति के लोगों ने दूसरी जातियों पर आक्रमण कर उन्हें

लूटना शुरू किया, उनकी धन-सम्पत्ति छीनना तथा उन्हें बन्दी बना कर उनसे गुलाम-गिरी कराना शुरू किया। जब तक इनके पास धन नहीं था तब तक ये कुछ नहीं करते थे, पैसा होते ही और अधिक पैसे की लालसा ने इन्हें ऐसा घेरा कि लूट-मार, उत्पात मचाना इनका काम हो गया।

जो अशिक्षित जातियाँ खेती करती हैं, पशु पालती हैं, उनमें भी युरोपियनों के सपर्क का प्रभाव एकदम उनकी अर्थ-व्यवस्था को बदल डालता है। युरोपियन व्यापारियों को किसी क्षेत्र में से पख चाहिए, किसी क्षेत्र में से खर चाहिए, किसी क्षेत्र में से नारियल चाहिए। युरोपियन लोगों की इन माँगों को पूरा करने के लिए इन अशिक्षित जातियों की भी अर्थ-व्यवस्था उसी के अनुसार बदलती रहती है। इस समय तो स्थिति यह है कि पाश्चात्य-वेशों की सर्व-व्यापी अर्थ-व्यवस्था की छाया इन सब जातियों की अर्थ-व्यवस्था पर हावी हो रही है, और उस अर्थ-व्यवस्था को कायम रखने के लिए ये सब अशिक्षित जातियाँ अपना खून-पसीना बहा रही हैं। पिछली शताब्दी में ये जातियाँ गुलामों के तौर पर और अब मजदूरों के तौर पर पाश्चात्य अर्थ-व्यवस्था को सहारा देने के लिए जो रही हैं, इनकी अपनी अर्थ-व्यवस्थाएँ तो दिनोंदिन क्षीण होती जा रही हैं।

### ६. अशिक्षित आदिवासियों में समुदाय का रूप (Idea of Community among Non-literates)

हम इस अध्याय में अशिक्षित-जातियों की अर्थ-व्यवस्था के 'भौतिक' (Material) आधार पर बहुत-कुछ लिख आये हैं। इनकी अर्थ-व्यवस्था का भौतिक-आधार जगल में फल-मूल एकत्रित करना, शिकार करना, मछलियाँ पकड़ना, फलों के लिए बाग-बगीचे लगाना, दूध के लिए पशु पालना तथा सरल एवं विकसित कृषि करना है। इन भौतिक-पदार्थों से ये लोग जीवन-रक्षा का प्रयत्न करते हैं। जैसा हम पहले कह आये हैं, अर्थ-व्यवस्था का आधार 'सामाजिक' अथवा 'समाजशास्त्रीय' (Sociological) भी है। हम जिस प्रकार के भौतिक-पदार्थों का सग्रह करते हैं, उस सग्रह के लिए एक खास प्रकार के सामाजिक-सगठन को भी बनाते हैं। इस सगठन का नाम ही 'समुदाय' (Community) है। अशिक्षित-जातियों में उनके सगठन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक होता है। किस प्रकार के सगठन से उनकी आर्थिक समस्या ठीक तरह से हल होगी—इस बात को दृष्टि में रख कर उनका 'सगठन', उनका 'समुदाय' बनता है। फल-मूल एकत्रित करने वाली सरल आर्थिक-व्यवस्था का सामाजिक-सगठन, इनका 'समुदाय' एक खास तरह का होता है, इनकी विकसित आर्थिक-व्यवस्था का 'समुदाय' दूसरी तरह का होता है। इसी प्रकार कृषि-प्रधान आर्थिक-सगठन में अन्य सगठनों से भेद होता है। अशिक्षित जातियों के इन सगठनों, इन आर्थिक-समुदायों का क्या रूप होता है—इस सबध में कुछ प्रकाश डाल देना उचित है।

(१) फल-मूल एकत्रित करने वाली सरल आर्थिक-व्यवस्था में 'समुदाय' का रूप—जो लोग बहुत प्रारम्भिक अर्थ-व्यवस्था में होते हैं, जगल से फल-मूल

इकट्ठा करके पेट का निर्वाह करने वाले, उनका 'समुदाय' कैसा होता है ? उनका 'समुदाय' ऐसे व्यक्तियों का एक समूह होता है जो किसी निश्चित भू-भाग में रहते हैं, और बाप-दादाओं से जो उपकरण उनके घरानों में चले आ रहे होते हैं, उनके द्वारा, उस भू-भाग में प्राप्त होने वाले आजीविका के स्रोतों से जीवन-निर्वाह के साधन ढूँढ निकालते हैं। इस 'समुदाय' के सदस्य उत्पादन तथा वितरण में एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं, और इन सब की सामाजिक तथा सांस्कृतिक परंपरा एव भाषा एक होती है, इनकी शासन-पद्धति भी बाप-दादाओं के समय से एक-सी चली आती है। ये 'समुदाय' क्योंकि भोजन की तलाश में जंगलों में फिरा करते हैं, इसलिए 'समुदाय' के भीतर छोटी-छोटी टुकड़ियाँ, मडलियाँ बन जाती हैं, जो फलों की मौसम में अपने समुदाय के भौगोलिक क्षेत्र में चक्कर काटा करती हैं।

(२) फल-मूल एकत्रित करने वाली विकसित आर्थिक-व्यवस्था में 'समुदाय' का रूप—जो लोग जंगल में फल-मूल तो एकत्रित करते फिरते हैं, परन्तु उनकी आर्थिक-व्यवस्था पहली व्यवस्था से अधिक विकसित हो चुकी होती है, उनके 'समुदाय' का रूप कैसा होता है ? इनके 'समुदाय' में छोटे-छोटे गाँव खड़े हो जाते हैं, इन गाँवों में कुछ-एक बड़े गाँव होते हैं, जिनमें हाट-बाजार लगने लगता है। आर्थिक-दृष्टि से ये गाँव आत्म-निर्भर होते हैं, राजनैतिक-दृष्टि से ये लोग अपना शासन स्वयं करते हैं। यद्यपि ये गाँव अपनी आजीविका तथा शासन-व्यवस्था के लिए किसी बाह्य-सूत्र पर निर्भर नहीं करते, सांस्कृतिक-दृष्टि से भी इनमें सब लोग एक-समान सोचते-विचारते और करते-धरते हैं, तो भी इस प्रकार के छोटे-से समूह को 'जन-जाति' (Tribe) या 'कौम' (Nation) का नाम नहीं दिया जा सकता। हाँ, कभी-कभी ये समुदाय बड़ा रूप धारण कर लेते हैं, एक 'समुदाय' की जगह कई 'समुदाय' उठ खड़े होते हैं। आर्थिक-दृष्टि से वे एक-दूसरे की सहायता करते हैं, सैनिक-दृष्टि से वे आपस में गुंथ-से जाते हैं, राजनैतिक-दृष्टि से वे शत्रु का मुकाबिला करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसी हालत में इन बड़े-बड़े समुदायों को 'जन-जाति' (Tribe) या 'कौम' (Nation) का नाम दिया जा सकता है। जहाँ-जहाँ युरोपियन लोगों से चारों तरफ से घिर जाने पर इनमें आत्म-रक्षा की भावना के कारण युरोपियनों से भिड जाने की भावना पैदा हो गई है, वहाँ-वहाँ इन्होंने 'जन-जाति' या 'कौम' का रूप धारण कर लिया है।

(३) कृषि-मवधी सरल आर्थिक-व्यवस्था में 'समुदाय' का रूप—जो लोग कृषि-सवधी सरल जीवन व्यतीत करते हैं, बाण-वस्त्रों के लगाकर उनकी उपज से गुजर करते हैं, उनके 'समुदाय' का रूप कैसा होता है ? इनके 'समुदाय' में भी छोटे-छोटे गाँव होते हैं, ये गाँव आत्म-निर्भर होते हैं, परन्तु कृषि-संबंधी आर्थिक-व्यवस्था के कारण इनमें उपज की 'वचत' (Surplus) होने लगती है। इस 'वचत' के कारण इस प्रकार के समुदायों में वस्तुओं का 'विनिमय' (Barter), उनका 'आदान-प्रदान' होने लगता है। फल-मूल एकत्रित करने वाली सम्पन्न तथा विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में वस्तुओं की इतनी 'वचत' नहीं होती जितनी इस



व्यवस्था में होती है, इसलिए इस व्यवस्था में बाजार बनने लगते हैं, और प्रत्येक गाँव साथ के दूसरे गाँवों के समुदाय के साथ आर्थिक गठ-बंधन में कसा जाने लगता है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न गाँवों के अनेक समुदायों का एक-दूसरे से बँधा हुआ समूह उत्पन्न हो जाता है, जिसकी भूमि, भाषा तथा सस्कृति एक सूत्र में ओत-प्रोत होती है। इस प्रकार के 'समुदाय' को 'जन-जाति' (Tribe) अथवा 'कौम' (Nation) कहते हैं। इस प्रकार के 'समुदाय' का हम ऊपर भी वर्णन कर आये हैं। उस तथा इस—दोनों प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाओं में समुदाय 'जन-जाति' अथवा 'कौम' का रूप धारण कर जाता है। न्यू मैक्सिको की जूनी तथा एकोमा जन-जातियों का 'समुदाय' इसी तरह का है।

(४) कृषि-सवधी विकसित अर्थ-व्यवस्था में 'समुदाय' का रूप—जो लोग कृषि-सबधी विकसित आर्थिक-व्यवस्था में से गुजर रहे होते हैं, उनके 'समुदाय' का रूप कैसा होता है? इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था में एक गाँव ही इतना बड़ा-चढ़ा तथा विकसित हो सकता है कि उसमें रहने वाले आर्थिक-सगठन की दृष्टि से आत्म-निर्भर हों। ऐसा भी हो सकता है कि इस आर्थिक-व्यवस्था में अनेक गाँव मिल कर एक-दूसरे की 'बचत' का आदान-प्रदान करके अपनी आर्थिक-समस्या का समाधान करते हों। यह समाज ऊपर के सरल समाज से अधिक विकसित होता है, सब गाँवों की मिलकर एक भूमि, एक भाषा, एक सस्कृति तथा आर्थिक दृष्टि से वे एक-दूसरे पर निर्भर होते हुए भी इन सब की मिली हुई इकाई आत्म-निर्भर होती है, इन्हें अपने साथ के गाँवों के सिवाय और किसी का मुँह नहीं ताकना पड़ता। यह विस्तृत समुदाय 'जन-जाति' (Tribe) या 'कौम' (Nation) का रूप धारण कर लेता है।

ऊपर हमने अशिक्षित-जातियों के 'समुदायों' के जो भिन्न-भिन्न रूप देखे, उनके आधार में केन्द्रीय बातें ये कही जा सकती हैं—ये 'समुदाय' आर्थिक-दृष्टि से आत्म-निर्भर होते हुए भी आपस में आर्थिक-दृष्टि से एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं, अर्थात् हर-एक परिवार तो आत्म-निर्भर नहीं होता, दूसरे परिवारों के सहयोग पर निर्भर होता है, परन्तु समूह आत्म-निर्भर होता है, उसे अपने 'समुदाय' के अतिरिक्त किसी दूसरे 'समुदाय' पर निर्भर नहीं रहना होता। इस आर्थिक आत्म-निर्भरता के अतिरिक्त इस 'समुदाय' के सदस्यों की अपनी एक ज़मीन, एक भाषा और एक सस्कृति होती है।

हम पुस्तक के प्रारम्भ में दर्शा आये हैं कि मनुष्य के चिह्न हमें 'प्राति-नूतन-युग' (Pleistocene period) से ही मिलने शुरू होते हैं। इस युग में चार बार बर्फ पड़ी तथा पिघली इसलिए इसे 'हिम-युग' (Glacial or Great Ice Age) भी कहा जाता है। इस युग का मनुष्य पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था इसलिए इसे 'पाषाण-युग' (Stone age) भी कहा जाता है। 'पाषाण-युग' के दो भाग किये जाते हैं—'आदि-पाषाण-युग' (Paleolithic age) तथा 'नव-पाषाण-युग' (Neolithic age)। हमने ऊपर जिन चार

‘समुदायों’ का वर्णन किया है, वे ‘नव-पाषाण-युग’ और उसके बाद के ‘समुदायों’ के रूप हैं। इससे पहले ‘आदि-पाषाण-युग’ के मनुष्य के ‘समुदायों’ का क्या रूप था—यह नहीं कहा जा सकता। ‘नव-पाषाण-युग’ के समुदायों के रूप आज भी जीवित अशिक्षित-जातियों में मिलते हैं, अतः उन्हीं के आधार पर इस युग तथा उसके बाद के युग के ‘समुदायों’ का चित्र हमने खींचा है।

### ७ अशिक्षित आदिवासियों में सम्पत्ति का रूप (Idea of Property among Non-literates)

‘सम्पत्ति’ के दो रूप पाये जाते हैं—‘वैयक्तिक-सम्पत्ति’ तथा ‘सामूहिक-सम्पत्ति’। कई लेखकों का कहना है कि अशिक्षित-समुदायों में हर तरह की सम्पत्ति ‘समुदाय’ की होती है, ‘व्यक्ति’ की कोई चीज नहीं होती। कुछ अंश में यह बात ठीक भी है, गलत भी है। इसमें तो सन्देह नहीं कि अशिक्षित समुदायों में साझी अर्थात् ‘सामुदायिक-सम्पत्ति’ होती है, परन्तु यह ठीक नहीं कि उनमें ‘वैयक्तिक-सम्पत्ति’ किसी प्रकार की होती ही नहीं। फल-मूल एकत्र करने वाले सरल ‘समुदायों’ में भी अपना भाला, अपना तीर-कमान तो होता ही है, हाँ, उत्पादन के जो स्रोत हैं, जहाँ से उन्हें आजीविका के पदार्थ मिलते हैं—पेड़, जंगल, नदी, तालाब—ये सब आज तो व्यक्ति की सम्पत्ति बने हुए हैं, परन्तु आदि-काल में ये सब के साझे थे, समुदाय की सम्पत्ति थे। ज्यों-ज्यों मनुष्य विकसित होता गया, जंगल-नदी-तालाब से दूँड कर भोजन लाने के स्थान में पशु रख कर या खेती करके भोजन का उत्पादन करने लगा, त्यों-त्यों ‘सामूहिक-सम्पत्ति’ से ‘वैयक्तिक-सम्पत्ति’ के विचार ने जन्म लिया। जो स्थान उत्पादन के केन्द्र थे, उत्पादन के स्रोत थे, उन पर समुदाय की जगह समर्थ व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया। क्योंकि यह प्रक्रिया ‘नव-पाषाण-युग’ में प्रारंभ हुई, ‘पूर्व-पाषाण-युग’ में ऐसा नहीं था, इसलिए यह कहना असंगत न होगा कि सम्पत्ति पर ‘सामुदायिक-स्वामित्व’ ‘पूर्व-पाषाण-युग’ में था, सम्पत्ति पर ‘वैयक्तिक-स्वामित्व’ का प्रारंभ ‘नव-पाषाण-युग’ में हुआ। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि यद्यपि छोटी-मोटी निजी वस्तुओं पर तो विकास की प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति का स्वामित्व था, परन्तु उत्पादन के केन्द्रों और उत्पादन के स्रोतों पर उस समय समुदाय का स्वामित्व था, सम्पत्ति पर व्यक्ति का अधिकार पीछे का विचार है, शुरू का नहीं।

(१) फल-मूल एकत्रित करने वाले सरल आर्थिक-समुदायों में सम्पत्ति

का रूप—जो लोग बहुत प्रारंभिक अर्थ-व्यवस्था में होते हैं, जंगल से फल-मूल इकट्ठा करके पेट का निवाह करने वाले समुदाय, उनमें ‘सम्पत्ति’ का क्या रूप होता है? इनके पास अपनी ‘बचत’ (Surplus) तो कुछ होती नहीं। व्यक्तियों के पहनने की वस्तुएँ, उपकरण आदि तो अपने निजी होते हैं, परन्तु उत्पादक-केन्द्र किसी व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं होते। ऐसे जंगल जहाँ शिकार मिलता है, ऐसे क्षेत्र जहाँ जंगली फल-मूल प्राप्त होते हैं, ऐसे तालाब-नदी-नाले जहाँ मछलियाँ पकड़ी जा सकती हैं—ये सब उत्पादक-केन्द्र हैं, और समुदाय की साझी सम्पत्ति

हैं। एस्कमो जाति के लोग 'सील'-नामक जानवर का भाले से शिकार करते हैं। इस जानवर के रोयें काम में आते हैं। इसके शिकार से 'एस्कमो' की आजीविका चलती है। ये 'सील' जिन-जिन क्षेत्रों में पाये जाते हैं, उन्हें भिन्न-भिन्न पारिवारिक समूहों में बाँट दिया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में एस्कमो लोग हरिणों का शिकार करते हैं। सर्दों तथा गर्मी में एस्कमो परिवार कहीं भी रह सकते हैं, परन्तु जिन दिनों मे 'सील' या 'हरिण' का शिकार मिलता है, उन दिनों में भिन्न-भिन्न परिवार अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर शिकार करते हैं। ये क्षेत्र परिवारों के समुदायों की तो निजी सम्पत्ति हैं, एक समुदाय दूसरे समुदाय के क्षेत्र में नहीं जा सकता, परन्तु परिवारों के समुदायों में इनके विषय में कोई भेद-भाव नहीं होता। सीलों के वेड्डा लोगों में शिकारगाहों को भिन्न-भिन्न परिवारों में बाँट दिया जाता है। यह बाँट भी समुदाय की तरफ से होती है। इस बाँट को देख कर कई लोग कहने लगते हैं कि यह तो परिवार की वैयक्तिक-सम्पत्ति हो गई, परन्तु ऐसी बात नहीं है। यह बाँट समुदाय की तरफ से हटायी भी जा सकती है। समुदाय का अधिकार है कि जब चाहे उस परिवार से इस क्षेत्र को लेकर किसी और को दे दे, या इसी परिवार को फिर से दे दे। कभी-कभी २०-३० वर्ष बीतने पर भी वेड्डा लोग एक परिवार से उसे दी हुई शिकारगाह वापस नहीं लेते, परन्तु जब तक समुदाय को इस शिकारगाह को वापस लेकर किसी दूसरे परिवार को देने का अधिकार है, तब तक यह मानना पड़ेगा कि इन लोगों में 'सामूहिक-स्वामित्व' की भावना ही विद्यमान है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में कहीं-कहीं किन्हीं परिवारों को शिकारगाह दे दी जाती है। यह भी 'वैयक्तिक-स्वामित्व' का उदाहरण नहीं है। इन परिवारों को जो शिकारगाह दी जाती है, उसका अभिप्राय यही होता है कि वे लोग 'समुदाय' के लिए शिकार करें और समुदाय की आर्थिक-आवश्यकता को पूरा करें।

(२) फल-मूल एकत्रित करने वाले विकसित आर्थिक-समुदायों में सम्पत्ति का रूप—जो लोग जंगल में फल-मूल तो एकत्रित करते फिरते हैं, परन्तु उनकी आर्थिक-व्यवस्था पहली आर्थिक-व्यवस्था से अधिक विकसित हो चुकी होती है, उनमें 'सम्पत्ति' का क्या रूप होता है? 'सम्पत्ति' कैसे पैदा होती है? 'सम्पत्ति' पैदा होती है 'वचत' से। जब तक समाज कमाने-खाने तक सीमित रहता है तब तक 'वचत' भी नहीं होती, 'वचत' नहीं होती तो 'सम्पत्ति' भी नहीं बनती। ज्यों-ज्यों 'वचत' होने लगती है, त्यों-त्यों 'सम्पत्ति' भी बनने लगती है। फल-मूल एकत्र करने वाले विकसित आर्थिक-समुदाय में व्यक्ति की कुछ-कुछ 'वचत' होने लगती है, इसलिए 'वैयक्तिक-सम्पत्ति' का भी प्रारंभिक रूप इस समुदाय में बीखने लगता है। इस अर्थ-व्यवस्था में वश-परपरा द्वारा पुरुष-मुखिया तथा स्त्री-मुखिया का पद उत्पन्न हो जाता है। इन मुखियाओं का उन स्थानों पर स्वामित्व माना जाता है, जहाँ से खाने के पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इनके पास गुलाम होते हैं, जो इनकी चाकरी करते हैं, इनके पास जंगल और तालाब होते हैं जहाँ फल-मूल-कन्द और मछलियाँ पायी जाती हैं। गुलाम लोग अपना खून-पसोना बहा कर इनकी

निजी-सम्पत्ति को पैदा करते हैं। ओरेगोन तथा वाशिंगटन के अनेक प्रदेशों में अशिक्षित-जातियों की सबसे बढ़िया निजी-सम्पत्ति गुलाम माने जाते थे जिनसे ये लोग मनचाहा काम लेते थे। यह समझना शक्य है कि गोरी जातियों ने ही गुलाम रखने शुरू किये। ये जातियाँ आपस में भी एक-दूसरे को गुलाम की तरह रखती थीं। क्वाकीउडल, हैडा, त्सिमशियन तथा टिलगिट जातियों की अर्थ-व्यवस्था में उक्त प्रकार की निजी-सम्पत्ति के अनेक उदाहरण मिलते हैं।

(३) कृषि-सबधी सरल आर्थिक समुदायों में सम्पत्ति का रूप—जो लोग कृषि-सबधी सरल जीवन व्यतीत करते हैं, बाग-बगीचे लगाकर उनकी उपज से गुजर करते हैं, उनमें 'सम्पत्ति' का क्या रूप होता है? इन लोगों की 'वचत' का मुख्य साधन खेत होते हैं। ये खेत 'व्यक्ति' की सम्पत्ति न होकर 'समुदाय' की सम्पत्ति होते हैं, और इसलिए इनमें 'सामूहिक-सम्पत्ति' का विचार ही प्रधान होता है। इन खेतों को 'समुदाय' की तरफ से भिन्न-भिन्न परिवारों को अपना भरण-पोषण करने के लिए बाँट दिया गया होता है, इससे कई लोग कहने लगते हैं कि इस प्रकार के समुदायों में 'वैयक्तिक-सम्पत्ति' का विचार जन्म ले चुका होता है, परन्तु ऐसी बात नहीं है। 'समुदाय' को इस व्यवस्था में यह अधिकार होता है कि वह इन खेतों को जिनको वे दिये गये हैं, उनसे लेकर किसी दूसरे को दे दे। इस दृष्टि से यही कहना सगत प्रतीत होता है कि इस प्रकार के कृषि-सबधी सरल समुदायों में सम्पत्ति पर अधिकार व्यक्ति का न होकर समुदाय का होता है। इस व्यवस्था में भी लोग शिकार खेलते और मछली पकड़ते हैं। शिकार के स्थल तथा मछली पकड़ने के नदी-तालाब तो स्पष्ट रूप से इस व्यवस्था में 'समुदाय' की सम्पत्ति माने जाते हैं। हम यह पहले ही कह आये हैं कि फल-मूल एकत्रित करने तथा कृषि-सबधी व्यवस्था में विकास की कोई क्रमिक-शृंखला नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले फल-मूल एकत्रित करने की सरल व्यवस्था समाज में उत्पन्न होगी, फिर विकसित व्यवस्था होगी, उसके बाद कृषि-सबधी सरल व्यवस्था और उसके बाद कृषि-सबधी विकसित व्यवस्था होगी। ये चार प्रकार की व्यवस्थाएँ समाज में पायी जाती हैं—इससे अधिक मानव-शास्त्री कुछ नहीं कहते। इसीलिए तो फल-मूल एकत्रित करने वाली विकसित व्यवस्था में तो 'निजी-सम्पत्ति' का विचार पाया जाता है, परन्तु कृषि-सबधी सरल व्यवस्था में 'निजी-सम्पत्ति' की जगह 'सामुदायिक-सम्पत्ति' का विचार मिलता है।

(४) कृषि-सबधी विकसित आर्थिक-समुदायों में सम्पत्ति का रूप—जो लोग कृषि-सबधी विकसित आर्थिक-व्यवस्था में से गुजर रहे होते हैं, उनमें 'सम्पत्ति' का क्या रूप होता है? इस प्रकार के समुदाय के लोग या पशु-पालन करते हैं, या खेती करते हैं। उत्पादन के जिन साधनों का ये प्रयोग करते हैं, उनसे इनकी पैदावार ज्यादा होती है, इसलिए 'वचत' भी ज्यादा होती है। ज्यादा 'वचत' को देख कर समर्थ और चालाक लोग ज्यादा वचत के इन उत्पादक-केन्द्रों पर स्वत्व जमा लेते हैं, और इस सामुदायिक-व्यवस्था में सम्पत्ति का अधिकांश

भाग इने-गिने व्यक्तियों के हाथ में आ जाता है। इनके पास गुलाम होते हैं, खेती की ज़मीनें होती हैं, बूध देने वाले जानवर होते हैं, मछली पकड़ने की ताल-तलइय्यां होती हैं। इस व्यवस्था में 'सामुदायिक-स्वामित्व' का स्थान 'व्यक्तिक-स्वामित्व' का विचार ले लेता है।

## ८. अशिक्षित आदिवासियों में श्रम-विभाग का रूप

### (Division of labour among Non-literates)

किसी भी अर्थ-व्यवस्था का श्रम-विभाग एक आवश्यक अंग है। 'श्रम' उत्पादन का साधन है। हर-एक व्यक्ति हर तरह का श्रम नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति कुछ करता है, कोई कुछ। श्रम-विभाग के दो रूप दिखाई देते हैं—एक तो स्त्री-पुरुष के रूप में श्रम-विभाग, जिसे 'लिंग-भेद पर आश्रित श्रम-विभाग' (Sexual Division of Labour) कहा जा सकता है, दूसरा 'विशेषीकरण पर आश्रित श्रम-विभाग' (Specialization of Labour) कहा जा सकता है। ये दोनों प्रकार के श्रम-विभाग आदिवासियों में पाये जाते हैं।

(१) लिंग-भेद पर आश्रित श्रम-विभाग—प्रत्येक समाज में कुछ काम पुरुषों के और कुछ स्त्रियों के सुपुर्द होते हैं। निम्न-स्तर के आदिवासियों में शिकार का पीछा करना, मछली पकड़ना आदि काम पुरुषों के और जंगल से फल-मूल बटोरना, लकड़ी लाना, पानी ढोना, रसोई करना, बच्चों की देख-भाल तथा इसी तरह के छोट-छोटे काम स्त्रियों के सुपुर्द किये जाते हैं।

पुरुषों तथा स्त्रियों में काम का विभाजन आदि-समाज में किस आधार पर किया जाता है—इस सबध में भिन्न-भिन्न कल्पनाएँ हैं।

पहली कल्पना यह है कि क्योंकि पुरुष स्त्री से ज्यादा ताकत वाला होता है, इसलिए शिकार आदि ताकत वाले काम पुरुषों को दिये जाते हैं, जिन कामों में ताकत की कम ज़रूरत पड़ती है, वे स्त्रियों को दिये जाते हैं। परन्तु यह बात ठीक नहीं क्योंकि यह तो ठीक है कि पुरुष स्त्री से ज्यादा ताकतवर है, किन्तु शिकार आदि कामों में ताकत की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, जितनी अनुभव और चतुराई की ज़रूरत पड़ती है। अगर स्त्रियों को भी शिकार करने का अनुभव हो जाय, और शिकार पकड़ने की कला का उन्हें ज्ञान करा दिया जाय, तो यह असभव नहीं कि वे भी पुरुषों की तरह शिकार में अपनी चातुरी दिखला सकें।

दूसरी कल्पना यह है कि स्त्रियों को मासिक-धर्म होता है—यह आदि-जातियों के लिए एक विचित्र-सी घटना थी, इसे वे जादू की बात समझते थे, उनका ख्याल था कि स्त्री में जादू द्वारा दूसरों को नुकसान पहुँचाने की आन्तरिक-शक्ति होती है, इसलिए समुदाय को लाभ पहुँचाने वाले हर काम से वे स्त्री को अलग रखने का प्रयत्न करते थे और इसीलिए उन्होंने पुरुषों के अलग और स्त्रियों के अलग काम निर्धारित कर दिये थे। यह कल्पना भी कुछ ठीक नहीं जँचती। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि आदि-

वासियो का लिंग-भेद पर आश्रित पुरुष तथा स्त्री का अलग-अलग कार्य-क्षेत्र स्त्री की नुकसान पहुँचाने वाली जादू की काल्पनिक शक्ति के कारण था।

तीसरी कल्पना यह है कि क्योंकि 'नव-पाषाण-युग' के समय से कृषि तथा पशु-पालन की आर्थिक-व्यवस्थाओं में पुरुष खेती करते और पशु पालते चले आ रहे थे इसलिए आगे की विकसित व्यवस्थाओं में भी पुरुषों तथा स्त्रियों का कार्य-क्षेत्र अलग-अलग ही चलता चला गया, उत्पादन के बड़े-बड़े कार्य पुरुष के तथा छोटे-मोटे कार्य स्त्री के जिम्मे रहे। यह कल्पना भी ठीक नहीं जँचती क्योंकि जब काम ही छोटे-से थे, केवल जंगल में जाकर फल-मूल चुग लाना ही एक काम था, तब भी तो स्त्री-पुरुष के रूप में श्रम-विभाग था। तब ऐसा क्यों था, तब तो सभी काम मामूली-से थे, बड़े-बड़े कामों की तो तब अभी जरूरत ही नहीं हुई थी।

इस सख्त में एक चौथी कल्पना है जो अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। जो आदि-समाज जितने निम्न-स्तर का होगा, उसमें एक भावना सब से प्रबल बनी रहेगी। वह भावना यह होगी कि जब सबके भरण-पोषण का भार 'समुदाय' पर है, तब हर व्यक्ति को 'समुदाय' के लिए कुछ-न-कुछ उत्पादक-श्रम अवश्य करना चाहिए। स्त्रियाँ सन्तान उत्पन्न करती हैं, इसलिए उनके लिए तो प्रकृति द्वारा उनका श्रम निश्चित कर दिया गया। अगर वे सन्तान उत्पन्न न करें, तो खुदापे में पुरुष तथा स्त्री को खाना लाकर देने वाले कहीं से आयें। स्त्री का सन्तान उत्पन्न करना एक तरह से उत्पादन के एक ऐसे पहलू को छू देना है, जिससे 'सामाजिक-अर्थ-व्यवस्था' के समाज में उससे यह कोई नहीं पूछ सकता कि तुम कौन-सा श्रम करती हो? वह तो ऐसा उत्पादक-श्रम करती है जिसे कोई पुरुष कर ही नहीं सकता। आदिवासियों में प्रथा के तौर पर यह भी माना जाता है कि स्त्री को बच्चे को अपने साथ लेकर ही कहीं जाना चाहिए, नहीं तो बच्चा असुरक्षित हो जाता है। जब स्त्री के लिए बच्चे को साथ रखना जरूरी है, साथ ही वह सन्तान उत्पन्न करके उत्पादक-श्रम करने की अपने समाज की माँग को पूरा कर देती है, तब अगर उससे शिकार आदि का सख्त काम नहीं लिया जाता, तो कोई आश्चर्य नहीं। पुरुष के ऊपर कोई भारी जिम्मेदारी नहीं, उसके लिए बच्चे को साथ रखना भी जरूरी नहीं, वह स्त्री की अपेक्षा चलने-फिरने में अधिक स्वतंत्र है, इसलिए भोजन जमा करने के काम आदि-समाज में स्त्रियों के सुपुर्द न होकर पुरुषों के सुपुर्द होते हैं।

(२) विशेषीकरण पर आश्रित श्रम-विभाग—स्त्री तथा पुरुष के लिंग-भेद पर आश्रित श्रम-विभाग तो आदि-काल से चला आया है, परन्तु इसके अलावा एक-दूसरे प्रकार का श्रम-विभाग है जो अपने-अपने घघे में विशेष योग्यता प्राप्त कर लेने के कारण पैदा होता है। इस प्रकार का श्रम-विभाग उन चारों प्रकार की आर्थिक-व्यवस्थाओं में पाया जाता है जिनका वर्णन हम इस अध्याय में करते आये हैं। इन चारों प्रकार की आर्थिक-व्यवस्थाओं में श्रम-विभाग किस प्रकार काम करता है, इसका संक्षिप्त परिचय हम नीचे दे रहे हैं।

(1) फल-मूल एकत्रित करने वाली सरल आर्थिक-व्यवस्था में श्रम-विभाग—इस व्यवस्था में किसी व्यक्ति के किसी विशेष श्रम में निपुणता प्राप्त करने का मौका ही नहीं पैदा होता। ज्यों ही बालक युवा होता है, एकदम उसे अपने समुदाय के उत्पादन के मुख्य-स्रोत से भोजन निकालने में जुट जाना पड़ता है। इन लोगों के पास फुसंत ही कहाँ होती है कि बैठ कर किसी विशेष उद्योग-घड़े में निपुणता हासिल करें। किसी घड़े में विशेष योग्यता हासिल करना तो इन लोगों के लिए फालतू बात के बराबर है, यह एक प्रकार का विलास है, जो इस आर्थिक-व्यवस्था में संभव नहीं है। हाँ, लगड़े, लूले, बूटे बंठे-बंठे किसी काम में योग्यता प्राप्त करने की सोच सकते हैं, क्योंकि उन्हें जगल में फल-मूल इकट्ठा करने के लिए नहीं जाना होता। 'विशेषीकरण' की प्रक्रिया द्वारा श्रम-विभाग का सिद्धान्त फल-मूल एकत्र करने वाली सरल आर्थिक-व्यवस्था में नहीं पाया जाता। इसका विकास आगे की अर्थ-व्यवस्थाओं में होता है।

(11) फल-मूल एकत्रित करने वाली विकसित आर्थिक-व्यवस्था में श्रम-विभाग—इस विकसित व्यवस्था में कुछ लोग समृद्ध हो जाते हैं, वे गुलामों से काम लेने लगते हैं, वे उन स्थानों के मालिक बन जाते हैं जो भोग्य-पदार्थों के स्रोत होते हैं, जगल, नदी, तालाब के उत्पादक-स्थल उनकी सम्पत्ति होते हैं। ऐसे अर्थ-व्यवस्था में इन समृद्ध तथा सम्पन्न लोगों के नाते-रिश्तेदार या काम-काजी लोग भिन्न-भिन्न कामों में विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए समय निकाल सकते हैं, उन्हें जीवन-संग्राम में हर समय लगा जो नहीं रहना पड़ता। ये लोग नौकाएँ बनाते हैं, मालिक के लिए लडाइयाँ लड़ते हैं, जगल से फल-मूल बटोर लाने के स्थान में किसी अन्य काम में विशेष योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, भोजन तो इन्हें बिना विशेष प्रयत्न के मिल जाता है। इस प्रकार के लोगों का पुरुष-समुदाय तो ये सब काम करता है, इनकी स्त्रियाँ फुसंत के कारण टोकरियाँ बनाना, कपडा बनाना तथा इसी प्रकार के काम-घड़े में अपना समय बिताती हैं। इस अर्थ-व्यवस्था में पुरुष तथा स्त्री के तौर पर श्रम-विभाग नहीं होता, अपितु काम-घड़े के आधार पर, किसी काम में विशेष योग्यता प्राप्त करने अर्थात् 'विशेषीकरण' के आधार पर श्रम-विभाग होता है। यह ध्यान रखने की बात है कि आदिवासियों की अर्थ-व्यवस्था में श्रम-विभाग का सिद्धान्त तभी काम करने लगता है जब उत्पादक-पदार्थों की उनके यहाँ 'वचत' (Surplus) होने लगती है। जब तक 'वचत' नहीं होती, तब तक तो समुदाय के सब लोग—स्त्री-पुरुष-बाल-वृद्ध, निपुण-अनिपुण—आजीविका प्राप्त करने के मुख्य साधनों में ही लगे रहते हैं। जब इन्हें 'वचत' होने लगती है, तब ये बचे सामान को दूसरे समुदायों के साथ अदल-बदल लेते हैं।

(111) कृषि-संबंधी सरल आर्थिक-व्यवस्था में श्रम-विभाग—इस आर्थिक-व्यवस्था में 'वचत' (Surplus) का रूप बढ़ने लगा, 'वचत' के कारण व्यापार

भी शुरू हुआ, किसी प्रकार की मुद्रा भी बनी और इन सब के साथ-साथ अन्य आर्थिक बातें पैदा होने लगीं। जहाँ बचत होगी, वहाँ व्यापार होगा, जहाँ व्यापार होगा वहाँ श्रम-विभाग भी शुरू हो जायगा। ओशियाना के लोगों की कृषि-व्यवस्था में जब वहाँ के लोग एक जगह घर बनाकर रहने लगे, उन्हें पास ही मछलियों का असीम भंडार मिलने लगा, तो काफी लोग अपनी अतिरिक्त-शक्ति को कारीगरी में विशेष योग्यता सम्पादन करने के लिए लगाने लगे, उनमें से कई लोग पत्थर की मूर्तियों को गढ़ कर मूर्ति-निर्माण कला के पंडित हो गये। इस अर्थ-व्यवस्था में वर्तन बनाने की कला में कई लोग निष्णात हो गये और स्त्रियाँ अन्य धर्मों से स्वतंत्र होकर कातने तथा बनने में कुशल होने लगीं।

(iv) कृषि-सवधी विकसित आर्थिक-व्यवस्था में श्रम-विभाग—जब गुलामो से खेती कराने के कारण उन्हें सिर्फ खाना-कपडा देकर खेती मुफ्त में कराई जाने लगी, खेती के सुघड उपकरणों द्वारा खेती होने लगी, तब 'विशेषीकरण' की प्रक्रिया ने और अधिक जोर पकडा। 'विशेषीकरण' का अर्थ ही है 'श्रम-विभाग'। जब 'विशेषीकरण' होगा तब श्रम का इस प्रकार का बँटवारा स्वयं हो जायगा जिससे जो लोग किसी कला में दक्ष हैं वे उसी काम को करें, किसी दूसरे को न करें। इस व्यवस्था में 'विशेषीकरण' की प्रक्रिया मुफ्त काम करने वाले दासों तथा नये आविष्कृत हुए उपकरणों के कारण बढ़ने लगी। दास खेती करते थे, नवीन उपकरणों से उपज अधिक होती थी, बाकी लोग दूसरे काम-धर्मों में लग कर उनमें विशेष योग्यता प्राप्त करते थे। ये लोग अपने मालिकों के लिए सब तरह का माल बनाते थे, मालिक लोग हाट-बाजार में ले जाकर उसे बेचते थे। यूरोप तथा अमरीका में ऐसे गाँव उठ खड़े हुए जो कोई खास वस्तु ही बनाते थे, उनका श्रम उसी वस्तु के निर्माण में ही लगता था, जो-कुछ बनाते थे अपने काम में ले आते थे, और जो 'बचत' (Surplus) होती थी, उसे अन्य समुदायों को देकर उनकी 'बचत' से अपनी 'बचत' का 'विनिमय' कर लेते थे। जो लोग वर्तन बनाते थे, वे फल पैदा करने वालों के साथ वर्तन देकर फल का विनिमय कर लेते थे। छोटे-छोटे गाँव एक कला में ही दक्षता प्राप्त करते थे, बड़े-बड़े गाँव ४-५ कलाओं को अपना लेते थे। इन गाँवों में जो लोग एक धधा करते थे, वह वंश-परंपरा द्वारा चलता चला जाता था और इस प्रकार भिन्न-भिन्न धर्मों और पेशों के कारण जातियाँ बन जाती थीं। 'जातियाँ' क्या हैं? आर्थिक-दृष्टि से 'विशेषीकरण' की प्रक्रिया जब वंश-परंपरा का रूप धारण कर लेती है, तब उसी को हम 'जाति-प्रथा' कह देते हैं। 'श्रम-विभाग' अथवा 'विशेषीकरण' का स्पष्ट रूप से प्रारंभ तब से हुआ समझना चाहिए जब से मानव-समाज ने पशु-पालन तथा कृषि को अपनाया। ये दोनों आर्थिक-व्यवस्थाएँ 'नव-पाषाण-युग' (Neolithic period) से प्रारंभ हुईं, इसलिए 'नव-पाषाण-युग' को ही 'श्रम-विभाग' अथवा 'विशेषीकरण' का जनक कहा जा सकता है।



## ९ अशिक्षित आदिवासियों में मुद्रा अथवा धन का रूप (Conception of Money among Non-literates)

‘धन’ किसे कहते हैं? आदिवासियों में ‘धन’ का क्या रूप है? हम समझते हैं कि जिस सिक्के या नोट आदि का हम लोग व्यवहार करते हैं, वह ‘धन’ है। यह बात नहीं है। ‘धन’ उस वस्तु को कहते हैं जो सिक्के, नोट या किसी भी ऐसे रूप में हो जिसके विनिमय में हम उसके बराबर दूसरी कोई भी चीज ले सकें। सामाजिक-व्यवहार के माध्यम इस धन में इतनी विनिमयशीलता होनी चाहिए कि क्षट-से इसे हम दूसरी वस्तु में बदल सकें, इसके आसानी से हिस्से कर सकें, इसे आसानी से ला-ले जा सकें, इसे जल्दी नष्ट होने से बचा सकें। जरूरी नहीं कि ऐसी वस्तु सिक्का या नोट ही हो, इन लक्षणों को पूरा करने वाली दूसरी कोई भी वस्तु इस प्रकार के माध्यम का काम कर सकती है, और उसे हम ‘धन’ कह सकते हैं। उत्तरी प्रशान्त महासागर के तटवर्ती प्रदेशों में समुद्री घोंघों के खोल या मनकों का ‘मुद्रा’ या ‘धन’ के रूप में उसी तरह व्यवहार होता था जैसे हम लोग रुपए-पैसे या नोट का व्यवहार करते हैं। इन घोंघों को बड़ी मेहनत से समुद्र-तटों से इकट्ठा किया जाता था। गुलाम खरीदने या अन्य किसी वस्तु को मोल लेने के लिए इनका उपयोग होता था। अपने देश में ३०-४० वर्ष पहले कौड़ियों का प्रयोग धन के रूप में होता था।

हम यहाँ ‘वस्तु-विनिमय’ (Barter) की बात नहीं कर रहे, ‘मुद्रा’ (Coin) की बात कर रहे हैं। ‘वस्तु-विनिमय’ तो तभी से शुरू हो गया था जब से समाज में ‘वचत’ (Surplus) होने लगी थी। धन का विचार तो उस समय भी था जब वस्तुओं का वस्तुओं से आदान-प्रदान होता था, ‘विनिमय’ होता था, परन्तु आदान-प्रदान के बाद धन का दूसरा रूप तब प्रकट हुआ जब ‘मुद्रा’ का प्रयोग होने लगा। ‘मुद्रा’ के प्रयोग में घोंघे, कौड़ी, बहु-मूल्य दांत—इन सभी का इस्तेमाल होता रहा है। जिस अर्थ-व्यवस्था में ‘वचत’ (Surplus) थी ही नहीं, उसमें तो न ‘विनिमय’ हो सकता था, न ‘मुद्रा’ का प्रयोग हो सकता था। ‘विनिमय’ तथा ‘मुद्रा’—दोनों ‘वचत’ के युग की उपज हैं। इनमें से पहले ‘विनिमय’ और बाद को जब ‘वचत’ ज्यादा होने लगी, कृषि के विकसित होने से जब ज्यादा वस्तुओं का अदल-बदल होने लगा, तब ‘मुद्रा’ का आविष्कार हुआ। नोट-टुकड़ी आदि तो आजकल की अत्यन्त विकसित औद्योगिक-युग की उपज हैं।

## १० आदिवासियों में धन का मूल्य

### (Value of Money among Non-literates)

जैसा हमने कहा, धन वस्तुओं के आदान-प्रदान का, उनके विनिमय का माध्यम है। यह माध्यम किसी-न-किसी रूप में आदिवासी-काल में भी था, आदिवासियों की अशिक्षित जातियों में आज भी मौजूद है, शिक्षित जातियों में भी है। परन्तु ‘धन’ का मूल्य क्या है—इस सबध में आदिवासियों और आज के मानव में जमीन-आस्मान का भेद है।

(१) 'धन का मूल्य'—इसका अर्थ—'धन' के मूल्य से हमारा अभिप्राय क्या है? जैसा हम बार-बार कह आये हैं, 'धन' केवल हमारी 'वचत' का ही दूसरा नाम है। आज जिस चीज की हमें जरूरत है, उसकी कल भी जरूरत पड़ेगी। आज अगर हमारे पास वह चीज जरूरत से ज्यादा है, तो हम उसे वचा कर क्यों न रखें, जब जरूरत पड़ेगी तब उसका इस्तेमाल कर लेंगे। इस वस्तु को इसी रूप में जब तक रखा जा सकता है, ठीक है, परन्तु जब यह वस्तु इसी रूप में न रखी जा सके, तब इसे किसी ऐसे रूप में रखने का उपाय ढूँढना चाहिए ताकि जब हम चाहें इसे फिर इसी रूप में या जिस किसी चीज की हमें जरूरत हो, उस रूप में, आसानी से बदल सकें। इसी समस्या को हल करते-करते 'धन' उत्पन्न हुआ, 'मुद्रा' का आविष्कार हुआ। फल-मूल, अनाज कब तक पड़े रह सकते हैं? ये हमारी 'वचत' हैं, इसलिए 'धन' हैं, परन्तु इन्हें देर तक नहीं रखा जा सकता। देर तक रखने में ये सड़ जाते हैं, फिर काम के नहीं रहते, तब न इस 'वचत' को काम में लाया जा सकता है, न इससे आदान-प्रदान हो सकता है। इस 'वचत' को किसी देरपा, स्थिर, जो वस्तु जल्दी गल-सड़ जाने वाली न हो, उसके रूप में बदला गया। कौड़ी, घोघा, रुपया, पैसे—इनमें बदला गया। उनसे जब तक आदान-प्रदान हो सकता है, तब तक घोंघे का खोल, कौड़ी, मनके, रुपए, पैसे, नोट—सभी धन हैं, परन्तु आज कौड़ी का मूल्य नहीं, उससे आदान-प्रदान नहीं हो सकता, पहले कभी हो सकता था। जब इससे आदान-प्रदान हो सकता था तब यह धन था, आज इससे आदान-प्रदान नहीं हो सकता, आज यह धन नहीं रहा। ह्जार का नोट कभी बैंक में ले जाने से उसके सौ-सौ के दस नोट मिल जाते थे, आज उसी नोट को कोई रद्दी के भाव भी लेने को तय्यार नहीं। धन रुपए-पैसे का नाम नहीं, 'धन' में मूल्य तब उत्पन्न होता है जब वह आदान-प्रदान के माध्यम का काम कर सके, जब वह माध्यम का काम करना छोड़ देता है, तब धन का मूल्य नहीं रहता, सोना भी मट्टी हो जाता है।

(२) धन के उपयोग—धन के दो उपयोग हैं। एक तो इससे 'वर्तमान' में रोटी-कपडा मिलता है, हमारी आज की आवश्यकताएँ पूर्ण होती हैं, दूसरा इससे हमारा 'भविष्यत्' का रोटी-कपडा सुरक्षित हो जाता है, भविष्यत् की आवश्यकताएँ पूर्ण होती हैं। हम आज की जरूरतों को ही पूरा नहीं करना चाहते, कल-परसों की और उस समय की जब हम काम करने के लिए असमर्थ हो जायेंगे, तब की जरूरतों के लिए भी प्रबन्ध कर लेना चाहते हैं। यही कारण है कि हम धन पैदा करके उसे जोड़ रखना भी चाहते हैं। 'वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ण करना' तथा 'भविष्य के लिए सुरक्षा का प्रबन्ध करना'—इन दो कारणों से मनुष्य धन को पैदा करता और जोड़ कर रखता है। धन जोड़ लेने के बाद वह निश्चिन्तता अनुभव करता है, वह यह महसूस करता है कि अब वह किसी भी विपत्ति का सामना कर सकता है, जब विपत्ति आयेंगी तब वह धन के प्रयोग से खाना-कपडा चाहेगा तो धन को उसमें तब्दील कर सकेगा, और-कुछ चाहेगा तो उसमें

तिलकन में से गुजर कर अपने सगे-सबधियों के खेत बोन के लिए अपना घर छोड़ कर चल देते हैं ? असल में, धन का मूल्य जो हमने मान रखा है, वह सब-किसी का नहीं है। कोई किसी वस्तु को पाकर अपने सामर्थ्य को देख कर सन्तुष्ट हो जाते हैं और फिर उस वस्तु को नष्ट कर देने में कोई असगत बात नहीं देखते, कोई धन की अपेक्षा स्त्री को ज्यादा मूल्यवान् समझते हैं, कोई रिश्तेदारी के सबधों को धन से ऊपर का स्थान देते हैं। सामोहन जन-जाति के लोग प्रकृति का आनन्द लूटते हैं, मौज-बहार से जीवन व्यतीत करते हैं, परन्तु जोड़ रखने की और सम्पत्ति बनाने की उनकी आदत नहीं। जब सम्पत्ति को कोई जोड़ता नहीं, तब हर-एक को अपने लायक तो मिल ही जाता है। सामोहन जन-जाति में थोड़े-से प्रयत्न से हर युवक इतना कमा लेता है जिसमें वह सगे-सबधी-मित्रों की दावतें कर सके और अपना शादी-ब्याह कर सके। उनके समाज में सम्पत्ति जोड़ने का भाव ही नहीं है। हमारे समाज में तो धन-सम्पत्ति के साथ ताकत भी जुड़ी हुई है। जो धनवान् है, वह शक्तिशाली भी है, क्योंकि इस युग में धन ही शक्ति है। परन्तु जूनी जन-जाति में 'धन' तथा 'शक्ति' को एक-दूसरे से अलग कर दिया गया है। जूनी लोगो में धन कमाया जाता है, परन्तु इसलिए कमाया जाता है क्योंकि इससे भौतिक सुख खरीदे जा सकते हैं। इन लोगो में धन से दूसरो पर प्रभुत्व नहीं प्राप्त होता। दूसरों पर 'प्रभुत्व' का अर्थ जूनी लोगो में उस आध्यात्मिक शक्ति से है जिसके प्राप्त कर लेने से मनुष्य में दूसरों को नष्ट करने की शक्ति पैदा हो जाती है। इस प्रकार की शक्ति से वह व्यक्ति भी डरता है जिसे ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जिसे दूसरों को नष्ट करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, उससे उसके सगे-सबधी भी दूर रहना चाहते हैं। जैसे हमारे समाज में सब शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे जूनी-समाज में सब शक्ति से दूर रहना चाहते हैं। आदिवासियों में धन का उद्देश्य भौतिक-पदार्थों का संग्रह करना नहीं है, ज़र-जमीन को जमा कर लेना नहीं है, बहुत-सा रुपया जोड़ लेना नहीं है। वे लोग धन को किसी विशेष उद्देश्य से जोड़ते हैं, प्रतिष्ठा पाने के लिए, दूसरों की आँखों में उठने के लिए, और जब उन्हें दूसरों की नज़रों में प्रतिष्ठा मिल जाती है, तब वे धन को लात मार कर परे फेंक देते हैं। ब्रिटिश कोलम्बिया में क्वाकिउटल नाम की एक जन-जाति है। इसमें सम्पत्ति-त्याग नाम की एक प्रथा है जिसे वे लोग 'पौटलैच' कहते हैं। 'पौटलैच'-शब्द का इनकी भाषा में अर्थ है—'दे देना'। 'पौटलैच' एक प्रकार का सस्कार है, जिसमें अपने प्रतिद्वन्द्वी को सम्पत्ति दे दी जाती है। इस देने का अभिप्राय यह देखनाहोता है कि कालान्तर में जिसे सम्पत्ति-दान दिया गया है वह इससे ज्यादा सम्पत्ति लौटाता है या नहीं। अगर वह लौटा देता है, तो देने वाला उससे भी ज्यादा दे डालता है। इस प्रकार देने और लौटाने, फिर से और लौटाने का मुकाबिला चलता है। इस मुकाबिले में जो आगे नहीं लौटा सकता, व हार जाता है, और देने वाले की प्रतिष्ठा, उसका मान, उसकी इज्जत कायम हो जाती है। 'पौटलैच' का सस्कार लेने का नहीं, देने का सस्कार है जिससे क्वाकिउटल जन-

जाति के लोग धन को ठुकरा कर उस चीज को प्राप्त करते हैं, जिसके लिए धन पैदा हुआ है। आदिवासियों का धन तथा संपत्ति के सबब में यह विचार आज के मनुष्य को जो धन-संपत्ति के लिए सब-कुछ कुर्बान कर देता है, सबक सिखाता है।

इस प्रकरण में धन-संपत्ति के संबंध में वैदिक-आर्यों की दृष्टि को भुलाया नहीं जा सकता। वैदिक-संस्कृति में गौएँ, बैल, घोड़े, पुत्र, पौत्र, धन-धान्य सब की कामना की गई है, परन्तु इस संस्कृति की विशेषता यह है कि इसमें जीवन को आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं देखा गया। वैदिक-संस्कृति में चार आश्रम हैं। बालक २५ वर्ष तक ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करता है, उसके बाद २५ वर्ष तक गृहस्थ का जीवन व्यतीत करता है, गृहस्थ के बाद वह स्वयं घर-बार छोड़ देता है, सुख-सम्पत्ति को लात मार देता है, दुनियाँ के बंधन से अपने-आप अलग हो जाता है। यह अवस्था जीवन का आधा भाग है। अगर सौ बरस तक मनुष्य ने जीना हो, तो ५० वर्ष ससार भोगने के बाद ५० बरस दुनियाँ से अलग रहने में व्यतीत करने होते हैं। इन ५० बरसों को 'वानप्रस्थ' तथा 'सन्यास' का नाम दिया गया है। 'वानप्रस्थ' का अर्थ ही है—घर से वन में चले जाना, 'सन्यास' का अर्थ ही है—सब-कुछ अपने-आप छोड़ देना। वैदिक संस्कृति की आर्थिक-व्यवस्था में धन का वह मूल्य नहीं, जो मूल्य धन को आज दुनियाँ भर में मिला हुआ है। आश्रम-व्यवस्था के अतिरिक्त इस संस्कृति में वर्ण-व्यवस्था का भी बड़ा महत्त्व है। ब्रह्मचर्य, वान-प्रस्थ तथा सन्यास—ये तीन आश्रम छोड़ने-ही-छोड़ने के आश्रम हैं, केवल 'गृहस्थ-आश्रम' ससार के सुख भोगने का आश्रम है, परन्तु वैदिक-आर्यों ने इस 'गृहस्थ' को भी चार वर्णों में बाँट दिया था—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इन चारों में सिर्फ वैश्य-वर्ण ऐसा है जिसका काम धन कमाना है, बाकी तीन वर्ण धन कमाने के स्थान में और कामों के लिए हैं। वैश्य से भी वैदिक-संस्कृति यह चाहती है कि वह धन कमाएँ और अन्य आश्रमों तथा वर्णों की पालना करे, उस धन को अपने तक सीमित न रखे। यह विचार कभी क्रियारूप में पाया जाता था या न था—इसमें सन्देह प्रकट किया जाता है, परन्तु जैसा हम ऊपर अन्य कई जन-जातियों का वर्णन कर आये हैं, अगर उनमें आजकल से भिन्न अर्थ-व्यवस्था थी, अगर उनमें धन का मूल्य आज से भिन्न रूप में आँका जाता था, तो कोई आश्चर्य नहीं कि भारत में भी जिस आश्रम तथा वर्ण-व्यवस्था का जगह-जगह वर्णन पाया जाता है, वह क्रियात्मक रूप में मौजूद हो।

## ११. आदिवासियों में व्यापार तथा हाट-बाजार

### (Trade and Markets among Non-literates)

जिस समाज में इतनी उपज हो जाती है कि 'वचत' (Surplus) होने लगे, उसमें व्यापार शुरू हो जाता है। व्यापार के लिए हाट-बाजार बनने लगते हैं। फल-मूल एकत्र करने वाले आदिवासियों की सरल आर्थिक-व्यवस्था में 'वचत' ही नहीं होती, 'वचत' नहीं तो व्यापार उनमें कहां से चलेगा, इसलिये उनमें हाट-बाजार भी नहीं होते। सोलोन के देहा आदिवासियों में प्रत्यक्ष-व्यापार तो नहीं

होता, ऐसा व्यापार जिसमें व्यापारी ग्राहक को सौदा दे, परन्तु मौन-व्यापार होता है। वैद्या-शिकारी किसी भी लोहार के दरवाजे पर मास का पैंकेट रख जायेंगे और आशा करेंगे कि अगले दिन लोहार के दरवाजे पर उन्हें उतने ही मूल्य के वाण के नोक रखे मिलें। लोहार भी उतने नोक बनाकर रख देता है और वे किसी समय आकर उन्हें ले जाते हैं। एस्किमो तथा उत्तरी कनाडा के साथ लगे इंडियन भी मौन-व्यापार करते हैं। इनका व्यापार का एक निश्चित स्थान होता है। अपना सामान ये लोग वहाँ रख जाते हैं, दूसरे समुदाय के लोग अपना सामान इसके स्थान में रख कर उसे उठा ले जाते हैं। इस प्रकार एक-दूसरे को बिना देखे, बिना जाने इन लोगों का व्यापार चलता है। व्यापार बिल्कुल न होना या मौन-व्यापार होना तो आज के युग में बहुत कम दिखाई देता है, इस समय जो जीवित आदिवासी लोग हैं, उनकी अर्थ-व्यवस्था काफी विकसित हालत में है, और उनमें वस्तुओं का क्रय-विक्रय चला करता है, इसके लिए बड़े-बड़े समृद्ध गाँवों में व्यापार के लिए बाजार भी बने हुए हैं। कोलम्बिया नदी की घाटी में जो गाँव हैं उनमें २०-२५ गाँवों के समुदाय में कोई एक बड़ा गाँव मार्केट के रूप में चुन कर वहाँ के आदिवासियों ने उसे व्यापार का केन्द्र चुन लिया है। इसी तरह की प्रक्रिया अन्य स्थानों में पायी जाती है। व्यापार के इन केन्द्रों में समुद्री-घोड़ों को मुद्रा के रूप में गुलाम तथा अन्य सब प्रकार की वस्तुओं को खरीदने के काम में लाया जाता रहा है। मुद्रा के अतिरिक्त वस्तु-विनिमय के आधार पर भी इन केन्द्रों में खरीद-फरोख्त होती रही है। उत्तर-पश्चिमी प्रशान्त समुद्र तट पर व्यापार के जो केन्द्र बने हुए थे वहाँ पत्नी बनाने के लिए भी स्त्रियों को खरीदा जा सकता था।

कृषि-सबधी सरल आर्थिक-व्यवस्था के गाँवों में जहाँ 'वचत' के पदार्थों की कमी रहती है, वहाँ हाट तथा बाजार भी प्रारम्भिक-अवस्था के ही होते हैं, असली मायने के बाजार तो कृषि-सबधी विकसित आर्थिक-व्यवस्था में ही पाये जाते हैं। जहाँ खेती-बाड़ी ज्यादा होती है, पशु-पालन भी ऊँचे पाये का होता है, वहाँ बड़े-बड़े बाजार लगने लगते हैं, दूर-दूर के गाँवों के लोग वहाँ अपना माल-असबाब बेचने के लिए लाते हैं। बर्तन, फल, कपड़ा, टोकरी—जो-कुछ भी आस-पास के गाँवों में बनता है, वह सब ले-लेकर व्यापारी लोग दूसरे-तीसरे दिन यहाँ इकट्ठे होते हैं, और खूब बिक्री होती है। व्यापार के इस केन्द्र में जिस सरदार का प्रभुत्व होता है, वह सब व्यापारियों पर कर लगाता है। व्यापारी लोग भी अपना माल-मत्ता लाते हुए साथ में सशस्त्र पहरेदार लाते हैं। आदिवासियों में व्यापार तथा हाट-बाजार की यह आर्थिक व्यवस्था है।

## आदिकालीन आविष्कार (PRIMITIVE INVENTIONS)

पशु तथा मनुष्य—दोनों को अपना जीवन कायम रखना है। सर्दी हो तो सर्दी से बचने का उपाय होना चाहिए, गर्मी हो तो गर्मी से बचने का उपाय होना चाहिए। जो सर्दी-गर्मी का मुकाबिला नहीं कर सकता, वह जी भी नहीं सकता, या वह अधिक सर्दी से मर जायगा, या अधिक गर्मी से मर जायगा। पशु तथा मनुष्य दोनों प्रारंभिक-अवस्था में सर्दी-गर्मी से बचने के लिए गुफाओं में रहते थे। भोजन के बिना भी पशु तथा मनुष्य दोनों नहीं रह सकते, इसलिए भोजन की तलाश में भी पशु तथा मनुष्य दोनों प्रारंभिक-अवस्था में जंगलों में फिरा करते थे, शिकार के पीछे भागते थे, फल-मूल मिल जाना तो उस पर निर्वाह करते थे। शूह-शूह में तो मनुष्य पशुओं की तरह ही अपने जीवन की समस्या को हल करता था, पेड़ पर रहता या गुफा में जा छिपता था, फल-मूल चुग कर या शिकार को मार कर पेट भरता था, परन्तु एक ऐसा समय आया जब मनुष्य ने पशु के रास्ते से आजीविका की समस्या को हल करने के स्थान में अपना नया मार्ग ग्रहण किया। यह नया मार्ग उसने क्यों और कैसे ग्रहण किया ?

प्रकृति ने मनुष्य को पशुओं से एक भिन्नता दी है, और वह भिन्नता है उसके हाथ। पशु हाथों से काम नहीं ले सकता, मनुष्य हाथों से काम ले सकता है। जिस दिन मानव-समाज के प्रथम मनुष्य ने पहले-पहल अपने हाथ से काम लिया उस दिन आज की विशाल सभ्यता का सूत्रपात हो गया। हाथ से काम लेने के बाद हाथ के सहायक के तौर पर ही ससार के सब उपकरणों की रचना हुई। एक तरह से सब उपकरण हाथ के ही विस्तार हैं, दूसरे शब्दों में उपकरण हमारे हाथ हैं। इन उपकरणों का 'आविष्कार' कैसे हुआ ? उपकरणों का आविष्कार समझने के लिए हमें 'आविष्कार' (Inventions) तथा 'खोज' (Discovery)—इन दो शब्दों के अर्थ को समझना होगा।

### १ 'आविष्कार' तथा 'खोज' में भेद (Invention and Discovery)

(क) आविष्कार की व्याख्या—“आविष्कार ऐसे नवीन तथा उपयोगी यांत्रिक उपकरण, वस्तु अथवा विधि का नाम है जिसे हम पहले नहीं जानते और अगर जानते हैं तो इस द्वारा पूर्व-ज्ञात उपकरण, वस्तु अथवा विधि में कोई

ऐसी विशेषता उत्पन्न कर दी जाती है जिससे काम पहले से बेहतर होने लगता है।<sup>१</sup>

‘आविष्कार’ के आधार में एक मनोवृत्ति काम कर रही है, जिससे मानवीय सम्यता आगे-आगे बढ़ती चली जाती है। हमारा अपने चारों तरफ की परिस्थिति से जो सबध है, उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, यह जरूरी नहीं कि यह सबध वैसे-का-वैसा बना रहे। पशु का तो अपनी परिस्थिति से सबध वैसे-का-वैसा बना रहता है, परन्तु मनुष्य इसमें परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन भी ऐसा जो भले के लिए हो, जिससे हमारे काम पहले से सुगम होते चले जायं। मनुष्य की इस मनोवृत्ति के कारण वह अपनी परिस्थिति से कभी सन्तुष्ट नहीं रहा। जो-कुछ उसने पा लिया उससे आगे चलने का सदा प्रयत्न करता रहा। इस प्रकार अबतक चल रही विधियों से सन्तुष्ट न होकर प्रयत्नपूर्वक नई-नई विधियों का पता लगाना—इस मनोवृत्ति से मनुष्य नई-नई बातों का ‘आविष्कार’ (Invention) करता रहा है।

(ख) ‘खोज’ की व्याख्या—मनुष्य का जिन विधियों से काम चल रहा है, उनसे वह सन्तुष्ट नहीं रहता—यह मनोवृत्ति मनुष्य को आगे-आगे नई-नई बातों और नये-नये तरीकों के पता लगाने की तरफ धकेलती है। जब वह प्रयत्नपूर्वक नई विधियों का पता लगा लेता है, तब उसे ‘आविष्कार’ कहते हैं। जब अचानक/उसके सामने अपने-आप किसी काम की कोई नई विधि या नई चीज आ खड़ी होती है, तब उसे ‘खोज’ (Discovery) कहते हैं। हम काम कर रहे हैं, काम करते-करते एकदम मालूम हुआ कि काम करने का अमुक तरीका बड़ा सहज है, तरीका निकाला नहीं परन्तु निकल आया—यह ‘खोज’ है, परन्तु अगर काम करने के सहल तरीके की तलाश में हम कोई सहल तरीका निकालें, वह अपने-आप न निकल पड़े, तो वह ‘आविष्कार’ है।

मनुष्य ने अपनी सम्यता का निर्माण ‘आविष्कार’ तथा ‘खोज’—इन दोनों के सहयोग से किया है। हम जी-जान लगाकर किसी समस्या को हल करते हैं, या परिस्थितियाँ ही ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि समस्या हल हो जाती है। पहला तरीका ‘आविष्कार’ का है, दूसरा ‘खोज’ का है। हमारी सम्यता का कोई अंश ‘आविष्कार’ का परिणाम है, कोई अंश ‘खोज’ का—इन दोनों के आधार में अब तक चल रही काम करने की विधियों से हमारा असन्तोष काम कर रहा होता है, और ‘आविष्कार’ तथा ‘खोज’—ये दोनों मिलकर सम्यता की गाड़ी को आगे-आगे चलाते चले जाते हैं।

1 “An invention is recognised to be any new or useful mechanical contrivance or article, method, discovery, composition of matter or system, not previously known or used, or any improvement in any known machine, art, method or system”

## २ अशिक्षित-समाज में यांत्रिक आविष्कार (Mechanical Inventions among Non-literates)

यह ठीक है कि 'आविष्कार' तथा 'खोज'—इन नामों से आदिकालीन समाज में कोई विशेष विद्या प्रचलित नहीं थी, परन्तु अनेक यांत्रिक नियमों का अपने उपकरणों में वे प्रयोग करते थे। उदाहरणार्थ, हम यहाँ कुछ यांत्रिक-नियमों का वर्णन करेंगे जिनका उस काल के उपकरणों में प्रयोग किया जाता था। इन नियमों के ज्ञान के बिना वे लोग उन उपकरणों का प्रयोग नहीं कर सकते थे, जिनका प्रयोग वे करते थे। इसलिए यह मानना पड़ेगा कि इन नियमों का वे अपने ढंग से आविष्कार कर चुके थे। हम पहले इन नियमों की चर्चा करेंगे, फिर इन नियमों को आधार बना कर अशिक्षित-समाजों ने जो 'आविष्कार' (Inventions) किये—पत्थर के उपकरण, आग जलाना, भोजन बनाना, कपड़ा बुनना आदि-आदि—उनका वर्णन करेंगे। जिन नियमों की हम चर्चा कर रहे हैं, उन्हें हमने 'आविष्कार' नहीं कहा, सिर्फ 'नियम' कहा है, इन तथा इसी तरह के नियमों के आधार पर जो उपकरण अशिक्षित-समाज ने बनाये, उन्हें हमने 'आविष्कार' का नाम दिया है। यह भेद हमने इसलिए किया है, क्योंकि नियमों को नियम के रूप में अशिक्षित-समाज नहीं जानता, उन्हें तो वह क्रिया रूप में जानता है; इन नियमों को नियमों के रूप में तो हम लोग—शिक्षित-समाज के लोग—जानते हैं। अशिक्षित-समाज इन नियमों को न जानता हुआ भी इन्हीं को आधार बना कर अपने आविष्कार करता रहा है, और उन आविष्कारों से ही मानव की सम्यक्ता का विकास हुआ है।

(क) लीवर का यांत्रिक नियम (Principle of lever)—यांत्रिक-नियमों में सबसे महत्वपूर्ण नियम लीवर का नियम है। जब कोई चीज बहुत भारी होती है, तब उठाने के लिए उसके नीचे एक डंडा लगाकर उसे हिलाया जाता है। यह डंडा लीवर कहलाता है। इसके तीन भाग होते हैं। डंडे के बीच का एक भाग तो वह है जिस पर वस्तु का सारा बोझ आ पड़ता है, जो वस्तु को उठाने के लिए 'आधार' (Fulcrum) का काम करता है, दूसरा भाग वह जो ज़मीन में गड़ कर सारी वस्तु के बोझ को अपने ऊपर ले लेता है, तीसरा भाग वह जो हमारे हाथ में होता है, जिसे अपने हाथ से हिला कर हम भारी वस्तु को हिला लेते हैं। आदि-काल के समाज में जहाँ-जहाँ भी भारी वस्तुओं को डंडे से हिलाया जाता था, इसी लीवर के सिद्धान्त के अनुसार ही तो हिलाया जाता था। वे इसे 'लीवर का सिद्धान्त' नहीं कहते थे, इस सिद्धान्त को कोई दूसरा नाम भी नहीं देते थे, परन्तु इस सिद्धान्त को बिना कोई नाम दिये इससे काम जरूर लेते थे। बड़े-बड़े पत्थरों को बिना किसी यांत्रिक सहायता के नहीं उठाया जा सकता। अशिक्षित जगली जातियों में जानवरों को पकड़ने के लिए एक बड़ा गढ़ा खोदा जाता है, जिस पर एक बल्ली पूरे गढ़े को ढँकती है, और दूसरी के द्वारा गढ़े का इतना ही भाग ढका जाता है जिससे जानवर नीचे गिर जाय और बल्ली फिर ऊपर अपने स्थान पर



चली आये। यह प्रक्रिया बिना लीवर का सिद्धान्त जाने काम में नहीं लाई जा सकती। किशती को चप्पू द्वारा चलाने में भी लीवर का नियम ही काम करता है।

(ख) बटने का यांत्रिक नियम (Principle of torsion)—अगर किसी धागे, तार या पतली चीज को बटा जायगा, तो वह ताकत लगाकर अपने पूर्व-रूप में आने का प्रयत्न करेगी—यह बटने का सिद्धान्त है। धागे को बटें तो छोड़ते ही वह ताकत लगाकर अपने पहले रूप में आ जाता है। बटते हुए जहाँ-जहाँ बट पडता है, वहाँ-वहाँ ताकत केन्द्रित हो जाती है। उदाहरणार्थ, तागे को बटने से तागे के हर भाग पर बट पडता जाता है, और वहाँ का तागा मजबूत होता जाता है, वहाँ मानो ताकत केन्द्रित होती जाती है। इस प्रकार तागे के एक-एक बिन्दु पर ताकत केन्द्रित होती जाती है। गन्ने को बट कर, मरोड कर जब रस निकाला जाता है, तब बटने का नियम ही काम में आता है। गन्ने की एक-एक पोर में से तब तक रस नहीं निकलेगा जब तक एक-एक पोर पर ताकत न लगे। एक-एक पोर पर ताकत कैसे लगे ? यह बटने और मरोडने के नियम से लग जाती है। समोआ जाति के लोग बटने के नियम का प्रयोग करके पेड़ों की छाल का रस निकालते हैं, इस छाल को मरोड कर उसमें से रस निकाल लेते हैं। कभी-कभी ये लोग एक छाल के बहुत-से टुकड़ों को बांध कर ऊपर पेड से लटका देते हैं, और नीचे एक डडे से बांध देते हैं। डडे को पकड कर उसे मरोडते हैं और छाल में से रस निकल आता है। इस प्रकार छाल के साथ डडे को बांधना बटने के नियम तथा लीवर के नियम—इन दोनों का सम्मिश्रण कर देना है।

(ग) प्रतिरोध-शक्ति का यांत्रिक नियम (Principle of resistance)—कठोर वस्तु पर कोई चीज जोर से फेंकी जाय तो वह उसका प्रतिरोध करती है—यह एक यांत्रिक नियम है। पत्थर पर चोट देने से वह उसका प्रतिरोध करता है। यह नियम आविवासियों की गदा आदि उपकरणों में काम करता हुआ दिखलाई देता है। शरीर पर भी वे ऐसे उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जिनसे उन पर अगर कोई आक्रमण करे तो शरीर की रक्षा हो सके।

(घ) पुली का यांत्रिक नियम (Principle of pulleys)—जब किसी चीज को नीचे से उठाना होता या बूर से खींचना होता है, तब लीवर का नियम ही पुली का रूप धारण कर जाता है। कुएँ से पानी खींचने के लिए ऊपर चखीं लगाई जाती है, डोल कूएँ में डाल कर उसमें पानी भरा जाता है, और हाथ से रस्सी खींची जाती है। यह चखीं एक तरह की 'पुली' है जिसके द्वारा वजन को उठाया जाता है। एस्किमो जाति के लोग यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग करने में बहुत कुशल हैं। वे समुद्र के किनारे पुली लगाकर पानी के जानवर को पुली की रस्सी के सहारे समुद्र से बाहर खींच लाते हैं।

(ङ) शक्ति-वर्द्धन का यांत्रिक नियम (Principle of increase in force)—अगर कोई लम्बी वस्तु एक-समान होगी, तो ऊपर फेंकने से वह इतने जोर से नहीं जायगी जितने जोर और जितनी शक्ति से वह वस्तु जायगी,

जिसका अगला सिरा भारी और पिछला सिरा हल्का होगा। यह यांत्रिक नियम आदिवासियों के अनेक यंत्रों में काम करता दीखता है। उनके मारने के यंत्र सब आगे से भारी और पीछे से हल्के होते हैं। आफ्रीका की अनेक जातियों के शस्त्रास्त्र, फेंक कर मारने के चाकू आदि इसी सिद्धान्त पर बने हुए हैं। अगर मारने की कोई छड़ी भी होती है, तो उसका मुट्ठ मोटा रखा जाता है, क्योंकि आगे के भारीपन से छड़ी का वेग बढ़ जाता है।

(च) केन्द्रापमारी शक्ति का नियम (Principle of centrifugal force)—जब कोई वस्तु आस्मान में गोल घूमती है, तो इसके गोलाई में घूमने का क्या कारण है? गोलाई में घूमते हुए उसमें दो प्रकार की शक्तियाँ काम कर रही होती हैं। एक शक्ति तो उसे हर क्षण केन्द्र की तरफ धकेल रही होती है, दूसरी केन्द्र से दूर धकेल रही होती है। केन्द्र की तरफ धकेलने वाली शक्ति को 'केन्द्रानुगामिनी-शक्ति' (Centripetal force) कहते हैं, केन्द्र से दूर ले जाने वाली शक्ति को 'केन्द्रापसारिणी-शक्ति'—केन्द्र से अपसार—दूर जाने वाली शक्ति (Centrifugal force) कहते हैं। इन दोनों के सम्मिश्रण से न तो वह वस्तु केन्द्र में ही आ सकती है, न दूर ही जा सकती है, दूर और केन्द्र के योग से वह गोलाई में घूमने लगती है। इस नियम को आदिवासियों के उस यन्त्र में हम देख सकते हैं, जिसे 'फेंकन' कहा जा सकता है, इसे हिन्दी में बरही भी कहते हैं। चमड़े के एक टुकड़े में ककड रख कर उस को दोनों ओर से रस्सी में बाँध कर जोर से गोलाई में घुमाया जाता है और फिर एकदम एक सिरा छोड़ दिया जाता है। हाथ से ककड को फेंकने से वह इतनी दूर नहीं जाता जितनी बरही से चला जाता है। इस प्रकार ककड का दूर जाना 'केन्द्रापसारिणी-शक्ति' के कारण होता है। ऑस्ट्रेलिया में फेंकने का एक अस्त्र होता है जिसे 'बूमरंग' (Boomerang) कहते हैं। इसके कोनों पर मुड़े हुए पख-से होते हैं जिनके कारण यदि यह अस्त्र अपने लक्ष्य को लगकर वहीं न अटक जाय तो इन पखों-के-से मुड़ावो के कारण ऊपर उठ कर वहीं लौट आता है, जहाँ से इसे फेंका गया होता है।

(छ) नोकीलेपन का नियम (Principle of sharpness of a point)—जब किसी लंबी वस्तु की नोक को खूब बारीक कर लिया जाय और वह नोक उस लंबी वस्तु की ठीक सीध में हो, तो उसकी मार बड़ी तेज होती है। यह नियम आदिवासियों के भाले में दिखलाई देता है। उनके भाले में लोहे का फलका नहीं होता, परन्तु वे सीधी लकड़ी लेते हैं, नोक को जलाकर तीखा कर लेते हैं, और तब शिकार खेलने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। अगर भाले की सीध में उसकी नोक न हो, तो उसका असर ठीक नहीं होता। यह यांत्रिक नियम नियम के नाम से भले ही जगली जातियों के लोगो को मालूम न हो, परन्तु इसका प्रयोग वे अपने हर भाले में करते दिखाई देते हैं।

(ज) लचकीलेपन का नियम (Principle of elasticity)—जो चीज सख्त नहीं होगी उसे अगर मोड़ा जाय, तो मोड़ने वाली वस्तु के हटाने

पर वह फिर सीधी हो जायगी—इस यात्रिक-नियम का प्रयोग कर अशिक्षित जातियाँ जानवरों को पकड़ने के फन्दे लगाती हैं, जिनमें जानवर आसानी से फँस जाते हैं। लचकीले वृक्ष की एक टहनी के साथ वे रस्सी बाँध देते हैं। रस्सी के दूसरे सिरे में फदा लगा कर पास ही एक खूँटे के साथ इस प्रकार बाँधते हैं, ताकि जानवर का सिर ज्यों ही फदे में पड़े, त्यों ही खूँटे से रस्सी की गाँठ खुल जाय और जानवर फदे में फँस जाय। खूँटे से रस्सी के खुलते ही लचकीला पेड़ फिर सीधा हो जाता है और जानवर फदे में फँसा रह जाता है। इसी नियम के आधार पर उन्होंने ऐसे फंदे भी बनाये हैं कि जानवर का पाँव पड़ते ही खूँटे से रस्ता छूट जाता है, लचकदार पेड़ सीधा हो जाता है, और शिकार फदे में फँसा मिलता है। घनुष का निर्माण भी इसी लचकीलेपन के नियम के आधार पर हुआ है। लचकीले बाँस के दोनो सिरों को ताँत से बाँध दिया जाता है। इस प्रकार बाँधने से दोनो सिरे क्योंकि लचक के कारण अपनी पहली स्थिति में आना चाहते हैं और ताँत बँधे होने के कारण आ नहीं सकते, इसलिए ताँत बिल्कुल सीधी अकड़ जाती है। फिर इस पर बाण चढ़ा कर उसे फेंका जाता है, जो हाथ से फेंकने की अपेक्षा अधिक दूर और अधिक वेग से जाता है। गुलेल में भी वही नियम काम करता है जो बाण फेंकने में करता है। 'पूर्व-पाषाण-युग' (Paleolithic period) में घनुष-बाण का आविष्कार हो चुका था—यह उस काल के पत्थरो पर बने शिकारियों के रेखा-चित्रों से स्पष्ट होता है। जब लचकदार लकड़ी नहीं मिलती थी, तब लकड़ी को लचक को बढ़ाने के लिए ऐसी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था जिनसे लकड़ी को लचक बढे और उससे घनुष का काम लिया जा सके। लकड़ी को पशुओं की आतों से लपेट कर या ऐसे ही पदार्थ उस पर मल कर उसकी लचक को बढ़ाया जाता था। इन बातों में बड़े ध्यान से हर बात का निरीक्षण करने की आवश्यकता है। निरीक्षण के साथ-साथ परीक्षण की भी आवश्यकता है। आदिकाल का मानव निरीक्षण तथा परीक्षण से भिन्न-भिन्न नियमों को प्रकृति में देख कर उनके आधार पर अपने उपकरण बनाता होगा—यह उन उपकरणों से स्पष्ट सिद्ध होता है जो हमें पृथिवी के गर्भ से प्राप्त होते हैं।

(झ) वायु के दबाव तथा चूसन का नियम (Principle of air pressure and suction)—वायु पर दबाव डाला जाय तो जहाँ से निकलने का रास्ता मिलेगा वहाँ से वह निकल जायगी और दबाव हटते ही खाली जगह में फिर से मानो चूसी चली आयगी—यह नियम आदि-काल की एशिया तथा आफ्रीका की जातियों की घोंकनियों में काम करता हुआ दिखाई देता है। घोंकनी का प्रयोग तो वे करते थे। जब तक उन्होंने वायु के दबाव तथा चूसन के नियम का आविष्कार नहीं कर लिया था, तब तक घोंकनी में इस नियम को बिना लगाये उन्होंने घोंकनी को कैसे बना लिया? इस नियम के आधार पर वुशमैन ज़मीन से पानी खेंच लेते हैं। ज़मीन में वे वहाँ तक छेद कर देते हैं जहाँ पानी है, फिर उसमें एक नलकी डाल देते हैं। इसके बाद नलकी के सिरे को मुँह में डाल

कर पानी खेंच लेते हैं। आफ्रीका तथा अमरीका के आदिवासी कमर दर्द दूर करने के लिए प्याला लगाते हैं। प्याला लगाने में भी वायु के दबाव का नियम ही काम करता है।

(अ) वायु-निषेधक तथा जल-निषेधक उपकरणों का नियम (Principle of air and water-tight materials)—ऐसे उपकरण जिनमें वायु का प्रवेश न हो सके तथा ऐसे उपकरण जिनमें जल का प्रवेश न हो सके अनेक कामों में लाये जाते हैं। इस प्रकार के उपकरण आदिवासियों के यहाँ प्रयोग में लाये जाते हैं। वायु-निषेधक उपकरण की जरूरत होने पर पशुओं की आँतों तथा मूत्राशय का वे प्रयोग करते हैं। जल-निषेधक उपकरण के लिए पशुओं की खालें इस प्रकार सी ली जाती हैं कि उन्हें पानी में डाल दिया जाय, तो पानी का उनमें प्रवेश नहीं हो सकता।

(ट) विशिष्ट-भार का नियम (Principle of specific gravity)—समुद्र में मछली तथा अन्य जानवरों को पकड़ने के लिए विशिष्ट-भार के नियम के आधार पर कम विशिष्ट-भार की वस्तुओं को पानी में तैरा दिया जाता है। हलकी लकड़ी तथा चमड़े के थैलों में हवा भर कर उन्हें पानी में तैरा कर उनके साथ मछली पकड़ने के जाल बाँध दिये जाते हैं ताकि वे पानी में नीचे न बैठ जायें। जाल को दोनों तरफ से हलकी लकड़ी तथा चमड़े के थैलों से बाँध दिया जाता है, और उसके बीच का हिस्सा भारी वस्तु से नीचे पानी में लटका दिया जाता है, ताकि उसमें मछलियाँ तथा जानवर फँस जायें। किश्ती जो परिमाण में उतनी ही बड़ी लकड़ी की अपेक्षा जल में कम पेंठती है—उसे वे लोग हल्का समझ कर उसमें काफी वजन की चीजें लाद लेते हैं। यह सब 'विशिष्ट-भार' के नियम का क्रियात्मक अनुभव है।

(ठ) रासायनिक नियम (Principle of chemical processes)—ऊपर जो यान्त्रिक नियम दिये गये हैं, उनके अलावा रासायनिक-नियम भी आदिवासियों के जीवन में कम काम करते नहीं दिखाई देते। खमीर उठाने के तरीके से वे परिचित हैं। शराब प्रायः सभी आदिवासियों में बनाई जाती है। विषों के विषय में आदिवासियों का ज्ञान आजकल के लोगों से कहीं अधिक है। भिन्न-भिन्न तरह की वृक्षों की छालों से वे लोग तरह-तरह के रंग बनाना जानते हैं। पत्थर से चूना बनाना, पीली मट्टी से रोगन बनाना, कच्चे लोहे से पक्का लोहा बनाना—यह सब-कुछ आदिवासियों में पाया जाता है।

(ड) उपकरणों के नियम का मिश्रण (Principle of compound implements)—आदि-मानव ने जो आविष्कार या खोजें कीं उनके आवार पर शुरू-शुरू में सरल उपकरण ही बनाये होंगे। पत्थर के गिरते समय दूसरी चीजों को जब मनुष्य ने टूटते देखा, तो उसे एकदम सूझा कि इस पत्थर से वह अखरोट-बादाम को तोड़ सकता है, पत्थर से जानवर को मार सकता है। यह सरल आविष्कार का सरल प्रयोग था, परन्तु कई सरल आविष्कारों के मेल से

कृषि की विकसित-व्यवस्था तो नहीं सीखी थी, परन्तु कुछ वनस्पति-पौधों की जानकारी उसे हो गई थी और खाने-पकाने के लिए वह सब्जी-तरकारी लगाने लग गया था।

पाषाण-छेदन के बाद एक तीसरा आविष्कार हुआ। कूँडों के आकार की वस्तु तो बन गई परन्तु वह खुरदरी थी, केवल वारीक टकोरों से ही तो उसमें गढा किया गया था। इस खुरदरेपन को रेत से घिसा गया, पीसा गया, इस पर मानो पालिश की गयी। इस प्रकार पाषाण-व्यवसाय में इस आविष्कार ने पत्थर की कूँडी को काम लायक बना दिया। इसमें पानी रखा जा सकता था उस समय का मसाला कूटा-पीसा जा सकता था, इससे और बीसियों काम लिये जा सकते थे।

पत्थर के व्यवसाय के सबध में पाषाण-युग का अन्तिम आविष्कार पत्थर को किसी सख्त चीज से लेकर रेत-पानी डाल कर लगातार घिसने से उसको चीरना था। इस प्रकार चीरने से पत्थर के जो टुकड़े किये जाते थे, वे ज्यादा साफ होते थे।

(ख) फल-मूल, आखेट तथा मछली का प्रयोग (Food-gathering, Hunting and Fishing)—पाषाण-व्यवसाय जिस समय चल रहा था उस समय मनुष्य की आजीविका का साधन जगल से फल-मूल एकत्रित कर लाना, शिकार तथा मछली पकड़ लाना था। उस समय जगल-के-जगल खाली पड़े थे, जन-संख्या इतनी नहीं बढ़ी थी, जीवन-सघर्ष का रूप इतना ही था कि जगल में गये और जितना चाहा ले आये। वे किस प्रकार पशुओं का शिकार करते थे, किस प्रकार मछलियों और पक्षियों को जाल में फँसाते थे—इसका वर्णन तो हम आगे करेंगे, यहाँ हमारे कथन का इतना ही तात्पर्य है कि जब मनुष्य ने आग का प्रयोग नहीं सीखा था, तब यह तो आविष्कार उसने कर लिया था कि फल-मूल खाकर, जानवरों के मांस तथा मछली पर निर्वाह किया जा सकता है। मनुष्य का यह आविष्कार पशुओं से कोई निराला नहीं था, क्योंकि पशु भी इस क्षेत्र में इन बातों को स्वभाव से जानता है। एक दृष्टि से यह आविष्कार नहीं था, यह मनुष्य का प्रकृति की तरफ से सहज-ज्ञान था, ऐसा ज्ञान जो मनुष्य तथा पशु—दोनों में समान रूप से पाया जाता है।

(ग) कृषि (Agriculture)—कृषि को दो भागों में बाँटा जाता है—'सरल कृषि' (Simple agriculture) तथा 'विकसित-कृषि' (Advanced agriculture)। इसे आविष्कार कहा अवश्य जा सकता है। आखेट का प्रवर्तक पुरुष को और कृषि का प्रवर्तक स्त्री को माना जाता है। पुरुष तो शिकार पकड़ने या फल-मूल एकत्रित करने जगल में चला जाता था, स्त्री घर का काम-काज करती थी, घर का पानी भी इधर-उधर फेंक देती थी। जहाँ पानी गिरता था, वहाँ कोई पौधा-वनस्पति उग आता था। इन सब बातों की तरफ पुरुष का ध्यान नहीं जाता था, स्त्री घर के आस-पास की परिस्थिति से ज्यादा परिचित रहती

थी। शुरु-शुरु में आसपास की वनस्पतियों की तरफ स्त्री का ध्यान गया, उसने आदि-काल की सरल कृषि-व्यवस्था का सूत्रपात कर दिया। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलियन स्त्रियाँ कन्द-मूल की, पूर्वी-आफ्रीकन स्त्रियाँ केले की, पूर्वी अमरीका की स्त्रियाँ गेहूँ की खेती करने लगीं। कृषि-युग का प्रथम-चरण घरेलू वनस्पतियों, भाजी-न्तरकारियों और वगिया लगाने का समय था, उसके बाद विकसित कृषि का आविष्कार हुआ और स्त्रियों के साथ पुरुष भी खेती में भाग लेने लगे। कृषि को विकसित होते-होते हजारों साल लगे। पहले-पहले भूमि खोदने के लिए पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, फिर इनके स्थान पर कुदाली, फावड़े और हल का आविष्कार हुआ। इन सब की चर्चा हम 'भोजन प्राप्त करने के साधनों' पर विचार करते हुए करेंगे। आजकल जिस प्रकार के हल का प्रयोग किया जाता है, उसका आविष्कार कास्य-युग में हुआ।

(घ) पशुपालन (Domestication of animals)—आखेट तथा कृषि के साथ-साथ इन कार्यों के लिए उपयोगी पशुओं को भी मनुष्य ने पालना सीखा। शिकार में कुत्ता बड़ा सहायक है। पहले तो वह स्वयं ही शिकार को पकड़ता है, अगर स्वयं नहीं पकड़ सकता तो शिकारी के तीर से विंधे जानवर को हाथ से नहीं जाने देता, उसका पीछा करता है। लका के बड़े लोग कुत्ते से हरिणों का शिकार करते हैं। कुत्ता शिकार को सूँघ कर उसका पता भी देता है। कुत्ते से अन्य भी काम लिये जाने लगे। एस्कमो लोग बर्फ पर बिना पहियों के फिसलने वाली गाडी में कुत्तों को जोतते हैं। कुत्तों के बाद सूअर को पालने के अवशेष उपलब्ध हुए हैं। चीन के 'नव-पाषाण-युग' के अवशेषों में सूअर के चिह्न पाये गये हैं। सूअर आस-पास का गन्द साफ कर देता है और खाने के काम भी आता है। कई लोग सूअर के मांस को वर्जित भी मानते हैं—शायद इसलिए क्योंकि इसका काम गन्द खाना है। कुत्ते से प्रायः सूअर का शिकार किया जाता था, इसलिए शायद कुत्ते के बाद मनुष्य का सूअर को पालने की तरफ ध्यान गया। ये दोनों जानवर तो शिकार से सन्ध रखते हैं, इनके बाद दूध देने वाले जानवरों की तरफ मनुष्य का ध्यान गया और उसने भेड़-बकरी पालना शुरु किया। बकरी की अपेक्षा भेड़ का महत्व अशिक्षित जातियों में अधिक रहा है क्योंकि बकरी से तो उनकी खाने-पीने की वह समस्या हल होती थी जो अन्य जानवरों से भी हल हो सकती थी, परन्तु भेड़ से ऊन मिलती थी, यह समस्या बकरी से हल नहीं हो सकती थी। 'नव-पाषाण-युग' में युरोप में भेड़ का बहुत महत्त्व दीखता है। तुर्किस्तान में भी भेड़ को विशेष महत्त्व दिया जाता था और उसे पालने का प्रयत्न किया जाता था। भेड़ के साथ-साथ बकरी, भैंस, गाय को भी दूध आदि के लिए पाला जाता था। इन जानवरों के बाद उन जानवरों की चारी आयी जो आवागमन के साधन थे—ऊँट, घोड़ा, गदहा—इन सब को पालतू बनाया गया। वैवीलोनिया में ईसा से २३०० वर्ष और ईजिप्ट में २८०० वर्ष पूर्व घोड़े का प्रयोग प्रारंभ हो गया था।

यह नहीं कहा जा सकता कि कृषि के बाद पशु-पालन का युग आया या पशु-पालन के बाद कृषि का युग आया। दोनों विचारों के सबध में विद्वानों में भिन्न-भिन्न मत हैं। ऐसे लोग पाये जाते हैं, जो आज तक पशु-पालन कर रहे हैं, खेती उन्होंने जानी ही नहीं, ऐसे भी पाये जाते हैं जिनमें पशु-पालन का युग बिना आये वे सीधे खेती करने लगे हैं। इस बात की चर्चा हम पहले भी इस पुस्तक में कर आये हैं।

(ड) अग्नि-निर्माण (Fire-making)—जिस दिन मनुष्य ने आग की खोज की वह दिन मनुष्य के विकास में बड़ा भाग्यशाली दिन था। पशु आग का प्रयोग करना नहीं जानते, मनुष्य ने अपने सघर्षमय जीवन में सर्दों-पानी से बचने के लिए, खाना पकाने के लिए न-जाने कैसे और किस दिन आग को खोज निकाला। आग के अवशेष 'मध्यकालीन पाषाण-युग' (Middle Paleolithic period) के मौस्ट्रियन काल की गुफाओं में पाये जाते हैं। इसका मह अभिप्राय है कि इन गुफाओं में रहने वाला मनुष्य इस आग को या तो कहीं बाहर से लाया होगा, या उसने आग को कृत्रिम साधनों से वहीं प्रदीप्त किया होगा। जिस किसी तरह भी आग वहाँ पहुँची हो, यह तो स्पष्ट है कि 'मध्यकालीन-पाषाण-युग' के मौस्ट्रियन-संस्कृति के मानव को आग का ज्ञान था। शुरू-शुरूमें तो मनुष्य ने आग बनाने का आविष्कार अपने-आप नहीं कर लिया होगा। जंगलों में आग अपने-आप लगा करती है, परन्तु आग ऐसी भयानक वस्तु है कि उसके पास जाने के स्थान में आदिकाल का मानव आग से डरकर भागता होगा, इसके पास नहीं जाता होगा। फिर मनुष्य ने आग के महत्व को कैसे जाना और आग जलाने का आविष्कार कैसे किया? अटकल लड़ाने वालों का कहना है कि मनुष्य मास तो खाया ही करता था, पहले वह कच्चा मास खाता था। जब जंगल में कभी आग लग जाती, तो कई जानवर भी मर जाते थे। उन भुने हुए जानवरों को उस काल का मनुष्य उठा लाता था, उन्हें खाता था तो स्वादिष्ट तथा सुपच लगते थे, इससे उसे यह ल्याल हुआ कि आग मास भूनने के लिए उपयोगी वस्तु है। इस प्रकार प्रकृति में उसे जहाँ आग मिल जाती, वह उसे उठा लाता और उसे सभाल कर रखता था, आग को बुझने नहीं देता था, उसमें सदा लकड़ी छोड़ता रहता था। आग सर्दों से भी उसकी रक्षा करती थी। आजतक ऐसी जन-जातियाँ हैं जिनके यहाँ आग जलाने के स्थान में आग को सभाल कर रखा जाता है, उसे बुझने नहीं दिया जाता। पारसियों में सैंकड़ों सालों से एक जगह आग सुरक्षित रखी जाती है। वैदिक आर्यों में पाँच प्रकार की अग्निओं को सुरक्षित रखने की प्रथा थी जिनमें से एक गार्हपत्य तथा एक वैश्वानर अग्नि थी। गार्हपत्य सम्भवत वह अग्नि थी जिसे प्रत्येक गृहस्थ अपने यहाँ सुरक्षित रखता था, वैश्वानर सम्भवत वह अग्नि थी जो सब के लिए साक्षी थी, जो चाहता वहाँ से थोड़ी-सी आग अपने काम के लिए ले जा सकता था। कई ऐसी जातियाँ पायी जाती हैं जो जब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती हैं, तो आग साथ ले जाती हैं। यह तो हुआ प्रकृति से आग

लेकर काम चलाना, परन्तु मनुष्य तो चिर-काल से अपने-आप आग बनाता है। मनुष्य ने अपने-आप आग बनाना कब से सीखा? आग को प्रकृति से लेकर सुरक्षित रखने के बाद मनुष्य ने स्वयं अपने-आप आग जलाना कब सीखा, कैसे सीखा—इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अपने-आप आग जलाने का मनुष्य के पास आधारभूत नियम सदा से एक ही रहा है। वह एक नियम है—‘रगड़’ (Friction)। आग ‘रगड़’ से पैदा होती है, परन्तु ‘रगड़’ पहले-पहल कैसे शुरू की गई? ‘रगड़’ से आग पैदा करने के आज तक अशिक्षित जातियों में दो साधन वर्तते हैं। इनमें से एक साधन तो एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी के ऊपर रख कर वरमे की तरह बहुत जोर से हाथ से घुमाने का तरीका है। जहाँ लकड़ी घुमाई जाती है, वहाँ कोई ऐसी चीज रख दी जाती है जिसमें आग आसानी से लग सके। इस तरीके को ‘वरमे का तरीका’ (Drilling method) कहा जा सकता है। एस्किमो तथा उत्तरी साइबेरियन लोग लकड़ी को नीचे रखी चौड़ी लकड़ी पर वेग से हाथ से घुमाने के स्थान में हाथ की लकड़ी में वरमे में लपेटी रस्ती की तरह एक रस्ती लपेट कर उसे वरमे की तरह चक्कर देकर, उसे तेज घुमा कर आग पैदा कर लेते हैं। प्राचीन आर्यों में दो अरणियों को लेकर उन्हें आपस में घिसने से आग जलाई जाती थी। अब भी उस यज्ञ को पवित्र समझा जाता है जिसमें अरणियों द्वारा यज्ञ की आग को प्रदीप्त किया जाता है। दूसरा तरीका पत्थर को पत्थर पर मार कर आग जलाने का तरीका है। इसे ‘प्रहार का तरीका’ (Strike-a-light) कहा जा सकता है। यह तरीका लकड़ी से काम में नहीं लाया जा सकता, पत्थर या लोहे के छड़ से काम में लाया जा सकता है। आदि-काल के मनुष्य ने शुरू-शुरू में आग का आविष्कार किस तरीके से किया, उस संबंध में ये सब अटकलें हैं, इनके संबंध में निश्चयपूर्वक यह कह सकना संभव नहीं है कि इस प्रकार ही आग का आविष्कार हुआ।

ऊपर के दोनों तरीकों को मिला कर १९वीं शताब्दी में यह आविष्कार किया गया कि यदि हाथ की बड़ी लकड़ी की जगह छोटी-सी खप्पत्र से काम लिया जाय और उस पर गन्धक तथा पोटैसियम क्लोरेट चढ़ा दिया जाय, साथ ही दूसरी चपटी लकड़ी पर सल्फ्यूरिक एसिड चढ़ा दिया जाय, तो खप्पत्र की चपटी लकड़ी पर प्रहार करने से एकदम आग पैदा हो जायगी। इसके बाद फासफोरस का इस काम में प्रयोग होने लगा और १८४४ में जॉन एडवर्ड लण्डस्ट्रोम ने स्वीडन में आजकल प्रयुक्त होने वाली दीयासलाई का कारखाना भी खोल दिया जिससे हर-एक व्यक्ति के लिए अपनी जेब में आग उत्पन्न करने का साधन ले जा सकना संभव हो सका।

(च) भोजन-याक (Cooking of food).—आग का सब से बड़ा काम भोजन को पकाना था और भोजन को पकाना ही रहा है। भोजन पकाने के साय-साय मनुष्य आग सेंक भी लेता है, परन्तु हर घर में प्रातः काल भोजन पकाने के लिए आग जलाई जाती है। जब से आग का आविष्कार हुआ है, तब से गृह-



पत्नी के लिए भोजन बनाने में बहुत सुविधा हो गई है। परन्तु भोजन बनाने के लिए सिर्फ आग से ही तो काम नहीं चलता। पाक-क्रिया के लिए वर्तनों की आवश्यकता है, और वर्तन भी ऐसे जिन्हें आग पर रखा जाय तो भोजन के पकने के साथ-साथ वे स्वयं न पक जायं, स्वयं उनका कुछ न विगड़े, परन्तु जिस चीज को पकाना है, वह पक जाय। ऐसे वर्तन तो धातु के ही हो सकते थे, इसलिए शुरू-शुरू में यद्यपि आग का आविष्कार हो गया था, तो भी भोजन के बनने की ठीक-ठीक व्यवस्था नहीं हो सकी थी। उस समय भोजन को भून लिया जाता था। भूनने के उन लोगो ने अनेक उपाय निकाल रखे थे। एक गढ़ा खोद कर पत्थर को लाल-गर्म कर के वे उसमें डाल देते थे। इन सख्त गर्म पत्थरों को पत्तो तथा टहनियो से वे ढक देते थे, उनके ऊपर उस भोजन को रख देते थे, जिसे वे उवालना या पकाना चाहते थे। इस भोजन पर फिर पत्ते की तह चढा देते थे। भोजन के ऊपर-नीचे पत्तो की तहें इसलिए चढा दी जाती थीं जिससे वर्तन में मट्टी न जाने पाये और पत्तो से निकली भाप से भोजन उबल या भुन जाय। इसके बाद इस गढ़े को वे मट्टी से भर देते थे। ऊपर से मट्टी पर पानी डाल देते थे। यह पानी जब नीचे नितरता था तब गर्मी से एकदम भाप बन जाता था और भोजन को एक-दो घंटों में पका देता था। क्योंकि इस प्रकार भोजन सीधे आग के सपर्क में न आकर भाप में पकता था इसलिए उसे बार-बार इस आशय से खोल कर देखने की आवश्यकता नहीं होती थी कि कहीं जल तो नहीं गया। एक तरह का वह आजकल का कुकर था। भोजन पकाने के ये सब प्रकार आज की अशिक्षित जातियों में पाये जाते हैं। आस्ट्रेलिया में आग के ऊपर मांस रख कर भूना जाता है, मछलियो और पक्षियो को गढ़े में रख कर पकाया जाता है। पौलीनेशिया, न्यूजीलैण्ड में भी गढ़े में रख कर मांस को ऊपर की प्रक्रिया से खाने के लिए तैयार किया जाता है। ओशियाना में भी मट्टी की भट्ठी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अन्य अनेक जातियो ने खाने के नानाविध उपायों का आविष्कार किया था। मेरीकोपा जाति के लोग आटा पीसते, शिलुक लोग आटे में दूध मिलाते, पूर्वो आफ्रीका के लोग भोजन में नमक मिलाते थे। न्यूगाइना में समुद्र के पानी से नमक निकालने का आविष्कार किया गया था।

इसमें सन्देह नहीं कि भोजन को पानी में उवालने की प्रक्रिया का आविष्कार ऊपर के आविष्कारो के बहुत काल बाद हुआ। प्रकृति में उबलता हुआ पानी कहीं दीखता नहीं, अगर कहीं दीख भी जाय तो मनुष्य को यह कैसे पता लगा कि भोजन को पानी में उवाल कर भोजन स्वादिष्ट बन जायगा? इसके अतिरिक्त उवालने के लिए धातु के वर्तनों की आवश्यकता थी, अभी धातु का ही आविष्कार नहीं हुआ था, तो वर्तन कहाँ से आते। हाँ, इस समय एक प्रक्रिया हुई होगी। ज्वालामुखी पर्वतो से निकले हुए पदार्थ जब आस-पास के पानी में जा पड़े होंगे, तो पानी उबलने लगा होगा। उसे देख कर मनुष्य ने अपनी पत्थर की कूंडी में छोटे-छोटे पत्थर गर्म करके डाले होंगे। उसकी कूंडी का पानी भी उबलने लगा होगा।

इसमें कोई भोजन का कण रह गया, सो वह भी उबल कर स्वादिष्ट बन गया होगा। परन्तु ये सब 'होगा'-'होगा' की बातें हैं, ठीक-से नहीं कहा जा सकता कि शुरु-शुरु में मनुष्य ने पानी में उवाल कर भोजन बनाना कैसे सीखा, परन्तु जब भी सीखा तब उसने भोजन के क्षेत्र में एक महान आविष्कार को किया, यह ठीक है।

(छ) भोजन प्राप्त करने के साधन (Devices for obtaining food)—भोजन बनाने के पहले भोजन प्राप्त करने के साधनों का आविष्कार जरूरी था। अशिक्षित-मानव ने भोजन प्राप्त करने के अनेक साधनों का आविष्कार या उनकी खोज कर ली थी। जगल के फल-मूल के अलावा आदि-मानव मास-भक्षी भी था। वह अपने शिकार को पकड़ने के लिए तरह-तरह के प्रपंच रचता था। जिस जानवर को पकड़ना हो, पहले उसके आने-जाने का रास्ता देख लिया जाता था। प्रायः जगली पशु अपने निश्चित मार्ग से आते-जाते हैं। उनके रास्ते में एक गढा खोद कर उसे टहनियों से ढक दिया जाता था। प्रायः गढे में एक ऐसी नोकीली लकड़ी गाड़ दी जाती थी जिससे पशु के गढ़े में गिरते ही लकड़ी शूल की तरह उसके पेट में गड़ जाय। अब भी भेड़ियों को पकड़ने के लिए बल्लियों को पाय-पास गोलाई में गाड़ कर दो घेरे बनाये जाते हैं। एक घेरा बाहर का होता है, एक अन्दर का। बाहर के घेरे में एक दरवाजा-सा लगा होता है जिसे धक्का देकर जानवर अन्दर तो जा सकता है, परन्तु क्योंकि वह अन्दर ही खुलता है, बाहर नहीं, इसलिए जानवर अन्दर जाकर उसमें से बाहर नहीं निकल सकता। बल्लियों के अन्दर और बाहर के घेरे में सिर्फ इतना फासला होता है जिसमें भेड़िया फँस-सा जाता है, उस फासले में वह पीछे की तरफ मुड़ नहीं सकता। क्योंकि वह मुड़ नहीं सकता इसलिए भेड़ियों के इस घेरे में आ फँसने पर उसे अन्दर जाकर मार दिया जाता है, फिर उसका मास पका कर खा लिया जाता है। कुछ इसी सिद्धान्त पर मछली पकड़ने का फदा बनाया जाता है। एक लम्बी-सी जालीदार टोकरी बनाई जाती है जिसके अन्दर एक दूसरी लम्बी परन्तु छोटी टोकरी उल्टे मुँह से बँठा दी जाती है। बड़ी जालीदार टोकरी के मुँह से छोटी टोकरी का मुँह उल्टा होता है। फिर इसे मछलियों के दरिया में डाल दिया जाता है। बड़ी जालीदार टोकरी के मुँह से मछलियाँ अन्दर चली जाती हैं, फिर छोटी जाली में पहुँच जाती हैं और क्योंकि छोटी जाली का मुँह बड़ी जाली से उल्टा होता है, इसलिए वे छोटी जाली में जाकर वहाँ फँस जाती हैं, बाहर नहीं निकल सकतीं। जानवरों को पकड़ने के लिए अशिक्षित जातियों ने और भी तरह-तरह के तरीके निकाल रखे हैं। शिकार को घेर-घार कर वे ऐसी जगह ले आते हैं जहाँ ऊँची जगह होती है, या तो शिकार वहाँ से छलाग मार कर नीचे गिर कर स्वयं मर जाता है, और अगर बचने के लिए पीछे को लौटता है, तो शिकारियों के भाले से उसे बाँध दिया जाता है। कभी-कभी शिकार को खेद कर नदी में धुसने के लिए विवश कर दिया जाता है, जहाँ तरते हुए उसे वाणों से मार दिया जाता है। पक्षियों

को फँसाने के लिए जाल बनाये जाते हैं। एस्कमो जाति के लोग 'सील' नामक जानवर का शिकार करते हैं। वे किसी मरे 'सील' की चमड़ी पहन कर उसकी नकल करते हैं, उसकी-सी आवाज़ निकालते हैं, और इस प्रकार 'सीलो' को धोखा देकर उनका शिकार करते हैं। किसी-किसी जाति के लोग हरिण की चमड़ी पहन कर हरिणों को धोखा देकर उनका शिकार खेलते हैं। रामायण में मारीच के हरिण का रूप धारण करने की कथा आती है। वह हरिण का भेष धारण करके आया था और श्री रामचन्द्र जी उसके पीछे उसे हरिण समझ कर ही उसे पकड़ने के लिए भागे थे।

जिन लोगों में कृषि का अभी अधिक विकास नहीं हुआ होता, वे जंगल से वृक्षों की जड़ें खोद लाते हैं, उन्हीं को खाते हैं। खोदने के लिए एक लकड़ी को लेकर उसे नोकीला बना लेते हैं। जो इससे आगे बढ़ते हैं, वे खोदने की लकड़ी के साथ कोई नोकीला पत्थर बाँध लेते हैं या लकड़ी की जड़ में छेद कर उसमें पत्थर की नोक जड़ देते हैं। इससे खोदने में उन्हें सुविधा होती है। किसी-किसी जाति में खेती के लिए भी यह नोकीले पत्थर की छड़ी ही काम में आती है। वे ज़मीन को इस नोकीली छड़ी से एक फीट की गहराई तक गाड़ कर मट्टी के ढेलों को उचेल देते हैं, फिर इन ढेलों को उनकी औरतें तोड़ कर उनकी नरम मट्टी बना देती हैं। इसमें ये लोग सब्जी-तरकारी बीज देते हैं। यह नोकीली छड़ी ही आगे जाकर कुछ विकसित होने पर कुदाली (Hoe) का रूप धारण कर गई। नोकीली लकड़ी से जब ज़मीन खोदी जाती है, तब लकड़ी को ज़मीन में गाड़ कर मट्टी आगे की तरफ धकेली जाती है, कुदाली से खोदने पर ज़मीन मट्टी पीछे की तरफ धकेली जाती है। हल का विकास कुदाली से न होकर खोदने की नोकीली लकड़ी से हुआ है, क्योंकि हल में मट्टी आगे की तरफ धकेल कर खोदी जाती है, फावड़े का विकास कुदाली से हुआ है, क्योंकि कुदाली तथा फावड़ा—इन दोनों में मट्टी पीछे की तरफ धकेली जाती है। कुदाली की नोक को चौड़ा कर देने से फावड़ा बन गया होगा। इन सब उपकरणों से आदि-मानव जंगल से पेड़ों की जड़ें निकालता था, सब्जी-तरकारी बोता, हल चलाता तथा खेती करता था और इन साधनों से जो-कुछ प्राप्त करता था उससे अपना पेट भरता था।

(ज) सुरक्षा (Shelter)—सुरक्षा का सबसे बड़ा माध्यम मकान है। आदि-मानव मकान बनाना तो नहीं जानता था, परन्तु ज़मीन में खोद कर गुफा ज़रूर बना सकता था। शुरु-शुरु में मनुष्य गुफा में ही रहा करता था। ज़मीन पर भी रहने की व्यवस्था उसने की थी, और ज़मीन पर रहने का पहला प्रकार तो वृक्षों की टहनियों को इस प्रकार गाड़ लेना था जिससे हवा की रोक-टोक हो सके। इसके बाद तम्बू के-से ढाँचे भी खड़े किये जाने लगे। एक तरीका तो साधारण-सा था जिसमें दो बल्लियाँ ऊपर से साथ जोड़ दी जाती थीं और उन पर चमड़ा सुखा कर इस प्रकार फैला दिया जाता था जिससे वर्षा-पानी-धूप से रक्षा हो सके। बड़ा तम्बू बनाने के लिए इस प्रकार की बल्लियों की दो कँचियाँ बनाकर आमने-

मने गाड़ दी जाती थीं और उनके ऊपर दोनों को मिलाने के लिए एक लम्बी ली बाँध दी जाती थी। इस सारे पर चमड़े की खालें फैला दी जाती थीं और तैयार हो जाता था। इंडियन लोग भैंस की खाल का तबू बना लेते थे।

मट्टी के घर भी बनाये जाते थे। मट्टी की ईंटें पाय कर उन्हें घूप में सुखाया जाता था। मडन तथा हिदत्सा लोग मट्टी के मकान बना लेते थे। पत्थर के र भी पीछे बनने लगे। एस्किमो लोग बरफ से घर बनाते हैं। बरफ के बड़े-बड़े टुकड़ों को लेकर इस प्रकार जमाते हैं, जिससे मकान तैयार हो जाता है और समें बड़े आराम से विश्राम किया जा सकता है।

(झ) वस्त्र (Clothing)—हम पहले देख आये हैं कि 'पूर्व-पाषाण-ग' (Paleolithic period) में चार बार हिम-पात हुआ इसलिए इसे 'हत्तपात-युग' भी कहा जाता है। इन हिम-पातों के बीच के समय को 'अन्त-हिमपात-काल' कहा जाता है। इस समय में मौसम गर्म हो जाती थी और मनुष्य पना वस्त्र के रह सकता था। परन्तु हिम-काल में शरीर के ढके बगैर रह सकना मुमकिन था। ऋतु को भयकरता से वचने के लिए शुरू-शुरू में जानवरों की मडी को सुखा कर उससे बदन को ढकने का काम लिया गया होगा। 'पूर्व-पाषाण-ग' के अवशेषों में अनेक पत्थर पाये जाते हैं जिनसे खालों को खुरचने का काम किया जाता होगा। शुरू-शुरू में तो उन पशुओं की खालों को बदन ढकने के काम लाया गया होगा जो आसानी से घूप में सूख जाती हैं, बाद को हिरण, शेर, चीते के खालों को भी खुरच कर और सुखा कर उपयोग में लाया गया होगा। बदन के पत्तों से बन्दर भी ढकते हैं ताकि सर्दों-गर्मों से वे बच सकें, मनुष्य ने भी शरीर के रक्षा के लिए पत्तों, खालों आदि का प्रयोग किया होगा। पेड़ों की छालों को तार कर उनसे शरीर ढकने का काम अब भी पौलीनेशिया, मँलेनेशिया, दक्षिणी शिया तथा दक्षिणी अमरीका में लिया जाता है। पहले वृक्ष की खुरदरी छाल को उतार कर कूटा जाता है, कूटने से मुलायम होने पर उनकी लम्बी-लम्बी ट्टियाँ बनाई जाती हैं जिन्हें चौड़ाई में छोटा होने के कारण आफ्रीका में तो सीर पहन लिया जाता है और पौलीनेशिया में तो छाल की पट्टियाँ ही लम्बी तथा पीडी बनाई जाती हैं जो शरीर को आसानी से ढक लेती हैं। छाल के वस्त्रों को गेग भिन्न-भिन्न रंगों से रंग लेते हैं, जिससे पहनने पर ये सुन्दर लगने लगते हैं।

कई लोगों का कहना है कि वस्त्र धारण करना मनुष्य की प्रारम्भिक आवश्यकता नहीं है। शुरू में मनुष्य शरीर को सजाने के लिए, अलंकार के तौर पर शरीर को लपेट लेता था, इस अलंकार से वस्त्र पहनने का आविष्कार हुआ। परन्तु यह बात ठीक नहीं जँचती। शरीर को सर्दों-गर्मों-धर्पा से बचाना तथा उसे जाना—ये दोनों अलग-अलग इच्छाएँ हैं, और इन दोनों को तृप्त करने के लिए वस्त्र तथा अलंकार—इन दोनों का अलग-अलग ही आविष्कार हुआ होगा, इनमें एक को दूसरे का परिणाम बताना सगत नहीं प्रतीत होता। बन्दरों में भी शरीर के पत्तों से ढकने तथा किसी सुन्दर फूल को देख कर उम्रे तोड़ लेने की दो अलग-

अलग इच्छाएँ दीख पडती हैं, इन दोनों का एक-दूसरे से कोई सबध नहीं दीखता । कई लोगों का कहना है कि शुरू-शुरू में जननेन्द्रियो को ढकने के लिए वस्त्रो का आविष्कार किया गया था । अशिक्षित जातियो में शरीर नगा रहने पर भी जननेन्द्रियो को पुरुष तथा स्त्री पत्तो से या किसी अन्य वस्तु से ढके रहते हैं । मनुष्य की इसी स्वाभाविक लज्जा का विकास वस्त्रो में हुआ । परन्तु यह भी युक्ति-सगत प्रतीत नहीं होता । कई जातियाँ तो विल्कुल नगी रहती हैं, उनमें लज्जा कहाँ गई ? फिर सिर्फ एक अंग को ढकने की इच्छा से सारे शरीर को ढकने की प्रवृत्ति का जाग उठना भी समझ नहीं आता । युक्ति-सगत यही प्रतीत होता है कि शरीर रक्षा के उद्देश्य से मनुष्य ने शरीर को ढकने के वस्त्रो का आविष्कार किया ।

(ञ) अलंकार (Ornaments)—शरीर को 'अलंकृत' करने के लिए अशिक्षित जातियों में भिन्न-भिन्न प्रकार के साधनो तथा विधियो का प्रयोग किया जाता है । कई शरीर को रंग लेते हैं, कई उसे गुदवा देते हैं । काले रंग की जातियों में शरीर को गुदवाये तो गोवना दिखाई नहीं देता, इसलिए वे शरीर पर भिन्न-भिन्न प्रकार के दाग बना लेते हैं । कई दाँतों को रेती से घिस कर नोकदार बना लेते हैं, कई किसी दाँत को तोड़ ही डालते हैं, कई दाँत में खोल कर के उसमें कुछ चीज भरवा लेते हैं । कान, नाक, गाल तथा होठ को छेद करके उसमें छल्ला डालने की भी कई जातियो में प्रथा है । कई बच्चे के सिर को दबा कर उसे चपटा कर डालते हैं । नीग्रो लोग बच्चे की नाक को दबा-दबा कर चपटा कर डालते हैं, चीनी लोगों में लडकियों के पाँवों को छोटा बनाने के लिए उन्हें बचपन में ही लोहे के जूते पहना दिये जाते थे । वे समझते थे कि इससे उसकी सुन्दरता बढ जायगी । शरीर को सजाने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के अलंकारो का आविष्कार आदि-काल से मानव-समाज करता चला आ रहा है ।

(ट) आक्रमण से रक्षा (Protection against attack)—हम देख चुके हैं कि मनुष्य के काम करने के उपकरण एक प्रकार से हाथ की शक्ति को बढाने के आविष्कार हैं । कुवाली के सिर को पकड कर उतना काम नहीं लिया जा सकता जितना उसमें हथ्या लगा कर उससे काम लिया जा सकता है । यही बात अन्य उपकरणों के विषय में कही जा सकती है । हाथ से जब किसी शस्त्र द्वारा मनुष्य किसी दूसरे पर आक्रमण करेगा, तो उस पर भी कोई आक्रमण कर सकता है । आदि-काल का मानव देखता भी या कि उस पर उसके शत्रु आक्रमण करते थे । दूसरे से आक्रमण की रक्षा के लिए उसने ढाल का आविष्कार किया । ऑस्ट्रेलिया तथा नील नदी के ऊपर के भाग में इस प्रकार की ढालो का अशिक्षित जातियों में प्रयोग पाया जाता है । ये ढालें छोटी, साधारण-सी तथा बडे आकार की भी होती हैं । भाले तथा तीर के आक्रमण को रोकने के लिए बडी तथा मजबूत ढालो की आवश्यकता होती है और इस प्रकार की मजबूत तथा बडे आकार की ढालों का भी इन जातियों में प्रयोग पाया जाता है । शरीर को आक्रमण से बचाने के लिए

ये लोग मोटे चमड़े की खाल या लकड़ी तथा हड्डियों का कवच-सा बना लेते हैं, शरीर को आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए लकड़ी का शिरस्त्राण प्रयोग में लाया जाता है। ये सब आविष्कार उन्नत होते-होते आजकल के शस्त्रास्त्रों का रूप धारण कर गये हैं, किन्तु इनकी शुरुआत आदि-काल के मनुष्य ने ही की थी।

(ठ) औषध तथा विष प्रयोग (Medicine and poison)—अशिक्षित जातियों ने जीव-जन्तु तथा वनस्पति के विषों तथा इनके द्वारा काम में आने वाली औषधियों को भी खोज निकाला था। साँप के विष का प्रयोग किया जाता था। विषों को वाणों के अग्रभाग में लगा कर उन्हें युद्ध के काम में लाया जाता था। वनस्पतियों का विष तालाव में घोल कर डाल देने से मछलियाँ मर जाती थीं। विष का प्रयोग अपराध-परीक्षा में भी किया जाता था। जो निरपराध हो, उस पर विष का प्रयोग कुछ असर नहीं कर सकता—यह विश्वास था। शिवजी अपने कंठ में विष को उतार ले गये, परन्तु उन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। विषों को औषधि के तौर पर भी बरता जाता था। औषध का क्षेत्र विष तक ही सीमित नहीं था। भिन्न-भिन्न प्रकार की औषधों तथा उपचार के उपायों का आदि-मानव ने आविष्कार कर लिया था। औषध के तौर पर मालिश का उपयोग अशिक्षित जातियाँ समझती हैं। ईस्टर आईलैंड तथा समोआ में मालिश का आम प्रचार है। कब्ज होने पर बंकोवर द्वीप के इंडियन पेट पर मालिश करते हैं, क्रो-इंडियन पेट में दर्द होने पर मालिश से उसे दूर कर देते हैं। जाड़ू आदि द्वारा रोग के उपचार में भी मालिश का प्रयोग किया जाता है, गर्भ-पात के लिए तो इसका इन लोगों में बहुत अधिक प्रचार है। सिर दर्द दूर करने के लिए ये लोग सिर पर पट्टी बाँधते हैं—यह भी मालिश का ही एक रूप है। मालिश के अलावा रोग दूर करने में पसीना लाने के महत्त्व को भी ये जानते हैं। उत्तरी अमरीका में गढा खोद कर उसे गर्म करके रोगी को उसमें बैठा दिया जाता था। खूब पसीना आने के बाद रोगी को ठंडे पानी में बैठाया जाता था। जल-चिकित्सा की विधि भी यही है, इसमें भी पसीना लाने के बाद ठंडे पानी का स्नान कराया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में रुग्ण-अंग पर भाप छोड़ी जाती है और शरीर के बाकी हिस्से को ढक दिया जाता है। कई रोगों में शरीर में चाकू लगा कर रुधिर निकाल दिया जाता है। व्रण का रुधिर मुख से चूस कर फेंक दिया जाता है। शिरा-च्छेदन तथा कटोरी का प्रयोग भी कई जातियों में पाया जाता है। रुधिर बन्द करने के लिए कोयला पीस कर छिड़का जाता है। फोड़ों पर पुलटिस बाँधी जाती है। साँप काटे पर चाकू से जगह काट कर ऊपर की तरफ बाँध दिया जाता है ताकि विष शरीर के ऊपरी भाग में न चढ़ने पाये। फोड़ों को दागा भी जाता है, सिर तथा पीठ के दर्द को ठीक करने के लिए भी दागने की विधि काम में लायी जाती है। कई रोगों में उल्टी करायी जाती है, कई रोगों में नली से अनीमा दिया जाता है। हड्डी टूट जाने पर उसे जोड़ने के लिए भी उपाय किये जाते हैं।

(ड) मादक पदार्थ (Intoxicants and narcotics)—आफ्रीका, दक्षिणी अमरीका, पोलीनेशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया में भिन्न-भिन्न पदार्थों से मादक-द्रव्यों का निर्माण तथा उनका सेवन काफी प्रचलित है। इस कार्य के लिए अनाज, कन्द-मूल, फल, दूध आदि सभी पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। उत्तर-पूर्व एशिया के कई प्रदेशों में फूई को खाया जाता है जिससे मादकता उत्पन्न होती है। दक्षिणी-अमरीका में पान, कोको तथा अन्य कई प्रदेशों में भांग, अफीम एवं तम्बाकू का खाने, चवाने, धूँए के तौर पर पीने में इस्तेमाल किया जाता है। कई जगह नस्वार भी ली जाती है।

(ढ) टोकरी-निर्माण (Basketry)—टोकरी बनाने का तरीका मकान बनाने के तरीके का ही एक रूप है। मोटी-मोटी छड़ों के साथ-साथ पतली छड़ें रख कर उन्हें ताने-बाने की तरह बुन दिया जाता है। छड़ों से दीवार बनाते हुए भी मोटी छड़ और पतली छड़ों का इसी तरह का जाल बना कर उसे मट्टी से लीप दिया जाता है। इन छड़ों को बहुत नज़दीक से बुनने से टोकरी बन जाती है। इसी प्रकार की चौड़ी पत्तियों को बुनने से चटाई बन जाती है। टोकरी और चटाई बनाने की विद्या का आविष्कार, संभवतः खेल-खेल में छड़ों और पत्तियों के नानाविध सम्मिश्रण द्वारा हुआ होगा।

(ण) कताई-बुनाई-सिलाई (Spinning, weaving and sewing) —टोकरी बनाने तथा चटाई बुनने का अगला कदम कताई-बुनाई कहा जा सकता है। दोनों में एक ही प्रकार के नियम काम करते दिखाई देते हैं। ताना-बाना और जगह-जगह ज़रूरत की गाँठ लगाना—इसी सिद्धान्त से टोकरी, इसी से चटाई और इसी से बुनाई चलती है। भेड़ों के बाल या चमड़े की पतली-पतली कतरनों से आदि-काल का मानव बुनाई करके कम्बल बना लेता था। इससे पहले कि पेड़ की छालों, भेड़ के बालों या जानवर की खाल की कतरनों से कम्बल बना जाय, इस सामग्री को मज़बूत बनाने के लिए कातने के आविष्कार का होना ज़रूरी था। शुरू-शुरू में तो किसी को हाथ से बट कर ऊन के धागे को मज़बूत बनाने की सूझी होगी, साथ ही यह भी आविष्कार किसी ने किया होगा कि किस प्रकार ऊन के एक हिस्से को दूसरे से इस प्रकार जोड़ा जाय कि लम्बा तथा मज़बूत सूत्र बनता चला जाय। अक्सर किसी चपटी चीज़ पर या जाँघ पर सूत्र को रख कर उसे बटा जाता होगा, उसे मज़बूत बनाया जाता होगा। इस प्रक्रिया को जिस किसी ने यन्त्र द्वारा चखें के रूप में परिणत किया उसने मानव-इतिहास में एक महान् आविष्कार को जन्म दिया। जिन असूलों से टोकरी तथा चटाई बनाई जाती थी, उन्हीं के आधार पर ताने-बाने के रूप में बुनाई की जाने लगी और धीरे-धीरे करघे का भी आविष्कार हो गया। हम पहले लिख आये हैं कि सूई का आविष्कार पहले हो चुका था। दो वस्तुओं को जोड़ने का काम तो पहले होता ही था, उसी सिद्धान्त को जब कपड़े के दो टुकड़ों में व्यवहार में लाया जाने लगा, तब सिलाई शुरू हो गई। ये सब बातें अशिक्षित जातियों के जीवन में पायी जाती हैं। एशल्लुस्ते

जाति की स्त्रियाँ पेड के तन्तुओं के पतले तन्तु को साफ करके सुखा देती थीं और फिर उन्हें जाँघ पर रख कर बट लेती थीं, इससे सूत्र बन जाता था। न्यू गाइना में कई पेड़ों की छाल को लम्बा उतार कर उसे बट कर रस्सी बना लेते थे। दक्षिणी अमरीका के इंडियन तथा अन्य कई जातियों के लोगों ने रूई तथा ऊन का वस्त्र बनाने के लिए एक प्रकार के करघे का आविष्कार कर लिया था।

(त) भाण्ड-निर्माण (Pottery)—भाण्ड-निर्माण का आविष्कार 'नव-पाषाण-युग' (Neolithic period) में हुआ। यूरोप तथा अमरीका—दोनों जगह यह आविष्कार स्वतंत्र रूप में हुआ प्रतीत होता है। भाण्ड-निर्माण का आविष्कार कैसे हुआ? विद्वानों का कहना है कि जब गढा खोद कर उसमें गर्म पत्थर डाल कर भोजन बनाते थे, तब उसी गढे को भोजन पकाने के लिए बार-बार प्रयोग में लाते होंगे। बार-बार प्रयोग में लाने से मट्टी पक जाती होगी। पकी लाल मट्टी को जो पहले कच्ची हालत में थी, देख कर यह विचार आना कि कच्ची मट्टी को पकाया जा सकता है, एक स्वाभाविक विचार था। इससे पहले कच्ची मट्टी के बरतन तो बनते ही थे। इन बरतनों को तद्दूर में पका कर पक्का बनाया जाने लगा। ये मट्टी के बरतन किस प्रकार बनने लगे? इस सवध में विद्वानों का कहना है कि टोकरी बनाते हुए उसे मट्टी से लीप दिया जाता था। लीपने के बाद जब मट्टी सूख जाती थी तो कभी-कभी टोकरी से अलग भी हो जाती थी। यह अलग हुई मट्टी टोकरी के ही आकार की थी, इससे कच्ची मट्टी के बरतन बनाने का विचार पहले-पहल प्रकट हुआ। टोकरी की लेपन टोकरी के ढाँचे की थी, वह ढाँचा तद्दूर म पकाने से पक्का हो गया—इससे बरतन बनाने का आविष्कार हुआ। कच्ची मट्टी से पहले तो हाथ के जरिये मट्टी को ठोक-ठोक कर बरतन बनाया जाता था, बाद को कुम्हार के चाक का आविष्कार हुआ जिससे चाक को घुमा कर बरतन बनाये जाने लगे। ईजिप्ट में ईसा से ३००० वर्ष पहले मट्टी के बरतन बनाने के यंत्र का आविष्कार हो चुका था।

(थ) धातु-प्रयोग (Metallurgy)—धातुओं का दो रूपों में उपयोग किया जाता है—कच्ची धातु के रूप में और पक्की धातु के रूप में। कच्ची धातु उसे कहते हैं जब उसे शुद्ध नहीं किया गया होता, शुद्ध धातु उसे कहते हैं जब उसे शुद्ध कर दिया जाता है। 'पूर्व-पाषाण-युग' में तो पत्थर का ही उपयोग होता था, पत्थर को उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है—इस बात को उस युग में खोज हुई थी, परन्तु पत्थर के अतिरिक्त अन्य धातुओं का भी उपकरण के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है—इस बात की खोज 'नव-पाषाण-युग' में हुई। इस युग में भी पहले-पहल कच्ची धातुओं का प्रयोग हुआ, धातुओं का उस रूप में प्रयोग हुआ जिस रूप में वे प्रकृति में पायी जाती हैं। उसके बाद धातुओं के शोधन का आविष्कार हुआ। पहले ताँबा, फिर काँसा और फिर लोहे का आविष्कार हुआ। धातु शोधन का कार्य ईसा से ४००० वर्ष पूर्व ईजिप्ट तथा वेंवेलोन में होने लगा था। पत्थर को पीट कर उमकी भिन्न-भिन्न शकलें नहीं बनाई जा



सकती थीं, परन्तु जब मनुष्य को ताँवा मिला, तब उसने इसे पीट कर इसका भिन्न-भिन्न शकलो में इस्तेमाल शुरू किया। ताँवे और टिन को मिला कर काँसे का आविष्कार हुआ। काँसे में ताँवे और टिन का भिन्न-भिन्न अनुपात मिलाया जाता है। मनुष्य को उपकरण बनाने हुए यह देखना होता है कि उस धातु का उपकरण बनाया जाय, जिसे ठोक-पीट कर मनचाही शकल दी जा सके, परन्तु जो उपकरण बनाने के बाद मुलायम न बना रहे। जब से लोहे की खोज हुई, तब से इस प्रकार की धातु का पता लग गया जिसे गर्म करने पर नरम भी बनाया जा सकता था, परन्तु जो ठंडा होने के बाद ताँवे और काँसे से भी सख्त थी। इस युग के आने पर अधिकतर उपकरण बनाने में लोहे का ही प्रयोग होने लगा। धातु को शुद्ध करने के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। यह तभी संभव हो सका जब धौकनी का आविष्कार हो गया। इन धातुओं की खोज कैसे हुई—कुछ नहीं कहा जा सकता। इन सब आविष्कारों में धौकनी का आविष्कार बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि बिना धौकनी के आग में इतनी तेजी नहीं पैदा की जा सकती जिससे वह धातु को पिघला सके।

(द) यातायात (Transportation)—एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने में पैरों से ही लोग जाते हैं, परन्तु साथ ही ऐसे साधनों का भी आविष्कार करते हैं जिनसे पैरों के लिए भी तो जाना-आना सुगम हो सके। इसीलिए जूते का आविष्कार हुआ, इसीलिए लाठी का आविष्कार हुआ क्योंकि लाठी के सहारे जल्दी और ज्यादा आया-जाया जा सकता है, इसके सहारे भार भी उठाया जा सकता है। जहाँ बर्फ ज्यादा पड़ती है, वहाँ ऐसे जूतों का मनुष्य ने आविष्कार किया जिनसे बर्फ पर चला जा सके।

पहले लोग सिर पर माल ढोया करते थे, परन्तु सिर पर कितना ढोया जा सकता था। इसी तरह पीठ पर ढोते थे। सिर और पीठ पर अब भी माल ढोते हैं, परन्तु इसके बाद मनुष्य ने कंधे के सहारे बहगी से माल ढोना शुरू किया। मकान पर चढ़ने के लिए पहले गाँठदार बल्ली काम में ली जाती थी, फिर बाका-यदा सीढ़ी से काम लिया जाने लगा—यह भी एक प्रकार का नीचे से ऊपर को जाने का आविष्कार था। पानी में यातायात के लिए पहले एक बड़े लकड़ का सहारा लेकर तैरते थे, फिर बड़े बनाने लगे, फिर धीरे-धीरे नौका का आविष्कार हुआ। नदियों पर पुल बँधे, झूलेदार पुल बँधे, रस्से को पकड़ कर नदी के आर-पार जाने के पुल बँधे। घोड़े-गाधे-ऊँट से सामान ढोने के पहले कुत्ते को साधारण-सी गाड़ी बना कर उसमें जोता जाता था, फिर घोड़े-गाधे आदि से भी माल ढोने का काम लिया जाने लगा। पहिये का जिसने निर्माण किया उसने तो ऐसा आविष्कार कर दिया जिसने यातायात के क्षेत्र में क्रान्ति का काम किया। इससे व्यापार को बहुत तरक्की मिली और दूर-दूर से व्यापारी लोग अपना माल लेकर बाजारों और मंडियों में आने लगे। यातायात के साधनों का अर्थ-व्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ा।

## परिवार

(FAMILY)

### १ परिवार का मानव-जीवन में प्राणिशास्त्रीय महत्व

मानव-शास्त्र की दृष्टि से 'परिवार' की सस्था पर विचार करने से पहले 'परिवार' की कुछ आधारभूत बातों पर विचार करना आवश्यक है। 'परिवार' का मानव-जीवन में क्या स्थान है, क्या महत्व है, क्यों 'परिवार' के बिना मनुष्य नहीं रहता ? 'परिवार' की इन आधारभूत बातों को, 'परिवार' के महत्व को समझने के लिये हमें 'परिवार' सम्बन्धी निम्न तीन बातों की तरफ ध्यान देना होगा

(क) अति-जीवन की आवारभूत शर्तें (Conditions of Survival)

—मनुष्य अन्य प्राणियों की तरह ही एक प्राणिशास्त्रीय-जीव है। प्राण-धारण करने के लिए अन्य जीवों में जो आवश्यक शर्तें हैं, वे मनुष्य पर भी लागू होती हैं। प्राण-धारण के लिए आवश्यक शर्तें कौन-सी हैं ? सांस लेना, खाना-पीना, मल-त्याग, काम-भाव—ये सब बातें पशु तथा मनुष्य के प्राण-धारण के लिए, उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। इन्हीं को मनोवैज्ञानिक 'सहज-स्वभाव (Instincts) कह देते हैं। 'सहज-स्वभाव' का काम भी तो प्राणी को मरने से बचाना है, उसे जीवित रखना है। सांस-लेना, खाना-पीना, मल-त्याग, काम-भाव—ये सब प्राणी के जीवन धारण के लिए, उसके 'अति-जीवन' (Survival) के लिए आवश्यक हैं, इसलिए प्राणी सांस लेता है, खाना-पीता है, मल त्याग करता है, काम-चेष्टा करता है। इन कामों को वह न करे, तो वह सृष्टि में जीता न बच रहे।

(ख) अति-जीवन में सन्तानोत्पत्ति तथा परिवार का स्थान (Reproduction and family as conditions of survival)—'अति-जीवन' के लिए आवश्यक शर्तें दो तरह की हैं। एक तो सांस लेना, खाना-पीना, मल-त्याग आदि—इन्हें मनुष्य इकला करता है, वैयक्तिक-रूप से करता है, दूसरी तरह की शर्तें हैं—'काम-भाव' जैसी, जिन्हें मनुष्य इकला नहीं कर सकता, दूसरे के सहयोग से करता है। 'काम-भाव' को तृप्त करने के लिए पुरुष को स्त्री की और स्त्री को पुरुष की जरूरत है, परन्तु 'काम-भाव' का परिणाम 'सन्तानोत्पत्ति' हो जाता है। जब तक 'काम-भाव' से सन्तान न हो, तब तक तो कोई बात नहीं, परन्तु जब 'काम-भाव' का परिणाम सन्तानोत्पत्ति हो जाता है तब स्त्री का पुरुष से यह पूछना स्वाभाविक है कि अब क्या हो, इस सन्तान का पालन कौन करे ?

आज का मानव प्रेम करने का तो बड़ा शौकीन है, परन्तु अपनी प्रेमिका को गर्भवती देख कर भाग खड़े होने के दौंव-पेंच खेलने लगता है, आदि-काल का मानव ऐसा नहीं था। उसके सामने जब यह प्रश्न उपस्थित हुआ, तब उसने इस समस्या का हल करने के लिए 'परिवार' की सस्था को जन्म दिया। 'अति-जीवन' (Survival) के लिए जैसे सांस लेना जरूरी है, खाना-पीना जरूरी है, वैसे काम-भाव भी जरूरी है। 'काम-भाव' का आवश्यक परिणाम अगर 'सन्तानोत्पत्ति' है, तो क्यों न उस जिम्मेदारी को निभाया जाय ? इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए 'परिवार' की सस्था को जन्म दिया गया। पुरुष ने कहा—मैं जंगल से फल-कन्व बटोर कर लाऊंगा, शिकार पकड़ूंगा, मछली मारूंगा, तू घर बँठ कर खाना बनाना, बच्चे को दूध पिलाना, मुझे भी खिलाना। स्त्री जब गर्भवती हो जाती थी तब उससे उतना काम नहीं हो सकता था, बच्चा होने पर महीनो बच्चा ही उसे कोई काम-काज नहीं करने देता था—इस सब से स्त्री-पुरुष का समझौता हो गया और पुरुष तथा स्त्री के काम का आपस में बटवारा हो गया। आज भी यह बटवारा लगभग वैसे-का-वैसा चलता चला आ रहा है, स्त्री घर का काम-काज देखती है, पुरुष बाहर का। जब स्त्री परिवार-नियोजन के पचड़े में पड कर सन्तान उत्पन्न करना बंद कर देगी, काम-वासना पूरी करेगी परन्तु बच्चे को उत्पन्न नहीं होने देगी, तब तो स्त्री-पुरुष का आदि-काल से चला आ रहा कार्य-क्षेत्र का विभाजन अपने-आप समाप्त हो जायगा, क्योंकि तब स्त्री को घर से बाँध रखने का कोई कारण नहीं रह जायगा, परन्तु जिस आदि-मानव के समाज की हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें तो 'सन्तानोत्पत्ति' जीवन में बाधक होने के स्थान में साधक का काम करती थी। जितने हाथ होते सब कमाई के साधन थे, इसलिए उस समाज में स्त्री-पुरुष का अपने-आप अपने-अपने कार्य-क्षेत्र का बटवारा हो गया था।

स्त्री-पुरुष का जीवन की आधारभूत काम-वासना को तृप्त करने के लिए एक-दूसरे के साथ मिल कर रहने और इससे उत्पन्न होने वाली सन्तान की देख-रेख करने के लिए, एक-दूसरे के भोजन, खाने-पीने की चिंता से 'परिवार' का जन्म हुआ। इस दृष्टि से 'परिवार' मनुष्य की आधारभूत 'प्राणिशास्त्रीय-एषणा' (Biological urge) का क्रियात्मक रूप है। यह रूप आदि-काल के मानव से आज के युग के मानव तक लगातार वैसे-का-वैसा इस एषणा की पूर्ति के लिए चलता चला आ रहा है। 'प्राणीशास्त्र' की सब बातों का मूल 'अति-जीवन' (Survival) है, 'परिवार' का भी मूल 'अति-जीवन' ही है क्योंकि इसके बिना प्राणी इकला रह जाता है, और इकला रहने से सन्तान उत्पन्न न कर सकने के कारण वह तथा उसका वंश नष्ट हो जाता है।

(ग) व्यक्ति के 'अति-जीवन' के लिए परिवार का महत्व (Place of family in man's survival)—व्यक्ति जो-कुछ करता है, अपने स्वार्थ के लिए करता है, अपने जीने के लिए करता है, अपने को नष्ट होने से बचाने के लिए करता है। आधारभूत 'सहज-स्वभाव' (Instincts) भी उसे नष्ट होने से

वचाने के लिए ही है। 'अति-जीवन' (Survival) को इस खाज भाव को तृप्त करते-करते उसने 'परिवार' की सस्या को जन्म दे दिया। परन्तु मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए अगर इकला काम करे, दूसरों के सहयोग से काम न करे, तो उसका अपना स्वार्थ भी पूरा नहीं होता। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भी उसे दूसरों के साथ मिल कर काम करना होता है, दूसरों के स्वार्थ को भी सिद्ध करना होता है। 'परिवार' क्या है? 'परिवार' में मनुष्य अपने स्त्री-वच्चों का हित साधने में जुट जाता है, इसलिए स्त्री और वच्चे उसका भी हित साधते हैं। सिर्फ अपनी रक्षा से अपनी रक्षा नहीं होती, जब हम दूसरो की रक्षा भी करते हैं, तब दूसरे भी मिल कर हमारी रक्षा करते हैं। व्यक्ति तो चाहता ही है कि उसकी रक्षा हो, आत्म-रक्षा के लिए ही वह सांस लेता, खाता-पीता—सब-कुछ करता है, परन्तु आत्म-रक्षा में ही लगे रहने से आत्म-रक्षा इतनी नहीं हो पाती जितनी दूसरो की रक्षा करने से आत्म-रक्षा को बल मिलता है। 'परिवार' का इसी दृष्टि से महत्व है। 'परिवार' मनुष्य की आधारभूत 'अति-जीवन' की आकाक्षा को पूर्ण करता है। हम समाज में भी दूसरों का साथ इसलिए देते हैं ताकि दूसरे भी मौके पर हमारा साथ दें। परिवार तथा समाज की आधारभूत यह भावना सर्वत्र, सब तरह के मानव-समाज में पायी जाती है। उदाहरणार्थ, कौचीन की कदार जन-जाति का कोई व्यक्ति जब दूसरों के साथ मिल कर जगल में फल-कन्द चुगने के लिए जाता है, तब वह समूह की भोजन की आकाक्षा को पूर्ण करने में सहायता देता है, परन्तु दूसरों को सहायता देने के साथ वह अपनी सहायता भी कर रहा होता है।

हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे 'सहज-स्वभाव' (Instincts) दो तरह के हैं—वैयक्तिक तथा सामाजिक। वैयक्तिक सहज-स्वभाव है—खाना-पीना, मल-मूत्र त्याग आदि, सामाजिक सहज-स्वभाव है—काम-भाव आदि। वैयक्तिक सहज-स्वभाव का उद्देश्य 'अति-जीवन' (Survival) है, मनुष्य को नष्ट होने से बचाना है, सामाजिक सहज-स्वभाव का भी उद्देश्य 'अति-जीवन' है, उसे नष्ट होने से बचाना है। वैयक्तिक सहज-स्वभाव मनुष्य इकला कर सकता है, सामाजिक सहज-स्वभाव इकला नहीं कर सकता, इसके लिए उसे दूसरों का सहारा लेना पडता है, पुरुष को स्त्री का, स्त्री को पुरुष का, समाज में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का। पुरुष स्त्री का सहारा लेकर जब 'परिवार' का निर्माण करता है, या हम किन्हीं व्यक्तियों को मिलाकर जब एक सभा या समाज की रचना करते हैं, तब दूसरे के लिए काम करते हुए हम अपना भी काम कर रहे होते हैं, दूसरों की सहायता करते हुए अपनी सहायता का बीज बो रहे होते हैं, दूसरों की रक्षा में अपनी रक्षा का सूत्रपात कर रहे होते हैं। इसी कारण आदि-काल से 'परिवार' की प्रथा चली आ रही है, क्योंकि यद्यपि इसमें मनुष्य दूसरे के लिए काम करता है, परन्तु दूसरे के लिए करते हुए अपने लिए भी कर जाता है।

## २ परिवार की परिभाषा

ऊपर हमने जो बातें लिखीं वे 'परिवार' की आधारभूत बात हैं। कुछ-कुछ उसी आशय को लेकर 'परिवार' की परिभाषाएँ की जाती हैं। 'परिवार' की दो-एक परिभाषाएँ हम नीचे दे रहे हैं —

[क] मैक ग्राडवर की व्याख्या—“परिवार उस समूह का नाम है जिसमें स्त्री-पुरुष का यौन-संबंध पर्याप्त निश्चित हो, और इनका साथ इतनी देर तक रहे जिससे सन्तान उत्पन्न हो जाय और उसका पालन-पोषण भी किया जाय।”

[ख] वरजेज तथा लॉक की व्याख्या—“परिवार व्यक्तियों के उस समूह का नाम है जिसमें वे विवाह, रुधिर या दत्तक-संबंध से बंधे होकर, भिन्न-भिन्न नहीं, अपितु एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं। इस गृहस्थी में वे एक-दूसरे पर पति-पत्नी, माता-पिता, पुत्र-पुत्री, भाई-बहन के रूप में प्रभाव डालते हैं और एक-दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं। वे सब इस गृहस्थी में एक सामान्य संस्कृति को जन्म देते हैं और उस संस्कृति को बनाये रखते हैं।”

## ३ परिवार की उत्पत्ति

### (Origins of Family)

परिवार की उत्पत्ति के संबंध में मानव-शास्त्रियों ने बहुत दिमाग लड़ाया है। जैसा हम पहले 'संस्कृति-संवर्धन के भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों' के प्रकरण में 'विकासवाद' का वर्णन करते हुए लिख आये हैं, १९वीं शताब्दी में विचार के हर क्षेत्र पर 'विकासवाद' की छाप दिखाई देती थी। 'परिवार' पर भी 'विकासवाद' की दृष्टि से विचार किया गया—इसे 'ऐतिहासिक-दृष्टि' भी कहा जाता है। 'ऐतिहासिक' इसलिए क्योंकि किन-किन ऐतिहासिक-प्रक्रियाओं में से गुजरते-गुजरते 'परिवार' वर्तमान रूप में पहुँचा—इस क्रम पर इस दृष्टि में विचार किया जाता है।

'विकासवादी'—अर्थात् 'ऐतिहासिक' एवं अन्य दृष्टियों से परिवार की उत्पत्ति के संबंध में जो-जो मुख्य-मुख्य विचार हैं, वे निम्न हैं —

[क] “The family is a group defined by a sex-relationship precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children” —*MacIver*

[ख] “The family is a group of persons united by the ties of marriage, blood or adoption, constituting a single household, interacting and inter-communicating with each other in their respective social role of husband and wife father and mother, son and daughter, brother and sister and creating and maintaining a common culture”

—*Burgess and Locke*

- (क) पितृसत्ताक परिवार का विचार (Patriarchal theory)
- (ख) एकविवाही परिवार का विचार (Monogamous theory)
- (ग) मिश्रित परिवार का विचार (Mixed family theory)
- (घ) मातृसत्ताक परिवार का विचार (Matriarchal theory)
- (ङ) विकासात्मक परिवार का विचार (Evolutionary theory)
- (च) आर्थिक परिवार का विचार (Economic theory)

### (क) पितृसत्ताक परिवार

#### (PATRIARCHAL FAMILY)

इस विचार के मानने वाले कहते हैं कि शुरु-शुरु में परिवार में पिता की प्रधानता थी। इस सिद्धान्त के पृष्ठ-पोषको में हैनरी मेन (Henry Maine) मुख्य हैं। इन लोगों का कहना है कि प्राणी-जगत् में नर और मादा साथ-साथ ही रहते, नर मादा को अपने एकाधिकार में भी रखता है। मादा दूसरे के पास जाये, तो नर को 'ईर्ष्या' होती है। नर क्योंकि मादा से बलवान् होता है, अतः 'एकाधिकार' तथा 'ईर्ष्या'—इन दो भावनाओं के कारण वह मादा पर अपना स्वत्व जमा लेता है। नर के मादा पर स्वत्व जमाने को ही 'पितृ-सत्ताक-परिवार' कहा जाता है। इस प्रकार के परिवार में घर की अन्तिम जिम्मेवारी स्त्री की नहीं, पुरुष की होती है। सम्पत्ति पर अधिकार स्त्री का नहीं, पुरुष का होता है। वश-परपरा स्त्री के नाम से नहीं, पुरुष के नाम से चलती है। इस प्रकार के परिवार में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों से हीन होती है। इस सिद्धान्त को मानने वालों का कहना है कि आदि-मानव के समाज में पहले-पहल इसी प्रकार के परिवारों की उत्पत्ति हुई।

'पितृ-सत्ताक-परिवार' में स्त्री अपने ही रुधिर के लोगों में न रह कर अपने से भिन्न रुधिर के लोगों में जाकर रहने लगती है। स्त्री अपने माता-पिता का घर छोड़ कर, उस घर को छोड़ कर जिसमें उसी के रुधिर के लोग रहते हैं, पति के घर, अपने से भिन्न रुधिर वाले लोगों के घर जाकर रहती है। इस प्रकार के परिवार को 'सहयोगी-परिवार' (Conjugal family) भी कहा जाता है। इस प्रकार के परिवार में पिता का निवास-स्थान परिवार का केन्द्र हो जाता है, इसलिए स्थान की दृष्टि से यह परिवार 'पितृ-स्थानी' (Patrilocal) कहा जाता है। इसमें वश-परपरा पिता के नाम से चलती है, इसलिए इसे 'पितृ-वंशी' (Patrilineal) भी कहते हैं। क्योंकि इसमें पिता की प्रधानता होती है, इसलिए इसे 'पितृ-सत्ताक' (Patriarchal या Patripotestal) कहते हैं। हिन्दू-समाज में 'पितृ-सत्ताक-परिवार' ही पाये जाते हैं। ससार के अधिकांश भागों में भी इसी प्रकार के परिवार हैं। बृहदारण्यक-उपनिषद् (अध्याय ५, ब्राह्मण ५) में एक वश-परपरा दी गई है जिसमें सब वश पिता के नाम से चले हैं। गोपब्रह्म का पुत्र, कौशिक का पुत्र, कौण्डिन्य का पुत्र, शाण्डिल्य का पुत्र—इस प्रकार ५०—

६० पिता के नाम से चले परिवारो का वहाँ वर्णन है। ससार की जिन सभ्यताओं में वंश-परंपरा किसी पुरुष से गिनी जाती है, वे 'पितृ-सत्ताक' हैं।

(ख) एक-विवाही या वैयक्तिक परिवार  
(MONOGAMOUS OR INDIVIDUAL FAMILY)

अभी हमने 'पितृ-सत्ताक-परिवार' का जिक्र किया। इसी 'पितृ-सत्ताक-परिवार' के विचार को लेकर ही 'एक-विवाही-परिवार' के सिद्धान्त को मानने वालों का कहना है कि शुरू-शुरू के परिवार 'पितृ-सत्ताक' ही नहीं थे, 'एक-विवाही' भी थे। अर्थात्, जिन कारणों से आदि-मानव के समाज में परिवार में पिता की प्रधानता हुई, उन्हीं कारणों से एक पुरुष का एक स्त्री रखना भी लाजमी हुआ। इस सिद्धान्त के पृष्ठ-पोषकों में विकासवादी डार्विन के अनुयायी वेस्टरमार्क (Westermarck) का नाम मुख्य है। उनका कहना है कि ताकतवर होने के कारण पुरुष स्त्री पर स्वत्व ही नहीं जमा लेता, परन्तु 'एकाधिकार' तथा 'ईर्ष्या' की भावना के कारण कोई पुरुष अपनी स्त्री को दूसरे के पास जाने भी नहीं देता। इस भावना का परिणाम स्वतः 'एक-विवाह' हो जाता है। वेस्टरमार्क का कहना है कि निम्न-स्तर के बन्दरो में भी 'एक-विवाह' की प्रथा ही है, इसलिए विकास की दृष्टि से वेस्टरमार्क के कथनानुसार 'एक-विवाही-परिवार' समाज में पीछे नहीं, शुरू में प्रारंभ हुआ। 'एक-विवाही-परिवार' को 'वैयक्तिक-परिवार' भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक स्त्री तथा एक पुरुष तथा उनके बच्चों का ही परिवार होता है। वर्तमान युग के परिवार 'पितृ-सत्ताक' तथा 'एक-विवाही' हैं। प्रश्न यही है कि क्या आदि-काल से ही ये ऐसे चले आ रहे हैं, या ये विकास का परिणाम हैं, शुरू में ऐसे नहीं थे। वेस्टरमार्क तो इन्हें शुरू से ही ऐसा मानते हैं।

इस विचार को मानने वालों का कहना है कि आदि-काल का समाज फल-कन्द एकत्रित करने वाली सरल अर्थ-व्यवस्था का समाज था। उसमें एक पुरुष तथा एक स्त्री का नियम ही सभव हो सकता था। एक स्त्री के लिए अनेक पुरुष या एक पुरुष के लिए अनेक स्त्रियों की प्रथा आदिकालीन व्यवस्था नहीं हो सकती, यह अवस्था तो समाज में तब उत्पन्न होती है, जब किसी कारण से पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ कम हो जाँय, या स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष कम हो जाँय। क्योंकि कोई ऐसी युक्ति प्रतीत नहीं होती जिससे हम यह समझें कि आदि-कालीन समाज में पुरुष तथा स्त्रियाँ समान नहीं थीं, इसलिए यही मानना पडता है कि इनकी संख्या बराबर-बराबर थी, और इसलिए एक पुरुष के लिए एक स्त्री की ही सभावना थी, अनेक स्त्रियों की नहीं।

इसका यह मतलब नहीं है कि इस नियम में अपवाद नहीं होता था। अपवाद तो होता ही था, परन्तु अपवाद होना ही इस बात का प्रमाण था कि आदिकालीन समाज का वह युग, जिसे हम 'प्रातिनूतन-काल' (Pleistocene period) कहते आये हैं, 'एक-विवाही-युग' था।

### (ग) मिश्रित परिवार (MIXED FAMILY)

कई लोगों का विचार है कि शुरु-शुरु में स्त्री-पुरुष के संबध में साम्यवाद, जो जिससे चाहता संबध कर सकता था। इस प्रकार का स्त्री-पुरुष का संबध तरह का हो सकता है—एक तो 'सामयिक-संबंध' तथा दूसरा 'ग्रुप-विवाह'। दोनों सम्बन्ध क्या थे ?

(१) अनिश्चित-सम्बन्ध या नियोग से मन्तान (Temporary union) - अनिश्चित-संबध वहाँ होता था जहाँ विवाह की प्रथा नहीं थी, कोई पुरुष किसी स्त्री में सामयिक संबध स्थापित कर लेता था। महाभारत में श्वेतकेतु के संबध लिखा है कि एक दिन वह ऋषि अपनी माता के निकट बैठे थे, उनके पिता भी वहाँ पर थे कि एक ब्राह्मण आकर श्वेतकेतु की माता का हाथ पकड़ कर कहने लगा—'युवति, तुम मेरे साथ चलो।' श्वेतकेतु को इससे बड़ा क्रोध आया, परन्तु उसके पिता उद्दालक ने कहा—'बेटा, क्रोध मत करो, अत्यन्त प्राचीन-काल से यही लसिला चला आ रहा है, ससार में सभी वर्णों की स्त्रियाँ इस विषय में स्वाधीन सब मनुष्य अपने वर्ण की स्त्रियों के साथ गाय-बैल का-सा आचरण करते हैं, जिसमें चाहे विहार कर सकता है।'<sup>१</sup>

इस प्रकार के अनिश्चित-संबंध की जगह पुत्रोत्पत्ति के लिए सामयिक-संबंध की कल्पना भी आदि-काल में थी। ऋषि वेदव्यास से नियोग द्वारा कुरु शा पांडु उत्पन्न हुए थे।

परन्तु इन बातों के आधार पर यह कहना युक्ति-सगत नहीं है कि आदि-काल के मानव का परिवार अनिश्चित संबंध का परिवार था। यह ठीक है कि लोग चलकर अनिश्चित संबंध तथा नियोग का विचार उत्पन्न हुआ, परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि आदि-काल का परिवार भी ऐमाही था। उस समय परिवार तो दो आदमियों के निश्चित संबंध के बिना चल ही नहीं सकता था। जब पुरुष जंगल में फल-कन्द चुगने या शिकार पकड़ने चला गया, तब घर में उसके जन्तु-सामान तथा बच्चे की देख-भाल करने वाला तो कोई चाहिये ही था। उस समय की आर्थिक-व्यवस्था 'एक-विवाही परिवार' के बिना चल ही नहीं सकती थी।

(२) ग्रुप-विवाही परिवार (Group marriage) — मिश्रित-परिवार का दूसरा रूप 'ग्रुप-विवाही परिवार' कहलाता है। इस प्रकार के परिवार में समूह में सब स्त्रियाँ समूह के सब पुरुषों से विवाहित समझी जाती हैं। इसका एक रूप यह भी है जिसमें एक परिवार के सब भाइयों का दूसरे परिवार की सब बहनो ने

१ मा तान कोन कार्पोस्त्र एप धर्म मनातन  
अनावृता हि मत्रेषा वर्णानामगता भुवि।

यथा गाव म्यितामनावन्स्वे न्वे वर्णे तत्रा प्रजा।

महाभारत, आदिपर्व, १२३ अध्याय, १३-१४ श्लोक



विवाह समझा जाता है, उनमें कौन किस की स्त्री और कौन किसका पति है—यह भेद नहीं होता। परिवार का यह रूप 'बहु-भर्तृता' (Polyandry) तथा 'बहु-भार्यता' (Polygyny) का सम्मिश्रण है। 'बहु-भर्तृता' में एक स्त्री के अनेक पति होते हैं, 'बहु-भार्यता' में एक पुरुष की अनेक स्त्रियाँ होती हैं, 'यूथ-विवाह' में अनेक पुरुषों की अनेक स्त्रियाँ होती हैं। इस प्रकार के विवाहों की सत्ता थी—ऐसा श्री मार्गन (Morgan) का मत है, परन्तु अशिक्षित जातियों में इस प्रकार के विवाह पाये नहीं जाते। तो फिर इसका क्या प्रमाण है कि ऐसे विवाह कभी होते थे? विकासवादी मानवशास्त्रियों का कहना है कि ऐसी जातियाँ पायी जाती हैं जिनमें माता के अतिरिक्त सब मासियों को माता ही कहा जाता है, पिता के अतिरिक्त सब चाचो-तायो को पिता कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी समय इनमें यूथ-विवाह की प्रथा थी, उस समय कौन किसका पिता और कौन किसकी माता है—यह तमोज्ञ नहीं हो सकती थी, तब से यह प्रथा चली आ रही है। परन्तु ऐसा क्यों माना जाय कि यह प्रथा तब से चली आ रही है? आज जो जीवित फल-मूल एकत्र करके आजीविका निर्वाह करने वाली जन-जातियाँ हैं, उनमें कहीं यूथ-विवाह की प्रथा नहीं पायी जाती, और न उस समय की आर्थिक-व्यवस्था के यह अनुरूप बँठती है, ऐसी हालत में 'यूथ-विवाह' का विचार एक कल्पनामात्र प्रतीत होता है।

### (घ) मातृ-सत्ताक परिवार

(MATRIARCHAL FAMILY)

'मिश्रित-परिवार' के विचार की उपज 'मातृ-सत्ताक-परिवार' का विचार है। इस विचार के मानने वालों का कहना है कि जब शुरु-शुरु में विवाह नहीं था, अनेक स्त्रियाँ अनेक पुरुषों के साथ रहती थीं, सब का बिना भेद-भाव के आपस में सबध हो सकता था, तो ऐसी अवस्था में यह तो कहा जा सकता था कि किस स्त्री का कौन-सा बच्चा है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता था कि किस पुरुष का कौन-सा बच्चा है। बच्चे के साथ पिता का सबध न जोड़ सकने के कारण पिता की परिवार में कोई स्थिति नहीं कही जा सकती थी। 'यूथ-विवाह' में पिता का पता ही नहीं था, इसलिए पिता की कोई स्थिति ही नहीं थी, सिर्फ माता की स्थिति थी, उसी की मूर्खता थी, इसलिए इस विचार के मानने वालों के अनुसार आदि-समाज 'मातृ-सत्ताक' था। इस विचार के समर्थकों में ब्रिफाल्ट (Briffault) तथा टाइलर (Tylor) का नाम मुख्य है।

'मातृ-सत्ताक-परिवार' में माता की प्रधानता किस प्रकार रहती है? मानव-शास्त्रियों के अध्ययन में कई ऐसे परिवार सामने आये हैं जिनमें स्त्री, विवाह के बाद भी अपने माता-पिता, भाई-बहन के पास ही रहती है, उन लोगों के पास रहती है जिन के साथ उसका रुधिर का सबध है, अपना घर छोड़ कर पति के घर नहीं जाती, उन लोगों में नहीं जाती जिन लोगों के साथ उसका रुधिर का सबध नहीं होता। पति, पत्नी के घर आ जाता है, पत्नी के साथ रहता है, परन्तु

बच्चो पर माता का ही अधिकार होता है, उन लोगो का अधिकार होता है जिनका बच्चो की माँ से रुधिर का नाता होता है। लडकी अपने माँ-बाप के घर रहती है, उसके बच्चो की देख-भाल लडकी का भाई, लडकी के माता-पिता करते हैं। 'पितृसत्ताक-परिवार' में स्त्री अपने से भिन्न रुधिर के लोगो में चली जाती है, उस प्रकार के परिवार को हमने 'सहयोगी-परिवार' (Conjugal family) कहा था, परन्तु 'मातृसत्ताक-परिवार' में स्त्री अपने ही रुधिर के लोगो के बीच रहती है, इस प्रकार के परिवार को 'समान-रुधिर-परिवार' (Consanguineous family) कहा जाता है। इस प्रकार के परिवार में माता का निवास-स्थान परिवार का केन्द्र हो जाता है, इसलिए स्थान की दृष्टि से यह परिवार 'मातृ-स्थानी' (Matrilocal) कहाता है। इसमें वंश-परंपरा माता के नाम से चलती है, इसलिए इसे 'मातृ-वंशी' (Matrilineal) भी कहते हैं। क्योंकि इसमें माता की प्रधानता होती है, इसलिए इसे 'मातृ-सत्ताक' (Matriarchal या Matri-potestal) कहते हैं।

'मातृ-सत्ताक' परिवार क्योंकि अशिक्षित-जातियो में मिलते हैं, और ये आजकल के प्रचलित परिवारो से बिल्कुल उल्टे हैं, इसलिए इनका मानव-शास्त्र में बहुत महत्त्व है। जैसे हम 'पितृ-सत्ताक-परिवारो' का वर्णन करते हुए उपनिषद् का एक उद्धरण दे आये हैं, जिसमें पिता के नाम पर चले वंशो का परिगणन है, वैसे बृहदारण्यक उपनिषद् (अध्याय ६, ब्राह्मण ६) में 'मातृ-सत्ताक-वंशो' की भी सूची दी हुई है, जो अपने देश में प्राचीन-काल में 'मातृ-सत्ताक-परिवारो' की सत्ता को सिद्ध करती है। इस सूची में पीतिमाषीपुत्र, कात्यायनीपुत्र, गौतमी-पुत्र, भारद्वाजीपुत्र, पाराशरीपुत्र—इस प्रकार ५०-६० माता के नाम मे चले परिवारो का नाम पाया जाता है। भारत में आज भी मातृ-सत्ताक-परिवार पाये जाते हैं। असम में खासी जन-जाति बसती है। इसमें विवाह के बाद लडका लडकी के माता-पिता के घर रहने के लिए चला जाता है। वहाँ रहता हुआ वह जो-कुछ कमाता है अपनी सास के हाथ में रख देता है। लडकी की माँ घर का सारा खर्च चलाती है। एक-दो बच्चे हो जाने के बाद अगर उनके आपसी संबंध अन्तोषजनक होते हैं, तो वे अपना स्वतंत्र घर बना कर वहाँ रहने लगते हैं। खासी लोगो में सम्पत्ति भी पिता से पुत्र को मिलने के बजाय माता मे पुत्री को मिलती है, और उसमें भी सम्पत्ति का सबसे बडा भाग सब से छोटी लडकी को मिलता है। अगर किसी व्यक्ति का परिचय कराना हो, तो असम की खासी जाति में यह नहीं कहा जाता कि यह अमुक पुरुष का पुत्र या पौत्र है, यह कहा जाता है कि यह अमुक स्त्री का अनुवंशज है। पति को सिर्फ 'यू शॉंग खा' कहा जाता है, जिसका अर्थ है—'बच्चे पैदा करने वाला'। इस जन-जाति में पति को पत्नी के परिवार का पूरी तरह से सदस्य भी नहीं माना जाता। परिवार के धार्मिक-कृत्यों में पति का कोई स्थान नहीं होता। क्योंकि माता मे उत्तराधिकार के रूप में मव से छोटी लडकी को सम्पत्ति मिलती है इसलिए वही घर के सब धार्मिक-कृत्यो तथा विधि-

विवाह समझा जाता है, उनमें कौन किस की स्त्री और कौन किसका पति है—यह भेद नहीं होता। परिवार का यह रूप 'बहु-भर्तृता' (Polyandry) तथा 'बहु-भार्यता' (Polygyny) का सम्मिश्रण है। 'बहु-भर्तृता' में एक स्त्री के अनेक पति होते हैं, 'बहु-भार्यता' में एक पुरुष की अनेक स्त्रियाँ होती हैं, 'यूथ-विवाह' में अनेक पुरुषों की अनेक स्त्रियाँ होती हैं। इस प्रकार के विवाहों की सत्ता थी—ऐसा श्री मार्गन (Morgan) का मत है, परन्तु अशिक्षित जातियों में इस प्रकार के विवाह पाये नहीं जाते। तो फिर इसका क्या प्रमाण है कि ऐसे विवाह कभी होते थे? विकासवादी मानवशास्त्रियों का कहना है कि ऐसी जातियाँ पायी जाती हैं जिनमें माता के अतिरिक्त सब मासियों को माता ही कहा जाता है, पिता के अतिरिक्त सब चाचो-तायो को पिता कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी समय इनमें यूथ-विवाह की प्रथा थी, उस समय कौन किसका पिता और कौन किसकी माता है—यह तमीज नहीं हो सकती थी, तब से यह प्रथा चली आ रही है। परन्तु ऐसा क्यों माना जाय कि यह प्रथा तब से चली आ रही है? आज जो जीवित फल-मूल एकत्र करके आजीविका निर्वाह करने वाली जन-जातियाँ हैं, उनमें कहीं यूथ-विवाह की प्रथा नहीं पायी जाती, और न उस समय की आर्थिक-व्यवस्था के यह अनुरूप बैठती है, ऐसी हालत में 'यूथ-विवाह' का विचार एक कल्पनामात्र प्रतीत होता है।

### (घ) मातृ-सत्ताक परिवार

(MATRIARCHAL FAMILY)

'मिश्रित-परिवार' के विचार की उपज 'मातृ-सत्ताक-परिवार' का विचार है। इस विचार के मानने वालों का कहना है कि जब शुरू-शुरू में विवाह नहीं था, अनेक स्त्रियाँ अनेक पुरुषों के साथ रहती थीं, सब का बिना भेद-भाव के आपस में सबध हो सकता था, तो एसी अवस्था में यह तो कहा जा सकता था कि किस स्त्री का कौन-सा बच्चा है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता था कि किस पुरुष का कौन-सा बच्चा है। बच्चे के साथ पिता का सबध न जोड़ सकने के कारण पिता की परिवार में कोई स्थिति नहीं कही जा सकती थी। 'यूथ-विवाह' में पिता का पता ही नहीं था, इसलिए पिता की कोई स्थिति ही नहीं थी, सिर्फ माता की स्थिति थी, उसी की मुख्यता थी, इसलिए इस विचार के मानने वालों के अनुसार आदि-समाज 'मातृ-सत्ताक' था। इस विचार के समर्थकों में ब्रिफाल्ट (Briffault) तथा टाइलर (Tylor) का नाम मुख्य है।

'मातृ-सत्ताक-परिवार' में माता की प्रधानता किस प्रकार रहती है? मानव-शास्त्रियों के अध्ययन में कई ऐसे परिवार सामने आये हैं जिनमें स्त्री, विवाह के बाद भी अपने माता-पिता, भाई-बहन के पास ही रहती है, उन लोगों के पास रहती है जिन के साथ उसका रुधिर का सबध है, अपना घर छोड़ कर पति के घर नहीं जाती, उन लोगों में नहीं जाती जिन लोगों के साथ उसका रुधिर का सबध नहीं होता। पति, पत्नी के घर आ जाता है, पत्नी के साथ रहता है, परन्तु

वचो पर माता का ही अधिकार होता है, उन लोगो का अधिकार होता है इनका वच्चों की माँ से रुधिर का नाता होता है। लडकी अपने माँ-बाप के घर रहती हैं, उसके वच्चो की देख-भाल लडकी का भाई, लडकी के माता-पिता करते हैं। पतृसत्ताक-परिवार' में स्त्री अपने से भिन्न रुधिर के लोगो में चली जाती है, उस प्रकार के परिवार को हमने 'सहयोगी-परिवार' (Conjugal family) कहा है, परन्तु 'मातृसत्ताक-परिवार' में स्त्री अपने ही रुधिर के लोगो के बीच रहती है, इस प्रकार के परिवार को 'समान-रुधिर-परिवार' (Consanguineous family) कहा जाता है। इस प्रकार के परिवार में माता का निवास-स्थान परिवार का केन्द्र हो जाता है, इसलिए स्थान की दृष्टि से यह परिवार 'मातृ-स्थानी' (Matrilocal) कहा जाता है। इसमें वंश-परंपरा माता के नाम में चलती है, इसलिए इसे 'मातृ-वंशी' (Matrilinal) भी कहते हैं। क्योंकि इसमें माता की प्रधानता होती है, इसलिए इसे 'मातृ-सत्ताक' (Matriarchal या Matriotestal) कहते हैं।

'मातृ-सत्ताक' परिवार क्योंकि अशिक्षित-जातियो में मिलते हैं, और आजकल के प्रचलित परिवारो से बिल्कुल उल्टे हैं, इसलिए इनका मानव-शास्त्र बहुत महत्त्व है। जैसे हम 'पितृ-सत्ताक-परिवारो' का वर्णन करते हुए उपनिषद् का एक उद्धरण दे आये हैं, जिसमें पिता के नाम पर चले वंशो का परिगणन, वैसे बृहदारण्यक उपनिषद् (अध्याय ६, ब्राह्मण ६) में 'मातृ-सत्ताक-वंशी' की भी सूची दी हुई है, जो अपने देश में प्राचीन-काल में 'मातृ-सत्ताक-परिवारो' की सत्ता को सिद्ध करती है। इस सूची में पौतिमापीपुत्र, कात्यायनीपुत्र, गौतमी-पुत्र, भारद्वाजीपुत्र, पाराशरीपुत्र—इस प्रकार ५०-६० माता के नाम से चले परिवारों का नाम पाया जाता है। भारत में आज भी मातृ-सत्ताक-परिवार पाये जाते हैं। असम में खासी जन-जाति बसती है। इसमें विवाह के बाद लडकी के माता-पिता के घर रहने के लिए चला जाता है। वहाँ रहता हुआ वह जो-कुछ कमाता है अपनी सास के हाथ में रख देता है। लडकी की माँ घर का सारा खर्च चलाती है। एक-दो वच्चे हो जाने के बाद अगर उनके आपसी सवध अन्तोपजनक होते हैं, तो वे अपना स्वतंत्र घर बना कर वहाँ रहने लगते हैं। खासी लोगो में सम्पत्ति भी पिता से पुत्र को मिलने के बजाय माता से पुत्री को मिलती है, और उसमें भी सम्पत्ति का सबसे बड़ा भाग सब से छोटी लडकी को मिलता है। अगर किसी व्यक्ति का परिचय कराना हो, तो असम की खासी जाति में यह ही कहा जाता कि यह अमुक पुरुष का पुत्र या पौत्र है, यह कहा जाता है कि यह अमुक स्त्री का अनुवंशज है। पति को सिर्फ 'यू शॉंग खा' कहा जाता है, जिसका अर्थ है—'वच्चे पैदा करने वाला'। इस जन-जाति में पति को पत्नी के परिवार का पूरा तरह से सदस्य भी नहीं माना जाता। परिवार के धार्मिक-कृत्यो में पति का कोई स्थान नहीं होता। क्योंकि माता से उत्तराधिकार के रूप में सब से छोटी लडकी को सम्पत्ति मिलती है इसलिए वही घर के सब धार्मिक-कृत्यो तथा विधि-

विधानों की अधिकारिणी होती है। दूसरी लड़कियों को भी माता की सम्पत्ति का कुछ हिस्सा मिलता है, परन्तु गहने, मकान आदि बहुमूल्य वस्तुएँ सब से छोटी लड़की को ही मिलते हैं। अन्य वहनों की सलाह के बिना वह उन्हें बेच नहीं सकती। घर की मरम्मत आदि के लिए दूसरी वहनों को भी अपना-अपना हिस्सा देना पड़ता है। अगर सब से छोटी लड़की मर जाय या धर्म-परिवर्तन कर ले, तो उससे बड़ी लड़की उत्तराधिकार की अधिकारिणी हो जाती है। विवाह से पहले पुरुष अपना सारी कमाई अपनी माता के हाथ में रख देता है, और विवाह के बाद अपनी स्त्री के हाथ में। अगर विवाह के बाद पुरुष मर जाय, तो उसकी सब जायदाद सब से छोटी लड़की को मिल जाती है। खासी की तरह असम में ब्रह्मपुत्रा नदी के दक्षिणी भाग में एक दूसरी अशिक्षित जाति निवास करती है जिसका नाम गारो है। इसमें भी उत्तराधिकार पुत्र को न मिलकर पुत्री को मिलता है, परन्तु इस जाति में यह नियम है कि लड़की अपनी इच्छा से जहाँ चाहे वहाँ विवाह नहीं कर सकती, उसे अपनी बुआ के लड़के से विवाह करना होता है। इस प्रकार इन दो परिवारों के मिलने से एक परिवार में तो सम्पत्ति माता से लड़की को मिलती है, परन्तु दूसरे परिवार में सम्पत्ति पर नियन्त्रण बुआ के लड़के के हाथ में आ जाता है। इस व्यवस्था में लड़के ने मामा की लड़की से शादी की होती है और मामी की सम्पत्ति उसके पास आयी होती है, इसलिए अगर मामा मर जाय तो लड़की के अतिरिक्त अपनी मामी अर्थात् सास से भी उसे शादी करनी पड़ती है। इन 'मातृ-सत्ताक-परिवारों' में पुरुष का सामाजिक तथा वैधानिक कर्तव्य अपनी वहन के बच्चों की देख-रेख करना, उनकी परवरिश करना है। अपने बाल-बच्चों का मोह वहन के बच्चों की भलाई के मार्ग में इन लोगों के जीवन में रुकावट नहीं बनता। असम के अतिरिक्त मलाबार में भी कई जन-जातियों में 'मातृ-सत्ताक-परिवार' पाये जाते हैं। मलाबार की नायर जन-जाति इसका उदाहरण है। नायरो में पति को सामाजिक-व्यवस्था में कोई स्थान नहीं, इस दृष्टि से इस जाति में परिवार में पिता का भी कुछ महत्व नहीं। दक्षिण की कादर, इरुला, पुलयन, होलेया, मदिगा, वेल्लेला जन-जातियों में भी माता की प्रधानता है।

'मातृ-सत्ताक-परिवार' तभी तक बना रह सकता है जब तक कोई समाज कृषि-सम्यता तक नहीं पहुँचता। जब तक मनुष्य शिकार से या पशु-पालन से जीवन-निर्वाह करता है, तब तक तो यह संभव हो सकता है कि पति अपने घर को छोड़ कर पत्नी के घर आता-जाता रहे, परन्तु जब मनुष्य ने कृषि का आविष्कार किया तब पति के लिए पत्नी के घर आना-जाना कठिन हो गया। उस अवस्था में वह अपने कारोबार में, खेती-बाड़ी में इतना व्यस्त रहता था कि अपने धर्मों से ही उसे फुसंत नहीं मिलती थी। जमीन को साफ करना, मट्टी खोदना, बीज बोना, जानवरों से खेती की रक्षा करना, पकने पर काटना—ये सब इतने जजाल के काम थे, जिनके बिना उसका जीवन-निर्वाह नहीं हो सकता था, परन्तु जिनमें लग जाने पर उसके पास फुसंत भी नहीं रहती थी। इसलिए 'कृषि-सम्यता'

से पहले अगर 'मातृ-सत्ताक' तथा 'पितृ-सत्ताक' दोनों प्रकार के परिवार रहे भी होंगे, तो भी कृषि के आविष्कार के बाद तो 'मातृ-सत्ताक-परिवार' भी 'पितृ-सत्ताक' ही बन गया होगा। उस हालत में पत्नी को अपने रुधिर के परिवार को छोड़ना पडा होगा, इसलिए छोड़ना पडा होगा कि पति को पत्नी के परिवार में जाने की फुर्सत ही बहुत कम रही होगी। इस प्रकार जहाँ-जहाँ 'मातृ-सत्ताक-परिवार' रहा होगा, वह आर्थिक-कारणों से 'पितृ-सत्ताक' में बदल गया होगा।

### (ड) विकामात्मक परिवार

(EVOLUTIONARY FAMILY)

मॉर्गन (Morgan) महोदय ने उक्त सब सिद्धान्तों से भिन्न सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। उनका कहना है कि विकास की प्रक्रिया में से गुजरती हुई 'परिवार' की सस्या पाँच क्रमों में से गुजरी है। ये पाँच क्रम निम्न हैं —

#### (१) समान-रुधिर-परिवार (Consanguineous family)—यह

शुरू-शुरू की अवस्था है जिसमें अपने समुदाय के भीतर ही विवाह-सवध होता था, एक रुधिर वालों में, बाहर का रुधिर समुदाय में प्रवेश नहीं पा सकता था। इसमें एक ही गोत्र के लोग विवाह करते थे, भाई-बहन, भतीजे-भतीजी का सवध होता था, इनमें आपस में भेद नहीं था। इस प्रकार के परिवार में जिन लोगों का आपस में रुधिर का सवध होता है उनकी पारिवारिक-सगठन में प्रधानता होती है, उनका पारिवारिक-सगठन में मुख्य स्थान होता है, जिनका रुधिर का सवध नहीं होता, उनका इस प्रकार के परिवार में गौण स्थान होता है, यहाँ तक कि पति का भी पारिवारिक-सगठन में कोई स्थान नहीं होता। ख़ासी जाति का उदाहरण हम अभी दे आये हैं। इससे उल्टी व्यवस्था 'सहयोगी-परिवार' (Conjugal family) में होती है, ऐसे परिवार जैसे आजकल हम लोगों के हैं। 'सहयोगी-परिवार' में पति-पत्नी तथा पुत्र—इन तीन का स्थान मुख्य माना जाता है, इन से रुधिर का सवध रखने वाले अन्य सगे-सवधियों का स्थान गौण माना जाता है। ससार में अधिकतर समान-रुधिर वाले का विवाह-सवध निषिद्ध माना जाता है।

#### (२) यूथ-परिवार, मिश्रित परिवार या नमूह-परिवार (Punaluan family)—मॉर्गन के अनुसार परिवार के विकास की यह दूसरी अवस्था है जिसमें

समान-रुधिर वाले में तो विवाह बन्द हो गया, परन्तु एक परिवार के सब भाइयों का विवाह दूसरे परिवार की सब बहनों के साथ होना शुरू हो गया। ये भाई सब सगे भाई हो यह जरूरी नहीं—ये सगे भाई या रिश्ते के भाई हो सकते हैं, बहने भी सगी ही हों यह जरूरी नहीं—ये सगी या रिश्ते की बहनें हो सकती हैं। इस विवाह में एक परिवार के सब भाइयों का दूसरे परिवार की सब बहनों के साथ विवाह हो जाने के बाद किसी विशेष भाई की कोई स्त्री नहीं होती थी, सब भाइयों के लिए सब बहनें और सब बहनों के लिए सब भाई पत्नी पया पति समझे जाते थे। इस प्रकार का कोई परिवार था भी या नहीं था, इसमें सन्देह है, परन्तु कई

जन-जातियो में चाचा-ताया, चाची-तायी शब्दों का न होना, इनके स्थान में चाचा-ताया तथा चाची-तायी के लिए भी पिता या माता—इन शब्दों का ही होना इन लोगो की दृष्टि में सिद्ध करता है कि इस प्रकार की प्रथा कई जन-जातियो में थी। इसके उत्तर में कहा जाता है कि भाषा के आधार पर यह परिणाम निकालना सगत नहीं, भाषा की यह कमी किसी और कारण से भी हो सकती है, परन्तु जब जीवित जन-जातियो में कहीं इस प्रकार के 'यूथ-विवाह' नहीं मिलते, तो आदि-काल के इस प्रकार के पारिवारिक-समूहों का होना बहुत सन्देहास्पद है।

(३) सिन्डेस्मियन-परिवार (Syndasmian family)—मॉर्गन के अनुसार परिवार के विकास की यह तीसरी अवस्था है। इसमें 'यूथ-विवाह' होना, अर्थात् अनेक भाइयों का अनेक बहनो से एक-साथ विवाह होना तो बन्द हो गया, एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करने लगा, परन्तु परिवार में जितनी भी स्त्रियाँ थीं, उनमें से किसी से भी उसका सवध हो सकता था, यह जरूरी नहीं था कि जिस स्त्री से उसका विवाह हुआ है, उसी से वह यौन-सवध करे, अन्य किसी से न करे।

(४) पितृ-सत्ताक-परिवार (Patriarchal family)—परिवार के विकास में चौथी अवस्था वह है जिसमें पुरुष का सवध तो विवाहिता पत्नी से ही होता था, परन्तु विवाह वह अनेक स्त्रियों से कर सकता था। इस परिवार में हर एक स्त्री दूसरी से पृथक् रहती थी और परिवार में पुरुष की ही प्रधानता रहती थी। इस पारिवारिक-रचना में भी स्त्री की स्थिति पहली अवस्थाओं की तरह निम्न-स्तर की ही रहती है।

(५) एकविवाही-परिवार (Monogamous family)—परिवार के विकास की पाँचवीं अवस्था वह है जिसमें पुरुष अनेक विवाह करने के स्थान में सिर्फ एक स्त्री से विवाह कर सकता है, स्त्री भी सिर्फ एक पुरुष से विवाह कर सकती है। इस प्रकार की पारिवारिक रचना में स्त्री की स्थिति ऊँची होने लगती है। वर्तमान-युग के परिवार इसी अवस्था में से गुजर रहे हैं।

मॉर्गन का उक्त सिद्धान्त विकासवाद पर आश्रित है, इसलिए इसे 'ऐतिहासिक-वाद' (Historical theory) भी कहा जाता है। इस सिद्धान्त के मानने वालों का कथन है कि ऐतिहासिक दृष्टि से 'परिवार' की सस्था इन पाँच क्रमों में से गुजरती हुई विकसित हुई है। मॉर्गन का कथन बहुत-कुछ कल्पना पर आश्रित है। इस कल्पना का विकासवाद की ही दृष्टि से वेस्टरमार्क (Westermarck) ने खडन किया है। उनका कथन है कि प्रकृति में पशु-पक्षी तक में 'एक-विवाही-परिवार' पाये जाते हैं, इसलिए शुरू-शुरू में 'एक-विवाही' के अतिरिक्त परिवार का दूसरा कोई रूप हो ही नहीं सकता! ब्रिफाल्ट (Briffault) भी विकासवाद का ही सहारा लेता है, परन्तु वह वेस्टरमार्क का खडन करता हुआ कहता है कि आदि-समाज में माता की प्रधानता थी, इसलिए 'मातृ-सत्ताक-परिवार' से आदि-मानव चला।

आजकल के मानव-शास्त्री 'परिवार' की उत्पत्ति तथा विकास के प्रश्न को अधिक महत्व नहीं देते। वे इतने मात्र से सन्तुष्ट हो जाते हैं कि किसी भी अशिक्षित समाज में ऐसा रूप नहीं दिखाई देता जिसमें परिवार की किसी-न-किसी रूप में सत्ता न विद्यमान हो। ऑस्ट्रेलिया की अशिक्षित जातियाँ अत्यन्त प्राचीन काल की मानी जाती हैं। अब अडामान टापू की जातियों को इन से भी पुराना माना जाने लगा है। इन तक में परिवार की किसी-न-किसी रूप में सत्ता मौजूद है। भारत में कदार, पनियन, मालपन्तरम, चँचू, विरहोर बहुत पुरानी जन-जातियाँ हैं—इनमें भी 'परिवार' की सत्ता पायी जाती है। 'परिवार' का आधार मनुष्य की 'मौलिक-एपणाएँ' (Drives, urges) हैं, 'स्वाभाविक-प्रवृत्तियाँ' (Instincts) हैं, 'अति-जीवन' (Survival) की आकांक्षा है, इसलिए जब से मनुष्य का मनुष्य से संपर्क हुआ, जब से मनुष्य ने सस्कृति को जन्म दिया, तब से 'परिवार' की यह सत्ता चली आ रही है। परिवार की सत्ता भिन्न-भिन्न आर्थिक-व्यवस्थाओं में से गुज़री, कभी मनुष्य आखेटक जीवन व्यतीत करता था, कभी कृषि करने लगा, कभी पशु पालने लगा, आजकल कारखाने चलाने लगा है—इन सब के कारण 'परिवार' के सगठन, इसकी रचना में भेद आता रहा है और आज भी आ रहा है, परन्तु 'परिवार' सदा था और सदा भिन्न-भिन्न रूपों में बना रहेगा।

### (३) आर्थिक-परिवार

#### (ECONOMIC FAMILY)

परिवार की उत्पत्ति के विषय में लिटन (Linton) का विचार यह है कि परिवार पुरुष तथा स्त्री की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति का एक क्रियात्मक साधन है। यह समझना कि विकास की एक सीधी रेखा में परिवार की सत्ता का विकास हुआ, ग़लत है। डार्विन, मार्गन तथा अन्य विकासवादों तो यही कहते हैं कि अनिश्चित अवस्था से विकास निश्चित अवस्था की तरफ जा रहा है, विविधता से एकता की तरफ जा रहा है—इसी कारण स्त्री-पुरुष के अनिश्चित वैवाहिक संबन्ध के विकसित होते-होते निश्चित संबन्ध पैदा हुए। लिटन इस बात को नहीं मानता। मानव जातियों के इतिहास में सब जगह सामाजिक-सगठनों का एक-सा विकास नहीं हुआ, न परिवार का सब जगह एक-सा विकास हुआ है। सामाजिक-सत्ताएँ मनुष्य की अन्तर्निहित इच्छाओं, आकांक्षाओं, एपणाओं को पूरा करने के प्रति किये गये प्रयत्नों का परिणाम हैं। परिवार भी मनुष्य की किन्हीं इच्छाओं को पूरा करने का मानव-समाज के प्रयत्न का परिणाम है। वह कौन-सी मनुष्य की इच्छा है जिसे परिवार की सत्ता पूरा करती है? वह इच्छा है—'आर्थिक'। बच्चा असहाय होता है, स्त्री बच्चे की देख-रेख में सहायता चाहती है, रक्षा चाहती है। इन दोनों असहाय प्राणियों के जीवन का प्रश्न, इनकी आर्थिक-समस्या कैसे हल हो? आर्थिक-समस्या का यही अर्थ नहीं है कि जब पैसा दीखने लगे तभी उसे आर्थिक परिभाषा का रूप दिया जा सके। आदि-काल का मानव जब



फल-मूल एकत्रित करने के लिए जगल जाता था, तब भी वह आर्थिक-समस्या को लेकर ही घर से निकलता था। अपनी, अपनी स्त्री, अपने बच्चे की आर्थिक समस्या को हल करने के लिए परिवार की सस्था को जन्म मिला। इस सस्था में कहीं माता को प्रधान माना गया, कहीं पिता को प्रधान माना गया, कहीं एक ढग से यह सस्था बनी, कहीं दूसरे ढग से, सब जगह इस सस्था का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ, एक-साय भी हुआ हो तो कोई आश्चर्य नहीं, परन्तु विकास वादियों के कहने के अनुसार किसी एक निश्चित रेखा में—‘एक-दिशा-विकास’ (Unilinear evolution) नहीं हुआ।

#### ४ परिवार के प्रकार (Forms of the Family)

‘परिवार’ के अनेक प्रकार हैं जिनमें से बहुतों का वर्णन तो हम ऊपर कर आये हैं, परन्तु इन तथा इनके अतिरिक्त ‘परिवार’ के अन्य रूपों को एक जगह दे देने से विषय अधिक स्पष्ट हो जायगा, इसलिए हम यहाँ ‘परिवार’ के प्रकारों की संक्षिप्त सूची दे रहे हैं —

(क) मातृ-सत्ताक तथा पितृ-सत्ताक परिवार (Matriarchal and Patriarchal family)—यह भेद ‘परिवार’ में माता या पिता की प्रधानता की दृष्टि से किया जाता है। मातृ-प्रधान परिवार ‘मातृ-सत्ताक’ तथा पितृ-प्रधान परिवार ‘पितृ-सत्ताक’ कहते हैं। इन दोनों के दृष्टान्त हम ऊपर दे आये हैं।

(ख) मातृ-वशी तथा पितृ-वशी परिवार (Matrilineal and Patrilineal family)—यह भेद परिवार में माता से या पिता से वंश-परंपरा चलने की दृष्टि से किया जाता है। मातृ-प्रधान परिवार में माता के तथा पितृ-प्रधान परिवार में पिता के नाम से वंश-परंपरा चलती है।

(ग) मातृ-स्थानी तथा पितृ-स्थानी परिवार (Matrilocal and Patrilocal family)—यह भेद माता के घर या पिता के घर रहने की दृष्टि से किया गया है। मातृ-प्रधान परिवार में माता के तथा पितृ-प्रधान परिवार में पिता के घर बच्चे रहते हैं।

(घ) मातृ-नामी तथा पितृ-नामी परिवार (Matronymic and Patronymic family)—जो परिवार मातृ-प्रधान है, वे मातृ-नामी और जो पितृ-प्रधान है, वे पितृ-नामी कहाते हैं क्योंकि उन्हीं से परिवार का नाम चलता है।

मातृ-सत्ताक, मातृ-वशी, मातृ-स्थानी तथा मातृ-नामी एवं पितृ-सत्ताक, पितृ-वशी, पितृ-स्थानी तथा पितृ-नामी एक ही तरह के दो वर्गीकरणों के नाम हैं।

(ङ) समान-रुधिर तथा सहयोगी परिवार (Consanguineous and Conjugal family)—जिस परिवार में एक ही रुधिर के व्यक्ति शादी कर सकते हैं, वे ‘समान-रुधिर’, तथा जिसमें एक ही रुधिर के नहीं, अपितु भिन्न रुधिर के व्यक्ति पति-पत्नी बनते हैं, वे ‘सहयोगी’ परिवार कहाते हैं। ‘समान-रुधिर-

परिवार' में रुधिर की समानता पर बल दिया जाता है, विवाह-बन्धन पर नहीं, सहयोगी-परिवार' में विवाह-बन्धन पर बल दिया जाता है, रुधिर की समानता पर नहीं। यही कारण है कि 'समान-रुधिर परिवार' सुप्रजनन-शास्त्र की दृष्टि से उचित न होने पर भी परिवार की स्थिरता को बनाये रखते हैं, 'सहयोगी-परिवार' सुप्रजनन-शास्त्र की दृष्टि से उचित होने पर भी परिवार की स्थिरता को नहीं रख पाते। एक खून का व्यक्ति परिवार छोड़ कर कहीं जायगा, भिन्न रुधिर का व्यक्ति तो परिवार छोड़ कर कहीं भी शादी कर सकता है।

(च) सयुक्त तथा मूल परिवार (Joint and Immediate or Nuclear family)—जिस परिवार में एक ही वंश के सब भाई मिल कर रहते हैं, सब की आमदनी बड़े को दे दी जाती है, वही सब का कर्ता-धर्ता होता है, वह 'सयुक्त' तथा जिसमें पति-पत्नी तथा सन्तान—बस इतने ही जन होते हैं, वह 'मूल-परिवार' कहाता है।

(छ) सयुक्त तथा विस्तृत परिवार (Joint and Extended family)—'सयुक्त-परिवार' में एक ही वंश के सब भाई एक बड़े के नीचे एक-साथ रहते हैं, परन्तु आज की आर्थिक-व्यवस्था में ऐसा सम्भव नहीं रहा। ऐसी हालत में एक ही वंश के भाई-भतीजे अपना-अपना काम-वधा अलग-अलग कर रहे हैं, एक-साथ भी नहीं रहते, परन्तु एक पूर्वज की सन्तान होने के कारण वे एक दूसरे के साथ सामाजिक-संबंध में बंधे रहते हैं। इसे 'विस्तृत-परिवार' कहा जाता है। इस 'विस्तृत-परिवार' में चाचा-ताया, चाची-तायी, उनके लड़के-लड़कियाँ—ये सब आ जाते हैं। एक तरह से जब 'सयुक्त-परिवार' बहुत फैल जाता है, त उसे 'विस्तृत-परिवार' कह दिया जाता है।

(ज) बहु-भर्तृता का परिवार (Polyandrous family)—जि परिवार में एक पत्नी के अनेक पति होते हैं, वह 'बहु-भर्तृता' का परिवार कह जाता है। देहरादून के जौनसार इलाके में खासा जन-जाति के इस प्रकार 'परिवार' है। इस प्रकार के परिवारों का वर्णन हम 'विवाह'-प्रकरण में करेंगे।

(झ) बहु-भार्यता का परिवार (Polygynous family)—जि परिवार में एक पति की अनेक पत्नियाँ हो, वह 'बहु-भार्यता' का परिवार कह जाता है। इस प्रकार का परिवार मुसलमानों में अधिक पाया जाता है। हिन्दुओं में भी ऐसे परिवार हैं, परन्तु अब नये कानून बनने के कारण यह प्रथा अवैधानिक हो गई है। इसको भी चर्चा हम विवाह प्रकरण में करेंगे।

(ञ) एक-विवाही परिवार (Monogamous family)—एक पुरुष तथा एक स्त्री—इस प्रकार का परिवार एक-विवाही कहलाता है। आज व मानव-समाज इसी की तरफ बढ़ रहा है, यद्यपि अनेक मानव-शास्त्रियों का कहना है कि आदि-काल से यही परिवार चला आ रहा है। इस प्रकार के विवाह की चर्चा भी विवाह के प्रकरण में की जायगी।

## ५ परिवार की विशेषताएँ (Characteristics of the family)

हमने देखा कि 'परिवार' की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके मुख्य-मुख्य प्रकार क्या हैं? अब अगला प्रश्न यह है कि 'परिवार' की क्या-क्या विशेषताएँ हैं, उसके क्या-क्या गुण हैं, जिनके कारण 'परिवार' एक सगठन, एक सस्या के रूप में समाज में आदि-काल से बना हुआ है। 'परिवार' की निम्न विशेषताएँ हैं —

(क) सार्वभौमिकता (Universality)—रैडक्लिफ ब्राउन (Radcliffe Brown) का कथन है कि 'परिवार' एक सार्व-भौम सस्या है। हर देश-काल में यह किसी-न-किसी रूप में पाया जाता है, यहाँ तक कि पशुओं तक में प्राथमिक रूप में 'परिवार' मिलता है। अन्य जितने भी सामाजिक-सगठन हैं, उनमें इस प्रकार की सार्वभौमिकता नहीं मिलती। 'विवाह' की सार्वभौमिकता के विषय में 'मॉर्गन' (Morgan) ने सन्देह प्रकट किया है। मॉर्गन के कथनानुसार 'परिवार' का विकास उस काल से हुआ है जब 'परिवार' का अस्तित्व नहीं था, जिस समय विवाह का भी कोई बन्धन ही नहीं था, 'सकरता' (Promiscuity) थी। 'सकरता' का विचार विकासवादी विचार है, और क्योंकि विकास में अनेकता से एकता, अनिश्चितता से निश्चितता की तरफ गति मानी जाती है, इसलिए परिवार के क्षेत्र में भी विकास की दृष्टि से अनिश्चित अर्थात् 'सकर' अवस्था से निश्चित अवस्था का विकास हुआ—यह माना जाता है। मॉर्गन के इस कथन का जेकब्स तथा स्टर्न (Jacobs and Stern) एवं अन्य लेखकों ने खंडन किया है। इन लोगों का कहना है कि जहाँ-जहाँ मॉर्गन परिवार में अनिश्चितता या सकरता को दर्शाता है, वहाँ-वहाँ अनिश्चितता नहीं है। असल में, आदि-काल में उत्सवों के समय, आनन्दोल्लास के समय उच्छृंखलता का व्यवहार किया जाता था, स्त्रियों को अदल-बदल लिया जाता था, अतिथियों को अपनी स्त्रियाँ भेंट भी कर दी जाती थीं, परन्तु यह सब-कुछ तो आज भी सभ्य-समाज के कई लोग कर डालते हैं। अशिक्षित जातियों में इस प्रकार के व्यवहार को देख कर यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें 'परिवार' की सस्या नहीं है, इतना ही कहा जा सकता है कि 'परिवार' की सस्या होते हुए भी जीवन का रस लेने की उनकी कामना किसी से कम नहीं है। असल में, जैसा हम पहले कह आये हैं, मानव के 'अति-जीवन' (Survival) के लिए 'परिवार' का होना आवश्यक था। 'परिवार' न होता तो बच्चा कैसे बचता, स्त्री को कौन सभालता, पुरुष को भी अपने सघर्ष में कौन सहारा देता। क्योंकि मनुष्य के जीवन के लिए 'परिवार' आवश्यक था, इसलिए मनुष्य की सामाजिकता की भावना का प्रथम आविष्कार 'परिवार' हुआ, और इसीलिए जहाँ-जहाँ मनुष्य है, वहाँ-वहाँ 'परिवार' पाया जाता है, 'परिवार' सार्वभौमिक सस्या है।

(ख) भावात्मक आधार (Emotional basis)—परिवार का सगठन जहाँ सार्वभौम है, वहाँ इसका आधार मनुष्य के उद्देशों पर है। प्रेम, स्नेह,

वात्सल्य—ये मानसिक उद्वेग हैं जिनसे परिवार बंधा हुआ है। ये मनुष्य-मनुष्य को एक-दूसरे के साथ जोड़ने वाले मानसिक तत्व हैं, ये ही परिवार में पति-पत्नी-सन्तान को भी बांधे रखते हैं। परिवार को छोड़ कर अन्य सगठन विचार पर आश्रित होते हैं, यह सगठन भाव पर आश्रित है। जब कोई कम्पनी बनती है, तब उसके सदस्यों को बांधने वाला लेन-देन का आर्थिक विचार होता है, वे सदस्य एक-दूसरे पर प्राण नहीं न्योछावर कर देते, पति-पत्नी तो एक-दूसरे पर प्राण तक वार देते हैं, सन्तान के लिए माता-पिता दोनों अपने को स्वाहा कर देते हैं। 'परिवार' में ही ऐसी भावना पायी जाती है, अन्य किसी सगठन में नहीं। यह भावना इतनी प्रबल है कि पशु तथा मनुष्य दोनों सन्तान के लिए अपने को मिटा देते हैं, चाहे वह आज का मानव हो, चाहे आदि-काल का।

(ग) निर्माणात्मक तथा शिक्षणात्मक प्रभाव (Formative and educative influence)—परिवार का व्यक्ति के चरित्र-निर्माण तथा उसकी शिक्षा में बड़ा हाथ है। पुरुष, स्त्री तथा बच्चा—इन तीनों के व्यक्तित्व के निर्माण में परिवार का बड़ा हाथ है। सिर्फ बच्चे के चरित्र का ही निर्माण परिवार में नहीं होता, माता-पिता के चरित्र पर भी परिवार का प्रभाव पड़ता है। माँ-बाप बच्चे को बनाते हैं, बच्चा माँ-बाप को बनाता है। सब का एक-दूसरे के निर्माण पर प्रभाव पड़ता है। समाज ने अब तक जिस सस्कृति का विकास किया होता है, वह वंश-परंपरा से चली आ रही सस्कृति बच्चे को कौन देता है? स्कूल-कालेज तो आज खुले हैं, जब शिक्षा-संस्थाएँ नहीं थीं, तब कौन बच्चे को समाज की सस्कृति की दीक्षा देता था? 'परिवार' के अतिरिक्त और कोई संस्था उस समय यह काम नहीं करती थी।

(घ) सीमित आकार (Limited size)—अन्य सामाजिक-सगठनों के आकार बहुत बड़े होते हैं, 'परिवार' का आकार अन्य सभी सामाजिक-सगठनों से छोटा है। छोटे सगठन में जो-कुछ सीखा जा सकता है, वह बड़े सगठन में नहीं सीखा जा सकता। माता, पिता और सन्तान—इन तीन का छोटा-सा सगठन 'परिवार' की बड़ी भारी विशेषता है। अन्य सगठन बढ़ने की तरफ जा रहे हैं, परिवार का सगठन आज तो पारिवारिक-नियोजन के कारण पहले से घटने की तरफ जा रहा है। अगर यह सगठन बढ़ना भी चाहे तो सीमा का कभी उल्लंघन नहीं कर सकता।

(ङ) सामाजिक ढाँचे में केन्द्रीय-स्थिति (Nuclear position in social structure)—हमारे संपूर्ण सामाजिक-सगठन में परिवार का स्थान केन्द्रीय-स्थान है। शुरू-शुरू में तो हर बात का केन्द्र परिवार ही होता था क्योंकि व्यक्ति से जब परिवार बनने लगा, तब पहले-पहल परिवार ही तो बना। परिवार छोटा समाज है, समाज बड़ा परिवार है, परिवार में जो बातें छोटे पैमाने पर हैं, समाज में वही बातें बड़े पैमाने पर हैं, इसलिए समाज के वृत्त का केन्द्र-बिन्दु परिवार ही है। परिवार के केन्द्र से समाज विकसित होना शुरू होता है, और

विकसित होता-होता यह बिन्दु जिन वृत्तों को बनाता है, वही वृत्त समाज तथा राष्ट्र कहते हैं।

(च) सदस्यों का उत्तरदायित्व (Responsibility of members) —अन्य सामाजिक-संगठनों में संगठन के प्रति सदस्यों का उत्तरदायित्व सीमित होता है, 'परिवार' में परिवार के हर सदस्य का उत्तरदायित्व असीमित होता है। कोई क्रिकेट क्लब का सदस्य है, तो क्रिकेट के मामलों में ही तो उसका उस संगठन के प्रति उत्तरदायित्व है, अन्य मामलों में तो नहीं, परन्तु अगर कोई 'परिवार' का सदस्य है, तो उसका उत्तरदायित्व असीमित है। उसे जंगल से शिकार लाना है, फल-कन्द चुगना है, या आजकल के जमाने में क्रिकेट भी खेलना है, तो यह सब भी परिवार को ध्यान में रख कर, यह नहीं कि परिवार में वच्चा बीमार पड़ा हो और वह शिकार लाने, फल चुगने या अन्य इसी प्रकार का काम करने चल पड़े, या आजकल का युवक क्रिकेट खेलने निकल पड़े। परिवार के सदस्य को अपना हर काम परिवार को दृष्टि में रख कर करना होता है, उसकी जिम्मेवारी असीमित होती है, साथ ही यह जिम्मेवारी जन्मभर पीछा नहीं छोड़ती।

(छ) सामाजिक-नियन्त्रण (Social control)—परिवार मनुष्य पर सामाजिक-नियन्त्रण का सबसे बड़ा साधन है। परिवार का नियन्त्रण बड़ा चौमुखा होता है। मनुष्य परिवार के नियन्त्रण से निकलना चाहे, तो उसे बड़ी कठिनाई होती है। अन्य सामाजिक-संगठनों में ऐसी बात नहीं है। जब चाहो संगठन का सदस्य बन जाओ, जब चाहो अलग हो जाओ, परन्तु परिवार एक ऐसा सामाजिक-संगठन है जिसमें आकर मनुष्य मानो जकड़ जाता है। किस चीज से जकड़ जाता है? सामाजिक-प्रथाओं से, रीति-रिवाजों से, कानूनों से, विधि-विधानों से। जिस प्रकार मनुष्य विशाल समाज में सामाजिक-बन्धनों से जकड़ा हुआ है, उनसे इधर-उधर नहीं हो सकता, उसी प्रकार वह परिवार-रूपी छोटे समाज में भी समाज के विधि-विधान से बंधा हुआ है, उसमें नियन्त्रित है। समाज अपने नियन्त्रण का पाठ परिवार की पाठशाला में पढ़ाना शुरू कर देता है।

(ज) परिवार की अस्थायी तथा स्थायी प्रकृति (Temporary and permanent nature of family)—परिवार के सबंध में हमने ऊपर जो विशेषताएँ लिखी हैं उनसे यह प्रतीत होता है कि परिवार एक स्थायी सामाजिक-संगठन है, परन्तु ऐसी बात नहीं है। परिवार पति-पत्नी के मिलने से बनता है। अगर इनमें से कोई एक मर जाय या इन दोनों का सबंध-विच्छेद हो जाय, तो परिवार अपने-आप टूट जाता है। इस दृष्टि से परिवार अस्थायी सामाजिक-संगठन है। परन्तु इस दृष्टि से अस्थायी होता हुआ भी परिवार एक स्थायी-संगठन है। स्थायी किस तरह से? स्थायी इस तरह से क्योंकि एक सामाजिक-संगठन के रूप में परिवार एक स्थायी वस्तु है। 'परिवार' टूटेगा भी तो कोई एक विशेष परिवार टूटेगा, सब परिवार तो नहीं टूट जायेंगे—संस्था के रूप में, सामाजिक-संगठन के रूप में परिवार स्थायी है और बना रहेगा, उसके प्रकार, उसके

रूप भले ही बदलते रहें। परिवार आदि-काल के पापाण-युगीय मानव के समय भी था, आज भी है।

✓ (छ) परिवार एक प्रक्रिया है (Family is a process)—हमने अभी कहा कि परिवार अस्थिर भी है, स्थिर भी है। जो चीज स्थिर भी हो, अस्थिर भी हो, उसका रूप 'प्रक्रिया' (Process) का हो जाता है। परिवार की क्रिया में गुजरता हुआ मनुष्य बचपन से बुढ़ापे तक कई मजिलों में से निकलता है। उदाहरणार्थ, भारत के परिवार में बालक के विकास के तीन-चार क्रम पाये जाते हैं। पहली अवस्था तो वह है जिसमें बालक को तैयार किया जाता है, इस काल के लिए तैयार किया जाता है कि बड़ा होकर अपने बाप-दादाओं के अनुकूल परिवार की आधारशिला रखे। यह 'निर्माणवस्था' (Formative stage) है। अपने देश में प्रत्येक द्विज का 'उपनयन'-संस्कार किया जाता है। 'उपनयन' क्या है? यह उसकी समाज की सचित विद्या सीखने की तैयारी है। इसके बाद जब वह पढ़ना-लिखना खत्म कर लेता है, तब उसके विवाह की तैयारी का समय आता है। यह 'विवाहावस्था' (Nuptial stage) है। अपने गाँवों में तो यह 'विवाहावस्था' बहुत जल्दी मना ली जाती है, छोटे-छोटे बच्चों के विवाह रचे जाते हैं। अशिक्षित-जातियों में 'विवाहावस्था' को जल्दी मनाने की रिपाटी नहीं है। वे लोग पाश्चात्य-देशों की तरह 'विवाहावस्था' से पहले 'आदि-विवाहावस्था' (Pre-nuptial stage) मनाते हैं। भारत की अनक अशिक्षित जातियों में 'आदि-विवाहावस्था' में युवक को विवाहित जीवन के लिए तैयार किया जाता है, उसे बाकायदा शिक्षा दी जाती है। आदिवासियों ने लड़कों के साथ लड़के-लड़कियों के मिलने-जुलने के ऐसे स्थान बना रखे होते हैं जहाँ विवाहावस्था से पहले उन्हें मिलने-जुलने, आपस में एक-दूसरे को जानने-पहचानने की पूरी आजादी होती है। इस आजादी में यौन-ज्ञान भी उन्हें हो जाता है, इसे बुरा नहीं समझा जाता है। नागाओं में इस प्रकार की प्रथा है। मध्य-प्रदेश की बुरिया गोड जन-जाति में भी इस प्रथा को प्रोत्साहित किया जाता है। इस काल में लड़के-लड़कियों के स्वतंत्र रूप से मिलने-जुलने का परिणाम उनमें प्रेम उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। जिनमें इस प्रकार का प्रेम हो जाता है, उनकी शादी कर दी जाती है। जिन लोगों में माता-पिता बर-बधू की तलाश करते हैं, उनमें 'आदि-विवाहावस्था' की प्रक्रिया नहीं हो पाती। इसके बाद 'विवाहोपरान्त-अवस्था' (Post-nuptial stage) आती है, जब विवाहित त्रि-पुरुष के बाल-बच्चे होने लगते हैं। ये बच्चे जब बड़े होते हैं, तो वे भी इसी क्रिया में से गुजरते हैं। अपने यहाँ इसे 'आश्रम'-व्यवस्था कहा जाता था— ब्राह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम तथा मन्याताश्रम। इन प्रकार यद्यपि परिवार न स्थिर सस्था है, न अस्थिर सस्था है, तथापि यह एक प्रक्रिया है जिसमें मे व्यक्ति को जन्म से लेकर मरण तक गुजरना पड़ता है।

## ६ परिवार के कार्य

## (Functions of the family)

परिवार की विशेषताएँ हम देख चुके हैं। अब हमें यह देखना है कि समाज की रचना में परिवार का कार्य क्या है, किस उद्देश्य की यह आदि-काल से पूर्ति करता आ रहा है। परिवार के निम्न कार्य कहे जा सकते हैं —

(क) प्राणि-शास्त्रीय कार्य (Biological functions) — परिवार की रचना में सब से मुख्य कार्य प्राणि-शास्त्रीय कार्य है। प्राणि-शास्त्रीय कार्य क्या है? प्राणि-शास्त्रीय कार्य है—(i) स्त्री-पुरुष का यौन-संबंध, (ii) सन्तान की उत्पत्ति, (iii) असहाय तथा पीड़ित अवस्था में एक-दूसरे की सहायता—बुढ़ा होने पर उसकी सेवा और रोगी होने पर दवा-दारू का प्रबंध, (iv) भोजन की व्यवस्था, और (v) किसी जगह पर घर बना कर रहने का प्रबंध ताकि प्राकृतिक उत्पादों से बचा जा सके और सुख-शान्ति से जीवन बिताया जा सके। आज के और आदि-काल के मानव के जीवन में परिवार के ये मुख्य प्राणि-शास्त्रीय कार्य हैं और रहे हैं।

✓ (ख) मनोवैज्ञानिक कार्य (Psychological functions) — परिवार में केवल शरीर की देख-रेख नहीं होती, परिवार का काम मनुष्य का मानसिक विकास करना भी है। ससार में हम 'विश्व-प्रेम' की दृष्टि से चलेंगे या 'विश्व-संहार' की दृष्टि से—इसका सूत्रपात घर के वातावरण में ही हो जाता है। परिवार का यह काम है कि व्यक्ति के मानसिक विकास को वह दिशा दे जिससे समाज में वह शुद्ध सामाजिक दृष्टिकोण को लेकर चल सके। जिस परिवार में कलह होगा उसमें पला व्यक्ति ससार में भी कलह फैलायेगा, जिस परिवार में सुख और शान्ति होगी उसमें पला व्यक्ति विश्व भर में शान्ति का स्रोत बहायेगा। समाज की धारणाओं को व्यक्ति के मन में कूट-कूट कर डाल देना परिवार का काम है। जो परिवार अपने बच्चों में सामाजिक धारणाओं को नहीं डाल सकते, उनके बच्चे सदा समाज-विरोधी कार्य करते रहते हैं। ऐसी स्थिति न आज ठीक है, न आदि-काल में ठीक थी।

(ग) आर्थिक-कार्य (Economic functions) — जिस समय मनुष्य ने इस धरती तल पर जीवन-यात्रा प्रारंभ की और परिवार की सस्था का निर्माण किया, उस समय यह सस्था मनुष्य के आर्थिक-कार्यों का भी केन्द्र थी। पुरुष तथा स्त्री अपनी-अपनी सुविधानुसार गृहस्थी की गाड़ी को एक-दूसरे की आर्थिक-सहायता करते हुए धकेलते थे। कृषि-युग तथा पशु-पालन के युग में भी कुछ काम पुरुष और कुछ स्त्री करती थी। जब से औद्योगिक-युग के कारण कल-कारखाने खुले, नवीन-सभ्यता का उदय हुआ, तब से परिवार आर्थिक-केन्द्र नहीं रहा, इसलिए नहीं रहा क्योंकि उद्योग-धंधे घर से बाहर जाने लगे। फिर भी, इस युग में भी पुरुष बाहर से कमा कर लाता है, स्त्री घर का काम-काज करती है, और आर्थिक-समस्या को दोनों मिल कर हल करते हैं।

(घ) सामाजिक-कार्य (Social functions)—परिवार अनेक सामाजिक-कार्यों को करता है। उदाहरणार्थ, (1) व्यक्ति अपने घराने की मान-मर्यादा, प्रतिष्ठा के विरुद्ध आचरण न करे, जैसी घराने की 'स्थिति' हो वंसा, उसके अनुरूप ही व्यक्ति 'कार्य' करे—यह बात व्यक्ति परिवार से ही सीखता है। परिवार व्यक्ति को एक ऐसे 'स्थिति' प्रदान करता है, जिसने व्यक्ति को उस 'स्थिति' के अनुकूल ही 'कार्य' करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता, तो उसे सकट का सामना करना पड़ता है, परिवार के दूसरे सदस्य उसे अपने परिवार से निकाल कर बाहर कर देते हैं, विरादरी से च्युत कर देते हैं। आज का मानव तो पारिवारिक तथा सामाजिक बन्धनों की पर्वाह नहीं करता, क्योंकि आज की आर्थिक-व्यवस्था में उसका परिवार के बिना निर्वाह हो जाता है, परन्तु आदि-कालीन आर्थिक-व्यवस्था में व्यक्ति के लिए परिवार का सामाजिक पहलू ही नहीं था, आर्थिक-पहलू भी था, परिवार ही उसकी आजीविका का साधन था, इसलिए उस समय मानव-परिवार जो चाहता व्यक्ति वही करता था। (II) परिवार का दूसरा काम 'समाजीकरण' है। बच्चे को परिवार की परिपाटी में दीक्षित करना ही नहीं, अपितु समाज के योग्य बनाना भी परिवार का ही काम है। जो बच्चे समाज में नहीं पले, जिन्हें जगली जानवर उठा ले गये, वे 'समाजीकरण' की प्रक्रिया से वंचित रहे, उन्हें आदमियों का-सा खाना-पीना, पहनना, बोलना-बालना भी न आया। (III) परिवार का काम बच्चे को समाज के वर्तमान चालू व्यवहार में दीक्षित करना ही नहीं, अपितु तीसरा काम यह है कि भूतकालीन पीढ़ी-दर-पीढ़ी तथा परंपरा में चली आ रही मानव-सभ्यता में बच्चे को दीक्षित करके उसे आगे धारावाहिक रूप में प्रवाहित करने का उपक्रम कर देना भी उसका काम है। अगर प्रत्येक मानव को मानव-सभ्यता की प्रत्येक प्रक्रिया अपने जीवन में दोहरानी पड़े, और परिवार के माध्यम से मनुष्य का लाखों-करोड़ों सालों का संचित ज्ञान आगे-आगे न बहता चले, तो मनुष्य आज भी पत्थर पर पत्थर मार कर आग निकाला करे। परिवार क्या करता है? परिवार आज तक के करोड़ों सालों के मानव-समाज के अनुभव को कुछ ही सालों में बच्चे को सिखा देता है।

(ङ) सांस्कृतिक कार्य (Cultural functions)—समाज का जीवन उस समाज की संस्कृति पर टिका रहता है। समाज के रीति-रिवाज, उसकी परंपराएँ, सामाजिक-विरासत, कैसे एक-दूसरे के साथ बतें, जीवन के प्रति क्या दृष्टि-कोण हो—यह सब-कुछ सांस्कृतिक धरोहर है जो प्रत्येक परिवार में बच्चों को दे दी जाती है। देश के त्यौहार, देश के वीर, देश के कयानक—गर्ज यह कि देश का जो-कुछ भी अपनापन है, वह परिवार द्वारा देश के बच्चों को मानो जन्म-घुंटी में पिला दिया जाता है। परिवार यह काम आदि-काल में करता आया है। परिवार यह काम न करे, तो मानवशास्त्री अशिक्षित जातियों में जाकर उनकी संस्कृति के विषय में कुछ भी पता न लगा सकें। इसीलिए जो मानव-शास्त्री अशिक्षित जातियों की संस्कृति के विषय में कुछ भी जानना चाहते हैं,



## आदिवासियों में विवाह

(MARRIAGE IN PRIMITIVE SOCIETY)

### १ विवाह की परिभाषा

हम पिछले अध्याय में 'परिवार' पर लिख आये हैं, परन्तु 'परिवार' का आधार 'विवाह' है। 'विवाह' की व्याख्या निम्न प्रकार की गई है.—

[क] नोट्स एण्ड क्वरीज़ ऑन एन्थ्रोपोलोजी की व्याख्या—“पुरुष तथा स्त्री का ऐसा सवध जिससे इन दोनों सहयोगियों की इस सवध द्वारा उत्पन्न सन्तान वैध मानी जाय विवाह कहाता है।”

[ख] जेकब्स तथा स्टर्न की व्याख्या—“विवाह एक अथवा अनेक पुरुष तथा पत्नी के सामाजिक सवध का नाम है, विवाह उस संस्कार का भी नाम जिसके द्वारा पति-पत्नी आपस में सामाजिक-सवध में बंध जाते हैं।”

### २ विवाह का प्राणि-शास्त्रीय दृष्टिकोण

स्त्री तथा पुरुष दोनों में 'काम-भाव' है, इससे इन्कार नहीं किया सकता। 'काम-भाव' से प्रेरित होकर वे यौन-सवध भी करते हैं। पशु-पक्षी भी ऐसा करते हैं, आदि-काल का मानव भी ऐसा करता था। यौन-सवध के परिणाम हो सकते हैं। एक परिणाम तो यह है कि 'यौन-सवध' तो हो, परन्तु सवध के होने पर भी सन्तान न हो। दूसरा परिणाम यह है कि 'यौन-सवध' और सन्तान भी हो जाय। इसका अर्थ यह हुआ कि 'यौन-सवध' एक चीज 'सन्तानोत्पत्ति' दूसरी चीज है। 'यौन-सवध' का परिणाम 'सन्तानोत्पत्ति' भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि 'सन्तानोत्पत्ति' बिना 'यौन-सवध' के नहीं हो सकती। आदि-मानव ने जब पहले-पहल 'यौन-सवध' किया, तो शुरू-शुरू में तो कोई समस्या नहीं पैदा हुई, परन्तु उसने देखा कि 'यौन-सवध' के ८-९ महीने बाद स्त्री के बच्चा पैदा हो जाता है। अ

[क] “Marriage is defined as a union between a man and woman such that children borne by the woman are recognised as the legitimate offspring of both partners”—*Notes and Queries on Anthropology*

[ख] “Marriage is a term for social relationship of husband and wife or of plural mates, also used for the ceremony uniting marital partners”—*Jacobs and Stern*

‘यौन-सवध’ हो जाता, और ‘सन्तानोत्पत्ति’ न होती, तब तो आदि-मानव के सम्मुख कोई समस्या न उठती, परन्तु जब उसने देखा कि ‘यौन-सवध’ का परिणाम ‘सन्तानोत्पत्ति’ है, तब उसके सम्मुख एक समस्या उठ खड़ी हुई। वह समस्या क्या थी ? जिस पुरुष ने किसी स्त्री से ‘यौन-सवध’ किया है उसके पेट में बच्चा आ गया है। ९-१० महीने तक स्त्री को यह जिम्मेदारी निभानी है। बच्चा होने के बाद उसे दूध पिलाना, उसकी परवरिश करना है। मनुष्य का बच्चा तो इतना असमर्थ होता है कि उमे सालो रक्षा की आवश्यकता होती है। क्या यह सब जिम्मेदारी माता की है ? माता की है तो क्या माता बच्चा पैदा होने पर उसे छोड़ कर अपना रास्ता नापे, अपनी रोटी-पानी की चिन्ता करे, या बच्चे की देख-रेख करे ? आदि-मानव के समाज के लिए यह बड़ी भारी चिन्ता का विषय था। ‘काम-भाव’ के वेग से ‘सन्तानोत्पत्ति’ तो हो गई, परन्तु ‘सन्तानोत्पत्ति’ के बाद आगे का काम कैसे चले ? यह समस्या आदि-मानव के सामने ही खड़ी हुई—यह बात नहीं। आज भी जो अविवाहित युवक-युवति काम-वेग में यौन संबंध कर बैठते हैं, जब तक इस सवध से सन्तानोत्पत्ति नहीं होती, तब तक तो वे इसे छिपाये रखते हैं, परन्तु प्रकृति तो उनके साथ साँठ-गाँठ मिला कर नहीं बैठती। समय आता है जब युवति के पेट में बच्चा आ जाता है। बच्चा आते ही समस्या उठ खड़ी होती है—अब क्या किया जाय ? वही समस्या जो आदि-मानव के मन में उठी थी। भेद इतना ही है कि आदि-मानव के काल में समस्या का हल ढूँढा जा रहा था, विवाह की सत्था अभी नहीं बनी थी, आज के अविवाहित युवक काम-वेग में इस हल का आश्रय लिये बिना गोता खा जाते हैं। आदि-मानव के सम्मुख जब यह समस्या उपस्थित हुई, तब उसने ‘विवाह’ की सत्था को जन्म दिया, आज के मानव के सम्मुख जब यह समस्या उपस्थित होती है, तब उसे शख मार कर विवाह करना पड़ता है। ‘यौन-सवध’ से जब ‘सन्तानोत्पत्ति’ हो जाय, तब समाज के पास इस सन्तान के भरण-पोषण की समस्या का क्या हल है ?

### ३ विवाह का कानूनी दृष्टि-कोण

‘यौन-सवध’ से एक प्राणि-शास्त्रीय समस्या उत्पन्न हो गई। इस को हल करने के लिए आदि-मानव-समाज ने ‘विवाह’ की ‘कानूनी’ सत्था को जन्म दिया। अगर पुरुष ने स्त्री के साथ यौन-सवध करना है, तो समाज में—चाहे वह आदि-समाज हो, चाहे वर्तमान-समाज हो—वह सवध तभी वर्दाश्त किया जा सकता है, अगर वह हर तरह से स्त्री की, और बच्चे की परवरिश करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए कानूनी तौर पर अपने ऊपर जिम्मेदारी ले। इसी कानूनी जिम्मेदारी का नाम ‘विवाह’ है। कानूनी जिम्मेदारी का यह अर्थ हुआ कि अगर वह स्त्री तथा बच्चे का पालन-पोषण नहीं करेगा, तो दंड का भागी होगा। इसका यह अर्थ भी हुआ कि विवाह के बिना ‘यौन-सवध’, जहाँ सन्तानोत्पत्ति की संभावना हो, नाजायज समझा गया। अविवाहिता कन्या के साथ ‘यौन-संबंध’ होने से सन्तानोत्पत्ति की संभावना है। अगर सन्तान हो जाय, तो **उत्तरे**

पोषण की जिम्मेदारी किस पर होगी ? पुरुष तो इसे लेने को तैयार नहीं होता । इसलिए अधिवाहिता कन्या के साथ 'यौन-सबध' नाजायज समझा गया । विवाह के सबध में आदि-समाज तथा वर्तमान-समाज में जो कानून बने उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि बच्चे की हर हालत में रक्षा होनी चाहिए, नस्ल को उसी ने तो चलाना है, इसलिए पति-पत्नी का ऐसा सबध होना चाहिए जिससे बच्चे की स्थिति समाज में सुरक्षित रहे । विवाह-सबध के बाहर जो बच्चा हो, वह नाजायज करार दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि 'यौन-सबध' के लिए किसी-न-किसी तरह का विवाह करना आवश्यक हो गया ।

इस दृष्टि से 'विवाह' क्या है ? विवाह स्त्री-पुरुष का एक 'सामाजिक-ठेका' (Social contract) है जिसमें स्त्री अपने ऊपर बालक की परवरिश की, और पुरुष अपने ऊपर इन दोनों की भूख-प्यास-सरक्षा आदि की जिम्मेदारी लेता है । काम-भाव, भूख, प्यास, सरक्षा—ये सब मनुष्य की 'आधारभूत प्रवृत्तियाँ' (Instincts) हैं । इनके बिना मनुष्य का 'अति-जीवन' (Survival) संभव नहीं है । पुरुष तथा स्त्री एक-दूसरे की जीवन की इन आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विवाह द्वारा मानो एक प्रकार का सौदा, एक प्रकार का ठेका करते हैं । ठेके के साथ ठेके के टूटने का भाव भी बना रहता है । अगर वे एक-दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, तो वे जुदा हो सकते हैं । तभी जिस समाज के कानून में विवाह को ठेके-जैसा समझा जाता है, उसमें विवाह-विच्छेद का, तलाक का भी स्थान रहता है । कई समाज बालक की सुरक्षा में अरा-सा भी खतरा नहीं लेना चाहते । विवाह अगर ठेका है, तो ठेका टूट सकता है, और बालक का भविष्य खतरे में पड़ सकता है । जहाँ-जहाँ तलाक होता है, वहाँ-वहाँ बच्चे की समस्या सदा उठ खड़ी होती है । बच्चा किसको दिया जाय, उसकी परवरिश कौन करेगा—ये सब समस्याएँ तलाक के सबध में पैदा हुआ ही करती हैं । तलाक की सस्था विवाह को ठेका समझने का अवश्यभावी परिणाम है । ठेका टूट जाने पर अगर माता पर ही बालक की परवरिश का सारा बोझ आ पड़े, या पिता पर चला जाय, तो इन दोनों में से अलग-अलग कोई भी इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभा नहीं सकता । इसलिए जो समाज बालक की दृष्टि से इस प्रकार का खतरा नहीं उठाना चाहते, वे विवाह को ठेका न मान कर एक 'संस्कार'—एक 'स्थिर-धार्मिक-सबध' (Sacrament) मानते हैं, ऐसा सबध जो इस जन्म में तो टूट नहीं सकता । ऐसे समाज इस सबध में तलाक को कोई स्थान नहीं देते । एक बार विवाह हो गया, सो हो गया, वह अटूट धार्मिक सबध है ।

#### ४ 'विवाह' पर ऐतिहासिक या विकासवादी विवेचन

जैसा हमने कहा, परिवार के साथ-साथ विवाह की सस्था ने जन्म लिया । एक ही प्रकार के सगठन का 'विवाह' तो प्राणि-शास्त्रीय तथा कानूनी रूप है, 'परिवार' उसी का समाज-शास्त्रीय रूप है । इन दोनों पर अलग-अलग विचार

किया जाता है, परन्तु एक ही-सी सस्था होने के कारण इन दोनों पर विचार करने में समान बातों का आ जाना स्वाभाविक है। विवाह की सस्था का विकास कैसे हुआ—इस पर विकासवादियों का दृष्टि-कोण सब से प्रबल है। इस दृष्टि-कोण पर हम परिवार का वर्णन करते हुए भी लिख आये हैं, परन्तु यहाँ उसे विवाह के दृष्टि-कोण से लिखना आवश्यक जान पडता है।

(क) सकरता से एक-विवाह (From Promiscuity to Monogamy)—हम पहले लिख आये हैं कि विकासवादी कहते हैं कि शुरू-शुरू में विवाह की प्रथा नहीं थी, सकरता थी, जो जिससे चाहता यौन-सवध कर लेता था। विकासवादियों के दृष्टि-कोण में अनिश्चितता से निश्चितता, अव्यवस्था से व्यवस्था, भिन्नता से अभिन्नता, विविधता से एकता—विकास की यही 'एक-दंशिक' (Unilinear) प्रक्रिया है। इस दृष्टि से विकासवादियों का फयन है कि आदि-काल में विवाह के स्थान में सकरता की अवस्था थी, उससे विकसित होते-होते आज जो 'एक-विवाही-प्रथा' (Monogamous marriage) है, वह विकसित हुई। इस प्रक्रिया में 'सकरता' सबसे नीचे के स्तर पर है, 'एक-विवाह' सबसे ऊँचे स्तर पर है। इस पक्ष के सब से बडे समर्थक श्री मॉर्गन (Morgan) हैं। अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए ये लोग कुछ प्रमाण देते हैं। इनका कहना है कि अनेक जन-जातियों में चाचा-ताया, चाची-तायी आदि के लिए अलग-अलग नाम नहीं हैं, इन सब को पिता या माता कहा जाता है। इसका यही कारण हो सकता है कि इनमें सभी पिता हो, सभी माता हो, सभी माता-पिता तभी हो सकते हैं जब विवाह की सस्था ही न हो। इसके अतिरिक्त इनका कहना है कि अनेक जन-जातियों में यौन-सवध में बहुत शिथिलता पायी जाती है। मध्य-भारत की अनेक अशिक्षित जातियों में उत्सव आदि के समय एक आदमी की स्त्री दूसरे से सवध कर सकती है, और इसे बुरा नहीं माना जाता। कई अशिक्षित जातियों में विवाह से पहले तथा विवाह के बाद भी स्त्री-पुरुष के यौन-सवध को स्वीकृत किया जाता है। एस्किमो परिवार में जब कोई अतिथि आता है, तो स्त्री को इच्छा से अतिथि तथा स्त्री सभोग कर सकती है। अतिथि को अपनी स्त्री भेंट करने की प्रथा कई जातियों में पायी जाती है। इन सब बातों के आधार पर मॉर्गन का कहना है कि आदिकालीन समाज 'सकरता' का समाज था, उम समय की बातें ही आज इन रूपों में भिन्न-भिन्न समाजों में अवशेष के रूप में पायी जाती हैं। 'ग्रुप-विवाह' (Group marriage) भी आदि-कालीन सकरता का सूचक है। मॉर्गन के अनुमार शुरू-शुरू में यौन-सवध में भाई-बहन का भेद भी नहीं किया जाता था, इस प्रकार का भाई-बहन का 'अनाचारी' (Incest) वैवाहिक सवध होता था, समान-दधिर वालों में यौन-सवध (Consanguineous marriage) होता था, आजकल के विवाह-जैसा कई बन्धन नहीं था।

(ख) नकरना के सिद्धान्त की श्रालोचना—मॉर्गन के इस सिद्धान्त को दूसरे विकासवादी नहीं मानते। इन लोगों की युक्तियाँ भी विकासवाद पर आश्रित

है। इन युक्तियों के दो रूप हैं। इन युक्तियों का एक रूप तो यह है कि प्रकृति में सकरता नहीं पायी जाती। पशुओं में भी 'एकाधिकार' तथा 'ईर्ष्या' के लक्षण पाये जाते हैं और उन तक में एक-विवाह ही पाया जाता है। इस पक्ष को श्री हैनरी मेन (Henry Maine) तथा वेस्टरमार्क (Westermarck) ने बलपूर्वक रखा है। जब पशु-पक्षियों तक में सकरता नहीं पायी जाती, तो मानव-समाज में सकरता कहां से आयेगी? जेकब्स तथा स्टर्न (Jacobs and Stern) ने इस युक्ति के दूसरे रूप का आश्रय लिया है। उनका कहना है कि जैसे 'परिवार' की सस्था का मनुष्य के 'अति-जीवन' (Survival) के लिए आश्रय लिया गया, वैसे 'विवाह' की सस्था का भी मनुष्य के 'अति-जीवन' के लिए ही आश्रय लिया गया। अगर हम यह मानें कि मनुष्य की हर सस्था का विकास उसके 'जीवन' तथा 'अति-जीवन' के लिए हुआ है, तो सकरता से तो मानव का जीवन सभव ही नहीं है। 'सकरता' में शिशु की रक्षा कौन करेगा, स्त्री के गर्भवती होने पर उसकी देख-रेख कौन करेगा? मनुष्य का और उसकी सन्तान का अब तक बना रहना तभी सभव हो सकता था अगर आदि-समाज को एक-विवाही माना जाय, सकर का न माना जाय।

तो फिर माँगन की इस युक्ति का क्या उत्तर है कि अनेक समाजों में माता-पिता के अतिरिक्त दूसरे शब्द ही नहीं पाये जाते, अनेक समाजों में स्त्री-पुरुष के यौन-संबध पर कोई नियन्त्रण नहीं, अनेक समाजों में अतिथि को पत्नी तक यौन-संबध के लिए दे दी जाती है। इसका उत्तर यही दिया जाता है कि शब्द के अभाव के कारण इतना बड़ा ऋतिकारी परिणाम नहीं निकाला जा सकता, शब्दों के होने-न-होने के अन्य कारण भी हो सकते हैं। और, यौन-संबधों में शिथिलता का होना अलग बात है, एक-विवाह का होना अलग बात है, एक-विवाह की प्रथा के होते हुए भी यौन-संबधों में शिथिलता हो सकती है, यह शिथिलता केवल उत्सव आदि में होती है, इससे भी यही सिद्ध होता है कि विवाह का मूल रूप एक-विवाही है, जिसमें कभी-कभी उत्सव आदि पर अपवाद कर दिया जाता है।

सकरता के विरुद्ध सबसे यद्दी युक्ति यह है कि जीवित अशिक्षित जन-जातियों में, जो आदि-समाज की मूर्त रूप हैं, कहीं सकरता की अवस्था नहीं पायी जाती। हर अशिक्षित जन-जाति में किसी-न-किसी प्रकार की विवाह की प्रथा मौजूद है। भारत में अडमान, कदार, पलियान, पलपन्तरम, चेंचु, बिरहोर आदि अशिक्षित जन-जातियाँ हैं—इनमें किसी में भी तो सकरता की प्रथा नहीं है, सकरता के स्थान पर इनमें एक-विवाही प्रथा तथा पति-पत्नी की एक-दूसरे के प्रति वफादारी पायी जाती है, इनके विधि-विधान में भी एक समय में एक साथी रखने का ही नियम है। मध्य-प्रदेश की कमार जन-जाति में भी एक-विवाही विधान है। भारत के बाहर की जन-जातियों का अध्ययन करने के बाद लोई (Lowie) इस परिणाम पर पहुँचे कि 'सकरता' अथवा 'यूथ-विवाह' किसी में नहीं पाया जाता, अगर इसकी कुछ सभावना है, तो उसी काल में इसकी सभावना

कल्पित की जा सकती है जब 'यौन-सवध' के विषय में मनुष्य यह निर्णय नहीं कर पाया था कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। जब मनुष्य को यह निश्चय हो गया कि 'यौन-सबंध' का परिणाम 'सन्तानोत्पत्ति' होता है, उसी समय मनुष्य ने सन्तान के उद्देश्य से 'यौन-सवध' को सीमा में बाँधने के लिए 'विवाह' की सस्या का निर्माण कर दिया। 'सकरता' का एक दूसरा अर्थ हो सकता है। कई जन-जातियो में एक स्त्री के अनेक पति पाये जाते हैं। इस प्रथा को 'बहु-भर्तृता' (Polyandry) कहा जाता है। कई में एक पुरुष की कई पत्नियाँ होती हैं। इस प्रथा को 'बहु-भार्यता' (Polygyny) कहा जाता है। दोनों के लिए एक शब्द है—'बहु-विवाह' (Polygamy)। इस प्रथा को 'सकरता' का नाम दिया जा सकता है, परन्तु यह 'सकरता' नहीं, 'बहु-विवाह' होने के कारण 'विवाह' ही है।

(ग) 'परिवार' तथा 'विवाह' एक-साथ की सस्थाएँ हैं (Marriage is co-eval with Family)—ऊपर जो-कुछ कहा गया है उससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जब से 'परिवार' है तब से 'विवाह' की सस्था भी है, एक ही सामाजिक-सवध के 'परिवार' तथा 'विवाह' दो पहलू हैं, जैसे 'परिवार' के विषय में विकास की बात ठीक नहीं जँचती, वैसे 'विवाह' के विषय में भी विकास की बात ठीक नहीं जँचती। 'परिवार' मनुष्य की सामाजिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैदा हुआ था, और जब परिवार पैदा हुआ था, उसी समय इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'विवाह' की सस्था भी बनाई गई थी। ऐतिहासिक या विकासवादी दृष्टि से हम सिर्फ इतना जान सकते हैं कि अमुक जन-जाति में 'परिवार' अथवा 'विवाह' की सस्था ने क्या रूप धारण किया, क्या एक-विवाही रूप धारण किया, क्या बहु-विवाही रूप धारण किया, एक स्त्री ने कई पतियों से विवाह किया, अनेक स्त्रियो ने एक पति से विवाह किया—या क्या किया। यह सब-कुछ जान लेने पर हमें इतना तो पता चलता है कि आदि-समय के किसी समाज में विवाह का कोई रूप है, किसी में कोई रूप, परन्तु इन सब रूपों को देख कर यह नहीं कहा जा सकता कि इनका विकास किसी एक रूप से हुआ है, 'एक-दैशिक विकास' (Unilinear evolution) की कल्पना भिन्न-भिन्न जन-जातियो की 'विवाह' की संस्था से पुष्ट नहीं होती।

## ५. 'विवाह' की आवश्यकता

यो तो 'विवाह' के प्राणि-शास्त्रीय तथा कानूनी दृष्टि-कोण पर विचार करते हुए हम विवाह की आवश्यकता का भी साय-साय जिक्र कर आये हैं, फिर भी विवाह की आवश्यकता के और इस सस्था के निर्माण के इनके अतिरिक्त अन्य भी कारण हैं। विवाह का विकास किस प्रकार हुआ—यह प्रश्न इतना महत्व का नहीं है, जितना मानव-शास्त्र में इस बात का महत्व है कि विवाह मनुष्य की किस आवश्यकता को पूरा करता है, यह उसकी किस चाह का, किस भावना का, किस एपणा

होगा। 'देवर' शब्द का अर्थ भी इसी बात का द्योतक है। 'देवर'-शब्द का अर्थ है—'देवर' कस्मात् द्वितीय वरो भवतीति'—देवर उसे कहते हैं जो दूसरा वर होता है। आर्य-जातियों की भाषाओं में 'देवर' शब्द पाये जाने से ज्ञात होता है कि इन्डो-आर्यन लोगों में 'लेवराइट'-प्रथा प्रचलित थी। 'साली-सवध' (Sororate) का यह अर्थ है कि अगर पत्नी की मृत्यु हो जाय, और उसकी वहिन विवाह योग्य हो, तो विधुर की उसी से शादी होगी। ये प्रथाएँ अनेक स्थानों में प्रचलित हैं।

### ८ विवाह में अनुलोम तथा प्रतिलोम (Hypergamy and Hypogamy)

विवाह में विधि तथा निषेध पर विचार करते हुए हिन्दुओं के अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह पर विचार करना जरूरी जान पड़ता है, क्योंकि अनुलोम-विवाह करने की हिन्दुओं में छूट है, प्रतिलोम-विवाह करने की छूट नहीं है। 'अनुलोम' तथा 'प्रतिलोम' क्या है? हिन्दुओं की जाति-व्यवस्था या वर्ण-व्यवस्था के अनुसार लड़की की विवाह से पहले जाति पिता की जाति होती है, विवाह के बाद जाति पति की जाति हो जाती है। एक तरह से स्त्री की तो कोई जाति ही नहीं होती, पुरुष की जाति होती है, स्त्री जिस जाति के पुरुष के साथ विवाह करे, स्त्री की वही जाति मानी जाती है। विवाह-सवध में ब्राह्मण का ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र की कन्या से विवाह हो सकता है, इनमें ब्राह्मण तथा ब्राह्मण-कन्या का विवाह सवर्ण-विवाह एव ब्राह्मण तथा क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र कन्या का विवाह अनुलोम-विवाह-कहाता है, क्षत्रिय तथा ब्राह्मण-कन्या का विवाह प्रतिलोम विवाह कहाता है। अगर पुरुष अपने से नीचे वर्ण की कन्या से विवाह करता है, तो यह अनुलोम-विवाह है, इसकी मनु-शास्त्र आज्ञा देता है, अगर पुरुष अपने से ऊँचे वर्ण की कन्या से विवाह करता है, तो यह प्रतिलोम-विवाह है, इसकी शास्त्र आज्ञा नहीं देता। इस प्रथा का सामाजिक प्रभाव क्या हुआ? ब्राह्मण-कन्या के ब्राह्मण से विवाह की तो आज्ञा दी गई है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से ब्राह्मण-कन्या का विवाह 'प्रतिलोम-विवाह' है जिसकी शास्त्र में आज्ञा नहीं है, लेकिन ब्राह्मण अपनी जाति तथा नीचे की सब जातियों में विवाह कर सकता है। इसका सामाजिक-परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण-लड़के का विवाह का क्षेत्र ब्राह्मण-लड़की के विवाह के क्षेत्र से बहुत विस्तृत हो गया और ब्राह्मण-लड़की का विवाह का क्षेत्र बहुत सीमित होगया; ब्राह्मण लड़का जहाँ चाहता शादी कर सकता था, ब्राह्मण लड़की सिर्फ अपने वर्ण में शादी कर सकती थी। इसी कारण ब्राह्मण-लड़कियों के लिए विवाह एक समस्या हो गया। या तो ब्राह्मण लड़का ढूँढ़ने के लिए वे वहेज दें, या जन्म भर कुवारी बँठी रहें। 'प्रतिलोम-विवाह' को नाजायज करने का परिणाम ब्राह्मणों में 'दहेज' (Bride-groom price) प्रथा का चलन हो गया, एक-एक लड़का कई लड़कियों से विवाह करने लगा, उनमें 'बहु-भार्यता' (Polygyny) चल पड़ी, लड़की का होना ब्राह्मणों में एक मुसीबत का सामना करना हो गया। इसके प्रतिकूल जहाँ ब्राह्मण-लड़का 'अनुलोम-प्रथा' के अनुसार हर जाति में शादी कर सकता था, और

ब्राह्मण-लड़की 'प्रतिलोम-प्रथा' के अनुसार सिर्फ अपनी जाति में शादी कर सकती थी, वहाँ शूद्र-लड़का तो सिर्फ अपनी जाति में शादी कर सकता था, परन्तु शूद्र लड़की हर जाति में शादी कर सकती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि शूद्र लड़के का विवाह का क्षेत्र बहुत सकुचित हो गया, शूद्र-लड़की का क्षेत्र बहुत बढ़ गया। नतीजा यह हुआ कि शूद्र-लड़के को लड़की मिलना ही कठिन हो गया।

ब्राह्मणों में दहेज या 'पति-मूल्य' (Bridegroom price) तथा शूद्रों में 'पत्नी-मूल्य' (Bride price) की प्रथा चल पड़ी। नीची जातियों में लड़कियाँ ही नहीं मिलतीं, लड़कियों के लिए पैसा देना पड़ता है, वे विकती हैं। अनुलोम तथा प्रतिलोम प्रथा का आज हिन्दू-जाति पर यह प्रभाव पड़ रहा है कि बड़ी जातियों में लड़के विकते हैं, छोटी जातियों में लड़कियाँ विकती हैं, बड़ी जातियों में एक पुरुष अनेक स्त्रियाँ रखता है, छोटी जातियों में अनेक पुरुष एक स्त्री रखते हैं, बड़ी जातियों में पुरुष अविवाहित नहीं रहता, छोटी जातियों में कई बार पुरुष को अविवाहित रह जाना पड़ता है, बड़ी जातियों में लड़की आसानी से मिल जाती है, छोटी जातियों में लड़की को लूट कर, भगा कर लाना पड़ता है। हिन्दू-समाज में भिन्न-भिन्न जातियों में लड़की की स्थिति की विषमता का कारण अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह की प्रथा है।

अब 'हिन्दू-विवाह तथा तलाक-अधिनियम-१९५५' (Hindu Marriage and Divorce Act—1955) के अनुसार 'प्रतिलोम' विवाहों को वैधानिक मान लिया गया है। इस संवध में जो अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहें, वे हमारी पुस्तक 'समाज-कल्याण तथा सुरक्षा' का 'सामाजिक-विधान'-शीर्षक अध्याय देखें या श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल की पुस्तक 'स्त्रियों की स्थिति' को पढ़ें।

### ९ आदि-वासियों की विवाह की पद्धतियाँ

आदिवासियों में विवाह उनकी आर्थिक-समस्या को हल करने की उपज था, बिना दो के उनकी आर्थिक-समस्या ही नहीं हल हो सकती थी, इसलिए इनमें विवाह एक तरह का 'ठेका' (Contract) पाया जाता है, 'धार्मिक-विधान' (Sacrament) नहीं, इसलिए इन जातियों में विवाह के अवसर पर धार्मिक विधि-विधान नहीं पाये जाते। फिर भी जो आदिवासी जातियाँ हिन्दुओं के संपर्क में आयी हैं, उन्होंने हिन्दुओं के विधि-विधानों को अपना लिया है, शायद वे समझती हैं कि इससे उनकी मान-प्रतिष्ठा बढ़ती है। आदिवासियों में आठ प्रकार की विवाह की पद्धतियाँ पायी जाती हैं, जो निम्न हैं —

- (क) परीक्ष्य-विवाह (Probationary marriage)
- (ख) परीक्षा-विवाह (Marriage by trial)
- (ग) अपहरण-विवाह (Marriage by capture)
- (घ) ऋय-विवाह (Marriage by purchase)
- (ङ) सेवा-विवाह (Marriage by service)
- (च) विनिमय-विवाह (Marriage by exchange)



सबध भी जारी रहता है। वह अपने पति के घर तभी जाती है, जब उसके सन्तान हो जाती है। पति को यह मालूम होने पर भी कि सन्तान उसकी नहीं है, कुछ आश्चर्य नहीं होता, उसे कुछ अजनबीपन नहीं लगता, और स्त्री-पुरुष दोनों प्रेम-भाव से रहने लगते हैं।

(ख) मध्य-भारत की जातियों के रिवाज—मध्य-भारत की जन-जातियों में विवाह से पहले लड़की-लड़के के यौन-सबध की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। अगर लड़की इस समय गर्भवती हो जाय, तब जरूर इसे बुरा समझा जाता है, अगर लड़की को पाने के लिए सेवा कर रहे युवक से भी लड़की गर्भवती हो जाय, तब भी इसे उचित नहीं समझा जाता। गर्भवती होने पर लड़की से पूछा जाता है कि गर्भ किससे ठहरा है। जिससे गर्भ ठहरा होता है, उसे लड़की से शादी करने के लिए बाधित किया जाता है।

(ग) मुरिया जाति का रिवाज—मुरिया जाति में लड़के-लड़की को विवाह से पूर्व यौन-सबध की शिक्षा-दीक्षा दी जाती है, क्योंकि वे समझते हैं कि विवाह से पहले युवको को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार के जीवन में वे प्रवेश करने लगे हैं। इन जातियों में इस प्रकार के शिक्षा-गृह होते हैं जहाँ प्रौढा युवतियाँ लड़के-लड़कियों को यौन-शिक्षा तथा प्रेम की कला में दीक्षित करती हैं। विवाह के बाद अपनी विवाहिता पत्नी के अतिरिक्त किसी से यौन-सबध करना मुरिया जाति में असह्य अपराध है। ऐसी घटनाओं का परिणाम कत्ल तथा आत्मघात तक हो जाते हैं।

(घ) थारु जाति का रिवाज—थारु जाति की स्त्रियाँ रूपवती होती हैं। इनके पति इनके इतने बश में होते हैं कि अगर थारु-स्त्री पर-पुरुष से यौन-सबध कर ले, तो उसका पति उसे कुछ नहीं कहता, इस बात को दम मार कर सहन कर लेता है।

(ङ) खासा जाति का रिवाज—जौनसार बावर की खासा जाति में पुत्री के रूप में भी उसे अपने मित्र-दोस्तों से यौन-सबध रखने की पूरी छूट है, वह जितने प्रेमी रखना चाहे, रख सकती है, परन्तु पत्नी रूप में उसे पतिव्रत धर्म का अक्षरशः पालन करना होता है। क्योंकि उसका पुत्री-रूप केवल माता-पिता के घर में ही होता है, इसलिए खासा जाति की लड़की अपने प्रेमियों से मिलने माता-पिता के घर अक्सर चक्कर लगाया करती है। पति के घर आने पर वह केवल पति के साथ यौन-सबध रखती है, अपने दोस्त-मित्रों के साथ नहीं।

(च) टोडा जाति का रिवाज—नील-गिरी की पहाड़ियों में टोडा जन-जाति के लोग रहते हैं। इस जाति के दो भाग हैं—‘टरथरोल’ तथा ‘टेइवलियोल’। अगर एक भाग का टोडा व्यक्ति दूसरे भाग की किसी विवाहिता टोडा स्त्री से यौन-सबध स्थापित करना चाहता हो, तो उस स्त्री के पति या पतियों की स्वीकृति लेकर वह ऐसा कर सकता है। वह उस स्त्री के पति को कुछ रुपया देता है, स्त्री के माता-पिता को उसके पति ने जितना पैसा दिया था उससे ज्यादा पैसा देता है,

और विवाह का-सा सत्कार उस स्त्री से करता है। इसके बाद वह उस स्त्री के साथ उसे पत्नी बना कर रख सकता है, या जब चाहे उसके साथ यौन-संबध के लिए उसके पास जा सकता है। क्योंकि यह व्यक्ति जाति की दृष्टि से टोडा के उसी भाग का नहीं होता जिस भाग की स्त्री होती है, इसलिए इस पति से उत्पन्न प्रन्तान इसकी नहीं समझी जाती, इस स्त्री के अपनी जाति वाले भाग के पतियो की ही समझी जाती है। इस सब प्रकार के यौन-संबध को टोडा जाति में अनैतिक नहीं समझा जाता।

(छ) एस्किमो जाति का रिवाज—एस्किमो जन-जाति में आतिथ्य-सत्कार का इतना महत्व है कि अगर कोई अपरिचित व्यक्ति घर में आ जाय, तो अपनी स्त्री को उसके लिए पेश करना इस जाति का नैतिक कर्तव्य समझा जाता है। अगर कोई व्यक्ति अतिथि को अपनी स्त्री पेश नहीं करता तो उसे बुरा माना जाता है। भूत-प्रेतो को भगाने के लिए इस जन-जाति में एक दिन-रात के लिए अविवाहित यौन-संबध करना पडता है।

(ज) ऑस्ट्रेलिया की जन-जातियो के रिवाज—ऑस्ट्रेलिया की जन-जातियो में विवाह-संबध पर जोर दिया जाता है, परन्तु उत्सव-त्यौहार में सब प्रकार के वैवाहिक-बंधनों को ताक में रख दिया जाता है। अगर कोई स्त्री-पुरुष भाई-बहन, पिता-पुत्री, पुत्र-माता नहीं है, तो हर किसी को हर किसी के साथ यौन-संबध की छूट हो जाती है। आदिवासियो में भाई-बहिन या खून के अत्यन्त निकट के रिश्ते में यौन-संबध महापाप गिना जाता है, वाकी किसी से विवाह के बाहर का यौन-संबध भी इतना बुरा नहीं माना जाता। ऑस्ट्रेलिया की इन जन-जातियो में उक्त प्रकार के उत्सव-त्यौहारो पर अगर किसी युवक को अपनी सास के साथ यौन-संबध के लिए कहा जाय, तो वह भी उसे करना पडता है।

उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि कन्या के अक्षतयोनि होने के संबध में सभ्य-समाज के जो विचार हैं, उनसे अशिक्षित जातियो के विचार बहुत भिन्न हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि एक समाज जिसे बुरा मानता है, दूसरा समाज उसे अच्छा मान सकता है, इन सब बातो की अच्छाई-बुराई आत्यन्तिक नहीं, सामाजिक है।

## १२ तलाक

हम पहले लिख आये हैं कि आदिवासियो में विवाह एक 'सामाजिक-ठेका' (Social contract) है, 'धार्मिक-विधान' (Sacrament) नहीं। ठेका तो कुछ शर्तों पर टिका होता है, जब ये शर्तें पूरी न हों तो ठेका टूट जाता है, इसलिए आदिवासियो में विवाह की स्थिरता नहीं होती, खास-खास अवस्थाओं में विवाह-विच्छेद हो जाता है, और इसे बुरा मानने के स्थान में स्वाभाविक माना जाता है।

फल-मूल एकत्रित करने तथा कृषि-संबधो सरल आर्थिक व्यवस्था में क्योंकि युवक-युवति एक-दूसरे को चुनते हैं, अपनी इच्छा से शादी करते हैं, माता-

शैशव-काल का चरित्र और स्वभाव बन सकता है, वैसे युवावस्था के नवीन सस्कारों से उसके पहले 'व्यक्तित्व' को बदल कर नवीन 'व्यक्तित्व' का निर्माण किया जा सकता है।

आदिकालीन समाज के बच्चों के विकास में मनोविश्लेषणवादियों की कल्पनाओं को क्रियात्मक रूप में परखा जा सकता है। आदिकालीन समाज एक तरह की प्रयोगशालाएँ हैं जिनमें हम अपनी मनोवैज्ञानिक कल्पनाओं की परीक्षा कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, एस्कमो परिवार के बच्चे की परवरिश केवल माता-पिता—इन दो की देख-रेख में होती है, उसे अन्य साथियों से मिलने का अवसर नहीं मिलता। उत्तरी अमरीका के इंडियन माता-पिता के बच्चों को माता-पिता की देख-रेख न के बराबर मिलती है। तीन बरस का होते-होते ही यह बच्चा सवेरे से घर से निकल पड़ता है और दूसरे बच्चों के साथ शाम तक जंगल में फिरा करता है, शाम को ही घर लौटता है। जब घर के बड़े-बूढ़े बातचीत में लगे होते हैं, उनकी बातों को सुनता-सुनता वह सो जाता है। एस्कमो तथा उत्तरी अमरीका के इंडियनों का जीवन एक-दूसरे से कितना भिन्न है। इनके 'व्यक्तित्व' का अध्ययन करके मानव-शास्त्री मनोविश्लेषणवादियों की कल्पनाओं को परख सकता है। मानव-शास्त्री को यह देखना होगा कि क्या शैशव-काल के जीवन से बने 'व्यक्तित्व' का आदिकालीन बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, या बाल्य-काल के जीवन में वह जिन नये सस्कारों में, नये सगी-साथियों में पड़ जाता है, उनका उसके 'व्यक्तित्व' के निर्माण पर प्रभाव पड़ता है। आखिर, शैशव तथा बाल्य-काल—ये दो अवस्थाएँ हैं। जन्म से दो-चार साल तक शैशव, उसके बाद का समय बाल्य-काल है। मनोविश्लेषणवादी शैशव पर बल देते हैं, उनके मत में शैशव में जो-कुछ बन गया वह अमिट है। मानव-शास्त्री को देखना है कि क्या आदिवासियों के जीवन की प्रयोगशाला के अनुभव से यह तथ्य ठीक बैठता है, या बाल्य-काल के उनके नवीन सस्कार उनमें शैशव से भिन्न व्यक्तित्व का निर्माण कर देते हैं। यह बात नहीं कि इन तथ्यों की परीक्षा हम आदिकालीन समाज के बच्चों के विकास में ही कर सकते हैं, वर्तमान-समाज के बच्चों के विकास में नहीं कर सकते। परीक्षा तो दोनों प्रकार के समाजों में हो सकती है, परन्तु किसी बात की सच्चाई को परखने के लिए उस तथ्य की दोनों समाजों में परीक्षा हो जाय, तो उस तथ्य की यथार्थता के लिए एक और पुष्ट प्रमाण मिल जाता है।

आदिकालीन जातियों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि शैशव-काल के सस्कार तो बालक के 'व्यक्तित्व' निर्माण करते हैं, बाल्य-काल के सस्कार भी बालक के 'व्यक्तित्व' का कम निर्माण नहीं करते। मनोविश्लेषणवादी जितना शैशव-काल के सस्कारों पर बल देते हैं, उससे कम बल बाल्य-काल के सस्कारों पर नहीं दिया जा सकता। मानव-शास्त्र का अध्ययन बतलाता है कि बालक का 'व्यक्तित्व' हर समय बनता रहता है, ज्यों-ज्यों नये-नये सस्कार पड़ते रहते हैं, त्यों-त्यों पुराना व्यक्तित्व बदलता और नये व्यक्तित्व का निर्माण

होता रहता है। फल-मूल एकत्रित करने वाली सरल अर्थ-व्यवस्था में बालक शीघ्र ही माता-पिता का उनकी अर्थ-व्यवस्था में हाथ बँटाने लगता है, छोटी आयु में ही उनके साथ जगल में जाने, फल-मूल लाने और दूसरे काम करने लगता है। इसका परिणाम यह होता है कि इस प्रकार की सरल अर्थ-व्यवस्था में बालक को बहुत जल्दी अपने बराबर का समझा जाने लगता है, उसे छोटा नहीं समझा जाता। इस अर्थ-व्यवस्था के जो युवा होते हैं वे आठ-दस बरस के बच्चों को भी अपना साथी समझने लगते हैं, इसलिए क्योंकि उनके छोटा होते हुए भी उनसे बड़ो का-सा काम लिया जाता है। इस प्रारम्भिक तथा सरल अर्थ-व्यवस्था के बाद जब विकसित अर्थ-व्यवस्था आती है, जिसमें बच्चो को काम ज्यादा नहीं करना पडता, जिसमें 'वचत' होने लगती है, उसमें बड़ो को भी माता-पिता बच्चा समझते हैं, इसलिए बच्चा समझते हैं क्योंकि युवा होने पर भी उनसे बच्चों की तरह कुछ काम नहीं लिया जाता। सरल तथा विकसित दोनो अर्थ-व्यवस्थाओ के युवा तो युवा हैं, इनमें सरल अर्थ-व्यवस्था में युवा को दूसरे युवा अपना साथी समझते हैं, अपने बराबर का समझते हैं, विकसित अर्थ-व्यवस्था में युवा को दूसरे युवा बच्चा ही समझते हैं—इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि वावस्था में जैसा बालक से व्यवहार किया जाता है, उससे वह अपने नये 'व्यक्तित्व' का निर्माण कर लेता है, उसका व्यक्तित्व जैसा एक बार बन गया, वैसा बन गया वह बात नहीं है, परन्तु बालक का 'व्यक्तित्व' एक लचकीली चीज है, जो नई परिस्थितियों के उत्पन्न करने पर नई बन जा सकती है। मानव-शास्त्रियों की यह बात मनोविश्लेषणवादियों की बात को काटती है, परन्तु अभी इस दिशा में और अधिक विचार करने की आवश्यकता है।

घराने के लोगों में भाई-बहन तक की शादी होती थी, और वह इसलिए कि बड़े घराने के दैवीय-गुण सन्तान में सुरक्षित रह सकें। किन्हीं-किन्हीं जातियों में बुआ या मामा की लडकी से शादी की जाती है, यह 'समान-रुधिर-विवाह' है, परन्तु इसका मुख्य कारण अपनी सामाजिक-स्थिति को बनाये रखना है।

'सम्मिलित' अथवा 'समान-रुधिर' विवाह—इन दोनों में दो व्यक्तियों का पति-पत्नी के रूप में मेल होता है। इस मेल में कुछ व्यक्ति 'प्रथम-कोटि के सबघो' (Primary kins) होते हैं, कुछ 'द्वितीय-कोटि के सबघो' (Secondary kins) होते हैं, कुछ 'तृतीय-कोटि के सबघो' (Tertiary kins) होते हैं। इस प्रकार सबघो की कोटि आगे-आगे चलती चली जाती है। ये तीनों क्या हैं ?

(1) प्रथम-कोटि सबघ (Primary kinship)—'प्रथम-कोटि के सबघो' (Primary kins) कौन होते हैं ? 'सम्मिलित' अथवा 'समान-रुधिर' विवाह में जिन व्यक्तियों का एक-दूसरे से सीधा, किसी के जरिये से नहीं, सबघ होता है वह 'प्रथम-कोटि का सबघ' कहलाता है। उदाहरणार्थ, सन्तान का अपने पिता के साथ सीधा 'प्रथम-कोटि का रुधिर का सबघ' (Primary consanguineous kinship) है, इसी सन्तान की शादी होने पर इसका अपनी पत्नी के साथ सीधा 'प्रथम-कोटि का सम्मिलित-सबघ' (Primary affinal kinship) है।

(ii) द्वितीय-कोटि सबघ (Secondary kinship)—'द्वितीय-कोटि के सबघो' (Secondary kins) कौन होते हैं ? जिनका अपना तो हमारे साथ 'समान-रुधिर का' या 'सम्मिलन का' सीधा 'प्रथम-कोटि' का सबघ नहीं है, परन्तु जिन लोगों का हमारे साथ सीधा, अर्थात् 'प्रथम-कोटि' का सबघ है उन लोगों के साथ उनका प्रथम-कोटि का सबघ है—उन्हें हमारी दृष्टि से 'द्वितीय-कोटि के सबघो' कहा जाता है। उदाहरणार्थ, हमारे चाचा का हमारे साथ तो सीधा 'प्रथम-कोटि का सबघ' नहीं है, परन्तु हमारे पिता के साथ, जिनका हमारे साथ 'प्रथम-कोटि का सबघ' है, हमारे चाचा का 'प्रथम-कोटि का सबघ' है। इस दृष्टि से हमारे पिता हमारे प्रथम-कोटि के और हमारे चाचा हमारे 'द्वितीय-कोटि के समान रुधिर के सबघो' (Secondary Consanguineous kins) कहलायेंगे। इसी प्रकार हमारी सौतेली माँ का हमारे साथ क्या सबघ है ? हमारी सौतेली माँ का हमारे साथ सीधा प्रथम-कोटि का सबघ नहीं है, क्योंकि हमारा और उसका रुधिर का सबघ नहीं है। माँ के साथ बेटे का रुधिर का ही तो सबघ होता है, जिसका सौतेली माँ के साथ अभाव होता है। सौतेली माँ का हमारे पिता के साथ सीधा 'प्रथम-कोटि का सम्मिलन-सबघ' है, इसलिए उसका हमारे साथ 'द्वितीय-कोटि का सम्मिलन-सबघ' (Secondary affinal kinship) है।

(iii) तृतीय-कोटि सबघ (Tertiary kinship)—'तृतीय-कोटि के सबघो' (Tertiary kins) कौन होते हैं ? जिनके साथ हमारा 'द्वितीय-

कोटि का संबंध है, उनके साथ जिनका 'प्रथम-कोटि का समान-रुधिर' का या 'सम्मिलन' का सबध हो, वे तृतीय-कोटि के सबधो कहे जाते हैं। इस प्रकार यह सबध समान-रुधिरवालों तथा सम्मिलन-सबध वालो के साथ आगे-आगे बढ़ता चला जाता है।

(ख) भववो का क्षेत्र (Range of kinship)—ऊपर हमने जो विवरण दिया उससे यह तो स्पष्ट हो गया कि नातेदारी के रिश्ते 'प्रथम-कोटि' से 'द्वितीय-कोटि' में और 'द्वितीय-कोटि' से 'तृतीय-कोटि' में पहुँचते-पहुँचते बढ़ते चले जाते हैं, ज्यो-ज्यो हम तृतीय से भी अगली कोटियों में पहुँचेंगे, त्यों-त्यों इनकी सख्या बढ़ती ही चली जायगी। आजकल के समाज में रिश्तेदारी को बहुत आगे तक नहीं देखा जाता, दो-तीन पीढ़ियों तक ही इस संबंध को देखा जाता है, अशिक्षित-जन-जातियों में इसको बहुत दूर तक, कई पीढ़ियों तक देखा जाता है। इन सबधों को 'पीढी' कहते हैं। हिन्दुओं में १९५५ से पहले तक तो यह नियम था कि विवाह-संबंध में पिता की सात तथा माता की पाँच पीढियाँ छोड़ दी जाती थीं, अब 'हिन्दू-विवाह तथा तलाक अधिनियम' के स्वीकृत होने के बाद से विवाह के निषेध की यह सीमा माता तथा पिता दोनों से तीन पीढियों तक कर दी गई है। हमारा सबध देखने का क्षेत्र 'सकुचित-क्षेत्र' (Narrow range) होता जा रहा है, आदिवासियों का सबध देखने का क्षेत्र 'विस्तृत-क्षेत्र' (Broad range) होता है, और इतना विस्तृत होता है कि अपने कुल के आदि-काल को ढूँढते-ढूँढते वे किसी काल्पनिक पूर्वज को वंश का प्रवर्तक मानने लगते हैं। 'गोत्र' (Clan) तथा 'गोत्र-चिह्न' (Totem) का उद्भव-स्थान इसी आदि-प्रवर्तक की ढूँढ का परिणाम है। हम 'गोत्र' तथा 'गोत्र-चिह्न' पर अगले अध्याय में विस्तार से विवेचन करेंगे।

(ग) वंश (Descent)—वंश का सबध माता तथा पिता दोनों से है। 'परिवार' (Family) एक ऐसी सस्या है जिसमें माता से भी वंश को गिना जाता है, पिता से भी, इसलिए परिवार का रूप 'उभय-पक्षीय' (Bilateral) कहलाता है, 'गोत्र' (Clan or Sib) एक ऐसी सस्या है जिसमें वंश को सिर्फ पिता से या सिर्फ माता से गिनते हैं, इसलिए 'गोत्र' का रूप 'एक-पक्षीय' (Unilateral) कहलाता है। 'परिवार' की सस्या में वंश गिनते हुए सब पीढ़ियों को गिनना पडता है, पिता का पिता, उसका पिता, फिर उसका पिता कौन था, माता का पिता, फिर उसकी माता का पिता, फिर उसकी माता का पिता आदि सब पीढ़ियों का क्रमश पता लगाना होता है, और 'गोत्र' की सस्या में इन सब पीढ़ियों का पता लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ पिता के या सिर्फ माता के वंश के आदि-प्रवर्तक का, उस प्रवर्तक का जिससे शुरू-शुरू में वंश चला, पता लगाना होता है। जिन परिवारों में माता से वंश चलता है, उस परिवार के लोग आपस में 'मातृ-वंशी-सबधो' (Matrilinal kins) कहाते हैं, जिनमें पिता से वंश चलता है, वे लोग आपस में 'पितृ-वंशी-सबधो' (Patrilineal kins) कहाते

इनमें से कमारो का एक समूह तो कछुए की पीठ पर चढ़ कर जल को पार कर गया। इन्हें 'नेतम' कहा जाता है। आज दिन भी वे कछुए के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इसे अपना गोत्र-चिह्न मानते हैं और कछुए को नहीं मारते, इसे नहीं खाते। दूसरा समूह मगरमच्छ की पीठ पर चढ़ कर जल को पार कर रहा था। धार के बीच में मगरमच्छ का दिल विगड गया। उसने पीठ पर चढ़ो से कहा कि मुझे भूख लगी है, मैं तुम सब को हडप जाऊंगा। उसकी पीठ पर जितने कमार चढ़े थे, डर के मारे सब ने जल में छलाग मार दी। कुछ को वह खा गया, बाकी जो बच रहे वे तैरते-तैरते कछुए की पीठ पर चढ़ो के निकट पहुँच गये। उन्होंने कछुए से गिडगिडा कर कहा—हमें भी अपनी पीठ पर ले लो। कछुए ने कहा कि मेरी पीठ पर काफी बोझ लदा है, मैं और अधिक नहीं ले सकता। इन लोगो ने प्रार्थना करते हुए कहा—मामा, हमारी जान बचा लो। कछुए ने कहा—अरे, तुम मेरे भानजे हो, आओ, पीठ पर चढ़ जाओ, और उसने इन सब की भी जान बचा दी। इस वर्ग को 'मरकम' कहा जाता है और आज भी ये जहाँ मगरमच्छ को देखते हैं उसे जान से मार डालते हैं और कछुए की पूजा करते हैं। 'कछुए' तथा 'मगरमच्छ' के इन गोत्रो के चिह्न होने की यह कहानी है।

सोरी लोग जगल की एक झाड़ी को पकड कर पार हो गये। पार होने के बाद उन्होंने एक जगल में डेरा डाला। वहाँ उनके भिन्न-भिन्न परिवारो ने कुछ दिन विश्राम करने के लिए अपनी झोंपडियाँ भी बना लीं। इनमें से एक सोरी स्त्री गर्भवती थी। उसके यहाँ दो सन्तान उत्पन्न हुई—एक सिंह थी, दूसरी साँप थी। सिंह कमार से जो वंश चला उसका नाम 'वाघ-सोरी' तथा साँप कमार से जो वंश चला उसका नाम 'नाग-सोरी' पडा। 'वाघ-सोरी' शेर को और 'नाग-सोरी' साँप को नहीं मारते। अगर उन्हें पता चल जाय कि आस-पास किसी ने शेर या साँप मारा है, तो वे स्नान करते हैं, प्रायश्चित्त करते हैं, ठीक ऐसे जैसे कोई निकट का सबधी मरा हो।

एक बूढ़ा कमार अपने पुत्र के लिए एक पुत्र-वधू लाया। इस बीच यह जल-विप्लव आ गया। लडके-लडकी का अभी सबध नहीं हुआ था। पानी उतरने के बाद जब वह घर का आँगन बूहारने लगी, तब उसके सब कपडे भीजे हुए थे, उन कपडो के बीच से उसके सुन्दर अग-प्रत्यग झलक रहे थे। इतने में ब्रह्मदेव का बकरा वहाँ आ निकला। बकरे ने सुन्दरी पर मोहित होकर उसका आलिगन करना चाहा। सुन्दरी ने कहा—अगर तुम्हारे ससर्ग से मुझे सन्तान हो गई, तो क्या होगा। उसने कहा, वह 'कुजम' गोत्र की कहलायेगी। वह सुन्दरी बकरे के साथ जगल में जाकर तीन दिन रही। चौथे दिन कमार लोगो ने ढूँढते-ढूँढते जगल में जाकर उसे बकरे के साथ सोते पकडा, परन्तु इस बीच वह गर्भवती हो चुकी थी। इस स्त्री के जो सन्तान हुई वह आज भी 'कुजम' गोत्र की कहलाई और बकरा उसका 'गोत्र-चिह्न' हुआ। इस गोत्र के लोग बकरे का मांस नहीं खाते और

अगर बकरा इनकी झोपडी में आ घुसे तो रसोई के बर्तन फेंक देते हैं और पानी छिड़क कर झोपडी को पवित्र करते हैं।

इस जन-जाति का एक वर्ग दुनियाँ भर में घूमता-फिरता रहा। लगातार गतिशील होने के कारण इसे 'जगत' कहते हैं। एक वर्ग इतना भूखा था कि उसने मुर्दे को खा लिया। इसे 'मरे' कहते हैं और इनके यहाँ जो प्राणी अपने-आप मर जाय उसे खाना मना है, ये पशु को मार कर खाते हैं, स्वयं मरे को नहीं खाते। जो कमार अपना निर्वाह किसी प्रकार नहीं कर सके उन्हें 'छेदेहा' कहा जाता है।

'गोत्र-चिह्न' की उत्पत्ति से जन-जातियों में इसका महत्त्व स्वयं स्पष्ट हो जाता है। कई जातियों में 'गोत्र-चिह्न' का जो पशु-पक्षी-वृक्ष हो उसका मारना तथा खाना मना होता है। कई-कई जातियों में उत्सवो-त्यौहारों पर उसे मार कर खाया भी जाता है। प्रायः जन-जातियाँ अपना 'गोत्र-चिह्न' शरीर के किसी भाग पर गुदवा लेती हैं।



कर रखने का महत्व नहीं है। जमा करने के बाद कई स्थानों में इसे सब के सामने जला देने की प्रथा है, कई स्थानों में विरादरी का भडारा कर इसे लुटा देने की प्रथा है, कई स्थानों में इसे समुद्र में फेंक देने की प्रथा है। इन सब प्रथाओं का यही अभिप्राय है कि इन लोगों में सम्पत्ति को जमा करने के स्थान में सम्पत्ति को लात मार कर कुलीन व्यक्ति उच्च-वर्ग में सम्मिलित होता है।

(ग) न्यू गिनी की ट्रोब्रिडेड जन-जाति—यह जाति सम्पत्ति को जीवन का सब से ऊँचा लक्ष्य मानती है। अन्य जन-जातियों में सम्पत्ति को इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना इनमें दिया जाता है, परन्तु इनमें भी उच्च-वर्ग का कहलाने के लिए 'कुल' नाम की एक प्रथा है। इस प्रथा के अनुसार अपने द्वीप के भीतर तथा बाहर व्यापार करते हुए व्यापारी उन व्यापारियों को जिनके साथ वह व्यापार करता है, वाजूबन्द तथा गुलूबन्द भेंट करता है। ये वाजूबन्द और गुलूबन्द साधारण जव चाहे बनाये हुए जेवर नहीं होते। इनके पीछे वरसों का इतिहास होता है। जैसे कोई पुरानी चीज परपरा से चली आती हो—इसी से वह महत्वपूर्ण हो जाती है, इसी प्रकार इस जन-जाति में परपरा से चले आ रहे वाजूबन्द और गुलूबन्द का महत्व हो गया है। जो व्यापारी दूसरो को उपहार के तौर पर इनकी भेंट करता है, उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाती है। प्रतिष्ठा पाने के लिए व्यापारी इस प्रकार की भेंट देते-लेते हैं। जिस गाँव में 'कुल' नाम की प्रथा के अनुसार इस प्रकार की भेंट आ जाती है वह गाँव अपने को अन्य गाँवों से अधिक प्रतिष्ठित मानने लगता है। इस प्रथा के अनुसार इन भेंटों को सदा आगे-आगे चालू रखने में ही प्रतिष्ठा कायम रहती है, अपने पास जमा कर लेने से नहीं। 'पौटलेंच' प्रथा में तो सम्पत्ति का बिल्कुल स्वाहा कर दिया जाता है, 'कुल'-प्रथा में सम्पत्ति का नाश तो नहीं, परन्तु दो बहुमूल्य वस्तुओं की भेंट कर के व्यक्ति 'उच्च-वर्ग' में आने का प्रयत्न करता है।

### ३ श्रेणी-स्थिति (Status by rank)

आदिवासियों में वर्ग के विभाग से स्थिति का भेद तो प्रकृति का दिया हुआ नहीं है, मनुष्य द्वारा विकास की प्रक्रिया की उपज कहा जा सकता है। परन्तु श्रेणी-भेद तो विकास का परिणाम नहीं है, यह तो प्रकृति-सिद्ध है, यह भेद जन्म से मनुष्य जन्मा है, अपने साथ लाया है। कोई जन्म से चतुर है, कोई भोटा है, कोई कुशल तथा प्रवीण है, कोई कौशल-विहीन है, कोई साहसी है, कोई निरालसी है। इन भेदों के अलावा आयु-संबन्धी भेद भी प्रकृति-सिद्ध हैं। हर समाज में बाल, युवा, वृद्ध होते ही हैं, स्त्री तथा पुरुष भी होते ही हैं। आदि-समाज में जैसे हमने पहले कहा 'वर्ग-भेद' तो नहीं था, परन्तु 'श्रेणी-भेद' था, श्रेणी-भेद में 'आयु-भेद' (Difference of age) तथा 'लिंग-भेद' (Difference of sex) क्योंकि बहुत प्रत्यक्ष भेद हैं, जन्म से चले आते हैं, इसलिए इनका विभाग उन्होंने स्वयं किया था। 'लिंग-भेद' के आधार पर सामाजिक-स्थिति का वर्णन तो हम अग

अध्याय में करेंगे, परन्तु 'आयु-भेद' के आधार पर आदिवासियों की क्या विचार-धारा है—इस सबष में कुछ लिख देना आवश्यक है। आयु को दृष्टि में रख कर आदिवासियों ने 'आयु-श्रेणी' (Age-rank) का विभाग किया था, और क्योंकि 'आयु-श्रेणी' में मुख्य स्थान युवा-युवतियों का होता है, अतः उन्होंने इन्हें शिक्षित करने के लिए एक 'संस्था' (Institution) को जन्म दिया था, जिसे 'शयनागार' (Dormitory) की संस्था नाम दिया जाता है। हम इन दोनों पर इस प्रकरण में कुछ प्रकाश डालेंगे।

(क) आयु-श्रेणियाँ (Age-ranks)—प्रत्येक समाज में आयु की दृष्टि से मानव का विभाग तीन श्रेणियों में किया जाता है—बाल, युवा तथा वृद्ध। बालपन से युवावस्था में बालक तब प्रवेश करता है, जब उसमें युवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जब वह अपने समाज की आर्थिक-व्यवस्था की बातें सीख जाता है। यह ठीक है कि आदिवासियों के बालक छोटी आयु में ही अपने समाज के तरीके, मछली कैसे पकड़ना, शिकार का पीछा कैसे करना, कन्द-मूल कैसे खोदना—यह सब-कुछ सीख जाते हैं और आजकल के बालक की अपेक्षा जल्दी युवा-श्रेणी में सम्मिलित हो जाते हैं। ज्यों-ज्यों मनुष्य सरल आर्थिक-व्यवस्था से विकसित आर्थिक-व्यवस्था की तरफ चलता चला जाता है, त्यों-त्यों बालक का 'युवा-श्रेणी' में आना भी देर से होने लगता है, यहाँ तक कि आजकल की अत्यन्त विकसित पूँजीपति अर्थ-व्यवस्था में तो कई बालक बाढी-मूँछ निकल आने पर भी निरे बच्चे ही बने रहते हैं, काम-काज की बात वे इसलिए नहीं सीख सकते क्योंकि उनके सब काम दूसरे लोग किया करते हैं। आदिवासियों में जब बालक-श्रेणी के व्यक्ति युवा-श्रेणी में आते हैं, तब वे अपने समाज में प्रचलित युवाओं के-से कपड़े, उनकी-सी वेश-भूषा, उनका-सा आचार-व्यवहार करने लगते हैं। ये लोग अपनी आयु की श्रेणी के अन्य लोगों के-से उद्योग-धर्मों में जाने का प्रयत्न करते हैं, अगर किसी जन-जाति के युवा सेना में भर्ती होते हैं, तो सभी-के-सभी युवा सेना में ही भर्ती होने के लिए यत्नशील रहते हैं। शावी-व्याह भी वे उसी आयु में करते हैं जिस आयु में उस समाज के अन्य युवा करते हैं। आदिवासियों में नहीं, अपने समाज में भी युवा-श्रेणी अपना एक अलग नमूना बनाये रखती है। बालपन से युवावस्था में तो हर-एक वच्चा आता ही है, परन्तु युवावस्था के आने पर कई समाजों में बालक यँ ही 'युवा-श्रेणी' में आ मिलता है, इसका कोई औपचारिक विधान नहीं किया जाता, परन्तु अनेक जन-जातियों में बालक के 'युवा-श्रेणी' में आकर सम्मिलित होने के लिए खास तौर पर विधि-विधान किये जाते हैं, संस्कार किये जाते हैं। हिन्दुओं में उपनयन-संस्कार किया जाता है जो कहीं-कहीं तो विवाह-संस्कार से भी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। भारत की अनेक जन-जातियों में भी इस 'आयु-श्रेणी' में पहुँच कर कुछ सीखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर युवक होने के बाद भी वह अपनी जन-जाति के रीति-रिवाज, क्रिया-कलाप नहीं सीखेगा, तो उम्र जन-जाति की सांस्कृतिक-

‘सम्पत्ति’ उत्पन्न हुई कृषि तथा पशु-पालन के युग में, जब ‘मातृ-सत्ताक-परिवार’ का स्थान ‘पितृ-सत्ताक-परिवार’ ने ले लिया था, और उस समय, जैसा हम देख आये हैं, स्त्री की स्थिति भी उसके पास किसी प्रकार की सम्पत्ति न होने के कारण गिरी हुई थी।

तो फिर क्या स्त्री की स्थिति किसी समय ऊँची नहीं रही ? यह बात नहीं है। फल-मूल एकत्रित करने की जो अर्थ-व्यवस्था थी उसमें स्त्री तथा पुरुष की स्थिति समान थी। इसके अतिरिक्त जो मातृ-सत्ताक जन-जातियाँ पायी जाती हैं, उनमें से दो का उदाहरण हम ऊपर दे आये हैं। छासी तथा गारो जन-जाति में सम्पत्ति पर स्त्री-कुल का ही अधिकार होता है, पति-कुल का नहीं। यह ठीक है कि पति के स्त्री के घर में जाकर केवल रहने से पति की अपेक्षा स्त्री की स्थिति को ऊँचा नहीं कहा जा सकता, परन्तु अगर वहाँ सम्पत्ति का अधिकार स्त्री को रहे, तब तो उसे ऊँचा कहना ही पड़ेगा। छासी तथा गारो जन-जातियों में ऐसी ही व्यवस्था है, वहाँ स्त्री को ही सम्पत्ति का अधिकार है। इन दृष्टान्तों को देख कर यह कहा जा सकता है कि अगर सब मातृ-सत्ताक-परिवारों में नहीं, तो कम-से-कम जिन परिवारों में सम्पत्ति पर स्त्री का अखंड अधिकार है, उनमें स्त्री की स्थिति निस्सन्देह पुरुष से ऊँची है, और रही होगी।

#### ४. पितृ-सत्ताक परिवारों में स्त्री-पुरुष की स्थिति

मातृ-सत्ताक-परिवार में पति अपनी पत्नी के घर आकर रहता है, पितृ-सत्ताक-परिवार में पत्नी अपने पति के घर आकर रहती है। यद्यपि स्थान का कोई विशेष महत्व नहीं है, तो भी जब स्त्री अपने घर रहती है, तब अपने के बीच रहने से उसकी मान-मर्यादा पति से ऊँची बने रहना स्वाभाविक है, पति उसके साथ दुर्घ्ववहार नहीं कर सकता। इसी प्रकार जब स्त्री पति के घर आकर रहने लगती है, तब पति का हाथ ऊँचा रहना स्वाभाविक है, इसलिए पितृ-सत्ताक-परिवार में पुरुष की स्थिति स्त्री से ऊँची होती है।

मातृ-सत्ताक-परिवार के विषय में विकासवादियों का कहना है कि यह तभी तक बना रहता है, जब तक कोई समाज फल-मूल तथा आखेट की आर्थिक व्यवस्था में होता है, ‘कृषि-सभ्यता’ तक नहीं पहुँचा होता। जब तक मनुष्य शिकार से, पशु-पालन से जीवन-निर्वाह करता है, तब तक तो यह सभव हो सकता है कि पति अपने घर को छोड़ कर पत्नी के घर आता-जाता रहे, परन्तु जब मनुष्य ने कृषि का आविष्कार किया, तब पति के लिए पत्नी के घर आना-जाना कठिन हो गया। उस अवस्था में वह अपने कारोबार में, खेती-बाड़ी में इतना व्यस्त रहने लगा कि अपने धंधों से ही उसे फुसंत नहीं मिलती थी। जमीन को साफ करना, हल चलाना, बीज बोना, जानवरों से खेती की रक्षा करना, पकने पर काटना—ये सब इतने जजाल के काम थे जिनके बिना उसका जीवन-निर्वाह नहीं हो सकता था, परन्तु जिनमें लग जाने पर उसके पास फुसंत भी नहीं रहती थी। इसलिए ‘कृषि-

सम्यता' से पहले जो 'मातृ-सत्ताक' परिवार थे, वे भी कृषि के आविष्कार के बाद 'पितृ-सत्ताक' का रूप धारण कर गये, और स्त्री अपने पति के घर में ही जाकर रहने लगी। इस प्रकार स्त्री के अपना घर छोड़ कर पति के घर जा बसने से पुरुष की स्थिति अपने-आप ऊँची तथा स्त्री की स्थिति अपने-आप नीची हो गई। वैसे तो स्यान का, जैसा हम कई जगह कह आये हैं, स्थिति के ऊँचे-नीचे होने पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, परन्तु क्योंकि स्त्री पति के यहाँ उसकी आर्थिक-व्यवस्था से खिची चली आयी, इसलिए स्त्री तथा पुरुष की स्थिति पर इस बात का प्रभाव अवश्य पड़ा। आजकल के परिवार मुख्य तौर पर पितृ-सत्ताक हैं, पितृ-स्यानी हैं, पितृ-वशी हैं, इसीलिए आजकल की व्यवस्था में पुरुष का स्त्री की अपेक्षा समाज में ऊँचा स्थान है। इस व्यवस्था में सम्पत्ति पर अधिकार स्त्री का न होकर पुरुष का है, और उत्तराधिकार के तौर पर जायदाद पुत्री को मिलने के स्थान में पुत्र को मिलती है। पुत्र ही वंश-परंपरा का चलाने वाला समझा जाता है, इसलिए पुत्र का होना ही महत्त्व का समझा जाता है, पुत्री से वंश चलता नहीं माना जाता। अब इस अवस्था के प्रति समाज में प्रतिक्रिया हो रही है और सम्पत्ति का अधिकार पुरुष के साथ-साथ स्त्री को भी दिया जा रहा है, पुत्र के साथ-साथ पुत्री को भी उत्तराधिकार में कुछ हिस्सा दिये जाने की व्यवस्था कर दी गई है।

५ पितृ-सत्ताक परिवारों से स्त्री की स्थिति पर क्या प्रकाश पड़ता है ?

पितृ-सत्ताक परिवार में स्त्री के स्थान में पुरुष की प्रधानता होती है—यह तो स्पष्ट है, परन्तु यह कहना कि इस प्रकार के परिवार में स्त्री को सदा दबा कर ही रखा जाता है, गलत है। उदाहरणार्थ, हो जन-जाति पितृ-सत्ताक है, परन्तु उसमें जहाँ रोव जमाने वाले पति पाये जाते हैं, वहाँ पत्नी के आज्ञाकारी पतियों की भी कमी नहीं है। गोंड पितृ-सत्ताक जन-जाति है, परन्तु इसमें पति चुनने, तलाक देने तथा विवाह से पहले यौन-संबंध करने का स्त्री को अधिकार है। थारु जन-जाति पितृ-सत्ताक है, परन्तु इस जाति की स्त्रियाँ इतनी सुन्दर होती हैं कि पति सदा उनका दास बना रहता है। जौनसार फी खासा जन-जाति पितृ-सत्ताक है, इनमें एक स्त्री के अनेक पति होते हैं, जब तक स्त्री पति-गृह में रहती है, दबी रहती है, परन्तु इनमें स्त्री के माता के घर में जल्दी-जल्दी आने की प्रथा है, और मातृ-गृह में आकर उसे हर बात की खुली छूट हो जाती है, वह मातृ-गृह में आकर पर-पुरुषों से यौन-संबंध भी कर सकती है, इस बात को उसकी ससुरालवाले भी जानते हैं, परन्तु कोई आपत्ति नहीं करते। नागा जन-जाति पितृ-सत्ताक है, परन्तु उनमें स्त्री के पुरुष के बराबर अधिकार हैं। इस सब से क्या सिद्ध होता है ? ये सब बातें सिद्ध करती हैं कि स्त्री की मातृ-सत्ताक परिवार में स्थिति निश्चित तौर पर ऊँची रहती हो और पितृ-सत्ताक-परिवार में निश्चित तौर पर नीची हो जाती हो—यह बात नहीं है। एक जन-जाति से जब हम दूसरी जन-जाति में जाते हैं, तो जगह-जगह स्थिति बदलती जाती है, जहाँ हम आशा करते हैं कि यहाँ स्त्री की स्थिति

गाय प्रत्येक पशु कुछ-न-कुछ चेष्टा-सकेतों का आश्रय लेता है। उदाहरणार्थ, मोर जब आनन्द-विभोर होता है, तब अपने पंखों का सुन्दर छत्ता फैला कर मोरनी को अपनी तरफ मुग्ध करने का प्रयत्न करता है, कीड़ी चलती-चलती दूसरी कीड़ी को देख कर रुक जाती है और अपने मुखाग्र भाग से दूसरी कीड़ी के मुखाग्र भाग को छू कर न-जाने क्या-क्या बातें कर जाती है। कुत्ता कुत्ते को देख कर प्यार से पूंछ हिलाने लगता है। कुत्ता तो पूंछ हिला कर, उछल-कूद कर मनुष्य से भी बातें किया करता है। बिल्ली जब शिकार पर आंख साधे सारे शरीर को ताने बंठी होती है, तब दूसरी बिल्ली उसकी सब बातों को समझ जाती है। बात यह है कि दूसरी बिल्ली जो शिकार नहीं कर रही, वह जब शिकार करने वाली बिल्ली को एकटक तथा तनाव में बैठे देखती है तब उसे अपने उस समय की स्मृति आ जाती है, जब वह शिकार पर झपटने की तैयारी कर रही थी। इस स्मृति से उसे समझ आ जाता है कि यह एकटक ध्यान में मग्न, तनी हुई हालत में बंठी हुई मेरी बहिन ज़रूर शिकार पर आंख गड़ाये बंठी है। इस प्रकार जीव-जन्तु, पशु-पक्षी अपनी वाह्य-चेष्टाओं द्वारा अपने मनोभावों को दूसरे पशुओं तक पहुँचा देते हैं।

(ख) वाणी द्वारा सकेत—पशु चेष्टाओं द्वारा ही नहीं, वाणी द्वारा भी अपने मनोभावों को अपनी जाति के दूसरे पशुओं तक पहुँचाते हैं। हमारे कहने का यह अभिप्राय नहीं कि पशुओं की अपनी कोई भाषा होती है। प्राचीन-काल की पशुओं की भाषाओं की अनेक वस्तु-कथाएँ प्रसिद्ध हैं। कहते हैं, सौलोमन पशुओं की भाषाएँ जानता था। परन्तु ये सब किस्से-कहानियाँ हैं, पशुओं की कोई भाषा नहीं है, हाँ, वे भिन्न-भिन्न आवाजों द्वारा अपने मनोभावों को दूसरे तक पहुँचाने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। मयूर जब आनन्द-विभोर होकर पख फैलाता है तब उसके साथ आवाज भी निकालता है। कई कीट-पतंग अपने प्रेमी की आवाज सुन कर उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। जब कोई प्राणी अत्यन्त कष्ट में होता है, तब उसकी दुःखमय आवाज सुन कर उसकी जाति के दूसरे पशु उसके दुःख को समझ जाते हैं। जगलों में जब पशुओं के झुण्ड-के-झुण्ड फिरा करते हैं, तब किसी सकट की स्थिति को देख कर मूय का नायक अपनी आवाज से खतरे की घटी बजाता है उसे सुन कर उस जाति-विरादरी के सब पशु इकट्ठे हो जाते हैं और खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिधर से खतरा होता है, उधर सब का ध्यान होता है मानो सब एक-दूसरे को कह रहे होते हैं कि सावधान रहो।

## २. मनुष्य में सकेत—चेष्टा तथा वाणी द्वारा

(क) चेष्टाओं द्वारा सकेत—जब तक मनुष्य ने वाणी का आविष्कार नहीं किया था तब तक वह चेष्टाओं द्वारा ही अपने मनोभावों को दूसरे मनुष्य तक प्रकट कर सकता था। मनुष्य तथा पशु में चेष्टा-सकेतों की अवस्था में एक भेद था। किसी खास स्थिति में अपने मनोभाव को दूसरे तक पहुँचाने की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, पशु घास चर रहे हैं, उन्हें अपने मनोभाव दूसरे तक पहुँचाने की कोई आवश्यकता नहीं। इतने में कोई खतरा आ खड़ा हुआ। इस समय

चेष्टा की, भागने की, या वाणी द्वारा खतरे की आवाज निकालने की आवश्यकता होगी। ऐसे मौके पर पशु अपने वचाव के लिए जो-कुछ करना चाहेगा, मनुष्य भी वैसा-ही-कुछ करना चाहेगा, परन्तु पशु तथा मनुष्य में एक भेद यह होगा कि मनुष्य हाथ का भी प्रयोग कर सकेगा। इसका अभिप्राय यह हुआ कि आदि-काल में पशु की अपेक्षा मनुष्य में अपने को बचाने की क्षमता अधिक थी और इस कारण खतरे से बचने के लिए पशु जो-कुछ कर सकता था मनुष्य उससे बहुत-कुछ अधिक कर सकता था। पशु बचने के लिए चेष्टा के साथ-साथ कुछ-कुछ वाणी का, चीखने-चिल्लाने का भी प्रयोग करता था। मनुष्य बचने के लिए भागने के साथ-साथ हाथ द्वारा चेष्टा करता था, चीखने-चिल्लाने के साथ-साथ वाणी का कुछ अधिक प्रयोग करता था। जैसे हाथ के प्रयोग के विकसित होते-होते पत्थर मारने, तीर फेंकने आदि अस्त्र-शस्त्र का धीरे-धीरे मनुष्य ने विकास कर लिया, वैसे वाणी से निकले हुए प्रारंभिक अस्पष्ट शब्दों से मनुष्य ने भाषा का विकास कर लिया।

मनुष्य के चेष्टाओं द्वारा सकेत कई तरह के होते थे। हाथ उठा कर इशारा किया जाता था, हाथ में कोई वस्तु लेकर उसे हिलाया जाता था, आसमान में धूल फेंक कर कुछ सकेत किया जाता था। जो लोग इन सकेतों को करते थे, उन की जाति के लोग इन सकेतों को समझते थे। कभी-कभी जंगली लोग आगे-पीछे भाग कर या गोलाई में भागते हुए चक्कर लगाकर अपनी किसी भावना को व्यक्त करते हैं। चक्कर लगाने से क्या भावना व्यक्त होती है—यह बात इस जाति के दूसरे लोग समझ जाते हैं। आग का भी चेष्टा-सकेत में प्रयोग किया जाता है। किस जगह आग जलाई गई है, आग से कितना धुँआ निकल रहा है, चमड़े को गोला कर के उसे आग पर दूर से मँका जा रहा है या पास से—ये सब सकेत जंगली जातियों में किसी-न-किसी भावना को व्यक्त करते हैं।

(ख) वाणी द्वारा सकेत—मनुष्य के क्योंकि हाथ भी हैं, इसलिए मनुष्य के चेष्टाओं द्वारा सकेतों में पशुओं के सकेतों की अपेक्षा बल अधिक रहा है। हाथ होने के कारण मनुष्य पशु की अपेक्षा अधिक शक्ति से अपने मनोभावों को प्रकट कर सका है। प्रेरणा की इस प्रबलता का परिणाम यह रहा है कि वह चेष्टाओं के साथ-साथ वाणी का प्रयोग भी करता रहा है ताकि प्रेरणा को और अधिक बल मिले। यह वाणी प्रारंभ में अस्पष्ट शब्दों के प्रयोग के रूप में थी, वही धीरे-धीरे विकसित होती चली गई। असल में, यह कह सकना कि 'चेष्टा-भाषा' पहले थी या 'वाणी-भाषा' पहले थी कठिन है, क्योंकि चेष्टा को वाणी से सदा बल मिलता रहा है, और मनुष्य इन दोनों का एक-नाय प्रयोग करता आया है। इस समय भी जब दो मनुष्य ऐसे मिल जाते हैं जो आपस में एक-दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते, तो वे इशारों से, चेष्टाओं से, 'चेष्टा-भाषा' द्वारा एक-दूसरे की बात समझने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 'चेष्टा-भाषा' की अपेक्षा 'वाणी-भाषा' अधिक विकसित तथा अधिक महत्व की वस्तु है।

भाषाओं की उत्पत्ति का यह समाधान भाषाओं के उत्पन्न होने के मनो-वैज्ञानिक पहलू पर तो प्रकाश डालता है, परन्तु एक खास प्रकार का शब्द ही क्यों बना, दूसरे प्रकार का क्यों नहीं बना—इस पर प्रकाश नहीं डालता।

#### ४ भाषा के मूल तत्त्व

हमने भाषा की उत्पत्ति पर विचार किया। भाषा जब उत्पन्न हुई, तब वह कई तत्वों से बनी। ये तत्व क्या थे—इन पर विचार करना आवश्यक है।

(१) स्वर-शास्त्र (Phonetics)—स्वर का अर्थ है 'श्वास'। श्वास के मुख में भिन्न-भिन्न स्थानों के साथ टकराने से शब्द उत्पन्न होता है। शब्द की उत्पत्ति में शरीर के कई अंग काम में आते हैं। फेफड़ों से श्वास उठता है, उठ कर वह श्वास-नालिका में से होता हुआ गले के स्वर-यंत्र में से गजरता है, फिर मुँह में आता है, वहाँ जिह्वा, तालु, दाँत और ओठों के सघर्ष से भिन्न-भिन्न आवाजें उत्पन्न करता है। उदाहरणार्थ, कुछ आवाजें मुँह के खुले रहने पर निकलती हैं, मुँह को ऐसी हालत में जब मुँह से सास बाहर निकलते हुए उसे कोई रुकावट नहीं होती। अ, आ, इ, ई आदि ऐसी ही आवाजें हैं। इन्हें 'स्वर' (Vowels) कहा जाता है। कुछ ऐसी आवाजें हैं जो मुँह से श्वास के बाहर निकलने पर कहीं तालु से, कहीं दाँतों से, कहीं ओठों से टकराती हैं। क-ख-ग, त-थ-द, प-फ-ब आदि ऐसी ही आवाजें हैं। इन्हें 'व्यंजन' (Consonants) कहते हैं। इन आवाजों को पैदा करने में 'श्वास' और 'जिह्वा' इतना भाग लेती हैं कि संस्कृत में श्वास के लिए 'स्वर' शब्द है, और 'स्वर-शास्त्र' का अर्थ श्वास के शास्त्र होने के स्थान में वर्णोच्चारण के शास्त्र से हो गया है। इसी प्रकार अंग्रेजी में 'जिह्वा' के लिए 'Tongue' शब्द है, और 'Tongue' का अंग्रेजी में अर्थ 'जीभ' के साथ-साथ 'वाणी'-'भाषा'—यह भी हो गया है। ससार के सब भागों में, हर किसी नस्ल में आवाज निकालने का यंत्र एक-सा है और इसलिए हर-किसी नस्ल का व्यक्ति अभ्यास से सब तरह की आवाजें निकाल सकता है।

(२) वर्ण (Phonemes or sound-units)—वैसे तो हम अपने स्वर-यंत्र से असंख्य आवाजें निकाल सकते हैं, परन्तु स्वर-शास्त्रियों ने ससार की अनेक भाषाओं का अध्ययन करके कुछ आधार-भूत 'स्वर' चुने हैं जो ससार की सब भाषाओं के आधार हैं, अन्य असंख्य 'स्वरों' को छोड़ दिया है। किसी भाषा में कम 'स्वर' हैं, किसी में ज्यादा। यहाँ 'स्वर' से हमारा अभिप्राय अ-आ-इ-ई से नहीं, परन्तु हर तरह की आवाज से, स्वर तथा व्यंजन दोनों से है। इन चुनी हुई आधार-भूत आवाजों को 'शिक्षा-शास्त्री' संस्कृत में 'वर्ण' तथा अंग्रेजी में 'फोनी', म्स, (Phonemes) कहते हैं। इन 'वर्णों' (Phonemes) की संख्या २० से ४० तक मानी गई है। इनमें 'स्वर' (Vowels) तथा 'व्यंजन' (Consonants) दोनों आ जाते हैं—ये दोनों 'वर्ण' हैं, 'फोनीमस्' है। हर-एक भाषा में आधार-भूत 'वर्ण' (Phonemes) एक-से ही हैं, इसलिए जैसे मकान का आधार-

भूत सामान ईंटें हो, तो मकान बन कर उठ खड़ा होने की सभावना बढ़ जाती है, इसी प्रकार भाषा के आधार-भूत तत्व 'वर्णों' (Phonemes) के प्रत्येक मनुष्य, मनुष्य की प्रत्येक जाति-प्रजाति के पास मौजूद होने से भाषा का बन कर उठ खड़ा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, जैसे ईंटों की मौजूदगी पर भी मकान बनाने वाले भिन्न-भिन्न आकार का मकान बना डालते हैं, वैसे 'वर्णों' (Phonemes) की मौजूदगी होने पर भी भिन्न-भिन्न नस्लों ने भिन्न-भिन्न भाषाओं का निर्माण कर दिया है।

वर्णों के भेद से भाषाओं का भेद तो होता ही है, इन वर्णों के अतिरिक्त किसी वर्ण को लम्बा कर के बोलना, किसी को बोलने में थोड़ा समय लेना—दीर्घ-ह्रस्व का भेद, इन से भी तो भाषाओं के अर्थ में भेद आ जाता है।

इन वर्णों अथवा वर्णों के दीर्घ-ह्रस्व, प्लुत-अप्लुत के सबध में यह नहीं कहा जा सकता कि कौन-सा अधिक विकसित है, कौन-सा कम विकसित है, कौन-सा पहला है, कौन-सा पिछला है। इनमें विकास की प्रक्रिया हुई भी है या नहीं—यह सन्दिग्ध है। वर्ण के जिन उच्चारणों को हम अजीब-सा कहने लगते हैं, वे अजीब नहीं होते, सिर्फ हम उनसे अपरिचित होते हैं इसलिए उन्हें अजीब, प्राथमिक या जगली कहने लगते हैं। आफ्रीका के नीग्रो के होंट मोटे होते हैं, नाक चौड़ी होती है—इस सब से इन वर्णों के उच्चारण में कोई भेद नहीं पड़ता, सब नस्लों के लोग इन वर्णों का एक-सा उच्चारण करते और कर सकते हैं। यह कहना कि एक खास तरह का उच्चारण नीग्रो लोग करते आये, दूसरी तरह का उच्चारण मगोलॉयड लोग करते आये, तीसरी तरह का उच्चारण आर्य नस्ल के इंडो-यूरोपियन करते आये, और इन उच्चारणों को वश-परपरा से सन्तान-से-मन्तान को देते-चले आये—इससे उच्चारण-भेद हो गया, गलत धारणा है। संसार की भाषाओं की रचना में तो भेद है, उच्चारण में भेद नहीं है, अगर कहीं दीखता भी है तो वह सामयिक है, वह आधारभूत भेद नहीं है।

(३) शब्द (Morphemes or idea-units)—'उच्चारण' की इकाई 'वर्ण' (Phoneme) कहाती है, 'अर्थ' की इकाई 'शब्द' (Morpheme) कहाती है। उदाहरणार्थ, 'आर्थिक-लाभो द्वारा'—यह एक सदभं है। इसमें 'आर्थिक'- 'लाभ'- 'ओं'- 'द्वारा'—ये चार शब्द हैं, जो चारों-के-चारों मिल कर एक अर्थ को प्रकट करते हैं और इनका अलग-अलग अपना स्वतंत्र अर्थ भी है। इनमें से एक-एक को 'शब्द' या अंग्रेजी में 'मॉर्फीम' (Morpheme) कहा जाता है। 'वर्ण' मिल कर 'शब्द' को बनाते हैं। अंग्रेजी में 'Railroads' शब्द है। इसमें Rail, Road तथा s —ये तीन शब्द मिलकर सारे शब्द को बनाते हैं, इसलिए इस शब्द में तीन 'शब्द' (Morphemes) हैं। वर्णों के मिलने से शब्द बनता है, एक शब्द में कई वर्ण हो सकते हैं। 'वर्ण' का काम तो उच्चारण मात्र देना है, अर्थ देना नहीं, वर्णों का शब्द बनता है जो उच्चारण के नाय-नाय नार्थक भी होता है, शब्दों से पद और पदों से वाक्य बनते हैं।



उटल भाषा में टी, कौफो, प्रीस्ट आदि शब्द दूसरी भाषाओं से लिये भी गये हैं। कहने का मतलब यह है कि क्योंकि किसी भाषा में वैज्ञानिक या आर्थिक शब्द इस समय मौजूद नहीं हैं, इसलिए उस भाषा के लोग अपनी भाषा को छोड़ कर दूसरी भाषा को अपना लें—ऐसा नहीं होता।

(५) जाति-वाचक शब्द (Generalized terms)—भाषा के निर्माण में हमने शब्दों का महत्व देखा। भाषा का जब प्रारंभ होता है, तब शब्दों का क्या स्वरूप होता है? शब्दों के दो रूप होते हैं—एक तो शब्द का 'व्यक्ति-वाचक' (Particular) रूप होता है, दूसरा 'जाति-वाचक' (General)। जब हम 'कुत्ता'—इस शब्द का उच्चारण करते हैं, तब हमारे ध्यान में अपने घर के कुत्ते का जिसका काला रंग है, पूंछ कटी हुई है, जिसे हम 'जैक' कहते हैं, उसका ख्याल आ जाता है। कुत्ते का यह विचार 'व्यक्ति-वाचक' है, एक खास कुत्ते का विचार है, हर जाति के कुत्ते का नहीं। इसके अतिरिक्त 'कुत्ता'-शब्द कहने से हमारे ध्यान में सब तरह के कुत्तों का भी विचार आ सकता है। काले, सफेद, चितकबरे, भूरे, छोटे-बड़े, वालोंवाले-बिना वालोंवाले—सभी प्रकार के कुत्तों का विचार हमारे ध्यान में आ जाने से कुत्ते का यह विचार 'जाति-वाचक' है।

शुरू-शुरू में शब्दों का कौन-सा रूप मनुष्य के ध्यान में आता था—'व्यक्ति-वाचक' या 'जाति-वाचक'? 'कुत्ता' कहने से अपने घर के कुत्ते का ही विचार सामने आता था, या कुत्ते मात्र का? बालक के ज्ञान की क्या प्रक्रिया है? बालक के सामने जब 'कुत्ता' उच्चारण किया जाता है, तब क्या वह ससार भर के कुत्तों का ध्यान अपने विचार में ले आता है? उसे तो अपने घर के 'जैक' के विषय में ही मालूम है, दूसरों के विषय में तो मालूम ही नहीं, वह दूसरे कुत्तों का ध्यान कर ही कैसे सकता है? इसी प्रकार आदि-काल के मनुष्य ने जो शब्द रचे उनका सबंध उन्हीं वस्तुओं से था जो उसके इर्द-गिर्द थीं, उसके शब्दों को हम 'व्यक्ति-वाचक' कह सकते हैं, 'जाति-वाचक' (Generalized terms) नहीं। परन्तु ऐसी बात नहीं है। मानवशास्त्रियों का कहना है कि आदिकालीन मानव का ज्ञान 'जाति-वाचक' था, 'व्यक्ति-वाचक' नहीं, इसलिए उसके शब्द भी 'जाति-वाचक' (Generalized terms) थे। यह कैसे? मनोविज्ञान का कहना है कि शुरू-शुरू में मनुष्य का ज्ञान सारे का ज्ञान होता है, अधूरे का, किसी वस्तु के भिन्न-भिन्न भागों का नहीं होता। अगर हम अपनी टेबल को देखते हैं, तो पहले-पहल हमारे सामने सारी-की-सारी टेबल का ज्ञान ध्यान में आता है। हमारी टेबल पर २०-३० पुस्तकें तरतीब से पड़ी हैं, स्याही-दवात, अखवार, ऐनक—न-जाने क्या-क्या पड़ा है। टेबल की तरफ देखते ही टेबल पर जो-कुछ पड़ा है, सब-कुछ दिखाई देता है। उसके बाद हम चाहें तो इन भिन्न-भिन्न भागों की तरफ ध्यान दे सकते हैं, न चाहें तो न भी दें। प्रत्येक प्राणी का प्रारंभिक-ज्ञान भागों का ज्ञान न होकर पूरे का ज्ञान होता है, फिर उस पूरे में से भाग बनते हैं। इसी दृष्टि से मानवशास्त्री कहते हैं कि आदिकालीन जातियों का शब्द-ज्ञान 'जाति-वाचक' (Generalized terms)

का ज्ञान था, उसके बाद 'व्यक्ति-वाचक' शब्दों का ज्ञान हुआ। बच्चे का भी प्रारम्भिक-ज्ञान 'जाति-वाचक' होता है। 'कुत्ता' देखने से विशेष कुत्ते का ज्ञान तो उसके माता-पिता उसे दिखाते हैं—यह कुत्ते का कान है, यह नाक है, यह मुँह है, यह सब कौन बताता है? बच्चा कुत्ते को देख कर उसके नाक-कान-आँव आदि अलग-अलग अंगों को ध्यान में थोड़े ही लाता है, वह तो सारे-के-सारे कुत्ते को देखता है। अनेक आदि-जातीय भाषाओं के अध्ययन से इस कथन की पुष्टि होती है। उदाहरणार्थ, डकोटा जाति की भाषा में तोडना, काटना, टुकड़े करना आदि के लिए अलग-अलग शब्द नहीं हैं, उनकी भाषा में सिर्फ एक शब्द है—'दो हिस्से करना'। 'तोडना' कहना हो तो वे कहेंगे 'पत्थर से दो हिस्से करना', 'काटना' कहना हो तो वे कहेंगे 'दाँतो से दो हिस्से करना'। इसका अर्थ यह हुआ कि शुरु में तो शब्द का अर्थ विस्तृत होता है, इसी को हमने 'जाति-वाचक' कहा है, फिर ज्यों-ज्यों भाषा विकसित होती जाती है, त्यों-त्यों उसकी अन्य शब्दों से सीमा बाँधी जाती है, और इस प्रकार एक से अनेक, एक 'जाति-वाचक' से अनेक 'व्यक्ति-वाचक' शब्द, और शब्दों से पद बनते जाते हैं।

(६) व्याकरण (Grammar)—पद के बाद वाक्य आता है। वाक्य क्या है? वाक्य पदों के ऐसे सबध का नाम है जिसमें पदों के भीतर पड़ा हुआ अर्थ हमारे सामने उठ खड़ा होता है। पदों को इस प्रकार आगे-पीछे रखना जिससे वे हमारे मनोभाव को प्रकट कर सकें—इसी से वाक्य बनता है, और वाक्य में इस सबध को बनाने वाली प्रक्रिया 'व्याकरण' कहाती है। वाक्य की आत्मा व्याकरण है। व्याकरण में भिन्न-भिन्न प्रकार के 'पदों' को जोड़ दिया जाता है। 'गा'-'गे'-'गी', 'था'-'थे'-'थी'—ये काल तथा लिंग सूचक 'पद' हैं। संस्कृत, ग्रीक तथा लैटिन में एक-वचन, द्वि-वचन तथा बहुवचन सूचक 'पद' होते हैं। काल-सूचक, लिंग-सूचक, वचन-सूचक पदों को व्याकरण के अनुसार ठीक-ठिकाने बैठाना होता है। कई भाषाओं में काल, लिंग, वचन तथा इसी प्रकार की भाषा की अन्य श्रेणियों का शमेल इतना अधिक नहीं होता, किसी-किसी भाषा में यह शमेल बहुत बड़ा-चड़ा होता है। लैटिन, स्लैविक या एस्किमो भाषाओं में शब्दों से बने 'पदों' की विविध श्रेणियाँ—लिंग, काल, वचन तथा और भी बहुत-कुछ होता है, अंग्रेजी में तथा फ्रेंच में 'पदों' की ये श्रेणियाँ इतनी ज्यादा नहीं हैं, इस दृष्टि से इनका व्याकरण सरल है। चीनी भाषा में लिंग, काल, वचन, विभक्ति किसी का शगडा नहीं है। इस भाषा को व्याकरणहीन भाषा कहा जा सकता है। उदाहरणार्थ, चीनी भाषा में 'उसे कुत्ते ने काटा'—इस वाक्य को 'कुत्ता काटना मनुष्य'—इस तरह कहा जाता है, इस भाषा में विभक्ति-रहित 'शब्द' (Morphemes) होते हैं, अन्य भाषाओं में शब्दों को मिलाने वाले सबध-सूचक जितने भी प्रकार बँते जाते हैं, वे इस भाषा में नहीं पाये जाते। चीनी भाषा के विपरीत ऐसी भाषाएँ हैं जिनकी व्याकरण की उलझन इतनी ज्यादा है कि चीनी के 'कुत्ता काटना मनुष्य' की जगह इसी भाव को व्यक्त करने के लिए वे बहुत लम्बे

(इ) वॉर्फ के भाषा तथा संस्कृति के सम्बन्ध के विषय में विचार (Whorf on Language-Culture relation)—सेपिर के भाषा तथा संस्कृति के संबंध को स्पष्ट करने वाली विचार-धारा को वॉर्फ ने बहुत अधिक पुष्ट किया है। वॉर्फ का कहना है कि भाषा के शब्द ही हमारे सांस्कृतिक व्यवहार को नहीं कस डालते, भाषा की व्याकरण की पेचीदगियाँ भी हमारे सांस्कृतिक-व्यवहार को अधिकाधिक कसती जाती हैं। संस्कृति का हमारे जीवन पर क्रियात्मक-प्रभाव क्या पड़ता है? संस्कृति का हमारे जीवन पर क्रियात्मक-प्रभाव यह पड़ता है कि हमारा सारा-का-सारा व्यवहार ही उस संस्कृति के रंग में रंग जाता है। भारतीय-संस्कृति के प्रभाव में पड़ कर मनुष्य कोट-पतलून की जगह धोती-दुपट्टा पहनने लगता है, हाथ मिलाने की जगह हाथ जोड़ कर नमस्कार करता है। यह सब सांस्कृतिक-व्यवहार हमारी भाषा द्वारा प्रभावित होता है। भाषा में लिंग, वचन, कारक, लकार, वाक्य, विभक्ति—इन सब की जितनी पेचीदगी होती जायगी, उतना इनका प्रभाव सांस्कृतिक व्यवहार पर गहरा पड़ता जायगा। इसका यह मतलब नहीं कि हम बिल्कुल भाषा के दास ही बनते जायेंगे, भाषा की वेडियों में अपने को सदा कैदी की तरह जकड़ा पायेंगे। मनुष्य भाषा के बन्धनों से स्वतंत्र होने का भी प्रयत्न करता है, आखिर भाषा हमारी संस्कृति का ही तो एक अंग है, और भाषा तथा संस्कृति दोनों को मनुष्य ने बनाया है, परन्तु फिर भी भाषा की जकड़न बड़ी ज़बर्दस्त है। भाषा का हमारे चिंतन पर, हमारे सांस्कृतिक-व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे स्पष्ट करने के लिए वॉर्फ ने अमरीका की एक इंडियन-भाषा 'होपी' की अप्रैज़ी, फ्रेंच तथा जर्मन—इन 'इंडो-यूरोपियन' भाषाओं से तुलना की है जिसका साराश हम नीचे दे रहे हैं।

(1) संख्या-वाचक शब्दों में भेद—'इंडो-यूरोपियन' भाषाओं में दृश्य तथा अदृश्य दोनों तरह के पदार्थों के लिए संख्या-वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, 'होपी' भाषा में सिर्फ दृश्य पदार्थों के लिए संख्या-वाचक शब्दों का प्रयोग होता है और वह भी 'इंडो-यूरोपियन' भाषाओं से भिन्न तौर पर प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ, 'इंडो-यूरोपियन' में दृश्य पदार्थों में 'दस गौएँ' तथा अदृश्य पदार्थों में 'दस महीने'—इन शब्दों का प्रयोग होगा। 'दस महीनों' को हमने अदृश्य इसलिए कहा है क्योंकि महीने बीखते तो नहीं हैं। इन भाषाओं में दस की संख्या लिखी जायगी, तथा इसके आगे जो शब्द होगा वह बहु-वचन में लिखा जायगा क्योंकि दस की संख्या बहु-वचन-सूचक है। 'होपी' भाषा में 'दस महीनों' जैसी तो कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि महीने अदृश्य वस्तु हैं, संख्या तथा वचन का प्रयोग इस भाषा में सिर्फ दृश्य वस्तु के साथ हो सकता है। दृश्य वस्तु के साथ भी संख्या तथा वचन का प्रयोग करते हुए इस भाषा में ध्यान रखा जाता है कि संख्या के साथ जिस वस्तु का नाम लिया जाय, वह बहु-वचन में न होकर एक-वचन में हो। 'दस गौएँ'—ऐसा कहने के स्थान पर 'होपी' भाषा में 'नी के बाद या ग्यारह से पहले जो गौ आती है वह'—ऐसा कहेंगे। 'इंडो-यूरोपियन' भाषाओं में एक ही

वाक्य में महीने या गी शब्द को अदला-बदला जा सकता, 'होपी' भाषा में ऐसा नहीं किया जा सकता।

(11) नाम-वाचक शब्दों में भेद—इंडो-यूरोपियन भाषाओं में दो प्रकार के 'नाम' (Nouns) पाये जाते हैं—व्यक्ति-वाचक नाम तथा पदार्थ-वाचक नाम। व्यक्ति-वाचक नाम वे हैं जो किसी निश्चित परिधि से घिरे होते हैं, जैसे कुत्ता, मनुष्य, छडी। इनकी चारों तरफ की परिधि निश्चित है। पदार्थ-वाचक नाम वे हैं जो किसी निश्चित परिधि से नहीं घिरे होते, उन्हें जिस निश्चित परिधि वाले पदार्थ में डाल दिया जाता है, उसी की परिधि को ये ले लेते हैं, जैसे वायु, जल, दूध। जल, दूध की अपनी कोई निश्चित परिधि नहीं है, लोटे में डाल दिया तो लोटे की और गिलास में डाल दिया तो गिलास की सूरत ले लेते हैं। इन परिधि-रहित पदार्थ-वाचक नामों को हम व्यक्ति-वाचक बनाना चाहें तो एक छोटा-सा वाक्य बनाना पड़ता है जिसमें एक व्यक्ति-वाचक तथा एक पदार्थ-वाचक शब्द रहता है और इन दोनों को 'का' से जोड़ दिया जाता है। जैसे, 'पानी का लोटा'—यह रूप पदार्थ-वाचक नाम को लेकर भी व्यक्ति-वाचक का रूप धारण कर गया है। इस रचना में आधार तथा आधेय को हमने एक-साय जोड़ दिया—लोटा आधार है, पानी आधेय है। आधार-आधेय के अतिरिक्त कभी-कभी एक ही पदार्थ-वाचक नाम के दो टुकड़े कर दिये जाते हैं, तब भी पदार्थ-वाचक नाम को व्यक्ति-वाचक का रूप दे दिया जाता है। उदाहरणार्थ, 'लकड़ी का टुकड़ा'—इस वाक्य में 'लकड़ी'-शब्द पदार्थ-वाचक है, व्यक्ति-वाचक नहीं, क्योंकि 'लकड़ी' किसी निश्चित-परिधि से तो घिरी हुई नहीं, लकड़ी तो एक अनिश्चित-पदार्थ है। इस अनिश्चित को निश्चित करके हम इसे पदार्थ-वाचक से व्यक्ति-वाचक बना लेते हैं, परन्तु ऐसा कहते हुए 'पानी' और 'लोटा' दो भिन्न-भिन्न पदार्थों को जोड़ने के स्थान में एक ही पदार्थ के दो टुकड़े कर डालते हैं। 'लकड़ी' के दो टुकड़े करके हमने 'लकड़ी का टुकड़ा'—यह व्यक्ति-वाचक नाम बना दिया। इस प्रकार भाषा में 'व्यक्ति-वाचक' तथा 'पदार्थ-वाचक' नामों का होना और 'पदार्थ-वाचक' नाम को दो तरीकों से व्यक्ति-वाचक बना देना—यह सारी-की-सारी प्रक्रिया 'होपी' भाषा में नहीं पायी जाती। 'होपी' भाषा में केवल व्यक्ति-वाचक नाम है, पदार्थ-वाचक नहीं है, और जब पदार्थ-वाचक नाम है ही नहीं, तब उन्हें व्यक्ति-वाचक बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस भाषा के लोग वायु, दूध, पानी, लकड़ी को इन के पदार्थ रूपों में सोचते ही नहीं, इन पदार्थों के विषय में इनका ज्ञान व्यक्ति-वाचक नामों से सीमावद्ध है।

उक्त दृष्टान्तों के आधार पर वर्फ का कथन है कि प्रत्येक भाषा का 'विचार का ससार' अपना-अपना है। इस 'विचार के ससार' का आधार भाषा के शब्द, भाषा की रचना है। विचार के इस 'लघु-ससार' (Microcosm) को प्रत्येक भाषा का व्यक्ति लिये-लिये फिरता है, और इसी के प्रकाश में इन्द्रियों में देखे जाने वाले इस 'महा-संसार' (Macrocosm) को समझने का प्रयत्न करता

का भी सूत्रपात हुआ। माया-जन-जाति ने ईस्वी सन् से बहुत पहले शून्य का आविष्कार किया, इकाई-दहाई आदि का भी इन्हीं ने आविष्कार किया।

ज्यामिति की माप-रेखाओं का आदि-मानव ने अपने शरीर के भिन्न-भिन्न भागों के आधार पर परिगणन करना सीखा। ब्रिटिश कोलम्बिया की तटवर्ती जन-जातियों में आजकल के फुट की तरह का बड़ा माप अगूठे के एक सिरे से छोटी अगुली के दूसरे सिरे तक की चौड़ाई का माप होता था, इनमें छोटा माप अगूठे के एक सिरे से पहली अगुली के सिर तक की चौड़ाई का माप छोटा पैमाना था। अमरीका की उत्तर-पश्चिमी तटवर्ती जन-जातियों में मकान की मान-रेखा बनाने में ज्यामिति के सिद्धान्तों का आश्रय लिया जाता था।

## ६ आदिकालीन-मानव का नक्षत्र तथा ऋतु-संबंधी ज्ञान

आदि-मानव ने नक्षत्रों तथा ऋतुओं के आधार पर कुछ 'नक्षत्र-संबंधी' (Astrological) तथा 'ऋतु-संबंधी' (Meteorological) परिणाम निकाले थे जिनके अनुसार वह अपनी गति-विधि का नियन्त्रण करता था। नक्षत्रों के संबंध में तो कहा जा सकता है कि प्रायः सभी आदिवासियों की वर्ष-गणना चन्द्रमा के आधार पर बनी है। क्योंकि सूर्य घटता-बढ़ता नहीं, चन्द्र घटता-बढ़ता है, इसलिए आदि-मानव के लिए चन्द्रमा को समय की गणना का आधार बनाना स्वाभाविक है। समय को प्रकट करने के लिए चन्द्रमा के भिन्न-भिन्न नाम रखे गये हैं, और इन नामों का संबंध चन्द्रमा के उस समय के साथ मेल खाने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों के साथ है। उदाहरणार्थ, चन्द्रमा के किसी काल में कोई वनस्पति पैदा होती है, किसी काल में पकती है। चन्द्रमा के किसी काल में हरिण के सींग गिर जाते हैं, किसी में नहीं गिरते। इन लोगों में गेहूँ पकने का चाँद निकल आया, हरिण के सींग गिरने का चाँद आजकल चल रहा है—इस प्रकार काल की गणना की जाती है। थौम्पसन इंडियन चन्द्रमा के आधार पर काल की गणना इस प्रकार करते हैं—(१) हरिणों का सभोग-काल, (२) शरद् का चाँद जब घर के भीतर रहना उचित है, (३) हरिणों के सींग छूटने का चन्द्र, (४) वसन्त-वायु का काल, (५) सर्दों के बाद घर से निकलने का काल, (६) मछलियों के पकड़ने का काल, (७) कन्द खोदने का काल, (८) बेरी पकने का काल, (९) ग्रीष्म काल, (१०) सालमन-मछली पकड़ने का काल, (११) मछली के नदी के स्रोत पर पहुँचने का काल, (१२) साल के इस बारहवें हिस्से का इनके यहाँ कोई नाम नहीं है। कोरयक जन-जाति में साल के बारह महीने गिने जाते हैं, परन्तु उनमें हर-एक महीने का हरिण के जीवन के किसी-न-किसी पहलू के साथ संबंध होता है।

जन-जातियों का नक्षत्रों का ज्ञान असाधारण होता है। हौट्टनटौट तथा दक्षिणी-अमरीका के इंडियन मास का प्ररभ 'कृत्तिका-नक्षत्र' (Pleiades) के उदय से गिनते हैं। 'भूमध्य-रेखा' (Equator) से जब सूर्य अधिकतम दूरी पर होता है उस समय को 'अयन' (Solstice) कहते हैं। सूर्य जब भूमध्य-

रेखा से उत्तर की तरफ अधिकतम दूरी पर होता है, तब सूर्य को उत्तरायण कहते हैं, जब इस रेखा से दक्षिण की तरफ अधिकतम दूरी पर होता है, तब सूर्य को दक्षिणायन कहते हैं। सूर्य भूमध्य-रेखा के उत्तर की तरफ जाता हुआ जब अधिकतम दूरी के बिन्दु पर पहुँच जाता है, तब वहाँ से लौट कर पश्चिम की तरफ के भूमध्य-रेखा के अधिकतम दूरी के बिन्दु की तरफ जाता है। असल में तो पृथ्वी जाती-आती है, परन्तु कहने को सूर्य का उत्तरायण तथा दक्षिणायन जाना-आना कहा जाता है। इस आधार को बना कर ब्रिटिश कोलम्बिया के थॉम्पसन इंडियन, कोस्ट इंडियन तथा प्युब्लो जन-जाति के लोग अपने पचाग को ठीक कर लेते हैं। वैनकोवर द्वीप-वासी क्वाकीउटल जन-जाति के लोग चाँद से होने वाले समुद्र के ज्वार को देख कर यह जान लेते हैं कि तेलवाली जिस मछली की खोज में वे हैं, वह किनारे पर कब पहुँचेंगी। माइक्रोनेशिया की जन-जाति के लोगो ने समुद्र में नाव-संचालन के लिए नक्षत्रों के आधार पर ऐसा चार्ट बनाया था जिसको देख कर चलते हुए वे अपने निश्चित लक्ष्य पर पहुँच जाते थे। 'नव-पाषाण-युग' (Neolithic period) में पुरोहित-वर्ग के पास पर्याप्त अवकाश होता था, वे दुनियाँ के कामों में उलझे न होते थे, उस काल में उन्होंने चान्द्र-मास का गणित के आधार पर समय निर्धारण किया था। अमरीका की माया जन-जाति ने जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, इस शून्य के आधार पर ही नक्षत्र-विद्या को उच्च-शाखर पर पहुँचा दिया था। इनकी नक्षत्र-विद्या मैसेपोटामिया के ज्योतिषियों से भी बढ़ गई थी। पौलीनेशिया के वासी अपने नक्षत्र-ज्ञान के आधार पर ही गहन समुद्र को दिशा-ज्ञान के कारण पार कर जाते थे।

### ७ आदिकालीन-मानव का औषध-सवधी ज्ञान

आदि-मानव जंगलो में घूमता, आखेट का जीवन व्यतीत करता था। जंगल की हर जडी-बूटी से वह परीक्षण करता रहता था। उसे अपने जंगल के 'फल-फूल तथा जीव-जन्तु' (Flora and fauna) का पूरा-पूरा ज्ञान था। वह जानता था कि किस जडी-बूटी का क्या लाभ है, उसकी क्या हानि है, कौन-सी जडी-बूटी जंगल के किस भाग में मिलती है। इन जडी-बूटियों में कई विष यों, कई मादक यों, कई निद्रा लाने वाली यों, किसी से दस्त और किसी के साने से उल्टी आ जाती थी। वह इन सब औषधियों का इन सब कामों के लिए प्रयोग करता था। कोका के पत्तों को दर्द कम करने के लिए वह प्रयोग में लाता था। कोकेन तथा कुनीन का प्रयोग आदि-जातियों से युरोपियन लोगो ने सीखा। हर-स्कोविट्स (Herskovits) ने लिखा है कि आफ्रीका की कई जन-जातियों में चेचक का टीका लगाया जाता है। हड्डी टूट जाने पर वे उस अंग को हड्डी को अपने ठीक स्थान पर बँठाने और जोड़ने के लिए कमठी से बाँध देते थे। मालिश करना, गन्दे फोड़े को दाग कर जला देना, उल्टी कराना, दस्त देना, खून निकालना, पसीने से अन्दर का बुरापर बाहर निकाल देना—इन सब बातों का उन्हें ज्ञान था।

विष का प्रयोग मछलियों को मारने में वे लोग करते थे, तालाब में विष घोल दिया तो सब मछलियाँ मर जाती थीं, तालाब साफ हो जाता था। भारत में जन-जातियों की बात तो हम नहीं कहते, परन्तु यहाँ के आर्य-निवासियों को औषधियों का ज्ञान ईस्वी सवत् से बहुत पहले-से था। ईसा से ४०० वर्ष पहले तो आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'चरक-संहिता' लिखा गया था, उसके बाद ईस्वी सवत् के १०० से ५०० वर्ष के भीतर-भीतर सुश्रुत ने अपना प्रसिद्ध आयुर्वेद का ग्रन्थ लिखा।

## ८ आदिकालीन-मानव का इतिहास-सम्बन्धी ज्ञान

इतिहास का क्रम-बद्ध ज्ञान तो तभी से शुरू हुआ जब से लेखन-कला का आविष्कार हुआ, परन्तु जब मनुष्य लिखना नहीं जानता था, तब भी स्मृति के आधार पर पुरानी बातों को याद रखता था, और उन्हें अपनी सन्तान को सुनाता रहता था। वे भी वंश-परंपरा से चले आ रहे कथानकों को आगे-आगे देते चले जाते थे। स्मृति के आधार पर चले आ रहे इन कथानकों को दो भागों में बाँटा जा सकता है। एक प्रकार के कथानक तो वे हैं जिनका पिछली दो-तीन पीढ़ियों तक ही तार पहुँचता है, ये कथानक प्रायः सच्चे होते हैं, इनमें कल्पना की गुञ्जाइश कम होती है, दूसरे प्रकार के कथानक वे हैं जो सुदूर-भूत तक चले जाते हैं, इन्हें पुराना होने के कारण 'पौराणिक-आख्यान' (Folklore) कहा जा सकता है, इनकी सत्यता के सबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। इन पौराणिक-आख्यानो में कुछ तो ऐसे होते हैं, जिनमें नाम, वंशावलि, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना—इन सब बातों का इतनी बारीकी से वर्णन होता है कि इन्हें सर्वथा काल्पनिक भी नहीं कहा जा सकता। उदाहरणार्थ, पौलनेशिया के 'पौराणिक-आख्यान' हर वंशावली के विस्तृत नामों तथा पूर्वजों के कारनामों से भरे पड़े हैं। अपने देश के 'पौराणिक-आख्यान' भी इतने विस्तार से पाये जाते हैं कि उनमें अधिकांश रूप में सच्चाई है—यही मानना पड़ता है। इसमें सन्देह नहीं कि कई 'पौराणिक-आख्यान' कोरी कल्पना पर भी आश्रित होते हैं, परन्तु उनसे भी उस-उस जन-जाति की कल्पना-शक्ति आदि का भान तो हो ही जाता है। अनेक जन-जातियों के आख्यानो से यह पता चलता है कि उनका आदि-निवास-स्थान किसी अन्य जगह था, वहाँ कोई भारी विपत्ति आई, दुर्भिक्ष पड़ा, विप्लव आया, या ऐसा ही कुछ हुआ, और वे अपना पुराना निवास-स्थान छोड़ कर दूसरी जगह आ बसे। इन कथानकों में काफी सत्यता का अंश होता है और अगर इन आख्यानो को निर्देश रूप में रख कर इन जन-जातियों के पुरातन इतिहास की खोज की जाय, तो इनके सबंध में बहुत-सी नई-नई बातें पता लग सकती हैं।

## आदिकालीन विधान, न्याय तथा शासन-पद्धति (PRIMITIVE LAW, JUSTICE AND GOVERNMENT)

### १. विधान की उत्पत्ति (Origin of Law)

ससार में जो-कुछ दोखता है, वह बड़ी जट्टोजहद में से गुजर कर निकला है। हर चीज का दूसरा पहलू था, दोनो पहलुओ में से जो पहलू मनुष्य के जीवन के लिए जरूरी था, वह बच रहा, दूसरा छूट गया। कभी मनुष्य टांगो तथा भुजाओ, —इन चार सहारों से चलता था, परन्तु टांगो पर चलने से उसके दो हाथ अन्य कामों के लिए स्वतंत्र हो गये, इसलिए वह दो टांगो से चलने लगा। अनेक अनुभवो तथा परीक्षणो में से गुजरते-गुजरते मानव-समाज आज जहाँ खड़ा है, वहाँ पहुँचा है। मनुष्य तथा समाज का शासन करने वाले 'नियमो' का भी यही हाल है। न-जाने कितने 'नियमो' पर मनुष्य ने वैयक्तिक तथा सामाजिक रूप में परीक्षण किये हैं। इनमें से कुछ नियम जो मनुष्य के वैयक्तिक-जीवन के लिए उसे आवश्यक प्रतीत नहीं हुए, वे उसने छोड़ दिये, जो आवश्यक प्रतीत हुए वे उसने ग्रहण कर लिये, इसी प्रकार जो नियम समाज के जीवन के लिए आवश्यक प्रतीत नहीं हुए, अनुभवों और परीक्षणो के बाद वे छोड़ दिये गये, जो आवश्यक प्रतीत हुए वे ग्रहण कर लिये गये।

जो नियम व्यक्ति अपने हित में जरूरी समझता है, उन्हें वह अपने व्यवहार में लाने लगता है। जिस समय पति अपनी पत्नी के यहाँ जाकर रहता था, उस समय जब पहले-पहल किसी पति ने देखा होगा कि इससे उसे अपने काम-धर्म में असुविधा है, उसने अपने लिये यह नियम बनाया होगा कि वह तो अपने ही घर रहेगा। जब तक यह व्यवहार उस व्यक्ति तक सीमित रहा, तब तक तो वैयक्तिक नियम सिर्फ 'वैयक्तिक-व्यवहार' बना रहा, परन्तु जब इस वैयक्तिक-नियम को दूसरो ने भी अपनाया शुरू किया, तब यही 'वैयक्तिक-व्यवहार' (Individual behavior) बदल कर 'सामाजिक-व्यवहार' (Social behavior) का रूप धारण कर गया। अनेक नियमों के मर्घर्ष में से इस नियम, इस व्यवहार के बच रहने, सिर्फ इन्हीं के जाने जाने तथा अन्य नियमो, अन्य व्यवहारो के छोड़ दिये जाने का आधार यह था कि अन्य नियमो तथा अन्य व्यवहारो की अपेक्षा यही नियम और यही व्यवहार व्यक्ति तथा समाज



के जीवन-धारण (Survival) के लिए आवश्यक था, दूसरे नियम या दूसरे व्यवहार पर चलते तो व्यक्ति तथा समाज का 'जीवन-धारण' खतरे में पड़ सकता था।

व्यक्ति तथा समाज जिन नियमों तथा व्यवहारों को अपने हित में, अपने जीवन-धारण के लिए चुनते हैं, जब तक वे इसी पीढ़ी तक सीमित रहते हैं, तब तक तो इन्हें 'सामाजिक-व्यवहार' (Social behaviour) कहा जाता है, परन्तु जब ये अगली पीढ़ी में पहुँचते हैं, और पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने लगते हैं, तब इन्हीं को 'सामाजिक-प्रथा' (Social custom) कहा जाता है। 'सामाजिक-प्रथा' का अर्थ है कि हमारे पुरखाओं ने अनुभवों और परीक्षणों के बाद समाज के जीवन-धारण के लिए जिन नियमों तथा व्यवहारों को आवश्यक समझ कर अपना लिया था, उन पर अब हम नये सिरे से परीक्षण न करके उन्हें जैसे-का-तैसा अपना लेते हैं।

जब तक कोई नियम 'व्यक्तिक-व्यवहार' के दायरे तक रहता है, तब तक व्यक्ति को उस नियम के अनुसार चलने-न चलने की पूरी स्वतंत्रता होती है, ज्यों-ज्यों वह नियम व्यक्ति से आगे चलने लगता है, पहले समाज में चलता है, फिर अगली पीढ़ी में चला जाता है, त्यों-त्यों उसमें से स्वतंत्रता का अंश निकलता चला जाता है, और बाधितपन का अंश आता जाता है। आदिकालीन पति जिसने पहले-पहल पत्नी के घर जाना छोड़ कर अपने काम-धंधे के लिए अपने घर रहना ही ठीक समझा, अपने व्यवहार में स्वतंत्र था, उसके बाद जब यह फैशन ही हो गया, यह 'व्यक्तिक-व्यवहार' बदल कर 'सामाजिक-व्यवहार' बन गया, तब व्यक्ति की स्वतंत्रता कम हो गई, और जब यह 'सामाजिक-व्यवहार' पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने से 'सामाजिक-प्रथा' बन गया, तब तो व्यक्ति के लिए इसके विरुद्ध चलना उपहासास्पद हो गया। आज घर-जँवाई बन कर रहने को लोग उपहास की दृष्टि से देखते हैं। ज्यों-ज्यों नियम तथा व्यवहार 'प्रथा' का रूप धारण करता जाता है, त्यों-त्यों इस नियम तथा व्यवहार में से स्वतंत्रता का अंश कम होता जाता है, इसमें बाधितपन का अंश बढ़ता चला जाता है, यहाँ तक कि किसी नियम के 'प्रथा' बन जाने पर उसे तोड़ना कठिन हो जाता है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि 'प्रथा' को तोड़ा नहीं जा सकता। अब भी 'प्रथा' के पीछे ऐसा कोई बल नहीं होता कि उसे कोई तोड़ ही न सके, तो तोड़े उसे दण्ड दिया जा सके।

जब तक मानव-समाज अशिक्षित तथा आदिकालीन अवस्था में रहा, तब तक नियमों का विकास करते-करते वह 'प्रथा' तक ही पहुँच सका, इससे आगे नहीं पहुँच सका। 'प्रथा' में भी बल था, बाधितपन था, स्वतंत्रता नहीं थी, परन्तु अधिकतर यह समझा जाता था कि 'प्रथा' के विरुद्ध चलना एक तरह का 'पाप' (Sin) है, इस पाप का दंड वह अलौकिक-शक्ति देगी जो विश्व का संचालन कर रही है, अब नहीं तो तब देगी, इस जीवन में नहीं तो मृत्यु के बाद देगी, इसलिए ज्यादा-से-ज्यादा हुआ तो 'प्रथा' के विरुद्ध चलने वाले के प्रति आदि-मानव ने बहि-

कार के शस्त्र का प्रयोग कर दिया, हुक्का-पानी बन्द कर दिया, रोटी-बेटी का व्यवहार बन्द कर दिया, इससे अधिक वह कुछ न कर सका। फल-मूल एकत्रित करने वाली सरल तथा विकसित दोनों प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाओं में मनुष्य ने भूमि पर आधिपत्य के विचार को उत्पन्न नहीं किया था, इतनी भूमि पडी थी कि उसके लिए नाहक कोई क्यों झगडता, जब भूमि पर आधिपत्य का विचार ही नहीं उत्पन्न हुआ तब 'राज्य' (State) का विचार कहाँ से पैदा हो जाता, जब 'राज्य' ही नहीं था, कोई राजा नहीं, कोई महाराजा नहीं, कोई जज और मजिस्ट्रेट नहीं, तब 'प्रथा' के पीछे जन-मत के सिवाय और किसी प्रकार का बल कैसे हो सकता था ? जब मनुष्य की आर्थिक-व्यवस्था विकसित होने लगी, फल-मूल एकत्रित करने की आर्थिक-व्यवस्था से जब वह कृषि तथा पशु-पालन की सरल तथा विकसित आर्थिक-व्यवस्था की तरफ बढ़ा, जब भूमि पर मनुष्य का स्वामित्व होने लगा, तब मुखिया बने, सरदार बने, जमींदार बने, राजा-महाराजा बने, तब 'राज्य' भी बना। जब 'राज्य' बना, तब एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो गई जो 'प्रथा' में बाधितपन की पुट डाल सकती थी। अभी तक तो 'प्रथा' के पीछे जन-बल था, अब राज्य बनने के बाद इसके पीछे राज्य-बल आ गया। राज्य-बल के आते ही 'प्रथा' के पीछे जो थोड़ी-बहुत स्वतंत्रता छिपी थी, वह लुप्त हो गई, 'प्रथा' बदल कर 'विधान' (Law) का रूप धारण कर गई, इसलिए धारण कर गई क्योंकि अब तक तो यह समझा जाता था कि 'प्रथा' को तोड़ना 'पाप' (Sin) है, इसका दंड अलौकिक-शक्ति देगी, परन्तु अब यह समझा जाने लगा कि 'प्रथा' को तोड़ना 'अपराध' (Crime) है, इसका दंड अलौकिक-शक्ति देगी या न देगी, परन्तु लौकिक शक्ति, राज्य, मजिस्ट्रेट और जज आदि यहाँ, इसी लोक में दंड दे देंगे। इस प्रकार हमने देखा कि व्यक्ति से जो 'व्यक्ति-व्यवहार' (Individual behavior) चला था, जिसमें मनुष्य को पूरी आजादी थी, वह विकसित होते-होते 'सामाजिक-व्यवहार' (Social behavior) बना, 'सामाजिक-व्यवहार' बनते ही इसमें से आजादी का अंश कम हो गया, यह 'सामाजिक-व्यवहार' अगली पीढ़ी में जाकर 'सामाजिक-प्रथा' (Social Custom) का रूप धारण कर गया, 'सामाजिक-प्रथा' बनते ही इसमें से आजादी का अंश और कम हो गया, यह 'सामाजिक-प्रथा' राज्य के उत्पन्न होते ही 'सामाजिक-विधान' (Social law) बन गई, और 'सामाजिक-विधान' बनते ही इसमें से आजादी का अंश सर्वथा लुप्त हो गया, बाधितपन के अंश ने 'विधान' चारों तरफ से घिर गया। अगर कोई 'विधान' को तोड़ना चाहे, तो राज्य की मारी शक्ति 'विधान' को कायम रखने में लग सकती है, मनुष्य को 'विधान' के अनुसार चलने में बाधित कर सकती है। 'विधान' की उत्पत्ति 'राज्य' की उत्पत्ति का परिणाम है। जबतक राज्य नहीं उत्पन्न हुआ था, तब तक 'प्रथा' तो थी, 'विधान' नहीं था, इसलिए नहीं था क्योंकि 'विधान' कहते ही उन नियमों को है जिन्हें जन-शक्ति द्वारा नहीं, राज्य-शक्ति द्वारा, दंड-शक्ति द्वारा, भय के द्वारा मनवाया जा सके।

जब हम कहते हैं कि आदिकालीन, अशिक्षित जन-जातियों में 'विधान' या 'कानून' नहीं था, 'प्रथा' थी, तब प्रश्न होता है कि उनमें कुछ तो थोड़ा-बहुत 'विधान' होगा, उनके 'विधान' का नाम 'प्रथा' ही सही, परन्तु 'प्रथा' के पीछे जन-बल के अलावा जो-कुछ भी थोड़ा-बहुत शक्ति-बल था, उसका क्या रूप था ?

## २. आदिकालीन विधान का स्वरूप

### (Nature of Primitive Law)

आदिकालीन-विधान में जहाँ तक बाधितपन का अंश पाया जाता है, भले ही वह बाधितपन अपनी विरादरी, अपने समुदाय तथा अपने समूह का था, वहाँ तक इसे 'विधान' कहा जा सकता है। विरादरी से निकाल देना भी तो एक तरह का दंड है, भय है, जिससे बाधित होकर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने के स्थान में विरादरी के नियमों, उसकी प्रथाओं का पालन करता है। इस बाधितपन को दृष्टि में रख कर अगर हम आदिकालीन जन-जातियों के नियमों तथा उनकी प्रथाओं को 'विधान' (Law) कह दें, तो बहुत अधिक आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन नियमों तथा प्रथाओं में जितना अंश बाधितपन का छिपा हुआ है उतना अंश 'विधान' का कहा जा सकता है, क्योंकि 'विधान' का आधार बाधितपन है, दंड है, भय है।

कई लोगों का कहना है कि आदिकालीन-समाज में लड़ाई-झगड़े, खून-खराबी झट-से हो जाती थी, समाज का सगठन शिथिल अवस्था में था, एक तरह से कोई सगठित-शासन-व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उस समय का जो भी विधान था, कायदे-कानून थे, उन्हें 'फौजदारी-कानून' (Criminal law) कहा जा सकता है, उन लोगों में 'दीवानी-कानून' (Civil law) नहीं था, इसलिए नहीं था क्योंकि अभी सम्पत्ति, उत्तराधिकार आदि के विचार ही नहीं उत्पन्न हुए थे, 'दीवानी-कानून' का सबंध तो इन्हीं बातों से है। इस बात में बहुत-कुछ सत्य प्रतीत होता है।

आदिकालीन-मानव तथा वर्तमान-मानव के विधान में कुछ आधार-भूत भेद हैं। लोई (Lowie) का कहना है कि इन दोनों प्रकार के विधानों में जो भेद हैं उन्हें तीन भागों में बाँटा जा सकता है। पहला भेद तो यह है कि आदिकालीन-विधान का आधार जाति तथा वर्तमान-विधानका आधार देश है, दूसरा भेद यह है कि आदिकालीन-विधान का आधार जन-बल तथा वर्तमान विधान का आधार राज-बल है, तीसरा भेद यह है कि आदिकालीन-विधान का आधार व्यक्ति तथा वर्तमान-विधान का आधार समाज है। इन तीनों बातों का क्या अर्थ है, यह स्पष्ट कर देने से आदिकालीन-विधान का स्वरूप समझ में आ जाता है। इन तीनों का अर्थ निम्न है

(क) आदिकालीन-विधान का आधार जाति तथा वर्तमान-विधान का आधार देश है—आदिकालीन-मानव की आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार मूल-फल एकत्रित करना तथा शिकार का जीवन व्यतीत करना था। उस समय

जमीन की कमी नहीं थी, चारों तरफ जमीन-ही-जमीन पडी हुई थी। ऐसी अवस्था में राज्य का विकास नहीं हुआ था, भूमिपति-वर्ग नहीं उत्पन्न हुआ था। भूमिपति-वर्ग तो तब उत्पन्न हुआ जब भूमि की कीमत को जाने लगी, जब कृषि तथा पशु-पालन की अर्थ-व्यवस्था उत्पन्न हुई। वर्तमान-काल की अर्थ-व्यवस्था का आधार भू-स्वामित्व है, इसलिए आजकल के विधान भी भूमि तथा सम्पत्ति, जायदाद, उत्तराधिकार आदि पर आश्रित हैं। आदिकालीन-मानव के विधान का आधार भूमि न होकर नाते-रिश्ते थे, अपनी जात-विरादरी थी, सगे-सबधी थे। उम समय का मानव व्यक्ति रूप से इकला नहीं रह सकता था, समूह के द्वारा ही उसकी रक्षा होती थी, उसके सगे-सबधी ही उसके सब-कुछ थे, इसलिए उसके विधान का आधार राज्य या देश न होकर जाति या विरादरी थी। आज जैसे कोई किसी को नुकसान पहुँचाना चाहता है, तो उसकी सम्पत्ति को नष्ट करने का प्रयत्न करता है, इसी प्रकार उस काल में अगर कोई किसी को नुकसान पहुँचाता था, तो उसके सगे-सबधियों को नुकसान पहुँचाता था। किसी का भाई मार दिया, किसी का चचा मार दिया—ये सब आजकल की सम्पत्ति की अपेक्षा अधिक महत्व-पूर्ण सम्पत्ति थे और इसलिए उस समय का विधान देश के इर्द-गिर्द नहीं, अपितु जात-विरादरी के इर्द-गिर्द अधिक घूमता था।

(ख) आदिकालीन-विधान का आधार जन-बल तथा वर्तमान-विधान का आधार राज-बल है—आदिकालीन आर्थिक-व्यवस्था में राज्य का उदय नहीं हुआ था, इसलिए उस समय के विधान के पीछे राज-बल न होकर जन-बल रहता था। थोड़े-से लोग थे, सब एक-नाय रहते थे, हर-कोई एक-दूसरे को जानता था, एक-दूसरे के सहारे ही सब-का जीवन टिका हुआ था, इसलिए कोई किसी को नजर में नीचे नहीं गिरना चाहता था। उस समय का सामाजिक-जीवन इतना एक-दूसरे से बंधा हुआ, एक-दूसरे में गुंथा हुआ था कि उससे अलग होकर मनुष्य पानी से बाहर मछली की तरह तडपने लगता था, इसलिए जन-मत का प्रभाव आजकल के कानून से भी प्रबल था। मनुष्य का तभी ने यह स्वभाव चला आता है कि कानून को तो वह लुक-छिप कर तोड़ने का प्रयत्न करता है, परन्तु जन-मत के विरुद्ध चलने का उसमें साहस नहीं होता। आज के युग में तो मनुष्य के सामने वीसियों विकल्प होते हैं—यह करे, वह करे, ऐसा ठीक रहेगा, वैसा ठीक रहेगा, परन्तु आदिकालीन-मानव के सामने इतने अधिक विकल्प नहीं थे, उसके सामने जीवन का एक ही रास्ता था, और वह रास्ता यह था कि जैसी परंपरा, प्रथा अब तक चली आ रही है, वैसा करे। वैसा अगर वह नहीं करता था, तो वह समाज में रह ही नहीं सकता था। इन कारण यद्यपि 'प्रथा' के पालन के पीछे कोई राज्य या सरकार का भय नहीं था, तो भी मनुष्य प्रथा को जन-बल या जन-मत के कारण इच्छापूर्वक स्वीकार करता था।

(ग) आदिकालीन-विधान का आधार व्यक्ति तथा वर्तमान-विधान का आधार समाज है—क्योंकि आदिकालीन-समाज में राज्य के विचार ने जन्म नहीं

लिया था इसलिए राज्य के प्रति या समाज के प्रति अपराधों का विचार भी नहीं उत्पन्न हुआ था। उस समाज का आधार जैसा हमने पहले कहा राज्य की एकता न होकर परिवार, गोत्र, जाति की एकता थी, इसलिए सामाजिक-अपराधों को वह स्थान प्राप्त न था, जो स्थान वैयक्तिक या पारिवारिक अपराधों को प्राप्त था। उस समय अपराध का रूप क्या था? अगर कोई अपराध करता था, तो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाता था, उस व्यक्ति के किसी सगे-सवधी को नुकसान पहुँचाता था। नुकसान पहुँचाने वाला तथा जिसे नुकसान पहुँचा है—इन दोनों के सगे-सवधी-रिश्तेदार थे, और क्योंकि उस समय इन दोनों के बीच में पड़ने वाले राज्य की सत्ता अभी नहीं थी, इसलिए ये लोग स्वयं लड़ते-झगड़ते थे, एक-दूसरे को मारते-पीटते थे, और झगड़े का निपटारा करते थे। आदिकालीन-समाज की प्रारम्भिक अवस्था में यह नहीं समझा जाता था कि इन झगड़ों को निपटाने के लिए बीच में समाज के पड़ने की भी आवश्यकता है। जिन लोगों का झगड़ा होता था, वे व्यक्ति रूप से या उनके सगे-सवधी लड़-झगड़ कर मामला तय करते थे, झगड़ा व्यक्ति के स्तर पर तय होता था, समाज के स्तर पर नहीं, अपराध भी व्यक्ति के प्रति हुआ समझा जाता था, समाज के प्रति नहीं। आज तो यह समझा जाता है कि जिस व्यक्ति ने चोरी की उसने उस व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुँचाया जिसकी चोरी की, समाज के प्रति भी उसने अनैतिक-व्यवहार किया है, आदिकालीन-समाज में यह समझा जाता था कि जिसने चोरी की है उसने जिसकी चोरी की है उसे नुकसान पहुँचाया है, इस दोनों के बीच समाज को पड़ने की जरूरत क्या है? परन्तु इसका यह मतलब भी नहीं कि समाज सदा सोया ही पड़ा रहता था। एस्किमो जन-जाति के लोग किसी का कत्ल हो जाने पर उसका प्रतिकार करने की नहीं सोचते, परन्तु अगर किसी के प्रति यह सन्देह हो जाय कि वह जादू करता है, तो उसका सफाया करने के लिए सब मिल कर उठ खड़े होते हैं क्योंकि सब को डर हो जाता है कि यह हम पर भी जादू करेगा। इस दृष्टि से आदिकालीन-समाज में 'वैयक्तिक-अपराधों' (Torts) का जो स्थान है, वह 'सामाजिक-अपराधों' (Crimes) का नहीं।

### ३ आदिकालीन न्याय (Primitive Justice)

'विधान' का उद्देश्य समाज को संगठित रखना है, आपा-घापी को रोकना है, जन-जाति के हर व्यक्ति, परिवार तथा गोत्र का अपना-अपना अधिकार है, सब को अपने अधिकार के क्षेत्र में ही रहना चाहिए, अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहिए—इन सब की व्यवस्था करना है। परन्तु अगर कोई अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाता है, तो उस समय का समाज जो 'भू-व्यवस्था' (Territorial basis) पर आधारित न होकर 'सवध-व्यवस्था' (Kinship basis) पर आधारित था, इस बात की जाँच-पड़ताल तो करता ही था कि

वास्तव में किसी ने दूसरे के अधिकार पर आघात किया है या नहीं, हमारे शब्दों में अपराध किया है या नहीं। यह सब छानना-चीनना इसलिए किया जाता था ताकि जो फैसला किया जाय, उसका आधार न्याय हो, अन्याय न हो। इस उद्देश्य से आदिकालीन सामाजिक-व्यवस्था में न्याय, अपराध तथा उसके प्रकार, साक्षी, इरादा, मुकदमा, दंड आदि 'विधान' के भिन्न-भिन्न अंग थे जिनके अनुसार निर्णय किया जाता था, इनके बिना नहीं। इन सब की चर्चा करना जरूरी है।

(क) न्याय (Justice)—शुरू-शुरू की फल-मूल एकत्रित करने वाली सामाजिक-व्यवस्था जन-तांत्रिक प्रणाली पर आश्रित थी, इसलिए उसमें निर्णय जितने न्याय पर आश्रित हो सकते थे, उतने कृषि या पशु-पालन की विकसित सामाजिक व्यवस्था में नहीं हो सकते थे। जन-तांत्रिक व्यवस्था में किसी का वैयक्तिक स्वार्थ नहीं होता इसलिए निर्णय भी अवैयक्तिक होते हैं, विकसित व्यवस्था में समाज का एक मुखिया बन बैठता है, भूमिपति, जमींदार, राजा आदि होते हैं, ये लोग अपने स्वार्थ को सामने रख कर निर्णय करते हैं। इनका उद्देश्य अपनी सम्पत्ति को अक्षुण्ण बनाये रखना होता है। अधिकतर निर्णय सम्पत्तिशाली वर्ग के अधिकारों को बनाये रखने के लिए किये जाते हैं। इनके जो प्रतिनिधि होते हैं, जज-मैजिस्ट्रेट आदि, वे भी इन्हीं के बनाये कानूनों को इन के हक में घटाने का प्रयत्न करते हैं। जब तक समाज में धन-सम्पत्ति का उदय नहीं होता, तब तक सब लोग समान गिने जाते हैं, सबके लिए कानून भी एक-मे होते हैं, दण्ड-व्यवस्था भी एक-समान होती है, जब समाज में धन-सम्पत्ति का उदय हो जाता है, तब कानून भी सम्पत्तिशाली लोग ही बनाते हैं और न्याय का पलड़ा भी उन्हीं के लिए भारी रखा जाता है।

(ख) अपराधों के प्रकार (Types of offences)—जैसा हम ऊपर लिख आये हैं, अपराधों के मुख्य तौर पर दो प्रकार हैं—ऐसे अपराध जो समाज के विरुद्ध किये जाते हैं और जिनका दण्ड भी समाज देता है, इन्हें 'सामाजिक-अपराध' (Crimes) कहते हैं, ऐसे अपराध जो व्यक्ति के विरुद्ध किये जाते हैं और जिनका दण्ड भी व्यक्ति या उसके सगे-सवधों दे देते हैं, इन्हें 'वैयक्तिक-अपराध' (Torts) कहते हैं। जो समाज आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टि-कोण से नीचे स्तर का होगा उसमें ज्यादातर 'वैयक्तिक-अपराध' होते हैं, जो समाज आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टि-कोण से ऊँचे स्तर का होगा उसमें ज्यादातर 'सामाजिक-अपराध' होते हैं। विकास की दृष्टि से नीचे स्तर के लोग इन 'वैयक्तिक-अपराधों' का अपने-आप निपटारा कर लेते हैं, समाज की बीच में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, विकास की दृष्टि में उच्च-स्तर के लोग किसी प्रकार के अपराध का भी अपने-आप निपटारा नहीं करते, उनके हर अपराध का निपटारा राज्य करता है। यह ठीक है कि कभी-कभी निम्न स्तर के समाज में भी 'सामाजिक-अपराध' हो जाते हैं जिनका दंड देने के लिए सारा-का-सारा समाज तैयार हो जाना है। उदाहरणार्थ, अगर एस्किमो जन-जाति में कोई व्यक्ति किसी वज्र-भोजन का

सेवन कर लेता है, तो उसे सारा समुदाय दंड देने के लिए उद्यत हो जाता है, परन्तु आदिकालीन-समाज में इस प्रकार के 'सामाजिक-अपराधों' की सख्या 'व्यक्तिक-अपराधों' की अपेक्षा बहुत कम होती है। फल-मूल एकत्रित करने वाली सरल अर्थ-व्यवस्था में 'व्यक्तिक-अपराध' ही अधिक होते हैं, ज्यो-ज्यो आदिकालीन-मानव कृषि तथा पशु-पालन की विकसित अर्थ-व्यवस्था की तरफ बढ़ता चलता है, त्यो-त्यो उसके अपराध भी 'व्यक्तिक' की जगह 'सामाजिक' रूप धारण करते जाते हैं क्योंकि विकसित अर्थ-व्यवस्था में भूमि का महत्व बढ़ जाने के कारण 'राज्य' का प्रादुर्भाव हो जाता है, और 'राज्य' के प्रादुर्भाव होते ही अपराध भी 'सामाजिक' रूप धारण कर लेता है।

फल-मूल एकत्रित करने वाली सरल आर्थिक-व्यवस्था में 'व्यक्तिक-अपराध' होते हैं, इसका यह अर्थ नहीं कि इस व्यवस्था में 'सामाजिक-अपराध' होते ही नहीं। सरल आर्थिक-व्यवस्था में भी अनेक 'सामाजिक-अपराध' करते हैं, परन्तु इनकी सख्या कम होती है। सरल तथा विकसित आर्थिक व्यवस्था के 'सामाजिक-अपराधों' में एक भेद है। वह भेद यह है कि सरल आर्थिक-व्यवस्थाओं में तो अपराध जन-तांत्रिक प्रणाली पर अपराध माने जाते हैं, विकसित आर्थिक-व्यवस्था में अपराध जन-तांत्रिक प्रणाली पर अपराध माने जाने की जगह मुखिया, जमींदार, भूमिपति, राजा आदि की इच्छा पर अपराध माने जाते हैं। हम पहले कह आये हैं कि फल-मूल एकत्रित करने वाली आर्थिक-व्यवस्था में कोई बड़ा नहीं था, कोई छोटा नहीं था, सब एक-समान थे। यह जन-तांत्रिक व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में जिस बात को सब लोग अपराध मानते थे, वही अपराध था, परन्तु कृषि तथा पशु-पालन की विकसित आर्थिक-व्यवस्था में क्या बात थी? उस व्यवस्था में सब लोग एक-समान नहीं थे, उस समय भूमि का मूल्य गिना जाने लगा था, उस समय मुखिया थे, जमींदार थे, राजा थे। यह जन-तांत्रिक व्यवस्था नहीं थी। इस व्यवस्था में जिस बात को सब लोग अपराध कहते, वह नहीं, परन्तु जिसे मुखिया, जमींदार, राजा अपराध कहता था वही अपराध माना जाता था। समुदाय का जिसमें नुकसान हो वही अपराध माना जाता हो—यह बात इस विकसित आर्थिक-व्यवस्था में जरूरी नहीं थी। मुखिया, जमींदार, राजा अपने स्वार्थ को समुख रख कर जिस बात में अपना स्वार्थ सिद्ध होता नहीं देखते थे उसे अपराध घोषित कर देते थे। राजाओं, महाराजाओं के बाद जब वह समय आया जब समुदाय के हाथ में शासन-सत्ता आयी, तब समुदाय के हित के विरुद्ध आचरण को शब्द अर्थों में 'सामाजिक-अपराध' कहा जाने लगा। यह समय अभी पूरी तरह आया है या नहीं—यह विवादास्पद है, परन्तु ऐसा समय आ रहा है, इसमें सन्देह नहीं।

(ग) माक्षी (Evidence)—अगर किसी पर कोई अपराध लगाया जाय, तो न्याय की यह माँग है कि यह सिद्ध किया जाय कि वास्तव में उसने अपराध किया है। दुश्मनी से भी तो किसी पर झूठा दोष लगाया जा सकता है।

इसीलिए साक्षी की जरूरत होती है। यह जरूरत जैसे आज है, वैसे आदिकालीन समाज में भी थी। साक्षी दो तरह की हो सकती हैं—'अन्त साक्षी' तथा 'बहि-साक्षी'। 'अन्त साक्षी' का अर्थ है कि जिम पर दोष लगाया गया है, उसी की साक्षी से यह जानने का प्रयत्न किया जाय कि उसने दोष किया है या नहीं। इसके भी दो प्रकार हैं। एक है—'शपथ ग्रहण करना' (Oath) तथा दूसरा है—'कठिन-परीक्षा' (Ordeal)। दोषी व्यक्ति से शपथ खिलायी जाती है कि वह जो-कुछ कहेगा सच कहेगा, झूठ नहीं कहेगा। आजकल के सन्य-समाज में शपथ-ग्रहण करना एक रिवाज हो गया है, और लोग सच की शपथ खा कर झट-से झूठ बोलने लगते हैं, परन्तु आदिकालीन, अशिक्षित समाज में ऐसा नहीं था। शपथ ग्रहण करते हुए उन्हें भय रहता था कि अगर वे झूठ बोलेंगे, तो अलौकिक-शक्ति द्वारा उनका सहारा हो जायगा। वे शपथ खा कर जो-कुछ कहते थे, सच कहते थे। 'कठिन-परीक्षा' में दोषी की भिन्न-भिन्न तरह से परीक्षा ली जाती थी। सीता जो ने अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि-परीक्षा दी थी। आदिकालीन जन-जातियों में उबलते तेल में हाथ डालना, जहर पी जाना, कुश्ती में जीत-हार आदि द्वारा दोषी की परीक्षा ली जाती थी। जो इन परीक्षाओं में से बिना बाल-बाँका हुए निकल जाता था उसे निर्दोष घोषित कर दिया जाता था। क्योंकि आदिकालीन लोग अलौकिक-शक्ति में विश्वास रखते थे, इसलिए वे कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि कोई निर्दोष व्यक्ति इन परीक्षाओं में असफल हो सकता है। इन 'अन्त-साक्षियों' के अतिरिक्त 'बहि-साक्षी' के द्वारा भी व्यक्ति के दोषी अथवा निर्दोष होने का प्रमाण माँगा जाता था। आज जैसे गवाहों को खडा किया जाता है, वैसे आदिकालीन लोग भी गवाहों द्वारा अपने को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयत्न करते थे।

(घ) अपराध करने का इरादा (Motive or Intention)—आजकल के समाज में तो अपराध सिद्ध करने के लिए अपराधी का इरादा भी सिद्ध करना होता है। अगर किसी से कत्ल हुआ है, तो सिद्ध करना होगा कि कातिल का कत्ल करने का इरादा था। कत्ल में अगर यह सिद्ध हो जाय कि जिसका कत्ल हुआ, उसने कत्ल करने वाले को इतना उत्तेजित कर दिया था कि उसने उत्तेजना में आकर ऐसा किया तब भी अपराध की गहराई में कमी आ जाती है, परन्तु आदिकालीन-समाज में ऐसा नहीं था। उन लोगों के लिए किसी व्यक्ति का कत्ल हो जाना अपराध के लिए काफी था, इरादे या उत्तेजना का कोई प्रश्न नहीं उठता था। इसका कारण यह था कि अगर कत्ल हुआ, तो परिवार का एक व्यक्ति सदा के लिए चला गया, ऐसा व्यक्ति जो बाल-बच्चों का सहारा था। इन भारी क्षति को पूर्ति होनी चाहिए, इरादा था या न था—इससे क्या? यह क्षति क्या पूरी की जा सकती है? अगर कुल्हाड़ा हाथ से छूट गया और हमारे की गर्दन पर जा पड़ा, तो नुकसान तो हो गया, इरादा नहीं था तो क्या हुआ, इस नुकसान को उस व्यक्ति के रिश्तेदार क्यों बर्दाश्त करें? ऐसी हालत में इन लोगों में नुकसान



को पूरा आंक कर उसकी पूर्ति की जाती थी। क्योंकि आदिकालीन सामाजिक-व्यवस्था जन-तांत्रिक थी, इसलिए अपराध के विषय में विचार करते हुए बदले की भावना को तो स्थान नहीं दिया जाता था, परन्तु यह देख लिया जाता था कि जिसकी क्षति हुई है उसकी क्षति-पूर्ति कर दी जाय। इसका यह मतलब नहीं कि इरादे को बिल्कुल आँखो से ओझल कर दिया जाता था। न्याय की यह माँग है कि अपराधी का इरादा भी देखा जाय। इरादा तो वे भी देखते थे, परन्तु अगर किसी का नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं था और उससे नुकसान हो जाता था तो इरादा न होते हुए भी नुकसान की पूर्ति तो उसे करनी ही होती थी।

(इ.) मुकदमा या अदालती कायवाही (Trial)—न्याय की यह भी माँग है कि दोषी को अपनी सफाई देने का अवसर दिया जाय। फल-मूल एकत्रित करने वाली आदिकालीन जनतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था में फैसला देने से पहले अपराधी को अपनी सफाई देने का अवसर दिया जाता था, उससे जिरह की जाती थी और आवश्यकता पडने पर गवाह भी तलब किये जाते थे। उत्तर-पश्चिमी प्रशान्त तटवर्ती जन-जातियों में इस प्रकार की गवाह तलब करने की प्रथा पायी जाती है। इस प्रारम्भिक सामाजिक व्यवस्था में वाकायदा अदालतें नहीं थीं, परन्तु कृषि तथा पशु-पालन की विकसित सामाजिक व्यवस्था में वाकायदा अदालतें पायी जाती हैं, जज-मजिस्ट्रेट पाये जाते हैं। मक्सिको की एज्टेंट, पेरू की इनकस जन-जाति तथा गिनी-सूडान जन-जातियों में न्याय करने के लिए वाकायदा अदालती कार्यवाही करने की व्यवस्था पायी जाती है। गिनी-सूडान जन-जातियों में अदालत, न्यायाधीश, सफाई के वकील आदि सब-कुछ आजकल की अदालतों की तरह पाये जाते हैं।

(च) दंड (Punishment)—प्रारम्भिक सरल सामाजिक-व्यवस्था में दण्ड का रूप दूसरे का नुकसान पूरा कर देना होता था। इस उद्देश्य से जुर्माना किया जाता या दूसरे की क्षति पूरी करा दी जाती थी। कोड़े भी लगाये जाते थे, अग-छेद भी किया जाता था। विकसित सामाजिक व्यवस्था में अपराधी को समाज से अलग करके जेल में डाला जाने लगा। सिर्फ यूगाडा की जन-जातियों में जेल की व्यवस्था पायी जाती है। कहीं-कहीं अपराधी के हाथ-पैर एक बड़े लकड़ में छेद कर उसमें बाँध दिये जाते हैं और वह इसी प्रकार पडा-पडा मर जाता है। कत्ल का बदला कत्ल से लिया जाता था, परन्तु यह जरूरी नहीं कि जिसने कत्ल किया है, उसी का कत्ल किया जाय। वह हाथ आ जाय तब तो ठीक है, परन्तु वह हाथ न भी आये तो उसके किसी सबधी का कत्ल कर देना काफी था। इन लोगों में यह समझा जाता था कि अगर किसी का कत्ल हुआ है, तो किसी एक व्यक्ति का नुकसान नहीं हुआ, एक परिवार का नुकसान हुआ है, और इसका बदला कत्ल करने वाले के किसी सबधी से भी लिया जा सकता है।

## ४ विधान तथा प्रथा (Law and Custom)

हम लिख आये हैं कि 'विधान' की उत्पत्ति राज्य की उत्पत्ति के साथ हुई, और 'प्रथा' की उत्पत्ति जन-जाति की उत्पत्ति के साथ हुई, राज्य की उत्पत्ति तब हुई जब भूमि का मूल्य समझा जाने लगा, भूमि को अपना देश कहकर उसकी दूसरो से रक्षा की जरूरत हुई, जाति की उत्पत्ति तब हुई जब मनुष्य इकलान रह कर अपने समुदाय का अंग बन कर रहता था, समुदाय की शरण में रहना ही उसकी रक्षा का साधन था। इन दोनों में जन-जाति की उत्पत्ति पहले हुई, राज्य की उत्पत्ति बाद को हुई। जब राज्य उत्पन्न हो गया तब तो वह अपनी राज-शक्ति से कानून को, विधान को मनवा सकता था, परन्तु जब राज्य उत्पन्न नहीं हुआ था, तब जन-जाति अपनी प्रथा को कैसे मनवाती थी, तब मनुष्य अपने समाज की प्रथाओं को क्यों पालन करता था ? इस बात को समझने के लिए दो बातों का समझना जरूरी है—पहली बात यह कि मनुष्य 'विधान' तथा 'प्रथा' का क्यों पालन करता है और दूसरी बात यह कि 'विधान' तथा 'प्रथा' में क्या भेद है।

(क) मनुष्य विधान तथा प्रथा का क्यों पालन करता है—कई लोगो का कहना है कि मनुष्य विधान का तो इसलिए पालन करता है क्योंकि अगर वह इसका पालन न करे, तो उसे राज्य की तरफ से दंड मिलने का भय रहता है, प्रथा का पालन वह इसलिए करता है क्योंकि इसके पीछे जन-मत होता है और जन-मत में बाधितपन रहता है, मनुष्य अपने स्वभाव से जन-मत के विरुद्ध नहीं जा सकता। विधान का पालन तो दंड के भय से किया ही जाता है, परन्तु प्रथा का लोग पालन विधान की अपेक्षा भी अधिक जोर से करते हैं, इसका जन-मत के अतिरिक्त यह भी कारण है कि आदिकालीन सामाजिक-व्यवस्था में प्रथा का तोड़ना अपराध ही नहीं समझा जाता था, पाप समझा जाता था, यह समझा जाता था कि इसका दंड समाज दे या न दे, इसका दंड भगवान् देता है। इसलिए आज का मनुष्य तो विधान में से वच निकलने की कोशिश करता है, परन्तु आदिकाल का मानव इच्छा-पूर्वक प्रथा का पालन करता था, वह प्रथा का मानो दाम था। मलिनोवस्की (Malinowski) इस बात को नहीं मानता। उनका कहना है कि आज का तथा आदिकाल का मानव सामाजिक-विधान तथा प्रथाओं को इसलिए नहीं मानता क्योंकि उसे राज-दंड या जन-मत का भय है, वह इन्हें इसलिए मानना और इनका पालन करता है क्योंकि मनुष्य अपने जीवन के लिए एक-दूसरे पर निर्भर है, एक-दूसरे का ऋणी है, अगर वह दूसरो के अधिकारो का मान नहीं करेगा, तो दूसरे उसके किसी अधिकार को क्यों स्वीकार करेंगे ?

(ख) 'विधान' तथा 'प्रथा' में क्या भेद है—'कानून' तथा 'प्रथा'—इन दोनों का काम समाज को अव्यवस्थित होने से बचाना है, परन्तु 'कानून' तथा 'प्रथा' में भेद यह है कि 'कानून' के पीछे 'राज-शक्ति' है, प्रथा के पीछे 'राज-शक्ति' न होकर

‘जन-शक्ति’ है। जो ‘कानून’ को तोड़े, उसे जेल में डाला जा सकता है, ऐसे भी अवसर आ सकते हैं जिनमें उसे मृत्यु-दंड भी दिया जाता है, परन्तु जो ‘प्रथा’ को तोड़े, उसे समाज में से बहिष्कृत किया जा सकता है, उसकी निन्दा-उपहाम हो सकते हैं, और-कुछ नहीं हो सकता। ‘कानून’ राज्य की उपज है, ‘प्रथा’ जन-जाति की उपज है, ‘कानून’ का विकास किया जाता है, यह समाज पर ऊपर से लादा जाता है, ‘प्रथा’ का स्वतः विकास होता है, यह समाज के भीतर से निकलता है, इसे ऊपर से नहीं लादा जाता। ‘कानून’ क्योंकि बाहर से लादा जाता है, इसलिए यह उसके ग्राह्य-व्यवहार पर तो प्रभाव डालता है, परन्तु उसके अन्तरात्मा पर इसका असर नहीं पड़ता, ‘प्रथा’ क्योंकि अन्दर से निकलती है, इसलिए यह उसकी अन्तरात्मा को जकड़ लेती है, मनुष्य इसके विरुद्ध जाना चाहे तो भी नहीं जा सकता। यही कारण है कि आज का समाज जिस पर कानून लागू होते हैं, कानूनों को वहीं तक पालता है जहाँ तक वह आसानी तथा बिना भय के तोड़ इन्हें नहीं सकता, आदिकालीन मानव प्रथा को सदा पालता था, वह इसे तोड़ ही नहीं सकता था। आदिकालीन मानव पर प्रथा का प्रभाव वर्तमान मानव पर के कानून के प्रभाव से अधिक प्रबल था।

#### ५. आदिकालीन शासन-पद्धति (Primitive Government)

शासन-पद्धति के विचार के आधार में क्या भावना काम कर रही है ? अगर किसी प्रकार की भी शासन-व्यवस्था न हो, तो मनुष्य स्वतंत्र होता हुआ भी परतंत्रता अनुभव करता है, उसे समझ ही नहीं आता कि चारों तरफ से अपनी स्वतंत्रता पर हो रहे प्रहारों से अपने को कैसे बचाये ? इस दृष्टि से आदि-काल से किसी-न-किसी प्रकार का शासन-व्यवस्था का सगठन बना ही रहा है। व्यक्ति, परिवार, गोत्र, जन-जाति अपना शासन करने की व्यवस्था करती रही है, इनकी शासन-व्यवस्थाओं को पारिवारिक, गोत्रीय या जन-जातीय शासन कहा जा सकता है, इसका आधार व्यक्ति, परिवार, गोत्र या जन-जाति की सुरक्षा करना रहा है। जब भूमि के विशेष भाग पर किसी जन-जाति का आधिपत्य हो गया, तब उस भू-खंड की रक्षा के लिए देश का विचार उत्पन्न हुआ, देश की रक्षा के लिए राज्य का विचार जन्मा। आदिकालीन पारिवारिक, गोत्रीय तथा जन-जातीय समाज में भी शासन-व्यवस्था थी, इसका आधार ‘रिश्तेदारी’ (Kinship relation) था, राज्य उत्पन्न होने के बाद देशीय समाज में भी शासन-व्यवस्था थी, इसका आधार ‘समान-देशीयता’ (Territorial relation) था। इसका यह मतलब नहीं कि ‘रिश्तेदारी’ (Kinship) की व्यवस्था में भूमि के स्वामित्व का सर्वथा अभाव था, ‘देशीय-प्रभुत्व’ (Territorial ownership) को शासन-व्यवस्था में से बिलकुल आँखों से ओझल कर दिया जाता था। इसका सिर्फ इतना अर्थ है कि आदिकालीन सरल शासन-पद्धति में क्योंकि भूमि का, सम्पत्ति का उतना महत्व नहीं हुआ था जितना पीछे की विकसित पद्धति में होगया, इसलिए

इस काल की शासन-पद्धति का निर्माण अधिकतर रिश्तेदारी के सबधों पर केन्द्रित रहता था। हम देख चुके हैं कि मानव का विकास फल-मूल एकत्रित करने की सरल तथा विकसित एवं कृषि तथा पशु-पालन की सरल तथा विकसित आर्थिक-व्यवस्था से हुआ है, इसलिए हम इन्हीं व्यवस्थाओं में शासन-पद्धति का विकास प्रत्येक आर्थिक-व्यवस्था में किस प्रकार हुआ, यह देखने का प्रयत्न करेंगे।

(क) फल-मूल एकत्रित करने वाली सरल आर्थिक व्यवस्था में गामन-पद्धति का स्वरूप—जैसा हमने अभी कहा, फल-मूल एकत्रित करने वाली जन-जातियों में भी भूमि का स्वामित्व पाया जाता है, परन्तु इनमें किसी व्यक्ति या किसी परिवार की अलग-अलग भूमि नहीं होती। यह भूमि मेरी है, यह तेरी है—यह भावना तो बहुत आगे चलकर विकसित हुई है, हमारे समाज में यही भावना है। उस काल में भूमि किसी एक व्यक्ति या एक परिवार की न होकर सारे समुदाय की थी, सब का भूमि पर साझा स्वामित्व था, इसलिए किसी व्यक्ति-विशेष का भूमि पर स्वामित्व नहीं था। एक-एक जन-जाति की भूमि ४,००० से १०,००० हजार वर्ग-मील तक की समझी जाती थी। टैसमेनियन, वुशमैन, वेड्डा, वोटोकुडो, फ्यूजियन तथा ऑस्ट्रेलियन—इन सब जन-जातियों में भूमि पर सब का सामूहिक प्रभुत्व था और भू-खड भी बहुत बड़ा था। जिस भू-खड पर जिस जन-जाति का प्रभुत्व था, वह अन्य जन-जाति के लोगों को भी मालूम होता था। इन भू-खडों का विभाग प्राकृतिक सीमाओं से किया जाता था। एक तरफ नदी, दूसरी तरफ पहाड़, तीसरी तरफ जंगल या मैदान—इस प्रकार की सीमाओं से भू-खडों का विभाग होता था। अगर जन-जाति में परिवारों के बीच भू-खडों को बाँटा जाता था, तो एक परिवार को जो क्षेत्र शिकार या फल-मूल एकत्रित करने के लिए दे दिया जाता था, दूसरा परिवार उसमें नहीं घुसता था। अगर कोई दूसरी जन-जाति का व्यक्ति किसी जन-जाति के पारिवारिक भूखड में आकर उनके फल-मूल ले जाता था, तो सारा-का-सारा समूह मिल कर इनका प्रतिकार करता था क्योंकि परिवारों को भी तो जन-जाति ने ही भू-खड दिया होता था। टैसमेनियन जन-जाति के भू-खड में किमी दूसरे के आने का अभिप्राय लड़ाई के सिवाय और कुछ नहीं था। ऑस्ट्रेलियन जन-जाति के फल-मूल के क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आ घुसता था, तो दोनों जन-जातियों में घमासान लड़ाई छिड़ जाती थी।

किसी पारिवारिक-क्षेत्र में दूसरी जन-जाति के आ घुसने से सारी-की-सारी जन-जाति युद्ध के लिए तैयार हो जाती थी—इसका यही कारण है कि फल-मूल एकत्रित करने वाली सरल आर्थिक-व्यवस्था में नामाजिक-संगठन समाजवादी ढंग पर होता था, सब मिल कर समाज के अग वनते थे, हर व्यक्ति के पालन-पोषण, खान-पान को जिम्मेदारी नारे समाज पर थी, और इसलिए सारा-का-सारा समाज अपनी जन-जाति, अपने परिवारों के लिए सुरक्षित वन-क्षेत्र की हर तरह से सुरक्षा करने के लिए मरने-मिटने को कटि-बद्ध रहता था। इन जन-जातियों में अगर किसी प्राणी का शिकार किया जाता था, तो प्रया के अनुसार

शिकार की एक टांग अगर शिकारी के पिता की समझी जाती थी, तो दूसरी उसके मामा की, पूँछ उसकी बहिन की, कन्धे उसके भाई के और जिगर उसका अपना समझा जाता था। नगारिगो जन-जाति में शिकार का सिर तो उसे मिलता है जिसने शिकार मारा है, परन्तु उसका बाकी का सारा हिस्सा उसके निकट के सबधियों और जो सबधी बिल्कुल नहीं हैं उनमें बाँट देने की प्रथा है।

इस प्रकार हमने देखा कि फल-मूल एकत्रित करने वाली आर्थिक-व्यवस्था में जमीन सब की साझी और भोजन सब का साझा था, सब-कुछ व्यक्ति का न होकर समाज का, समुदाय का होता था। अगर ऐसा था, तो उस समय क्या किसी की कुछ निजी सम्पत्ति भी थी? अगर सम्पत्ति का आजकल का अर्थ लिया जाय, अगर सम्पत्ति का अर्थ यह समझा जाय कि किसी वस्तु पर व्यक्ति का अखड, अक्षुण्ण अधिकार, तो इस अर्थ में इस आर्थिक-व्यवस्था में 'निजी-सम्पत्ति' (Private property) भी नहीं थी। अस्त्र-शस्त्र, कपडे, वर्तन—इतना तो निजी सम्पत्ति कहा जा सकता है, परन्तु इसके अतिरिक्त इन लोगों में 'निजी-सम्पत्ति' का विचार बिल्कुल नहीं था। फिसोन तथा होवित (Fison and Howitt) का कथन है इन लोगों में व्यक्ति की पृथक्-सत्ता को ही स्वीकार नहीं किया जाता, व्यक्ति के अपने स्वतंत्र रूप से कोई अधिकार नहीं, इसलिए 'वैयक्तिक-सम्पत्ति' का भाव भी इनमें पैदा नहीं हो सकता। कई जन-जातियों में तो 'मे' तथा 'मेरा'—ये शब्द ही नहीं पाये जाते, 'मैं' की जगह 'हम' और 'मेरा' की जगह 'हमारा' शब्द ही पाये जाते हैं जिसका अर्थ यह है कि इनमें 'निजी-सम्पत्ति' की भावना नहीं पैदा होती।

ऐसी आर्थिक-व्यवस्था में 'जन-तांत्रिक' (Democratic) तथा 'समाज-वादी' (Socialistic) शासन-पद्धति के सिवाय दूसरी कौन-सी शासन-पद्धति हो सकती थी? फल-मूल एकत्रित करने वाली सरल आर्थिक-व्यवस्था में थोड़े लोग होते थे, सब साथ मिल कर रहते थे, और इनके जन-तंत्र में सब एक-साथ बैठ कर हर मामले का फैसला कर लेते थे। यह ठीक है कि वृद्ध लोगों का अनुभव ज्यादा होता है, इस बात को इनकी शासन-पद्धति में भी स्वीकार किया जाता था, और इसीलिए कई लोग इस पद्धति को 'जरा-राज्य' (Gerontocracy<sup>1</sup>) का नाम देते हैं, अर्थात् वृद्ध लोगों का राज्य। इसमें सन्देह नहीं कि जहाँ सब को समान अधिकार होंगे, वहाँ खुद-ब-खुद लोग वृद्ध लोगों की बात को अपने-आप महत्व देंगे, इसलिए देंगे क्योंकि उनका अनुभव दूसरों से ज्यादा होता है। कृषि-सबधी सरल अर्थ-व्यवस्था में भी गाँव के सब लोग साथ मिल-बैठ कर हर बात का निर्णय करते हैं, क्योंकि उनमें भी जन-तंत्र तथा समाजवाद का ही बोल-बाला होता है। इन आर्थिक-व्यवस्थाओं में 'निजी-सम्पत्ति' नहीं बनी होती, इसलिए 'निजी-सम्पत्ति' के आधार पर उठने वाली विभिन्न शासन-पद्धतियाँ इस समय तक जन्म

1 Gerontocracy = Greek word *Geron*, an old man  
संस्कृत जरा = वृद्धावस्था), *Kratos*, power (संस्कृत ऋतु = शक्ति)

नहीं लेतीं। फल-मूल एकत्रित करने वाले तथा सरल कृषि-व्यवस्था वाले जन-समाज में मुखिया, नवरदार, जमींदार, राजा आदि नहीं बने होते, 'निजी-सम्पत्ति' नहीं बनी होती, इसलिए उत्तराधिकार के जटिल नियम भी नहीं बने होते, और सब निर्णय 'महाजनों येन गत स पन्या' के अनुसार होते हैं, जन-तंत्र के आधार पर होते हैं। एस्किमो जन-जाति के विषय में तो प्रसिद्ध है कि अगर किसी के पास दो किशतियाँ हो और उनमें में कोई एक किशती उधार ले ले, तो इस किशती को वापस करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए नहीं होती क्योंकि जिससे किशती उधार ली गई है, उसके पास दो किशतियाँ हैं। ऐसी अवस्था में अगर यह भी कह दिया जाय कि आदिकालीन सरल आर्थिक-व्यवस्था में 'समाजवाद' होता है, तो कोई अत्युक्ति नहीं।

(ख) कृषि मवधी सरल अर्थ-व्यवस्था अथवा वागवानी आदि में शासन-पद्धति का स्वरूप—कृषि-युग से पहले जब अभी फल-मूल एकत्रित करने की सरल अर्थ-व्यवस्था चल रही थी, तब कहीं-कहीं ऐसे पेड़-वनस्पति बोये जाते थे जिन के फल जन-जातियों के खाने के काम आते थे। ऐसी कृषि-संबंधी सरल अर्थ-व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया, मलेनेशिया, न्यूगिनी के दक्षिण-पश्चिम तटवर्ती प्रदेशों में पायी जाती है। न्यूगिनी में साबूदाना, ऑस्ट्रेलिया में जिमीकन्द तथा अन्य प्रदेशों में इन्नी प्रकार के कन्द-मूल बोये जाते हैं। इन सरल कृषि-संबंधी अर्थ-व्यवस्था की जन-जातियों में भूमि-संबंधी व्यवस्था फल-मूल एकत्रित करने वालों की व्यवस्था से कुछ भिन्न है। इस व्यवस्था में भी भूमि का स्वामित्व व्यक्ति के हाथ में न होकर समूह तथा समुदाय के हाथ में होता है, परन्तु सिर्फ उसी भूमि का स्वामित्व होता है, जहाँ कन्द-मूल बोये जाते हैं। आखिर, कृषि के लिए वही जमीन तो फायदेमन्द होती है जहाँ कृषि हो सकती है। यह भूमि किसी व्यक्ति की नहीं होती, मारे समुदाय की साक्षी होती है। इस भूमि का क्षेत्र भी बहुत विस्तीर्ण होता है। कई-कई लेखकों ने तो लिखा है कि मत्तूर मील तक का क्षेत्र एक ही वनस्पति या जड़-मूल के बोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इसमें काम सवने मिल कर करना होता है, ये एक प्रकार के सामूहिक-फार्म होते हैं, इसलिए इतने बड़े क्षेत्र में सब के सहयोग ने कृषि करना कठिन भी नहीं होता। जहाँ फसल कट कर इकट्ठी होती है वह जगह मुख्य रूप धारण कर लेती है, वहाँ मव लोग जमा होने हैं, मकान भी उसी जगह के आस-पास बनाये जाते हैं। इस अर्थ-व्यवस्था में फल-मूल की अर्थ-व्यवस्था में जन-मरणा भी अधिक होती है, कहीं-कहीं हजार तक पहुँच जाती है।

फल-मूल वाली अर्थ-व्यवस्था में तो एक जन-जाति की भूमि में दूसरा नहीं आ सकता था, परन्तु इस अर्थ-व्यवस्था में यह बात नहीं होनी। कभी-कभी दूसरी जन-जातियों को फसल कटने के समय निमन्त्रित किया जाता है, और जब सभी जहरत से ज्यादा पंदावार हो जाती है, तो साथ की कुट्टम्यो जन-जातियों में

ज्यादा पैदावार बांट दी जाती है। जब फल पकते हैं, तो कभी-कभी सौ-सौ मील से दूसरी जातियों के लोग इस जशन में भाग लेने आते हैं।

यह अर्थ-व्यवस्था भी जन-तांत्रिक, समाजवादी तथा कम्यूनिस्ट सिद्धान्तों पर खड़ी हुई है। इसमें 'निजी-सम्पत्ति' का विचार नहीं होता, सारी सम्पत्ति समाज तथा समूह की मानी जाती है। इस अर्थ-व्यवस्था में मुखिया, सरदार, राजा आदि अभी नहीं बने होते यद्यपि इन विचारों का बीज पड़ने लगता है।

(ग) फल-मूल एकत्रित करने की विकसित अर्थ-व्यवस्था में ग्रामन-पद्धति का स्वरूप—जब फल-मूल एकत्रित करने की अर्थ-व्यवस्था विकसित होने लगती है, तब इस व्यवस्था में कुछ मुखिया, सरदार, बड़े उठ खड़े होते हैं। जहाँ शिकार ज्यादा मिलता है, उस क्षेत्र को वे अपना घोषित कर देते हैं, जहाँ मछली ज्यादा मिलती है उस नदी-तालाब पर वे अपना स्वामित्व जमा लेते हैं। ये क्योंकि समाज के मुखिया होते हैं, इसलिए बिना काम किये भी दूसरे लोगों से अपने-अपने क्षेत्रों में शिकार करने या मछली पकड़ने का मुआविजा लेने लगते हैं। किसी पर जुर्माना, किसी से कर—इस प्रकार इनकी 'निजी-सम्पत्ति' बढ़ने लगती है। फल-मूल तथा कृषि-सबधी सरल अर्थ-व्यवस्था में तो 'निजी-सम्पत्ति' होती ही नहीं, जो भी सम्पत्ति होती है सारे समूह की होती है, परन्तु फल-मूल एकत्रित करने की विकसित अर्थ-व्यवस्था में जब जगलो, नदी-तालाबों, घाटियों पर इन गिरोहों के सरदारों का आधिपत्य हो जाता है, तब 'निजी-सम्पत्ति' का विचार सिर उठाने लगता है। इस आर्थिक-व्यवस्था में सरदार लोग अपने सहायकों के साथ दूसरों के इलाकों पर छापे मारते हैं, उनके क्षेत्र अपने अधिकार में करने लगते हैं, कुछ को पकड़ लाते हैं, उनसे दासों का काम लेते हैं। यह आर्थिक-व्यवस्था 'निजी-सम्पत्ति' को अपना आधार बना लेती है, सम्पत्ति की रक्षा के लिए इन समुदायों के मुखिया 'जन-तांत्रिक' तथा 'समाजवादी' शासन-पद्धति को छोड़कर जिस पद्धति में राजा-महाराजा शासन करते हैं, उस पद्धति को जन्म देते हैं। इस पद्धति में मुखिया की इच्छा ही विधान हो जाती है, वही कानून हो जाती है, समुदाय की इच्छा उसके सामने कुछ नहीं रहती। इस आर्थिक-व्यवस्था में राजाओं द्वारा शासन की पद्धति का बीज पड़ जाता है।

(घ) कृषि तथा पशु-पालन सबधी विकसित आर्थिक-व्यवस्था में शासन-पद्धति का स्वरूप—कृषि तथा पशु-पालन सबधी विकसित आर्थिक-व्यवस्था में जन-तंत्र तथा समाजवाद आदि की जगह सम्पत्ति तथा व्यक्तिवाद ने स्थान लेना शुरू कर दिया। अब भी साक्षी जमीनें थीं, अब भी उस काल के अवशेष थे जब व्यक्ति की अपेक्षा समूह का मुख्य स्थान था, परन्तु व्यक्तिवाद का जो बीज विकसित फल-मूल की आर्थिक-व्यवस्था में बो दिया गया था, वह कृषि तथा पशु-पालन की आर्थिक-व्यवस्था में फलने-फूलने लगा। अब भी चरागाह सारी जन-जाति की मिलकियत थे, परन्तु समाजवाद की यह धुन्धली रेखा प्राचीन समाजवाद के अवशेष के रूप में रह गई थी। इस काल में 'निजी-सम्पत्ति' बढ़ने लगी, धनी-

निर्धन का वर्ग बन गया, श्रेणी-विभाजन तथा वर्ग-विभाजन स्पष्ट रूप में प्रकट हो गया। इस समय जो मुखिया थे उनकी इच्छा शासन का मुख्य आधार बन गई, परन्तु फिर भी जैसे आदिकालीन-व्यवस्था में बड़े-बूढ़ों की सलाह से काम होता था, वैसे इस व्यवस्था में भी जन-जाति का मुखिया कुछ बड़े-बूढ़ों की सलाह से काम करने लगा। मुखिया की यह सलाहकार-समिति आगे चलकर राजा के मन्त्रिमण्डल के रूप में परिणत हो गई। इस आर्थिक-व्यवस्था में राजा, मन्त्री, मन्त्रिमण्डल—इन सगठनों का निर्माण शुरू हो गया। इस समय का शासन जन-तांत्रिक न होकर उन लोगों के हाथ में आ गया, जो प्रजावादी न होकर राजवादी थे, जिनके पास जमीन थी, पशु थे, दास थे। ये लोग मुखिया, राजा, महाराजा, सम्राट्—न-जाने किस-किस नाम से पुकारे जाते थे। इन्होंने पुलिस-फीज रखनी शुरू की। पुलिस का काम ज़बर्दस्ती कर तथा जुर्माने वसूल करना था। ये लोग जज, मैजिस्ट्रेट तैनात करते थे, जो इनकी इच्छानुसार बनाये गये कानूनों के अनुसार न्याय-व्यवस्था चलाते थे। ये राजे-महाराजे वश-परपरा में चलने लगे और आदिकालीन शासन-व्यवस्था के स्थान में नवीन आर्थिक-व्यवस्था के परिणामस्वरूप एक नवीन शासन-पद्धति ने जन्म ले लिया।

#### ६. जन-जातियों में शासन-पद्धतियाँ (Governments in the Tribal world)

हमने देखा कि विधान क्या है, विधान के अनुसार भिन्न-भिन्न आर्थिक-व्यवस्थाओं में किस-किस प्रकार की शासन-पद्धति जन्म लेती है। भारत की तथा अन्य देशों की जन-जातियों में किस-किस प्रकार की शासन-पद्धतियों ने जन्म लिया, इसे उदाहरणों द्वारा अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है। हम यहाँ कुछ जन-जातियों की शासन-पद्धतियों का वर्णन करेंगे।

(क) कमार जन-जाति की शासन-पद्धति—यह मध्य-प्रदेश की फल-मूल एकत्रित करने तथा कृषि एवं पशु-पालन की आदिकालीन अर्थ-व्यवस्था की जन-जाति है। जहाँ भारतीय शासन-पद्धति के अनुसार कल्ल के लिए प्राण-दंड दिया जायेगा, वहाँ इनकी शासन-पद्धति में, अगर कातिल विरादरी को बड़े पैमाने पर भोज दे तो उसे छोड़ा जा सकता है। किसी अपराध में विरादरी को भोज देना—इस प्रकार का प्रायश्चित्तीय-दंड जन-जातियों में प्रायः पाया जाता है। दूसरी जन-जातियों की फसल काट लाना या सरकारी निषिद्ध जंगल से कुछ उड़ा लाना इनके यहाँ अपराध नहीं माना जाता। जहाँ दो व्यक्तियों में झगड़ा खड़ा हो जाय, तो द्वन्द्व-युद्ध से उसका फैसला किया जाता है। जन-जातियों प्रयाओ का उल्लंघन करने वाले को दंड देने के लिए पचायत बैठनी हैं, और सब मिल कर अपराधी को दंड देते हैं। अगर यह समझा जाय कि इस अपराध का दंड भगवान् देंगे, तो अपराधी को अपने भाग्य पर छोड़ भी दिया जाता है। प्रचलित विचार यही है कि अपराध का दंड आगे जाकर मिलता है। भाई-



बहन या अत्यन्त निकट के रुधिर-संबंधियों के यौन-संबंध का दंड तो मृत्यु के बाद उस लोक में अवश्य मिलता है, फिर भी इस लोक में भी जो ऐसे विवाह करते हैं, उन्हें विरादरी से निकाल दिया जाता है, कभी-कभी गांव से भी निकाल बाहर कर दिया जाता है। देवताओं की पूजा करना सब के लिए आवश्यक है, परन्तु जो नहीं करते, उन्हें कोई दण्ड नहीं दिया जाता, यह समझा जाता है कि इनके साथ देवता लोग उस लोक में स्वयं निवृत्त लेंगे।

हर जन-जातीय प्रथा अथवा कानून को तोड़ने वाले को दंड देने के लिए बार-बार पचायत के बैठने की आवश्यकता नहीं समझी जाती। समुदाय के वृद्ध-जनो का अपराधी के कार्य के प्रति रोष प्रकट कर देना काफी होता है, इतने से ही लोग ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार कर देते हैं। गम्भीर अपराधो के निर्णय के लिए पचायत बैठती है। पुरानी प्रथाओ तथा पुराने चलन के विरुद्ध चलना गम्भीर अपराध माना जाता है। जन-जाति में कई वस्तियाँ या गांव होते हैं। हर वस्ती अपनी-अपनी पचायत बना लेती है, पचायत का मुखिया सरपच कहलाता है, कई गाँवों के सरपच मिल कर बड़ा सरपच बना लेते हैं जिसे 'कुरहा' कहते हैं। एक चपरासी भी होता है जो पचायत भरने की तारीख, स्थान तथा उद्देश्य आदि की सब जगह सूचना पहुँचाता है। केवल वृद्ध लोग पचायत के सदस्य हो सकते हैं। बच्चे, युवा तथा स्त्रियाँ पचायत की सदस्य नहीं हो सकतीं। पचायत के निर्णय सर्व-सम्मति या बहु-सम्मति से किये जाते हैं। पचायत में इकट्ठे होने वाले सब अपनी-अपनी बात कह सकते हैं, परन्तु निर्णय सब का मिलकर होता है। पचायत से ऊपर कोई अधिकारी नहीं होता। झगड़े के दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है, साक्षी पेश किये जाते हैं, अपराधी को अपनी सफाई देने का अवसर दिया जाता है। अपराध करने वाले के इरादे की छान-बीन नहीं की जाती, अपराध के परिणाम की तरफ ध्यान दिया जाता है। अगर अपराध हुआ है, चाहे बिना जाने भी क्यों न हो गया हो, अचानक, बिना इरादे के हुआ हो, उसका दंड अवश्य दिया जाता है। अनेक अपराध विरादरी को भोज देने से माफ कर दिये जाते हैं। भोज में क्या-क्या देना पड़ेगा—यह पचायत लिखाती है। अगर अपराधी के पास इतना रुपया न हो, तो वह भोज्य-पदार्थों को कुछ कम करवाने की प्रार्थना कर सकता है। जबतक वह भोज नहीं दे देता तब तक दंड जारी रहता है, अगर उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया गया है, तो भोज देने तक वह विरादरी में शामिल नहीं किया जाता। कमार लोगों में जो कृत्य अपराध माने जाते हैं, उनमें से कुछ ये हैं—व्यभिचार, जादू-टोना करना, नीच जात के साथ खाना खा लेना, घोड़े को छूना या घोड़े पर चढ़ना, काला-जादू, गो-हत्या या बैल को मारना, फोड़े में कीड़े पड़ जाना, नीच जात वाले से मार खा जाना, चार पति बदल कर पाँचवाँ पति करना, बिना विवाह के किसी के साथ भाग जाना, बहिर्विवाही प्रतिबन्धो को तोड़ना आदि। क्योंकि जन-जातियों में 'अपराध' को एक तरह से 'पाप' माना जाता है, इसलिए इन्हें छिपाने का कोई यत्न नहीं करता और हर कोई अपने-आप विरादरी को

जुर्माना या भोज देकर इन पापों का प्रायश्चित्त करना चाहता है। विरादरी के बड़े-बूढ़े ही जन-जाति के कानूनों के रक्षक माने जाते हैं, वे ही झगड़े लड़े होने पर उनका निपटारा करते हैं।

(ख) खडिया जन-जाति की शासन-पद्धति—यह भी फल-मूल एकत्रित करने वाली एव कृषि तथा पशु-पालन करने वाली आदि-कालीन अर्ध-व्यवस्था की ओड़ीसा तथा बिहार की जन-जाति है। ये लोग जगलों तथा पहाड़ों में फल-मूल तथा शिकार की तलाश में भटकते फिरा करते हैं। ये आठ-दस परिवारों के समूह में रहते हैं, कहीं-कहीं अधिक परिवारों की वस्तियाँ भी पायी जाती हैं। इनका एक मुखिया होता है, वही सब बातों का निपटारा करता है, परन्तु अपना निर्णय करने में भिन्न-भिन्न परिवारों के बड़े-बूढ़ों की उसे सलाह लेनी होती है। ये बड़े-बूढ़े मिल कर पचायत कहते हैं। मुखिया तथा पचायत मिल कर ही सब फैसले करते हैं। पचायत ने सब से बड़ा दंड देना हो तो अपराधी का बहिष्कार कर देती है। खडिया जन-जाति के बाहर यौन-संबंध, अपने गोत्र में विवाह, इरादतन या बिना इरादे का गौ या बिल का वध—ये अपराध बहिष्कार के लिए काफी हैं। छोटे अपराधों के प्रायश्चित्त के तौर पर अपराधी को सफेद मुर्ग या बकरे का सूर्य के नाम पर बलि चढ़ा कर उसका खून पीना पड़ता है और पचायत के सदस्यों को शराब पिलानी पड़ती है। जिन लोगों को विरादरी से निकाला गया होता है, उन्हें भिन्न-भिन्न गाँवों की पचायतें मिल कर फिर से अपने में शामिल कर सकती हैं, परन्तु इसके लिए विरादरी को एक बड़ा भोज देना पड़ता है। पचायत ही इस जन-जाति की शासन-पद्धति को सुरक्षित रखने वाली सस्था है।

(ग) पौलीनेशिया की समोआ जन-जाति की शासन-पद्धति—पौलीनेशिया में अनेक जन-जातियाँ हैं, जो एक-साथ कृषि तथा पशु-पालन के स्तर पर हैं। इनमें से समोआ जन-जाति का अनेक मानव-शास्त्रियों ने अध्ययन किया है, इसलिए हम इसी जन-जाति की शासन-पद्धति की यहाँ चर्चा करेंगे। इस 'जन-जाति' (Tribe) में कई 'गोत्र' (Clans or Sibs) पाये जाते हैं। प्रत्येक गोत्र का अपना-अपना भू-भाग निश्चित है। जन-जाति में अनेक गाँव आ जाते हैं और इन गाँवों में इस जन-जाति के भिन्न-भिन्न गोत्र के लोग अपने-अपने गोत्र के साथ रहते हैं।

समोआ जन-जाति में राजनैतिक दृष्टि से शासन की इकाई गाँव है। पौलीनेशिया में बड़े-बड़े राजनैतिक-संगठन नहीं पाये जाते। गाँव का शासन किसी की स्वेच्छा-चारिता पर नहीं चलता, अपितु जन-तांत्रिक प्रणाली पर चलता है। प्रत्येक गाँव की एक गाँव-सभा होती है, जो गाँव में ही भरती है। इन गाँव-सभाओं के कुछ अनुभवी, बड़े-बूढ़े सदस्य होते हैं जिन्हें मताई कहा जाता है। अमल में, फैसला इन्हीं मताई लोगों के हाथ में होता है। गाँव-सभा का मुखिया इन मताई लोगों से सभा भरने से पहले बात-चीत कर लेता है और इनकी जैसी सम्मति होती है, सभा के सब सदस्यों की वैसी सम्मति डालने का प्रयत्न करता है।

मताई लोगों को सभा भरने से पहले लोग अपने-अपने पक्ष से प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। गाँव-सभा में उन्हीं बातों पर विचार होता है जिनका सबध समुदाय से होता है या जो मामले सार्वजनिक हित के होते हैं। अगर गाँव के मुखिया का उपहास किया जाय, कोई दूसरी वार चोरी करे, अनाचार अर्थात् भाई-बहन या खून के रिश्ते में यौन-सबध की शिकायत हो, दो मताई का आपसी झगडा हो, तो ये मामले गाँव-सभा में लाये जाते हैं, दूसरे झगडो को मताई या परिवारों के बड़े-बूढ़े पच वन कर स्वयं निपटा लेते हैं। इस जन-जाति में दण्ड कई प्रकार का है। जुर्माना, कुछ दिन दास की तरह सेवा करना, सम्पत्ति का अपहरण, बहि-निष्कासन, धूप में खडा रखना, फाँसी पर लटका देना—ये सब इनके दण्ड-विधान के भिन्न-भिन्न प्रकार हैं। फाँसी से बचने के लिए अपराधी किसी भी मताई से रक्षा की भिक्षा माँग सकता है। वह मताई उसे अपने घर में रक्षा दे या न दे—यह मताई के गाँव में अपने प्रभाव पर निर्भर रहता है। जो प्रभावशाली होता है वह रक्षा दे देता है, जो प्रभावशाली नहीं होता वह लाचारी प्रकट कर देता है।

# आदिकालीन-कला—मूर्ति-निर्माण तथा चित्र-निर्माण

(PRIMITIVE ART — PLASTIC AND GRAPHIC)

## १. कला क्या है ?

(क) कला सौन्दर्यपूर्ण-अभिव्यक्ति का नाम है—बाह्य-परिस्थिति को देख कर मनुष्य के भीतर, उसके मन में जो प्रतिक्रिया होती है, उसे वह दूसरे तक पहुँचाने के लिए प्रकट करता है। इसी प्रकार की एक 'अभिव्यक्ति' (Expression) भाषा है। जब तक यह अभिव्यक्ति साधारण तौर पर सामान्य-अभिव्यक्ति होती है, तब तक यह कला का रूप नहीं धारण करती। परन्तु मनुष्य में जैसे 'भाव-अभिव्यक्ति' की आकांक्षा है, वैसे यह भी आकांक्षा है कि वह अपनी अभिव्यक्ति को सुन्दरता का रूप दे। जब मनुष्य की अभिव्यक्ति में सुन्दरता का पुट मिल जाता है, तब यही अभिव्यक्ति 'कला' (Art) का रूप धारण कर जाती है। इस दृष्टि से 'कला' का क्या अर्थ है ? 'कला' का अर्थ है—'सौन्दर्यपूर्ण अभिव्यक्ति'। 'सौन्दर्यपूर्ण अभिव्यक्ति' को जब 'गद्य' (Prose) की भाषा में प्रकट करते हैं तब 'पौराणिक-आख्यानों' और 'दन्त-कथाओं' (Mythology and folktale) की उत्पत्ति हो जाती है, जब 'पद्य' (Poetry) की भाषा में प्रकट करते हैं तब 'संगीत-कला' (Art of music and song) की उत्पत्ति हो जाती है, जब 'सौन्दर्यपूर्ण अभिव्यक्ति' को भाषा में प्रकट न कर 'गति' (Movement) में प्रकट करते हैं तब 'नृत्य-कला' (Art of dance) की उत्पत्ति हो जाती है, जब 'सौन्दर्यपूर्ण अभिव्यक्ति' को 'आकृति' (Form) में प्रकट करते हैं तब 'मूर्ति-निर्माण-कला तथा चित्र-कला' (Plastic and Graphic art) की उत्पत्ति हो जाती है। हम आदिकालीन पौराणिक-गाथाओं तथा कथानकों एवं आदिकालीन संगीत तथा नृत्य पर अगले अध्यायों में लिखेंगे, इन अध्यायों में हम आदिकालीन मूर्ति-निर्माण तथा चित्र-कला पर ही प्रकाश डालेंगे।

(ख) मूर्ति-निर्माण तथा चित्र-निर्माण कला में भेद—वैसे तो जैसा हमने लिखा 'कला' एक विस्तृत शब्द है, परन्तु हम इस अध्याय में कला का सिर्फ मूर्ति-निर्माण तथा चित्र-निर्माण के अर्थ में प्रयोग करेंगे। रेखाओं, धरातल तथा रंग में सौंदर्य डाल देने को मूर्ति-निर्माण तथा चित्र-कला कहते हैं, ध्वनि तथा शब्द में समता

डाल देने तथा माधुर्य घोल देने को सगीत-कला कहते हैं, गति में सगीत-यन्त्रों के साथ ताल-लय मिला देने को नृत्य-कला कहते हैं। इन सब में सौन्दर्य का पुट देना आवश्यक है। मूर्ति-निर्माण तथा चित्र-कला—ये दोनों एक ही कला के दो पहलू हैं। रेखाओ, धरातल तथा रंगों के मेल से 'आकृति' बनती है। यह 'आकृति' दो तरह की होती है। एक आकृति को त्रिपाश्व (Three dimensional) तथा दूसरी को द्वि-पाश्व (Two dimensional) आकृति कह सकते हैं। 'त्रि-पाश्व-आकृति' वह है जिसमें हमें वस्तु की लम्बाई-चौड़ाई-गहराई—इन तीनों का ज्ञान होता है। उदाहरणार्थ, हमारे हाथ में एक टोकरा है, बर्तन है, जेवर है, एक मूर्ति है। इनके तीन पहलू हैं। इनमें से हर-एक की लम्बाई भी है, चौड़ाई भी है, गहराई भी है। गणित की दृष्टि से इनका परिमाण निकाला जाय, तो उसे घन-इंच या घन-फुट कहेंगे। इस प्रकार की वस्तुओं को 'मूर्ति' कहते हैं। इनका निर्माण कला की दृष्टि से 'मूर्ति-निर्माण-कला' (Plastic art) कहाता है। आदिकालीन-समाज में हम देखते हैं कि वे बर्तन बनाते थे, टोकरियाँ बनाते थे, सुन्दर-सुन्दर जेवर बनाते थे, देवताओं की मूर्तियाँ भी बनाते थे। आदिकालीन-कला का अध्ययन करते हुए हमें इन सब का अध्ययन करना होगा। 'द्वि-पाश्व आकृति' वह है जिसमें वस्तु की गहराई नहीं होती, सिर्फ लम्बाई तथा चौड़ाई होती है, और हमें वस्तु की सिर्फ लम्बाई-चौड़ाई का ज्ञान होता है। उदाहरणार्थ, दीवार पर पाषाण पर बना एक चित्र है। इस चित्र में वस्तु के सिर्फ दो पहलू दिखाई देते हैं। एक लम्बाई दिखाई देती है, दूसरी चौड़ाई, इस चित्र में वस्तु की गहराई दिखाई नहीं देती। गणित की दृष्टि से चित्र का परिमाण निकाला जाय, तो उसे वर्ग-इंच या वर्ग-फुट कहेंगे, घन-इंच या घन-फुट नहीं कहेंगे। इस प्रकार की वस्तुओं को 'चित्र' कहते हैं। चित्रों का निर्माण कला की दृष्टि से 'चित्र-निर्माण-कला' (Graphic art or Painting) कहाता है। आदिकालीन-समाज में हम देखते हैं कि वे गुफाओं में, चट्टानों पर, बर्तनों, टोकरियों तथा मूर्तियों पर इस प्रकार के चित्र बनाये जाते थे। आदिकालीन-कला का अध्ययन करते हुए हमें इन चित्रों की तरफ भी ध्यान देना होगा। इस प्रकार जिस कला का हम वर्णन करेंगे उसमें मूर्ति-निर्माण-कला (Plastic art) तथा चित्र-कला (Graphic art), दोनों का जगह-जगह उल्लेख किया जायगा।

## २. कला की उत्पत्ति

'कला' की उत्पत्ति कैसे हुई—इस सबध में भिन्न-भिन्न विचार हैं। कला की उत्पत्ति के सबध में एक विचार विकासवादियों का है। इनका विचार तो हर प्रकार की कला पर लागू होता है। चाहे वह कथा-कथानक हो, चाहे सगीत ही, चाहे मूर्ति-निर्माण या चित्र-कला हो। दूसरे विचार का सबध विशेष तौर पर चित्र-निर्माण के साथ है। इनका कहना है कि आदिवासियों का चित्र-निर्माण बच्चों के ढग का है। हम पहले इस दूसरे तथा बाद को विकासवादियों के विचार पर प्रकाश डालेंगे।

(क) आदिवासियों का मूर्ति तथा चित्र-निर्माण बच्चों के ढग का है (Primitive art compared to work of children)—कुछ लोगों का कहना है कि जैसे बच्चे चित्र बनाते हैं, वैसे ही आदिवासियों का मूर्ति तथा चित्र-निर्माण है। परन्तु बच्चों के चित्र-निर्माण को आदिवासियों के चित्र-निर्माण से तुलना नहीं की जा सकती। वह बच्चा जिसने मूर्ति-कला तथा चित्र-कला में शिक्षा नहीं प्राप्त की, जब मूर्ति अथवा चित्र बनाने बैठता है, तो जो-कुछ उसे दीखता है उसकी नकल करने लगता है। कई चीजें ऐसी भी उसमें डाल देता है जो उम्र वस्तु में नहीं होती, परन्तु जिन्हें वह अपने बालपन की कल्पना में समझता है कि उसमें है। इसके अतिरिक्त वस्तु में जिस चीज को वह स्वयं मुख्य समझता है उसी को चित्र में डालता है, बाकी सब छोड़ देता है। अपने चित्रों को वह अलंकृत नहीं करता। आदिवासियों की मूर्ति-निर्माण तथा चित्र-कला ऐसी नहीं है। उनकी कला में 'वस्तु' (Object) ही नहीं, 'विषय' (Theme) भी पाया जाता है, उनकी कला में 'रीति' (Style) भी पायी जाती है। वे सिर्फ जो चीज सामने आयी उसी की मूर्ति या उसी का बच्चे की तरह बिना मतलब के चित्र बनाने नहीं बैठ जाते थे, वे किसी विषय को अभिव्यक्त करने वाली वस्तु की मूर्ति बनाते और उसका चित्र खींचते थे। खुदाई में अनेक देवताओं की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, भिन्न-भिन्न भावों के चित्र मिले हैं। इसी प्रकार उनकी कला की अपनी रीति कही जा सकती है, जिस बात का बालक की कला में सर्वथा अभाव होता है। 'रीति' हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि चित्रों की जैसी प्रणाली आदिवासियों के चित्रों में पायी जाती है, वह वश-परपरा से चलती चली आती प्रतीत होती है, अनेक कालों के चित्रों तथा मूर्तियों में समानता है। अगर आदिकालीन चित्र-कला तथा बच्चों के चित्र-निर्माण में कुछ समानता दीखती है, तो इसका कारण यही है कि प्राचीन-युग के मानव के पास अपनी कला के लिए उपकरणों का सर्वथा अभाव था। वह घुस की जगह उँगली का प्रयोग करता था, बारीक उपकरणों की जगह अपने युग के पत्थर या इसी तरह की अन्य किसी वस्तु का प्रयोग करता था, मूर्ति तथा चित्र-निर्माण के लिए उसे उपयुक्त पदार्थ भी नहीं मिलता था।

(ख) कला की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यथार्थ में नाकेनिक चित्रण का विकासवादियों का सिद्धान्त (Evolutionary theory of art—'from Realism to symbolism')—कला के सवध में विकासवादियों के सिद्धान्तों में सब से प्रसिद्ध सिद्धान्त ए० सी० हड्डन (A C Haddon) का है। इनका कहना है कि शुरू-शुरू में आदिकालीन-मानव 'यथार्थ-चित्रण' करता था, जो चीज जैसी थी, उसे वैसा बनाने का यत्न करता था। 'यथार्थ-चित्रण' का यह अर्थ तो है ही नहीं कि जो चीज जैसी हो वैसी ही बना दी जाय। 'वस्तु' तथा उमकी 'मूर्ति' और 'चित्र' में भेद तो रहता ही है। वस्तु के अत्यन्त निकट की चीज आज-कल फोटो कही जा सकती है। फोटो वस्तु का अत्यन्त यथार्थ चित्र होता है, परन्तु फिर भी इन दोनों में भेद यह है कि वस्तु में तीन पार्श्व रहते हैं—लम्बाई-

चौड़ाई-गहराई, और फोदो में सिर्फ दो पाश्वर्य रहते हैं—लम्बाई तथा चौड़ाई । चित्र में गहराई नहीं होती । वस्तु तथा उसकी मूर्ति अथवा चित्र में दो भेद और पाये जाते हैं । पहला भेद तो यह है कि मूर्ति तथा चित्र निर्माण के जो साधन हैं, उपकरण हैं, वे हर काल में भिन्न-भिन्न होते हैं । कभी पत्थर के उपकरण थे, कभी धातु के बने । जिन पदार्थों से वस्तु की मूर्ति तथा चित्र बनाये जाते हैं, वे भी हर काल में भिन्न-भिन्न होते हैं । कभी पत्थर को गढ़ कर मूर्ति बनायी जाती थी—उस पर चित्र बनाया जाता था, कभी मट्टी की मूर्ति बनने लगी, उसके बर्तन बनने लगे, इन मूर्तियों तथा बर्तनों को गढ़ने के बजाय मट्टी के मुलायम होने के कारण गीले हाथ से सुधारा जाता था । उपकरण तथा पदार्थ भेद के कारण हर काल में 'यथार्थ-चित्रण' के होते हुए भी वस्तु तथा उसकी मूर्ति तथा चित्र में काल-काल का भेद रहता ही था । दूसरा भेद यह है कि चित्रण तो मनुष्य करता है, मनुष्य की अपनी कल्पना भी होती है । इस कल्पना की भी मूर्ति-कला तथा चित्र-कला पर कुछ छाया पड़ती रहती है । इन सब के कारण 'यथार्थ-चित्रण' में जो थोड़ा-बहुत अन्तर पड़ जाय वह तो पड़ता ही है, परन्तु फिर भी हैड्रन के कथनानुसार आविकालीन कला 'यथार्थवादी-कला' (Realistic art) होती है । इस कला में वस्तु के असली स्वरूप का यथार्थ-चित्रण करने का अधिक-से-अधिक प्रयत्न होता है । ऑस्ट्रेलिया की चित्र-कला में यथार्थ के साथ मेल रखने का इतना प्रयत्न किया जाता है कि अगर कगरू का चित्र बनाना हो, तो इतना ही नहीं कि चित्र की शकल-सूरत कगरू की बनाई जाती है, अपितु उसकी रीढ़, हृदय, पेट आदि सब बना दिये जाते हैं । हैदराबाद की चेंचु जन-जाति के किसी व्यक्ति से पेड का चित्र बनाने को कहा जाय, तो पेड के तने-शाखा-पत्ते के साथ-साथ वह उसकी जड़ों का भी साथ ही चित्र बना देता है । इस सब का यही अर्थ है कि आविकालीन-मानव का कला-सबधी विचार यथार्थवादी है । हैड्रन का कहना है कि ज्यों-ज्यों विकास होता जाता है, त्यों-त्यों कला 'यथार्थवाद' (Realism) से 'सकेतवाद' (Symbolism) की तरफ बढ़ने लगती है । सस्कृति-सवर्धन के अध्याय में हम लिख आये हैं कि विकासवादी लोगो का कहना है कि विकास एक सीधी रेखा में, एक ही दिशा में, 'एक-वैशिक-विकास' (Unilinear evolution) होता है । हैड्रन का कहना है कि कला के क्षेत्र में भी 'एक-वैशिक-विकास' ही होता है, 'यथार्थ' से 'सकेत' की तरफ विकास बढ़ता चला जाता है । ऐसा नहीं होता कि विकास की यह एक-वैशिक-रेखा कहीं टूट जाय, किसी जन-जाति में तो पहले 'यथार्थवाद' दिखाई दे, बाद को 'सकेतवाद' उत्पन्न हो, और किसी में पहले 'सकेतवाद' चले और पीछे 'यथार्थवाद' आये । 'सकेतवाद' (Symbolism) को स्पष्ट करने के लिए विकासवादियों ने अनेक शब्दों का प्रयोग किया है । 'औपचारिकवाद' (Conventionalism), 'सरलीकरण' (Simplification) आदि भिन्न-भिन्न शब्दों का प्रयोग 'सकेतवाद' (Symbolism) को स्पष्ट करने के लिए ही किया जाता है । इनका कहना है कि पहले तो यथार्थ-चित्रण करने का प्रयत्न किया जाता

है, परन्तु धीरे-धीरे यथार्थ का इतना महत्व नहीं रहता, कुछ सकेतो से ही यथार्थ की कल्पना कर ली जाती है, औपचारिक तौर पर यथार्थ को प्रकट करने के लिए उसका कुछ चिह्न चित्र में शेष रह जाता है, प्रारम्भिक चित्र को नये सकेत द्वारा सरल बना दिया जाता है। उदाहरणार्थ, शुद्ध, स्वच्छ तालाव को हीरे के सकेत से, साँप को टेढ़ी-मेढ़ी रेखा के सकेत से, पक्षी के उड़ने को पक्ष में अभिव्यक्त किया जाता है। जब कला 'यथार्थ-चित्रण' से 'साकेतिक-चित्रण', 'औपचारिक-चित्रण' या 'सरलीकरण' की तरफ आती है, तब हम कहते हैं कि कला का विकास हुआ, जब तक वह 'यथार्थ-चित्रण' की अवस्था में रहती है, तब तक वह आदिकालीन अवस्था में ही होती है। विकासवादियों का इसी आधार पर यह भी कहना है कि 'ज्यामितिक-चित्रण' (Geometric art) आदि-काल की नहीं, पीछे की कला है, क्योंकि ज्यामिति की कोनो वाली रेखाओं का विकास शुरू-शुरू में हो सकना संभव नहीं था।

अपने विकासवादी सिद्धान्त की पुष्टि में श्री हैडुन ने टैरेस के दरों (Torres Straits) से प्राप्त हुए वाणों का उदाहरण दिया है। इन वाणों पर मगरमच्छ के चित्र बने हैं। ये वाण अनेक हैं। कुछ वाणों पर तो मगरमच्छ की थूयन, सिर, हाथ-पैर, शरीर, पूंछ सब बना है, कुछ पर सिर्फ इन भागों के उपलक्षक चिह्न, सकेत ही रह गये हैं। हैडुन का कहना है कि ये वाण 'यथार्थ-चित्रण' से 'साकेतिक' या 'औपचारिक-चित्रण' के विकास के उदाहरण हैं।

(ग) कला की उत्पत्ति के संवध में विकासवादी सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of the Evolutionary theory of art)—अधिकांश मानव-शास्त्री कला की उत्पत्ति के संवध में विकासवादी सिद्धान्त को नहीं मानते। उनका कहना है कि 'यथार्थ-चित्रण' के लिए बहुत बारीक तथा नपे-तुले, सधे हुए उपकरणों की आवश्यकता है। इस प्रकार के उपकरण आदिकालीन-मानव के पास थे ही नहीं। उस समय के मानव के प्राविधिक-उपकरण बहुत भोंडे तथा अघड थे, सुयरे उपकरण नहीं थे। इन उपकरणों से यथार्थ-चित्रण हो ही नहीं सकता था। इसके अतिरिक्त अगर उस समय की मूर्ति-कला तथा चित्र-कला का बारीकी से अध्ययन किया जाय, तो पश्चिमी-यूरोप के कुछ ही इने-गिने प्रदेशों की चित्र-कला, न्यूगिनी की सगतराशी तथा मध्य-अमरीका के वर्तनों पर के चित्रों को छोड़ कर अन्य कहीं यथार्थ-चित्रण नहीं देख पड़ता। इसके विपरीत उन काल की मूर्तियों, चित्रों, बस्तुओं तथा टोकरियों पर साकेतिक चित्र दिखाई देते हैं, साथ ही ज्यामितिक शकलें भी इन वस्तुओं पर पायी जाती हैं। यह तो सीधी-सी बात है कि जब तक उपकरणों में विकास नहीं हो जाता, तब तक यथार्थ चित्र बन कैसे सकते हैं? मट्टी के वर्तनों के निर्माण में शुरू-शुरू में यथार्थता कैसे आ सकती थी? उस समय के वर्तन चिकनी पीठ के बन ही नहीं सकते थे, क्योंकि वर्तनों की पीठ को चिकना करने के द्रव्य ही पीछे-से आविष्कृत हुए। उन वर्तनों में अघड़ता तो हो सकती थी, यथार्थता नहीं हो सकती थी। जब मट्टी पर आदि-मानव का



ए है। फ्रांस में उपलब्ध होने वाले चित्र-कला के मंगडेलीनियन-काल के नमूने दो प्रसिद्ध हैं।

एक चित्र गरुड पक्षी के पख की हड्डी पर बना है। इस हड्डी के शुरू के सिरे पर तीन जानवरों के चित्र बनाये गये हैं, इसी प्रकार उसी तरफ के अन्त के सिरे पर एक जानवर का चित्र बनाया गया है। पख की हड्डी पर इस प्रकार का चित्र बनाना उस काल के मानव की कला की उच्चता का द्योतक है। इसी प्रकार इस काल का एक और चित्र पाया गया है जो मिला तो फ्रांस में ही है, परन्तु फ्रांस में पाये गये पहले चित्र से भिन्न स्थान पर मिला है। यह चित्र एक पत्थर पर उल्लिखित है। इसमें घोड़ों का झुण्ड-का-झुण्ड दिखाया गया है, परन्तु ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस चित्र में शुरू का घोड़ा दिखाया गया है, उसके पीछे के घोड़े न दिखा कर सिर्फ उनके चेहरे दिखाये गये हैं, नीचे टांगें दिखाई गई हैं, सिर और टांगों के बीच का भाग नहीं दिखाया गया। इन दोनों चित्रों को देख कर भी यही परिणाम निकलता है कि आदिकालीन चित्र-कला को 'यथार्थवादी' नहीं कहा जा सकता। ये दोनों चित्र साकेतिक-चित्र हैं। घोड़े का चित्र तो बिल्कुल साकेतिक है क्योंकि उसमें तो शुरू के एक घोड़े के अलावा अन्य घोड़ों के घड दिखाये ही नहीं गये, जो-कुछ दिखाया गया है उससे घोड़ों का सकेत जरूर मिल जाता है।

(घ) मैसोलिथिक तथा नव-पाषाण-काल की कला--पूर्व-पाषाण-युग तथा नव-पाषाण-युग को मिलाने वाला काल मैसोलिथिक-काल कहाता है। इस काल में कला का ह्रास हो गया प्रतीत होता है। कहीं-कहीं घोड़े आदि पर चित्रकारी दिखलाई देती है जिसका जादू-टोने के लिए इस्तेमाल होता था। इसके बाद नव-पाषाण-युग का सूत्रपात हुआ। इस युग में बर्तनी तथा कपडों का आविष्कार हुआ, इस आविष्कार के साथ इन पर चित्रकारी भी होने लगी। कई लेखकों का कहना है कि अब तक तो चित्र-कला उपयोगिता की दृष्टि से चलती चली आ रही थी, इस नव-पाषाण-युग में पहले-पहल कला की कला के लिए अभिव्यक्ति होना प्रारंभ हुआ।

[ भारत में ]

भारत में सब से पहले १८८० में आर्चिबाल्ड कारलाइल तथा जे० कौक-वर्न को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की विजयगढ़ नाम की गुफाओं में कुछ चित्रों के नमूने पत्थरों की शिलाओं पर मिले। ये शिलाएँ प्रागैतिहासिक काल की थीं। इनमें से एक शिला पर गेंडे का चित्र बना हुआ है जिस पर छ शिकारी आक्रमण कर रहे हैं। इनमें से कुछ शिकारियों के सिर पर पहनी हुई पोशाक में उसे अलकृत करने के लिए पख भी लगे हैं। हो सकता है यह सारी-की-सारी पखों की पोशाक हो। मध्य-प्रदेश में रायगढ़ जिले के सिधनपुर और सरगुजा रियासत के जोगी-मारा में भी चट्टानों पर अंकित चित्र मिले हैं। इन पर कीड़ों, पशु-पक्षियों, मनुष्यों आदि की ब्रह्म-रगी आकृतियों चित्रित हैं। उत्तर-प्रदेश में मिर्जापुर जिले की सोन

की खाड़ी एवं बाँदा जिले के माणिकपुर स्थान में और मध्य-प्रदेश के होशंगाबाद तथा पचमढ़ी स्थानों में कई चट्टानों मिली हैं जिन पर चित्र-कला तथा उल्लेखन के उदाहरण मिलते हैं।

भारत में चित्र-कला के जो नमूने मिले हैं वे कितने पुराने हैं—यह नहीं कहा जा सकता। मिर्जापुर की चित्र-कला कई विद्वानों के अनुसार 'पूर्व-पाषाण-युग' (Paleolithic period) की है। इस चित्र-कला की पश्चिमी-यूरोप की चित्र-कला से तुलना की जाती है। श्रीयुत् मित्रा के कथनानुसार ये चित्र 'पूर्व-पाषाण-युग' से कुछ पहले के हैं, परन्तु श्री गौरडन के कथनानुसार ये आज से २५०० वर्ष से पहले के नहीं हैं। कई विद्वानों ने विहार के घाटशील की चट्टानों की चित्र-कला की ऑस्ट्रेलिया में पायी जाने वाली चित्र-कला से तुलना की है। इन दोनों में इतनी समानता को देख कर उनका कहना है कि इन दोनों देशों में कभी आदान-प्रदान अवश्य रहा होगा।

१९२४ में मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की सन्धिता प्रकाश में आयी। इसका हम विस्तृत उल्लेख पहले एक अध्याय में कर आये हैं। इस सन्धिता के काल में मूर्ति-कला तथा चित्र-कला दोनों का पर्याप्त विकास हो गया था। मूर्ति-कला का उदाहरण धातु की बनी हुई नर्तकी की वह सुन्दर, मृत् मूर्ति है जो अत्यन्त सजीव मालूम पड़ती है। इस काल के वर्तनों पर तरह-तरह की चित्रकारी है। मट्टी की बनी छोटी-छोटी गाड़ियाँ भी यहाँ के अवशेषों में मिली हैं जो सभवत खिलौनों के रूप में बच्चों के खेलने के काम आती थीं। मट्टी के ये खिलौने बच्चे बनाते थे क्योंकि इन पर बच्चों की अंगुलियों के निशान पाये जाते हैं। बच्चों के अतिरिक्त शिल्पियों तथा कलाकारों के बनाये खिलौने भी यहाँ पाये गये हैं।

#### ५. समकालिक-आदिकालीन कला (Contemporary Primitive Art)

(क) आदिकालीन मूर्ति तथा चित्र-कला के माधन—इस समय जो जीवित जन-जातियाँ हैं, उनकी आदिकालीन मूर्ति तथा चित्र-कला के साधन प्रायः वही हैं जो प्रागैतिहासिक-कला के थे, परन्तु क्योंकि हमारी समकालीन जन-जातियों की मूर्ति तथा चित्र-कला के सब साधन हमारे सामने हैं, इसलिए उन साधनों का जिनके द्वारा वे अपनी कला की अभिव्यक्ति करते हैं, वर्णन असंगत न होगा। कला के ये साधन संसार के सभी देशों में एक-समान पाये जाते हैं। ये साधन क्या हैं—यह हम नीचे दे रहे हैं क्योंकि इनके जान लेने से आदिकालीन कला पर प्रकाश पड़ता है।

(1) चट्टानों पर चित्र बनाना या चित्रों को उल्लिखित करना। चित्र बनाने का अर्थ है, एक या विविध रंगों से किसी पशु, पक्षी, मनुष्य का चित्र बना देना, किसी भाव को प्रदर्शित करना। उल्लेखन का अर्थ है, चट्टान पर नक्काशी के चित्र बनाना। इन चित्रों में सिर्फ वस्तु का चित्र ही नहीं बनाया गया, सिर्फ 'यथायं-चित्रण' ही नहीं किया गया, 'भाव-चित्रण' भी किया गया है, 'साकेतिक-

## ६. कला में यथार्थवाद तथा साकेतवाद (Realism and Symbolism in Art)

हम इसी अध्याय में कला की उत्पत्ति के सवध में विकासवादी सिद्धान्त का वर्णन करते हुए लिख आये हैं कि उनके कथन के अनुसार कला का विकास 'यथार्थ-चित्रण' से 'साकेतिक-चित्रण' की तरफ बढ़ता है। इस 'यथार्थ' तथा 'साकेतिक'-चित्रण का अर्थ भी हम वहाँ लिख आये हैं। कला के सवध में विचार करने वालों का कहना है कि 'यथार्थ-चित्रण' होता ही नहीं, जो भी चित्रण है वह सदा 'साकेतिक-चित्रण' ही होता है। इस विषय को यहाँ स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

(क) चित्रण 'यथार्थ' न होकर सदा साकेतिक होता है—अगर यह कहा जाय कि मूर्ति-कला तथा चित्र-कला दोनों में जो भी चित्रण होता है, वह यथार्थ ही हो नहीं सकता, तो कोई अत्युक्ति न होगी। 'चित्रण' का अर्थ क्या है? चित्रण किसी 'वस्तु' अर्थात् 'यथार्थ' का प्रतीक होता है। 'वस्तु' अर्थात् 'यथार्थ' तथा वस्तु के 'प्रतीक' अर्थात् उसके 'सूचक'—इन दोनों में भेद होना स्वाभाविक है। अगर वस्तु अर्थात् 'यथार्थ' का 'प्रतीक', वस्तु का 'सूचक' और 'वस्तु' बिल्कुल एक हो जाय, तो 'वस्तु' तथा 'प्रतीक' में कोई भेद ही न रहे, भेद न रहे तो 'सूचक' 'सूचक' न रहे 'प्रतीक' 'प्रतीक' न रहे, स्वयं 'वस्तु' हो जाय। इस दृष्टि से 'वस्तु' अर्थात् 'यथार्थ' तथा उसके 'सूचक' में भेद तो सदा बना रहता है। इतना अवश्य है कि कला में 'वस्तु' अर्थात् 'यथार्थ' के अधिकतम निकट आने का, उसके साथ अधिकतम समता स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है। यह बात किसी वस्तु की उसके फोटो के साथ तुलना करने से अधिक स्पष्ट हो जाती है। जब हम किसी वस्तु का फोटो खींचते हैं, तब उस वस्तु का यथार्थ रूप ज्यादा-से-ज्यादा अभिव्यक्त होता है। परन्तु इतना ज्यादा रूप अभिव्यक्त करने पर भी क्या उस वस्तु तथा फोटो में भेद नहीं है? जरा-सा भी ध्यान देने से इन दोनों का भेद स्पष्ट हो जाता है वस्तु में तीन पहलू होते हैं—लम्बाई, चौड़ाई, गहराई, फोटो में सिर्फ दो पहलू होते हैं—लम्बाई तथा चौड़ाई, अर्थात् वस्तु 'त्रि-पाश्वरीय' (Three dimensional) है, फोटो 'द्वि-पाश्वरीय' (Two dimensional) है। इस अतिरिक्त वस्तु को कई दृष्टियों से देखा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति चल-फिर सकता है, हँस-रो सकता है, सुखी-बुखी हो सकता है, परन्तु उसकी फोटो में तो उसका सिर्फ एक रूप आ सकता है—या हँसते हुए व्यक्ति का ही फोटो खींचा जा सकता है, या रोते हुए का ही, व्यक्ति के ये दोनों रूप दिखाने हो तो अलग-अलग फोटो खींचने होंगे, परन्तु व्यक्ति एक होता हुआ इन दोनों रूप दिखा सकता है। कला की इसी कमी को दूर करने के लिए ईजिप्ट व प्राचीन-कला में मनुष्य की आकृति बनाते हुए सिर तथा टाँगें सामने से न दिख कर इन्हें एक ओर से, बाजू से दिखाते थे और घड सामने से दिखाते थे, जिस आकृति का आमने-सामने तथा एक पासे का रूप दीख जाय। परन्तु इससे कला

की कभी दूर थोड़े ही हो जाती है। वस्तु तथा उससे अत्यन्त मिलती-जुलती फोटो-भेदों की तुलना से यह स्पष्ट है कि वस्तु अर्थात् 'यथार्थ' तथा उसके 'प्रतीक' में कदा भेद रहता है। 'प्रतीक' क्या है? 'प्रतीक' वस्तु का केवल 'सकेत' है, वही चीज है जिसे देख कर वस्तु का, यथार्थ का ध्यान आ जाता है। इस दृष्टि से यह कहना उपयुक्त ही है कि कला कभी 'यथार्थ' नहीं होती, वह 'यथार्थ' होने का केवल प्रयत्न करती है, 'यथार्थ' की तरफ ज्यादा-से-ज्यादा आने का प्रयत्न करती है, असल में कला सदा 'साकेतिक' रहती है।

(ख) साकेतिक-कला के रूप—अगर कला सदा साकेतिक-चिह्नों द्वारा यथार्थ को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करती है, तो प्रश्न है कि यह किस प्रकार अपने को साकेतिक रूपों में प्रकट करती है। कला के साकेतिक रूप तीन हैं—सरलीकरण (Simplification), 'विकृतीकरण' (Distortion) तथा स्थानावस्था-परिवर्तन (Substitution)। इन तीनों का क्या अर्थ है?

(1) सरलीकरण (Simplification)—किसी वस्तु के यथार्थ रूप को चित्रण करने की अपेक्षा जब उसके प्रतीक को भी बनाया जा सकता है, तब सारी वस्तु का चित्रण करने की क्या आवश्यकता है? चित्रण का अर्थ यही तो है कि उस वस्तु का बोध हो जाय, कोई ऐसा प्रतीक हो जिसे देख कर वह वस्तु हमारे ध्यान में आ जाय। तो फिर सारी वस्तु का चित्रण करने की क्या आवश्यकता है। अगर पंख को देख कर पक्षी का, सींग को देख कर बल या हरिण का, मुख को देख कर मनुष्य का—अर्थात् किसी हिस्से को देख कर पूरे का बोध हो जाता है, तो कलाकार के लिए इतने का ही निर्माण पर्याप्त है। 'साकेतिक-कला' में सकेत बनाने का एक रूप तो यह है। आदिकालीन-कला में वस्त्रों, टोकरियों तथा वर्तनों पर जो चित्रण किया जाता था, उसमें सारे-का-सारा चित्र तो उतारा नहीं जा सकता था, इसलिए उस काल के वस्त्रों, टोकरियों तथा वर्तनों पर चित्र-कला के साकेतिक चिह्न बनाते हुए उन्हें सरल बना दिया गया था, पक्षी का सकेत करना हो तो सारा पक्षी बनाने के स्थान में पक्षी का पंख बना दिया जाता था। जूनी तथा होपी जन-जाति की टोकरियाँ तथा वर्तन इसी प्रकार के सरलीकृत साकेतिक-चित्रण के उदाहरण हैं।

(ii) विकृतीकरण (Distortion)—साकेतिक चित्रण के लिए सरलीकरण ही एक मार्ग नहीं है। आदिकालीन-मानव ने साकेतिक चित्रण का एक दूसरा तरीका भी निकाला था जिसे 'विकृतीकरण' (Distortion) कहा जाता है। 'विकृतीकरण' में 'सरलीकरण' की तरह वस्तु के एक अंग का चित्रण न करके चित्रण तो सारी-की-सारी आकृति का किया जाता है, परन्तु उसके जिस अंग की तरफ कलाकार को ध्यान आकर्षित करना होता है, उसे बढ़ा-चढ़ा कर बनाया जाता है। उदाहरणार्थ, आफ्रीका तथा मेलनेशिया की मूर्ति-कला तथा चित्र-कला में, और इसी प्रकार 'पूर्व-पाषाण-युग' की मूर्ति-कला तथा चित्र-कला में आकृतियों के गुह्यांगों को बहुत विशद रूप में तथा बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया है।

शैलियों में देखा जा सकता है। ये छहों गाँव ५० मील के घेरे में बसे हुए हैं, इनकी वर्तन तथा सुराही बनाने की कला एक ही समय की है, परन्तु हर-एक गाँव में वर्तन तथा सुराही बनाने की शैली अपनी है, दूसरे गाँवों से भिन्न है, और किसी भी वर्तन तथा सुराही की शैली को देख कर कहा जा सकता है कि वह इनमें से किस गाँव की बनी हुई है।

सैंटर क्लेरा के वर्तन काली मट्टी के बने होते हैं, पोलिश किये होते हैं। इनमें से मुख्य वर्तन सुराही है जिसके नीचे का तला छोटा, घड क्रमिक बड़ा और गर्दन लम्बी होती है। इन वर्तनों तथा सुराहियों पर तरह-तरह के चित्र बने होते हैं। सैन इल्डेफोन्सा के वर्तन भी काले तथा पालिश किये होते हैं परन्तु उन पर जटिल चित्रकारी नहीं होती, वे सरल-साधारण होते हैं, जो-कुछ चित्रकारी की जाती है वह मामूली-सी होती है। सैंटो डोमिनगो की सुराही नीचे से लाल और ऊपर से सफेद होती है। गर्दन तथा घड के ऊपरी भाग की ज्यामितिक आकृतियों से इसे अलंकृत किया जाता है। होपी जन-जाति की सुराही छोटी, नीचे से चौड़ी और पेट से ऊपर तक नोकिली होती चली जाती है। इस का रंग हल्का-पीला तथा गुलाबी आभा लिये होता है। जूनी जन-जाति की सुराही का मुँह अन्य सुराहियों की अपेक्षा बहुत चौड़ा होता है। इसके नीचे के भाग में चित्रकारी नहीं की जाती और इसका रंग भूरा-लाल होता है। बीच के तथा ऊपर के हिस्से पर सफेद पेंट किया जाता है। सफेद हिस्से में काले और लाल रंग की चित्रकारी की जाती है। एकोमा जन-जाति की सुराहियों के निर्माण की शैली जूनी शैली के अनुसार होती है, परन्तु चित्रकारी में भिन्नता पायी जाती है। सफेद भाग के नीचे से सुराही के मुख तक सारा हिस्सा चित्रकारी से भर दिया जाता है।

ऊपर हमने कला की शैली के विषय में जो-कुछ लिखा, उससे हमारा यही अभिप्राय है कि मूर्ति-कला तथा चित्र-कला में शैली का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। मूर्तियों, वस्तुओं तथा इन पर बने चित्रों की शैली के आधार पर आदि-कालीन सभ्यता तथा सस्कृति के काल-निर्णय करने में तथा यह निर्णय करने में कि ये वस्तुएँ किस सभ्यता तथा सस्कृति की प्रतिनिधि हैं, बड़ी सहायता मिलती है। इसीलिए जब कभी किसी स्थान को खोदते-खोदते कोई वर्तन मिल जाते हैं, तब मानवशास्त्रियों का ध्यान उनके निर्माण की शैली पर, और अगर उन वर्तनों पर चित्र बने हैं, तो उन चित्रों की शैली पर एकदम केन्द्रित हो जाता है। क्योंकि इस शैली को देख कर इन वर्तनों के काल का निर्णय किया जा सकता है।

## आदिकालीन मौखिक-साहित्य—पौराणिक- आख्यान तथा दन्त-कथाएँ

(PRIMITIVE ORAL LITERATURE—MYTHOLOGY  
AND FOLKTALE)

पिछले अध्याय में हमने लिखा था कि कला 'सौन्दर्यपूर्ण-अभिव्यक्ति' का रूप है। 'सौन्दर्यपूर्ण-अभिव्यक्ति' जब 'रेखाओं तथा आकृति' द्वारा मूर्ति-निर्माण या चित्र-निर्माण का रूप धारण करती है, तब 'मूर्ति-कला' तथा 'चित्र-कला' प्रादुर्भाव हो जाता है, जब 'शब्द' तथा 'गति' द्वारा अपने को प्रकट करती है, तब 'संगीत-कला' तथा 'नृत्य-कला' का प्रादुर्भाव हो जाता है, जब गद्य-पद्य के रूप आती है तब 'पौराणिक-आख्यानों' तथा 'दन्त-कथाओं' का प्रादुर्भाव हो जाता है। कला पर विचार करते हुए जैसे मूर्ति-कला तथा चित्र-कला पर विचार करना आवश्यक है, वैसे आदिकालीन मौखिक साहित्य की कला के रूप में पौराणिक आख्यानों तथा दन्त-कथाओं पर भी विचार करना उतना ही आवश्यक है। जैसे आजकल हमारा लिखित साहित्य है, वैसे आदिकालीन-मानव का लिखित साहित्य था, वह मौखिक रूप से आज तक चला आ रहा है और उसके ही रूप हैं—पौराणिक-आख्यान तथा दन्त-कथा।

### १. पौराणिक-आख्यानों तथा दन्त-कथाओं में भेद

'पौराणिक-आख्यान' (Mythology) तथा 'दन्त-कथा' (Folktale) —ये दोनों आदिकालीन-मानव के मौखिक-साहित्य कहे जा सकते हैं। दोनों में कुछ समानता है, कुछ भेद है। इन दोनों में समानता इस बात में है कि दोनों में कहानियों के तौर पर बात कही जाती है, परन्तु दोनों की कहानियों का आधार भिन्न-भिन्न होता है। पौराणिक-आख्यान को हम सिर्फ 'आख्यान' भी कह सकते हैं, परन्तु क्योंकि इस प्रकार की कहानियाँ हमारे पुराणों में पायी जाती हैं, इसलिए हमने इसे पौराणिक का नाम दिया है। इसके अतिरिक्त अत्यन्त प्राचीन होने के कारण भी इन्हें पौराणिक कहना ही अधिक सगत है। 'पौराणिक-आख्यानों' की विशेषता यह है कि इन आख्यानों में सृष्टि की उत्पत्ति, देवी-देवताओं का वर्णन, प्रकृति तथा जल-पृथिवी-वायु-आकाश आदि तत्वों का कथा-कहानियों के रूप में निरूपण आदि किया जाता है। आख्यानों में जो-कुछ निरूपण होता है, उसकी दिशा बेल-ब्रह्माव या मनोरजन की तरफ न जाकर सृष्टि के गहन-तत्वों की गहराई में

जाकर उनकी गाँठ खोलने की-सी होती है। आदिकालीन मनुष्य का जीवन तो धर्ममय था। धर्म ही उसकी गति-विधि का नियन्त्रण करता था। धर्म-कर्म के लिए अनेक प्रकार के विधि-विधान थे। यज्ञ करना है, तो किस दिशा में बैठना, यज्ञ-कुंड के उत्तर में आहुति डालना या दक्षिण में—ये सब 'विधि-विधान' (Ceremonials, rituals) क्यो किये जाते हैं, इसका उत्तर आख्यानों द्वारा दिया जाता था। पूर्व की तरफ इसलिए मुंह करना क्योंकि उधर से सूर्य देवता का उदय होता है—इस प्रकार विधि-विधान के क्षेत्र में 'क्यों' का उत्तर देने का काम 'आख्यान' (Mythology) का है। ससार की महान् शक्तियों के साथ बंधे होने के कारण 'आख्यान' में 'आश्चर्य' तथा 'आतक' प्रधान होता है। 'दन्त कथाओं' का काम 'पौराणिक-आख्यानों' से भिन्न है। 'दन्त-कथाओं' की विशेषत यह है कि इनके द्वारा समाज का मनोरजन होता है। ये एक तरह से आजकल कं गल्पों, कहानियों और उपन्यासों की तरह की कथाएँ हैं। इनमें आख्यानों की तरह 'आतक' प्रधान नहीं होता, 'कल्पना' प्रधान होती है। 'आख्यान' एक तरह कं धार्मिकता को लिये रहते हैं, 'दन्त-कथाओं' में धार्मिकता का होना आवश्यक नहीं। 'आख्यान' को लोग सत्य समझते हैं, 'दन्त-कथाओं' को नहीं।

इस प्रकरण में अप्रेञ्जी के 'फोक-लोर', 'माइथोलोजी' तथा 'फोक-टेल'— इन तीनों का भेद समझ लेना भी आवश्यक है। 'माइथोलोजी' के लिए हम 'पौराणिक-आख्यान'-शब्द का प्रयोग किया है, 'फोक-टेल' के लिए 'दन्त-कथा' शब्द का प्रयोग किया है। 'आख्यान' तथा 'कथा'—इन दोनों में कहानी रूप में बात कही जाती है, परन्तु 'फोक-लोर' में जनता-जनार्दन की सब बात समा जाती है—आख्यान, कथा, गद्य, पद्य, पहेलियाँ, किस्से-कहानियाँ, संगीत नृत्य, नाटक—यह सब 'फोक-लोर' कहाता है। इसे हम 'लोक-साहित्य' कह सक हैं। इस अर्थ में पहले-पहल डब्ल्यू० जे० थोमस (W J Thomas) १८४६ में 'फोक-लोर'—अर्थात् 'लोक-साहित्य'—इस शब्द को घडा था इस 'लोक-साहित्य' (Folklore) का एक अंग जिसमें 'लोक-कथाएँ' आजात हैं, 'लोक-कथा' या 'दन्त-कथा' (Folktale) कहाता है। साधारण लिख बोलने में 'फोक-लोर' तथा 'फोक-टेल' का एक ही अर्थ में भी प्रयोग कर दिा जाता है। 'फोक-लोर'-शब्द 'फोक-टेल' से अधिक व्यापक है। हम इस अध्या में 'पौराणिक-आख्यानों' तथा 'लोक-साहित्य' के एक अंश 'दन्त-कथाओं' का वर्ण करेंगे। पहले हम 'पौराणिक-आख्यानों' पर लिखेंगे, उसके बाद 'दन्त-कथाओं' पर लिखेंगे।

## २ 'पौराणिक-आख्यान' का अर्थम्

जब हम 'आख्यान' (Mythology)-शब्द का प्रयोग करते हैं, तब मारा क्या अभिप्राय होता है, 'आख्यान' में क्या बातें आ जाती हैं? किसी जन-पाति या समाज की सृष्टि की रचना तथा उत्पत्ति के सबध में जो आधारभूत

धारणा युग-युगान्तर से चली आती है, उसे उसका 'पौराणिक-आख्यान' कहते हैं। यहाँ 'पौराणिक'-शब्द का अर्थ हिन्दुओं के अठारह पुराणों से नहीं है। 'पौराणिक' का अर्थ है—पुराना। सृष्टि की रचना तथा उसकी उत्पत्ति की धारणा का साधारण विवेचन कर दिया जाय, तो वह दर्शन का रूप धारण कर जायगा, परन्तु आख्यानों में तात्त्विक-विवेचन नहीं होता। सृष्टि की रचना तथा उत्पत्ति सबधी ये विचार, ये विश्वास, ये धारणाएँ, देवी-देवताओं अथवा हमारे ही जैसे मनुष्यों के जीवन के साथ ओत-प्रोत होकर जब कथा-कथानक का रूप धारण कर लेती हैं, तब इन्हें 'आख्यान' (Mythology) कहा जाता है। उदाहरणार्थ 'सृष्टि की उत्पत्ति के सबध में यहूदियों में नूह के तूफान की एक कहानी आती है। पहले-पहल नूह को जिहोवा ने बताया कि अब मैं सृष्टि का नाश कर दूंगा, तू हर प्राणी का एक-एक जोड़ा लेकर एक नाव बनाना, उस नाव में तू तथा सब प्राणी चढ़ जाना, फिर वर्षा शुरू होगी, इतनी होगी कि सब नष्ट हो जायेंगे, तू बच रहेगा, उसके बाद इन बचे हुएों से सृष्टि-रचना द्वारा होगी। यह सब आख्यान है। इसे यहूदी लोग किस्सा-कहानी नहीं, यथार्थ समझते हैं, वे कहते हैं कि ठीक ऐसे हुआ था। 'आख्यान' में सिर्फ सृष्टि की उत्पत्ति तथा रचना का ही कथानकों के रूप में वर्णन नहीं होता, अन्य भी अनेक देवीय घटनाओं का वर्णन होता है। उदाहरणार्थ, आश्रीका की जन-जातियों में अपने पूर्वजों के भूत-प्रेतों के साथ युद्ध, जादूगरणियों और डाकतों के साथ मुठ-भेड़ के कथानक पाये जाते हैं, कोयरक जन-जाति में दुष्ट प्रेतात्मा के साथ हायापाई, ईसाइयों के सन्त-महन्तों तथा भारत के कथानकों में महात्मा बुद्ध का शैतान के साथ युद्ध—ये सब 'पौराणिक-कथानक' कहते हैं। जिन कथानकों में सृष्टि की रचना का वर्णन हो, सृष्टि की उत्पत्ति अथवा नाश का वर्णन हो, देवीय घटनाओं का वर्णन हो, ऐसे देवी-देवताओं का वर्णन हो जिन्हें उस जन-जाति के लोग काल्पनिक न मान कर यथार्थ मानते हों, सत्य मानते हों, इन सब के साथ-साथ इन कथानकों में इन घटनाओं को अति प्राचीन काल में हुआ बताया गया हो, हाल का न बतलाया गया हो, ऐसे कथानकों को 'पौराणिक-आख्यान' (Mythology) कहा जायगा।

### ३ पौराणिक आख्यानों की उत्पत्ति तथा विशेषताएँ (Origin of Mythology and its Characteristics)

(क) व्यक्तीकरण (Personification)—आख्यान की सब से मुख्य विशेषता यह है कि इसमें पशु, पक्षी, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र जिस किसी को भी आख्यान के साथ जोड़ा जाता है, उसे एक व्यक्ति के रूप में, ऐसे व्यक्ति के रूप में जो मनुष्य जैसा बोल-चाल सकता है, जिसमें मनुष्य की-सी भावनाएँ हैं, मनुष्य के-से प्रेम-द्वेष हैं, प्रकट किया जाता है। पशु-पक्षियों को मनुष्य का-सा अभिव्यक्त करने का कारण तो स्पष्ट है। पशु-पक्षी को मनुष्य की-सी भूल-भ्यास लगती है, मनुष्य की तरह वे डरते-डराते हैं, क्रोध और प्रेम करते हैं। आदिकालीन मनुष्य ने जब देखा कि पशु-पक्षियों की शक्ति उससे ज्यादा है, वे उस पर आक्रमण करते हैं,



उसे जान से मार भी देते हैं, तो उसका उनमें देवीय-शक्ति समझना स्वाभाविक था। इसी प्रकार अपने चारों तरफ वह प्रकृति की महान् शक्तियों को देखता था। सूर्य, चन्द्र, पृथिवी, वादल, विजली—ये ऐसी महाशक्तियाँ हैं जो उसमें सदा आश्चर्य तथा आतक बनाये रखती थीं। ये शक्तियाँ क्या हैं ? जब ये शक्तियाँ उससे ज्यादा शक्तिशाली हैं, और इनमें मनुष्य का-सा आना-जाना, गरजना-कड़कना पाया जाता है, तो वह क्यों न समझता कि इनमें भी मनुष्य की तरह इच्छा-द्वेष, प्रेम-क्रोध आदि सब-कुछ है। आदि-काल का मानव इस सृष्टि में अपने को इकला नहीं समझता था, चेतन तथा जड दोनों प्रकार के जगत् को अपने जैसा जीवित-जागृत, व्यक्तित्वयुक्त समझता था। इसी को हमने 'व्यक्तीकरण' कहा है।

(ख) स्पष्टीकरण (Explanation)—जब उसने समझ लिया कि वह चारों तरफ से अपने से महान् भिन्न-भिन्न शक्तियों से घिरा हुआ है, तब इन शक्तियों में ही वह हर वात का स्पष्टीकरण ढूँढ़ने लगा। आखिर, दुनियाँ इतनी रहस्यमय है कि जैसे आज हमें हर वात का कारण, हर वात का समाधान, हर वात का स्पष्टीकरण जानने की उत्सुकता है, वैसे ही सृष्टि के आदि-काल के मानव को भी वह उत्सुकता थी। उसने जब सृष्टि की रचना तथा इसकी उत्पत्ति का स्पष्टीकरण जानना चाहा, तो वह उसे अपने चारों तरफ की अपने से प्रबल शक्तियों में मिलने लगा। मनुष्य में धूर्तता पायी जाती है—ससार में यह धूर्तता कहाँ से आयी ? उसे दीखा कि जानवरों में धूर्तता की शिरोमणि लोमड़ी है। वस, स्पष्ट हो गया, धूर्तता की उत्पत्ति लोमड़ी से हुई है। मनुष्य में मूर्खता पायी जाती है—ससार में यह मूर्खता कहाँ से आयी ? उसे दीखा कि जानवरों में मूर्खता का शिरोमणि भेड़िया है। वस, स्पष्ट हो गया, मूर्खता की उत्पत्ति भेड़ियों से हुई है। मनुष्य में चालाकी पायी जाती है—ससार में यह चालाकी कहाँ से आयी ? उसे दीखा कि जानवरों में चालाकी का शिरोमणि वन्दर है। वस, स्पष्ट हो गया कि चालाकी की उत्पत्ति वन्दर से हुई है। सूर्य, चन्द्र, पृथिवी, वादल, विजली—ये महाशक्तियाँ भी तो मनुष्य की तरह की चलने-फिरने, आने-जाने, बोलने-चालने वाली शक्तियाँ हैं। सूर्य को जब क्रोध आता है तब वह सृष्टि को तथा कर नष्ट कर डालता है, वादल को जब क्रोध आता है तब वह अपनी गडगडाहट से चारों दिशाओं को कँपा देता है और इतना पानी बरसाता है कि सृष्टि डूब जाती है, नष्ट हो जाती है। इन महाशक्तियों को देख कर आदिमानव सृष्ट्युत्पत्ति, सृष्टि की रचना आदि की गुत्तियों को इन्हीं के द्वारा सुलझाने का प्रयत्न करता था। सृष्टि की गुत्तियों का स्पष्टीकरण वह सृष्टि को इन शक्तियों के व्यक्तीकरण द्वारा ढूँढ़ने लगता था। लोमड़ी का व्यक्तीकरण करके ससार की धूर्तताओं का स्पष्टीकरण, सूर्य, चन्द्र, वादल का व्यक्तीकरण करके ससार की उत्पत्ति और इसके विनाश का स्पष्टीकरण करने के जो वह कथानक रचता था, उससे पौराणिक आख्यान पैदा हो गये। इस दृष्टि से 'पौराणिक-आख्यान' ससार की उत्पत्ति उलझनों का व्यक्तीकरण द्वारा स्पष्टीकरण है।

(ग) प्रतिनिधीकरण (Representation)—हम ऊपर 'व्यक्तीकरण'

शब्द का प्रयोग कर आये हैं। इसका अर्थ तो यह है कि हर-एक जीव-जन्तु, पशु-पक्षी, सूर्य, चन्द्र, तारा, मेघ, विजली—इनमें से सबको मनुष्य का-सा मान कर इन सब में भी वंसा ही व्यक्तित्व है जैसा हम में है, यह समझ कर आदि-मानव चलता था। परन्तु सब में व्यक्तित्व मान कर भी अपने कथानको में वह हर लोमड़ी, हर बन्दर का वर्णन तो नहीं कर सकता था। वह अपने कथानको में जब किसी लोमड़ी, किसी जानवर, ससार की किसी घटना का वर्णन करता था, तो उसे अन्य सब का प्रतिनिधि मान कर वर्णन करता था। लोमड़ी कहा तो सब लोमड़ी समझी गईं, बन्दर कहा तो सब बन्दर समझे गये। एक लोमड़ी और एक बन्दर ही सब के प्रतिनिधि के रूप में ले लिये जाते थे। इस प्रकार के 'प्रतिनिधीकरण' का तात्पर्य भी 'स्पष्टीकरण' ही था। उदाहरणार्थ, किसी कथानक में कहा गया कि एक रीछ था, वह नदी पार कर रहा था, इतने में नदी जम गई, वह झटका देकर बर्फ में से निकल आया, परन्तु उसकी पूंछ बर्फ में जमी रह गई, उसकी पूंछ वहीं बर्फ में कट कर रह गई। यही कारण है कि आजकल रीछ की दुम छोटी या नहीं के बराबर होती है। इस कथानक का रीछ सब रीछों का प्रतिनिधि है, और रीछ की पूंछ क्यो नहीं के बराबर होती है—इसका स्पष्टीकरण इस आख्यान से हो जाता है। एक बार एक कुत्ता और एक बिल्ली लड पडे। वे क्यो लड पडे, यह जो कुत्ते-बिल्ली का एक-दूसरे से द्वेष दीखता है इसका आदिकालीन कुत्ते-बिल्ली का एक बार लड पडना ही कारण है, क्योकि उस 'आख्यान' में कुत्ते-बिल्ली लड पडे थे, इसलिए इसके बाद ये जहाँ मिलते हैं, लडते हैं। जो-कुछ पहली बार हो गया वह आगे चलता रहा, पहली बार जो-कुछ हुआ वह प्रतिनिधि रूप में हुआ—यह भाव इन सब कथानको में पाया जाता है। ससार का भाग्य पहली बार की घटना से तय हो गया क्योकि वह घटना आगे के ससार की प्रतिनिधि थी। पहले मनुष्य नहीं मरता था, एक बार मनुष्य मर गया, उसके बाद सब मनुष्य अपनी आयु भोग कर मरने लगे। आदम और हव्वा ने एक बार पाप किया, फिर वह पाप आगे होता ही चला गया, उन्होंने पाप किया उसका दड उन्हें तो मिला ही परन्तु उनकी हर सन्तान को मिलता चला जायगा। आख्यानो की इस विचार-धारा का आधार 'प्रतिनिधीकरण' की भावना है। जो-कुछ हुआ वह प्रतिनिधि रूप में हुआ, व्यक्तिरूप में नहीं हुआ। पशु-पक्षियों का आदि-मानव ने 'व्यक्तीकरण' तो पहले किया ही होता है, इस 'व्यक्तीकरण' के बाद उनमें से किसी व्यक्ति को 'प्रतिनिधीकरण' के तौर पर लेकर ससार की गुत्तियों का 'स्पष्टीकरण' कथानको द्वारा किया जाता है, यह समझाने का प्रयत्न किया जाता है कि ससार में यह क्यो है, वह क्यो है, ऐसा क्यो है, वंसा क्यो है, यह चीज कैसे पैदा हुई, वह कैसे पैदा हुई, इसकी रचना कैसे हुई, इसका नाश कैसे हुआ? 'व्यक्तीकरण' और 'प्रतिनिधीकरण' द्वारा कथा-कथानक के रूप में 'स्पष्टीकरण' की प्रक्रिया से ही 'पौराणिक-आख्यानो' की उत्पत्ति हुई।

(घ) प्राचीनता अथवा पौराणिक काल (Mythological period) — आख्यानो की एक विशेषता यह है कि वे किसी अति प्राचीन काल से चले आ रहे ह । इन आख्यानो का निर्माण किसने किया, कब किया—कुछ नहीं कहा जा सकता । धारावाहिक रूप से ये आख्यान प्रत्येक जन-जाति में मौखिक रूप से चले आते हैं और जन-जाति का प्रत्येक व्यक्ति इनसे भली-भाँति परिचित होता है । इन आख्यानो में जो 'पौराणिक-व्यक्ति' (Mythological beings) पात्र की तरह काम करते हैं, वे सृष्टि रचना के पहले से विद्यमान थे—ऐसा समझा जाता है । ये पौराणिक-पात्र ही सृष्टि की रचना करते हैं । इन पात्रों में से कुछ काल्पनिक, कुछ यथार्थ होते हैं, परन्तु इतना समय बीत जाने पर यह कह सकना कठिन हो जाता है कि कौन काल्पनिक हैं, कौन यथार्थ हैं ।

(ङ) काल्पनिक की जगह दार्शनिक आधार (Not imaginative but philosophical basis)—यह समझना भूल है कि 'पौराणिक-आख्यान' मनुष्य की कल्पना की उपज हैं । इसमें सन्देह नहीं कि इन आख्यानो में पशु-पक्षियों तथा सूर्य-चन्द्र आदि का मनुष्यो का-सा बरतना काल्पनिक-सा प्रतीत होता है, परन्तु जिस गभीरता से इन आख्यानो का बखान किया जाता है और इन आख्यानो को प्रत्येक जन-जाति में जो महत्व दिया जाता है, उससे स्पष्ट है कि वे लोग इन आख्यानो को कल्पना की उड़ान न मान कर गभीर विचार का परिणाम मानते थे । सृष्टि की रचना में क्या तत्व काम कर रहे हैं, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, हमारे विधि-विधान का क्या अर्थ है—ये सब बातें कल्पना के आधार पर नहीं समझी जा सकतीं, इन सब को समझने के लिए आदिकालीन-मानव ने जो गभीर, दार्शनिक विचार किया था वही दार्शनिक विचार इन पौराणिक-आख्यानो का आधार है । यह दार्शनिक-विचार किस तरह काम करता है ? हम अपने जीवन में कार्य-कारण की शृंखला देखते हैं । हमने शत्रु से युद्ध किया, उसे परास्त किया । हम जो-कुछ करते हैं, वही-कुछ तो सृष्टि में अन्य स्थानों पर होता होगा । सूर्य पर बादल छा जाते हैं । जैसा कार्य-कारण का नक्शा हमारे जीवन में घटा, हमारा शत्रु के साथ युद्ध हुआ, वैसा ही नक्शा तो सूर्य और बादल के बीच घटता होगा । इनका भी हमारी तरह ही युद्ध होता होगा, और जब सूर्य अपने तीखे बाणों से बादल को बाँध देता होगा, तो उसके मृत-शरीर से रुधिर की धार की तरह पानी वह निकलता होगा । यह दार्शनिक-विचार इन्द्र तथा वृत्र के युद्ध का आधार रहा होगा, इससे सूर्य तथा बादल की लड़ाई का दार्शनिक-आख्यान चला होगा । इसी प्रकार उस काल के मनुष्य के दार्शनिक विवेचन से अन्य आख्यान चले होंगे ।

इसका यह अभिप्राय नहीं कि 'आख्यानो' के निर्माण में 'कल्पना' का कोई अंश नहीं रहा होगा, सिर्फ दार्शनिक-विवेचन का ही स्थान रहा होगा । शुरू-शुरू में 'कल्पना' के आधार पर ही मनुष्य ने पशु-पक्षियों, सूर्य, चन्द्र, तारे, बादल, बिजली को मनुष्य की तरह का—'मानव-सम' (Anthropomorphic)—

कल्पित किया होगा। उसने यह कल्पना की होगी कि जैसे हम आजकल व्यवहार करते हैं, वैसे सृष्टि के आदिकाल में ये मानव-सम व्यक्ति व्यवहार करते होंगे। जैसे आजकल हम किसी चीज का निर्माण, उसकी रचना, उसकी उत्पत्ति करते हैं, वैसे इन 'मानव-सम व्यक्तियों' ने आदि-काल में दृष्टि की रचना की होगी। इस प्रकार 'कल्पना' तथा 'दर्शन' के सम्मिश्रण से पौराणिक-आख्यान उत्पन्न हुए होंगे जिनमें कल्पना की अपेक्षा दर्शन का भाग इसलिए अधिक रहा होगा क्योंकि इस सारी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य तो सृष्टि के कारण का जानना रहा होगा।

(च) विधि-विधान का आधार आख्यान है (Mythology as basis of rituals and ceremonials)—प्रत्येक जन-जाति में सस्कार, विवाह, उत्सव आदि के लिए कुछ विधि-विधान किये जाते हैं। इन विधि-विधानों का क्या कारण है? हर बात का कारण जानने की अभिलाषा प्रत्येक मनुष्य में है, चाहे वह आज का हो, चाहे आदि-काल का। ये विधि-विधान तो देर से चले आ रहे होते हैं। इनका कारण ढूँढने के लिए भी 'पौराणिक-आख्यान' रचे जाते हैं। इन विधि-विधानों में दो बातें होती हैं—'विधि' (Custom) तथा 'निषेध' (Taboo)। 'विधि' का अर्थ है—यह करना; 'निषेध' का अर्थ है—यह न करना, त्याग देना। इस प्रकार 'विधि' तथा 'निषेध' का सबंध जब किसी 'पौराणिक-आख्यान' से जोड़ दिया जाता है, तब मनुष्य अपने मन को समझा लेता है कि उसने इसके कारण का पता लगा लिया, यद्यपि वह कारण भी ऐसा होता है जिसके आगे भी कारण ढूँढने की जरूरत होनी चाहिए, परन्तु कारण की तलाश में आदि-काल का मानव बहुत दूर तक नहीं जाना चाहता। त्यौहारों में भी यही बात लागू होती है। उदाहरणार्थ, होली का त्यौहार अपने देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसका उत्तर देने के लिए एक आख्यान रचा गया है। होली का त्यौहार मनाने का आख्यान यह है कि एक बार शिव जी तपस्या में इतने रमे कि पार्वती को बिल्कुल भूल गये। पार्वती कामदेव के पास पहुँची और शिकायत की कि मेरे देवता मुझे विसरा गये, इनकी समाधि कैसे भंग हो। कामदेव ने शिवजी को समाधि से उठाने के लिए उन पर अपने तीर छोड़ने शुरु किये। शिवजी ने क्रुद्ध होकर अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म होते ही उसकी स्त्री रति रोने-चिल्लाने लगी। अब शिवजी क्या करते? उन्होंने कामदेव को वर दिया कि तुम्हारा शरीर तो भस्म हो गया, परन्तु तुम बिना शरीर के भी जीवित रहोगे और लोगों के मनों में विराजा करोगे। इसीलिए कामदेव का दूसरा नाम है—'अनंग'—अर्थात् जिसका अंग ही न हो। अब कामदेव मन-मन में बैठ कर सब को तरंगित करते रहते हैं, और इसी तरंग और उल्लास को अभिव्यक्त करने के लिए होली का पर्व मनाया जाता है। जैसे होली का समाधान पौराणिक-आख्यान से दिया गया है, वैसे अन्य विधि-विधानों का भी इन आख्यानों से समाधान किया जाता है। विधि-विधान पहले होते हैं, उनके समाधान के आख्यान पीछे बनते हैं।

## ४ अन्तरग तथा बहिरग आख्यान (Esoteric and Exoteric Mythology)

‘पौराणिक-आख्यानों’ को जानने वालों के दो रूप होते हैं—‘अन्तरग’ तथा ‘बहिरग’। आख्यानों को जानने वालों का ‘बहिरग-वर्ग’ तो सब-कोई है। किसी भी जन-जाति के आख्यानों को प्रत्येक व्यक्ति जानता है। परन्तु इन आख्यानों को जानने वाला एक ‘अन्तरग-वर्ग’ भी होता है, जो आख्यानों के वास्तविक रहस्य को जानता है। आख्यान को जान लेना पर्याप्त नहीं है। आख्यान तो किसी रहस्य को अपने भीतर छिपाये हुए होते हैं। इन रहस्यों को सब-कोई नहीं जानते। किस आख्यान का क्या रहस्य है, इसके भीतर छिपा हुआ अर्थ क्या है—यह इने-गिने ही जानते होते हैं। प्रत्येक जन-जाति में उसके आख्यान को जानने वाले अन्तरग लोगों का एक वर्ग होता है। प्रायः जन-जातियों में यह वर्ग जो अपना सारा समय ‘विधि-विधान’ (Rituals) तथा ‘आख्यान’ (Mythology) में लगाता है, ‘पुरोहित-वर्ग’ होता है। जन-जातियों के मुखिया भी इस रहस्य को जानने में अपना समय बिताया करते हैं। उपनिषदों में भी जगह-जगह मिलता है कि ऋषि लोग दौड़-दौड़ कर उस समय के राजाओं के पास जाते थे और उनसे ब्रह्म-विद्या का रहस्य पूछते थे। उस समय रहस्य का ज्ञान ऋषियों के स्थान में राजा लोगों को था। प्रत्येक समाज में रहस्य को जानने वाला एक वर्ग सदा बना रहता है। अहमन द्वीपवासियों में एक विशिष्ट-वर्ग के विषय में कहा जाता है कि उन्हें प्रेतात्माओं तथा रोग दूर करने वाली औषधियों के विषय में अन्तरग-ज्ञान है, इन के रहस्य का उन्हें पता है। असल बात यह है कि प्रत्येक जन-जाति में कोई-न-कोई निश्चित विधि-विधान चिर-काल से चला आ रहा होता है। यह विधि-विधान इस जन-जाति के आख्यानों के उत्पन्न होने से पहले से आ रहा होता है। इस विधि-विधान को पवित्र समझा जाता है, इसमें जरा भी हेर-फेर करना अनुचित समझा जाता है। इस विधि-विधान के पीछे कोई आधार होना चाहिए। यह आधार उस जन-जाति के पादरी-पुरोहित-मुखिया पौराणिक-आख्यानों के द्वारा उत्पन्न करते रहते हैं। इन आख्यानों का उद्देश्य उस-उस जन-जाति के विधि-विधान के पीछे कोई ऐसी दैवीय घटना जोड़ देना होता है जिससे लोग विधि-विधान को छोड़ें नहीं, उसे करते ही रहें। जनता विधि-विधानों तथा आख्यानों का बहिरग रूप ही जानती है, ये पुरोहित तथा जन-जाति के मुखिया इन विधि-विधानों तथा आख्यानों का अन्तरग रूप जानते हैं, इनका रहस्य जानते हैं—ऐसा कहा जाता है। इसी कारण पुरोहितों की जन-जातियों में मान-मर्यादा तथा प्रतिष्ठा की जाती है। आख्यानों का काम कथानकों द्वारा ‘विधि-विधान’ की पुष्टि करना होता है। इन आख्यानों के अन्तरग रहस्य को जानने वाले हर किसी को रहस्य का उद्घाटन नहीं करते। रहस्य का उद्घाटन करने के लिए विशेष परीक्षा के बाद शिष्य बनाया जाता है। इसी कारण लोग गुरु धारण करने के लिए तरसा करते हैं ताकि उन्हें ‘अन्तरग’ रहस्य का ज्ञान हो।

## ५ आख्यान तथा संस्कृति (Mythology and Culture)

जैसा हमने अभी कहा 'पौराणिक-आख्यानों' का उद्देश्य 'विधि-विधान' (Ritual) को बल देना होता है। 'विधि-विधान' को बल देने के लिए पुरोहित-वर्ग आख्यान रचता है, धार्मिक-कथानक घडता है। जब ये आख्यान घड़े जाते हैं, तब इन्हें कैसे घडा जाता है? जिस समाज में आख्यान बनते हैं, उस समाज की संस्कृति के प्रकाश में ही इन आख्यानों का निर्माण हो सकता है, इस संस्कृति के बिना आख्यान कैसे बनेंगे? एक तरह से इन आख्यानों में उस समय की संस्कृति का प्रतिबिम्ब होता है। किसी काल की संस्कृति में उस समय के लोगो के मन में सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य जानने का विचार प्रबल होगा, तो उस काल में बने कथानकों में भी सृष्ट्युत्पत्ति के आख्यान अधिक पाये जायेंगे। किसी काल की संस्कृति सृष्ट्युत्पत्ति को अपने विचार का मुख्य लक्ष्य न बनाकर मनुष्य तथा पशु के संबंध में जिज्ञासा को विचार का मुख्य लक्ष्य बनायेगी, तो उस समय के कथानकों में पशुओं तथा मनुष्यों के संबन्ध की बातें मुख्य होंगी। इस दृष्टि से आख्यानों के आवार पर जिस काल में ये आख्यान बने उस काल की संस्कृति का अध्ययन किया जा सकता है। आख्यान क्योंकि अपने काल की संस्कृति को प्रतिबिम्बित करते हैं इसलिए इन आख्यानों में से उस काल की संस्कृति का निर्माण कर सकना कठिन नहीं है।

## ६ आख्यानों के कुछ उदाहरण

मानव-जाति कैसे उत्पन्न हुई—इस सन्ध में अनेक आख्यान हैं। एक तो प्रसिद्ध आख्यान बाइबल का है कि परमात्मा ने मट्टी का पुतला बनाया, उसमें फूँक मार दी और जिन्दा इन्सान पैदा हो गया। उसकी पसली की एक हड्डी को लेकर स्त्री को बना दिया। यह आख्यान सैमिटिक जातियों में प्रायः सर्वत्र पाया जाता है। स्त्री में प्राण नहीं फूँका, इसलिए देर तक यहूदी लोग स्त्री में आत्मा नहीं मानते रहे। ईसाई-संसार में, स्त्री को यह मिट्टी करने के लिए कि उसमें भी पुरुष की तरह का आत्मा है, उसे बड़ी जट्टोजहद करनी पड़ी। ग्रेट स्मोकी मॉन्टेन्स के चैरोकी इन्डियनों में मानव की विविध जातियों की उत्पत्ति के संबन्ध में एक रोचक आख्यान है। इस आख्यान के अनुसार सृष्टि के निर्माता ने एक तद्दूर गर्म किया, आटा साना और इस सने आटे की तीन मूर्तियाँ बनायीं। इन्हें पका कर मनुष्य बनाने के लिए उसने इन तीनों को तन्दूर की आग में रख दिया। उसे यह जानने की बड़ी उत्सुकता थी कि उत्तका बनाया मनुष्य कैसा बना, इसलिए उसने झट-से एक मूर्ति को बाहर निकाल लिया। मनुष्य की यह मूर्ति अघपकी थी, पीली-पीली थी, परन्तु अब इसे आग में नहीं रखा जा सकता था क्योंकि तद्दूर में से निकालते ही यह जीवित हो गई थी। इससे युरोपियन जाति के लोगो की उत्पत्ति हुई। इससे विधाता सन्तुष्ट न हुआ। इसके कुछ देर बाद उसने दूसरी मूर्ति को निकाला।

यह पक चुकी थी, लाल रंग की थी, सुखड-सुडौल थी। इससे वह सन्तुष्ट हुआ। इस मूर्ति से लाल-इडियन पैदा हुए। वह इस मूर्ति से इतना प्रसन्न हुआ कि यह भूल ही गया कि एक तीसरी मूर्ति भी तद्वर में पड़ी है। इस बीच यह कोयला बन गई उसके जलने का धुँआ आने लगा। उसने उसे निकाला तो वह तो निरा कोयला हो चुकी थी। इससे नीग्रो लोग उत्पन्न हुए।

भारत की जन-जातियों में अपनी-अपनी जन-जाति की उत्पत्ति के सबध में भिन्न-भिन्न आख्यान प्रचलित हैं। कमार जन-जाति के कथानक के अनुसार महादेव समाधि में बैठे थे कि एक पागल गीदड ने समाधि में विघ्न डाल दिया महादेव ने क्रोध में आकर जल-विप्लव द्वारा सृष्टि के विनाश का शाप दे दिया एक वृद्धा को इस बात का पता चल गया, उसने अपने पति से कहा, वह भागा-भाग जगल गया और उसने एक नौका बनाई। इस नौका में १२ साल के लिए खाने-पीने का सामान जमा कर लिया। अपने लडके-लडकी को किशती में रख लिया। इससे बाद घमासान वर्षा शुरू हुई, सारी पृथिवी पानी से भर गई, सब वह गया, नष्ट हो गया। बारह वर्ष तक महादेव का यह रौद्र रूप जारी रहा। इसके बाद उसने अपने अनुचरों को फिर से सृष्टि उत्पन्न करने के लिए मनुष्य का बीज ढूँढने के लिए भेजा उन्हें किशती में ये भाई-बहन मिले। महादेव ने इन्हें अपनी सन्तान मान लिया एक कीड़े के मुँह में कुछ बीज थे, वे निकाले गये, उनसे बन-वनस्पति पैदा हुए। पृथ्वी भी बनी। परन्तु इस पृथ्वी पर रहे कौन? इसके लिए मनुष्य की आवश्यकता हुई, परन्तु कहाँ से आये? महादेव ने इन भाई-बहन को सृष्टि चलाने का प्रेरणा दी, परन्तु वे नहीं माने। महादेव ने कई चालें चलीं, अन्त में वह इनके यौन-संबध कराने में सफल हो गया। लडकी के एकदम कई सन्तानें हुईं, परन्तु उसने लज्जा के मारे प्राण छोड़ दिये। जब ये सन्तानें बड़ीं, तब इन्हीं से अनेक जन-जातियाँ बन गईं।

हो जन-जाति का सृष्ट्युत्पत्ति का आख्यान अपने ढंग का है। इनके आख्या के अनुसार सृष्टि के कर्ता का नाम सिंग-बोंग तथा ओटेबोरम है। ये स्वयं तो स्वयं हैं, इन्हें कोई पैदा नहीं करता। इन्होंने घास और पेड़ों से पृथिवी को पैदा किया इसके बाद पालतू जानवर और फिर जगली जानवर पैदा किये। इन सब के पैदा हो जाने के बाद एक लडका और एक लडकी को पैदा करके एक गुफा में रख दिया गया। ये दोनों बिल्कुल सरल और निर्दोष थे, इसलिए इन्होंने यौन-संबध नहीं किया। सिंग-बोंग ने यह देख कर कि ये सन्तान उत्पन्न नहीं करते, इन्हें इल्ली बनाकर सिखाया। इल्ली का अर्थ है चावल से बनी शराब। इल्ली पीकर ये अपने-अपने भूल गये और इन्होंने सन्तान उत्पन्न की। इनके १२ पुत्र तथा १२ पुत्रियाँ हुईं सन्तानें बड़ी हो जाने पर सिंग-बोंग ने एक दावत का सामान इकट्ठा किया, उसमें भैंस, बिल, बकरा-बकरी, सूअर, मछली, बत्ख का मास तथा साग-सब्जी सब-कुछ रखा। इन चौबीसों में से भाई-बहन का एक-एक जोड़ा बना कर हर जोड़े का दावत में से मतवाला भोजन चुनने को कहा ताकि सृष्टि-रचना प्रारंभ करने के

वाद वे उसी भोजन पर अपना निर्वाह करें। जिस जोड़े ने भंस तथा बँल का मांस पसन्द किया, उससे आगे चलकर 'हो' तथा 'भूमिज' जन-जातियाँ उत्पन्न हुईं; जिन जोड़ों ने साग-सब्जी पसन्द की उनसे आगे चलकर 'ब्राह्मण' और 'क्षत्रिय' पैदा हुए, जिन्होंने मछली तथा बकरो का मांस पसन्द किया उनसे 'शूद्र' उत्पन्न हुए, जिन्होंने घोंघे पसन्द किये उनसे 'भूइया' जन-जाति बनी, जिन्होंने सूअर चुना उनसे 'सन्याल' जन-जाति पैदा हुई। एक जोड़े को कुछ नहीं मिला, उन्हें हो जन-जाति के लोगों ने अपनी वचत में से खाने को दिया, इनकी सन्तान 'घासी' कहलाई। यह 'घासी' जन-जाति 'हो' जन-जाति का काम-काज करती है।

### ७ 'दन्त-कथा' की उत्पत्ति तथा विशेषताएँ (Origin of Folktale and its characteristics)

'दन्त-कथा' उस कथानक को कहते हैं जिसका मुख्य आधार 'कल्पना' होता है। 'आख्यान' तो प्राचीन-काल की देवी-देवताओं की सत्य-घटनाओं को कहा जाता है, ये सत्य हो या न हो, परन्तु लोग इन्हें सत्य ही मानते हैं, 'दन्त-कथा' के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती। 'आख्यान' का उद्देश्य प्रयाओं, रीति-रिवाजों, नैतिक विचारों, समाज की विधियों तथा निषेधों को सहारा देना, इन्हें पुष्ट करना होता है; 'दन्त-कथा' का उद्देश्य मुख्य तौर पर दिल बहलाव होता है। 'दन्त-कथा' की उत्पत्ति में सत्य घटनाएँ होती ही नहीं—यह नहीं कहा जा सकता। 'पूर्व-पाषाण-युग' (Paleolithic period) में जब से मनुष्य ने भाषा का आविष्कार किया, तब से जो घटनाएँ होती रहीं, वे वंश-परंपरा द्वारा आगे-आगे सुनाई जाती रही होंगी। जहाँ तक इन घटनाओं का सबब है, वहाँ तक इनके आधार पर बने कथानको, दन्त-कथाओं को सत्य कहना असंगत नहीं होगा, परन्तु दन्त-कथाएँ सिर्फ सत्य-घटनाओं तक सीमित नहीं रहतीं, उनमें कल्पना का पुट मिला रहता है, और घटना भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की कल्पना के मिश्रण से काल्पनिक होती जाती है। 'दन्त-कथा' की उत्पत्ति कैसे होती है—इस सबब में विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं, जिन्हें हम यहाँ दे रहे हैं.—

(क) दन्त-कथाओं की उत्पत्ति का आधार प्रसारवाद (Theory of diffusion)—प्रसारवादियों का कहना है कि प्रत्येक दन्त-कथा कहीं बाहर से आती है। जैसे भाषा की उत्पत्ति कहीं हुई—यह नहीं कहा जा सकता, वैसे दन्त-कथा की उत्पत्ति कहीं हुई—यह भी नहीं कहा जा सकता। भाषा एक स्थान से दूसरे स्थान को फैलती है। मनुष्य-मनुष्य का, समाज-समाज का संपर्क होता है, इनमें आदान-प्रदान होता है, और एक की चीज दूसरा लेता है। इसी प्रकार एक समाज के कथानक दूसरे समाज में 'प्रसार' की प्रक्रिया द्वारा पहुँचते हैं। कई लोगों का कहना है कि मव दन्त-कथाओं का उत्पत्ति-स्थान मैसेपोटामिया या भारत रहा है। इन्हीं दो केन्द्रों में दन्त-कथाएँ उत्पन्न हुईं, और जैसे पानी में पत्थर फेंकने से लहरें



समुद्र में चारों तरफ फैल गई। परन्तु यह बात तभी कही जा सकती है, जब ससार भर भी दन्त-कथाओं में प्रत्येक कथा की 'कथा-वस्तु' (Plot) एक ही तरह की हो। ऐसा नहीं कहा जा सकता। देश-देश और जाति-जाति की दन्त-कथाओं की 'कथा-वस्तुओं' में भिन्नता है। ऐसी हालत में इन दन्त-कथाओं की भिन्न-भिन्न देशों में स्वतंत्र उत्पत्ति भी हुई होगी, और प्रसार द्वारा वे एक देश से दूसरे देश में भी पहुँची होंगी—यही कहा जा सकता है। मनुष्य तो यात्रा करता ही है, परन्तु कथाओं की यात्रा मनुष्य की यात्रा से भी तेज होती है। जाड़ के जोर से समुद्र पार कर जाने की कथा युरोप, एशिया, आफ्रीका—सब जगह पायी जाती है।

'प्रसारवाद' का यह कथन तो ठीक है कि दन्त-कथा एक देश से दूसरे देश में पहुँची होगी, परन्तु इससे इस बात का समाधान नहीं होता कि जहा यह पहले-पहल उत्पन्न हुई, वहाँ किस प्रकार उत्पन्न हुई ?

(ख) दन्त-कथाओं की उत्पत्ति का आधार प्रकृति-रूपकवाद (Nature symbolism or Cosmogonic origin)—प्रकृति-रूपकवादियों का कहना है कि प्रकृति में जितनी घटनाएँ हैं, उनका कल्पना के सहारे रूपक बना कर, उन घटनाओं का दन्त-कथाओं में साकेतिक वर्णन किया जाता है। उदाहरणार्थ, प्रकृति में गर्मी-सर्दी-वर्षा आदि ऋतुएँ, चाँद की बढ़ती-घटती कलाएँ, सूर्य का उदय-अस्त, तारा-पुच्छल तारा, समुद्र के ज्वार-भाटा, बिजली, बाढ़, विप्लव, दावानल, धुँध आदि घटनाएँ रोज-रोज देख कर आदिकालीन मनुष्य का इनको अपनी कल्पना का आधार बनाना अत्यन्त स्वाभाविक था। परन्तु इनको वह अपनी कल्पना का सहारा कैसे बनाता ? सब से पहली कल्पना तो उसने इनको मानव-सम बनाने में की। जैसे मनुष्य अपने काम-धंधे करता है, वैसे ये भी करते होंगे। जैसे मनुष्य में राग-द्वेष, काम-क्रोध होते हैं, वैसे इनमें भी होते होंगे। इनमें मानव-सम कल्पना करते ही आगे कल्पना को इतनी छूट मिल जाती है कि वह मनुष्यों के आधार पर कथानक बनाने के स्थान पर इनके आधार पर भी कथानक बनाने लगता है। एक बार सूर्य और वायु में बहस चल पड़ी। वायु कहने लगी, मैं बड़ी, सूर्य कहने लगा, मैं बड़ा। इन्हें एक आदमी कबल ओढ़े दीख पड़ा। वायु ने कहा, जो इसका कबल उतरवा देगा, वह बड़ा माना जायगा। सूर्य ने कहा— ठीक। वायु बड़े वेग से चलने लगी, कबल इधर-से-उधर उड़ने लगा। वायु की मशा थी कि कबल को उडा ले जाये, परन्तु जितनी हवा चलती, वह मनुष्य उतना ही सर्दी के कारण कबल को लपेटता जाता। वायु ने कहा, मैं तो कबल नहीं उतरवा सकी। अब सूर्य की बारी आयी। सूर्य ने तपना शुरू किया। उस आदमी ने पहले तो कम्बल को ढीला किया, परन्तु ज्यों-ज्यों गर्मी बढ़ती गई, उसने कम्बल को उतार कर फेंक दिया। वायु ने सूर्य से हार मान ली। यह एक प्राकृतिक-घटना का वर्णन हुआ, परन्तु इसे एक कथा का रूप दे दिया गया। इसी प्रकार अन्य दन्त-कथाओं की प्राकृतिक-घटनाओं से कल्पना द्वारा उत्पत्ति होती है।

अगर 'प्रकृति-रूपक-वाद' को दन्त-कथाओं की उत्पत्ति का आधार मान भी लिया जाय, तो भी एक स्थान से दूसरे स्थान में उस कथा के पहुँचने के लिए 'प्रसारवाद' का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ये दन्त-कथाएँ एक ही जगह तो नहीं मिलतीं, जैसी ये एक जगह पायी जाती हैं वैसे दूसरी जगह भी पायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त 'आख्यानों' (Mythologies) के उत्पन्न होने में भी यही कारण बताया जाता है। जहाँ तक 'दन्त-कथाओं' (Folktales) तथा 'आख्यानों' (Mythologies) में समानता है, वहाँ तक तो यह समाधान ठीक बैठ जाता है, परन्तु इनमें भेद भी तो है। उस हालत में 'प्रकृति-रूपक-वाद' को उन दन्त-कथाओं का समाधान करने के लिए जिनमें प्राकृतिक घटनाओं का उल्लेख नहीं है, अन्य वादों का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। 'आख्यानों' में जब प्राकृतिक-रूपको का सहारा लिया जाता है, तब उद्देश्य विधि-विधान को पुष्ट करना होता है, दन्त-कथाओं में जब प्राकृतिक-रूपकों का सहारा लिया जाता है, तब उद्देश्य अधिकतर मनोरजन होता है, इसलिए दोनों के आधार में प्राकृतिक-घटनाओं के होते हुए भी दोनों में भेद बना रहता है।

(ग) दन्त-कथाओं की उत्पत्ति का आधार मनोविश्लेषणवाद (Psycho-analytic or sex origin)—रूपकवाद को आधार बना कर कुछ विद्वानों ने रूपको का स्रोत प्राकृतिक-घटनाओं, सूर्य, चन्द्र, तारा आदि को कहा, तो फ्रायड (Freud) के अनुयायी मनोविश्लेषणवादी इन रूपकों का स्रोत प्राकृतिक-घटनाओं को न मान कर यौन-प्रवृत्तियों (Sex drives) को मानते हैं। उनकी विचार-धारा इस प्रकार है :—मनुष्य के मन के दो भाग हैं—'ज्ञात-मन' (Conscious) तथा 'अज्ञात-मन' (Unconscious)। 'अज्ञात-मन' हमारी आदिकालीन, प्राथमिक इच्छाओं, वासनाओं का मूल-स्रोत है। इस 'अज्ञात-मन' में हमारी आदिकालीन, प्राथमिक इच्छाएँ पड़ी होती हैं, वे 'अज्ञात' से 'ज्ञात' में आने का प्रयत्न करती हैं। हमारी इच्छाओं का स्रोत 'अज्ञात' में होता है, 'ज्ञात' में नहीं। जो-कुछ हम करते हैं 'अज्ञात-मन' द्वारा ही करते हैं, 'ज्ञात-मन' का काम तो 'अज्ञात' पर सिर्फ नियन्त्रण करना, उसमें से किस इच्छा को बाहर आने दिया जाय, किसे न आने दिया जाय—इसका चुनाव करना होता है। 'अज्ञात-मन' से जो इच्छाएँ बाहर निकलती हैं, उनके निकलने के दो साधन हैं। एक साधन तो यह है कि समाज की जो धारणाएँ हैं, ये इच्छाएँ अपने को इन धारणाओं के अनुकूल बना लें। समाज नहीं चाहता कि किसी की स्त्री को बुरी नज़र से देखा जाय। मनुष्य का 'अज्ञात-मन' तो हर स्त्री से छेड़-छाड़ करना चाहता है। 'अज्ञात-मन' की यह इच्छा जब अपने को समाज के प्रतिबन्धों के अनुरूप बना लेती है, जब मनुष्य प्रत्येक स्त्री को बड़ा होने के कारण 'माँ', छोटा होने के कारण 'पुत्री' तथा समान होने के कारण 'बहन' मानने लगता है, तब 'ज्ञात-मन' अन्दर की इच्छा को बाहर निकलने की आज्ञा दे देता है। 'अज्ञात-मन' की आदिकालीन, अघड, प्राथमिक-इच्छा अर्थात् वासना के 'अज्ञात-मन' से

बाहर निकलने का दूसरा रास्ता यह है कि वह इच्छा अपनी शकल ऐसी बदल ले जिससे 'ज्ञात-मन' को पता ही न चले कि यह भोडी, अघड, आदिकालीन इच्छा बाहर निकल रही है। प्रायः 'अज्ञात-मन' इसी तरीके से 'ज्ञात-मन' को धोखा दिया करता है। मनोविश्लेषणवादियों के कथनानुसार 'अज्ञात-मन' में अधिकतर यौन-सवधी वासनाएँ रहती हैं। ये यौन-वासनाएँ बाहर कैसे निकलें? बाहर तो 'ज्ञात-मन' पहरेदार बन कर बैठा है, वह इन्हें बाहर आने ही नहीं देता। तो फिर ये 'अज्ञात-मन' की यौन-वासनाएँ क्या करें? ये अपना रूप, अपनी शकल बदल लेती हैं। इनकी शकल बदलने से ही 'दन्त-कथाएँ' (Folktales) उत्पन्न हो जाती हैं। एक राजा था, उसकी सात रानियाँ थीं। सात क्यों थीं, एक क्यों नहीं थी? मनुष्य की काम-वासना उसे अनेक स्त्रियों के साथ सवध रखने के लिए प्रेरित करती है, परन्तु समाज इसे बुरा मानता है, इसलिए 'अज्ञात-मन' के इस विचार को 'ज्ञात-मन' बाहर नहीं आने देता। इस रुकावट को देख कर 'अज्ञात-मन' अपनी वासना की शकल बदल कर बाहर निकलता है। मनुष्य कहता है—मेरे सात रानियाँ नहीं, उसके सात रानियाँ थीं। 'ज्ञात-मन' धोखे में आ जाता।—कह देता है, अच्छा तेरे नहीं तो कर ले सात रानियों की बात। जब 'दन्त-कथा' में मनुष्य राजा और सात रानियों की बात कह रहा होता है, तो कल्पना राजा की जगह अपने को रख रहा होता है, और अपने को एक तरह से सात रानियों का राजा कल्पित कर रहा होता है। मनोविश्लेषणवादियों का कहना है कि ससा की दन्त-कथाओं की उत्पत्ति 'अज्ञात-मन' में पड़ी काम-वासना के अपना यथा रूप छिपा कर शकल बदल कर बाहर निकल आने का ही परिणाम है।

मनोविश्लेषणवादियों का विचार उन दन्त-कथाओं के सवध में तो ठीक हो सकता है, जिनका किसी प्रकार का सवध काम-वासनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है, परन्तु ये लोग तो हर चीज का सवध काम-वासनाओं से जोड़ने में प्रयत्न करते हैं। यह कुछ ज्यादाती मालूम देती है। मनोविश्लेषणवादी समाधान से कुछ 'दन्त-कथाओं' का समाधान हो सकता है, सब का नहीं।

(घ) दन्त-कथाओं की उत्पत्ति का आधार इच्छा-पूर्तिवाद (Doctrine of wish-fulfilment)—मनोविश्लेषणवाद का एक पहलू दूसरा भी है। हर वक्त को यौन-प्रवृत्ति में खींच ले जाने के स्थान में यह भी कहा जा सकता है कि 'अज्ञात-मन' की इच्छाएँ चाहे यौन हो या अन्य किसी तरह की हो, अपने को पूर्ण कर चाहती हैं। इच्छा की गति पूर्णता की तरफ बहती है। अपनी अपूर्ण इच्छाओं मनुष्य कल्पना के जगत् में पूर्ण किया करता है। अपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जब मनुष्य कल्पना-जगत् का निर्माण करता है, तब परियों की, राक्षसों की, भूत-प्रेतों और जिनों की, इसी प्रकार अन्य अनेक प्रकार की कथाओं को जन्म दे देता है। यह वाद निरै 'मनोविश्लेषणवाद' से ज्यादा युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

(ङ) दन्त-कथाओं की उत्पत्ति का आधार व्याख्यावाद (Explanatory origin)—'आख्यानो' के विषय में हम पहले लिख आये हैं कि ये अपने समय के

विधि-विधानों की, रिति-रिवाजों की, विधि-निषेध की व्याख्या करते हैं; 'दन्त-कथाओं' का काम भी अपने समय की सामाजिक रुढ़ियों, प्रथाओं आदि की मनोरंजक ढंग से व्याख्या करना होता है। इस दृष्टि से 'आख्यानों' तथा 'दन्त-कथाओं' का एक-सा कार्य है। कभी-कभी चिकित्सा आदि के सिद्धान्त भी दन्त-कथाओं द्वारा अभिव्यक्त किये जाते हैं। 'भाव-प्रकाश'-नामक चिकित्सा-ग्रन्थ में लिखा है—“यदा मृतं वनतेयो जहार सुरसत्तमाम्, तदा ततोऽपतद् विन्दुः स रसोनो-ऽभवद् भुवि”—जब देव तथा दानवों ने मिल कर रत्न पाने के लिए मेरु को मघानी तथा वासुकि-सर्प को रज्जु बना कर समुद्र-मथन किया, तब समुद्र में से अमृत कलश निकला। इस अमृत के कलश को हस्तगत करने के लिए देवों और दानवों की लड़ाई छिड़ गयी। ये लोग लड़ ही रहे थे कि गरुड ने आकर कलश को उड़ा लिया। वह कलश लिये उड़ा चला जा रहा था कि हिलने से कलश में से अमृत के कुछ बिन्दु पृथिवी पर गिर पड़े। उन्हीं से लहसुन पैदा हुआ। यह कथा लहसुन के गुण बताने के लिए घड़ी गई। लहसुन को संस्कृत में 'रसोन' कहते हैं। 'रसोन' का अर्थ है जिसमें एक रस 'ऊन' हो, अर्थात् कम हो। इसमें अम्ल रस को छोड़ कर सब रस पाये जाते हैं। 'रसोन' से ही विकृत होकर 'लहसुन' बना है। चिकित्सा-शास्त्र में इसका गुण अमृत के समान माना गया है, और इस कथन को कथानक से पुष्ट किया गया है। राजनीति की कथाओं द्वारा राजनीति के बड़े-बड़े सिद्धान्तों को पचतन्त्र तथा हितोपदेश की कथाओं में व्यक्त किया गया है। कई नैतिक बातों को कथा-कहानियों से पुष्ट किया जाता है। कभी-कभी जीवन की अनेक गुत्तियों को इन दन्त-कथाओं से सुलझाने का प्रयत्न किया जाता है। मृत्यु के बाद क्या होता है—यह समस्या किसे तंग नहीं करती। अनेक जन-जातियों में नक्षत्र के तारों को मृत-पूर्वज कल्पित कर के उनकी रोचक कथाएँ घड़ी गई हैं। जन-जाति का नेता युद्ध करता मारा गया। क्या हमारा नेता मर सकता है—यह समस्या अनुयायियों को तंग करती है। इसका समाधान करने के लिए कथाएँ पायी जाती हैं जिनके अनुसार नेता के चारों तरफ जब शत्रु घिर आये, तब वह मारे जाने के स्थान पर यकायक अन्तर्धान हो गया, उसका किसी को पता ही नहीं चला। इस दृष्टि से अनेक बातों की मनोरंजक ढंग से व्याख्या करने के लिए कथा-कथानक, दन्त-कथा की उत्पत्ति होती है। व्याख्यावाद से दन्त-कथाओं की उत्पत्ति का यही अर्थ है।

जिन लोगों ने कथाओं का गहराई से अध्ययन किया है, उनका कहना है कि कथाओं के पीछे—'इसलिए ऐसा करना चाहिए' या 'इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए'—ये वाक्य पीछे-से लगाये जाते रहे हैं, कथानक इन 'चाहिए-न चाहिए' से पहले-से चले आते रहे हैं, इसलिए यद्यपि व्याख्यावाद दन्त-कथाओं की उत्पत्ति का कारण हो सकता है, तो भी यह इनकी उत्पत्ति का निश्चित कारण नहीं कहा जा सकता।

(च) दन्त-कथाओं की उत्पत्ति में विकासवादी-सिद्धान्त (Evolutionary

(Tylor) का कहना है कि ससार में एक स्थान के मनुष्यों की दूसरे स्थान के मनुष्यों से मानसिक समानता है। 'मानव-समाज की इस आधारभूत मानसिक-समानता' (Psychical unity of mankind) के कारण सब जगह के मानवों का चिन्तन एक-सा होता है, इसलिए सब स्थानों के कथानक भी एक-से पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, सिड्रेला की कहानी ससार में सब जगह भिन्न-भिन्न रूपों में पायी जाती है। हरस्कोविट्स (Herskovits) के कथानानुसार इसके ३५० के लगभग भिन्न-भिन्न रूप पाये गये हैं। सिड्रेला को उसकी सौतेली माँ तथा सौतेली बहनों ने बन्द कर रखा था, उसके साथ बुरा व्यवहार करती थीं, परन्तु अपनी असली माँ की आत्मा तथा पक्षियों और चूहों की सहायता से वह अपने बंधनों से निकल भागी और अपने प्रिय राजकुमार के साथ शादी करने में सफल हुई।

इस कहानी का ससार के सब स्थानों में पाया जाना 'प्रसारवाद' (Theory of diffusion) से भी समझाया जा सकता है, 'विकासवाद' के मानव के 'चिन्तन की एकता' के सिद्धान्त से भी समझाया जा सकता है क्योंकि सौतेली माँ-बहन का व्यवहार सब जगह एक-सा पाया जाता है। विकासवादी इसका समाधान 'चिन्तन की एकता' से करने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु आजकल का हमारा अनुभव सिद्ध करता है कि इस प्रकार समान कथाओं का पाया जाना अधिकतर 'प्रसार' द्वारा होता है। जहाँ-जहाँ फ्रांसीसी लोग उत्तरी अमरीका की जन-जातियों के सपर्क में आये हैं, वहाँ-वहाँ फ्रांसीसी कहानियाँ जन-जातियों के कथा-साहित्य में प्रविष्ट हो गई हैं। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक उदाहरण हैं। ऐसी हालत में विकासवादी सिद्धान्त बहुत युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता।

(छ) दन्तकथाओं की उत्पत्ति में यथार्थवाद (Realism)—इस विचार के मानने वालों का कहना है कि आदिवासियों में यथार्थ घटनाओं का वर्णन कई बार होता था। जिससे मिले उसे घटना सुनाई। एक ने दूसरे को सुनाई, दूसरे ने तीसरे को सुनाई। जो पहली बार सुनाता था, उससे सुन कर सुनाने वाला नमक-मिर्च लगाकर, उसे बढ़ा-चढ़ा कर सुनाता था। इस क्रम को आगे चलाने वाला अपने देश, जन-जाति की परंपरा की बातें इसके साथ और जोड़ देता था। बढ़ते-बढ़ते यह चीज इतनी विकृत हो जाती थी कि सारे कथानक में से वास्तविक घटना को पहचानना ही कठिन हो जाता था, परन्तु सारी घटना के मूल में कोई वास्तविक तथा यथार्थ घटना ही होती थी। धीरे-धीरे इस कथानक के पात्रों में, वस्तु-कथा में, शैली में भेद पड़ता जाता था, और एक नवीन कथानक उत्पन्न हो जाता था, स्रोत इस सब का यथार्थ ही होता था।

### ८ दन्त-कथाओं के प्रेरक

#### (Motifs of Folktales)

दन्त-कथाओं के आधार में कुछ प्रेरक-विचार काम कर रहे होते हैं। इन्हें मानव-शास्त्री 'मोटिफ' कहते हैं। 'मोटिफ' फ्रेंच शब्द है, इसी के लिए अंग्रेजी में 'मोटिफ' शब्द का प्रयोग होता है। अर्थ दोनों का 'प्रेरक' से है, जो दन्त-कथा की

पति को डस लेती है। अगले दिन पति मरा मिलता है, परन्तु किसने इसे डसा— इसका पता नहीं चलता। इस बीच एक अन्य नायक इस भूमिका में उतरता है। उसे सारा रहस्य मालूम हो जाता है और वह इस सुन्दरी को जब वह सर्पिणी के रूप में होती है, मौत के घाट उतार देता है। ऐसे कथानक अक्सर पाये जाते हैं।

(ङ) मनुष्य की आत्मा का किसी पक्षी में बन्द होना—एक राक्षस था। उसकी आत्मा एक तोते के शरीर में रहती थी। इस राक्षस को तभी मारा जा सकता था जब तोते को मारा जाय, परन्तु वह तोता कहाँ है—इसका किसी को पता नहीं था। यह राक्षस इस तोते को बड़े सुरक्षित स्थान पर रखता था। इसके उपद्रवों से चारों तरफ हाहाकार मचा रहता था। एक युवक ने इस राक्षस को मारने का सकल्प किया। उसे एक महात्मा ने बताया कि इस राक्षस की आत्मा अमुक-अमुक तोते में रहती है। वह तोता नदी, पहाड़ और समुद्र पार कर के जमीन के तहखानों में बन्द है। महात्मा युवक को एक अगूठी देता है। युवक अगूठी पहन कर तोते की तलाश में चल देता है। अगूठी के प्रभाव से वह पहाड़ों को लाँघता, समुद्रों को पार करता आगे-आगे चलता चला जाता है। जब तोते को वह पा लेता है, तो उसके एक पख के काटने से राक्षस की एक भुजा कट कर गिर जाती है, टाँग काट देने से राक्षस लगडा हो जाता है, गर्दन मरोड़ देने से राक्षस की गर्दन घड़ से अलग जा पड़ती है। ऐसे कथानकों में राक्षस, जिन या किसी दैत्य की आत्मा का किसी पशु-पक्षी के वेह में निवास बता कर कहानी को मनोरञ्जक बनाया जाता है।

९ दन्त-कथाएँ तथा सस्कृति  
(Folktales and Culture)

रचना को प्रेरणा दे, वह 'दन्त-कथा' का 'प्रेरक' (Motif or motive) है। ससार की दन्त-कथाओं का अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य के पास इन दन्त-कथाओं की रचना के 'प्रेरक' इन्ने-गिने हैं। इनकी संख्या ७० के लगभग बताई जाती है। ससार की दन्त-कथाओं के वर्णन का प्रकार, उसे प्रभाव-शाली बनाने का तरीका सब का भिन्न-भिन्न हो सकता है, परन्तु इन के 'प्रेरको' में भेद नहीं आता। दन्त-कथाओं के मुख्य-मुख्य प्रेरक निम्न हैं —

(क) सब से छोटी रानी का दुष्ट-स्वभाव—ससार के प्राय सभी देशों में राजा की अनेक रानियों की कहानी पायी जाती है। इनमें से सब से छोटी रानी जब आती है, तो वह राजा पर ऐसा मोह-जाल डाल देती है कि वह अन्य रानियों की पर्वह विल्कुल नहीं करता। इतना ही नहीं, वह अन्य रानियों के साथ बुरा-वर्ताव भी करने लगता है। धीरे-धीरे इस छोटी रानी की पोल खुलने लगती है, राजा की मोह-निद्रा टूटने लगती है और इस छोटी रानी को अपनी दुष्टता का फल मिलता है। इसके बाद राजा के प्रेम में अन्य रानियों का स्थान ऊँचा हो जाता है। 'छोटी रानी का दुष्ट स्वभाव'—यह प्रेरक प्राय सर्वत्र पाया जाता है।

(ख) छोटे पुत्र का सर्वोत्तम निकलना—छोटे पुत्र के विषय में जो कहानियाँ मिलती हैं, उनमें पहले सब उसकी हँसी-मजाक उड़ाते हैं, सब भाई तथा माता-पिता भी उसे झिडकते-धिक्कारते रहते हैं। इस सब परिस्थिति के साथ उसे जूझना पड़ता है, और अन्त में वही लोग जो उसकी मजाक उड़ाते थे, उसे प्यार करने लगते हैं, उसकी सफलता उसे सब का प्रिय बना देती है।

(ग) जादू के प्रभाव से बाधाओं को पार करना—ऐसी कथाओं की कमी नहीं है जिनमें जादू की अगूठी, जादू के दर्पण, जादू की खड़ाँवो या जादू की अन्य किसी वस्तु के सहारे मनुष्य सब विघ्न-बाधाओं को पार करता चला जाता है। अगूठी पहनी और पहाड़ों के ऊपर से उड़ कर पार चले गये, दर्पण को सामने रखा और दुनियाँ का आर-पार नज़र आ गया, खड़ाँव पहनी और अदृश्य हो गये। जादू की इन वस्तुओं के प्रभाव से मनुष्य के अजेय हो जाने के कथानक सब जगह पाये जाते हैं।

(घ) मनुष्य का जानवर के चोले में रहना—मनुष्य के जानवर के या जानवर के मनुष्य के चोले में चले जाने के भी अनेक कथानक पाये जाते हैं। एक राजकुमार था, उसे जादूगर ने शाप देकर मेंडक बना दिया। अब मेंडक से राजकुमार बनने के लिए उसे कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। या तो कोई राजकुमारी उससे प्रेम करे, या उसे मार दे—तब कहीं मेंडक से वह फिर राजकुमार बनता है। कई वर्षों तक वह मेंडक के शरीर में ही पड़ा रहता है। एक दिन अचानक एक राजकुमारी के क्रोध का वह पात्र बनता है, वह उसे जान से मार देती है, वह फिर से राजकुमार बन जाता है और उसी राजकुमारी से शादी करता है। कई कहानियों में साँपिन एक सुन्दर स्त्री के रूप में जन्म धारण करती है। वह अत्यन्त सुन्दरी है, परन्तु मध्य-रात्रि को अपने असली साँपनी के रूप में आकर सोते

पति को उस लेती है। अगले दिन पति मरा मिलता है, परन्तु किसने इसे उसा— इसका पता नहीं चलता। इस बीच एक अन्य नायक इस भूमिका में उतरता है। उसे सारा रहस्य मालूम हो जाता है और वह इस सुन्वरी को जब वह सर्पिणी के रूप में होती है, मौत के घाट उतार देता है। ऐसे कथानक अक्सर पाये जाते हैं।

(इ) मनुष्य की आत्मा का किसी पक्षी में वन्द होना—एक राक्षस था उसकी आत्मा एक तोते के शरीर में रहती थी। इस राक्षस को तभी मारा जा सकता था जब तोते को मारा जाय, परन्तु वह तोता कहाँ है—इसका किसी क पता नहीं था। यह राक्षस इस तोते को बड़े सुरक्षित स्थान पर रखता था इसके उपद्रवों से चारो तरफ हाहाकार मचा रहता था। एक युवक ने इस राक्षस को मारने का सकल्प किया। उसे एक महात्मा ने बताया कि इस राक्षस व आत्मा अमुक-अमुक तोते में रहती है। वह तोता नदी, पहाड़ और समुद्र पार क के जमीन के तहखानों में वन्द है। महात्मा युवक को एक अगूठी देता है। युवक अगूठी पहन कर तोते की तलाश में चल देता है। अगूठी के प्रभाव से व पहाड़ों को लाँघता, समुद्रो को पार करता आगे-आगे चलता चला जाता है जब तोते को वह पा लेता है, तो उसके एक पख के काटने से राक्षस की एक भुज कट कर गिर जाती है, टाँग काट देने से राक्षस लगडा हो जाता है, गर्दन मरो देने से राक्षस की गर्दन घड से अलग जा पडती है। ऐसे कथानको में राक्षस जिन या किसी दैत्य की आत्मा का किसी पशु-पक्षी के देह में निवास बता कर कहान को मनोरञ्जक बनाया जाता है।

### ९ दन्त-कथाएँ तथा सस्कृति (Folktales and Culture)

प्राय देखा जाता है कि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार की दन्त कथाएँ ही अधिक प्रचलित होती हैं। किसी क्षेत्र की दन्त-कथाएँ दूसरे क्षेत्रों फँल जाती हैं, किसी क्षेत्र की नहीं फँलतीं। इसका कारण एक तो यह है कि उ दन्त-कथा में इतना मनोरञ्जक-तत्व नहीं होता जिससे वह फँले, दूसरा कार यह होता है कि उस कथानक की 'कथा-वस्तु' (Plot) दूसरे क्षेत्र के प्रचलित कथानकों की 'कथा-वस्तु' से मेल नहीं खाती। उदाहरणार्थ, एक क्षेत्र के कथानव में राक्षस की कथाओं का अन्त नायक द्वारा उसके समाप्त किये जाने से होता ह और दूसरे क्षेत्र में कथा का अन्त नायक के समाप्त किये जाने से होता हो, तो दोनो क्षेत्र एक-दूसरे की कथा को लेने के लिए नहीं तैयार होंगे, क्योंकि दोनो कथानको में मनोरञ्जकता होते हुए भी इनकी 'कथा-वस्तुओं' (Plots) में भिन्न है। 'कथा-वस्तु' किस प्रकार बनता है—इसका प्रकार भी प्रत्येक देश तथा ज जाति का अलग-अलग पाया जाता है। हम अभी 'प्रेरको' (Motifs) का वर्णन व आये हैं। किसी प्रदेश की कथा-वस्तु में एक खास तरह के 'प्रेरक' होते हैं, किसी दूसरी तरह के 'प्रेरक' होते हैं, किसी में 'कथा-वस्तु' में दो प्रेरक मिल कर 'कथ वस्तु' को बनाते हैं, किसी में सिर्फ एक 'प्रेरक' से ही 'कथा-वस्तु' बनती है।



इसके अतिरिक्त, 'कथा-वस्तु' के निर्माण में प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न-भिन्न तरह का 'नायक' (Actor) होता है। किसी क्षेत्र में राक्षस, जिन आदि को नायक बनाना पसन्द किया जाता है, किसी में पशु-पक्षी को और किसी में मनुष्य को। इन तीनों के अलावा प्रत्येक क्षेत्र की 'कथा-वस्तु' की 'शैली' (Style) में भी भेद होता है। कहीं प्रत्येक कहानी तीन भाइयों से शुरू होती है, तीन रीछो या तीन घनुषवाणो से शुरू होती है, कहीं चार, कहीं पाँच, कहीं सात से शुरू होती है। कहीं कथानक का प्रारम्भ किसी पवित्र कार्य से शुरू होता है—यज्ञ हो रहा था, विवाह हो रहा था, या इसी तरह का कोई और शुभ कार्य हो रहा था, इससे कथा का प्रारम्भ किया जाता है। कहीं—'ऐसा सुनते हैं', कहीं—'एक बार की बात है', कहीं—'जब दुनियाँ में सब सुख-शान्ति में रहते थे'—इन भूमिकाओं से कथा को प्रारम्भ करने की शैली है। यह शैली सब जगह की अपनी-अपनी अलग-अलग है। इस प्रकार 'दन्त-कथा' (Folktale) के निर्माण में 'कथा-वस्तु' (Plot) के 'प्रेरक' (Motif), 'नायक' (Actor) तथा 'शैली' (Style)—ये तीन मुख्य तत्व हैं और ये चारों भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग होते हैं। इन सब के अलग-अलग होने का आधार उस-उस क्षेत्र की संस्कृति है, इसलिए किसी 'दन्त-कथा' तथा उसकी 'कथा-वस्तु', 'प्रेरक', 'नायक' के चरित्र और 'शैली' के आधार पर उस क्षेत्र की संस्कृति का अनुमान लगाया जा सकता है। भारत की 'दन्त-कथाओं' के आधार पर 'कथा-वस्तु', 'प्रेरक', 'नायकों' के चरित्र और 'शैली' की छान-बीन कर यहाँ की संस्कृति की रूप-रेखा का पता चल सकता है। इसी प्रकार अन्य देशों की संस्कृति के सबध में भी इनके आधार पर कुछ कहा जा सकता है। किसी क्षेत्र की दन्त-कथाओं में शत्रुओं का सहार, किसी में सन्तानोत्पत्ति, किसी में नैतिकता, किसी में भय-आतंक—इनकी प्रधानता रहती है, जिसे उस समय की संस्कृति तथा सामाजिक अवस्था का कथानकों में प्रतिबिम्ब कहा जा सकता है।

### १००. दन्त-कथाओं के कुछ उदाहरण

भारत की ही जन-जाति की एक दन्त-कथा है कि बुड़डु-बुरा नाम का किसान अपने खेत में एक चूहे को देख कर उसे मारने को दौड़ा। चूहे ने किसान से प्रार्थना की कि मेरी जान बख्शो—मैं एवज में तारी उम्र तुम्हारी गुलामी करूँगा। बुड़डु-बुरा ने उसकी बात मान ली और उसे घर ले आया। खेत में लोमडियाँ आकर इस किसान की बत्तखों और खेत की उपज को खा जाती थीं। चूहे ने लोमडियों के बीच चक्कर मारना शुरू किया और इनको सब चालाकियों का पता लगाना शुरू किया। वह इनकी सब चालाकियों को किसान को बता देता था, परन्तु जब लोमडियों को पता चला कि उनकी स्कीमें पता लग जाती हैं, तो उन्होंने भी उन्हें झट-झट बदलना शुरू किया। इससे किसान बहुत तग आ गया। अन्त में चूहे ने किसान की स्त्री से परामर्श करके ऐसी तरकीबें सोच निकालीं जिनसे सब लोमडियों का सफाया हो गया और वह चूहा तथा यह किसान-परिवार शान्ति से रहने लगे।

जूनो जन-जाति के इंडियनों की एक दन्त-कथा इस प्रकार है पश्चिम में एक मैक्सिकन लडकी रहती थी। वह घर से बाहर नहीं निकलती थी। घर में जहाँ सूर्य की किरणें पड़ती थीं, वहाँ वह बैठी रहा करती थी। सूर्य से उसे गर्भ धारण हो गया। बाहर सिपाहियों का पहरा था। एक सिपाही ने उसे देख कर दूसरों से कहा कि जिस लडकी को हम रक्षा कर रहे हैं, वह तो गर्भवती मालूम देती है। अगर इस लडकी की ऐसी करतूतें हैं, तो इसकी रक्षा करने से क्या फायदा आओ, इसे मार दें। अगले दिन प्रातःकाल उसके मारे जाने का दिन निश्चित किया गया, परन्तु उसी दिन सायंकाल सूर्य उसके कमरे में आया और कहने लग कि कल तो तुम्हें मरना है। लडकी ने कहा—जो होना है सो होकर रहेगा, मरने के लिए तैयार हूँ। सूर्य ने कहा—नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूँगा। मैं तु इस मुसीबत में से निकाल दूँगा। अगले दिन प्रातःकाल ही सूर्य ने उसे खिडक के रास्ते बाहर निकाल दिया और कहा—अब तू जहाँ चाहे जाकर रहना। वह चलती-चलती एक जगह पहुँची जहाँ एक किसान हल चला रहा था। लडकी किसान से पूछा—क्या बो रहे हो? किसान ने कहा—गोल पत्थर बो रहा हूँ उसने झूठ बोला था, इसलिए लडकी ने किसान के बीजों को बेकार कर दिया उसने जो-कुछ बोया एक बीज भी नहीं जमा। लडकी ने आगे चल कर देखा—एक और किसान हल चला रहा था। उससे पूछा—क्या बो रहे हो? उस उत्तर दिया—धान और गेहूँ बो रहा हूँ। उसने सच कहा था, इसलिए लडकी बीजों को बेकार नहीं किया और उसके सब बीज उग आये। इस बीच सिपाहि ने देखा कि लडकी गायब हो गई है, तो वे उसकी तलाश में निकले। उन्होंने वह किसान से आकर पूछा—क्या तुमने कोई लडकी इधर देखी है। उसने कहा—वह पहाड़ी के उस पार गई है। वे पहाड़ी के ऊपर चढ़ गये, परन्तु लडकी कहीं पता नहीं चला। पहाड़ी से उतर कर वे नदी की तरफ बढ़े। नदी पानी नापने के लिए उन्होंने बल्लियाँ काटीं, देखा पानी बहुत गहरा था। उन्हें अब लडकी का पीछा करना छोड़ दिया, किन्तु लडकी तब तक नदी के पार पड़ गई थी। वहाँ एक स्थान पर जाकर उसके सन्तान हुई—वह युगल थी, जो थी। यहाँ पर सूअरो और कुत्तो ने उसे चूमा-चाटा। इसी लिए सूअरों त कुत्तों के वच्चो की झोल-की-झोल होती है। खच्चर ने इस लडकी को नहीं चू इसलिए खच्चर की कोई सन्तान नहीं होती।

इस कथानक में कई 'प्रेरक' (Motifs) रले-मिले हैं। सूर्य आदि मनुष्यो का-सा, अर्थात् मानव-सम व्यवहार करना, इसी कथानक में नहीं, प्र सभी जगहों के कथानको में पाया जाता है। महाभारत में भी तो कुन्ती का कर्ण सूर्य द्वारा हुआ था। गर्भवती होकर घर से निकल जाना भी कई कथान में पाया जाता है। सीता जी के लव-कुश जगल में ही हुए थे। बिना पति सन्तान होने के कथानक भी सर्वत्र पाये जाते हैं। बुद्ध तथा ईसा मसीह की उत् बिना यौन-सवध के हुई थी। जिन लोगों ने इन कथानकों की रचना की उ

सम्मुख समाज की कोई गहन समस्या अवश्य रही होगी—ऐसा इन कथानकों के रूप से झलकता है।

हम इस स्यान पर और अधिक कथानक देने की आवश्यकता नहीं समझते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने कथानकों से भली प्रकार परिचित रहता है। कथानक एकत्रित करने का काम बड़ा रोचक है, और इस सबध में भिन्न-भिन्न प्रेरकों को ध्यान में रख कर कथानक एकत्रित करने की आवश्यकता है।

### ११. मौखिक साहित्य के अन्य रूप—नाटक, पहेली आदि (Other forms of oral literature—Drama, Proverbs etc.)

इस अध्याय के प्रारम्भ में हमने कहा था कि आदिकालीन-समाज के मौखिक-साहित्य में 'सौन्दर्यपूर्ण अभिव्यक्ति' जब गद्य या पद्य के रूप में प्रकट होती है, तब आख्यान तथा दन्त-कथाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसी प्रकार की 'सौन्दर्यपूर्ण-अभिव्यक्तियों' में आदिकालीन-समाज के नाटक तथा पहेलियों को भी गिना जा सकता है।

(क) नाटक (Drama)—आदिकालीन-समाज में आख्यानो तथा दन्त-कथाओं को नाटक के रूप में भी खेला जाता है। जिस तरह के नाटक हम आजकल खेलते हैं, इस प्रकार के नाटक फल-मूल एकत्रित करने तथा सरल कृषि-संबंधी अर्थ-व्यवस्था में नहीं पाये जाते। नाट्यशाला, नाटक खेलने वाला एक वर्ग, पर्दे आदि तो यूरोप में एयन्स की उपज हैं, परन्तु विना नाट्यशाला के, गाँव के बाड़ों में लोगो का इकट्ठा हो जाना, प्रकृति के स्वाभाविक पर्दों में धार्मिक-कथानकों को खेलना प्रायः सर्वत्र पाया जाता है। कृषि-संबंधी विकसित अर्थ-व्यवस्था में आजकल के-से नाट्यशाला आदि के नाटक भी खेले जाने लगे। इन नाटकों में वनावटी चेहरे लगाकर खेलने का आम रिवाज था। वाली में ऐसे नाटकों का आज भी प्रचलन है जिनमें वनावटी चेहरे लगाकर नाटक खेले जाते हैं। अपने देश में दशहरे पर कोई हनुमान् बनता है, कोई राम-सीता, कोई राक्षस बन कर सब लोग रामायण की कथा को खेलते हैं। इनमें भी वनावटी वेहरो का प्रयोग होता है। इन नाटकों का अधिकतर सबध उस-उस जन-जाति के विधि-विधान तथा धार्मिक-कृत्यों से होता है।

इन नाटकों में सगीत तथा नृत्य का प्रचुर प्रयोग होता है। आदि-काल के मानव के लिए नाटक एक ऐसी कला थी जिसमें कला, सगीत, नृत्य, आख्यान, दन्त-कथा सभी का सम्मिश्रण होता था। कला, आख्यान तथा दन्त-कथा पर हम लिख आये हैं, सगीत तथा नृत्य पर अगले अध्याय में लिखेंगे।

(ख) कहावत तथा वृत्तारत आदि (Proverbs, Sayings and Riddles)—कहावतों में मानव-समाज छोटे में बड़ी बात भर कर रख देता है। इनमें मानव-समाज के सदियों पुराने अनुभव बन्द रहते हैं। वृत्तारतों का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन होता है। ये दोनों बातें आदिकालीन समाज में पर्याप्त पायी जाती हैं, और विद्यार्थी किसी भी जन-जाति में जाकर इनका संग्रह कर जन-जातियों-संबंधी अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है।

## आदिकालीन संगीत तथा नृत्य (PRIMITIVE MUSIC AND DANCE)

‘कला’ की व्याख्या करते हुए हमने कहा था कि सौन्दर्यपूर्ण-अभिव्यक्ति का नाम कला है। यह ‘सौन्दर्यपूर्ण-अभिव्यक्ति’ जब आकृति में प्रकट होती है, तब इसे मूर्ति-कला तथा चित्र-कला कहते हैं, जब गद्य में प्रकट होती है, तब इसे आख्यान तथा वन्त-कथा कहते हैं, जब पद्य में प्रकट होती है, तब इसे सगीत कहते हैं, जब गति में प्रकट होती है, तब इसे नृत्य कहते हैं। हम मूर्ति-कला, चित्र-कला, आख्यान तथा वन्त-कथा का पिछले दो अध्यायों में वर्णन कर आये हैं। इस अध्यायमें हम आदिकालीन सगीत तथा नृत्य का वर्णन करेंगे।

### १ सगीत की प्राचीनता तथा उत्पत्ति

(क) सगीत तथा नृत्य की प्राचीनता—‘कला’ का अध्ययन करते हुए जितना ही हम पुराने समय की तरफ जायेंगे, उतना ही ‘कला’ का अभाव पायेंगे। इसका कारण स्पष्ट है। आदिकालीन-मानव अपने खाने-पीने की समस्या में इतना उलझा रहता था कि उसे जगल में जाकर फल-मूल बटोरने और शिकार पकड़ लाने के सिवाय फुर्सत ही कहाँ थी? सुबह से वह अपना तीर-भाला लेकर निकलता और शाम को थका-मादा घर लौटता था। एस्किमो तथा वुशमैन शिकार पकड़ने के लिए दौड़े-दौड़े फिरते या आराम से बैठ कर हाथी दाँत की मूर्तियाँ बनाते, उन पर नकाशी और मीनाकारी करते, चित्र बनाते? फल-मूल एकत्रित करने की सरल और फिरद्वर आर्थिक व्यवस्था में इस प्रकार की कला का उत्पन्न होना फुर्सत न होने के कारण संभव ही नहीं था, क्योंकि इस प्रकार की कला तभी संभव है जब मनुष्य एक जगह मकान बना कर फुर्सत से, आराम से जीवन व्यतीत कर सके।

परन्तु सगीत तथा नृत्य के विषय में यह नहीं कहा जा सकता। आदिकालीन मानव जगल में बैठा जब शिकार की बाट जोह रहा था, तब बैठा-बैठा चित्रकारी, टोकरी या हाथी दाँत की वस्तुएँ तो नहीं बना सकता था, परन्तु बैठा-बैठा गा तो सकता था, दो-चार हो तो वे नाच-गान दोनों भी कर सकते थे। और क्योंकि उस काल में अन्य किसी प्रकार की कला का आविष्कार नहीं हुआ था, तो स्त्री घर के दूसरे काम करती-करती गा तो सकती थी। इस दृष्टि से सब कलाओं से पहले, जब और किसी कला का आविष्कार नहीं हुआ था, तब सगीत तथा नृत्य का आविष्कार हो चुका था।

(ख) संगीत की उत्पत्ति—संगीत में तीन बातें मुख्य पायी जाती हैं— 'ताल' (Rhythm), 'सुर' (Melody) तथा 'संगीत-यंत्र' (Musical instruments) । 'ताल' (Rhythm) की उत्पत्ति के संबंध में बुचर (Bucher) का मत है कि आदिकालीन-मानव ने देखा कि काम करते हुए कुछ निश्चित समय के बाद आवाज़ द्वारा या शरीर की गति द्वारा जोर देने से काम आसान हो जाता है। आवाज़ या शारीरिक गति द्वारा यह जोर, जब तक काम जारी रहता है, बार-बार दिया जाय तो काम का बोझ हल्का हो जाता है। आवाज़ में या गति में बार-बार जोर देने से संगीत तथा नृत्य—इन दोनों के 'ताल' (Rhythm) की उत्पत्ति हुई। हम देखते हैं कि स्त्रियाँ जब चक्की से आटा पीस रही होती हैं, पुरुष जब एक भारी नौका को रस्सी बांध कर जल-प्रवाह के विरुद्ध ऊपर खींच रहे होते हैं, तो कोई गीत गाते जाते हैं और थोड़ा-थोड़ा अन्तर दे कर एक प्रकार का 'ताल', एक प्रकार का 'ठेका' देते जाते हैं। इस प्रकार के ताल के जोर से उनके शरीर की शक्ति भी उछल-सी पड़ती है और वे काम को आसानी से कर डालते हैं। कुछ ध्यान बँट जाने के कारण भी काम में आसानी हो जाती है। वुंडट (Wundt) ने बुचर के संगीत की उत्पत्ति-सबधी इसी मत को नृत्य पर घटाया है और उसका कहना है कि जैसे संगीत में थोड़े-थोड़े समय बाद एक आवाज़ में एक जगह जोर दे दिया जाता है, वैसे नृत्य में भी थोड़े-थोड़े समय बाद एक गति पर जोर दे दिया जाता है। बोआस (Boas) संगीत तथा नृत्य के 'ताल' की उत्पत्ति के सबध के इन दोनों मतों को नहीं मानते। उनका कहना है कि 'ताल' की आधारभूत बात तो किसी बात को थोड़ा-थोड़ा अन्तर दे कर नियमित रूप से करना है। इस प्रकार के नियमित दोहराने में मनुष्य को स्वभावतः प्रसन्नता होती है, यह मन का स्वभाव है, इसलिए 'ताल' की उत्पत्ति में मनुष्य का यह स्वभाव ही एकमात्र कारण है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति टोकरी में थोड़ा-थोड़ा अन्तर देकर एक ही 'डिजाइन' बार-बार बनाता है, तो वह भी तो एक प्रकार की 'ताल' ही की भावना है। उसे संगीत न होने के कारण 'ताल' न कहकर हम 'डिजाइन' कह देते हैं, परन्तु होता तो वह एक तरह का 'ताल' ही है। इसमें बुचर तथा वुंडट की ध्यान बँट जाने से काम के आसान हो जाने की बात कहाँ घटती है? इसलिए यही कहना पड़ेगा कि थोड़ा-थोड़ा अन्तर देकर आवाज़ या गति में जोर देना—अर्थात् ताल या ठेका—मनुष्य को प्रसन्नता देता है, इससे जो खुश होता है—यह ताल की उत्पत्ति का कारण है।

संगीत में दूसरी वस्तु 'सुर' (Melody) है। 'सुर' का मुख्य आधार स्वर (Voice) है। एक ही स्वर में जब लगातार एक ही आनन्दप्रद 'ध्वनि' (Tone) निकलती है, तब उसे 'सुर' (Melody) कहते हैं। 'ताल' (Rhythm) और 'सुर' (Melody) के मेल से 'संगीत' बनता है। यह 'सुर' पहले-पहल आदि समाज में कैसे पैदा होता है? कार्ल स्टम्पफ (Carl Stumpf) का कहना है कि 'सुर' की उत्पत्ति पहले-पहल 'ऋन्दन' से होती है। 'ऋन्दन' तो स्वाभाविक

है—बच्चा भी रोता है, बड़ा-बूढ़ा भी रोता है। क्रन्दन में ठहर-ठहर कर लगातार एक ध्वनि निकलती है। शृङ्खलावद्ध लगातार एक मधुर-ध्वनि का नाम ही तो 'सुर' (Melody) है। इस 'सुर' में, अर्थात् लगातार के स्वर में, ठहर-ठहर कर दूसरी या तीसरी वार के 'सुर' में जो जोर दिया जाता है, वह 'ताल' है, और इन दोनों में से 'सुर' की उत्पत्ति 'क्रन्दन' से और 'ताल' की उत्पत्ति थकान कम करने के लिये या मनुष्य-स्वभाव की सहज प्रसन्नता से होती है।

सगीत में तीसरी वस्तु 'स्वर-यंत्र' (Musical Instrument) है। पहले-पहल सगीत के यंत्र नहीं थे, कठ से ही सगीत गाया जाता था। 'नव-पाषाण-युग' में जब अन्य प्रकार के यंत्रों का आविष्कार हुआ तब सगीत के भी यंत्रों का आविष्कार हुआ।

## २ सगीत के तीन तत्व—ताल, सुर तथा यंत्र

(Three elements of Music—Rhythm, Melody, Instruments)

हम अभी कह आये हैं कि सगीत के तीन तत्व हैं—ताल, सुर तथा स्वर-यंत्र। इन तीनों पर आदिकालीन दृष्टि से कुछ विचार करना आवश्यक है।

(क) ताल (Rhythm)—ताल का आधारभूत तत्व है एक ही वस्तु को ठहर-ठहर कर दोहराना। प्रत्येक कला में ताल का यह आधारभूत तत्व पाया जाता है। मूर्ति-कला तथा चित्र-कला में जब टोफरी बनायी जाती है, तब थोड़ा-थोड़ा अन्तर देकर उसी प्रकार की बुनाई दोहराई जाती है—यह एक प्रकार का 'ताल' का ही सिद्धान्त है। कथा-कथानक में भी आदिवासियों में एक ही बात को थोड़े-थोड़े अन्तर से दोहराया जाता है। उदाहरणार्थ, प्यूब्लो इंडियनों की कहानियों में अगर कहानी में चार बहनों का जिक्र है तो चारों के साथ एक ही घटना दोहराई जाती है। अनेक कहानियों में अगर सात भाई किसी राज-कुमारी की खोज में निकले हैं, तो जो घटनाएँ पहले राजकुमार के साथ घटती हैं, वही क्रमशः सातों के साथ घटती दिखाई जाती हैं। ताल का यही थोड़ा-थोड़ा अन्तर देकर उसी चीज को दोहराने का तत्व सगीत तथा नृत्य में भी पाया जाता है। 'हरे राम हरे कृष्ण' गाते हुए दूसरी-तीसरी वार जब इसे दोहराते हैं, तो तीसरी वार या चौथी वार ताल या ठेका देते जाते हैं, और फिर हर तीसरी या चौथी वार ठेका देते चलते हैं। नृत्य में भी नृत्य की गतियों में जो विशेष गति दो या तीन मिनट बाद दी जाती है, वही हर दूसरे या तीसरे मिनट पीछे दोहराई जाती है। यही 'ताल' का आधारभूत नियम है और जन-जातियों के सगीत तथा नृत्य में यह ऐसा ही पाया जाता है। आदिवासियों के सगीत के 'ताल' अर्थात् 'ठेका' (Rhythm) तथा वर्तमान सगीत के 'ताल' अर्थात् 'ठेका' में कुछ भेद है। वह भेद क्या है?

(1) ताल में समय-भेद (Difference in Rhythm-inter-val)—वर्तमान-सगीत में दूसरी, तीसरी या चौथी वार जब सगीत के एक ही

पद को दोहराया जाता है, तब ताल दिया जाता है। 'हरे कृष्ण हरे राम' गाते हुए, दूसरी बार के दोहराने, या तीसरी या चौथी बार के दोहराने पर ताल दी जायगी, परन्तु आदिवासियों के संगीत में इतनी जल्दी ताल नहीं दी जाती। उनके संगीत में सात-आठ बार दोहराकर ताल दी जाती है, या कभी-कभी नहीं भी दी जाती। आदिवासियों के कथा-कथानकों, संगीत तथा नृत्य में दोहराना तो अवश्य होता ही है, यह दोहराना तो ताल की आत्मा है, परन्तु यह दोहराना एक निश्चित व्यवधान के बाद ही हो—यह आवश्यक नहीं है। कभी-कभी दोहराना निश्चित व्यवधान के बाद होता है, कभी-कभी निश्चित व्यवधान के बाद न होकर देर में होता है। इतना अवश्य है कि आदिवासियों के संगीत में समय का निश्चित व्यवधान तथा दोहराना—'ताल' के ये दोनो तत्व पाये ज़रूर जाते हैं।

(ii) संगीत तथा नृत्य में समन्वय का भेद (Difference in co-ordination between song and dance)—वर्तमान-संगीत में जब ताल दी जाती है, तभी उसी के साथ नृत्य में भी एक प्रकार की ताल-सी दे दी जाती है, दोनो कलाओं में जोर एक-साथ दिया जाता है, अगर एक मिनट बाद आवाज़ में जोर दिया जाता है, तो उसी समय ताली बजाई जाती है या नृत्य की गति में लचक दी जाती है। वर्तमान-संगीत में कठ-स्वर तथा शारीरिक गति एक-साथ चलती हैं। आदिवासियों में ऐसा नहीं होता। आफ्रीका की जन-जातियों के संगीत में संगीत का प्रवाह स्वतंत्र चलता है, हाथ-पैर की गतियों का प्रवाह स्वतंत्र चलता है, गाते हुए कण्ठ-स्वर से जब समय-समय पर जोर दिया जाता है, उसी समय हाथों की ताली से या पाँव के पैर से जोर नहीं दिया जाता।

(ख) सुर (Melody)—संगीत में 'ताल' (Rhythm) के अलावा दूसरी मुख्य वस्तु 'सुर' (Melody) है। आदिकालीन जन-जातियों में 'सुर' को कठ से ही अभिव्यक्त किया जाता रहा। 'सुर' को अभिव्यक्त करने का माध्यम कठ की 'ध्वनि' (Tone) होती है। इस 'ध्वनि' को जब यंत्रों द्वारा प्रकट किया जाने लगता है, तब जैसे कठ 'ध्वनि' को अभिव्यक्त करता है, वैसे यंत्र भी 'ध्वनि' को अभिव्यक्त करने लगते हैं। आफ्रीका की कुछ जन-जातियाँ ढोल से ऐसी ध्वनि निकालती हैं जो कठ की ध्वनि का अनुकरण करती है, कठ से निकले शब्दों का नहीं, ध्वनि का अनुकरण करती हैं, और इस ध्वनि को सुन कर वे ध्वनिकार का अभिप्राय समझ जाती हैं।

'ध्वनि' (Tone) को कहीं सात, कहीं आठ 'आरोह' (Pitch) में अभिव्यक्त किया जाता है। पहली ध्वनि से आठ गुना ऊँचे आरोह को 'अष्टक' (Octave) कहा जाता है। यह आरोह प्रथम ध्वनि से कहीं सात गुना, कहीं आठ गुना पाया जाता है। साधारण व्यक्ति इस 'अष्टक' को एक ही ध्वनि समझता है, परन्तु यह एक 'ध्वनि' न होकर कई 'ध्वनियों' (Tones) का पुंज होता है। वर्तमान अंग्रेजी संगीत में 'अष्टक' को बारह सम-भागों में बाँटा जाता है, परन्तु आदिकालीन जन-जातियों के संगीत के 'सुर' का अध्ययन करने से पता

चलता है कि 'अष्टक' को अन्य भी कई प्रकार के भागों में बांटा जा सकता है । जावा की जन-जातियाँ 'अष्टक' को पाँच सम-भागों और स्याम की जन-जातियाँ इसे सात सम-भागों में बाँटती हैं ।

सगीत में 'ध्वनि' के तारतम्य को बनाये रखने के लिए कई जन-जातियों में निरर्थक शब्दों को जोड़ दिया जाता है । उदाहरणार्थ, हमारे सगीत में त-न-न-न-न, अग्रेजी में ला-ला-ला को सगीत में 'सुर' (Melody) का पुट देने के लिए जोड़ा जाता है । कहीं-कहीं शब्दों को आवश्यकता से अधिक लम्बा कर दिया जाता है, कहीं जितना शब्द हो उसे उतने से भी छोटा कर दिया जाता है । इस सब का मूल-कारण सगीत की 'ध्वनि' को सम-भाव में बनाये रखना है ।

मनुष्य के कंठ से इतनी ध्वनियाँ निकल सकती हैं कि जितनी सगीत यन्त्रों से नहीं निकल सकती, इसीलिए फल-मूल एकत्रित करने वाली आदिकालीन अर्थ-व्यवस्थाओं की जन-जातियों में जितनी 'ध्वनियाँ' (Tones), और इन ध्वनियों के कारण जितने 'सुर' (Melodies) पाये जाते हैं, उतनी विकसित अर्थ-व्यवस्था में नहीं पायी जाते । जब इन जन-जातियों में निश्चित 'आरोहावरोहों' के यन्त्र आविष्कृत हो जाते हैं, तब इनकी 'ध्वनि' निकालने की शक्ति और इसी कारण इनकी 'सुर-शक्ति' भी इन यन्त्रों तक सीमित होने लगती है ।

(ग) सगीत-यन्त्र (Musical instruments)—सगीत में 'ताल' तथा 'सुर' के अलावा तीसरी मुख्य वस्तु 'सगीत-यन्त्र' है । यन्त्र का उपयोग 'ताल' तथा 'सुर' दोनों में किया जा सकता है । जब तक 'ताल' में यन्त्र का उपयोग नहीं होता, तब तक ताली या भूमि पर पैर बजा कर इन से 'ताल' का उपयोग लिया जाता है, परन्तु यन्त्र निकल आने पर यन्त्रों से 'ताल' का काम लिया जाता है । अपने देश में खडताल से 'ताल' का काम लिया जाता है, इसीलिए इसका नाम 'खडताल' है । ताल देने के लिए लकड़ी की छड़ी से किसी गुंजाने वाली चीज पर प्रहार किया जा सकता है, या ढोल आदि को बजाया जा सकता है । यत्र कैसे होते हैं ?

(1) डोरी से बजने वाले यन्त्र—आदिकालीन जन-जातियों के सगीत-यन्त्रों को तीन भागों में बांटा जा सकता है—डोरी से बजने वाले यन्त्र (Stringed instruments), मुँह की हवा से बजने वाले यन्त्र (Wind instruments) तथा चोट लगा कर बजने वाले यन्त्र (Percussion instruments) ।

इनमें से डोरी से बजने वाले यन्त्र आदिवासियों में बहुत कम पाये जाते हैं और चोट दे कर बजने वाले यन्त्र बहुत अधिक संख्या में पाये जाते हैं । डोरी वाले यन्त्रों की धनुष की डोरी पर बजाया जा सकता है । इनसे जो स्वर पैदा होता है वह इतना धीमा होता है कि उसे ऊँचा करने के लिए कोई खोखली चीज साथ लगानी पड़ती है जिससे उसके खोल में से स्वर गुँज कर निकले । प्रायः डोरी वाले धनुष की सूखे तथा खोखले कद्दू के साथ जोड़ दिया जाता है, या बजाने वाले डोरी वाले यन्त्र को अपनी छाती के साथ लगा कर बजाता है जिससे आवाज गुँज



उठती है। इसी प्रक्रिया से तबूरा, सारंगी, सितार, वीणा, वायलिन, इसराज आदि बने हैं।

(II) हवा से बजने वाले यंत्र—मुंह की हवा से बजने वाले सगीत-यंत्र वासुरी, तुरही, वीन आदि प्रसिद्ध हैं। वीन का प्रयोग अपने देश में सपेरे किया करते हैं। इनकी रचना विविध पदार्थों से होती है। लकड़ी, साँग, बाँस अस्थि, मट्टी के बर्तन आदि किसी भी पदार्थ से मुंह की हवा से बजने वाला यंत्र बनाया जा सकता है। मुंह से बजने वाले यंत्रों का प्रयोग सदा सगीत के लिए ही किया जाय—यह बात नहीं है। तुरही का प्रयोग सकेतो के लिए किया जाता है। जब सेना को तुरही के सकेतो का ज्ञान हो, तब तुरही के सकेतों को सुन कर सेना उसका आशय समझ जाती है। कई आदिवासियों में नाक से बजने वाले यन्त्र भी पाये जाते हैं। इनके अनेक यन्त्र ऐसे होते हैं जिनके भीतर हवा देने के बजाय उनके ऊपर हवा देने से वे बज उठते हैं। इन यन्त्रों में से भिन्न-भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकालने के लिए यन्त्रों की लम्बाई भिन्न-भिन्न होती है।

(III) चोट देने से बजने वाले यंत्र—चोट देकर बजने वाले यंत्रों में घटा-घड़ियाल प्रसिद्ध हैं। घटी-घूंघरू भी ऐसे बनाये जाते हैं जिनमें उनके हिलने से भीतर से ही चोट पड़ने से आवाज उठती रहती है। आफ्रीकावासी जन-जातियों में एक तरह का पियानो बनाया जाता है जिसे वे सैन्ना कहते हैं। इस यन्त्र में भिन्न-भिन्न नापो की धातु की पट्टियाँ या बाँस की धज्जियाँ इस प्रकार लगाई जाती हैं कि जब किसी पट्टी या धज्जी को अगूठे से दबा कर छोड़ा जाता है तो वह ढोल-सरीखे गुंजाने वाले खोल पर जाकर बजने पर इस यंत्र में से तरह-तरह के स्वरो को उत्पन्न कर देती हैं। ढोल तो चोट देकर बजने वाला अत्यन्त प्रसिद्ध यंत्र है। आफ्रीका की जन-जातियाँ ऐसे ढोल बनाती हैं कि एक ही ढोल के भिन्न-भिन्न भागों पर चोट देने से चार भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वर निकल सकते हैं। कोंगो बेसिन तथा एमेज़ोन की जन-जातियों के ढोल भी भिन्न-भिन्न भागों पर चोट देने से भिन्न-भिन्न स्वर पैदा करते हैं। इन ढोलों पर भिन्न-भिन्न जानवरों की चमड़ी को सुखा कर मढ़ा जाता है। हमारे वाद्य-यंत्रों में तबला इसी प्रकार का यंत्र है।

### ३ आदिकालीन सगीत—'कला' के रूप में

#### (Primitive music as Art)

'पूर्व-पाषाण-युग' में जब सगीत के यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था, कठ ही सबसे बड़ा यंत्र था। कठ से जितने प्रकार की आवाजें निकल सकती हैं, वे दुनियाँ भर के सगीत-यंत्र इकट्ठे कर देने पर भी नहीं निकल सकतीं, इसलिए आदिकालीन-मानव कठ द्वारा सगीत की कला में बहुत बड़ा-चढ़ा था। उसके इस कला में निपुण होने का सब से बड़ा कारण यह था कि उसके पास कठ के अलावा दूसरा किसी प्रकार का यंत्र ही नहीं था, जो-कुछ सगीत वह निकाल सकता था, अपने कठ से ही निकाल सकता था। आज जब सगीत बहुत हद तक

यत्रों पर निर्भर हो गया है, हर-एक के लिए गाना भी कठिन हो गया है, उस समय का हर-एक बच्चा-जवान-बूढ़ा मजे में गाया करता था क्योंकि प्रकृति का दिया हुआ कठ-यत्र सब के पास एक-समान था।

वर्तमान-युग में संगीत-कला में प्रगति कुछ व्यक्तियों की प्रतिभा तथा निर्माण-शक्ति का परिणाम है, परन्तु आदिकालीन-संगीत-कला व्यक्तियों की प्रतिभा का परिणाम न होकर समूह की प्रतिभा का परिणाम थी। आज हम संगीत के क्षेत्र में तानसेन, वीथोवन, मोजार्ट को स्मरण करते हैं, आदिकालीन संगीत में किसी व्यक्ति को आज कोई स्मरण नहीं करता, उस समय का जो भी संगीत जन-जातियों में चला आ रहा है वह सारे-के-सारे समुदाय का है। समुदाय का संगीत है, समुदाय के गाने हैं, समुदाय के वाद्य-यत्र है।

उस समय के लोगो ने संगीत-कला के विकास में कितना हाथ बँटाया, इस कला में किन नवीन तत्वो को उत्पन्न किया—यह निश्चित तौर पर कैसे कहा जा सकता है ? इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 'पूर्व-पाषाण-युग' का संगीत 'नव-पाषाण-युग' में नहीं रहा, 'नव-पाषाण-युग' का संगीत वर्तमान जीवित जन-जातियो में नहीं रहा, इसमें परिवर्तन होता रहा। इस परिवर्तन का यही अर्थ हो सकता है कि आदिकाल से अबतक जन-जातियो की संगीत-कला में लगातार नूतन-तत्वो का, नव-निर्माण का प्रवेश होता रहा। अगर इन लोगो में नव-निर्माण की शक्ति न होती, तो आजतक इनकी संगीत-कला 'पूर्व-पाषाण-युग' के स्तर की ही बनी रहती।

कई लोगों को आदिवासियो के संगीत में कुछ अजीब-सा लगता है, परन्तु अजीब तो हमारा संगीत भी उन को लगता होगा। जिस वस्तु से मनुष्य परिचित नहीं होता, वह उसे अजीब ही लगती है, परन्तु असल में वह अजीब नहीं होती। आदिवासियो के संगीत के विषय में अपनी राय कौन दे सकता है ? वे लोग जो अपने को संगीतज्ञ समझते हैं उनकी सम्मति इस क्षेत्र में बेकार है। वे अपनी संगीत-कला के विशेषज्ञ तो होते हैं, परन्तु आदिवासियो की संगीत-कला को नहीं समझते। आदिवासियों की संगीत-कला पर तो उन्हीं के संगीत का जिसने विशेष रूप से अध्ययन किया है, वही कुछ कह सकता है।

वर्तमान-संगीत तथा आदिवासियो के संगीत की तुलना में कई लोग उनके संगीत को निम्न-कोटि का कहने लगते हैं, परन्तु यह धारणा गलत है। यह तो कहा जा सकता है कि आजकल के सम्य-समाज तथा आदिवासियो के संगीत में भिन्नता है, दोनो का अपना-अपना क्षेत्र है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें से एक दूसरे से उच्च या निम्नकोटि का है।

#### ४ नाट्य तथा साकेतिक नृत्य

##### (Dramatic and Symbolic Dance)

'सुन्दर-अभिव्यक्ति' जब गति का रूप धारण करती है, तब इसे 'नृत्य' कहते हैं। गति हाथ, पैर, शरीर के किसी अन्य अंग या सारे शरीर की हो सकती

है। जैसे संगीत में 'ताल' (Rhythm) होता है, वैसे शरीर की इन गतियों में भी 'ताल' होता है, थोड़ा-थोड़ा अन्तर देकर एक ही 'गति' को दोहराया जाता है। यह 'ताल' या तो सिर्फ शरीर की गति द्वारा होता है, या ढोल आदि किसी संगीत-यन्त्र का स्वर इसके साथ मिला रहता है। जैसा हम पहले कह आये हैं, वर्तमान-नृत्य में 'संगीत के ताल' तथा 'नृत्य के ताल' में सहकारिता, समन्वय पाया जाता है, परन्तु आदिवासियों के नृत्य में इस समन्वय का होना आवश्यक नहीं है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्तमान-संगीत में थोड़ा-थोड़ा अन्तर देकर जब संगीत के किसी भाग को दोहराया जाता है, उसी समय शारीरिक-गति को भी दोहराया जाता है, परन्तु आदिवासियों के नृत्य में संगीत तथा नृत्य—इन दोनों का ताल स्वतंत्र रूप से, अलग-अलग चलता है।

नृत्य संसार में सभी देश-काल में पाया जाता है। मनुष्य का यह शरीर जो नृत्य का एकमात्र साधन है, सब के पास एक-सा है, इसका संचालन करने वाला ज्ञान-तनु-सस्यान भी सब के पास एक-सा है। आदिवासियों में तथा वर्तमान मानव में भेद यह है कि आज का हर-एक मानव नृत्य नहीं करता, सब के पास फुसंत नहीं, परन्तु आदिवासियों में वच्चा-वच्चा नृत्य करता है। आज का मनुष्य सामाजिक, आर्थिक आदि इतने बन्धनों से चारो तरफ से जकड़ा हुआ है कि नृत्य के उल्लासमय सोते की उसमें से फूट निकलने की सभावना कम रहती है, आदिकालीन-मानव का जीवन इतना उल्लासमय था कि हर बात में वह नाच-ना लिया करता था।

आदिवासियों में उत्सव आदि के अवसर पर प्रायः गाँव के सभी स्त्री-पुरुष मिल कर नाचते-गाते हैं। गाना क्योंकि नृत्य-कला का अविभाज्य अंग है, इसलिए नाचने के साथ गाना तो होता ही रहता है। नाचते समय वे लोग प्रायः चक्र में नाचते हैं, एक गोल घेरा बना लेते हैं और इस गोलाई में नाचते हैं। कभी-कभी एक-दूसरे की तरफ पीठ कर के या सब एक तरफ मुंह कर के एक पक्ति में खड़े हो जाते हैं। स्त्री-पुरुष जब एक-साथ नाचते हैं, तब दो घेरे बना लिये जाते हैं। स्त्रियाँ अन्दर के घेरे में और पुरुष बाहर के घेरे में आ जाते हैं। अगर नृत्य पक्ति में खड़े होकर किया जाता है, तो स्त्रियाँ पुरुषों से अलग पक्ति बना लेती हैं। अडमानी-लोगों में स्त्रियाँ नृत्य में सम्मिलित नहीं होतीं। जब अधिक संख्या में लोग नाचते हैं तब बड़े-बड़े व्यूह बनाये जाते हैं। पालिनेशिया, आफ्रीका आदि में नाचते हुए व्यूह बनाने की प्रथा है। नृत्य-गृहों में नाचने का तरीका, जिसमें नाचने वाला युगल स्वतंत्र रूप से अपनी गतियों का संचालन करता है—यह अग्रजो नाच का अपना निराला तरीका है। आदिवासियों में समूह-का-समूह एक निश्चित दिशा में मिल कर गति करता है, भिन्न-भिन्न व्यक्ति स्वतंत्र गति नहीं करते। प्रत्येक जन-जाति के सामूहिक नृत्य का अपना-अपना तरीका होता है। पालिनेशिया के लोग बैठे-बैठे शरीर की गतियाँ करते हैं, उत्तर-पश्चिम तटवर्ती इंडियन हर कदम पर घुटने झुका कर, हथेली सामने कर और शिरोभाग को

कपन देते हुए नाचते हैं। नाचते हुए इन लोगो का शरीर एक-दूसरे से सटा हुआ नहीं होता।

आदिवासियो में 'अनुकरण-नृत्य' (Mimetic dancing) का अधिक प्रचलन है। वे तरह-तरह के चेहरे लगा कर शिकार खेलने, शिकार को घर पकड़ने, उसे मारने का नृत्य में अभिनय करते हैं। इस प्रकार के नृत्य में पशु की सब गतियों का वे नृत्य में ऐसा अनुकरण करते हैं कि उसे यथार्थ अनुकरण कहा जा सकता है। इस नृत्य में शरीर की भिन्न-भिन्न गतियों की जाती ह, भिन्न-भिन्न प्रकार से उठा-बैठा-दौड़ा जाता है। इन गतियो का अभिप्राय यथार्थ वृश्य को सामने ला खडा करना होता है। शिकार के समय शिकारी तथा शिकार में जो मनोवेग उठ रहे होते हैं, उनको भी इस नृत्य में उभारने का प्रयत्न किया जाता है। बुशमैन, ऑस्ट्रेलिया तथा कॅलीफोर्निया की जन-जातियाँ इस प्रकार के नृत्य में बहुत कुशल हैं। 'अनुकरण-नृत्य' एक तरह का 'नाट्य-नृत्य' ही है।

कई जन-जातियों में नृत्य को इतना महत्व दिया जाता है कि उनके यहाँ हर रात को नृत्य का आयोजन होता है। अडमानी, आफ्रीका के बुशमैन, सीलोन के वैङ्गा इसके उदाहरण हैं। उनके यहाँ सामूहिक आमोद-प्रमोद का यही एक साधन है। नृत्य का धार्मिक विधि-विधान के साथ भी बडा सबध है। अनेक धार्मिक-कृत्यो में नृत्य आवश्यक माना जाता है। नृत्य, सगीत तथा नाटक—ये तीनों एक-दूसरे के साथ इतने रले-मिले हैं कि नृत्य में सगीत तथा नाटक भी आ ही जाते हैं। विधि-विधान सबधी कोई धार्मिक नृत्य होना हो, तो उसकी पहले से ही सब को सूचना दे दी जाती है। जिस गाँव में यह धार्मिक नृत्य होता है वह चाहे छोटा हो, चाहे अन्य गाँवों से दूर हो, आस-पास के गाँवों के सब लोग उस गाँव में इकट्ठे होने लगते हैं। जगह तग होती है, दूर-दूर के गाँवो से आये हुए सब लोग खडे-खडे सारा नृत्य देखते हैं। एक घेरा बना लिया जाता है, १०-१२ नर्तक लोग उस घेरे में चक्कर काटने लगते हैं, उनमें पुरुष भी होते हैं, कुछ स्त्रियाँ भी होती हैं, घेरे के बाहर बशंक लोग आ-आकर खडे होते या बैठते जाते हैं। ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है, नर्तकों पर देवी आने लगती है, वे आपे में नहीं रहते। इतने में एक चीख सुनाई देती है, एक स्त्री जमीन पर गिर पडती है, वह उठना चाहती है परन्तु उठ नहीं सकती। दूसरे उसकी सहायता के लिए आते हैं, परन्तु वह सब को परे हटा देती है, एक छडी की तरफ इशारा करती है, छडी लेकर घेरे में लगडाती-लगडाती चलने लगती है। इतने में नर्तकों में से दूसरा कोई जिस पर देवी चढ़ आती है, जोर-जोर से घेरे के चारो तरफ नाचने लगता है, उसके मुँह के स्नायु तन जाते हैं, ढोल के सामने कभी वह आगे को आता, कभी पीछे को हटता है। ढोल में से जो आवाज निकलती है, वह देवी-देवता की आवाज मानी जाती है, वह आवाज इस नर्तक को मानो खेंचे हुए होती है। इतने में गाँव का पुरोहित वहाँ पहुँचता है। उस पर भी देवी चढ़ी होती है। वह भी घेरे में आकर बडे तनाव में आगे-पीछे नृत्य करता है, दूसरे सब लोग उसी का

अनुकरण करते हैं। जब उसका तनाव सीमा पर पहुँच जाता है, तब एक चीख मार कर वह घेरे से बाहर निकल कर गाँव की तरफ भाग खडा होता है। कुछ नाचने वाले उसके पीछे-पीछे भागते हैं। बाकी लोगो का ढोल पीटना और बढ़ जाता है, ये लोग आवेश में तरह-तरह की आवाजें निकालने लगते हैं। वह स्त्री जिस पर सब से पहले देवी चढी थी, अब अपने हाथ की लकडी फेंक कर जोर-जोर से नाचने लगती है। इतने में पुरोहित फिर लौट आता है, और सब के साथ फिर नाचने लगता है। पुरोहित तथा उसके साथी अब देवी के मन्दिर की तरफ नाचते-नाचते जाते हैं। इधर घेरे में दूसरे लोगो पर देवी चढती जाती है और यह नृत्य दोपहर से शुरू होकर तब तक चलता रहता है जब तक हर-एक नाचने वाले के सिर से देवी उतर नहीं जाती। यह अशान्ति जन-जाति के नृत्य का वर्णन है।

इन लोगो के नृत्य को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है— 'नाट्य-नृत्य' (Dramatic dance) तथा 'सकेत-नृत्य' (Symbolic dance)। हमने 'नाट्य-नृत्य' का अभी अशान्ति जन-जाति के नृत्य में वर्णन किया। 'सकेत-नृत्य' भी कम रोचक नहीं होता। नाचते हुए ढोल के सामने खडे होकर नर्तक क्रमशः अपने हाथो को ऊपर करते हैं। इसका अभिप्राय वीजो के भूमि फोड कर 'अकुरित' होने से है, जैसे हाथ नीचे से ऊपर को आया वैसे वीज अकुरित होकर ऊपर उठा। नृत्य में 'टोकरी' को सकेत में अभिव्यक्त करने के लिए ये लोग दोनो हाथो का पैरा लगा कर उन्हें आगे से मिला देते हैं। 'चलने' को सकेत में प्रकट करने के लिए दोनो हाथों को क्रमश आगे-पीछे करते हैं। ये 'सकेत-नृत्य' के उदाहरण हैं।

## ५ नृत्य की उत्पत्ति

नृत्य की उत्पत्ति कब हुई—इस संबंध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत सभव है 'पूर्व-पाषाण-युग' (Paleolithic period) में नृत्य का प्रारंभ हो गया हो, परन्तु आजकल की नृत्य-कला की किसी शैली को 'पूर्व-पाषाण-युग' से चली आ रही या उस युग की प्रतिनिधि भी नहीं कहा जा सकता। कारण यह है कि नृत्य अपने समय के सांस्कृतिक तत्वों को अपने में समेटे रहता है, और ज्यो-ज्यो संस्कृतियाँ बदलती जाती हैं त्यो-त्यो नृत्य की शैली, उसके विषय भी बदलते जाते हैं। 'पूर्व-पाषाण-युग' की संस्कृति का प्रतिबिम्ब उस समय के नृत्य में झलकता था, परन्तु ज्यो-ज्यो प्राविधिक-परिवर्तन होते गये, त्यो-त्यो नृत्य के विषय, उसकी शैली तथा भाव-भंगी में भी परिवर्तन आता गया। यही कारण है कि आज के सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण नृत्य में भी पहले के युग की झलक नहीं दिखाई देती। किस देश में नृत्य की कौन-सी शैली कैसे पैदा हुई और कहाँ से आयी—इस सबध में सिर्फ 'प्रसारवाद' (Theory of diffusion) का ही सहारा लिया जा सकता है, इतना ही कहा जा सकता है कि नृत्य एक जन-जाति से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में उनके आपसी संपर्क के कारण आता-जाता रहा है, आदान-प्रदान द्वारा ही इसका प्रसार हुआ। नृत्य की शैली, नृत्य के विषय,

नृत्य के प्रेरक-तत्व, भाव-भगी सब लोग सदा से एक-दूसरे से सीखते रहे हैं, एक-दूसरे से मानो उधार लेते रहे हैं। इसलिए यद्यपि हम नृत्य की उत्पत्ति के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, तो भी नृत्य के उन अगों के विषय में अवश्य विवेचना की जा सकती है जिन्हें भिन्न-भिन्न सस्कृति का तत्व कहा जा सकता है। यह काम नृत्य-कला पर अनुसंधान करने वालों का है कि वे भिन्न-भिन्न जन-जातियों के नृत्यों की शैली, उनके विषय, भाव-भगी आदि को लेकर यह पता लगायें कि किस नृत्य में किस सस्कृति के चिह्न पाये जाते हैं। अनुसंधान कर्ताओं के लिए गवेषणा का यह एक अच्छा क्षेत्र है।

जीवित जन-जातियों में से जो आदिकालीन सरल अर्थ-व्यवस्था में जीवन-यापन कर रही हैं उनमें नृत्य के साथ-साथ नृत्य की वर्दी-पोषाक की बहुतायत नहीं पायी जाती। वे लोग शरीर को चित्रित कर लेंगे, पख आदि से सजा लेंगे, परन्तु उस पर वर्दी-पोषाक आदि का कम-से-कम बोझ डालने का प्रयत्न करेंगे जिससे नृत्य करते हुए शरीर की स्वतंत्र गतियों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। जो जन-जातियाँ सरल से विकसित अर्थ-व्यवस्था में पहुँच गई हैं, उनमें ठाठ-चाठ की पोशाक के साथ नृत्य किया जाता है, शरीर की स्वतंत्र गतियों में भी उतनी विविधता नहीं रह पाती। नृत्य के इतिहास की गवेषणा करने वालों को नृत्य के विकास में इस बात का ध्यान रखना होगा।

नृत्य-कला की उत्पत्ति के सबध में विचार करते हुए कर्ट सैचस (Curt Sachs) का कहना है कि 'पूर्व-पाषाण-युग' के मौस्ट्रियन-काल की नृत्य-कला के कुछ अवशेष वर्तमान-काल की आदिकालीन सरल अर्थ-व्यवस्था की जातियों में पाये जाते हैं। आदिकालीन जन-जातियों के नृत्य सामूहिक-नृत्य होते थे, परन्तु उस समूह के ढीले घेरे में कुछ नर्तक व्यक्ति रूप में सब के घेरे में घिरे-घिरे ही नाचते पाये जाते हैं। वर्तमान-युग का जोर्डो या युगलो के सामूहिक नृत्य में रहते हुए भी जो स्वतंत्र नृत्य है वह उसी 'पूर्व-पाषाण-युग' के मौस्ट्रियन-काल के नृत्य का अवशेष है। श्रीयुत् कर्ट का यह भी कहना है कि 'नव-पाषाण-युग' की नृत्य-कला के अवशेष भी वर्तमान-काल की नृत्य-कला में पाये जाते हैं। श्रीयुत् कर्ट के इन कथनों की सत्यता को अभी प्रमाणित करने की आवश्यकता है, परन्तु विषय के लिए यह भी अच्छा विषय है।

#### ६. भारत में नृत्य-कला

भारत में आदि-काल से नृत्य-कला चलती चली आ रही है। यहाँ की नृत्य-कला का जन-जातियों के जीवन में विशेष स्थान है। गोंड जन-जाति का कर्म-नृत्य तथा असम की जन-जातियों के 'बिहू-नृत्य' प्रसिद्ध हैं। जब तक यहाँ वदेशी शासन रहा तब तक भारतीयों को भी वदेशी नृत्यों का शौक रहा, परन्तु तब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से जन-जातियों की नृत्य-कला को विशेष स्थान दिया जाने लगा है। स्वतंत्रता-विद्रस तथा अन्य समारोहों में जन-जातियों की नृत्य-कला का विशेष रूप से प्रदर्शन किया जाता है।

भारत की नृत्य-कला में 'शास्त्रीय-नृत्य' (Classical dance) का महत्व दिनोदिन बढ़ता चला जा रहा है। पिछले दो हजार से भी अधिक समय से यह कला गुरु-परंपरा द्वारा जीवित है। इस युग में इस कला के सवर्धन की तरफ ध्यान दिया जाने लगा है, परन्तु अब से पहले यह कला नटो आदि तक सीमित थी। भारत के कथानको में शिवजी को नटराज का नाम दिया गया है। नृत्य-कला नटराज शिवजी की कला है, उनका नृत्य ताडव-नृत्य कहाता है। आदि-काल में शिवजी ने अपनी अर्धाङ्गिनी 'शक्ति' को नृत्य-कला की शिक्षा दी। 'शक्ति' के नृत्य से शिवजी इतने प्रसन्न हुए कि जो इस कला के उपासक हुए उन सब को शिवजी का वरदान प्राप्त हुआ। 'शक्ति' का दूसरा नाम 'पराशक्ति' तथा 'गौरी' है। प्रचलित कथानक के अनुसार शिवजी की अर्धाङ्गिनी 'पराशक्ति' अर्थात् 'गौरी' ने एक लाख श्लोको का 'गौरीकथक' लिखा। इस ग्रन्थ के आधार पर सारगदेव ने 'महाभारत सुदामनि'-नामक नाट्य-ग्रन्थ लिखा। इन ग्रन्थों में 'भरत-नाट्यम्' का विस्तृत वर्णन है—ऐसा कहा जाता है। 'भरत-नाट्यम्' पर नन्दिकेश्वर, वसिष्ठ, अगस्त्य, भारत, अर्जुन आदि ने अनेक नाट्य-ग्रन्थ लिखे।

'भरत-सूत्र'-ग्रन्थ अगस्त्य ऋषि का लिखा बताते हैं। इस ग्रन्थ में लिखा है कि 'शिव-ताडव'-नामक नृत्य के १०८ प्रकार हैं। इन १०८ में १२ नृत्य ऐसे हैं जिन्हें एक कोटि में रख कर उनका नाम 'द्वादश-ताडवम्' रखा गया है। सारगदेव ने इन 'द्वादश-ताडवों' अर्थात् बारह नृत्यों का वर्णन निम्न प्रकार किया है —

(१) आनन्द-ताडव—यह ताडव शिवजी ने तब किया जब तीनों लोको की उत्पत्ति हुई और इन तीनों लोको में प्राणी को उत्पन्न किया गया। तीन लोको से अभिप्राय पृथिवी, द्यु और नक्षत्र लोक से है। इन तीनों लोको को उत्पन्न करते हुए शिवजी ने आनन्द ताडव किया। ताडव का अर्थ है—शिवजी का नृत्य। इस ताडव की उत्पत्ति का स्रोत 'जाति-नाट्य' कहा जाता है।

(२) सान्ध्य-ताडव—यह नृत्य भिन्न-भिन्न संगीत तथा वाद्य यंत्रों के उत्पन्न करने के लिए किया गया। नृत्य विना यंत्र के ठीक नहीं जँचता, इसलिए नृत्य को सफल बनाने के लिए संगीत के यंत्रों को भी नृत्य-कला से ही उत्पन्न किया गया। इस ताडव की उत्पत्ति का स्रोत 'गीत-नाट्य' कहा जाता है।

(३) शृंगार ताडव—यह नृत्य शिवजी ने पार्वती के उल्लास के लिए किया। इस नृत्य का अवसर तब होता है जब कोई हर्ष-का प्रसंग हो। इस नृत्य का नवरसों से सवध जोडा जाता है।

(४) त्रिरूप ताडव—ईश्वर को त्रिरूप माना जाता है। पृथ्वी, आकाश तथा नक्षत्र उसी के रूप हैं। इन तीनों को अपने में समेट लेने वाले त्रिरूप ईश्वर का यह नृत्य तब होता है जब वह इन्हें अपने भीतर समेटता है या सृष्टि के इन तीनों रूपों को पृथक्-पृथक् अभिव्यक्त करता है। इस ताडव की उत्पत्ति का स्रोत 'वरनय-नाट्य' कहा जाता है।

(५) ऊर्ध्व-ताडव—इस ताडव के विषय में अधिक लिखा नहीं मिलता, परन्तु इसकी उत्पत्ति का स्रोत 'चित्र-नाट्य' कहा जाता है ।

(६) मुनि-ताडव—यह नृत्य चिदम्बर में पाया जाता है । कहते हैं, पतञ्जलि मुनि ने ताल के साथ इस नृत्य को किया था और तबले पर अपने पाँव से ताल दी थी । इस ताडव की उत्पत्ति का स्रोत 'लय-नाट्य' कहा जाता है ।

(७) सहार-ताडव—यह नृत्य मार्कण्डेय ऋषि को यम के चगुल से छुड़ाने के लिए किया गया था—ऐसा कथानक है ।

(८) उग्र-ताडव—यह नृत्य शिवजी के भक्तों को कष्ट से मुक्त करने के लिए किया गया था । इस ताडव की उत्पत्ति 'राज्य-नाट्य' से कही जाती है ।

(९) भूत-ताडव—इस नृत्य में शिवजी पशु का चर्म पहन कर नृत्य करते हैं । इस ताडव की उत्पत्ति 'पत्तस-नाट्य' से कहते हैं । इस ताडव का विशेष विवरण वायु-पुराण में दिया गया है ।

(१०) प्रलय-ताडव—इस नृत्य को शिवजी सृष्टि के प्रलय के समय करते हैं । इस ताडव की उत्पत्ति 'पवै-क्रुयु-नाट्य' से हुई बताते हैं ।

(११) भुजग-ताडव—इस नृत्य में शिवजी समुद्र-मन्थन में से निकले हुए विष का पान करते हैं । इस ताडव की उत्पत्ति 'पीठ-नाट्य' से कही जाती है ।

(१२) शुद्ध-ताडव—यह नृत्य सब से शुद्ध माना जाता है । इसकी उत्पत्ति ऋषियों के लिए की गई थी । इस ताडव की उत्पत्ति 'पाय-श्री नाट्य' से हुई है ।

उक्त बारह प्रकार के ताडव दक्षिण-भारत के मंदिरों की शिल्प-कला में जगह-जगह दृष्टिगोचर होते हैं । यद्यपि इनकी गहराई में जाने की अभी आवश्यकता है, तो भी नृत्य-कला का इतना गहरा वर्गीकरण सिद्ध करता है कि जिस युग में नृत्य-कला के विषय में इतना विवेचन हुआ था वह नृत्य-कला की दृष्टि से अवश्य नृत्य-कला का स्वर्णिम-युग था ।

प्रचलित कथानक के अनुसार पाणिनि मुनि जब सस्कृत व्याकरण की रचना करने लगे, तो उन्होंने शिवजी की आराधना की और उनसे आशीर्वाद माँगा । इस आराधना के फलस्वरूप शिवजी अपना डमरु लेकर प्रकट हुए और उन्होंने नृत्य करते हुए डमरु बजाया । इस डमरु में से जो शब्द प्रकट हुए उन्हें आधार बना कर पाणिनि ने अपने ससार भर में अद्वितीय सस्कृत के व्याकरण की रचना की । इस प्रकार पाणिनि मुनि के व्याकरण का प्रादुर्भाव नृत्य-कला से हुआ ।

भारत में जो नृत्य आदिकाल से चले आ रहे हैं, उन्हें चार भागों में बाँटा जाता है—भरतनाट्यम्, कथाकली, मणिपुर तथा कत्यक । इनमें भरतनाट्यम् तामिलनाडु का नृत्य है, कथाकली केरल का, मणिपुर असम का और कत्यक-नृत्य उत्तर भारत का है जिसे मुगल बादशाहों, नवाबों तथा राजाओं ने प्रोत्साहना दी । जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, इन नृत्यों की तरफ



## ७ आदिकालीन नृत्य—'कला' के रूप में (Primitive dance as Art)

आदिकालीन नृत्य-कला में सरल से विषम की तरफ विकास हुआ, और धीरे-धीरे अधिक विकसित नृत्य-कला उत्पन्न हो गई—यह नहीं कहा जा सकता। 'पूर्व-पाषाण-युग' में तो इस प्रकार का विकास हुआ प्रतीत होता है, परन्तु 'पूर्व-पाषाण-युग' के बाद 'नव-पाषाण-युग' तथा 'वर्तमान-युग' तक नृत्य कला में जो प्रगति हुई उसे क्रमिक या शृङ्खलावद्ध विकास कहने के स्थान में यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि ज्यो-ज्यो समय बदलता गया, सस्कृति बदलती गई, त्यों-त्यों उसके साथ-साथ नृत्य-कला भी अपना रूप बदलती गई। शुरु-शुरु में 'पूर्व-पाषाण-युग' में वेश-भूषा का ठाठ-वाठ नहीं था, शरीर स्वतंत्र रूप से नृत्य की सब गतियों को कर सकता था, इसलिए उस समय की नृत्य-कला को किसी भी तरह पीछे की नृत्य-कला से नीचे के स्तर का नहीं कहा जा सकता। नृत्य-कला ऊँचे स्तर की है, या नीचे स्तर की है—इसका हर-कोई निर्णय करने लगा है, परन्तु यह उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त वर्तमान नृत्य-कला का पंडित आदिकालीन नृत्य-कला के सबध में निर्णय दे—यह भी ठीक नहीं प्रतीत होता। आदिकालीन नृत्य-कला पर वही निर्णय देने का अधिकारी है जिसने आदिकालीन जन-जातियों के विविध नृत्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया हो। इसमें सन्देह नहीं कि ज्यो-ज्यो आदिकालीन जन-जातियाँ वर्तमान सम्य जातियों के सपर्क में आती जाती हैं, त्यों-त्यों अपने नृत्य की अनेक बातें छोड़ कर वर्तमान नृत्य-कला की बातों को ग्रहण करती जाती हैं। इस प्रवृत्ति को रोक कर उनकी नृत्य-कला को अपने शुद्ध रूप में बनाये रखने का उद्योग करना उनकी कला के हित में श्रेयस्कर है।

'संगीत' आदि का अध्ययन करने के लिए तो आजकल टेप-रिकार्डरो से काम लिया जाता है। आदिकालीन जातियों का संगीत टेप-रिकार्डर पर भर कर उसे बार-बार सुना जाता है और उसके ताल, स्वर आदि का विश्लेषण किया जाता है, परन्तु 'नृत्य' के लिए टेप-रिकार्डर से काम नहीं चलता, इसके लिए फिल्म की सहायता लेना आवश्यक है। फिल्म के द्वारा जन-जातियों के नृत्य को चित्रित करके उसका गहराई से विश्लेषण किया जा सकता है और उसी के आधार पर उनकी नृत्य-कला के सबध में तुलनात्मक अध्ययन के बाद ही अनुकूल या प्रतिकूल निर्णय दिया जा सकता है। असल में, 'कला' के इस क्षेत्र में किसी को अच्छा तथा किसी को निकृष्ट कहना गलत है। नृत्य सब का अलग-अलग है, अपने-अपने क्षेत्र में सब अच्छे हैं क्योंकि इन सब से 'सत्यम् शिवम् सुन्दरम्' की अभिव्यक्ति होती है।

## धर्म तथा जादू

(RELIGION AND MAGIC)

मनुष्य ससार की घटनाओं पर तीन दृष्टियों से विचार कर सकता है। एक दृष्टि यह है कि इस जगत् में दृश्य-ससार से परे कोई 'पारलौकिक-शक्ति' (Supernatural power) है, जो हम से महान् है, शक्तिशाली है, जिसके सामने हम सिर्फ सिर झुका कर उसकी आराधना कर सकते हैं और इसी आराधना से उसका आशीर्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस दृष्टि को धार्मिक-दृष्टि कहा जा सकता है। दूसरी दृष्टि यह है कि दृश्य-ससार से परे 'पारलौकिक-शक्ति' तो है, परन्तु इसके बजाय कि वह हम पर शासन करे, हम मन्त्र-तन्त्र से उसे अपने अधीन कर सकते हैं, और उसके सामने सिर झुकाने के बजाय हम उसे काबू कर सकते हैं, सिर्फ उस पर आधिपत्य जमाने का रास्ता पता लगना चाहिए। इस दृष्टि को जादू-टोने की या तांत्रिक-दृष्टि कहा जा सकता है। तीसरी दृष्टि यह है कि ससार जैसा दीखता है, यह कार्य-कारण के नियम से चल रहा है, इसके पीछे कोई 'पारलौकिक-शक्ति' नहीं काम कर रही, यह ससार, लौकिक-पारलौकिक जो-कुछ दीखता है, वही-कुछ है, और इस पर नियन्त्रण पाने के लिए विश्व के सचालक नियमों का जान लेना काफी है, फिर इन नियमों के आधार पर हम ससार पर आधिपत्य जमा सकते हैं। इस दृष्टि को वैज्ञानिक-दृष्टि कहा जा सकता है। धर्म, जादू तथा विज्ञान—इन तीन दृष्टियों से मानव-समाज विश्व की समस्याओं को हल करता आया है, जिनमें से वर्तमान-युग में विज्ञान से तथा आविकालीन-समाज में धर्म तथा जादू-टोने से मनुष्य विश्व की समस्याओं को हल करता रहा है। हम इस अध्याय में पहले धर्म तथा फिर जादू-टोने पर विचार करेंगे क्योंकि आदिकालीन मानव का विश्व की समस्या को हल करने का तरीका इन्हीं दोनों में से एक था, विज्ञान का तरीका नहीं था।

### १ धर्म की परिभाषा

धर्म क्या है? यह जो प्राकृतिक-ससार हमें अपनी इन्द्रियों से अनुभव होता है, हम किसी चीज को देखते हैं, किसी को छते हैं, किसी को चखते और किसी को सूँघते हैं—इस प्राकृतिक तथा इन्द्रिय-ग्राह्य ससार के अतिरिक्त कोई शक्ति है जो इसे चलाती है, इस शक्ति की सत्ता का अनुभव कर के उसके साथ मनुष्य का किसी भी प्रकार से अपना सबंध स्थापित करना ही तो धर्म है। इस

सम्बन्ध-स्यासन के लिए 'विधि-विधान' (Ritual) का आविष्कार किया जाता है। ससार से परे इस शक्ति की सत्ता को मानना 'पारलौकिक-शक्ति' का मानना है। इस 'पारलौकिक-शक्ति' की सत्ता को मानना तथा इस शक्ति के साथ 'विधि-विधान' द्वारा सम्बन्ध स्थापित करना 'धर्म' के आधारभूत तत्व कहे जा सकते हैं। इस दृष्टि से भिन्न-भिन्न लेखकों ने धर्म की भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ की हैं, जिनमें से कुछ हम नीचे दे रहे हैं :—

[क] मैरेट की व्याख्या—“आदिकालीन-मानव की दार्शनिक कल्पनाओं का परिणाम धर्म है।”

[ख] टायलर की व्याख्या—“धर्म आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास का नाम है। ये दैवीय तथा राक्षसीय—दोनों प्रकार की हो सकती हैं।”

[ग] मैलिनोवस्की की व्याख्या—“धर्म के अन्तर्गत मनुष्य का वह सारा व्यवहार आ जाता है जिससे वह अपने दैनिक-जीवन को अनिश्चितता को दूर कर देना चाहता है और अनपेक्षित तथा अज्ञात से मनुष्य को जो भय बना रहता है उसे पार कर लेता है। धर्म जब पहले-पहल उत्पन्न हुआ तब यह मनुष्य की आशाओं तथा आकाशाओं का परिणाम न होकर उसे जो सदा भय लगा रहता था, उसका परिणाम था।”

## २. धर्म की उत्पत्ति (Origin of Religion)

उक्त परिभाषाओं के अनुसार 'धर्म' के लिए ससार से परे की 'आध्यात्मिक-शक्ति' में विश्वास होना आवश्यक है। इस 'पारलौकिक-शक्ति' को मानने का विचार सहज में उत्पन्न नहीं हो जाता। मनुष्य को भूख-प्यास लगती है, यह स्वाभाविक है, और इस स्वाभाविक-आकाशा को तृप्त करने के लिए वह भिन्न-भिन्न मार्ग ग्रहण करता है। ये मार्ग ही 'आर्थिक-व्यवस्था' को उत्पन्न कर देते हैं। मनुष्य को सुरक्षा की जरूरत है, वह इकला अपनी रक्षा नहीं कर सकता, एक-दूसरे का सहयोग प्राप्त करता है। सुरक्षा की स्वाभाविक-आकाशा को पूरा करने के लिए वह भिन्न-भिन्न सामाजिक-संगठन बनाता है। ये संगठन ही 'राजनैतिक-व्यवस्था' को उत्पन्न करते हैं। मनुष्य यौन-सुख चाहता है, पुरुष को स्त्री की

[क] “Religion is the result of intellectual speculation of the primitive man”—*Marret*

[ख] “Religion is the belief in spiritual beings and friends”—*Tylor*

[ग] “Religion includes all those patterns of behavior whereby men strive to reduce the uncertainties of daily living and to compensate the crises which result from the unexpected and unpredictable Religion first was not related to the hopes and aspirations of man, it was related to fear”—*Malinowski*

और स्त्री को पुरुष की चाह होती है, और इस स्वाभाविक-आकांक्षा को क्रिया में परिणत करने के लिए 'परिवार' की सत्था को जन्म दिया जाता है। ये सब सगठन स्वाभाविक हैं, मनुष्य की आकांक्षा के परिणाम हैं, परन्तु मनुष्य के भीतर ऐसे कोई आकांक्षा नहीं दीखती जिससे वह 'पारलौकिक-शक्ति' की सत्ता में विश्वास का अन्य सगठनों की तरह 'धर्म' को उत्पन्न कर दे। इसीलिए 'धर्म' की उत्पत्ति के सबध में विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं। कुछ मत हम यहाँ दे रहे हैं—

(क) हर्वर्ट स्पेंसर का पूर्वजों की पूजा का सिद्धान्त (Theory of ancestor-worship of Herbert Spencer)—हर्वर्ट स्पेंसर का कहना है कि धर्म की उत्पत्ति का आधारभूत तत्व पूर्वजों की पूजा का भाव है। प्रत्येक परिवार के लोग अपने आदि-पुरखाओं को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इन पुरखाओं को वे पूजने लगते हैं। इनकी पूजा करते-करते कालान्तर में ये पुरखा ही परमेश्वर बन कर पूजे जाने लगते हैं, और इन्हीं की पूजा में विधि-विधान उत्पन्न हो जाते हैं।

(ख) टायलर का जीववादी सिद्धान्त (Tylor's theory of animism or belief in spirits)—टायलर का कहना है कि स्वप्न के समय मनुष्य को अनुभव होता है कि वह शरीर से बाहर चला गया। स्वप्न आदि अनुभवों के आधार पर आदि-मानव ने यह कल्पना की होगी कि शरीर अलग है, और आत्मा अलग है। जैसे मेरा शरीर और मेरा आत्मा अलग-अलग हैं इसी प्रकार दूसरों के शरीर और दूसरों के आत्मा भी अलग-अलग होने चाहिएँ। जो लोग मर जाते हैं, उनका आत्मा जड़-जगत् की वस्तुओं में जाकर निवास करता है। जब आत्मा को शरीर से अलग सत्ता का विचार आदि-मानव ने पकड़ लिया, तो धर्म का विचार तो अपने-आप पैदा हो गया। धर्म की उत्पत्ति आत्मा के शरीर से अलग मानने से होती है। यह आत्मा जब जड़ वस्तुओं में जा बैठता है, तब इन जड़ वस्तुओं की पूजा करना भी स्वाभाविक है। असल में, जड़ वस्तु की पूजा नहीं की जाती, जड़ में बैठे आत्मा की पूजा की जाती है। जड़ में जाकर बैठने वाला यह आत्मा हमारा कोई पूर्वज ही होता है। एक तरह से जीववाद पूर्वज-पूजा का ही दूसरा रूप है। इन आत्माओं की पूजा से धर्म की उत्पत्ति होती है। ये आत्मा अनेक हैं—इससे 'बहु-देवतावाद' चलता है, और जब इनमें से किसी एक की पूजा चल पड़ती है, तब 'बहु-देवता-वाद' से 'एक-देवता-वाद' विकसित हो जाता है।

(ग) मैरेट का 'जीवित-सत्ता-वाद' या कोर्डिंगटन द्वारा प्रतिपादित मैलेनेशियनो का 'मैना' का सिद्धान्त या 'पारलौकिकवाद' (Theory of animat-

१ Animism is a belief in individual spiritual beings, found among all peoples in primitive economies "

ism<sup>२</sup> of Marret or Mana of Melanesians described by Codrington or Supernaturalism)—टायलर का कहना तो यह कि धर्म की उत्पत्ति आत्मा की उत्पत्ति के बाद हुई, परन्तु मॅरेट का कहना है कि आदिवासियों में जड़ तथा चेतन पदार्थों को जीवित-सत्ता-युक्त माना जाता है। एक ऐसी सत्ता है जो भौतिक नहीं है, 'अभौतिक' (Non-material) है, व्यक्तिरूप भी नहीं है, 'अवैयक्तिक' (Impersonal) है। ईश्वर का विचार तो एक व्यक्ति-रूप विचार है, परन्तु आदिवासियों के विचार में इस पारलौकिक-सत्ता का रूप 'अपौरुषेय' (Non-individualized) है। इस 'अभौतिक-सत्ता' को वे 'पारलौकिक' अर्थात् 'दैवीय' (Spiritual) मानते हैं, 'सर्व-व्यापक' (All-pervading) मानते हैं। टायलर का 'जीववाद' (Animism) तो प्रत्येक व्यक्ति में अलग-अलग आत्मा मानता है, मॅरेट का 'जीवित-सत्ता-वाद' (Animatism) एक ही अध्यात्म-सत्ता को सर्व-व्यापक मानता है। मॅरेट का कहना है कि आदिवासियों में सर्वत्र यह 'जीवित-सत्ता-वाद' पाया जाता है। सर्वत्र 'जीवित-सत्ता' को मानना ही धर्म की उत्पत्ति का स्रोत है।

कौर्डरिंगटन ने पहले-पहल पता लगाया कि दक्षिण-तटवर्ती भिन्न-भिन्न जातियों में दैवीय-शक्ति का विचार धार्मिक-विचार के रूप में एक विशेष स्थान रखता है। इस शक्ति को वे जन-जातियाँ 'अवैयक्तिक-सत्ता' (Impersonal) मानती हैं। मैलिनेशिया की जन-जातियों में इस पारलौकिक-सत्ता को 'मॅना' (Mana) कहा जाता है। 'मॅना' का विचार सिर्फ मैलिनेशियावासी जन-जातियों में ही नहीं पाया जाता। अमरीकन-इंडियनो में भी इसी आशय के तीन शब्द पाये जाते हैं—'मनीटाउ' (Manitou), 'ओरेंडा' (Orenda) तथा 'वाकन' (Wakan)। इन तीनों का अर्थ भी अवैयक्तिक, पारलौकिक सत्ता से है। इनका अर्थ 'अलौकिक-व्यक्ति' (Supernatural person) या 'परमात्मा' (God)—यह नहीं है। इनका अर्थ अपौरुषेय, अलौकिक, आध्यात्मिक सत्ता से है। मॅरेट का 'जीवित-सत्ता-वाद' तथा कौर्डरिंगटन का 'मॅना'—इन दोनों का एक ही अर्थ है। इन दोनों का अर्थ 'अलौकिक-शक्तियों' में विश्वास है, अतः इन दोनों को 'पारलौकिकवाद' (Supernaturalism) भी कहा जा सकता है। मॅरेट तथा कौर्डरिंगटन का कथन है कि आदिवासियों का यही विचार धर्म का मूल-स्रोत है।

(घ) दुरखीम का 'समाजशास्त्रीय' मिद्धान्त (Durkheim's theory of Sociological origin of religion)—फ्रेंच समाजशास्त्री दुरखीम का कहना है कि आदिमानव दो प्रकार का जीवन व्यतीत करता था। एक तो

२ Animatism is a belief in the existence of non-material super-natural essence, force or power which resides in matter, also termed *mana*”—*Jacobs and Stern*

अपना वैयक्तिक, एकान्त का जीवन, दूसरा सामूहिक-जीवन। वैयक्तिक-जीवन में उसे कोई रस नहीं मिलता था, वह एक-रस, बिना उतराव-चढ़ाव का जीवन था। परन्तु जब वह सामूहिक-जीवन के किसी कृत्य में सम्मिलित होता था, तो उसे रस आता था, उसमें उत्साह भर जाता था। समूह में एक का उत्साह दूसरे में भर ही जाता है, समूह में सब का सम्मिलित उत्साह होता है। समूह में सम्मिलित होने के उसे अनेक अवसर मिलते थे। 'सामूहिक विधि-विधान' (Group rituals) तो धर्म की उत्पत्ति से पहले भी होते थे। अपने 'गोत्र-चिह्न' (Totem) के लोगो के एकत्रित होने के अनेक अवसर आते थे जिनमें सामूहिक आमोद-प्रमोद, मिलना-जुलना, विधि-विधान होता था। सामूहिक अवसरों पर आदि-मानव अपने में जो उत्तेजना पाता था, वह वैयक्तिक-जीवन की नीरसता को छिन्न-भिन्न कर देती थी। यही कारण था कि आदि-मानव सामूहिक विधि-विधान को जीवन में अधिक स्थान देने लगा, और इसी सामूहिक-जीवन से प्राप्त होने वाली उत्तेजना ने धर्म को जन्म दिया। आदिवासियों का धर्म भी तो सामूहिक-जीवन से प्राप्त होने वाली उत्तेजना के सिवाय कुछ नहीं, उनके जीवन में धर्म का रूप वैयक्तिक न होकर सामूहिक है। धर्म की उत्पत्ति के सत्रध में दुरखीम का यह 'समाज-शास्त्रीय'-सिद्धान्त है।

(ड) हाउर का रहस्यवाद (Mysticism of Hauer)—हाउर का कहना है कि किसी भी मानव-समुदाय में एक ऐसा वर्ग अवश्य होता है, जिसे रहस्यमय, अलौकिक अनुभव हुआ करते हैं, ऐसे अनुभव जिनका साधारण तौर पर कोई समाधान नहीं दिया जा सकता। किसी को कान में आवाजें सुनाई देती हैं, किसी को दिन में कई शकलें दिखाई देती हैं। इन रहस्यमय अनुभवों को दूसरे भी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और इसी से धर्म तथा विधि-विधान उत्पन्न हो जाते हैं।

(च) भय से धर्म की उत्पत्ति का सिद्धान्त (Fear as origin of religion)—कई लोगो का कहना है कि आदि-मानव के हृदय में हर समय जो भय बना रहता था, कहीं इधर से आफत न आ जाये, उधर कहीं से न आ जाये, इसके निवारण के साधन के तौर पर धर्म की उत्पत्ति हुई। हम जिसकी पूजा करते हैं, वह हमारी भयानक सकटों से रक्षा करता है—यह भाव धर्म की भावना को जन्म दे देता है, इसी से पूजा-पाठ, विधि-विधान चल पड़ते हैं।

(छ) वैराग्य से धर्म की उत्पत्ति का सिद्धान्त (Dissatisfaction as origin of religion)—कुछ लोगों का कहना है कि मनुष्य जब सत्कार से दुःखी हो जाता है, तब इस पर भरोसा छोड़ कर और किसी चीज का भरोसा डूँढने लगता है। इस ढूँढ में एक नहीं, कई लोग लगे होते हैं। उन सब को जिस बात में शान्ति मिलती है, वही उनका शान्ति का स्रोत बन जाता है, सत्कार के दुःख से बचने तथा वैराग्य की प्रक्रिया से धर्म की उत्पत्ति हुई है।

### ३ धर्म-सबधी मुख्य-मुख्य वाद (Principal theories of Religion)

धर्म की उत्पत्ति के सम्बन्ध में हमने अनेक सिद्धान्तों की चर्चा की। ये सब एक-दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं, परन्तु मानव-शास्त्र का लक्ष्य धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई—इस बात को ढूँढना इतना नहीं है जितना आदि-काल से धर्म में मुख्य-मुख्य विचार क्या-क्या रहे हैं—यह पता लगाना है। आदिकालीन समाज में धर्म की उत्पत्ति के संबंध के उक्त सभी विचार कुछ-कुछ अशों में ठीक हो सकते हैं, परन्तु हमें तो यह देखना है कि आदिकालीन-मानव के धर्म-सबधी विचार क्या थे। इस प्रकरण में हम आदि-काल के धर्म-सबधी मुख्य-मुख्य विचारों की चर्चा करेंगे.—

(क) 'जीववाद' का विकासवादी सिद्धान्त (Evolutionary theory of Animism)—हमने अभी धर्म की उत्पत्ति के सबध में 'जीववाद' का वर्णन किया था। अब हम धर्म की उत्पत्ति के सिलसिले में इसका वर्णन न कर, आदि-कालीन-मानव के धर्म-सबधी विचारों में से एक विचार के तौर पर इसका वर्णन कर रहे हैं। पहले कई लोगों का विचार था कि आदिकालीन जन-जातियों में धर्म का विचार नहीं पाया जाता, परन्तु लगभग ८० वर्ष पहले विकासवादी टायलर (Tylor) ने इस मत का खंडन किया। उसका कहना है कि आदि-वासियों में धर्म की उत्पत्ति का आधार 'आत्मा' अर्थात् 'जीव' (Animae) है, और इसी कारण टायलर के सिद्धान्त को 'जीववाद' (Animism) कहा जाता है। आदिकालीन-मानव को 'आत्मा'—'जीव'—का विचार कैसे सूझा ? टायलर का कहना है कि मनुष्य सोते हुए भी अनेक काम करता है। जब वह सो रहा होता है, तब उसका शरीर तो एक जगह पड़ा होता है, परन्तु वह वहाँ पड़ा होन पर भी शिकार को जाता है, जानवर को मारता है, जागते हुए जो-कुछ करता था सभी-कुछ करता है। इससे आदिकालीन-मानव क्या परिणाम निकालता ? वह इन स्वप्नों से इसके सिवाय क्या परिणाम निकाल सकता था कि शरीर से भिन्न शरीर में कोई और भी सत्ता विद्यमान है, जो स्वप्न में शरीर से बाहर चली जाती है। इस बात की उसे पुष्टि एक और बात से मिली होगी। स्वप्न में वह मरे हुए अपने पूर्वजों से, माता-पिता, भाई, जान-पहचान वालों से मिलता था, उनसे बात करता था। अगर वे शरीर के साथ खत्म हो गये, तो स्वप्न में उनसे भेंट कैसे हो जाती है ? अवश्य वे किसी-न-किसी प्रकार बिना इस शरीर के मौजूद होंगे। कभी-कभी जागृत अवस्था में भी उसे अपने से विछुड़े सगे-सबधियों का भान होता था। मेरे शरीर से अलग मैं कुछ हूँ—इस बात का भान उसे पद-पद पर होता था। तालाब के पानी में वह अपना प्रतिबिंब देखता था, जगलो में जब जौर से चिल्लाता था तब उसकी आवाज की प्रतिध्वनि उसे सुनाई देती थी, अपनी छाया को वह अपने से जुदा नहीं कर सकता था, वह सदा उसके साथ चिपटी रहती थी। आदि-काल के मानव के ये सब अनुभव उसे सोच-

विचार में डाल देते थे। वह सोचने लगता था कि मेरे शरीर के अलावा भी मेरे साथ कोई अलग सत्ता है। इन सब अनुभवों के साथ उसने यह भी देखा कि मनुष्य मर भी जाता है। मरने पर क्या होता है? यह वही मनुष्य था जो पहले बोलता-चालता था, अब भी इसकी शक्ल-सूरत वंसी-की-वंसी है, परन्तु अब यह हिलता-जुलता क्यों नहीं, बोलता-चालता क्यों नहीं? अवश्य इसमें कोई अदृश्य वस्तु रही होगी जिसके कारण यह हिलता-जुलता, बोलता-चालता था, वह वस्तु निकल गई होगी, तभी तो यह वैसे-का-वैसा होता हुआ भी कुछ नहीं करता। इस सब विचार-विमर्श से आदिकालीन-मानव इसी परिणाम पर पहुँचा होगा कि शरीर से अतिरिक्त कोई अदृश्य सत्ता मौजूद रहती है, जिसके निकल जाने पर शरीर मृत हो जाता है। यह अदृश्य सत्ता ही आत्मा है।

परन्तु टायलर का कहना था कि आदिकालीन-मानव की विचार-परंपरा यहीं तक समाप्त नहीं हो गई होगी। उसने यह भी सोचना शुरू किया होगा कि निद्रा के समय भिन्न-भिन्न स्वप्न आने का कारण क्या है? वह इस नतीजे पर पहुँचा होगा कि सोते समय आत्मा के शरीर में से निकल कर भिन्न-भिन्न अनुभव प्राप्त करना ही स्वप्नों का कारण हो सकता है। ये स्वप्न क्या हैं, आत्मा के शरीर में से निकल कर इधर-उधर विचरण करने के ये अनुभव हैं। जब हम सोते हैं, तब आत्मा शरीर में से बाहर चला जाता है और स्वतंत्र घूमा करता है। इसी कारण कई लोग सोते को एकदम जगाना ठीक नहीं समझते। एकदम जगाने से यह सभव हो सकता है कि घूमता-फिरता आत्मा शरीर में फौरन वापस न पहुँच सके। परन्तु फिर यह शका होती है कि अगर सोते समय आत्मा शरीर में से निकल कर बाहर घूमने-फिरने चला जाता है, तो शरीर ज़िन्दा कैसे रहता है? टायलर का कहना है कि इस शका का समाधान करने के लिए आदिवासियों में दो आत्मा माने जाते हैं—एक 'स्वतंत्र-आत्मा' (Free-soul) जो शरीर छोड़ कर जहाँ-कहीं आ-जा सकता है, दूसरा 'शरीर-आत्मा' (Body-soul) जो शरीर को छोड़ कर नहीं जा सकता, जिसके कारण शरीर जीवित कहलाता है, अगर वह शरीर को छोड़ कर चला जाय, तो शरीर मृत हो जाता है। क्या शरीर में से 'स्वतंत्र-आत्मा' (Free-soul) गया है, या 'शरीर-आत्मा' (Body-soul) भी निकल गया है—यह आदिवासियों के लिए एक समस्या रही होगी क्योंकि निश्चेष्ट तो मनुष्य निद्रा के समय भी हो जाता है। मृत-व्यक्ति कहीं निद्रा की अवस्था में ही न हो—इस सभावना को दूर करने के लिए कई आदिवासियों में दो मृतक-संस्कार पाये जाते हैं। एक मृतक-संस्कार हरा तथा दूसरा सूखा कहलाता है। हरा मृतक-संस्कार मरते साथ ही किया जाता है, परन्तु जब शरीर सूख जाता है, उसमें आत्मा के लौट आने की कोई सभावना नहीं रहती, तब सूखा मृतक-संस्कार किया जाता है। भारत की टोडा तथा हो जन-जातियों में इसी प्रकार के दो मृतक संस्कार किये जाते हैं। हो जन-जाति के लोग इस दूसरे शुष्क-संस्कार को 'जगतोपा' कहते हैं। उनके यहाँ ससार की अर्वायुक्तिक-सत्ता को 'वोंग'



का नाम दिया जाता है। मृत्यु के बाद 'आत्मा' का इस 'वोग' से सम्मिलन हो जाता है। शुष्क-मृतक-संस्कार करते हुए ढोल बजाया जाता है, उसमें से टोपम-जगदोपम की आवाज निकाली जाती है। भारत की कोटा जन-जाति में हरे-संस्कार को 'पसदाउ' कहते हैं। इसे हरा इसलिए कहा गया है कि अभी शरीर हरा होता है, सूखा नहीं होता। कोटा लोग शुष्क-मृतक-संस्कार को 'वरलदाउ' कहते हैं। शुष्क-संस्कार होने के बाद आत्मा तथा शरीर का सवध सदा के लिए टूट गया मान लिया जाता है। 'आत्मा' को ये लोग अमर मानते हैं। आत्मा को अमर मानने का कारण यह है कि अनेक वार अत्यन्त प्राचीन आत्माओं से स्वप्न में भेंट होती है। अगर वे नष्ट हो जाती हैं, तो यह भेंट कैसे हो सकती है ?

टायलर का कहना है कि आदिकालीन-धर्म का आधार इन 'आत्म-सत्ताओं' (Spiritual beings) के प्रति आतंक तथा श्रद्धा-भक्ति थी। ये आत्माएँ शरीर छोड़ने के बाद हमारे आधीन तो होती नहीं, स्वतंत्र विचरण करती हैं, हमें लाभ भी पहुँचा सकती हैं, हानि भी पहुँचा सकती हैं। इनकी तृप्ति, इनकी आराधना, इनका सन्तोष करना इसलिए आवश्यक है ताकि ये हमें किसी प्रकार की हानि न पहुँचायें। क्योंकि ये आत्माएँ हमारे पूर्वजों की होती थीं, इसलिए इन्हीं की पूजा पहले-पहल चली होगी, और आदिकालीन-धर्म का रूप 'पूर्वज-पूजा' (Ancestor-worship) का रूप रहा होगा और आदिकालीन-मन्दिर का रूप 'कब्र-पूजा' (Tomb-worship) का रूप रहा होगा। टायलर का कहना है कि धीरे-धीरे आत्म-पूजा से इन आत्माओं के सम्बन्ध में यह विचार उत्पन्न हो गया होगा कि ये ही संसार का शासन करती हैं। ये क्योंकि अनेक थीं, इसलिए अनेक जीवों को संसार का शासक मानने के कारण पहले 'जीववाद' (Animism) और फिर 'जीववाद' से 'बहु-देव-वाद' (Polytheism) उत्पन्न हुआ होगा, और 'बहु-देव-वाद' से आगे चलकर 'एक-देव-वाद' (Monotheism) का विकास हुआ होगा। टायलर की विचार-धारा विकासवादी विचार-धारा है और उसका दृष्टि-कोण विकासवादी दृष्टि-कोण है।

इन आत्माओं के साथ आदिकालीन-मानव ठीक ऐसे बर्ताव करता था जैसे किसी व्यक्ति के साथ किया जाता है। कई लोगों का कहना है कि वह इनके प्रति भयभीत रहता था, इनका आतंक मानता था और भय तथा आतंक की भावना में मनुष्य जैसा व्यवहार कर सकता है वैसे व्यवहार करता था। परन्तु यह बात नहीं है। वह इनसे भयभीत तो रहता ही था, परन्तु समय-समय पर इन आत्माओं की मित्रता-समाजता, इनकी खुशामद, और मौका हुआ तो इन पर अपना क्रोध भी प्रदर्शित करता था। आखिर, ये आत्माएँ वही तो थीं जो किसी समय इस मानव-देह में हमारे भीतर मौजूद थीं। विस्मार्क द्वीप-समूहों में मानुस नाम की जन-जाति रहती है। ये लोग अपने किसी पूर्वज की खोपड़ी बहुत सभाल कर अपने घर में रखते हैं और आशा करते हैं कि यह पूर्वज उनकी समृद्धि में उनकी सहायता करेगा। अगर वे अपने कार्यों में समृद्धि होते नहीं देखते तो किसी

पुरोहित-पंडित से पूछ कर उस पूर्वज की तृप्ति करने का प्रयत्न करते हैं, और अगर फिर भी उनका अभीष्ट सिद्ध नहीं होता तो इस पूर्वज को क्रोध में फटकारते हैं और कहते हैं कि अगर सीधे रास्ते पर न आयेगा तो याव रखना गली में फेंक दूंगा, वहाँ घूप-वर्षा में तड़पोगे, फिर अक्ल बुरस्त हो जायगी। लंगलगा जन-जाति के लोग सामूहिक-नृत्य करते हुए अपने पूर्वजों की खोपडियों को सजा कर सामने रख लेते हैं और आशा करते हैं कि वे उनके नृत्य का आनन्द उठावेंगे। अपने यहाँ हिन्दुओं में पितरो की श्राद्ध द्वारा तृप्ति करने का प्रयत्न किया जाता है।

विकासवादी लोग यह मानते हैं कि विकास की जो प्रक्रिया किसी एक जगह चली, वही सब जगह चलती है, इसलिए धर्म के उत्पन्न होने तथा उसके विकास की वही दिशा है जो टायलर ने प्रतिपादित की है। परन्तु मानव-शास्त्री इस बात को नहीं मानते। घर में कुर्सी पर बैठे-बैठे सिद्धान्त बना डालना एक बात है, उस सिद्धान्त को समाज में परखना दूसरी बात है। जैसे विज्ञान के सिद्धान्त प्रयोगशाला में परखे जाते हैं, वहाँ ठीक उतरें तभी उन्हें सत्य कहा जाता है, वैसे मनुष्य के सबंध में जो सिद्धान्त बनाये जाते हैं, उनकी प्रयोगशाला वर्तमान जीवित जन-जातियाँ हैं। प्रश्न यह है कि क्या टायलर का धर्म-संबंधी सिद्धान्त जन-जातियों की प्रयोगशाला में ठीक उतरता है? क्या उनमें धर्म के विचार का बंसा ही विकास हुआ है जैसा विकासवादी विचार-धारा के अनुसार बतलाया जाता है? इस कसौटी पर परखने से यह बात ठीक नहीं जँचती। कई जातियों में 'बहु-देव-वाद' पाया जाता है, तो कई में 'एक-देव-वाद' पाया जाता है, कई में 'जीववाद' पाया जाता है, तो कई में 'चेतन-सत्ता-वाद' पाया जाता है। जन-जातियों में धर्म का विकास किसी एक विचार को लेकर हुआ नहीं देखता। एक जगह का विचार दूसरी जगह चला गया, एक जगह एक विचार पैदा हुआ तो दूसरी जगह कोई और विचार उत्पन्न हो गया। मनुष्य की सोचने की शक्ति भिन्न-भिन्न है, इसलिए मनुष्य के विचार सदा विकासवादी दिशा में चलते रहे हों—यह नहीं जान पड़ता। इसके अतिरिक्त टायलर ने जो लम्बी-चौड़ी विचार-परंपरा बतलाई है, ठीक वैसे ही आदिकालीन-मानव ने सोचा—यह भी एक क्लिष्ट-कल्पना है। आदि-काल का मानव इतना लम्बा-चौड़ा नहीं सोचता था जितना टायलर ने सोचा। वह खाने-पीने की चिंता तथा व्यवस्था में इतना लगा रहता था कि उसे टायलर जैसा गम्भीर विचार करने का समय ही कहाँ मिलता होगा। इसका यह अभिप्राय नहीं कि टायलर के विकासवादी सिद्धान्त को विद्वान् नहीं मानते। मानते हैं, परन्तु इसे धर्म के संबंध में एकमात्र विचारधारा नहीं मानते।

(ख) 'जीवित-सत्ता-वाद' या 'मैनावाद' (Animatism or Manatism)—'जीवित-सत्ता-वाद' का जिक्र भी हम इसी अध्याय में धर्म की उत्पत्ति पर लिखते हुए कर आये हैं। 'जीवित-सत्ता-वाद' के तीन मुख्य समर्थक हैं—मैरट (Marret), कौडरिंगटन (Codrington) तथा मैक्समूलर (Max

Muller) । इन तीनों की बात एक ही है, परन्तु कहने का ढंग अलग-अलग है । हम इन तीनों के विचारों को संक्षेप में लिखेंगे ।

(1) मॅरेट का 'जीवित-सत्ता-वाद' (Marret's Animatism)—

'जीववाद' (Animism) के अनुसार तो हर प्राणी में पृथक्-पृथक् आत्मा है, परन्तु मॅरेट का कहना है कि आदिवासियों में इस विचार से भी पहले का विचार 'जीवित-सत्ता' का विचार है । मॅरेट के कथनानुसार आदिकालीन लोग जड़-चेतन सब पदार्थों में एक अनिर्वचनीय, अव्यक्तिक, अप्राकृतिक, अलौकिक तथा दैवीय जीवित सत्ता में विश्वास करते हैं । सत्ता में जो-कुछ भी है, उसमें यह अलौकिक सत्ता वास करती है । यह सत्ता इन्द्रिय-ग्राह्य नहीं है, परन्तु अपने-आप को भौतिक-शक्ति के रूप में प्रकट करती है । सत्ता की हर वस्तु में यह सत्ता विद्यमान है, किसी में कम और किसी में ज्यादा हो सकती है । इसी सत्ता को मॅलेनेशिया के आदिवासी लोग 'मॅना' कहते हैं ।

(11) कौडरिंगटन का 'मॅनावाद' तथा डा० मजूमदार का 'बोंगवाद' (Codrington's Manatism and Majumdar's Bongatism)—

'जीवित-सत्ता-वाद' (Animatism) तथा 'मॅनावाद' (Manatism) का एक ही अर्थ है । 'मॅना' के सिद्धान्त की तरफ कौडरिंगटन ने अपनी पुस्तक 'मॅलेनेशियन्स' द्वारा विद्वानों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया । 'मॅना' मॅलेनेशियन जन-जातीय भाषा का शब्द है जिसका अर्थ उसी अनिर्वचनीय, अव्यक्तिक, अप्राकृतिक, अलौकिक दैवीय-सत्ता से है जिसका हम अभी 'जीवित-सत्ता-वाद' के नाम से वर्णन कर आये हैं । जैसे मॅलेनेशिया के लोग इस सत्ता के लिये 'मॅना'-शब्द का प्रयोग करते हैं, वैसे अमरीकन-इंडियन इसके लिए 'मनीतऊ' (Manitou), 'ओरेंडा' (Orenda) तथा 'वाकन' (Wakan) शब्दों का प्रयोग करते हैं । ये सब शब्द 'अलौकिक-शक्ति' (Supernatural power) के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं । इनका अर्थ 'अलौकिक-व्यक्ति' न होकर 'अलौकिक-शक्ति' है । इस दृष्टि से अपने यहाँ जो लोग ईश्वर को व्यक्ति विशेष न मान कर शक्ति रूप मानते हैं उनके विचार से आदिवासियों का 'मॅना' का विचार बहुत-कुछ मिलता-जुलता है । उक्त शब्दों का प्रयोग जड़ तथा चेतन दोनों के लिए किया जाता है—'आश्चर्यजनक', 'विचित्र' आदि अर्थों में भी इनका प्रयोग होता है । हर्स्कोविट्स (Herskovits) का कहना है कि आजकल 'लक'—'भाग्य'—'दैव' आदि शब्दों का हम लोग इन्हीं अर्थों में प्रयोग करते हैं । 'लक' या 'भाग्य' क्या है ? 'भाग्य' ही तो सब का शासन करता है, 'भाग्य' के ही सब आधीन हैं, इसी प्रकार 'मॅना' ही शासन करता है, 'मॅना' के ही सब आधीन है । जैसे पत्थर में कठोरता है, घास में हरियावला है, वैसे सत्ता की हर वस्तु में 'मॅना' है । आदिवासियों में तथा वर्तमान अपठ लोगों में भी तावीज काम में लाये जाते हैं । किसी तावीज की पशु की-सी आकृति होती है । इस तावीज को अगर कमर में बाँध कर ले जाय, तो शिकार में सफलता मिलती है । अगर तावीज की आकृति किसी

फल की-सी है, तो उसे वृक्ष की जड़ में दवा देने से वृक्ष अपनी मौसम में फलो से लद जाता है। तावीज की यह शक्ति 'मैना' की ही शक्ति है। पुरोहित में आदिवासी किस बात की शक्ति मानते हैं? उसकी तीव्र स्मृति-शक्ति, विशाल ज्ञान, बुद्धि की प्रखरता, उसकी 'मैना-शक्ति' के कारण ही है। विधि-विधान के विषय में पुरोहित की जितनी निपुणता होती थी, उतनी ही उसकी 'मैना-शक्ति' भी उच्च-कोटि की समझी जाती थी। मैनावादियों का कहना है कि-प्रकृति में चेतन-सत्ता अर्थात् मैना की अनुभूति ने ही आदिवासियों में धर्म की भावना को जन्म दिया है।

डा० मजूमदार भारत की आदिवासी जातियों का अध्ययन करते हुए इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि जिस शक्ति को मैलेनेशियन लोग 'मैना' कहते हैं, उसे छोटा नागपुर की मुंडा तथा हो जन-जातियों में 'बोंग' कहा जाता है। 'बोंग' का इन जन-जातियों में वही अर्थ है, जो अर्थ 'मैना' का है। इस दृष्टि से डा० मजूमदार ने 'मैनावाद' (Manatism) की तरह 'बोंगवाद' (Bongatism) शब्द की रचना की है। 'बोंग' अलौकिक-शक्ति का सूचक शब्द है। मुंडा तथा हो जन-जातियों में अद्भुत शक्ति की हर-कोई चीज 'बोंग' कही जाती है। वे साइकिल और इजिन को भी 'बोंग' कहते हैं, अब तो हवाई जहाज के रूप में बहुत बड़ा 'बोंग' निकल आया है। मनुष्य मनुष्य में भेद इसी 'बोंग' के कारण है। कोई बड़ा है, कोई छोटा—यह सब 'बोंग' की महिमा है।

(111) मैक्समूलर का प्रकृतिवाद (Max muller's Naturalism)—  
मैक्समूलर का प्रकृतिवाद भी 'जीवित-सत्ता-वाद' का ही एक रूप है। प्रकृति को देख कर आदि-काल के मानव के मन में भय, आतंक, आश्चर्य होना स्वाभाविक था। इन मानसिक-भावनाओं के कारण वह प्रकृति से ऐसे डरने लगा जैसे किसी जानदार से डरता था, उनकी इस प्रकार भक्ति करने लगा जैसे किसी अपनी जाति के किसी महान् व्यक्ति की करता था। सूर्य, पृथिवी, चाँद, वायु आदि प्राणवान् हैं, प्रकृति की सब शक्तियों में वंसी ही प्राणवान् सत्ता है जैसी मनुष्य में है—यह विचार धर्म की भावना का मूल-प्रवर्तक है। मैक्समूलर का कहना है कि आदि-मानव प्राकृतिक-तत्वों को प्राणवान् समझता था, यह बात भाषा की रचना से भी पुष्ट होती है। वह कहता था—सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, फूल खिलता है, वायु चलती है। हम भी उसी अपने पूर्वजों की आदिकालीन परंपरा के पीछे चलते हुए इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। इन सब प्रयोगों की आधारभूत भावना प्राकृतिक-जगत् को जीवित, प्राणवान् तथा चेतन समझना है।

मैरेट तथा मैक्समूलर का यह कहना कि आदिकालीन मानव ने ऊहा-पोह करके 'जीवित' या 'चेतन-सत्ता' के विचार को जन्म दिया, उस मानव को एक दार्शनिक तथा तार्किक बना देना है। अगर वह आदिकालीन मानव ही था, तो वह इतना तर्क कैसे करने लगा? इसके अतिरिक्त मैक्समूलर का यह कहना कि भाषा इस बात को पुष्ट करती है कि आदिकालीन-मानव प्रकृति को प्राणवान् समझता था, युक्तियुक्त नहीं है। आलंकारिक तौर पर भी इस तरह की भाषा का प्रयोग

क्या जा सकता है, और सूर्य को प्राणवान् न समझते हुए भी सूर्य उदय होता है—  
स प्रकार की भाषा का प्रयोग हो सकता है।

(ग) जीववाद तथा जीवित-सत्ता-वाद में भेद (Distinction between animism and animatism)—‘जीववाद’ (Animism) का अर्थ आत्माओं में विश्वास। जीवित तथा मृत देह के भेद को देख कर ‘आत्मा’ विचार का उदय हुआ। ये आत्मा अनेक हैं, अप्राकृतिक हैं, अदृश्य हैं, इन्हें त्व से स्पर्श नहीं किया जा सकता। आत्मा पूर्वज, भूत, प्रेत, जिन, राक्षस, शशाच किसी भी रूप में हो सकता है; वृक्ष, पशु, पक्षी, चट्टान किसी में भी रह सकता है। टायलर का कहना है कि आत्माओं के संबंध में इस विचार से ही धर्म का विचार उत्पन्न हुआ, परन्तु धर्म का, ईश्वर का, अनेक ईश्वर या एक ईश्वर का विचार उत्पन्न होने से पहले अच्छे आत्माओ और बुरे आत्माओ में भेद का विचार उत्पन्न हो गया था। जैसे मनुष्य अच्छे तथा बुरे होते हैं, वैसे उनके आत्माओ में अच्छे तथा बुरे हो सकते हैं। इन अच्छे तथा बुरे आत्माओ के विचार से ही प्राणवान् तथा शंतान का विचार उत्पन्न हुआ। विकासवादियों के कथनानुसार धर्म इसी ‘जीववाद’ से उत्पन्न हुआ।

‘जीवित-सत्ता-वाद’ (Animatism) का अर्थ आत्माओ में नहीं, परन्तु सृष्टि में चेतन-सत्ता में विश्वास है। आत्मा अव्यक्तिक होती है, जो आदिवासी सृष्टि में चेतन-सत्ता मानते हैं, वे इसे अव्यक्तिक मानते हैं। आत्मा अनेक है, जीवित, अर्थात् चेतन-सत्ता अनेक नहीं है, अनेक वस्तुओं में यह एक है। आत्मा तथा चेतन-सत्ता दोनों अप्राकृतिक तथा अदृश्य हैं—इस बात में दोनों में समानता भी है। आत्मा सर्व-व्यापक नहीं है, हर-एक वस्तु में अलग-अलग है; चेतन-सत्ता सर्व-व्यापक है, हर-एक वस्तु में अलग-अलग न होकर एक ही जीवित अर्थात् चेतन-सत्ता है। मॅरेट तथा कौर्डरिंगटन के कथनानुसार आदिवासियों का ‘मैना’ का विचार ‘जीवित-सत्ता-वाद’ का ही विचार है। इन लोगों का कहना है कि ‘जीवित-सत्ता-वाद’ का विचार पहले था, उसके बाद हर वस्तु में अलग-अलग आत्मा के विचार, अर्थात् ‘जीववाद’ का जन्म हुआ। ‘मैना’ अर्थात् ‘जीवित-सत्ता’ के विषय में अब से बड़ी बात इसका अव्यक्तिक होना है। ‘मैना’-शब्द विशेषण के तौर पर भी प्रयुक्त होता है—विचित्र, आश्चर्यजनक आदि के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग जाता है। जैसे पत्थर में कठोरता, घास में हरियावल पाई जाती है, वैसे सृष्टि में ‘मैना’ पायी जाती है, शक्ति पायी जाती है। एस्किमो जन-जाति के लोग दीर्घ-जीवन प्राप्त करने के लिए अपने कपड़ों में आग में से पत्थर का टुकड़ा सी लेते हैं। इनका विचार है कि इस पत्थर में इसके ‘मैना’ के कारण ही आग का असर नहीं होता, और इसे अपने साथ रखने से हमें भी पत्थर फा-सा दीर्घ-जीवन प्राप्त होगा। शुरु-शुरु में जब ‘जीववाद’ (Animism) तथा ‘जीवित-सत्ता-वाद’ (Animatism) उत्पन्न होते हैं, तब ये धर्म का अंग नहीं होते। आगे चलकर इनसे धर्म की भावना उत्पन्न हो जाती है। ‘जीववाद’ तथा ‘जीवित-सत्ता-वाद’ एक

ही काल में भी साय-साय रह सकते हैं, अलग-अलग भी रह सकते हैं। यह हो सकता है कि एक जन-जाति 'जीववाद' को मानती हो, 'जीवित-सत्ता-वाद' को न मानती हो, यह भी हो सकता है कि कोई जाति 'जीवित-सत्ता-वाद' को मानती हो, 'जीववाद' को न मानती हो, यह भी हो सकता है कि कोई जाति 'जीवित-सत्ता-वाद' तथा 'जीववाद' दोनों को मानती हो। इससे इन दोनों का भेद स्पष्ट है।

(घ) दुरखीम, मैलिनोवस्की तथा रेडक्लिफ-ब्राउन का समाजशास्त्रीय-सिद्धान्त (Sociological theory of Durkheim and others)—टायलर तथा मॅरेट ने धर्म पर इसकी उत्पत्ति के दृष्टिकोण से विचार किया है। दुरखीम तथा उसी की तरह के अन्य समाजशास्त्रियों का कहना है कि धर्म उत्पन्न किसी भी तरह क्यों न हुआ हो, हमें इसकी उत्पत्ति के तरीके की बहस में न पड़ कर यह देखना है कि धर्म का समाज में क्या 'कार्य' (Function) है, यह क्या-कुछ करता है? धर्म पर इसके कार्य की दृष्टि से तीन समाजशास्त्रियों ने विचार किया है—दुरखीम, मैलिनोवस्की तथा रेडक्लिफ-ब्राउन। इनके विचार क्या हैं?

(1) दुरखीम का सामूहिक-चेतना की सर्व-शक्तिमत्ता का विचार (Durkheim's omnipotence of the group-mind)—दुरखीम का कहना है कि आदिकालीन-मानव उत्सवों, त्यौहारों तथा सामाजिक मेल-जोल के अवसरों पर जब इकट्ठे होते थे, तब वे समूह की अद्वितीय, अलौकिक शक्ति का अनुभव करते थे। समूह मिल कर अनेक ऐसे काम कर सकता था जो अलग-अलग व्यक्ति करने में असमर्थ थे। इस दृष्टि से धर्म क्या है? धर्म है समूह तथा समाज के भौतिक तथा नैतिक दृष्टि से व्यक्ति की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होने की स्वीकृति।

दुरखीम ने अपने समाजशास्त्रीय विवेचन में धर्म को दो भागों में बांटा है—'विश्वास' (Beliefs) तथा 'विधि-विधान' (Rituals)। 'विश्वास' दो तरह के हो सकते हैं—'पवित्र-विश्वास' (Sacred beliefs) तथा 'दूषित-विश्वास' (Profane beliefs)। इनमें से 'पवित्र-विश्वास' से धर्म तथा 'दूषित-विश्वास' से जादू-टोने का विचार उत्पन्न होता है। ये विश्वास चाहे पवित्र हों, चाहे दूषित, ये दोनों धर्म के विचारात्मक पहलू हैं। इन विचारात्मक पहलुओं के साय-साय धर्म का क्रियात्मक पहलू भी होता है जिसे 'विधि-विधान' (Rituals) कहते हैं। इस प्रकार धर्म में विचार तथा क्रिया दोनों मिल जाती हैं। ये विचार तथा क्रिया मिलकर धर्म के रूप में समाज में अपूर्व-शक्ति का संचार कर देते हैं, ऐसी शक्ति का जो व्यक्ति में अलग-अलग तौर पर नहीं पायी जाती। इसी शक्ति से प्रभावित होकर धार्मिक लोग ऐसे महान् कार्य कर जाते हैं जिन्हें देख कर हमें आश्चर्य होने लगता है। धर्म के आवेश में लोग आग में जल गये हैं, तलवार के घाट उतर गये हैं, ईंटों की दीवारों में जीवित चिने गये हैं।

(11) मैलिनोवस्की का परिष्कृतिवाद (Malinowski's cathartic theory of religion)—मैलिनोवस्की का कहना है कि आदिकालीन-

मानव जब शिकार खेलने को निकलता था, या मछली पकड़ने के लिए नौका समुद्र में डाल कर चलता था, तो उसे सदा इस बात का भय बना रहता था कि वह लौट कर आयेगा या नहीं। वह हर समय खतरे से घिरा रहता था। अगर मनुष्य को हर समय किसी-न-किसी प्रकार का खतरा बना रहे या वह किसी भी मानसिक उद्वेग के कारण तनाव की हालत में रहे, तो वह कोई काम नहीं कर सकता। धर्म का काम उस काल के मनुष्य के इस मानसिक-तनाव, इस उद्वेगात्मक-स्थिति को दूर करना, इसे परिष्कृत कर देना था, उसके मनमें से निकाल कर मन को हल्का कर देना था। मनुष्य जब भगवान् के भरोसे सब-कुछ छोड़ कर चलता है, तब वह समझ लेता है कि अब उसके रास्ते के सब काँटे दूर हो गये। संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि मनुष्य का मन जब भय आदि मानसिक उद्वेगों से डाँवाडोल होता है, उस समय धर्म मनुष्य तथा पारलौकिक-शक्ति में एक ऐसा सबंध स्थापित कर देता है जिससे उसके मन की अशान्ति दूर हो जाती है।

(iii) रेडक्लिफ-ब्राउन का सामाजिक अति-जीवन का विचार (Radcliffe-Brown's theory of social survival)—रेडक्लिफ ब्राउन का कहना है कि धर्म का कार्य मनुष्य के मन में से भय आदि को निकालना नहीं, परन्तु उसके मन में अपने को समाज के ऊपर निर्भर कर देने की भावना को भर देना है। संसार की जद्दोजहद में मनुष्य अगर जीवित रहना चाहता है, तो सिर्फ अपने बूते पर तो बच नहीं सकता, उसे समूह का सहारा लेना पड़ता है। परन्तु समूह उसकी रक्षा करे इसके लिए व्यक्ति को भी तो समूह के लिए त्याग करना होगा। मुश्किल यह है कि समूह के लिए त्याग किये बिना व्यक्ति की रक्षा नहीं हो सकती, परन्तु फिर भी व्यक्ति समूह के लिए त्याग करने को तैयार नहीं होता, घबराता है। अगर हर व्यक्ति ऐसा ही करे, समूह के लिए कोई व्यक्ति त्याग न करे, तो न तो समूह बना रहे, न व्यक्ति की ही रक्षा हो सके। ऐसी हालत में, व्यक्ति तथा समूह दोनों के बने रहने के लिए, दोनों के 'अति-जीवन' (Survival) के लिए ऐसी विचार-धारा का होना जरूरी है जिसके कारण अगर समाज के लिए हितकर कार्यों के लिए व्यक्ति को अपने स्वार्थों का त्याग करना पड़े, तो वह इच्छा-पूर्वक करता रहे। यही विचार-धारा धर्म कहाती है। इस विचार-धारा में यह माना जाता है कि अगर व्यक्ति सामाजिक विधि-विधानों को, समाज के रीति-रिवाजों को न मानेगा, उन्हें न करेगा, तो वह देवीय-शक्ति के कोप का भाजन बनेगा। देवीय-कोप से बचने के लिए वह समाज के रीति-रिवाजों को, सामाजिक-प्रथाओं को जिनमें व्यक्ति को त्याग भी करना पड़ता है, इच्छा-पूर्वक करने लगता है। इस दृष्टि से रेडक्लिफ-ब्राउन का कहना है कि धर्म का काम व्यक्ति को अपने को समाज में जीवित रखने के लिए, अपने 'अति-जीवन' के लिए प्रेरित करना है।

समाजशास्त्रियों के उक्त तीनों विचारों के विषय में यही कहा जा सकता है कि इनमें से अलग-अलग कोई सर्वथा सत्य नहीं है। धर्म का काम उक्त तीनों

प्रकार का कहा जा सकता है। धर्म व्यक्ति के जीवन में असीम शक्ति का संचार भी करता है, उसकी मानसिक द्विविधा को भी दूर करता है और उसे अपने अति-जीवन के लिए सामूहिक-हित के कार्यों में स्वार्थ-त्याग के लिए भी प्रेरित करता है।

(ङ) बहु-देवता-वाद (Polytheism)—पारलौकिक या अलौकिक-सत्ता में विश्वास के जिन प्रकारों का हम उल्लेख कर आये हैं, उनके अतिरिक्त अलौकिक-सत्ता में विश्वास का एक अन्य रूप भी है जिसे 'बहु-देवता-वाद' कहा जाता है। ईजिप्ट, मैसेपोटामिया, ग्रीस, रोम, भारत आदि सभी देशों में इस प्रकार का अनेक देवीय-सत्ताओं में विश्वास पाया जाता है। टायलर तथा अन्य विकासवादियों का कहना तो यह है कि अनेक देवीय-सत्ताओं में विश्वास का विचार 'जीववाद' (Animism) का ही विकसित रूप है। पहले अनेक आत्माओं, भूत-प्रेतों में विश्वास का विचार पैदा हुआ, उसी से अनेक देवताओं के विश्वास का जन्म हुआ, परन्तु मानव-शास्त्री लोग विकासवादियों की इस विचार-धारा से सहमत नहीं हैं। अगर यह सिद्ध किया जा सके कि आदिकालीन सरल अर्थ-व्यवस्था के लोगों में, फल-मूल एकत्रित करने वाले लोगों में अनेक आत्माओं का विश्वास प्रचलित था, और कृषि तथा पशु-पालन की अर्थ-व्यवस्था के लोगों में अनेक देवताओं का विश्वास पैदा हो गया, तब तो विकासवादियों के सिद्धान्त की पुष्टि हो जाती है, परन्तु ऐसी कोई बात सिद्ध नहीं होती। आदिवासियों में अनेक आत्माओं की सत्ता में विश्वास के बिना भी 'बहु-देवता-वाद' में विश्वास पाया जाता है।

(च) एक-देवता-वाद (Monotheism)—विकासवादियों का विचार है कि एक-देवता-वाद आदिकालीन-मानव की उपज न होकर वर्तमान-कालीन उपज है, परन्तु मानव-शास्त्री इस बात को नहीं मानते। मानव-शास्त्रियों का कहना है कि जीवित-जातियों में 'जीववाद', 'जीवित-सत्ता-वाद', 'बहु-देवता-वाद' तथा 'एक-देवता-वाद'—सभी एक-साथ पाये जाते हैं। अलौकिक-शक्ति के सम्बन्ध में इन चारोंवादों का एक-साथ, एक ही समय में पाया जाना इस बात को सिद्ध करता है कि इनका एक-दूसरे से क्रमिक विकास नहीं हुआ, परन्तु या तो ये एक-साथ रह सकते हैं, या इनका भिन्न-भिन्न स्थानों से 'प्रसार' होता है, और ये सभी विचार एक जगह आकर इकट्ठे हो जाते हैं। विकासवादियों का यह कहना भी युक्ति-सगत नहीं प्रतीत होता कि एक-देवता-वाद बहु-देवता-वाद का ही परिणाम है क्योंकि यह भी संभव हो सकता है कि अनेक स्थानों के एक-देवता-वाद जब कहीं एक स्थान पर पहुँचे हो, तो वहाँ अनेक एकों के मिलने से उन सब की पूजा चल पडने के कारण 'बहु-देवता-वाद' उत्पन्न होगी या हो।

(छ) अनेकैक देवतावाद (Henotheism)—मैक्समूलर का कहना है कि कभी-कभी अनेक देवताओं तथा एक देवता का विश्वास इकट्ठा भी रहता है। लोग अनेक देवताओं में विश्वास करते हैं, परन्तु उनमें से किसी



एक को सब से प्रधान मानते हैं, इसे 'अनेकैक' अर्थात् 'अनेको में एक'—(Henotheism) कहा जाता है। इस प्रकार की अनको में एक की पूजा वेद में सर्वप्र पायी जाती है। वेद में अनेक देवताओं का उल्लेख है, परन्तु उनमें इन्द्र को सबसे प्रमुख स्थान दिया जाता है। वेदों में अनेक देवताओं का वर्णन देख कर कई विद्वानों ने उनमें 'अनेक-देवता-वाद' का होना सिद्ध किया है, परन्तु वेदों का 'अनेक-देवता-वाद' विद्वानों के लिए एक समस्या है। वेद में जब सूर्य का वर्णन किया जाता है, तब उसे ही सब देवताओं का उत्पादक, सब देवताओं का मुख्य कहा जाता है, जब इन्द्र का वर्णन किया जाता है, तब इन्द्र को सभी-कुछ कह दिया जाता है। अगर वेदों में 'अनेक-देवता-वाद' होता, तो सब देवताओं का पृथक्-पृथक् नाम होने के साथ उनके गुणों का भी तो पृथक्-पृथक् ही वर्णन होता। ऐसी बात नहीं है। जो गुण एक देवता के हैं, वही सब गुण अन्य देवताओं के हैं। इस उलझन का समाधान करने के लिए मैक्समूलर ने वेदों के ईश्वरवाद को 'अनेकैकवाद' (Henotheism)<sup>१</sup> का नाम दिया है। उसका कहना है कि वे मानते तो अनेक देवताओं को थे, परन्तु जब किसी एक का वर्णन करने लगते थे तब उसी को सब-कुछ बना देते थे, और अन्य देवताओं को उससे हीन कहने लगते थे। यह बात किसी एक देवता के साथ न थी, सब देवताओं के साथ थी।

मैक्समूलर का यह सिद्धान्त वेदों का अनुशीलन करने से ठीक नहीं प्रतीत होता। इसका कारण यह है कि वेदों में अनेक-देवता न होकर एक ही देवता के अनेक नाम हैं। 'एक सद्भिप्रा. बहुधा वर्तन्ति अग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः'— देवता तो एक ही हैं, परन्तु उसका भिन्न-भिन्न नामों से स्मरण किया जाता है। जैसे एक ही व्यक्ति को किसी संबंध से पिता, किसी संबंध से पुत्र, किसी संबंध से चाचा और किसी संबंध से ताया पुकारा जाता है, इसी प्रकार वेदों में एक ही सत्ता को भिन्न-भिन्न गुणों के कारण भिन्न-भिन्न नाम दिये गये हैं। इस बात को न समझने के कारण पाश्चात्य-विद्वान् वेदों के एकेश्वरवाद को कभी 'बहु-देवता-वाद' और कभी 'अनेकैकवाद' कह देते हैं।

#### ४ आदिकालीन धर्मों के समान-तत्त्व (Common elements in religions)

संसार के आदिकालीन-धर्मों में अनेक समानताएँ हैं। आदिकालीन-धर्मों का अध्ययन करते हुए इन समानताओं की तरफ ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि ये तत्व बहुधा वर्तमान-कालीन धर्मों में भी पाये जाते हैं। आदिकालीन-धर्मों के समान-तत्त्व निम्न हैं.—

(क) विधि-विधान तथा सत्कार (Ceremonials and Rituals)—  
सब धर्मों में सत्कार, विधि-विधान पाये जाते हैं, परन्तु यह समझना उल्लत है

1 Henotheism ⇒ Greek word *Henos*, one, *theos*, God  
(मस्कृत—धी, दिव्य, देव)

तः सस्कारो तथा विधि-विधानो का सबध सिर्फ धर्म से है। विधि-विधान तथा स्कार का सबध धर्म से उतना नहीं है जितना बाह्य दिखावट तथा आडम्बर से। आडम्बर से, बाहर की टोप-टाप से मनुष्य पर प्रभाव पडता है। मनुष्य वय जो-कुछ है वह तो है ही, परन्तु मनुष्य मनुष्य तो सब बराबर है, जब तक आडम्बर न किये जाय, बाहर की शान-शौकत न दिखाई जाय, अपना वैभव न दर्शित किया जाय, तब तक कोई रोव आसानी से नहीं मानता। इसीलिए धार्मिक तथा लौकिक कृत्यों में विधि-विधान, आडम्बर, टोप-टाप की जाती है। धर्म के विधि-विधान तथा सस्कार तो प्रसिद्ध ही हैं, परन्तु लौकिक-कृत्यों में कम आडम्बर नहीं किये जाते। हर देश का राष्ट्रपति पार्लियामेंट का उद्घाटन करता है, सजे-बजे घोड़ों की सवारियों पर रंग-विरंगे बाकी पगडी के सवार आगे-आगे भ्रजव-सी शकलें बनाये निकलते हैं—यह सब बाह्य उपचारो द्वारा रोव डालने का तरीका है, जो ससार में सब जगह पाया जाता है।

इस विधि-विधान में रोव को बढ़ाने के लिए हर बात पर आवश्यकता से ज्यादा बल दिया जाता है। किसी समारोह का उद्घाटन करना हो, तो सभापति अमुक जगह पर बैठेगा, उसके पास अमुक बैठ सकेगा, गद्दा होगा या कुर्सी होगी—सब बातों को छान-चीन करके सारा प्रोग्राम बनाया जाता है। धार्मिक-कृत्यों में इधर जल छिडकना, अग्नि के उत्तर में या दक्षिण में आहुति देना—ये सब करना पडता है। किस प्रकार किसी लौकिक या धार्मिक कृत्य को करना—इसके नियमों के अलावा इन दोनों प्रकार के कृत्यों में कई लाक्षणिक-कार्य भी करने आवश्यक होते हैं, जिनका अर्थ तो हमें पता नहीं होता, परन्तु उन्हें करना जरूरी होता है। विवाह के समय हिन्दुओं में नव-ग्रह पूजा है, और इसी प्रकार के अन्य विधि-विधानों के समय के अनेक कार्य हैं, जिनके करने से ही सस्कार पूर्ण कहा जा सकता है। इन सब से सस्कार में अलौकिकता का समावेश हो जाता है।

सस्कारों, विधि-विधानों के इस अलौकिक प्रभाव को देख कर ही दुरखीम (Durkheim) का कहना है कि इनके अलौकिक प्रभाव से ही धर्म का विचार उत्पन्न हो जाता है। पहले तो ये विधि-विधान लौकिक-उत्सवों, समारोहों में होते हैं, परन्तु इनसे जो सामूहिक-उत्तेजना उत्पन्न होती है, और उस उत्तेजना का मनुष्य पर जो चमत्कारी प्रभाव पडता है, वह अनहोनी कर गुजरता है, उससे धर्म का विचार जन्म ले लेता है। आदिवासियों में धर्म का स्वरूप विधि-विधान तथा सस्कारों के सिवाय क्या है? इन्हीं से तो उनका धर्म बनता है। लोई (Lowie) का कहना है कि विधि-विधान तथा सस्कारों में जो टोप-टाप तथा आडम्बर दिखाई देता है उसका धर्म से कोई सबध नहीं। टोप-टाप से मनुष्य स्वभावतः प्रभावित होता है—सिर्फ इसीलिए टोप-टाप को शुरू करता है। असल में, दुरखीम तथा लोई दोनों का दृष्टिकोण ठीक है। जब लोग विधि-विधानों में मिल कर काम करते हैं, तब उससे धर्म का विचार उत्पन्न हो जाता है—दुरखीम का यह विचार भी ठीक है, और धार्मिक विधि-विधानों की धार्मिकता

से लोग इतने आकर्षित नहीं होते, जितने उसकी बाहर की टोप-टाप से जिसका धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं आकर्षित होते हैं—लोई का यह विचार भी ठीक है।

कई लोगों का कहना है कि विधि-विधानो, सस्कारो का उद्भव किन्हीं विशेष उद्देश्यों से होता है। उद्देश्य मुख्य है, उस उद्देश्य को अपने में लिए बैठने वाला विधि-विधान गौण है। यह बात हो सकती है, परन्तु मानव-शास्त्रियों का कहना है कि संसार की आधुनिक तथा प्राचीन मानव-जातियों के विधि-विधानो को देखने से तो यह प्रतीत होता है कि इन विधि-विधानो, सस्कारो का उद्देश्य सब जगह गौण दिखाई देता है, विधि-विधान, सस्कार, तथा उनका बाह्य रूप ही मुख्य दिखाई देता है। उदाहरणार्थ, उकोटा, क्रो आदि जन-जातियों में 'सूर्य-नृत्य' एक विधि है, संस्कार है। अगर किसी मतलब से, किसी उद्देश्य से, किसी प्रयोजन से यह प्रारंभ हुआ था, तो इन सब जन-जातियों का प्रयोजन एक ही होना चाहिए था, परन्तु ऐसी बात नहीं है। उकोटा जन-जाति में इसका उद्देश्य शिक्षा की वीक्षा को सफलतापूर्वक प्राप्त करना है, क्रो जन-जाति में इसका उद्देश्य चचा का अपने भतीजे के वध का बदला लेना है। विधि-विधानो के बाह्य रूप के एक होते हुए भी उनके उद्देश्य—उनके आन्तरिक रूप में भेद होना सिद्ध करता है कि जो महत्व बाह्य विधि-विधान का है, वह उसके आन्तरिक उद्देश्य का, प्रयोजन का नहीं है।

(ख) समाधि तथा हर्षातिरेक (Vision and Ecstasy)—संसार के प्रायः सभी आदिकालीन धर्मों में ऐसे मनुष्य पाये जाते हैं जिन्हें इन्द्रियातीत अनुभव होते हैं। हमें जो-कुछ अनुभव होता है, अपनी ज्ञानेन्द्रियों से अनुभव होता है, उन्हें इन बाह्य इन्द्रियों को बन्द कर देने से अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं जो हम लोगो को नहीं होते। अपने यहाँ इस अवस्था को समाधि की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में मनुष्य को अपार हर्ष तथा आनन्द का अनुभव होता है। प्रत्येक मनुष्य को यह अवस्था प्राप्त नहीं होती। अपने यहाँ योगी लोग समाधि की अवस्था में चले जाते हैं जहाँ उन्हें इस संसार का अनुभव नहीं रहता, उस अलौकिक संसार का अनुभव होता है। यह अनुभव रहस्यमय होता है। हम पहले धर्म की उत्पत्ति के सवध में हाउर (Hauer) के रहस्यवाद का वर्णन कर आये हैं। उसका कहना है कि धर्म की उत्पत्ति इसी प्रकार के रहस्यमय अनुभवों का परिणाम है। जिन लोगो के ऐसे अनुभव होते हैं उन्हें लोग बड़ी श्रद्धा-भक्ति से देखते हैं।

जन-जातियों में इस प्रकार के अनुभवो के अनेक रूप हैं। साइबेरिया की जन-जातियों में कोई-कोई व्यक्ति आध्यात्मिक-शक्तियों के 'माध्यम' (Medium) बन जाते हैं। आजकल पश्चिम में जो 'प्रेतात्मवाद' (Spiritualism) चला हुआ है, प्रेतात्मा किसी माध्यम में आती है, उसे आवाज देती है, निर्देश देती है, लगभग इसी प्रकार की बात साइबेरिया में है, कि पश्चिम के 'प्रेतात्मवादी' मृत व्यक्ति को में आना मानते हैं, साइबेरिया के लोग मृतात्मा ।

यन्त्रण करने वाली शक्तियों में से किसी शक्ति का माध्यम को वशीभूत करके उसके द्वारा अपने को प्रकट करना बताते हैं। जब यह शक्ति 'माध्यम' हो अपने वश में कर लेती है, तब वह अपनी बात नहीं कहता, उस शक्ति की बात कहता-करता है। अमरीकन-इंडियनो में यह नहीं माना जाता कि माध्यम पर कोई बाह्य-शक्ति अधिकार प्राप्त कर लेती है, वे मानते हैं कि जिसमें आध्यात्मिक-शक्ति होती है, उसे 'जागते में स्वप्न'—जागृत-स्वप्न—(Dreams and hallucinations) दिखाई देते हैं, और इन स्वप्नों का भिन्न-भिन्न अर्थ होता है। कई जातियों में एक अन्य प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव पाये जाते हैं। उनमें कोई खास-खास देवी-देवता किसी व्यक्ति के शरीर को चुन लेता है। जैसे किसी को मृगी आ जाये और वह मृगी में फडफडाता है, सारा शरीर तन जाता है, वायु में पत्ते की तरह शरीर काँपता है, इसी प्रकार इस देवी-देवता के शरीर में प्रवेश कर लेने से शरीर काँपने लगता है, और उसके बाद से वह शरीर उस देवता के ही अर्पण हो जाता है। ऐसा व्यक्ति पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। आदिवासियों में ऐसे व्यक्ति को शमन (Shaman) कहते हैं। जब से उसके शरीर में यह शक्ति प्रवेश कर जाती है तब से वह अनुभव करता है कि उसके देह में बर्फ के टुकड़े-जैसा कुछ अद्भुत पदार्थ है। कैलिफोर्निया की अनेक जन-जातियों में धार्मिक-जीवन में प्रविष्ट होने का यही मार्ग माना जाता है। जिनके शरीर में इस प्रकार देवी-देवता रहते हैं, वे उस ससार तथा इस ससार के बीच एक प्रकार का आदान-प्रदान करते रहते हैं, उस ससार के सदृशो को इस ससार तक पहुँचाते रहते हैं। लोग उनके पास अपने मृतक सबधियों की इच्छाओं को जानने के लिए जाते रहते हैं। जिन लोगों को इस प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, उन्हें एक विशेष शक्ति प्राप्त होने के कारण उच्च-स्तर का माना जाता है। अधिकतर जन-जातियों में इस शक्ति को प्राप्त करना अच्छा माना जाता है, कई में बुरा भी माना जाता है। वे कहते हैं कि यह शक्ति स्वयं प्राप्त हो जाय तो ठीक, नहीं तो इसके प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कई लोग कृत्रिम उपायों से इस शक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। वे इसके लिए मावक-द्रव्यों का सेवन करते हैं—कोई भाँग, कोई घतूरा, कोई तबाकू पीता है।

(ग) धार्मिक विश्वास, आख्यान, सृष्टि-रचना तथा धर्म-विज्ञान (Beliefs, Mythology, Cosmology and Theology)—फल-मूल एकत्रित करने वाली सरल आर्थिक-व्यवस्था से लेकर कृषि तथा पशु-पालन की विकसित अर्थ-व्यवस्था तक सब प्रकार की आदिवासी जन-जातियों में अपने-अपने धर्म के सबध में कुछ निश्चित विश्वास पाये जाते हैं, अपने-अपने ढंग की सृष्टि की रचना सबधी कुछ कल्पनाएँ पायी जाती हैं। सरल सामाजिक व्यवस्था में ये 'विश्वास' (Beliefs) तथा 'सृष्टि-रचना' (Cosmology)—सबधी ये कल्पनाएँ कुछ लोगो तक सीमित न होकर हर किसी की जबान पर होती हैं, सब कोई जैसे अपने पूर्वजो से इन्हें सुनता आया है, वैसे आगे सुनाता जाता है। क्योंकि

सरल आर्थिक-व्यवस्थाओं में वर्ग तथा श्रेणी भेद नहीं उत्पन्न हुआ था, श्रम-विभाग भी नहीं उत्पन्न हुआ था, इसलिए इस अर्थ-व्यवस्था में विशेषज्ञ भी अभी नहीं उत्पन्न हुए थे। विकसित अर्थ-व्यवस्था में तो पुरोहितों की एक श्रेणी उत्पन्न हो जाती है जिसका काम धार्मिक-विश्वासों तथा सृष्ट्युत्पत्ति-संबंधी कल्पनाओं का ही अध्ययन करना होता है, परन्तु सरल आर्थिक-व्यवस्थाओं की समाज में इस प्रकार का वर्ग उत्पन्न नहीं हुआ होता। यही कारण है कि यद्यपि आदिकालीन समाज में हर-कोई धर्म की बातों को जानता होता है, तो भी उनकी बातों में निश्चितता नहीं होती, सब की बातें एक-दूसरे से अनेक अंशों में भिन्न होती हैं क्योंकि हर-एक व्यक्ति जो-कुछ परंपरा से सुनता आया है, उसमें कुछ थोड़ा-बहुत अपना पुट भी जोड़ देता है। ज्यो-ज्यो समाज सरल से विकसित आर्थिक व्यवस्था की तरफ बढ़ता है, त्यो-त्यो जैमें अन्य क्षेत्रों में श्रम-विभाग का नियम काम करने लगता है, वैसे इस क्षेत्र में भी उन्हीं कामों को करने वाले पैदा हो जाते हैं, ऐसे लोग जिनका काम ही दिन-रात धार्मिक विधि-विधानों के साथ मगजपच्ची करना होता है। इन्हीं को 'पुरोहित' (Priests) कहते हैं। ये पशु-पालन तथा कृषि-संबंधी आर्थिक-व्यवस्था की उपज हैं। ये लोग अब तक चले आ रहे विधि-विधानों, धार्मिक-विश्वासों, सृष्ट्युत्पत्ति-संबंधी कल्पनाओं की अनिश्चितता को दूर कर इन्हें निश्चित रूप देने लगते हैं, इन्हें एक शृंखला में बाँधने लगते हैं। पुरोहित वर्ग के इसी प्रयत्न का परिणाम 'धर्म-विज्ञान' (Theology) है। पुरोहित-वर्ग का काम आदि-काल से चले आ रहे धार्मिक विश्वासों को एक निश्चित सूत्र में बाँध देना है। इस काम के लिए वे 'आख्यान' (Mythology) तथा 'दन्त-कथाओं' (Folktales) का सहारा लेते हैं। यह 'विश्वास' क्यों ठीक है? क्योंकि इसके सबघ में यह 'आख्यान' या यह 'दन्त-कथा' है! 'सृष्टि-रचना' इस प्रकार क्यों हुई? क्योंकि इसके सबघ में अमुक 'आख्यान' या अमुक 'दन्त-कथा' है! एक तरह से समाज में प्रचलित विश्वासों तथा सृष्ट्युत्पत्ति-संबंधी कल्पनाओं को पुष्ट करने के लिए पुरोहित-वर्ग आख्यानों तथा दन्त-कथाओं की रचना करता है।

मानवशास्त्री का काम प्रत्येक जन-जाति के विश्वासों, उसकी सृष्ट्युत्पत्ति संबंधी कल्पनाओं का अध्ययन कर यह पता लगाना है कि इन विश्वासों तथा सृष्टि-कल्पनाओं को पुष्ट करने के लिए उनमें क्या-क्या आख्यान तथा दन्त-कथाएँ पायी जाती हैं क्योंकि सब जन-जातियों को ये सब बातें अलग-अलग हैं। इनका पता लगाने से उस जन-जाति के 'धर्म-विज्ञान' (Theology) का पता लग जाता है। आख्यानो, दन्त-कथाओं तथा धर्म-विज्ञान का काम सिर्फ जन-जाति के विश्वासों तथा सृष्टि-रचना-संबंधी कल्पनाओं को ही पुष्ट करना नहीं होता, इनका काम दुःख तथा संकट-काल में जन-जाति को ढाँडस बँधाना भी होता है। अगर कोई जन-जाति किसी समय तकट में पड जाती है, तो धर्म की कहानियाँ ही उसका एकमात्र सहारा होती हैं। इन धार्मिक आख्यानो का काम लोगों का बिल-बहलाव करना ही नहीं, उनमें देवी-देवताओं तथा अपने पूर्वजों के संकट-काल के

कर, या किस प्रकार सकट के समय पूर्वजो का उद्धार हुआ था—यह सब-कुछ बतला कर व्यक्तियों तथा जातियों में बल-संचार करना भी होता है।

(घ) पाघा तथा पुरोहित (Shaman and Priest)—आदिवासियों में प्रायः धार्मिक-कृत्यों के विशेषज्ञों का दो प्रकार का वर्ग पाया जाता है—एक निम्न-स्तर का जिसे 'पाघा' (Shaman) कहा जाता है, दूसरा उच्च-स्तर का जिसे 'पुरोहित' (Priest) कहा जाता है। फल-मूल एकत्रित करने वाली सरल अर्थ-व्यवस्था में धर्म-कार्य करने वालों के पेशों का श्रम-विभाग नहीं हुआ था। हर जन-जाति में दो-चार व्यक्ति ऐसे होते थे जो अपना अन्य काम-घधा भी करते थे, और मौका पड़ने पर धार्मिक-कृत्यों को भी कर देते थे। इन्हें दूसरे लोग अतिरिक्त कार्य के लिए कुछ दे छोड़ते थे। परन्तु ज्यो-ज्यो आर्थिक-व्यवस्था सरल से विषम होने लगी, त्यो-त्यो इन कार्यों के विशेषज्ञ भी उत्पन्न होने लगे, ऐसे लोग जिनका काम ही धार्मिक विधि-विधान में लगे रहना था। यह श्रेणी 'पुरोहित-वर्ग' (Priests) की थी। पाघा तथा पुरोहित दोनों का काम मनुष्य तथा पारलौकिक-शक्ति में माध्यम के रूप में काम करना होता था। कई जन-जातियों में ये दोनों श्रेणियाँ अलग-अलग पायी जाती हैं, कई में सिर्फ पाघा और कई में सिर्फ पुरोहित पाये जाते हैं।

(ङ) धर्म तथा आचार-शास्त्र (Religion and Ethics)—मानवशास्त्रियों का कहना है कि आदिकालीन सरल अर्थ-व्यवस्था के समाजों में धर्म तथा आचार का वह अटूट संबंध नहीं दिखाई देता, जो विकसित अर्थ-व्यवस्था के समाज में दिखाई देता है। विकसित समाज में तो धर्म का काम सदाचार तथा बुराचार, अच्छाई तथा बुराई का संघर्ष दिखाते हुए मनुष्य को सदाचार तथा अच्छाई के लिए प्रेरित करना है। इन विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में देवी-देवताओं तथा पारलौकिक शक्तियों का काम मनुष्य को सदाचार के लिए प्रेरित करना, और जो सदाचार का जीवन न बिताये, उसे अपने दुष्कार्यों के लिए दंडित करना है। एक तरह से पारलौकिक शक्तियों का काम मानव-समाज के नित-नित के काम में शमनो तथा पुरोहितो को माध्यम बना कर हर समय दखल देना है। आदिकालीन सरल अर्थ-व्यवस्था में ये पारलौकिक शक्तियाँ मनुष्य के कामों में दखल नहीं देतीं। संभवतः इसका कारण यह है कि इन समाजों में अभी पुरोहित-वर्ग उत्पन्न नहीं हुआ होता, और इन शक्तियों का मनुष्य के हर काम में दखल देने का विचार इस पुरोहित-वर्ग का ही उत्पन्न किया हुआ होता है। यद्यपि आदिकालीन समाज में धर्म तथा आचार-शास्त्र अलग-अलग हैं, परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि आदिकालीन-समाज में आचार-शास्त्र के पीछे धर्म का बल नहीं होता, तो कोई भी बल नहीं होता। आदिकालीन-समाज में समाज की विचार-धारा ही आचार-शास्त्र के पीछे खड़ा बल होता है। जिसे समाज में बुरा समझा जाता है, उसे देवी-देवताओं के दण्ड के भय से बुरा समझने के स्थान में, वे समाज द्वारा बुरा समझे जाने के कारण उसे बुरा समझते हैं, जिसे समाज अच्छा समझता है, उसे देवी-

देवताओं द्वारा पुरस्कृत होने के कारण अच्छा समझने के स्थान में समाज द्वारा अच्छा समझे जाने के कारण ये उसे अच्छा समझते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अभी आख्यान, दन्त-कथाएँ, धर्म-शास्त्र आदि उत्पन्न नहीं हुए होते, इसलिए आचार-शास्त्र को सहारा देने वाला इस प्रकार का धर्म भी नहीं उत्पन्न हुआ होता। फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि आदिकालीन सभी समाजों में सदाचार पर बल दिया जाता है।

#### ४ जादू की परिभाषा

[क] फ्रेजर की व्याख्या—“जादू मनुष्य के विश्वासों तथा व्यवहारों के उस सग्रह को कहते हैं जिन पर किसी प्रकार की आलोचना, दुबारा परख या लेना-छोड़ना नहीं हो सकता।”

[ख] मैलिनोवस्की की व्याख्या—“जिस परिणाम की मनुष्य आशा लगाये बैठा है उसके लिए आशापूर्ण इच्छा करते हुए बैठना जादू कहाता है। जब इच्छित परिणाम को प्राप्त करने के लिए और-कोई चारा नहीं रह जाता, तब जादू के साधन से उस परिणाम को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। जादू के जोर से देवी-देवताओं तथा पारलौकिक-शक्तियों को अपने दम में किया जाता है, धर्म के द्वारा उन्हें प्रार्थना तथा उपहारों से प्रमत्त किया जाता है।”

#### ६ जादू, धर्म तथा विज्ञान

हम इस अध्याय के शुरू में लिख आये हैं कि ससार की घटनाओं पर जब इस दृष्टि से विचार किया जाता है कि भौतिक-ससार के पीछे की अलौकिक-शक्ति के सामने हमें झुक कर चलना है, तब ‘धर्म’ पैदा हो जाता है, जब इस दृष्टि से विचार किया जाता है कि इस अलौकिक-शक्ति या शक्तियों को हम अपने आधीन कर सकते हैं, जैसा चाहें इनसे करा सकते हैं, तब ‘जादू’ पैदा हो जाता है। ‘धर्म’ तथा ‘जादू’—दोनों का अलौकिक-शक्तियों से संबंध है, परन्तु धर्म में इस अलौकिक-शक्ति के सामने अपने को समर्पित कर देना होता है, जादू में तत्र-मत्र-यत्र से इस शक्ति को अपने काबू में करना होता है। इस दृष्टि से ‘धर्म’, ‘जादू’ तथा ‘विज्ञान’ की तुलना एक मनोरञ्जक विषय है। जैसे ‘धर्म’ तथा ‘जादू’ का संबंध है, वैसे ‘जादू’ तथा ‘विज्ञान’ का भी संबंध है। ‘जादू’ से

[क] “Magic is an inventory of beliefs and forms of behavior which are not subject to criticism, recheck and elimination”  
—Frazer

[ख] “Magic is the wishful thinking over hopeful behavior. Magical processes are utilized when people cannot proceed with other material techniques. Through magic, deities and supernatural powers are *controlled*, while through religion, they are *pleased* by presenting sacrifice to them as well as by offering prayer”—Malinowski

होता है, और इससे वे वर्षा लाने का प्रयत्न करते हैं। छोड़ जन-जाति के लोग वर्षा लाने के लिए मनुष्य की बलि चढ़ाते हैं और समझते हैं कि जैसे बलि के मनुष्य के आँसू निकलते हैं, खून बहता है, वैसे बलिदान के साथ-साथ वर्षा पड़ने लगेगी। टिहरी-गढ़वाल की रोलटा जन-जाति के लोग वर्षा लाने के लिए किसी व्यक्ति को इतना कष्ट देते थे जिससे उसके आँसू बहने लगते थे, कभी-कभी वह गला घुटने से मर तक जाता था। अब इस प्रथा को कानूनन रोक दिया गया है।

जादू में फ्रेजर के कथनानुसार दूसरा सिद्धान्त 'ससर्ग' (Contact) का सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के आधार पर जो जादू बनता है उसे फ्रेजर ने 'ससर्ग-जादू' (Contagious magic) कहा है। उदाहरणार्थ, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए उसके बाल, नाखून, टट्टी-पेशाब, कपड़े का टुकड़ा आदि लिये जाते हैं। इनको जला दिया जाय तो जिसके ये हैं, उसे अवश्य नुकसान पहुँचेगा—यह समझा जाता है। इसका कारण यह है कि इनका उस व्यक्ति से ससर्ग होता है, सबध होता है। समझा यह जाता है कि जिसका नाखून है, जिसका बाल है, जिसका कपड़ा है, उसका इनसे कट जाने पर भी सबध बना रहता है। इतना ही नहीं, अगर उसकी-सी शकल की मूरत बना कर उसे कूएँ में फेंक दिया जाय, तब भी यही समझा जाता है कि शकल की समानता या उसके ससर्ग के कारण उस व्यक्ति को भी नुकसान पहुँचता है। 'ससर्ग' के जादू के प्रभाव का एक अच्छा उदाहरण प्रसिद्ध गायक तानसेन था। कहा जाता है कि तानसेन ने ग्वालियर के पास एक गाँव में ब्राह्मण के घर जन्म लिया था। उसका जन्म-नाम तन्ना था। सगीत से उसे प्रेम था, उसने उस्ताद गौस से शिक्षा पायी थी और क्योंकि उस्ताद को इनसे अत्यन्त प्रेम था, इसलिए उन्होंने जीभ से जीभ लगा कर इन्हें दीक्षा दी थी। इसीसे तानसेन ब्राह्मण से मुसलमान हो गये। उस्ताद ने जीभ से जीभ लगा कर इन्हें शिक्षा इसलिए दी ताकि 'ससर्ग' से उनका प्रभाव तानसेन में आ जाय।

उक्त दोनों प्रकार के वर्गीकरण में, चाहे वह 'समानता के नियम' (Law of similarity) पर आश्रित हो, चाहे 'ससर्ग के नियम' (Law of contact) पर आश्रित हो, कार्य-कारण का नियम काम करता माना जाता है और क्योंकि यह समझा जाता है कि कारण का कार्य तथा कार्य का कारण के प्रति खिंचाव है, इसलिए इन दोनों प्रकार के जादुओं को फ्रेजर ने 'सह-संचारी-जादू' (Sympathetic magic) का नाम दिया है।

## ८ आदिकालीन धर्मों तथा जादुओं के समान-तत्व (Common elements in Primitive Religions and Magics)

आदिकालीन धर्मों तथा जादुओं का अध्ययन करने से कुछ बातें ऐसी दोख पड़ती हैं जो धर्मों तथा जादुओं में समान हैं। इसका यह भी कारण है क्योंकि आदिकालीन-समाज में धर्म तथा जादू रल-मिल गये हैं। आदिकालीन-समाज में ही नहीं, वर्तमान जन-जातियों तथा हमारे धर्म में भी इन दोनों का



इतना सम्मिश्रण हो गया है कि धर्म की बातों में जादू की और जादू की बातों में धर्म की बातें घुस गई हैं। हम ऐसी कुछ बातों का यहाँ वर्णन करेंगे —

(क) प्रार्थना तथा मन्त्र (Prayer and magic formula)—आदिवासियों में पारमार्थिक-शक्ति के साथ दो तरह से सबंध स्थापित किया जा सकता है—प्रार्थना द्वारा तथा जादू के मन्त्रों द्वारा। प्रार्थना में व्यक्ति देवता को सम्बोधित करके उसके सम्मुख अपनी विनती रखता है, उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है। विन्नेवेगो जन-जाति के लोग तडित्-पक्षी की प्रार्थना करते हुए कहते हैं—“हे तडित्-पक्षी, मैं तुम्हारे सम्मुख हाथ में तम्बाकू लेकर खड़ा हूँ। मेरी यह कुछ भेंट स्वीकार करो। जैसे तुमने मेरे दादा-परदादा को आशीर्वाद दिया था, उन्हें समृद्ध किया था, वैसे मुझे भी समृद्ध करो।” किसी-किसी जन-जाति में कुछ निश्चित मन्त्र बोले जाते हैं, इन मन्त्रों के शब्द जैसे-के-तैसे बोलने से ही अभीष्ट की सिद्धि होती है, मन्त्रों में हेर-फेर करने से अभीष्ट सिद्ध नहीं होता। मैलेनेशिया में समझा जाता है कि उत्पादन-शक्ति के मन्त्र के प्रयोग के बिना खेत में खेती ही नहीं हो सकती। इन्हीं लोगों के सामने ईसाई-पादरियों के खेत बिना मन्त्रों के लहलहा रहे होते हैं, परन्तु ये लोग बिना मन्त्र-प्रयोग के खेती नहीं करते। जीवन के प्रत्येक कार्य के लिए कई जन-जातियों में किसी-न-किसी प्रकार के मन्त्र के प्रयोग करने की पद्धति है। ये मन्त्र जादू का प्रभाव रखते हैं। इन मन्त्रों में उलट-फेर से काम बिगड़ जाता है।

(ख) भविष्य-कथन (Divination)—आदिवासियों में जिन व्यक्तियों पर भूत-प्रेत या कोई आत्मा आती है, वे भविष्यवाणी किया करते हैं। यह समझा जाता है कि स्वयं भगवान् उनके द्वारा बोलते हैं। डेल्फी का ग्रीक देवता भी इसी प्रकार का भविष्यवाणी करता था। आफ्रीका, पोलिनेशिया, साइबेरिया आदि में इस प्रकार की देवता द्वारा भविष्यवाणियाँ करने की प्रथा पायी जाती है। धर्म की इस प्रकार की भविष्यवाणियों की तरह जादू के जगत् में भी भविष्यवाणियाँ होती हैं। साइबेरिया तथा मंगोल जन-जातियों में यह माना जाता था कि वारहसिंघे की कन्धे की हड्डी को आग पर सँकने से वह फट कर आवाज करती है। इस आवाज से पुरोहित शुभ तथा अशुभ को बतला सकता है। कई जन-जातियों के लोग जानवरों के पेट को चीर कर उनकी आंतों की स्थिति को देख कर भविष्यवाणी करते हैं। एस्किमो जन-जाति के लोग रोगी के सिर पर रस्सी बांध देते हैं और फिर बतलाने हैं कि यह बचेगा या मरेगा। पश्चिमी आफ्रीका की ईव जन-जाति अडे पर थूक पर उसे छत पर फँकती थी। अगर वह टूट जाता तो इसे अशुभ, अगर नहीं टूटता तो इसे शुभ लक्षण माना जाता था। हमारे यहाँ विल्ली का रास्ता काटना, उल्लू दीखना आदि अशुभ लक्षण माने जाते हैं। इस प्रकार धर्म तथा जादू के क्षेत्र में भविष्यवाणी का स्थान समान है।

(ग) निषेधाज्ञाएँ (Taboos)—जैसे ‘टोटम’ अप्रेंची भाषा का शब्द न होकर अमरीकन-इंडियन जन-जातियों का शब्द है, वैसे ‘टैबू’ भी अप्रेंची

भाषा का शब्द न होकर पौलीनेशियन भाषा का शब्द है। 'टैबू' का पौलीनेशियन भाषा में अर्थ है—'निषिद्ध'। प्रत्येक धर्म में कुछ बातों के लिए निषेधाज्ञाएँ होती हैं और आदिवासी लोग इन निषेधाज्ञाओं का कानून की तरह पालन करते हैं। भेद यह है कि कानून को लोग तोड़ने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु जिस बात को धर्म में निषिद्ध कहा गया है उसके पास नहीं फटकते। 'टैबू' एक तरह का आदिवासियों का बिना लिखा कानून है। इसका जो उल्लंघन करता है, उसे दंड देने की व्यवस्था समाज नहीं करता, उसका आत्मा स्वयं उसे भीतर से करोचता है। निषिद्ध बात को करने वाले को अलौकिक शक्तियों से दंड मिलने का सदा भय बना रहता है।

जादू-सबधी आज्ञाओं को दो भागों में बाँटा जा सकता है—विधि तथा निषेध, ऐसा करो, ऐसा न करो। निषेधाज्ञाओं को, ऐसा न करो—इसे 'टैबू' कहा जाता है। 'टैबू' के तीन उद्देश्य हो सकते हैं—और इसलिए तीन प्रकार के 'टैबू' हो सकते हैं—'उत्पादनात्मक' (Productive), 'संरक्षणात्मक' (Protective) तथा 'प्रतिबन्धात्मक' (Preventive)। खेती के सबध में जो निषेधाज्ञाएँ हैं उनका उद्देश्य खेती की बाधाओं को दूर करना होता है, इसलिए उन्हें 'उत्पादनात्मक' कहा जा सकता है, पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों को अमुक-अमुक स्थान पर जाने की निषेधाज्ञाओं का उद्देश्य इनकी खतरे से रक्षा होता है, इसलिए इन्हें 'संरक्षणात्मक' कहा जा सकता है, किन्हीं-किन्हीं व्यक्तियों के संपर्क में आने से मना किया जाता है, इन निषेधाज्ञाओं का उद्देश्य इन व्यक्तियों को दूसरों को कष्ट पहुँचाने से रोकना होता है, इसलिए इन्हें 'प्रतिबन्धात्मक' कहा जा सकता है।

निषेधाज्ञाएँ समाज में कथो पैदा होती हैं—इस सबध में कई विचार हैं। इनमें वुण्ड्ट, फ्रायड तथा रैंडक्लिफ-ब्राउन के विचार उल्लेखनीय हैं। मानव-शास्त्रियों के लिए इनके विचार जानना आवश्यक है। वे विचार क्या हैं ?

(1) वुण्ड्ट का विचार—जो लोग जादू में विश्वास करते हैं, उन्हें जादू की शक्ति से डर लगा रहता है। हम पहले लिख आये हैं कि आदिवासी हर वस्तु में 'मैना' की सत्ता मानते हैं, 'मैना' अर्थात् उस वस्तु की शक्ति। जिस वस्तु को निषिद्ध, वर्जित, टैबू माना जाता है, उसके 'मैना' में यह शक्ति होती है कि अगर वह निषिद्ध वस्तु खाने की है तो उसे खाने से वह वस्तु खाने वाले को दण्ड देती है, अगर निषिद्ध वस्तु देखने-सुनने की है तो उसे देखते-सुनने से मनुष्य दण्ड का भागी हो जाता है। इसी कारण वुण्ड्ट (Wundt) का कहना है कि आदिवासियों की दृष्टि में 'टैबू' में कुछ आन्तरिक-शक्ति होती है, जादू की-सी शक्ति, जिसके कारण उससे वे लोग भयभीत रहते हैं। इसमें तो सन्देह नहीं कि अलौकिक-शक्ति को सभी एक महान् शक्ति मानते हैं। शक्ति होने के कारण वह खतरनाक भी हो सकती है। जहाँ शक्ति होगी वहीं खतरे की संभावना है, वही 'टैबू' की, उस शक्ति के क्रोध से बचे रहने की भावना पैदा हो जाती है।

(11) फ्रायड का विचार—फ्रायड (Freud) ने एक पुस्तक लिखी है 'टोटम एण्ड टैबू'। इस पुस्तक में उसने यह दर्शाने का प्रयत्न किया है कि 'गण-चिह्न' (Totem) तथा 'निषेधाज्ञा' (Taboo) का आपस में संबंध होता है। फ्रायड का कहना है कि प्रायः सब 'निषेधाज्ञाओं' (Taboos) को दो भागों में बाँटा जा सकता है—खाने के, और यौन-संबंध के। इस पशु को नहीं खाना, इस फल को नहीं खाना। कोई सूअर का मांस नहीं खाता, कोई शलजम नहीं खाता। इसी प्रकार इस जगह शादी-व्याह नहीं करना—यह भी एक 'टैबू' है, भाई-बहन में शादी नहीं होती, समान गोत्र वालों में शादी नहीं होती। फ्रायड का कहना है कि इन दोनों प्रकार की निषेधाज्ञाओं का मनोविश्लेषणवादी कारण है और इन 'निषेधाज्ञाओं' (Taboos) का 'गोत्र-चिह्न' (Totems) के साथ संबंध है। वह कैसे ?

खाने तथा यौन-संबंध के निषेध के संबंध में फ्रायड का कहना है कि इन दोनों का उद्भव 'पितृ-विरोधी भावना-ग्रन्थि' (Oedipus Complex) है। यह 'भावना-ग्रन्थि' क्या है ? मनोविश्लेषणवादियों का कहना है कि बालक माता से प्रेम करता है, पिता से घृणा करता है, बालिका माता से घृणा करती तथा पिता से प्रेम करती है। 'इडीपस' एक ग्रीक बालक था जो वचपन में मरने के लिए छोड़ दिया गया था, परन्तु किसी तरह बच गया। अन्त में उसने अपने पिता को मारा और माता से यह न जानते हुए कि वह उसकी माता है, उसने शादी कर ली। इसी से इस भावना-ग्रन्थि का नाम 'पितृ-विरोधी-ग्रन्थि' (Oedipus Complex) रखा गया है। फ्रायड का कहना है कि आदि-काल में परिवार या गोत्र का जो मुखिया होता था वह अपने पार्श्विक-बल से सब पर कठोर शासन करता था। समूह में जितनी स्त्रियाँ होती थीं, वे सब उसी की मानी जाती थीं, वह सब का उपभोग करता था। उसके पुत्र जब बड़े हो जाते थे, तो अपने पिता के इस कठोर शासन के प्रति विद्रोह कर देते थे और सब मिल कर उसे मार डालते थे। वे उसे मार ही नहीं देते थे, परन्तु उसकी शक्ति को अपने में लाने के लिए उसे काट-काट कर उसकी बोटियों को खा भी डालते थे। इसके बाद उसकी स्त्रियों को वे अपना बना लेते थे। यह सब-कुछ कर लेने के बाद उन्हें अपने कृत्य से घृणा होती थी, पश्चात्ताप होता था। इस घृणा तथा पश्चात्ताप को कैसे दूर किया जाय ? उन्होंने अपने पिता की हत्या की थी। अब वे किन्नी पशु को अथवा किसी वनस्पति को अपने पिता के स्थान में मानने लगते थे और उस पशु का मारना तथा उस वनस्पति या फल का खाना निषिद्ध कर देते थे। इस प्रकार खाने की निषेधाज्ञाओं का प्रारंभ हो जाता है। यह पशु अथवा वनस्पति उनके पिता की सूचक है, उस पिता की जिसे उन्होंने ईर्ष्यावश मार दिया था, उसकी बोटियाँ खा ली थीं। पिता क्योंकि उन्हीं के गोत्र का था इसलिए उसके चिह्न—'गोत्र-चिह्न' (Totem) को—पशु या वनस्पति को न खाने को 'निषेधाज्ञा' (Taboo) प्रवर्तित हो जाती थी। फ्रायड का कहना है कि पुत्र पिता को मारे—यह भावना आदि-काल के

के लिए स्वाभाविक थी। इसे रोकने के लिये पिता-समान पशुओं तथा वृक्षों के फलों के खाने की निषेधाज्ञाओं का प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार पुत्र ने पिता को जो मारा तो ईर्ष्यावश मारा। वह आदिकालीन क्रूर पिता सब स्त्रियों का स्वामी था। अब पुत्र उसका स्थान लेना चाहता था। आदिकालीन-मानव के लिए अपने पिता की स्त्रियों को अपना लेना स्वाभाविक था। इसे रोकने के लिए यौन-संबंधी 'निषेधाज्ञाओं' (Toboo) का प्रचलन हुआ जिनके अनुसार भाई-बहन, लड़का-माँ आदि शादी-ब्याह नहीं कर सकते, इसे 'अनाचार' (Incest) कहते हैं।

खाने-पीने तथा यौन-संबंधी उक्त प्रकार की निषेधाज्ञाएँ सर्वत्र प्रचलित हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं, परन्तु फ्रायड ने उनका जो कारण बतलाया है वह कहीं तक ठीक है, यह नहीं कहा जा सकता। कई मानवशास्त्री इस कारण से सहमत नहीं हैं। मैलिनोवस्की (Malinowski) का कहना है कि आदिवासियों में पिता के विरोध में भावना हो और इसलिए 'पितृ-विरोधी-भावना-ग्रन्थि' (Oedipus complex) अवश्य पैदा हो जाती हो, यह बात जन-जातियों का अध्ययन करने से पुष्ट नहीं होती। उदाहरणार्थ, अनेक जन-जातियाँ 'मातृ-प्रधान' (Matriarchal) होती हैं। उनमें, पिता के प्रति पुत्र की जो द्वेष-भावना पैदा हुआ करती है, वह पिता के स्थान में मामा के प्रति होती है। ऐसी हालत में यह कैसे कहा जा सकता है कि पुत्र में पिता के प्रति ईर्ष्या की भावना होती है, क्योंकि 'मातृ-प्रधान' जन-जातियों में तो बालक पिता को कुछ गिनता ही नहीं है। जो भी पिता की तरह आचरण करेगा, हुकूमत करेगा, उसकी माता से ज्यादा संपर्क बनायेगा, उसके प्रति पुत्र में ईर्ष्या पैदा हो जाना स्वाभाविक है, और इन निषेधाज्ञाओं का उत्पन्न होना उसी के कठोर व्यवहार से होता है।

(iii) रेडक्लिफ-ब्राउन का विचार—रेडक्लिफ-ब्राउन (Radcliffe-Brown) हर बात का समाजशास्त्रीय समाधान देते हैं, 'टैबू' का भी उन्होंने समाजशास्त्रीय समाधान ही दिया है। इनका कहना है कि समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए कुछ बातों का करना-न करना आवश्यक होता है, इसी दृष्टि से निषेधाज्ञाएँ भी प्रचलित की जाती हैं। एक ही रक्त के लोगों में विवाह संबंध से समाज में व्यवस्था नहीं रह सकती, इसलिए इस प्रकार के विवाहों को वर्जित किया गया है। यौन-संबंधों के विषय में जो बात कही जा सकती है, वह अन्य भी वर्जित तथा निषिद्ध बातों के विषय में कही जा सकती है, केवल उस पर गवेषणा करने की जरूरत है कि ऐसी निषेधाज्ञा क्यों चलाई गई।

(घ) बलिदान (Sacrifice)—धर्म तथा जादू की दृष्टि से देखा जाय तो बलिदान को भी इन दोनों दृष्टियों से देखा जा सकता है। धर्म की दृष्टि से जब बलिदान दिया जाता है, तब देवता को प्रसन्न करने के लिए, उसकी कृपा का पात्र बनने के लिए दिया जाता है, परन्तु जादू की दृष्टि से बलिदान का अर्थ होता है देवता के साथ एक तरह का सौदा करना। हम तुम पर बलि चढ़ाते हैं, इसके बदले तुम्हें हमारी इच्छा पूर्ण करनी होगी—जादू में यह दृष्टि प्रधान होती है। कोई-

कोई अपनी जीभ काट कर चढा देते हैं, कोई अपना हाथ काट देता है, कोई-कोई बलि चढाने वाले, बच्चो को पकड कर उन्हें बलि चढा देते हैं ।

(ड) जन्तर तथा जड-देवता (Amulets and Fetish)—  
आदिवासियो में जन्तर का बड़ा महत्व है । यह समझा जाता है कि इन जन्तरो, ताबीजो में अलौकिक शक्ति होती है । जन्तर की शक्ति ऐसे ही मानी जाती है जैसे जलाना आग की शक्ति है । जन्तर अपनी शक्ति से अपने-आप काम करते हैं । जो जन्तर या ताबीज धारण करता है, जन्तर उसकी अपने-आप रक्षा करता है । जन्तर को शक्तिशाली बनाने के लिए उसमें मत्त फूँकना पडता है । इस प्रकार के प्रयोग आज भी हमारे समाज में बहुत चल रहे हैं । 'जड-देवता' (Fetish)-शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक पुर्तगाली अन्वेषक ने पश्चिमी-आफ्रीका की नीग्रो जाति की लकडी की मूर्तियों के लिए किया था । वे लोग लकडी की मूर्तियाँ बना कर उनकी श्रद्धा-भक्ति से पूजा करते थे । इस दृष्टि से किसी भी जड अथवा चेतन वस्तु को इस भाव से पूजा कि वह किसी महान् शक्ति की आधार है 'फेटिश-पूजा' कहाता है । प्रायः 'फेटिश' जड ही होता है । कई जन-जातियो में शिकार पर निकलने से पहले व्यक्ति अपने भाले को लिए उससे बातें करता बँठा रहता है । वह भाले को सम्बोधित करके उसे कहता है कि मुझे तुझ से कितना प्यार है, मैं तेरे लिए क्या-क्या करने को तैयार हूँ । 'फेटिश' की पूजा करते-करते जब काफी समय गुजर जाता है, तब उसे आराम कराया जाता है, यह समझा जाता है कि वह थक गया है, इसे सोने दिया जाय । अपने यहाँ देवी-देवताओ को निलहाया, भोग-लगाया जाता है, और मनुष्य के-से सब काम उनसे कराये जाते हैं । ये सब आदिवासियो के-से 'फेटिश' के अवशेष हैं । अपने देश में मूर्ति में प्राण-प्रतिष्ठा करना भी अन्य जातियो के समान जड-देवता की पूजा का ही एक रूप है ।

(च) रक्षक-देवता या बली (Tutelary or guardian spirit)—  
जैसे मनुष्य का अपने गृह से निकट का सबध होता है, वैसे आदिवासियो का विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति उपवास, तपस्या, कठोर व्रत आदि से सरक्षक देवता को सतुष्ट कर उससे तादात्म्य स्थापित कर सकता है । उसके सामने यह सरक्षक देवता प्रकट होता है । जब यह सरक्षक-देवता एक बार सिद्ध हो जाता है तब समय-समय पर आवश्यकता पडने पर यह भगत के कष्टो को दूर करने के लिए प्रकट होता रहता है और उसे कष्टो से बचाता रहता है । धर्म की दृष्टि से सरक्षक देवता का यही विचार जब जादू का रूप धारण करता है तब रक्षा का काम कोई जिन, दैत्य या राक्षस करता है । कोई महात्मा एक बाल दे जाता है जिसके जलाने से दैत्य प्रकट होता है, उसे जो-कुछ कहा जाय वह सब-कुछ दैत्य को गुलाम की तरह करना पडता है । कभी-कभी बाल की जगह अगूठी से यह काम लिया जाता है । अगर बाल, अगूठी या ऐसी ही कोई चीज जिनके आधीन वह जिन, दैत्य या राक्षस होता है, खो जाये, तो जादूगर



है। मन्त्रों के साथ जन्तर, ताबीज का भी इस्तेमाल होता है। 'माध्यम' का प्रयोग करना इस धर्म की मुख्य विशेषता है। ये 'माध्यम' आत्माओं की क्या इच्छा है—यह बतलाया करते हैं। खोई हुई चीजों का पता तथा लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी ये देते हैं।

(ख) न्यू मैक्सिको तथा एरीजोना के प्यूब्लो इंडियनों के धर्म का नमूना— इस धर्म में 'माध्यम' का प्रयोग नहीं किया जाता, 'भविष्य-कथन' को कोई महत्व नहीं दिया जाता, धार्मिक-कृत्यों में स्नायु-रोगियों तथा 'शमनों' को भी कोई स्थान नहीं है। प्यूब्लो इंडियनों में अनेक जन-जातियाँ हैं, जिनमें एक जन-जाति जूनी कहाती है। जूनी जन-जाति का सामाजिक-संगठन लौकिक-आधार पर खड़ा न होकर धार्मिक-आधार पर खड़ा है। जैसे ईसाइयों के कैथोलिक सम्प्रदाय में पोप ही उनका शासक है, वैसे जूनी-संगठन में पुरोहित-वर्ग सारे संगठन को चलाता है। पुरोहित-वर्ग ने साल का पचाग बनाया होता है और साल भर किसी-न-किसी प्रकार का विधि-विधान चला करता है। हिन्दुओं में जैसे आज द्वादशी है, फिर पूर्णिमा है, कभी नव-रात्र है, और हिन्दुओं का पचागो से जकड़े हुए जीवन का संचालन पुरोहित लोग करते हैं, वैसे ही जूनी जन-जाति के जीवन का हाल है। इनके विधि-विधान का मुख्य लक्ष्य 'उत्पादन-शक्ति' की आराधना करना है ताकि इनके रेतिले मैदानों में भारी वर्षा हो, खेत हरे-भरे हो, पुत्र-पौत्रों से घर सदा भरा रहे। बीमारी से बचने, खतरे को पार करने तथा शिकार में सफलता के लिए प्रार्थनाएँ की जाती हैं, परन्तु वर्षा का वर्णन इन प्रार्थनाओं में भी पाया जाता है क्योंकि 'उत्पादन-शक्ति' की आराधना इनके धर्म का मुख्य अंग है।

जूनी जन-जाति में धर्म एक सामूहिक-कृत्य है, वैयक्तिक-कृत्य नहीं। कोई आदमी वैयक्तिक तौर पर किसी प्रकार का धार्मिक-कृत्य नहीं करता। जब भी किसी को किसी प्रकार का धार्मिक-कृत्य करना होता है, तो उसे उस कृत्य को सामूहिक तौर पर ही करना पड़ता है। अगर कोई खास अपने लिए किसी कृत्य को करता है, तो उस पर जादूगरी का आरोप लगाया जाता है। पारलौकिक-शक्ति के साथ संपर्क स्थापित करने का माधन वैयक्तिक तौर पर कुछ करने के स्थान में सामूहिक तौर पर धार्मिक-कृत्य को करना है। सब लोग मिले-जुले हो और सब के भले के लिए धार्मिक-कृत्य किया जाय—इनमें यही धर्म का सही तरीका है। तो क्या मनुष्य को वैयक्तिक तौर पर आध्यात्मिक-शक्ति प्राप्त ही नहीं होती? जूनी जन-जाति में यह समझा जाता है कि मनुष्य को वैयक्तिक तौर पर भी आध्यात्मिक-शक्ति तभी प्राप्त होती है, जब वह पुरोहितों के किसी वर्ग का सदस्य होता है, समूह का अंग होता है। जो समूह का अंग नहीं होता, उसे आध्यात्मिक-शक्ति भी प्राप्त नहीं होती। इस दृष्टि से इन लोगों में साइबेरियनों की तरह 'शमन' नहीं होते क्योंकि 'शमन' तो उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे व्यक्ति-रूप में आत्मा अपना माध्यम चुनता है। साइबेरियन तथा जूनी धर्म के भेद

के विषय में यह कहा जा सकता है कि जहाँ साइबेरियन-धर्म वैयक्तिक है, वहाँ जूनी-धर्म सामुदायिक है।

(ग) भारत की जन-जातियों के धर्म—किसी समय यह समझा जाता था कि भारत की जन-जातियों में धर्म का विचार नहीं है, परन्तु उसके बाद यह कहा जाने लगा कि उनमें 'जीववाद' (Animism) पाया जाता है। उदाहरणार्थ, कोरवा जन-जाति के लोग खेती का एक अलग, वर्षा का एक अलग, पशुओं की देख-रेख करने वाला एक अलग देवता मानते हैं। पड़ोसियों के साथ उनके व्यवहार को नियन्त्रित करने वाला उनका देवता अलग ही है। देवता शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। शुभ की उपासना का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, अशुभ ही तो नुकसान पहुँचाता है, उसी को सन्तुष्ट करना होता है, इसलिए कहा जाता था कि भारत की आदिवासियों के 'जीववाद' में अधिकतर अशुभ देवताओं की पूजा का ही विधान मिलता है। कहीं नाग की पूजा, तो कहीं खून पीने वाली किसी देवी की पूजा। भारत की जन-जातियों के धर्म के विषय में हट्टन (Hutton) का कहना है कि इन्हें 'जीववाद' (Animism) कहने के स्थान में 'जन-जातीय-धर्म' (Tribal religions) कहना अधिक उपयुक्त है क्योंकि इनका हिन्दू-धर्म से इतना गहन संबन्ध है कि अगर हिन्दू-धर्म को 'जीववाद' न कहकर हिन्दुओं का धर्म कहा जाता है, तो इन्हें भी 'जीववाद' न कहकर जन-जातियों का धर्म कहना चाहिए। हट्टन का यह कहना तो नहीं है कि हिन्दू-धर्म और जन-जातियों के धर्म में भेद नहीं है, परन्तु वह इस बात पर अवश्य जोर देता है कि ये दोनों एक-दूसरे में इतने रल-मिल गये हैं कि कहीं-कहीं इनको एक-दूसरे से अलग-अलग करना कठिन हो जाता है। उसका कहना है कि हिन्दू-धर्म ने जन-जातियों के धर्म को बहुत अधिक अंश में आत्मसात् कर लिया है, उनकी अनेक बातों को अपना लिया है, और जन-जातियों के धर्मों में अब भी बहुत-कुछ ऐसा मसाला बचा हुआ है कि जिसे अभी तक हिन्दू-धर्म ने आत्मसात् नहीं किया। एलविन (Elwin) भी हट्टन से सहमत है। उसका भी कहना है कि हिन्दू-धर्म तथा जन-जातियों के धर्मों में भेद करना कठिन है। घुर्ये का (Ghurye) तो यहाँ तक कहना है कि हिन्दू-धर्म तथा जन-जातियों के धर्म में कोई भेद ही नहीं है, जन-जातियाँ सिर्फ हिन्दू-धर्म के निम्न-स्तर के लोगों का नाम है, इन जन-जातियों की हिन्दुओं से अलग सत्ता ही नहीं है, इन्हें 'जीववादी' या 'आदिवासी' कहने के स्थान में 'पिछड़े हुए हिन्दु' कहना अधिक उपयुक्त है। घुर्ये का कथन अत्युक्तिपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि आदिवासियों तथा हिन्दुओं एव उनके धर्मों में कुछ आधारभूत भेद भी दिखाई देते हैं। यह हो सकता है कि मिशनरी स्प्रिट में कुछ हिन्दुओं के उद्योगों का परिणाम यह हो रहा हो कि आदिवासी अपने धर्म को छोड़ कर हिन्दू धर्म को अपनाते जा रहे हो, और उनके धर्म तथा हिन्दू धर्म में भेद कम होता-दोखता हो, परन्तु जैसा एलविन ने कहा है, आदिवासी तो जिन देवी-देवताओं की पूजते चले आ रहे हैं, उन से दो-चार अधिक



ये देवी-देवताओं को पूजने में भी उन्हें कोई एतराज नहीं दीखता, इसलिए अपने देवताओं के साथ हिन्दुओं के देवी-देवताओं को भी पूजने लगे हैं, परन्तु भी इन दोनों में भेद बना ही हुआ है। हट्टन ने तो इस भेद को दर्शाने के लिए आदि-वासियों के धर्म की कुछ विशेष-विशेष बातों का उदाहरण भी दिया। उदाहरणार्थ, आदिवासियों के कई धर्मों में दूसरे का सिर काट लाना (Head-unting) महत्व की वस्तु है। नागा लोगो में जो युवा दूसरो का सिर काटता है वह विवाह का अधिकारी समझा जाता है। इसी प्रकार 'नर-बलि' (Human sacrifice) भी कहीं-कहीं महत्वपूर्ण धार्मिक-संस्कार है। फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि ज्यो-ज्यो ये जन-जातियाँ हिन्दुओं के संपर्क में आती जाती हैं, त्यो-त्यो इनके धार्मिक विचारो, विधि-विधानो में पहले से भेद आता जाता है। इसका दो तरह का परिणाम है। एक तो इसका अच्छा परिणाम है। अगर वे इस संपर्क के परिणाम स्वरूप घृणित धार्मिक-कृत्यो को छोड़ दें, दूसरो का सिर काटना, नर-बलि चढ़ाना आदि का त्याग कर दें, तो अच्छा है, परन्तु इस संपर्क का एक बुरा परिणाम भी हो सकता है। इस संपर्क के परिणामस्वरूप आदिवासियो का धर्म ही नष्ट हो सकता है। प्रयत्न यह होना चाहिए कि इनके धर्म की आधारभूत बातें बची रहें क्योंकि उनमें कई अच्छी बातें भी पायी जाती हैं।

## अशुद्धि-पत्र

[ ERRATA ]

पुस्तक छपते हुए मात्राएँ प्रायः टूट जाती हैं। इस प्रकार मात्राओं के टूटने को हमने अशुद्धि नहीं माना। इनके अतिरिक्त जो अशुद्धियाँ रह गई हैं वे निम्न हैं —

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
८५	३१	मौस्टेरियन	मूस्टोरियन
९५	२, ५, ९, १०, ११, १६, १७, २१, २५, २६, ३२,	मौस्ट्रियन	मूस्टोरियन
९५	३	Moustrian	Mousterian
९६	८, १२	मौस्ट्रियन	मूस्टोरियन
१०९	५	मानम	मानव
१०९	६	वानव	मानव
१६३	१०, ३३	Leptorrhine	Leptorhine
१६३	११, ३४	Mesorrhine	Mesorhine
१६३	११, ३५	Platyrrhine	Platyrhine
२७४	५	बिचरो	बिचरो
२८१	४	Evolutionalism	Evolutionism

# शब्द-सूची तथा शब्दानुक्रमणिका

## (GLOSSARY AND WORD-INDEX)

- Abbevillian, ८५, ९३  
 Abrading छेदन, ३६५  
 Acculturation मस्कृतीकरण, २४८, २४९, ३०९  
 Adelpic polyandry भ्रातृक बहुभर्तृता, ४१०  
 Advanced agricultural economies कृषि-मन्ववी विकसित ग्रथ-व्यवस्था, ३३६, ४७१  
 Advanced food-gathering economies फल-मूल एकत्रित करने वाली विकसित ग्रथ-व्यवस्था, ३३१, ४७०  
 Affinal Kinship सम्मिलित मन्वव, ४३३, ४३४  
 African Negroid, १७२  
 Age-rank आयु-श्रेणी, ४६५  
 Agglutinative languages मश्लिष्ट भाषाएँ, ४६१  
 Agnates पितृ-मह-वर्गी, ४३६, ४४७  
 Agriculture, कृषि, १००, १०९, ३६६  
 Agrofacts कृषि-निर्मित, ३१२  
 Ainu, १७४, १७५  
 Air pressure वायु का दबाव, ३६२  
 Alpine, १७१, १७५, १८१, १८२  
 Amitate पितृ-प्रधान, ४४२  
 Amulets जन्तर, ६१७  
 Anatomy शारीर-शास्त्र, ४७  
 Anglo-Saxonism, २०५  
 Animatism जीवित-मत्ता-वाद या चेतन-मत्ता-वाद, ५६१, ५६६, ५६९  
 Animism जीववाद, ५६०, ५६३, ५६६, ६२०  
 Anthropoid मनुष्य-सम, ३८, ४१, ५०, ५१, ५२  
 Anthropeidea मानव-सदृश, ४८, ५०  
 Anthropology मानव-शास्त्र, १७, २३  
 —, Cultural, मास्कृतिक—, १८, २१, २२, २३  
 —, Physical, शारीरिक—, १८, १९, २२, २३, २६५  
 —, Social, सामाजिक—, २०, २२  
 Anthropometer मानव-मापक-यन्त्र, १६७  
 Anthropometry मानव-मिति, १८४  
 Anthropomorphic मानव-सम, ५५८  
 Anvil शूर्ण, ६७  
 Apartheid दक्षिणी आफ्रीका की वर्ण-भेद नीति, २०७  
 Apollonian, ३२१  
 Archeology or Archaeology पुरातत्व-विज्ञान, १८, २०, २२, २३, ३५, ८०, ८३

Archeozoic period अति-सुपुरा जीव-युग, ३६, ४०  
 Armenoid, १८१, १८२, १८३  
 Arrow point धनुष की नोक, ८६, ६८  
 Artifacts व्यवसाय निर्मित, ३१२  
 Aryanism आर्यवाद, २०४, २०५  
 Aryan race आर्य-प्रजाति, १६३, २३६  
 Ashram system आश्रम-व्यवस्था, ३५५  
 Assimilation सात्मीकरण, २४८, २४९, २६१ ३०६  
 Atomic age अणु-युग, ४१  
 Aurignacian, ८५, ९६, १०६, ५४०  
 Australoid, १७३, १७५  
 Australopithecus ३६, ४५  
 Avoidance परिहार, ४३६  
 Avunculate मातुल प्रधान, ४४२  
 Awl टेकुआ, ८६, ९७, ९८  
 Aye कुल्हाडी, ९०  
 Azilian ८६, ९६, ९९, १०६  
 Azoic period अजीव-युग, ३६

Backward Classes Commission पिछडी जातियो का आयोग, २२२  
 Badhik बधिक, २३८  
 Bagdi बागडी, २३८  
 Banjarā वनजारा, २३८  
 Barbarian असभ्य मानव, २६६  
 Barter विनिमय, ३४१, ३५०  
 Basketry टोकरी निर्माण १०२, ३७६  
 Bavaria बावरिया, २३८  
 Belief विश्वास, ६००, ६०६  
 Bhantu भातु, २३८  
 Bhava-Prakash भाव-प्रकाश, ५६७  
 Bhil भील, २३३  
 Bilateral उभयपक्षीय, ४३५, ४४५, ४४६  
 Biochemistry जीव-रसायन-शास्त्र, ४७  
 Blade फलक १०६  
 Blood group रक्त-समूह, १६४  
 Boat-making नाँ-निर्माण १०२  
 Bone industry अस्थि-व्यवसाय, १०६  
 Bonguism बोगवाद ५६७  
 Boomrang फेंकन, ३६१  
 Boskop man ८५, ७६, ७७  
 Brachy-cephalic चौडा कपाल, १६१, १७१, १७८, १७९, १८०, १८१  
 Bridegroom price दहेज, पतिमूल्य, ६१८, ४१६

- Dance नृत्य, ५७४, ५८०, ५८७  
 Dawn man उप मानव, ६३  
 Dawson man, ६२  
 Democratic जन-तांत्रिक, ५२४  
 Descent वंश, ४३५  
 Determinant निर्णायक, ३२  
 Diffusionism प्रसारवाद, २६६, ३०३, ५३६, ५६३, ५६८, ५८३  
 Dinaric, १८३  
 Dionysian, ३२१  
 Distortion in art कला में विकृतीकरण, ५४६  
 Divergence अपसार, १८६, १६०, १६१  
 Division of labour श्रम-विभाग, ३४६  
 Divination भविष्य-कथन, ६१३, ६१८  
 Divorce तलाक, ४२७  
 Dolicho-cephalic लम्बा सिर या दीर्घ-कपाल, ६६, १६१, १७१, १७७ २०५  
 Dom डोम, २३८  
 Domestication पशु-पालन, ३६७  
 Dominant प्रभावक, २७३, २७५, २७७  
 Dormitory शयनागार, ४६६  
 Drama नाटक, ५७३  
 Dravidian द्राविड, १७६, १७६  
 Drives एपणाएँ, ३६१  
  
 Eagle-beak core गरुड-चञ्चु-पाषाणान्तरक, ८८  
 Economic dependence आर्थिक परतंत्रता, ४७२  
 Economic determinism आर्थिक भाग्य-निर्णयवाद, २६३, ३५२  
 Economic family आर्थिक परिवार, ३६१  
 Economic man आर्थिक-मनुष्य, ३५२  
 Ecstasy हर्षातिरेक, ६०५  
 Emigration निर्वाजन (प्रवाजन), २६५, २७६  
 Enculturation संस्कृति का आत्मसात् करण, ३०६  
 Endogamy अन्तर्विवाह, २२१, २३३, ४१६  
 Endscraper तराशने का यंत्र, ८६, ६७  
 Environment पर्यावरण, १६, २१, २३, २६, २६४, २७६  
 Eocene period प्रादि-नूतन-युग, ३८, ४२, ४६  
 Eolithic period उप कालीन पाषाण-युग, ८५, ६१, ११८  
 Eonthropus, ३६, ४५  
 Eskimo, ७४, ४२७  
 Esoteric अन्तरंग, ५६०  
 Ethnology प्रजाति-विज्ञान, २२, २३  
 Eugenics सुप्रजनन-शास्त्र, २६३, ४१७  
 Evidence साक्षी, ५१८

Evolution विकासवाद, ६३, २६५, ३८६, ५६७  
 Equator भूमध्य रेखा, ५०८  
 Excluded area बाह्य-प्रदेश, २२८, २५७  
 Exogamy बहिर्विवाह, ४१४, ४१६, ४१७, ४४८  
 Exoteric बहिरंग, ५६०  
 Explanation स्पष्टीकरण, ५५६  
 Explicit elements प्रकट-तत्व, २६१  
 Extended family विस्तृत परिवार, ३६३

Factors वाहक, २७३  
 Family परिवार, ३७६  
 Family planning परिवार नियोजन, ४७३  
 Far Eastern Pigmy, १७३, १७५  
 Fetish जड-देवता, ६१७  
 Fauna and flora जन्तु-वनस्पति, ८३, ५०६  
 Field work क्षेत्र-कार्य, २४  
 Fire making अग्नि-निर्माण, ३६८  
 Fish-hook मछली पकड़ने का काँटा, ६०  
 Fishing मत्स्य-व्यवसाय, १०२, ३६६  
 Fission विभेदकता, ४५७  
 Fist-axe मुष्टि छुरा, ८८  
 Flake फलक, शकल, ८७, ८८, ८९, ९७, १०३, १०६, ११४, १२२,  
 १२४, ३६५  
 Folklore लोक-साहित्य, ५५४, ५६७  
 Folktale दन्त-कथा, ५५३, ५५४, ५६३, ५६८, ५७०, ५७१, ६०७  
 Food-gathering फल-मूल एकत्रण, ३६६  
 Fossil प्रस्तरित, निखातक, १८, ३५, ४४, ४६, ८६  
 Fraternal polyandry भ्रातृक बहुभर्तृता, ४१०  
 Frizzly hairs घंघराले बाल, १६७, १६९  
 Fulcrum आचार, ३५६  
 Functionalism कार्यवाद, ३१४  
 Fusion एकरूपता, ४५६

Gallicism गैलिकवाद, २०५  
 Garo गारो जन-जाति, ३८८, ४७४  
 Generative cells उत्पादक कोष्ठ, २७३  
 Genes वाहकाणु, १६३, १६४, १७३, २७३  
 Genetic पारिवारिक, ४६२  
 Genetics जनन-विज्ञान, २७३, २७४  
 Genius (इम प्रकरण में) आत्मा, ३००  
 Geology भूगर्भ-शास्त्र, ८३  
 Geometric art ज्यामितिक चित्रण, ५३५

Germ plasm उत्पादक तत्व, २७५  
 Gerontocracy जरा राज्य, ५२४  
 Gitiara गित्तिओरा, ४६७  
 Glacial period हिमपात-काल, ३६, ४२, ४६, ७७, ७८, ७९, १२४ २०३  
 २३६, ३४२  
 Gond गोड जन-जाति, ३६७, ४२८  
 Gorilla गोरिल्ला, ५२, ५३, ६०  
 Gotra गोत्र, ४५१  
 Gotul गोलुल, ४६७  
 Government शासन, ५२२  
 Grammar व्याकरण, ४८६  
 Graphic art चित्र निर्माण कला, ५३१, ५३६, ५४१, ५४७  
 Greed लालसा, ३५३  
 Grimaldi, ४५, ७२-७३, ६७, १०६  
 Grinding घिसना, पेपण, ६०, १०२, ३६५  
 Group-marriage ग्रुप-विवाह, २६७, ३८५, ४०५, ४०६, ४१३  
 Group-mind सामूहिक चेतना, ६००  
 Guilds उद्योग-सघ, ४७२  
 Gunz प्रथम हिमपात काल, ७८, ७९

Hair-pin केश-सूई, ६७  
 Hallstatt age लौह-युग, १०७  
 Hallucination जागृत-स्वप्न, ६०६  
 Hammer कुल्हाडा, हथौडा, ८८, ६७  
 Hand-axe मुष्टि-छुरा, ६३, १०६  
 Harappa हडप्पा, १३६  
 Harpoon भाला, ६८, १०७  
 Head-hunting सिर काट लाना, ६२१  
 Heidelberg man, ४५, ६४, ६३, १०६  
 Henotheism अनेकैक देवता वाद, ६०२, ६०३  
 Heredity वंश-परंपरा, २७४  
 Hindu Marriage and Divorce Act, ४१६, ४४८  
 Ho हो जन-जाति, ५६२  
 Hoe कुदाली, १०७  
 Holocene period सर्व-नूतन-युग, ४०, ४२, ४६, ११०  
 Homo Modjokertensis, ४५  
 Homonidae, ४६, ५०  
 Homo Sapiens मेनावी मानव, ४०, ४५, ६०, ६२, ७०-७२  
 Human evolution मानव का विकास, १८, ४६  
 Humanoid forms मानव-सम, ३८  
 Human sacrifice नर-बलि, ६२१  
 Hunting आखेट, ३६६

Hylobatidae, ४६, ५०

Hypergamy अनुलोम, ४१८

Hypogamy प्रतिलोम, ४१८

Ice age हिमपात-काल, ७७, ७६, ८४, ६५, १०६, ३४२

Identification तादात्म्य, ४४३

Iloichi and Ikhuchi, ४६७

Immediate family मूल परिवार, ३६३

Immigration आगमन, २६६, २७६

Implicit elements अप्रकट-त्व, २६१

Incest अनाचार, ४०५, ४१४, ४४८

Incising tool कर्तन यंत्र, ८६, ६७

Indian tribes भारत की जन-जातियाँ, २१७

Indid group, २४०

Indo-Alpine, १७६

Indo Aryan, १७७, १७६, १८१, १८३, १६३

Indo Dravidian, १७७

Indo-European languages, ४६३

Indo-Nigrin, २३६

Inflectional languages विभक्तिपरक भाषाएँ, ४६२

Instinct सहज-स्वभाव, ३७६, ३८१, ३६१, ४०३

Integration एकीकरण, ३१२, ५३६

Intelligence quotient बुद्धि-लव्धि, २११

Intention इरादा, ५१६

Inter-cultural relation अन्त सांस्कृतिक सवध, ३१२

Inter-glacial period अन्तहिमकाल, ६३, ७७, ७८, ७६, ६४, ६५, १०६, १२४

Inter-pluvial अन्तवर्षाकाल, ७८

Intoxicants मादक पदार्थ, ३७६

Invention आविष्कार, २६६, ३५७, ५०५, ५३६

Invertebrate अपृष्ठवशीय, ३६, ३७, ४२

Iron age लौह-युग, ४१, ८६, १०७, १०६, ११४

Isolating languages भाषा का पृथक् रूप, ४६१

Isolation एकान्तीकरण, पृथक्ता, २६१, २७३, २७८

Java man जावा-मानव, ४५

Joint family मयुक्त परिवार, ३६३

Justice न्याय, ५१६

Kadar कादर जन-जाति, २३४, ३८८

Kamar कमार जन-जाति, ५२७, ५६२

Kanjar कजर जन-जाति, २३७

Kharia खरिया जन-जाति, ४२६, ५२६  
 Khasa खस जन-जाति, ३६३, ४१०, ४२२, ४२६  
 Khasi खासी जन-जाति, २३१, ३८७, ३८६, ४२८, ४७४, ४१२  
 Kichuki किचुकी जन-जाति, ४६७  
 Kinship नातेदारी, ४३२, ५२२  
 Knife चाकू, ८६, ९७, ९८  
 Ku Klux Klan, २०६  
 Kulturkriese सस्कृति-चक्र, ३०५

Lahsun लहसुन, ५६७  
 Lamp दीप, ९७  
 Lance भाला, ८६, ९८  
 Languages भाषाएँ, १६५, ४७६  
 Law विधान, ५११, ५१३, ५२१  
 Leather work चर्म-कार्य, १०२  
 Leiotrichi सीधे बाल, १६६, १६६  
 Lemuroidea लेमूर-सदृश, ४८, ५०  
 Leptorhine लम्बी नाक, १६३  
 Leucoderm गोरी त्वचा, १६६  
 Levalloisian, ८५, १०६  
 Lever, ३५६  
 Levirate देवर-सवध, ४१७, ४४१  
 Lineage वंश, ४४७  
 Lineal kins एकदेशीय सवधी, ४३६  
 Lingo लिंगो, ४६७  
 Linguistics भाषा-शास्त्र, १८, २१, २२, २३, २६८  
 Literature साहित्य, ५७३  
 Lithic industry पाषाण व्यवसाय, ३६५  
 Lushai लुशाई जन-जाति, ४२८

Madrasian industry मद्रासी व्यवसाय, १२२, १२३  
 Magdalenian, ८६, ९६, ९८, ९९, १०६, ५४१  
 Magic जादू, ५८८, ६०६, ६१०  
 Mammals स्तनन्धय, ३७  
 Mana मैना, ५६१, ५६६, ६१४  
 Marginal culture प्रान्तीय सस्कृति, २६१, ३०८  
 Markets बाजार, ३५५  
 Marriage विवाह, ४०२  
 —, its kinds विवाह के प्रकार, ४२०, ४२१, ४२२, ४२३, ४२८  
 Matriarchal मातृसत्ताक २३१, ३८६, ३८७, ३६२  
 Matrilineal मातृवंशी, २६७, ३८७, ३६२, ४३५, ४४१, ४४७, ४७५  
 Matrilocal मातृ-स्थानी, ३८७, ३६२, ४७५



- Matripotestal मातृसत्ताक, ३८७  
 Matronymic मातृनामी, ३६२  
 Medicine औषध, ३७५  
 Mediterranean द्राविड, १७१, १७५, १८०-२, १८८, २३६, २४०  
 Medium माध्यम, ६०५, ६१८  
 Megalithic विशाल पाषाण मञ्चवी, ११२, ११५, १२६, १८२  
 Melanesian, १७२  
 Melanid group, २४०  
 Melanoderm काला रंग, १६६  
 Melody सुर, ५७७  
 Mentifacts मनोनिर्मित, ३१२  
 Metallurgy धातु प्रयोग, ३७७  
 Meso-cephalic मध्य कपाल, १६१  
 Mesolithic period मध्य-पाषाण-युग, ८६, १००, १०६, १२१, १२५,  
 १३३, ५४२  
 Mesorhine मध्यम-नासिका, चपटी नाक, १६३, १७७  
 Mesvinian, ६५  
 Mesozoic period मध्य-जीव-युग, ३७, ४२  
 Metal age धातु-युग, ११२, १३८  
 Microlith अणु-पाषाणोपकरण, ६८, १००, १०६, १२५, १२६  
 Micronesian-Polynesian, १७२, १७५  
 Mimetic dancing अनुकरण-नृत्य, ५८२  
 Mindel period द्वितीय हिमपात काल, ७८, ७९  
 Miocene period मध्य-नूतन-युग, ३८, ४२, ४६, १२०  
 Missing link लुप्त कडी, ४०, ५६  
 Mixed family मिश्रित परिवार, ३८५  
 Mohanjodaro मोहनजोदड़ो, २०, १३६  
 Moiety गोत्रार्ध, ४५१  
 Money धन, ३५०  
 Mongoloid किरात, १७१, १७७, १७९, १८१, १८२, १८६, २२६, २३६,  
 २४०  
 Mongolo-Dravidian, १७७  
 Monochrome एकवर्णीय, ५४१  
 Monogamous एक विवाही, २६८, ३०२, ३८४, ३९०, ३९३, ४०५  
 Monolith एक पत्थर के उपकरण, ११५, ११६, ११९  
 Monotheism एक देवता वाद, ६०२  
 Morung मोरुंग, ४६७  
 Motive (Motif) इरादा, ५१६, ५७०  
 Mousterian, ८५, ६५, १०९  
 Multi-cellular life अनेक कोशिय जीवन, ३६  
 Muria मुरिया जन-जाति, ५२६  
 Music संगीत, ५७४, ५७८, ५७९

- Polyandry बहुभर्तृता, २३३, ३८६, ३९३, ४०७, ४०९, ४१०
- Polychrome बहुवर्णीय, ५४१
- Polygamy बहु-विवाह, ४०७
- Polygyny बहुभार्यता, ३८६, ३९३, ४०७, ४०९, ४११, ४१८
- Polyhedral core बहुभुजीय आन्तरक, ८८
- Polytheism बहु-देवतावाद, ६०२
- Positive method विवेक उपाय, २७७
- Potlack उत्सर्ग, दान, ३५४
- Potter's wheel कुम्हार का चाक, ६३
- Pottery भांड निर्माण, १०२, १०३, ३७६
- Pre-Chellean, ८५, ९३, १०९
- Pre-Dravidian, १७९, १८३
- Preference विधि, ४१४, ४१६
- Pressure method दबाव विधि, ८८, ८९, ९५, ९८, १००, १०३, १०९, ११७, २८४
- Primariae, ५१
- Primary kins प्रथम-कोटि-संबन्धी, ४३४
- Primary period प्रायमिक-युग, ३७, ४२
- Primates प्रायमिक वर्ग, ४७, ५०
- Primitive economics आदिकालीन अर्थ-व्यवस्था, ३२६
- Primitive society आदिकालीन समाज, १२९
- Private property निजी सम्पत्ति, ५२४
- Probationary marriage परीक्ष्य विवाह, ४२०
- Prohibition निषेध, ४१४
- Promiscuity सकर, २९७, ३०२, ३९४, ४०५, ४०९, ४१४
- Property सम्पत्ति, ३४३
- Protection रक्षा, ३७४
- Proterozoic period सुपुरा-जीव-युग, ३६, ४२
- Proto-Australoid आदि-द्राविड, आग्नेय या निपाद, १८०, १८२, १८७, २३९, २४०
- Proto-Nigrinid, २३९
- Proverbs कहावत, ५७३
- Psychic unity मानसिक एकता, २९८, ३००
- Psycho-analysis मनोविश्लेषणवाद, ५६५
- Pueblos, २८९, ५५०, ६१९
- Pulleys, ३६०
- Punaluant family मिश्रित या यूथ परिवार, ३८९
- Punishment दंड, ५२०
- Pygmy, १६३, १८०
- Quarternary period चतुर्थ युग, ३७, ४२, ४६, ८५
- Race प्रजाति, १६८, २१३

- Racism प्रजातिवाद २०३, २१५, २७६  
 Rangbang ४६७  
 Rank श्रेणी, ४६१, ४६४  
 Realism यथार्थवाद, २६८, ५४७, ५४८, ५६८  
 Realistic art यथार्थवाद कला, ५३४  
 Recessive प्रभावित, २७३, २७५  
 Religion धर्म, ५८८, ५८९, ६१०  
 Reptiles सरीसृप, ३७, ४२  
 Representation प्रतिनिधीकरण, ५५७  
 Resistance प्रतिरोध, ३६०  
 Revival पुनर्जागरण, ३१०  
 Rhodesian man, ४५, ७६,  
 Rhythm ताल, ५७६  
 Riss period तृतीय-हिमपात-काल, ७८, ७९  
 Rituals विधि-विधान, ५५४, ५५९, ५६०, ५६१, ५८९, ६००, ६०३  
 Robenhausian, ८६, १००, १०४, १०९  
 Rostro-carinate core गरुड-पायाणान्तरक, ८८
- Sacrament सस्कार, धार्मिक विधान, ४०३, ४१९, ४२७  
 Sacrifice बलिदान, ६१६  
 Samoa समोआ जन-जाति, ५२९  
 Santhal सन्थाल जन-जाति, २२१, २३४  
 Savage वन्य-मानव, २९६  
 Sawing चीरना, ८९, ९०, ९८, १०२, ३६५  
 Science विज्ञान, ५०३, ६१०  
 Scheduled Tribes Order अनुसूचित जन-जाति आदेश, २२३, २२४  
 Sculpturing tool मूर्ति-निर्माण-यंत्र, ८९  
 Security सुरक्षा, ३५३  
 Scythe चुरपा, १०७  
 Scytho-Dravidian, १७८  
 Secondary kins द्वितीय-कोटि-संबन्धी, ४३४  
 Secondary period द्वितीय युग, ३७, ८२  
 Serology लसी-विद्या, १६४, १८५  
 Sewing सिलाई, ३७६  
 Sex drive यौन प्रवृत्ति, ५६५  
 Sex status लिंग म्बिति, ४६९  
 Shaman पाधा, ६०६, ६०८, ६१८, ६१९  
 Shelter सुरक्षा, ३७२  
 Shifting cultivation कृषि स्थान-परिवर्तन, २३०  
 Sib गोत्र या गण, ४३५, ४४४, ४४७, ४४९, ४५०  
 Sibling भाई-बहन, ४४५  
 Sickle हँमिया, ९०, १०७

- Polyandry बहुभर्तृता, २३३, ३८६, ३९३, ४०७, ४०९, ४१०  
 Polychrome बहुवर्णीय, ५४१  
 Polygamy बहु-विवाह, ४०७  
 Polygyny बहुभार्यता, ३८६, ३९३, ४०७, ४०९, ४११, ४१८  
 Polyhedral core बहुभुजीय आन्तरक, ८८  
 Polytheism बहु-देवतावाद, ६०२  
 Positive method विधेयक उपाय, २७७  
 Potluck उत्सर्ग, दान, ३५४  
 Potter's wheel कुम्हार का चाक, ६३  
 Pottery भाँड निर्माण, १०२, १०३, ३७६  
 Pre-Chellean, ८५, ९३, १०९  
 Pre-Dravidian, १७९, १८३  
 Preference विधि, ४१४, ४१६  
 Pressure method दबाव विधि, ८८, ८९, ९५, ९८, १००, १०३, १०९, ११७, २८४  
 Primariae, ५१  
 Primary kins प्रथम-कोटि-सबधी, ४३४  
 Primary period प्रायमिक-युग, ३७, ४२  
 Primates प्रायमिक वर्ग, ४७, ५०  
 Primitive economics आदिकालीन अर्थ-व्यवस्था, ३२६  
 Primitive society आदिकालीन समाज, १२९  
 Private property निजी सम्पत्ति, ५२४  
 Probationary marriage परीक्ष्य विवाह, ४२०  
 Prohibition निषेध, ४१४  
 Promiscuity सकर, २९७, ३०२, ३९४, ४०५, ४०९, ४१४  
 Property सम्पत्ति, ३४३  
 Protection रक्षा, ३७४  
 Proterozoic period सुपुरा-जीव-युग, ३६, ४२  
 Proto-Australoid आदि-द्राविड, आग्नेय या निपाद, १८०, १८२, १८७, २३९, २४०  
 Proto-Nigrinid, २३९  
 Proverbs कहावत, ५७३  
 Psychic unity मानसिक एकता, २९८, ३००  
 Psycho-analysis मनोविश्लेषणवाद, ५६५  
 Pueblos, २८९, ५५०, ६१९  
 Pulleys, ३६०  
 Punaluant family मिश्रित या यूय परिवार, ३८९  
 Punishment दंड, ५२०  
 Pygmy, १६३, १८०  
 Quarternary period चतुर्थ युग, ३७, ४२, ४६, ८५  
 Race प्रजाति, १६८, २१३

- Racism प्रजातिवाद २०३, २१५, २७६  
 Rangbang ४६७  
 Rank श्रेणी, ४६१, ४६४  
 Realism यथार्थवाद, २६८, ५४७, ५४८, ५६८  
 Realistic art यथार्थवाद कला, ५३४  
 Recessive प्रभावित, २७३, २७५  
 Religion धर्म, ५८८, ५८९, ६१०  
 Reptiles सरीसृप, ३७, ४२  
 Representation प्रतिनिधीकरण, ५५७  
 Resistance प्रतिरोध, ३६०  
 Revival पुनर्जागरण, ३१०  
 Rhodesian man, ४५, ७६,  
 Rhythm ताल, ५७६  
 Riss period तृतीय-हिमपात-काल, ७८, ७९  
 Rituals विधि-विधान, ५५४, ५५९, ५६०, ५६१, ५८९, ६००, ६०३  
 Robenhausian, ८६, १००, १०४, १०९  
 Rostro-carinate core गहड-पापाणान्तरक, ८८  
  
 Sacrament मस्कार, धार्मिक विधान, ४०३, ४१९, ४२७  
 Sacrifice बलिदान, ६१६  
 Samoa समोआ जन-जाति, ५२९  
 Santhal सन्थाल जन-जाति, २२१, २३४  
 Savage वन्य-मानव, २९६  
 Sawing चीरना, ८९, ९०, ९८, १०२, ३६५  
 Science विज्ञान, ५०३, ६१०  
 Scheduled Tribes Order अनुसूचित जन-जाति आदेश, २२३, २२४  
 Sculpturing tool मूर्ति-निर्माण-यंत्र, ८९  
 Security सुरक्षा, ३५३  
 Scythe चुरपा, १०७  
 Scytho-Dravidian, १७८  
 Secondary kins द्वितीय-कोटि-सबधी, ४३४  
 Secondary period द्वितीय युग, ३७, ४२  
 Serology लसी-विद्या, १६४, १८५  
 Sewing सिलाई, ३७६  
 Sex drive यौन प्रवृत्ति, ५६५  
 Sex status लिंग स्थिति, ४६९  
 Shaman पाषा, ६०६, ६०८, ६१८, ६१९  
 Shelter सुरक्षा, ३७२  
 Shifting cultivation कृषि स्थान-परिवर्तन, २३०  
 Sib गोत्र या गण, ४३५, ४४४, ४४७, ४४९, ४५०  
 Sibling भाई-बहन, ४४५  
 Sickle हँनिया, ९०, १०७

- Sidescraper पार्श्व खुरचन यंत्र, ८६  
 Simiidae, ४६  
 Simple agricultural economies कृषि मंत्रवी सरल अर्थ-व्यवस्था, ३३४, ४७१  
 Simple food-gathering economies फल-मूल एकत्रित करने वाली सरल अर्थ-व्यवस्था, ३२६, ४६६  
 Simplification in art कला में सरलीकरण, ५४६  
 Sin पाप, ५१२, ५१३  
 Sinanthropus, ३६, ६१  
 Sinanthropus Pekinens, ४५  
 Social behavior सामाजिक व्यवहार, ५११, ५१२  
 Social contract सामाजिक ठेका, ४१६, ४२७  
 Social heritage सामाजिक विरासत, २१  
 Socialistic समाजवादी, ५२४  
 Social survival सामाजिक अतिजीवन, ६०१  
 Sociofacts समाजनिर्मित, ३१२  
 Sohan industry सोहन व्यवसाय, १२२, १२३, १२४  
 Solstice अयन, ५०८  
 Solo man, ४५, ७५-७६  
 Solutrean, ८६, ९६, ९७, १०६, ५४१  
 Somatology शारीर विज्ञान, २२, २३  
 Sororate साली सवव, ४१७, ४१८, ४४०  
 Spatulate चम्मच, ६७  
 Spear बर्छा, ८६  
 Species जाति, १६४  
 Specific gravity विशिष्ट भार, ३६३  
 Spinning कताई, ३७६  
 Spiritualism प्रेतात्मवाद, ६०५, ६१८  
 Spokeshave रन्दा, ८६  
 State राज्य, ५१३  
 Stature कद, १६३  
 Status of women स्त्रियों की स्थिति, ४७३  
 Sterilization निर्बीजीकरण, २७८  
 Stock स्कन्ध, १८०  
 Stone age पाषाण-युग, ४१, ८५, २०७, ३४२  
 Stone money पाषाण-मुद्रा, ११६  
 Strain गुण, १६५  
 Structural रचनात्मक, ४६१  
 Style शैली, ५७१, ५५०  
 Style of life जीवन का प्रकार, २८६, ३२३  
 Subsistence भोजन, ३५२  
 Substitution in art कला में स्थानापन्नीकरण ५५

- Suction चूमन, ३६२  
 Surplus बचत, ३२६, ३३७, ३४१, ३४३, ३४८, ३४९, ३५०, ३५२, ३५५  
 ४१२, ४५०, ४६१, ४७१, ४७५  
 Survival अतिजीवन, ३७६, ३८०, ३८१, ३९१, ३९४, ४०३, ४०६  
 Survivals अवशेष, ३००, ३०१, ३१५, ३१६  
 Super-organic प्राणिशास्त्रोपरि, २९३  
 Super-psychic मानसोपरि, २९३  
 Super-social समाजोपरि, २९३  
 Swancombe man, ४५, ६३  
 Symboitic समजीवी, २८८  
 Symbolic सकेतवादी, २९८, ५३४, ५४७, ५४८, ५६४  
 Syndasmian family, ३९१  
  
 Taboo वर्जित, निषिद्ध, ५५६, ६१३, ६१५  
 Telanthropus capensis, ४५, ५८  
 Tardenosian culture, ९९  
 Tarsioidea टारसियस-सदृश, ४८, ५०  
 Taungs age, ४५  
 Technology प्राविधिक-ज्ञान, ५०३  
 Teknonymy सन्ताननामी व्यवहार, ४४२  
 Territorial ownership देशीय-प्रभुत्व, ५२२  
 Tertiary kins तृतीय-कोटि-संबन्धी, ४३४  
 Tertiary period तृतीय-युग, ३७, ४२, ४६, ८५  
 Teutonic, २०५  
 Textiles वस्त्र-निर्माण, १०४  
 Tharu थारु जन-जाति, १८६, ५२६  
 Themes विषय, २८९, ३२२  
 Theology धर्म-विज्ञान, ६०६, ६०७  
 Three dimensional त्रिपाक्षीय, ५३२, ५४१, ५४८  
 Toda टोडा जन-जाति, २३२, ४२६  
 Tone ध्वनि, ५७७  
 Torsion बट देना, ३६०  
 Tort वैयक्तिक अपराध, ५१६  
 Totem गोत्र-चिह्न, ४३५, ५५५, ४४८, ४४९, ४५४, ४५५, ५१५, ६१३  
 Tortoise core कूर्मान्तरक, ८८  
 Trade व्यापार, ३५५  
 Transculturation संस्कृति का परकरण, ३०९  
 Transportation यातायात, ३७८  
 Trial परीक्षा, ५२०  
 Tribal languages जनजातीय भाषाएँ, २४१-८  
 Tribal problems जनजातीय समस्याएँ, २५१-६  
 Tribes जन-जातियाँ, २१७, २२१, २२५-२२८, ३४१, ३४२, ४५१

- Trident त्रिशूल, १०७  
 Trilithon तीन बड़े-बड़े पत्थरो के स्तूप, ११६  
 Turko-Iranian race, १७८  
 Two dimensional द्विपाश्चर्य, ५३२, ५४१, ५४८  
  
 Ulotrichi ऊन की तरह गोल बाल, १६७, १६९  
 Urge एपणा, ३८०, ३९१  
 Usages नियामक व्यवहार, ४३६  
 Unconscious अज्ञात मन या अचेतन मन, ५६५  
 Unicellular एककोशीय जीव, ३६, ४२  
 Unilateral एक पक्षीय, ४३५, ४४४, ४४५, ४४६  
 Unilineal एकदेशिक, ४४६  
 Unilinear evolution एक दिशा विकास या एकदेशिक विकास, ३०० ३०१,  
 ३०२, ३९२, ४०५, ४०७, ४१३, ४१४, ५३४  
 Untouchability Offences Act अस्पृश्यता-निरोधक अधिनियम, २१७  
  
 Varn System वर्ण-व्यवस्था, ३५५  
 Varve method वार्षिक द्वि-मलावसाद विधि, ८४  
 Veddoid (Veddoid), १७४, १७५, २३९  
 Venus of Willendorf आदिकालीन रत्ति की मूर्ति, ५४०  
 Vertebrate पृष्ठवशीय, ३७, ४२  
 Vestiges अवशेष, ३००, ३०१  
  
 Wadjak man, ४५, ७५-७६  
 Weaving बुनाई, वस्त्र-निर्माण, १०२, ३७६  
 Words पद, ४८६  
 Wurm period चतुर्थ हिमकाल, ७८, ७९  
  
 Xanthoderm पीले रंग की त्वचा, १६६  
  
 Yo यो जन-जाति, ४६७  
  
 Zuni जूनी जन-जाति, ५१९



- Keith, 64, 68, 72, 74  
 King, William, 65  
 Kluckhohn, C, 291  
 Koenigswald, 60, 61  
 Kramberger, 65  
 Kroeber, A L, 28  
 Kshuti Mohan Sen, 189  
 Lamarck, 270  
 Landsteiner, 164  
 Leakey, 111  
 Lee, 502  
 Leslie White, 293  
 Linnaeus, 47, 168  
 Linton, R, 21, 23, 31, 391  
 Locke, 382  
 Lowie, R, 304, 406, 421, 439, 448, 514, 603  
 Lund, 120  
 MacIver, R M, 292, 283  
 Majumdar, D N, 183, 187, 220, 239, 246, 249, 261, 326, 597  
 Malinowski, B, 314, 318, 415, 440, 443, 504, 521, 589, 600, 609, 616  
 Manu, 424  
 Marret, R R, 589  
 Martin, 210  
 Mäusuy, 112  
 Max Muller, 197, 201, 596  
 Mendel, G, 274  
 Morant, 75  
 Morgan, L H, 292, 296, 386, 390, 394, 405, 406, 450, 475  
 Mortillet, 92  
 Murdock, G P, 449  
 Nadel, S F, 27  
 Nehring, 65, 196  
 Opler, M, 289, 322  
 Oppenoorth, 76  
 Osburn, 61  
 Pearson, 268  
 Perry W F, 220, 304  
 Plato, 265  
 Quatrefages and Hamy, 73  
 Radcliffe Brown, A R, 27, 220, 314, 318, 394, 440, 601, 616  
 Radloff, 114  
 Rakhaldas Banerjea, 20, 140  
 Reck, 58  
 Redfield, R, 289, 3  
 Reichard, 219  
 Ripley, 207  
 Risley, H H, 176, 4  
 Rivers, W H R, 22  
 Robinson, 58  
 Roy, 456, 468  
 Rudolf Virchow, 65  
 Ruth Benedict, 289, 319  
 Ruth Bunzel, 326  
 Rutot, 92  
 Saligman, 324  
 Sapir, 498  
 Sawenkoy, 113  
 Schultz, 52  
 Schleicher, 493  
 Schoetensack, Dr Otto, 6  
 Shakespeare, J, 467  
 Shwetaketu, 385  
 Smith, Elliot, 59, 72, 170, 503  
 Sollas, 65, 118  
 Sturli and Decanstellow, 164  
 Suniti Kumar Chatterjea, 187  
 Theognis, 265  
 Thomas, W J, 554  
 Thurnwald, 327  
 Tilak, 201  
 Tilney Frederic, 59  
 Topinard, 163, 170, 210  
 Turney High, 439  
 Tylor, E B, 296, 386, 438, 442, 456, 568, 589, 590, 593, 594  
 Uddalak, 385  
 Venkatachar, 183  
 Verneau, 73  
 Voegelin, 496  
 Weissmann, 271  
 Wells, H G, 212  
 Westermarck, 384, 390, 406, 411  
 Whorf, 500, 502  
 Wilder, H H, 51  
 Wilhelm Schlegel, 491  
 William Jones, 194, 204  
 Wissler, C, 506  
 Woodward, 63  
 Wundt, 575, 614

# नामानुक्रमणिका

## (NAME INDEX)

- Abel Janszoon, 94  
 Adam Smith, 327  
 Ameghino, 120  
 Ammon, 207  
 Ankerman, 305  
 Aristotle, 17  
 Arthur Smith Woodward, 77  
 Audrey Richards, 415  
 Bernier, 168  
 Bidney, D, 28, 312  
 Black Davidson, 61  
 Blumenbach, 168  
 Boas, F, 291, 307, 575  
 Bose J C, 51  
 Bonarelli, 65  
 Boule, 68  
 Breasted, 112  
 Briffault, R, 386, 390  
 Broom, 58  
 Brown, G, 100  
 Burce Foote, 121  
 Burgess, 382  
 Carl Stumpf, 575  
 Campnella, 266  
 Chapple and Coon, 440  
 Childe, V G, 196, 207  
 Clark Wissler, 291, 307, 365  
 Cleveland, A, 256  
 Codrington, 596, 597  
 Comte, A, 27  
 Crook, 238  
 Curt Sachs, 584  
 Cuvier 169  
 Dart, 58  
 Darwin, C, 34, 51, 295, 384  
 Das, A C, 200, 201  
 Davenport, 269  
 Dawson, Charles, 62  
 Dayaram Sahn, 20, 140  
 De Terra and Paterson, 124  
 Dubios Eugene, 58, 60, 61, 76, 114  
 Durkheim, E, 591, 600, 603, 610  
 Eickstedt, Egon von, 239  
 Elliot Smith, 303  
 Elwin, 245, 261, 620  
 Fison and Howitt, 524  
 Fortes, M, 27  
 Freud, S, 31, 429, 438, 541, 615  
 Frazer, J G, 438, 609  
 Galton, 266, 275, 276  
 Gandhiji, 217  
 Garrod, Dorothy, 65  
 Garth, 212  
 Ghurye, G S, 261, 620  
 Glandys S, Reichard, 444  
 Goddard, Henry, 275  
 Goldenweiser, A A, 456  
 Graebner, 305, 306  
 Graham, 269  
 Grigson, W V, 468  
 Guha, B S, 181, 187, 239  
 Guiles, 195  
 Haddon, A C, 178, 239, 295, 533, 535  
 Haeckel, 51, 58, 169  
 Haimendorf, 240  
 Hartmann, Robert, 51  
 Hauer, 592, 605  
 Henry Maine, 383, 406  
 Herbert Spencer, 295, 590  
 Herskovits, M J, 309, 455, 509, 568, 597  
 Hildebrand, 327  
 Hitler, 206  
 Hodson, T C, 467  
 Hoebel, 209  
 Hojer, 496, 502  
 Hrdlicka, 69  
 Hutton, J H, 187, 229, 239, 260, 310, 620  
 Huxley, 65, 169  
 Isidore Geoffrey Saint Hilaire, 169  
 Jacobs and Stern, 17, 203, 219, 263, 324, 326, 394, 402, 406, 411, 445, 455, 590  
 Jonathan Edwards, 268  
 Jukes and Kallikaks, 268  
 Karl Marx, 293

